

HJN-ॡ

पतंजलिकालीन भारत

डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री



000473

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
पटना

वक्तव्य

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन ।

योऽपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॥

अर्थात्, जिसने वैद्यक (चरक) की रचना करके शरीर के मल की शुद्धि की और पदशास्त्र (व्याकरण-महाभाष्य) की रचना करके वचन के मल की एव योगशास्त्र (योगसूत्र) की रचना करके चित्त के मल की शुद्धि की, उस मुनिश्रेष्ठ पतञ्जलि को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।

वस्तुतः, ससार के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में पतञ्जलि का स्थान अन्यतम है; क्योंकि ऐसा कीर्ति लेखक है, जिसने राष्ट्र के बल, वचन और मन—इन तीनों को शुद्ध करने के उद्देश्य से अपनी लेखनी का सदुपयोग किया हो? यही कारण रहा कि ऐसे महर्षि के पदशास्त्र (महाभाष्य)—सम्बन्धी विवेचनात्मक पाण्डुलिपि जब परिपक्व में प्रकाशनार्थ आई, तब हमारा चित्त गद्गद हो गया और हमने शीघ्र ही इस ग्रन्थ के लेखक डॉ० श्रीप्रभुदयाल अग्निहोत्रीजी को ग्रन्थ-प्रकाशन की स्वीकृति, परिषद् के सचालक-मण्डल से प्राप्त कर, भेज दी। जिन कुछ प्राचीन ग्रन्थों के कारण ससार में भारत राष्ट्र का मस्तक उँचा है, उनमें महाभाष्य का स्थान उत्कृष्ट है। हम समझते हैं कि दुनिया की किसी भी भाषा में, व्याकरण-शास्त्र पर, महाभाष्य—जैसा विशद, विस्तृत और सुचिन्तित विचार प्रकट करनेवाला एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है और सोने में सुगन्ध तो यह है कि व्याकरण की इस पुस्तक में ही तत्कालीन भारत-राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के समस्त रेखाचित्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। महाभाष्य एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें केवल अवगाहन कर लेना भी साधारण विद्वानों के वश की बात नहीं है। इसीलिए, पतञ्जलि शेषनाग के अवतार माने गये हैं और महाभाष्य का दूसरा नाम 'फणिभाष्य' है।

यह तो सर्वविदित है कि महाभाष्य मौलिक ग्रन्थ नहीं है जो इसके नाम से भी पता चलता है। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी और उस अष्टाध्यायी की कमियों को पूरा करनेवाले कात्यायन के वार्तिकों का विस्तृत और समन्वयात्मक भाष्य है। पतञ्जलि ने पाणिनि की स्थापनाओं की विशद पुष्टि की है और इसके लिए यत्र-तत्र कात्यायन के विचारों की आलोचना भी की है।

कई सूत्रों से पता चलता है कि यह महाभाष्य कई बार लुप्त हुआ और कई बार इसका उद्धार हुआ। भर्तृहरि के 'वाक्यपदीय' से पता चलता है कि गुप्तकाल के पहले भी एक बार इस ग्रन्थ को भारतीय भूल गये थे। किन्तु, भर्तृहरि के गुप्त को इसकी एक प्रति दक्षिण में मिली, जिससे उन्होंने फिर इसका प्रचार समस्त भारत में किया। इसी तरह 'राजतरंगिणी' से ज्ञात होता है कि दूसरी बार जब महाभाष्य का पठन-पाठन लोग भूल गये, तब कश्मीरराज अभिमन्यु

प्राक्कथन

भारतीय इतिहास में शुभ-काल वैदिक सस्कृति के जयघोष का युग है। इस समय तक धर्म, आचार और चिन्तन के क्षेत्रों को नियमित और निर्देशित करनेवाले शास्त्रों और सूत्रग्रन्थों का प्रणयन ही चुका था एव जन-जीवन की जाह्नवी वेदों की ऊर्जस्वल उपत्यका से उतरकर लोक-भाषा की सपाट समतल भूमि पर विचरण करने लगी थी। विस्तार ने उसका वेग तथा क्लिबिष-कर्दम ने उसका नैर्मल्य कुछ क्षीण कर दिया था। धर्मसूत्रों और गृह्यसूत्रों के उभय-तट-स्पर्शी तुंग कगारों के बीच उसका प्रवाह यद्यपि अपेक्षाकृत आवद्ध था, फिर भी उसकी शीतल मयूर पावन फुहार की आह्लाददायिनी शक्ति में रचमात्र की कमी न आने पाई थी।

मीर्यं सम्राट् बृहद्रथ का वध कर ब्राह्मण-सेनानी पुष्यमित्र का मगव के सिंहासन पर आसीन हो जाना भारतीय इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। वैदिक सस्कृति के समग्र इतिहास में ब्राह्मण के राज्यारोहण का यह प्रथम उदाहरण था। सम्राट्-वध जैसे साहसिक कृत्य के पश्चात् एक बूँद रक्त तक का पात न हीना दूसरी आश्चर्यकारी बात थी। सम्भवतः, इसका कारण चिरकाल से चला आनेवाला वैदिक और बौद्धधर्मों का विरोध था, जिसमें मीर्यं ने खुलकर बौद्धों का पक्ष लिया था। वैदिक धर्मावलम्बियों में ब्राह्मणों की सख्या अधिक थी। उनकी दृष्टि में मीर्यं वृषल थे। वे देवमूर्तियाँ बेच-बेचकर राजकोष भरते थे। इसीलिए, ब्राह्मण-सेनानी द्वारा अकृतज्ञ मीर्यं-वंश के सम्राट् का वध किये जाते ही वैदिक धर्मावलम्बियों, विशेषतः ब्राह्मणों में अपूर्व उल्लास छा गया। दिशाएँ वैदिक ऋचाओं के त्रैस्वर्यगान से गूँज उठी। गगन-मण्डल यज्ञ-बूम से सुवासित हो उठा। वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्म की पुनः स्थापना हुई। चक्र-वर्तित्व का आदर्श पुनः प्रतिष्ठित हुआ और साहित्य एव सस्कृति के तरु की शाखाएँ नवीन हरीतिमा लिये पल्लवित हो उठी। वैदिक आदर्शों की उदय-प्रतिष्ठा का यह विजय-डिण्डिम-घोष पतजलि के महाभाष्य में पूर्ण रूप से प्रतिध्वनित मिलता है।

इस युग के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से भी महाभाष्य एक अमूल्य ग्रन्थ है। हम उसमें भारत-देवता के प्राणों का स्पन्दन स्फुट रूप से सुन सकते हैं। उसमें हमें २२०० वर्ष पूर्व के भारतीय ग्रामीण-जीवन का सत्य-विज्ञान चित्र प्राप्त होता है। प्रस्तुत निबन्ध में इसी चित्र को उसके यथावत् स्वरूप में उपस्थित करने का विनम्र प्रयास किया गया है।

समग्र निबन्ध ७ खण्डों एव ४५ अध्यायों में विभाजित है। प्रथम खण्ड के अन्तर्गत व्याकरण शास्त्र के विकास, पाणिनीय अष्टाध्यायी, महाभाष्य एव पतजलि के विषय में चर्चा है। इस खण्ड में भाषा या व्याकरण-शास्त्र के क्षेत्र में महाभाष्य की मौलिक देन के साथ-साथ पतजलि के जीवन एव महाभाष्य में प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री पर अबतक हुई शोध के परिणामों का भी समावेश कर लिया गया है। यह खण्ड पतजलिकालीन सांस्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि एव भारतीय साहित्य में महाभाष्य के महत्त्व को समझने में सहायक सिद्ध होगा।

द्वितीय खण्ड में भारत की भौगोलिक झाँकी उपस्थित की गई है। इसमें हिमालय के प्रस्थ नामक दो श्रृंगों, पारिपत्र, आदर्श, एव विदूर पर्वतों, कालक वन, खलतिक वन, किष्किन्वा गुहा, कन्यानूप तथा रक्वसा, इक्षुमती, मशकावती, शोण, सरयू, गंगा और सिन्धु-समूह की महत्त्वपूर्ण नदियों के अतिरिक्त पाण्ड्य, चोल, केरल से लेकर गन्धार, कश्मीर, सुह्र, कर्लिंग तक के जन-पदों एव नासिक, गोकल, गवीधुमान्, कोशाम्बी, जित्वरी, मयुरा, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र आदि प्रसिद्ध नगरों तथा अनेक वाहिक ग्रामों के दर्शन किये जा सकते हैं। भाष्य में न केवल स्थानों का उल्लेख-मात्र है, अपितु उसमें उनके विषय में अनेक नवीन बातें बतलाई गई हैं।

तृतीय खण्ड में भारत की सामाजिक स्थिति का चित्रण है। इससे कुल, गोत्र, सयुक्त परिवार, परिवार के सम्बन्धियों, अगो, कुलाचार, जाति-व्यवस्था एव नारी के वश्यत्वावश्यत्वादि के विषय में अनेक नवीन बातें अवगत होती हैं। इस काल में नारी का कार्य-क्षेत्र घर तक सीमित होने लगा था। वह 'सम्या' नहीं कही जा सकती थी। पत्नी और भार्या में अन्तर माना जाता था। वृषलों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। शूद्र और वृषल घृणा के पात्र थे। नैतिक स्वलन की गति तीव्र थी। कानिनों और 'दास्या पुत्रों' की सख्या बढ रही थी। भाष्य में इन सबका निर्वाज उल्लेख है। निवास, ग्राम और नगरों के निर्माण के सम्बन्ध में अनेक नये शब्दों का पता भी भाष्य से मिलता है। डभी प्रकार, भोजनाच्छादन, परिवहन और मनोरजन के ग्राम्य साधनों को विस्तृत तालिका एव भोज्य पदार्थों, वस्त्रों आदि की विशेषता इस प्रकार से ज्ञात होती है।

चतुर्थ खण्ड आर्थिक स्थिति से सम्बद्ध है। इसमें कृषि, वन-सम्पत्ति, पशु-सम्पत्ति, व्यापार-व्याणिज्य, गित्य, मुद्रा, तौल-माप, लेन-देन और श्रम पर विवेचन किया गया है। इस विषय में भी महाभाष्य से ग्राम-विषयक जानकारी ही अधिक मिलती है। ग्रामों से अधिक सम्बद्ध होने के कारण ही कृषि एव पशुओं से भाष्यकार का घनिष्ठ परिचय था। लेन-देन में ग्रामों में प्रचलित विनिमय-पद्धति और निमान के अनेक उदाहरण भाष्य में मिलते हैं। तौल और माप के बहुत-से पात्रों और वाटों के नाम आये हैं। भाष्य से कई छोटे-छोटे सिक्कों के नाम विदित होते हैं और रूपदर्श या रूपतर्क के विषय में भी जानकारी मिलती है। लेनदेन में व्याज की दर, दशैकादश, वृद्धि, आपमित्यक आदि तथा श्रम में वेतन की दर, उष्णक, शीतक और लालाटिक श्रमिकों के सबंध में अन्य कितनी ही नई बातें आई हैं। व्यापार में पण्य वस्तुओं की लम्बी सूची के अतिरिक्त व्यापार-मार्गों, साथों एव माल ढोने के साधनों के विषय में बहुत-सी सूचनाएँ मिलती हैं। सूतों और ऊनी वस्त्रों, उनमें लगनेवाले मसालों और तत्सम्बन्धी अन्य सामग्रों प्रचुर मात्रा में पतजलि में उपस्थित की है। कटकारों, अयस्कारों, कर्मारों एव सुवर्णकारों की कार्य-विधि के विषय में भी बहुत कुछ नवीन सामग्री इस प्रसंग में मिलेगी।

पञ्चम खण्ड में राजनीतिक स्थिति पर विचार किया गया है। इस काल के धार्मिक राजनीतिक गणों, पूर्णों, व्रातों, व्रातीनों, मूर्धाभिषिक्त राजव्यों, राजवश्यों, एकराज एव सधराज्यों का जानकारी भाष्यकार को थी। आयुधजीविसधों के न जाने कितने वर्गों से वे परिचित थे। देग के जनपदों, जनपदावधियों, जनपदावधि आदि की सूक्ष्म विशेषताओं, विषय, निवास, देश, अभिज्ञ के भेदों का ज्ञान हमें सर्वप्रथम महाभाष्य से प्राप्त होता है। हाँ, ग्राम-जीवन से ही अधिक

परिचित होने के कारण वे न्याय और सेना सगठन के विषय में अयेक्षाकृत कम जानकारी दे पाये हैं।

षष्ठ खण्ड में शिक्षा, साहित्य और कला की चर्चा है। वैदिक शिक्षा के विषय में जो जानकारी भाष्य में मिलती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। खट्वाल्ड, तीर्थ-ध्वाक्ष, झावी, स्नातक, माहात्रतिक, अवान्तरदीक्षी, प्रान्तेवासी, चत्वारिंशी आदि ब्रह्मचारियों, विद्या-सम्बन्धों, सतीर्थ्यों, विशिष्ट विषयों के अध्येताओं के लिए नियत शब्दों एवं गृहसूचक शब्दों आदि से महाभाष्य भरा पडा है। वैदिक साहित्य की शाखाओं, प्रोक्त, उपज्ञात, व्याख्यात और कृत-साहित्य, आख्यायिका, आख्यान, पुराण, काव्यादि तथा सम्बद्ध ग्रन्थों और उनके कर्त्ताओं के विषय में भाष्य से महत्त्वपूर्ण प्रकाश पडता है। इसी प्रकार सगीत, नृत्य, नाट्य आदि कलाओं तथा ज्योतिष और आयुर्वेद के सम्बन्ध में बहुत-सा ज्ञान हम पहले-पहल इस ग्रन्थ से पाते हैं। शरीर के कितने ही अंगों, रोगों और औषधियों के लिए नये शब्द भाष्यकार ने दिये हैं।

सप्तम खण्ड में धार्मिक विश्वासों, कार्यों और विचारों पर प्रकाश डाला गया है। इस खण्ड में ज्ञ, क, प्रजापति आदि देवताओं, पण्य-अपण्य अर्चाओं, प्रतिकृतियों, घनपति, रामकेशव, शिव-स्कन्द, विशाल, कश्यप आदि उपास्य देवों, उनके प्रासादों एवं शिव-भागवत तथा वासुदेव-सम्प्रदायों की चर्चा के साथ दार्शनिक मतों, पन्थों और सिद्धान्तों का विवेचन है। इस खण्ड का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अध्याय है 'यज्ञ'। पतञ्जलि आर्त्विज्योन्मीलन थे। अतः, उनकी कृति में यज्ञ-विषयक सूक्ष्म उल्लेखों का पाया जाना स्वाभाविक है। इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए अग्निष्टोम और दर्श-पीठमास विहारों के चित्र भी साथ में दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त मगल, निमित्त, अभिवादन शिष्टाचार, परलोक, श्राद्ध, शौचाशौच, भक्ष्याभक्ष्य आदि के सम्बन्ध की जानकारी भी इस प्रकरण में समाविष्ट कर दी गई है।

और इस प्रकार, महाभाष्य ने भारतीय जीवन का एक सर्वांगपूर्ण चित्र हमें दे दिया है।

एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है। महाभाष्य पूर्णतः मौलिक ग्रन्थ नहीं है। उसका उपजीव्य ग्रन्थ है अष्टाध्यायी। अतः, स्वाभाविक है कि उससे प्राप्त होनेवाली बहुत सी सामग्री का मूल अष्टाध्यायी में ही। ख्यतनामा विद्वान् डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का अष्टाध्यायी पर आश्रित 'इण्डिया एज नोन टु पाणिनि' नामक विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित होने पर विद्वानों ने एक मत से उसकी प्रशंसा की। पाणिनि पर कार्य करते समय डॉ० अग्रवाल ने अनेक स्थानों पर महाभाष्य का आश्रय लिया है। पतञ्जलि पर कार्य करते समय मुझे भी अनिवार्यतः अनेक स्थानों पर पाणिनि और काशिका का आश्रय लेना पडा है। अतः, कई स्थानों पर आवृत्तियाँ स्वाभाविक हैं। फिर भी, सामान्यतया मेरे प्रबन्ध की सामग्री भिन्न है और जो अन्तर पाणिनि एवं पतञ्जलि के ग्रन्थों में है, वह इन प्रबन्धों में भी मिलेगा। डॉ० वी० एन्० पुरी का शोब-प्रबन्ध 'इण्डिया इन दि टाइम ऑफ् पतञ्जलि' भी प्रकाशित हो चुका है, किन्तु वह पतञ्जलि पर कम और पतञ्जलि-युग पर विशेष आश्रित है। उसका बहुत कुछ आचार तत्कालीन ऐतिहासिक एवं पुरातत्त्व-सम्बन्धी सामग्री है। जहाँ डॉ० पुरी ने महाभाष्य का आश्रय लिया है, वहाँ भी मेरे और उनके दृष्टिकोण में अन्तर है। मैंने इन दोनों विद्वानों से अपने मतभेदों का उल्लेख भी यथास्थान विनम्र शब्दों में कर दिया है। यो प्रस्तुत प्रबंध में, जैसा कि सहायक-ग्रन्थ सूची से स्पष्ट होगा, मैंने देवर, कीलहर्तन,

भण्डारकर तथा अन्य परवर्ती विद्वानों की विद्वत्तापूर्ण खोजों का यथासम्भव उपयोग करने की चेष्टा की है।

महाभाष्य का डॉ० कीलहार्न का प्रमाणित संस्करण अब प्रायः दुर्लभ हो चला है, किन्तु सौभाग्य से कुछ ही वर्ष पहले पूना से श्रीअभ्यकर शास्त्री का नवीन संस्करण सात खण्डों में प्रकाशित हुआ है। सन्दर्भ की सुविधा के लिए मैंने इस सर्व-सुलभ, किन्तु विद्वन्मान्य संस्करण का ही उपयोग किया है। प्रवन्व में पृष्ठ के नीचे दिये गये सन्दर्भों या उद्धरणों में जहाँ किसी ग्रन्थ का नाम नहीं है, वहाँ महाभाष्य का यही संस्करण अभिप्रेत है। इनमें जहाँ पृष्ठ-निर्देश नहीं है, वहाँ केवल अष्टाध्यायी के सूत्र का उल्लेख समझना चाहिए।

प्रस्तुत ग्रन्थ सागर-विश्वविद्यालय की पी-एच्० डॉ० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रवन्व का थोड़ा परिवर्तित रूप है। मुझे इस विषय पर कार्य करने की प्रेरणा डॉ० अन्नवाल के 'इण्डिया एज नोन टु पाणिनि' से हुई थी। प्रसिद्ध वैदिक विद्वान् डॉ० वी० एम्० आप्टे के आग्रह और प्रोत्साहन से इस कार्य का प्रारम्भ हुआ। डॉ० रामजी उपाध्याय ने इस ग्रन्थ के 'सामाजिक परिस्थिति' नामक अध्याय को पढ़कर कुछ सुझाव दिये। प्रसिद्ध संगीताचार्य प० ओकारनाथ ठाकुर की सूचनाओं से इस ग्रन्थ में वर्णित 'गोपुच्छिक' प्रकरण लिखने में सुविधा हुई। भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के श्रेष्ठ विद्वान् प० द्वारकाप्रसादजी मिश्र एवं सुप्रसिद्ध कवि-लेखक श्रीरामानुज लालजी श्रीवास्तव से समय-समय पर सहायता एवं प्रोत्साहन मिलते रहे। मैं इन सब विद्वानों के प्रति सादर कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के सचालक सहृदय विद्वान् डॉ० माधवजी के प्रयत्न एवं तत्परता से यह ग्रन्थ विना विलम्ब प्रकाश में आ सका।

महाभाष्य जैसे ज्ञान के अगाध सागर का पार पाना अत्यन्त दुष्कर है। मनन और चिन्तन के साथ प्रति क्षण नई-नई बातें ध्यान में आती जाती हैं। ग्रन्थ की ओर देखकर कालिदास के 'वव सूर्यप्रभवो वक्ष वव चाल्पविपया मति' श्लोक का स्मरण आया, किन्तु जन्ही के

अथवा कृतवाग्द्वारे वशोऽस्मिन् पूर्वसूरिभि ।

मणी वज्रसमुत्कीर्णं सूत्रस्यैवास्ति मे गति ॥

श्लोक ने साहस बढ़ाया और परिणाम-स्वरूप आज यह प्रवन्व आप विद्वज्जनो के समक्ष उपस्थित कर सका हूँ।

ग्वालियर

१४-११-६२

— प्रभुदयाल अग्निहोत्री

विषय-सूची

खण्ड १ : अवतरणिका

अध्याय १	परिचय, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान (पाणिनि-काल)	पृ० स० ३-३०
अध्याय २	ग्रन्थ और ग्रन्थकार, पतञ्जलि का काल	३१-६८

खण्ड २ : भारत की भौगोलिक स्थिति

अध्याय १	भारत का भूगोल	७१-७५
अध्याय २	पर्वत और अरण्य	७६-८१
अध्याय ३	नदियाँ	८२-८८
अध्याय ४	जनपद	८९-११४
अध्याय ५	नगर और ग्राम	११५-१२९

खण्ड ३ : भारत की सामाजिक स्थिति

अध्याय १	समाज-संगठन	१३३-१४३
अध्याय २	वर्ण और जाति	१४४-१५६
अध्याय ३	संस्कार	१५७-१६०
अध्याय ४	आश्रम	१६१-१६७
अध्याय ५	नारी	१६८-१७९
अध्याय ६	निवासी	१८०-१८४
अध्याय ७	ग्राम और नगर	१८५-१९०
अध्याय ८	गृह-सामग्री	१९१-१९६
अध्याय ९	वेशभूषा	१९७-२०६
अध्याय १०	भोजन-पान	२०७-२३१
अध्याय ११	परिवहन	२३२-२४१
अध्याय १२	मनोरंजन	२४२-२४८

खण्ड ४ : आर्थिक स्थिति

अध्याय १	कृषि	२५१-२७१
अध्याय २	वन-सम्पत्ति	२७२-२८४
अध्याय ३	पशु-पक्षी	२८५-३०९

		पृ० सं०
अध्याय ४	शिल्प	३१०-३२४
अध्याय ५	व्यापार और वाणिज्य	३२५-३३९
अध्याय ६	तौल, माप और नाप	३४०-३५१
अध्याय ७	पण और मुद्रा	३५२-३६०
अध्याय ८	घन और व्यवहार	३६१-३६७
अध्याय ९	श्रम और श्रमिक	३६८-३७२

खण्ड ५ : राजनीतिक स्थिति

अध्याय १	राजतन्त्र-शासन	३७५-३८३
अध्याय २	सभ-शासन	३८४-३९५
अध्याय ३	सेना	३९६-४०३
अध्याय ४	जनपद और जनपदी	४०४-४१०

खण्ड ६ : साहित्य और कला


अध्याय १	शिक्षा	४१३-४३७
अध्याय २	वेद-सहिता और उनकी शाखाएँ	४३८-४५२
अध्याय ३	साहित्य और साहित्यकार (दृष्ट साहित्य, श्रोत साहित्य, व्याख्यात साहित्य, उपज्ञात साहित्य, कृत साहित्य)	४५३-४६९
अध्याय ४	स्वास्थ्य और शरीर-विज्ञान	४७०-४८२
अध्याय ५	काल और ज्योतिर्विज्ञान	४८३-४९१
अध्याय ६	संगीत	४९२-४९७
अध्याय ७	नाट्य-नृत्य	४९८-५०४

खण्ड ७ : धार्मिक विश्वास, कृत्य और विचार

अध्याय ८	देवता	५०५-५११
अध्याय ९	यज्ञ	५१२-५५०
अध्याय १०	मूर्ति-पूजा और भक्ति	५५१-५५५
अध्याय ११	दर्शन	५५६-५६५
अध्याय १२	साधु-सन्ध्यासी	५६६-५७४
अध्याय १३	धर्मकृत्य और विश्वास (पाप-पुण्य, परलोक, श्राद्ध, शीघ्राशौच, भक्ष्याभक्ष्य, मानवेत्तर योनियाँ, निमित्त-नैमित्तिक, मंगल, अभिवादन, व्रत-उपवास, शिष्टाचार)	५७५-५९६

पतंजलिकालीन भारत

खण्ड १
अवतरणिका



अध्याय १

परिचय

महाभाष्य—पातजल महाभाष्य सस्कृत-व्याकरण का अत्यन्त प्रमाणभूत मूलग्रन्थ है। सस्कृत-साहित्य की विपुल ग्रन्थराशि में, ब्राह्मणों और आरण्यकों को छोड़कर, यही प्राचीनतम श्रेष्ठ गद्यग्रन्थ माना जाता है। सस्कृत में प्रत्येक शास्त्र पर सामान्यतया पाँच प्रकार के ग्रन्थ मिलते हैं—सूत्र, वृत्ति, भाष्य, वार्तिक और टीका। इनमें सूत्र अत्यन्त सक्षिप्त, असन्दिग्ध, सारवान् और प्रामाणिक होते हैं।^१ वार्तिक-ग्रन्थों में सूत्रों की उक्त, अनुक्त और दुसक्त बातों का विवेचन किया जाता है^२ तथा भाष्य में सूत्रानुसारी शब्दों के द्वारा सूत्रार्थ-चिन्तन के साथ-साथ बहुत कुछ मौलिक विवेचन भी रहता है।^३ व्याकरण-शास्त्र में सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन और भाष्यकार पातजल को सयुक्त रूप से 'मुनित्रय' कहते हैं और इन्हीं तीन पुष्ट स्तम्भों पर आवृत्त होने के कारण संस्कृत-व्याकरण 'त्रिमुनि व्याकरण' कहलाता है।

महाभाष्य का उपजीव्य ग्रन्थ पाणिनीय अष्टाध्यायी है, जिसपर महाभाष्य के अतिरिक्त कात्यायन के नाम से प्रचलित एक वार्तिक-ग्रन्थ, काशिका नामक वृत्ति-ग्रन्थ, सिद्धान्तकौमुदी आदि चार प्रकरणात्मक टीका-ग्रन्थ, शब्दकौस्तुभ नामक टीका-ग्रन्थ, सूत्रों द्वारा अनुमान से निकाली गई परिभाषाओं और लौकिक न्यायों के संग्रह एवं उनके व्याख्यापरक परिभाषेन्दु-शेखर आदि ग्रन्थ तथा शब्द के अर्थविज्ञानात्मक वाक्यपदीय, वैयाकरणभूषण, मंजूपा आदि अनेक अर्थ-ग्रन्थ विद्यमान हैं। महाभाष्य इस सम्पूर्ण ग्रन्थमाला का सुमेरु है। मुनियों की त्रयी में यथोत्तर का प्रामाण्य होने के कारण व्याकरण-शास्त्र में पातजल की वाणी सर्वाधिक प्रमाण मानी जाती है। इसीलिए, पश्चाद्वर्ती समस्त ग्रन्थकारों ने महाभाष्य को प्रमाण मानकर अपने ग्रन्थों की रचना की है।

प्रवेश

ब्राह्मण-काल—शब्द-स्पष्टीकरण विद्या के अर्थ में व्याकरण शब्द का प्रयोग ब्राह्मण-काल से ही मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में देवताओं की प्रार्थना पर इन्द्र द्वारा वाणी के व्याकृत किये

१. अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्।
अस्तोभमनवर्षं च सूत्रं सूत्रकृतो विदुः॥
२. उक्तानुक्तदुसक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते।
तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुर्वार्तिकज्ञा मनीषिणः॥

—पारा० पु०, अध्या० १८।

३. सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः।
४. स्वपदानि च वर्णन्ते भाष्यं भाष्यकृतो विदुः॥

जाने का उल्लेख है^१, जिसका अर्थ सायण ने 'प्रकृति-प्रत्यय-विभाग द्वारा अखण्ड वाणी को विच्छिन्न करना' बतलाया है।^२ 'चत्वारि वाक्परिमिता पदानि' (ऋग्वे० १-१६४-४५) तथा 'चत्वारि ऋज्जास्त्रयो यस्य पादा' (ऋग्वे० ४-५८-३) आदि मन्त्रों की व्याख्या में पतञ्जल ने नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात इन शब्द-विभागों, तीन कालों और सात विभक्तियों की ओर जो संकेत किया है, उसे सायण ने मन्त्रों के वैयाकरण-साम्प्रदायिक अर्थ के रूप में स्वीकार किया है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में लिंगो, वचनो तथा भूत, वर्तमान और भविष्यत् के अर्थ में कृत, कुर्वत् और करिष्यत् शब्दों का प्रयोग भी मिलता है।^३ उपनिषदों तथा आरण्यकों के वाणी-वर्णन-प्रसंगों में स्वर, ऊष्मन्, स्पर्श, घातु, प्रातिपदिक, नाम, आख्यात, प्रत्यय, विभक्ति आदि शब्दों का व्यवहार हुआ है और गोपथ-ब्राह्मण में इनके अतिरिक्त विकार, विकारी, वर्ण, अक्षर, भाषा, संयोग, पद, स्थान, नादानु-प्रदान आदि पारिभाषिक शब्दावली प्राप्त होती है।^४ यह इस बात का प्रमाण है कि ब्राह्मण-काल में व्याकरण का स्थूल ढाँचा तैयार हो चुका था।

प्रथम सोपान

पार्षद-काल—पार्षद-काल व्याकरण का प्रारम्भ काल है। इस काल में वैदिक चरणों में होनेवाले अनुसन्धान के परिणामस्वरूप बहुत-से प्रातिशाख्य, तन्त्र-ग्रन्थ, प्रचलित भाषा में वैदिक शब्दों का विवेचन करनेवाले ग्रन्थ, शिक्षा-सूत्र, निषण्डु जैसे कोश-ग्रन्थ तथा निर्वचन देनेवाले निरुक्त ग्रन्थ बने। इनमें ऋक्, साम और अथर्व के प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त आश्वलायन, वाजसनेय, तैत्तिरीय, मैत्रायणीय और चारायणीय प्रातिशाख्य भी उपलब्ध या ज्ञात हैं। तन्त्र-ग्रन्थ प्रातिशाख्यों के ही सदृश हैं। इनमें ऋक् तन्त्र, लघु ऋक् तन्त्र, अथर्व चतुरध्यायी, प्रतिशासुत्र, भाषिक सूत्र, सामतन्त्र और अक्षरतन्त्र प्राप्य हैं, जिनमें प्रथम पाँच वैदिक स्वरों से तथा शेष दो सामगान से सम्बद्ध हैं। प्रातिशाख्य नाम अन्वर्थक है। इनमें वैदिक पदों के स्वर, उच्चारण, समास, सन्धि और वृत्त पर विचार किया गया है। दो या अधिक शाखाओं का एक ही प्रातिशाख्य भी होता था। शाकलो और वाष्कलो का एक ही प्रातिशाख्य था। प्रातिशाख्यों को पार्षद या

१. ते देवा इन्द्रमद्भुवन्निर्मां नो वाचं व्याकुर्विति।

तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्॥

—तैत्ति० सं०, काण्ड ६, प्रपा० ४, अनु० ७।

२. तामखण्डां वाचं मध्ये विच्छिन्न प्रकृतिप्रत्ययविभाग सर्वत्राकरोत्।—सायण, ऋग्भाष्य, उपो०, भाग १, पृष्ठ २६, पृता-सं०।

३. ऐत० ब्रा० ४-५-१ से ३ तक; शत० ब्रा० १-५-४-६ से ११ तक; ताण्ड्य ब्रा० १-२०-१३।

४. ओङ्कारं पृच्छामः—को घातुः, किं प्रातिपदिकम्, किं नामाख्यातं, किं लिङ्गं, किं वचनं, का विभक्तिः, कः प्रत्ययः, कः स्वर उपसर्गो निपातः, किं वै व्याकरणं, को विकारः, को विकारी, कति भाग, कति वर्णः, कत्यक्षरः, कति पदः, कः संयोगः, किं स्थाननादानुप्रदानानुकरणम्।—गोपथ ब्रा० ५-१-२४।

पारिषद ग्रन्थ भी कहते हैं। वास्तव में इनका मूल वैदिक संहिताओं का पद-पाठ था। वैदिक काल में संहिताओं का अर्थ स्पष्ट था, किन्तु धीरे-धीरे भाषा के स्वरूप में कुछ परिवर्तन हो जाने तथा ऐतिहासिक परम्परा के विच्छिन्न हो जाने के कारण संहिताएँ दुर्बोध हो चलीं और तब उनके अर्थबोध के लिए आचार्यों को उनका पदपाठ करना पड़ा। प्रातिशाख्यों की रचना के पूर्व ही शाकल्य ने ऋग्वेद, आत्रेय ने तैत्तिरीय और गार्ग्य ने सामवेद-संहिता का पदच्छेद कर दिया था। इस पदच्छेद के पश्चात् ही प्रातिशाख्यों में वैदिक पदों पर विचार प्रारम्भ हुआ। इसीलिए, निरुक्त में कहा है कि 'सर्व चरणों के पार्षद पद-प्रकृतिक हैं।' भिन्न-भिन्न वैदिक चरणों के अनुसन्धान में अन्तर अनिवार्य था। कोई-कोई चरण इस प्रकार के अनुसन्धान करते थे, जो अन्य शाखाओं द्वारा ग्राह्य न होने के कारण केवल उसी शाखा तक सीमित रह जाते थे। उदाहरणार्थ, सात्यमुग्नि और राणायणीय सामशाखाओं के लोग ह्रस्व एकार और ह्रस्व ओकार का भी प्रयोग करते थे।^१ अन्यत्र वैदिक या लौकिक भाषा में कहीं इस प्रकार का उच्चारण प्रचलित नहीं था। आगे चलकर जब व्याकरण का शास्त्रीय विकास हुआ, तब उसमें समस्त चरणों के मान्य सिद्धान्तों का समावेश कर लिया गया। इसीलिए, पतञ्जलि ने कहा है कि व्याकरण सर्ववेदपारिषद शास्त्र है। उसमें किसी एक परिषद् के मार्ग को आधार नहीं बनाया जा सकता।^१

प्रातिशाख्यों का रचना-काल एक नहीं है। लूडर्स के मत से तैत्तिरीय प्रातिशाख्य प्रथम है और लाङ्गिश् के मत से ऋक् प्रातिशाख्य। गोल्डस्टुकर वर्तमान सभी प्रातिशाख्यों को पाणिनि के बाद का मानते हैं। फिर भी, अधिकांश विद्वान् पाणिनि-जैसी सर्वांगपूर्ण विवेचन-पद्धति से युक्त न होने एव ब्राह्मण-ग्रन्थों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग करने के कारण ऋक् प्रातिशाख्य को प्राचीन स्वीकार करते हैं। इन प्रातिशाख्यों में अष्टाध्यायी में प्राप्त आपिण्डि, काश्यप आदि वैयाकरणों के नामों के अतिरिक्त इन्द्र, औदन्नजि, काल्यायन, कौत्स, पौष्करसादि, माध्यन्दिनि, व्याडि, शाकल और शौनक के नाम अवश्य मिलते हैं, पर वे इसी कारण पाणिनि की अपेक्षा अर्वाचीन नहीं कहे जा सकते। पाणिनि ने तो केवल उन्हीं वैयाकरणों का उल्लेख किया है, जिनसे उनका मतभेद था। इन सब वैयाकरणों ने तन्त्र या प्रातिशाख्यों जैसे ग्रन्थ न लिखकर प्रचलित भाषा के शब्दों का विवेचन करनेवाले ग्रन्थ लिखे थे। 'सम्बुद्धौ शाकल्यस्ये-तावनाषे' सूत्र का 'अनाषे' पद इस बात का प्रमाण है। हाँ, कुछ प्राचीन प्रातिशाख्यों में सुवार और परिवर्द्धन का क्रम पाणिनि के बाद तक चलता रहा। फिर भी, मोटे तौर पर मूल प्रातिशाख्यों का रचना-काल ई० पू० १४०० से ई० पू० ७०० तक माना जा सकता है।

१. पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि—निरुक्त।
२. भोश्छन्दोगानां सात्यमुग्नि राणायणीया ह्रस्वमेकारं ह्रस्वमोकारं च प्रयुञ्जते।
न चैवान्यत्र लोके वेदे वा ह्रस्व एकारो ह्रस्व ओकारो वास्तीति ॥
—आ० २, मा० सु० ३-४, पू० ५४।
३. सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्।
तत्र नैकः पन्थाः शक्य आस्थातुम् ॥

द्वितीय सोपान

निरुक्त-काल—प्राचीन प्रातिशाख्यो के पश्चात् निरुक्तों की रचना हुई, जिनमें इस समय किसी निघण्टु पर लिखा हुआ एकमात्र यास्क का निरुक्त उपलब्ध है। यास्क ने इसे व्याकरण का कात्स्न्य कहा है। इस समय तक लेखन-कला का आविष्कार हो चुका था। यद्यपि मैक्समूलर, वेबर आदि विद्वान् इस बात से सहमत नहीं हैं, फिर भी अष्टाध्यायी में उल्लिखित यवनानी, लिपिकार, पटल, काण्ड, सूत्र, ग्रन्थ, वर्ण, कार आदि शब्दों तथा गौ के कान पर वनाये जानेवाले अको की प्रथा से यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है। इसीलिए, गोलडस्टुकर महोदय ने लेखन-कला के आविष्कार का समय प्रातिशाख्यो की रचना से पूर्व माना है और उनके मत से यह समय पाणिनि से पूर्व ही पड़ता है।^१ राँथ और बोथॉलिक भी इससे सहमत हैं। शिक्षा-ग्रन्थों में 'त्रिषष्ठि चतु षष्ठिर्वा वर्णा शम्भुमते मता' यह वाक्य मिलता है। पाणिनि ने भी बयालीस वर्ण गिनाये हैं। रगीन लिखे जाने के कारण ही इन्हे वर्ण सज्ञा दी गई थी। लेखन-कला के फलस्वरूप ग्रन्थ-रचना सुकर हो गई। यास्क ने इस समय या इसके पूर्व के अनेक आचार्यों तथा सम्प्रदायों (अग्रायण, आग्रायण, आचार्य लोग, कुछ लोग, ऐतिहासिक, पार्षद-समूह, मनु, याज्ञिक, पूर्वकालीन याज्ञिक, वाप्यार्यणि, औदुम्बरायण, औपमन्यव, औरिणाभ, कात्यक्य, कौष्टिक, गार्ग्य, गालव, चर्मशिरा, तैदिक, नैदान, नैरुक्त, पारिज्राजक, वैयाकरण, शाकटायन, शाकपूणि, शाकल्य, स्थौला-ष्ठीवि और हारिद्रवक) के मतों का उल्लेख किया है। इस समय तक नैरुक्तों से पृथक् वैयाकरणों के अनेक सम्प्रदाय बन चुके थे, जिनमें इन्द्र और शाकटायन का स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

निरुक्त-काल के वैयाकरण

शाकटायन—यास्क ने नामो या सज्ञा-शब्दों के आख्यातज होने का सिद्धान्त स्वीकार किया और इस प्रसंग में शाकटायन, गार्ग्य तथा कुछ वैयाकरणों का मत भी उद्धृत किया। शाकटायन शब्दों को घातुज मानते थे। इसके लिए वे अनेक बार उपहासास्पद व्युत्पत्तियों का भी आश्रय लेने के लिए विवश होते थे। 'सत्य' ऐसे ही शब्दों में एक था, जिसे वे अस् या इण् घातु से व्युत्पन्न वतलाते थे। निरुक्त ने नाम को घातु-साधित मानते हुए भी ऐसी व्युत्पत्ति करनेवाले व्यक्ति को ग्राह्य कहा है। शौनक बृहद्देवता (२-९५) के अनुसार ये तेईस उपसर्ग मानते थे तथा अन्य वैयाकरण दस।^१ शाकटायन सज्ञा या क्रिया से पूर्व अप्रयुक्त निपातों का स्वतः कोई अर्थ भी नहीं स्वीकार करते थे। इसके विपरीत गार्ग्य तथा अन्य कुछ वैयाकरण सारे शब्दों को घातुज नहीं मानते थे।^२ यास्क ने शब्दों को घातुज मानकर ही निरुक्त में वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति दी है।

१. ह्लाट एवर वैंट पीरियड माइट बी, इट मस्ट हैव बीन प्रायर टु दि प्रोडक्शन ऑफ दि प्रातिशाख्य लिटरेचर—पाणिनि : हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर, पृ० १८३।

२. अथानन्वितेयः प्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतरार्थान् सचस्कार शाकटायनः।

एतैः कारित धकारादि चान्तः करणम्। अस्ते शुद्धं सकारादि च—निरुक्त १-१३।

३. तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च। न सर्वाणीति गार्ग्यो वैयाकरणानां चैके।—निरुक्त १-१२।

आगे चलकर वैयाकरणों ने, विशेषतः पाणिनि के अनुयायियों ने शाकटायन के विपरीत गार्ग्य का मत स्वीकार किया और नैरुक्तों की ह्रां में ह्रां मिलाने के कारण शाकटायन की खिल्ली उड़ाई। पाणिनि ने नडादिगण में शकट शब्द का परिगणन कर शाकटायन शब्द की उत्पत्ति शकट से सिद्ध की और भाष्यकार ने कहा कि शकट-वशज शाकटायन को मार्ग के किनारे बैठे रहने पर भी पास से जाते हुए शकट-सार्थ का भान^१ नहीं हुआ। उन्होंने किसी समीक्षाकार का श्लोकार्थ भी उद्धृत किया है, जिसका आशय है कि नैरुक्त लोग तो नाम को घातुज कहते ही थे, किन्तु वैयाकरणों ने शकट का छोकरा भी वैसा ही कहने लगा।^२ शाकटायन जातिवाचक, गुणवाचक और क्रियावाचक ये तीन प्रकार के ही सज्ञाशब्द मानते थे, यदृच्छा शब्द नहीं।^३ ऋक्तन्त्र और पचपदी उणादि सूत्र शाकटायन द्वारा विरचित बतलाये जाते हैं।^४ कुछ लोग ऋक्तन्त्र का कर्ता औदन्नजि को मानते हैं।^५ सम्भव है, यह शाकटायन का ही दूसरा नाम हो। इस सबसे इतना स्पष्ट है कि यास्क के समय में नैरुक्तों और वैयाकरणों में अनेक वातों के विषय में तीव्र मतभेद था और शाकटायन पाणिनि-पूर्व सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण थे। इसीलिए, काशिकाकार ने वैयाकरणों को अनुशाकटायन और केशव ने नानार्थार्थवसक्षेप में इन्हे आदि शाब्दिक कहा है।^६

गार्ग्य—गार्ग्य का कोई व्याकरण-ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, यद्यपि पाणिनि ने तीन बार उनका उल्लेख किया है।^७ पाणिनि-व्याकरण में दिये गये मतों से अनुमान होता है कि उन्होंने लौकिक और वैदिक दोनों भाषाओं का व्याकरण लिखा था। गार्ग्य सामवेद के पदपाठकर्त्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। नैरुक्त होते हुए भी ये सब सज्ञा-शब्दों को घातु-साधित नहीं मानते थे। गार्ग्य उपसर्गों को विशेषण मानते थे। इस प्रकार, उनके मत में प्रत्येक उपसर्ग का स्वतन्त्र अर्थ था।^८

इन्द्र—इन दोनों के अतिरिक्त इन्द्र नामक वैयाकरण तथा उनके ऐन्द्र सम्प्रदाय की चर्चा अनेक स्थानों पर मिलती है। कविकल्पद्रुम, श्रीतत्त्वनिधि आदि ग्रन्थों में जिन आठ या नौ वैयाकरण-सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता है, उनमें ऐन्द्र प्रथम है।^९ रामायण-काल में भी व्याकरण के नौ मुख्य सम्प्रदाय प्रचलित थे। वाल्मीकि ने हनुमान् को 'नव व्याकरणाथैवेत्ता' कहा है।

१. वैयाकरणानां शाकटायनो रयमार्गं आसीनः शकटसार्थं यान्तं नोपलेभे।—

३-२-११५। पृ० २५०।

२. नाम च घातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्।—३-३-१, पृ० २८४।

३. पा० सू०, ३-३-१ न्यासवृत्ति।

४. नागेश, १-१-१ पर उद्योत तथा लघुशब्देन्दुशेखर, पृ० ७, काशी-सं०।

५. शब्दकौस्तुभ।

६. काशिक १-४-८६।

७. ७-३-९६, ८-३-२०, ८-४-६७।

८. निरुक्त, १-३।

९. इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः।

पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टाविशाब्दिकाः ॥—बोपदेव, कविकल्पद्रुम।

ये नौ सम्प्रदाय कौन-कौन थे, विदित नहीं है।^१ तैत्तिरीय संहिता (६-४-७) में इन्द्र को सर्वप्रथम वैयाकरण वतलाया है। भाष्यकार के समय में भी यह विश्वास प्रचलित था कि बृहस्पति ने इन्द्र को दिव्य सहस्र वर्ष तक शब्दों का प्रतिपद पारायण कराया, फिर भी उसका अन्त नहीं मिला।^२ इस बात की पुष्टि ऋक्तन्त्र से भी होती है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा ने बृहस्पति को शब्द-शास्त्र पढाया, बृहस्पति ने इन्द्र को, इन्द्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने ऋषियों को और ऋषियों ने ब्राह्मणों को।^३ भारद्वाज की इक्कीसवीं पीढ़ी का उल्लेख भी भाष्य में मिलता है। पाणिनि ने अपने व्याकरण में आठ बार 'प्राचाम्' के मत का उल्लेख किया है। श्रीवर्नेल के मत से 'प्राचाम्' ऐन्द्र मत का बोधक है। उनके मत से यदि इन्द्र का कोई एक व्याकरण न था, तो भी व्याकरण की एक ऐन्द्र शाखा अवश्य थी। यह प्राचीनतम वैयाकरण शाखा है। पाणिनि इसके ग्रन्थों से परिचित थे और उन्होंने उनसे बहुत कुछ लिया भी है।^४ तिब्बतीय ग्रन्थों के अनुसार यह २५००० श्लोकों का व्याकरण-ग्रन्थ था।^५ बृहत्कथामजरी और कथासरित्सागर में एक आख्यायिका दी हुई है, जिसके अनुसार पाणिनि पर अनुग्रह करने के लिए शकर ने हुकार किया। उसके प्रभाव से ऐन्द्र व्याकरण नष्ट हो गया। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार शारिपुत्र ने भी वाल्यावस्था में ऐन्द्र व्याकरण पढा था। पण्डितों में यह प्रवाद है कि चान्द्र व्याकरण का पाणिनि से और कालाप व्याकरण का इन्द्र के व्याकरण से सादृश्य है। इतना निश्चित है कि ऐन्द्र व्याकरण परिमाण में बहुत बड़ा था और पाणिनि-व्याकरण बहुत छोटा। इसीलिए, महाभारत के टीकाकार देवबोध ने टीका के प्रारम्भ में ऐन्द्र व्याकरण को अर्णव और पाणिनीय को गोष्पद कहा है।^६ वर्नेल ने टोलकपिय नामक दक्षिणात्य व्याकरण, कातन्त्र तथा कात्यायन के पालि-व्याकरण का सादृश्य दिखलाते हुए ऐन्द्र व्याकरण के (कातन्त्र का आधार होने के कारण) स्वरूप की कल्पना स्पष्ट की है। तदनुसार, ऐन्द्र व्याकरण के प्रथम प्रकरण में वर्ण-समाम्नाय और सन्धि, द्वितीय प्रकरण में विभक्ति, प्रत्यय, सर्वनाम, कारक, समास और तद्धित, तृतीय प्रकरण में काल और अर्थवाचक प्रत्यय, द्वित्व, सम्प्रसारण, गुण, अनुषंग और इडागम तथा चतुर्थ प्रकरण में कृत प्रत्ययों का विचार किया गया था। निरुक्त के 'अर्थ. पदम्' पर दुर्गाचार्य की 'नैक पदजातम्। यथा अर्थः पदमित्य-

ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनम्।

सारस्वतं चापिशलं शाकल्यं पाणिनीयकम् ॥

—श्रीतत्त्वनिधि।

१. सोऽयं नवव्याकरणाद्यवेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्।— किष्कि० का० २-२९।
२. एवं हि श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच न चान्तं जगाम।— आ० १, पृ० १२।
३. ऋक्तन्त्र १-४।
४. वर्नेल : ऐन्द्रस्कूल ऑफ् ग्रामेरियन्स, निबन्ध।
५. गंगानाथ झा रिसर्च इन्स्टी० जर्नल, भाग १, सं० ४, पृ० ४१०; सन् १९४४ ई०।
६. यान्युज्जहार साहेन्द्राद्व्यासो व्याकरणार्णवात्।
पदरत्नानि किं तानि सन्ति पाणिनि गोष्पदे ॥

न्द्राणाम्' इस वृत्ति से पता चलता है कि ऐन्द्र सम्प्रदाय में केवल धातु और प्रातिपदिक या केवल सुपु और तिङ्ग की भी पद-संज्ञा मानी जाती थी। इसी प्रकार, ऐन्द्र व्याकरण के धातुपाठ में स्वरान्त धातुओं के अन्त में ण्, ड्, क्, ब् आदि तेरह वर्ण इत्सञ्जक बनाकर जोड़े गये थे, जो परस्मैपद, आत्मनेपद आदि की पहचान की सुविधा के लिए थे। पाणिनि ने अपने प्रत्याहार-सूत्रों में ये ही तेरह वर्ण इत्सञ्जक रखे हैं। केवल ण् की आवृत्ति कर दी है। इन्द्र द्वारा, वैदिक काल से चली आती हुई स्वरान्त धातुओं के पीछे अन्त्य इत् जोड़ने की बात की पुष्टि नन्दिकेश्वर की 'अत्र सर्वत्र सूत्रेषु' इस कारिका की उपमन्यु-कृत व्याख्या से होती है।^१

अन्य वैयाकरण—शाकटायन, गार्ग्य और इन्द्र के अतिरिक्त पाणिनि-पूर्व के वैयाकरणों में शाकल्य, काश्यप, भारद्वाज, गालव, चाक्रवर्मण, सेनक, स्फोटायन, आपिशलि, वैयाध्रपद्य और काशकृत्स्न के नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इनमें शाकल्य, काश्यप और भारद्वाज का उल्लेख प्राति-शाख्यों में मिलता है। शाकल्य-कृत ऋक्-संहिता के पदपाठ की प्रशंसा भाष्य में भी है। पाणिनि ने सन्धि-सम्बन्धी कुछ नियमों के विषय में इनके मत का उल्लेख किया है।^२ पाणिनि और वार्तिककार दोनों ने इनके नियमों को शाकल्य कहा है। इनसे पता चलता है कि लौकिक भाषा पर भी इनका कोई व्याकरण था। भारद्वाज के मतभेद का उल्लेख इडागम-निषेध के विषय में केवल एक बार अष्टाध्यायी में हुआ है।^३ इसी प्रकार, गालव का चार बार^४ तथा चाक्रवर्मण, सेनक और स्फोटायन का एक बार उल्लेख मिलता है।^५ स्फोट के विषय में विशेष विचार करने के कारण स्फोटायन नाम पड़ा था, यह बात हरदत्त की पदमंजरी से ज्ञात होती है। पुरुषोत्तम देव की भाषा-वृत्ति (६-१-७७) में गालव का मत उद्धृत है, जिसके अनुसार दधि+अत्र के दधियत्र और दध्यत्र दो रूप होते हैं। चाक्रवर्मण द्वय को सर्वनाम मानते थे। भट्टोजि ने माघ के 'द्वयेषां' को चाक्रवर्मण प्रयोग माना है। भारद्वाज ने सभवत. अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे थे। भाष्य में भारद्वाजीय वार्तिकों का अनेक बार उल्लेख है।

आपिशलि—आपिशलि का नामोल्लेख यद्यपि पाणिनि ने एक बार ही किया है,^६ किन्तु अन्य ग्रन्थों में इनके विषय के महत्त्वपूर्ण उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि ये शाकटायन के समकक्ष वैयाकरण थे। शाकटायन व्याकरण की अमोघा वृत्ति (३-२-१६४) में आपिशलि और पाणिनि के व्याकरण को अष्टक कहा है। आपिशलि-शिक्षा में भी आठ ही प्रकरण हैं। पाणिनि-पूर्व व्याकरणों में सर्वाधिक सूत्र भी इन्हीं के उपलब्ध हैं। भाष्य (४-१-१४, पृ० ३६) में आपिशलि-ग्रन्थ का अध्ययन करनेवाली ब्राह्मणी का उल्लेख है। हरदत्त ने काशिका की पदमंजरी व्याख्या में शुद्धाशुद्ध शब्दों का विवेचन करते हुए आस्त्र-विहित शब्दों को साधु माना है और आपिशलि

१. तथा चोक्तमिन्द्रेण—अन्त्यवर्णसमुद्भूता धातवः परिकीर्त्तिताः।

२. ६-१-१२७, ८-३-१९

३. ७-२-६३।

४. ८-४-६७, ७-३-१९, ६-३-६१, ७-१-५४।

५. ६-१-१२८, ५-४-११२, ६-१-१२१

६. ६-१-९१

व्याकरण द्वारा सिद्ध शब्दों को ही शास्त्र-विहित स्वीकार किया है।^१ महाभाष्य, काशिका, पदनञ्जरी, न्यास, शब्दकौस्तुभ आदि से यह भी पता चलता है कि पाणिनि के बाद भी आपिगलि के विद्याल व्याकरण का प्रचार बना रहा। भाष्य में दो बार उनके व्याकरण के अध्ययन की चर्चा है।^२ स्वर-प्रकरण में आपिगलि, पाणिनि, व्याडि और गौतम इन चार वैयाकरणों का सादर उल्लेख है।^३ 'तथा आपिगलिर्विधि' इस श्लोक-वार्तिक-चरण को स्पष्ट करते हुए तो भाष्यकार ने उनका एक सूत्र ही उद्धृत किया है, जिससे स्पष्ट है कि पतंजलि के समय में आपिगलि का सूत्रबद्ध व्याकरण न केवल उपलब्ध ही था, अपितु उसका अध्ययन-अध्यापन भी चालू था।^४ भाष्यकार द्वारा दिये गये 'आपिगलिगाला, व्याडिगाला' उदाहरण, पदमञ्जरी द्वारा उद्धृत आपिगलि का 'मन्यकर्मण्यनादरे उपमाने विभाषाप्राणिपु' सूत्र तथा काशिकान्यास, प्रदीप, तन्त्र-प्रदीप, धातुवृत्ति आदि ग्रन्थों में उद्धृत आपिगलि के सूत्र उनकी लोकप्रियता के द्योतक हैं। इन उद्धृत सूत्रों से यह भी पता चलता है कि इनके तथा पाणिनि के सूत्रों में बहुत अधिक साम्य था।^५ टाप्, ठन्, झप् आदि प्रत्यय, सार्वधातुक संज्ञा तथा भप् और अम् प्रत्याहार पाणिनि ने आपिगलि में ही लिये हैं। काशिका एवं पदमञ्जरी में आपिगलि व्याकरण को 'दृष्टकरण' कहा है।^६ जिस प्रकार पाणिनीय व्याकरण में वृत् धातु समाप्ति की सूचक है, उसी प्रकार आपिगलि में दुप् है। महाभाष्य-प्रदीपिका, काव्यमीमांसा आदि ग्रन्थों में उद्धृत अशो से पता चलता है कि आपिगलि ने सूत्रपाठ के अतिरिक्त गिज्ञा, गणपाठ, उपादिपाठ और धातुपाठ की भी रचना की थी। विद्वानों में प्रचलित प्रवाद के अनुसार इनके धातुपाठ में अन् के स्थान पर स् धातु थी।

काशिकृत्स्न और वैयाघ्रपद्य—आपिगलि के समान वैयाघ्रपद्य और काशिकृत्स्न के व्याकरण भी भाष्यकार के बाद कई शताब्दियों तक उपलब्ध रहे। काशिका के अनुसार वैयाघ्रपद्य का व्याकरण दस तथा काशिकृत्स्न का तीन अध्यायों में विभक्त था।^७ काशिका (७-१-१४) में एक पुरानी कारिका भी उद्धृत है, जिसके अनुसार वैयाघ्रपद्य के मत से नपुंसकालिग के सम्बोधन में त्रपु आदि उकारान्त शब्दों के 'हे त्रपो, हे त्रपु' ये दो रूप होते थे।^८ महर्षीज काशिका में उद्धृत

१. तत्र ये साधवस्ते शास्त्रेणानुशिष्यन्ते आपिशलेन व्याकरणेन। अपिशलिना तर्हि केनावगतम्? ततः पूर्वणं व्याकरणेन। —पदमञ्जरी, भाग १, पृ० ६१७।

२. १-१-१, पृ० २६; ४-१-४, पृ० ३६।

३. ६-२-३६, पृ० २५७।

४. एवं च कृत्वा आपिशलेराचार्यस्य विधिरूपपत्रो भवति—धेनुराभि कमुत्पादयति। ४-२-५४, पृ० १८२।

५. ४-१-८० तथा ६-२-८६

६. पदमञ्जरी २-३-१७ तथा यथा विभवत्यन्तं पदम्—धेनोरनजः—शताच्च ठन्पता-वप्रत्ये—शास्त्रिकरणे गुणः—करोतेश्चभिदेश्च इत्यादि।

७. का० ४-३-११५।

८. का० ५-१-५८।

९. सम्बोधने तुशानसस्त्रिरूपं सान्तं तथा नान्तमयाप्यदन्तम्।

माव्यन्दिनिर्वष्टि गुणं त्विगन्ते नपुंसके व्याघ्रपदां वरिष्ठः॥

‘शुष्किका शुष्कजङ्घा च’ आदि कारिका को वैयाघ्रपद्य-विरचित मानते हैं। भाष्यकार ने आपिशलि के साथ ही व्याकरण-सम्प्रदाय-प्रवर्तक के रूप में काशकृत्स्न का स्मरण किया है और साथ ही काशकृत्स्नी मीमांसा का उल्लेख भी।^१ काशकृत्स्न शब्द पाणिनि के अरीहणादि गण में भी आया है। बादरायण सूत्रों में इनकी चर्चा है। कैयट के प्रदीप में भी इनके कुछ सूत्रों का उल्लेख है।^२ पदमञ्जरीकार ने ‘तदर्हम्’ सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि दूसरे व्याकरणों में यह सूत्र नहीं रखा गया है। हेलाराज के मत से ये दूसरे व्याकरण आपिशलि और काशकृत्स्न के थे।^३ यज्ञफल नाटक में भी काशकृत्स्नी मीमांसा का उल्लेख है। कुछ लोगों के मत से सर्पकाण्ड या दैवतमीमांसा भी काशकृत्स्न-प्रोक्त है। सरस्वतीकण्ठाभरण (४-३-२४६) की हृदयहारिणी टीका के अनुसार सूत्रों में गौरव-लाघव-विवेचन काशकृत्स्न-व्याकरण की विशेषता थी।

व्याङ्गि—सग्रहकार व्याङ्गि भी पाणिनि के पूर्ववर्ती थे। भाष्यकार ने दाक्षायण नाम से इनका उल्लेख किया है और इनकी कृति को शोभना कहा है।^४ पाणिनि ने ऐपुकारिण (४-२-५४) में दाक्षायण शब्द का समावेश किया है। भाष्यकार ने शब्द के नित्यत्व और कार्यत्व पर विवेचन करते हुए कहा है कि सग्रह में इस बात की प्रधान रूप में परीक्षा की गई है और पर्याप्त समीक्षा के बाद वहाँ यह निर्णय दिया गया है कि शब्द नित्य भी है और कार्य भी।^५ इसी प्रसंग में आगे भाष्यकार ने कहा है कि सग्रह में सिद्ध शब्द का प्रयोग नित्य अर्थ में और कार्य के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में किया गया है।^६ वार्तिककार ने व्याङ्गि को द्रव्याभिधानवादी कहा है। भाष्यकार ने भी वार्तिक की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि आचार्य व्याङ्गि शब्द के द्रव्याभिधायकत्व को न्याय्य मानते हैं।^७ महाभाष्य की प्रदीपोद्योत व्याख्या में व्याङ्गि के सग्रह को लक्ष्य-सख्यक ग्रन्थ कहा है।^८ वाक्यपदीय की पुण्यराज-कृत टीका से भी इसका समर्थन होता है।^९ महाभाष्य-प्रदीपिका ने सग्रह को इसी व्याकरण-शास्त्र का एकदेश बतलाया है।^{१०} इन उद्धरणों से यह भी पता चलता है कि सग्रह पाणिनीय शाखा का ही ग्रन्थ माना जाता था। पाणिनि

१. आ० १, पृ० २६।

२. २-१-५१ तथा ५-२-२१ पर प्रदीप टीका।

३. तदर्हमिति नारद्वं सूत्रं व्याकरणान्तरे।—पदमञ्जरी ५-१-१२७ तथा वाक्यपदीय में इसी सूत्र की टीका में हेलाराज।

४. २-३-६६, पृ० ४५३; ४-१-१ वा० ९, पृ० ११ तथा ६-१-९१, पृ० १४४।

५. आ० १, पृ० १३।

६. आ० १, पृ० १४।

७. द्रव्याभिध्यानं व्याङ्गिः—द्रव्याभिधानं व्याङ्गिराचार्या न्याय्यं मन्यते।—१-२-६४ वा०, ४५, पृ० ५९०।

८. सग्रहो व्याङ्गिकृतो लक्षसख्यको ग्रन्थः।

९. इह पुरा पाणिनीयेऽस्मिन् व्याकरणे व्याङ्ग्युपरचितं लक्षग्रन्थपरिमाणं संग्रहाभिधानं निबन्धनमासीत्।

१०. संग्रहोऽप्यस्यैव शास्त्रस्येकदेशः।

और व्याडि या तो एक ही पूर्ववर्ती व्याकरण-शास्त्र के अनुयायी थे या परस्पर एक दूसरे के समर्थक। भाष्यकार ने व्यापिचलि, पाणिनीय, व्याडि और गौतम के ग्रन्थों का अध्ययन करनेवाले चारों सम्प्रदायों का एक साथ उल्लेख किया है। इससे भी इन चारों सम्प्रदायों में निकट सम्बन्ध जान पड़ता है। उन्तर यह है कि पाणिनि का ग्रन्थ शब्दानुशासनार्थ था और व्याडि का शब्द के अर्थ-विवेचन से सम्बद्ध। भाष्य की भर्तृहरि-टीका में इस ग्रन्थ से अनेक श्लोक तथा वाक्य उद्धृत मिलते हैं।^१ रानायण ने हनुमान् को मूत्र, वृत्ति, अर्थ, पद और संग्रह का अध्येता बतलाया है।^२ हर्षचरित, चरक और यज्ञफल नाटक के कर्ता इस ग्रन्थ से परिचित थे। ऋक्-प्रातिशाख्य में व्याडि के अनेक नत उद्धृत हैं। ऋक्-प्रतिशाख्य (१३-३१) में शाकल्य और गार्ग्य के साथ इनका उल्लेख है। ये दासीपुत्र पाणिनि के समेरे भाई थे, ऐसा कुछ विद्वानों का अनुमान है। कुछ समय तक दामायण के संग्रह की इतनी प्रतिष्ठा थी कि योग्य कन्या से विवाह के लिए उसका अध्ययन आवश्यक माना गया था। इस कारण कुछ विद्यार्थी कुमारी-प्राप्ति के लोभ से दादादि-श्रोत्र शास्त्रों का अध्ययन करने लग जाते थे।^३ काशिकाकार ने दुष्करण को व्याडि की अपनी उच्चारण से प्रभूत बतलाया है, जिसकी न्यास-कृत व्याख्या से पता चलता है कि पाणिनि के लकारों के ज्ञान व्याडि ने अपने ग्रन्थ में उस कालबोधक दुष्करणों की कल्पना की थी।^४ पण्डित-मण्डली में प्रवाद है कि संग्रह के अतिरिक्त एक अन्य ग्रन्थ भी व्याडि ने लिखा था। पं० हरप्रसाद शास्त्री और म्हाडन ने हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची में व्याडि की परिभाषा-वृत्ति का भी उल्लेख किया है। महाभाष्य की बहुतेरी परिभाषाएँ तथा न्याय, जिनमें 'व्याख्यानतो विधेयप्रतिपरितर्हि सन्देहाद्-लक्षणम्' भी सम्मिलित है, व्याडि से ही लिखे गये हैं। व्याडि से अत्यन्त प्रभावित होने के कारण अनेक लोग महान्याय को व्याडि-संग्रह-विवृति भी कहते थे।

कालान्तर में वैयाकरण लोग संक्षेप में पढ़ने की ओर रुचि रखने लगे और अल्प-विद्य-परिग्रह की ओर उन्मुख हो गये। इस कारण, संग्रह-वैज्ञानिक विद्यालय ग्रन्थ उपेक्षित होकर नष्ट हो गया।^५

दुषि—दुषि का वृत्ति-मूत्र या तो पाणिनि-मूत्रों की व्याख्या थी या संग्रह का संक्षेप-जिनका लोप महाभाष्य की लोकप्रियता के कारण हो गया। वृत्ति-ग्रन्थ का उल्लेख काशिकाकार ने भी अपने आरम्भिक श्लोक में किया है।^६ इससे स्पष्ट है, यह ग्रन्थ भाष्य-रचना के पूर्व प्रचलित था। भाष्यकार ने 'पूर्वनासिद्धम्' (८-२-१) के भाष्य में जो शास्त्रासिद्धत्व-पद स्थापित किया है,

१. १-२६, १-४४, १-७७, ३-३, ३-१३ आदि की टीका।

२. सप्तम्वृत्यर्थपदं महार्थं सत्संग्रहं साध्यति वै कपीन्द्रः। —उत्तर रामा० ३६-४६।

३. काशि० ६-२-६१।

४. काशि० २-४-४१ तथा न्यासव्याडिरप्यत्र युगपत् कालभावितानां विधीनां मध्ये दश दुष्करणानि कृत्वा परिभाषितवान् पूर्वं पूर्वं कालमिति।

५. प्रायेण संक्षेपरत्नोत्पत्तिविद्या परिग्रहान्।

सम्प्राप्य वैयाकरणान् संग्रहेऽस्तमुपागते ॥ —वाक्यपदीय-४८४।

६. वर्त्ता भाष्ये तथा घातुनामपारायणादिषु। —काशि०।

उसपर कैयट ने कहा है कि भाष्यकार ने वृत्ति-ग्रन्थों के कथन को एक ओर हटाकर यहाँ शास्त्रासिद्धत्व-पक्ष का ग्रहण किया है। इससे भी वृत्ति-ग्रन्थ का पूर्व अस्तित्व सिद्ध होता है। भाष्य (१-१-७४) की टीका में कैयट ने इस सूत्र के भाष्य को कुणि के विचारों का अनुवर्ती बतलाया है।^१ हरदत्त ने पदमजरी में काशिका के पूर्वोक्त प्रारम्भिक मगल-श्लोक का विवेचन करते हुए कहा है कि 'सूत्रार्थप्रधान ग्रन्थ वृत्ति कहलाता है।' काशिका के श्लोक में वृत्ति शब्द पाणिनि के बनाये हुए सूत्रों पर कुणि आदि आचार्यों द्वारा किये हुए विवरण या वृत्ति के लिए आया है।^२

अन्य प्राचीन वैयाकरण—पतञ्जलि से पूर्व के वैयाकरणों में पाणिनि और कात्यायन को छोड़कर, जिनकी चर्चा आगे की जायगी, तैत्तिरीय और मैत्रायणीय प्रातिशाख्यों में अग्निवेश्य, अग्निवेश्यायन, आत्रेय, आह्वारक, उख्य उत्तमोत्तरीय, काण्डमायन, कौण्डिन्य, कोहली-पुत्र, गौतम, तैत्तिरीय, पौष्करसादि, प्लाक्षायण, प्लाक्षि, भारद्वाज, मात्तकीय, मीमांसक, वाङ्मीकर, वात्सप्र, चाल्मीकि, शांखायन, शैत्यायन, स्थविर कौण्डिन्य, साकृत्य और हारीत; ऋक्प्रातिशाख्य में इनके अतिरिक्त, आन्यतरेय, आगस्त्य, कौत्स, गार्ग्य, पाचाल, प्राच्य पाचाल, दाभ्रव्य, माक्षव्य, माण्डूकेय, यास्क, वेदमित्र, शाकल्यपिता, नूरवीर और शौनक; वाजसनेयी प्रातिशाख्य में औपशौवि, काण्व, काश्यप, जातुकर्ण्य, दाल्भ्य, माण्ड्यन्दिन तथा ऋक्तन्त्र में औदन्नजि, नैगी, वृहस्पति एव ब्रह्मा ये नाम मिलते हैं। निरुक्त और पाणिनि ने जिन वैयाकरणों का नामपूर्वक उल्लेख किया है, उनको छोड़कर वात्तिकार ने शौनक और पौष्करसादि तथा भाष्यकार ने आपिशलि, काशकृत्स्न, कुणर दाडव, क्रौडीय, गौनदीय, गौतम, भारद्वाजीय, यास्क, चाष्यायिणि, व्याडि, शाकटायन और सौनाग की चर्चा की है। पाणिनि द्वारा निर्दिष्ट दसो वैयाकरणों का पाणिनि से केवल सन्धिकार्य, द्वित्व, आगम, स्वर एव गुण के ही विषय में मतभेद था। प्रत्यय या शब्दसिद्धि के विषय में नहीं। पाणिनीय व्याकरण में जो मतभेद-दर्शक अट्टारह सूत्र मिलते हैं, उनमें आठ केवल सन्धिविषयक हैं। शौनक पौष्करसादि और भागुरि पार्षद-काल के वैयाकरण थे। पौष्करसादि और चारायण नाम भाष्य में भी मिलते हैं। शेष का नामपूर्वक उल्लेख अथवा उनके मतों की अलोचना भाष्य से पूर्व ही होने लगी थी। भाष्य में उपलब्ध कम्बल-चारायणीय, घृतरौटीय और ओदनपाणिनीय इन आक्षेप-परक शब्दों से स्पष्ट है कि चारायण और रौटिशाखा के व्याकरणों की प्रतिष्ठा भी अष्टाध्यायी के साथ-साथ थी। डॉ० कोलहौर्न ने चारायण की एक शिक्षा का भी उल्लेख किया है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि ई० पू० ५०० तथा उसके निकटवर्ती उत्तर काल में व्याकरण का विधिवत् शास्त्र देश में विद्यमान था।

१. कुणिना प्राग्ग्रहणमाचार्यनिर्देशार्थं व्यवस्थितविभाषार्थमिति च व्याख्यातम्। तेन क्रौडो नाम उदग्र ग्रामस्तत्र भवः क्रौड इत्येवं भवति। भाष्यकारस्तु कुणिदर्शनमशिश्रियत्।
—१-१-७४ प्रदीपे।

२. तत्र सूत्रार्थप्रधानो ग्रन्थो वृत्तिः। सा चेदं पाणिनिप्रणीतानां सूत्राणां कुणिप्रभृति-भिराचार्यैर्विरचितं विवरणम्।

तृतीय सोपान

पाणिनि-शास्त्र

पृष्ठभूमि—व्याकरण के मूल में वेद-रत्ना की धार्मिक भावना थी। वेद-संहिताओं को सुरक्षित रखने तथा उन्हें प्रामाण्य उच्चारणों, व्याख्यान, और प्रयोगों से बचाने की विन्ता ने ही निष्कल और अक्षरों को जन्म दिया था। पतञ्जलि ने व्याकरण-शास्त्र के अव्ययन के प्रयोजनों का अन्वेषण करने हेतु वेद-रत्ना को प्रथम स्थान दिया है। इसीलिए इसी-पूर्व जातों या प्राचीन अन्वेषकों में, जबकि वेद में प्राकृत भाषाओं के विविध रूपों का उच्चारण करने लगा था, निष्कल और व्याकरण-ग्रन्थों का प्रयत्न तेजी से हुआ। इस समय व्याकरण का उद्देश्य शास्त्र-विहित और परम्परागत साधु शब्दों का संवर्धन करना और भाषा को अग्रगण्य शब्दों के मिश्रण से बचाकर रखना था। इसीलिए व्याकरण को अक्षानुशासन या प्राक्कानुशासन शास्त्र मान लिया गया था। जैन और बौद्ध धर्मों के उद्भव ने प्राकृतों को और बल दिया। जो भाषाएँ अक्षर प्राकृत बनने से अक्षर बन गईं, वे अब संस्कृत समाज में भी छा जाने का उद्यम करने लगीं। जिनका उद्भव उन और देशों के क्षेत्र में निमित्त था, उनके हाथ उसी राजा का भार सौंप दिया गया। संस्कृत-निष्कर्षणों पर इसकी प्रतिक्रिया न्यायादिक थी। इन्होंने सिद्ध भाषा को अक्षरों में अक्षर रखने के लिए सीमा-व्यय के रूप में व्याकरण को पुष्ट किया और इस प्रकार के प्रयोगों की पूर्णता पाणिनि की व्याख्याओं की रचना में हुई।

नाम-विज्ञान का प्रामाण्य सिद्धान्त है कि जब एक भाषा दूसरी भाषा के सम्पर्क में जाती है तब व्याकरण को सहज उभरना निश्चयी है। इसी प्रकार, अविचार्य परिस्थितियों के कारण जब एक भाषा में बहुत-सी शब्दों का उद्भव होता है, तब भी व्याकरण का महत्त्व बढ़ता है। विवेक और विवेक का नैतिक प्रभाव, जलवायु की स्थिति में अन्तर, व्यक्तियों का एक देश से दूसरे देश को स्थानान्तरण और उस अवधि में अन्तर्-अभिप्रेत-शैली और अक्षर-मूर्ति में सुधार, ये सब भाषा में परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। जिनसे व्याकरण गम्भीर रूप से प्रभावित और समृद्ध होता है। यदि यह सिद्धान्त ठीक है, तो संस्कृत के विभिन्न प्राकृतों में विकसित होने तथा व्याकरण की समृद्धि के इस युग में उपर्युक्त जातों में से एक-एक अव्यय सिद्धान्त रही होगी। डॉ० बनेल के मन में भी विदेशी जातियों के किञ्चित् सम्पर्क और देश के अन्तर धार्मिक समुदायों में तीव्र संपर्क के बिना पाणिनीय शब्दाव्याथी जैसा सचासपूर्ण भाषाविज्ञान चिन्तन का उद्भव कभी नहीं लिखा जाता हुआ नहीं देखा गया।^१

१. दि मोरि इन्पोस्टेड फेक्टर इन दि इन्पोस्टेड ऑफ़ प्रानर एल साइडिफिक ऐण्ड इन्डिस्ट्रीयल साइडिफिक ऐण्ड स्टडी, बाल दि नैसिस्टी मोर रिजोउस दैन एकेडेमिक, ऑफ़ डिवाइजिंग सन प्रैक्टिकल नोन्स इन्पोस्टेड मन्नेसिफुल स्टडी ऑफ़ दि बेदाज।—पी० सी० चक्रवर्ती: दि सिद्धान्त ऑफ़ संस्कृत प्रानर. पृ० ७।

२. रत्नार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणम्।—भा० १, पृ० २।

३. डॉ० वेदवलकर : सिद्धान्त ऑफ़ संस्कृत प्रानर. पृ० २. ३।

४. डॉ० बनेल विद लाइव सम कॉन्स्टेड विद फारेन पीपुल एण्ड विदरिडिस्पूटम एमान

पाणिनिकालीन भाषा—पाणिनि के समय तक वैदिक और लौकिक संस्कृत में विभेद अन्तर नहीं था। ऋग्वेद के दूसरे और नवें मण्डल तथा उस पर अधिष्ठित यजुर्वेद और सामवेद की भाषा को छोड़कर शेष सम्पूर्ण वाङ्मय की भाषा सामान्य संस्कृत ही थी। ऋग्वेद के उपर्युक्त भाग में भी 'अग्निमीडे०' (१-१-१), 'तत्सवितु' (३-६०-१०), 'सहजगीर्ष' (१०-९०-१) आदि सैकड़ों ऋचाओं की भाषा में नाममात्र के लिए भी आर्ष प्रयोग नहीं थे। फिर भी, वैदिक भाषा पवित्र देववाणी मान ली गई थी। इसलिए, उसे शुद्ध रखने एवं उसकी शुद्ध व्याख्या करने की प्रवृत्ति संस्कृत लोगो में विद्यमान थी। पाणिनि ने इस भावना का ध्यान रखते हुए वेद में प्राप्त, किन्तु लोक में प्रचलित शब्दों का सम्यक् अनुशीलन करके उनके शुद्ध उच्चारण और अभिप्रेत अर्थ की दृष्टि से 'छन्दसि' या 'मन्त्रे' नाम से कुछ विशिष्ट सूत्रों का निर्माण किया। वैदिक वाङ्मय के भिन्न-भिन्न कालों तथा देश के भिन्न-भिन्न भागों में रचित होने के कारण उसमें एक अर्थ के वाचक अनेक शब्द, एक क्रिया की वाचक अनेक धातु तथा एक ही सम्बन्ध के बोधक अनेक प्रत्यय विद्यमान थे। लौकिक भाषा में यह संख्या यद्यपि कम हो गई थी, तथापि एक अर्थ के बोधक अनेक शब्द विद्यमान थे ही। प्राकृत भाषाओं में आधुनिक आर्य भारतीय भाषाओं के समान नये-नये अनेक पदार्थों के व्यवहार में आ जाने के कारण यद्यपि शब्द-संख्या कहीं अधिक थी, तथापि एकार्थवाचक धातुओं, सज्ञाओं और प्रत्ययों की संख्या में और अधिक कमी हो गई थी। इतना ही नहीं, द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति, आत्मनेपद आदि का प्रयोग नाममात्र को रह गया था और ऋ, ऋ, लृ, ऐ, औ स्वरों तथा सयुक्ताक्षरो का प्रचलन दिन-पर-दिन कम होता जा रहा था। पाणिनि के समक्ष ऐसे शब्दों का एक बड़ा समूह वर्तमान था, जो विशिष्ट जनसमूह या विशिष्ट प्रदेश में ही व्यवहृत होता था, किन्तु अभिजात वाङ्मय में जिसे स्थान न था। ऐसे शब्दसमूह और भाषा को पाणिनि ने अपने व्याकरण में स्थान न देकर शिष्ट-वर्ग में समादृत भाषा का ही विवेचन किया। इस समय उत्तर भारत के अभिजात-वर्ग की भाषा शिष्ट मानी जाती थी। भाषा की दृष्टि से भारत के प्राक् और उदक् दो विभाग थे। इरावती के उत्तर-पश्चिम का भाग उदक् माना जाता था और पूर्व का प्राक्।^१ इस प्रकार, सिन्धु और सतलज नदियों के बीच का भाग उत्तर था। इस भाग की भाषा प्रज्ञाततरा कही जाती थी। दूर-दूर के लोग वाणी सीखने वहाँ जाते थे और वहाँ से लौटने पर विशेष सम्मानित होते थे।^२ पाणिनि इसी प्रदेश के निवासी थे। स्वभावतः उन्होंने इस प्रदेश की भाषा के लिए अपना व्याकरण बनाया, किन्तु प्राग्देश में प्रचलित प्रयोगों को भी उसमें स्थान दिया। पाणिनि द्वारा पदों के परस्पर सम्बन्ध, पदों के समास, पदों के प्रकृति-प्रत्यय-मूलक विभाग, सन्धि-कार्य,

रिलीजस सैक्ट्स ऐंट होम, सच हाइली डेवलेण्ड इनक्वायरी इन टु लैंग्वेज ऐज पाणिनीय टूटाइज डिस्क्लेज, इज कांग्ट्रेरी टु ऑल एक्सपिरियन्स। ऐन्ड स्कूल ऑफ् ग्रैमेरियन्स।

१. प्राग्दञ्चो विभजते हंसः क्षीरोदके यथा ।

विदुषां शब्दसिद्ध्यर्थं सा नः पातु इरावती (शरावती ?) ॥—काशि० १-१-७५ ।

२. तस्मादुदीच्या, विशि प्रज्ञाततरा वागुद्यते । उदञ्च उएव यान्ति वाचं शिक्षितुम् ।
यो वा तत आगच्छति तस्य वा शुश्रूषन्ते । —शांखा० ब्रा० ७-६ ।

न्वर, सुवन्त-तिडन्त पदों की सिद्धि आदि पर शास्त्रगुद्ध वैज्ञानिक एवं लाघवयुक्त ग्रन्थ लिखने के बाद गन्धशास्त्र के लिए व्याकरण शब्द का प्रयोग रूढ़ हो गया।

पाणिनि ने अपने समय में प्रचलित भाषा के लिए 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया है। भाषा अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी में नहीं मिलता। विशेषण रूप में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रामायण में प्राप्त होता है।^१ रामायण से यह भी विदित होता है कि व्याकरण के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अपशब्दों के प्रयोग से बचते हुए संस्कृत भाषा का शुद्ध प्रयोग माना जाता था।^२ इस समय जैसे वैदिक भाषा की कुछ विशेषताओं का ग्रहण करते हुए उत्तर देश में बोलचाल की संस्कृत का विकास हुआ था, उसी प्रकार वैदिक भाषा की अन्य तथा भिन्न-भिन्न विशेषताओं को आत्मसात् कर शूरसेन, कोसल, प्राग्देश, मगध, मालव, महाराष्ट्र, लाट आदि प्रदेशों में उन प्रदेशों की संस्कृत विकसित हुई थी। पाणिनि-काल तक गन्धों के अर्थ, सम्बन्ध तथा वाक्य-रचना की दृष्टि से इन सब प्रदेशों की भाषा एक थी। केवल स्वर, सन्धि-कार्य, ह्रस्व-दीर्घ-व्यतिक्रम तथा कहीं-कहीं विशिष्ट प्रत्यय या आगम-सम्बन्धी अन्तर दृष्टिगोचर होते थे। इस प्रादेशिक संस्कृत के भिन्न-भिन्न व्याकरण इन्द्र, आपिशलि, कात्यायन, गार्ग्य, शाकटायन इत्यादि पूर्वोक्त वैयाकरणों ने निर्मित किये थे। इनमें ऐन्द्र व्याकरण शूरसेन या हस्तिनापुर के पास-पड़ोस में प्रचलित था। इस व्याकरण के अनुसार व्युत्पन्न शब्दों का प्रयोग महाभारत में देखा जा सकता है।

पाणिनि पर पूर्वाचार्यों का प्रभाव और उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण—पाणिनि ने इन समस्त प्रादेशिक रूपों का समन्वय कर संस्कृत का देशव्यापी एकरूप उपस्थित किया। उन्होंने प्रत्येक प्रान्त के विशिष्ट रूपों को उनके समर्थक आचार्यों के नामोल्लेख-सहित विकल्प रूप से अपने व्याकरण में स्वीकृत किया। उनके द्वारा आठ बार किया गया 'प्राच्य' आचार्यों के मत का उल्लेख (जिसमें छह तद्धित प्रत्यय-सम्बन्धी मतभेद हैं) इस बात का प्रमाण है कि वे प्रादेशिक मतभेदों का समन्वय कर संस्कृत का एकदेशव्यापी स्वरूप खड़ा करना चाहते थे। एतदर्थ, उन्होंने समस्त पूर्ववर्ती कृतियों से लाम उठाया। शब्द-सिद्धि के लिए सारी आवश्यक और अपने अनुकूल बातें उन्होंने प्राचीन वैयाकरणों से ज्यों-की-त्यों ले लीं। उन्होंने अक्षर-समाम्नाय प्रातिशास्त्र-ग्रन्थों तथा अग्रज वैयाकरणों से लिया। यद्यपि अपनी सुविधा के लिए उन्होंने उसमें से कुछ वर्ण छोड़ दिये, कुछ के भेद कल्पित कर लिये और कुछ का क्रम बदल दिया। फिर भी, अपनी ओर से किसी नये वर्ण का समावेश नहीं किया। लाघव के लिए एक समान शब्दावली में से नमूने के लिए एक शब्द सूत्र में ग्रहण कर शेष के लिए गण की कल्पना कर गणपाठ में उनका समावेश कर दिया। गणपाठ में भी उन्होंने अनेक गण आपिशलि आदि से ले लिये। धानु और धानुपाठान्तर्गत गणों के विषय में भी उन्हें पूर्व-वैयाकरणों और कोशकारों से पर्याप्त माहायता मिली। बयालीस वर्णों को एक विशेष क्रम में १४ सूत्रों के भीतर निविष्ट कर प्रत्या-

१. वाच चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृतम्।—सुन्दर फा० ३०-१७।

२. नून व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहूधा श्रुतम्।

बहूव्याहृतोऽनेन न किञ्चिदपभाषितम्॥—किष्कि० फा० ३-२९।

हारो द्वारा सक्षेप में बात कहने का मार्ग सुकर कर लिया। इन वर्णों से बने धयालीस प्रत्याहारों का उपयोग उन्होंने अपने व्याकरण में किया। प्रत्याहारो की प्रेरणा उन्हें इन्द्र, आपिशलि आदि से मिली। सन्धि-कार्य के विषय में प्रातिशाख्य विद्यमान ही थे। उनके सारे नियमों का ग्रहण कर केवल मतभेद के स्थलो में पूर्वाचार्यों का उल्लेख किया और वैकल्पिक रूप से उनके द्वारा समर्थित प्रयोगो का ग्रहण कर लिया। सर्वनाम अव्यय, धातु, प्रातिपदिक इत्यादि लोक-प्रसिद्ध सज्ञाएँ पूर्वाचार्यों से ले ली। पाणिनि ने निरुक्त में व्यवहृत अनेक सज्ञाओ का प्रयोग भी स्वच्छन्दतापूर्वक किया है, यद्यपि अनेक स्थानो पर दोनो आचार्यों द्वारा व्यवहृत सज्ञाओ में अन्तर है। जैसे—

यास्क	पाणिनि	यास्क	पाणिनि
कारित	णिजन्त	चर्करीति	यङ्लुङन्त
चिकीर्षित	सनन्त	व्यंजन	विशेषण
निवृत्ति-स्थान	(कुछ नहीं)	नामकरण	(कुछ नहीं)

यास्क ने सर्वनाम शब्द का प्रयोग 'सर्वाणि नामानि यस्य' अथवा 'सर्वेषु भूतेषु नमति गच्छति वा' इस अर्थ में किया है, पाणिनि के समान पारिभाषिक अर्थ में नहीं। इसी प्रकार, यास्क में निपात शब्दों के पृथक् अर्थ बतलाते हुए निपातों की 'उच्चावच्चेवर्षेषु निपतन्ति' यह व्याख्या दी है, किन्तु पाणिनि ने क्रिया के योग में उन्हें उपसर्ग तथा क्रियाजन्य शब्दों के योग में गति और कर्मप्रवचनीय सज्ञा दी है। इससे यास्क और पाणिनि के काल के बीच पर्याप्त अन्तर जान पड़ता है। फिर भी प्रत्यय, प्रथमा, द्वितीया आदि से सप्तमी तक विभक्ति, नाम, समास, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, कृत, तद्धित आदि प्राचीन सज्ञाओ का व्यवहार उन्होंने उसी रूप में किया और उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं समझी। नामधातु और दशगणी व्याडि की देन है। इसके अतिरिक्त लाघव के लिए एक प्रकार के शब्दों का एक विशेष सकेत द्वारा बोध करानेवाली टि, धु, नदी, निष्ठा आदि सज्ञाएँ उन्होंने स्वयं कल्पित कर ली। इसीलिए, गोल्डस्टुकर ने कहा है कि पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी में वर्णित व्याकरण-पद्धति के आविष्कर्ता नहीं थे। फिर भी, यह सत्य है कि उन्होंने पूर्ववर्ती वैयाकरणो की पद्धति में काफी सुधार किया और उसमें अपनी ओर से भी बहुत कुछ जोड़ा। उन्होंने प्राचीन वैयाकरणों की पारिभाषिक शब्दावली से भी लाभ उठाया।^१ डॉ० बर्नेल के अनुसार ऐन्द्र शाखा सब व्याकरणो में प्राचीनतम थी। पाणिनि उससे परिचित थे और उन्होंने उससे बहुत कुछ लिया है।^२ प्राचीन आचार्यों की शब्दावली के व्यवहार के कारण ही कुछ विचारक महाभाष्य के पश्यशाह्निक के 'पाणिनिना प्रोक्त पाणिनीयम् को आधार बनाकर कहते हैं कि अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा प्रोक्त है, कृत नहीं।^३ इसकी नि.सारता भाष्य में प्रयुक्त प्रणयति स्म, प्रयुङ्क्ते,

१. पाणिनि हिज प्लैस इन संस्कृत लिटरेचर, पृ० ८८।

२. ऐन्द्र स्कूल ऑफ़ ग्रैमेरियन्स—निबन्ध ।

३. आई० ई० पब्लिशिंग : दि स्ट्रुक्चर ऑफ़ अष्टाध्यायी, पृ० ११८-११९।

की वृत्ति में अष्टाध्यायी को पाणिन्युपज्ञ तथा अकाल व्याकरण कहा है। काशिका, सरस्वती-कण्ठाभरण और वामनीय लिगानुशासन ने भी इसी बात को दुहराया है। विद्वानों का मत है कि अष्टाध्यायी के जिन सूत्रों पर महाभाष्य में 'किमर्थमिदमुच्यते' द्वारा आनर्थक्य-शंका उठाई है, वे ही पाणिनि के स्वोपज्ञसूत्र हैं।

अष्टाध्यायी पूर्व व्याकरणों की अपेक्षा कहीं सक्षिप्त है। आगे चलकर सक्षेप में कहने की पद्धति पर व्याकरण में बहुत बल दिया जाने लगा। इसीलिए, पाणिनि ने प्रत्ययार्थ के प्राधान्य-सूचक, वचन एव काल (भूत, भविष्यत् आदि), उपसर्जन आदि की परिभाषाओं के लिए सूत्र नहीं बनाये। अनेक विद्वानों के अनुसार इस विषय में पाणिनि की स्थिति को स्पष्ट करनेवाले 'तदशिष्यं सज्ञाप्रमाणत्वात्' आदि (१-२-५३ से ५७) पाँच सूत्र सक्षिप्त हैं। सक्षेप की ओर दृष्टि रखने के कारण ही उन्होंने एक प्रयोग के लिए सूत्र नहीं बनाया।^१ इसीलिए, स्वयं पाणिनि-सूत्रों के अनेक प्रयोग पाणिनि-सूत्रों से सिद्ध नहीं होते। इस प्रकार के जनिकर्त्तु. (१-४-३०), तत्प्रयोजक (१-४-५५), तिर्यञ्चि (३-४-६०), अन्वचि (३-४-६४), पुराण, सर्वनाम तथा ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द आदि पाणिनि-प्रयोगों को भाष्यकार ने सूत्र निर्देश या आर्ष मानकर सन्तोष कर लिया है। इसीलिए, महाभारत के टीकाकार देवबोध ने ऐन्द्र व्याकरण को अर्णव और अष्टाध्यायी को गोष्पद की उपमा दी है।^२

अष्टाध्यायी संहिता-पाठ में थी। स्थानेन्तरतम. (१-१-५०) के भाष्य में पतञ्जलि ने इस बात को सूचित किया है।^३ उन्होंने अन्य आचार्यों के योग-विभागों को प्रमाण न मानकर अपने योग-विभाग भी दिये हैं, यथा टिड्ढाणञ्.... कञ् क्वरपो यञ्च (४-१-१५)। संहिता का विच्छेद प्रवचन-काल में हुआ, किन्तु भाष्यकार ने अष्टाध्यायी का संहिता-पाठ मानकर भाष्य लिखा है। अष्टाध्यायी एकश्रुति में थी।^४ कैयट ने इस विषय में अन्य आचार्यों का अनुमोदन-परक मत उद्धृत किया है।^५ यद्यपि उनका अपना मत इससे भिन्न था। अनेक विद्वानों का विचार है कि मूल अष्टाध्यायी उदात्तादि स्वर एव अनुनासिकादि-सहित थी, किन्तु पदसाधुत्व के विषय में स्वरों के विशेष उपयोगी न होने के कारण स्वर नष्ट हो गये। नागेण भी मूत्र-पाठ को सस्वर ही मानते हैं।^६ उनके इस मत का आवार भाष्यकार की 'आद्युदात्तनिपातनं करिष्यते' (६-१-१६७, पृ० २११) यह उक्ति है। उन्होंने कहा है कि 'आचार्य ने सारी अष्टाध्यायी एकश्रुति से पढ़ी है, इस बात में कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, कहीं-कहीं किसी पद (यथा-दण्डिनायनादि सूत्र में ऐश्वाक) का एकश्रुति से पाठ अवश्य है। भाष्य से भी इतनी ही

१. नैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति। १-१-१२, वा० २, पृ० १७८।

२. यान्युज्जहार माहेन्द्राद् व्यासो व्याकरणार्णवात्।

पदरत्नानि किं तानि सन्ति पाणिनि गोष्पदे॥

३. उभयथाऽपि तुल्या संहिता स्थानेऽन्तरतम उरण् रपर इति। १-१-५०, पृ० ३०३।

४. एकश्रुतिनिर्देशात् सिद्धम्। १-४-१७४, वा० ४, पृ० ५०८।

५. अन्ये त्वाहुः एकश्रुत्या सूत्राणि पठन्त इति। कैयट प्रदीपोद्योत, १-१-१।

६. नागेश, १-१-१, पृ० १५३, निर्णयसागर-संस्करण।

वात सिद्ध होती है। जिस प्रकार पाणिनि ने टि घु आदि अपनी मंजाएँ कल्पित कर सर्वनाम, सर्वनाम-स्थान उन्मथया अन्तरस्थान् आदि प्राची मंजाएँ ले लीं, उसी प्रकार उन्होंने अपने मूत्रों के नाथ कुछ प्राचीन मूत्र भी ले लिये। यथा 'पलिनत्त्यमृगान् हन्ति' (४-४-३५), 'परिपन्थ च तिष्ठति' (४-४-३६), 'नोदात्तस्वरितोदयम्' (८-४-६७) आदि। इनमें प्रथम दोनों मिलकर छन्द बनाते हैं। ये छन्दोबद्ध व्याकरण से लिये गये हैं। तृतीय भी छन्द का ही चरण है। पाणिनि-शैली के विपरीत इसमें 'उदात्तस्वरितोदययोः' के स्थान पर 'उदात्तस्वरितोदयम्' पडा गया है। वास्तव में यह वचन ऋक्-प्रातिशाख्य से लिया गया है।^१ इसी प्रकार, अप्ठ्याध्यायी में अनेक आपिशलि-मूत्र भी मिलते हैं। अनेक मूत्र प्रतिशाख्यों और श्रौतमूत्रों के हैं। भाष्य में अनेक मूत्रों के प्रयोग में पूर्वमूत्र-निर्देश का उल्लेख मिलता है। ये पूर्वमूत्र पाणिनि के पूर्वाचार्यों द्वारा निर्मित हैं। आपिशलि और पाणिनि की शिखा के तो छह प्रकरण प्रायः समान हैं। पहले पाद के प्रथम मूत्र के अक्षर पर पादों के नाम भी प्रचलित थे। सौरदेव की परिभाषा-वृत्ति में गाळुटादि पाद (१-२), झू-पाद (१-३), द्विगुपाद (२-४) सन्धन्व-पाद (३-४), अगुपाद (६-४) आदि नाम मिलते थे। धानुपाठ, गणपाठ, उपादिमूत्र और लिगानुशासन अप्ठ्याध्यायी के ही पूरक हैं और पाणिनि-रुद्ध हैं।

उपज्ञोक्तम् तदाद्याचिरव्यानायाम् (२-४-२१) सूत्र की व्याख्या में काशिकाकार ने पाणिनीय व्याकरण को अकालक कहा है। पदमंजरी के अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अन्य प्राचीन व्याकरणों में भवन्ती, अद्यतनी, ध्वस्तनी, परोभा, अनद्यतनी, भविष्यन्ती आदि कालदर्शक अधिकार हैं, उस प्रकार इसमें नहीं हैं। इसीलिए, यह कालाधिकार-रहित व्याकरण कहा गया है।^१ यद्यपि पाणिनि ने इन शब्दों का प्रयोग किया, किन्तु कातन्त्र-व्याकरण की भाँति अधिकार-रूप में नहीं।^२ उन्होंने इनके स्थान पर लट्, लिट् आदि लकार-युक्त दस संज्ञाओं का उपयोग किया है।

अप्ठ्याध्यायी का महत्त्व—अपने व्याकरण को सर्वमत-समन्वित, सर्वग्राह्य एवं पूर्ण बनाने के लिए पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती समग्र साहित्य और चिन्तन का तो उपयोग किया ही, साथ ही उन्होंने गान्धार से अंग, वंग, मगध, कर्लिग आदि समस्त भारतीय जनपदों के अन्तिम छोर तक पर्यटन कर वहाँ के जाल-डाल, आचार-श्रवहार, रीति-रिवाज, वेष-भूषा, उद्योग-वधो, वाणिज्य-उद्योग, उनकी भाषा, उनमें प्रचलित वैदिक शाखाओं, सभ्ययन-ग्रन्थों तथा उनके गौरवाचक, स्त्रीवाचक, व्यक्तिवाचक, देशवाचक, नगरवाचक, ग्रामवाचक आदि विशेष नामों की पूर्ण जानकारी प्राप्त थी। उन्होंने प्रत्येक स्थान पर प्राप्त होनेवाले पूर्ण वैयाकरणों के प्रयोग तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों का अवलोकन किया। उनमें दिये गये विविध नियमों और

१. उदात्तपूर्व' नियतं विवृत्या व्यञ्जनेन वा स्वयंतेऽन्तरिहितं न सेदुदात्तस्वरितादयम्।
—ऋ० प्राति० ३-१७।

२. १-२-६८, ४-१-१४, ६-१-१६३, ७-१-१८, ८-४-७ भाष्य।

३. पूर्वाणि व्याकरणान्यद्यतनादिकालसंज्ञायुक्तानि तद्विहितम्।—पदमञ्जरी।

४. २-४-३, ३-२-१०२, ६-४-११४, ३-३-१५ आदि।

संज्ञाओं का संग्रह किया और अपने व्याकरण में उन सबका उपयोग किया। उनका व्याकरण न केवल शब्दानुशासन की दृष्टि से परिपूर्ण है, अपितु वह तत्कालीन वाङ्मय सस्कृति का विश्वसनीय एव प्रामाणिक इतिहास भी है। अष्टाध्यायी के इस पक्ष से प्रभावित होकर ही वेरेण्ड फेडरगन ने कहा है कि हम पाणिनि की पूजा इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमें भारत की आत्मा का साक्षात्कार कराया है।^१ व्याकरण की दृष्टि से उन्होंने केवल पूर्ववर्ती व्याकरणों का सक्षेप, विस्तार या समन्वय मात्र नहीं किया, उन्होंने उसमें बहुत कुछ मौलिक भी जोड़ा। उनका व्याकरण इतना सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक, लाघवपूर्ण एव सर्वांगपूर्ण हुआ कि उनके सामने समस्त व्याकरण फीके पड़ गये। यहाँ तक कि धीरे-धीरे प्रादेशिक व्याकरणों का प्रचलन बन्द हो गया और कालान्तर में वे नष्टप्राय हो गये।

भाष्यकार ने पाणिनि को प्रमाणभूत आचार्य, मागलिक आचार्य, सुहृद्, भगवान् आचार्य पाणिनि आदि विशेषणों के साथ सम्बोधित किया है और आचार्याचार (१-१-१) तथा आचार्य-शैली को भी प्रमाण माना है। उन्होंने कहा है कि आचार्य पाणिनि पवित्र स्थान में प्राङ्मुख बैठकर तथा पवित्र दर्भ हाथ में लेकर बड़े प्रयत्न से सूत्र बनाते थे। उनके सूत्र में एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता, सारे सूत्र का कहना ही क्या।^२ अन्यत्र भी उन्होंने कहा है कि मैं अपने सामर्थ्य के आधार पर कह सकता हूँ कि इस शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं, जो निरर्थक हो।^३ उन्होंने जो सूत्र बनाये हैं, वे बहुत सोच-विचारकर। बनाने के बाद वे सूत्रों को वापिस नहीं लेते थे।^४ उन्होंने सुहृद् के रूप में व्याकरण-शास्त्र का अन्वाख्यान किया है।^५ रचना के समय उनकी दृष्टि भविष्य की ओर भी रहती थी और वे दूर तक की बात सोचते थे। इस कारण उनकी प्रतिष्ठा बच्चे-बच्चे तक फैल गई और विद्यार्थियों में उन्हीं का व्याकरण सर्वाधिक प्रिय हो गया।^६

पाणिनि का जीवन-चरित्र—पाणिनि के जीवन के विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। पतञ्जलि-चरित के अनुसार वे पणि नामक मुनि के पुत्र थे।^७ पणि की पत्नी का नाम

१. वी एडोर पाणिनि विकॉज ही रिबील्स डु आन दि स्पिरिट ऑफ़ इण्डिया ऐण्ड वी एडोर इण्डिया विकॉज इट रिबील्स टु अस दि स्पिरिट ऑफ़ दि स्पिरिट—फेडरगन स्टडीज आन पाणिनीय ग्रामर, पृ० ६८।

२. प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रत्यनेन सूत्राणि प्रणयति स्म। तत्राशक्त्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं किं पुनरियता सूत्रेण।—१-१-१, वा० ७, पृ० ९७।

३. सामर्थ्ययोगात्तर्हि किञ्चिदत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्।—६-१-७७ पृ० ११०।

४. न चेदानीमाचार्याः सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति।—आ० देवा० १३, पृ० २६।

५. पश्यति त्वाचार्यः।—आ० १, पृ० १५।

६. आकुमारं यशः पाणिनेः।—१-३-८९, पृ० २०२।

७. सामर्थ्ययोगात्तर्हि किञ्चिदत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्।—६-१-७७, पृ० ११०।

दाक्षी था।^१ भाष्यकार ने भी इन्हे दाक्षी-पुत्र कहा है।^२ काशिका (६-२-१४) तथा चान्द्र वृत्ति (२-२-६८) में पाणिन शब्द का प्रयोग है, जिसका निर्देश अष्टाध्यायी (६-४-१६५) में प्राप्त होता है। पणि से गोत्रापत्य अर्थ में पाणिन और युवापत्य अर्थ में पाणिनि शब्द की व्युत्पत्ति पद-मजरीकार ने दी है। दाक्षी-पुत्र का उल्लेख पाणिनीय शिक्षा में भी मिलता है। यशस्तिलक चम्पू में इन्हें पणि-पुत्र कहा है।^३ पुरुषोत्तमदेव के त्रिकाण्डशेष कोप में पाणिनि, पाणिन, आहिक, दाक्षी-पुत्र, शालाङ्क और शालोत्तरीय को पर्यायवाची माना है।^४ वैजयन्ती भी शाला-तुरीय के इन सब पर्यायों को स्वीकार करता है।^५ गणरत्नमहोदधि में शालातुर को पाणिनि का अभिजन वतलाया है। शालातुर एक ग्राम था। यह स्थान अब अटक के पास 'लाहुर' कहलाता है। इससे यह भी विदित होता है कि पाणिनि लाहुर छोड़कर अन्यत्र रहने लगे थे। राजसेखर ने काव्यमीमांसा में वतलाया है कि वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, वररुचि, पिंगल और व्याडि इन सबकी परीक्षा पाटलिपुत्र में हुई और उसके बाद वही से उनका नाम चारो ओर फैला है।^६ इससे यह भी कल्पना की जा सकती है कि वे नन्दाश्रित थे और पाटलिपुत्र में रहते थे। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वे कौशाम्बी या प्रयाग (जो कि क्रमशः कात्यायन और भारद्वाज की जन्मभूमि हैं) में रहते थे।^७ अभिधानचिन्तामणि तथा उसकी टीका भी उनके शाला-तुरीय होने का अनुमोदन करती है।^८

पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष, वर्ष के भाई का नाम उपवर्ष, पाणिनि के भाई का नाम पिंगल और प्रमुख शिष्य का नाम कौत्स था।^९ कथासरित्सागर में कहा है कि वर्ष के शिष्यों में पाणिनि अपेक्षाकृत जडबुद्धि थे, किन्तु तीव्र तप द्वारा शंकर को प्रसन्न कर उन्होंने वरदान-स्वरूप व्याकरण प्राप्त किया। व्याकरण प्राप्त करने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम अपने सहपाठी कात्यायन को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। सात दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चलने के बाद

१. पणोति कश्चिन्मनिरस्तिपूर्वं स पाणिनि नाम कुमारमाप।

स्वतुल्यनाम्ना तनयेन सोऽपि दाक्षीमुद्बुद्धं दृढमम्यनन्दत्।—पतञ्जलिचरित, १-४७।

२. सर्वे सर्वे पदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः।—७-१-२७, पृ० ३२।

३. पणिपुत्र इव पदप्रयोगेषु।—आशवास २, पृ० २३६।

४. पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षीपुत्रः शालाकिपाणिनौ शालातुरीयौ।

५. शालातुरीयको दाक्षीपुत्रः पाणिनिराहिकः।—वैजयन्ती।

६. अत्रोपवर्षे वर्षाविह पाणिनिपिङ्गलाविह व्याडि.वररुचिपतञ्जली इह परीक्षिताः
ख्यातिमुपजग्मः।—काव्यमीमांसा।

७. कौशाम्बी दि वर्ष प्लेस ऑफ् कात्यायन, दि वार्त्तिककार एण्ड प्रयाग, दि एवोड ऑफ् दि सेज भारद्वाज एण्ड प्रोवेव्ली ऑफ् वार्त्तिककारज हू वेण्ट वाइ दि नेम भारद्वाजज आर इन दि मध्यदेश, दि प्रोवेविल एवोड ऑफ् सूत्रकार—लेक्चर्स ऑन पतञ्जलि, पार्ट १, पृ० १६।

८. शालातुरीय दाक्षयो अत्रभिचि० तथा गान्धारप्रदेशविशेषशालातुरग्रामजातत्वा-
देवात्स्य तथा इति—त्रिभि० टीका।

९. उपसेदिवान् कौत्सः पाणिनिम्।—३-२-१०८, पृ० २४१।

कात्यायन ने पाणिनि को परास्त कर दिया। तब आकाश-स्थित शकर ने क्रोध से हुकार किया-, जिससे पृथ्वी पर ऐन्द्र व्याकरण नष्ट हो गया और उसके अध्येता मूर्ख बनकर रह गये। तब कात्यायन अपने परिवार के निर्वाह के लिए हिरण्यगुप्त नामक वैश्य के पास कुछ द्रव्य जमा कर स्वयं तप द्वारा शकर का क्रोध शान्त करने के लिए हिमालय पर चले गये। दीर्घकाल के बाद शकर ने प्रसन्न होकर पाणिनीय व्याकरण उन पर प्रकाशित किया।^१ पतञ्जलि-चरित में कहा है कि जब कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों पर दोष-दर्शक वार्त्तिक बनाये, तब पाणिनि बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होने कहा कि तुमने मेरा प्रभाव समझे बिना ही उवतानुकतदुष्कत चिन्ता का वृथा श्रम किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा शरीर पतित हो जाय। यह मुनकर कात्यायन को भी क्रोध आया और उन्होने भी पाणिनि को शाप दिया कि मैंने भी शकर के ही प्रसाद से वार्त्तिक बनाये है। तुमने यह बात जाने बिना मुझे शाप दिया है, सो तुम्हारा भी भस्तक फट पड़ेगा।

पतञ्जलि-चरित और कथासरित्सागर की कथा का अविभांग मनगढन्त मालूम होता है।^२ इसके अनुसार पाणिनि और कात्यायन समकालीन थे और उनकी परस्पर शत्रुता चलती थी। कथासरित्सागर (२-३०, ३१, ३२, ४५, ४६, ७८, ७९, तथा ४-१) के अनुसार कात्यायन कौशाम्बी के सोमदत्त और वसुदत्ता के पुत्र थे। वे भी पाटलिपुत्र में वर्ष के पास पढे थे। उन्होने विन्ध्याटकी में कथासरित्सागर की कहानियाँ कही थी।^३ कथासरित्सागर (२-७९) के ही अनुसार व्याडि भी इन दोनों के सहपाठी थे। व्याडि या दाक्षायण पाणिनि के समेरे भाई जान पढते हैं। यह भी सत्य जान पड़ता है कि पाणिनि नन्द-काल में उत्पन्न हुए। काशिका के पूर्व 'पाणिनीया', और 'अपरपाणिनीया.' उदाहरणों से पाणिनि के दीर्घजीवी होने की कल्पना की जाती है। वे स्वयं शिक्षक थे।^४ उन्होने स्वयं अपनी अष्टाध्यायी शिष्यों को पढाई थी। उनकी शिष्य-मण्डली विशाल थी और विद्यालयों में इनके ग्रन्थ का अध्ययन करनेवालों को भोजन दिया था। यह बात महाभाष्य के 'ओदनपाणिनीया.' उदाहरण से ध्वनित होती है। उनकी मृत्यु सिंह के आक्रमण से बतलाई जाती है।^५

पाणिनि की अन्य रचनाएँ—महाभाष्य-प्रदीपिका के अनुसार अष्टाध्यायी के अतिरिक्त शिक्षा, घातुपाठ, गणपाठ और पंचपादी उणादिसूत्र भी पाणिनि ने बनाये थे। राजशेखर क्षेमेन्द्र और शरणदेव के उल्लेखों तथा वैयाकरणों में प्रचलित दन्तकथा के अनुसार वे जाम्बवती-विजय और पार्वतीपरिणय के भी रचयिता थे। २६ ग्रन्थों में इन दोनों ग्रन्थों के उद्धरण उपलब्ध

१. अथ कालेन वर्षस्य शिष्यवर्गो महानभूत् । तत्रैकः पाणिनिर्नाम जडबुद्धितरोऽभवत् ।—कथासरित्सागर, ४-२० से २७ तक।

२. पतञ्जलि-चरित, १-६७ से ६९।

३. महाभा० ३-२-१०८।

४. उभयथा ह्याचर्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः ।—१-४-१, पृ० ९७।

५. सिंहो व्याकरणस्यकर्तुं रहस्त् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः ।—मित्रप्राप्ति, श्लो० ३६

होते हैं, यद्यपि ये ग्रन्थ अप्राप्य हैं।^१ राजशेखर ने उन्हें प्रथम व्याकरण और तदनु जाम्बवतीजय का कर्ता बतलाया है।^२ क्षेमेन्द्र ने 'पाणिनेरुपजातिभि' से उनका कवि होना सूचित किया है। और शरणदेव ने अपनी दुर्घट वृत्ति में 'सायचिर प्राहणे प्रगेऽव्ययेभ्य' (४-३-२३) आदि सूत्र की व्याख्या करते हुए उनका एक श्लोक उद्धृत किया है। स्वयं पतञ्जलि ने उनके लिए कवि शब्द का प्रयोग किया है।^३

पाणिनि का समय—पाणिनि के समय के विषय में बहुत काल तक विद्वानों में मतभेद रहा है। डॉ० पीटर्सन ने अष्टाध्यायीकार तथा बलभदेव की सुभाषितावली के कवि पाणिनि को एक मानकर उनका समय ईसवी-सन् का प्रारम्भ माना है।^४ पिशेल दोनों को एक मानकर भी उनका समय ५०० ई० पू० के लगभग मानते थे। वेवर और मैक्समूलर के मत से पाणिनि-काल ३५० ई० पू० के लगभग होना चाहिए, क्योंकि पाणिनि द्वारा उल्लिखित सूत्रकार शब्द (५-१-१८) इस तथ्य का परिचायक है कि पाणिनि से पूर्व ही सूत्र-ग्रन्थों की रचना प्रारम्भ हो गई थी। मैक्समूलर ने प्राचीन साहित्य के चार काल-विभाग करते हुए १२०० ई० पू० से १००० ई० पू० तक छान्दस-काल, १००० ई० पू० से ८०० ई० पू० तक मन्त्र-काल, ८०० ई० पू० से ६०० ई० पू० तक ब्राह्मण-काल और ६०० ई० पू० से २०० ई० पू० तक सूत्र-काल माना है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पाणिनि कात्यायन के लगभग समकालीन थे और कात्यायन का समय लगभग ३५० ई० पू० है। मैक्समूलर का वक्तव्य कथासरित्सागर पर आवृत है। डॉ० ओटो बोथालिक ने भी कथासरित्सागर के ही आवार पर पाणिनि का समय ३५० ई० पू० निश्चित किया है। गोल्डस्टुकर और डॉ० भण्डारकर के अनुसार उनके काल की निम्नतम सीमा ५०० ई० पू० है। गोल्डस्टुकर के मत से पाणिनि को अथर्ववेद की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनके सूत्र अथर्वान्जिरस् या उससे निष्पन्न अथर्वान्जिरस् का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि महाभाष्य में 'रैवतिकादिम्यदच' (४-३-१३१) सूत्र के अन्तर्गत आयर्वण मन्त्र और आयर्वण आम्नाय का उल्लेख हुआ है। हाँ, वे वेद के मन्त्र-भाग और ब्राह्मण-भाग में विभाजन से परिचित थे। अष्टाध्यायी (२-४-८०, ३-२-७१, ३-३-९६, ४-३-१०५) में मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प का उल्लेख है। काशिका पाणिनि, याज्ञवल्क्य और आश्वरथ को समकालीन मानती है। सम्भव है, पाणिनि शेष दोनों से कुछ पूर्व के हों। याज्ञवल्क्य तो वार्तिककार की दृष्टि में भी पाणिनि के समसामयिक थे। पाणिनि गृह्य एव धर्मसूत्रों से भी परिचित थे। 'अध्यायिन्देश कालात्' (४-४-७१) का निषेध, जिस पर भाष्यकार ने पर्याप्त प्रकाश डाला है, गृह्यसूत्रों के ही अनुसार है। अतः, उनका समय इन सूत्र ग्रन्थों के बाद होना चाहिए। डॉ० गोल्डस्टुकर का कहना है

१. गुलेरी—नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका—भाग १, खण्ड १, नवीन सं० ।

२. नम. पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूद्विह ।

आदौ व्याकरणं काव्यमनुजाम्बवती जयम् ॥ राजशेखर ।

३. पीटर्सन दि रिपोर्ट आफ सस्कृत मैन्स्क्रिप्ट्स, १८८२-८३, पृ० ३९ से ।

४. मैक्समूलरःएन्डियाएण्टे संस्कृत लिटरेचर, पृ० ५७२, ४९७, ४३५, ३१३, २४९,

कि समग्र उपलब्ध सस्कृत-साहित्य में ऋग्वेद, साम, और ऋण्यजुषु सहिताएँ तथा ग्रन्थकारों में यास्क ही पाणिनि के पूर्ववर्ती हैं और शेष सम्पूर्ण साहित्य उनके बाद का है। डॉ० वेल्वलकर के मत से पाणिनि का समय ७०० से ६०० ई० पू० है। ३५० ई० पू० माननेवालों का मुख्य आधार यवन शब्द का प्रयोग है, पर अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि यवनो (आयोनियन ग्रीको) से इस देश के लोगों का परिचय १००० ई० पू० से ही था। ये ही क्यो, असुर या असुर्य (असीरियन) शक (सीदियन), मद या मद्ग (मीड्स), पारसीक और पल्लव (पर्थियन) भी सिकन्दर के आक्रमण से शताब्दियों पहले आर्यों को ज्ञात थे। सिकन्दर का आक्रमण ३२७ ई० पू० में हुआ, किन्तु प्लेटे (Plateae) के (४७९ ई० पू०) युद्ध में भारतीय फौज डेरियस की सेना का अंग थी। इसके अतिरिक्त 'सफलादिम्यञ्च' (२-४-७५) तथा पश्वादि योत्रेयादि० . .' (५-३-११७) आदि सूत्र भी पाणिनि को सिकन्दर-पूर्व सिद्ध करते हैं।^१

अन्त में हम फैंडरगन के स्वर में कह सकते हैं कि पाणिनि की कृति का महत्त्व केवल उससे प्राप्त होनेवाले भाषाविषयक ज्ञान के कारण ही नहीं है, यद्यपि वह ज्ञान भी बहुमूल्य है। उसका महत्त्व इस बात के लिए अधिक है कि वह हमें भारतीय ग्रन्थन और सगुम्फन-पद्धति को समझने के लिए प्रशिक्षण देने में सक्षम है। विशेषतः वैज्ञानिक ग्रन्थ होने के कारण वह और भी उपयोगी बन पड़ा है।^२

कात्यायन-काल

पूर्वपीठिका—थोड़े समय में ही अष्टाध्यायी का प्रचार बहुत अधिक हो गया। आचार्य लोगों को सूत्र पढाते समय सूत्रों के शब्दों की उपयुक्तता, सूत्रों की तान्त्रिक व्याख्या, उन पर होनेवाले आक्षेपों और उसके निराकरण आदि पर विचार करना पड़ता था। कहीं-कहीं कोई आचार्य अन्य प्रकार से भी शब्द-सिद्धि कर किसी सूत्र अथवा उसके किसी शब्द का वैयर्थ्य प्रदर्शित करते हुए बुद्धि-बल का परिचय देता था। इस प्रकार, पाणिनि-सूत्रों को पढाते-पढाते अनेक आचार्यों ने उनमें लाभवयुक्त संशोधन उपस्थित किये। ये संशोधन वैयाकरण जगत् में वार्त्तिक कहलाये। इनमें भारद्वाज, सौनाग, कुणरवाडव, क्रोष्ट्रीय, कात्यायन आदि वैयाकरण सम्प्रदायों के वार्त्तिक विद्वत्समाज में अत्यन्त समादृत हुए।

कात्यायन का प्रातिशाख्य—कात्यायन का जन्म पाणिनि के लगभग २०० वर्ष बाद हुआ। इस समय तक पाणिनि-काल में प्रचलित अनेक शब्द अप्रयुक्त हो गये थे, कुछ के अनेक अर्थों में कुछ अर्थ अव्यवहृत हो चुके थे और कुछ को विशेष महत्त्व प्राप्त हो चुका था। पाणिनि के समीपकालीन लेखक प्राचीनों की गिनती में माने जाने लगे थे।^३ कात्यायन ने वाजसनेयी

१. बोथॉलक पाणिनि : देखिए देयर इण्डियन स्टडीज तथा लीपजिग का ऋग्वेद (१८५७), भूमिका तथा गोलडस्टुकर: पाणिनि—हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर, पृ० ५४ से ६६ तक।

२. फैंडरगन : स्टडीज ऑन पाणिनीज ग्रामर—पृ० ४८।

३. याज्ञवल्क्याद्यो न चिरकाला इत्याख्यानेषु वार्त्ता। काशिका तथा याज्ञवल्क्यादिम्यः प्रतिषेधः तुल्यकालत्वात् ।—ज्ञा० ४-३-१०५।

संहिता का प्रातिशाख्य लिखा था, जिसमें उन्होंने संहिता-क्षेत्र में आनेवाले पाणिनीय सूत्रों की आलोचना की थी। सम्भवत, इन्होंने ही कात्यायन श्रौतसूत्र की भी रचना की थी। सर्वप्रथम इन्होंने अपना प्रबन्ध वैदिक भाषा तक ही सीमित रखा, किन्तु बाद में प्रातिशाख्य की आलोचना से उत्साहित होकर सम्पूर्ण अष्टाध्यायी को अपने विवेचन का विषय बनाया। इनके प्रातिशाख्य के अनेक सूत्र, प्रत्याहार तथा अनुबन्ध पाणिनिवत् ही हैं। कहीं-कहीं सुधार की दृष्टि से कुछ परिवर्तन अवश्य कर दिये गये हैं। इन्हीं परिवर्तनों को उन्होंने आगे चलकर वार्तिकों के रूप में निबद्ध कर दिया।^१ अष्टाध्यायी और प्रातिशाख्य के सूत्रों का साम्य अनेक सूत्रों में भी देखा जा सकता है—

अष्टाध्यायी

अदर्शनं लोप (१-१-६०)
तस्मादित्युत्तरस्य (१-१-६७)
मुखनासिकावचनोऽनुनासिक
(१-१-८)

कात्यायन-प्रातिशाख्य

वर्णस्यादर्शनं लोप (१-१४१)
तस्मादित्युत्तरस्यादे. (१-३५)
मुखानुनासिकाकरणोऽनुनासिक
(१-७५)

कात्यायन के वार्तिक तथा अन्य वार्तिककार—कात्यायन के वार्तिकों में कुछ गद्य में और कुछ छन्दोरूप में उपलब्ध होते हैं। उनमें कहीं-कहीं यथावत् और कहीं स्वल्प परिवर्तन के साथ पूर्ण सूत्र की तथा कहीं सूत्र के प्रथम या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शब्द की आवृत्ति मिलती है। वार्तिकों में पूर्व वार्तिकों का उल्लेख 'उक्त शेषे', 'उक्त वा' और 'उक्त पूर्वेषु' से मिलता है। पाणिनि की शब्दावली का व्यवहार करते हुए भी इन्होंने अच् को स्वर, हल् को व्यजन, अक् को समानाक्षर, लट् को भवन्ती और लृट् को अद्यतनी कहा है। इससे कथासरित्सागर की इस धारणा (तरंग ४) को, कि वे ऐन्द्र शाखा के थे, बल मिलता है। पाणिनि से भिन्न शाखा के तो वे अवश्य थे। कात्यायन प्रातिशाख्य में शाकटायन^२ और शाकल्य^३ का तथा वार्तिकों में वाजप्यायन, व्याडि और पौष्कर-सादि का उल्लेख वार्तिककार के रूप में मिलता है। 'एके' और 'केचित्' से भी कुछ वार्तिककार उल्लिखित हैं। इनके बाद महाभाष्य के २५० श्लोक-वार्तिकों के रचयिता वार्तिककार आते हैं। स्वयं भाष्य में कात्यायन भारद्वाजीय, सौनाग, कुणरवाडव, वाडव, सौर्यभगवान् और कुणिक्रोटीय गोमदीय, गोणिकापुत्र का वार्तिककार के रूप में उल्लेख है। भाष्य में भारद्वाजीयो का मत दस बार, सौनागो का सात बार, क्रोष्ट्रीयो का एक बार और कुणरवाडव का दो बार उल्लिखित है। श्लोक-वार्तिक कात्यायन के बाद के जान पड़ते हैं; क्योंकि उनमें कात्यायन को पूर्ववर्ती स्वीकार किया गया है।^४

१. गोलडस्टुकरः पाणिनि—हिज प्लेस इन सं० लिटरेचर, पृ० १५४ से १५७।

२. प्रत्यय सवर्णमुदि शाकटायन।—कात्या०, प्रा० ३-८।

३. शाकल्य. शयतेयु।—वही ३-९।

४. ३-२-११८ को प्रथम कारिका तथा इण्डियन ऐप्टिकवेरी, जिल्द ५, टिप्पणी-सं० ४,

कात्यायन के वार्तिकों का संग्रह प्रकाशित हो चुका है, पर उसे प्रमाणित नहीं कहा जा सकता। इस संग्रह का आधार महाभाष्य है, किन्तु महाभाष्यकार ने कात्यायन के सारे वार्तिकों की व्याख्या नहीं की है। उन्होंने सूत्रों के समान बहुत-से वार्तिक भी छोड़ दिये हैं। दूसरे भाष्य में पतञ्जलि के अपने वार्तिकों की सख्या भी कम नहीं है और कात्यायन-वार्तिकों से उनको अलग कर सकता अत्यन्त दुष्कर है। मनोरमा में भट्टोजिदीक्षित ने कहा है कि मूल सूत्रपाठ आज भ्रष्ट हो गया है। यह बात वार्तिकों के विषय में और सरलतापूर्वक कही जा सकती है। भाष्य में वार्तिकों का युग भी उलट-पुलट गया है, क्योंकि अनेक वार्तिकों में जिस बात को लक्ष्यकर 'उक्त वा' या 'उक्त पूर्व' कहा है, वह भाष्य में अनेक बार उस वार्तिक के वाद मिलती है। वास्तव में ऐसे स्थलों पर 'वक्ष्यते' निर्देश होना चाहिए था। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ अप्रासंगिक न होंगे—

उक्तं वा का निर्देश-स्थल

१. अटि चोक्तम्—१-१-३ वा० ९
२. उक्त वा—१-१-१२ वा० ६
३. उक्त वा—१-२-४३ वा० ७
४. अधिरीश्वरवचन उक्तम् १-४-९७ वा० १
५. विभक्तौ चोक्तम् ४-१-१ वा० १५
६. वा वचने चोक्तम् ३-१-२ वा० ८

उक्तं वा से सम्बन्ध प्रसंग का स्थल

- अन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य ६-१-१३ वा० ५
- अदस ईत्वोत्वे ८-२-६ वा० ९
- परवल्लिङ्गम० २-४-२६ वा० ६
- यस्य चेश्वरवचनम् २-३-९ वा० १
- न वा विभक्तौ ७-१-१ वा० १३
- वा वचनानर्थकम् ३-१-७ वा ९ आदि।

वार्तिकों में सूत्रों की कमी की पूर्ति करनेवाले कम और उनमें 'अमुक शब्द क्यों है, उसके स्थान पर अमुक शब्द क्यों नहीं', इस प्रकार की मीन-मेख निकालनेवाले वार्तिक अधिक थे। यह भी वार्तिक-पाठ के नष्ट होने का एक कारण जान पड़ता है; क्योंकि मल्लिनाथी टीका के समान एक बार पाठक की जिज्ञासा शान्त कर देने के बाद फिर ऐसे वार्तिकों का उपयोग नहीं रह जाता।

साम्प्रदायिक सूत्रपाठ के पारायण में वार्तिक भी सूत्रों के अन्तर्गत शामिल कर लिये जाते रहे हैं। उदाहरणार्थ, 'ये च तद्धिते' (६-१-६१) का तीसरा वार्तिक 'अचिशीर्षः' तथा 'सुट् कात्पूर्वः' (६-१-१३५) के चतुर्थ और पंचम वार्तिक 'अडव्यवाय उपसस्थानम्' तथा 'अभ्यासव्यवाये च' स्वतन्त्र सूत्र बन गये हैं।^१ इसी प्रकार 'आत्मनश्च पूरणे' (६-३-६) "नित्यमात्रेडिते ङाचि' (६-१-१००), 'यूनश्च कुत्सायाम्' (४-१-१६७), 'वृद्धस्य च पूजायाम्' (४-१-१६६), 'यूनश्च कुत्सायाम्' (४-१-१६७), 'सुट् कात्पूर्वः' (६-१-१३) आदि सूत्र वास्तव में वार्तिक हैं और मूल से सूत्रपाठ में सम्मिलित कर दिये गये हैं।^२ 'कापिञ्जलहास्तिपदादण्' और 'आथर्वणिकस्येक-लोपश्च' ये दो भाष्य-वचन तथा सुषमादिगण के दो गणसूत्र (८-३-९९, १००) भी सूत्रों में मिल गये हैं।^३

१. देखिए सूत्र ६-१-६२ तथा ६-१-१३६।

२. वार्तिकं इष्टासूत्रेण कश्चित् प्रक्षिप्तम् तथा यूनश्च कुत्सायामिति सूत्रमनार्थमिति-वचनम्।—कैयट, ४-१-१६६ तथा देखिए कैयट, ६-१-६२, ६-१-१७०।

३. पाणिनि—हिज प्लेस इन सं० लिटरेचर, पृ० ९१।

क्या कात्यायन पाणिनि-विरोधी थे ?

कात्यायन ने पाणिनि के ३९९५ सूत्रों (३९८१+१४ प्रत्याहार-सूत्र) में १२५४ पर लगभग ४२०० वार्त्तिक बनाये। इनमें २६ सूत्रों पर एक से अधिक आचार्यों के वार्त्तिक भाष्य में मिलते हैं। कात्यायन के वार्त्तिकों ने ७०९ सूत्रों की व्याख्या की ५३७ में सुधार प्रस्तावित किये एवं बाठ सूत्रों को अनावश्यक सिद्ध किया। कात्यायन के वार्त्तिकों को सूत्र-व्याख्यान, सूत्रपदप्रयोजन, सूत्रप्रयोजन, सूत्रपद, प्रत्याख्यान, सूत्र-प्रत्याख्यान, शकौद्भावन-समाधान, सम्बन्धार्थकथन और स्वतन्त्रार्थकथन इन बाठ भागों में बाँटा जा सकता है। केवल ३६ सूत्रों में भाष्यकार ने वार्त्तिककार के विरुद्ध सूत्रकार का समर्थन किया है। भाष्यकार और वार्त्तिककार द्वारा अनावश्यक माने गये सूत्रों की सत्या तथा भाष्य द्वारा वार्त्तिककार के विरुद्ध समर्थित सूत्रों की सत्या को देखते हुए वर्नेल, डॉ० गोल्डस्टुकर और वेबर की यह धारणा कि 'कात्यायन का उद्देश्य पाणिनि के सूत्रों का अाँचित्य सिद्ध करना था उनका समर्थन नहीं। उल्टे वे उनमें दोष निकालना चाहते थे। कात्यायन की छूति से वे पाणिनि के मित्र या प्रयत्नक नहीं, अपितु विरोधी जान पड़ते हैं। अनेक बार तो उनका विरोध अन्यायपूर्ण भी दीख पड़ता है,' निर्मूल जान पड़ती है। कात्यायन ने कई बार पाणिनि को भगवान् और आचार्य कहकर सम्बोधित किया है।^१ इस विषय में डॉ० कीलहॉर्न का यह कथन कि 'वार्त्तिककार का उद्देश्य केवल इतना है कि वे पाणिनि-सूत्रों पर समाहित शकौद्भाव और आपत्तियों का बिना पक्ष या पूर्व-ग्रह के विवेचन करे और निराधार आक्षेपों का खण्डन कर उनका अाँचित्य सिद्ध करे, किन्तु जहाँ किसी प्रकार सूत्रों का समर्थन और अाँचित्य-सिद्धि सम्भव न हो, वहाँ उनमें सद्योवन, परिवर्तन या परिवर्धन प्रस्तावित करें, अक्षरशः ठीक है।'^२

डॉ० कीलहॉर्न ने कात्यायन के वार्त्तिकों का विशद विवेचन किया है। उनके मत से भाष्य में प्राप्त होनेवाले वार्त्तिकों में अविकारा कात्यायन के और थोड़े-से इष्टिख्य वार्त्तिक पतंजलि के हैं। ये वार्त्तिक कात्यायन ने पाणिनि-सूत्रों में दोषों के उद्भावन के लिए बनाये थे। भाष्यकार ने इनमें से अविकारा वार्त्तिकों को स्वीकार कर लिया, बहूत-से वार्त्तिकों का स्पष्टीकरण किया, किन्तु अनेक स्थानों पर उनकी अनावश्यकता प्रतिपादित की। डॉ० कीलहॉर्न के विचार से कात्यायन के वार्त्तिकों पर शका व्यक्त करने के लिए भाष्यकार ने 'चित्' अव्यय का और अपना निजी निरूपण करते समय 'यदि, अथ' शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने वार्त्तिककार के शका-समाधानात्मक निरूपण में 'न वा...सिद्ध तु' आदि शब्द-योजना की है, किन्तु अपने निरूपण में 'न वा...तत्ताहि वक्तव्यम्' इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। डॉ० कीलहॉर्न ने इतना सब वैज्ञानिक विवेचन करने एवं उपर्युक्त मत प्रकट करने के बाद भी कई बार वेबर आदि पाश्चात्य विद्वानों से एकस्वर होकर यह स्वीकार किया है कि कात्यायन और पतंजलि की दृष्टि पाणिनि के दोष-प्रदर्शन की ओर थी। यह मत स्थिर करते समय इन विद्वानों की दृष्टि कात्यायन की लेखन-पद्धति तथा भाष्य द्वारा उनके समर्थन पर ही केन्द्रित रह गई। सम्भवतः, इस बात की ओर उनका ध्यान नहीं गया

१. ७-१-२ वा० ४, ८-४-६८ वा० ४ तथा।

२. दि कात्यायन ऐण्ड पतंजलि, पृ० ४८।

कि पाणिनि से कात्यायन तक आते-आते भाषा में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका था, जिसके लिए इन वार्तिकों की आवश्यकता थी, इसीलिए कात्यायन के वार्तिकों के सहित अष्टाध्यायी के पठन-पाठन की प्रथा वैयाकरणों में चल पडी और कात्यायन और पतञ्जलि पाणिनि के पूरक माने जाने लगे, विरोधी नहीं।

कात्यायन का जीवन-चरित्र—कात्यायन के जीवन के विषय में कोई प्रमाणित सामग्री उपलब्ध नहीं है। वे कृतगोत्रीय और भाष्यकार के अनुसार दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। भाष्य में वर्णित दाक्षिणात्यों की विशेषता तद्धितान्त शब्दों का अधिक उपयोग है। यह विशेषता वर्तमान मराठी क्षेत्र में पाई जाती है। सस्कृत की विद्वत्परम्परा में इस प्रदेश के विद्वानों के लिए दाक्षिणात्य विशेषण का प्रयोग आज भी प्रचलित है। भाष्य के अनुसार दक्षिण में बड़े-बड़े सरों को सरसी कहते हैं। कुछ विद्वानों ने 'पाणिनि और पतञ्जलि की अपेक्षा दाक्षिणात्य' यह कल्पना कर इन्हे मालव या उसके समीपस्थ देश का निवासी माना है। यह अनुमान समीचीन नहीं है। भारत में प्रारम्भ से ही दक्षिण भारत को दक्षिणापथ और उसके निवासियों को दाक्षिणात्य कहने की प्रथा रही है। पतञ्जलि दक्षिण भारत से भली भाँति परिचित थे। उनके द्वारा उल्लिखित नासिक्य, कन्याकुमारी, चोल, पाण्ड्य, केरल आदि इसके प्रमाण हैं। दूसरे मालव और शूरसेन-प्रदेश की भाषा में कभी विशेष अन्तर नहीं रहा। आज भी मालवी बोली पर व्रज तथा गुजरात की भाषा का ही सर्वाधिक प्रभाव है। तब दक्षिण में महाराष्ट्र ही ऐसा प्रदेश रह जाता है, जहाँ पतञ्जलि-काल में सस्कृत का प्रचार था। इस प्रदेश में प्रारम्भत अद्यावधि व्याकरण-शास्त्र की परम्परा भी अक्षुण्ण रही है। अतः, अधिक सम्भावना इसी बात की जान पड़ती है कि कात्यायन महाराष्ट्र प्रदेश के निवासी थे।

सायण ने वररुचि और कात्यायन को एक माना है। वैयाकरण-परम्परा में भी वररुचि वार्तिककार माने गये हैं। नागेश ने वार्तिककार को ही वाक्यकार माना है। भाष्यकार ने भी वररुचि श्लोकों की चर्चा की है। उनके उल्लेख से वररुचि और कात्यायन स्पष्ट ही एक व्यक्ति अवश्य नहीं जान पड़ते, किन्तु पतञ्जलि ने जिन भ्राज श्लोकों का उल्लेख किया है, उन्हें कैयट, हरदत्त और नागेश कात्यायन-कृत मानते हैं। वैयाकरण-परम्परा एवं सायणचार्य जैसे विद्वानों के मत का आदर करते हुए कुछ विद्वान् वररुचि को वार्तिककार का व्यक्तिनाम तथा कात्यायन को गोत्रनाम स्वीकार करते हैं। विक्रम के सभारत्न वररुचि इनसे भिन्न रहे होंगे, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृत व्याकरण इन द्वितीय वररुचि की रचना है। कहा जाता है कि वररुचि ने स्वर्गारोहण नामक एक काव्य भी बनाया था। पतञ्जलि-चरित के अनुसार भी दो वररुचि हुए हैं—एक वार्तिककार कात्यायन तथा दूसरे पतञ्जलि द्वारा शापित शिष्य के उज्जयिनी-निवासी शिष्य चन्द्रगुप्त ब्राह्मण के ज्येष्ठ पुत्र।^१ इस ग्रन्थ के अनुसार चन्द्रगुप्त ने ब्रह्मराक्षस से महा-भाष्य का अध्ययन समाप्त कर घर लौटते समय मार्ग में चारों वर्षों की एक-एक कन्या

१. यमजीजनत् प्रथमवर्षकन्यका तनयं द्विजो वररुचि तमाख्यया ।

स्वयमाजुहाव कृतवंशजन्मन. पदशास्त्रवार्तिककृतः पवित्रया ॥

—पतञ्जलिचरित, सर्ग ७, श्लो० २ ।

से विवाह किया, जिनसे क्रमशः वररुचि, विक्रमार्क, भट्टि और भर्तृहरि ये चार पुत्र हुए। इनमें वररुचि ने अनेक विषयो पर समानाधिकार रखते हुए भी केवल गणित-शास्त्र पर ग्रन्थ-रचना की। पतंजलि-चरित के अनुसार यह वररुचि अवश्य ही मालववासी तथा विष्णुकालीन थे।

जात्यायन के काल के विषय में मैक्समूलर, गोल्डस्टुकर आदि विद्वानों ने विस्तृत विचार किया है और तदनुसार अब निर्विवाद रूप से उनका समय लगभग ३५० ई० पू० स्वीकार कर लिया गया है।^१

-
१. सर्वानु शास्त्रपदवीषु विचक्षणोऽपि धन्यान् व्यधाद् गणित एव जनोपकारान् ।
 तेष्वग्रजो वररुचिर्दिवसेश्वरोहि प्राच्यामुद्येत्यखिलदिक्ष्वपि निर्विरोधः ॥
 —पतंजलिचरित, सर्ग ८, श्लो० ३।
२. गोल्डस्टुकर : पाणिनि—हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर, पृ० ६६ से।

अध्याय २

ग्रन्थ और ग्रन्थकार

महाभाष्य

ग्रन्थ-योजना—कात्यायन के लगभग २०० वर्षों बाद पतञ्जलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। इसमें उन्होंने पाणिनीय सूत्रों तथा उन पर लिखे गये व्याख्यानात्मक एवं पुरक वार्तिकों का विवेचन किया और यत्र-तत्र अपने इष्टि-वाक्यों का भी समावेश किया। महाभाष्य ८५ आह्निकों में विभाजित है, जिनकी विश्लेषणात्मक समीक्षा से यह बात सहज ही स्पष्ट हो जाती है कि महाभाष्य की रचना, विषय-प्रतिपादन-शैली तथा उसका आह्निक-कात्मक विभाजन सब अत्यन्त नैसर्गिक है। उसकी रचना पूर्वयोजनानुसार काण्डों, अध्यायों या अधिकरणों के विभाग द्वारा नहीं की गई। व्याख्यानात्मक ग्रन्थ होने के कारण अष्टाध्यायी की योजना ही महाभाष्य की योजना है। पतञ्जलि अपने शिष्यों को अष्टाध्यायी पढ़ाते हुए कुछ सूत्रों की विस्तृत समीक्षा करते जाते थे और बाद में उस समीक्षा को आह्निक रूप में लिख लेते थे। इसीलिए, भाष्य में कहीं-कहीं चालू प्रकरण को बीच में ही तोड़कर और कहीं एक प्रसंग के बाद दूसरा प्रकरण नाममात्र को प्रारम्भ करके ही आह्निक की समाप्ति की गई मिलती है। दूसरे शब्दों में महाभाष्य के ८५ आह्निक विद्यार्थियों को पढ़ाये गये ८५ दिन के पाठ है। आह्निक नाम ही इस बात का साक्षी है। पतञ्जलि ने अपने पूर्ववर्ती समस्त वैयाकरणों के ग्रन्थों एवं समस्त वैदिक और लौकिक प्रयोगों का सूक्ष्म अनुशीलन करने के बाद महाभाष्य का प्रारम्भ किया था, इसलिए व्याकरण का कोई विषय उनकी लेखनी से नहीं छूटा। उनकी निरूपण-पद्धति सर्वथा मौलिक और नैयायिकों की तर्क-शैली पर आधृत है। अतः, पतञ्जलि के हाथों पाणिनीय शास्त्र सूत्रों की समष्टिमात्र न रहकर पूर्ण एवं वैज्ञानिक बन गया और शीघ्र ही उसकी गणना विशिष्ट दर्शन के रूप में होने लगी। महाभाष्य की रचना के बाद फलतः आपिशल, शाकटायन, काशकृत्स्न आदि व्याकरणों की परम्परा बन्द हो गई और सम्पूर्ण देश में पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन और अध्यापन प्रचलित हो गया।

पाणिनि पर पतञ्जलि की असीम श्रद्धा थी। उन्होंने पाणिनि का स्मरण भगवान्, आचार्य, मांगलिक, सुहृद् आदि विशेषणों के साथ किया है।^१ उनका विश्वास था कि भगवान् पाणिनि ने पवित्र स्थान में बैठकर बड़ी शुचिता एवं तन्मयता के साथ सूत्रों का प्रणयन किया है। इसलिए उनमें एक अक्षर भी अधिक या अशुद्ध नहीं हो सकता।^२ उनके मत से सूत्र छन्दोवत् प्रमाण है।^३

१. कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तम्।—आ० १, पृ०, १३ तथा माङ्गलिक आचार्या वृद्धिशब्दमादितः प्रयुक्तम्।—१-१-१, वा० ७, पृ० १००।

२. वही, पृ० ९७।

३. १-१-१, पृ० ९२।

इसीलिए, उन्होंने सौत्र निर्देश को भी प्रमाण माना।^१ उन्होंने किसी प्रयोग के अन्यथा सिद्ध हो जाने पर भी सिद्धयत्येवमपाणिनीयं तु भवति कहकर उस विधि का त्याग कर दिया।^३ इतना ही नहीं, उन्होंने सूत्रों द्वारा प्रत्यक्ष न कही हुई, किन्तु व्यजित या सकेतित वातों को आचार्य की इच्छा-शैली या आचार कहकर मान्य किया।^४ उन्होंने यत्र-तत्र आचार्य के, कौगल की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट किया^५ और बतलाया कि सूत्र-प्रबन्ध के अतिरिक्त इगित, वेष्टित और निमित्तित तक से आचार्य का अभिप्राय जाना जा सकता है।^६ इसीलिए, कुछ विद्वानों को यह भ्रम हो गया कि पतंजलि कात्यायन के विरुद्ध पाणिनि के समर्थक थे। यह बात उसी स्थिति में किसी सीमा तक सगत कही जा सकती है, जबकि उन्होंने मूलतः अपना भाष्य अष्टाध्यायी पर लिखा ही और वैयाकरणों के समर्थक कात्यायन के आक्षेपपरक वार्तिकों का खण्डन किया ही। महाभाष्य को देखने से ऐसा लगता भी है। महाभाष्य में अष्टाध्यायी के समस्त सूत्र विद्यमान हैं, भले ही भाष्यकार ने उनके विषय में कुछ न कहा हो, किन्तु वार्तिकों के विषय में बात ऐसी नहीं है। भाष्य में केवल उन्हीं वार्तिकों का समावेश है, जिनपर भाष्यकार ने टिप्पणी आवश्यक समझी। फिर भी, सामान्यतया विद्वानों की धारणा है कि महाभाष्य वार्तिकों पर लिखा गया है।^७ यहाँ तक कि डॉ० कीलहॉर्न जैसे विद्वान् तक की यही धारणा है।^८ और, इसी दृष्टिकोण से कात्यायन के महाभाष्यस्थ वार्तिकों का समग्र ही कात्यायन का वार्तिक-ग्रन्थ मानकर प्रकाशित भी किया गया है। मेरे विचार से भाष्यकार ने पाणिनि और कात्यायन दोनों पर एक साथ भाष्य लिखा है। ऐसा करते समय उन्होंने उन सूत्रों को छोड़ दिया, जिनपर न तो पूर्ववर्ती किसी आचार्य ने वृत्ति, उदाहरण और प्रत्युदाहरणों के अतिरिक्त कुछ कहा था और न पतंजलि की दृष्टि से ही उन पर कोई नवीन बात कहने का अवकाश था। ऐसा करते समय उन्होंने पाणिनि के साथ कात्यायन के प्रति भी पूज्य भाव रखा, यद्यपि प्राथमिकता पाणिनि को प्रदान की। यह स्वाभाविक था और उचित भी।

१. ७-१-१२, पृ० २१।

२. आ० १, वा० १८, पृ० ३१।

३. अथवाचार्यप्रवृत्तिज्ञापयति नानेन सम्प्रसारणस्य दीर्घो भवति।—आ० २, पृ० ५६, तथा ५८, ६० तथा एषा कृपाचार्यस्य शैली लक्ष्यते यत्तुल्यजातीयस्तुल्यजातीयेषूपदिशति।—आ० २, पृ० ८१; एतज्ज्ञापयत्याचार्यो भवत्येषा परिभाषा।—आ० २, पृ० ८९ तथा आचार्यवास्तुसज्ञा सिद्धिर्भविष्यति।—१-१-१, पृ० ९५।

४. कौशलमात्रमेतदाचार्यो दर्शयति।—५-१-१, पृ० ४।

५. ६-१-३७, पृ० ६५।

६. महाभाष्य इज ए किटिकल डिस्कशन ऑन दि वार्तिकाज ऑफ् कात्यायन, ह्यायल इट्स इष्टिज ऑन दि अदर हेण्ड, आर ओरिजिनल वार्तिकाज, ऑन सम सूत्राज ऑफ् पाणिनि एज कॉलड फॉर हिज़ ओन रिमाक्स।—दि इण्डियन हिस्टो० क्वो०, भाग २, पृ० २७०-७१।

७. दि महाभाष्य इज, ऑन दि फर्स्ट इन्स्टान्स, ए कमेण्टरी ऑफ् कात्यायनस वार्तिकाज। कीलहॉर्न : कात्यायन ऐण्ड पतंजलि, पृ० ५१।

चौदह प्रत्याहार-सूत्रों को मिलाकर अष्टाध्यायी के कुल ३९९५ सूत्रों में से १६८९ सूत्रों पर पतञ्जलि ने भाष्य लिखा और शेष को बिना अपनी ओर से कुछ मिलाये परम्परानुसार ग्रहण कर लिया। उन्होंने इनमें से १२२८ सूत्रों पर केवल कात्यायन के तथा २६ सूत्रों पर अन्य आचार्यों के भी प्राप्त वार्तिकों की समीक्षा की और ४३५ ऐसे सूत्रों पर भाष्य लिखा, जिनपर वार्तिक उपलब्ध नहीं थे। इन सूत्रों पर भाष्यकार की समीक्षा पूर्णतः मौलिक है। उन्होंने ३६ सूत्रों में वार्तिककार के मत को भ्रातः ठहराकर पाणिनि का समर्थन किया और १६ सूत्रों को अनावश्यक ठहराया। पतञ्जलि कात्यायनीय वार्तिकों के प्रथम भाष्यकार नहीं, किन्तु सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार अवश्य थे। उन्होंने कात्यायन के अनेक आक्षेपों से पाणिनि की रक्षा की, यद्यपि ऐसा करने में कहीं-कहीं पाणिनि का आवश्यकता से अधिक पक्ष लिया।

महाभाष्य-काल में संस्कृत-भाषा की स्थिति—पतञ्जलि का युग वैदिक सस्कृति तथा वैदिक साहित्य के गिरते हुए प्रासाद को पूरी शक्ति के साथ स्थिर रखने के प्रयास का युग है। इस समय प्राकृत भाषाएँ विकसित हो रही थीं और जन-सामान्य में संस्कृत का प्रचार घटने लगा था। पाणिनि-युग में संस्कृत शिक्षित समाज की भाषा थी। अष्टाध्यायी के वीसियों सूत्र, जिनमें दूर से पुकारने, पुकार का उत्तर देने, अभिवादन तथा उसके उत्तर, पृष्ठ-प्रतिवचन, निगृह्यानुयोग, भर्त्सन, प्रवृत्तान्त, प्रवृत्तान्त, आगी, प्रैप, आक्रोश, गर्हा, असूया आदि के प्रसंगों में प्रयुक्त शब्दों के नियम दिये गये हैं, इस बात के प्रमाण हैं।^१ शूद्र उस समय भी प्राकृत का व्यवहार करते थे।^२ आगे चलकर स्त्रियों में संस्कृत का व्यवहार उठ गया। पतञ्जलि के समय तक आते-आते वैश्यो और क्षत्रियों में भी संस्कृत का प्रचार कम हो चला। फिर भी, इस समय तक क्षत्रिय और वैश्य संस्कृत पूर्णतया समझते थे, भले ही दैनन्दिन जीवन में वे पूर्णतया संस्कृत का व्यवहार न करते हों। पाणिनि के 'प्रत्यभिवादे शूद्रे' (८-२-८३) सूत्र के वार्तिक इस कथन की पुष्टि करते हैं। ब्राह्मण-समाज में इस समय भी संस्कृत व्यवहार की भाषा थी। यद्यपि ब्राह्मणों का ध्यान व्याकरण की ओर से हट चला था। वे यह सोचकर कि लौकिक शब्दों का ज्ञान लोक से और वैदिक शब्दों का वेद से ही हो जाता है, फिर व्याकरण में सिर पचाने की क्या आवश्यकता, व्याकरण-पराङ्मुख बन रहे थे।^३ प्राचीनकाल में उपनयन-संस्कार के बाद पहले व्याकरण पढ़ाया जाता था और स्थान, नाद, करण, अनुप्रदान आदि का सम्यक् ज्ञान हो जाने के बाद तब वैदिक शब्दों का उपदेश किया जाता था। पतञ्जलि के समय में स्थिति उलट गई थी। अब ब्राह्मण-बालक भी व्याकरण को निरर्थक कहकर उसकी उपेक्षा करने लग गये थे।

पाणिनि के बाद भाषा में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे। संस्कृत अब भी देग-भर के

१. ८-२-९३ से ८-२-१०५ तक।

२. 'अशूद्रस्त्वस्यसूयकेषु' तथा 'भो राजन्यविशां च'।—८-२-८३।

३. पुराकल्पयुतदासीत्—संस्कारोत्तरब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते। तेभ्यस्तत्र स्थान-नादकरणानुप्रदानज्ञेभ्यो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते। तदद्यत्वे न तथा। वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति; वेदान्तो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः। अनर्थकं व्याकरणम्।—

आ० १, पृ० १०।

शिष्ट-समाज को एक सांस्कृतिक सूत्र में आवद्ध किये थी, किन्तु प्राकृत भाषाएँ भी साहित्य में स्वीकृत हो चुकी थी। संस्कृत के प्राच्य और उदीच्य स्वरूप में थोड़ा बहुत अन्तरयास्क और पाणिनि के समय से ही चला आ रहा था। वह्यर्थक वैदिक धतुओं के किसी अर्थ का प्रचार एक प्रदेश में था और किसी का दूसरे प्रदेश में। पाणिनि ने इन मतभेदों का उल्लेख अपने सूत्रों में किया था। यास्क ने भी उदाहरण के रूप में वतलाया था कि ग्व् धातु गति अर्थ में केवल कम्बोजों में बोली जाती है। आर्य जनपदों में उसका प्रयोग विकार अर्थ में ही होता है। इसी प्रकार च्वा का क्रिया रूप में (काटने के अर्थ में) प्राच्य देश में व्यवहार होता है। उदीच्य जनपदों में उससे बने सजा शब्द दात्र का प्रयोग प्रचलित है।^१ यास्क के इस कथन को पतंजलि ने भी उद्धृत किया। पतंजलि के समय में यह भेद और बढ़ गया था। उदाहरणार्थ, इस समय जाने के अर्थ में सुराष्ट्र में हम्म धातु का, मगध में रह् धातु का और आर्य जनपदों में गम् धातु का प्रयोग होता था।^२ अनेक शब्दों का प्रचलन बन्द होकर उनके स्थान में तत्सदृश दूसरे शब्द व्यवहार में आ गये थे। यथा ऊप के अर्थ में उषित, तेर के अर्थ में तीर्ण, चक्र के अर्थ में कृतवत् और पेच के अर्थ में पक्ववत् शब्द चल पड़े थे।^३ शब्दों के प्रयोग का विषय व्यापक हो चुका था। पाणिनि अव्यवसंज्ञिता, शतपथादि ब्राह्मणों और उपनिषदों से परिचित न थे, किन्तु भाष्यकार के समय में चारों सहिताएँ, वाको-वाक्य, इतिहास, पुराण वैद्यक तथा ब्राह्मण और सूत्र-ग्रन्थ बन चुके थे। रामायण, महाभारत, काव्य-ग्रन्थों तथा आख्यान-साहित्य की रचना हो चुकी थी।^४ फलतः, संस्कृत का शब्दकोष पहले से बहुत बढ़ा हो चुका था। ऐसे अनेक शब्द, जिनकी सिद्धि अप्ठार्यायी से नहीं होती, संस्कृत में सम्मिलित हो गये थे।^५ दूसरी ओर साहित्य में गृहीत होने के कारण अपभ्रंश शब्दों को स्थिरता और मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। ये शब्द सरलता से संस्कृत शब्दों में मिल जाते थे, जिससे संस्कृत के भ्रग का भय उत्पन्न हो गया था। संस्कृत शब्द थोड़े थे और उनके अपभ्रंश कहीं अधिक। एक-एक संस्कृत शब्द के जनपद भेद से अनेक अपभ्रंश रूप प्रचलित थे। एक ही गो कही गोपी, कही गीता, कही गावी और कही गोपीतलिका बन गई थी।^६

भाषा के उन्नयन में महाभाष्य का योग—ऐसी स्थिति में पतंजलि ने भाषा के परिमार्जन का काम अपने हाथ में लिया। वे जानते थे कि उन वर्गों में फिर से संस्कृत का प्रचार तत्काल दुःसाध्य है, जो उसे भूल चुके हैं। इसलिए, सर्वप्रथम उस समाज को कसकर पकड़ना लाभकर होगा, जो

१. शक्तिर्गतिर्कर्म कम्बोजेष्वेव भाष्यते। विकारमस्यायेषु भावन्ते शव इति। दाति-लंबनार्ये पाच्येषुदात्रमुदीच्येषु।—अध्याय २, खण्ड २, सू० ८।

२. हम्मति. सुराष्ट्रेषु, संहतिः प्राच्यमध्येषु, गमिमेव त्वाप्याः प्रयुञ्जते।—आ० १, पृ० २१।

३. एतेषां शब्दानामर्थेऽन्यान् शब्दान् प्रयुञ्जते।—सद्यथा ऊपेत्यत्य शब्दस्यायं क्व यूय-मुषिताः।—आ० १, पृ० १०।

४. वा० १, वा० ५, पृ० २१।

५. प्राप्तिको देवानाम्प्रियो न त्विष्टिनः।—२-४-५६, पृ० ४९१-९२।

६. आर्यं चाप्यार्यायीमधीते। ये चात्रविहिताः शब्दास्तान् प्रयुञ्जन्ते। अयं नूनमन्यानपि जानाति।—६-३-१०९, पृ० ३५६।

किसी-न-किसी रूप में उससे परिचित है। वे जानते थे कि भाषा का विकास नैसर्गिक होता है। शब्दों का व्याकरण द्वारा निष्पन्न होना एक बात है और लोक में उनका प्रयोग दूसरी बात। उदाहरणार्थ, सारथि अर्थ में व्याकरण द्वारा सिद्ध शब्द प्रवेता था, किन्तु लोक में प्राजिता का प्रचलन था, प्रवेता का नहीं। इस विषय में महाभाष्य का वैयाकरण-सारथि-सवाद बड़ा मनोरंजक, है जिसमें सारथि वैयाकरण से कहता है कि आप प्राप्तिज्ञ (शब्दसाधुता के जानकार) हैं, इष्टिज्ञ नहीं।^१ इस सवाद से यह भी पता चलता है कि इस समय तक संस्कृत व्यवहार की जीवन्त भाषा थी, केवल पुस्तकों में वह सीमित न थी। नादिन्याऽऽक्रोशे पुत्रस्य सूत्र पर भाष्य में दिये हुए उदाहरण भी इसी कथन की पुष्टि करते हैं। यह समय ब्राह्मणों के उत्थान का था। पुष्यमित्र पाटलिपुत्र से विदर्भ, अवन्ती और शूरसेन प्रदेश तक का शासक था। यज्ञ और कर्मकाण्ड का महत्त्व बढ़ रहा था। स्वयं पुष्यमित्र ने दो अश्वमेध यज्ञ किये थे, जिनमें एक पतञ्जलि आचार्य थे। अर्थ के लोभ से ब्राह्मण लोग यज्ञादि कर्मकाण्डों की ओर अधिक झुक रहे थे। पतञ्जलि ने इस वर्ग को व्याकरण की ओर उन्मुख किया। उन्होंने आर्यावर्त्त में रहनेवाले शिष्ट ब्राह्मणों के लिए अष्टाध्यायी का अध्ययन आवश्यक निरूपित किया और कहा कि ब्राह्मण को षडंगो-सहित वेदों का अध्ययन निष्काम भाव से करना चाहिए। षडंगों में भी व्याकरण मुख्य है। वेदरक्षा तथा वेदज्ञान बिना व्याकरण के सम्भव ही नहीं है। अपशब्द म्लेच्छवत् हैं। भाषा का साधु ज्ञान हुए बिना साधु और अपभ्रंश शब्दों में भेद कर सकना सम्भव नहीं है और न बिना व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किये आर्त्विजीन वनना शक्य है।^२ यों मनुष्य दैवानुग्रह या स्वभाव-गति से भी अष्टाध्यायी के अनुसार शुद्ध भाषा बोल सकता है, किन्तु वह इस बात का पता नहीं लगा सकता कि दूसरे लोग जो बोल रहे हैं, वह कहाँ तक ठीक है।^३ उन्होंने साधु शब्दों के प्रयोग को अम्युदयकारी बतलाकर भाषा की साधुता पर बहुत जोर दिया और इस प्रकार प्राकृतों के बढ़ते हुए प्रभाव को यथाशक्य रोकने की चेष्टा की। कहने की आवश्यकता नहीं कि भाष्यकार जैसे समर्थ विचारक से संस्कृत को बड़ी शक्ति मिली। इस काल में अनेक अधिकारी ग्रन्थों का प्रणयन तो हुआ ही, साथ ही अगली कई शताब्दियों तक संस्कृत की धारा अक्षुण्ण प्रवाहित रही। उसके प्रयत्न से व्याकरण अध्ययन का सर्वप्रमुख अंग बन गया और संस्कृत का जो स्वरूप उन्होंने स्थिर कर दिया, वह आज तक वैसा ही बना हुआ है।^४

महाभाष्य की रचना-शैली—महाभाष्य की रचना-शैली अत्यन्त स्पष्ट, सरल एवं प्रसादगुणमयी है। भर्तृहरि ने एक पक्ति में उसे 'अलव्धलाभे गाम्भीर्यादुत्तान इव सौष्ठवात्' कहा है। इसमें दैनन्दिन व्यवहार में न आनेवाले शब्दों का प्रयोग नाममात्र को नहीं है। लम्बे समास या श्लिष्ट शब्दावली का भी कहीं व्यवहार नहीं हुआ है। भाषा-सौष्ठव की दृष्टि से महाभाष्य शारीरभाष्य की अपेक्षा अधिक सरल है। शास्त्रीय ग्रन्थ होने के कारण यद्यपि

१. एकैकस्य शब्दस्य बहुवोऽपभ्रंशाः। तद्यथा गौरित्यस्य।—आ० १. वा० ६, पृ० २२।

२. पश्यशास्त्रिक—प्रारम्भ।

३. ६-३-१०९, पृ० ३५९।

४. ८-४-४८, पृ० ४९८।

उसमे स्थान-स्थान पर पारिभाषिक और शास्त्रीय गब्दो का आ जाना स्वाभाविक था, फिर भी लोक-व्यवहार मे आनेवाले निसर्ग-सुन्दर और सुपरिचित गब्दावली के प्राय उपयोग होने के कारण भाष्य मे भाषा-काठिन्य नहीं आने पाया। भाष्य की विषय-प्रतिपादन-शैली भी अत्यन्त मनोरम है। तात्पर्य यह है कि सरल सुबोध और निसर्ग-रमणीय भाषा, स्थान-स्थान पर वक्तृत्व-छटा और सवादरूप वाक्यों की मोहकता ने भाष्य मे एक विशेष प्रकार की आकर्षता उत्पन्न कर दी है। जहाँ प्रतिपाद्य विषय कठिन और गम्भीर है, वहाँ वीच-व्रीच मे विनोदयुक्त वाक्य डालकर तथा समयोचित लौकिक दृष्टान्त-वाक्यों का समावेश कर उन्होंने जिज्ञासा को यथावत् बनाये रखा है और प्रसंग को निर्जीव हो जाने से बचा लिया है।

भाष्य की विषय-निरूपण-पद्धति अत्यन्त सीधी और सम्भाषणात्मक है। कठिन विषयों का प्रारम्भ 'इदमिह सम्प्रधार्यम्' जैसे वाक्यों से पाठक को पूर्व जागृत करके किया गया है। पतञ्जलि पूर्वपक्ष की स्थापना अत्यन्त तन्मयता और निष्पक्षता के साथ करते हैं और फिर 'विषयः उपन्यास' जैसे वाक्यों से उत्तर पक्ष का प्रतिपादन करते हैं। वे वीच-व्रीच मे 'कि वक्तव्यमेतत्, कथमनुच्यमान गत्यते', अथवा 'अस्ति प्रयोजनमेतत्। कथं तर्हि?' जैसे सवादात्मक वाक्य डालकर पाठक का ध्यान लक्ष्य की ओर आकृष्ट करते जाते हैं और पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष दोनों के निरूपण के पश्चात् 'यथा न दोषस्तथास्तु' कहकर निर्णय पाठक पर छोड़ देते हैं। कभी कभी वे 'गोनदीर्यस्त्वाह' कहकर अविक ग्राह्य पक्ष की पुष्टि भी कर देते हैं। कहीं-कहीं वे सूत्रों पर आक्षेप करनेवाले वार्तिकों पर टीका कर अन्त मे तर्क के साथ 'यथान्यासमेवास्तु' कहकर सूत्रकार का समर्थन करते हैं। कहीं दोनों पक्षों के मत ग्राह्य होने पर उनपर होनेवाले आक्षेपों का निवारण-मात्र कर देते हैं, किन्तु अपने मत की स्थापना नहीं करते। अथवा 'उभयथा गोणिकापुत्र' कहकर दोनों पक्षों का समर्थन कर देते हैं। सभी विवाद-ग्रस्त स्थलों मे उन्होंने पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष मे प्राचीन वैयाकरणों के मतों का उल्लेख किया है और अन्त मे लोक मे प्रचलित प्रयोग तथा सर्व-सम्मत व्याकरण-विषयक मौलिक सिद्धान्त के आधार पर अपना निर्णय दिया है और जहाँ कहीं लोक-प्रयोग के आधार पर उत्तर देना शक्य नहीं जान पडा, वहाँ 'देवा ज्ञानुमर्हन्ति', 'देव एव जानाति' जैसा विनोदात्मक उत्तर देकर काम चला लिया है। इस प्रकार उन्होंने व्याकरण जैसे नीरस विषय को भी सरस बना दिया है। वास्तव मे उन्होंने सारा ग्रन्थ गिप्यों को पढाते-पढाते लिखा। इसीलिए, उसमे इतनी सजीवता और प्रासादिकता आ गई है।

भाष्यकार से पूर्व अष्टाध्यायी पर अनेक वृत्ति-ग्रन्थ विद्यमान थे, जिनमे सूत्रों के अर्थ, उदाहरण और प्रत्युदाहरण दिये गये थे। इसलिए, भाष्यकार यह मानकर चले कि उनके पाठक को यह सब अवगत है। उन्होंने अपनी व्याख्यान-पद्धति तीन तत्त्वों पर आधृत की—सूत्र का प्रयोजन बतलाना, पदों का योग्य अर्थ करते हुए सूत्रार्थ निश्चित करना और सूत्र की व्याप्ति बढ़ाकर या कम करके सूत्रार्थ का नियन्त्रण करना। सूत्र का प्रयोजन बतलाने के लिए वे अपना व्याख्यान 'किमुदाहरणम्', 'अयं योग शक्यमकर्तुम्' जैसे वाक्यों से प्रारम्भ करते हैं। सूत्रार्थ का निश्चय करते समय 'अमुकपद किमर्थम्', 'कथमिदं विज्ञायते' तथा सूत्रार्थ का नियन्त्रण करते समय 'एवं कर्तव्यम्', 'इत्युपसख्यानम्', 'इति वक्तव्यम्', 'इत्यस्य प्रतिषेधो वक्तव्य' इत्यादि वाक्यों का प्रयोग करते हैं।

पाणिनि के मनोज्ञकूल इष्ट-प्रयोग-सावक और अनिष्टनिवारक अर्थ लगाना पतञ्जलि का उद्देश्य था। इसलिए, जहाँ कहीं सूत्र से यह काम सिद्ध होता न दिखाई दिया, वहाँ उन्होने सूत्र का योग-विभाग किया या पूर्व-विप्रतिपेक्ष से काम चलाया। यदि कहीं सूत्र से अनिष्ट-प्रयोग सिद्ध होने लगा, तो उसे शिष्टासम्मत होने के कारण 'अनभिधानम्' कहकर निवारित किया। इन सब बातों का विवेचन करते हुए उन्होने अनेक स्थानों पर पूर्वाचार्यों के वार्त्तिक उद्धृत किये और यदि उस विचार के समर्थक या विरोधी अनेक आचार्य हुए या किसी कारण उनका नाम-ग्रहण सम्भव न हुआ, तो वहाँ 'अपर आहु' या 'अपर आह' द्वारा उनके मत का प्रतिपादन कर दिया। वार्त्तिककार द्वारा सूत्र अथवा सूत्रस्थ किसी पद का प्रत्याख्यान किये जाने के अवसर पर उन्होने यथासम्भव सूत्रकार का पक्ष ग्रहण किया। फिर भी, उनकी दृष्टि सूत्रकार और वार्त्तिककार दोनों के प्रति आदरयुक्त रही। सूत्रकार के साथ उन्होने वार्त्तिककार के लिए भी भगवान्, सुहृद् और आचार्य विशेषणों का प्रयोग किया।^१ सूत्रकार का समर्थन करने के लिए ही, यदि आवश्यक हुआ तो, उन्होने वार्त्तिककार का खण्डन किया। केवल दो स्थानों पर 'एतदेक-माचार्यस्य भङ्गलार्थं मृश्यताम्' तथा 'प्रमादकृतमेतदाचार्यस्य शक्यमकर्तुम्' कहकर उन्होने सूत्रकार का दोष दिखलाया। किसी-किसी स्थान पर उन्होने सूत्र के शब्दों में अन्तर प्रस्तावित किया और वैसा करने के लाभ भी बतलाये, किन्तु अन्त में यह कहकर कि सूत्रकार ने अर्थ का पूर्ण स्पष्टीकरण करने के लिए ही वैसा किया है, उन्होने सूत्र को ज्यों-का-त्यों रहने दिया।

महाभाष्य की भाषा—महाभाष्य को सरस और आकर्षक बनाने में उसकी भाषा ने बहुत अधिक योग दिया है। विरोधियों के तर्कों का उत्तर देते समय भाष्यकार बड़ी चुभती, व्यंग्यमयी और कटाक्षपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी-कभी उस में चिढ़ और झुंझलाहट की भी झलक मिलती है, पर शुष्क सिद्धान्त-निरूपण के प्रसंगों में इस प्रकार की अभिव्यक्ति स्फूर्ति लाने में ही सहायक हुई है। भाष्यकार की कटाक्ष-शैली के कुछ उदाहरण उपस्थित करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा—

- १ किं पुनरनेन वर्ण्येन ? किं न महता कष्टेन नित्यं शब्द एवोपात्तो यस्मिन्नुपादीयमाने सन्देहः स्यात् ।^१
- २ आहो पुरुषिका मात्र तु भवानाह ।^२
३. संषा महतो वशस्तम्बाल्लत्त्वानुकुष्यते ।^३
- ४ परशशतानि कार्याणि ।^४
५. नहि काको वाश्यत इत्यधिकारा निवर्तन्ते ।^५

१. तदाचार्यः सुहृद्भूत्वाऽन्वाचष्टे ।—५-३-२०, पृ० ४३३ ।

२. आ० १, पृ० १५ ।

३. आ० २, पृ० ३५ ।

४. आ० २, पृ० ५२ ।

५. १-१-१०, पृ० १६९ ।

६. ४-३-५३, पृ० २३६ ।

६. नैवेश्वर आज्ञापयति नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्त्यपवादे उत्सर्गा वाव्यन्तामिति ।^१
 ७. तत्कारो च भवोत्सद्द्वेषो च ।^२
 ८. अन्यद्भवान् पृष्टोऽन्यदाचष्टे । आत्रान् पृष्टः कोविदारानाचष्टे ।^३
 ९. अवतपते नकुलस्थितं त एतत् । उदके विधीर्णं त एतत् ।^४
 १०. योहि तत्पुरुषमारभते न तस्य दण्डवारितो बहुव्रीहिः ।^५
 ११. यदि प्रयोगे धर्मं सर्वो लोकोऽभ्युदयेन युज्येत । कश्चेदानीं भवतो मत्सरो यदि सर्वो लोकोऽभ्युदयेन युज्येत ?^६
 १२. कश्चेदानीमन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः ज्ञदाना प्रयोगे साधु स्यात् ?^७
 १३. संपोभयतस्पाशा रज्जुर्भवति ।^८
 १४. अनुगृहीताः स्मो यैरस्माभिः प्रथमैकवचनमास्थाय गो धुनो प्रतिपेषो न वक्तव्यो भवन्ति ।^९

महाभाष्य के उपमान, न्याय, दृष्टान्त और सूक्तियाँ भी कम मनोरम नहीं हैं। उन्होंने विषय में बड़ी रोचकता उत्पन्न कर दी है। उसके उपमान सुपरिचित हैं और प्रभावशाली भी। उदाहरणार्थ—

(१) नह्ययमनुवन्त्रं अत्यकवच्छक्य उपचेतुम् ।” (२) यदि पुनरिमे वर्णा शकुनिवत् स्युः । शकुनय आशुगामित्वात् पुरस्तादुत्पतिता पश्चाद् दृश्यन्ते ।” (३) यदि पुनरिमे वर्णा आदित्यवत्स्युः । तद्यथा एक आदित्यो नैकाधिकरणम्यो युगपद्वेद्य पृथक्त्वेनूपलभ्यते ।” (४) कथं पुनरसन्नाम लिङ्गं शक्यं द्रष्टुम् ? मृगतृष्णावत् तद्यथा मृगास्तृपिता अयोधाराः पश्यन्ति न च नाः सन्ति ।” गन्धर्वनगराणि यथा दूरतो दृश्यन्ते उपसृत्य च नोपलभ्यन्ते तदवत् खट्वावृक्षयोःसलिलिङ्गं द्रष्टव्यम् । यथाऽऽदित्यस्य गतीं सतीं नोपलभ्यते तद्वत् खट्वावृक्षयोः सलिलिङ्गं नोपलभ्यते । यथा वस्त्रान्तर्हितानि द्रव्याणि नोपलभ्यन्ते तद्वत् खट्वावृक्षयोः सलिलिङ्गं नोपलभ्यते ।” (५) गीयूथवदधिकाराः । तद्यथागीयूथमेकदण्डप्रघट्टितं सर्वसमं घोषं गच्छति तद्वच्चिकाराः ।” (६) अकृतकारि खल्वपि शाम्भ्रमग्निवत् । तद्यथा अग्निर्यदद्रग्धं तद्वहति । कृतकारि खल्वपि धास्य पर्जन्यवत् । तद्यथा पर्जन्यो यावदूनं पूर्णं च सर्वमभिवर्षति ।” (७) व्यजनानि पुनर्नटभार्यावद्भवन्ति । तद्यथा भटानां स्त्रियो रज्जुगा यो यं पृच्छति कस्य यूयं कस्य

१. १-१-४७, पृ० २८७।
 २. १-२-३९, पृ० ५१६।
 ३. १-२-४५, पृ० ५३२।
 ४. १-४-१३, पृ० १४३।
 ५. २-१-२४, पृ० २७९।
 ६. आ० १, पृ० २२
 ७. आ० १, पृ० २०
 ८. ६-१-६८, पृ० ९६।

९. आ० २, पृ० ४४।
 १०. आ० २, पृ० ४०।
 ११. वही।
 १२. आ० २, पृ० ४२।
 १३. ४-१-३, पृ० १७।
 १४. वही, पृ० १८।
 १५. ४-२-७०, पृ० १९४।
 १६. ६-१-१२७, पृ० १०८।

यूय ततं तव तवेत्याहु ।^१ (८) इतरेतराश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते । तद्यथा नौर्नावि बद्धा नेतरन्नाणाय भवति ।^२

उक्त उदाहरणो मे भाष्यकार ने अपने कथन की पुष्टि के लिए प्रतिदिन सम्पर्क मे आने-वाले उपमानो को लेकर उनका अपने ढंग से उपयोग कर लिया है और यह उपयोग इतना समान-गुणक है कि पाठक उसके सहारे बिना तर्क के वक्ता की बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता है । यही स्थिति भाष्य मे प्रयुक्त दृष्टान्तों की है । उपमानो के समान उनके दृष्टान्त भी सुपरिचित और सुग्राह्य है । यथा—

(१) नष्टाश्वदग्धरथवत् । तवाश्वो नष्टो ममापि रथो दग्व उभौ सप्रयुज्यावहा इति । एवमिहापि तवाप्यन्तरतमा प्रकृतिर्नास्ति ममाप्यन्तरतम आदेशो नास्त्यस्तु नौ सम्प्रयोग इति ।^३
(२) अम्यन्तरो हि समुदायस्यावयव । तद्यथा वृक्ष प्रचलन् सहावयवै प्रचलति ।^४ (३) असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे एषा (परिभाषा) लोक्त सिद्धा । प्रत्यङ्गवर्ती लोको सन्दृश्यते । तद्यथा पुरुषोऽयं प्रातस्त्थाय यान्यस्य प्रतिशरीर कार्याणि तानि तावत् करोति । तत मुहूदान्त सम्बन्धिनाम् ।^५ (४) न ह्यन्यस्यासिद्धत्वादन्यस्य प्रादुर्भावो भवति । न हि देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य प्रादुर्भावो भवति ।^६ (५) लोकविज्ञानात् सिद्धम् । लोकेऽमीषा ब्राह्मणानामन्त्यात् पूर्वं आनीयतामित्युक्ते यथा जातीयकोऽन्त्यस्तथा जातीयकोऽन्त्यात् पूर्वं आनीयते ।^७ (६) नञ् प्रयुज्यमान पदार्थं निवर्तयति । कीलप्रतिकीलवत् । तद्यथा कील आहन्यमान प्रतिकील हन्ति ।^८ (७) प्रसक्तस्य चानाभिनिर्वृत्तस्य प्रतिषेधेन निर्वृत्तिः । गव्या कर्तुं नाभिनिर्वृत्तस्य । यो हि भुक्तवन्त ब्रूयान्मा भुङ्क्था इति किं तेन कृतं स्यात् ?^९ (८) न खल्वप्यन्यत् प्रकृतमनुवर्तनादन्यद्भवति । न हि गोधा सपन्ती सर्पणादेवाहिर्भवति ।^{१०} (९) अन्यायमपि प्रकृतमन्यार्थं भवति । तद्यथा शाल्थर्यं कुल्या प्रणीयन्ते ताम्यञ्च पानीय पीयत उपस्पृश्यते च शालयश्च भाव्यन्ते ।^{११} (१०) आमिश्रत्यायमादेश उच्यते स नैव पूर्वग्रहणेन गृह्यते नापि परग्रहणेन । क्षीरोदके सम्पृक्ते आमिश्रत्वात् नैव क्षीरग्रहणेन गृह्यते नाप्युदकग्रहणेन ।^{१२} (११) उभयत आश्रये नान्तादिवत् । तद्यथा लोके यो द्वयोस्तुत्यवलयोरेक प्रेष्यो भवति स तयो पययिण कार्यं करोति । यदा तु तमुभौ युगपत् प्रेषयतो नाना दिक्षु च कार्यं भवतस्तत्र यद्यसावविरोधार्थी भवति तत उभयोर्न करोति ।^{१३}

इस प्रकार भाष्य ने जीवन के सामान्य तथ्यो के सहारे व्याकरण के अनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों और परिभाषाओ की सृष्टि की है । उनके कुछ न्याय तो अत्यन्त प्रसिद्ध हुए । वे भी यद्यपि दृष्टांत ही हैं, किन्तु उनकी अपेक्षा संक्षिप्त तथा विगिष्ट अर्थग्राही । यथा—

१. ६-१-२, पृ० १३ ।
२. १-१-१, पृ० १०२ ।
३. १-१-५०, पृ० ३१३ ।
४. १-१-५६, पृ० ३४० ।
५. १-१-५७, पृ० ३६१ ।
६. १-१-५७, पृ० ३६४ ।
७. १-१-६५, पृ० ४२१ ।

८. २-२-६, पृ० ३३९ ।
९. ६-१-३७, पृ० ६४ ।
१०. ६-१-५०, पृ० ८१ ।
११. वही ।
१२. ६-१-८५, पृ० १२० ।
१३. वही, पृ० १२१ ।

(१) कूपखानकन्याय—कूपखानक. कूप खनन् यद्यपि मृदा पांसुभिश्चावकीर्णो भवति सोऽप्यु सञ्जातासु तत एव त गुण समासादयति येन स च दोषो निर्हण्यते भूयसा चाप्यन्मुदयेन योगो भवति ।^१ (२) कुम्भीधान्याय—यस्य कुम्भ्यामेव धान्य स कुम्भीधान्यः । यस्य पुनः कुम्भ्यां चान्यत्र च नासौ कुम्भीधान्यः^२ । (३) काकतालीयन्याय—काकागमनमिव तालपतनमिवकाक-तालम् । काकतालमिव काकतालीयम् ।^३ (४) प्रासादवासिन्याय—ये प्रासादवासिनो गृह्यन्ते ते प्रासदवासिग्रहणेन । ये भूमिवासिनो गृह्यन्ते ते भूमिवासिग्रहणेन । ये उभयवासिनो गृह्यन्ते ते प्रासादवासिग्रहणेन भूमिवासिग्रहणेनच एवमिहापि^४ । (५) अजाकृपाणीयन्याय—पूर्ववत्^५ । (६) अबिरविकन्याय—तद्यथा अवेमांसमिति विगृह्य अविकशब्दादुत्पत्तिर्भवत्याविकमिति । एव पञ्चसु कपालेषु सस्कृत इति विगृह्य पञ्चकपाल इति भविष्यति पञ्चकपाल्या सस्कृत इति विगृह्य वाक्यमेव ।^६

भाष्य मे अनेक स्थानो पर मनोरम सूक्तियों और कहावतों का, जो जीवन के वास्तविक अनुभव पर आधारित हैं, समावेश हुआ है। कभी-कभी ये सूक्तियाँ और कहावतें सोदाहरण मिलती हैं और कभी साररूप में। भाष्यकार ने इन सूक्तियों का उपयोग अपनी बात की पुष्टि के लिए किया है। उदाहरणार्थ—

(१) द्विवद्ध सुवद्ध भवति ।^१ (२) नहि भिक्षुका सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते नच मृगा सन्तीति यवा नोप्यन्ते ।^२ (३) समान गुण एव स्पर्धा भवति । नह्याड्याभिरुषौ स्पर्धते । (४) अदूरविप्रकर्षं एव स्पर्धा भवति । नहि निष्कधनः शतनिष्कवनेन स्पर्धते ।^३ (५) वै कामाना तृप्तिरस्ति ।^४ (६) बुभुक्षित न प्रतिभाति किञ्चित् ।^५ (७) पर्याप्तो ह्येकं पुलाकः स्थाल्या निदर्शनाय ।^६

भाष्य में प्रयुक्त अनेक शब्द संस्कृत शब्दकोश की अमूल्य निधि है। विशिष्ट अर्थ में और विशिष्ट अवसरों पर प्रयुक्त होनेवाले बहुमूल्य शब्दों और वाक्यांशों से सम्पूर्ण भाष्य भरा पड़ा है। अनेक ऐसे अर्थगर्भित शब्द भाष्य में आये हैं, जिनके लिए सम्पूर्ण वाक्य की आवश्यकता होती। यह एक स्वतन्त्र विषय है, जिसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होना स्वाभाविक है। यहाँ उदाहरणार्थ कुछ शब्द दिये जा रहे हैं—

(१) शब्दगुडमात्रम् (शब्दों की बकवास-भर), (२) उष्ट्रासिका. (ऊँटों की तरह अलग-अलग प्रकार से बैठना), (३) हतशायिका (मरे हुए लोगों की तरह अस्त-व्यस्त पड़े होना), (४) काकपेया नदी (क्षीण, कम जलवाली नदी), (५) सान्यासिक (जैसे का तैसा), (६) वृकवची, (७) आहोपुरुषिका, (८) वहलिट् (चलते-चलते खेत खानेवाला

१. आ० १, पृ० २४।

२. १-३-७, पृ० २७।

३. ५-३-१०६, पृ० ४८०।

४. १-१-७, पृ० १५७।

५. ५-३-१०६, पृ० ४८० (वही)।

६. ४-१-८९, पृ० १०२।

७. ६-१-२२३, पृ० २४३।

८. ४-१-१, पृ० १३।

९. ५-३-५५, पृ० ४४६-४७।

१०. ६-१-८५, पृ० ११९।

११. २-३-२, पृ० ४०५।

१२. १-४-२३, पृ० १५७।

वैल या पशु), (९) सघुष्टक (एक साथ जुए में जुतने वाले जोड़ीदार वैल)। (१०) समाश (सहभोज), (११) प्रत्यङ्गवर्ती लोक (पास की वस्तु को पहले देखनेवाले), (१२) साचीन (टेढा-मेढा), (१३) आर्त्तर (अधिक उपयुक्त), (१४) अक्त परिमाण (निश्चित माप), (१५) पुष्पक (आँख में फुलीवाला व्यक्ति), (१६) कालक (काले चित्तवाला), (१७) कल्माष अथवा सारग (कुछ-कुछ काली, कुछ-कुछ सफेद वस्तु), (१८) उपोद्वलक (दूढ़ करनेवाला), (१९) विपादिका (पैर का फोडा), (२०) व्यसन अथवा विहरण (फोडना या टुकड़े करना), (२१) अपस्किरण (आनन्दित वैल की सीग से भूमि खरीदने की क्रिया, कुत्ते और मुर्गों की पाँव से भूमि कुरेदने की क्रिया), (२२) विप्रलाप (परस्पर विरुद्ध बोलना), (२३) आध्यान (उत्कण्ठापूर्वक स्मरण), (२४) अन्यवसर्ग (यथेच्छ काम करने की अनुज्ञा), (२५) निश्रयिणी (नसेनी, सीढ़ी), (२६) प्रसित (कसकर बँधा हुआ), (२७) प्रजन (सन्तान), (२८) केगक (वालों का शीकीन), (२९) अशक (दायाद), (३०) औदरिक (पेटू)। (३१) पथक (चलने में होशियार), (३२) तन्नक (ताजा बना हुआ वस्त्र), (३३) उष्णक (शीघ्र करने योग्य काम को शीघ्रता से करनेवाला), (३४) शीतक (शीघ्र करने योग्य काम को ढिलाई से करनेवाला), (३५) उष्णिका (लपसी) (३६) पार्श्वक (सीधे ढग से करने योग्य काम को चालाकी या अनूचु उपाय से करनेवाला), (३७) अय शूलिक (मृदु उपाय से करने योग्य कामों को और जबरदस्ती से करनेवाला), (३८) हिमेलु (बिना वर्ष के पर्वत), (३९) शृगारक (सीगवाला), (४०) अंबक्षेपण (कुत्सित काम), (४१) बृहतिका (शाल या चादर), (४२) अवडक्षीण (दो व्यक्तियों के बीच की गुप्त मन्त्रणा), (४३) आशितंगु (गायो द्वारा जिसकी घास चर ली गई है, ऐसा चरागाह), (४४) आवपन (बोने का पात्र), (४५) नीशार (झूल), (४६) घनक (द्रव्य की लालसा)। (४७) युग्म (गाड़ी में जुतने योग्य वैल)। (४८) चचा (स्वार आदि पशुओं को डराने के लिए खेत में घास की बनाई हुई आकृति) (४९) भ्रुकुश (नाटक में स्त्री की भूमिका करनेवाला पुरुष)।

ये शब्द निदर्शनमात्र हैं। भाष्य से ऐसे शब्दों की बड़ी तालिका उपस्थित की जा सकती है और वह आधुनिक भारतीय भाषाओं की श्रीवृद्धि में बड़ी सहायक हो सकती है।

भाष्यकार ने महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों की स्थापना करते समय भी इस बात का ध्यान रखा है कि वे सरलता से सर्वग्राह्य हो सकें। एतदर्थ उन्होंने सर्वत्र लोकविज्ञान या लोक-व्यवहार का आश्रय लिया है। उनके अधिकांश तर्क, चाहे वे पूर्वपक्ष के हों या उत्तरपक्ष के, लोकाचार पर टिके हैं। यदि उन्हें यह कहना हुआ कि प्रत्यय का स्थान निश्चित कर देना चाहिए, अन्यथा वे कभी शब्दों के आदि में, कभी मध्य में और कभी अन्त में होने लगेंगे, तो वे इस बात की पुष्टि के लिए एक सुपरिचित उदाहरण अवश्य देंगे। जैसे, गाय का बछड़ा कभी माँ के आगे, कभी पीछे और कभी पार्श्व में चलता है।^१ ऐसे उदाहरणों के सहारे भाष्य में अनेक परिभाषाएँ और नियम स्थिर किये गये हैं। यथा—

(१) सन्निधोग-शिष्टानामन्यतरापाये उभयोरप्यपाय ।^१

साथ-साथ रहने वालों में एक के न रहने पर दूसरा भी नहीं रहता। जैसे, देवदत्त और यज्ञदत्त को मिलाकर कोई काम करना है। यदि देवदत्त नहीं करेगा, तो यज्ञदत्त भी नहीं करेगा।

(२) सामान्येऽतिदिश्यमाने विशेषोऽतिदिष्टो भवति ।^२

सामान्य का अतिदेश करने पर विशिष्ट का अतिदेश नहीं होता। जैसे इस क्षत्रिय के प्रति ब्राह्मणवद् व्यवहार करना चाहिए, ऐसा कहने पर उसके प्रति वे व्यवहार किये जाते हैं, जो सामान्य ब्राह्मण के योग्य होते हैं। माठर, कौण्डिन्य आदि विशेष ब्राह्मणों के प्रति किये जाने योग्य व्यवहार का अधिकारी वह नहीं होता।

(३) अवेदका अपि गुणा दृश्यन्ते ।^३

गुणवाचक शब्द अव्यवच्छेदक होते हैं। जैसे, एक देवदत्त जटा रखने पर, केश मुँडा लेने पर या शिखा रखने पर भी अपनी आख्या नहीं छोड़ता।

शब्दों के अनेक अर्थों तथा परस्पर समान दिखनेवाले शब्दों के अर्थ-भेद पर भी भाष्यकार ने प्रसंगानुसार विचार किया है, जिससे पता चलता है कि शब्दों के वैज्ञानिक प्रयोग के विषय में वे कितने सतर्क थे। भाष्य से विदित होता है कि (१) नित्य शब्द स्थिर रहनेवाले पदार्थों के लिए व्यवहृत होता है (जैसे नित्या पृथ्वी, नित्य आकाश) और आभीक्ष्ण्य अर्थ में भी प्रयुक्त होता है (जैसे नित्य प्रहसित, नित्य प्रजल्पित) ।^४ (२) जाति और वीप्सा में अन्तर है। जाति एकार्थाश्रया है और वीप्सा अनेकार्थाश्रया ।^५ (३) ग्राम शब्द के अनेक अर्थ हैं। शाला समुदाय अर्थ में 'ग्रामो दग्ध' । वाट-परिक्षेप अर्थ में 'ग्राम प्रविष्ट', मनुष्यों के अर्थ में 'ग्रामो गत' और सारण्य ससीमक सस्थण्डलिक स्थान के अर्थ में 'ग्रामो लब्ध' प्रयोग देखा जाता है ।^६ (४) आदि उसे कहते हैं, जिसके विद्यमान रहने पर उसके बाद कुछ अवश्य हो, किन्तु पहले कुछ न हो और अन्त उसे कहते हैं । जिसके विद्यमान रहने पर उसके पहले कुछ अवश्य हो किन्तु बाद में न हो ।^७ (५) कुत्सन और भर्त्सन में अन्तर है। कुत्सन असूयाजन्य होता है और भर्त्सन क्रोध-जन्य ।^८ (६) आगसा और सभावना में भी अन्तर है। जिस वस्तु की आगसा की जाती है, उसका स्वरूप मन में निश्चित रहता है। किन्तु, उसका मिलना शक्य भी हो सकता है, अशक्य भी। जिस वस्तु की सभावना की जाती है, उसका स्वरूप मन में निश्चित रहता है और उसकी प्राप्ति भी संभव रहती है ।^९ ये दोनों भविष्यत्काल से सम्बन्ध रखती हैं। सभावना एक प्रकार से आगसा की अवयवभूता है। (७) विधि और अवीष्ट में भी भेद है। विधि प्रेषण या आज्ञा देने को कहते हैं और अवीष्ट बड़े लोगों को सत्कार-पूर्वक कोई काम करने को

१. ४-१-३६, पृ० ५४ ।

२. ६-३-६८, पृ० ३४५ ।

३. १-१-१, पृ० १०५ ।

४. आ० १, पृ० १४ ।

५. ८-१-४, पृ० २६६ ।

६. १-१-३६७, पृ० १५५ ।

७. १-१-२१, पृ० १९९ ।

८. ८-१-८, पृ० २७० ।

९. ३-३-१३३, पृ० ३२३ ।

कहने का नाम है। (८) निमन्त्रण सन्निहित को बुलाने और आमन्त्रण दूरस्थ को बुलाने के लिए प्रयुक्त होता है। निमन्त्रण नियोगत. (आवश्यक) स्वीकार्य है और आमन्त्रण स्वेच्छा-पूर्वक।^१ (९) पर शब्द के अनेक अर्थ हैं। व्यवस्था अर्थ में 'पूर्व पर' आदि, अन्यार्थ में परपुत्र, परभार्या और प्राधान्य अर्थ में 'परमिय ब्राह्मणी अस्मिन् कुटुम्बे' और इष्ट अर्थ में 'पर धाम गत.' प्रयोग प्रचलित है।^२ (१०) इसी प्रकार एक शब्द भी बहुवर्थक है। सख्यावाची तो विदित ही है। असहाय अर्थ में 'एकाग्नि, एकानिमि क्षुद्रकैजितम्' और अन्य अर्थ में 'सवरमादो धुम्न एकास्ता' प्रयोग प्रसिद्ध है।^३ (११) अवयवश आख्यान का नाम व्याख्यान है।^४ (१२) वृष और वृषन्, ब्रह्मन् और ब्राह्मण पर्याय है।^५ (१३) भोग शब्द शरीर-वाची भी है।^६ (१३) पूर्वपुरुषो के निवासस्थान को अभिजन और अपने निवास-स्थान को निवास कहना चाहिए आदि।^७

महाभाष्य की मौलिक देन—व्याकरण के क्षेत्र में महाभाष्य की मौलिक देन सर्वोपरि है। शुष्क सिद्धान्तों को लोकश्रय, लोकविज्ञान या लोक-व्यवहार के आधार पर सर्व-बुद्धि-गम्य बना देने का श्रेय तो उसे (महाभाष्य को) है ही, मौलिक विचारों का समावेश कर व्याकरण को दर्शन का स्वरूप प्रदान करने का गौरव भी उसे प्राप्त है। महाभाष्य के प्रारम्भ में ही शब्द की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि लोक में उस ध्वनि को शब्द कहते हैं, जिससे व्यवहार में पदार्थ का ज्ञान हो। ध्वनि करनेवाले बालक को लोग 'गव्दकारी' कहते हैं। इसलिए, ध्वनि ही शब्द है। यह ध्वनि वास्तव में स्फोट की दर्शक है। शब्द नित्य है और अर्थ उस नित्य शब्द का ही होता है। इस नित्य शब्द की ही स्फोट सज्ञा है। स्फोट की न उत्पत्ति होती है और न नाश। बोलते समय ध्वनि द्वारा उस नित्य स्फोट-रूपी शब्द का प्रकाशनमात्र होता है और वहीं श्रोता के मन में अपना अर्थबोध कराता है।^१ इस दृष्टि से शब्द के दो भेद किये जा सकते हैं—नित्य और कार्य। स्फोट-रूपी शब्द नित्य और ध्वनि-रूपी शब्द कार्य या उत्पाद्य होता है।^२ सग्रहकार व्याडि ने इस विषय पर विशद विवेचन किया था और व्याकरण में गव्द-निष्पत्ति की दृष्टि से उसके नित्यत्व और कार्यत्व दोनों पक्षों को स्वीकार किया था। पाणिनि ने भी इन दोनों मतों का समन्वय कर सूत्र-रचना की थी। भाष्यकार ने भी स्फोट और ध्वनि इन शब्दों के दो स्वरूप स्वीकार किये^३ और शब्द तथा अर्थ के सम्बन्ध को नित्य माना।^४

१. ३-३-१६१, पृ० ३३५।

५. ५-१-७, पृ० २९९।

२. १-४२, पृ० ११४।

६. ५-१-९, पृ० ३००।

३. १-४-२१, पृ० १५०।

७. ४-३-९०, पृ० २४४।

४. ४-३-६६, पृ० २३९।

८. अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द उच्यते। शब्दकार्यं माणवक इति ध्वनिं कुर्वन्नेवमुच्यते।—आ० १, पृ० २।

९. द्वौ शब्दात्मनौ नित्यः कार्यश्च।—आ० १, पृ० ७।

१०. किं पुनराकृतिः पदार्थं आहो... उभययापि लक्षणं प्रवर्त्यम्।—आ० १, पृ० १३।

११. आ० १, पृ० १७।

शब्द के नित्य होने के कारण ही वर्ण भी गूढरथ, अविचाली तथा अपाय, उपजन और विकार से रहित है। यद्यपि दण्ड शब्द का प्रथम और द्वितीय प्रकार भिन्न है। काल-व्यवसाय और शब्द-व्यवसाय के कारण भिन्न-भिन्न दिखानेवाले वर्ण एकात्म होकर भी भिन्न है। एकात्म शब्द में व्यवसाय औपाधिक भले हों, चारतकिक नहीं हों मरता। इसीलिए, आगम के कारण शब्द में विकार आता देगकर भाष्यकार ने आगम को भी आदेश माना और सम्पूर्ण शब्द के स्थान में सम्पूर्ण शब्दान्तर को आदेश रचीकार किया। 'नचं सर्वपदादेशा' का सिद्धान्त इसी तथ्य पर आनृत है, अन्यथा एत-देश-विकार के कारण शब्द की नित्यता नहीं ठहर सकती थी। जित प्रकार शीघ्र उजनेवाले पक्षी एक क्षण में एक स्थान पर और दूसरे क्षण में अन्य स्थान पर दिगार्द देते हैं अथवा जिस प्रकार एक मूयं अनेकाधिकरणमय होने के कारण एक नाथ पृथक्-पृथक् स्थानों पर दिगार्द देता है, उग प्रकार एक वर्ण स्थान-भेद के कारण भिन्न नहीं होता। वास्तव में, शब्द श्रोग द्वारा प्राप्त किया जानेवाला, बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जानेवाला, ध्वनि द्वारा प्रकाशित होनेवाला और आकाश में रहनेवाला विशिष्ट तत्त्व है। आकाश के एक होने के कारण शब्द ही एक है, किन्तु आकाश-देशों के अनेक होने के कारण वर्ण अनेक है। 'व्यावहारिक दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं—जाति-शब्द, गुण-शब्द, क्रिया-शब्द और यदृच्छा-शब्द। यदृच्छा-शब्दों का अन्तर्भाव क्रिया-शब्दों में मान लिया जाय, तो तीन ही प्रकार के शब्द रह जाते हैं।' किन्तु, यह बात उन्ही आचार्यों के मत में गगत ही नहीं है, जो प्रत्येक शब्द को आन्वयात्मक मानते हैं। ऐसे ही शब्दों की निष्पत्ति के लिए पाणिनि को उणादि प्रत्ययों की कल्पना करनी पड़ी। भाष्यकार ने इन्हें अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माना है। 'शब्द या स्फोट को नित्य मानकर ही उन्होंने अक्षर को 'नष्ट न होनेवाला' अथवा 'व्याप्त करनेवाला' कहा है। अक्षर को पूर्वाचार्यों ने अपने सूत्रों में वर्ण सजा दी है। नित्यत्व और व्यापकत्व की दृष्टि से ही शब्द ब्रह्म कहा जाता है। अक्षर-नामान्नाय ही ब्रह्मराशि है। उगी पर सारा वाक्-मगाम्नाय अवलम्बित है। यह अक्षर सामान्या-रूपी ब्रह्मराशि शब्द-शास्त्र के ज्ञान से पुणित और सायु शब्दों के प्रयोग से फलित होती है और चन्द्र तथा तारों के समान अनादि काल में भास्वर चली जाती है। इसके ज्ञान से सर्ववेद-पुण्य-फल की प्राप्ति होती है।' इसीलिए, भाष्यकार के मत से एक भी शास्त्र-सम्मत

१. तत्र शब्दान्तराच्छब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिर्युक्ता। आदेशास्तर्हि मे भविष्यन्त्यनागमकाना सागमकाः।—१-१-२०, पृ० १९६।

२. सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः।

एकदेश विकारे हि नित्यत्व नोपपद्यते ॥ (वही)।

३. नित्येषु च शब्देषु षट्स्थैरविचालिभिवर्णैर्भवितव्यमनपयोपजनविकारिभिः।—आ०; ओत्रोपलब्धिर्बुद्धिनिर्वाहः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः एकं च पुनराकाशम्। आकाशदेशा अपि बहवः यावता बहवस्तस्मादन्यभाव्यमकारस्य।—आ० १, पृ० ४२।

४. आ० २, पृ० ४५, ४७।

५. उणादयोऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि।—७-२-८, पृ० १०६।

६. न क्षीयते न क्षरतीति वाक्षरम्। अश्नुते इत्यक्षरम् अथवा पूर्वसूत्रे वर्णस्याक्षरमिति

शब्द का सम्यक् ज्ञान और सुष्ठु प्रयोग स्वर्ग और लोक में कामधुक् होता है।' शब्द के नित्य होने पर व्याकरण-शास्त्र की उपयोगिता 'निवर्तक' होने में है। वह अनिष्ट और इष्ट का नियमन करना है।' नैयायिकों के अनुसार, जो शब्द को अनित्य मानते हैं, व्याकरण का लक्ष्य शब्द-सिद्धि है।

स्फोट वर्ण नित्य है। वे उत्पन्न नहीं होते, व्यजक ध्वनि के उच्चारण से अभिव्यक्त होते हैं। ध्वनि-रूप वर्ण का प्रध्वस होता है। इसी दृष्टि से वाणी एकैकवर्णवृत्तिनी कही जाती है; क्योंकि वह अग्रिम वर्ण बोलते समय प्रथम का त्याग कर देती है और वह प्रध्वस्त हो जाता है।^१ उच्चारण द्रुत, विलम्बित और मध्य वृत्तियों के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। द्रुतवृत्ति से उच्चारित वर्ण का उच्चारण यदि मध्यम वृत्ति से किया जाय, तो उसमें एक तिहाई समय अधिक लगता है। इसी प्रकार, यदि मध्यम वृत्ति से उच्चारित वर्ण को विलम्बित वृत्ति से बोला जाय, तो भी एक तिहाई समय अधिक लगेगा, फिर भी तीनों स्थितियों में वर्ण का स्वरूप एक ही रहता है। उच्चारण के भेद से उत्पन्न अन्तर ऐसा ही है, जैसे एक ही मार्ग को पदाति देर में पार करता है, आश्विक उससे कम समय में और रथिक उससे भी कम समय में।^२ उच्चारण-क्रिया से उत्पन्न होनेवाली ध्वनि नित्य शब्द की व्यजक है। स्फोट शब्द है और ध्वनि शब्द का गुण। जैसे, कोई नगाडा बजानेवाला नगाड़े पर चोट मारकर आगे चलता हुआ बीस डग तक उस नगाड़े की ध्वनि सुन सकता है। किसी को तीस डग चलने तक नगाड़े की ध्वनि सुनाई देती रहती है और किसी को चालीस डग तक। स्फोट तीनों स्थितियों में समान होता है, अन्तर उसकी ध्वनि में होता है। इसी प्रकार शब्द का स्वरूप एक रहता है। ध्वनि-भेद से द्रुत विलम्बित और मध्य वृत्तियों में भेद प्रतीत होता है।^३

पाणिनि के समय से ही शब्द की नित्यता और कार्यता को लेकर विचारकों में दो दल हो गये थे। भाष्यकार ने ४-४-१ सूत्र के भाष्य में नैत्य शाब्दिक और कार्य शाब्दिक सम्प्रदायों का उल्लेख किया है। पाणिनि ने अपनी सामान्य समन्वयवादिनी नीति के अनुसार दोनों पक्षों को स्वीकार किया। व्याडि और पतञ्जलि ने दोनों पक्षों को दार्शनिकता की कोटि तक पहुँचाकर उनके सामंजस्य का उपर्युक्त मार्ग ढूँढ निकाला। व्यावहारिक रूप से भी उन्होंने इस प्रकार शब्द-निष्पत्ति की, जो दोनों पक्षों को ग्राह्य हो सके। तदनुसार ही उन्होंने वर्णों के अर्थवच्च और निरर्थकत्व के विषय में भी दोनों पक्षों का समर्थन किया। वर्ण अर्थवान् है। एक वर्णवाली

सना क्रियते। सोऽयमक्षरसमान्नायो वाक्समान्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः—आ० २, पृ० ११।

१. ६-१-८४, पृ० ११९।

३. ६-३-५९, पृ० ३३९।

२. १-१-१, पृ० १०२।

४. १-१-७०, पृ० ४४४।

५. स्फोटः शब्दो ध्वनिः शब्दगुणः। कथम् भेदं भिषानवत्—स्फोटश्च तावानेव ध्वनिकता वृत्तिः। ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते अल्पो महांश्च केषाञ्चिद्बुभयं तत्त्व-भावतः।—१-१-७०, पृ० ४४५।

६. १-१-४४, पृ० २६० से।

घातुर्दे, प्रातिपदिक, प्रत्यय तथा निपात सार्थक होते हैं। शब्दों में वर्ण-व्यत्यय से अर्थ बदल जाता है कूप, सूप और यूप के अर्थ में अन्तर क्, स् और य् के अन्तर के कारण ही तो है। वर्ण के निकाल देने पर शब्द का यह अर्थ नहीं रह जाता। वृक्ष में से व् निकाल देने पर ऋक्ष से वह अर्थ उलब्ध नहीं होता। वृक्ष का अर्थ ही पूर्णतया नष्ट हो जाता है। अनेक वर्णों का सघात सार्थक होता है और जिनका सघात सार्थक होता है, उनके अवयव भी सार्थक होते हैं। इसी प्रकार, जिनके अवयव निरर्थक होते हैं, उनका सघात भी निरर्थक होता है। एक अन्धा नहीं देख सकता, तो सैकड़ों अन्धे भी मिलकर नहीं देख सकते। यही स्थिति बालुका-कणों की है। चक्षुष्मान् अकेला देख सकता है, तो उनका समुदाय देख भी सकता है। तिल अकेला तैलवान् होता है और उनका समूह भी। दूसरी ओर वर्ण अनर्थक भी पाये जाते हैं। उनमें प्रतिवर्ण से अर्थ की उपलब्धि नहीं होती। वर्ण के व्यत्यय, अपाय, उपजन और विकार होने पर भी शब्दों के अर्थ में अन्तर नहीं आता। कृत्, कस् और हिस् घातुओं और उनसे बने तर्कु, सिकता और सिह शब्दों के अर्थ में वर्ण-व्यत्यय होने पर भी अन्तर नहीं पड़ता। 'घ्नन्ति' में वर्ण-लोप, 'लविता' में वपागम और 'घातक' में वर्ण-विकार होने पर भी अर्थ में विकार नहीं आता। इससे स्पष्ट है कि वर्ण सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी। जिस प्रकार कई विद्यार्थी गुरु के पास अध्ययन करते हैं, उनमें कुछ फलवान् होते हैं और कुछ अफल। इसी प्रकार, कुछ वर्ण सार्थक और कुछ निरर्थक होते हैं।^१

पतञ्जलि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य मानते हैं और शब्द में अर्थाभिधान की शक्ति स्वाभाविक है, यह भी स्वीकार करते हैं^२, क्योंकि लोक में एक-एक अर्थ को लेकर उसके लिए शब्द का प्रयोग देखा जाता है।^३

भाष्यकार ने पद के चार अर्थ माने हैं—गुण, क्रिया, आकृति और द्रव्य। आकृति को ही जाति कहते हैं जो द्रव्य के भिन्न या छिन्न होने पर भिन्न या छिन्न नहीं होती।^४ यह सामान्यभूत पदार्थ है और नित्य है। एक द्रव्य में उपरत होने पर भी वह अन्य द्रव्यों में बनी रहती है। यद्यपि 'ध्रुव, कूटस्थ, अविचाली, अनपायोपजनविकारी, अनुत्पत्त्यवृद्धचञ्चलयोगी' यह नित्य की परिभाषा आकृति में घटित नहीं होती, क्योंकि पिण्डरूप मूर्तिका की पिण्डाकृति को मिटाकर घटिका बनाई जाती है एवं घटिकाकृति को मिटाकर कुण्डिका। उसी प्रकार, सुवर्ण की पिण्डाकृति को मिटाकर रुचक बनाये जाते हैं, रुचकाकृति को मिटाकर कट्ठ, कटकाकृति को मिटाकर स्वस्तिक और उसको मिटाकर कुण्डल बनाते हैं। इस प्रकार, आकृति बदलती रहती है, किन्तु द्रव्य वही रहता है। इसलिए, जिसमें तत्त्व या तद्भाव नष्ट न हो, उसे भी नित्य

१. आ० २, माहे० सू० ५, पृ० ७५-८९।

२. स्वाभाविकमभिधानम्—१-२-६४, पृ० ५८६।

३. आ० १, पृ० १७।

४. यत्तर्हि तद्भिन्नेष्वभिन्नं छिन्नेष्वछिन्नं सामान्यभूतं स शब्दः? नेत्याह आकृतीनपि सा-

मानना चाहिए। आकृति या जाति मे भी तत्त्व तो बना ही रहता है।^१ गुण और क्रिया द्रव्य में ही रहती है। अतः, मुख्य रूप से जाति या व्यक्ति (द्रव्य) मे पदार्थ किसे मानना चाहिए, इस विषय मे वैयाकरणो के भिन्न मत थे। व्याडि द्रव्याभिधानवादी थे।^२ द्रव्याभिधानवादियो का कहना था कि प्रत्येक अर्थ (द्रव्य) के लिए शब्द नियत है। अतः प्रत्यर्थ (प्रत्येक अर्थ के लिए) शब्दाभिनिवेश होता है। इसलिए, एक शब्द से अनेक द्रव्यों का अभिधान सम्भव नहीं है। द्रव्य पदार्थ मानने से ही शब्दो के लिंग-वचन सिद्ध होते है। आकृति अर्थ मानने पर 'गो पशु को बाँधना चाहिए' यह वाक्य ही अर्थ हो जायगा। द्रव्य पदार्थ मानने से विगिण्ट गो बाँधी जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोई भी एक (उदाहरणार्थ देवदत्त) एक साथ अनेकाधिकरणस्य नहीं हो सकता। फिर, जाति एक होकर एक साथ अनेक स्थानो मे कैसे रह सकती है। उत्पत्ति और विनाश के प्रसंग मे भी आकृति अर्थ उपयुक्त नहीं हो सकता। श्वा या गो के उत्पन्न और विनष्ट होने से सारी श्वान या गो-जाति को एक साथ उत्पन्न या नष्ट होते नहीं देखा जाता। एक जाति के अनेक व्यक्तियो मे वैरूप्य भी देखा जाता है। कोई वैल खण्ड होता है और कोई मुण्ड।^३ जाति किसी श्रेणी के सब द्रव्यो को मिलाकर एक होती है और उसका आश्रय उसका अभिव्यजक या प्रकाशक होता है। अर्थात्, सब आश्रयभूत व्यक्ति उसका प्रकाशन करते हैं। ऐसी स्थिति मे एक व्यक्ति के नष्ट होने पर उसका प्रकाशन बन्द हो जाना चाहिए और एक भी व्यक्ति के उत्पन्न होने पर उस जाति की उत्पत्ति मानी जानी चाहिए। गोत्व जाति के प्रकाशन के लिए अतीत, अनागत और वर्त्तमान के अनन्त गो व्यक्तियों का होना आवश्यक होगा। इस प्रकार, सारा ससार गो-व्यक्तियों से ही भर जायगा।

आचार्य वाजप्यायन जातिवादी थे। वे एक आकृति का अभिधान स्वाभाविक मानते थे। उनका कथन था कि गो कहने पर शुकल, नील, पीत आदि विशिष्ट रंग की गाय मन मे नहीं आती। सब गो-समूह के विषय मे एक-सी बुद्धि बनती है। इसीलिए यदि किसी को किसी विशिष्ट स्थान और काल मे एक गाय दिखा दी जाय, तो वह अन्य देश, काल और वयोऽवस्था मे अन्य गो को देखकर उसे गो ही समझ लेता है। इसीलिए, जब कहा जाता है कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए या सुरा नहीं पीनी चाहिए, तो किसी भी ब्राह्मण का वध और किसी भी सुरा का पान निषिद्ध माना जाता है। यदि पदार्थ द्रव्य होता, तो एक ब्राह्मण को न मारकर और एक सुरा को न पीकर काम चलाया जा सकता था। शब्द से यदि व्यक्ति का बोध हुआ, तो जाति का बोध नहीं होगा और जब शब्द की शक्ति एक व्यक्ति का बोध कराकर क्षीण हो जायगी, अन्य व्यक्तियों का बोध उससे न हो सकेगा।^४

१. आ० १ पृ० १७।

२. द्रव्याभिधानं व्याडिराचार्यो न्याय्यं मन्यते—द्रव्यमभिधीयते इति।—१-२-६४, वा० ४५, पृ० ५९०।

३. प्रत्यर्थं शब्दनिवेशादेतस्मात् कारणात्नेकेन शब्देनानेकस्यार्थस्याभिधानं प्राप्नोति—वही, वा० १, पृ० ५६५।

४. वही, वा० ४६ से ५०, पृ० ५९०-९१।

५. १-२-६४, वा० ३५ से ४०, पृ० ५८६ से ८८।

भाष्यकार ने दोनों पक्षों पर सविस्तर प्रकाश डाला है और दोनों का औचित्य स्वीकार किया है। उनके मत से पाणिनि भी दोनों पक्षों को स्वीकार करते थे।^१ पतञ्जलि के मत से शब्द न केवल जाति और न केवल व्यक्ति का, अपिणु जाति और व्यक्ति दोनों का निर्देशक है। उसमें कभी जाति और कभी व्यक्ति अर्थ का प्राधान्य रहता है। जब व्यक्ति अर्थप्रधान रहता है, तब जाति गौण हो जाती है और बहुवचनादि का प्रयोग सगत होता है। जब जाति प्रधान होती है और व्यक्ति अप्रधान, तब शब्द में एकवचन का प्रयोग न्याय माना जाता है। इस प्रकार, 'सम्पन्नो यव' और 'सम्पन्नो यवा' दोनों प्रयोग साधु माने जाते हैं।^२

जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्थावृत्ति, अन्वय-व्यतिरेक, सज्ञा और सज्ञी, गुणो का भेदकत्वाभेदकत्व, काल-विभाग, क्रिया, जाति, गुण, द्रव्य आदि के विषय में विचार करते समय भी पतञ्जलि ने अनेक मौलिक विचार प्रकट किये हैं। शब्दों के प्रयोग, वाक्य में शब्दों का स्थान, सामर्थ्य, शब्दों के नियतविषयत्वादि के सम्बन्ध में उनके द्वारा व्यक्त विचार किसी भी भाषा पर लागू होते हैं। उनके मत से लिंग का अनुशासन व्याकरण नहीं कर सकता। वह सर्वथा लोकाश्रित होता है।^३ यही बात शब्द-प्रयोग के विषय में है। व्याकरण का काम व्यवस्था करना है।^४ वह सस्कार कर पदों को व्यवहार के योग्य बतला देता है। लोक एक पद का दूसरे पद के साथ यथेष्ट सम्बन्ध जोड़कर प्रयोग करता है।^५ पद की शुद्धि से व्याकरण का सम्बन्ध है। प्रयोग लोक का अधिकार है। उदाहरणार्थ, प्लक्ष और न्यग्रोध को ले। अर्थ की दृष्टि से दोनों में कोई अन्तर नहीं है। प्लक्ष न्यग्रोध है और न्यग्रोध प्लक्ष। फिर भी, लोक में ये दोनों दो अलग वृक्षों के लिए व्यवहृत होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि 'कारणाद् द्रव्ये शब्द-निवेश' की अपेक्षा 'दर्शन हेतु' का सिद्धान्त अधिक ठीक है। वास्तव में, शब्द 'नियतविषय' होते हैं। उदाहरणार्थ, गाय और अश्व दोनों का रंग लाल होने पर भी गाय को लोहित कहा जाता है और अश्व को शोण, समान रूप से काला रंग होने पर भी गो कृष्ण और अश्व हेम कहलाता है। इसी प्रकार, तुल्य रूप से शुक्ल वर्ण होने पर भी गो श्वेत कही जाती है और अश्व कर्क।^६ यह भी देखा जाता है कि लोग सुविधा के लिए पूर्ण वाक्य के स्थान पर वाक्य के एकदेश और पूर्ण शब्द के स्थान पर शब्द के एक देश से ही काम चला लेते हैं। विवक्षा के अनुसार एक देश या सम्पूर्ण का प्रयोग होता है। विवक्षा दो प्रकार की होती है—प्रायोक्त्री और लौकिकी। प्रायोक्त्री विवक्षा वह है, जिसमें वक्ता मृदु, स्निग्ध और श्लक्ष्ण वाणी से स्वयं मृदु, स्निग्ध और श्लक्ष्ण शब्दों द्वारा कोई बात कहे। लौकिकी विवक्षा प्रायः सामान्य लोगों में प्रचलित ढंग को

१. आ० १ पृ० १३।

२. जातिशब्देन हि द्रव्यमप्यभिधीयते जातिरपि—तद्यदा द्रव्याभिधानं तदा बहुवचन भविष्यति यदा सामान्याभिधानं तदैकवचन भविष्यति।—१-२-५८, पृ० ५५९।

३. २-१-३६, पृ० २९३

४. शास्त्रेण नाम व्यवस्थाकारिणा भवितव्यम्।—३-१-९१, पृ० १६४।

५. संस्कृत्य संस्कृत्या पदान्युत्सृज्यन्ते तेषां यथेष्टमभिसम्बन्धो भवति।—१-१-१, पृ० ९८।

६. २-२-२९, वा० १० से १३, पृ० ३८४।

कहते हैं। लोक और प्राय समानार्थी समझने चाहिए।^१ जो भी वाक्य बोला जाय, वह स्वयं मे पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि सापेक्ष वाक्य अर्थ-व्यक्ति में असमर्थ होता है।^२

पतञ्जलि अपनी अद्वितीय प्रतिभा और विद्वत्ता के बल से शीघ्र ही आचार्य-परम्परा में सर्वाधिक प्रमाण माने जाने लगे। व्याकरण-शास्त्र में महाभाष्य का शब्द आप्त बन गया और न केवल महाभाष्य-विरोधी, अपितु महाभाष्यानुक्त तक अप्रामाण्य की कोटि में गिना जाने लगा। इसीलिए, उन्होंने 'इष्टमेवैतत्सगृहीत भवति' कहकर जिन पाणिनि-कात्यायानानुक्त वातों को ग्राह्य कह दिया, वे तो ग्राह्य हो गईं, किन्तु जिन बातों को न कह सके और परवर्ती वैयाकरणों ने सगृहीत कर लिया, वे ग्राह्य न बन पाईं। उदाहरणार्थ, काशिकाकार ने बहुव्रीहि स्त्रीलिङ्ग में जो मृद्वगी, मृद्वगा, सुगात्री सुगात्रा, स्निग्धकण्ठी, स्निग्धकण्ठा ये दो-दो रूप माने थे, उन्हें मट्टोजिदीक्षित आदि ने 'भाष्यानुक्त' कहकर अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार, काशिकाकार ने मुनित्रय द्वारा अनुक्त, किन्तु काव्यों में प्रयुक्त शब्दों के लिए जो नवीन वचन दिये, उन्हें भी कैयटादि ने भाष्यानुक्त होने के कारण अप्रमाण ठहरा दिया।^३

महाभाष्यकार पतञ्जलि

जीवन-चरित—महाभाष्यकार पतञ्जलि के जीवन के विषय में प्रमाणित सामग्री उपलब्ध नहीं है। रामभद्र दीक्षित के 'पतञ्जलि-चरित' के अनुसार वे शेष के अवतार थे। एक बार भगवान् विष्णु शिव के ताण्डव नृत्य को मनश्चक्षुओं से देखते देखते ध्यान-मग्न हो गये। उनके स्थिर भाव से शेषनाग को अत्यन्त त्रास हुआ। ध्यान टूटने पर शेष ने विष्णु से उनके अपूर्व गुह्यकार का कारण पूछा। विष्णु द्वारा मनोरम वर्णन सुनकर शेष के मन में भी ताण्डव देखने की इच्छा जागरित हुई। शेष के प्रार्थना करने पर विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि भगवान् नीलकण्ठ की कृपा से पाणिनि ने व्याकरण-शास्त्र तथा कात्यायन ने उस पर वार्तिकों की रचना की है। वे वार्तिक अत्यन्त कठिन हैं। नीलकण्ठ भगवान् तुम्हें उन वार्तिकों का भाष्य करने की आज्ञा देगे। तब तुम उनकी आज्ञा से भूतल पर अवतार लेकर चिदम्बर-क्षेत्र को जाओगे और वहाँ शिव-नृत्य का दर्शन करोगे।^४

तदनुसार, पृथ्वीतल पर योग्य माता की चिन्ता में धूमते हुए एक तपोवन में शेष ने गौणिका नाम की मुनि-कन्या को देखा, जो पुत्र-प्राप्ति की कामना से अखण्ड तप में सलग्न थी।

१. ५-१-१६, पृ० ३०६।

२. सापेक्षमसमर्थं भवति।—५-१-११९ पृ० ३५९।

३. २-४-७४, ४-१-७४, ४-१-८७ आदि।

४. यथा ईद्वेद्विवचनप्रगृह्यम्, १-१-११ पर मणीवादीनां प्रतिषेधोक्तव्यः।

५. भाष्यवार्त्तिकाराभ्यामपठितत्वात्प्रमाणमेतत्।—कैयट।

६. भोगोन्द्र तेषां भुविवार्त्तिकानामशेषविद्वज्जनदुर्ग्रहाणाम्।—
भाष्यं महत् कुविति भवत्तरक्षी नियोक्ष्यते त्वां किलनीलकण्ठेः॥

तदा नियोगास्तत्तत्क्षण्णुमौलैर्बरातलेत्वं विहितावतारः।

चिदम्बरक्षेत्रगतः पवित्रं नभोत्सवं द्रक्ष्यति नृत्तमैशम्॥—पत० चरित, १-६३, ६४।

उसे देखकर शेष ने मन में उसे मातृरूप में स्वीकार कर लिया। और, एक दिन जब वह भगवान् अशुमाली को अर्घ्य दे रही थी, वे तापस का रूप धारण कर उसकी अञ्जलि से नीचे गिर पड़े।^१ और फिर, ज्यो ही प्रणाम के लिए माता के चरणों पर नुके कि उतने उठाकर कहा—तुम मेरी अञ्जलि से नीचे गिरे हो, अतः तुम्हारा नाम पतञ्जलि होगा।^२ पतञ्जलि बाल्यावस्था में ही तप के लिए चल दिये और अपनी अखण्ड तपस्या से शिव को प्रसन्न कर उन्होंने चिदम्बर-तीर्थ में शिव-नृत्य देखा। यही शिव ने उन्हें पदशास्त्र वार्त्तिको का भाष्य करने का आदेश दिया। तदनुसार, पतञ्जलि ने कात्यायन के वार्त्तिको का भाष्य किया। यह भाष्य इतना प्रसिद्ध हुआ कि सहस्रों की सख्या में पण्डित लोग उनके पास अध्ययन के लिए आने लगे। पतञ्जलि अपने और शिष्यों के बीच एक मोटा परदा डालकर अपने शरीर को गुप्त रखते हुए उन सबको एक साथ पढ़ाने लगे।^३ वे फणित रूप में सहस्र मुखों से एक साथ पढ़ाते थे। इसलिए, उन्होंने शिष्यों से कह दिया कि जो कोई इस परदे को उठाकर भीतर झाँकेगा वह मेरा अप्रसाद-भाजन होगा। वे वार्त्तिको में कुछ को कम करते हुए, कुछ को यथावत् ग्रहण करते हुए और कुछ को व्याख्या द्वारा और समुज्ज्वल बनाते हुए पढ़ाने लगे।^४ एक बार छात्रों से न रहा गया। वे इस बात का रहस्य जानने को आतुर हो उठे कि ये प्रत्येक छात्र को एक ही काल में अलग-अलग कैसे पढ़ाते हैं और उत्सुकतावश उन्होंने परदा उठा दिया। परदा उठाते ही वे शेष रूप के तेज से दम्ब होकर कामदेव-जैसी दशा को प्राप्त हुए। केवल एक विद्यार्थी जो बाहर जल लेने गया था, दम्ब रहा। उसे भी बिना आज्ञा बाहर जाने के कारण ऋषि ने राक्षस-शरीर पाने का शाप दिया, किन्तु पश्चात् अनुनय से प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हें जो विद्वान् मिले, उनसे पश्चात् का निष्ठा-प्रत्यय में रूप पूछना और जो विद्वान् शुद्ध उत्तर दे, उसे मेरा महाभाष्य पढ़ाना। तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद पतञ्जलि वहाँ से तिरोहित हो गये और फिर उन्होंने योगसूत्र एवं वैद्यक-शास्त्र पर वार्त्तिको की रचना की। पश्चात् उन्होंने गोवर्द्ध देश में जाकर जननी (गोणिका) को प्रणाम किया और उसके स्वर्गस्थ हो जाने पर वे शेष रूप को प्राप्त हो गये।^५

१. तत्र काऽपि ददृशे मुनिकन्या गोणिकेति गुणसिन्धुरनेन । या हि यापयति पुत्रनिमित्तं वारुणेन तपसा दिवसानि । सम्भूतार्घ्यं जलमञ्जलिमुच्चैः सा सहस्रकिरण प्रति देवम् । यावदुत्क्षिपति तावदभुम्भस्तापसाकृतिरहिः संपपात ।—बही, २-७-११ ।

२. त तदाभिवदितुं प्रणतं प्राङ् नापतस्य जननी विततान । यत्पतन्नभवदञ्जलितोऽसौ तत्पतञ्जलिरिति प्रथिमानम् ।—बही, २-१९ ।

३. तदनु यवनिकां वितत्य गूर्धं धपुरनया च पतञ्जलिर्निषाय उपविशत बहिस्तिरस्क-रिष्या. पठत कृतिं च ममेति तानुवाच ।—बही, ५-५ ।

४. किमपि विघटयन् किमप्यनुज्ज्वलन् किमपि समुज्ज्वलयंश्च वार्त्तिकेषु—बही, ५-१२ ।

५. सूत्राणि योगशास्त्रे वैद्यकशास्त्रे च वार्त्तिकानि ततः कृत्वा पञ्जलिमुनिः । प्रचारयामास जगदिदं त्रातुम् । गोवर्द्धस्थं देशं प्राप्य नमस्कृत्य गोणिकां जननीम् तस्यां त्रिविद्यगतायां तस्थौ शेषः स्वयं स मुनिः ।—बही, ५-२५, २६ ।

पतञ्जलि-चरित काव्य है। अतः, स्वाभाविक है कि उसका कथानक कल्पनावर्षों पर आश्रित हो, फिर भी इससे इतना स्पष्ट होता है कि पतञ्जलि की माता का नाम गौणिका या और वे गोन्दर्द के निवासी थे। वे चिदम्बरम् मे भी रहे और वही उन्होंने महाभाष्य की रचना की। भर्तृहरि का यह कथन कि महाभाष्य की प्रति केवल दाक्षिणात्य प्रदेश मे ही ज्ञेय रह गई थी, भाष्य का दक्षिण भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध अवश्य सूचित करता है, यद्यपि इसमे यह भी सकेत निहित है कि भाष्यकार दक्षिण के नहीं थे।^१ सभव है, इस सुदूर प्रदेश मे वे गोन्दर्दिय नाम से भी प्रख्यात रहे हो।

लघुभाष्य-विषयक किंवदन्ती—कुछ विद्वान् महाभाष्य को गोन्दर्दिय-विरचित लघुभाष्य का विस्तृत रूप मानते हैं। महाभाष्य का महान् शब्द सापेक्षिक है। इस मत के अनुसार गोन्दर्द देश मे एक ऋषि ने शिष्यों को व्याकरण पढ़ाते हुए अष्टाध्यायी भाष्य की रचना की। वह लघु भाष्य था। इससे ऋषि के मन को समाधान नहीं हुआ। एक दिन सन्ध्या करते हुए उन ऋषि की अजलि से एक बाल ऋषि गिरा, जिसका अन्वर्थ नाम पतञ्जलि पड़ गया।^२ पतञ्जलि ने मूल भाष्य मे शास्त्रीय विवेचन अविक जोड़कर उसे महाभाष्य नाम दे दिया। लघुभाष्य और महाभाष्य में मतभेद कही नहीं है। उसमे लघुभाष्य को पूर्णतः आत्मसात् कर लिया गया है। इसी कारण, कालान्तर मे लघुभाष्य निष्प्रयोजन होकर नष्ट हो गया। महाभाष्य मे गोन्दर्दिय नाम से सर्वत्र लघुभाष्य के कर्ता का ही मत जद्घृत है। इस मत की पुष्टि मे अन्य प्रमाण भी दिये जा सकते हैं। महाभाष्य का 'उक्तो भावभेदो भाष्ये' कथन किसी अन्य भाष्य की ओर सकेत करता है; क्योंकि कोई भी ग्रन्थकार पीछे कही हुई या आगे कही जानेवाली बात के लिए 'उक्त पूर्वम्' या 'वक्ष्यते' निर्देश करता है।^३ प्रस्तुत ग्रन्थ के नाम का उल्लेख कोई नहीं करता। इसी प्रकार, महाभाष्य मे 'तस्यानुदात्तेत्' (६-१-१८६) सूत्र के प्रसंग मे 'वक्ष्यत्यस्य परिहारम्' कहा है और उसका परिहार 'आनेमुक्' (७-२-८२) सूत्र के भाष्य मे दिया भी है। यहाँ भी वक्ष्यति क्रिया का कर्ता लघुभाष्यकार ही है, अन्यथा 'वक्ष्यति' के स्थान पर 'वक्ष्यामि' प्रयोग किया जाता। लघुभाष्य का प्राप्त न होना उसके अनस्तित्व का प्रमाण नहीं माना जा सकता था, क्योंकि अविक उपयोगी ग्रन्थ की रचना के बाद पूर्व ग्रन्थ का प्रचार प्रायः बन्द हो जाता है। यह बात अन्य अनेक ग्रन्थो के बारे मे पीछे कही जा चुकी है। महाभाष्य के प्रारम्भ मे ही व्याकरणाध्ययन के लाभ बतलाते हुए कहा गया है कि 'तेम्य एव विप्रतिपन्नवृद्धिम्योऽप्येतृम्यं सुहृद्भूत्वाऽऽचार्य इव शास्त्रमन्वाचछेत्। इमानि प्रयोजनानि, अब्येय व्याकरणमिति।' इस वाक्य मे आचार्य-पद लघु भाष्यकार गोन्दर्दिय के लिए प्रयुक्त हुआ है। पाणिनि के लिए यह विशेषण नहीं हो सकता क्योंकि अष्टाध्यायी मे कही भी व्याकरणाध्यापन के प्रयोजनों का उल्लेख नहीं है और पतञ्जलि

१. यः पतञ्जलिशिष्येभ्यो नष्टो व्याकरणागमः।

काले स दाक्षिणात्येषु ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः॥—वाक्यपदीय, २-८-८८।

२. गोन्दर्ददेशे कस्यचिद् ऋषेरञ्जलेः सन्ध्याकरणसमये पतित इत्यतिहात्।—तामोजिभट्टः लघुशब्देन्दुशेखर।

३. भाष्य, ३-३-१९ तथा ३-४-६७।

स्वयं अपने लिए आचार्य विशेषण का प्रयोग करते कैसे? इससे स्पष्ट है कि महाभाष्य के पूर्व एक लघुभाष्य ग्रन्थ अवश्य विद्यमान था और उसका कर्ता गोनर्दीय था।^१

क्या गोनर्दीय और गोणिका-पुत्र पतञ्जलि हैं—महाभाष्य में चार बार गोनर्दीय मत उद्धृत मिलता है। १-१-२१ सूत्र की व्याख्या में आदि और अन्त की 'अपूर्वलक्षण आदि-रनुत्तरलक्षणोऽन्त' इस परिभाषा में 'सति त्वन्यस्मिन्' यह जोड़ने का परामर्श देते हैं। १-१-२९ सूत्र के अन्तर्गत वे 'अकञ्चवरी तु कर्त्तव्यो प्रत्यङ्ग मुक्तसशयी' कहकर त्वकत्पितृक, मकत्पितृक प्रयोगो का समर्थन करते हैं। ३-१-९२ सूत्र में भाष्यकार ने 'काशकटीकारम्' प्रयोग का समर्थन करते हुए 'इष्टमेवैतद्गोनर्दीयस्य' कहा है और ७-२-१०२ सूत्र के भाष्य में 'अतिजराम्, अतिजरै' रूपों के समर्थन में गोनर्दीय 'इष्टमेवैतत् सगृहीत भवति' कहते हैं। उपर्युक्त चार स्थानों में से तृतीय में पतञ्जलि की ओर हल्का-सा संकेत भले कहा जा सके, अन्यत्र कहीं गोनर्दीय से भाष्यकार की ओर संकेत नहीं है। तृतीय सूत्र में भी पतञ्जलि की अपेक्षा 'लघुभाष्य' का अस्तित्व अधिक ध्वनित होता है। १-४-५२ के भाष्य में गोणिका-पुत्र का उल्लेख है, जहाँ वे 'नेताश्वस्य सुष्मम्' और 'नेताश्वस्य सुष्मस्य' इन दोनों प्रयोगों का समर्थन करते हैं। कैयट ने १-२-२९ सूत्र की टीका में गोनर्दीय को भाष्यकार माना है और नागोजिभट्ट ने १-४-५२ की टीका में गोणिका-पुत्र को भाष्यकार कहा है। वात्स्यायन के कामसूत्र में पाँच बार गोनर्दीय और आठ बार गोणिका-पुत्र का मत उद्धृत किया है, जिनमें १-५-५ सूत्र पर 'अन्य कारणवशात् परपरिगृहीतापि पाक्षिकी चतुर्थीति गोणिकापुत्र' और १-४-५५ सूत्र पर 'उत्क्रान्तबालभावाकुल्युवतिरूप-चाराव्यत्वाद् अष्टमी गोनर्दीय' कहा गया है। इससे प्रथम के मत से चार और द्वितीय के मत से आठ नायिकाएँ सिद्ध होती हैं। यादव प्रकाश आदि कोशकारों ने गोनर्दीय को पतञ्जलि स्वीकार किया है किन्तु महाभाष्य में गोनर्दीय या गोणिका-पुत्र से उनके पतञ्जलि होने की ध्वनि कहीं नहीं निकलती। गोनर्दीय को मूल भाष्यकार मान लेने से अनेक शकाओं का समाधान अवश्य हो जाता है, फिर भी गोनर्दीय और गोणिका-पुत्र एक ही नहीं जान पड़ते। सम्भव है, गोणिकापुत्र पतञ्जलि हो। तब भी यह शका शेष ही रह जाती है कि क्या वैदिक विद्वान् और वैयाकरण गोनर्दीय और पतञ्जलि कामशास्त्र के भी अधिकारी ज्ञाता थे। श्रीराजेन्द्रलाल मिश्र और डॉ० कीलहर्न ने युक्तिपूर्वक गोनर्दीय और गोणिका-पुत्र को पतञ्जलि से भिन्न सिद्ध किया है।^१ अन्य किसी ग्रन्थ में तो इनके कामशास्त्रज्ञ होने का उल्लेख नहीं मिलता। पतञ्जलि को ४-२-९३ की टीका में कैयट ने नागनाथ अवश्य कहा है। चक्रपाणि ने चरक की टीका के प्रारम्भ में उन्हें अहिपति के साथ मनोवाक्कायदोषों का हन्ता और चरक का प्रतिस्पर्धक कहा है।^१ भोजराज ने योगसूत्र-वृत्ति के प्रारम्भ में इन्हें 'फणिभूत्' विशेषण से भूषित किया है। भर्तृहरि की महा-

१. जर्नल ऑफ दि एशिय सोसा० ऑफ बंगाल, जिल्द ५२, पृ० २४१ तथा इण्डियन ऐण्डिकवेरी, जिल्द १४, पृ० ४०।

२. पातञ्जलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतः।—

मनोवाक्कायदोषाणां हन्त्रेऽहिपतये नमः ॥

३. वाक्चेतो वपुषां मलः फणिभूता भवैव येनोद्धतः।

भाष्य-दीपिका में वे तीन बार चूर्णिकार कहे गये हैं। स्कन्दस्वामी ने निरुक्त ३-१४ की व्याख्या में भाष्यकार को चूर्णिकार के नाम से उद्धृत किया है। इत्सिग में इन्हे चूर्णिकार सज्ञा से सम्बोधित किया है। स्कन्दस्वामी ने निरुक्तभाष्य (१-३२) में एव उव्वट ने ऋक्प्रातिशाख्य (१३-१९) की टीका में इन्हे पदकार बतलाया है। प्रसिद्ध श्लोक 'अनुसूत्रपदन्यासा' की टीका में 'पद शेषा हि विरचित भाष्यम्' से मल्लिनाथ ने इन्हे शेष का अवतार माना है।

योगसूत्र और चरक-संहिता के कर्ता पतंजलि—महाभाष्यकार-विषयक ये सब उद्धरण उनके विषय में किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुँचने में सहायता नहीं प्रदान करते। इनसे केवल इतना ही पता चलता है, समस्त विद्वत्समाज में पतंजलि की शेषावतार के रूप में प्रतिष्ठा थी और वे योगसूत्र, व्याकरण-महाभाष्य एव चरक-वार्तिकों के प्रणेता माने जाते रहे हैं। यहाँ तक कि भर्तृहरि जैसा अधिकारी विद्वान् भी उन्हें तीनों ग्रन्थों का कर्ता मानता था।^१ वैयाकरण-परम्परा में व्याकरणाध्यापन से पूर्व 'योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मल शरीरस्य च वैद्यकेन। योगाकिरन्त प्रवर मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि' श्लोक द्वारा मगलाचरण करने की परम्परा बहुत प्राचीन है। सम्भवतः, पतंजलि नामक व्यक्ति एकाधिक हुए हैं। कनिष्क की कन्या को रोगमुक्त करनेवाले चरक के प्रतिसंस्कर्ता एक पतंजलि ईसा की दूसरी शती में और योगसूत्र-कर्ता पतंजलि ईसवी तीसरी या चौथी शती में उत्पन्न हुए थे। बाद में इतिहास की अनभिज्ञता ने तीनों को मिलाकर एक कर दिया। फिर भी, मीमांसा और वेदान्त-दर्शन के 'अथातो घर्मजिज्ञासा, और 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' से भिन्न शैली पर 'अथ शब्दानुशासनम्' और 'अथ योगानुशासनम्' जैसे सदृश वाक्यों, भाष्य में 'युज्यते योग ब्रह्मचारी' उल्लेख तथा योग में स्फोट के खण्डन के अभाव आदि कारणों से लीविख और चक्रवर्ती योगसूत्रकार तथा महाभाष्यकार को एक मानते हैं।^२ प्रो० रेनो (Renou) के मत से योग में प्रत्याहार, उपसर्ग, प्रत्यय और विकिरण का अर्थ व्याकरण से भिन्न है तथा उसमें च, वा आदि का भी प्रयोग नहीं है। भाष्य की भाषा भी विश्लेषणात्मक अधिक है। दोनों में द्रव्य, गुण आदि का भी तात्पर्य भिन्न है। योगसूत्रव्याकरण के नियम और महाभाष्य योग के नियम नहीं मानता। अतः, दोनों को दो भिन्न व्यक्तियों की कृति मानना चाहिए।

चरक-संहिता का मूल नाम आत्रेय-संहिता है। आत्रेय पुनर्वसु उसके कर्ता हैं। संहिता में ही इस बात का उल्लेख है कि आत्रेय ने अग्निवेश को आयुर्वेद-संहिता का उपदेश किया था। अग्निवेश और आत्रेय दोनों समकालीन थे और तक्षशिला में रहते थे। संहिता के ही अनुसार इसका प्रथम संस्करण चरक ने और दूसरा दृढबल ने किया। चरक इषर-उषर घूमनेवाले आयुर्वेदज्ञ वैद्य थे। चरकनाम्नी वेद-शाखा का उल्लेख पाणिनि तथा काशिकाकार ने किया है। काशिकाकार वैशम्पायन का दूसरा नाम चरक बतलाते हैं।^३ कृष्ण यजुर्वेद की चरक नाम की शाखा थी।

१. कायवाग्बुद्धिविषया ये मला हि समवस्थिताः ।

चित्कित्सालक्षणध्यात्मशास्त्रंस्तेषां विशुद्धयः ॥—वाक्यपदीय, १-१४८ ।

२. इण्डि० हिस्टा० क्वा०, भाग २, पृ० २६५ ।

३. ४-३-१०७, ५-१-११ तथा काशि० ४-३-१०४ ।

उसके अनुयायी भी चरक कहलाते थे। आत्रेय-संहिता के प्रतिस्करण करनेवाले चरक शेष के अवतार माने जाते थे। पतञ्जलि का उल्लेख चरक-संहिता में कही नहीं है। उपर्युक्त सूचनाओं से अनुमान होता है कि चरक शाखा के किसी आयुर्वेदज्ञ यायावर विद्वान् ने अग्निवेश-संहिता का प्रतिस्कार किया और उसके बाद अग्निवेश नाम गौण पडकर चरक के नाम से यह संहिता प्रसिद्ध हो गई। चरक शाखा के लोग सामान्यतया आयुर्वेदज्ञ, मान्त्रिक और नागोपासक थे। घीरे-घीरे महत्ता स्थापित करने के लिए इन लोगो ने अपने संहिताकार पूर्वपुरुष को शेषावतार प्रसिद्ध कर दिया। कुछ विद्वानो का मत है कि महाभाष्य के प्रारम्भ में दिये गये 'शन्नोदेवीरभीष्टये' आदि चार मन्त्रों में कृष्णयजुर्वेद के 'शन्नोदेवी' वाक्य के प्रथम आने से भाष्यकार कृष्ण-यजुर्वेद की चरक शाखा के अनुयायी मालूम होते हैं। उन्होंने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण भी किया था। यह बात भी महाभाष्य से स्पष्ट है। वे आयुर्वेद की अच्छी जानकारी रखते थे, यह भी इस निबन्ध के 'स्वास्थ्य और शरीर विज्ञान' प्रकरण से स्पष्ट होगी। हो सकता है, उन्होंने ही सर्वप्रथम आत्रेय-संहिता का स्वरूप किया हो और बाद में महाभाष्य की रचना की हो। यही बात योग-सूत्र के विषय में कही जा सकती है। उसमें भी आर्ष प्रयोग नहीं है। सूत्रों के अर्थ में अध्याहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। शैली महाभाष्य जैसी स्पष्ट और प्रासादिक है। अन्य दर्शनों की तुलना में योगसूत्रकार श्रेष्ठ वैयाकरण प्रतीत होते हैं। प्रथम सूत्र तथा 'प्रत्ययानुपस्थ' (योग-सू० २-२०) इस व्याकरणसिद्ध अप्रचलित प्रयोग से अनुमान होता है कि महाभाष्यकर्त्ता पतञ्जलि ही योगसूत्रकार थे। इस दृष्टि से लघुशब्देन्दुशेखर के प्रारम्भिक श्लोक की संरक्षिका की टीका का यह कथन कि महाभाष्य कर्त्ता ही चरक-संहिता और योग-सूत्र के प्रणेता थे, ठीक हो सकता है और पुरातन परम्परा भी निर्मूल नहीं प्रतीत होती।^१ लैसेन और गावें भाष्यकार और योगसूत्रकार को एक मानते भी हैं। परस्पर असम्बद्ध विषयों पर एक ही विद्वान् का इतने प्रामाणिक ग्रन्थ लिखना अशक्य है, इस तर्क के आधार पर मैक्समूलर का दोनों को भिन्न मानना तर्कयुक्त नहीं कहा जा सकता।^२ वैयाकरण गोनर्दीय और गौणिका-पुत्र का कामशास्त्र का अधिकारी विद्वान् होना ही इस कथन की विसंगति स्पष्ट करता है।

पतञ्जलि का निवास-स्थान—पतञ्जलि ने कात्यायन को दाक्षिणात्य कहा है और अन्यत्र भी दाक्षिणात्य की इस प्रकार चर्चा की है, जिससे इतना स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे उत्तर भारत के निवासी थे। यदि लघुशब्देन्दुशेखर के तथाकथित ऐतिहास पर विश्वास कर लिया जाय, अथवा लघुभाष्य और पतञ्जलि-चरित की बात प्रमाणित स्वीकार कर ली जाय, तो उनका गोनर्द-निवासी होना निश्चित-मा हो जाता है। अन्य पुष्ट प्रमाण के अभाव में इसे स्वीकार करने में विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। डॉ० भण्डारकर वर्त्तमान अवधि के गोडा को गोनर्द का स्वामाविक

१. प्रथमं पातञ्जलशब्दोपादानं बलवत्तरमङ्गलाय । महाभाष्यमात्रोक्ती शारीरक-
सूत्रभाष्यस्यापि बोधः स्यादतः पातञ्जलपदम् । तावन्मात्रोक्ती चरकेऽतिव्याप्तिरतो महापदम् ।

२. वोय लैसेन एण्ड गावें सोम इन्वलाइण्ड टु एक्सेप्ट दि आइडिफिट्टी ऑफ टु पतञ्जलि
वट दिस वुड फोर्स अस टु एस्काइव दि मोस्ट हैट्रोजीनियस चर्सेस टु वन एण्ड दि सेम ऑयर—
मैक्समूलर ।

अपभ्रंश मानते हैं। यह स्थान अवध के पश्चिमोत्तर में है। ३-३-१३६ सूत्र के भाष्य में 'धोऽय-
मञ्जवागत आपाटलिपुत्रात्तस्य यत्परं साकेतात्' वाक्य में प्रयुक्त 'धोऽयम्' शब्द इस बात को व्यञ्जित
करता है कि भाष्यकार साकेत और पाटलिपुत्र के मार्ग के पास-पड़ोस अवश्य रहे थे। वेबर गोनर्द
प्रदेश को पाटलिपुत्र के पूर्व में मानते हैं और कान्धम इसकी व्युत्पत्ति गौड से बतलाते हैं।^१
वैयाकरणों की दृष्टि में गोनर्द प्राच्यदेश था। वेबर और गौडस्डुकर तो कात्यायन तक को
प्राच्य मानते हैं। पतञ्जलि के विषय में वेबर का मत महाभाष्य के 'मथुरायाः पाटलिपुत्र पूर्वम्'
वाक्य में पूर्व के अर्थ की आन्ति पर निर्भर है।^१ पतञ्जलि के निवास के सवध में विचार करते
समय हमारा ध्यान दो बातों की ओर विशेष जाता है। एक तो वे आर्यावर्त के बड़े अभिमानी थे
और हिमवन्त, कालक, पारिपात्र और आदर्श के मध्यवर्ती प्रदेश को ही आर्यावर्त मानते थे।
अतः, उनका स्थान इसी क्षेत्र में होना चाहिए। दूसरे यों तो उन्होंने पूर्व में पाटलिपुत्र तक,
दक्षिण में अवनती और माहिष्मती तक, पश्चिम में कच्छ तक और उत्तर में कश्मीर तक यात्रा
की थी, किन्तु वे वाहीक, कुरु और साकेत के समीपवर्ती प्रदेशों से अधिक निकटता से परिचित थे।
वाहीक के छोटे-से-छोटे गाँवों तक का नाम उन्होंने लिया है। मथुरा और सुघ्न में वे अवश्य
रहे थे। इससे विशेष सम्भावना इस बात की है कि वे वाहीक (पूर्व पञ्जाव) के निवासी थे।
सम्भव है, इस प्रदेश का ही अन्वर्थ नाम गोनर्द रहा हो। अद्यावधि यहाँ के गो भारत में सर्वोत्कृष्ट
माने जाते हैं। जो भी हो, इतना स्पष्ट है, वे काश्मीर, मथुरा, सुघ्न, साकेत, वाराणसी,
पाटलिपुत्र और सम्भवतः उज्जयिनी अवश्य गये थे। उनका अधिक समय ग्रामों में बीता था।
महाभाष्य में ग्रामीण संस्कृति के ही चित्रों की प्रचुरता है।

गोनर्द को गोडा मानने में कुछ विद्वानों को इस कारण भी आपत्ति है कि पतञ्जलि अवध
के समीप के निवासी होते, तो रामायण के पात्रों का उल्लेख अवश्य करते। महाभारत के उद्धरणों
तथा उसके पात्रों के नामों एव उससे सम्बद्ध वशों की बार-बार सविस्तर चर्चा भाष्य में है
जब कि रामायण का एकाव ही उद्धरण भाष्य में आया है। उसके कर्ता तथा पात्रों का कही
उल्लेख नहीं है। अतः, अवध की अपेक्षा उनका कुरु-वाहीक से अधिक सम्बद्ध होना स्पष्ट है।
डॉ० मोतीचन्द्र ने प्राचीन भारत की पथ-पद्धति का व्याख्यान करते हुए 'डिक्शनरी ऑफ़ पालि
प्रापर नेम्स' के प्रमाण से यह बताया है कि वीद्ध साहित्य में यह कथा आई है कि वावरी नाम के
आचार्य ने एक ब्राह्मण के श्राप का अर्थ समझने के लिए अपने शिष्यों को बुद्ध के पास भेजा था।
उसके शिष्यों ने आत्मक से अपनी यात्रा प्रारम्भ की। वहाँ से वे पतिष्ठान (प्रतिष्ठान), महि-
स्सति (माहिष्मती), उज्जैनी (उज्जयिनी), गोनर्द (गोनर्द), वेदसा (विदिशा) और वनसहय
होते हुए कौशाम्बी पहुँचे। इसके अनुसार गोनर्द विदिशा और उज्जैन के बीच में होना चाहिए।
यदि यह मान लिया जाय, तो विदिशा के उत्खनन में प्राप्त मुद्राओं और यज्ञशाला के अवशेषों से
'पुष्पमित्र याजयाम' की भी सगति बैठ जाती है। जो भी हो, जबतक इस विषय में कोई ठोस
प्रमाण उपलब्ध न होगा, पतञ्जलि का निवास-स्थान कल्पना का ही विषय बना रहेगा।

१. एन० ज्याग्रान०, पृ० ४०८ तथा आर्कि० सर्वे, जिल्द १, पृ० ३२७।

२. इण्डि० एण्डिक्वेरी, जिल्द २, पृ० ६९।

पतंजलि का काल

साहित्यिक अन्तःसाक्ष्य—पतंजलि के काल में अब विशेष विवाद नहीं रह गया है। वस्तुतः, महान् प्राचीन साहित्यकारों में एक पतंजलि का ही समय असन्दिग्ध है। महाभाष्य में रामायण के अतिरिक्त महाभारत के उद्धरणों, उसके पात्रों और घटनाओं की पौन पुनिक चर्चा है। पतंजलि के समय में कसवध और वलिदन्व की कहानियाँ प्रसिद्ध और प्रचलित थीं। वे नाटकों का विषय बन चुकी थी तथा अति प्राचीन भी मानी जाने लगी थीं। 'कस घातयति, वलि दन्वयति, जघान कस किल वासुदेव, असाधुर्मातुले कृष्ण, सकर्षणद्वितीयस्य बल कृष्णस्य वर्धताम्, अक्रूरवर्ग्यं, अक्रूरवर्गीण, वासुदेववर्ग्यं वासुदेववर्गीण, जनार्दनस्त्वात्मचतुर्थ एव'^१ आदि उक्तियाँ इसके प्रमाण हैं। पतंजलि-काल में वासुदेव की पूजा का प्रचलन हो चुका था और कृष्ण भगवान् माने जाने लगे थे।^२ भाष्यकार ने प्रजापति और सर्प देवता के समान ही वासुदेव के लिए 'तत्रभवान्' पद का प्रयोग किया है। जातको की रचना भी हो चुकी थी। १-३-२५ सूत्र के भाष्य में पतंजलि ने जो 'बहुनामप्यचित्तानाम् कापेयमनुतिष्ठति' ये दो श्लोक उद्धृत किये हैं, वे आदिकुपत्यान जातक के पालि श्लोकों से मिलते-जुलते हैं।^३ जातक का द्वितीय श्लोक बोधिसत्त्व के प्रबोधन के रूप में वानर द्वारा छले गये मनुष्यों के लिए है। महाभाष्य और जातक दोनों के श्लोकों में दो वक्ता हैं। भाष्य में वानर की बुद्धि और जातक में पवित्रता का खण्डन है। दोनों में उप-स्था-धातु का प्रयोग है। अन्तर केवल इतना है कि भाष्य में वानर बहुत है और जातक में एक। इससे इतना स्पष्ट है कि रामायण और महाभारत के संस्करणों एवं जातक-कथाओं के प्रचलन के अनन्तर ही महाभाष्य की रचना हुई होगी। महाभाष्य में वीषायन, वासिष्ठ धर्मशास्त्र, आपस्तम्ब आदि धर्मसूत्रग्रन्थों के उद्धरणों से यह भी स्पष्ट है कि इसके पूर्व धर्मसूत्रों की भी रचना हो चुकी थी। सामान्य अलंकृत शैली के विविध छन्दोमय काव्य भी इस समय तक लिखे जा चुके थे।

धार्मिक अन्तःसाक्ष्य—धार्मिक दृष्टि से श्रमणों और ब्राह्मणों का विरोध शास्वतिक-सा बन चुका था। मूर्ति-पूजा प्रचलित हो चुकी थी। मन्दिर बनाने की प्रथा का प्रारम्भ हो चुका था। ग्रन्थिक और अन्य प्रवचनकार सार्वजनिक सभागृहों में धर्मोपदेश करते थे। कृष्ण के साथ वलराम, कुबेर, स्कन्द, विशाख और शिव की पूजा प्रचलित थी। यज्ञों का पुनरुत्थान हो रहा था। आर्त्विजीन होना ब्राह्मण के लिए प्रतिष्ठा का द्योतक था। ब्राह्मणों का उत्कर्ष और वृषलों का

१. ३-१-२६, ३-२-१११, २-३-३६, २-२-२३, ४-२-१०४, ६-३-६ भाष्य ।

२. ४-३-९९ भाष्य 'अथवा नैवा क्षत्रियाख्या। संज्ञेया तत्र भवतः' तथा इसपर कैयट 'नित्य. परमात्मदेवताविशेष इह गृह्यते।'

३. सब्बेसु किर भूतेसु सन्ति सीलसमाहिता ।

पस्स साखाभिग जम्मं आदिच्च मुपतिट्ठति ॥

मास्से सीलं विजान्यथ अतंजाय पसंमय ।

अग्गिद्वतंच ऊहंति तेन भिन्ना कमण्डलू ॥—जातक-सं० १७५ ।

पराभव चरम सीमा पर था।^१ भाष्य में वृषल कुल को सिकुड़कर संगठित हुआ, किन्तु जेय बतलाया है।^१ यह सकेत मौर्यों की ओर है।

इनके अतिरिक्त महाभाष्य में कुछ ऐसे स्पष्ट सकेत हैं, जिनके आधार पर उनका काल-निर्धारण ठीक-ठीक किया जाना सम्भव है। पतजलि ने मौर्यों की दारिद्र्य-पूर्ण स्थिति की, जिसमें वे मूर्त्तियाँ ढलवाकर उनकी विक्री से राज्यकोष की पूर्ति करते थे, चर्चा की है।^१ कैयट, नागोजि-भट्ट आदि टीकाकारों ने इस बात को और स्पष्ट किया है, जिससे पता चलता है कि मौर्यों ने प्रतिमानिर्माण-शिल्प को व्यवसाय बना लिया था और वे शिवस्कन्द और विशाख आदि की मूर्त्तियाँ ढलवाकर द्रव्यार्जन करते थे।^१ पतजलि ने एतदर्थ उनके लिए 'हिरण्यार्थी' इस निन्दासूचक विशेषण का प्रयोग किया है। आस्तिक-वर्ग ने इन मूर्त्तियों की पूजार्थं निमित्त मूर्त्तियों से भिन्नता व्यक्त करने के लिए उनके आगे 'क' लगाना प्रारम्भ कर दिया था। अतः, ये मूर्त्तियाँ शिव, स्कन्द आदि न कहलाकर शिवक, स्कन्दक आदि कहलाती थी।

राजनीतिक अन्तःसाक्ष्य—पतजलि ने पुष्यमित्र-सभा और चन्द्रगुप्त-सभा का उल्लेख किया है और पुष्यमित्र तथा चन्द्रगुप्त को राजा बतलाया है।^१ स्पष्ट ही यह चन्द्रगुप्त मौर्य है। पाटलिपुत्र से उनका घनिष्ठ परिचय था। छह सूत्रों के भाष्य में उन्होंने पाटलिपुत्र की चर्चा की है।^१ उनके समय में पाटलिपुत्र शोण के किनारे बसा हुआ था। किन्तु आज गंगा के किनारे बसा है। विशाखदत्त के मुद्राराक्षस में भी चन्द्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र 'अनुगग' ही बतलाई गई है। इस समय यह नगर इतना समृद्ध और विशाल था कि इसके प्रासादों, प्राकारों तथा विपणियों आदि की जानकारी देने के लिए व्याख्यानी (डायरेक्टरी) विद्यमान थी।

ऐतिहासिक अन्तःसाक्ष्य—पतजलि ने पुष्यमित्र द्वारा किसी ऐसे विशाल यज्ञ के किये जाने का उल्लेख किया है, जिसमें अनेक पुरोहित एक साथ भाग ले रहे थे। पतजलि भी इस यज्ञ में आचार्य्य थे। इस प्रकार वे स्वयं ब्राह्मण याजक थे। सम्भवतः, इसी कारण उन्होंने क्षत्रिय याजक पर कटाक्ष किया है।^१ इस याजक-स्थिति में वे दीर्घ अवधि तक एक स्थान पर ठहरे थे

१. देखिए घर्म, दर्शन और मूर्त्तिपूजा एवं वर्णप्रकरण।
२. काण्डीभूतं वृषलकुलम्, कुण्ड्योभूतं वृषलकुलम्; ६-३-६१ तथा ज्ञेयो वृषलः।
—१-१-५० ॥
३. मौर्यहिरण्यार्थिभिरचर्चाः प्रकल्पिताः। भवेत्तासु न स्यात्। यास्त्वेताः सम्प्रति पूजार्थास्तासु भविष्यति।—५-३-९९. पृ० ४७९।
४. कैयटः यास्त्वेतां इति याः परिगृह्य गृह्याद् गृह्मदन्ति तास्वित्यर्थः। यास्तु विक्रीयन्ते तासु भवति शिवकान् विक्रीणीते इति। नागोजिभट्टः मौर्यः विक्रेतुं प्रतिमाशिल्पवन्तः। तैरर्चाः प्रकल्पिता विक्रेतुमिति शेषः। अतस्तासां पण्यत्वात् तत्र प्रत्ययश्रवणं प्रसङ्ग इति भावः।—५-३-९९।
५. १-१-६८, पृ० ४३५।
६. १-३-२, पृ० १८; अनुशोर्णं पाटलिपुत्रम् २-१-१६, पृ० २७३, २, ३, २८ पृ० ४२६, ३-३-१३६, १३३ पृ० ४२६, २८; ५-३-५७; पाटलिपुत्रस्य व्याख्यानी सुकोसलेति। पाटलिपुत्र-चाप्यवयवश आचष्टे ईदृशा अल्प प्राकारा इति।—४-३-६६, पृ० २३९।
७. यदि भवद्विधः क्षत्रियं याजयेत्।—३-३-१४७, पृ० ३३२।

और वहाँ छापो को वाक्यरूप पढ़ाने से। यह वाच भाष्य में मिले हुए उदाहरणों में स्पष्ट है। यज्ञ के पत्रों में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यज्ञ धातु का प्रयोग केवल यज्ञबुद्धि में आह्वानि पालना ही नहीं है। त्याग कर्मों भी उनका अर्थ है। पु यमित्र के यज्ञ में द्रव्य का त्याग पुष्यमित्र करता है। याज्ञिक गोक केवल उनके प्रेरक हैं। उमीलिंग 'पुष्यमित्रो यजते, याज्ञिका याजयन्ति' यह कथन समान होता है 'पुष्यमित्रो याजयते, याज्ञिका यजन्ति' का प्रयोग नहीं होता। ये दोनों उल्लेख पुष्यमित्र द्वारा मिले गये अन्वयोंप यज्ञ में सम्मिलित हैं। भाष्यकार ने अपनी याज्ञिक-किया को 'प्रवृत्तत्याविराम' महत्त्व वर्तमानकालिका दत्तनाम है।

महाभाष्य का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उल्लेख, जो न केवल पतञ्जलि के काल-निर्धारण में सहायक है, अपितु दृग्कालीन इतिहास पर भी महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता है, विन्नी यदन द्वारा मध्यमिका और मावेन पर घेरा जाते जाने में सम्मिलित है। भाष्यकार ने यद्यपि इन दोनों आश्रमणों को प्रत्यक्ष देखा नहीं था, न तबिन से उनके जीवन-काल में पठित हुए थे और लोक-विज्ञात थे। वे चाहते तो उन्हें देख भी सकते थे। वे दोनों घेरे एक ही यदन द्वारा जाते गये थे। आश्रमण इन नगरियों को जीत नहीं गया। उसे बीच में ही आना घेरा उठा लेना पड़ा था या पराजित होकर भाग जाना पड़ा था। यह बात भी उल्लेख उल्लेखों में धारित होती है।

महाभाष्य के इन नमन्य ऐतिहासिक उल्लेखों पर एक नाथ विचार करने में यह स्पष्ट होता है कि पतञ्जलि समायण, महाभाष्य और मूल-भाष्य के प्रणयन के पश्चात्, जिन्तु कालिदास से पूर्व और पुष्यमित्र के काल में विद्यमान थे। इन समय बृहजो या भीषों का पतन हो चुका था। पतन से पूर्व उनकी आधिक शक्ति गोगनी हो गई थी। बृहजो का नावैज्ञानिक अमान किया जाता था। ब्राह्मणों का दानंय चरम प्रार्थ पर था। यज्ञ-यागानि की पुन प्रतिष्ठा बट गई थी। पुष्यमित्र ने यज्ञ कोर महायाग किया था। इस समय विन्नी यदन ने मावेन और मध्यमिका (चित्तौड़ के समीप का नगर-स्थान) पर एक साथ आक्रमण किया था। पुष्यमित्र ने यवनों को पराजय के बाद ही महायाग किया था, जिन्मे पतञ्जलि भी आचार्य-रूप में विद्यमान थे। 'द्वाराणामनिरव्यमितानाम्' सूत्र के भाष्य में भी यवनों की पराजय का उल्लेख है। इसी समय

१. प्रवृत्तस्याविरामे शासितव्यो भवन्ती इहाधीनहे, इह वसामः, इह पुष्यमित्रं याजयामः।
३-२-१२३, पृ० २५४।

२. यज्यादियु चाविपर्याप्तो वक्तव्यः। पुष्यमित्रो यजते, याज्ञिका याजयन्ति। तत्र भवितव्यम्—पुष्यमित्रो याजयते, याज्ञिका यजन्तीति यज्यादियु चाविपर्याप्तो वक्तव्यः। नाना-क्रियाणां यज्ययत्वात्। नानाक्रिया यजेरर्षः। नावय यजि हविप्रक्षेपण एव वर्तते। किं तर्हि त्यागेऽपि वर्तते। अहो यजत इत्युच्यते यः सुष्ठुत्यपि करोति। तं च पुष्यमित्रं करोति याज्ञिकाः प्रयोजयन्ति।—३-१-२६, पृ० ७४।

३. प्रवृत्तस्याविरामे शासितव्या भवन्ती इहाधीनहे इह वसामः, इह पुष्यमित्रं याजयामः।
—३-२-१२३, पृ० २५४।

४. परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुदर्शनविषये लङ् वक्तव्यः। अरुणद् यवनः साकेतम्, अरुणद् यवनो मध्यमिकाम्।—३-२-१११, पृ० २४६, ४७।

याज्ञिक बनने की कामना रखनेवाले ब्राह्मण-बालको को व्याकरण पढाते हुए उन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। साकेतावरोध तथा याजनविषयक उल्लेख महाभाष्य के तृतीय अध्याय के अन्तर्गत आये हैं। इस समय उनके पचासी दिनों के पाठ में लगभग आवा समय व्यतीत हो चुका था।

पुष्यमित्र युग—ऐतिहासिक दृष्टि से पुष्यमित्र का अश्वमेध यज्ञ तथा यवन का आक्रमण ये दोनों घटनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। वाण के हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र मौर्यसम्राट् बृहद्रथ का सेनापति था। एक बार जब बृहद्रथ सेनापति के साथ सैन्य का निरीक्षण कर रहा था, तब सेनापति ने सेना को अपने पक्ष में सावकर सहसा बृहद्रथ का वध कर डाला^१ और स्वयं राज्य का स्वामी बन बैठा। इस राजहत्या की पूर्वभूमिका पहले से ही तैयार कर ली गई थी। मौर्य-शासन में ब्राह्मण अत्यन्त असन्तुष्ट थे और ऐसा प्रतीत होता है कि बृहद्रथ के राज्य-काल में यह असन्तोष चरम सीमा पर पहुँच गया था। उन्होंने सेनापति को अपना नेता बनाया, फलतः मौर्य-सम्राज्य के नष्ट होते ही चारों ओर ब्राह्मणों का उत्कर्ष दृष्टिगोचर होने लगा। नटप्राय यज्ञ-संस्था और विस्मृतप्राय वेदों को पुनर्जीवन मिला। महाभाष्य में पतञ्जलि द्वारा यत्र-तत्र वृषलो (मौर्यों) के प्रति कहे गये दुर्वचन, एक स्थान पर मौर्यों की प्रत्यक्ष निन्दा तथा पद-पद पर ब्राह्मणों का जयघोष इस बात का साक्षी है। महाभाष्य वस्तुतः वैदिक सस्कृति और ब्राह्मणत्व का जयनाद है।

युग और उनका साम्राज्य—पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र युगवंशीय था। पाणिनि के मत से शुंग भारद्वाज ब्राह्मण थे।^२ किन्तु, हरिवंशपुराण ने (२-४०) ब्राह्मण सेनानी को अश्वमेध का उद्धर्त्ता और काश्यप कहा है। प्रवरदर्पण में शौंग लोग वसिष्ठगोत्रीय पाराशरों के गोत्रावयव वतलाये गये हैं। बृहदारण्यक में (६-४-३१) शौंगीपुत्र शिक्षक का उल्लेख मिलता है। आश्वलायन श्रौतसूत्र (१२-१३-५) में भी गुण आचार्य है। कालिदास के मालविकाग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को काश्यप गोत्र की वैश्विक शाखा का वतलाया गया है। वैश्विक शब्द महाभाष्य में आया है। वहाँ उसकी निष्पत्ति विम्ब शब्द से अपत्य अर्थ में वतलाया गया है, किन्तु शुंगगोत्रावयव से उसका कोई सम्बन्ध है या नहीं, यह बात स्पष्ट नहीं की गई है।^३ श्री एच्० ए० शाह विम्बक को विन्दुसार के परिवार से सम्बद्ध मानते हैं।^४ इन सब उल्लेखों से इतना स्पष्ट है कि गुण ब्राह्मण माने जाते थे। भले ही वे भारद्वाज रहे हो या काश्यप, यह अलग बात है। फिर भी, प० हरप्रसाद शास्त्री इस वंश के नामों के अन्त में मित्र शब्द देखकर इन्हे ग्रीक आक्रमण के समय फारस से भागा हुआ मानते थे।^५ प्रो० वी० के० ठाकुर का

१. सेनापतिरनायों मौर्य बृहद्रथं पिपेध पुष्यमित्रः स्वामिनम्।—हर्षचरित।

२. विकर्णशुङ्गगच्छगालाद्वत्सभरद्वाजाजिषु—४-१-११७।

३. सुषातृव्यासवरुणनिषादचण्डालविम्बानामिति वक्तव्यम्।—वेम्बिक, ४-१-९७, पृ० १२९।

४. प्रोसीडिन्स ऑफ् ओरियण्टल कान्फेरेन्स, मद्रास, प० ३७९।

५. इण्डि० हिस्टा० क्वार्टर०, जिल्द ८, पृ० ३९।

अनुमान है कि ये लोग पाणिनि से भी पूर्व के सामवेदीय ब्राह्मण थे।^१ भरहुत के शिलालेख में दो द्वार शुंगकाल में बने बतलाये गये हैं।

पुष्यमित्र के राज्य में मीर्यों का मध्यभाग सम्मिलित था। आंध्र, कर्लिग तथा उत्तर भारत का कुछ भाग स्वतन्त्र हो गया था। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा, जालन्धर और शाकल ये नगर इसके अन्तर्गत थे।^२ राजधानी पाटलिपुत्र बनी रही। मालविकाग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा में पिता का राष्ट्रिय था। अयोध्या के मन्दिर-द्वार के एक शिलालेख के अनुसार वहाँ एककेतन पुष्यमित्र की छोटी पीढी के एक कोसलाविपति ने बनवाया था। नर्मदा तक के सीमान्त दुर्ग में अग्निमित्र का साला वीरसेन रक्षार्थ नियुक्त था। पुष्यमित्र के अन्तर्गत विदर्भयज्ञसेन और माधवसेन में विभक्त था। वर्वा (वरदा) नदी इस विभाजन की सीमा-रेखा थी। विदर्भराज यज्ञसेन मीर्यराज बृहद्रथ के मंत्री के बहनोई थे। अतः, उनका पुष्यमित्र विरोधी होना स्वाभाविक था। अग्निमित्र ने उसे 'प्रकृत्यगित्र' और 'प्रतिकूलकारी' कहा है। इस कारण विदिशा और विदर्भ के सम्बन्ध भी खराब हुए। यज्ञसेन का चचेरा भाई माधवसेन अग्निमित्र का मित्र था। यज्ञसेन के अन्तपाल ने उसे बन्दी बना लिया। अग्निमित्र ने यज्ञसेन को आज्ञा दी कि वह तुरन्त उसे मुक्त कर दे। यज्ञसेन ने बदले में यह शर्त उपस्थित की कि पहले उसके सम्बन्धी मीर्य सचिव को मुक्त किया जाय। अग्निमित्र ने यह शर्त न मानकर वीरसेन को आदेश दिया कि वह विदर्भ पर आक्रमण करे। इस आक्रमण में वीरसेन ने यज्ञसेन को पराजित कर माधवसेन को बन्दीगृह से छोड़ा लिया। पश्चात् विदर्भ का राज्य यज्ञसेन और माधवसेन में बाँट दिया गया^३ और विदर्भ पर पुष्यमित्र का सिक्का जम गया। खारवेल और सातकर्णी विदर्भ के पूर्व और पश्चिम में अग्निमित्र के समकालीन थे। खारवेल उससे अधिक बलवान् था और विदर्भ से सम्बन्ध भी रखता था। विदर्भ पर आक्रमण के समय खारवेल और सातकर्णी का चूप बैठे रहना आश्चर्यजनक मालूम होता है। इस आधार पर प्रो० ठाकुर ने तो यह कल्पना कर डाली है कि कालिदास ने प्लाट के लिए इतिहास में परिवर्तन कर डाला है। अतः, मालविकाग्निमित्र का वर्णन प्रमाण नहीं माना जा सकता।^४ प्रो० ठाकुर के कथन की सत्यता सन्दिग्ध है, क्योंकि कालिदास ने यज्ञसेन को 'अचिराधिष्ठितराज्य' कहा है। इमसे विदित होता है कि विदर्भ पहले मीर्यों के अधिकार में था। बाद में राज्य-विप्लव होने पर यज्ञसेन ने विदर्भ को दबा लिया।^५

साकेत और मध्यमिका का अवरोध—गोल्डस्टुकर के अनुसार साकेत और मध्यमिका का अवरोध करनेवाला मिनाण्डर था, जिसका समय ई० पू० द्वितीय शती है। प्रो० लैसेन के

१. मालविकाग्निमित्र, गुजराती, अनु० श्री वी० के० ठाकुर।

२. दिव्यावदान तथा प्रो० तारानाथ के अनुसार।

३. मालविकाग्निमित्र, अंक १।

४. ठाकुर: मालविका० गुज० अनु०।

५. अचिराधिष्ठितराज्य: शत्रु: प्रकृतिष्वरुढमूलत्वात्। नवसरोपणक्षिथिलास्तर्हरिव सुकर: समुद्धर्तुम् ॥ --मालविका० अंक १, श्लोक ८।

अनुसार १४४ ई० पू० मे वह शासन करता था। चन्द्रगुप्त मौर्य ३२२ ई०पू० मे गद्दी पर बैठा। उस वश के १० राजाओ ने कुल १३७ वर्ष राज्य किया।^१ इसके अनुसार पुष्यमित्र के सिंहासन-रोहण का समय १८५ ई०पू० होना चाहिए। मत्स्यपुराण के अनुसार पुष्यमित्र ने ३६ वर्ष राज्य किया।^१ अतः, उसके शासन की निचली काल-सीमा १४९ ई०पू० पडती है। यही काल पतजलि द्वारा पुष्यमित्र को यज्ञ कराये जाने का है और यही भाष्य के निर्माण का समय है। ब्रह्माण्ड-पुराण एव विष्णुपुराण भी पुष्यमित्र का शासन-काल ३६ वर्ष ही बतलाते है।^१ गोलडस्टुकर ने मिनाण्डर के काल को ध्यान मे रखकर महाभाष्य का काल १४० से १२० ई०पू० के मध्य माना है। मिनाण्डर का राज्यारोहण-काल मिन्न-भिन्न ऐतिहासको ने २०० से १२६ ई० पू० के मध्य माना है। डॉ० भण्डारकर के मत से पतजलि-काल मे मौर्यों का शासन गये कुछ समय बीत चुका था। अर्चाविपयक उदाहरण इसके साक्षी है। अत, 'जीविकार्थे चापण्ये' का भाष्य पतजलि ने १५८ ई० पू० के लगभग लिखा होगा। मिनाण्डर और पुष्यमित्र समकालीन थे। अत, मिनाण्डर का समय भी ऊपर मे १७५ और नीचे १४२ ई० पू० होना चाहिए। इस आधार पर डॉ० भण्डारकर ने तृतीय अव्याय के भाष्य का रचना-काल १४४-१४२ ई० पू० मे माना है।^१ प्रो० वेबर ने 'मध्यमिका' का अर्थ बौद्धमाध्यमिक शाखा मानकर पतजलि का समय २५ ई० स्वीकार किया है। उनके विचार से बौद्धधर्म मे दीक्षित होने से पूर्व कनिष्क हीनयानो का पक्षपाती और माध्यमिको का नाशक रहा। अत, महाभाष्य का समय कनिष्क के बाद ही होना चाहिए। वेबर के इस कथन का डॉ० भण्डारकर ने सम्युक्ति खण्डन किया है।^१ डॉ० भण्डारकर के अनुसार, जिसकी पुष्टि वायुपुराण एव अन्य पुराणो मे भी होता है। मौर्यों के बाद शुंग, आन्द्रभृत्य एव काण्वयन क्रमश राजा हुए। अशोक के लेखो मे 'अंतियोको' नाम 'धोण' राजा का उल्लेख है। योरोपीय इतिहास के विद्यार्थी अन्तियोकस (Antiochus) से सम्यक् परिचित है। सिकन्दर के बाद सिल्यूकस ने सिरिया से भारत तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अन्तियोकस उसका पात्र था। अशोक के लेख के अन्तियोकस द्वितीय का समय २६१ से २४० ई०पू० है। ये लोग मेसिडोनियन ग्रीक थे। भाष्य मे यवन शब्द से इन्ही का उल्लेख है और इसी जाति का मिनाण्डर साकेत और माध्यमिका का आक्रामक है। ग्रीक इतिहास के अनुसार इसका समय १४२ ई० पू० है। इससे पजाव और अफगानिस्तान पर शासन स्थापित कर लिया था। उस समय ये प्रदेश भारत के अग थे। उसकी प्राप्त मुद्राओ पर 'महाराजस्स दरस्स मिलिन्दस्स' अंकित है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इसकी

१. विष्णु पु० ६-२४।

२. कारयिष्यति वैराज्यं षट्त्रिंशत् सभाः नृपः। पाजिटर, डायनेस्टीज, ऑफ् कलि०, पु० ३१।

३. विलसन : विष्णु पु०, प्रथम सं०, पु० ४७१।

४. कलेक्ट्रेड वर्क्स ऑफ् डॉ० भण्डारकर, भाग १, पु० १०८ से ११४।

५. इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द २, सन् १८७२, पु० २९९ से।

प्रजा पालिभाषिणी थी। 'मिल्डिन्दपण्टो' में उमनी और नागनेन की बातों उल्लिखित है। इसकी राजधानी शाकल थी।'

मालविकाग्निमित्र का साक्ष्य—मालविकाग्निमित्र में पुष्यमित्र का अपने पुत्र अग्निमित्र के नाम पर भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन पत्र में विदित होता है कि पुष्यमित्र ने अश्वमेध का अनुष्ठान करने हुए अपने राजपुत्र शत-पन्वित् पाँच और अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र के सरक्षण में अश्व छोड़ा था। उसे निम्नू के दक्षिण तट पर यवनो ने पकड़ लिया। तब अश्व के लिए यवनो का वसुमित्र का नेना में महान् युद्ध हुआ, किन्तु अन्त में वसुमित्र ने यवन-सेना को सिन्धु-तट पर पगाजिन कर अश्व लौटा लिया। उस प्रकार पुष्यमित्र, का यह यज्ञ सफल हुआ। पुष्यमित्र के आक्रमण पर अग्निमित्र ने भी उस यज्ञ में भाग लिया। जायसवाल के मत में पुष्यमित्र का यह द्वितीय अश्वमेध है।' गार्ग्येण ने पुष्यमित्र को प्रथम अश्वमेध के बाद हराया था। गार्ग्येण की हार के बाद अपनी छेप मिटाने के लिए उनमें द्वुवारा यज्ञ किया। पतञ्जलि का 'पुष्यमित्र' याज्याम' इन द्वितीय यज्ञ में ही सम्बद्ध है। यह यज्ञ डेमेट्रियस की पराजय के बाद सम्भव नहीं है; क्योंकि डेमेट्रियस के आक्रमण १८४ ने १६७ ई० पू० के मध्य हुए। पाटलिपुत्र पर आक्रमण १७५ ई० पू० में हुआ। अपोटोडोट्स के अनुसार भी ग्रीकों के दो आक्रमण हुए जिनमें प्रथम पुष्यमित्र के प्राग्भिक काल में हुआ था। इनमें पुष्यमित्र ने मन्त्रि कर ली या वह दब गया, जिनमें अत्रमन्न होकर अग्निमित्र ने विदिशा में स्वतन्त्र मत्ता बना ली। गृह-विद्रोह के कारण डेमेट्रियस के वापस चले जाने पर पुष्यमित्र ने प्रथम अश्वमेध किया। द्वितीय आक्रमण पुष्यमित्र के अन्तिम दिनों में मिनाण्टर ने किया। द्वितीय आक्रमण के समय वसुमित्र ने निम्नू-तट पर उभे हगया। तब उनमें दूस्तरा अश्वमेध किया और अग्निमित्र की अत्रमन्नता दूर हुई। अश्वमेध के शिल्लेख का 'कोमन्दायिपेन द्विरश्वमेधयाजिन पुष्यमिश्रस्य' वाक्य दोनों अश्वमेधों का प्रमाण है। विवम होकर यवनो के चले जाने पर किया गया अश्वमेध पुष्यमित्र के मन का पूर्ण मतोप न दे सका होगा, अतः उनकी वास्तविक पगाजय के माध द्वितीय अश्वमेध किया गया। जायसवाल द्वितीय अश्वमेध गार्ग्येण की पराजय के बाद मानते हैं।' रायचौधरी (पृ० २६७) के मत से दोनों यज्ञ विदर्भ-यवन-विजय के बाद हुए। डॉ० भण्डारकर के मत

१. कलेक्ट्रेड वर्क्स ऑफ् डा० भण्डारकर, भाग २, पृ० ६२६।

२. स्वस्ति यज्ञशरणात् सेनापति. पुष्यमित्रो वैदिशास्यं पुत्रमायुष्मन्तमग्निमित्र परिष्वज्ये. मनुदर्शयति। विदितमस्तु। योऽग्नी राजयज्ञदीक्षितेन मया राजपुत्रशतपरिवृत वसुमित्रं गोप्तारभादिश्य संवत्सरोपावर्तनीयो निरगलस्तु। ज्ञो विसृष्ट. ससिन्धोर्वैदिशणरोषसि चरश्रवा-नीकेन यवनानां प्रायितः। तत् उभयो सेनयोर्महानासीत्संमर्दः।—मालविका०, अंक ५।

३. जर्नल, ऑफ् बंगाल ओरियण्टल रिसर्च सोसा०, भाग १०, पृ० २०५।

४. टॉर्नः ग्रीक्स इन बंकिट्ट्या, पृ० १३३।

५. स्ट्रेबो, ११-५१६।

६. जर्नल ऑफ् बंगाल ओरि० रि० सोसा०, भाग १०, पृ० २०५।

से प्रथम यज्ञ साकेत और मध्यमिका की विजय के बाद और दूसरा वसुमित्र द्वारा यवनो की पराजय के बाद हुआ।

साकेत का अवरोधक कौन था—स्मिथ ने कनिष्प का अनुसरण करते हुए माना है कि विदेशी यवनों ने पुष्यमित्र की ललकार के प्रत्युत्तर-स्वरूप सिन्धु-तट पर उसकी सेनाओं से युद्ध किया। यह सिन्धु नदी काली सिन्धु है, जो मध्य भारत और राजस्थान की सीमा बनाती है। सम्भवतः ये यवन मिनाण्डर की सेना के अग थे, जिन्होंने मध्यमिका पर आक्रमण किया था। यह कथन भ्रातिमूलक है। काली सिन्धु को सिन्धु मानना ठीक नहीं है, क्योंकि शाकल विदिशा और विदर्भ के शासक पर काली सिन्धु के पास यवनो द्वारा आक्रमण की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरे, खारवेल से पराजित होकर पुष्यमित्र मथुरा में रहा था। मथुरा अवश्य ही उसके विरोधी बौद्धों और मिनाण्डर से दूर रही होगी और उसके राज्य में होगी। तब शाकल से बाहर सिन्धु और कौन हो सकती है? तीसरे धारिणी का यह कथन भी कि 'अतिघोरे खलु पुत्रक सेनापतिना नियुक्त' तभी सार्थक हो सकता है, जब वसुमित्र का युद्ध सिन्धु के दूर प्रदेश में हुआ हो, काली सिन्धु के तट पर नहीं, अन्यथा वसुमित्र की विजय का समाचार अग्निमित्र को पत्र द्वारा भेजने की कोई आवश्यकता ही न हुई होती। काली सिन्धु में विदिशा में यह समाचार पहले ही प्राप्त हो गया होता। फिर, स्मिथ ने मिनाण्डर और डेमेट्रियस के आक्रमणों को एक मानकर पुष्यमित्र को खारवेल और मिनाण्डर का समकालीन बना दिया है।^१ यह बात महामेघ-वाहन खारवेल के हथिगुम्फ-शिलालेख के बृहस्पतिमित्र को ही पुष्यमित्र मानने से कही जाती है। पुष्यमित्र के निज के सिक्के भी उपलब्ध हैं। अतः, बृहस्पतिमित्र को पुष्यमित्र मानना ठीक नहीं है। अग्निमित्र के रहेलखण्ड में प्राप्त सिक्के भी किसी अन्य अग्निमित्र के हैं। अग्निमित्र विदिशा में रहता था। उसके सिक्के विदिशा या पाटलिपुत्र में प्राप्त हो सकते थे। पुष्यमित्र के बाद उसका राज्य उसके आठ पुत्रों में विभक्त हो गया था। वासुदेव काण्वायन (मन्त्री) इस वंश के अन्तिम राजा देवहृति को हटाकर स्वयं राजा बन गया। इसीलिए पुराणों ने काण्वो को शुंग-भृत्य कहा है। वासुदेव ने नौ तथा उसके पुत्र भूमिमित्र ने चौदह वर्ष शासन किया।^२ इनके भय से शुंग वंशजों का रहेलखण्ड को भाग जाना सभावित है। आँवला, बदायूँ और अहिच्छत्र में प्राप्त होनेवाले सिक्कों का कारण यह भी हो सकता है।^३ इस प्रकार बृहस्पतिमित्र और पुष्यमित्र एक नहीं है। फिर, हथिगुम्फ-लेख का पाठ निश्चित नहीं है। यदि हम इस पाठ को 'दिमित' मानें, तो यह आक्रामक डेमेट्रियस होगा, मिनाण्डर नहीं। गार्गी संहिता का युग-

१. इण्डिया इन कालिदास भगवतशरण उपाध्याय, पृ० ३६१ से ३६८।

२. अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, चौथा सं० २०९, १० तथा २२७, २२९।

३. पुष्यमित्रसुताश्चाष्टौ भविष्यन्ति समा नृपाः—जर्नल ऑफ बंगाल ओरि० रि० सो०, भाग १०, पृ० २०२ तथा १५, पृ० ५४३।

४. अमात्यो वासुदेवस्तु बाल्याद् व्यसनं नृपम्।

देवभूतिमथोत्साद्यस्वयंतु भविता नृपः॥—(बही)

पुराण पुण्यमित्र के थोड़े ही बाद, अर्थात् प्रथम ई०पू० की रचना मानी जाती है।^१ उनमें मालिगूक मौर्य के ठीक बाद यवन-आक्रमण का उल्लेख है। मालिगूक अशोक का चौथा उत्तराधिकारी था। विष्णुपुराण के अनुसार मालिगूक के बाद तीन राजा हुए—सोमशर्मन् (बापु० पु० का दशवर्षन्), अतवल्न् और बृहद्रथ (बापु० पु० का बृहदश्व)। डेमेट्रियस आक्रमण यदि मालिगूक के ठीक बाद हुआ, तो उनमें और पुण्यमित्र में तीन पीढ़ी का अन्तर रहा होगा। स्मिथ स्वयं मालिगूक (२०६ ई०पू० में पहले) और पुण्यमित्र (१८५ ई०पू०) के बीच इक्कीस वर्ष का अन्तर स्वीकार करते हैं।^२ इन स्थिति में यह आक्रमण पुण्यमित्र के समय में समभव नहीं है। खारवेल ने भी मगध पर दो बार आक्रमण किये। प्रथम में मगधराज पराजित हो गया और द्वितीय में दिमिन पाटलिपुत्र छोड़कर मयूरा भाग गया और खारवेल पाटलिपुत्र का शासक बन गया। दिमिन या डेमेट्रियस के लौटने का कारण यूक्रेटाइडन् (Lucratides) द्वारा गृह-विद्रोह था। 'शूद्राणामनिरवनिनाम्' सूत्र के भाष्य में यवनों की इन वापसी की ओर संकेत है। यह बात पुण्यमित्र में तीन पीढ़ी पहले की है।^३ टॉर्न के अनुसार मिनाण्डर डेमेट्रियस का सेनापति था और दानाद भी।^४ ऐसी स्थिति में मिनाण्डर का पुण्यमित्र का समकालीन होना संभव है। मगध पर आक्रमण के समय वह बर्मनिन (डेमेट्रियस) के साथ रहा होगा और इन आक्रमण के मार्ग में ही साकेत और मध्यमिका पर आक्रमण हुआ होगा। इस दृष्टि में टॉर्न का यह कथन कि पूर्व में मिनाण्डर और पश्चिम में डेमेट्रियस एवं अपोलोडोट्स सेना के नेता थे, सत्य बैठ जाता है। ये दोनों योद्धा दो भिन्न मार्गों द्वारा विजय प्राप्त करने हुए पाटलिपुत्र में जा मिले होंगे। साकेत की आरोप मिनाण्डर और मध्यमिका का डेमेट्रियस द्वारा किया गया होगा। महानाप्य में दोनों अवरोधों को एक साथ और एककृत्तक बतलाया गया है। मार्गों महिता में भी एक ही यवन द्वारा आक्रमण का उल्लेख है।^५ सन्धिना में साकेत के आक्रमण की चर्चा है। युगपुराण के अनुसार पाटलिपुत्र पर अनेक आक्रमण हुए, पर स्मिथ उन्हें एक मानते हैं और वह भी पुण्यमित्र के अन्तिम काल में, जिसका आश्रमक मिनाण्डर था। वास्तव में, पहला आक्रमणकारी डेमेट्रियस था, जिसका पूर्वी सेनापति मिनाण्डर था। कुछ समय पाटलिपुत्र यवनों के हाथ में रहा, पर गृह-विद्रोह के कारण इन्हें शीघ्र वहाँ से हटना पड़ा। इस समय विवश होकर उचने मिनाण्डर को सौंप दिया। मिनाण्डर ने स्वयं को शाकल का शासक घोषित किया। यह बात युगपुराण के भी अनुकूल है।^६

इस समय पुण्यमित्र ने मिनाण्डर को युद्ध के लिए ललकारा और सिन्धु-तट पर उसे पराजित किया। मिनाण्डर की पराजय के बाद शाकल खाली हो गया और तक्षशिला तथा सिन्धु का

१. वही, भाग १४, सन् १९२८, पृ० ५९९।

२. अर्लो हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, पृ० २०७।

३. ग्रीक्स इन वैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पृ० १४०, २२५।

४. जर्नल ऑफ़ अं० ओरि० रि० सो०, १९२८, पृ० ४०२।

५. आकुला. विषया. सर्वे भविष्यन्ति न संशयः।

मध्यदेशे न त्यास्यन्ति यवना युद्धं दुर्मदाः॥—पृ० ४०२, ४०३।

भाग भी स्वतन्त्र हो गया। तब द्वितीय अवधमेव हुआ। यह काम वसुमित्र द्वारा सम्पन्न हुआ, जिसका उल्लेख मालविकाग्निमित्र में मिलता है।

अन्य विद्वानों का मत—पुष्यमित्र १८५ ई० पू० में सिंहासन पर बैठा। यह समय चन्द्रगुप्त मौर्य (३२२ ई० पू०) के काल में से मौर्यों के शासन-काल १३७ वर्ष निकाल देने पर आता है। पार्जितर ने अपनी पुस्तक 'डायनेस्टीज ऑफ कलि एज' (पृ० ३०) में समस्त पुराणों का पाठभेद मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला है। पी० सी० वागची के अनुसार पुष्यमित्र-काल और शीघ्र प्रारम्भ होकर १७५ ई० पू० में समाप्त हो जाता है। वागची के अनुसार दण्ड-निवासी राजा ने डेमेट्रियस को, जिसे उन्होंने क्रिमिष कहा है, अपनी पुत्री से विवाह का प्रलोभन देकर बौद्ध बनने के लिए आमन्त्रित किया। साथ ही यह वचन लेना चाहा कि वह पुष्यमित्र के वध में उसकी सहायता करेगा। डेमेट्रियस ने वैसा किया और युद्ध में एक शिलाखण्ड फेंककर पुष्यमित्र को मार दिया। इसके बाद वह पाटलिपुत्र तक आया, पर गृह-विद्रोह के कारण लौट गया। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद पाटलिपुत्र पर आक्रमण सरल हो गया। वागची का यह कथन ७७० ई० की रचना 'मजुश्रीमूलकल्प' पर आश्रित है। पुष्यमित्र और उसके वंशजों ने कुल मिलाकर १२० वर्ष (पुष्यमित्र ३६, अग्निमित्र ८, वसुज्येष्ठ, ७ वसुमित्र १०, अन्धक २, पुलिन्द, ३, घोष ३, वज्रमित्र ९, भागवत ३२ और देवभूति १० वर्ष) राज्य किया। वायुपुराण में यह काल ११२ वर्ष 'शत पूर्ण दश द्वे च' बतलाया है। दिव्यावदान में पुष्यमित्र का राज्य-काल ६० वर्ष दिया है। आर० सी० मजूमदार के मत से यह काल सेनापतित्व और राजपद दोनों को मिलाकर है। पीटर्सन महाभाष्य में पुष्यमित्र के स्थान में पुष्यमित्र पाठ मानकर उसे स्कन्दगुप्त के साथ युद्ध में पराजित पुष्यमित्र स्वीकार करते हुए उसका समय चतुर्थ ईसवी ठहराया है। देवर के मत से पतञ्जलि पुष्यमित्र के समय में नहीं हुए। यज्ञ-विषयक उल्लेख ब्राह्मणों द्वारा की जानेवाली उसकी सरस स्मृति के परिणाम स्वरूप ही डाल दिया गया है। डी० सी० सरकार के मत से पतञ्जलि पुष्यमित्र के समय में थे, पर उनके मूल महाभाष्य में कुषाण-काल तक परिवर्तन-परिवर्धन होते रहे। बोथॉलिक पतञ्जलि को २०० ई० पू० मानते हैं। मैक्समूलर दूसरे प्रकार

१. वागची : इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टली, भाग २२, पृ० ८१।

२. तदा साकेतमाक्रम्य पञ्चत्त्वान् मयुरां तथा।

यवना दुष्टविक्रान्ता प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वजम् ॥

ततः पुष्यपुरे प्राप्ते कर्मदे प्रथिते हिते।

आकुला विषयाः सर्वे भविष्यन्ति न संशयः ॥

—युगपुराण, ज० आप० बं० ओरि० रि० सो०, भाग १९, पृ० ४२०।

३. इण्डि० हिस्टा० क्वा०, भाग १, पृ० ९१।

४. जर्नल ऑफ् रायल एशिय० सो० बंगाल, भाग १६, पृ० १८९।

५. देवर : आन दि डेड ऑफ् पतञ्जलि—इण्डि० एण्टिक्वेरी, भाग २, पृ० ५७।

६. इण्डि० हिस्टा० क्वा०, भाग १५ पृ०, ६३३।

७. पाणिनिज प्रैमेटिक, पृ० ११।

से इसी मत के समर्थक हैं।' कीय १५० ई० पू० पतञ्जलि-काल वतलाते हैं, यद्यपि उन्होंने 'संस्कृत ज्ञामा' में १४० ई० पू० ही पतञ्जलि का समय माना है।

महाभाष्य का लोप और पुनरुद्धार—पतञ्जलि वैदिक धर्माभिमानी थे। उन्होंने अष्टाध्यायी का पाण्डित्यपूर्ण विवेचन करते हुए व्याकरणविषयक स्वतन्त्र सिद्धान्तों का भी समावेश महाभाष्य में किया और साथ ही वैदिक संहिताओं की अपौरुषेयता, नित्यता एवं स्वतःप्रामाणिकता स्थापित करते हुए उदाहरण-स्वरूप यत्र-तत्र वैदिक एवं सूत्र-ग्रन्थों से वाक्य भी उद्धृत किये। निरुक्त का प्रभाव भी उन पर बहुत था। उन्होंने अनेक स्थानों पर वेद-शब्द-व्युत्पत्ति-कर्ता निरुक्त को ज्यो-कार्यों उद्धृत किया। फलतः, महाभाष्य का स्वरूप अष्टाध्यायी के समान निष्पन्न न रह गया। पाणिनि ने किसी भी दर्शन के प्रति अपना पक्षपात न प्रकट करते हुए प्रवाचनतया लौकिक और आपाततः वैदिक भाषा के शब्दों का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए अपना ग्रन्थ लिखा था। वेदाभिमानी पतञ्जलि द्वारा स्थान-स्थान पर वैदिक वाक्य उद्धृत कर आत्विजीन ब्राह्मणों के लिए लिखा गया ग्रन्थ वेद को प्रमाण न माननेवाले बौद्ध, जैन तथा अन्य दर्शनकारों की दृष्टि में सहज ही खटकने लगा। दूसरे महाभाष्य की रचना के कुछ शताब्दियों बाद बौद्ध एवं जैन सूत्रग्रन्थों पर अबोधोप, असंग, वमुवन्धु, नागार्जुन, उमास्वाति, कुन्दकुन्द आदि बड़े-बड़े विद्वानों ने तत्त्वज्ञान का ऊहापोह करनेवाले ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ किया। इसी समय मीमांसा, न्याय आदि शास्त्रों पर शबरस्वामी, वात्स्यायन, प्रगस्तपाद आदि ने भाष्य-ग्रन्थों की रचना की। स्वभावतया कुछ समय बाद (१०० से ६०० ई०स०) लोगों का ध्यान इन ग्रन्थों की ओर जाने से महाभाष्य का अव्ययन उपेक्षित हो गया और धीरे-धीरे उसकी प्रतियाँ दुर्लभ होने लगीं। इसी समय कातन्त्र और चान्द्र व्याकरणों की रचना हुई। कातन्त्र पाणिनि की परम्परा पर आश्रित न होकर उनसे पूर्ववर्ती कालाप व्याकरण पर आश्रित था। पाणिनि और कात्यायन दोनों ने कालाप और उनकी गिष्य-परम्परा का उल्लेख किया है।^१ भाष्य में भी महावार्तिक के साथ कालापक शब्द आया है और उसके बाद तुरन्त ही पाणिनीय शास्त्र की चर्चा है।^१ इससे

१. हिस्द्री ऑफ़ एनशि० संस्कृत लिटरेचर, पृ० २४४।

२. ४-३-१०४, १०८।

३. ४-२-६५, पृ० १८९।

प्रायेण संक्षेपरुचीनल्पविद्यापरिग्रहान् ।
सम्प्राप्य वैयाकरणान् संग्रहेऽस्तमुपागते ॥
कृतेऽयं पतञ्जलिनौ गुरुणा तीर्थदेशिना ।
सर्वेषां ये च बीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥
अलट्वगाथेगाम्भीर्याद्भुक्तानिव सौष्ठवात् ।
तस्मिन्नकृतबुद्धीनां नैवविस्थितनिश्चय ॥
वैजिसौभवहर्षकैः शुष्कबीजानुसारिभिः ।
आर्वे विप्लविते ग्रन्थे संग्रहप्रतिकञ्चुके ॥
यः पतञ्जलिशिष्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणगमः ।

अनुमान होता है कि पाणिनि से पूर्व कलापी की कोई व्याकरण-शाखा थी। कातन्त्र-व्याकरण उसी पर आश्रित है। इस ग्रन्थ के सूत्र कारिकामय हैं और इसमें अद्यतनी, स्वस्तनी, परोक्षा आदि अपाणिनीय सज्ञाओं का प्रयोग है। कथासरित्सागर के अनुसार सातवाहन नृपति के आज्ञानुसार शर्ववर्मा ने कातन्त्र या कालाप व्याकरण का प्रणयन किया। कार्तिकेय द्वारा इस व्याकरण का उपदेश किया गया, इस धारणा के कारण उसे कौमारव्याकरण भी कहते हैं। चान्द्र व्याकरण के प्रणेता चन्द्रगोमी नामक बौद्ध आचार्य थे। चन्द्रगोमी प्राच्य वैयाकरण-परम्परा के विद्वान् थे। उनका ग्रन्थ पाणिनीय पद्धति पर आश्रित है। इसी समय जैनेन्द्र व्याकरण लिखा गया। इसमें भी पाणिनि-शैली का ही अनुसरण है। शवरस्वामी आदि के भाष्यों को धार्मिक स्वरूप प्राप्त हो जाने के कारण लोगों की प्रवृत्ति उस ओर स्वाभाविक थी। दूसरे इस समय संस्कृत लोकभाषा नहीं रह गई थी। पालि और प्राकृत में ग्रन्थ लिखे जा रहे थे। शास्त्रीय वाङ्मय का अध्ययन करने के पूर्व संस्कृत के कामचलाऊ ज्ञान की आवश्यकता होती थी और वह कातन्त्र, चान्द्र आदि संक्षिप्त व्याकरणों से प्राप्त किया जा सकता था। अष्टाध्यायी को वेदात के रूप में महत्त्व प्राप्त हो चुका था। इसलिए मुख-परम्परा से उसके सूत्र-पाठ का क्रम तो चलता रहा, किन्तु उसके पठन-पाठन की परम्परा लुप्तप्राय हो गई। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड के अन्त में इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि धीरे-धीरे लोगों की रुचि सक्षेप में पढ़ने तथा अल्प-विद्या-परिग्रही हो गई। ऐसे अल्प-विद्या-परिग्रही वैयाकरणों को पाकर संग्रह का पठन-पाठन बन्द हो गया। तब तीर्थदर्शी आचार्य पतञ्जलि ने समस्त न्याय-तत्त्वों का एकत्र निबन्धन कर महाभाष्य की रचना की। किन्तु, महाभाष्य अत्यन्त गम्भीर था और अकृतबुद्धि लोगों के लिए उसकी थाह पाना कठिन था। महाभाष्य संग्रह का प्रतिकचुक स्वरूप था। वैजि, सौभव और हर्यक्ष जैसे शुष्क तार्किकों ने इस आर्षग्रन्थ को विप्लावित कर दिया और धीरे-धीरे यह व्याकरण-शास्त्र पतञ्जलि के शिष्यों के हाथ से निकल गया। इसका पठन-पाठन बन्द हो गया। यहाँ तक कि इसकी प्रतियाँ केवल दाक्षिणात्य प्रदेश में ही कहीं-कहीं बच गईं। तब चन्द्र आदि आचार्यों ने दाक्षिणात्य पर्वत प्रदेश से इसकी प्रति प्राप्त कर इसका पुनः प्रचार किया।

राजतरंगिणी के अनुसार महाभाष्य के प्रथम उद्धारकर्त्ता कस्मीर के राजा अभिमन्यु थे। उन्हीं के आदेश से आचार्य चन्द्रगोमी ने महाभाष्य का फिर से प्रवर्तन किया और स्वयं भी एक नवीन व्याकरण बनाया।^१ डॉ० ओटो बोर्थाल्क के अनुसार अभिमन्यु का काल ई०पू०

काले स दाक्षिणात्येषु ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः ॥
पर्वतादगमं लब्ध्वा भाष्यवीजानुसरिभिः ।
स नीतो बहुशास्त्रत्वं चन्द्राचार्यादिभिः पुनः ॥

--वाक्यपदीय २-४८४-४८९।

१. आविर्बभूवाभिमन्युः शतमन्युरिवावरः ।
चन्द्राचार्यादिभिर्लब्ध्वा देशतस्मात्तदागमम् ॥
प्रवर्तितं महाभाष्यं स्वं च व्याकरणं नवम् ।

—राजतरंगिणी, १-१७४ तथा १७६ ॥

१०० तथा लैसेन के अनुसार ४० से ६५ ई० तक है। अन्य विद्वानों के मत से चन्द्रगोमी का समय पाँचवीं शती का अन्तिम चरण है। छठी शताब्दी के लगभग उपर्युक्त कारणों से ही महाभाष्य का प्रचलन फिर कम हो गया। तब कश्मीर के जयापीड ने देशान्तरों से विद्वानों को बुलाकर विच्छिन्न भाष्य-परम्परा को पुनः प्रवृत्त किया। वास्तव में, महाभाष्य के प्रचार का बहुत कुछ श्रेय भर्तृहरि और कैयट को है। भर्तृहरि के वाक्यपदीय तथा महाभाष्य-दीपिका ने लोगों को महाभाष्य की ओर उन्मुख किया। दीपिका के केवल सात ही आह्निक हस्तलिखित रूप में उपलब्ध हैं। इससे पता चलता है कि वह भी कालान्तर में लुप्त हो गई थी। यह टीका 'विस्तृत' थी। नागेशभट्ट ने लघुशब्देन्द्रशेखर में 'सौज्यमक्षरसमाम्नाय, पुष्पित' आदि पर 'भर्तृहरि की टीका उद्धृत की है। जयादित्य और भर्तृहरि के समय में विशेष अन्तर नहीं है। भर्तृहरि के वाक्यपदीय ने महाभाष्य को दर्शन-ग्रन्थों की कोटि में पहुँचा दिया। इसके परिणामस्वरूप उसके अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। ६९० ई० में, अर्थात् भर्तृहरि के कोई पचास वर्ष बाद इत्सिंग ने जो अपने सस्मरण लिखे, उनमें उसने महाभाष्य का भी उल्लेख किया। उसने महाभाष्य को २४००० श्लोकों का चूर्णग्रन्थ कहा।^१ यद्यपि वह कात्यायन के वार्तिकों को भूल से काशिका-वृत्ति-सूत्र कह गया। डॉ० भण्डारकर ने इस भूल की ओर संकेत करते हुए कहा है कि काशिका या जयादित्य के किसी अन्य ग्रन्थ को वृत्ति-सूत्र मान लेना या तो इत्सिंग की भूल है या उसे समझने में और आगे चलकर उसका अनुवाद करने में दूसरों ने भूल की है।^२

१. देशान्तरा दागमध्यायव्याचक्षणाणान् क्षमापतिः।

प्रावर्तयत विच्छिन्नं महाभाष्यं स्वमण्डले॥

—राजत० ४-४८८।

२. देयर इज ए कम्पेण्टरी ऑन इट (दि वृत्तिसूत्र—दि काशिकावृत्ति) एण्टाइटलड चूर्ण, कर्पेटिंग २४००० श्लोकस। इट इज ए वर्क ऑफ् दि लनेंड पतञ्जलि—मैक्समूलर द्वारा अपने रिनेसाँ ऑफ् सं० लिटरेचर में उद्धृत।

३. ह्वेन इत्सिंग स्पीक्स ऑफ् पतञ्जलिज वर्क एज ए कम्पेण्टरी ऑन दि वृत्तिसूत्र ऐण्ड ऑफ् जयादित्य काशिका आर सम वर्क ऑफ् जयादित्य आर हैज बीन मिस अण्डरस्टूड आर मिस ट्रान्सलेटेड लेटर।—कलेक्टेड वर्क्स ऑफ् भण्डारकर, भाग १, पृ० १५८।

खण्ड २
भारत की भौगोलिक स्थिति

साय वही है, जो बौधायन धर्मनूत्र या वामिष्ठ धर्मशास्त्र की है। वामिष्ठ धर्मशास्त्र ने पारियात्र के अतिरिक्त विन्ध्य भी आर्यावर्त की दक्षिणी सीमा माना गया है।^१ बौधायन ने आरट्ट, कारस्कर, पुण्ड्र, सौवीर, वग और कलिग को पतित देस कहा है तथा इनमें जानेवालों की धृष्टि के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है।^२ भाष्यकार ने भी अक्षयवनादि देसों को निरखसित या बहिष्कृत माना है और इनकी वही स्थिति स्वीकार की है, जो चातुर्वर्ण्य में शूद्रों की थी। बौधायन के समान वे भी आरट्ट या वाहीक देस को पतित मानते थे। उन्होंने कहा है कि यद्यपि नूत्रंवादि गुणों के साम्य के कारण वाहीक-वासी को गो या पशु कह देते हैं, किन्तु जहाँ गो या अज के बलि-प्रदान का विधान होता है, वहाँ वाहीक की बलि नहीं दी जाती।^३

प्रादेशिक विभाग—दिशाओं के आधार पर भी पतञ्जलि ने भारत के विभाग किये हैं। आर्यावर्त की सीमा से मिले हुए वाहीक-प्रदेश से आगे के स्थलों को उन्होंने उदीच्य कहा है और विन्ध्य या पारियात्र ने दक्षिण की ओर के प्रदेश को दक्षिणापथ। इस प्रदेश के निवासी दक्षिणात्य कहलाते थे। उन्होंने कात्यायन (वार्त्तिककार) को भी दक्षिणात्य कहा है और दक्षिणात्यों की एक विशेषता बतलाई है—उनका तद्धितान्त प्रयोगों के प्रति प्रेम। कहा नहीं जा सकता कि दक्षिणात्य से उनका आशय आर्यावर्त के अन्तर्गत दक्षिण प्रदेश से था या दक्षिणापथ से। वर्तमान भारतीय भाषाओं में नराठी की प्रवृत्ति तद्धितान्त प्रयोगों की ओर सर्वाधिक है। इससे अनुमान होता है कि यह दक्षिणात्य प्रदेश महाराष्ट्र रहा होगा। दक्षिण में वे न केवल चोल, केरल और पाण्ड्य जनपदों तथा कन्याकुमारी, अनूप, नासिक्य आदि नगरों में परिचित थे, अपितु इन स्थानों की भाषागत विशेषताओं को भी जानते थे। उन्होंने कहा है कि दक्षिणापथ में ऋङ्-वङ् सरो को सरसी कहते हैं।^४ उदीच्य और प्रतीच्य सीमान्त-प्रदेशों के भी अनेक वार्य और आर्यवर जनपदों का उल्लेख उन्होंने किया है। कम्बोज, गान्धार, बाह्लीक, नैथ, दारद, सिन्धु, सौवीर काश्मीर, गैव एवं वासात् जनपदों तक की उन्हे जानकारी थी।

पतञ्जलि ने दक्षिणापथ को छोड़कर शेष भारत को प्राचीन और उदीचीन भागों में बाँटा है।^५ यद्यपि इन शब्दों के साथ उन्होंने प्रतीचीन शब्द का भी उल्लेख किया है, किन्तु किसी प्रतीचीन नगर या ग्राम का वर्णन नहीं किया है। उदीच्य ग्राम और वाहीक ग्राम दोनों का पृथक्-पृथक्

१. शिष्टाः खलु विगतमत्तरा निरहङ्कारा. कुम्भीधान्याः अलोलुपा दम्नदप्लोममोह-
क्रोधविवर्जिताः।—बौधा० १-१-५ तथा शिष्टः पुनरकामात्मा।—वासिष्ठ, १-६।

२. उत्तरेण हि विन्ध्यस्य।—वासिष्ठ, १-९।

३. आरट्टान् कारस्करान् पुण्ड्रान् सौवीरान् कलिङ्गान् प्रानूनामिति च गत्वा पुनस्तोमेन
यजेत सर्वपृच्छया वा।—बौधा० १-१-१५।

४. ८-३-८३, पृ० ४५८।

५. ४-२-१०४, पृ० २०५।

६. प्रियतद्धिता दक्षिणात्याः।—आ० १, पृ० १८।

७. दक्षिणापथे महान्ति सरसि सरस्य इत्युच्यन्ते।—१-१-१९, पृ० १९०।

८. ५-४-८, पृ० ४८५।

उल्लेख इस ओर संकेत करता है कि उदीच्य देश पूर्वी पंजाब से ऊपर का क्षेत्र माना जाता था।^१ इन दोनों से भिन्न 'प्राचाम्' ग्राम-नगर थे।^२ पाणिनि ने 'प्राचाम्' मत अनेक बार उद्धृत किया है। उनकी दृष्टि में कुश्क्षेत्र और पंचाल प्राच्यदेश थे। पतजलि ने उदीच्य और प्राच्य शब्दों का प्रयोग दो अर्थों में किया है। पाणिनीय सूत्रों से जिन स्थानों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध में उन्होंने उसी अर्थ में इन शब्दों का व्यवहार किया है, जिस अर्थ में पाणिनि ने। किन्तु, जहाँ स्वतन्त्र रूप से इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहाँ प्राच्य का अर्थ 'आर्यावर्त से पूर्व का प्रदेश' है, जिसमें विदेह, वृजि, मगध आदि थे। इस प्रकार, पाणिनि और पतजलि के प्राच्यदेश भिन्न-भिन्न हैं।

आर्यावर्त की सीमा के भीतर भी प्राच्य, उदीच्य और मध्यम विभाग थे।^३ पतजलि द्वारा उल्लिखित प्राच्यादि चरण आर्यावर्त की सीमा के ही भीतर थे।

आर्यावर्त में रहनेवाले शिष्ट लोगों के लिए भाष्य में सामान्यतया आर्य शब्द का प्रयोग है, किन्तु बाह्य लोगों का अभिधान उनके प्रदेश के नाम से हुआ है। उदाहरणार्थ—उन्होंने कहा है कि गति अर्थ में 'शव' धातु का व्यवहार कम्बोजो में ही होता है। आर्य लोग विकार अर्थ में ही इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार, जाने के अर्थ में सुराष्ट्र में 'हम्म' धातु प्रचलित है, प्राच्य और मध्य देशों में 'रह्' तथा आर्यों में 'गम्'। प्राच्यों में काटने के अर्थ में 'दाति' शब्द का प्रचार है, किन्तु उदीच्य देशों में 'दात्र' का।^४ प्राच्य-मध्य या प्राच्य और मध्यदेश से उनका क्या आशय है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। वास्तव में, भाष्यकार के प्राच्य, प्राच्य-मध्य, मध्यम, दक्षिणात्य, प्रतीच्य आदि देशों के बीच कोई निश्चित सीमारखा नहीं है। स्थूल रूप से आर्यावर्त को केन्द्र मानकर उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है।

पूर्व में अंग वग, सुह्य और पुष्ट्र तक से उनका परिचय था।

जनपद और विषय—पतजलि ने जनपद, विषय, निवास और देश शब्दों का प्रयोग भिन्न अर्थों में किया है। जनपद किसी-न-किसी क्षत्रिय जाति के नाम पर बने थे। कोई क्षत्रिय जाति जितने प्रदेश पर अधिकार करके वहाँ बस गई, उतना प्रदेश उस क्षत्रिय जाति के नाम पर पुकारा जाने लगा। कम्बोज, गान्धार, काश्मीर, अंग, वंग, चोल, केरल, अवन्ति आदि इसी अर्थ में जनपद थे। कभी-कभी एक 'जन' की स्थिति दुर्बल हो जाती थी और दूसरा 'जन' उसके प्रदेश पर अधिकार कर लेता था। ऐसी स्थिति में प्रथम लोगों का वह निवासमात्र रह जाता था और द्वितीय जन का विषय या विषयाभिधान जनपद बन जाता था। भाष्य ने जहाँ किसी प्रदेश को

१. अष्टा० ४-२-१०९ तथा ११७; भाष्य ४-२-१०४, पृ० २०५-६।

२. ७-३-१४, पृ० १७९।

३. त्रयः प्राच्याः, त्रयः उदीच्याः, त्रयो मध्यमाः सर्वे निवासलक्षणाः।—४-२-१३८, पृ० २१८।

४. शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति विकार एतमार्या भाषन्ते शव इति। हम्मतिः सुराष्ट्रेषु रंहतिः प्राच्यमध्येषु, गमिनेव त्वार्याः प्रयुञ्जते। दातिर्लवनायं प्राच्येषु दात्र-मुदीच्येषु।—आ० १, पृ० २१।

किन्हीं लोगों का निवास कहा है, वहाँ उनका तात्पर्य केवल निवास से है, यह आवश्यक नहीं कि वहाँ उनका आधिपत्य भी हो। उदाहरणार्थ—मालावत लोगो का निवास मालावत-प्रदेश था।^१ विषय का अर्थ अधिकृत देश था। यह आवश्यक नहीं कि अधिकारी 'जन' उस प्रदेश के निवासी भी हो। उदाहरणार्थ—शैव, वासात्, गान्धार, बग, सुह्य, पुण्ड्र, राजन्य दैवयातव आदि विषय इन प्रदेशो पर सम्बद्ध जातियो के अधिकार को सूचित करते हैं। सम्भव है, इनमे किसी जाति का ऐसा विषय भी हो, जिसमे वह रहती न हो।^२ देश शब्द सामान्यतया स्थान का छोटक था। उसका विशेष नाम दो कारणो से पडता था। किसी जाति का निवास होने के कारण या उसके अभिजन-सम्बन्ध से। कोई देश तब किसी जाति का निवास कहला सकता था, जब वह जाति वहाँ बसती हो। अभिजन के लिए वर्तमान काल मे रहना आवश्यक न था।^३ पूर्वजो के निवास अधिजन माने जाते थे। भाष्य मे जनपद शब्द ग्राम-समूह के अर्थ मे कई बार प्रयुक्त हुआ है। जातिविशेष, उसके जनपद और उस जनपद के राजा के लिए एक ही शब्द का व्यवहार होता था।^४

जनपदो मे कभी-कभी दो या अधिक सयुक्त हो जाते थे। तब वे जनपद-समुदाय कहलाते थे।^५ क्षुद्रक-मालव या काशी-कोशल इस प्रकार के जनपद-समुदाय थे। किसी-किसी जनपद के अन्तर्गत कई छोटे-छोटे जनपद उसके प्रान्त-रूप मे होते थे। इन्हे जनपदावयव कहते थे।^६ साल्व के कई षटक साल्वावयव के नाम से प्रसिद्ध थे। कुछ जनपद मिलकर एक राष बना लेते थे। त्रिगर्त्तषष्ठ इस प्रकार का जनपद-सघ था।^७ एक ही जनपद के प्रान्तो मे सीमा पर के छोटे जनपद जनपदावधि कहे जाते थे।^८

देश—देश शब्द का प्रयोग जनपद, विषय या निवास अर्थ के अन्तर्भाव के बिना ही होता था। इसी आशय से भाष्यकार ने कहा है कि जो शब्द एक देश मे प्रयुक्त नहीं होते, वे देशान्तर मे प्रयुक्त होते हैं। देशो मे कम्बोज, सुराष्ट्र आदि भी गृहीत होते थे और प्राच्य, मध्य आदि भी, इसी सामान्य अर्थ मे भाष्य मे प्राचा देश, उदीच्य देश या दाक्षिणात्य देश शब्दो का व्यवहार^९ है और लोहितगग, उन्मत्तगग, द्वीरावतीक, निर्ग आदि का भी।^{१०} इन स्थानो मे देश शब्द छोटे-से क्षेत्र का वाचक है। बस्ती या निवास के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं।

राष्ट्र—राष्ट्र शब्द का भी व्यवहार पतञ्जलि ने किया है, किन्तु उसका निश्चित स्वरूप

१. ४-२-७२, पृ० १९५।

२. ४-२-५२, पृ० १८४।

३. निवासो नाम यत्र सम्प्रत्युष्यते अभिजनो नाम यत्र पूर्वैरवितम्।—४-३-९०, पृ० २४४।

४. ४-१-१६, पृ० १६२।

५. ४-१-५४, पृ० ६८।

६. ४-२-११३, पृ० २१७ तथा ४-१-१७३।

७. ५-३-११६, का०।

८. ४-२-१२४, पृ० २१५।

९. आ० १, पृ० २१।

१०. १-४-१, पृ० १०७।

उन्होंने उपस्थित नहीं किया है। पाणिनि और पतंजलि दोनों से इतना संकेत अवश्य मिलता है कि राष्ट्र किसी राजा के अधीन प्रदेश को कहते थे।^१ उसमें किसी जाति-विशेष के निवास-स्थान या उसके द्वारा अधिकृत विषय होने का अर्थ निहित नहीं था। 'नेशन' के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है।

तीर्थ—अनेक जनपदों, उनमें निवास करनेवाली जातियों, पर्वतो, पर्वतीय निवास-देशो, उनमें वसी जातियो, नगरो, ग्रामों और नदियो से परिचय पाने के वाद भी महाभाष्य के पाठको को यह देखकर आश्चर्य होता है कि सम्पूर्ण भाष्य में किसी स्थल का तीर्थ के रूप में उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं, तीर्थ शब्द तक केवल एक बार आया है और वह भी गुरुकुल के अर्थ में।^२

समुद्र—भाष्यकार के भारत का दर्शन तबतक पूर्ण नहीं होता, जबतक तीन सीमान्तों पर उसका पाद-प्रक्षालन करनेवाले समुद्रों का दर्शन न कर लिया जाय। उन्होंने वाडव-सहित समुद्र का अनेक बार उल्लेख किया है।^३ जिस प्रकार हिमालय के समानार्थी अनेक शब्दों में केवल हिमवान् से उन्हे प्रेम है, उसी प्रकार सागर के अनेक पर्यायो में समुद्र से। सागर ही नहीं, सागर से सम्बद्ध प्रदेशो में कच्छ, द्वीप, अनूप, अन्तरीप और अन्वीप नाम भाष्य में आये हैं।^४ कन्यानूप से तो वे परिचित थे ही।

सांस्कृतिक एकता—पतंजलि द्वारा वर्णित देश के भीतर हिन्दूकुल से हिन्द-महासागर तक (जिसमें अफगानिस्तान का भी अधिकांश सम्मिलित है) तथा कच्छ-काठियावाड से आसाम तक का सारा क्षेत्र आ जाता है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो जातियाँ इस क्षेत्र के भीतर रहती रहीं हैं, वे रहन-सहन के सामान्य भेदों के होते हुए भी कुछ सामान्य सूत्रों में आवद्ध थीं। इनमें सबसे बढ़कर एकसूत्रता भाषा की थी।

१. यो हि राष्ट्रे प्रायेण भवति तत्र भवोसौ भवति। —४-३-३९, पृ० २३३।

२. २-१-४२, पृ० २९४।

३. ८-१-४, पृ० २६४।

४. १-१-६७, पृ० ४२१ तथा १-४-९, पृ० १३६।

अध्याय २

पर्वत और अरण्य

हिमवान्—आर्यावर्त्त की सीमा के वर्णन-प्रसंग में भाष्यकार ने हिमवान् और पारियात्र का उल्लेख किया है।^१ हिमवान् भारत की उत्तरी सीमा का प्रहरी रहा है। यह नाम सार्थक था, क्योंकि इसकी चोटियों पर बारहो मास बर्फ जमी रहती है। हिमवान् को शृंग-श्रेणियाँ 'हिम्य' कही जाती थी।^२ हिम की अधिकता के कारण यह सजा दी गई थी। इसके ठीक विरुद्ध वे पर्वत हैं, जिनपर हिम का लेशमात्र नहीं रहता। ये पर्वत 'हिमेलु' कहे जाते थे।^३ भाष्यकार हिमालय की महत्ता, तुग्ता और विस्तार से परिचित थे।^४ उन्होंने गुस्ता के प्रतीक के रूप में उसका वर्णन किया है।^५ हिमालय पर जमनेवाली बर्फ का अम्बार 'हिमानी' कहलाता था।^६ शृंगो पर जमी हुई बर्फ ग्रीष्म काल में पिघलती है, जिससे नदियों में पूर आता है। भाष्य में इसे 'हिमश्रय' कहा है।^७ हिमश्रय हिमालय से निकलनेवाली नदियों को सतत जल प्रदान करता रहता है। इन नदियों में गंगा का उल्लेख भाष्य में विशेषतः हुआ है।^८

हिमशृंग—भाष्य में हिमालय की दो चोटियों के नाम मिलते हैं। ये चोटियाँ 'सौर्य' कहलाती थी, जिनके कारण हिमालय का एक नाम 'सौर्यी' भी था। सौर्य-शृंग कौन-से हैं, यह पता अभी तक नहीं लग सका है। 'प्रस्थ' भी हिमालय के दो शृंग बतलाये गये हैं। प्रस्थ सौर्य-शृंगो का ही दूसरा नाम था या अन्य किन्हीं शिखरों का, अथवा पर्वत के ऊपर की सपाट भूमि के अर्थ में प्रस्थ शब्द आया है, यह निश्चयपूर्वक कह सकना कठिन है। भाष्यकार ने सौर्य और प्रस्थ दोनों का प्रयोग द्विवचन में किया है, जिससे यह अनुमान होता है कि वे हिमालय की किन्हीं दो चोटियों से अवश्य परिचित थे। सौर्य-शृंगो के कारण ही हिमालय का नाम सौर्यी पडने से इतना तो निर्विवाद है कि सौर्य किसी विशेष चोटी का नाम था, सामान्य सजा शब्द नहीं था। प्रस्थ के

१. २-४-१०, पृ० ४६५।

२. ५-२-१२०, पृ० ४२०।

३. ५-२-१२२, पृ० ४२१।

४. ५-३-५५, पृ० ४४५।

५. १-४-१३, पृ० १४०।

६. ४-१-४९, पृ० ६३।

७. १-१-४, पृ० १३३।

८. १-४-३१, पृ० १६६।

९. सौर्यो हिमवतः शृङ्गे। तद्वान् सौर्यो हिमवान्।—१-१-५७, पृ० ३७१।

विषय मे यह बात नहीं कही जा सकती। फिर भी, प्रस्थ हिमालय की ही चोटियाँ थी। अन्य किसी पर्वत की चोटी के लिए यह शब्द प्रयुक्त नहीं होता था। 'प्रस्थे हिमवत. शृङ्ग' का अर्थ यह भी हो सकता है कि हिमालय की दो चोटियाँ प्रस्थ (ऊपर समतल स्थानवाली) है। हिमवान् का एक शृंग गौरीगकर मध्य मे नीचा होकर पूर्व और पश्चिम छोरों पर ऊँचा है। इस कारण वह एक होकर भी 'द्विवत्' प्रतीत होता है। सभव है, इसी शृंग को प्रस्थ कहते हों।

भाष्यकार ने हिमालय को गमनशील कहा है। यह उससे पिघलकर बहनेवाली बर्फ या निकलनेवाली नदियों को लक्ष्य कर कहा गया है।^१ सामान्यतया पर्वत त्रिकाल-स्थिर कहे गये हैं।^२

त्रिककुत्-श्रेणी—प्राचीन ग्रन्थो मे हिमालय के अनेक नाम मिलते है, किन्तु पतञ्जलि ने सर्वत्र हिमवान् शब्द का ही प्रयोग किया है। हिमालय का विस्तार सुलेमान पर्वत-श्रेणी से लेकर भारत की समस्त उत्तरी सीमा आसाम तथा पूर्व मे अराकान पर्वत-श्रेणियो तक माना गया है। पाणिनि भी इससे परिचित थे। उन्होने त्रिककुत् का उल्लेख किया है, जो काशिकाकार के अनुसार ककुदाकार शृंगोवाले पर्वत-विशेष का नाम था।^३ तीन शिखरोवाले अन्य पर्वत त्रिककुद् कहे जाते थे। किशुलकादि गण के साल्वकागिरि, अजनागिरि, भजनागिरि, लोहितागिरि और कुक्कुटागिरि सुलेमान और समीपवर्ती पर्वत-श्रेणियो के नाम थे।^४ इनमे कुक्कुटागिरि का उल्लेख तो पालि-ग्रन्थो मे भी मिलता है।^५ अजनागिरि का उल्लेख रामायण के किष्किन्वाकाण्ड (३७-५) मे है। यह सुलेमान पर्वत का ही प्राचीन नाम है। यह वलूचिस्तान को पजाब और पश्चिमोत्तर प्रदेश से पृथक् करता है। इसकी सबसे ऊँची चोटी तस्ते सुलेमान ११२९५ फुट ऊँची है। इसी प्रकार अजनागिरि का वर्णन जातक (५-४५१) मे पाया जाता है। पाणिनि ने आयुवर्जीवियो के निवास-पर्वतो की चर्चा की है और काशिकाकार ने उनमे हृद्गोल, अन्वकवर्त, रोहितगिरि एव ऋषोद नाम गिनाये हैं।^६ ये सब भी सुलेमान पर्वत-श्रेणी के ही अंग हैं। हृद्गोल का प्राकृत नाम हिगुल है, जो अधोर या हिगुला नदी के किनारे, समुद्र-तट से कोई २० मील की दूरी पर पर्वत-श्रेणी के छोर के रूप मे वलूचिस्तान मे अवस्थित है।^७ जातक (५-४१५) मे भी हिगुलागिरि हिमालय मे ही बतलाया गया है। लोहितागिरि हिन्दुकुग पर्वत का पुराना नाम है, जिसके आधार पर अफगानिस्तान को प्राचीन काल मे रोह नाम दिया गया था। पतञ्जलि

१. ३-३-५८, पृ० ३०८।

२. हिमवानपि गच्छति।—३-२-१२३, पृ०. २५६।

३. वही, पृ० २५५।

४. त्रिककुत् पर्वते ककुदाकारं पर्वतस्य शृङ्गं ककुदमित्युच्यते। न च सर्वत्रिशिखरः पर्वतस्त्रिककुत्। किं तर्हि? संज्ञया पर्वतविशेषस्य। त्रिककुदोऽप्युः।—५-४-१४७, काशि०।

५. ६-१-११७।

६. अवदान, पृ० १७८।

७. ४-३-९१।

८. वे० ज्या० डिक्श०, पृ० ७५।

का मालावत या वर्तमान मलाकन्द भी, जो स्वात नदी के दक्षिण में है, इसी श्रेणी का अंग है। श्री वी० सी० ला के मत से हिन्दुकुश का प्राचीन नाम माल्यवत् था।^१ रामायण और कालिदास ने माल्यवान् लका और चित्रकूट के बीच माना है। सम्भव है, मालावत ही हिन्दुकुश का प्राचीन नाम रहा हो। कापिशो के साथ भाष्यकार ने पार्ययन का उल्लेख किया है।^२ डॉ० वा० अ० अग्रवाल के मत से यह किंगुलकागिरि का प्रदेश है, जिसे प्राचीन लेखको ने *pardene* कहा है।^३ पार्यायन शब्द, पतञ्जलि के अनुसार, पर्दि से बना है। डॉ० अग्रवाल के मत को स्वीकृत करने पर किंगुलक, हिगुला और पर्दि पर्यायवाची ठहरते हैं। दरद की चर्चा भाष्य में बार-बार हुई है। दरद पर्वत-श्रेणी तथा उसके निवासियों से भाष्यकार का निकट परिचय जान पड़ता है।^४ दरद में होकर वहने के कारण सिन्धु दारदी कही गई है।^५ उत्तर-पश्चिम पर्वत-श्रेणियों को छोड़कर हिमवान् के अन्य भागों का उल्लेख भाष्य में नहीं मिलता।

हिमवान् के अवान्तर भाग—हिमालय के तीन विभागों महाहिमवान्, क्षुद्रहिमवान् और बर्हिहिमवान् से भी भाष्यकार परिचित जान पड़ते हैं। 'जम्बूदीवपण्णति' में भी इन विभागों की चर्चा आई है। इससे अनुमान होता है कि भाष्यकार ने 'महान् हिमवान्' का उल्लेख पूर्वीय पर्वत-माला के लिए उसके विशिष्ट अर्थ में ही किया है। पाणिनि का 'गिरेश्च सेनकस्य' सूत्र (५-१-११२) भी इस ओर सकेत करता है कि पतञ्जलि-काल में ऊँचाई और विस्तार की दृष्टि से हिमालय के अवान्तर भेद और नाम प्रचलित थे। इस सूत्र के अनुसार निम्न शब्द सजावाचक थे। उदाहरणार्थ—अन्तर्गिरि सन्तालपरगना जिले की राजमहल पहाड़ियों का एक भाग कहलाता था।^६ हिमालय की अधित्यका बर्हिगिरि कहलाती थी।^७ उपत्यका हाथियों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध थी।^८ यह नेपाल की तराई और पूर्व का भाग है। पर्वत वृक्षों से भरे-पूरे होते हैं, यह अनुमान भाष्यकार ने हिमवान् को देखकर ही किया होगा।^९

पारियात्र—पारियात्र आर्यावर्त की दक्षिणी सीमा थी। भाष्यकार ने आर्यावर्त की सीमा के प्रकरणों को छोड़कर अन्यत्र भी हिमवान् के साथ ही पारियात्र का उल्लेख किया है।^{१०}

१. अग्रवाल : पाणिनि, पृ० ४१ तथा हिस्टा० ज्याग्रा०, पृ० १८।
२. ४-२-९९, पृ० २०३।
३. हिस्टा० ज्याग्रा०, पृ० ४०।
४. ४-१-१२०, पृ० १४१, ६-३-३४, पृ० ३२०; ६-३-४२, पृ० ३२९।
५. ४-३-८३ काशि०।
६. पाजिटर: मार्क० पु०, पृ० ३२५ नोट।
७. ७-३-४५, पृ० १८९। श्री ला (ड्राइन्स इन ऐन इ०, पृ० ३८९) के अनुसार भागलपुर और मुँगेर के पासका पहाड़ी क्षेत्र बर्हिगिरि था।
८. ५-२-९४, पृ० ४०८।
९. वही, पृ० ४०३।
१०. ८-१-४, पृ० २६४।

धर्मसूत्र भी पारियात्र को उत्तरापथ और दक्षिणापथ के बीच सीमा-रेखा मानते हैं। पारियात्र का सर्वप्रथम उल्लेख बौधायन (१-१-२५) में मिलता है। स्कन्दपुराण में इसे भारतवर्ष के मध्य में स्थित और कुमारीखण्ड का दूरतम छोर बतलाया है। पाजिटर के मत से पारियात्र वर्तमान भोपाल के पश्चिम में स्थित विन्ध्य भाग तथा अरावली पर्वतों का प्राचीन नाम था।^१ इसी को टालेमी (Ptolemy) ने Apokopa कहा है।^२

विन्ध्य—विन्ध्य की चर्चा भाष्य में आनुपगिक रूप से ही आई है—कोई चाहे, तो छोटी-सी धान्य-राशि को विन्ध्य कह सकता है। इससे स्पष्ट है कि पतजलि विन्ध्य की ऊँचाई से परिचित थे। इसीलिए, उन्होंने वर्धितक की उपमा हिमवान् से न देकर विन्ध्य से दी है।^३ पतजलि काल में विन्ध्य शब्द वर्तमान विन्ध्य पर्वत की उस श्रेणी के लिए प्रयुक्त होता था, जो नर्मदा और ताप्ती का उद्गम-स्थल है और जिसे टालेमी ने ओइण्डन (Oindon) कहा है। विन्ध्य के विभिन्न भागों के अलग-अलग नाम थे। उदाहरणार्थ—विन्ध्य-पाद-पर्वत उस श्रेणी का नाम था, जिसे टालेमी ने Sardonyx बतलाया है। यह ताप्ती का उद्गम-स्थल सतपुडा-श्रेणी है।

विद्वर—विद्वर पर्वत वैदूर्य मणि का प्रभव माना जाता था। वास्तव में, इसका नाम बालवाय था, किन्तु वैयाकरण विद्वर कहते थे।^४ वैदूर्य मणि विद्वर में उत्पन्न नहीं होती थी, वहाँ उसका संस्कार किया जाता था।^५ विद्वर सतपुडा की उस श्रेणी को कहते थे, जिससे होकर ताप्ती की सहायक नदियाँ पयोष्णी और नर्मदा बहती हैं।^६ यह गुजरात-प्रदेश में है। महाभारत के अनुसार अगस्त्य का आश्रम इस पर्वत पर था। सह्याद्रि से सबसे सबसे महत्त्वपूर्ण पर्वत यही है। पश्चिमी घाट-श्रेणी का उत्तराचल इसके अन्तर्गत था, किन्तु महाभारत के अनुसार इसमें दक्षिणी विन्ध्य का एक भाग तथा सतपुडा-श्रेणी सम्मिलित थी।

खलतिक—खलतिक पर्वत के चारों ओर के वन भी खलतिक कहलाते थे।^७ पतजलि के अतिरिक्त अशोक के गुफा-लेखों (स० २, ३) में भी इसका उल्लेख है। गया के उत्तर और राजगृह के पश्चिम में स्थित वर्तमान बराबर पहाड़ियों का ही दूसरा नाम खलतिक था।^८

अरण्य

पतजलि के समय में देश का एक बड़ा भाग वनों या अरण्यों से घिरा था। अरण्य पञ्च

१. ला : भाउ० ऑफ् इण्डिया, पृ० १७-१८।

२. मैकडिल : टालेमी, पृ० ३५५।

३. २-३-५०, पृ० ४४२।

४. वैयाकरणः बालवायं विद्वर इत्युपाचरन्ति।—४-३-८४, पृ० २४३।

५. अयुक्तोऽयं निर्देशो न ह्यसौ विद्वरात् प्रभवति, विद्वरे संक्रियते।—वही।

६. महाभारत, ३-१२१-१६ से १९।

७. खलतिकस्य पर्वतस्यादूरभवानि खलतिकं वनानि।—१-२-५२, पृ० ५५५।

८. जर्नल ऑफ् बंगाल ओरियण्टल रिसर्च सोसायटी, जिल्द १, भाग २, पृ० १६२।

आखेट की वस्तु थे। वन्य पशुओं और पक्षियों का शिकार अनेक लोगों का नियमित व्यवसाय था। अरण्य गम्य और अगम्य दोनों प्रकार के थे। देवीपुराण (अध्याय ७४) में वर्णित नौ यावन अरण्यो में दण्डकारण्य प्रायः अगम्य माना जाता था। इन नौ महावनो में ही कुरू-जागल भी था। जिसकी ओर पाणिनि (७-३-२५) ने संकेत किया है। भाष्यकार इससे अवश्य परिचित रहे होंगे, यद्यपि उन्होंने उसका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया है।

महाभाष्य में वन, अरण्य और कान्तार शब्द मिलते हैं। यात्री कान्तार में होकर जाते समय लुट जाने के डर से दलबद्ध होकर चलते थे। जगल-पथ, कान्तार-पथ और उनसे लाई जानेवाली वस्तुओं से भाष्यकार परिचित थे।^१ उन्होंने आरण्यक पशु, मनुष्य, हस्ती, सुमनस् और विहार का भी उल्लेख किया है।^२ हस्ती अरण्यो से ही पकड़कर लाये जाते थे। देवीपुराण के नौ महावनो में हिमालय का महावन हाथियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी को भाष्यकार ने हस्तिमती उपत्यका कहा है।^३ सम्भवतः यह उपत्यका पारिलेय्यक वन-राजि थी, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध थी और कौण्डम्बी से कुछ दूर पर श्रावस्ती के मार्ग में पडती थी। आर्यावर्त की पूर्वी सीमा पर प्रयाग के पास विस्तृत कालक वन था। खलतिक के समान कालक पर्वत और वन दोनों का नाम था। मोनियर विलियम्स ने कालक वन को पर्वत माना है।^४ नीचे उतरकर खलतिक पर्वत के पास-पड़ोस खलतिक वनों की पक्ति थी, जो एक ओर गया, दूसरी ओर राजगृह और तीसरी ओर गिरिज्ज को छूती थी।^५ कोटरावन, मिश्रकावन, सिध्रकावन, सारिकावन, पुरगावन, अग्नेवन, जिनका उल्लेख पाणिनि ने किया है, वन-विशेषों के नाम थे, किन्तु आज उनके ठीक स्थान का पता चलाना कठिन है।^६ मिश्रकावन सम्भवतः वर्तमान मिशरिख तीर्थ का समीप-वर्ती वन था। इसके पास ही नैमिपारण्य महावन था। मिशरिख वर्तमान नीमसार (नैमिप) के समान तीर्थ भी है, जो सीतापुर (उत्तरप्रदेश) जिले में स्थित है।

पाणिनि द्वारा ही उल्लिखित शरवन, इक्षुवन, प्लक्षवन, आम्रवन, काप्यवन, खदिरवन और पीयूषावन विशिष्ट वन भी थे और इन वृक्षों के सामान्य वन भी। विशिष्ट वनों के विषय में आज कुछ ज्ञात नहीं है।^७ भाष्यकार ने देवदारु-वन, इरिका-वन और तिमिर-वन का उल्लेख किया है।^८ देवदारु-वन हिमालय के भवाली तथा अन्य क्षेत्रों में पाये जाते हैं। तिमिर-वन नदी-तट पर उगनेवाली झाड़ू की झाड़ियों को कहते थे। तिमिर अरहर की लकड़ी के बराबर मोटी और ऊँची होती है। इरिका नामक वृक्ष-विशेष की झाड़ियाँ ही इरिका-वन कहलाती थीं।

१. ५-१-७७, पृ० ३३८।

२. ४-२-१०४, पृ० २०४ तथा ४-२-१२९, पृ० २१६।

३. ५-२-९४, पृ० ४०८।

४. १-२-५२, पृ० ५५५।

५. २-४-१०, पृ० ४६५।

६. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी।

७. ८-४-४, ५।

८. ८-४-६, पृ० ४७८।

ये किन्हीं विशेष वनों के नाम नहीं मालूम होते। इसी प्रकार, प्रर्षभवन^१ ऋषभ नामक बूटी या वनस्पति के वनों का सामान्य नाम था।

भाष्यकार ने वन शब्द का प्रयोग वनस्पति या वृक्षों के समूह के अर्थ में भी किया है। वन के लिए यह आवश्यक न था कि वह कोस-दो कोस या अधिक विस्तृत हो। ऋग्वेद में वन शब्द का अर्थ वृक्ष भी है।^२ इसी अर्थ में भाष्यकार ने वनगुल्म शब्द का प्रयोग किया है, जिसका स्मरण कोकिल बार-बार कहता है।^३ आगे चलकर वन वृक्ष-समूह का बोधक माना गया। फिर, समूह प्रधान बन गया एव वृक्ष अर्थ लुप्तप्राय हो गया। ऋग्वेद में तो वस्ती से दूर होने के कारण लाक्षणिक अर्थ में वन शब्द का प्रयोग परदेश या दूर प्रदेश के अर्थ में भी हुआ है।^४ भाष्यकार ने शिरीष-वन का उल्लेख किया है। शिरीष-वन के समीपवर्ती गाँव का नाम भी सामीप्य-सम्बन्ध से शिरीषा (वर्तमान सिरसा) पड़ गया था। वन का पर्यायवाची अरण्य शब्द, जो अरणि या परस्पर रगड़ से आग उत्पन्न करनेवाली लकड़ी से बना है, इस बात का द्योतक है कि प्राचीन काल में वन शब्द एक वृक्ष के लिए भी प्रयुक्त होता था।

कोस-भर तक लगातार हरी-भरी और मनोरम दिखनेवाली वनराजि का उल्लेख भाष्यकार ने किया है।^५ वे छोटे-बड़े दोनों प्रकार के अरण्यों से परिचित थे। बड़े अरण्य अरण्यानी कहे जाते थे।^६

गुहा—भाष्य में गुहा शब्द केवल एक बार आया है। गिरि-गुहा के लिए ही इस शब्द का प्रयोग प्रचलित बतलाया गया है।^७ अन्य अर्थ में गूढि शब्द व्यवहृत होता था। सुप्रसिद्ध किष्किन्वा-गुहा से भी भाष्यकार परिचित थे।^८

मरुस्थल—मरुप्रदेश को भाष्यकार ने घन्वन् कहा है। उन्होंने पारेघन्वन् और पारे-घन्वक प्रदेश की चर्चा की है। सम्भवतः, यह स्थान मारवाड़ के उस पार का होगा, यदि उस समय मारवाड़ मरु रहा हो, यद्यपि इसमें सन्देह है।^९ दूसरा मरुस्थल था अष्टक, जिसमें रहने-वाले को आष्टकीय कहते थे। यह अटक जिले का घग्नी क्षेत्र है, जो उस समय रेगिस्तान था।^{१०}

१. १-४-६०, पृ० १९१।

२. ऋग्वे० ७-१-१९।

३. १-३-६७, पृ० ८७।

४. ऋग्वे० ७-१-१९।

५. २-३-५, पृ० ४०९।

६. ४-१-४९, पृ० ६३।

७. गुहा गिर्योषधोरिति वक्तव्यम्। गूढिरन्या।—३-३-१०४, पृ० ३१४।

८. ६-१-१५७, पृ० १९४।

९. ४-२-१०४, पृ० २१३।

१०. अष्टकं नाम घन्वस्तस्माद्गुभ्यं प्राप्नोति आष्टकीयः।—वही।

अध्याय ३

नदियाँ

सिन्धु—महाभाष्य में पर्वतो के साथ-साथ सम्पूर्ण आर्यावर्त्त और उससे बाहर भारत में बहनेवाली बहुत-सी नदियों के नाम आये हैं। इनमें भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त देश सिन्धु तथा पञ्जाब में बहनेवाली सिन्धु-समूह की नदियाँ प्रमुख हैं। ऋग्वेद की इक्कीस नदियों में सात का ही उल्लेख भाष्यकार ने किया है। ऋग्वेद में सिन्धु का महत्त्व सर्वाधिक है। इसमें सिन्धु इस प्रकार जनों का पोषण करनेवाली कही गई है, जैसे नाता पुत्रों का या गो दुग्ध से मनुष्यों का पालन करती है।^१ नदीसूक्त (१०-७५) में, जो प्रियमेघ-परिवार के सिन्धुसिक्त की रचना है, सिन्धु का वर्णन अन्य सब नदियों से अधिक हुआ है। वह देवताओं के समान रथ पर चलती कही गई है।^२ इस सूक्त की छठी और आठवीं ऋचाओं में भी उसमें देवत्व की प्रतिष्ठा की गई है।^३ ऋग्वेदकालीन सम्यता का निर्माण नदियों के किनारे पर हुआ था। इस काल में घटनाओं और व्यक्तियों के नाम तक नदियों के नाम पर रखे जाते थे। महाभाष्य-काल की स्थिति भिन्न थी। उस समय सम्यता का केन्द्र सिन्धु-प्रदेश के बदले आर्यावर्त्त बन गया था, जिसकी सीमा सरस्वती के नीचे की ओर थी। इसीलिए भाष्यकार ने सिन्धु-समूह की अपेक्षा गंगा-समूह की नदियों का उल्लेख अधिक किया है।

सप्त सिन्धवः—सिन्धु का स्वतन्त्र उल्लेख भाष्य में केवल एक बार ऋग्वेद के एक उद्धरण के अन्तर्गत हुआ है।^४ इससे पता चलता है नौका द्वारा सिन्धु पार की जाती थी, यद्यपि यह काम कठिन माना जाता था। एक स्थान पर उद्धरण के भीतर ही सप्त सिन्धुओं की भी चर्चा आई है।^५ प्राचीन काल के आर्य देश का वर्णन सात सिन्धुओं, सरस्वतियों, गंगाओं या नदियों के द्वारा करने की परिपाटी रही है। ऋग्वेद-काल में सम्पूर्ण आर्याविष्टित प्रदेश का वर्णन 'सप्त सिन्धवः' कहकर किया जाता रहा।^६ पञ्जाब की पाँच नदियाँ, सरस्वती या कुभा (काबुल) और सिन्धु मिलकर 'सप्त सिन्धवः' कही जाती थी। जब आर्यावर्त्त का विस्तार आसमूह हो गया,

१. अमित्वा सिन्धो शिशुमिन् न मातरो वाश्वा अर्बन्ति पयसेव घेनवः।—ऋग्वेद
१०-७५-४।

२. सुखं रथं युयुजे।—ऋग्वेद १०-७५-९।

३. वही, ऋग्वेद ६, ८।

४. सनः सिन्धुमिव नावया।—७-१-३९, पृ० ४५।

५. आ० १, पृ० १०।

६. ऋग्वेद १०-७५-४।

तब गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु और कावेरी ये 'सप्तसिन्धु' कहलाने लगी। बौद्धों के मध्यदेश की भी बाहुका, अधिकक्का, गया (फल्गु), सुन्दरिका, सरस्वती, प्रयाग (गंगा-यमुना-सगम) और बाहुमती ये सात ही पवित्र नदियाँ हैं।^१ विसुद्धिमग्न में इनके स्थान पर गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, अचिरवती, माही और महानदी ये सात नाम मिलते हैं।^२ चन्द्र के मेहरीली स्तम्भ-लेख में सिन्धु के सात मुख बतलाये गये हैं। ये समुद्र में मिलने से पहले सिन्धु की सात धाराएँ हैं। ये भी 'सप्त सिन्धु' कही जाती रही हैं।^३

सिन्धु-समूह—सिन्धु सिन्धु के पश्चिम भाग में कैलास पर्वत के उत्तर-पूर्व में स्थित मानस झील से निकलकर पहले दो धाराओं में बहती है, जिनमें एक धारा कैलास के उत्तर-पश्चिम की दिशा में चली जाती है और दूसरी दक्षिण-पश्चिम दिशा में। प्लिनी के अनुसार सिन्धु-समूह में उन्नीस नदियाँ गिनी जाती थी, जिनमें सर्वाधिक महत्त्व की नदी सतलज (Hesydus) है। सिन्धु भारत की पश्चिमी सीमा मानी जाती रही है।^४ नदीसूक्त में सिन्धु की कई सहायक नदियों का उल्लेख है। इनमें कुमा का आधुनिक नाम काबूल है, जिसे ऐरियन (Arrian) ने Kophes कहा है और पुराणों ने 'कुहु'। इसी में सुवास्तु या स्वात और गौरी (पजकोरा) मिलती है। वैदिक क्रमु, जिसे अब कुर्रम कहते हैं, तुची नामक नदी को आत्मसात् कर सिन्धु में मिलती है। गोमती या गोमल इसकी पश्चिमी सहायक नदी है।^५

सिन्धु-समूह की नदियाँ—सिन्धु की पूर्वी सहायक नदियों में चन्द्रभागा (चेनाव), वितस्ता (शेलम), इरावती (रावी) और विपाशा (व्यास) हैं। चन्द्रभागा नदी का परिगणन बाह्लादि गण में हुआ है।^६ यही ऋग्वेद की असिनी है, जिसे ऐरियन ने Akemes कहा है। इरावती का उल्लेख काशिकाकार^७ ने द्वन्द्व के एकत्व-प्रसंग में उद्ध्य के साथ किया है। इसे ग्रीक इतिहासकारों ने Hydraodis, Adris या Rhonadis कहा है। यह सर्वप्रथम काश्मीर में चम्ब के दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर दिखाई देती है। वहाँ से लाहौर होकर दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हुई वितस्ता और चन्द्रभागा की सयुक्त धारा में मिल जाती है। विपाद्, विपाशा या व्यास पीरपजाल गिरिमाला से निकलकर काश्मीर में रावी के उद्गम-स्थल चम्ब के पास ही दृष्टिगोचर होती है और फिर दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हुई २९० मील के बाद शतुद्रि में मिलती है। इसे ग्रीक लोगों ने Hypases या Hyphasis कहा है। भाष्यकार ने विपाशा और शतुद्रि दोनों

१. गङ्गा यमुना चं व गोदा चं व सरस्वती ।
नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुह ॥
२. मञ्जिमनिकाय १, पृ० ३९ ।
३. विसुद्धिमग्न, १-१० ।
४. तीर्त्वा सप्त मुखानि येन समरे सिन्धोर्जिता बाह्लिकाः ।
५. मैक्लिण्डलः ऐन० इण्डि०, पृ० २८, ४३ ।
६. लॉः रिचर्स ऑफ् इण्डिया, पृ० ९-१० ।
७. ४-१-४५, पृ० ५६ ।
८. २-४-७ ।

का उल्लेख गंगा और यमुना के साथ किया है।^१ उन्होने ऋग्वेद का एक मन्त्राक्ष (३-३३-१ तथा १०-७५-५) भी उद्धृत किया है,^२ जिसमें शतुद्रि नाम आया है।^३ विपाशा का परिगणन शरदादि गण में भी है।^४ पाणिनि ने विपाशा के उत्तर और दक्षिण प्रदेशों में बनाये जानेवाले कूपों का विशेषतः उल्लेख किया है और दोनों ओर बने कूपों में अन्तर बतलाया है।^५ भाष्यकार ने भी शरदादि गण में विपाश के परिगणन पर विचार किया है।^६ शतुद्रि नाम शतधाराओं में बहने के कारण पड़ा है। शतुद्रि मानसरोवर के पश्चिमी भाग से निकलकर कमेत (Kamct) पर्वत पर दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ी है और फिर पश्चिम की ओर चली है। वाद में कपूरथला के दक्षिण-पश्चिम छोर पर विपाशा इसमें मिल गई है। इसके बाद शतुद्रि और विपाशा की सयुक्त धाराएँ दक्षिण-पश्चिम की ओर वहीं हैं और अलीपुर तथा उच (Uch) के बीच में वे चन्द्रभागा से मिल गई है। पार्जिटर के अनुसार प्राचीन काल में यह सिन्धु के सीमान्त तक स्वतन्त्र बहती थी।^७ शतुद्रि और विपाशा की सयुक्त धारा अब 'धग्गर' कहलाती है। एरियन के समय तक यह नदी कच्छ की खाड़ी तक स्वतन्त्र रूप से बहती थी।^८

भाष्यकार ने सिन्धु की पाँचो सहायक नदियों के समूह को पचनद कहा है और पचनद में उत्पन्न होनेवाली वस्तु को पाचनद।^९ इस प्रकार, उन्हें सतलज, व्यास, रावी, चेनाव और श्रेलम का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख भी कर दिया है। इनमें इरावती नाम इसके गहरे होने और तेज बहने के कारण पड़ा था। इरा (जल) की अतिशयता इसका कारण थी। इरावती कहीं-कहीं दो या तीन धाराओं में भी बहती थी और जिस प्रदेश में इसकी दो या तीन धाराएँ पाई जाती थी, वह प्रदेश द्वीरावतीक या त्रीरावतीक कहलाता था।^{१०} कालिकापुराण (२४-१४०)के अनुसार इसका उद्गम इरा झील से है। इरावती १३० मील तक हिमालय में बहती है और लाहौर होती हुई अहमदपुर और सरायसिन्धु के बीच बितस्ता और चन्द्रभागा की सयुक्त धारा में मिल जाती है।^{११} सिन्धु की पाँचो सहायक नदियाँ सयुक्त रूप से पचनद कहलाती थी।

इस समूह की नदियों में सर्वाधिक महत्त्व की नदी सिन्धु है और डेरियस के बेहिस्तन (Behistun)-शिलालेख में इसे हिन्दू तथा Vendidad में Hentu कहा है। योरोपीय लेखक

१. १-१-२३, पृ० २०७।
२. ऋग्वेद, ३-३३-१ तथा १०-७५-५।
३. इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शतुद्रि।—१-२-३२, पृ० ५१०।
४. ५-४-१०७।
५. उदक्च विपाशाः।—४-२-७४।
६. १-१-२३, पृ० २०७।
७. पार्जिटरः मार्क० पु०, पृ० २९१ नोट।
८. इम्पीरियल गेजेटियर ऑफ़ इण्डिया, भाग २३, पृ० १७९।
९. ४-१-८८, पृ० १००।
१०. १-४-१, पृ० १०७।
११. लाः रिक्स ऑफ़ इण्डिया, पृ० १३।

इसे Indus तथा चीनी Sintu कहते हैं। यह जिस प्रदेश से होकर बहती है, उसका नाम भी इसी के आधार पर सिन्धु पड़ गया है।^१ अल्बेरूनी के अनुसार चेनाव या चन्द्रभागा के सगम के बाद से अरोर तक सिन्धु को पचनद कहते थे। इससे पूर्व उसका नाम सिन्धु और बाद में मेहरान था।

सरस्वती—सिन्धु-समूह से नीचे की ओर उतरकर सरस्वती और दृषद्वती नामक दो प्रसिद्ध नदियाँ हैं। भाष्यकार ने दृषद्वती का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु सरस्वती का नाम गंगा और यमुना के साथ कई बार लिया है।^१ मनु का ब्रह्मावर्त इन्हीं दो नदियों के बीच अवस्थित था। मिलिन्दपण्ह में सरस्वती को हैमवती नदी कहा है। सिद्धान्तशिरोमणि में यह 'क्वचिद्-दृश्या क्वचिददृश्या' कही गई है। जिस स्थान पर यह विलुप्त होती है, उसे महाभारत (८२-३) तथा पद्मपुराण (अ० २१) में विनशान कहा है (पद्मपुराण (३२-१०५) में इसके गंगा से मिलने के स्थान को गगोद्भेद तीर्थ कहा है। कात्यायन (१२-३-२०), लाट्यायन (१०-१५-१ तथा १०-१८-१३ तथा १०-१९-४), आश्वलायन (१२-६-२-३) तथा सांख्यायन (१३-२९) के श्रौतसूत्रों में सरस्वती-तट पर किये गये यज्ञों का बड़ा महत्त्व बतलाया गया है। प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थों में, मुख्यतः ऋग्वेद में सरस्वती का बार-बार उल्लेख हुआ है। वर्तमान दृश्या सरस्वती शतुद्रि और यमुना के बीच में से होकर बहती है। ऋग्वेद-काल में यह बड़ी शक्तिमती नदी थी और समुद्र में गिरती थी।^१ सरस्वती हिमालय की सिरमुर (sirmur)-श्रेणी से, जिसे शिवालिक कहते हैं, निकलकर पटियाला के नीचे बहती हुई राजपुताना के मरु के उत्तरी भाग में विलुप्त हो जाती है। यही मनु का विनशान-प्रदेश है। चलोरे नामक ग्राम के मरु में लुप्त होकर यह एक बार भवानीपुर में प्रकट होती है। फिर, बालचापर में विलुप्त होकर बरखेडा में दिखाई देती है। उर्नई के पास मार्कण्डा नदी इसमें मिलती है और अन्त में यह घग्गर या घर्घर में मिल जाती है। महाभारत के अनुसार भी सरस्वती एक बार लुप्त होकर तीन बार फिर प्रादुर्भूत हुई है। ये स्थान हैं—चमसोद्भेद, शिरोद्भेद और नागोद्भेद।^१

अन्य नदियाँ—पश्चिमी भारत की नदियों में उदुम्बरावती और महाकावती का नाम भी भाष्य में आया है।^१ काशिका (४-२-८५) में पुष्कलावती का भी उल्लेख हुआ है। इनमें पुष्कलावती गान्धार-प्रदेश में होकर बहनेवाली स्वात नदी का पुष्कलावती नगरी के पास स्थानीय नाम मालूम होता है। पुष्कलावती गान्धार जनपद की पश्चिमी राजधानी थी, जिसे अब चरसड्ड कहते हैं। यह नगरी स्वात और काबुल नदी के सगम से कुछ ऊपर की ओर

१. १-३-१०, पृ० ३६ ।

२. १-२-३२, पृ० ५१० ।

३. सैक्समूलर : ऋग्वे०, सं०, पृ० ४६ ।

४. वनपर्व : अ० ८२; एत० एल० दे : ज्यायान् डिक्शन; पंजाब गजेटियर, अम्बाला जिला।

५. ४-२-७१, पृ० १९४ ।

स्थित रही है।' मशकावती भी पुष्कलावती के समान स्वात का स्थानीय नाम ही जान पड़ता है। मशकावती युद्धमेमी आश्वकावती की, जिन्हे ग्रीक लेखको ने assakenoi क्हा है, राववाती थी। इसे मशग कहते हैं। मशग के पास से बहनेवाली स्वात को ही स्थानीय लोग मशकावती कहते होंगे। स्वात का प्राचीन नाम शुभवास्तु या सुवास्तु था। उदुम्बरावती, औदुम्बर प्रदेश की, जिसे श्री बी० सी० ला पठानकोट के पास-पड़ोस मानते हैं, स्थानीय नदी थी। पाणिनि (४-१-१७३) के अनुसार उदुम्बर साल्व-जनपद का एक भाग था। कनिष्क वर्तमान बलवर-राज्य को प्राचीन साल्व मानते हैं। उदुम्बर-प्रदेश की नदी उदुम्बरावती रही हो, यह सम्भावना की जा सकती है। भाष्यकार के मत से ये नाम सम्बद्ध देशों के विशेषण हैं। इस प्रकार, उदुम्बर मशक, पुष्कर, वारण नामक स्थानों से होकर बहनेवाली नदियाँ क्रमशः उदुम्बरावती, मशकावती पुष्करावती और वारणावती कहलाती थी।

गंगा-समूह—मध्यदेश की नदियों में गंगा और यमुना मुख्य हैं। भाष्यकार ने सर्वाधिक उल्लेख उन्हीं का किया है।^१ ये इनमें मिलनेवाली अनेक नदियों से परिचित, ये जो इनमें मिलकर अपना नाम-रूप विलीन कर देती हैं और गंगा यमुना नाम से ही पहचानी जाती हैं।^२ गंगा हिमालय से निकलती है और उससे प्राप्त होनेवाले जल से सदा भरपूर रहती है।^३ इसीलिए उसे हैमवती कहते थे। इसी प्रकार, सिन्धु दरदित्तान की पहाड़ियों से होकर बहने के कारण दारदी कहलाती थी। गंगा के किनारे हस्तिनापुर और वाराणसी नगरियाँ बसी हैं, यह बात भाष्यकार को ज्ञात थी।^४ उन्होंने पारेगङ्ग शब्द का भी प्रयोग किया है। यह गंगा के दक्षिण ओर का प्रदेश होगा। गंगा मध्यदेश की सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी थी। भाष्यकार के समय ने सम्यता का केन्द्र सिन्धु और सरस्वती से हटकर गंगा और यमुना का दोआब हो गया था। संस्कृत लेखको के अनुसार गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ उन्नीस हैं।^५ गंगा के अनेक भागों में भाष्यकार ने गंगा के अतिरिक्त अन्य कोई नाम नहीं लिया है। आधुनिक भूगोलविद् गंगा का उद्गम गटवाल पर्वत-श्रेणी में गंगोत्री से मानते हैं। रामगंगा, गोमती, यमुना, तनसा (टोस) सरयू गण्डकी (सदान्नीरा), कमला, कौशिकी (कोसी), सोन (जोग), फःगु, सकुति (सकरी) चम्पा, दामोदर आदि नदियाँ भाग में गंगा से मिलती चलती हैं। गंगा इतनी पवित्र मानी जाती थी कि उसकी पूजा-प्रतिष्ठा में मेले लगते थे एव यज्ञादि किये जाते थे, जो गंगामह कहलाते थे।^६

१. वा० श० अग्रवाल—ज्याया० डेटाइन पाणिनीय लघुाध्यायी।—जर्नल ऑफ यू० पी० हिस्टा० सो०, जिल्द १६, भाग १, पृ० १८।

२. ट्राइव्स इन ऐन० इण्डिया, पृ० ३५५।

३. १-१-२३, पृ० २०७—१-२-३२ पृ० ५१२।

४. अनेका नदी गंगा यमुनां च प्रविष्टा गंगायमुनाप्रहणेन—गृहते १-१-७२, पृ० ४५०

५. १-४-३१, पृ० १६७।

६. ४-३-८३।

७. २-१-१६, पृ० २७३।

८. मैक्रिण्डलः ऐन० इन्डि०, पृ० १३६ से।

९. ५-१-१२, पृ० ३०२।

गंगा विशेष कूलकषा भी नहीं है, इसीलिए 'गङ्गाया घोष' यह लाक्षणिक प्रयोग प्रचलित हो सका।^१ उन्मत्तगग, लोहितगग आदि प्रदेशों के नाम गंगा के कारण ही रखे गये थे।^२ यमुना गंगा की प्रथम और सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री या कमेत पर्वतमाला से निकलकर यमुना शिवालिक नग-श्रेणी की घाटी और गढ़वाल से होकर मैदान में उतरती है और समानान्तर बहती चलती है। प्रयाग के पास वह गंगा में मिल जाती है। इसी बात को दृष्टि में रखकर भाष्यकार ने कहा है कि अनेक नदियाँ गंगा और यमुना में प्रविष्ट होकर उन्ही के नाम से जानी जाती हैं। यमुना बौद्धों की प्रसिद्ध पाँच नदियों में से है। इसके किनारे भी अनेक तीर्थ हैं। ग्रीक लेखकों ने इसे Erannaboas या हिरण्यवाह कहा है। स्कन्दपुराण के अनुसार इसकी एक सहायक नदी वालुवाहिनी भी है।

रथस्या गंगा की दूसरी बड़ी सहायक नदी है, जिसका उल्लेख भाष्यकार ने किया है।^३ यह रामगंगा का प्राचीन नाम है, जो अलमोडा (कुमार्यू) के ऊपर से निकलकर फरूखावाद और हरदोई के बीच गंगा में मिलती है। इसकी एक बड़ी सहायक नदी द्रुमती है, जिसे आजकल घोहा कहते हैं। द्रुमती या घोहा भी कुमार्यू से निकलकर रामगंगा के समानान्तर बहती हुई बरेली, शाहजहाँपुर जिलों को पार कर रामगंगा-गंगा-सगम से कुछ ही पहले हरदोई जिले में रामगंगा में मिलती है। गंगा के दूसरी ओर फरूखावाद जिले से होकर बहनेवाली नदी इक्षुमती है, जो आजकल ईखन कहलाती है। इसे काली या कालिन्दी भी कहते हैं। भाष्यकार ने इन दोनों नदियों का उल्लेख किया है।^४ भागवतपुराण (५-१०-१) के अनुसार इक्षुमती कुरुक्षेत्र की एक नदी का नाम था।

सरयू से भाष्यकार परिचित थे। पाणिनि-सूत्र (६-४-१७४) की, जिसमें सरयू में होनेवाली वस्तु को सारव कहा है, भाष्यकार ने विस्तृत व्याख्या की है। सरयू छपरा के पास गंगा में मिलती है। इसे आजकल घाघरा कहते हैं। प्राचीन प्रसिद्ध नगरी अयोध्या इसी के तट पर बसी थी। अजिरवती या हिरण्यवती या अचिरवती सरयू की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उल्लेख काशिकाकार ने किया है।^५ इसका आधुनिक नाम राप्ती है। कोसल की तृतीय और अन्तिम राजधानी श्रावस्ती इसी के पश्चिमी तट पर थी। अवदानशतक में इसे ऐरावती कहा है।^६

गंगा की पूर्वी सहायक नदियों में शोण का नाम भाष्य में मिलता है। भाष्यकार पाटलिपुत्र को शोण के किनारे बसा हुआ बतलाते हैं। शोण मध्यप्रदेश के मण्डला जिले में अमरकण्ठक से निकलती है और बघेलखण्ड, मिर्जापुर, शाहावाद जिलों में बहती हुई, ५०० मील चलकर पाटलि-

१. ४-१-४८, पृ० ५९ ।

२. १-४-१, पृ० १०६ ।

३. ६-१-१५७, पृ० १९४ ।

४. ४-२-७१, पृ० १९४ ।

५. ६-३-१०९ ।

६. अव० शतक, १-६३, २-६० ।

पुत्र के पास गंगा में मिल जाती है। भाष्यकार और पाणिनि दोनों ने देविका नदी का वर्णन किया है।^१ भाष्यकार ने इसके तट पर उत्पन्न होनेवाले शालि को दाविका-मूल कहा है। डॉ० वा० ज० अग्रवाल ने विष्णुवर्मोत्तर (१-६७-१५) तथा वामन (अध्याय ८४) पुराणों के आकार पर इसे आधुनिक देग (Deeg) माना है,^२ जो जम्मू की पहाड़ियों से निकलकर स्यालकोट और शेखूपुरा जिलों में बहती हुई रावी में मिलती है। पाणिनि का भी यही मत है। डॉ० अग्रवाल का मत इस बात पर आधारित है कि देग के किनारे उत्पन्न होनेवाला चावल पंजाब में श्रेष्ठ माना जाता है। अग्निपुराण (अध्याय २००) में देविका नौवीर-प्रदेश से होकर बहती हुई बतलाई गई है।^३ उत्तरप्रदेश की देवा या देविका, जो सरयू की दक्षिणी धारा का एक नाम है, देविका नदी बतलाई जाती है।^४ कालिका-पुराण के अनुसार यह सरयू और गोमती के मध्य बहती थी। देवा का तट भी शालि की उपज के लिए प्रसिद्ध है।

परीवाह—भाष्यकार ने छोटे-छोटे नालों का भी उल्लेख किया है, जो नदी-सदृश मालूम होते हैं। उन्होंने इन्हें नदीकल्प परीवाह कहा है।^५ गिरिणदी सामान्य नदियों से भिन्न होती है। उसमें क्षण में देवते-देवते पूर आ जाता है और स्वल्प काल में उतर जाता है। इसीलिए, गिरिणदी का पृथक् उल्लेख किया है।^६

सर-सरसी—नदी-कल्प-परीवाहों के बाद सर और सरसी का स्थान है। भाष्यकार उत्तर और दक्षिण भारत के सर-सरसियों से परिचित थे। दक्षिणापथ में बड़े-बड़े सरोवरों को सरसी कहने की प्रथा थी। ये सरसियाँ कमलों और कुमुदों से खिली रहती थी।^७

अनूप—नदियों की दो धाराओं के बीच बसे प्रदेश अनूप कहलाते थे। इन्हें कच्छ भी कहते थे। भाष्यकार गांग अनूप, कन्यानूप (कन्याकुमारी) तथा कच्छ प्रदेश से परिचित थे।^८ उन्होंने द्वीप (जिसके दो ओर जल हो), उनमें रहनेवाले द्वीप्य लोगों का, जो समुद्र-तट पर रहते थे। उल्लेख किया है। समीप (जिसमें जल भरा हो) अन्तरीप, प्राप और पराप प्रदेशों की भी चर्चा की है। निम्नच ही उन्हें अन्तरीपों एवं प्रापादि प्रदेशों की जानकारी रही होगी।^९ समुद्र से भी वे अवगत थे। समुद्र के अनेक नामों में उन्हें समुद्र नाम से ही प्रेम था। बाढव की जानकारी उन्हें थी। बाढव का उल्लेख उन्होंने समुद्र के प्रसंग में ही किया है।^{१०}

१. ७-३-१, पृ० १७१ ।

२. इण्डिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ४५।

३. अग्नि पु०, अध्याय २००।

४. आगरा गाइड और गजेदियर १८४१, भाग २, पृ० १२० तथा २५२।

५. ४-२-९१, पृ० १९८।

६. ८-४-१०, पृ० ४७९।

७. १-१-१९, पृ० १९०।

८. ८-२-६, पृ० ३१९।

९. ६-३-९७, पृ० ३५६।

१०. २-६-६७, पृ० ४५४ तथा ८-१-४, पृ० २६४।

अध्याय ४

जनपद

महाभाष्य में निम्नलिखित जनपदों, विषयों, निवासों या देशों के नाम आये हैं :

कम्बोज—कम्बोज का उल्लेख पतञ्जलि ने दो बार किया है—एक पाणिनि के 'कम्बोजाल्लुक' (४-१-१७५) सूत्र में कम्बोज के स्थान पर 'कम्बोजादि' सगोचन उपस्थित करने में काल्यायन का समर्थन करते समय^१ और दूसरे देशभेद से भाषा का अन्तर बतलाने के प्रसंग में।^२ प्रथम नियम के अनुसार कम्बोज लोगों के प्रदेश तथा राजा दोनों ही कम्बोज कहलाते थे। द्वितीय कथन से विदित होता है कि 'ग्व्' धातु का प्रयोग कम्बोज देश में गति के अर्थ में होता था, किन्तु आर्य लोग उसका प्रयोग विकार के अर्थ में ही करते थे। यथा—शव। भाष्य का यह कथन यास्क का अनुवाद-मात्र है।^३ जातको के अनुसार कम्बोज महाभारत के उत्तर-पश्चिम का प्रदेश था, जहाँ के लोग आर्यविधियाँ छोड़कर असम्य और पतित हो गये थे।^४ शान्तिपर्व (६५-१४) में भी यही बात कही गई है। अनुशासनपर्व (३३-२१) में इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया है कि 'ब्राह्मणादर्शन' से कम्बोजों में क्रिया-लोप हो गया है और वे क्षत्रिय शूद्र बन गये हैं। ग्रियर्सन पतञ्जलि (यास्क) के उक्त कथन के आधार पर कम्बोजों को अनार्य मानते हैं। उनके मत से 'शवति' ईरानी क्रिया है, सस्कृत नहीं और ये लोग सस्कृत-ईरानी-मिश्र भाषा बोलते थे।^५

महाभारत में कम्बोज की राजधानी राजपुर बतलाई गई है।^६ राजपुर का उल्लेख ह्येनसाग ने भी किया है। उसके मत से यहाँ के निवासी देखने में कर्कश और असंस्कृत थे।^७ कम्बोज काश्मीर के पुच-क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व में था। श्रीराय चौधुरी काश्मीर में पुच के पास-पड़ोस के इलाके को, जिसमें कफीरिस्तान भी शामिल है, प्राचीन कम्बोज मानते हैं।^८ कनिंघम ने राजपुर

१. ४-१-१७५, पृ० १६४।

२. शवतिगंतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति। विकार एनमार्या भाषन्ते शव इति।—
आ० १, पृ० २१।

३. निरुक्त, २-२।

४. काबेल जातक ६, पृ० ११०।

५. जर्नल ऑफ् रॉयल ए० सो० १९११, पृ० ८०१-२।

६. महाभारत ७-४-५।

७. वैटर्स ऑन युआनचांग, १-२८४।

८. पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, पृ० ३०८।

को काश्मीर के दक्षिण भाग की राजौरी जागीर माना है, जिसके शासक खश लोग रहे हैं।^१ रीज डेविड्स कम्बोज की राजधानी द्वारका बतलाते हैं।^२ वी० ए० स्मिथ और चार्ल्स इलियट ने सम्भवतः कम्बुज (कम्बोडिया) और कम्बोज को एक मानकर उसे तिब्बत या हिन्दूकुश-प्रदेश के अन्तर्गत बतलाया है और वहाँ की भाषा ईरानी बतलाई है।^३ मैक्रिण्डल ने ह्वेनसांग के काजोफु या (अफगानिस्तान) को ही कम्बोज मान लिया है।^४

कम्बोज के कम्बल बहुते प्रसिद्ध थे।^५ यह बात इसकी प्रख्यात थी कि यास्क ने कम्बोज शब्द की व्याख्या करते हुए उसे कम्बल से सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कम् + भुज से इसकी व्युत्पत्ति स्वीकार कर कम्बोजो को कमनीयभोजी माना है। कम्बल (शीत प्रदेश में) कमनीय होते ही हैं।

नान्दीपुर, जिसे पतंजलि ने वाहीक ग्राम कहा^६ है, लूडर के अनुसार कम्बोज मे था।^७ सम्भवतः, लूडर ने वाहीक को वाह्लीक समझ लिया है।

गान्धार—भाष्यकार ने गान्धारि लोगो के विषयाभिवान जनपद को गान्धार या गान्धारय (बहु व०) कहा है।^८ गान्धार की स्त्री गान्धारी कहलाती थी।^९ यह जनपद गान्धारि लोगो का निवास भी था और विषय, अर्थात् उनके द्वारा शासित भी।

गान्धार-प्रदेश भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर कम्बोज के पास ही स्थित था। वर्तमान रावलपिंडी और पेशावर के जिले इसके अन्तर्गत थे, यद्यपि इसकी वास्तविक सीमा के विषय में विद्वानों में मतभेद नहीं है।^{१०} भाष्यकार द्वारा उल्लिखित और्दायन (४-२-९९, पृ० २०३) या सुवास्तु और गौरी नदी के बीच का उद्दिष्टयान प्रदेश गान्धार के अन्तर्गत था।

सिन्धु के दोनों ओर फैले होने के कारण गान्धार की दो राजधानियाँ थीं। तक्षशिला पूर्वी तथा पुष्कलावती पश्चिमी थी। पुष्कलावती का आधुनिक रूप चरसड्ड है, जो स्वात और काबुल नदी के संगम के पास स्थित है। पुष्कलावती या पुष्करावती को भरत-पुत्र और राम के भतीजे पुष्कर ने बसाया था।^{११}

१. एन० ज्या०, पृ० ६८३।
२. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० २८।
३. अलि हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, चौथा सं०, पृ० १९३।
४. अलेग० इनवेजन, पृ० ३८।
५. समापर्व, पृ० ४८-९, तथा ५१—३।
६. ४-२-१०४, पृ० २१२।
७. लूडर्स इनस्क्रिप्शन्स, सं० १७६, ४७२।
८. ४-२-५२, पृ० १८४।
९. ४-१-१४, पृ० ३६।
१०. ट्राइव्स इन एन० इण्डिया, पृ० ९।
११. रामायण, उत्तर का० १००-१०।

कापिशी—कापिशी के अन्तर्गत सम्पूर्ण कफीरिस्तान और घोरवन्द तथा पचगीर की घाटियाँ थी। यह सारा प्रदेश पर्वतों से घिरा हुआ था, जिसमें उत्तरी पर्वत हिमाच्छन्न रहता था। 'कापिश्वा प्फक्' सूत्र में सशोषन-स्वरूप वार्तिक जोड़ने से स्पष्ट है कि भाष्यकार कापिशी की वास्तविक स्थिति से परिचित थे।^१ यह प्रदेश फलो, विशेषतः द्राक्षा के लिए प्रसिद्ध था।

वाह्लिक—भाष्यकार ने उपर्युक्त सूत्र के वार्तिक में वाह्लिक का भी उल्लेख किया है। इससे अनुमान होता है कि कापिशी, वाह्लिक, उर्दि और पर्दि समीपवर्ती प्रदेश थे। वाह्लिक या वाह्लिक बहुत प्राचीन काल से भारत के उत्तरी भाग में रहते थे। रामायण के उत्तरकाण्ड (१००-३) में ऐल जाति के कर्दम या कर्दमेय के वंशजों का उल्लेख है और वाह्लिक उनसे सम्बद्ध बताये गये हैं। उत्तरकाण्ड (१०३-२१) में वाह्लिक या वाह्लिक प्रदेश मध्यदेश के बाहर बतलाया गया है। कर्दमक फारस की कर्दमा नामक नदी से सम्बद्ध थे।^२ इसलिए, वाह्लिक-प्रदेश ईरान के बलख का प्राचीन रूप माना जाता है।^३ चन्द्र का मेहरीली-स्तम्भलेख, जिसमें वाह्लिकों को सिन्धु के पार बतलाया गया है, इस बात का पोषक है।^४ वाह्लिक वैक्ट्रिओइ लोग थे, जो अरकोसिया के पास के प्रदेश में रहते थे।^५ वाह्लिक प्रादीप्य राजा का उल्लेख शतपथ-ब्राह्मण (१२-९-३-१ से ३ तथा १३) में मिलता है।

नैश—यह काबुल (कोकेन) और सिन्धु नदी के बीच में मेरु पर्वत के पादमूल में एक छोटा-सा पर्वतीय क्षेत्र था, जिसे ग्रीक इतिहासकारों ने नायस कहा है। यही पतजलि का नैश जनपद था, जिसके निवासी नैश्य कहलाते थे। सिकन्दर के आक्रमण से बहुत पहले ही ग्रीक-निवासियों (हेलेनिक) ने इस नगर की नींव डाली थी। एरियन ने कहा है कि नैश्य भारतीय नहीं है। वे डियोनिसस के साथ भारत आनेवाले ग्रीक पुरुषों की सन्तान है। मज्जिमनिकाय (२-१४९) में भी कम्बोज के साथ एक यवन-राज्य का उल्लेख है, जिसके विषय में कहा गया है कि उसमें दो ही वर्ग हैं—आर्य या दास।^६ नैश नगर इस जनपद की राजधानी था, जो स्वात प्रदेश में कोहेमूर की उपत्यका में स्थित था।^७ इसकी शासन-प्रणाली सघातमक थी और शासन-सभा में ३०० सदस्य थे।^८ नैश नगर-राज्य था।

१. ४-२-९८, पृ० २०३।
२. रायचौधुरी : भा० हिस्ट्री ऑफ़ ऐन० इण्डिया, पृ० ४४९।
३. पारसीकेषु कर्दमा नाम नदी।—अर्थशास्त्र-व्या०, २-११ तथा इण्डि० हिस्टा० क्वार्टरली, भाग ९, पृ० ३७, ३९।
४. तीर्त्वा सप्त मुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाह्लिकाः।
५. इण्डियन हिस्टा० क्वान०, भाग ९, पृ० ३९।
६. योनकम्बोजेषु द्वे एव वण्णा अइयो चैव दासो च।
७. कैम्बिज हि० ऑफ़ इण्डि०, पृ० ३५३।
८. एन० ऑफ़ अलेक्जेंडर, पृ० ८१।

वरद—गण्डवि ने वरद, वारद, वारदिका, वारक वृत्तारिका शब्दों के द्वारा वरद-प्रदेश से अपना निम्न परिचय कृत किया है। वरद भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के निवासी थे। महाभारत में वरद, वरक, वरुण आदि के साथ उदाहा उल्लेख है। नत्स्यपुराण में वरदों का प्रदेश गम्भार, विदपुर, उर्क, औरम आदि के साथ निम्बू का कठार बतलाया गया है। महाभारत और पुराणों के अनुसार ये पंचाद के कपरी भाग की वधा जाति के प्रदेश के गप्त काश्मीर की उत्तर-पश्चिमी सीमा के आगे प्रदेश के निवासी माने जा सकते हैं। ये पर्वतीय लोग थे यह बात तो इनके नाम (वरद=वरुण) से ही स्पष्ट है।

काश्मीर के इतिहास में वरदों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राजतरंगिणी में इसकी वार-वार उल्लेख है। बाद में इनका प्रदेश दरविस्तान (जिन्हा वरदों) कहलाता है। ग्रीक लेखकों ने इन्हें विभिन्न नामों से स्मरण किया है। उदाहरणार्थ—स्त्रैबो इन्हें वरई प्लिनी उन्हें और डियो-सोरस वरुनाड कहते हैं।

पाद या पारद—पाद जिनका उल्लेख भाष्यकार ने एक बालिक में किया है और जिनके उर्क होनेवाली वस्तु को पादोगी कहा है, वरदों के समान ही पर्वतीय वंश जाति के लोग थे। पुराणों और महाभारत में भी इनका उल्लेख सदा क्लृप्त जातियों के साथ हुआ है। हरिवंश (१३-३६३, ३४ तथा १४-३३५ से ८३) में तो इन्हें स्पेच्छ और दस्तुत्त कहा गया है। नवसूक्ति के अनेक अर्थों की श्रेणी में ये लोग भी आते हैं। पाण्डुर पारदों को वरुण, कम्बोजों और यवनों आदि के साथ उत्तर-पश्चिमी सीमान्त-प्रदेश का निवासी मानते हैं।

यवनदेश—यवन ग्रीकवंशीय आर्योदिपत लोग थे जिन्हें उत्तर-पश्चिमी भारत के गणनीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गिगलेक्सादि में इनका उल्लेख ई० पू० तीसरी शती में ईसा की दूसरी शती तक मिलता है। महाभारत में कम्बोज शक, मद्र आदि लोगों के साथ ये भी वरदों के एक थे। गण्डवि ने भी इन्हें आर्यावर्त में निरवधि मूत्र कहा है। महाभारत के किष्किन्वाजाड (४३-११-१२) में शक-यवनों की कुल और मद्र प्रदेशों के नव्यवर्तों अत्र का निवासी कहा है। महाभारत में इनका स्थान वरदों, किरातों और गाम्भारों के परत है। यवन-प्रदेश की ठीक स्थिति के बारे में अभी तक विद्वानों में मतभेद नहीं है। डॉ० नन्डारकर उसे भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा से मिला कोई अत्र पाते हैं, जिसे ई० पू० ५५० के

१. ४-२-१२० पृ० १४१; ६-३-३४, पृ० ३२० तथा ६-३-४२, पृ० ३२१।

२. शोषपर्व. १०-१८।

३. २१-४५ से ५१।

४. एत० डिण्डमत हिस्सा० इंडि०, पृ० २०६, २६८।

५. इण्डि० क्लव०. भाग १, पृ० ३४३ से।

६. कैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डि०, भाग १, पृ० २२५।

७. वही. पृ० २७४।

८. २-४-१०, पृ० ४६५।

९. वही. पृ० २९१।

लगभग यवनों या ग्रीक लोगों ने बसाया होगा। पाणिनि के समय में भारत का इस प्रदेश से घनिष्ठ सम्पर्क हो चुका था। पाणिनि के बाद कात्यायन के समय में उनकी लिपि काफी प्रचलित हो चुकी थी और उसे यवनानी कहते थे।^१ पतञ्जलि ने यवनों द्वारा साकेत और मध्यमिका पर किये गये आक्रमणों की चर्चा की है।^२

शकस्थान—शकों का उल्लेख पतञ्जलि ने यवनों के साथ ही आर्यावर्त से निरवसित के रूप में किया है। इनका प्रदेश शकस्थान कहा गया है। यह भारत के सीमान्त के पास का सीधिया क्षेत्र था। पेरिप्लस के अनुसार भारत सागर में मिलनेवाली नदियों में विशालतम सिन्धु नदी शकस्थान होकर बहती थी। इसकी राजधानी मिननगर थी और समुद्र-तट पर स्थित वारबेरियस नगर इसका सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र था। ईसा की तीसरी शती में शकस्थान और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ प्रदेश सेसानियन लोगों के अधिकार में थे। ईसा-पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी में भी न केवल शकस्थान, अपितु कापिशी और गान्धार पर भी शकों का अधिकार था।

काश्मीर—अशोक के समय में काश्मीर मौर्य-साम्राज्य का अंग था, किन्तु पतञ्जलि के समय में स्वतन्त्र राज्य जान पड़ता है। उन्होंने मद्रराज और मद्रराज्ञी के साथ काश्मीरराज और काश्मीरराज्ञी का उल्लेख किया है।^३ काश्मीर पंजाब के उत्तर में स्थित था और चारों ओर से ऊँचे-ऊँचे पर्वतों से घिरा था। उसकी राजधानी के पश्चिम ओर से वितस्ता बहती थी। इसकी भूमि उपजाऊ थी, जिसमें अन्न, फल और फूल खूब पैदा होते थे। ह्वेनसांग के अनुसार राज्य का घेरा ७००० ली० था।^४

सिन्धु—भाष्यकार ने पाणिनि-सूत्र (४-३-९३) के सिन्धु पद को चर्चा के लिए उद्धृत किया है।^५ सिन्धु नदी के कारण इस प्रदेश का नाम सिन्धु पड़ा है। वैदिक काल में यह प्रदेश घोडों के लिए प्रसिद्ध था।^६ डॉ० अग्रवाल ने इसे सिन्धु-सागर के दो-आब का प्रदेश माना है।^७

पारस्कर—पारस्कर देश का उल्लेख पतञ्जलि ने किया है।^८ यह सिन्धु-प्रदेश के थर-पारकर जिले का प्राचीन नाम था।^९

सौवीर—सौवीर में वर्तमान मुल्तान और झालावाड़ के क्षेत्र सम्मिलित थे।^{१०} स्कन्द-

१. ४-१-४९, पृ० ६३।

२. ३-२-१११, पृ० २४७।

३. ४-१-१, पृ० ११।

४. वैंटर्स ऑन युवांगचांग, भाग १, पृ० २६७ से ७१।

५. १-३-१०, पृ० ३६।

६. वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० ४५।

७. इण्डिया ऐज नोन टु पाणिनि, पृ० ५०।

८. ६-१-१५७, पृ० १९४।

९. डॉ० अग्रवाल : पाणिनि, पृ० ५१।

१०. रायचौधुरी : पालि० हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ६१९।

पुराण मे मुलतान (मूलस्थान) को देविका-तट पर स्थित वतलाया है।^१ यह वही देविका मूल (स्थान) है, जहाँ के शालि का उल्लेख भाष्यकार ने किया है।^२ रुद्रदामा के जूनागढ-शिलालेख मे उसका एक प्रदेश के रूप मे उल्लेख है। लों के अनुसार सिन्धु-सौवीर नाम इस बात का द्योतक है कि सौवीर सिन्धु और वितस्ता (शेलम) के बीच का प्रदेश था। कर्निधम के मत से वदरी (एडर) प्रदेश का, खम्भात की खाडी के ऊपर का क्षेत्र सौवीर कहलाता था।^३ रौरक सौवीर की राजधानी थी, जिसका राजगृह से व्यापारिक सम्बन्ध था।

पतंजलि ने सौवीर गोत्रो का विशेष उल्लेख किया है। भाष्य मे भागवित्ति,^४ तारणविन्दव^५ और फाण्टाहृति^६ ये सौवीर गोत्रो के नाम आये है। सौवीरी स्त्रियो का भी भाष्यकार ने चार वार उल्लेख किया है।^७

सुराष्ट्र—सुराष्ट्र का उल्लेख महाभाष्य मे भाषा-भेद के प्रसंग मे हुआ है।^८ इसका दूसरा नाम सुरथ भी था।^९ पद्मपुराण (१९०-२) के अनुसार सुराष्ट्र गुजरात के अन्तर्गत था, किन्तु भागवतपुराण मे उसे स्वतन्त्र देश वतलाया है।^{१०} अर्थशास्त्र (अनु० पृ० ५०) मे यहाँ के हाथी अग और कर्लिग प्रदेश की अपेक्षा निम्नकोटि के वतलाये गये है। चन्द्रगुप्त के समय मे सुराष्ट्र मौर्य-साम्राज्य का अग था और एक राष्ट्रिय वहाँ का शासन चलाता था। अशोक के समय मे यह स्थानीय स्वराज्य-प्राप्त प्रदेश था और तुषारफ यहाँ का स्थानीय शासक था। वर्तमान जूनागढ या गिरिनगर सुराष्ट्र का मुख्य नगर था। शिलालेखो मे इसे ऊर्जयत् भी कहा है।^{११}

कच्छ—कच्छ की राजधानी प्रो० लैसन के मत से कच्छेश्वर और कर्निधम के अनुसार कोटीश्वर थी। कोटीश्वर तीर्थ-स्थान है और यहाँ बडी सख्या मे शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं।^{१२} भाष्य मे अनेक वार कच्छ नाम आया है। यहाँ के निवासी काच्छक कहलाते थे।^{१३}

ब्राह्मणक—महाभाष्य मे ब्राह्मणक नामक जनपद का उल्लेख है। इसके निवासी ब्राह्मणकीय कहलाते थे।^{१४} ह्येनसाग के अनुसार सन् ६४१ ई० मे सिन्धु चार भागो मे विभाजित था—उत्तर,

१. स्कन्द पु०, प्रभासक्षेत्र-माहात्म्य, अध्याय २७८।

२. ७-३-१ पृ० १७१।

३. एन० ज्या०, पृ० ५६९ तथा लों : हिस्ट्री० ज्या०, पृ० २९६।

४. ४-१-९०, पृ० १०८।

५. ४-२-२८, पृ० १७५।

६. ४-१-१५०, पृ० १४७।

७. २-४-६२, पृ० ४९६ आदि।

८. आ० १, पृ० २१।

९. लूडर्स लिस्ट, संख्या ११२३।

१०. १-१०-३४; १-१५-३९।

११. स्कन्दगुप्त और रुद्रवामन् के गिरनार-लेख।

१२. कर्निधम : एन० ज्या०, पृ० ३४६।

१३. ४-२-१३०, पृ० २१७।

१४. ४-२-१०४, पृ० २१३।

मध्य, निम्न तथा कच्छ। इनमें मध्य सिन्ध का प्राचीन नाम ब्राह्मणक था। इसे मुस्लिम लेखकों ने ब्राह्मणावाद कहा है।^१ इस प्रदेश की राजधानी ब्राह्मणस्थलनगर थी। यह आयुध-जीवी ब्राह्मणों का जनपद था और सिकन्दर के आक्रमण के समय राजा द्वारा आत्मसमर्पण कर देने पर भी यहाँ की जनता ने उसका सामना किया था। पतञ्जलि का अवृषलक देश भी ब्राह्मणक जनपद का ही बोधक है।^२ उन्होंने वृषल शब्द का उपयोग सदा ही ब्राह्मण-विरोधी के रूप में किया है। स्मिथ ने पटलनगर और ब्राह्मणावाद को एक ही माना है।^३

शूद्र या शौद्रायण—अवृषलक के समान अब्राह्मणक भी देश का नाम था।^४ यह देग, जैसा कि विरुद्धार्थी शब्द से स्पष्ट है, वृषल-देश होना चाहिए। एक अन्य स्थान में भाष्य में 'शूद्राभीरम्'^५ शब्द आया है, जो लों के मत से शूद्र और आभीर दो स्वतन्त्र जातियों का बोधक है। यह गूद्र जाति गूद्र वर्ण से भिन्न थी, जिसका महाभारत, पुराणों तथा ग्रीक-इतिहासकारों ने बार-बार उल्लेख किया है। ये लोग वर्तमान सिन्धु के एक भाग, शूद्र देग में रहते थे। महाभारत में इनका प्रदेश विनशन (पश्चिमी राजपूताना) के पास बतलाया गया है^६ और मार्कण्डेयपुराण में अपरान्त या पश्चिमदेश। ब्राह्मणकों के समान इन्होंने भी डटकर सिकन्दर का सामना किया था।^७

क्षुद्रक-मालव—क्षुद्रक और मालव दो स्वतन्त्र क्षत्रिय-जातियाँ थीं। जिनके जनपद का नाम भी क्रमशः क्षुद्रक और मालव था। मालव के निवासी, जो अपने प्रदेश और गण के प्रति निष्ठावान् थे, मालवक कहलाते थे।^८ मालवगण के राजपदधारियों की सन्तान मालव और उनके युवापत्य मालव्य कहे जाते थे। इसी प्रकार क्षौद्रक और क्षौद्रक्य शब्दों का व्यवहार होता था। क्षौद्रक्य और मालव्य केवल क्षत्रिय जाति के लोगों को ही कह सकते थे। उनके दास और कर्मकर क्षौद्रक और मालवक ही कहलाते थे।^९

मालव पहले पजाब में रहते थे, किन्तु धीरे-धीरे वे उत्तरी भारत, राजपूताना, मध्य-भारत, उत्तरप्रदेश और लाट देश तक फैल गये और अन्त में स्थिर रूप से वर्तमान मालवा में बस गये।

मालवों को सिकन्दर के इतिहासकारों ने मल्लोई, मल्ली या मल्लाइ कहा है और इनके

१. कर्निघमः एन० ज्या०, पृ० ३०६ से ३१८।
२. १-४-१, पृ० १०७।
३. अर्लो हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, पृ० १०७।
४. १-४-१, पृ० १०७।
५. १-२-७२, पृ० ६०७।
६. शूद्राभीरम् प्रतिश्लेषाद् यत्र नष्टा सरस्वती।—महा० ९-३७-१।
७. लॉः ट्राइब्ल्स इन एन० इण्डिया, पृ० ३५२।
८. ४-२-४५, पृ० १८२-८३।
९. ४-२-१०४, पृ० २०९ तथा इदं तर्हि क्षौद्रकाणामपत्यं मालवानामपत्यमिति। अत्रापि क्षौद्रक्यः मालव्य इति नैतत्तेषां दासे वा भवति कर्मकरे वा। कितर्हि? तेषामेव कस्मिदिच्छत्।—४-१-१६८, पृ० १६२।

साथ क्षुद्रक लोगो (Oxydrakai Sudracae Hydrcakai) का भी नाम लिया है। त्मिय के अनुसार ये लोग 'डेलम' और चेनाव के सगम के नीचे, अर्थात् इग जिले तथा माण्टगोमरी जिले के एक भाग में रहते थे।^१ मैक्रिण्डल का मत है कि इनका जनपद इससे बड़ा था और उसमें चेनाव तथा रावी का वर्तमान दोआब तथा चेनाव-सिन्धु के सगम तक का प्रदेश सम्मिलित था। इसमें वर्तमान मुलतान जिला तथा माण्टगोमरी का कुछ भाग आता है।^२ रायचौधुरी इन्हें रावी की निम्न घाटी में इस नदी के दोनों तटों पर बसे मानते हैं।^३

क्षुद्रको और मालवों का सयुक्त सेना-संगठन था, जिसे भाष्यकार ने क्षौद्रक-मालवी सेना कहा है। यह शब्द सेना का ही वाचक था। क्षुद्रक मालवों से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य वस्तुएँ क्षौद्रक-मालवक कही जाती थी, ये दोनों सघ आयुषजीवी थे। इसलिए इनकी सेना स्वभावतः वलिष्ठ थी। यह बात इनके द्वारा सिकन्दर के विरुद्ध किये गये युद्धों से स्पष्ट है। इन युद्धों में दोनों सघों की सेनाएँ सयुक्त रूप से लड़ी थी। इन सेनाओं से हुए युद्ध के विषय में ग्रीक इतिहासकारों में मतभेद नहीं है। कर्टियस का कहना है कि इस सयुक्त सेना का सेनापति एक क्षुद्रक योद्धा था। डियोडोरस का मत है कि सेनापति-निर्वाचन के विषय में क्षुद्रको और मालवों में मतभेद न हो पाने के कारण ही सयुक्त रूप से न लड़ सके। एरियन के विचार से मतभेद नहीं था, किन्तु सिकन्दर ने आक्रमण इतनी अप्रत्याशित शीघ्रता से कर दिया कि उन्हें सेना को सयुक्त करने का अवकाश ही न मिल पाया।^४ मालव और क्षुद्रक बार-बार पीछे हटकर भी सिकन्दर से लड़ते रहे।

भाष्यकार ने एकाकी क्षुद्रको की विजय का तीन बार उल्लेख किया है।^५ भाष्य का यह कथन मिथ्या गौरव का द्योतक नहीं है, अपितु प्रचलित भारतीय धारणा का अभिव्यजक है। उन्होंने इस बहुव्याप्त वाक्य को एकाकी का अर्थ असहाय बतलाने के लिए उद्धृत किया है। क्षुद्रको के साथ सिकन्दर का यह अन्तिम युद्ध था, जिसमें सिकन्दर गम्भीर रूप से घायल होकर वापस लौट पड़ा था। यह क्षुद्रको की निश्चित विजय थी। इस युद्ध में चाहे अप्रत्याशित आक्रमण के कारण हो, चाहे मतभेद के कारण, मालवों की सेना क्षुद्रको के साथ नहीं थी। द्वितीय कारण अधिक ठीक जान पड़ता है। एरियन और प्लूटार्क यह युद्ध मालवों के साथ और कर्टियस तथा डियोडोरस क्षुद्रको के साथ मानते हैं।^६ भाष्य के कथन के सन्दर्भ में द्वितीय मत ही सही जान पड़ता है।^७

युद्ध के बाद भी मालव पञ्जाब में बने रहे। बाद में वे राजपूताना में आकर जयपुर के पास बस गये। कोटा से लगभग ४५ मील दूर नगरस्थान में इनके बहुतेरे सिक्के मिले हैं, जिन

१. जर्नल ऑफ़ रॉयल एशियं सो०, १९०३, पृ० ६३१।

२. इनवेजन ऑफ़ इण्डिया, पृ० ३५७।

३. पालि० हि० ऑफ़ ऐन० इण्डिया, पृ० २०२।

४. मैक्रिण्डल: इनवेजन ऑफ़ इण्डिया, पृ० २३६, १५०, ३५१।

५. १-१-२४ पृ० २१६; १-४-२१, पृ० १५० तथा ५-३-५२, पृ० ४४३।

६. इनवेजन ऑफ़ इण्डिया, पृ० ३५१।

७. १-१-३४, पृ० २१६।

पर 'मालवाना जय.' अंकित है। कनिष्क के मत से ये सिक्के २५० ई० पू० से २५० ई० तक के हैं।^१

पुरु—पुरु देश के राजा को भाष्यकार ने पीरव कहा है।^२ पुरुओं का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।^३ बाद में, इनकी परम्परा विस्मृत-सी हो गई और फिर महाभारत में यथाति और शर्मिष्ठा के पुत्र के रूप में पुरु के दर्शन होते हैं।^४ प्राचीन पुरु सिन्धु के पश्चिम में रहते थे, किन्तु बाद में वे सरस्वती नदी के चारों ओर प्राच्य देश में भी मिलते हैं। ओल्डेनवर्ग के अनुसार पुरु लोग आगे चलकर कुरु लोगो में सम्मिलित हो गये, जिस प्रकार तुर्वस और क्रिवि लोग पचालो में विलीन हो गये थे, इसीलिए वैदिक काल के बाद उनका पृथक् पता नहीं चलता। ऋग्वेद में पुरुओं को जिस सरस्वती के किनारे बताया गया है, वह जिमर के मत से सिन्धु ही है।^५

शिवि—शिवि लोगो का विषय (अधिकृत प्रदेश) 'शिवय' या शैवदेश कहलाता था।^६ शिवि लोग सम्भवतः वे ह्रीं थे, जिनका नाम ऋग्वेद (७-१८-७) में आया है और जिनके सहित १० जातियों से सुदास के युद्ध का वर्णन मिलता है। ग्रीक लेखको ने इन्हे सिवइ या सिवोइ कहा है और अकेसाइन्स (ऋग्वेद अस्विनी) या चन्द्रभागा और सिन्धु के मध्यवर्ती देश का निवासी बतलाया है।^७

शिवियो की राजधानी शिवपुर थी, जिसका उल्लेख पतञ्जलि ने किया है। उन्होंने इसे उदीच्य ग्राम कहा है और इसके निवासी को शैवपर।^८ यह शिवपुर मूलतः शिविपुर था। इसी का उल्लेख शारकोट के शिलालेख में हुआ है।^९ शारकोट का टीला ही प्राचीन शिवियो की राजधानी शिविपुर था और पजाब में झग-क्षेत्र में इरावती और चन्द्रभागा के बीच ये लोग रहते थे।

शिवियो में कुछ लोग अपना प्रदेश छोड़कर उत्तर पजाब और राजपूताना चले गये जान पड़ते हैं।^{१०} उत्तर पजाब में भी उनके एक जनपद का पता चलता है, जिसका मुख्य नगर अरिट्टुपुर (अरिष्टपुर) था। इसे टालेमी ने अरिस्टोसेथरा कहा है। सम्भवतः इसी का दूसरा नाम इरावती था।^{११} शिवियो की दूसरी शाखा राजपूताना में चित्तौड़ के पास जा बसी। यहाँ इनकी राजधानी जेतुतर थी, जिसे श्री एन्० एल्० दे नागरी मानते हैं। यह स्थान चित्तौड़ से ११ मील उत्तर में है।

१. आर्कि० सर्वे रिपोर्ट, भाग ६-१८७१-७३, पृ० ७२ से।

२. ४-१-१६८, पृ० १६३।

३. वैदिक इण्डे०, भाग २, पृ० १३।

४. संवसमूलरः सेक्रेड बुक्स ऑफ् ईस्ट, ३२-३९८।

५. जै० इण्डे०, भाग २, पृ० १२।

६. ४-२-५२ पृ० १८४।

७. ऐरियनः इण्डिका ५-१२ तथा डियोडोरस १७-९६।

८. ४-२-१०४, पृ० २०५।

९. एपि० इण्डे० १९२१, पृ० १६।

१०. शिविजातक, सं० ४९९, उम्मदन्ती जातक, सं० ५२७, चेस्सन्तर जातक, सं० ५४७।

११. दे० ज्या० डिक्सा०, पृ० ८१।

यही पतञ्जलि की मध्यमिका है। इस स्थान पर जो सिक्के मिले हैं, उनपर 'मञ्जमिकाय सिविजनपदस्स' लिखा हुआ है जिससे सिद्ध होता है कि गिवियों का जनपद चित्तौड़ की मध्यमिका नगरी के चारों ओर था। जिसमें गिवि-राज ने प्रजा के कहने से अपने युवराज वेत्सन्तर को देश से निकाल दिया था। बाद में बढ़ते-बढ़ते गिवि लोग दक्षिण तक पहुँच गये। प्राचीन चोल्-राजवण गिवि ही था। बाराह-मिहिर की बृहत्संहिता में दक्षिण देश में जिस गिविका देश का उल्लेख है, यह इन गिवियों का ही स्थान जान पड़ता है।

पाण्डित्य के अनुसार ये लोग एक समय जमीन में रहते थे और बाद में इनके राजा गिवि जमीन तथा उनके चार पुत्रों ने वृषदर्भ, सुवीर, कैकय और मद्रक जनपदों पर भी बाधिपत्य कर लिया था। इस प्रकार उत्तर पश्चिम कोने को छोड़कर गेप सारे पंजाब पर इनका शासन रहा।

वसाति—भाष्य में गिवि या शैवदेश के साथ ही 'वसात' या 'वसातयः' देश का नाम आया है। यह वसाति जाति का विषय (अधिष्ठातृदेश) था। ये लोग भी चेनाव और सिन्धु के संगम के पास चेनाव के निचले प्रदेश में रहते थे।

दार्द—दार्द कम्बोज से ही फूटकर पृथक् जनपद बना था। सूत्रों के मत से इसके अन्तर्गत झेलम और चेनाव के बीच का सारा निम्न तथा मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र था। यह तक्षगिला से ऊपर की ओर पर्वतों के भीतर का प्रदेश था। मोटे तौर पर इसमें पृथक् तथा पड़ोस के कुछ काश्मीरी जिले और सीमा-प्रान्त के हजारा जिले का कुछ भाग शामिल था।^१ सिकन्दर के आक्रमण के समय यहाँ अभिसार का शासन था। इसकी तथा पुरु की तक्षगिला से कट्टर शत्रुता थी। जब सिकन्दर इसकी ओर बढ़ा, तब इसने आत्मसमर्पण का सवाद कहला भेजा, किन्तु जब वह पुरु से लड़ने लगा, तब अभिसार ने भी पुरु का साथ दिया।^२ अभिसार को कई इतिहासकारों ने दार्द/अभिसार भी लिखा है। महाभारत में दार्द का उल्लेख त्रिगर्तों तथा दरदों एवं अन्य उत्तरी पंजाब की जातियों के साथ हुआ है। काशिकाकार ने दार्द और अभिसार को पृथक् जनपद माना है।^३

कैकय—कैकय-प्रदेश के निवासियों को भाष्य में कैकय कहा है। प्राचीन कैकय विपागा से प्रारम्भ होकर गन्वार की सीमा तक विस्तृत था।^४ वर्तमान झेलम, ग्राहपुर और गुजरात के जिले इसके अन्तर्गत थे। राजगोखर ने काव्यमीमांसा में शक, हूण, कम्बोज और बाल्हिक-प्रदेश के उत्तर भाग में इसकी स्थिति बतलाई है। महाभारत में उसका नाम प्रायः बाल्हिक और पुराणों में मद्र के साथ आया है। पौराणिक परम्परा के अनुसार कैकय लोग अनु (अनावजाति)

१. पालि० हिस्ट्री ऑफ़ ऐन० इण्डि०, पृ० २०५ तथा कोल्हार्नः लिस्ट ऑफ़ सर्वन इन्डिकोप्लान्स स०, ६८५।

२. पालि० हिस्ट्री ऑफ़ ऐन० इन०, पृ० २५७।

३. इनवे० ऑफ़ बलेक०, पृ० ११२।

४. वही।

५. वही।

६. ४-२-१२४, १२५।

७. रामायण, अयो० काण्ड, ६८-१९ से २२।

के वंशज थे। ऋग्वेद (८-७४) से अनुमान होता है कि अनु लोग पहले उसी प्रदेश में रहते थे, जहाँ बाद में कैकेय लोग बस गये।

केकय के सर्वप्रथम राजा अश्वपति का उल्लेख प्राप्त है। यह अश्वपति अनेक ब्राह्मणों के धर्मोपदेष्टा थे।^१ इनकी राजधानी राजगृह या गिरिन्नज थी।^२ कनिष्पम श्लोम-तट पर स्थित जलालपुर को ही प्राचीन गिरिन्नज या राजगृह मानते हैं।^३

पुराणों में कैकेयो का शिवि-उशीनरों से घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया है। ये शिवि-उशीनर के चार पुत्रों में से एक के वंशज थे।^४

मद्र—मद्र देश वर्तमान स्यालकोट तथा रावी और चेनाव नदियों के मध्यवर्ती एव समीप-वर्ती प्रदेश का नाम था। मद्र वाहीक देश का एक भाग था। यह पूर्व और अपर दो भागों में विभाजित था। पूर्व (पूर्वी) मद्र रावी से चेनाव तक और अपर (पश्चिमी) मद्र चेनाव से श्लोम तक फैला था। इसकी राजधानी साकल थी, जो स्यालकोट का प्राचीन नाम है।^५ मद्र प्राचीन वैदिक कालीन क्षत्रिय जाति के वंशज थे। व्यापारिक दृष्टि से यह प्रदेश महत्त्वपूर्ण था। ३२६ ई० पू० में यह प्रदेश सिकन्दर के अधिकार में आया। ईसा की प्रथम शताब्दी में उस पर मिनाण्डर (मिलिन्द) का शासन था। भाष्य में मद्रराज और मद्रराज्ञी का उल्लेख है।^६ उसमें 'मद्रो का राजा' शब्द भी आया है।^७ मद्र में जी की उपज अधिक थी।^८ भाष्य से अनुमान होता है कि मद्र और उशीनर की भूमि उपज की दृष्टि से समान थी। मद्र के किसी हृद से भाष्यकार परिचित थे। मद्र के निवासी को मद्रक कहते थे। मद्र या मद्र के राजा के प्रति भक्ति (निष्ठा) रखनेवाला भी मद्रक कहलाता था।^९

उशीनर—उशीनर कुरु-प्रदेश के उत्तर में था। गोपथ-ब्राह्मण (२-९) में उशीनरो को उत्तरीय कहा है। ऐतरेय (८-१४) ब्राह्मण कुरु-पाचालों को वंश और उशीनरो के साथ मध्यदेश में साथ-साथ रहते बतलाया है। पतञ्जलि ने मद्रो के साथ बार-बार उशीनरों का उल्लेख किया है। इससे ये पडोसी जान पड़ते हैं। उशीनर की वनी कन्याएँ भाष्यकार के समय में प्रसिद्ध थी, यहाँ तक कि वहाँ की वनी कन्याओं के नाम तक बतानेवाले परिवारों के आधार पर प्रसिद्ध थे। यथा—सौशमिकन्यम्, आह्वरकन्यम् आदि। ये नाम विशेष प्रकार की कन्याओं के थे।^१

१. शत० ब्रा० १०-६-१-२, छान्दो० उप०, ५-११-४।

२. रामायण, अयो० ६७-७, ६८-२२।

३. कनिष्पम : आर्कि० सर्वे रि०, भाग २।

४. वायुपु०, अ० ९९; मत्स्यपु०, अ० ४८; विष्णुपु० ४-१८।

५. महाभारत, २-११९६ तथा ८-२०३३।

६. ४-१-१, पृ० ११।

७. २-१-२, पृ० २६३।

८. ४-१-९०, पृ० ११०।

९. ४-३-१०, पृ० २४६।

१०. ४-१-९०, पृ० ११०; १-३-६२; पृ० ७८; ६-३-४४, पृ० ३१४; ७-१-७४, पृ० ७०।

पाणिनि-सूत्रो (४-२-११७-११८) से पता चलता है कि उशीनर वाहीक के अन्तर्गत था। उन्होंने उशीनर के अन्तर्गत वाहीक ग्राम बतलाये हैं। इस प्रकार केकय, उशीनर और मद्र तीनों वाहीक के ही भाग मालूम होते हैं। इनमें केकय शैलम और चेनाव के बीच में, मद्र चेनाव और रावी के मध्य में उत्तरी भाग में तथा उशीनर दक्षिणी भाग में था।

वाहीक—यह प्रदेश बाल्हीक से भिन्न था। कर्णपर्व (अ० ४४, श्लोक १० तथा १७) में कहा है—शाकल नामनगरमापगा नाम निम्नगा। जात्तिका नाम वाहीकास्तेषा वृत्त सुनिन्दितम् ॥ इससे स्पष्ट है कि वाहीको को जात्तिक (जाट ?) भी कहते थे। इनकी राजधानी शाकल या स्यालकोट थी। यह राजा मिलिन्द की भी राजधानी थी। वाहीको के वृत्त को महाभारतकार ने निन्दित कहा है। भाष्यकार ने वाहीक की व्युत्पत्ति वहि से मानकर उसे आर्यावर्त से बाह्य-प्रदेश बतलाया है।^१ काशिकाकार ने शाकल को वाहीक ग्राम कहा है।^२ भाष्यकार ने वाहीक ग्रामों में आरात्, कास्तीर, दासरूप्य, शाकल, सौमुक, पातानप्रस्थ, नान्दीपुर, कौकुबीवह और मीज का उल्लेख किया है, जिससे अनुमान होता है कि वाहीक विशाल एव समृद्ध प्रदेश था। यह प्रदेश आर्यावर्त से बाह्य, किन्तु उससे सटा हुआ होगा। अन्यथा, मध्यदेशीय पतंजलि को उसके गाँवों की इतनी अधिक जानकारी न होती।^३ भाष्यकार ने शाकल को भी ग्राम कहा है, जिससे अनुमान होता है कि शेष ग्रामों की स्थिति शाकल के समान ही बड़े कस्बों-जैसी होगी। पूर्वी पंजाब वाहीक-प्रदेश था। पाँचनद पांच नदियों का प्रदेश था। इसमें वर्तमान पंजाब का सारा प्रदेश आ जाता है।^४ राजनीतिक दृष्टि से पांचनद और वाहीक कभी इकाई नहीं रहे। भाष्यकार ने लोक-व्यवहार की दृष्टि से ही वाहीक और पांचनद प्रदेशों का उल्लेख किया है, जनपद के रूप में नहीं।

अम्बळ—इन्हे ग्रीक लोगो ने अवस्तनोइ या अम्बस्तइ कहा है। ये चेनाव के निचले भाग में रहते थे। ये लोग ऐतरेय ब्राह्मण के समय में ही पंजाब में बस गये थे।^५ महाभारत में इनका स्थान उत्तर-पश्चिम भारत बतलाया गया है। पाण्डित के अनुसार ये पंजाब के पूर्वीय अंचल में बसे हुए थे और इनका शिवियों तथा यौधेयों से घनिष्ठ सम्बन्ध था।^६ सम्भवत, बाद में ये लोग नर्मदा के उद्गम-स्थल मेकल पर्वत के पास चले गये।^७ भाष्यकार ने अम्बळ-प्रदेश के निवासी पुरुषों को आम्बळ्य और स्त्रियों को आम्बळ्या कहा है।^८

१. ४-१-८५, पृ० ९५।

२. ४-२-११७।

३. ४-२-१०४, पृ० २०५ से २१२ तथा ४-२-१२४, पृ० २१५।

४. ८-१-१२, पृ० २७३; ८-३-८२, पृ० ४५८।

५. ऐत० ब्रा०, ७-२१-३।

६. एन० इण्डियन हिस्टो० ट्रेडि०, पृ० १०९-२६४।

७. लॉ: ट्राइन्स इन एन० इण्डिया, पृ० ९७, ३७४।

८. ४-१-१७०, पृ० १६३; ३-१-३, पृ० १९।

त्रिगर्त—भाष्यकार ने त्रिगर्त-निवासी श्रैगर्तको को क्षत्रिय कहा है।^१ त्रिगर्त का उल्लेख षोडश्यादि गण में भी है।^२ ये लोक आयुधजीवी थे। कौण्डोपरथ, दाण्डकि, कौटकि, जालमानि, ब्रह्मगुप्त और जानकि या जालकि इन छह आयुधजीवी सघो का एक महासघ था। इनमें छठा सघ त्रिगर्तों का था।^३

त्रिगर्तों को महाभारत (सभा प० ५२-१४, १५ तथा द्रोण प० १८-१६) में पंजाब का और राजतरणिणी (५-१४४) में काश्मीर के समीप का बतलाया है। हेमचन्द्र के अभिवान-चिन्तामणि में त्रिगर्त और जालन्धर पर्यायवाची कहे गये हैं।^४ कनिंघम ने कांगड़ा-क्षेत्र को, जो जालन्धर में चम्ब पर्वत-श्रेणी और व्यास के उत्तरी मार्ग के बीच में है, प्राचीन त्रिगर्त माना है।^५ यह पुराणों के अनुकूल है, जिनमें त्रिगर्तों को पर्वतीय जाति कहा है। वास्तव में त्रिगर्त सतलज और रावी के बीच का प्रदेश था। कांगड़ा इसके अन्तर्गत था और इसकी केन्द्रीय नगरी जालन्धर थी।^६ त्रिगर्त नाम रावी, व्यास और सतलज इन तीन नदियों के कछार में स्थित होने के कारण पडा था। इस प्रकार के गर्तान्त नाम रखने की प्रथा जान पडती है। यथा—श्वविद्वर्त, वृकगर्त आदि।

त्रिगर्त प्रायः अनावृष्टि से पीडित रहता था। महाभारत (२-४८-१३) में भी त्रिगर्त में अनावृष्टि का विशद वर्णन है। इस सन्दर्भ में भाष्यकार का यह कथन है कि 'वादल केवल त्रिगर्त को छोड़कर अन्य सब स्थानों में बरस गया', विशेष महत्त्व रखता है।^७

साल्व—४-२-१३३ सूत्र के भाष्य में कई बार साल्व का उल्लेख है। सूत्र ४-१-१७३ से पता चलता है कि साल्व के अनेक अवयव थे। पाणिनि ने साल्वेय का भी उल्लेख किया है, जो राजविशेष तथा देशविशेष का द्योतक है (४-१-१६९)। काशिकाकार (४-१-१७३) ने साल्वेय और साल्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि साल्वा एक क्षत्रिया का नाम था, उसकी सन्तान साल्वेय और साल्व कहलाई। उनके निवास का नाम साल्व जनपद हुआ। इस जनपद के उदुम्बर, तिलखल, मद्रकार, युगन्धर, भुलिंग एव शरदण्ड ये छह अवयव थे। इनमें रहने-वाले लोग क्षत्रिय-वृत्ति, अर्थात् आयुधजीवी थे, जो साल्वक कहलाते थे। पाणिनि ने साल्वको की हर शारीरिक चेष्टा को भी साल्वक नाम दिया है। कच्छ, सिन्धु, वर्णु गान्धार, मयुमत, कम्बोज, काश्मीर, साल्व, कुच, रकु आदि कच्छादि देशों के पहनाव-ओढ़ाव, बोलचाल, खान-पान के

१. ४-२-१०४, पृ० २०९ तथा ४-२-१३७, पृ० २१८।

२. ५-३-११७।

३. येषामायुधजीविनां सङ्घानां षडन्तवर्गास्तत्र त्रिगर्तः षष्ठः। त्रिगर्तः षष्ठो येषां ते त्रिगर्तषष्ठा इत्युच्यन्ते। तेषु चैयं स्मृतिः आहुस्त्रिगर्तं षष्ठास्तु कौण्डोपरथदाण्डिकिकौट-किर्जालमानिश्च ब्रह्मगुप्तोय जानकिः।— ५-३-११६ का०।

४. जालन्धरास्त्रिगर्ताः स्युः।—अभि० चि०, ४-२४।

५. कनिंघमः आकि० सर्वे रि० भाग ५, पृ० १४८।

६. एपि० इण्डि०, भाग १, पृ० १०२, ११६।

७. ८-१-५, पृ० २७०।

अपने-अपने अलग-अलग टग पे और उनके अलग-अलग नाम भी थे। उदाहरणार्थ—काण्डकभारण्डक काण्डिकी चटा या नैन्दिकी चूडा, मालिक हसित या जल्पित उन सबकी अपनी-अपनी विशेषताएँ थी। माल्व-जनपद उन सबके अनिरिक्त तीन जाँग बातों के लिए भी प्रसिद्ध था—पद्मति नैतिक, बैल और यमगू। माल्व का पद्मति माल्व ही कहलाना था, मालिक नहीं। बैल को सालक और यमगू को माल्विदा कहते थे।

माल्व का गवत्ररम उल्लेख गोपथ-ब्राह्मण में (१-२-९) मिलता है। मालव मनवत उन भू-भाग का नाम था, जिसे अब जलवर-राज्य कहा जाता है। महाभारत (वनपर्व अ० १४) के अनुसार मालव की राजधानी मालवपुर थी, जिसे मीनग नगर भी कहते थे। काशिकात्तर ने माल्व-जनपद में वैधुमाग्नी नगरी का नाम दिया है जिसका निर्माण विष्णुमानि ने किया था। डॉ० अग्रवाल के मत में माल्व अत्यन्त प्राचीन ज्ञाति थी जो बलूचिस्थान और सिन्धु होती हुई पश्चिम में लार्ड की और गजस्थान में बस गई। वे मालवकागिरि के रूप में, जो हाल में पर्वत का प्राचीन नाम है और जिम्का परिगलन पाणिनि ने किन्नुश्वादि गण (६-३-११३) में किया है, अपने स्मृति-चिह्न पीछे छोड़ आये थे।

उदुम्बर—उदुम्बर मालव का एक अवयव था जिसका राजा उदुम्बरि कहलाना था। भाष्य में उदुम्बर देग में बहनेवाली नदी का नाम उदुम्बरावती बतलाया है। नभापर्व (२-१८३९) में उदुम्बरो का स्थान मन्वदेग बतलाया है। मार्कण्डेयपुराण (१०८-९) में उदुम्बरो का उल्लेख कर्पिजलो, कुम्वाह्यो और गजाह्वयो के साथ हुआ है। इनमें गजाह्वय लोग तो हस्तिनपुर में जीरकुरवाह्य भी किनी-न-किनी प्रकार पुरुषों में सम्बद्ध रहे होंगे। इनमें अनुमान होता है कि ये लोग भी कुरु-प्रदेग के समीप ही बहीं रहे होंगे। पञ्जाब के कांगड़ा जिले में इनके निक्के मिल जाने में अब जना निश्चितप्राय हो गया है कि उदुम्बर देग गबी और व्यान के बीच कांगड़ा घाटी तथा गुरुदामपुर जिले के पठानकोट के ही पाम पडोत का प्रदेश था और वही होकर बहनेवाली कोई नदी उदुम्बरावती कहलाती थी। भाष्य में मगकावती के साथ उदुम्बरावती का नाम आने में यह अनुमान किया जा सकता है कि उदुम्बर देग की राजधानी का नाम उदुम्बरावती था, जिसके कारण ही इनके पाम में बहनेवाली नदी का नाम उदुम्बरावती पडा।

युगन्वर—युगन्वर देग के मनुष्य को यौगन्वर या यौगन्वरक कहते थे। युगन्वर का राजा यौगन्वरि कहलाता था। डॉ० अग्रवाल ने जर्नल एनियाटिक (Journal Asiatic

१. ४-२-१३४।

२. ४-२-१३५, ३६।

३. कनिष्क : आर्कि० सर्वे रि०, भाग २०, पृ० १२०।

४. ४-२-७६।

५. पाणिनि, पृ० ५५।

६. २-४-५८, पृ० ४९३ तथा ६-३-१११, पृ० ३६२।

७. ४-२-७१, पृ० १९४।

८. ४-२-१३०, पृ० २१७।

१९२९, पृ० ३११-१४) में उद्धृत एक वैदिक मंत्र (जिसका वेद और सख्या नहीं दी गई है) के आवार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि युगन्वर यमुना के क्षेत्र में कहीं था और इस प्रकार यमुना के ऊपरी भाग तथा सरस्वती के बीच अम्बाला जिले में उसे मान लिया है। उनके अनुसार जगावरी युगन्वर का अपभ्रंश माना जा सकता है।^१ श्रीविमलचरण ला का अनुमान है कि दक्षिणी पंजाब की पुरानी जीद रियासत ही युगन्वर-जनपद थी। महाभारत (३-१२९-९) में युगन्वर को कुरु-क्षेत्र का प्रवेश-द्वार कहा है। कागिका के अनुसार युगन्वर साल्वो के अतिकार में था और साल्वा-वयव गिना जाता था।

स्रुघ्न (१)—स्रुघ्न धानेश्वर से लगभग ४० मील की दूरी पर छोटा-सा जनपद था, जिसका घेरा लगभग १०० मील था। यह पूर्व की ओर गगातट और उत्तर में ऊँचे पर्वतों की श्रेणी तक विस्तृत था। यमुना इसके बीच से होकर बहती थी। कनिष्क के अनुसार सिरमौर की पहाड़ियों और गगा के बीच का प्रदेश तथा गढ़वाल का पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अन्तर्गत था। ह्वेनसांग ने इसे सु-लुकिन-नो कहा है। स्रुघ्न की राजधानी भी स्रुघ्न थी, जिसे आज भी सुघ कहते हैं।^२ स्रुघ्न में रहनेवाले स्रुघ्न कहलाते थे। भाष्य में स्रुघ्नी स्त्रियों का आदरपूर्वक उल्लेख है। भाष्यकार स्रुघ्न जनपद, स्रुघ्न नगर, उसको जानेवाले मार्ग तथा वहाँ की सुख-समृद्धि से सुपरिचित थे।^३

अजमीढ—भाष्य के अनुसार यह एक जनपद था।^४ काशिकाकार ने इसे जनपदावधि, अर्थात् बड़े जनपद का एक अवयव कहा है।^५ सम्भव है, महाभारत के सुप्रसिद्ध अजमीढ-परिवार से इसका कोई सम्बन्ध हो। ऋग्वेद (७-१८-६९) में अज लोगो का उल्लेख है, जिन्हें तृत्सु और मुदासजनो ने पराजित किया था। ऋग् (६-४४-६) में अजमीढ के वंशजों आजमीढों की भी चर्चा है। सम्भव है, इन प्रदेशों और नगरों का सम्बन्ध अजो और आजमीढों से हो।

अजक्रन्द—इसका उल्लेख अजमीढ के ही साथ हुआ है। इसे भी काशिका ने जनपदावधि कहा है।^६

नीप—नीप का राजा नैप्य कहलाता था।^७

निचक—निचक के राजा को नैचक्य कहते थे।^८ नीप के समान इसके क्षेत्र के विषय में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

१. इण्डिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ५५ तथा पृ० ५७।

२. कनिष्कः एन० ज्या०, पृ० ३९५ से ९९।

३. ४-३-२५, पृ० २३१; ४-३-१२, पृ० २५१; ६-३-४२, पृ० ३२७।

४. ४-१-१७०, पृ० १६३।

५. ४-२-१२५।

६. वही।

७. ४-१-१७०, पृ० १६३।

८. वही।

बुध—बुध जनपद के राजा को बोधि कहते थे।^१ भाष्य में उदुम्बर के नाथ भी बुध का उल्लेख है। बुध के राजा तथा उन राज के अण्ड्य दोनों को ही बोधि कहते थे।^२ बोधि लोगों की चर्चा महाभारत और रामायण में भी आई है। श्री वी० सी० लॉ के मत में ये लोग पूर्वी पंजाब में किमी स्थान में रहते थे।

सिद्ध—सिद्ध का निवासी जैह्वक कहलाता था।^३

मात्रावन—मात्रावत् लोगों का निवासी-देश मात्रावन था। यह पर्वतीय प्रदेश था और वर्णान्त नलाब्ध (उत्तर-पश्चिम मीनाप्रदेश) का पहाड़ी क्षेत्र था।^४

इसे प्रथम द्वीरावतीक और त्रौरावतीक देव इरावती^५ की दो या तीन धाराओं के बीच बसे हुए देवों के नाम थे। भाष्य का निर्गदेश मन्मथन देव-सानान्य का बोधक है।^६ काशिका में चित्रलि तया अन्तर्धर जनपदी का नाम आया है।^७ किन्तु, इनकी स्थिति के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। अन्तर्धर काशिका के अनुभार ही वाहीक देव का एक भाग था। इसे पाणिनि ने भी देव कहा है, किन्तु भाष्यकार इसके विषय में मौन हैं।

कुरु—कुरु लोगों का जनपद जिसमें कुरुक्षेत्र या धनेश्वर, सौनपन, अमीन, कर्नाल, पातोपत और पान-पड़ोस का क्षेत्र सम्मिलित था कुरु कहलाता था। इनकी सीमा उत्तर में सरस्वती और दक्षिण में इण्डवती नदी थी। इनका विस्तार ९०० मील था। और राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। इन्द्रप्रस्थ का क्षेत्रफल २१ मील था।^८

कुरु जनपद के दो भाग थे—उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु। जिनर (वैदि० इन०, भाग १, पृ० ८४) के अनुसार उत्तर कुरु काश्मीर के किमी भाग को कहते थे। कुरु राष्ट्र की स्थापना के दिग्ग में कहा जाता है कि चन्द्रवर्ती सम्राट् मान्वाता ने पूर्व विदेह अपर गोदान और उत्तर कुरु को विजित किया। विजय के बाद जब वे उत्तर कुरु से लौट रहे थे तब उन देव के बहूत-से निवासी मान्वाता के पीछे-पीछे चले आये। जम्बूद्वीप में जिन स्थान पर वे लोग बस गये, वही कुरु राष्ट्र कहलाने लगा^९

कुरु जनपद का राजा भी कुरु कहलाता था। भाष्यकार ने नकुल, सहदेव और भीमसेन को कुरु कहा है।^{१०} कुरु ने रहनेवाले कौरव या कौरवक कहलाते थे।^{११} कुरु-वंश की पुरुष-सन्तान को

१. वही। २. २-४-५८, पृ० ४९३।
३. मनापर्व, १३-५९० तथा भीष्मपर्व, ९-३४७; अयो० का० १२०-१५।
४. ४-२-१०४, पृ० २१३।
५. ४-२-७२, पृ० १९५।
६. पृ० १०७।
७. ३-२-४८, पृ० २१७।
८. ३-३-४१ तथा ३-३-७८।
९. वातक ५३७ तथा बोधिसत्त्वावदानकल्पलता।—पल्लव ३ तथा ६४।
१०. प्रपञ्चसूवती, १-२२५, २६।
११. ४-१-११४, पृ० १३९। १२. ४-२-१३०, पृ० २१७।

कौरव्य और स्त्री-अपत्य को कौरव्यायणी कहते थे।^१ भाष्य में अनेक बार कुरु-प्रदेश तथा कुरुजनों का उल्लेख हुआ है। मथुरा और कुरु के बड़े मयूर सम्बन्ध थे।^२ ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन कुरु तीन भागों में विभाजित था—कुरुक्षेत्र, कुरुदेश और कुरुजागल।^३ कुरुक्षेत्र में यमुना के पश्चिम का सम्पूर्ण प्रदेश था। इसमें सरस्वती और दृषद्वती के बीच की उपजाऊ भूमि सम्मिलित थी। यह प्रदेश पवित्र धर्म-क्षेत्र माना जाता था।^४ गंगा और यमुना की मध्यवर्ती भूमि कुरुदेश कही जाती थी। कुरुजागल ऊपर जगल-भाग था, जो गंगा और उत्तर पंचाल के बीच काम्यक वन तक फैला हुआ था।^५ कुरु की राजधानी हास्तिनपुर थी, जो गंगा के तट पर बसी हुई थी।^६

पंचाल—कुरु के पूर्व में पंचाल और दक्षिण में मत्स्य था। वर्तमान बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तथा पास-पड़ोस के जिले एव उत्तरप्रदेश का मध्यवर्ती दोआब पंचाल-प्रदेश कहलाता था। इसके पूर्व में गोमती और दक्षिण में चम्बल बहती थी। इस प्रकार, पंचाल उत्तर में हिमालय से चम्बल तक फैला हुआ था।^७ उत्तरकालीन वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों में पंचाल लोगों का सैकड़ों बार उल्लेख हुआ है। बृहदारण्यक (६-१-१) एव छान्दोग्य (५-३-१) उपनिषदों तथा सांख्यायन श्रौतसूत्र (१२-१३-६) में पंचाल के ब्राह्मणों द्वारा दार्शनिक चर्चा में भाग लिये जाने का वर्णन है। पंचाल उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभक्त था।^८ उत्तर पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पंचाल की काम्पिल्य थी। यह अत्यन्त प्राचीन नगर था, जिसका उल्लेख वाजसनेयी संहिता (३३-१८) तक में मिलता है। उत्तर भाग में गंगा के पूर्व तथा अवध के उत्तर-पश्चिम के जिले एव दक्षिण भाग में कुरु और शूरसेन-जनपदों से दक्षिण-पूर्व का तथा गंगा-यमुना के बीच का पूर्वी प्रदेश इसमें सम्मिलित था।

पतञ्जलि ने भी पंचाल के दो भाग बतलाये हैं—पूर्व और उत्तर। भाष्यकार ने अपने कथन को तीन बार दुहराया है,^९ जिससे स्पष्ट है कि उनके समय में पंचाल के ये ही विभाग प्रसिद्ध थे। भाष्यकार इस प्रदेश से बहुत निकट रूप में परिचित भी थे, यह बात उनके अनेक उल्लेखों से स्पष्ट है। उन्होंने इस जनपद को सुभिक्ष, सम्पन्नपानीय तथा बहुमाल्यफल कहा है।^{१०} पंचाल राजतन्त्र जनपद था। उत्तर काल में जिस प्रकार कुरु-प्रदेश में सद्य-शासन बन गया, उस प्रकार पंचाल में नहीं बन सका। कौटिल्य ने कुरुओं को 'राजशब्दोपजीविन' कहा है।^{११}

१. ४-१-१९, पृ० ४४।

२. ४-१-१४, पृ० ३४।

३. महाभारत, आदिपर्व, ९-४३३७-४०।

४. वनपर्व, १३३-५०७१, ७८; ८०८३, ७६।

५. रामा०, अयो० का०, अ० १२२। सभापर्व, १९-७९३, ९४।

६. २-१-१६, पृ० २७३।

७. कर्निघमः एन० ज्या०, पृ० ३६०।

८. रैप्सनः एन० इण्डिया, पृ० १६७।

९. आ० १, पृ० २७, ४-३-१५५, पृ० २६५; ५-१-११५, पृ० ३४७।

१०. १-२-५२, पृ० ५५४।

११. अर्थशास्त्र, अनु० शामशास्त्री, पृ० ४५५।

भाष्य में सुपचाल, अर्घपचाल और पूर्वपचाल के निवासी को क्रमशः सुपाचालक, अर्घपाचालक और पूर्वपाचालक कहा है^१ और वहाँ के एक शासक ब्रह्मदत्त का उल्लेख किया है।^२

रकु—रकु-प्रदेश में रहनेवालों को राकवक कहते थे।^३ पाणिनि के अनुसार इस देश की मनुष्य से भिन्न वस्तुओं को राकवक या राकवायण कहा जाता था। काशिका के अनुसार रकुदेश बैलो और कम्बलो के लिए प्रसिद्ध था।^४ डॉ० अग्रवाल यह प्रदेश अलमोड़ा के आसपास बतलाते हैं।^५

भारद्वाज—पाणिनि ने भारद्वाज को भी देश कहा है, जिसके अन्तर्गत कृष्ण और पर्ण नामक ग्राम थे। भाष्यकार ने ऐणीक और सौसुक ये दो ग्राम भी भारद्वाज देश के अन्तर्गत बतलाये हैं।^६ पाजिटर के अनुसार महाभारत में भारद्वाज-प्रदेश का उल्लेख प्रायः गंगा के ऊपरी भाग के पर्वत-प्रदेश के लिए हुआ है और इस आधार पर वे गडवाल को भारद्वाज-प्रदेश मानते हैं।^७ अत्रि या आत्रेय और भारद्वाजों का महाभारत, पुराणों तथा पाणिनि के गणपठ तथा महाभाष्य में अनेक बार जो साथ-साथ उल्लेख मिलता है,^८ उसका कारण इन गोत्रों का पारस्परिक मैथुनिक (दाम्पत्य) सम्बन्ध है।

कोसल—भारत के सोलह महाजनपदों में कोसल भी सम्मिलित था।^९ इसके पश्चिम में कुरु-पचाल तथा पूर्व में विदेह था। सदानीरा (गण्डक) नदी इसे विदेह से पृथक् करती थी।^{१०} कोसल लोग सूर्यवंशी मनु के वंशज थे। इनके पूर्वज इक्ष्वाकु थे, इसलिए कोसल को इक्ष्वाकु-जनपद भी कहते थे।^{११} रामायण-काल में इस जनपद को विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ, किन्तु राम के बाद वह दो भागों में विभक्त हो गया। उनके बड़े पुत्र कुश दक्षिण-कोसल के शासक हुए। उन्होंने कुशस्थली नगरी, जिसे विन्ध्यमाला में उन्होंने ही बसाया था, राजधानी बनाई (वायु पु० ८८-१९८)। छोटे पुत्र लव उत्तर-कोसल के राजा हुए। उन्होंने अपनी राजधानी श्रावस्ती में स्थापित की। जैन और बौद्ध साहित्य में कोसल के अनेक स्त्री-पुरुषों की कथाएँ हैं। बौद्ध धर्म के प्रारम्भ-काल में भी कोसल के उत्तर और दक्षिण ये दो भाग मिलते हैं। उत्तर-कोसल की दो राज-

१ १-१-७२, पृ० ४५४।

२. अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः २-३-९, पृ० ४१२।

३. ४-२-१००, पृ० २०३।

४. वही, काशिका।

५. पाणिनि, पृ० ५९।

६. ४-२-१४५, पृ० २१९।

७. पाजिटरः मार्क० पु०, पृ० ३२०।

८. २-४-६२, पृ० ५००; ४-१-८९, पृ० १०५।

९. अमृ० नि०, १-२१३।

१०. कॅम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग १, पृ० ३०८।

११. ४-२-१०४, पृ० २१३।

धानियाँ थीं—श्रावस्ती और साकेत। सरयू नदी इन दोनों के बीच विभाजक रेखा थी। रामायण तथा अन्य प्रारम्भिक बौद्धग्रन्थों के अनुसार कोसल की पहली राजधानी अयोध्या थी, किन्तु बुद्ध के समय में उसका महत्त्व कम होता गया। रीज डेविड्स के अनुसार साकेत और अयोध्या दोनों दो पृथक् नगर थे। श्रावस्ती और साकेत भारत के प्रमुख नगरों में गिने जाते थे। इनके अतिरिक्त सतेव्य और उज्जयिनी भी बड़े नगर थे।

काशी और कोसल लगभग समान शक्ति और क्षेत्रफलवाले जनपद थे। बाद में कोसल अधिक शक्तिवान् बन गया और अन्त में उत्तर-कोसल श्रावस्ती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभाष्य में काशिकोसलीयो का साथ-साथ ही उल्लेख मिलता है, यद्यपि पृथक् जनपदों के रूप में उन्होंने उसमें इन्हें जनपद-समुदाय कहा है। इनमें एक जनपद दूसरे की अवधि, अर्थात् उसका अद्यान्तर भाग नहीं था।^१ कोसल की सन्तान कौसल्यायनि कहलाती थी।^२

काशी—कोसल के समान काशी भी महाजनपद थी।^३ भाष्य में इसका उल्लेख सदा कोसल के साथ हुआ है। इसकी राजधानी वाराणसी थी। महाभारत-युद्ध के पूर्व ही काशी को राजनीतिक महत्त्व प्राप्त हो चुका था। उसकी सीमा गोमती तक विस्तृत थी। यह भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था।^४ कभी काशी का अधिकार कोसल पर और कभी कोसल का काशी पर हो जाता था। पतञ्जलि इस स्थिति से परिचित थे। उन्होंने 'काशिकोसलीय' को इसी दृष्टि से एकीभूत जनपद और जनपद-समुदाय कहा है।^५ राजनीतिक दृष्टि से क्षीण हो जाने पर काशी कभी कोसल का और कभी मगध का अंग बना। काशी को लेकर ही कोसल के प्रसेनजित् और मगध के अजातशत्रु में झगडा हुआ, जिसमें प्रसेनजित् हार गया और काशी मगध में सम्मिलित हो गई।^६

ऋषिक—ऋषिक जनपद के निवासी या उसमें होनेवाली वस्तुएँ आषिक कहलाती थी।^७ ऋषिक सम्भवतः धूरसेन-जनपद का एक नाम था, जिसे मनु ने ब्रह्मर्षि देण कहा है।^८

इक्ष्वाकु—इक्ष्वाकु-जनपद, जिसे भाष्यकार ने क्षत्रिय-निवास होने के कारण 'इक्ष्वाकव', कहा है, कोसल का दूसरा नाम था। इसके निवासी ऐक्ष्वाक कहलाते थे।^९

निलीनक—निलीनक में होनेवाली वस्तु या व्यक्ति को नैलीनक कहते थे।^{१०}

१. बृहस्पति इण्डि०, पृ० ३४।

२. ४-१-५४, पृ० ६८।

३. ४-१-१५५, पृ० १५०।

४. अंगु० नि०, १-२१३, ४-२५२।

५. संयुक्त नि०, १-८२ से ८५।

६. जनपदसमुदायो जनपदग्रहणो न गृह्यते काशिकोसलीया इति।—४-१-५४, पृ० ६८।

७. जातक, ३-११५।

८. ४-२-१०४, पृ० २१३।

९. मनु, २-१९।

१०. ४-२-१०४, पृ० २१३।

११. ४-२-५२, पृ० १८४।

आरीहणक—आरीहणक में होनेवाली वस्तु या व्यक्ति आरीहणकीय कही जाती थी।^१

राजन्यक—राजन्यक, दैवयातवक, वैल्ववनक, अम्बरीपपुत्रक और आत्मकामेयक नाम की छोटी-छोटी जागीरें गान्धार, शैव और वामात् जनपदों के समीप में थीं, जिनपर क्रमज राजन्य, देवयातव, विल्ववन, अम्बरीपपुत्र और आत्मकामेय नामक आयुर्वेदीय पर्वतीय क्षत्रियों का अधिकार था।^२ ये सब प्रदेश पञ्चमोत्तर भारत में थे। वहाँ के निवासी क्षत्रियों के स्थानान्तरण के साथ इन प्रदेशों की सीमाएँ भी बदलती रहती थी।

कुन्ति—कुन्ति का उल्लेख भाष्य में सर्वत्र कुरु और अवन्ति के साथ हुआ है, जिससे इसका जनपद होना स्पष्ट है। भाष्य के अनुसार कुन्ति का राजा कौत्स्य तथा कुन्तिराज की पुत्री कुन्ती कहलाती थी। कुन्ति-जनो का उल्लेख काटकनहिता के एक मंत्र में है। इन्होंने पाचालों को पराजित किया था। इनका प्रदेश पचाल और कुरु-जनपद के समीप ही कही था।

वृजि—भाष्यकार ने कुरु और वृजि के गार्हपत (परिवार-व्यवस्था) का विवेचन उल्लेख किया है।^३ ये व्यवस्थाएँ, परस्पर भिन्न थीं। कुरु में परिवार छोटे-छोटे होते थे और वृजि में बहुत बड़े-बड़े। आज भी यह अन्तर पूर्ववत् विद्यमान है।

वृजि अष्टकुलक जाति-सघ का सदस्य था, जिसमें विदेह, लिच्छवि तथा वृजि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थे। जातृक, उग्र, भोज और ऐक्ष्वाक भी इस सघ के घटक थे। आठवें सदस्य का नाम ज्ञात नहीं है। वज्जि नामक क्षत्रिय जाति का निवास और विषय वज्जि या वृजि कहलाता था। इनका भी लिच्छवियों के समान वैशाली से निकट सम्बन्ध था। यहीं अष्टगणसघ का प्रमुख नगर था। इसका वैभव अपार था। वृजियों का एक सघ या गण था। इसका पाटलिपुत्र से भी मधुर सम्बन्ध रहा, किन्तु बाद में अजातशत्रु ने इसे तहस-नहस कर डाला। वृजिसघ की जनता, जो सघ की भक्त थी, वृजिक कहलाती थी। भाष्य में मद्र और वृजि के प्रति भक्ति का विवेचन उल्लेख है।^४

विदेह—विदेह वर्तमान तिरहुत क्षेत्र का नाम था, जिसे सदानौरा या गण्डकी नदी कोसल राज्य से पृथक् करती थी। इसकी राजधानी मिथिला थी। ब्राह्मण-काल से भी पूर्व विदेह संस्कृत हो चुका था। ऋतपथ-ब्राह्मण के अनुसार विदेह में आर्य-संस्कृति के प्रथम प्रवर्तक विदेव मालव थे, जिन्होंने प्रतीच्य भाग से ज्ञान की ज्योति लाकर यहाँ जलाई।^५ विदेहों का कोसलों और कभी कागी के साथ न्युवत उल्लेख भी मिलता है।^६ पंचविश ब्राह्मण (२५-१०-१७) में यहाँ के राजा निमिसाप्य का उल्लेख है।^७ वैदिक काल से बौद्धकाल तक विदेह वैदिक संस्कृति का महान् केन्द्र रहा।

१. ४-२-१०४, पृ० ११३।

२. ४-२-५२, पृ० १८४।

३. ६-२-१४२, पृ० २५८

४. ४-३-१००, पृ० २४६।

५. शत० ब्रा०, १-४-१-१०।

६. तैत्ति० ब्रा०, ३-१०९-९।

७. पंचविश ब्रा०, २५-१०-१७।

भाष्य ने विदेह के राजा को वैदेह कहा है। दूसरे स्थान पर विदेह को एकराज्य से भिन्न सघराज्य माना है, जिससे पता चलता है कि वौद्धकाल में विदेह भी सघराज्य था।^१

मगध—वर्तमान पटना और गया जिले मोटे तौर पर प्राचीन मगध कहलाते थे। दिव्यावदान में इसे सर्वरत्नमय सुन्दर नगर कहा है।^२ पतञ्जलि ने इसे आर्यावर्त की सीमा के बाहर माना है। मगध की राजधानी गिरिद्रज या प्राचीन राजगिरि थी, जो पाँच पर्वतों से घिरी थी। इसका क्षेत्रफल लगभग २३०० मील था। दक्षिण में विन्ध्य और पश्चिम में सोन मगध की सीमा थी। मगध बौद्धधर्म का प्रसिद्ध केन्द्र रहा। यही सारिपुत्त और मौद्गल्यायन ने बौद्धधर्म की दीक्षा ली थी। अशोक के समय में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रारम्भिक बौद्धकाल में यह व्यापार का भी बड़ा केन्द्र था। मगध और लिच्छवि-सघ की सीमा का निर्धारण गया से होता था। इसी प्रकार, मगध और अग की सीमा चम्पा नदी थी। मगध और अग में समय-समय पर युद्ध होता रहता था। इसके वैवाहिक सम्बन्ध अनेक महाजनपदों से थे। गान्धार तक से मगध के राजनीतिक सम्बन्ध थे।

मगध के निवासी को मागधक कहते थे। सुमागवक, अर्धमागवक, पूर्वमागवक शब्द भी भाष्य में आये हैं।^३ मद्र के समान मगध भी अच्छा उपजाऊ प्रदेश था। इसी कारण उसके लिए 'सुमगधा' शब्द का प्रयोग किया है। अन्यत्र भी भाष्य में ऋद्धि अर्थ में किये गये समास का उदाहरण 'सुमद्रम्' और 'सुमगधम्' ही मिलता है।^४ मगध में चावल की उपज विशेष थी। भाष्यकार ने मगध-शालिका का इस प्रकार उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है, कि वे उच्चकोटि के होते थे और मगध से दूर-दूर तक निर्यात किये जाते थे।^५ मथुरा के वस्त्रों के समान ही मगध की शालिका बाहर आदर था। भाष्य में मगध के राजा का भी उल्लेख मिलता है।

अंग—मगध के पूर्व में अंग लोग रहते थे। इनकी राजधानी चम्पा (भागलपुर) के पास थी। अंग प्रसिद्ध षोडश महाजनपदों में था। दिग्घनिकाय (२-२३९) के अनुसार यह भारत के सात प्रमुख राजनीतिक विभागों में से एक था। बुद्ध के समय में यह मगध के अधीन बन गया और इसके बाद इसकी स्वतन्त्रता का उल्लेख नहीं मिलता, यद्यपि इसके पूर्व वह स्वतन्त्र था।^६

अंग जनपद वर्तमान भागलपुर, मुँगेर जिले तथा पास-पड़ोस के प्रदेश का नाम था। यह उत्तर में कोसी नदी तक विस्तृत था।

भाष्यकार ने अंग, वंग, सुह्र और पुण्ड्र का एक साथ उल्लेख किया है और इनके निवास

१. ४-१-१६८, पृ० १६२ ।

२. दिव्यावदान, पृ० ४२५ ।

३. १-१-७२, पृ० ४५४ ।

४. २-४-८४, पृ० ५१५ ।

५. तानेव शालीन् भुञ्जहे ये मगधेषु।—आ० २, पृ० ४४ ।

६. जातक, ५-३१६, ६-२७१ ।

को विद्याविधान जनक कहा है। अंग के निवासी पुरुष अंग या आगरा बड़े जाते थे और निचरीय जातों।

बंग—भाष्य में जिस प्रकार अम्बुठ और गीर्वाण नाम गदा माय-माय आते हैं, उसी प्रकार अंग और बंग भी। बंग प्राचीन बंगाल का नाम है। बंग और इरिग के मध्य में राट देव था, जिसे उत्तर और दक्षिण दो भाग थे। आर्यों के साथ प्राणी स्त्री का उल्लेख भी भाष्य में मिलता है।

प्रायः—भारत के पूर्वी किनारे का अरिग जनक महाभारत और गांधारियों के बीच स्थित था। प्रायः गीर्वाण नदी के समीप मरुद-भट पर बना गुप्त 'पृथ्वी' भी कर्ला के ही अन्तर्गत था। महाभारत के अनुसार वर्तमान उड़ीसा तथा दक्षिण में अन्तर्णी नदी एवं निम्नगाम्बुत्त का प्रदेश अरिग के अन्तर्गत था। 'अरिग की राजधानी रत्नपुर थी।' भाष्यकार में अरिग की जनक कहा है।

गुप्त—गुप्त जिसका उत्पन्न भाष्यकार में अंग और बंग के साथ (४-२-५० पृ० १८८) किया है, उस प्रदेश के एक भाग का नाम था, जिसे आगे चलकर राट कहा गया है। यह गुप्त के किनारे पर अन्तर्गत था। भाष्य में उसे पुनः से भी पृथक् बताया है जिसका समर्थन महाभारत तथा पुनः से भी होता है।

अरिग—अरिग भी एक जनक था। अरिग के साथ अंगल नाम आता है। सम्भवतः यह अंगल का अन्तर्गत स्थान है। अरिग का अरिग का क्षेत्र था। वहाँ इन्द्रियार द्वारा प्रदत्त भूमि पर अरिग का विद्यालय था जिसे अरिग विद्यालय की शिक्षा दी जाती थी। उनमें आचार्य कृष्ण के अंग उत्तर नामन्त मन्वद् भूमि तथा आर्यों पर पूर्ण स्थानित था। वहाँ प्रति-पक्ष महापद होता था, जिसे अनेक पुरुषों की वधि दी जाती थी। भाष्यकार ने अरिग का उल्लेख जिस अरिग के उदाहरण के रूप में किया है, उनमें स्वनिर्ण होता है कि अरिग विद्या का क्षेत्र था और उस प्रदेश में हू-हू के विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे।

१. विद्याविधाने जनपदेषुः बहुयवन विषयाद्वयनव्य अङ्गानां विषयोद्गा वङ्गा नुहा पुण्ड्रा.—४-२-५२, पृ० १८४।

२. २-४-६२, पृ० ४९६।

३. वही।

४. महाभारत, ३-११४-४।

५. महावंश, भाग ३, पृ० ३६१।

६. ३-२-११५, पृ० २५०।

७. घोषीः पवनदूत, छन्द २७।

८. सुमंगलविलामिनी, १-४१ तथा दिग्घ नि० १-१२७।

९. वही।

१०. ३-२-११५, पृ० २५०।

उत्तमसर्ग और लोहितसर्ग—प्रदेशों से भी भाष्यकार परिचित थे।^१ ये प्रदेश गंगा के किनारे थे, इसमें सन्देह नहीं। काशिकाकार ने इनमें कृष्णगंगा तथा शनैर्गंगा नाम और जोड़ दिये हैं। ये प्रदेश-विशेषों के रूढ नाम थे। सार्थक और रूढ नाम का उदाहरण काशिका ने शीघ्रगंगा देश दिया है। शीघ्रगंगा किसी प्रदेश-विशेष का नाम न था, अपितु जिस स्थान पर गंगा का प्रवाह तेज होता, उस प्रदेश को कह सकते थे। इन प्रदेशों के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है।

किष्किन्धा—किष्किन्ध्व-गन्धिको में किष्किन्ध्व सुप्रसिद्ध किष्किन्धा पर्वत के पास रहने-वाले थे। यह पर्वत भारत के दक्षिण में औड़-प्रदेश था, जिसमें प्रसिद्ध किष्किन्धा गुहा थी।^२ यहीं राम-यण के बालिका का निवास-स्थान था। इसके पास-पड़ोस का क्षेत्र, जो आजकल मैसोर में है तथा जहाँ से पम्पा नदी निकली है, किष्किन्धो का प्रदेश था। गन्धिक लोग इन्हीं के पड़ोसी थे।^३ रामायण के अनुसार ये असम्य जातियाँ थी।

क्रौंच—क्रौंच लोग, क्रौंच पर्वत के निवासी थे। यह हिमालय के एक भाग का नाम था, जो आसाम के उत्तर में हिमालय की पूर्वी श्रेणी के अन्तर्गत था। पुराणों के अनुसार कार्तिकेय ने इसका भेदन किया था। इसके दो भागों के बीच का मार्ग क्रौंचरुद्र कहलाता था। क्रौंचों की राजधानी क्रौंचपुर थी। शौर्य लोग इन्हीं के पड़ोसी रहे होंगे। भाष्य में शौर्य ग्राम का भी उल्लेख है।^४ हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व में भी शौर्य नगर का नाम आया है। सम्भव है, यह नगर शौर्य लोगों की राजधानी रही हो। भाष्यकार ने किष्किन्ध्व, गन्धिक, शौर्य और क्रौंच को आर्यावर्त से निरवसित माना है।^५

अवन्ति—अवन्ति, जिसे अवन्तिका भी कहते थे, भारत के पश्चिमी भाग में नर्मदा के किनारे पर स्थित प्रदेश था।^६ रीज डेविडस के अनुसार अवन्ति विन्ध्य-पर्वत के उत्तर में तथा बम्बई-प्रदेश के उत्तर-पूर्व में थी।^७ आपके मत से दूसरी शताब्दी के अन्त तक यह प्रदेश अवन्ति कहा जाता रहा, किन्तु बाद में इसका नाम मालव पड़ गया।^८ अवन्ति के दक्षिणी और उत्तरी दो भाग थे। दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती और उत्तरी भाग की उज्जयिनी थी, जो शिप्रा नदी के तट पर बसी थी। मोटे तौर पर वर्तमान मालवा, निमाड़ और पास-पड़ोस का क्षेत्र इसके अन्तर्गत था। प्राचीन भारत में अवन्ति-क्षत्रिय बड़ी शक्तिशाली जाति के थे। अवन्ति के राजा को आवन्त्य और उसकी पुत्री को भाष्य में अवन्ती कहा है।^९

१. १-४-१, पृ० १०६ ।

२. ६-१-१५७, पृ० १९४ ।

३. २-४-१०, पृ० ४६५ ।

४. वही ।

५. वही ।

६. अवन्तिषु प्रतीच्या वं।—वनपर्व, ३-८९ ।

७. साम्स ऑफ् दि ब्रदरेज, पृ० १०७ ।

८. बुद्धि० इण्डि०, पृ० २८ ।

९. ४-१-१७०, पृ० १६४ तथा ४-१-१४, पृ० ३७ ; १-२-३९, पृ० ५४८ ।

महिष्पान्—महिष्मान् माहिष्को का निवान था।^१ माहिष् (क) लोगो की चर्चा पुराणो मे आई है और वहाँ उन्हें दाक्षिणात्य कहा है।^२ इनकी राजधानी माहिष्मती विन्ध्य और ऋक्ष पर्वतो के बीच नर्मदा-तट पर अवस्थित थी। इसके चारो ओर का प्रदेश महिष्मान् कहलाता था।

विदर्भ—पतञ्जलि ने विदर्भ का उल्लेख किया है और उसके राजा को वैदर्भ कहा है।^३ यह वर्तमान बरार का प्राचीन नाम था। कालिदास के मालविकाग्निमित्र (५-२०) मे शुगकाल मे विदर्भ को 'अचिराविष्टित' राज्य कहा है और उसके राजा को 'नवसरोपणगिथिलस्तरु'।

केरल—केरल तमिल के चेरल का कनाड़ी रूप है। इसका प्राचीन नाम चेर या चेरल-नाडु था। चेरल का अर्थ है पर्वत-श्रेणी। स्मिथ के अनुसार चन्द्रगिरि नदी के दक्षिण मे पश्चिमी घाट का प्रदेश प्राचीन केरल था।^४ वर्तमान मलाबार ट्रावन्कोर और कोचीन प्राचीन केरल के घटक थे। भाष्यकार ने केवल एक स्थान पर केरल का उल्लेख किया है और उसके राजा को भी केरल कहा है।^५

चोल—चोल तजोर और त्रिचनापल्ली जिलो तथा पुदुवकोट्टा रियासत के कुछ भाग का प्राचीन नाम था। इसकी राजधानी उरुगपुर (उरैयुर) थी, जिसे अब त्रिचनापल्ली कहते हैं। भाष्य मे केरल के साथ ही इसका नाम आया है।

पाण्ड्य—प्राचीन पाण्ड्य-प्रदेश के अन्तर्गत वर्तमान मद्रुरा और तिरुवल्लु जिले एव सम्भवत रामनद और त्रावन्कोर-कोचीन राज्यों का दक्षिण भाग था। इसकी दो राजधानियाँ थी—कोलड तथा मद्रुरा (दक्षिण मथुरा)। ताम्रपर्णी और कृतमाला (वेगट्ट) नदियाँ इससे होकर बहती थी।^६

भाष्यकार ने पाण्डु शब्द का प्रयोग देश के अर्थ मे किया है और उसके राजा को पाण्ड्य कहा है।^७ इससे अनुमान होता है कि दक्षिण मे भी पाण्डु का कोई राज्य था, यद्यपि इसका शासक स्वतन्त्र था। मद्रुरा (मथुरा) भी पाण्ड्य और उत्तर भारत के निकट सम्बन्ध की ओर संकेत करता है। संभव है, पतञ्जलि को पाण्ड्य शब्द की व्युत्पत्ति इस कल्पना पर आश्रित हो, क्योंकि पाण्डुलोगो के किसी दक्षिणी राज्य का उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता।

उग्र—उग्र बड़ी पुरानी तथा किसी समय सुप्रसिद्ध जाति थी। बृहदारण्यक उपनिषद् (३-८-२) मे इसका उल्लेख है। अगुत्तरनिकाय (१-२६) से उनका सम्बन्ध वैशाली से जान पड़ता है और हस्तिनाम से भी। सूत्रकृताग से यह संकेत मिलता है कि उग्रो का सम्बन्ध ज्ञातृको

१. ४-२-८७, पृ० १९६।

२. मार्कण्डेय पुरा०, १०७-४६ तथा मत्स्य पुरा०, १३-४७।

३. १-४-१, पृ० ९७।

४. अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, पृ० ४६६।

५. ४-१-१७५, पृ० १६४।

६. रायचौधरी: पालि० हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, पृ० ३२८।

७. ४-१-१६८, पृ० १६३।

और लिच्छिवियों से था। पतञ्जलि ने उग्रो का उल्लेख किया है, किन्तु यह निश्चित नहीं कि वे किसी उग्र-प्रदेश से भी परिचित थे।^१

भोज— उग्रो के साथ ही भाष्य में भोज का भी उल्लेख है। उन्होंने उग्रपुत्री और भोज-पुत्री का भी उल्लेख किया है। भोज यादव जाति के थे और उत्तर पूर्वी गुजरात में रहते थे। प्रारम्भ में इनके मध्य तथा दक्षिण-भारत में रहने का प्रमाण मिलता है। पुराणों में सात्वतो और भोजो को यदुवश का अंग बतलाया गया है।^२ महाभारत ने इन्हे द्रुह्य का वंश माना है।^३

मद्रकार— महाभारत (सभापर्व १३-५९०) के मद्रकार या मद्रको का यह प्रदेश कुरु, मत्स्य और शूरसेन जनपदों के समीप था। भाष्यकार ने मद्रहृद के साथ भद्रहृद का उल्लेख किया है, जिससे अनुमान होता है कि वे मद्र के समान भद्र देश से भी परिचित थे।^४

आत्रेय—मार्कण्डेयपुराण में (५७-३९) आत्रेयो का पुष्कलो, कुशेरुको और लम्पाकों के साथ उल्लेख है। मत्स्यपुराण में अत्रि और आत्रेयो को एक माना है।^५ महाभारत में भी इनका अनेक वार नाम आया है।^६ ये सरस्वती के पास द्वैतवन में रहते थे। भाष्यकार ने भारद्वाजों के साथ ही इनका उल्लेख किया है।^७

वत्स—वत्सों का उल्लेख भाष्य में अनेक वार मिलता है, किन्तु विदों और उर्वों के साथ सदा इनका नाम आने से यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उनका आशय वत्सगोत्रीय लोगों से है या वत्स-जनो से। वश, वश या वत्स देश का उल्लेख वैदिककाल से ही प्राप्त होता है। साख्यायन श्रौतसूत्र (१६-११-२३) में भी वत्सों की चर्चा है। इस जनपद की राजधानी कौशाम्बी का नाम भाष्य में अनेक वार आया है। बौद्धकाल से पूर्व उत्तर-भारत में चार बड़े राज्य थे— मगध, कोसल, अवन्ति और वत्स। ये समीप के छोटे राज्यों को हड़पकर बलवान् बने थे। मगध ने अंग को, कोसल ने काशी को, अवन्ति ने शूरसेन को और वत्स ने भर्ग को आत्मसात् कर लिया था। वत्स, मगध और अवन्ति का मध्यवर्ती राज्य था।

आभीर—पतञ्जलि ने शूद्रों के साथ आभीरो का उल्लेख किया है।^८ महाभारत (शान्ति-पर्व, अ० ५१) के अनुसार ये अपरान्तक प्रदेश के निवासी थे। इसका समर्थन 'दि पेरिप्लस ऑव दि एरिथ्रियन सी' के लेखक ने भी किया है। पेरिप्लस का काल पतञ्जलि के कुछ ही बाद का है। महाभारत (९-३७-१) में इनकी ठीक स्थिति पश्चिमी राजपूताना में बतलाई है। टालेमी और

१. ६-३-७०, पृ० ३४७।
२. मत्स्य पु०, ४३-४८; वायु पु०, ९४-५२।
३. आदिपर्व, अ० ८४।
४. आ० २, पृ० ६९।
५. मत्स्य पु०, ११३-४३।
६. महाभारत, वनपर्व, २६-९७१।
७. २-४-६२, पृ० ५००।
८. १-२-६४, पृ० ५७८।
९. १-२-७२, पृ० ६०७।

पेरिप्लस आभीर या अवेरिया देश का सुराष्ट्र से घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाते हैं। टालेमी के समय में इण्डोसीदिया, जिसमें पेरिप्लस के अनुसार आभीर देश भी सम्मिलित था, तीन भागों में बँटा था—सुराष्ट्र, पाताल और आभीर। ईसा-पूर्व दूसरी शती के मध्य में सम्भवतः यह देश वैक्ट्रियन ग्रीकों के अधिकार में चला गया, किन्तु समुद्रगुप्त की इलाहावाद-प्रशस्ति के अनुसार ईसा की दूसरी शती में यह दक्षिण-पश्चिम भारत की सशक्त जाति बन चुकी थी।

यौघेय—यह पाणिनि से पूर्व की ही वीर क्षत्रिय जाति थी। पुराणों के अनुसार ये उशीनरो की वंश-परम्परा में थे।^१ कनिष्क ने इन्हीं मुलतान के पास-पड़ोस के जोहियवर (यौघेय-वार) क्षेत्र में रहनेवाले जोहिया राजपूतों से सम्बद्ध बतलाया है।^२ इनके तीन वर्ग थे। यौघेयों के प्राप्त सिक्कों से भी इस बात की पुष्टि होती है, जिसमें 'जय यौघेयगणस्य' के साथ 'द्वि' और 'त्रि' अक्षर हैं। यह 'द्वितीयस्य' और 'तृतीयस्य' का बोधक है। रुद्रदामन् के समय में इन लोगों का सुदृढ़ सेना-संगठन था। गिरिनार के शिलालेख से यह बात स्पष्ट है।

शालंकायन—भाष्य में वामरथो और शालंकायनो का नाम आया है। ये नाम सम्भवतः गोत्रों के हैं। शालंकायनों के तीन विभाग थे।^३ इनके अपने सभ भी थे। डॉ० जायसवाल इन्हें राजनीतिक सभ मानते हैं। इनके किन्हीं प्रदेशों की कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है। सम्भवतः ये क्षात्रसभ थे, राजनीतिक नहीं।

त्रिपुरी—त्रिपुरी चेदि-राज्य की राजधानी थी,^४ किन्तु गुप्त राजाओं के समय में यह एक प्रान्त था और राष्ट्रिय के अधिकार में था। त्रिपुरी प्राचीन चेदि-राज्य (वर्तमान जबलपुर के समीप का क्षेत्र) के रूप में भी प्रसिद्ध थी।

१. ब्रह्माण्ड पुरा०, ३-७४ तथा हरिवंश, अ० ३२ ।

२. एन० ज्या०, पृ० २४५, २८१ ।

३. रैप्सनः इण्डियन क्वायन्स, पृ० १४ ।

४. ५-१-५८, पृ० ३२६ ।

५. २-१-५१, पृ० २९९ ।

अध्याय ५ नगर और ग्राम

ग्राम और उनके भेद—भाष्यकार ने चार प्रकार के सस्त्याय (वस्तियाँ) बतलाये हैं—ग्राम, घोष, नगर और सवाह।^१ जिस वस्ती में कुछ ब्राह्मण, कृषक तथा पचकारकी रहते थे, वह गाँव कही जाती थी। जिस स्थान में गाय-भैस आदि पशु पालनेवाले लोग प्रमुखता से रहते थे, उसे घोष कहते थे। जिस बड़ी वस्ती में भिन्न जातियों के बहुत-से लोग अलग-अलग अपने मुहल्ले बनाकर रहते थे, वह नगर कहलाती थी तथा नगर के समान बसी हुई, किन्तु उससे भी बड़ी वस्ती को सवाह कहते थे।^२ भाष्य में नगरी का भी उल्लेख है, किन्तु नगर से उसका भेद स्पष्ट नहीं किया गया है।^३ भाष्यकार ने इन चारों सस्त्यायो को आर्य-निवास कहा है।^४

सामान्यतया ग्राम प्रत्येक वस्ती को कहते थे, चाहे वह घोष हो या नगर। जब वस्ती की विशेषता का उल्लेख करना होता था, तभी नगर, सवाह आदि शब्द व्यवहार में आते थे। इसीलिए 'विशिष्टलिङ्गो नदीदेगोऽग्रामा' (२-४-७) सूत्र के लिए वार्तिककार को 'ग्रामप्रतिषेधे नगरप्रतिषेधे' वार्तिक का निर्माण करना पडा, जिससे ग्राम कहने से केवल ग्राम का ही ग्रहण हो, नगर का न हो। आज भी राजस्थान और महाराष्ट्र में ग्राम शब्द सामान्यतया हर वस्ती के लिए प्रयुक्त होता है। 'प्राचा ग्रामनगराणाम्' (७-३-१४) सूत्र के भाष्य में पतञ्जलि ने कहा है कि ग्राम और नगर में कोई अन्तर नहीं है। जो काम गाँव में होते हैं, वे ही नगर में होते हैं और जो गाँव में वर्जित है, वे नगर में भी वर्जित है। फिर भी, जब सस्त्याय-विशेष बतलाना होता है, तब ग्राम और नगर का अलग-अलग नाम लेना पड़ता है। इस विषय में कोई कठोर नियम नहीं है। कभी ग्राम कहने से केवल ग्राम का ही बोध होता है और कभी नगर का भी। ब्राह्मण (३-४४) तथा जैमिनीय उपनिषद् में जिन महाग्रामों की चर्चा है, वे सभवतः सवाह रहे होंगे। केमी के अनुसार वैदिकयुगीन भारत में नगर नहीं थे। षडपि वाजसनेयी संहिता (३३-१८) में काम्पिल्य का उल्लेख है। पश्चिम भारत में ग्रामों की सख्या बहुत थी। वहाँ पूर्व के समान अरण्य नहीं थे। ऐतरेय (६-३३) और शतपथ-ब्राह्मण (१३-३-७-१०) में जिन महारण्यों की चर्चा है, वे पूर्व में ही थे। महाभाष्य में उदीच्य और वाहीक प्रदेश के ही ग्रामों का उल्लेख है। शेष भारत के नगरो के ही नाम आये हैं।

१. संस्त्यायविशेषा ह्येते ग्रामो घोषो नगरं संवाह इति।—७-३-१४, पृ० १८०।
२. प्राकारो नगरस्य, ५-१-१३, पृ० ३०४।
३. ८-४-४२ पृ० ४९६।
४. कः पुनरायनिवासः? ग्रामो घोषो नगरं संवाह इति।—२-४-१०, पृ० १५४।

भाष्य में ग्रामों और नगरों के प्राच्य और उदीच्य वे दो श्रेष्ठ नृत्य हैं। उदीच्य देश में प्रायः ग्रामों का उल्लेख है, नगरों का बहूत कम। यद्यपि प्राच्य देश में ग्राम और नगर का उल्लेख पृथक्-पृथक् है। प्राच्य देश में नगरों की संख्या अधिक थी। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि तिस समय सिन्धु और पांचनद आद्य-सभ्यता के केन्द्र थे, उस समय देश दृष्टिप्रधान था। दृष्टि की प्रधानता में ग्राम तो समृद्ध बन जाते हैं, किन्तु नगरों का निर्माण नहीं होता। बाद में जब प्राच्य देश विद्या और संस्कृति का केन्द्र बना, तब व्यापार उन्नत हो चुका था। गणतन्त्रों के स्थान पर बड़े-बड़े एकतन्त्र राज्य गठित हो चुके थे। फलतः, बड़े नगरों का निर्माण हुआ। अन्ततः, भाष्यकार के समय में सभ्यता का केन्द्र प्राच्य देश में और आगे पूर्व में बढ़ गया था। भाष्य के उदाहरणों में स्पष्ट है कि पाणिनि की दृष्टि में आन्यातुर (आह्वार) से पूर्व का प्रदेश, जिसकी पूर्वी सीमा हुन्-शांशाल थी, प्राच्य था। इससे और पूर्व की ओर उनका ध्यान कम गया था। गया भी तो, वे प्राच्यदेश उसे नहीं मानते थे; क्योंकि वह प्रदेश आद्यदेश की सीमा से बाहर था। इसलिए, ग्राम-नगरों के सम्बन्ध में भाष्यकार ने भी सिन्धु-वाहीक को उदीच्य और उससे पूर्व पांचाल तक के प्रदेश को प्राच्य कहा है।

पाणिनि ने उत्तर-पद के अक्षर पत्र ग्रामों के वर्गीकरण का प्रयत्न किया था। इनमें तीर, वष्य, वल्ल, प्रम्य, पुत्र, बह, कच्छ अग्नि, वज्र, गर्त, कल्या पल्ल, नगर, ग्राम, ह्रस्व वादि उत्तर पद नृत्य हैं। उदीच्य देश के सम्बन्ध में उन्होंने भी सर्वत्र ग्राम मात्र का ही प्रयोग किया है, नगर का नहीं। पतञ्जलि के समय में वर्गीकरण का यह प्रकार छोटा पड़ने लगा था। उनके समय में ऐसे अनेक नगरों का निर्माण हो चुका था, जो इनसे स्वतन्त्र थे। पतञ्जलि ने सूत्रकार के ग्राम-सम्बन्धी सूत्रों में अश्विनाथ के उदाहरण नहीं दिये हैं, बल्कि उनकी सूची बहुत बड़ी होती। उनके ग्रामों के नाम यों ही अन्य प्रयोगों में आ गये हैं। भाष्यकार के ग्रामों और नगरों में निम्न-लिखित प्रसिद्ध हैं—

कापिशी—कापिशी का स्वतन्त्र उल्लेख तो भाष्यकार ने नहीं किया है, किन्तु पाणिनि के 'कापिथ्याऽम्क' (४।२।१९) सूत्र पर उन्होंने एक बालिक का निर्माण कर कापिशी के साथ बालि, उदि और पदि को भी जोड़ दिया है, जो इस बात का प्रमाण है कि वे कापिशी ने सम्बन्ध परिचित थे। टालेनी के अनुसार यह नगरी काबुल से १५५ मील उत्तर-पूर्व की ओर बसी हुई थी। जूलियन के मत से कापिशी काहिस्तान के उत्तरी छोर पर पंजशीर और तगाओ की घाटी में स्थित थी। ह्वेनसांग ने इसका विस्तार १० को० बताया है। कापिशी फलों और वन का उपज के लिए प्रसिद्ध थी। बाल के 'वृद्धिन्त रेकाईन्त आंव वेस्तर्न वल्ल' (१-५४) के अनुसार वहाँ का राजा शशिध था, जो अति वर्ष मोममहापरिषद् का आयोजन करता था। यहाँ के निवासी निर्दय और भयंकर थे। वे उन के वस्त्र पहनते थे। कापिशी नगर के लिए प्रसिद्ध थी। काँटिन्य के अर्थशास्त्र (अधि०२, अ० २५) में भी कापिशी का उल्लेख मिलता है।

१. ७-३-३४, ४-२-१०९, ४-२-११७।

२. ४-२-१०६, ११०, १२१, १२२, १२६, १४२।

मशकावती—मशकावती का उल्लेख भाष्यकार ने नदी के प्रसंग में किया है।^१ इस नगरी से सम्बद्ध नदी भी मशकावती कहलाती थी। यह नगरी अश्मकों (४-१-१७३) की राजधानी थी, जिसे मसग कहते थे। मशकावती मलाकन्द दर्रे के पास-पड़ोस बसी हुई थी। 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' (भाग १, पृ० ३५३) के अनुसार सिकन्दर की सेनाओं ने इस पर आक्रमण किया और नगर पर अधिकार कर सारी सेना को मीत के घाट उतार दिया था।

तक्षशिला—सिन्धु के पूर्व की ओर बसी हुई यह नगरी गान्धार की प्राचीन राजधानियों में एक थी। कनिष्क के अनुसार काल-का-सराय के एक मील उत्तर-पूर्व में शाह-ढेरी के पास के टीले प्राचीन तक्षशिला के अवशेष हैं। यहाँ खुदाई में ५५ स्तूप, २८ मठ और ९ मन्दिर मिले हैं। अशोक के समय में कुणाल यहाँ का राष्ट्रिय था। उस समय इस स्थान में उपद्रव होते रहते थे। एरियन ने इसे महान्, समृद्ध और जनाकीर्ण नगर कहा है। प्लिनो ने इसे पर्वत-पाद के समतल प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध नगरी बतलाया है। यह ८० वर्ष तक ग्रीक शासन में रही और बाद में अशोक के अधिकार में आई। ह्वेनसांग ने इसका घेरा ६॥ मील बतलाया है। तक्षशिला प्राचीन भारत के सबसे बड़े शिक्षा-केन्द्रों में थी।

वाहीक ग्राम—उदीच्य और वाहीक ग्रामों में कखतीर, वायसतीर, चणाररूप्य, मणि-रूप्य, शिवपुर, वाडवकर्प, निलीनक, औलूक, आरात, कास्तीर, दासरूप्य, शाकल, सौसुक, निवा-हकर्प, दाक्षिकर्प, मालाप्रस्थ, पातानप्रस्थ, काचीपुर, नान्दीपुर, वातवह, कौकुडीवह, आप्रीतमायु, मौज और करत्तव नाम भाष्य में आये हैं।^२ इनमें से अधिकांश के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। शिवपुर का मूल नाम शिविपुर था। शारकोट के शिलालेख के अनुसार यह शारकोट का पुराना नाम था। शारकोट शिवियों की राजधानी थी^३ और झेलम तथा चेनाब के सगम से कुछ दूर ऊपर की ओर अवस्थित थी। अब इसके केवल खण्डहर-पत्थर अवशेष हैं। पातानप्रस्थ काश्मिर में काँगडा घाटी के प्रवेश द्वार पर स्थित पठान या पठानकोट का प्राचीन नाम था। यह उदुम्बरो की राजधानी थी।^४

शाकल—शाकल या शागल मद्रदेश की राजधानी थी।^५ यह रावी या इरावती के पश्चिम में आपगा नदी के किनारे, जिसे अब अयक कहते हैं, स्थित थी। महाभारत में इसे शमीपीलु और करीलो के वन के मध्य में बसी बतलाया गया है।^६ पीलुवृक्ष पंजाब के इस भाग में बहुत अधिक होते भी हैं। ह्वेनसांग (६३० ई०) ने भी शाकल के पास पो-लो-ग वनों का वर्णन किया है, जो कनिष्क के मत में पीलु ही है। महाभारत के अनुसार मद्र लोक जाति और वाहीक भी कहे जाते थे।

१. ४-२-७१, पृ० १९४।

२. ४-२-१०४, वा०, २, ३, ५, २४, २५, २७, पृ० २०४-१३।

३. महाभारत, २-३-१४।

४. कनिष्कमः आकिया० सर्वे रि०, भाग १४, पृ० ११६।

५. १-३-१०, पृ० ३६।

६. शमीपीलुकरीराणां वनेषु सुखवर्त्मसु।—पेष्ठापोटेमिया इण्डिका०, प्रो० लैंसेन, पृ० ७३-७४।

कनिषम ने पर्याप्त खोजबीन के पश्चात् शांगलवाला टिवा नामक पहाड़ी पर के ध्वसावशेषों को ही शकल माना है।^१ मिलिन्दप्रश्न (पृ० १-२) के अनुसार यह व्यापार का भी केन्द्र था। 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' (१-५४९-५०) के अनुसार ई० पू० ३२६ मे इस पर सिकन्दर ने अधिकार कर लिया। पतञ्जलि ने शकल को वाहीक-ग्राम कहा है। सम्भव है, उनके समय यह नगरी इतनी विगल न रही हो। इनके अतिरिक्त कपिष्ठल का उल्लेख पाणिनि ने गोत्र के रूप मे किया था, किन्तु भाष्यकार के कथन से जान पड़ता है कि वे गोत्र से भिन्न कपिष्ठल से भी परिचित थे।^२ यह सम्भवतः कर्नाल जिले का वर्तमान कैथल स्थान है।^३

हास्तिनपुर—कुस्थों की यह प्राचीन राजधानी उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले मे थी। पतञ्जलि ने इसे गंगा-तट पर बसा हुआ बतलाया है।^४ कनिषम ने इसे मेरठ की बगाना तहसील का एक पुराना कस्बा माना है।^५ विविध तीर्थकल्प के अनुसार इस नगर को राजा हस्तिन ने भागीरथी-तट पर बसाया था। भगवान् महावीर यहाँ कई बार गये थे। भगवती-मूत्र (२-९), हरिवंश (२०-१-५३, ५४) तथा भागवतपुराण (९-२१-२०) इन तथ्यों की पुष्टि करते हैं। पाजिटर के अनुसार हस्तिन के दो पुत्र हुए—अजमीढ और द्विमीढ। इनमे अजमीढ ने हास्तिनपुर मे पीरब परम्परा स्थिर रखी। अधिस्तीम कृष्ण के पुत्र निकसु के शासन-काल मे यह नगर गंगा से कट-कर बह गया। तब यहाँ के राजा कौशाम्बी मे जाकर रहने लगे।^६

सुध्न (२)—पतञ्जलि ने बार-बार सुध्न का उल्लेख किया है। यह स्थान हास्तिनपुर से ४० मील की दूरी पर उत्तर मे स्थित था।^७ मथुरा से इसका निकट सम्बन्ध रहा होगा। कई स्थानों पर भाष्य मे सुध्न और मथुरा का इस ढग से उल्लेख मिलता है, मानो उनमे दैनन्दिन याता-यात-नवंब रहता हो।^८ उन्होंने सुध्न जानेवाले मार्ग का उस पर खडे होकर उल्लेख किया जान पड़ता है।^९ सम्भवतः, मथुरा से सुध्न को सीवा मार्ग जाना था। अश्वानिदि पशु इसी मार्ग से सुध्न को ले जाये जाते होंगे।^{१०} सौधनी प्रासादों और प्राकारों की भी भाष्य मे चर्चा है, जिससे स्पष्ट है कि सुध्न बड़ी सम्पन्न नगरी थी। सौधनी स्थियों के लिए भी भाष्यकार ने श्रेष्ठ विवेरणों का प्रयोग किया है।^{११} सुध्न, जिने अब मुघ कहते हैं, सुध्न जनपद की राजधानी थी। कनिषम के अनुसार

१. कनिषम एन० ज्या०, पृ० २०६-१९ ।

२. ८-३-९१, पृ० ४६२ ।

३. अग्रवालः पाणिनि, पृ० ७१ ।

४. अनुगङ्गम् हास्तिनपुर, २-१-१६, पृ० २७३ ।

५. एन० ज्या०, पृ० ७०२ ।

६. पाजिटरः डायनेस्टीज ऑफ् दि कलि एज, पृ० ५ ।

७. आर्कि० सर्वे रि०, भाग १४, पृ० ११६ ।

८. आ० २, पृ० ४२ ।

९. अयं पन्थाः सुध्नमुपतिष्ठते ।—१-३-२५, पृ० ६४ ।

१०. १-४-५१, पृ० १८१ ।

११. ४-३-३९, पृ० २३३ ।

सूचन चारो ओर से प्राकृतिक सीमाओं द्वारा दृढता से सुरक्षित था और इस प्रकार वह वास्तव में सुरक्षित था। सूचन का घेरा लगभग चार मील था। आज सुघ, मण्डलपुर, दयालगढ़ और बुरिया ये गाँव प्राचीन सूचन की ही भूमि पर बसे हैं, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग २००० है। इन स्थानों में दिल्ली के तोमर राजाओं से बुद्धकाल (५०० ई० पू०) तक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सूचन नगरी मेरठ, सहारनपुर-अम्बाला होकर उत्तर पंजाब जानेवाले मुख्य मार्ग पर स्थित थी। यही होकर यमुना के लिए मार्ग जाता था। महमूद गजनवी, तैमूरलंग और बाबर कन्नौज, हरद्वार और दिल्ली की लूट एवं विजय के बाद इसी मार्ग से वापस लौटे थे। पतजलि के समय में भी यह भाग प्रसिद्ध रहा होगा, जिसका उन्होंने अगुलि-निर्देशपूर्वक उल्लेख किया है। काशिकाकार के कथन से भी ज्ञात होता है कि सूचन पाटलिपुत्र से तक्षशिला जानेवाले उत्तरापथ के मुख्य मार्ग पर स्थित था।^१

मथुरा—पतजलि के समय में मथुरा भारत की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नगरियों में थी। मथुरा, सूचन और पाटलिपुत्र इन तीनों का उल्लेख भाष्य में सबसे अधिक हुआ है।^२

मथुरा शूरसेन जनपद की राजधानी थी, यद्यपि भाष्य में शूरसेन जनपद का नाम नहीं है। वैदिक काल में इस नगरी का उल्लेख नहीं मिलता। पाजिटर के अनुसार शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारकर और मधुवन के अरण्य को काटकर मथुरा को बसाया था।^३ इसे मधुरा भी कहा जाता था।^४ ग्रीक इतिहासकारों ने इसे मधुरा या मेडोरा कहा है। बौद्ध-जैनग्रन्थों, फाह्यान, ह्वेन्सांग और टालेमी के वर्णनों से स्पष्ट है कि ईसा-पूर्व ३०० से तीसरी शती के अन्त तक यह नगरी बहुत ही महत्त्वपूर्ण रही। पतजलि से यह भी पता चलता है कि मथुरा व्यापार-उद्योग के लिए प्रसिद्ध और धन-धान्य से समृद्ध नगरी थी।^५ कुरु जनपद से उसके व्यापारिक सम्बन्ध घनिष्ठ थे और बड़ी संख्या में कुरु लोगों का मथुरा में आना-जाना लगा रहता था। कुरु के साथ मथुरा के बड़े प्रिय सम्बन्ध थे।^६

मथुरा कई शताब्दियों तक बौद्धधर्म का केन्द्र रही। पतजलि-काल में वहाँ जैन पर्याप्त संख्या में बस चुके थे। कुषाण-काल से पूर्व मथुरा में वाघपाल, धनभूति और उनके पूर्वजों का शासन था। यह बात खुदाई में प्राप्त रेलिंग, स्तम्भों तथा लेखों से विदित होती है। भरहुत के द्वार-मार्ग के लेखों में भी इन शासकों के नाम हैं। उनमें यह स्पष्ट उल्लिखित है कि शुंगों के राज्यान्तर्गत (शुङ्गाना राज्ये) वाघपाल ने ये स्तम्भ बनवाये थे। इस समय मथुरा-राज्य शुंग-राज्य की सीमा के अन्तर्गत रहा होगा। लेखों में यह बात स्पष्ट नहीं है कि वाघपाल स्वयं राजा था या नहीं।

१. ६-३-४२, पृ० ३२७ तथा अन्तरा तक्षशिलां पाटलिपुत्रं च सूचनस्य प्राकाराः।—
२-३-४ काशि०।

२. अ० २, पृ० ४२; १-२-६४ आदि।

३. एन० इण्डियन हिस्टो० ट्रेडिशन, पृ० १७०।

४. १-२-५२, पृ० ५५३।

५. ट्रेविल्स ऑफ फाहियान : बँटर्स-युवानचांग, पृ० क्रमशः ४२ तथा १-३०१।

६. प्रियकुरुचरा मथुरा बहुकुरुचरा मथुरा।—४-१-१४, पृ० ३४।

मथुरा ने न जाने कितने राजनीतिक उत्थान-पतन देखे हैं। शत्रुघ्न ने अपने दो पुत्रों ज्वभू और शूरसेन के साथ यहाँ शासन किया। महाभारत और पुराणों के अनुसार यहाँ यादवों का शासन रहा। अन्वक और वृष्णि यहाँ पहले निवास करते थे। बाद में राक्षसों से भीत होकर वे यहाँ से चले गये और उन्हें द्वारावती को राजधानी बनाया। मगधराज जरासन्ध ने इसे आक्रान्त किया। महाप्रयाण के समय युधिष्ठिर ने वज्रनाम को मथुरा का शासन सौंपा था। अन्वको के शासन-काल में यह नगरी उग्रसेन के अधिकार में थी। गुप्त-साम्राज्य के उत्थान के पहले यहाँ सात नाग-राजाओं ने शासन किया। बुद्धकाल में मथुरा के शासक को मातृपक्ष द्वारा उज्जयिनी से मन्वद्द होने के कारण अवन्तिपुत्र कहते थे। दीपवंश के अनुसार यह सर्वोत्तम नगरी थी। जैनग्रन्थों के अनुसार यहाँ वामुदेव नामक शक्तिशाली राजा था। ग्रीष्यों का भी शासन मथुरा पर समुद्रगुप्त से पूर्व रहा। पजाव और काबुल के शासक मिनाण्डर का भी मथुरा पर अधिकार रहा। मेगास्थनीज के समय में इस पर मौर्यों का शासन था। प्रथम शताब्दी में एक राजाओं ने हिन्दू-राजाओं का उन्मूलन कर मथुरा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। द्वितीय शताब्दी में मथुरा कृपाण राजा हविष्क के अधिकार में आई। पतञ्जल के समय में मथुरा शुंग-राजाओं के अधिकार में थी, यद्यपि कुछ विद्वानों को इसमें सन्देह है। फिर भी, शुंगों के प्रभाव में तो वह अवश्य थी। पतञ्जल द्वारा अत्यधिक आत्मीयता के साथ बार-बार मथुरा का उल्लेख किया जाना भी इस कथन के पोषण में सहायक है।

फाह्यान के अनुसार मथुरा में बहूत बौद्ध मठ थे, जो भिक्षुओं से भरे रहने थे। कृपि यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। अच्छे रेशे की कपास, कपडा और सोना यहाँ का प्रसिद्ध था। भाष्यकार ने भी यहाँ के कार्पापण और मुन्दर वस्त्रों का उल्लेख किया है। अगुत्तरनिकाय (३-२५६) में अवश्य यहाँ की सबके विषम, रजोमयी, चण्डगुनका, दुर्लभपिण्डा और वालायक्खा (पशु-प्रेतों से भरी) कही गई हैं।

प्राचीन मथुरा यमुना के दक्षिण तट पर इन्द्रप्रस्थ और कौगाम्ब्री के मध्य स्थित थी। गंगा-तट पर अवस्थित साकान्यनगर यहाँ से चार योजन दूर था। वर्तमान मथुरा यमुना के कटाव

१. रामा० ७-६२-६।

२. विष्णु पु०, ४-१३-१ तथा वायु पु०, ९६-१, २।

३. ब्रह्मपुराण, अ० ३४।

४. हरिवंश पु०, अ० ३७।

५. स्कन्द पु०, विष्णुखण्ड।

६. पार्जितरः एन० इण्डियन हिस्ट्री डेटि०, पृ० १७१।

७. वायुपुराण, अ० ९९।

८. रायचौधरीः पालि० हिस्ट्री ऑफ् एन० इण्डिया, पृ० ३९१।

९. स्मिथः अर्ली हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, चौथा सं०, पृ० २१०।

१०. वही, पृ० २८६।

११. कच्चायनः पाली-ग्रामर, भाग ३, अ० १।

के कारण उत्तर की ओर हट गई है। भाष्य में पाटलिपुत्र इससे पूर्व दिशा में बतलाया गया है।^१

माथुर लोग स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे। भाष्यकार ने उन्हें साकाश्यो और पाटलिपुत्रको से अधिक सुन्दर कहा है।^२

अहिच्छत्र—अहिच्छत्र के रहनेवाले पुरुष अहिच्छत्र और स्त्रियाँ आहिच्छत्री कहलाती थी। अहिच्छत्र उत्तर पंचाल की राजधानी थी।^३ महाभारत से भी इसकी पुष्टि होती है।^४ अहिच्छत्र उत्तरप्रदेश के बरेली जिले में स्थित रामनगर का प्राचीन नाम था। यहाँ जो सिक्के मिले हैं, उनसे पता चलता है कि वराहमिहिर यहाँ का शासक रहा था। पभोसा के गुफालेख से भी इस बात का पता चलता है। सौनकायनि भी यहाँ का शासक था। प्रयाग के समुद्रगुप्तवाले जिलालेख में जिस शक्तिशाली राजा अच्युत का नाम आया है, उसके सिक्के भी अहिच्छत्र में मिले हैं। अहिच्छत्र को कहीं-कहीं अहिक्षेत्र भी लिखा गया है। वैसे इसका प्राचीनतर नाम अहिच्छत्र था, जो लूडर्स के ब्राह्मी शिलालेखों की सूची के एक लेख में सुरक्षित है। यह रूप टालेमी के अदिसद्र से भी मिलता है।^५ हरिवंशपुराण के अनुसार अर्जुन ने यह नगर द्रोणाचार्य को दे दिया था। विविध तीर्थ-कल्प के अनुसार इसका प्राचीन नाम सख्यावती था। एक बार पार्वनाथ इस नगर में भ्रमण कर रहे थे कि कमठासुर ने ईर्ष्यावश इतनी वर्षा की कि सारा नगर जलमग्न हो गया और पार्वनाथ भी आकण्ठ जलमग्न हो गये। तब नागराज ने रानियो-सहित जन पर फनों का क्षत्र लगा दिया और उनके बरीर को कुण्डली से आवृत कर उनकी रक्षा की। तब से इस नगर का नाम अहिच्छत्र पड़ गया। ह्वेत्साग के समय तक इसका महत्व बना हुआ था। आज यह स्थान खण्डहरो के रूप में है। प्राचीन किले के बसावशेष, जो मीलों में बिखरे हैं, पाण्डु का किला कहलाते हैं। इसे देखने से पता चलता है कि इस किले में ३४ बुर्ज थे।

कान्यकुब्ज—कान्यकुब्ज उत्तरप्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के वर्तमान कन्नौज का पुराना नाम है। भाष्यकार ने अहिच्छत्र के साथ ही इसका उल्लेख किया है। इसके गाविपुर, कुशस्थल, और महदप नाम भी मिलते हैं।^६ रामायण (बालकाण्ड) के अनुसार यह विष्वा मित्र की जन्मभूमि थी। भागवतपुराण (६-१-२१) में इसे अजामिल की नगरी कहा है। कान्यकुब्ज भी पंचाल-जनपद के अन्तर्गत था।^७

सांकाश्य—सांकाश्य, जिसे पालि-ग्रन्थों ने सकस्स कहा है, फर्रुखाबाद (उ०प्र०) जिले में अवस्थित एक ग्राम था, जिसे आजकल सकीसा कहते हैं। यह स्थान कुण्डारकोट से ३६ मील उत्तर में तथा अलीगंज से दक्षिण-पूर्व की ओर ११ मील दूर है। डटावा से उत्तर-पूर्व की ओर

१. १-१-५७, पृ० ३५७ ।
२. ५-३-५७, पृ० ४५४ ।
३. रैप्सन: ऐन० इण्डिया, पृ० १६७ ।
४. आदिपर्व, अ० १४० ।
५. मैक्रिण्डिल: इण्डिया ऐज० डिस्क्राइब्ड बाइ टालेमी, पृ० १३४ ।
६. अभि० राजेन्द्रकोष, ४-३९ ।
७. एशियाटिका इण्डिका, भाग ४, पृ० २५६ ।

यह ४० मील दूर पडता है। कुछ लोगों के मत से साकाश्य कन्नौज से ४५ मील उत्तर-पश्चिम की ओर एव फतहगढ से २३ मील दूर, इटावा जिले में अतरजी और कन्नौज के बीच कालिन्दी (प्राचीन इक्षुमती) नदी के उत्तरी तट पर स्थित सकित्स वसन्तपुर का प्राचीन नाम था। पतंजलि के अनुसार साकाश्य गवीधुमान् से चार योजन दूर था।^१ यह दूरी गवीधुमान् की सीमा की समाप्ति से साकाश्य के सीमारम्भ तक थी। साकाश्य के निवासी साकाश्यक कहलाते थे। सौन्दर्य की दृष्टि से भाष्यकार ने पाटलिपुत्रको एव माथुरो दोनों को इनसे श्रेष्ठ माना है और बार-बार इस कथन को दुहराया है।^१

गवीधुमान्—गवीधुमान् सम्भवत वर्तमान कुण्डरकोट है, जो इटावा से उत्तर पूर्व की ओर २४ मील और फर्रुखाबाद जिले में स्थित सकित्सा से ३६ मील दूर है।^३ पतंजलि ने गवीधुमान् को साकाश्य से चार योजन दूर बतलाया है।

कौशाम्बी—पतंजलि ने बिना कोई विशेष विवरण दिये बारह बार कौशाम्बी का उल्लेख किया है।^५ इससे केवल इतना पता चलता है कि यह अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान था और वे इससे बहुत अधिक परिचित थे। काशिकाकार ने इसे कुशाम्ब द्वारा बसाई गई नगरी कहा है।^६

कौशाम्बी को पालि ग्रन्थो में कोसम्बी और चीनी ग्रन्थो में किबाउ-शेंग-मि कहा है। यह वश या वत्स जनपद की राजधानी थी। इलाहाबाद जिले का कोसमग्राम, जो प्रयाग से लगभग ३० मील दूर दक्षिण-पश्चिम में यमुना के किनारे स्थित है, कौशाम्बी का वर्तमान रूप है। जैन आज भी इसे कौशाम्बी कहते हैं।^६ ह्वेन्सांग के अनुसार कौशाम्बी प्रयाग से ५००० ली० की दूरी पर स्थित थी। इसके तथा प्रयाग के बीच में हाथी आदि वन्य पशुओं से भरा सघन वन था। इस आधार पर कुछ लोगों को उपर्युक्त मत स्वीकार नहीं है। मेजर वास्ट ने रीवाँ स्मिथ ने भरहुत के समीप का प्रदेश तथा वेटर्स ने बाँदा जिले में अजयगढ का उत्तरी-पूर्वी भाग को कौशाम्बी माना है।^७

पौराणिक परम्परा के अनुसार पुरुवशीय वत्सराज उदयन यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुए। पुरु लोगो की राजधानी हस्तिनापुर और राज्य कुरुक्षेत्र था। जब हस्तिनापुर को गंगा ने नष्ट कर दिया, तब परीक्षित के वंशज राजा यहाँ चले आये। महाभारत के अनुसार यमुना वत्स में

१. गवीधुमतः साकाश्य चत्वारि योजनानि। गवीधुमतो निःसृत्य यदा चत्वारि योजनानि भवन्ति ततः सांकाश्यम् ।—२-३-३८, पृ० ४२६।

२. सांकाश्यकेस्यः पाटलिपुत्रका अभिरूपतराः।—१-३-११, पृ० ४५।

३. एन्० एल्० वे.—ज्या० डिक्सा०, पृ० ५९।

४. १-१-५६, १-२-४४ आदि ।

५. ४-२-६८।

६. कनिंघमः आकिया० सर्वे रि०, भाग १, पृ० ३०३।

७. कनिंघमः आकि० सर्वे रि०, भाग १, पृ० ३०३ तथा जर्नल ऑफ् रा० ए० सी० १९०४, पृ० २४९ तथा वंडर्स, २-३३९।

होकर बहती थी। कौशाम्बी साकेत को श्रावस्ती एव प्रतिष्ठान से जोड़नेवाले व्यापार-मार्गों का केन्द्र-स्थल थी।^१ कोसम में प्रद्योत का वनवाधा हुआ ईंटो का किला आज भी वर्तमान है।

साकेत—साकेत उत्तर-कोशल की राजधानी तथा उसका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नगर था, जहाँ से यमुना पारकर कौशाम्बी के लिए मार्ग जाता था। श्रावस्ती से साकेत तक सात बार थके हुए घोड़े बदलकर रथ द्वारा जाया जा सकता था।^२ यह नगर कोसल की उत्तरी पूर्वी सीमा पर अवस्थित था और भारत के छह प्रमुख नगरों में था।^३ विनयपिटक (१-८८) के अनुसार साकेत और श्रावस्ती को मार्ग डकैतों से भरा था, जो भिक्षुओं तक को लूट लेते थे। राजसेना डाकुओं को पकड़कर मार डालती थी। टालेमी ने इसे सीगद कहा है। पतञ्जलि के अनुसार साकेत पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़नेवाले मुख्य मार्ग पर अवस्थित था। उन्होंने सूडन और साकेत जानेवाले मार्गों से अपना परिचय बतलाया है।^४ उन्होंने कहा है कि पाटलिपुत्र जानेवाले मार्ग पर पहले साकेत पड़ता है।^५

पतञ्जलि ने यवनो द्वारा साकेत पर घेरा डाले जाने की बात कही है।^६ यह यवन कौन था और उसने कब साकेत पर आक्रमण किया? कुछ इतिहासकार यह आक्रमण डिमेट्रियस द्वारा किया गया मानते हैं। उसने भारत पर दो ओर से आक्रमण किया। पश्चिम में इसका सेनापतिव्व स्वयं डिमेट्रियस ने किया और पूर्व में उसके सहायक मिनाण्डर ने। दोनों कैंची के फल के ममान चलकर पाटलिपुत्र में मिले। टार्न ने भी इस कथन का समर्थन किया है।^७

अधिकांश विद्वान् साकेत और अयोध्या को एक मानते हैं। विल्सन के संस्कृत-कोष में भी साकेत का अर्थ अयोध्या दिया है। रघुवश (सर्ग १३, श्लो० ७९ तथा १४-१३) में साकेत राजा दशरथ की राजधानी बताई गई है। रामायण में भी साकेत दशरथ की राजधानी बतलाई गई है। इन आधारों पर कनिंघम साकेत और अयोध्या को एक नगर मानते हैं।^८ ऐतरेय ब्राह्मण ने (७-३) अयोध्या को एक ग्राम कहा है और साख्यायन श्रौतसूत्र (१५-१७-२५) ने इस बात की पुष्टि की है कि साकेत और अयोध्या एक थे। प्रो० रीज डेविड्स ने सफल तर्कों द्वारा यह सिद्ध किया है कि बुद्ध के समय में साकेत और अयोध्या दोनों पृथक् नगर थे।^९ फुहरेर के 'मानु-मेण्टल ऐण्टिक्विटीज ऑफ नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज ऐण्ड अवध, (पृ० २७५) में उल्लाव जिले

१. बरुआ और सिनहा: भरहुत इन्सि०, पृ० १२।
२. मज्झिम नि० १-८८।
३. दिग्घ० नि० २-१४६।
४. १-३-२५, पृ० ६४।
५. योज्यमध्वा गत आपाटलिपुत्रान् तस्य यद्वरं साकेताविति।—३-२-१३६, पृ० ३२८।
६. अरण्यवनः साकेतम्।—३-२-१११, पृ० २४६।
७. टार्न ग्रीक्स इन वेस्टिन्सा एण्ड इण्डिया, पृ० १४०, २२५, २२६।
८. एन० ज्या०, पृ० ४६४।
९. लॉ: ज्या० ऑफ् अर्ली बुद्धिज्म, पृ० ५।

के सुजनकोट के खण्डहरो को, जो सई नदी के तट पर है, प्राचीन साकेत बतलाया गया है। कनिषम के अनुसार साकेत को ही फाह्यान ने श-चि और ह्वे-साग्र ने विशाख नगरी कहा है।^१

साकेत या अयोध्या पुष्यमित्र शुंग के राज्य के अन्तर्गत थी। पतञ्जलि ने अयोध्या पर यवनो द्वारा घेरा डाले जाने की बात कही है। यहाँ पाये गये एक शिलालेख में बतलाया गया है कि पुष्यमित्र ने दो अश्वमेध यज्ञ किये थे।^२

काशी या वाराणसी—भाष्य में एक स्थान को छोड़कर अन्यत्र कौशाम्बो और वाराणसी नाम साथ-साथ आये हैं। भाष्यकार ने वाराणसी को गंगा-तट पर बसा हुआ बतलाया है।^३ पतञ्जलि के समय में भी वाराणसी गंगा-तट पर लम्बी-लम्बी बसी हुई थी। व्यापारी-वर्ग में वाराणसी का नाम जित्वरी प्रसिद्ध था।^४ वाराणसी भिन्न-भिन्न कालों में भिन्न-भिन्न नामों से पुकारी जाती रही है। यथा—सुरुधन, सुदस्सन, ब्रह्मवड्डन, पुष्यवती, रम्म, योलिनी आदि।^५ यह प्राचीन काशी-राज्य की राजधानी थी और काशी नाम से भी प्रसिद्ध थी। कर्मपुराण (३०-६३) के अनुसार यह वरणा और असी नदियों के मध्य में स्थित थी। यह वरणा सम्भवत अथर्व वेद (४-७-१) की वरणावती है। वाराणसी या काशी और श्रावस्ती के बीच में अच्छा व्यापार-मार्ग था। काशी व्यापार और उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी। इसका श्रावस्ती और तक्षशिला से निकट व्यापारिक सम्बन्ध था।^६ भाष्यकार ने काशी को वस्त्र व्यापार का केन्द्र बतलाया है, जहाँ विशेष प्रकार का कपडा तैयार होता था।^७

जातको के अनुसार इसका विस्तार १२ योजन था।^१ वाराणसी बड़ी समृद्ध एवं घनी बसी नगरी थी। हिन्दू, जैन और बौद्ध साहित्य में समान रूप से ख्यात और समादृत वाराणसी को आनन्द ने बुद्ध के परिनिर्वाण के लिए सुझाए हुये नगरों की सूची में सम्मिलित किया था।^२ जैन विविध तीर्थकल्प के अनुसार वाराणसी चार भागों में बँटी थी। जैनो के अनुसार पार्ष्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। बुद्ध के समय में काशी-जनपद कोसल में मिल चुका था। चीनी यात्रियों ने इसे पो-लो-नि-त्से कहा है और यहाँ के लोगों को बहुत भला अवबोध तथा अध्ययनशील बतलाया है।^३ साख्यायन श्रौतसूत्र (१६-२९-५), बृहदारण्यकोपनिषद् (३-८-२), शतपथ-

१. एन० ज्या०, पृ० ४६० ।

२. एपि० इण्डि०, भाग २०, पृ० ५७ ।

३. अनुगङ्गा वाराणसी गङ्गा चाप्यायता वाराणस्यप्यायता।—२-१-१६, पृ० २७३ ।

४. वणिजो वाराणसीं जित्वरीत्युपाचरन्ति—४-३-८४, पृ० २४३ ।

५. जातक, ४-१५ तथा १९९ चर्यापिटक, पृ० ७ ।

६. धम्मपद-कमेण्ट्री, ३-४२९ तथा १-१२३ ।

७. इह समान आया मे विस्तारे पटस्यान्योऽर्थो भवति काशिकस्यान्यो मायुरस्य।—

५-३-५५, पृ० ४४६ ।

८. जातक, ५-३७७, ६-१६० ।

९. दिग्घ नि०, २-१४६ ।

१०. बीलः बुद्धिस्त रेकार्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, २-४४ ।

ब्राह्मण (१३-५-४-१९), कौशीतकी उपनिषद् (४-१) बौधायन श्रौतसूत्र (१८-४४), रामायण एव महाभारतादि प्राचीन ग्रन्थो एव पुराणो मे काशी का पौन पुनिक उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुशासनपर्व (अ० ३०, पृ० १८८९, १९००) के अनुसार काशी दिवोदास ने वसाई थी।

पाटलिपुत्र—भाष्यकार ने वीस से भी अधिक सूत्रों के भाष्य में किसी-न-किसी रूप में पाटलिपुत्र का उल्लेख एक या अनेक वार किया है। इससे दो बातों का अनुमान होता है। एक यह कि भाष्यकार के समय में पाटलिपुत्र भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध नगर था, और दूसरे यह कि भाष्यकार का उससे बहुत निकट का सम्बन्ध था। वे जानते थे कि यह नगर मथुरा से पूर्व दिशा में है।^१ जिसके बीच में अनेक स्थान हैं। वह शोण नदी के तट पर लम्बा-लम्बा बसा हुआ है।^२ जिस स्थान पर बैठकर उन्होंने अध्यापन कार्य किया, वहाँ से पाटलिपुत्र पहुँचने में कई दिन लग जाते थे। इसीलिए, उन्होंने कहा है कि कोई पाटलिपुत्र जानेवाला एक दिन चलकर कहे कि आज चलना हो गया, तो उससे उसकी गमन-क्रिया समाप्त नहीं हो जाती। जितना चला, उतने को दृष्टि में रखकर इस प्रकार की बात कही जाती है।^३ उन्होंने पाटलिपुत्र का मार्ग बतलाते हुए कहा है कि इसके बीच में साकेत मिलता है।^४ मार्ग में कुएँ मिलते हैं।^५ पाटलिपुत्र मथुरा से दूर है, यह बात भी भाष्य में कही गई है। सम्भव है, मथुरा में बैठकर ही भाष्यकार ने सूधन, साकेत और पाटलिपुत्र जानेवाले मार्गों का निर्देश किया हो।^६ उन्होंने साकायिकों से पाटलिपुत्रको को और पाटलिपुत्रको से भी माथुरों को अभिरूपतर कहा है। यह कथन भी उक्त अनुमान का पोषक है।^७

पाटलिपुत्र मगध-साम्राज्य की राजधानी था। प्रारम्भ में वह मगध का एक सामान्य ग्राम था और इसे पाटलिग्राम कहते थे। यह गंगा के दूसरे तट पर स्थित कोटग्राम के ठीक सामने था। राजगृह से वैशाली जानेवाले मुख्य मार्ग पर यह पडाव का गाँव था। नगर के रूप में इसकी नींव अजातशत्रु के गुनीव और वर्षकार नामक दो मंत्रियों द्वारा इसमें दुर्ग बनाये जाने के प्रसंग में पड़ी।^८ पाटलिपुत्र गंगा, शोण और गण्डक के संगम के पास बसाया गया था। पतञ्जलि के समय में वह शोण तट पर ही अवस्थित था। बाद में शोण दूर हटती चली गई।

पाटलिपुत्र बहुत विशाल नगर था। इसकी सुरक्षा के लिए ६० फुट चौड़ी और ३० हाथ गहरी परिखा बनाई गई थी। मेगास्थनीज के अनुसार परिखा की लम्बाई ८० स्टेडियम या

१. पूर्व मथुरायाः पाटलिपुत्रम्।—१-१-५७, पृ० ३५७।

२. २-१-१६, पृ० २७३।

३. ३-२-१०२, पृ० २३९।

४. ३-३-१३६, पृ० ३२८।

५. ३-३-१३३, पृ० ३२६।

६. ८-२-८४, पृ० ३९०।

७. ५-३-५७, पृ० ४५४।

८. सुमङ्गलविलासिनी, २-५-४०।

१६१६० गज और चौड़ाई १५ स्टेडियम या ३०३० गज थी।' भीतरी खाई से २४ फुट भीतर हटकर एक प्राकार था, जिसमें ५७० गुम्बज तथा ६४ दरवाजे थे। नगर में चार द्वार थे, जिनसे अशोक को चार लाख कार्पाणण की दैनिक आय थी।^१ पाटलिपुत्र भारत का सर्वाधिक समृद्ध और शानदार नगर था। इसके प्रासाद, प्राकार और परिखा देग-भर में प्रसिद्ध थे। भाष्यकार ने बार-बार इसका उल्लेख किया है। नगर इतना बड़ा था कि उसके विभिन्न अंगों की व्याख्या करनेवाली पुस्तिका थी, जिसका नाम 'मुकोसला' था। मुकोसला में पाटलिपुत्र के प्राकार, परिखा, प्रासाद आदि समस्त अवयवों का वर्णन था।^२ फाह्यान के समय में इसकी टक्कर का कोई दूसरा नगर देग में न था,^३ किन्तु लगभग दो सौ वर्षों के भीतर ह्वेन्सांग के समय में वह बहुत कुछ उजड़ चुका था।^४

राजकीय उद्योगों की पुष्प-विविधता के कारण पाटलिपुत्र का पूर्वनाम पुष्पपुर या कुमुम-पुर था। जैन परम्परा के अनुसार दर्शक के पुत्र उदयन ने यह नगर बसाया है। वामनव में इसके निर्माण का श्रेय अजातशत्रु को है।

पाटलिपुत्र उत्तरकालीन मिथुनागों, नन्दों एवं चन्द्रगुप्त, अगोक आदि मौर्य-सम्राटों की राजधानी रहा था। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन-काल में भी वह बहुत शानदार एवं जन-मकुल था। छठी शताब्दी के हूण-आक्रमण के समय तक यह अच्छी स्थिति में रहा। पाटलिपुत्र की खुदाई में जो वस्तुएँ मिली हैं, उनमें एक रेलिंग और स्तम्भ भी हैं, जो सम्भवतः द्युग या पतञ्जलि के काल का है।^५

उज्जयिनी—यद्यपि भाष्य में उज्जयिनी नाम केवल एक बार आया है, किन्तु उसमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाष्यकार को इस नगरी से प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त था। वे माहिष्मती और उज्जयिनी के मध्य की दूरी से अवगत थे। इनीलिए, नायकाल को उज्जयिनी से पैदल चलकर सूर्योदय तक माहिष्मती पहुँच जाने को उन्होंने आश्चर्यकारी बात कही है।^६

भाष्यकार का उज्जयिनी में परिचित होना स्वाभाविक है, क्योंकि डम प्रदेश में विदिशा,

१. मैक्रिण्डिल : एन०, इण्डि० एज डैस्का० बाई मेगास्थनीज एण्ड ऐरियन, पृ० ६५ से ६७।

२. वही।

३. सामान्तप्रासादिका, १-५२ लॉ : हिस्टा० ज्या०, पृ० २५० पर उद्धृत।

४. पाटलिपुत्रस्य व्याख्यानो सुकोसलेति। अवयवशो ह्याख्यानं व्याख्यानं पाटलिपुत्रं चाप्यवयवश आचष्टे ईदृशा अस्य प्राकार इति।—४-३-६६, पृ० २३९ तथा पाटलिपुत्रका प्रासादा. पाटलिपुत्रकाः प्राकारा.।—४-३-१३४, पृ० २५८।

५. लेगी : फाह्यान, पृ० ७७-७८।

६. वेटर्स : ऑन युआनचांग, २-८७।

७. मनरंजन घोष : पाटलिपुत्र, पृ० १४-१५।

८. उज्जयिन्या. प्रस्थितो माहिष्मत्यां सूर्योदयमनं सम्भावयति सूर्यमुद्गमयति—
२-३-७६, पृ० ७६।

और विदर्भ तक का प्रदेश गुग-राज्य के अधिकार में था। विदिशा में पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र राष्ट्रिय पद पर नियुक्त था।

उज्जयिनी अवन्ति या पश्चिमी मालव-प्रदेश की राजधानी थी और चर्मण्वती की सहायक शिप्रा नदी के तट पर बसी हुई थी। उज्जयिनी हीनयानो और महायानो का केन्द्र रही। ब्राह्मणों के आधिपत्य-काल में भी ३०० बौद्धधर्म प्रचारक यहाँ रहते और स्वतन्त्रतापूर्वक प्रचार करते थे।^१ यही जैनधर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर ने समाधि ली थी। ईसा-पूर्व चौथी शती में उज्जयिनी मगध के अधिकार में आई। अशोक वहाँ का पहला राष्ट्रिय नियुक्त हुआ। उसने विदिशा की विदिशा रानी से विवाह किया। यही उसका पुत्र महेन्द्र उत्पन्न हुआ। विदिशा रानी का स्मारक-स्तूप साँची में विद्यमान है।

उज्जयिनी व्यापार का बड़ा केन्द्र रही है। तीन प्रमुख व्यापार-मार्गों के सगम पर अवस्थित होने के कारण भूगुच्छ से निर्यात होनेवाला सारा माल यहाँ होकर जाता था। इसीलिए, नगरी बड़ी समृद्ध बन गई थी। संस्कृत-साहित्य उज्जयिनी-वैभव के वर्णनों से भरा है। प्राचीन उज्जयिनी वर्तमान उज्जैन से कोई १॥ मील आगे हटकर बसी थी। इस स्थान की खुदाई में आहत एव ढले सिक्के तीसरी शताब्दी ईसा-पूर्व तक के मिले हैं। दूसरी शती ईसा-पूर्व की एक पत्थर की मज्जा तथा वरतन मिले हैं। और भी सामग्री मिलने की संभावना है।

माहिष्मती—माहिष्मती उज्जयिनी से तीस कोस की दूरी पर स्थित दक्षिण अवन्ति की राजधानी थी, जिसे आजकल माहेस्वर या मान्वाता कहते हैं। महाभारत अश्वमेधपर्व के माहिष्मक या माहिष्क लोग यहाँ के निवासी थे। पद्यपुराण (१८३-२) के अनुसार यह नर्मदा-तट पर स्थित थी। सम्भवतः रामायण (किष्किन्वा का०) में वर्णित माहिषिकी नदी के प्रदेश में, जो विन्ध्य और ऋक्ष पर्वत के बीच में बहती थी, होने के कारण यह नाम पड़ा हो। भाष्यकार ने जिस महिष्मान् देश का उल्लेख किया है, वह यही प्रदेश था।^२ भाष्यकार ने महिष्मान् की व्युत्पत्ति महिष से मानी है। महिष और महिष्क लोग एक ही थे।

मध्यमिका—चित्तौड़ (मेवाड़) से ११ मील दूर नगरी का ही पुरोना नाम मध्यमिका था। यहाँ बहुत-से प्राचीन सिक्के मिले हैं, जिनपर 'मज्जमिकाय सिवि जनपदस्स' अंकित है।^३ जातकों में एक शिवि राजा का उल्लेख है, जिसकी दो राजधानियाँ थी—अरिद्वपुर और जेतुत्तर।^४ एन्० एल्० दे जेतुत्तर नगरी का ही पूर्व नाम मानते हैं।^५ इसी को अल्बेरुनी ने मेवाड़ की राजधानी जरूर कहा है।^६ इसके आधार पर यह पता चलता है कि शिवियों की एक शाखा उत्तर से आकर ईसा-

१. वील : बुद्धि० रेकार्ड्स, २-२७०।
२. ४-२-८७, पृ० १९६।
३. कनिंघम : एन्० ज्या०, पृ० ६६९।
४. लॉ : द्राइव्स इन ऐन इण्डिया, पृ० ८३।
५. दे : ज्या० डिक्स०, पृ० ८१।
६. अल्बेरुनीज इण्डिया, १-१०२।

पूर्व ३०० के लगभग यहाँ ब्रम गई थी।' भाष्यकार ने महानाष्य मे श्रीकों द्वारा मव्यमिका पर चिये गये आरुमग का उल्लेख किया है।'

नासिक्य—नासिक्य को पतञ्जलि ने नगर कहा है। पुराणों मे इसे नासिक और रामायण मे जनन्याय कहा है। ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार नासिक्य नर्मदा-तट पर अवस्थित था। जनन्याय पंचवटी और गोदावरी के समीप था। इसके इस नाम का कारण यहाँ लम्बण द्वारा शूपंगला का नासिकाच्छेदन है। गोदावरी के दक्षिण तट पर बसा हुआ वर्तमान नासिक नगर नासिक्य का आधुनिक रूप है। आगे चलकर सानवाहन राजाओं के समय मे नासिक हीनयानों की भद्रग्राम धारण का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया, जिनकी २३ गुफाएँ यहाँ विद्यमान हैं।^१ भद्रुन के वीटिव लेवल न० ३८ मे भी नासिक का उल्लेख है।^२

शिरीषा—यह हिंमार जिले का वर्तमान सिरसा है। इसका नाम शिरीषवन के समीप होने के कारण पड़ा।^३

रोणी—सम्वन यह हिंमार जिले का रोड़ी स्थान है। किन्तु, आजकरोण और सँहकरोण के विषय में कुछ बात नहीं है। सम्व है, यह इमी के पास-पडोम के ग्राम हैं।^४

कट्टवदरी—कट्टवदरी गुफाओं के समीप बसे होने के कारण यह नाम पड़ा होगा।^५

अन्य ग्राम—नगग्राम, नवनगर, शौबहान, नगर,^६ शौर्य और जान्बनगर तथा कैतवत और शालूजिनी ग्राम 'तिसूत्रा ग्राम' 'ऐणीक नामक उदीच्य ग्राम' 'सैपुर और स्कौनगर नामक प्राच्य ग्राम' 'द्विपुरी एवं त्रिपुरी नगरी' 'उडुन्वरावती नगरी' 'पन्नग्रामी, पण्णगरी (ग्राम और नगरविशेष)' एवं 'पूर्वेषु कामगामी और अपरेषु कानगामी,' इन सबसे भी भाष्यकार

१. कनिधम : आकिकं सर्वे रि०, भाग ६, पृ० १९६-२०२।
२. ३-२-१११, पृ० २४६।
३. बरुआ एण्ड सिन्हा : भरहुत इतिहास, पृ० १८, १२८।
४. लूडर्स लिस्ट-सं० ११२२, ११४९।
५. शिरीषापामहूरभवा ग्रामाः शिरीषाः १—१-२-५१, पृ० ५५०।
६. १-१-७२, पृ० ४४२।
७. १-२-५१, पृ० ५५०।
८. ५-३-७२, पृ० ४७०।
९. २-४-७, पृ० ४६४।
१०. ७-२-९९, पृ० १५५।
११. ४-२-१४५, पृ० २१९।
१२. १-१-७५, पृ० ४६३।
१३. ५-४-६८, पृ० ४९९।
१४. ४-२-७१, पृ० १९४।
१५. २-१५-१, पृ० २९९।
१६. १-४-२, पृ० १२४।

परिचित थे। इनमें डॉ० अग्रवाल ने नवनगर को वग या पश्चिमी बंगाल की प्राचीन राजधानी नवद्वीप माना है, किन्तु भाष्यकार ने वग के अन्य किसी ग्राम या नगर का उल्लेख नहीं किया है। त्रिपुरी का उल्लेख जाजल देवी (चेदि) के रतनपुर के सन् ८८६ के शिलालेख में मिलता है, जिस पर कोकल के अठारह पुत्रों में से एक का शासन था।^१ पाणिनि (६-१-१५५) के कास्तीर और अजस्तुन्द ग्रामों की स्थिति का भी कोई पता नहीं चला है। भाष्य का कन्यानूप केप कमोरिन का प्राचीन तमिल नाम था। ग्रीक लेखकों ने इसे 'कोमेरिया ऐक्रान' कहा है।

१. एपि० इण्डि० १-३३ तथा लॉ: ट्राइन्स इन ऐन० इण्डिया, पृ० ५०, २३९९।



खण्ड ३
भारत की सामाजिक स्थिति

अध्याय १

समाज-संगठन

कुल (परिवार)—समाज का सबसे छोटा घटक कुल था।^१ विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति सम्मान-प्रदर्शन के लिए उनके कुल का उल्लेख किया जाता था।^२ कुल प्रायः पुरुषों के नाम पर थे। उदाहरणार्थ—कारीपगन्ध्या का कुल उसके पति या पुत्र के नाम से लोगों में प्रसिद्ध था। कारीपगन्ध्या के नाम से स्वतन्त्र कुल की गणना नहीं की जाती थी।^३ कुछ कुल कई पूर्वजों के नाम से प्रसिद्ध हो जाते थे। जैसे षट्कुल परिवार के छह पूर्वजों के नाम पर प्रसिद्ध था। इसके सदस्य षाट्कुल कहलाते थे। ब्राह्मणों में आज भी कुछ लोग स्वयं को 'षाट्कुल' मानते हैं।^४ पद, जाति, कार्य या व्यक्ति के नाम से कुलों का उल्लेख किया जाता था—यथा सेनानिकुल, ब्राह्मणकुल,^५ वृषलकुल, याज्यकुल,^६ कारीपगन्ध्या-पतिकुल आदि। इस प्रकार, कुल शब्द वर्तमान परिवार के अर्थ में प्रयुक्त होता था। लोक-व्यवहार में कुल और गोत्र प्रायः एक ही अर्थ में बोले जाते थे। कुल गोत्र का अवयव था।^७

कुलीन—कुल में उत्पन्न व्यक्ति को सज्ञा कुलीन थी।^८ कुछ कुल प्रतिष्ठित माने जाते थे और कुछ कुख्यात। प्रतिष्ठित कुल की सन्तान माहाकुल, माहाकुलीन,^९ या महाकुलीन कही जाती थी और कुख्यात कुल की सन्तान दौष्कुलेय या दुष्कुलीन।^{१०} कुलीन, कुल्य^{११} और कौलेयक भी अच्छे कुल के बोधक थे। बनी परिवार के लोग आढ्यकुलीन कहलाते थे। श्रेष्ठ सच्चरित्र परिवार की कन्याएँ कुलपुत्री या कुलदुहिता कही जाती थी।^{१२} ये पद गौरव के परिचायक थे। परिवारों के अपने मित्र परिवार या व्यक्ति होते थे, जिनका पीढियों से पारिवारिक स्नेह-सम्बन्ध चला आता था। ये परिवार कुलमित्र कहे जाते थे।^{१३} कुलदुहिता से ठीक उलटी धर-धर आहिण्डन करने-वाली कुलटा स्त्रियाँ भी होती थी।^{१४} पारिवारिक प्रतिष्ठा या अयश पीढी-दर-पीढी सन्तान के साथ सलग्न रहता था। कुलीन की सन्तान कौलीन कही जाती थी और कौलीनिक के छात्र कौलीन।

१. १-१-६२, पृ० ३९७।

२. १-१-५१, पृ० ३२१।

३. ६-१-१३, पृ० ४०।

४. ४-१-८८, पृ० १००।

५. १-१-५६, पृ० १५४।

६. १-१-५६ पृ० ३३४।

७. ४-१-७९, पृ० ८८।

८. ४-१-१३९।

९. ४-१-१४१।

१०. ४-१-१४३।

११. ४-१-१४०।

१२. ६-३-७०, पृ० ३४७।

१३. ६-२-१०६, पृ० २७७।

१४. ६-१-९४, पृ० १५१।

कौलीन कह देना मात्र यह बतला देने के लिए पर्याप्त था कि इस छात्र का गुरु न केवल स्वयम् अभिजात है, अपितु उसके पूर्वज भी सच्चरित्र एव ह्य्यात रहे हैं।^१ इसी प्रकार, कुलटा का अपयश उसकी सन्तान के साथ लगा रहता था। कौलटिनेय या कौलटेय कह देना यह बतला देने के लिए पर्याप्त था कि इसकी माता समाज मे हीन दृष्टि से देखी जाती थी।^१ यदि किसी परिवार मे सामाजिक या धार्मिक मर्यादा के विरुद्ध काम होता था, तो लोगो का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट होता था और वह लोगो की दृष्टि से गिर जाता था।^१

प्राचीन भारत मे कुल का महत्त्व बहुत अधिक था। गोत्र के समान कुल का नाम भी कभी-कभी विख्यात पूर्वज के नाम पर चलता था और कभी जीवित वृद्ध पुरुष के नाम पर। यथा, गार्ग्य लोगो के कुल को गार्ग्यकुल भी कहते थे और गर्गकुल भी। इसी प्रकार, वात्स्यकुल और वत्सकुल या वैदकुल और विदकुल दोनो प्रकार से व्यवहार चलता था।^१

कुल-भेद—कुल दो प्रकार के माने जाते थे—गुरुकुल और पितृकुल। विवाहिता का कुल पतिकुल होता था।^१ घर मे वृद्ध पुरुष या पति न रहने पर पुत्र का कुल माता आदि स्त्रियो का कुल माना जाता था। यदि कई भाई कुल मे हुए और वे विभक्त हो गये, तो एक ही कुल के कई घर हो जाते थे। घर का स्वामी गृहपति या आवसथिक कहलाता था।^१ गृहपति घर का ज्येष्ठ पुरुष होता था। पितामह या पिता के न होने पर ज्येष्ठ भ्राता या कोई बडा पुरुष गृहपति कहलाता था।^१ गृहपति प्रथा को गार्हपत कहते थे, जिसमे जनपद-भेद के अनुसार साधारण अन्तर रहता था। भाष्य मे कुरुगार्हपत और वृजिगार्हपत का विशेष उल्लेख मिलता है।^१

कुल के अंग—कुल या परिवार के मूल पुरुष थे माता और पिता, जिन्हे सयुक्त रूप से 'पितरौ', मातापितरौ या मातरपितरौ भी कहते थे।^१ वेदो मे 'पितरा', 'मातरा' प्रयोग मिलते है। उत्तर भारत मे मातरपितरौ प्रयोग प्रचलित-था। माता-पिता से सद्व्यवहार तथा उनकी सेवा पुत्रो का कर्तव्य था।^१ भाइयो के बडे आदि के क्रम से ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ नाम होते थे। दो मे बडे को ज्यायान् कहते थे। सम्मान की दृष्टि से ज्येष्ठ का स्थान पिता के बाद ही था।

१. ४-१-९०, पृ० १०९।

२. ४-१-१२७।

३. उपरतान्यस्मिन्कुले व्रतान्युपरतः स्वाध्यायः—१-४-११०, पृ० २२३।

४. २-४-६४, पृ० ५०३।

५. १-१-५१, पृ० ३२१।

६. ४-४-९०, पृ० २८६ तथा ४-४-७४।

७. ४-१-१६४।

८. ६-२-४२, पृ० २५८।

९. १-२-७०।

१०. ६-३-३२, ३३।

११. १-१-९, पृ० १६३।

कनीयान् ज्यायान् की आज्ञा का पालन करता था।^१ पुत्रों के नामकरण से युवा होने तक माता-पिता उनका पोषण करते थे। वे खुले मण्डप में सबके सामने पुत्र का नाम रखते थे।^२

पुत्र—कुल या परिवार में पुत्र का महत्त्व बहुत अधिक था। उसे शोकापनुद् या शोक को दूर करनेवाला मानते थे। सगे भाई सोदर्य या समानोदर्य कहलाते थे।^३ पिता से प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति में, जिसे पित्र्य या पैतृक कहते थे,^४ तथा पितामह से प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति में, जिसे पैतामहक कहते थे,^५ क्रमशः सब सोदर्य तथा पितृव्य अशक या अशहारी होते थे।^६ अपने पुत्र के अतिरिक्त अन्य बालकों को भी कभी-कभी पुत्र मान लिया जाता था।^७ पुत्र गोद भी लिये जाते थे, जो पुत्रक कहलाते थे। पुत्र की कामना सभी गृहस्थ करते थे।

अन्य घटक—पिता के भ्राता को पितृव्य और माता के भ्राता को मातुल कहते थे।^८ पिता और माता के पिता को सज्ञा पितामह और मातामह थी।^९ उनकी माता को ऋभ से पितामही और मातामही कहा जाता था।^{१०} मातुल की पत्नी मातुली या भातुलानी कहलाती थी।^{११} पितामह के पिता को प्रपितामह कहते थे। इस प्रकार पुत्र, पिता, पितामह और प्रपितामह तक चार पीढ़ियाँ प्रायः मिल जाती थी। इनसे ऊपर सबको पितर कहते थे। मातृवश की तीन पीढ़ियों तक का ही भाष्य में उल्लेख है, प्रमातामह का नहीं। प्रपितामह की दृष्टि से नीचे की पीढ़ियाँ प्रपौत्र, पौत्र, पुत्र होते थे।^{१२} माता और पिता की वहन को मातृष्वसा, मातृष्वसा या मातृ स्वसा तथा पितृष्वसा, पितृष्वसा या पितृ स्वसा कहते थे।^{१३} वहन स्वसा कहलाती थी और उसका पुत्र स्वप्नीय।^{१४} भाई के पुत्र को भ्रातृव्य या भ्रात्रीय कहते थे। भावज के लिए भ्रातृजाया शब्द का व्यवहार था।^{१५} भतीजे के लिए भ्रातृष्युत्र शब्द भी प्रचलित था।^{१६} बुआ का लड़का या फुफेरा भाई पैतृस्वसेय^{१७} कहा जाता था और मौसी का पुत्र या मौसिरा भाई मातृष्व-सीय।^{१८} पत्नी जाया, भार्या या जनी कहलाती थी^{१९} और उसके माता-पिता स्वश्रु और स्वगुर।^{२०} साले के लिए द्याल और स्वशुर्य शब्द थे।^{२१} स्वशुर्य का पुत्र श्वाशुरि और उसके छात्र श्वाशुर कहलाते थे। नाती को नप्ता कहते थे^{२२} और ननद को ननान्द तथा ननदोई को

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| १. १-१-२१, पृ० २०२। | १३. ३८-८४ तथा ८-३-८५, पृ० ४५८। |
| २. १-१-१, पृ० ९५। | १४. ४-१-१४३ तथा ४-१-९०, पृ० १०९। |
| ३. ४-४-१०८। | १५. ४-१-१४४ तथा ४-१-१४५, पृ० १४५। |
| ४. ४-३-७९। | १६. कस्कादिगण, ८-३-४८। |
| ५. ४-२-१०४, पृ० २०८, ९। | १७. १-१-५१, पृ० ३१७। |
| ६. ५-२-६९। | १८. ४-१-१३४, पृ० १४४। |
| ७. ३-१-८, पृ० ३९। | १९. २-१-११२, पृ० १८८ तथा ६-१-८४, |
| ८. ४-२-३६, पृ० १७६। | पृ० ११८ तथा ४-४-८२, पृ० २८५। |
| ९. वही। | २०. १-२-७१, पृ० ६०५। |
| १०. वही। | २१. ४-१-९०, पृ० १०९। |
| ११. ४-१-४९, पृ० ६३। | २२. १-१-७२, पृ० ४५५। |
| १२. ५-२-१०। | |

ननान्दपति। पुत्री और दुहिता दोनो शब्द व्यवहार मे आते थे।^१ ननान्दा की सन्तान नानान्द और दुहिता की सन्तान दौहित्र कही जाती थी। इसी प्रकार पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता था।^२ स्वसा और भगिनी समानार्थी थे। भगिनी का पुत्र भागिनेय होता था।^३

संयुक्त कुल—पिता, माता और भाई एक साथ रहते थे, किन्तु कभी-कभी किसी कारण से अनबन हो जाने पर भाई-भाई अलग भी हो जाते थे। इन विभक्त-घन भाइयो को 'विभक्त' कहते थे।^४ मातृ-सम्बन्ध पर टिप्पणी करते हुए भाष्य मे कहा है 'देवदत्त का भ्राता' इसमे षष्ठी विभक्ति का क्या अर्थ है ? यही न कि दोनो एक स्थान से उत्पन्न हुए हैं। किन्तु, यह कहना विलकुल गप ही है। क्योंकि, जिस प्रकार रात के समय सार्थिक लोग एक ही प्रतिश्रय मे ठहर जाते है और सबेरे उठकर चल देते है। उनका परस्पर कोई भी सम्बन्ध नही होता। यही स्थिति भ्रातृत्व की है। भ्रातृव्यो मे तो प्रायः झगडे हुआ करते थे। इसीलिए, भ्रातृव्य शब्द का अर्थ ही सपत्न हो गया था।^५ एक पति की कई स्त्रियाँ परस्पर सपत्नी होती थी और सपत्नी की सन्तान सापत्न।^६ शत्रुवाचक सपत्न और भ्रातृव्य शब्द स्वयं भारतीय परिवार के सगठन के दोषो पर प्रकाश डालते है। समान पति या पत्नीवालो का परस्पर शत्रुभाव रहना स्वाभाविक था। सपत्न का मूल अर्थ शत्रु नही था, अपितु समान-पतिकत्व के कारण निरन्तर चलनेवाले शत्रव को दृष्टि मे रखकर लाक्षणिक रूप से उसका अर्थ शत्रु प्रचलित हो गया। यही बात भ्रातृव्य के विषय मे कही जा सकती है। भाष्यकार ने कहा है कि अपने भाई और चचेरे भाई मे अन्तर तो होता ही है।^७

कुलाचार—परिवारो मे शिष्टाचार के नियम निश्चित थे। माता-पिता और आचार्य की सेवा करना पुत्र और शिष्य का धर्म था।^८ गुरु-पुत्र के साथ भी चरण-स्पर्श तथा उच्छिष्ट-भोजन के अतिरिक्त, गुरु के समान ही व्यवहार किया जाता था।^९ छोटे लोग बड़ो को प्रणाम करते थे। अभिवादन और प्रत्यभिवादन के नियम निश्चित थे। पिता के जीवित रहते पुत्र उसका आज्ञानुवर्ती रहता था। पिता के जीवन-काल मे स्वतन्त्रवत् आचरण करनेवाला पुत्र समाज मे धिक्कृत होता था।^{१०} फिर भी, कभी साम्प्रतिक तथा अन्य कारणो से परिवार मे विग्रह उत्पन्न हो जाता था। भाष्य मे पुत्रहृती, पुत्रजग्धी, पुत्रपुत्रादिनी, पितृहा, मातृहा, भ्रातृहा शब्द मिलते है।^{११} ये अपवाद हैं। माता, पिता, भ्राता, पुत्र आदि की हत्या अत्यन्त गहिह थी, इसीलिए ये शब्द गाली के रूप मे व्यवहृत होते थे।

कुल सम्बन्ध—परिवार तथा उसके मित्र-कुल मे कुछ पुरुष या स्त्री ऐसे भी होते थे, जो

१. १-१-७२, पं ४५२।
२. ४-१-१०४, पं १३४।
३. ३-३-१८, पं २९७।
४. ३-४-६७, पं ३६९।
५. ४-१-१४५, पं १४५।
६. ६-३-३५, पं ३२३।

७. २-१-१, पं २४६।
८. १-१-९, पं १६।
९. १-१-५६, पं ३३८।
१०. ४-१-१६२, पं १५५।
११. ८-४-४८, पं ४९८ तथा ३-२-८७, पं २३५।

सम्बन्ध में भले ही पितृव्यादि न लगते हो, पर उनका सम्मान पितृव्यादि के समान किया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें घर के लोग कल्पित सम्बन्ध से ही पितृव्य, स्वशुर, मातृष्वसा आदि कहकर पुकारते थे। यह सम्बन्ध उन व्यक्तियों तक ही सीमित रहता था। उनकी सन्तान से उस प्रकार का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं था। इसीलिए लोक-व्यवहार में यदि कोई व्यक्ति किसी को स्वशुर कहता था, तो भी उसकी सन्तान स्वशुर्य नहीं कही जाती थी। वास्तविक (रक्त-सम्बन्ध) से कल्पित सम्बन्ध (स्नेह-सम्बन्ध) का अन्तर स्पष्ट करने के लिए ही उसे स्वाशुरि कहते थे।^१ स्वशुर्य पत्नी का सोदर होता था और स्वाशुरि चचेरा या स्नेह के कारण माना हुआ भाई। इसी प्रकार माता की सगी बहन मातृष्वसा होती थी तथा रिस्ते में या स्नेह के कारण लगनेवाली अन्य बहनें मातृस्वसा।^२ पिता के समान पूज्य व्यक्ति पितृ-सदृश कहलाता था।^३ पिता के लिए हितकारी वस्तु को पितृभोगीण कहते थे। हितकारी बात वह मानी जाती थी, जो या तो पिता को रचने-वाली बातों से सम्बद्ध हो या आर्थिक दृष्टि से उसके अनुकूल हो या उनके शारीरिक सुख में सहायक हो।^४ सम्बन्धवाची पिता, भ्राता के विषय में पतजलि ने कहा है कि इन शब्दों के धार्मिक अर्थ का ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये शब्द इन-इन अर्थों में समाज में प्रचलित हो गये हैं इसलिए इनका जो अर्थ प्रसिद्ध है, वहीं ग्रहण करना चाहिए। यों भी बहुत-से शब्द नियतविषय लोक में प्रचलित हैं। यदि धार्मिक अर्थ मानने लगेंगे, तो भरण करनेवाला, यह अर्थ भ्राता शब्द का होगा और इस अर्थ में यदि भाई को भ्राता कहे, तो स्वसा को भी भ्राता कहना चाहिए; क्योंकि भरण जितना छोटे भाइयों का बड़ा भाई या बड़े का छोटा भाई करता है, उतना बहन भी करती है। यदि पुत्र का अर्थ कुल को पवित्र करनेवाला या प्रसन्न करनेवाला माने, तो दुहिता को भी पुत्र कहना चाहिए, क्योंकि वह भी उनके समान माता-पिता को आनन्दित करती है। यदि पिता का अर्थ रक्षा करनेवाला या पालन करनेवाला माने, तो माता को भी पिता कहना चाहिए, क्योंकि वह भी पुत्रों के रक्षण और पालन का काम करती है और यदि स्वशुर उसे कहे, जिसे आशु (शीघ्र) प्राप्त करना चाहिए, तो स्वश्रू भी स्वशुर कहला सकती है। किन्तु, लोक में इन सबका प्रयोग उक्त अर्थों में नहीं होता। इसलिए, सम्बन्धवाचक शब्दों को रूढ़ या नियतविषय ही मानना चाहिए।^५

सम्बन्धों का आधार—पारिवारिक सम्बन्ध दो प्रकार के माने जाते थे। एक पत्नीवश या स्त्रीवश से और दूसरे पितृमातृवश से। स्त्रीवश में ज्याल या स्वशुर्य, पत्नीष्वसा, श्यालवधू, स्वशुर, स्वश्रू आदि थे। इन्हें सयुक्त कहते थे। सयुक्त शब्द उनके पृथग्वशीय होने की ओर संकेत करता है, जो सम्बन्ध होने के बाद मिल जाते थे। पितृमातृसम्बन्धियों में भाई, भतीजे, चाचा आदि थे, जो बान्धव या कुटुम्बी कहलाते थे। इन्हें ही 'जाति' कहते थे। इस प्रकार, जाति के लोगों में आत्मीयत्व की भावना रहती थी। इसीलिए, वे 'स्व', अर्थात् आत्मीय भी कहलाते थे।^६ स्व-सम्बन्ध अपने कुलवालों से होता था और सयुक्त सम्बन्ध पत्नीवशवालों से।^७ इन सम्बन्धों में

- | | |
|---------------------|---------------------|
| १. ४-१-९६, पृ० १२९। | ५. १-२-७१, पृ० ६०५। |
| २. ८-३-८४। | ६. १-१-३५, पृ० २३७। |
| ३. ४-१-१, पृ० १०। | ७. ६-२-१३३, काशिका। |
| ४. ५-१-९, पृ० ३०१। | |

कुछ स्त्रियों के ही पारस्परिक सम्बन्धों के परिचायक थे। यथा—ननान्दा, ननान्दपति, याता आदि और कुछ पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्धों के सूचक थे। यथा—श्याल आदि। कुछ स्त्री-पुरुष दोनों के समान सम्बन्ध, किन्तु पृथक् व्यक्तियों के बोधक थे। जैसे—श्वशुर, श्वश्रू आदि और कुछ दोनों के सामान्य थे। यथा—भ्राता, दुहिता, मातुल आदि। ये सम्बन्ध एक साथ तीन परिवारों की तीन कोटियों को एक सूत्र में बाँधते थे। जहाँ कुलदुहिता व्याही जाती थी, जहाँ पुत्र व्याहे जाते थे और अपना कुलाचार पीढ़ियों में वीसों परिवार एक सूत्र में बँध जाते थे। कुछ लोग माता-पिता न होकर भी उनके समान ही व्यवहार करते थे और माता-पिता के सम्मान से सम्मानित भी होते थे।^१

विद्या-सम्बन्ध—रक्त-सम्बन्ध या योनि-सम्बन्ध के अतिरिक्त विद्या-सम्बन्ध भी प्रचलित थे। इनका वन्धन भी योनि-सम्बन्ध जैसा ही परिपुष्ट होता था, भले ही वह सदा पीढ़ी-दर-पीढ़ी न चल पाता हो। पाणिनि ने विद्या और योनि-सन्ध की एक साथ चर्चा बार-बार की है।^२ भाष्यकार ने गुरु के अतिरिक्त गुरुपुत्र का कई बार उल्लेख किया है^३ और उसके साथ व्यवहार के नियम^४ बतलाये हैं। विद्या-सम्बन्धों में गुरु-परिवार के अतिरिक्त सतीर्थ्य सम्बन्ध भी सम्मिलित था।^५ जिस प्रकार मातामह से मिलनेवाली सम्पत्ति को मातामहक कहते थे, उसी प्रकार उपाध्याय या आचार्य से प्राप्त होनेवाली वस्तु औपाध्यायक या आचार्यक कही जाती थी। इससे स्पष्ट है कि सन्तान के न होने पर शिष्य आचार्य की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता था।^६

कुल के घटको का सापेक्षिक महत्त्व—परिवार में प्रत्येक सदस्य का स्थान उसकी आयु के क्रम से था। एक ही पीढ़ी के लगभग समान वय के स्त्री-पुरुषों में पुरुष का स्थान स्त्री के ऊपर माना जाता था। स्त्री पुरुष में ही अन्तर्भूत मानी जाती थी। इसीलिए, पितरौ, भ्रातरौ, पुत्री, श्वशुरी आदि में पिता, भ्राता, पुत्र, श्वशुर आदि के द्विवचन में उल्लेख से उनके साथ माता, बहन दुहिता या पुत्री और श्वश्रू का भी बोध हो जाता था।^७ वृद्ध पुरुष या स्त्री का नामोल्लेख कर देने से युवापत्य भी उसमें सम्मिलित मान लिया जाता था।^८ जैसे गार्ग्यौ (द्विवचन) कहने से गार्ग्य और गार्ग्यणि (उसके बाद का वचन) दोनों का ग्रहण हो जाता था। वृद्ध स्त्री के द्विवचन में उल्लेख से युवापत्य भी उसमें अन्तर्निहित स्वीकार कर लिया जाता था, किन्तु उस स्त्रीचाचक शब्द को पुलिंग के समान बना दिया जाता था।^९ जैसे गार्गी और गार्ग्यणि (अगली पीढ़ी की सन्तान) के लिए 'गार्गी', दाक्षी और दाक्षायण के लिए 'दाक्षी', वात्स्या और वात्स्यायन के लिए 'वात्स्या' कह देना पर्याप्त था। ऐसे स्थल में अवशिष्ट स्त्रीलिंग शब्द का पुचद्भाव कर देना पुरुष की प्रधानता को सुरक्षित रखने की अप्रत्यक्ष चेष्टा का सुन्दर निदर्शन है, क्योंकि गार्गी, वात्सी, दाक्षी आदि के पुलिंग रूप उनके पति के बोधक हैं। इसलिये, सम्मान-रक्षार्थ उसे युवापत्य

१. ६-१-१२ पृ० ३६।

२. ४-३-७७ तथा ६-३-२३।

३. २-१-१, पृ० २३२।

४. १-१-५६, पृ० ३३८।

५. ६-३-८७।

६. ४-२-१०४, पृ० २०८, ९।

७. १-२-६८ तथा १-२-७०, ७१।

८. १-२-६७ तथा २-१-६५।

९. २-१-६६।

की अपेक्षा भले महत्त्व देने के लिए अवशिष्ट रखा जाता हो, वास्तव में इस अवशेष का कारण उसके पति की प्रधानता थी, उसकी स्वयं की नहीं। यह बात पुत्रकार्य से स्पष्ट हो जाती है। इस उदाहरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवार या वंश पितृमूलक था। अतः, वागिक सम्बन्धों में स्त्री-गुरुष की छायामात्र थी, किन्तु अभ्याहितता की दृष्टि से उसका स्थान सुरक्षित था। इसीलिए, माता और पिता का समास होने पर मातापितरौ में अभ्याहित माता शब्द का प्रयोग प्रथम दिखाई पड़ता है।^१

कुल-मित्र—रक्त-सम्बन्ध से भले न हो, किन्तु व्यवहार में मित्र भी परिवार के अति निकट होते हैं। मैत्री व्यक्तिगत तथा परिवारों की अलग-अलग रहती थी। कभी-कभी यह मैत्री दो परिवारों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती थी। इस प्रकार, कुल-मित्र भी होते थे।^२ मित्र की सद्भावना पूर्ण होने के कारण सुहृद् कहते थे। इसका ठीक उल्टा दुहृद् (शत्रु) था।^३ सखि और मित्र समानार्थी थे। सखा का स्नेह-व्यवहार सख्य कहलाता था। यह पारस्परिक होता था।^४ मित्रता की भावना से किसी की ओर सात ङग चलना मैत्री के लिए पर्याप्त था। इसलिए, सख्य को साप्त-पदीन कहते थे।^५ सम्भवतः, यह विशेषण वैवाहिक साप्तपदी के आधार पर बना था, जिसका मूल अर्थ दाम्पत्य-सम्बन्ध था। वाद में लक्षणा से सामान्य मैत्री के लिए साप्तपदीन शब्द का प्रयोग होने लगा।

मित्रता को सगत भी कहते थे। ऐसी मैत्री, जो कमी डीली न पड़े, अजर्य कहलाती थी। इसी अर्थ में मैत्री से भिन्न प्रसंग में अजर या अजिरता शब्द का व्यवहार होता था।^६ सगतकरण या मित्रकरण आवश्यकतावश भी होता था। यात्री लोग अपनी मुविवा के लिए 'रथिको और अश्वारोहो से मैत्री' करते हैं, यह उदाहरण भाष्य में मिलता है। मित्रों की कोटियाँ उनके सौहार्द के स्थायित्व तथा गाम्भीर्य के आधार पर सुसखा, परमसखा आदि की जाती थी।^७

कुलातिथि—अतिथि परिवार का स्थायी नहीं, किन्तु आकस्मिक अंग था। आतिथ्य परिवार का धर्म था। अतिथि को अर्घ्य पाद्य, अर्थात् पीने और पाँव धोने के लिए तो उसके आने के साथ ही दिया जाता था।^८ उसे घर में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ठहराया जाता था, इसीलिए उसे दुरोणसत्^९ कहते थे। भिन्न-भिन्न कोटि के अतिथियों का स्वागत उनके अनुरूप होता था। किसी को मांसोदन खिलाया जाता था। कोई मटर या उड़द की दाल (कालाय-सूप) का ही अधिकारी होता था। किसी को श्वेतच्छत्र भेंट किया जाता था। श्वेतच्छत्र विशेष सम्मान के लिए उसके बैठने या ठहरने के लिए लगाया जाता था। ऐसे अतिथि क्रमशः मासौदनिक, कालाय-

१. २-२-३४, पृ० २९० ।

२. ६-२-१०६, पृ० २७७ ।

३. ५-४-१५०

४. ५-१-१२६, आ० १, पृष्ठ ८ ।

५. ५-२-२२ ।

६. ३-१-१०५, पृ० १८३ ।

७. १-३-२५, पृ० ६४ ।

८. १-१-७२, पृ० ४५६ ।

९. ५-४-२५ ।

१०. ३-२-६१, पृ० २२५ ।

सूपिक और श्वेतच्छत्रिक कहलाते थे।^१ आचार्य, राजा और श्रोत्रिय का स्वागत गोमास से किया जाता था। यह उनके प्रति विशेष सम्मान के प्रदर्शन के लिए था। इसलिए, इन्हें गोष्ण अतिथि कहते थे।^२ कुछ अतिथि व्यक्तिविशेष के न होकर सारे गाँव के माने जाते थे और गाँव के सारे परिवार या कुल उनकी सेवा करते थे।^३ अतिथि के सत्कार को आतिथ्य और सत्कार करने वाले को अतिथेय (स्त्री आतिथेयी) कहते थे।^४

कुल-भृत्य—सेवको या कर्मकरो मे वृहत्-से स्वामी के घर ही रहते थे और भोजन-वस्त्र पाते थे। जो नहीं रहते थे, वे भी काम के लिए अपना अधिकांश समय वहीं बिताते थे। ऐसे नौकरो मे उदहार,^५ वैवधिक^६ आदि थे। उदवीवव जल ढोने का साधन था। धनी परिवारो मे द्वारपाल^७ या दौवारिक, मणिपाली,^८ अम्भ्यग,^९ स्नान,^{१०} लेप आदि करनेवाले भृत्य तथा राजपरिवारो मे दण्ड-ग्रह, छत्रग्रह^{११} आदि भी रहते थे। ये सब किंकर भी कहलाते थे।^{१२}

इस प्रकार, परिवार या कुल पितृवश, मातृवश, विद्यायोगिक सम्बन्धी, मित्रगण, अतिथि, भृत्य आदि की समष्टि थी। यह समाज का मुख्य तथा शक्तिशाली घटक था।

सपिण्ड—कुल के बाद सपिण्डो का स्थान था। पिता की सात तथा माता के वश की पाँच पीढियाँ सपिण्ड कहलाती थी।^{१३} यदि किसी परिवार मे स्थविरतर सपिण्ड जीवित होता, तो उसके पौत्र, प्रपौत्रादि को युवा^{१४} करते थे।

वंश—वश एक परम्परा थी। वश एक पीढी से दूसरी पीढी मे बढ़ता हुआ स्थायी सामाजिक अंग था। व्यक्ति की अगली पीढियाँ उसकी वश्य कहलाती^{१५} थी। रक्तवश पिता द्वारा प्रचलित माना जाता था। सामान्यतया स्त्री के नाम पर वश नहीं चलता था। कुछ लोग मातृवश और पितृवश दोनों मानते थे और देश के कुछ भागो मे मातृवश भी प्रचलित था।^{१६} वश और सम्बन्ध प्रायः पर्याय थे। योनि-सम्बन्ध या वश के अतिरिक्त विद्या-वश या विद्या-संबन्ध भी प्रचलित था। आचार्य की शिष्य-परम्परा उसका वश मानी जाती थी। उदाहरणार्थ—व्याकरण की तीन मुनि 'वश्य' माने जाते रहे।^{१७} 'त्रिमुनिव्याकरणस्य' का अर्थ वह व्याकरण था, जिसमे तीन मुनि वश्य रहे हों। भारद्वाज की इत्कीस पीढियाँ तथा गौतम की तिरपन पीढियाँ भाष्यकार के समय तक ही चुकी थी।^{१८} भाष्य के 'एकविंशति भारद्वाजम्' और त्रिपञ्चाशद् गौतमम्' ये उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि लोग अपने परिवार की वशावली तैयार रखते थे। न केवल वशावली, अपितु उनका

१. ४-१-१९, पृ० ३०९।

२. ३-४-७३।

३. २-२-२४, पृ० ३३६।

४. ५-४-२६, तथा ४-४-१०४।

५. ६-३-६०।

६. वही, तथा ४-४-१७, पृ० २७५।

७. ७-३-४।

८. याजकादिगण, ६-२-५१ तथा २-२-९।

९. महिष्यादिगण, ४-४-४८ तथा ६-२-५१।

१०. वही, तथा २-९-२।

११. रेवत्यादिगण, ४-१-१४६।

१२. ३-२-२१, पृ० २१३।

१३. ४-१-१६५, पृ० १५७।

१४. वही।

१५. ४-१-१४७, पृ० १४६।

१६. वही।

१७. २-१-१९, काशिका।

१८. २-४-८४, पृ० ५१५।

सक्षिप्त इतिहास भी उन्हें ज्ञात रहता था। तभी इस बात का पता लगना सम्भव था कि किसके वंश में दस पूर्वज पीढ़ियों तक अशिक्षित और कर्तव्यच्युत लोग नहीं हुए हैं। सोमपान के अधिकारी का निर्णय करते समय पहली दस पीढ़ियों का इतिहास देखा जाता था।^१

सगोत्र—सामाजिक संगठन में गोत्र का महत्त्व पतञ्जलि-काल में बहुत अधिक था। वंश के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम पर उस वंश का नाम पड़ जाता था। विद्या, बल, कार्य आदि किसी दृष्टि से कोई पुरुष महत्त्वपूर्ण हुआ, तो उसकी सन्तानों को लोग उसके नाम से जानने लगते थे आगे चलकर पौत्र, प्रपौत्र आदि उसके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने लगते थे। भाष्यकार के समय में यह प्रथा इतनी अधिक थी कि पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा अगली पीढ़ियों के नाम पूर्वज के नाम के आचार पर रखने के लिए कुछ नियम निश्चित कर दिये गये थे।

गोत्र शब्द के दो अर्थ थे—सामान्य अपत्य या सन्तान तथा व्याकरणशास्त्र का पारिभाषिक गोत्र। प्रथम लौकिक व्यवहार में प्रचलित था^२ और उसका प्रयोग सम्मान या प्रतिष्ठा के द्योतन के लिए होता था। ऐसा वहाँ होता था, जहाँ परिवार में कोई पूर्वज सम्मानित व्यक्ति होता था। सन्तान अभिमान-पूर्वक अपने गोत्र का उल्लेख करती थी।^३ लौकिक गोत्रों में आर्ष और अनार्ष दो प्रकार होते थे। आर्ष गोत्र विद्या-सम्बन्ध से तथा अनार्ष^४ गोत्र योनि-सम्बन्ध से माने जाते थे। शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें गोत्रादयव कहते थे। जैसे कुणिक, भुणिक या मुखर नामक व्यक्तियों के प्रसिद्ध हो जाने के कारण उनकी सन्तानें, भले ही वे उन गुणों से सम्पन्न न हों, कौणिक, भौणिक या मौखरि कही जाती थी। स्त्री कौणिक्या, भौणिक्या या मौखर्या कहलाती थी।^५ व्याकरण-शास्त्र में पौत्र से लेकर अगली प्रपौत्रादि सन्तान को गोत्र कहते थे^६, किन्तु यदि गोत्रापत्य का प्रपिता-मह, पितामह, पिता, बडा भाई या गोत्र में अन्य कोई सपिण्ड स्थविरतर जीवित होता था, तो उसे युवा कहते थे।^७ गर्ग की पौत्रादि के वाद की सन्तान (गोत्र) को गार्ग्य और युवापत्य को गार्ग्या-यण कहते थे। इसी प्रकार वत्स, वात्स्य, वात्स्यायन, प्लक्ष, प्लाध्य, प्लाक्षायण, दक्ष, दाक्ष्य, दाक्षायण आदि कहलाते थे। इनकी सामान्य सन्तान (पुत्रादि) को गार्गि, वात्सि, प्लाक्षि, दाक्षि कहते थे। भाष्यकार ने गोत्र के प्रारम्भ का उल्लेख करते हुए कहा है कि ऊर्ध्वरेतम् ऋषि (सन्तान का जनन या अजनन जिनके अधिकार की बात थी) अट्टासी सहस्र हुए हैं। उनमें कश्यपादि सात तथा आठवे अगतस्य ने सन्तान उत्पन्न करना स्वीकार किया था। उनकी सन्तान गोत्र कहलाती हैं।

१. एवं हि याज्ञिकाः पठन्ति वंशपुरुषानूकं यस्य गृहे शूद्रा न विद्येरन् स सोमं पिबेदिति—
४-१-९३, पृ० १२०।

२. २-४-६२, पृ० ५०२।

३. २-३-१८, पृ० ४२०।

४. ४-१-७८।

५. ४-१-७९ काशिका।

६. ४-१-१६२, पृ० १५४।

७. ४-१-१६३, पृ० १५५।

उपचारात अन्यो को भी गोत्र कह देते हैं।^१ वास्तव मे ये गोत्रावयव है। लौकिक व्यवहार मे युवा आदि सभी सन्तानों को गोत्र कहते थे।^२ उदाहरणार्थ—बालक से लोग पूछते थे, 'वन्धे, तुम्हारा गोत्र कौन-सा है।' इस प्रकार गोत्र शब्द वश के अन्त मे प्रयुक्त होता था।^३

सवर्ण का उल्लेख ऊपर हुआ है। वर्ण या जाति का क्षेत्र गोत्र की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक था। एक ही वर्ण या जाति के लोग परस्पर एक दूसरे को वन्धु समझते थे। वन्धुत्व जाति को एक सूत्र मे बाँधनेवाली डोर था। वन्धु शब्द ब्राह्मणादि जाति का अभिव्यजक था। वन्धुत्व के द्योतन के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ब्राह्मणजातीय, क्षत्रियजातीय या वैश्यजातीय कहते थे।^४

सजनपद—एक जनपद मे रहनेवाले भी अपने को परस्पर एक सूत्र मे आवद्ध मानते थे। ये सजनपद कहलाते थे।^५ यो तो जन विशिष्ट सघो, मुख्यतः क्षत्रिय-सघो को कहते थे, जैसे भरतजन या पचालजन। जब ये लोग स्थायी रूप से एक स्थान में बस गये, तब वह स्थान जनपद कहा जाने लगा और उसका नाम उस जाति या सघ के नाम पर पड़ गया, जो मुख्यतः उस प्रदेश का निवासी था। इस प्रकार, अधिकांश जनपदों के नाम विभिन्न क्षत्रिय जातियों के नाम पर निश्चित हुए। किन्तु, इन जनपदों मे केवल क्षत्रिय ही नहीं, अन्य वर्ण या जातियाँ भी रहती थीं और वे सब सजनपद कहलाती थीं। इन प्रदेशों के स्वामी क्षत्रियों को जनपदी कहते थे।^६ जनपद के नाम से उसके निवासी पुकारे जाते थे।

अन्य घटक—पाणिनि ने कुल और वश के अतिरिक्त सवन्धु, सवचन, सवय, सवर्ण, सस्थान, सरूप, सगोत्र, सनाम, सज्योति, सजनपद और सनाभि शब्दों का भी प्रचलन बतलाया है। सवन्धु एक ही जाति के लोग होते थे। सवचन एक भाषा बोलनेवाले कहलाते थे। सवय एक साथ खेलने-कूदनेवाले; सस्थान एक ही ग्राम या नगर के निवासी, सरूप एक ही रूपाकृति के लोग, सगोत्र एक गोत्र की सन्तानें, सनाम तुल्य नाम के लोग, यथा राम (रामचन्द्र, बलराम, परशुराम), सज्योति कुण्डली मे एक-से ग्रहवाले, सजनपद एक जनपद के निवासी और सनाम एक ही मूल वश्य की सन्तानें कही जाती थीं। सोदर, सतीर्थ्य, सब्रह्मचारी आदि के समान ये लोग भी परम्पर सम्बद्ध होते थे। नाभि, वर्ण, स्थान, वचन ये सब लोगों को एकसूत्रता मे आवद्ध करने के साधन थे।^७ इनमे सनाभि सपिण्ड से भी व्यापक शब्द था। एक मूल पुरुष से उत्पन्न सन्तान, भले ही वह वींसियों पीढी पहले से अलग हो चुकी हो और दूर-दूर स्थानों मे रहती हो, सनाभि मानी जाती थी।

१. अष्टाश्रीतिः सहस्राण्यूर्ध्वरेतसामृषीणांबभूवुस्तत्रागस्तप्याष्टमैर्द्धृषिभिःप्रजानोभ्युपगतः तत्रभवतो यदपत्यं तानि गोत्राणि। अतोऽन्ये गोत्रावयवाः।—४-१-७९, पृ० ८८।

२. अथवाप्त्यो गोत्रसजो भवतीति वक्तव्यम्।—४-१-१६३, पृ० १५६।

३. ४-१-९०, पृ० ११२।

४. ५-४-९, काशिका।

५. ६-३-८५।

६. ४-३-१००, काशिका।

७. ५-३-८५।

लोक--जनसाधारण को लोक कहा जाना था।^१ इन्हीं से 'लोग' शब्द बना है। लोक में आर्यों का अपना वर्ग था। 'आर्य' शब्द सामाजिक संगठन का परिचायक था।^२ शिष्ट, अशोनी तथा आचारवात् लोग अपने को आर्य कहते और एक मूत्र में आबद्ध मानते थे, यद्यपि इनके प्राच्य, उदीच्य, दाक्षत्य आदि भेद-प्रदेव भेद के अनुसार थे।^३ भाषा तथा रीति-रिवाज की दृष्टि में भी इनमें थोड़ा अन्तर था, किन्तु सामाजिक दृष्टि से वे एक थे।

१. अन्यत्रोऽहं लोके न त्वहं लोकः ।—आ० १, पृ० २० ।

२. आ० १, पृ० २१ ।

३. वही तथा अ० १, पृ० १८ ।

अध्याय २

वर्ण और जाति

चातुर्वर्ण्य—भाष्य में चार वेदों, चार वर्णों और चार आश्रमों का उल्लेख है। इन्हें 'गमन चातुर्वेद्य, चातुर्वर्ण्य और चातुराश्रम्य कहते थे। भाष्यकार ने ब्राह्मणादिगण (५-१-१२४) के चातुर्वर्ण्यादि में आश्रमों और वेदों को परिगणित कर लिया है।^१ इससे स्पष्ट है कि भाष्यकार के समय में यह चतुष्टय-त्रयी समाज में भली भाँति प्रतिष्ठित थी। इस समय वेदत्रयी नहीं, अपितु वेदचतुष्टयी स्वतः प्रमाण मानी जाती थी। जीवन भी तीन में नहीं, चार आश्रमों में विभक्त था। इसी प्रकार, समाज के भी चार व्यवस्थित विभाग हो चुके थे।

जाति—वर्णों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, विद् और जूद्र ये नाम भाष्य^२ में आये हैं। पाणिनि ने वर्ण शब्द का उल्लेख ब्राह्मणादि^३ वर्ण, लिंग या चित्त^४ और रग^५ तीनों अर्थों में किया है। वर्णों के भीतर, किन्तु और अधिक व्यापक अर्थ में जाति शब्द का प्रचलन इस समय हो चुका था। जाति ने गोत्रों और चरणों को भी अन्तर्भूत कर लिया था।^६ यह युग चरणों के भी उत्कर्ष का था। गोत्र और चरण भिन्न-भिन्न घरों या वंशों में जन्मे और पृथक् विद्या-संस्थाओं में पढ़े व्यक्तियों के विशिष्ट व्यक्तित्वों के परिचय में मुख्य सहायक हो सकते थे। इससे दो बातें हुईं। प्रथम तो प्रत्येक जाति किसी-न-किसी वर्ण के अन्तर्गत रही। दूसरे, वर्ण केवल चार थे और सारे समाज को चार भागों में बाँट देने पर प्रत्येक के भीतर इतना विशाल जनसमूह आता था कि उसमें विभिन्न व्यक्तियों के उत्कृष्ट गुणात्मक या क्रियाशीलात्मक परिचय के लिए अवकाश न था। इसलिए, प्रारम्भ में, जिन लोगों के पूर्वज श्रेष्ठ थे, उन्होंने अपने को उनके नाम से पुकारना प्रारम्भ किया। जिनके वंश में प्रख्याति की कोई बात न थी, उन्होंने अपनी आख्या अपने आचार्य के नाम पर प्रारम्भ की। भाष्यकार की जाति की परिभाषा में समाज की यही मनोवृत्ति प्रतिबिम्बित है? धीरे-धीरे जब चरणों के अपकर्ष का समय आया, तब केवल वंश ही अभिमान की वस्तु रह गया।

१. ५-१-१२४, पृ० ३६४।

२. सर्व एते शब्दा गुणसमुदायेषु वर्तन्ते ब्राह्मणः सत्रियो वैश्यः शूद्र इति।—५-१-११५, पृ० ३४७ तथा २-२-३४, पृ० ३४१।

३. ५-२-१३२।

४. ५-२-१३४।

५. २-१-६९ तथा ४-१-३९।

६. आकृतिग्रहणाज्जातिलिङ्गानां च न सर्वभाक्।

सकुदाख्यातनिर्ग्राह्या गोत्रं च चरणैः सह।। ४-१-६३, पृ० ७२।

चरण केवल ब्राह्मणों तक सीमित रह गये। अन्य लोग उनपर अभिमान न कर सकते थे। इस कारण धीरे-धीरे गोत्रों की प्रधानता हो गई और चरण गौण पड़ गये। इस स्थिति में जाति जन्मना मानी जाने लगी। भाष्यकार ने जाति को जनन से प्राप्य कहा। उसमें उत्कर्षापकर्ष नहीं हो सकता था।^१ भाष्यकार ने एक स्थान पर जाति और वर्ण में भेद किया है। जाति जन्म से प्राप्त होती है और वर्ण जन्म तथा गुणकर्म दोनों से। जिसमें अपने वर्ण के गुण नहीं होते, वह जाति-ब्राह्मण या जाति-क्षत्रिय ही कहा जाता था। जाति-ब्राह्मणादि शब्द इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते थे कि वह व्यक्ति अपनी योग्यता से अपने वर्ण का अधिकारी^२ नहीं है।

पाणिनि ने चरणों को भी जाति के अन्तर्गत माना है। काशिकाकार ने भी कठ, कालाप आदि को जातिवोधक मानकर 'कतरकतमी जातिपरिप्रश्ने' (२-१-६३) तथा 'वा बहूना जाति-परिप्रश्ने डतमच्' (५-३-९३) सूत्रों के उदाहरणों में सगृहीत किया है तथा 'जातिश्च' (६-३-४१) में कठी, बहूची को जाति का उदाहरण माना है।^३ भाष्यकार ने गोत्र के आधार पर प्रयुक्त जाति शब्दों में झवन्ती, कुन्ती, गान्बारी ये उदाहरण दिये हैं, जो इन देशों के राजाओं के स्त्री-अपत्य के वाचक हैं।^४ गोत्र, जिसके आधार पर जाति मानी जाती थी, पीत्र के वाद की सन्तान, अर्थात् प्रपौत्र (चौथी पीढ़ी) से प्रारम्भ होता था।^५ इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि जाति का मूल जन्म के आधार पर व्यक्तियों के वर्गीकरण में है। व्यवसाय या शिल्प के आधार पर जातियाँ पतञ्जलि के समय तक नहीं पाई जाती थी। भाष्य में यद्यपि अनेक व्यवसायों की चर्चा है, किन्तु उनके आधार पर जाति के नामकरण का संकेत कहीं नहीं मिलता। इस प्रकार, स्वर्णकार, कुम्भकार, कर्मार, नापित, चर्मकार आदि को भाष्य ने शिल्पकार माना है, जाति-विशेष नहीं। इन्हे जाति रूप बहुत बाद में प्राप्त हुआ जान पड़ता है।

ब्राह्मण—भाष्यकार ने जिस क्रम से चारों वर्णों का उल्लेख किया है, वही उनके सामाजिक सम्मान का भी क्रम था। ब्राह्मणों का स्थान^६ प्रथम था। भाष्यकार का काल ब्राह्मणों का सुवर्णकाल जान पड़ता है। 'ब्राह्मण क्षत्रिय विट् सूद्र' यह वर्णों की आनुपूर्वी थी, जिसमें ब्राह्मण भूर्धन्य थे।^७ ब्राह्मण माता-पिता से उत्पन्न, विद्वान् तथा ब्राह्मणों के विहित कर्मों को करनेवाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता था।^८ इस प्रकार जन्म, विद्या और कर्म इन तीनों बातों से वर्ण का निर्धारण

१. जननेन या प्राप्यते सा जातिर्न चैतस्यार्थस्य प्रकर्षापकर्षो स्तः।—५-३-५५, पृ० ४४७।

२. तपः श्रुतं च योनिश्चेत्येतद् ब्राह्मणकारकम्।

तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः॥—२-२-६, पृ० २४०।

३. ६-३-४१ काशिका।

४. ४-१-१४, पृ० ३६ तथा ४-१-१७७, ७८।

५. ४-१-१६२।

६. ५-१-११५, पृ० ३४७।

७. २-२-३४, पृ० ३९१।

८. त्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्च कर्म च।

एतच्छिवे विजानीहि ब्राह्मणाप्र्यस्य लक्षणम्॥—४-१-४८, पृ० ६२।

होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि शब्द गुणो के आधार पर प्रयुक्त होते थे। जन्म, शास्त्राम्यास और तपस् (श्रेष्ठ कर्म, त्याग) ये किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाते थे। जो व्यक्ति विद्या तथा तप से हीन होता था, उसे जाति-ब्राह्मण (केवल जन्म से ब्राह्मण) कहते थे।^१ इनके अतिरिक्त ब्राह्मण के परिचायक कुछ बाह्य लक्षण थे। ब्राह्मण प्राय गौरवर्ण, शुद्धाचरण, पिंगलाक्ष, और कपिलकेश होते थे। ये लक्षण भी ब्राह्मण की परिभाषा के अन्तर्गत थे और उन्हें देखकर लोग व्यक्ति के ब्राह्मण होने का अनुमान कर लेते थे।^२ फिर भी, जिस प्रकार किसी समुदाय के लिए प्रयुक्त होनेवाला शब्द उसके अवयवों के लिए भी प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार उपर्युक्त समस्त गुणों से युक्त व्यक्ति को भी ब्राह्मण कहते थे और उनमें से एक या दो से हीन को भी। उदाहरणार्थ, बैठकर मल-त्याग करना, भोजन करना ये ब्राह्मण के गुण थे, किन्तु यदि कोई ब्राह्मण खड़े-खड़े मूत्र-त्याग करता या चलते-चलते खाता था, तो भी उस अनब्राह्मणाचार को ब्राह्मण कहा ही जाता था। गौर, शुभ्याचार आदि गुणों से युक्त व्यक्ति अन्य वर्णों में भी थे। ऊपर-ऊपर के लक्षणों से भी कभी-कभी उनके ब्राह्मण होने की भ्रांति हो जाती थी। वाद में पता चलता कि वह ब्राह्मण नहीं है। ऐसे प्रकरणों में सन्देह भ्रांति का कारण होता था और जाति सन्देह निवारण करती थी। किसी ने किसी स्थान के विषय में कह दिया कि वहाँ ब्राह्मण मिलेगा। वहाँ जाकर जो व्यक्ति देखा, उसे ब्राह्मण समझ लिया। ऐसे प्रकरणों में भ्रांत निर्देश सन्देह का कारण होता था और जाति-ज्ञान उसका निवर्तक। फिर भी, सन्देह समान-रूप-गुणवालों के विषय में ही हो सकता था। उरद के समान काले रंग के पुरुष को दूकान पर बैठा देखकर उसके विषय में किसी को ब्राह्मण होने का सन्देह नहीं होता था।^३

भाष्यकार के इस सम्पूर्ण कथन से कई बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम, यह कि ब्राह्मणों का वर्ण गौर था। शायद ही कोई ब्राह्मण काले रंग का हो। रंगों का मिश्रण आगे चलकर हुआ। दूसरे, वर्ण अभिमान एवं उच्चता का द्योतक था। इस वर्ण (रंग) के आधार पर ही त्रिवर्ण की सृष्टि हुई थी। तीसरे, ब्राह्मण सामान्यतया तप-स्वाध्याय-रत समाज था। पण्य से शायद ही कोई ब्राह्मण जीवन-यापन करता हो। चौथे, जो ब्राह्मण अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते थे, वे हेय दृष्टि से देखे जाते थे, किन्तु ब्राह्मण माने जाते थे।

वर्ण और जाति दो पृथक् वस्तुएँ थीं। जाति जन्म से प्राप्त हो जाती थी। उसमें घट-वृद्ध को स्थान न था। जो जिस गोत्र में उत्पन्न होता था जिस चरण में पुनर्जन्म पाता, उसी के नाम पर उसकी जाति पुकारी जाती थी। चरणों के आधार जाति केवल द्विजन्मा, विशेषत कुछ ब्राह्मणों की होती थी। व्यवसाय या शिल्प के आधार पर भी वर्ण थे। जो जिस व्यवसाय के

१. सर्व एते शब्दाः गुणसमुदायेषु वर्तन्ते, ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्यः शूद्र इति। गौर, शुभ्याचारः, पिङ्गलः, कपिलकेशः, इत्येतानप्यभ्यन्तरान् ब्राह्मण्ये गुणान् कुर्वन्ति। समुदाये ब्राह्मणशब्दः प्रवृत्तोऽवयवेष्वपि वर्तते जातिहीने गुणहीने च।—न ह्ययं काल मायराशिवर्णभाषण आसीनं दृष्ट्वाध्यवस्थति ब्राह्मणोऽयमिति।—२-२-६, पृ० ३४०।

२. २-२-६, पृ० ३४०।

३. वही।

परिवार में उत्पन्न होता, वही उसका व्यवसाय होता था, पर ऐसा कोई नियम न था। धीरे-धीरे कर्मार, कुम्भकार, मालाकार आदि परिवार में उत्पन्न लोगों की जाति भी कर्मार आदि होने लगी। इस समय जाति केवल कुल या वंश की परिचायिका थी। इससे अधिक उसका कोई महत्त्व न था। वर्ण का क्षेत्र इतना व्यापक न था, यद्यपि वह जाति से उच्च कोटि की वस्तु थी। वर्ण अनायास नहीं प्राप्त हो जाता था। उसके लिए तदुचित गुण-कर्म और स्वभाव का अर्जन आवश्यक था। उदाहरणार्थ, ब्राह्मणत्व के लिए तप और श्रुति ये अर्हताएँ निश्चित थी। इस प्रकार, पतजलि-काल में वर्ण और जाति आज के समान परस्पर उलझे हुए न थे। वे पृथक्-पृथक् समझे और माने जाते थे। भाष्य के ब्राह्मणकारक और जाति-ब्राह्मण' शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हैं। जाति-ब्राह्मण, ब्राह्मण से छोटा माना जाता था। आगे चलकर वर्णकारकत्व क्षीण होता गया और जाति प्रमुख बनती गई। यहाँ तक कि वर्ण को अपने अस्तित्व के लिए जाति का आश्रय लेना पड़ गया।

शुच्याचार दैनन्दिन व्यवहार में परिलक्षित था। ब्राह्मण नित्य दन्त-मार्जन, स्नान आदि करते थे। भाष्य का 'ब्राह्मण के दाँत शुक्ल हैं, वृषल के कृष्ण हैं', यह कथन इस ओर संकेत करता है।^१ शुचिता समाज में ब्राह्मण को उच्च स्थान दिलाये थी।^२ शिष्ट ब्राह्मणों का पद सामान्य ब्राह्मण से ऊँचा था। आर्यावर्त के वे ब्राह्मण, जो केवल दिन-दो दिन खाने भर से अधिक धान्य संचित नहीं करते थे, लोलुपता से अस्पृष्ट रहते थे, इन्द्रियों के वर्गीभूत नहीं होते थे और थोड़े बहुत अन्तर से किसी-न-किसी एक विद्या में पारगत अवश्य होते थे, वे शिष्ट कहलाते थे। केवल शास्त्र-पारगत शिष्ट नहीं माने जाते थे। भाष्यकार ने कहा है कि केवल शास्त्र जाननेवाले को शिष्ट कहने में अन्योन्याश्रय दोष है, क्योंकि शास्त्र से शिष्टि प्राप्त होती है और शिष्टि से शास्त्र।^३ इसलिए, कुम्भीवान्य, अलोलुप, अगृह्यमानकारण, विद्या-विशेष-पारग-आर्यावर्तीय ब्राह्मण को शिष्ट कहना चाहिए। नियमित स्नानादि क्रियाएँ करनेवाले ब्राह्मण भोगवान् कहे जाते थे।^४ शिष्ट, भोगवान् आदि विशेषण ब्राह्मणों को तप, आचार, स्वाध्याय की प्रेरणा के लिए थे। कुछ बातें तो ब्राह्मण के लिए अनिवार्य थीं। उसे शब्द-विद्या या व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था।^५ भाष्यकार ने अष्टाध्यायी को 'शिष्टज्ञानार्थी' कहा है। अष्टाध्यायी का अध्ययन करनेवाला

१. २-२-६, पृ० ३४०।

२. अब्राह्मणोऽयं यस्तिष्ठन् मूत्रयति। अब्राह्मणोऽयं यो गच्छन् भक्षयति।—२-२-६, पृ० ३४० तथा २-२-११, पृ० ३४५।

३. वही।

४. एतस्मिन्नार्यनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या अलोलुपा अगृह्यमानकारणाः किञ्चिदन्तरेण कस्याञ्चिद् विद्यायाः पारगास्तत्रभवन्तः शिष्टाः।—६-३-१०९, पृ० ३५९।

५. वही।

६. ५-१-१, पृ० ३००।

७. आ० १, पृ० ३।

ही जान सकता है कि कौन शिष्ट है और कौन नहीं।^१ विना व्याकरण के अपशब्दों का सम्यक् ज्ञान नहीं होता। अपशब्द म्लेच्छ हैं। यदि ब्राह्मण व्याकरण का अध्ययन न करता, तो वह म्लेच्छ (अपशब्द) शब्दों का प्रयोग कर म्लेच्छन और अपभाषण के दोष का भागी माना जाता।^१ मनीषी ब्राह्मण नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चारों में सीमित पदों को जानते थे। वे जानते थे कि परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी में किसका कौन-सा स्थान है और मनुष्य की कौन-सी वाणी व्यवहार में दिखाई पड़ती है और कौन गुह्य रहती है।^१

श्रुति का अध्ययन ब्राह्मण का धर्म था। इसी से उसे ब्रह्मण्य या ब्राह्मण्य प्राप्त होता था।^१ श्रुति का अधीती ब्राह्मण श्रोत्रिय कहलाता था। श्रोत्रिय का स्वभाव या अध्ययन-कर्म श्रुत कहा जाता था।^१ एतदर्थं जन्म से आठवें वर्ष उसका उपनयन कर दिया जाता था और उससे श्रुति का अध्ययन प्रारम्भ कराया जाता था। ब्राह्मण-बालक के माता पिता एतदर्थं बालक को बचपन से तैयार करते थे। उसके अनेक याज्ञिक कर्मों में वासन्तिक याग भी था, जो ब्राह्मण का ही कर्त्तव्य था।^१ इस प्रकार, यह उसका कष्ट-साध्य, तप पूत, दायित्व-पूर्ण सात्त्विक जीवन था, जिसने समाज में उसे अद्वितीय प्रतिष्ठा प्रदान की थी। उसकी यह प्रतिष्ठा शक्ति के नहीं, त्याग और निःस्पृहता के कारण थी।

ब्राह्मण लोग मद्य नहीं पीते थे। अन्य वर्णों की स्त्रियाँ मद्य पी सकती थी, किन्तु ब्राह्मणी के लिए सुरा सर्वथा वर्जित थी। शास्त्रों की आज्ञा थी कि सुरापों ब्राह्मणी को परलोक में पति का सयोग नहीं प्राप्त होता।^{१०}

कुछ ब्राह्मण आयुष्यजीवी भी होते थे। ब्राह्मण के समस्त गुणों के अर्जन के साथ वे शस्त्र-विद्या में, जिसका महत्त्व अन्य विद्याओं से कम न था, पारंग होते थे। ऐसे ब्राह्मण सगठित रूप से एक साथ रहते थे। भाष्य में ब्राह्मणक जनपद का उल्लेख है।^६

ब्राह्मणों की सख्या समाज में अधिक थी। बहुत-से गाँवों में तो पाँच काष्णहों को छोड़कर शेष घर ब्राह्मणों के ही थे।^१ जहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ भी ब्राह्मणों के घर अनन्तर, अर्थात् पास-पास रहते थे, शायद ही कभी उनके बीच में वृषल-कुल रहता था।^{११}

भाष्यकार का युग विद्या की दृष्टि से ब्राह्मणों के चरम उत्कर्ष का युग नहीं था। अब

१. ६-३-१०९, पृ० ३५९।

२. आ० १, पृ० ४।

३. आ० १, पृ० ७।

४. ५-१-१२५।

५. ५-१-१३०, पृ० ३३६।

६. ६-१-८४, पृ० ११६।

७. या ब्राह्मणो सुरापी भवति नैनां देवाः पतिलोकं नयन्ति।—३-२-८, पृ० ३११।

८. ५-२-७१।

९. ब्राह्मणग्राम आनीयतामित्युच्यते तत्र चावरतः पञ्चकाष्ठीभवति।—१-१४८, पृ० २९।

१०. १-१-७, पृ० ११५।

जाति और ब्राह्मण भी पर्याप्त मिलने लगे थे। भाष्यकार से पूर्व जाति-ब्राह्मण और वर्ण-ब्राह्मण में अन्तर नहीं था; क्योंकि सभी ब्राह्मण स्वाध्याय को जीवन का लक्ष्य मानते थे। पहले यह प्रथा थी कि उपनयन-संस्कार के बाद ब्राह्मण-बालक व्याकरण का अध्ययन करते थे। जब वे वर्षों का उच्चारण-स्थान, आम्न्यन्तर प्रयत्न या करण और वाह्य प्रयत्न आदि का वैज्ञानिक स्वरूप समझ लेते थे, तब उन्हें वैदिक शब्दों का उपदेश किया जाता था। भाष्यकार के समय में स्थिति बदल गई थी। विद्यार्थी उपनयन के बाद कुछ वेदांश कण्ठस्थ करके कहने लगते थे कि वैदिक शब्द हमें वेद से मालूम हैं और लौकिक शब्द लोक-व्यवहार से ज्ञात हैं। फिर, व्याकरण की क्या आवश्यकता! ब्रह्म-बन्धु (कुत्सित ब्राह्मण) पुरुषो और स्त्रियो की सख्या बढ रही थी।^१ दान की अपेक्षा प्रतिग्रह की ओर ब्राह्मणों की दृष्टि अधिक थी। ब्राह्मणों को भोजन कराने की प्रथा अन्य वर्णों में थी।^२ लोग ब्राह्मणों को भोजनार्थ घर पर निमन्त्रित करते थे। इधर ब्राह्मण लोग भी निमन्त्रण की प्रतीक्षा करते रहते थे। भोजन तैयार हुआ नहीं कि उपस्थित। सम्भवतः कुछ, ब्राह्मण वाचक भी थे और भोजन तैयार होते ही यजमान के घर जा बसकते थे।^३ भोजन के विषय में समय की ओर ध्यान रखा जाता था। कुछ ब्राह्मण नमक नहीं खाते थे। कुछ श्राद्ध-भोजन नहीं करते थे।^४ कुछ लोग कभी-कभी केवल दूध पीकर रहते थे। ये पयोव्रत कहलाते थे।^५

ब्राह्मणों का सम्मान सर्वाधिक था। लोग बालक-ब्राह्मण का भी उठकर अभिनन्दन करते थे। वह अव्यय था।^६ घोड़े से भी ब्राह्मण को भारनेवाला पतित माना जाता था।^७ ब्रह्महा और भ्रूणहा दो महापातकी माने जाते थे।^८ इसका कारण यह था कि वेद-रक्षा का दायित्व ब्राह्मणों को सौंप दिया गया था और वेद अपौरुषेय माने जाते थे। वे ब्रह्म के प्रतिरूप थे। इसीलिए, ब्रह्म और वेद पर्याय-रूप में प्रचलित थे। वेदरक्षक के नाते ब्राह्मण ब्रह्म की सन्तान माने जाते थे। ब्रह्म से विभिन्न अर्थों में निष्पन्न होनेवाले ब्राह्म और ब्राह्मण शब्द में भेद किया गया था। ब्रह्म-सम्बन्धी ओषधि, हवि और जाति-भिन्न अपत्य ब्राह्मी और ब्राह्म कहे जाते थे।^९ जाति अर्थ में ब्रह्म की सन्तान ब्राह्मण कहलाती थी। इस प्रकार, ब्राह्मण साक्षात् वेद-पुत्र या ब्रह्मपुत्र माने जाने लगे थे।

१. आ० १, पृ० १०।
२. १-२-४५, पृ० ५३८; १-१-४८, पृ० ३७४ आदि।
३. ६-१-४९, पृ० ७९।
४. २-३-६४, पृ० ४५१।
५. २-१-१, पृ० २३२।
६. आ० १, पृ० १९।
७. पूर्ववया ब्राह्मणः प्रत्युत्थेयः।—६-१-८४, पृ० ११७।
८. १-२-६४, पृ० ५८७।
९. यो ह्यजानन् ब्राह्मणम् हन्यात् सुरां वा पिबेत् मन्ये सोऽपि पतितः स्यात्।—आ० १, पृ० ५।
१०. ८-२-२, पृ० ३१५।
११. ५-१-७, पृ० २९८ तथा ६-४-१७१।

ब्राह्मण की रक्षा का अर्थ था वेद-रक्षा। इसीलिए, ब्रह्मन् और ब्राह्मण में यहाँतक तादात्म्य हो गया था कि दोनों पर्याय बन गये। ब्रह्मन् या ब्राह्मण के लिए हितकर वस्तु या कार्य 'ब्रह्मण्य' कहा जाता था, जो लाक्षणिक रूप से शुभ का बोधक बन गया था।^१ अब्रह्मण्य शब्द अकल्याणकर का पर्याय था। भाष्य में ब्रह्मन् और ब्राह्मण का यह सामीप्य ब्राह्मणों की अत्यधिक लोकप्रियता का प्रमाण है।

स्थान या जनपद-भेद से ब्राह्मणों के उल्लेख की प्रथा बहुत पुरानी है। गौड, सारस्वत, कान्यकुब्ज, सरयूपारीण, महाराष्ट्रीय, औदीच्य आदि भेदों का प्रारम्भ पाणिनि-काल में ही चुका था। काशिकाकार ने सुराष्ट्रब्रह्म, अवन्तिब्रह्म का उल्लेख किया है।^२ महाब्राह्मण शब्द भी बहुत पुराना है। यह दूसरी बात है कि उसके अर्थ में समय-समय पर सकोच-विस्तार या पूर्ण विपर्यास होता रहा हो। कर्तव्यहीन ब्राह्मण कुब्राह्मण कहलाते थे।^३

क्षत्रिय—आनुपूर्व्य क्रम से ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का स्थान था। ब्राह्मण से कुछ ही नीचे उतरकर क्षत्रिय आते थे।^४ क्षत्रिय या राजन्य शासक वर्ण था। अभिषिक्त क्षत्रिय राजन्य कहलाते थे। राजन्य क्षत्रियों की विशेष उपजाति भी थी।^५ राजन्यों के निवास का देश भी राजन्य या राजन्यक कहलाता था। राजन्यों के समूह का नाम राजन्यक था।^६ इसी प्रकार क्षेम-वृद्धि क्षत्रियों की एक उपजाति थी, जिनकी स्त्रियों की सन्ना तनुकेशी थी। इन क्षत्रियों में स्त्रियों और पुरुषों की उपजाति के पृथक् स्वतन्त्र नाम थे। स्त्रियों की गणना क्षेम-वृद्धि शब्द के भीतर नहीं होती थी।^७

क्षत्रिय वर्ण में भी ब्राह्मणों के समान वर्ण से भिन्न स्वतन्त्र गोत्र या जातियाँ थी। गोत्र पहले तो पौत्र-प्रभृति अपत्य से प्रारम्भ होते थे। बाद में ये पारिभाषिक गोत्र से भिन्न हो गये। इस प्रकार व्याकरण का गोत्र और लौकिक गोत्र दोनों दूर-दूर पड़ गये। दुह्यु, पुरु,^८ अन्वक, वृष्णि, कुरु,^९ उपगु, कापट्ये क्षत्रियों के लौकिक गोत्रों के नाम थे। नकुल, सहदेव, साम्ब, अर्जुन, दासुदेव आदि क्षत्रिय नामों का उल्लेख पाणिनि ने किया है। इनके प्रति भक्ति रखनेवालों को क्रमशः नाकुलक, साहदेवक, अर्जुनक,^{१०} साम्बक,^{११} दासुदेवक कहते थे। क्षत्रिय वर्ण और जाति के लोग

१. ५-१-७, पृ० २९८।
२. ५-१-१०४।
३. ५-१-१०५।
४. १-१-१४, पृ० १८३।
५. क्षेमवृद्धयः क्षत्रियास्तेषां तनुकेश्य. स्त्रियः।—६-३-३४, पृ० ३१७ तथा ४-२-५२, पृ० १८४।
६. ४-२-९ काशिका तथा वही, पृ० १७८।
७. ६-३-३४, पृ० ३१७।
८. वही; अपत्याधिकारादन्यत्र लौकिकं गोत्रं गृह्यतेऽपत्यमात्रं न तु पौत्रप्रभृत्येव।
९. ४-१-११४ काशिका।
१०. ४-१-१६८, पृ० १६३।
११. ४-३-९८।
१२. ४-३-९९।

देश-भर में विखरे थे। किसी-किसी जनपद में इनकी विशिष्ट शाखा के लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि उस जनपद का नाम ही उस गोत्र या जाति के नाम पर पड़ गया था। ऐसे जनपदों की संख्या बहुत अधिक थी। पंचाल, इक्ष्वाकु, विदेह,^१ क्षुद्रक, मालव, पुरु, पाण्डु, साल्व, गान्धार,^२ मगध, कर्लिग,^३ सूरमस, अग,^४ वग, पुण्ड्र, सुहस, मगध, कर्लिग, कोसल,^५ अम्बष्ठ, सौवीर, निपव, कुरु, कम्बोज,^६ चोल, केरल आदि क्षत्रिय जनपद थे। इनके राजा भी इन्हीं क्षत्रिय वर्गों के थे, इसलिए उनके नाम भी इन्हीं के आधार पर आग, वाग पड़ गये थे।^६

क्षत्रियों का आचार-व्यवहार प्रायः ब्राह्मणों से मिलता-जुलता था। इसीलिए, उन्हें ब्राह्मण-सदृश कहा है। 'अब्राह्मण को बुलवाने पर ब्राह्मण से मिलता-जुलता क्षत्रिय बुलाया जाता है। नञ् से युक्त का अर्थ इव या समान होता है, यह भाष्य का कथन है।^७ अनेक बार ब्राह्मण के अभाव में क्षत्रिय से काम चला लिया जाता था और जो काम ब्राह्मण के द्वारा या ब्राह्मण के प्रति किये जानेवाले होते थे, वे क्षत्रिय द्वारा या उसके प्रति करवा लिये जाते थे।^८ इस प्रकार विशेष परिस्थितियों में क्षत्रिय ब्राह्मण का स्थानापन्न हो जाता था। भाष्य में आर्य और क्षत्रिय का कई बार साथ-साथ उल्लेख मिलता है। क्षत्रिय युवा और आर्य 'युवा भी साथ परिगणित हैं।^९ क्षत्रिय-स्त्री क्षत्रिया या क्षत्रियाणी कही जाती थी।^{१०}

क्षत्रिय क्षत्र शब्द से अपत्य अर्थ में बना है। क्षत्र भी क्षत्रिय का ही वाचक है। रक्षा उसका धर्म था। एतदर्थ, उसे विशेष विद्या का अभ्यास करना पड़ता था, जिसे क्षत्रविद्या कहते थे। क्षत्र-विद्या के अध्ययन करनेवाले क्षात्रविद्य कहलाते थे।^{११} विद्या के समान प्रत्येक के आचार और नाम रखने के नियम निश्चित थे। 'यह नाम ब्राह्मणों जैसा है, यह नाम देवों जैसा है।^{१२} आप का व्यवहार ब्राह्मणों जैसा है, अर्थात् यह व्यवहार ब्राह्मणों को शोभा देता है'^{१३} आदि कथन इस बात के पोषक हैं। भाष्यकार ने क्षत्रिय नाम के अन्त में वर्मन् शब्द का प्रयोग किया है और वैश्य के अन्त

१. ४-१-१६८, पृ० १६२।

२. ४-१-१९६।

३. ४-१-१७०।

४. ४-१-१७१।

५. ४-१-१६८ से १७२ तक भाष्य तथा काशिका।

६. २-४-६२।

७. अब्राह्मणमानयेत्युक्ते ब्राह्मणसदृशं क्षत्रियमानयति।—६-१-१३५, पृ० १८९।

८. ब्राह्मणवदस्मिन् क्षत्रिये वर्तितव्यमिति सामान्यं यद् ब्राह्मणकार्यं तत्क्षत्रियेऽपि विद्यते।—६-३-६८, पृ० ३४५।

९. ८-४-११, पृ० ४८०।

१०. ४-१-४९, पृ० ६३।

११. ४-२-६०, पृ० १८७।

१२. ५-१-११६, पृ० ३५०।

१३. ५-१-११७, पृ० ३५०।

मे पालित्वा का । उदाहरणार्थ, इन्द्रवर्मन् क्षत्रिय और इन्द्रपालित वैश्य का नाम होता था ।^१ ब्राह्मण-नाम इन्द्रदत्त, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि होते थे ।

वैश्य—क्षत्रिय और वैश्य की स्थिति ब्राह्मण और शूद्र के मध्य थी । शूद्र के अभिवादन के उत्तर में वाक्य की टि का प्लुत नहीं किया जाता था, किन्तु ब्राह्मण के अन्त में अवश्य किया जाता था । क्षत्रिय और वैश्य के अन्त में प्लुत विकल्प से होता था ।^२ इससे स्पष्ट है कि वे व्याकरण में न विशेष दक्ष होते थे और न उससे अनभिज्ञ ही ।

वैश्य को विट् भी कहते थे । वैश्य की स्थिति क्षत्रिय से कुछ ही नीचे थी । इनके नाम पालितान्त या गुप्तान्त होने थे, जिससे स्पष्ट है कि वे समाज द्वारा रक्षित रहते थे । वैश्य सम्पत्ति या रै के उत्पादक थे ।^३ भाष्य में माण्डजगिष और कार्णखरकि इन वैश्य-गोत्रों के नाम आये हैं ।^४

शूद्र—शूद्रों का स्थान अन्तिम था । शूद्र दो प्रकार के व्यक्ति कहलाते थे—(१) वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो शास्त्र-विहित स्वकर्तव्यों का पालन न कर शूद्रवत् जीवन व्यतीत करते थे । अशिक्षित सभ्याग्निहोत्र-विरहित, असयमी ब्राह्मण भी शूद्र माने जाते थे और (२) गृह माना-पिता ने उत्पन्न सन्तान । इस प्रकार, कर्म-शूद्र और जन्म-शूद्र दो प्रकार के शूद्र थे । कर्म-शूद्र तो हेय दृष्टि से देखे ही जाते थे, उन्हें कोई भी ब्राह्मणोचित अधिकार प्राप्त नहीं होता था । जिस वन में कोई शूद्र होता था, उसे भी कुछ अधिकारों से वंचित रहना पड़ता था । उदाहरणार्थ, यदि किसी ब्राह्मण-परिवार में कोई शूद्र उत्पन्न हो जाता, तो उस परिवार का दम पीढी तक सोमपान का अधिकार छिन जाता था ।^५ शूद्र जाति की स्त्री शूद्रा कहलाती थी । शूद्र की भार्या उसकी स्त्री होने के नाते, भले ही वह अगूढा हो, शूद्रा कही जाती थी । शूद्र स्त्रियों में अधिक सम्मानित स्त्री को महाशूद्रा कहते थे ।^६

शूद्रों की अनेको जातियाँ थीं । जो लोग भृति लेकर काम करते थे, वे सब शूद्र माने जाते थे । कात्यायन ने महाशूद्र जाति भी मानी है ।^७ काणिका के अनुसार आभीर को महाशूद्र^८ कहते थे । धीवर भी शूद्रों में गिने जाते थे ।^९ भाष्यकार ने भी आभीर को शूद्र कहा है ।^{१०} रयकारों का

१. भो राजन्य विशां वेति वाच्यम् राजन्य इन्द्रवर्माहं भोः । आयुष्मानेधोन्द्रवर्माहम्, विट् इन्द्रपालितोऽहं भोः । आयुष्मानेधोन्द्रपालिता ३ इन्द्रपालित ।—८-२-८३, पृ० ३८८ ।

२. वही ।

३. २-२-३४, पृ० ३९१ ।

४. आ रेवानेतु नो विगः ।—८-२-१५, पृ० ३३९ ।

५. २-४-५८, पृ० ४९३ ।

६. एवं हि यामिकाः पठन्ति दगप्रुसधानकं यस्य गृहे शूद्रा न विद्येरन् स सोमं पिबेदिति ।—

४-१-९३, पृ० १२० ।

७. ४-१-४, पृ० २६ ।

८. वही ।

९. महाशूद्रशब्दो ह्याभीरजातिवचनः ।—४-१-४ काशिका ।

१०. ४-१-१४, पृ० ३५ ।

११. १-२-७२, पृ० ६०७ ।

स्थान शूद्रों में सबसे ऊँचा था। वे त्रिवर्ण से कुछ ही नीचे थे।^१ तन्तुवाय, कुम्भकार, नापित, त्वष्टा,^२ कर्मार, अयस्कार, रजक, चर्मकार ये सब शूद्रों के अन्तर्गत थे। सारी 'कारि' जातियाँ शूद्र थीं। कटकारों का स्थान शूद्रों में भी नीचा था।

शूद्रों की सख्या बहुत अधिक थी। वास्तव में आर्यावर्तीय त्रिवर्णों को छोड़कर शेष सब की गणना सामान्यतया शूद्रों में की जाती थी। इनमें आर्यावर्त्त से बाहर के भी लोग थे और आर्यावर्त्तीय भी। बाहर के लोगों में किष्किन्ध-गन्धिक, शक, यवन, शौर्य, कौच आदि थे। आर्य वस्तियो—ग्राम, धोप, नगर, सवाह आदि—से बाहर रहनेवाले चण्डाल मृतप भी शूद्र थे। वस्ती के भीतर रहनेवाले, किन्तु यज्ञ-कर्म से बहिष्कृत तक्षा, अयस्कार, रजक, तन्तुवाय आदि भी शूद्र थे, यद्यपि इनका दर्जा विशेष नीचा न था। जिनके द्वारा स्पर्श किये गये पात्र अपवित्र माने जाते थे, वे जातियाँ भी शूद्र कहलाती थी।

शूद्र अशिक्षित थे। व्याकरणादि का ज्ञान इन्हें न था, अतः अभिवादन के प्रत्युत्तर में इनके लिए प्लुत नहीं किया जाता था। इस विषय में इनकी स्थिति स्त्रियो जैसी थी। उदाहरणार्थ, यदि तुपजक ब्राह्मण को प्रणाम करता, तो वह उत्तर में कहता था 'कुशली तो हो तुपजक ?'^३

निरवसित—शूद्र दो श्रेणियों में विभक्त थे—निरवसित और अनिरवसित। तक्षा, अयस्कार, रजक, तन्तुवाय आदि अनिरवसित थे और चण्डाल, मृतप आदि निरवसित। अनिरवसित लोग त्रिवर्णों के पात्र छू सकते थे, किन्तु निरवसित नहीं। निरवसित निम्नतम कोटि के शूद्र थे। ये यदि किसी त्रिवर्ण के पात्र में खा-पी लेते थे, तो त्रिवर्ण इस पात्र को सस्कार द्वारा शुद्ध करके भी व्यवहार में नहीं ला सकते थे, यद्यपि कुछ अन्य निम्न शूद्रों द्वारा व्यवहृत त्रिवर्णों के पात्र अन्यादि द्वारा शुद्ध करके काम में ले लिये जाते थे। निरवसित शूद्र गाँवों के बाहर रहते थे। इनके और त्रिवर्णों के घरों के बीच दूरी रहती थी। इनके घर गाँव के छोर पर होते थे।^४ यद्यपि बड़े-बड़े नगरों में वे नगर के बीच भी रहते थे।^५

वृषल—वृषल को शूद्र का पर्याय कहा गया है। ब्राह्मण से शूद्र में उत्पन्न सन्तान वृषल कही जाती थी। मनुस्मृति में ओण्डू, दरद, खश, यवन, शक आदि क्षत्रिय-जातियों को वृषल-भाव को प्राप्त बतलाया गया है। इस दृष्टि से वृषल के प्रति समाज में द्वेष-भाव नहीं होना चाहिए, उलटे उनका स्थान शूद्र से ऊपर माना जाना उचित था। किन्तु, भाष्य में जिस प्रकार बार-बार वृषल का स्मरण किया है, उससे उसके प्रति अत्यन्त हेय दृष्टि तथा द्वेषबुद्धि का पता चलता है। वृषल, दस्यु, चौर और दास की स्थिति लगभग समान थी। दासी और वृषली के प्रति कामुकता

१. त्रैवर्णिकेभ्यः किञ्चिन्न्यूनं रथकारजातिः ।—४-१-१५१ काशिका।

२. ४-१-१५२ काशिका।

३. ८-२-८३, पृ० ३८७।

४. १-१-३६ काशिका।

५. एवमपि य एते महान्तः संस्त्याया स्तेष्वभ्यन्तराश्चण्डाला मृतपाश्च वसन्ति ।—२-४-

का व्यवहार यद्यपि अशिष्ट माना जाता था, तथापि समाज में प्रचलित था और दण्ड्य नहीं था। दासी और वृषली का सादृश्य निन्दा का द्योतक था।^१ भाष्य में कामुकता की पात्री के रूप में अनेक वार दासी और वृषली का साथ-साथ उल्लेख है।^२ दस्यु, चोर और वृषल को नीच स्वभाववाला माना जाता था। वार्तिककार ने प्रशसा-अर्थ में इन तीनों के आगे रूपम् प्रत्यय कर वृषलत्प, दस्युरूप, चोररूप इन शब्दों का प्रयोग सामान्य से अधिक वृषल, दस्यु या चोर बतलाया है। और फिर यह कहकर कि प्रशसार्थ में प्रत्यय न करके प्रकृत्यर्थ-वैस्पष्ट्य में प्रत्यय कर देना पर्याप्त बतलाया है और उदाहरण दिया है कि यह वृषलरूप, अर्थात् असली वृषल है। यह न केवल प्याज खा जा सकता, अपितु उसके साथ सुरा भी पी सकता है। यह चोररूप या पक्का चोर है। यह चाहे तो आँखों का काजल ले जाय। यह दस्युरूप या वास्तविक दस्यु है। यह भागते हुए का भी खून पी सकता है।^३ ये उदाहरण इन तीनों के स्वभाव पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। वृषल अभक्ष्यभोजी और सुरापायी होते थे। समाज उनसे घृणा करता था, उनकी स्त्रियों को उपभोग्या बनाने में ग्लानि या पाप का भय नहीं मानता था। वृषल का ताडन सामान्य बात थी। वे लातों से भी पीटे जाते थे।^४ एक स्थान पर उसे स्वाघात्य, अर्थात् कुत्तो द्वारा मरवा डालने योग्य अथवा कुत्तो की मौत मरने योग्य कहा है।^५ पाप क्षीय है और वृषल जेय है,^६ यह सामान्य कहावत थी। वृषल गन्दे भी रहते थे। उनके दाँत काले और मैले होते थे।^७ वृषल एक गाली थी।^८ असूयक यदि अभिवादन के साथ बड़े व्यक्ति का अपमान करता, तो वह आशीर्वाद न देकर कहता, 'नीच तू असूयक है। तू प्रत्यभिवाद का अधिकारी नहीं। अरे जा वृषल, तेरे टुकड़े-टुकड़े हो।' जब वृषल की यह स्थिति थी, तब ब्राह्मण को ऊँचा और वृषल को नीचा स्थान मिलना स्वाभाविक था।^९ इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं, यदि एक साथ नदी पार करने के लिए वृषल और ब्राह्मण पहुँचते, तो मल्लाह वृषल को तट पर छोड़कर ब्राह्मण को पहले पार उतार देता था।^{१०} भाष्य में चोर और वृषल को

१. २-३-६९, पृ० ४५६।

२. ६-२-११, पृ० २५४।

३. २-३-६९, पृ० ४५६ तथा दास्या सम्प्रयच्छते, वृषल्या सम्प्रयच्छते। यो हि शिष्ट-व्यवहारे ब्राह्मणीभ्यः सम्प्रयच्छतीत्येव ।—१-३-५५, पृ० ६९।

४. ५-३-६६, पृ० ४६०।

५. १-३-२८, पृ० ६५।

६. ३-१-१०७, पृ० १८४।

७. १-१-५०, पृ० ३०५।

८. २-२-८, पृ० ३४३।

९. ८-२-८३, पृ० ३८८।

१०. वही।

११. २-२-११, पृ० ३४५।

१२. २-३-३६, पृ० ४३१।

सतापित करने, साथ-साथ भिक्कारने का इस प्रकार उल्लेख मिलता है, जैसे चोर और दस्यु के समान वृषल होना ही अपराध या पाप की बात हो।

इस प्रकार, वृषलो की स्थिति शूद्रो से बहुत नीची थी। भाष्य में एक बार भी शूद्र का उल्लेख निरादर के साथ नहीं हुआ है, यहाँतक कि निरवसित शूद्रो के प्रति भी कहीं दुर्भावना की गन्ध नहीं मिलती। वृषल की स्थिति भिन्न थी। वृषल पुरुष उच्च वर्णों की लात-गाली के अधिकारी थे और स्त्रियाँ उनकी काम-वृत्ति की तृप्ति का साधन।

आर्य और दास—आर्य और दास इन दोनों का उल्लेख भी भाष्य में कई बार हुआ है। आर्ययुवन्, आर्यकृती, आर्या, आर्याणी, आर्यकुमार, आर्यनिवास इन शब्दों का प्रयोग आर्यों के सम्बन्ध में मिलता है। उदाहरणों में आर्य और क्षत्रिय प्रायः साथ-साथ ही आये हैं। इससे अनुमान होता है कि आर्य और क्षत्रिय समीपी अवश्य थे। त्रिवर्ण आर्य कहलाते थे। दास आर्यों से बहिर्गत थे। सम्भवतः वे आर्यकृत होते थे और उनपर उनका पूरा अधिकार होता था। दासों का स्तर वृषलो के समकक्ष था। वे नीची नजर से देखे जाते थे, परद्वेष्य दृष्टि से नहीं। क्रीत और परिक्रीत दासों में अन्तर था। परिक्रीत निश्चित द्रव्य से विशिष्ट काल के लिए नियुक्त कर्मकर होते थे और क्रीत विशिष्ट द्रव्य द्वारा तबतक के लिए, जबतक वह राशि लौटा न दी जाय। इस अवधि में उनके भरण-पोषण का भार उनके आर्य या स्वामी पर रहता था। स्वामी या स्वतन्त्र जन का दोषक अर्थ शब्द आर्य से भिन्न था।^{१०} पाणिनि ने दासी-भार शब्द का उल्लेख किया है।^{११} पतञ्जलि ने इस सज्ञा शब्द को बहुवचन माना है।^{१२} डॉ० वा० श० अग्रवाल के मत से स्वामी द्वारा दासी की प्रसूतावस्था का दायित्व तथा व्यवस्था ही दासी-भार है।^{१३} अर्थशास्त्र के अनुसार गर्भवती दासी को बिना प्रसव की समुचित व्यवस्था के वेच देना अपराध था।^{१४} किन्तु, दासी के प्रसव का भार दासी-भार क्यों था। उसे तो दास-भार मानना चाहिए यदि वह गर्भ उसके पति का हो। इस

१. २-३-५४, पृ० ४४७।

२. २-३-२, पृ० ४०५।

३. ८-४-११, पृ० ४८०।

४. ४-१-३०।

५. ४-१-४९, पृ० ६३।

६. ६-२-५८।

७. ६-३-१०९, पृ० ३५९।

८. ४-१-४९, पृ० ६३।

९. १-४-४४।

१०. ३-१-१०३ तथा आर्यस्वामी, वही, पृ० १८२।

११. ६-२-४८, पृ० २५९।

१२. वही।

१३. इण्डिया ऐज नोन टु पाणिनि, पृ० ७९।

१४. अर्थशास्त्र अ०, पृ० २०७।

स्थिति में पति उसका भारवाह होता, स्वामी नहीं। यदि दोनों स्वामी की वन में होने लगे तो वह भार दास-भार कहलाना; क्योंकि एक तो स्वामी की अज्ञात उत्पन्न दायित्व दास पर उठेक होता। दूसरे यदि वह भार दोनों के कारण स्वामी पर होता, तो भी पुस्तक की प्रवृत्तियों के कारण तत्पुत्र्य समाप्त में दास-भार शब्द का ही प्रयोग होता। यदि दास की बीमारियाँ या मृत्यु के कारण भार भी तो स्वामी पर ही रहता था। ऐसी स्थिति में दास-भार शब्द का व्यवहार भी निम्न चाहिए था। दासों-भार शब्द संगो, अपत्य किन्ती विशेष भार का बोधक है और वह भार ऐसा था, जो दासों का ही हो सकता था, दास का नहीं। यह भार निश्चय ही उत्पन्न प्रकृति का था। वाने-प्रकृत मत्तान के पालन-व्यय का भार स्वामी को ही वहन करना पड़ता था; क्योंकि वह सन्तान स्वामी की होती थी। यदि स्वामी द्वारा दानो से सन्तान उत्पन्न हो तो उसका भार स्वामी के वहन करना चाहिए, यह राजकीय व्यवस्था थी और उस दायित्व से बचने के लिए वह दानो को विना प्रसन्न और प्रकृति की मनुष्यवत् व्यवस्था किये किन्ती उत्पन्न के हाथ नहीं देव सकता था। अर्थशास्त्र में वर्णित दण्ड इत्त नियम का उल्लंघन करनेवालों के लिए ही है। स्वामी द्वारा दासियों से सन्तान होना पतञ्जलि-काल में साधारण बात थी। भाष्यकार ने दासियों के प्रति स्वामियों की कानूक-वृत्ति का बार-बार जो उल्लेख किया है, उसके प्रकाश में 'दासीभार' शब्द का उचित और स्पष्ट हो जाता है। स्वामियों से दानो में उत्पन्न सन्तानों को दसिर कहने में और यही वह भार था, जिसका दायित्व स्वामी पर रहता था। यही कारण था कि 'दास्यः पुत्रः' शब्द दानो नामा जाता था। भाष्य में 'दासभार्यः' का एकाधिक बार उल्लेख है।^१

आदर्श पर्वत से पूर्व, कालक वन से पश्चिम, हिमालय में दक्षिण और पारिजन के उत्तर का प्रदेश आदर्शवर्त नामा जाता था। इस प्रदेश के निवासी आर्य कहलाते थे। इन प्रदेश को भाष्य-कार ने आर्य-निवास कहा है।^२ दान कर्मकर आर्यों के शरलू नामक होते थे, जिन्की स्थिति इत्य मित्नी वैतनिकों से बड़ी नीची थी। इन्हें स्वामी से भोजन क्लृ और यदा-कदा गरिमाया (हैं-उ-उपट) प्राप्त होती थी।^३ जनपद-निवासियों के जो नाम जनपद के आधार पर होने से उनमें भी दानो तथा अन्य दानो के बीच अन्तर किया जाता था।^४

१. १-३-५५, पृ० ६९ तथा २-३-६९, पृ० ४५६।

२. ४-१-११४, पृ० १३८।

३. २-१-१, पृ० २३०।

४. ६-३-१०९, पृ० ३५९।

५. ३-१-२६, पृ० ७७।

६. ४-१-१६८, पृ० १६२।

अध्याय ३

संस्कार

भाष्य मे नामकरण, चूडाकर्म और उपनयन-संस्कारो का ही स्वतन्त्र रूप से उल्लेख मिलता है। गर्भ, प्रजनन, प्रसव, गर्भकालीन स्वास्थ्य, गर्भ को पिण्डीभूत रूप से 'इदमित्थम्' दिखा सकने की अक्षमता आदि की अनेक चर्चा होने पर भी संस्कार के रूप में गर्भावान का वर्णन भाष्य में उपलब्ध नहीं होता और न पुसवन, सीमन्तोन्नयन आदि की ही उसमें चर्चा है।

नामकरण—नाम जन्म से दस दिन बाद रखा जाता था। दस दिन तक अशौच मनाया जाता था। भाष्यकार का 'दशम्युत्तरकालं जातस्य पुत्रस्य नाम विदध्यात्' (आ० १, पृ० ९) कथन शतपथ-ब्राह्मण की प्रतिध्वनि-मात्र है।^१ नाम माता और पिता मिलाकर निश्चित करते थे।^२ एतदर्थं न कोई बड़ा उत्सव किया जाता था और न विशेष मण्डप बनाया जाता था। नामकरण माता और पिता मिलकर घर के भीतर ही 'संवृत अवकाश' में कर लेते थे।^३

नाम रखने के विशिष्ट नियम थे। नाम का प्रारम्भ घोषवत् व्यंजन से होता था। मध्य में अन्त-स्थ व्यंजन रहता था। वृद्ध अक्षर-रहित, तीन पीढियों के नाम के अनुसार, गन्धुवर्ग में अप्रतिष्ठित, दो या चार अक्षरवाला कृदन्त नाम श्रेष्ठ माना जाता था। तद्धितान्त नाम नहीं रखा जाता था। पारस्कर गृह्यसूत्र (१-१७-१) तथा वासिष्ठ धर्मसूत्र (अध्याय ४) में भी इस कथन का समर्थन मिलता है। आश्वलायन में द्व्यक्षर को प्रतिष्ठा तथा चतुरक्षर को ब्रह्मवर्चस् का दायक बतलाया है।^४ पारस्कर^५ और वैजवाप^६ ने कन्या के नाम के लिए पृथक् नियम दिये हैं, किन्तु भाष्यकार इस विषय में मौन हैं।

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नामों में भी अन्तर रहता था। ब्राह्मण नामों के अन्त में दत्तादि, क्षत्रिय नामों के अन्त में 'वर्मन्' और वैश्य नामों के अन्त में पालितादि वर्णबोधक शब्द रखे जाते थे। प्रत्यभिवादेऽशूद्रे (८-२-८३) सूत्र के वार्त्तिक 'भो राजन्यविशां च' की व्याख्या में भाष्यकार

१. तस्मात् पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात् ।—शत० ब्रा० ६-१-३-९ ।

२. वीरमित्रोदयसंस्कार-प्रकाश, भाग १, पृ० २४१ में उद्धृत वैजवाप ।

३. लोके तावन्मातापितरौ पुत्रस्य जातस्य संवृतेऽवकाशे नाम कुर्वीत देवदत्तो यज्ञदत्त इति ।—१-१-१, पृ० ९५ ।

४. घोषवाद्यन्तरन्तःस्थं त्रिपुरधानकमनतिप्रतिष्ठितं तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति । द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नामकृतं कुर्यात् तद्धितम् ।—आ० १, पृ० ०९ ।

५. आश्व० गृ० सू०, १-१५-५ ।

६. पार० गृ० सू०, १-१७-३ ।

७. व्यक्षरमीकारान्तं स्त्रियाः ।—वैज० वीरमित्रो० भाग १, पृ० २४३ ।

द्वारा दिये गये उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है। शूद्रों के नाम तुषजक आदि बृहत्त्वबोधक होते थे। मनु के मत से ब्राह्मण का नाम मांगल्य, क्षत्रिय का बलान्वित, वैश्य का वन-समुत्त और शूद्र का जुगुप्सित होना चाहिए।^१ व्यास के अनुसार ब्राह्मण का नाम शर्मान्त, क्षत्रिय का वनान्त, वैश्य को गुप्तान्त और शूद्र का दामान्त होना चाहिए।^२ भाष्य में शर्मान्त और दामान्त नामों का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। मनुस्मृति-काल तक आते-आते वर्णों का पारस्परिक अन्तर बहुत बढ़ गया जान पड़ता है। भाष्यकाल में अन्तर की ओर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। भाष्य में उल्लिखित सैकड़ों नामों में इन नियमों का अनुसरण नहीं है। इसी प्रकार, परवर्ती काल में प्रचलित नक्षत्र, मासदेवता और कुलदेवता के नाम पर रखे गये, तथा लोक-विदित इन चौहरे नामों की भी भाष्य में चर्चा नहीं है। नक्षत्र नाम पर रखे गये नामों का उल्लेख भाष्य में अवश्य है, किन्तु उनके अतिरिक्त दूसरे लोक-विदित नाम का संकेत भाष्य में नहीं मिलता। गृह्यमंत्रों को भी नक्षत्र-नाम तथा लोक-नाम ये दोही इष्ट थे। स्मृतियों तथा ज्योतिष-ग्रन्थों में अन्य दो नामों की भी चर्चा है। इस युग में अत्येक काल-विभाग का एक स्वतन्त्र देवता माना जाने लगा था। आपस्तम्ब-गृह्यमंत्र (१-१५-४) में नक्षत्र और नक्षत्र-देवता के नाम पर नाम रखने का विधान है। शंख और लिखित ने पिता या अन्य कुल-शूद्र को नक्षत्रों में सम्बद्ध नाम रखने का आदेश दिया है। यह दूसरा नाम है। वीद्यायन गृह्यमंत्र में नक्षत्र-नाम को गुह्य^३ कहा है। इमें केवल माता-पिता या परिवार के लोग ही जानते थे। आप्तवलायन के अनुसार इस नाम को उपनयन-काल तक अभिवादन के समय बोला जाता था। पाणिनि ने नक्षत्र के आधार पर रखे जानेवाले नामों के सम्बन्ध में नियम^४ दिये हैं। कात्यायन और पतंजलि के समय तक आते-आते इन प्रकार के नामों में विचित्रता उत्पन्न हो गई थी। उदाहरणार्थ, श्रविष्ठा या आपाडा नक्षत्र में उत्पन्न होनेवाले के नाम श्रविष्ठ या श्राविष्ठीय और आपाड या आपाडीय दोनों हो सकते थे। इसी प्रकार, पतंजलि के समय में लङ्कियों के नाम भी नक्षत्रों पर रखे जाने लगे। महाभाष्य में चित्रा रेवती, रोहिणी, फाल्गुनी आदि कन्याओं के नाम मिलते हैं।^५

गार्ग्य और शंख द्वारा प्रतिपादित मासदेवता और कुलदेवता से सम्बद्ध नामों का प्रचार पतंजलि-काल में नहीं था। नक्षत्र-देवताओं से सम्बद्ध नाम भाष्य में अवश्य आये हैं। नक्षत्र तथा उनसे सम्बद्ध देवता निम्नलिखित माने जाते थे—

१. मनु० २-३१।
२. व्यासः राजवली पाण्डेय—हिन्दू संस्कार, पृ० १३८ पर उद्धृत।
३. नक्षत्राणामसम्बद्धं पिता वा कुर्यादित्यः कुलवृद्ध इति—वीर० मि० संस्कार प्र०, भाग १, पृ० २३७ पर उद्धृत।
४. नक्षत्रनामधेयेन द्वितीयं नामधेयं गुह्यम्।—ब्रीवा० पृ० ३०, वीरमित्रो०, भाग २, पृ० २३७ पर उद्धृत।
५. आश्व० गु० सू० १-१५-९।
६. ४-३-३४ तथा ८-३-१००।
७. ४-३-३४, पृ० २३२।

नक्षत्र	देवता	नक्षत्र	देवता
अश्विनी	अश्वि	स्वाति	वायु
भरणी	यम	विशाखा	इन्द्राग्नि
कृत्तिका	अग्नि	अनुराधा	मित्र
रोहिणी	प्रजापति	ज्येष्ठा	इन्द्र
मृगशिरस्	सोम	मूल	निर्ऋति
आर्द्रा	रुद्र	पूर्वाषाढा	आप्
पुनर्वसु	अदिति	उत्तराषाढा	विश्वेदेवा.
पुष्य	बृहस्पति	श्रवण	विष्णु
आश्लेषा	सर्प	घनिष्ठा	वसु
मघा	पितृ	शतभिक्	वरुण
पूर्वाफाल्गुनी	भग	पूर्वभाद्रपद	अजैकपाद
उत्तराफाल्गुनी	अर्यमन्	उत्तरभाद्रपद	अहिर्बुध्न्य
हस्त	सवितृ	रेवती	पुषन्
चित्रा	त्वष्ठा		

चूडाकर्म—चूडाकर्म को भाष्यकार ने चौल (चोड़) संस्कार कहा है।^१ यद्यपि इसके विषय में विशेष विवरण भाष्य में नहीं मिलता, फिर भी अन्यत्र उद्धरणों से इतना स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति कभी मुण्डी, कभी जटी और कभी शिखी हो सकता था।^२ मुण्डन प्रायः सम्पूर्ण सिर का करा दिया जाता था। कभी-कभी शिखा शेष रख दी जाती थी, किन्तु शिखा का होना अनिवार्य नहीं था। सम्पूर्ण मुण्डन के लिए ही 'मद्राकरोति' या 'मद्राकरोति' शब्द^३ भाष्य में आये है। सम्भवतः, मुण्डी और जटी के समान शिखी होना भी एक केश-भूषण-प्रकार था। शिखा एक से अधिक भी हो सकती थी। उनकी सख्या प्रवरो के अनुसार होती थी।^४ आश्वलायन (१-१७) के अनुसार कुलधर्म के अनुकूल केश बनवाने की प्रथा थी।^५ लीगाक्षी के अनुसार वसिष्ठगोत्रीय लोग शिरो-मध्य-भाग में एक शिखा रखते थे। अग्नि और कश्यप वंशों के लोग दोनों ओर दो शिखाएँ धारण करते थे। आगिरस् लोगों के पाँच शिखाएँ थीं। भृगुवशीय विना जोटी के, अर्थात् सर्वमुण्डित रहते थे।^६

चूडाकर्म का बहुत महत्त्व था; क्योंकि उसके बाद बालक को लिखना-पढ़ना प्रारम्भ

१. चूडा प्रयोजनमस्य चौडम् ।—५-१-९७, पृ० ३४४।

२. देवदत्तो जद्यपि मुण्ड्यपि शिष्यपि स्वामाख्यां न जहाति ।—१-१-१, पृ० १०५।

३. ४-१-५४, पृ० ६६।

४. ५-४-६७, पृ० ४९८।

५. यथाषि शिखां निदधाति ।—आश्व० गृ० सू०, १६-६ तथा वराह गृ०सू०, अ० ४।

६. यथाकुलधर्मं केशवेशान् कारयेत् ।—आ० गृ० सू०, १-१७।

७. वीरमित्रो०, भाग १, पृ० ३१५ पर उद्धृत।

अध्याय ४

आश्रम

चातुराश्रम्य—भाष्य मे जीवन को चार भागो मे विभक्त किया गया है। प्रत्येक भाग आश्रम कहलाता था। चारो आश्रमो को चातुराश्रम्य^१ कहते थे। पतञ्जलि मे इन चारों आश्रमो का पृथक्-पृथक् उल्लेख न करके उनके कर्तव्यो एव जीवन-चर्या पर ही यत्र-तत्र विचार व्यक्त किये हैं।

ब्रह्मचारी—प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य^१ था, जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था। ब्रह्मचर्य मे दीक्षित बालक ब्रह्मचारी कहलाता था। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते थे दण्डमाणव^२ और अन्तेवासी^३। दण्डमाणव अल्पायु और निम्नकक्षा के तथा अन्तेवासी बड़ी आयु एव उच्च शिक्षा प्राप्त करने-वाले ब्रह्मचारी होते थे। त्रिवर्ण मे प्रत्येक बालक का उपनयन-संस्कार सोलह वर्ष की आयु के भीतर कर दिया जाता था। आयु की मर्यादा का यह अन्तिम छोर था। सामान्यतया उपनयन बारह वर्ष की आयु के भीतर हो जाता था। ब्राह्मण का उपनयन तो गर्भ के आठवें वर्ष मे ही हो जाता था। उपनयन करनेवाले को आचार्य कहते थे। इसीलिए, उपनयन-कर्म का दूसरा नाम आचार्यकरण भी था।^४ उपनयन का अर्थ है, उपनेता माणवक को ऐसी विधि से पास लाता था, जिससे वह उसका आचार्य बन जाता था। इसीलिए, उपनयमान और आचार्य पर्याय थे।^५ उपनयन के बाद माणवक दण्डमाणव बन जाता था। उसकी यह संज्ञा पलाश-दण्ड या आपाढ^६ साथ मे रखने के कारण थी। दण्डमाणव और अन्तेवासी प्रायः कमण्डलु भी अपने साथ रखते थे।^७ हिन्दी मे 'दण्ड-कमण्डल उठाकर चल लेना' यह मुहावरा ब्रह्मचारी के इन दो उपलक्षणो के आधार पर ही बना है। माणव और ब्रह्मचारी मुण्डित होते थे। मुण्डित करने की क्रिया 'भद्राकरण'

१. ५-१-१२४, पृ० ३६४।

२. ५-१-९४।

३. ४-३-१३० काशिका।

४. वही।

५. गर्भाष्टमेऽन्ते ब्राह्मण उपनेयः इत सकृदुपनीय कृतः शास्त्रार्थ इत कृत्वा पुनः प्रवृत्तिर्न भवति।—६-१-८४, पृ० ११६।

६. १-३-३६ काशिका।

७. ३-१-१००, पृ० १८२।

८. ५-१-११०।

९. १-४-८२, पृ० २०१।

या 'परिवापण' कहलाती थी।' वौद्ध और जैन ब्रह्मचारी श्रमण कहलाते थे। भाष्यकार के समय में श्रमणों के भी विहार या विद्या-प्रतिष्ठान विद्यमान थे, किन्तु उनमें और ब्राह्मणों में शत्रुभाव चला करता था। यह शत्रुभाव इस चरम सीमा तक था कि भाष्य में उसे काकोलूकीय विरोध के समान शाश्वतिक कहा है।^१

ब्रह्मचारी को अन्तेवासी^१ कहते थे। वह 'चरण' या वैदिक शाखा के विद्यालय में रहकर अध्ययन करता था। चरण वैदिक अध्ययन, अध्यापन और अनुसन्धान के केन्द्र थे। उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी ही, जो व्याकरणादि का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कर चुकते थे, चरणों में प्रविष्ट होते थे। ब्रह्म वेद को कहते हैं। उसके लिए लिया जानेवाला व्रत ही ब्रह्म कहलाता था। इस ब्रह्म-व्रतवाले की सजा ब्रह्मचारी^२ थी।

ब्रह्मचर्य की अवधि—व्रत की अवधि लघ्य के अनुसार भिन्न थी। कुछ लोग सारा जीवन ही निष्कारण, अर्थात् नि स्वार्थ वेदाध्ययन में लगा देते थे। ये ब्रह्मचारी नैष्ठिक होते थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी अष्टतालीस वर्ष का ब्रह्मचर्य-व्रत लेते थे।^३ इस प्रकार, वे आठवें वर्ष में उपनीत होकर छपन वर्ष की आयु तक अध्ययन करते थे। सामान्यतया एक वेद के अध्ययन में बारह वर्ष लगते थे। ब्रह्मचारी द्वादशवार्षिक, वार्षिक, मासिक और अर्धमासिक भी होते थे। ये वे लोग होते थे, जो किसी विशेष विषय के अध्ययन के निमित्त दीक्षित होकर कुछ समय चरण में रहते थे। चरणों में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि कोई थोड़े समय के लिए भी दीक्षित होकर रह सके। उदाहरणार्थ, कोई 'विदामघवन्' (ऐत० आ० ४) इत्यादि तथा 'आपमापामय०' (तै० आ० १-१) इत्यादि में पाँच महानाम्नी सज्ञक ऋचाओं के अध्ययन के लिए ही चरण में प्रवेश ले लेता था और उनका अध्ययन समाप्त कर चला जाता था। महानाम्नी ऋचाओं के लिए लिया गया व्रत महानाम्नी कहा जाता था। ऋचाओं के साहचर्य के कारण व्रत को भी महानाम्नी कहते थे। इस व्रत में दीक्षित ब्रह्मचारी महानाम्निक^४ कहलाता था। इसी प्रकार आदित्य साम (जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण) का व्रत देनेवाले को आदित्यव्रतिक ब्रह्मचारी कहते थे। भाष्य में अवान्तरदीक्षी और तिलव्रती ब्रह्मचारियों का भी उल्लेख है। अवान्तर-दीक्षी एक वेद के हेतु निश्चित अवधि के अन्तर्गत मध्यवर्ती काल के लिए दीक्षित ब्रह्मचारी थे।

१. ५-४-६७, पृ० ४९८।

२. २-४-१२, पृ० ४६७।

३. ४-३-१३० काशिका।

४. ब्रह्म वेदस्तदध्ययनार्थं व्रतं तदपि ब्रह्म। तच्चरतीति ब्रह्मचारी।—८-३-८६ काशिका।

५. वही, वा० ४।

६. तदस्य ब्रह्मचर्यमिति महानाम्नादिभ्य उपसंस्थान कर्त्तव्यम्। महानाम्नीना ब्रह्मचर्यं साहानाम्निकम् आदित्यव्रतिकम्। महानाम्नीश्चरति साहानाम्निकः, आदित्यव्रतिकः। नैष युक्तो निर्देशस्तच्चरतीति। महानाम्न्यो नामतो नच ताश्चर्यन्ते व्रत तासां चर्यते। नैष दोषः साहचर्यात्ताच्छब्दस्य भविष्यति। महानाम्नी सहचरित व्रत महानाम्न्यो व्रतम्।—५-१-९४, पृ० ३४१।

मासिक से अष्टचत्वारिंशक या अष्टचत्वारिंशी तक ब्रह्मचारी चरणों में प्रविष्ट होते थे।^१ कालविषयक ये उदार नियम इस बात के परिचायक हैं कि चरणों के द्वार प्रत्येक सत्यान्वेषी के लिए सदा खुले रहते थे।

वर्णों—ब्रह्मचारी त्रैवर्णिक ही होते थे। इसीलिए उन्हें वर्णों कहते थे। 'वर्णाद् ब्रह्म-चारिणि' (५-२-१३४) सूत्र की व्याख्या में काशिकाकार ने कहा है कि ब्रह्मचारी त्रैवर्णिक ही समझना चाहिए। वही विद्याग्रहण के लिए उपनयन के बाद व्रतचर्या करता है। ब्राह्मणादिक तीन वर्णों को ही वर्णों कहते हैं।^२ वर्णों लोग किसी-न-किसी आम्नाय का अध्ययन करते थे। प्रत्येक आम्नाय का नाम उसके आचार्य के नाम पर प्रचलित था। जैसे, काठक (कठ), मौदक (मौद), कालापक (कलाप), पिप्पलादक (पिप्पलाद), छान्दोग्य (छन्दोग) आदि।^३ एक विषय या वेद का अध्ययन करनेवाले सभी वर्णों ब्रह्मचारी^४ कहलाते थे और एक ही चरण में रहकर पढनेवाले^५ सतीर्थ्य।

मानव, माणव और माणवक—माणव कुत्सित (विहित कर्म न करनेवाले और निषिद्ध कर्मवाले) तथा मूढ (विद्याविहीन) मानव को कहते थे। मानव (मनु की सन्तान) और माणव में इतना ही भेद था।^६

भाष्यकार ने माणव और माणवक में अन्तर किया है। छोटा माणव माणवक कहलाता था। आठ वर्ष से कम आयु के बालक को माणवक या माणविका (स्त्री) कहते थे। माणवक घर पर रहते और खेलते कूदते थे।^७ इनके नाम पिता के नाम पर पड जाते थे। जैसे, फाण्टाहृति का पुत्र माणवक फाण्टाहृत^८ या उपगु की पुत्री औपगवी माणविका।^९ खेलना-कूदना इनका मुख्य काम था।^{१०} वे बड़े चंचल और अधीर होते हैं,^{११} इसलिए इन्हें वैयंशील बनाने का प्रयत्न किया जाता था। माणवक जब कुछ बड़े होते थे, तब उनका उपनयन कर उन्हें आचार्य के पास भेज दिया जाता था। ये लोग वेदाध्ययन की तैयारी करते थे। शिक्षा माँगने जाते थे। भाष्यकार ने

१. ५-१-२५, पृ० ३४१।

२. ५-२-१३४ काशिका।

३. ४-३-१२६ तथा ४-३-१२० पृ० २५२।

४. ८-३-८६, पृ० ३५४।

५. ६-३-८७।

६. अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सर्गिकः स्मृतः।

नकारस्य च मूर्धन्यस्तेन सिध्यति माणवः ॥—४-१-१६१, पृ० १५३।

७. १-३-२१, पृ० ६२।

८. १-३-२९, पृ० ६२।

९. १-२-४१, पृ० ५१८।

१०. ५-४-१५४, पृ० ५१५।

११. आगमयस्व माणवकः ॥—१-३-२१, पृ० ६२।

इन्हे 'अनृच'^१ कहा है। माणवक बाल रखते थे^२, किन्तु माणवो के बाल मुडा दिये जाते थे।

ब्रह्मचर्य का पतन—पतंजलि के समय में ब्रह्मचारियों में चरित्रहीनता भी विद्यमान थी। पाणिनि ने स्वयं गोत्रो, अन्तेवासियो, माणवको और ब्राह्मणो के निन्दनीय कृत्यो का उल्लेख किया है। पतंजलि ने इस प्रसंग में उदाहरण नहीं दिये हैं, किन्तु काशिकाकार के उदाहरण पतंजलि-काल से चले आनेवाले परम्परागत उदाहरण ही हैं, जिनसे स्पष्ट है कि कुछ ब्रह्मचारी कुमारी, घृत, ओदन आदि के लोभ से विशिष्ट चरणों में प्रवेश कर लेते थे। कोई कुमारी-प्राप्ति के लोभ से दाक्ष आमनाय पढता था, तो कोई घृत के लालच से रौढि का शिष्य बन जाता था। दाल-भात के लोभ से ही कुछ ब्रह्मचारी पाणिनीय व्याकरण पढने लगते थे। छोटे लडके भिक्षा के लोभ से माणव बन जाते थे।^३

ब्रह्मचर्य की साधना योग^४ मानी जाती थी। एक गुरुकुल में जाकर व्रत-समाप्ति तक अध्ययन करनेवाला या उच्च कक्षा का विद्यार्थी प्रान्तवासी कहलाता था। जो विद्यार्थी बार-बार गुरुकुल बदलते रहते थे, वे निन्दित माने जाते थे और उन्हें तीर्थकाक या तीर्थध्वंस^५ कहते थे। कुछ-कुछ ब्रह्मचारी अध्ययन-समाप्ति के पूर्व ही बिना स्नातक बने और बिना गुरु की आज्ञा लिये अध्ययन छोडकर घर लौट जाते थे और गृहस्थ बन जाते थे। यह बात परम्परा के विरुद्ध थी। नियम यह था कि अध्ययन समाप्त कर समावर्त्तन-सस्कार के बाद (जो विशेष स्थान तथा स्रग्वारण के साथ मनाया जाता था और जिसके कारण ही अधीती ब्रह्मचारी स्नातक और स्रग्वी कहलाता था) ब्रह्मचारी गुरु से आज्ञा लेकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। जो ऐसा न कर व्रत को खण्डित कर डालता था, उसे खट्वाखुड^६ कहते थे। यह वचन निन्दा का वाचक था।

गृहस्थाश्रम—ब्रह्मचर्य के बाद दूसरा आश्रम गृहस्थ या गृहपति का था। गृह में प्रवेश के अवसर पर यज्ञादि धार्मिक सस्कार किया जाता था। इस सस्कार के अवसर पर प्रयुक्त होनेवाले मन्त्र गेहानुप्रवेशनीय कहे जाते थे।^७ आश्रम में प्रवेश करनेवाले को गृहपति कहते थे। प्रत्येक गृहपति के लिए प्रतिदिन पचमहायज्ञ करना आवश्यक था।^८ प्रत्येक घर

१. ५-४-१५४, पृ० ५१५।

२. १-२-३२, पृ० ५११।

३. ६-२-६९ काशिका।

४. ३-१-८७, पृ० १५५।

५. यथा तीर्थे काका न चिरं स्थातारो भवन्त्येवं यो गुरुकुलानि गत्वा न चिरस्तिष्ठति स उच्यते तीर्थकाक इति।—२-१-४२, पृ० २९५।

६. अधीत्य स्नात्वा गुरुभिरनुज्ञातेन खट्वा रोढव्या। य इदानीमतोऽन्यथा करोति स उच्यते खट्वाखुडोऽयं जालमः।—२-१-२६, पृ० २८१।

७. ५-१-१११, पृ० ३४५।

८. ४-१-३३, पृ० ५१।

मे आठी पहर यज्ञाग्नि जाग्रत् रहती थी। यह अग्नि गार्हपत्य कहलाती थी।^१ गृह का एक भाग इसके लिए नियत रहता था, जिसे आवसथ कहते थे। आवसथ^२ की शुद्धता, पवित्रता का ध्यान रखा जाता था। मूत्रादि क्रियाएँ उससे दूर की जाती थी। आवसथ में रहने के कारण ही गृहस्थ का नाम आवसथिक^३ भी था। आवसथ की यज्ञाग्नि का नाम आवसथ्य था। गृहस्थ का प्रमुख यज्ञ पत्नी-सयाज था, जिसका सम्पादन वह पत्नी के साथ करता था और इस यज्ञ में भाग लेने के कारण ही भार्या का नाम पत्नी भी था। पत्नी-सयाज में बोले जानेवाले मन्त्रों का नाम भी गृह-पति ही था। यो गृहस्थ का सम्बन्ध दक्षिणाग्नि से भी था; क्योंकि वह पत्नी-सयाज के अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से यज्ञ करता था, किन्तु उसका मुख्य यज्ञ पत्नी-सयाज ही था।^४

पतञ्जलि-काल में परिवार सामान्यतया संयुक्त था। परिवार के वृद्ध पुरुष या पिता के जीवन-काल में पुत्र-पौत्र उनके अवीन या अस्वतन्त्र रहते थे। यदि कोई पिता के जीवन-काल में स्वतन्त्र आचरण करता, तो उसे निन्दित या कुत्सित माना जाता था। यदि वह पुरुष वत्स या गर्ग गोत्र का हुआ, तो लोग कहते थे, 'जाल्म तुम वात्स्य हो, जाल्म तुम गार्ग्य हो।' अर्थात्, तुम्हें गर्ग या वत्स की सन्तान होना शोभा नहीं देता,^५ ऐसे अपवाद बहुत कम थे। परिवार भरे-पूरे और पुत्र-पौत्र-सम्पन्न थे। सप्रजस् और बहुप्रजस् परिवारों का वाहुल्य था, यद्यपि अप्रजस् (सन्तान हीन) एव कुप्रजस् परिवार भी थे।^६ जिस व्यक्ति के पुत्र-पौत्र जीवित होते थे, वह पुत्रपौत्रीण कहा जाता था।^७ पुत्र माता के नाम पर भी पुकारे जाते थे—यथा गार्गीपुत्र।^८ गार्गीपुत्र की सन्तान गार्गीपुत्रकायणि, गार्गीपुत्रायणि या गार्गीपुत्रि कही जाती है। परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति वृद्ध या वश्य कहा जाता था। पुत्र और पौत्र के आगे की सन्तान गोत्र^९ कही जाती थी, किन्तु यदि घर में प्रपितामह, पितामह, पिता, ज्येष्ठ भ्राता या अन्य ज्येष्ठ पुरुष जीवित रहता, तो पौत्रादि की सन्तान युवा कहलाती थी।^{१०} एक गोत्र के लोगों में सपरिवारता का भाव था। इसीलिए, यदि स्थविरतर सपिण्ड भी जीवित होता, तो भी सन्तान युवा कहलाती थी। घर में बड़ा व्यक्ति स्थविर कहलाता था। युवा कहलाना गौरव की बात मानी जाती थी। इसीलिए,

१. ४-४-९०, पृ० २८६।
२. ४-४-७४।
३. दूरादावसथान्मूत्रं दूरात्पादावसेचनम्।—२-३-३५, पृ० ४३०।
४. ४-४-९०, पृ० २८६।
५. पितृतो लोके व्यपदेशवताऽस्वतन्त्रेण भवितव्यम्। य इवानां पितृमान् स्वतन्त्रो भवति स उच्यते गार्ग्य त्वमसि जाल्म। न त्वं पितृतो व्यपदेशमर्हसि।—४-१-१६२, पृ० १५५।
६. ५-४-१२२, २३।
७. ५-२-१०।
८. ४-२-१५९।
९. ४-१-१६३, पृ० १५५।
१०. वही, ४-१-१६२, पृ० १५४।
११. ४-१-१६३, ६४, ६५, पृ० १५५ से १५७।

वृद्ध को भी सम्मान प्रदर्शित करने के लिए युवा कह देते थे। जैसे, श्रीमान् वात्स्यायन या श्रीमान् गार्ग्यायण। सामान्यतया वृद्ध गार्ग्य और युवा गार्ग्यायण पुकारे जाते थे।^१ ये सब बातें सयुक्त परिवार-प्रथा तथा रक्त-सम्बन्ध के महत्त्व को प्रतिपादित करती हैं।

परिव्राजक—सर्वस्व को छोड़कर चले जानेवाले प्रव्रजित या परिव्राजक कहलाते थे। ये अपने साथ त्रिविष्टवक रखते थे। त्रिविष्टवक परिव्राजक का परिचायक था। जिस प्रकार धूम को देखकर अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार त्रिविष्टवक से परिव्राजक की उपस्थिति का अनुमान किया जा सकता था।^२ त्रिविष्टवक तीन काष्ठ-खण्डों को एक साथ रस्सी से बाँधकर त्रिदण्ड के समान बनाया जाता था।^३ भाष्यकार ने शकरा नामक परिव्राजिका तथा मस्करी परिव्राजकों की चर्चा की है।^४

भिक्षु—भिक्षुओं का उल्लेख भाष्य में परिव्राजक की अपेक्षा अधिक हुआ है। भिक्षु सर्वस्व का परित्याग कर भिक्षा के सहारे जीवन विताते थे। इन लोगों के आश्रम का नियामक एक सूत्रग्रन्थ था, जिसके प्रणेता पाराशर्य थे।^५ एक भिक्षुसूत्र कर्मन्दक का भी था।^६ इन दोनों के अनुयायी क्रमशः पाराशरी और कर्मन्दी कहलाते थे। सम्प्रदाय-परम्परा के अनुसार ये स्थण्डिलगायी होते थे। यह भिक्षुव्रत था। इसलिए, भिक्षु स्थण्डिल्य कहलाते थे।^७ वे चलते समय इधर-उधर न देखकर पैरों पर दृष्टि गढाये केवल कुक्कुटी-पाद भर भूमि को देखते चलते थे। दृष्टि-सयम भी उनकी साधना का एक अंग था। इन अविक्षिप्तदृष्टि भिक्षुओं को इसी कारण कौक्कुटिक^८ कहते थे। भिक्षु के लिए वस्ती से दूर अरण्य में रहने का विधान था। कुछ भिक्षु वस्ती से अलग, किन्तु वस्ती के पास रहते थे। ये नैकटिक कहे जाते थे।^९ भिक्षु की जीविका का आधारा भिक्षा थी। भिक्षा में उन्हें सभी प्रकार के अन्न प्राप्त होते थे। सर्वान्न भक्षण करने के कारण भिक्षु सर्वान्नान^{१०} कहलाते थे।^{११} इस साधन-चर्या ने उसे समाज-प्रतिष्ठा का पात्र बना दिया

१. ४-१-१६३, पृ० १५५, १५३।
२. २-१-१, पृ० २४३।
३. यथा तर्हि त्रिविष्टवकं। तत्राप्यन्ततः सूत्र भवति।—१-१-१, पृ० १०२।
४. ३-२-१४, पृ० ३१२।
५. ६-१-१५४, पृ० १९३।
६. ४-३-११०।
७. ४-३-१११।
८. ४-२-६६, पृ० १९३।
९. ४-२-६६, पृ० १९३ तथा ४-२-१५ काशिका।
१०. देशस्याल्पतया हि भिक्षुरविक्षिप्तदृष्टिः पादविक्षेपदेशे चक्षुः सयम्य गच्छति स उच्यते कौक्कुटिक इति।—४-४-४६ काशिका।
११. ४-४-७३ काशिका।
१२. ५-२-९, पृ० ३६९।
१३. ५-१-११३, पृ० ३४६।

था। भाष्य में उसे क्रीशशक्तिक कहा है, अर्थात् भिक्षु का अभिनन्दन सौ कोस पहले से करना चाहिए, यह सामाजिक मर्यादा थी।^१

महाभाष्य में परिव्राजक और भिक्षु शब्द अवश्य आये हैं, किन्तु वानप्रस्थ और संन्यास, आश्रमों का पृथक् स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसका कारण यह है कि आरम्भ से वैदिक आर्यों में तीन ही आश्रमों की प्रथा थी—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और वैखानस। वेदों में अथर्व और ऋणों में शूद्र के समान आश्रमों में भिक्षु या संन्यास-आश्रम वाद में सम्मिलित किया गया। बौद्धों में संन्यास का महत्त्व था और वैदिकों में वैखानस का। धीरे-धीरे जब वैदिकों और बौद्धों में जब बहुत-सा सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ, तब वैदिकों ने बौद्धों के अन्तिम आश्रम को भी आत्मसात् कर लिया। तो भी, दोनों आश्रमों का अन्तर बहुत काल तक स्पष्ट नहीं हो पाया। महाभाष्य में जिस प्रकार वेदों को 'त्रैविद्य' भी कहा है और 'चातुर्वेद्य' भी, उसी प्रकार चातुराश्रम्य का उल्लेख करते हुए भी विवरण तीन का ही दिया गया है। कालिदास के समय तक यही स्थिति बनी रही। रघुवंश के प्रारम्भ में उन्होंने तीन आश्रमों का ही उल्लेख किया है और तृतीय आश्रम को 'मुनिवृत्ति' का आश्रम कहा है।^२ अभिज्ञानशाकुन्तल में भी उन्होंने गृहस्थ के बाद वैखानस आश्रम का ही उल्लेख किया है। दुष्यन्त शाकुन्तला के विषय में जिज्ञासु भाव से पूछता है—'वैखानस किमनया व्रतमाददानाद् व्यापाररोचि मदनस्य निपेवितव्यम्'। कट्टर वैदिक लोग चतुर्थ आश्रम के बराबर विरोधी ही बने रहे। बौद्धायन धर्मसूत्र में संन्यास को असुर-प्रवर्तित कहकर उसकी निन्दा की है।^३ इससे भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है। इस पर 'साधु-संन्यासी' प्रकरण में विशेष विचार किया जायगा।

१. क्रीशशक्तादभिगमनमर्हति इति क्रीशशक्तिको भिक्षुः। धीजनशक्तिको गुरुः।—
५-१-७४, पृ० ३३७।

२. शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां धीवने विषयविषाणाम्।

वार्षके मुनिवृत्तीनां धीगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥— रघुवंश।

३. बौधा० धर्म० सू०, प्रश्न २, खं० ११।

अध्याय ५

नारी

भाष्यकार ने अनेक रूपों में नारी का उल्लेख किया है। आयु की दृष्टि से शिशु, कुमारीतरा,^१ कुमारी, किशोरी, युवती, वधूटी, जरती आदि शब्द भाष्य में मिलते हैं और सम्बन्ध की दृष्टि से कन्या, बर्षा, पत्नी, माता, भगिनी, मातामही, पितामही आदि। कुमारीतरा पाँच-छह वर्ष की लड़की को कहते थे, कुमारी आठ-दस वर्ष की और किशोरी बारह-चौदह वर्ष की लड़की कहलाती थी।

प्रथमवयस्का—'वयसि प्रथमे' (४-१-२०) का भाष्य करते हुए पतञ्जलि ने उत्तानशया, लोहितपादिका, द्विवर्षा, त्रिवर्षा, कन्या, वधूटी और चिरण्टी का उल्लेख किया है। इनमें वधूटी और चिरण्टी द्वितीय वय के बोधक हैं। उत्तानशया तीन-चार महीने की लड़की को कहते हैं जो बैठ नहीं पाती और ऊपर, मुँह किये सोती है। लोहितपादिका सात आठ महीने की लड़की को कहते हैं, जो अपने पाँवों नहीं चल पाती थी। इसके बाद द्विवर्षा, त्रिवर्षा आदि आती हैं। कुमारीतरा इसके बाद की अवस्था और कुमारी उससे अधिक अवस्था की लड़की होती है। प्रथम और द्वितीय वयस्का भेद पतञ्जलि के मत से पुरुष के साथ सम्बन्ध न होने और होने पर आश्रित था। पुरुष के साथ असप्रयोग कन्या को वधूटी से पृथक् करता था। कुमारी के साथ राजकुमारी का पृथक् उल्लेख भी भाष्य में मिलता है।^१

कुमारी और किशोरी तक की आयु की लड़कियाँ कन्या कहलाती थी। वयस्क कन्याओं को बर्षा कहते थे। बर्षा के विवाह की प्रार्थना कोई भी कर सकता था।^२ इसके लिए कोई निरोध न था। पति के चयन में कन्या की भी सम्मति ली जाती^३ थी। इसीलिए, उसे पतिवरा कहते थे। माता-पिता अभिरूप वर की खोज करते थे और यथाशक्ति अभिरूपतम वर को कन्या देते थे।^४ बड़ी आयु में विवाह की प्रथा वैदिक काल से ही चली आ रही थी। ऋग्वेद में

१. ४-१-२०, पृ० ४४, ४५।

२. ५-३-५५, पृ० ४४९।

३. १-१-६३, पृ० ४०९।

४. ३-१-१०१।

५. ३-२-४६।

६. अभिरूपाय कन्या देयेति न चानभिरूपे प्रवृत्तिरस्ति तत्राभिरूपतामायेति गम्यते।—

१-४-४२, पृ० १७०।

कन्या के पितृगृह में प्रौढ हो जाने का उल्लेख मिलता है।' तैत्तिरीय आरण्यक में भी बड़ी आयु तक कन्याओं के अविवाहित रहने का उल्लेख है^१, यद्यपि छान्दोग्य उपनिषद् में बाल-विवाह का संकेत मिलता है और वहाँ ऐसी कन्या को आतिका कहा^२ है। फिर भी सामान्यतया कन्या द्वारा स्वयं पति के वरण के प्रसंग ही ऋग्वेद से उत्तरकालीन वैदिक साहित्य तक प्राप्त होते हैं।^३

वर द्वारा कन्या का पत्नी-रूप में अंगीकरण 'स्वकरण' कहलाता था। जो अपनी नहीं, थी उसे अपनी बनाने का नाम स्वकरण था। भाष्यकार ने कहा है कि यद्यपि 'स्वीकरण' शब्द इस अर्थ में अधिक उपयुक्त है, तथापि तद्धित का स्वभाव विचित्र है और यहाँ स्वकरण शब्द ही प्रयुक्त^४ होता है। यह स्वकरण अन्य करणों से भिन्न था। यह कोरा स्वकरण नहीं था, अपितु पाणि-ग्रहणयुक्त स्वकरण था।^५ पाणि-ग्रहण या विवाह को उपनयन भी कहते थे। इस अर्थ में 'भार्यामुपयच्छते', भार्यामुपायत' या 'उपायस्त' प्रयोग होता था अन्यथा 'उपयच्छति' बोला जाता था। विवाह के लिए दारकर्म शब्द का भी प्रयोग प्रचलित^६ था। पाणिग्रहण शब्द का विशेष अर्थ था। प्रत्येक दार-कर्म या विवाह वर-बधू के पारस्परिक पाणिग्रहणपूर्वक स्वकरण द्वारा सम्पन्न होता था। पाणिग्रहण द्वारा स्वीकृत भार्या पाणिगृहीती होती थी, यह पाणिगृहीती का विशेष अर्थ था। बिना विवाह के यो ही यदि किसी कार्यवश स्त्री का हाथ पकड़ लिया जाता, तो वह पाणिगृहीता कही जाती^७ थी। पाणिग्रहण की यह क्रिया 'हस्तेकरण' या 'पाणीकरण' कहलाती थी। विवाह करके जाने को 'हस्तेकृत्य गत' या 'पाणीकृत्य गत' कहते थे।

भार्या—विवाह कुमारी का भी होता था और त्यक्तभर्तृका, त्यक्ता और विधवा का भी। जिसने प्रथम वार पति का वरण किया हो, ऐसी भार्या कौमारी कहलाती थी। ऐसी अपूर्वपति कुमारी का पति कौमार कहा जाता था। कौमारी भार्या और कौमार पति दोनों में कुमारत्व भार्या का ही देखा जाता था। पति का कुमार होना आवश्यक नहीं था। अन्यथा कौमारी भार्या का प्रस्तुत अर्थ न होकर कुमार पति की कुमारी पत्नी यह होता। सम्भवतः, पाणिनि-काल में ऐसी बात नहीं थी। उस समय पति का कुमार होना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण माना जाता था। इसीलिए, कात्यायन को पाणिनि के 'कौमारापूर्ववचने' (४-२-१३) सूत्र में वर तथा कन्या दोनों पक्षों में कौमारत्व-ग्रहण के लिए वार्त्तिक जोड़ना पड़ा, जिसे पतञ्जलि ने ज्यो-का-न्यो स्वीकार कर लिया। पत्नी के कुमारीत्व का विशेष रूप से उल्लेख इस बात की ओर संकेत करता है कि इस समय ऐसे विवाह भी पाये जाते थे, जिनमें स्त्री-विवाह के समय कुमारी नहीं

१. आमार्जूरिव पित्रोः स चासती समानाद्य सदसस्त्वामिये भगम् ।—ऋग्०, २-१७-७।
२. कुमारीषु कानीनीषु जारिणीषु च ये हिताः ।—तैत्ति० आर०, १-२७।
३. छान्दो० उप०, १-१०-१।
४. भद्रा वधुर्भवति यत्सुपेशा स्वयं सा मित्रं वनुते जनेचित् ।—ऋग्०, १०-२७-१२।
५. १-३-५६, पृ० ७०।
६. वही, काशिका।
७. १-२-१६ काशिका।
८. ४-१-५२, पृ० ६४।

रहती थी। उसका कुमारीत्व पहले ही नष्ट हो चुकता है, ऐसी स्त्री त्यक्ता, त्यक्तभर्तृका या विधवा हो सकती थी। पुरुषों के लिए विवाह-काल में कुमार होना अनिवार्य न था। पतञ्जल ने उक्त सूत्र को अनावश्यक मानकर उसका खण्डन कर दिया है। तो भी दोनों रूपों में स्त्री के कुमारी होने की बात पर उन्होंने किसी प्रकार का आक्षेप नहीं किया है। स्पष्ट है कि पतञ्जल-काल में स्त्रियों की सामाजिक समानता पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था।^१

जनी और जन्या—नवविवाहिता कन्या वधू या जनी कही जाती थी। जनी को उसके पति के पास ले जानेवाली या विवाह-श्रेला में उन दोनों की गँठ बाँधनेवाली उसकी सहेलियों को जन्या कहते थे। जन्या शब्द सज्ञावाचक था और परिवार में यह कार्य कौन लडकियाँ करेगी, यह निश्चित रहता था। लडकी छोटी हो या वृद्ध हो जाय, परिवार में जन्या ही कहलाती थी। यह सम्बन्ध उसी प्रकार का था, जैसा आजकल 'सहवाल' (वर का छोटा भाई) का होता है। जन्या वधू की वहाँ या वयस्याएँ होती^२ थी।

जाया और पत्नी—जनी शब्द जननी का सक्षिप्त रूप था। 'सज्ञाया जन्या' (४-४-८२) जननी को ही जनीभाव निपातन करता है। जनी शब्द में सन्तानोत्पादन का भाव निहित था। इसीलिए, पत्नी को जाया (जिसमें सन्तान उत्पन्न की जाय) कहते थे। जिसकी जाया युवती होती थी, उसे युवजानि कहते थे और वृद्ध पत्नीवाले को वृद्धजानि।^३ पत्नी को दार भी कहते थे। यह शब्द 'दृ' (विदारणार्थक) धातु से प्रेरणार्थ में बना है, जिसका अर्थ है विदारण करनेवाली।^४ अथवा जिनके द्वारा विदारण किया जाय। पत्नी शब्द का व्यवहार सामान्य नहीं था। पति के साथ यज्ञ में भाग लेनेवाली उसकी सहघमिणी को पत्नी कहते थे। जिन जातियों को यज्ञ का अधिकार नहीं था, उनमें भार्याओं के लिए यदि पत्नी शब्द का व्यवहार होता था, तो साम्य के कारण ही। वृषल और तुषजक को जाया को 'पत्नी के समान' मानकर ही पत्नी कहा जाता था।^५ वास्तव में पाणिनि और उनके पूर्वकाल में, जब कि यज्ञ का प्राधान्य था, द्विजातिमात्र को भार्या के लिए पत्नी शब्द प्रयुक्त होता था और अरुन्धती के पति वसिष्ठ 'या' वसिष्ठ की पत्नी अरुन्धती इस कथन का अर्थ होता था, 'जिस यज्ञ का अधिकार अरुन्धती को प्राप्त है, उसका फल भोगनेवाले वसिष्ठ' अथवा 'जिस यज्ञ का अधिकार वसिष्ठ को है,

१. कौटिल्यापूर्ववचने कौमार्यापूर्ववचन इत्युभयतः स्त्रिया. अपूर्वत्वे। अपूर्वपतिं कुमारीमुपपन्नः कौमारो भर्ता। कुमार्यपूर्वपतिः पतिमुपपन्नः कौमारोभार्या।—४-२-१३, पू० १७१, ७२।

२. जनी वहन्ति जन्याः। जनीं वोढारो जन्याः, जनीमवाक्षु जन्या इति।—४-४-८२, पू० २८५।

३. ५-४१३४।

४. दारयन्ति इति दाराः, दीर्यते तैर्दाराः—३-३-२०, पू० ३०१।

५. पत्युर्नोयज्ञसयोगो यज्ञसयोग इत्युच्यते तत्रेदं न सिध्यति इयमस्मपत्नी। अयं तर्हि स्यात्? पत्नीसंयाज इति यत्र यज्ञसंयोगः।—एवमपि तुषजकस्य पत्नीति न सिध्यति उपमाना-स्तिष्ठम्। पत्नीव पत्नी।—४-१-३३, पू० ५०, ५१।

उसका फल भोगनेवाली अरुण्वती। इस 'पत्नी-सयाज' (यज-विशेष) के सम्बन्ध में ही पत्नी शब्द का प्रयोग होता था। पतजलि-काल तक आते-आते पत्नी-सयाज की प्रथा सामान्य घरों में नष्ट हो गई, किन्तु पत्नी शब्द जो एक बार चल चुका था, चलता गया। वह द्विजातियों तक सीमित न रहकर भार्या का सामान्यबोधक बन गया। पतजलि के सामने पाणिनि के समर्थन का प्रश्न था और श्रोत्रिय होने के कारण वे सूत्र से 'यज्ञसयोगे' शब्द को निकालना भी सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए, उन्होंने दूसरी युक्ति का सहारा लिया। पंचमहायज्ञ उनके समय में भी प्रचलित थे। इसलिए, उन्होंने कहा कि पत्नी शब्द जिस पति शब्द से बना है, उसका अर्थ भर्ता नहीं है। यह ऐश्वर्यवान् अर्थ में व्यवहृत दूसरा पति शब्द है। इसी से पत्नी शब्द बनता है। द्विजाति के प्रत्येक पुरुष और स्त्री के लिए प्रतिदिन पंचमहायज्ञों का विधान है। उनके लिए प्रातः-साय गृहस्थ जिस चर और पुरोडाश का निर्वाप करता है, उसका वह ईश्वर या स्वामी होता है। वह उसके फल का भी ईश्वर होता है। इस अर्थ में पुरुष को पति कह सकते हैं और स्त्री को पत्नी।^१ किन्तु, इससे भी पूरी समस्या का समाधान नहीं हो सका। शूद्रों की स्त्रियों के लिए भी पत्नी शब्द का प्रचलन हो चुका था। उसके लिए भाष्यकार ने कहा कि वहाँ उपमान से काम चल जायगा। वह शुद्ध पत्नी न होते हुए भी पत्नी के समान होने के कारण औपचारिक अर्थ में पत्नी कही जा सकती है।^२ पाणिनि-काल से पतजलि-काल तक पत्नी शब्द का अर्थ-विकास समाज में शनै-शनै होनेवाले परिवर्तनों पर अच्छा प्रकाश डालता है।

वहुविवाह—पुरुष एक साथ एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर लेते थे। ऐसे पुरुषों की पत्नियाँ परस्पर सपत्नी कहलाती थी।^३ भाष्य में अष्ट भार्याओवाले पुरुष का उल्लेख है।^४ स्त्री एक साथ एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती थी या नहीं, इसका भाष्य में कोई उल्लेख नहीं है। पति का गौरव पत्नी की गौरव-वृद्धि में सहायक था। वीरपत्नी, दासपत्नी जैसे शब्द क्रमशः पति के कारण पत्नी को प्राप्त होनेवाले गौरव और क्षुद्रता के बोधक थे।^५ सपत्न्यादि गण में एक, वीर, दास शब्दों का उल्लेख है।

पत्नी के भरण-पोषण का भार पुरुष पर होता था। पोषित होने के कारण ही पत्नी को भार्या^६ भी कहते थे। नवोढा भार्या को वधूटी और चिरपटी कहते थे।^७ ये शब्द भार्या की यौवन-सम्पन्नता को व्यक्त करते थे। इन्ध और आद्य युवतियाँ आकर्षण का विशेष केन्द्र थीं।^८

१. ४-१-३३, पृ० ५०, ५१।

२. नैष दोषः पतिशब्दोऽयमैश्वर्यवाची। सर्वेण च गृहस्थेन पंचमहायज्ञा निर्वर्त्याः। यच्चा दः सायंप्रातर्होमचरुपुरोडाशाग्निर्वपति तस्यासवीष्टे। एवमपि तुषजकस्य पत्नीति न सिद्धयति। उपमानात्सिद्धम्। पत्नीव।—बही।

३. ४-१-३५।

४. ७-१-२१, पृ० २६।

५. ४-१-३५।

६. ६-३-२८, पृ० १८२।

७. ४-१-२०, पृ० ४४।

८. २-१-६९, पृ० ३२२।

पत्नी का धर्म—पत्नी का धर्म पति को प्रसन्न रखना और उसकी काम-तृप्ति भी था। सन्तानोत्पत्ति-मात्र जो विवाह का लक्ष्य भारतीय सस्कृति का महत्त्वपूर्ण अंग कहा जाता है, पतंजलि काल में आशिक रूप से ही सत्य था। भाष्यकार ने कहा है, 'खेद (कामपीडा) के कारण स्त्रियो में प्रवृत्ति होती है। खेद-विगम (काम-शान्ति) जिस प्रकार गम्या में हो सकती है, उसी प्रकार अगम्या में। तो भी इस विषय में नियम बनाया गया है कि कौन गम्या है और कौन अगम्या^१ सुन्दर वस्त्रों से सज्जित होकर पति को कामयमान स्त्री जिस प्रकार पति के सामने स्वयं को विवृत (निरावरण) करती है, उसी प्रकार वाग्विद् के सम्मुख वाक् उपस्थित होती है', इस प्रकार की उपमा भाष्यकार जैसे थोत्रिय ने नि सकोच दी है।^२ 'पति के निमित्त शयन करना' जैसी उक्तियाँ सकोच का कारण नहीं थी।^३

सौन्दर्य नारी का महत्त्वपूर्ण गुण माना जाता था। स्त्रियाँ एतदर्थ सुन्दर आकर्षक वस्त्रों तथा आभूषणों का उपयोग करती थीं। पति सौन्दर्य का मूल्य समझता था। 'वस्तुनु' आदि सम्बोधन इसके प्रमाण हैं। भूषणों की चर्चा यथास्थान अन्यत्र हुई है। ऊपर अभिरूपतम वर का उल्लेख भी हो चुका है। पति-पत्नी का पारस्परिक आकर्षण दाम्पत्य-जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग था। कभी-कभी प्रेमी के हृदय पर अधिकार करने के लिए वशीकरण मन्त्रों का भी उपयोग होता, जिन्हें 'हृद्य' कहते थे।^४ कणिका, ललाटिका, केशवेश तथा अन्य भूषणों और मण्डनों का खूब प्रचार था।^५

दिधिषू—अनेक वहनों में बड़ी वहन का विवाह पहले किया जाता था। छोटी वहन का पहले विवाह होना सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता था। जिसकी छोटी वहन का विवाह पहले हो जाता था, उसे 'दिधिषू' कहते थे और उसके पति को दिधिषूपति^६। इससे स्पष्ट है कि समाज ऐसे मामलों पर कड़ी दृष्टि रखता था और जो अपवाद होते थे, उन्हें स्मरण रखा जाता था।

भार्या के सम्बोधन—वधू को सुमगली कहते थे। यह शब्द उसके प्रति सम्मान-भावना का परिचायक है। कन्यादान के साथ पिता द्वारा कन्या को कुछ द्रव्य या वस्त्रादि दिये जाते थे। इसे 'हरण' कहते थे। हरण धर्म्य माना जाता था।^७

विवाहित स्त्रियों को पति के नाम के आधार पर पुकारने की प्रथा थी। पूतक्रु की स्त्री

१. आ० १, पृ० १८।

२. जायेव पत्ये उशतीसुवासा. तद्यथा जायापत्ये कामयमाना सुवासा' स्वमात्मान विवृणुते ।—आ० १, पृ० ८।

३. १-४-३२, पृ० १६८।

४. १-३-४८, पृ० ६७।

५. ४-४-९६।

६. ४-३-६५, ४-१-४२, ३-२-१५१।

७. ६-२-१९।

८. ६-२-६५ टिप्पणी, पृ० २७१ (पूना - सस्करण)।

पूतकृतायी,^१ वृषाकपि की वृषाकपायी,^२ मनु की मनायी या मनावी,^३ गणक की गणकी, गोपालक की गोपालिका, महामात्र की महामात्री, प्रष्ठ और प्रचर नेता की प्रष्ठी और प्रचरी कहलाती थी। इसी प्रकार, उपाध्याय की पत्नी उपाध्यायी या उपाध्यायानी, मातुल (मामा) की पत्नी मातुली या मातुलानी, आचार्य की पत्नी आचार्याणी और क्षत्रिय की पत्नी क्षत्रिया या क्षत्रियाणी कही जाती थी। ये आख्याएँ केवल पति के नाम पर आश्रित थीं। यह आवश्यक नहीं था कि आचार्याणी स्वयं पढाती हो या क्षत्रियाणी स्वयं क्षत्रिय हो। सूर्य की स्त्री को, देवता हो, तो सूर्या और मानुषी हो, तो सूरी (कुन्ती) कहते थे।^४ यह इस बात का सूचक है कि विवाहोपरान्त कन्या^५ पति के गुण-गौरव की सहभागिनी बन जाती थी। पति का कुल उसका कुल बन जाता था। सधवा होना बड़े भाग्य की बात मानी जाती थी। जिस स्त्री का पति जीवित होता था, उसे पतिवत्नी^६ कहते थे। पतिवत्नी शब्द जीवद्भर्तृकत्व का बोधक था।

यह आवश्यक नहीं था कि हर कन्या विवाह करे। इच्छानुसार कोई लड़की कुमारी रह सकती थी। ऐसी लड़की जबतक विवाह न करे, कन्या मानी जाती थी। समाज में बृद्ध-कुमारियाँ और जरतकुमारियाँ भी पाई जाती थी।^७

नैतिक दोष—भाष्य में नैतिक पतन को सूचित करनेवाले उल्लेख भी कई स्थानों पर मिलते हैं। कन्याएँ विवाह के पूर्व भी गर्भवती हो जाती थीं। उनकी सन्तान कानीन कहलाती थी। भाष्यकार ने कानीन शब्द पर आपत्ति करते हुए कहा है कि यो तो यदि कन्या है, तो उसका अपत्य नहीं हो सकता और यदि अपत्य हो गया, तो कन्या कहाँ रहती। कन्या और अपत्य ये दोनों परस्पर-विरोधी बातें हैं। अतः, कन्यापुत्र को कानीन नहीं कह सकते। फिर भी, कन्या का कन्यात्व पुरुष के साथ विवाह और उसके साथ यौन सम्बन्ध होने पर समाप्त होता है। जिसका पुरुष के साथ यौन सम्बन्ध विवाह होने के पूर्व हो जाता है, उसका कन्यात्व तो नष्ट नहीं होता, इसलिए कन्या या कन्या पुकारी जानेवाली, या कन्या मानी जानेवाली लड़की के अपत्य को कानीन कहना उचित ही है।^८ जारभरा शब्द भी पञ्चादिगण में आया है और भाष्यकार ने 'नन्दिग्रहपचादिभ्यो

१. ४-१-३६।

२. ४-१-३७।

३. ४-१-३८।

४. ४-१-४८, पृ० ५६।

५. ४-१-४९ वा० ४-६-७, पृ० ६३।

६. ४-१-४८, पृ० ६३।

७. ४-१-३२, पृ० ४९।

८. ६-२-९५।

९. कन्यायाः कनीनू च। इदं विप्रतिषिद्धम्—यदि च कन्या नापत्यमयापत्यं न कन्या। नैतद्विप्रतिषिद्धम्—कथम्? कन्या शब्दोऽयं पुंसाभिसम्बन्धपूर्वके सम्प्रयोगे वर्तते। या चैदानौ प्रागभिसम्बन्धात् पुंसा सह सम्प्रयोगे गच्छति तस्यां कन्या शब्दो वर्तते एव। कन्यायाः कन्योक्तायाः कन्याभिमतयाः सुदर्शनायाः यदपत्यं स कानीनः।—४-१-११६, पृ० १४०।

ल्युपिन्यच.' (३-१-१३४) मूत्र में उसके पचादिगण में पढने का समर्थन किया है। जार पति से भिन्न गुप्त प्रेमी को कहते थे। भाष्य की व्युत्पत्ति के अनुसार बुढ़ापा लानेवाले या बुद्धत्व की ओर ले जानेवाले को जार कहते हैं। जार को पालने-पोसनेवाली स्त्री जारभरा कही जाती थी। स्वाभाविक है कि जार की दृष्टि शरीर और सौन्दर्य के उपभोग की ओर रहती हो। ऐसी स्थिति में अवाञ्छित गर्भ रहना भी स्वाभाविक था। गर्भवती स्त्री को अन्तर्वत्नी कहते थे।^१ अनुचित गर्भ वहुया गिरा या छिपा दिये जाते थे। गर्भ को नष्ट कर देनेवाली स्त्रियाँ पुत्रहती या पुत्र-जग्मी कही जाती थी। परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बूढ़ी स्त्रियाँ भी इस पाप में ग्रहण हो जाती थी। ऐसी 'पुत्रपुत्रादिनी' स्त्रियाँ भी समाज में थी। समाज इन्हे घृणा की दृष्टि से देखता था। पाणिनि ने ऐसी स्त्रियों के प्रति समाज की आक्रोश-भावना का उल्लेख किया है।^२ भाष्यकार के दिये हुए वैदिक उद्धरणों से इस पाप-भरम्परा की गति वैदिक काल तक मान्य हो गई है।^३ भाष्य में भ्रूण-हत्या का भी वार उल्लेख मिलता है।^४

दासी—दासियों की स्थिति समाज में अच्छी न थी। वे मालिकों की काम-शुधा-तृप्ति का साधन बनती रहती थी। ऐसी दास-भार्याओं की संख्या बहुत थी।^५ इनकी सन्तान, जो दासेर कहलाती थीं, घर में पलती रहती थी और वही सेवा-टहल करने लगती थी। ये दानियाँ रखेले बन जाती थी। इनके अतिरिक्त यदा-कदा इस प्रकार के ऐसे अपमान उन्हें झेलने पड़ते थे, जिनमें मालिक किसी प्रकार का दायित्व लेने को तैयार नहीं होते थे। समाज स्वामियों के ऐसे आचरण को गृहित मानता था। पतंजलि ने इसे अधिष्ट व्यवहार कहा है। निष्ठा के नियमों से वाह्यता व्यक्त करने के लिए ही इस प्रकार के सम्बन्ध में सं + यम् घातु को आत्मनेपद का विधान किया गया था।^६ संयच्छते का अर्थ है—दानपूर्वक उपयोग करना। भाष्यकार ने इस प्रकार के दासी या वृषली के सम्बन्ध को व्यतिहार या क्रिया-विनियम कहा है; क्योंकि दानी और जानुक दोनों का इष्ट परस्पर एक दूसरे में मिश्र होता था।^७ कानिकाकार (१-३-२३) के काल तक आते-आते तो वृषली ग्राम-पुत्रों की काम-तृप्ति का सहज साधन बन गई थी।

कुमारत्वादि में इस प्रकार की अवाञ्छित घटनाओं की आदत्ता के कारण ही समाज स्वस्य वैवाहिक जीवन को श्रेष्ठ मानता था। विवाह के लिए मनुष्य सम्पूर्ण साधन एकत्र करता था

१. ३-३-३०, पृ० ३०१।
२. ३-१-१३४, पृ० १९७।
३. ४-१-३२, पृ० ४९।
४. ८-४-४८, पृ० ४९८।
५. ३-१-१०८, पृ० १८५।
६. महाभाष्य शब्दकोष, पृ० ८४३, ४४।
७. २-१-१, पृ० २३५।
८. ४-१-११४, पृ० १३८।
९. १-३-५५, पृ० ६९।
१०. १-३-५५, पृ० ६९।

वीर तदर्थं जी-ज्ञान से परिश्रम करता था ।^१ और कुछ उपाय न मिला, तो भीख माँगकर ही चार पैसे जोड़ लेता था और घर बसाता था ।

माता—स्त्री शब्द मातृत्व की ओर संकेत करता है । स्त्री शब्द 'स्वैयं' धातु से बना है, जिसका अर्थ है गर्भधारण करनेवाली । सवन में पुमान् कर्त्ता और अधिकरण स्त्री मानी जाती थी ।^२ स्त्रीत्व की पूर्णता मातृत्व में ही हो सकती है । पत्नीत्व और विवाह सब इसके साधन हैं । इसीलिए, स्त्री पुत्र की कामना किया करती है । भाष्य में प्रयुक्त पुत्रकाम्यति, पुत्रीयति, पुत्रीयन्ते, पुत्रीयिषति आदि शब्द इसी कथन की पुष्टि करते हैं ।^३ पुत्र उत्पन्न होने पर बड़ा हर्ष मनाया जाता था । भाष्य में पुत्रोत्पत्ति के हर्ष में दश सहस्र गायें तक दान किये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है ।^४

माता का सन्तान पर प्रभाव—मातृ-रूप में स्त्री का महत्त्व पत्नी से बढ़कर था । सन्तान की अच्छाई या बुराई बहुत कुछ माता पर निर्भर रहती है, यह बात समाज में मान्य थी । इसीलिए, प्रशंसा, निन्दा या किसी विशेष गुण-दोष की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए सन्तान को प्रायः माता के नाम पर पुकारा जाता था । माता अच्छी हुई, तो सन्तान सौभागिनेय काल्याणिनेय,^५ भाद्रवाहेय,^६ भाद्रमातुर या सामातुर^७ कहलाती थी । माता की निन्दा प्रकट करने में कानीन,^८ कौलटेय,^९ कौलटेर,^{१०} दास्या पुत्र, दासेर, काणेर^{११} आदि शब्दों का प्रयोग होता था । मातृ-सम्बन्धी किसी विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने में द्वैमातुर,^{१२} त्रैमातुर,^{१३} पाण्मातुर,^{१४} वैमात्रेय,^{१५}

१. २-१-५१, पृ० ३०२ ।

२. अधिकरणसाधना लोके स्त्री । स्त्यायत्यस्यां गर्भं इति । कर्तृसाधनञ्च पुमान् सूते पुमानिति ।—४-१-३, पृ० २० ।

३. १-३-१, पृ० १३ तथा ६-१-१५८, पृ० २०० तथा ७-४-३५, पृ० २३४ तथा ६-१-४, पृ० १५ ।

४. यस्मिन् ज्ञासहस्राणि पुत्रे जाते गवां ददौ ।

ब्राह्मणेभ्यः प्रियाण्येभ्यः सायमुञ्छेन जीवति ॥—१-४-३, पृ० १३१ ।

५. ४-१-२६ ।

६. १-४-२, पृ० ११९ तथा ४-१-११४, पृ० १३८ ।

७. ४-१-११५ ।

८. ४-१-११६, पृ० १४० ।

९. ४-१-१२७ ।

१०. ४-१-१३१ ।

११. ४-१-१२३ ।

१२. २-१-५२, पृ० ३०० ।

१३. ४-१-११५ ।

१४. १-४-१२०, पृ० १४१ ।

वैववेय, सापत्न' आदि शब्द आते थे। इस प्रकार, जो गुण-दोष या विशेषताएँ माता में रहती थी, वे उसकी सन्तान के साथ भी परिचयात्मक रूप से जोड़ दी जाती थी। अनेक सम्बन्धों का निर्धारण स्त्रियों के सम्बन्ध से होता था। उदाहरणार्थ—मातृष्वसा,^१ पितृष्वसा^२ एव स्वसा^३ के नाम पर उनकी सन्ताने पैतृष्वस्त्रीय, मातृष्वस्त्रीय और स्वस्त्रीय कही जाती थी। पिता का नाम न मालूम होने पर सन्तान माता के (गोत्र) के नाम से पुकारी जाती थी, किन्तु पिता का नाम न मालूम होना कुत्सा की बात थी। इसलिए, ऐसे नाम (गोत्र) से सन्तान का पुकारा जाना निन्दा का सूचक था। गार्गी (गोत्र) स्त्री की सन्तान गार्गं या गार्गिक कहलाती थी। इसी प्रकार, वातण्ड, ग्लौचुकायन आदि जालमबोधक नाम पड़ जाते थे।^४

वश्य—भाष्यकार के समय में वश्य पिता के नाम पर चलता था। स्त्री वश्य नहीं मानी जाती थी। इसीलिए, पाणिनि ने स्त्री की युवसज्ञा का निषेध कर दिया है।^५ पाणिनि ने सामान्यतया अपत्य नाम पिता के नाम पर ही आवृत्त माने हैं। स्त्रियों के नाम पर सन्तान के नाम विशेष कारणों से ही पड़ते थे। किन्तु, यह मत सर्वमान्य न था। कुछ विद्वान् माता और पिता दोनों को वश्य मानते थे और दोनों के नाम पर अपत्य-नाम स्वीकार करते थे।^६

पुत्र के बाद पुत्र होना प्रसन्नता की बात मानी जाती थी। ऐसे पुत्र को पुसानुज^७ कहते थे। इसी प्रकार, कुलीन माता की सुगील एव सदाचारिणी पुत्री को कुलपुत्री या कुलदुहिता^८ कहते थे। पुत्री रूप, गुण और शील में बहुत कुछ माता के समान^९ होती है। इसीलिए, कुलीनता को इतना महत्त्व दिया जाता था।^{१०} पाणिनि ने दुष्कुल, कुल और महाकुल तीनों का पृथक् उल्लेख किया है। इनमें उत्पन्न सन्तान क्रमशः कुलीन, महाकुलीन^{११} और दुष्कुलीन^{१२} होती थी।

सामाजिक प्रतिष्ठा—पतञ्जल का युग स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा के अपेक्षाकृत ह्रास का काल था। यद्यपि स्त्रियों में अब भी आपिशाल और काशकृत्स्न-प्रणीत ग्रन्थों की अभ्ययन-

१. ६-३-३५, पृ० ३२३।

२. ४-१-१३४, पृ० १४४।

३. ४-१-१३८।

४. ४-१-१४३।

५. ४-१-१४७, पृ० १४५।

६. ४-१-१६३, ४-१-९४।

७. न स्त्री वंश्या—अपरवाह द्वावेव वंशो मातृवशः पितृवंशश्च।—४-१-११४,

पृ० १४६, १४७।

८. ६-३-३, पृ० २९९।

९. ६-३-७०, पृ० ३४७।

१०. १-१-५७, पृ० ३६५।

११. ४-१-१३९।

१२. ४-१-१४१।

१३. ४-१-१४२।

शीला विद्यमान थी।^१ कठ, कालाप और बह्वृच शाखाओं में विदुषियाँ विद्यमान थी।^२ कुमारियाँ बाल्यकाल से ही दीक्षा लेकर श्रमणा और प्रब्रजिता का जीवन विताती थी।^३ कुछ कुमारी रहकर अध्यापिका का काम करती थी। कुछ धार्मिक सम्प्रदायों की श्रेष्ठ प्रचारिकाएँ स्त्रियाँ थी।^४ इस प्रकार, स्त्रियों में उच्च शिक्षा का प्रचार अब भी था, तो भी वह बहुत-कुछ ब्राह्मणों एवं राजन्य-वर्ग तक सीमित रह गया था। स्त्रियों को आचार्या और उपाध्याया का पद भी प्राप्त होता था।^५ उच्च परिवारों में पदों की प्रथा थी। राज-परिवार की स्त्रियाँ तो असूर्यम्पद्या^६ थी। वे सूर्य (पुल्लग) तक का मुख नहीं देख पाती थी। स्त्रियाँ सभा में नहीं जाती थी। सभा-गृह में साधुपुरुष को सम्भ्य कहते थे, किन्तु स्त्री सभा में साधु नहीं मानी जाती थी। यदि सभा का अर्थ श्रीअभ्यकर शास्त्री के अनुसार यज्ञ-सभा को, जिसमें विद्वान् पुरुषों का ही जाने का अधिकार है,^७ मान लिया जाय, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों में अध्ययन की प्रवृत्ति भी नष्ट होने लगी थी और यज्ञादि सभा में उनकी उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती थी। यदि सभा से तात्पर्य नगर-सभा या शाला से है, तो भी यह स्पष्ट है कि स्त्रियों का पुरुषों के साथ सार्वजनिक समारोहों में भाग लेना अच्छा नहीं माना जाता था। इसीलिए तो भाष्यकार ने कहा है कि 'तत्र साधुः' सूत्र स्त्री के सम्बन्ध में प्रत्यय का विधान नहीं करता, क्योंकि स्त्री सभा में साधु (मली) कैसे लग सकती है? पाणिनि के 'प्रत्यभिवादे शूद्रे' (८-२-८३) सूत्र पर कात्यायन का वास्तिक और उसपर पतञ्जलि का भाष्य इस बात का प्रमाण है कि पाणिनि के बाद स्त्री की स्थिति गिरते-गिरते लगभग शूद्रों के समकक्ष आ गई थी। पाणिनि-काल में छोटों के द्वारा बड़ों को प्रणाम करने पर बड़ों की ओर से किये प्रत्यभिवाद में शूद्र के लिए प्लुत नहीं किया जाता था। उदाहरणार्थ, यदि यज्ञदत्त गुरु को प्रणाम करता, तो प्रत्यभिवाद में गुरु कहता 'भो आयुष्मानेवि देवदत्तो३'। इस वाक्य में गुरु देवदत्त के अन्तिम स्वर को प्लुत बोलता, किन्तु यदि कोई शूद्र प्रणाम करता और उसका नाम देवदास होता, तो वही व्यक्ति आशीर्वाद देता—'भो आयुष्मानेवि तुषजक'। तब तुषजक का अन्तिम स्वर लुप्त नहीं किया जाता था। पतञ्जलि के समय में स्त्रियों को भी शूद्रों के साथ जोड़ दिया गया और शूद्रों के समान उनके प्रणाम के उत्तर में भी प्लुत नहीं किया जाने लगा। यदि गार्गी गुरु को प्रणाम करती, तो वह बिना प्लुत के प्रत्यभिवाद करता—'भो आयुष्मती भव गार्गी'। इस प्रकार शूद्र, स्त्री और असुयक (अविनीत) इन तीनों का स्थान शिष्टाचार की सामान्य मर्यादा में भी निम्नकोटि का माना जाने लगा था।^९ स्त्रियों और पुरुषों

१. ४-१-१४, पृ० ३६।

२. वही।

३. २-१-७०।

४. ७-३-४५, पृ० १९०।

५. ४-१-४९, पृ० ६३।

६. २-१-१, पृ० २३२।

७. ४-१-१५, पृ० ४०।

८. ४-१-१५, पृ० ४०।

९. ८-२-८३, पृ० ३८७।

के प्रति नमस्कार-पद्धति में इसी कारण अन्तर कर दिया गया था। अपने से बड़े पुरुषों के प्रति नमस्कार-निवेदन करते समय नमस्कारकर्ता अपने नामोल्लेख के साथ कहता था, 'अभिवाद्ये देवदत्तोऽहं भो' और गुरुजन उत्तर देते थे 'आयुष्मानेधि देवदत्तः', किन्तु स्त्रियाँ नमस्कार करते समय न अपना नामोच्चारण करती थीं और न उन्हें नमस्कार करनेवाला अपना नामोच्चारण करता था। आशीर्वाद देते समय स्त्रियाँ वाक्यान्त में प्लुति भी नहीं करती थीं, क्योंकि उन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता था। भाष्यकार ने व्याकरण पढ़ने का एक उद्देश्य यह भी बतलाया है कि नमस्कार के प्रत्यभिवाद में हम प्लुति करना जान जायें, अन्यथा छोटे सम्बन्धी बाहर से लौटकर हमें उसी प्रकार प्रणाम करने लग जायेंगे, जिस प्रकार स्त्रियों को केवल 'यह मैं आ गया' कह अभिवादन कर लेते हैं।^१

राजनीतिक प्रतिष्ठा—यह सत्य है कि जनपदों या प्रदेश विशेष की निवासिनी नागरिका के रूप में स्त्रियों की पृथक् स्थिति स्वीकार की जाती थी। महाभाष्य में जनपदों की सदस्याओं के रूप में उनका पुरुषों से पृथक् अस्तित्व स्वीकार किया गया है। उदाहरणार्थ, अवन्ती, कुन्त, कुरु, शूरसेन, मद्र, दरत्, अम्बष्ठ, सीवीर, पचाल, विदेह, अग, वग, मगध, भर्ग, कक्ष, कैकय, योधेय, शौभ्रेय, शौक्रेय आदि की नागरिक स्त्रियाँ क्रमशः अवन्ती, कुन्ती, कुरु, शूरसेनी, मद्रि, दरत्, आम्बष्ठ्या, सीवीर्या, पाचाली, वैदेही, आगी, वागी, मागधी, भार्गी, काक्षी, कैकेयी, योधेयी, शौभ्रेयी, और शौक्रेयी कही जाती थी। इसी प्रकार पर्शू, रक्षा, असुरी, काश्मीरी, साल्वी, प्रावण्येयी, वार्त्तयेयी, घार्त्तयेयी, नैर्गती, भारती, औशीनरी आदि नाम सम्बद्ध प्रदेशों की स्त्रियों के लिए ब्यहृत होते थे।^२ इसी प्रकार गोत्रापत्यों में भी बहुत्ववाचक स्त्री-पुरुषों में भेद किया जाता था और स्त्री गोत्रापत्यों के लिए पृथक् शब्दों का व्यवहार था। उदाहरणार्थ—यस्क, लम्य, दुह्यु, गर्ग, विद, वत्स, अत्रि, भृगु, कुत्स, वसिष्ठ, गोतम, अगिरस आदि गोत्रों की स्त्रियों (बहुवचन में) के बोधक शब्दों में अपत्यार्थ प्रत्यय बना रहता था, किन्तु पुरुषों के बोधक शब्दों में प्रत्यय का लुक् (लोप) हो जाता था। इस प्रकार, यस्क के पुरुष गोत्रापत्य 'यस्का' कहलाते थे और स्त्रियाँ 'यास्क्य'। लम्या (लाम्य) दुह्या (द्रोह्य), गर्गा (गाम्य) विदा (वैद्य), वत्सा (वात्स्य), अत्रय (आत्रेय्य), भृगव (भार्गव्य), कुत्सा (कौत्स्य), वासिष्ठा (वासिष्ठ्य), गोतमा (गौतम्य), अगिरसा (आगिरस्य) आदि अनेक अन्य गोत्रापत्यों में यह अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता था।^३ प्राच्य गोत्रों यथा पत्न्यागार, मन्थरेषण, भरत गोत्रों यथा युधिष्ठिर, अर्जुन आदि गोत्रों में यह अन्तर प्रचलित था।^४ किन्तु, इस अन्तर का प्रभाव उनकी सामाजिक स्थिति पर नहीं था। नागरिक के रूप में पृथक् परिगणित होने से उन्हें कौन-

१. अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्लुतिं विदुः।

कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहं वदेत्॥

अभिवादे स्त्री वन्माभूम।—आ० १, पृ० ६।

२. ४-१-१७६ तथा ४-१-१७७, १७८ तथा २-४-६२, पृ० ४९६।

३. २-४-६३ से ६६।

४. २-४-६६ काशिका।

से विशेष अधिकार प्राप्त होते थे या कौन-सी प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी, इसका उल्लेख भाष्य में कहीं नहीं मिलता। गोत्रापत्य के रूप में भी उनका पृथक् उल्लेख उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता नहीं मालूम होता। वास्तव में यह अन्तर केवल लिंगभेद के लिए किया जाता था। इस अन्तर का यदि अन्य कोई उद्देश्य हो सकता था, तो वह था स्त्रियों का पुरुषों से व्यवच्छेद करना, जिससे उनके हीनत्व की ही पुष्टि विशेष होती है। गोत्रापत्य के एकवचन और द्विवचन के रूपों में तो यो भी कोई अन्तर नहीं किया जाता था। केवल बहुवचन का अन्तर लोक-व्यवहार के कारण था। इसमें इससे अधिक कुछ पढ़ने का प्रयास करना व्यर्थ है।

आजीवन कुमारियाँ—‘कुमार श्रमणादिभिः’ (२-१-७०) सूत्र के श्रमणादि गण में पठित श्रमणा, प्रव्रजिता, कुलटा, गर्भिणी, तापसी, दासी, बन्धकी, अध्यापिका और पण्डिता शब्द पतञ्जलिकालीन नारी की वास्तविक स्थिति पर सुन्दर प्रकाश डालते हैं। कुछ नारियाँ शिक्षा, स्वाध्याय, वैराग्य और तप को सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर देती थीं। ये कुमारश्रमणा, कुमार-प्रव्रजिता, कुमाराध्यापिका, कुमारतापसी और कुमारपण्डिता देवियाँ समाज का गौरव थीं। दूसरी ओर कुमारकुलटा, कुमारगर्भिणी स्त्रियाँ थीं, जो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि समाज में कहीं-न-कहीं धुन अवश्य लग चुका था और उसके वैवाहिक नियमों में ऐसे दोष आ चुके थे, जो समाज को चरित्रहीनता की ओर ले जाते हैं। कुमारदासी और कुमारबन्धकी स्त्रियाँ समाज के घनाढ्य और घनहीन वर्गों के वैषम्य की ओर इंगित करती हैं, जिसका दण्ड दुवर्मुँही निर्बन्ध वालिकाओं को भी भोगना पड़ता था।

गणिकाएँ—अनेक स्त्रियाँ गणिकाओं और नटियों का कार्य करती थीं। गणिकाओं की सख्या इतनी अधिक थी कि उनके सघ वन गये थे।^१ नटियों की प्रतिष्ठा इतनी कम थी कि रगस्थल में कोई भी उनसे प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकता था। वे सर्वभोग्या मानी जाने लगी थीं।^२

१. गणिकाना समूहो गाणिक्यम् ।—४-२-४०, पृ० १७९।

२. नटानां स्त्रियोरङ्गता यो यः पृच्छति कस्य यूय कस्य यूयमिति तं तं तव तवत्याहः ।—६-१२, पृ० १३।

अध्याय ६

निवासी

निवास—निवास लोगों के रहने के स्थान को कहते थे।^१ किसी व्यक्ति का निवास वह स्थान था, जहाँ वह उस समय रहता था, भले ही उसके पूर्वज वहाँ न रहे हों। पूर्वजों के निवास-स्थान का नाम अभिजन था।^२ इस प्रकार, किसी का निवास और अभिजन एक ही स्थान हो सकता था। किन्तु, यदि कोई पूर्वजों के स्थान को छोड़कर अन्यत्र रहने लगता, तो उसके निवास और अभिजन भिन्न-भिन्न स्थान होते थे।

आकार, अर्थात् महत्ता की दृष्टि से निवासो में अन्तर होता था। सामान्य निवास और विशिष्ट निवास के लिए भी पृथक् नाम थे। निवास सामान्य शब्द था, जो जनपद से शाला तक के लिए प्रयुक्त होता था। निवास के नाम पर लोगों के नाम पड जाते थे। सृष्टि जिसका निवास होता था, उसे स्रौघ्न कहते थे।^३ इसी प्रकार जिसका अभिजन मथुरा होता, उसे माथुर कहते थे। व्यापक अर्थ में निवास देश का वाचक था और सकुचित अर्थ में घर का। घर के लिए भाष्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग मिलता है—

शाला—शाला बहुत छोटा एक छप्पर का घर होता था। हिन्दी में इसका अपभ्रंस रूप सार (पशु बाँधने का छाया हुआ स्थान) प्रचलित है। सामान्य अर्थ में शाला शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए निश्चित घर होता था। जैसे, गाय-बैल बाँधने का स्थान गोशाला,^४ बहुत-से दण्डधारियों के रहने का स्थान दण्डमती शाला^५ और बहुत-से युवकों के रहने का स्थान बहुयुका शाला^६ कहा जाता था। शुल्क वसूल करने के लिए बनाया गया छोटा-सा स्थान शुल्क-शाला था, जिसके अधिकारी को शौल्क-शालिक कहते थे।^७ शाला सभा का भी पर्याय था। यह बात 'अशाला व' (२-४-२४) से ध्वनित होती है। सभा शब्द सघात और शाला दोनों का बोधक था और इस प्रकार शाला और सभा पर्याय थे। काशिका ने इसी सूत्र का प्रत्युदाहरण

१. निवासन्यस्मिन्निति निवासो देश उच्यते ।—४-३-८९ काशिका।

२. ४-३-८९, पृ० २४४।

३. ४-३-८९, ९०, पृ० २४४।

४. २-४-२५।

५. ५-२-९६, पृ० ४०७।

६. ४-१-१३, पृ० ३४।

७. ४-४-६९।

‘अनाथसभा’ दिया है और सभा का अर्थ कुटी माना है। इससे यह भी ध्वनित होता है कि शाला छोटा घर होता था।^१

शाला अनाज सगृहीत और सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई खत्ती को भी कहते थे।^२ भाष्यकार ने द्विहायना, त्रिहायना^३ और उलूक-पक्षीशाला का उल्लेख किया है।^४ शाला में लोग रहते तो थे ही, अर्थात् वह घर की तो वाचक थी ही,^५ विद्यालय की भी बोधक थी। इसीलिए, शालाप्रवेश के योग्य अवृष्ट वालक को शालीन^६ कहते थे।

क्षय—निवास का एक अन्य नाम था क्षय। क्षय शब्द क्षि (निवास) धातु से अधिकरणार्थक प्रत्यय होकर बना है।^७ काशिकाकर ने क्षय शब्द के प्रयोग का सुन्दर उदाहरण भी दिया है—‘क्षये जागृहि प्रपश्यन्’। इससे क्षय शब्द का अर्थ गृह स्पष्ट है।

गृह—गृह शाला से बड़ा होता था। प्रत्येक परिवार के पास एक गृह होता था। भाष्य के उल्लेखों से शाला और गृह में दो अन्तर मालूम होते हैं। प्रथम यह कि शाला गृह से छोटी या भिन्न प्रकार की होती थी, यद्यपि सर्वदा ऐसा नहीं होता था और द्वितीय यह कि गृह व्यक्तिगत निवास को कहते थे और शाला का स्वरूप अपेक्षाकृत सामाजिक था। ‘देवदत्त का घर कौनसा है?’ जैसे उल्लेख शाला के विषय में नहीं मिलते।^८ इसी प्रकार, ‘देवदत्त के घर ऊँचे हैं’ आदि वाक्यों से जिस प्रकार घरों के दुमजिला या तिमजिला होने का संकेत मिलता है, उस प्रकार शाला के विषय में ऐसे संकेत उपलब्ध नहीं हैं। ऋग्वेद (२-४२-३) आदि में गृह शब्द का प्रयोग बहुवचन में ही मिलता है, जिससे अनुमान होता है कि गृह में एक-से अधिक कमरे होते थे। गृह को गेह भी कहते थे। गेह, कुटी और मठ पर्यायवाची थे। गेह या कुटी छोटे भी होते थे और बड़े भी। प्रायः कुटी शाला के समान ही एक छप्पर या कमरे की होती थी। कमरे का आकार कितना भी बड़ा हो सकता था। छोटे आकार की कुटी को कुटीर कहते थे।^९

निकाय—निवास का एक भेद निकाय भी था।^{१०} निकाय निवास-स्थान के अतिरिक्त सघ (प्राणिसमूह) का भी वाचक था। यथा, भिक्षुकनिकाय, ब्राह्मणनिकाय या वैयाकरणनिकाय।^{११} निवास से भिन्न अर्थ में निचेय शब्द का प्रयोग होता था। निकाय से मिलता-जुलता

१. ४-३-२३, २४ काशिका।
२. ६-२-१०२।
३. ४-१-२७, पृ० ४२।
४. ४-१-५५, पृ० ६९।
५. ६-३-३५, पृ० ३२२।
६. ५-२-२०, पृ० ३७२।
७. ६-१-२०१ काशिका।
८. १-१-२६, पृ० २१९।
९. ४-१-९२, पृ० ११७।
१०. ३-३-४१।
११. ३-३-४२ काशिका।

एक-दूसरा शब्द निकाय्य भी आवास के लिए प्रचलित था।^१ इन दोनों शब्दों की निष्पत्ति पाणिनि ने निपातन द्वारा बतलाई है। निकाय और निकाय्य सघो के निवास-स्थान थे।

अगार—अगार गृह से बड़ा होता था। इसके कई खण्ड होते थे। एक ही अगार के भिन्न-भिन्न भाग भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए उपयोग में आते थे। अगार राजकीय भवन होते थे। बड़े मन्दिरों के लिए अगार शब्द का प्रयोग हुआ है। अगार की देखभाल के लिए अधिकारी नियुक्त किये जाते थे। देवागार, कोष्ठागार, भाण्डागार आदि के लिए नियुक्त अधिकारी देवागारिक कोष्ठागारिक और भाण्डागारिक आदि कहलाते थे।^२

निषद्या—निषद्या उस निवास को कहते थे, जहाँ यात्री आवश्यकतानुसार ठहरता था। निषद्या एक प्रकार की घर्मशाला या सराय होती थी।^३

विशिष्ट निवास—कुछ मकान केवल विशिष्ट व्यक्तियों के ही रहने या ठहरने के लिए निश्चित रहते थे। ये स्थान एकशालिक या ऐकशालिक कहलाते थे।^४

इस प्रकार, आकार-भेद से तथा कार्य-विशेष के लिए निश्चित रहने के कारण निवास के अनेक भेद हो गये थे। इनमें शाला, एकशालिक, गृह, गेह, कुटी, मठ, कुटीर, क्षय, निकाय, निकाय्य, निषद्या और अगार का उल्लेख भाष्य में मिलता है।

प्रासाद और हर्म्य—इनके अतिरिक्त दो प्रकार के निवास और थे—हर्म्य तथा प्रासाद। हर्म्य धनियों के घर को कहते थे।^५ ये अपेक्षाकृत बड़े और सुन्दर होते थे। हर्म्य एक से अधिक मजिलों के और खूब ऊँचे होते थे। हर्म्य में गृह तथा पास-पड़ोस की भूमि और पशुशाला के सम्मिलित रहने का भाव था (वैदि० इण्डे० १-२३०)। प्रासाद राजभवन होते थे।^६ भाष्यकार ने पाटलिपुत्र के प्रासादों की बार-बार चर्चा की है। इससे स्पष्ट है कि प्रासाद राजधानियों में बनाये गये बड़े-बड़े महलों को कहते थे। प्रासाद भी छोटे-बड़े दोनों प्रकार के होते थे। कभी-कभी छोटे प्रासाद कुटी-से दिखाई पड़ते थे।^७

गृहनिर्माण-विधि—छोटे-छोटे घर या शालाएँ छप्पर से छाये जाते थे। छप्पर विशेष प्रकार के तृणों से बनते थे और छदि कहलाते थे।^८ छादि के काम आनेवाले तृण छादिपेय कहे जाते थे। छदि में काण्डो (शरकाण्डो) का प्रयोग भी अधिक होता था। इसलिए, उसे काण्डीर भी कहते थे।^९ दीवारों या भित्तियाँ मिट्टी और ईंटों की बनती थीं। पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की

१. ३-१-१२९।

२. ४-४-७०।

३. ३-३-९९।

४. ५-३-१०९।

५. १-३-४०, पृ० ६७।

६. १-१-८, पृ० १५७।

७. ३-१-१०, पृ० ४४।

८. ५-१-२, पृ० २९४।

९. आ० २, पृ० ७६।

ईटे भित्तिकर्म के लिए व्यवहार में आती थी। ईंटों से बनी दीवार इष्टकचित और पक्की दीवार पक्वेष्टकचित कही जाती थी।^१ अच्छे मकानों में नीचे पक्का फर्श बनाया जाता था। पक्के फर्श को 'कुट्टिमभूमि' कहते थे।^२ मकानों के फर्श ऊँचे बनाये जाते थे, जिससे वर्षा का पानी उसके भीतर न भर जाय। ये ऊँचे फर्श वेदिका कहलाते थे। वेदिका या पुण्डरीक की विशेष बनावट मकानों की पहचान के भी काम आती थी। 'क्तक्तवतू निष्ठा' (१-१-२६) सूत्र के भाष्य में कहा गया है 'देवदत्त का घर कौन-सा है, यह पूछने पर किसी ने उत्तर दिया, 'जहाँ कौआ बैठा है', तो कौए के उड़ जाने पर या खो जाने पर घर भी खो जायगा, किन्तु दूरदर्शी उस अस्थिर चिह्न से कोई स्थिर चिह्न यथा वेदिका या पुण्डरीक ग्रहण कर लेगा।'^३

घर के कमरों में वायु तथा प्रकाश के लिए झँझरी या गवाक्ष बनाये जाते थे।^४ घर के भीतर आँगन रहता था, जिसे अजिर कहते थे।^५ स्नान के लिए पृथक् स्थान निश्चित रहता था, जिसे प्रस्न कहते थे।^६ सामान टाँगने के लिए दीवारों में लकड़ी की खूंटियाँ गाड़ दी जाती थी, जो गंकु कहलाती थी।^७ घरों में दीपक रखने का स्थान भी बनाया जाता था, जो घर के भीतर ऐसे स्थान में होता था, जहाँ रखा हुआ दीपक सारे घर को प्रकाशित कर सके।^८ दीपक मिट्टी के होते थे, जो हवा से वृक्ष जाते थे।^९

अगार बड़ा मकान होता था। इसे वेरम भी कहते थे।^{१०} अगार के बाहरी कोठे को, जो गृहस्थ के घर का एक भाग था,^{११} आवसय कहते थे। इसमें आवसस्थ्य अग्नि रखी जाती थी और उसमें रहनेवाला आवसयिक^{१२} कहलाता था। आवसय यज्ञ या उत्सव पर्वों के अवसर पर अतिथियों, खासकर ब्राह्मण अतिथियों के स्वागतादि के लिए बनाया जाता था (अथर्व ९-६-३)। वैदिक इण्डेक्स में इसे धर्मशाला का एक रूप माना है (भाग १, पृ० ६६)। अगार का ही एक भाग प्रघण या प्रघाण कहलाता था।^{१३} प्रघण द्वार के पास के कमरे होते थे, जिनमें प्रायः अगार-रक्षक रहते थे। द्वार भवन का बाह्य मार्ग होता था। अगारों, हर्म्यों और प्रासादों के द्वार पर रक्षक

१. ६-३-६५ तथा १-१-७२, पृ० ४५५।
२. ४-४-२०, पृ० २७५।
३. १-१-२६, पृ० २१८, १९।
४. ७-४-४१, पृ० २३५।
५. २-४-५४, पृ० ४९०।
६. ३-३-५८, पृ० ३०८।
७. ५-१-२, पृ० २९८।
८. १-१-४९, पृ० २९८।
९. ८-२-५०, पृ० ३६८।
१०. १-१-४९, पृ० २९८।
११. ५-४-४३।
१२. ४-४-७४।
१३. ३-३-७९।

नियुक्त रहते थे, जो दौबरिक कहलाते थे।^१ काशिका ने द्वार को अभिनिष्क्रान्त-क्रिया का कर्ण कहा है।^२ द्वार कपाटों में बन्द किये जाते थे, जिससे चोर घर में प्रवेश न कर सकें।^३ द्वार में ही घर का नाम दुरोध पड़ा (वैदि० इण्डेक्स, १-२३०)। किवाड़ परिधि या पलिव द्वारा नीतग ते बन्द कर लिये जाते थे। पलिव लोहे की छड़ या चटखनी होती थी।^४ लोह-मृंगला का व्यवहार द्वार बन्द करने में होता था। मृंगलाएँ पशुओं को बाँधने के भी काम आती थीं।^५ इस तरह बन्द किवाड़ों को भी तोड़-फोड़कर शक्तिशाली चोर माल-मत्ता निकाल ले जाते थे। इसीलिए, वे कपाटक कहलाते थे।^६

मकानों के ऊपर (सबसे ऊपर) बटारी या बुर्जों बनाई जाती थी, जिसे आमलकी^७ कहते थे। छत की डीवार के लगे छज्जे बनाये जाते थे और उन्हें कलापूर्ण खुदाई या कारीगरी से सजाया जाता था। छज्जे 'बलनी'^८ कहलाते थे। अल्लिन्द छपरों या छज्जों की लगाती को, जिसमें बरसान का पानी टपकता था, बलीक कहते थे।^९

मकानों में पहली के ऊपर बनाई हुई अन्य मंजिलें अट्टालिका कहलाती थीं। मकान में ऊपर का भाग भी अट्टालिका कहलाता था। इसी अनुकरण पर एक के ऊपर एक लगाई हुई गाँठ या बन्धन को अट्टालिका-बन्ध कहते थे।^{१०}

मकान बनाने की विद्या या कला को वास्तुकर्म, वास्तोपतीय या वास्तोपत्य कहते थे। इसका देवता वास्तोप्यति माना जाता था। वास्तुकर्म में सम्बद्ध वस्तु को वास्तव्य कहते थे।^{११}

१. ४-४-७०।
२. ४-३-८६।
३. ३-२-५८।
४. ८-२-२२, पृ० ३४५।
५. ५-२-७९।
६. ३-२-५४।
७. ६-२-८२, पृ० २७४।
८. वही।
९. ३-१-८७, पृ० १५५।
१०. ३-४-४१, पृ० ३६२।
११. ४-२-३२ तथा ३-१-९६, पृ० १८०।

अध्याय ७

ग्राम और नगर

आर्य-निवास—भाष्यकार ने आर्य-निवासों के ग्राम, घोप, नगर और सवाह ये नाम बताये हैं।^१ घोप थोड़ी-सी झोपड़ियों का छोटा-सा गाँव होता था। इसमें एक प्रवान पुरुष और अन्य उसी के सबश या उससे छोटी स्थिति के लोग रहते थे। जैसे, गार्ग्यों का घोप, वात्स्यों^२ का घोप या दाक्षिणोष।^३ घोप मुख्यतः गाय, भैंस आदि पशु पालनेवालों की बस्ती होती थी। जिस स्थान में ब्राह्मण तथा कृषक अधिक रहते थे, उसे ग्राम कहते थे। प्राकार और परिखावाली बस्ती, जिसमें अलग-अलग जातियों के लोग अलग मुहल्लों में रहते थे, नगर कहलाती थी। अधिक जनसङ्ख्यावाले नगर को सवाह कहते थे। इस प्रकार, घोष और ग्राम वसावट की दृष्टि से समान थे तथा नगर और सवाह समान थे। देश ग्राम, नगर,^४ जनपद^५ और राष्ट्र^६ इन चार भागों में विभक्त था।

ग्राम और नगर में साम्य—ग्राम और नगर अनेक बातों में समान थे। इसलिए कई वार ग्राम और नगर में अन्तर नहीं किया जाता था। उदाहरणार्थ, यदि कहा जाता कि ग्राम्य कुक्कुट और ग्राम्य शूकर का मास नहीं खाना चाहिए, तो लोग नगर शूकर और नगर कुक्कुट का भी मास नहीं खाते थे। इसी प्रकार, गाँव में अध्ययन नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ होता था कि नगर में भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। यह बात सामान्य विधियों के विषय में थी, किन्तु वस्ती की दृष्टि से यदि ग्राम का उल्लेख होता, तो उसमें नगर नहीं शामिल माना जाता था। उदाहरणार्थ, यदि किसी से पूछा जाता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और यदि वह इसके उत्तर में कहता कि ग्राम से नहीं, तो सुतरा यह अर्थ समझ लिया जाता था कि नगर से आ रहा है। इसलिए ग्राम भिन्न था और नगर भिन्न। तात्त्विक अन्तर न होने पर भी सस्त्याय (रिवाज) विशेष के कारण ग्राम, घोष, नगर और सवाह में भेद बन गये थे। भाष्य के मत से ग्राम कहने से नगर का भी ग्रहण होना चाहिए।^१

ग्राम-रचना—ग्राम शाला-समुदाय, अर्थात् घरों के समूह को कहते थे। गाँव जल गया,

१. कः पुनरायनिवासः ? ग्रामो घोषो नगरं संवाह इति ।—२-४-१०, पृ० ४६५।

२. ४-३-१२७, पृ० २५३।

३. ६-२-८५।

४. १-१-६३, पृ० ४१४।

५. ५-३-७२, पृ० ४७०।

६. ७-३-१४, पृ० १८०।

इसका अर्थ 'घर जल गये' माना जाता था। गाँव के सीमा-चिह्न पत्थर, खाई आदि भी ग्राम में ही अन्तर्निविष्ट थे। गाँव में प्रविष्ट हुआ, इसका अर्थ कि ग्राम के सीमासूचक चिह्नों के भीतर आना था। ग्राम कहने से ग्रामनिवासियों का भी बोध होता था। गाँव गया, गाँव आया का अर्थ गाँव में रहनेवाले लोग गये या आये, ऐसा समझा जाता था। गाँव से सम्बद्ध अरण्य, स्थण्डिल और सीमा-सूचक वस्तुएँ सब गाँव का अंग मानी जाती थी। 'गाँव मिल गया' का अर्थ था कि गाँव की बस्ती, खेत, अरण्य, तट, नदी आदि सब मिल गये। इसीलिए, वे दो गाँव अनन्तर या पड़ोसी माने जाते थे, जिनके अरण्य, खेत तथा सीमाएँ परस्पर जुड़ी रहती थी, भले ही उनके बीच में नदी या पहाड़ी का व्यवधान हो। इस प्रकार के व्यवधान उनके आनन्तर्य में बाधक नहीं माने जाते थे।^१

ग्राम एक मकान के भी होते थे और बड़े भी।^२ प्रायः सभी जाति के लोग ग्रामों में निवास करते थे। जिस गाँव में एक ही जाति या वर्ण की प्रमुखता होती थी, उसमें भी कम-से-कम लुहार, कुम्हार, बढई, नाई और घोषी ये पाँच कार (शिल्पी) अवश्य रहते थे।^३ जिस जाति के लोग गाँव में अधिक रहते थे, उसी के नाम पर गाँव का नाम पड़ जाता था, जैसे 'ब्राह्मणग्राम'। गाँव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था।^४ गाँव की सीमा से लगे हुए सीमा से बाहर या भीतर के घर अन्तर-गृह कहलाते थे। चण्डाल, मृतप आदि लोगों के ये घर होते थे। ये लोग नगरवाह्य होते थे।^५ एक ही ग्राम में रहनेवाले समानग्रामिक कहलाते थे।^६

ग्राम्य अरण्य—गाँव चारों ओर से अरण्यों से घिरे रहते थे।^७ आम के बगीचे न्योग्रोंवों के समूह, शिरीष आदि के वृक्ष बस्ती के चारों ओर लगाये जाते थे। उनकी सीमाएँ या तो नदी से निश्चित की जाती थी या सीमा-बोधक चिह्न बनाये जाते थे। गिरि, कठिन (झाड़ियाँ),^८ प्रस्तार, वन,^९ जगल आदि से भी सीमा निश्चित की जाती थी।

ग्राम-पानीय—गाँव के भीतर पानीय होते थे।^{१०} सभी गाँवों में पानी की व्यवस्था थी। एतदर्थ लोग कुएँ खोदते थे। भाष्यकार ने कहा है कि कूपखानक कूप खोदते समय धूल-मिट्टी

१. १-१-७, पृ० १५५।

२. एकशालो ग्राम. १—१-१-२१, पृ० २०१।

३. ब्राह्मणग्राम आनीयतामित्युच्यते तत्र चावरतः पन्त्रकारकोभवति १—१-१-४८, पृ० २९५।

४. १-१-३९, पृ० २४७।

५. १-१-३६, पृ० २३८ तथा वही, काशिका।

६. ४-३-६०, पृ० २३७।

७. १-१-७, पृ० १५५।

८. १-१-५६, पृ० ३४२।

९. ४-४-७२।

१०. ७-३-२५।

११. ग्रामे ग्रामे पानीयम् १—८-१-१, पृ० २५८।

से अवकीर्ण हो जाता है, किन्तु जब कुएँ में पानी आ जाता है, तब उस पानी से धूल-मिट्टी तो धुल ही जाती है, अन्य भी बहुत-सा लाभ होता है। कुओं के पास पशुओं के पीने के लिए पानी के होज बनाये जाते थे, जो निपान कहलाते थे।^१ आदमियों के लिए भी प्याऊ बनाये जाते थे, जिन्हें प्रपा^१ कहते थे। निपान को आहाव भी कहते थे; क्योंकि यही खडा होकर गाँव के पशु चरानेवाला आगवीन पशुओं को खोलने के लिए हाँक मारता था।^२ कुएँ समय-समय पर साफ किये जाते थे। जो लोग यह काम करते थे, वे उदगाह^३ कहलाते थे। इसी प्रकार कुओं से पानी ढोनेवालों को उदहार या उदकहार और जिस काँवर से वे पानी ढोते थे, उसे उदवीवव या उदकवीवव कहते थे।^४ उदहार प्रायः कहार होते थे।

ग्राम-परिसर—गाँव के चारों ओर की भूमि तीन भागों में बँटी रहती थी—सीत्या,^५ गोचर^६ और ऊपर।^७ सीत्याभूमि केदारखण्ड में विभक्त थी, जिसमें अन्न बोया जाता था। गोचर भूमि पशुओं के चरने के लिए नियत थी। बन्व्या भूमि को ऊपर कहते थे। गोचर भूमि में चरनेवाले ग्राम्य पशुसंघों का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है।^८ गाँव का वह क्षेत्र, जहाँ गाँव के पशु प्रायः बैठते थे या बैठते थे, गोष्ठ कहलाता था। जहाँ एक दार गोष्ठ रहा हो, किन्तु बाद में उखड़ गया हो वह स्थान गोष्ठीन कहा जाता था।^९ गोष्ठ गाँव के बाहर पशुओं के बाड़े होते थे, जिनका स्थान आवश्यकतानुसार बदलता रहता था। जब एक स्थान आशितंगु या आशितंगवीन हो जाता था,^{१०} तो गोपाल लोग दूसरे स्थान में गोष्ठ बना लेते थे। गाँव में सेवक और नायक भी होते थे और जिन गाँवों से वे चले जाते थे, उन्हें विसेचक और विनायक कहते थे।^{११}

नगर-निर्माण—नगर शब्द मत्वर्थ (वाला) में नग शब्द के आगे प्रत्यय होकर बना है, जिसका अर्थ है नग, अर्थात् वृक्षोवाला।^{१२} भाष्यकार ने पृथक् वार्तिक द्वारा नगर की व्युत्पत्ति

१. कूपखानकः कूपखनन् मूढा पांसुभिश्चावकीर्णो भवति सोऽप्यु सञ्जातासु तत एव तं गुणमासादयति येन सचदोषो निहृष्यते। भूयसा चाभ्युदयेन योगो भवति।—आ० १, प० २४।

२. ३-३-७४।

३. ३-३-५८, पृ० ३०८।

४. वही, ३-३-७४।

५. ६-३-६०।

६. वही।

७. ४-४-९१।

८. ३-३-११९, पृ० ३१८।

९. ४-२-१०७, पृ० ४१६।

१०. १-२-७३।

११. ५-२-१८, गोष्ठ शब्देन सन्निहितगोसमूहो देश उच्यते (का०)।

१२. ५-४-६ काशिका।

१३. १-४-६०, पृ० १९१।

१४. ५-२-१०७, पृ० ४१६।

प्रतिपादित की है। अन्यत्र भी उन्होंने नगर को वनस्पतियों से युक्त कहा है।^१ भाष्यकार के इन कथनों से तत्कालीन नगर बसाने की पद्धति पर प्रकाश पड़ता है। नगर ऐसे ही स्थानों पर बसाये जाते थे, जहाँ जल की पूरी सुविधा हो, हरी-भरी उपजाऊ भूमि हो और जहाँ वनस्पतियों का आधिक्य हो। ऐसे स्थान में नगरकार लोग सर्वप्रथम नगर-सीमा निश्चित करते थे।^२ भाष्य में नगरकार शब्द का बार-बार उल्लेख नगर-निर्माण-कला का उत्कर्ष सूचित करता है। नगर-निर्माण करने-वाले यान्त्रियों का विधेय वर्ग इस कार्य के लिए उत्तरदायी होता था। ये लोग पहले परिखा और प्राकार तैयार करते थे। एतदर्थ उपयुक्त भूमि का चुनाव करना पड़ता था। परिखा (चतुर्दिक् खाई) के योग्य भूमि पारिखेयी कही जाती थी।^३ परिखा-युक्त नगर को पारिख और उसमें होने वाली वस्तु को पारिखीय कहते थे।^४

नगर-प्राकार—नगर की दूसरी महत्त्वपूर्ण वस्तु थी उसके प्राकार। परिखा और प्राकार वाह्य आक्रमणों से नगर की रक्षा के लिए बनाये जाते थे। पतञ्जल ने जहाँ अनेक महत्त्वपूर्ण नगरों का उल्लेख (प्राकार के लिए भी पहले से ही उचित भूमि और मजबूत ईंटों का चुनाव कर लिया जाता था)^५ किया है, वहाँ वे उनके प्राकारों का उल्लेख करना नहीं भूले हैं। पाटलिपुत्र^६ और स्रुघ्न^७ के प्राकारों का विधेयत, तथा अन्य नगरों के प्राकारों का सामान्यतः उल्लेख उन्होंने किया है।^८ प्राकार इतने ऊँचे और चौड़े बनते थे कि उनके ऊपर से आवागमन की व्यवस्था रहती थी। प्राकार ईंटों से बनाये जाते थे।^९

नगर-प्रासाद—प्रासाद नगर की तीसरी विशेषता थी। प्रासाद महलों को कहते थे, जो उच्च घरो से भिन्न होते थे। उच्चता, विस्तार और रचना सभी दृष्टियों से ये अधिक महत्त्वशाली थे। इनसे नगर का गौरव बढ़ता था। इसीलिए, भाष्य में स्रुघ्न^{१०} और पाटलिपुत्र^{११} के प्रासादों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। प्राकार सम्पूर्ण नगर की वस्तु थी, किन्तु प्रासाद व्यक्तितगत सम्पत्ति^{१२} थे। प्रासादवासी लोगों का सामाजिक महत्त्व अधिक था। प्रासादवासी ऊपरी मजिलों में रहते थे।

-
१. १-१-५१, पृ० ५५१।
 २. १-१-३९, पृ० २४७।
 ३. ५-१-१७।
 ४. १-१-५८, पृ० ३८०।
 ५. ५-१-१६। प्राकार आसामिष्टकानां स्यात् प्राकारीया इष्टकाः प्राकारीयो वेदः।—
वही, काशिका।
 ६. ४-३-१३४, पृ० २५८ तथा ४-३-६६, पृ० २३९।
 ७. ४-३-३९, पृ० २३३।
 ८. ६-३-१२२, पृ० ३६४।
 ९. ५-३-१००।
 १०. ४-३-३९, पृ० २३३।
 ११. ४-३-१३४, पृ० २५८।
 १२. ५-१-१३, पृ० ३०४।

सामान्य गृहवाले नीचे भूमि पर रहते थे। भाष्यकार ने इन्हे क्रमशः प्रासादवासी और भूमि-वासी कहा है। कुछ लोग उभयवासी भी होते थे। इनके पास प्रासाद भी थे और सामान्य गृह भी।^१ प्रासाद में कई मजिलें होती थीं। उनकी उच्चता भी ध्यान आकृष्ट करती थी। प्रासाद पर चढ़कर देखने का अर्थ था ऊँचे चढ़कर देखना।^२ इसीलिए, गृहों के प्रवेश-संस्कार से सम्बन्ध रखनेवाले अनुप्रवचन (मन्त्र) गेहानुप्रवेशनीय कहे जाते थे, किन्तु प्रासाद के प्रवेश से सम्बन्ध रखनेवाले प्रासादारोहणीय।^३ प्रवेश और आरोहण शब्द इन दोनों का अन्तर स्पष्ट करते हैं।

नगर, प्राकार और प्रासाद इन तीनों शब्दों के लिए पतञ्जलि को स्वतन्त्र वार्तिकों का निर्माण करना पड़ा है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि पाणिनि और कात्यायन के समय तक ये शब्द अधिक प्रचलित न थे। प्रसाद और प्रकार से प्रासाद और प्राकार का भेद भाष्यकार ने इन्हे कृत्रिम कहकर स्पष्ट किया है।^४

प्रासादों के अतिरिक्त नगर में राजकीय निवास, राजसभा,^५ इनसभा, कोष्ठागार,^६ भाण्डागार आदि राजकीय अगार, शुल्कादि की^७ शालाएँ, शुण्डागार, प्रपा^८ या पानागार तथा आपण^९, प्रेक्षागृह^{१०} आदि होते थे। आगारों का दायित्व उनमें नियुक्त अधिकारियों पर होता था। शुल्क-शालाओं और पानागारों की व्यवस्था के लिए भी राजकीय कर्मचारी^{११} रहते थे।

नगर भाग—नगर के दो भाग होते थे—अन्तर और बाह्य। साधारण नागरिक 'पुर' के अन्तर भाग में रहते थे।^{१२} चण्डालादि की वस्ती बाह्य भाग में होती थी।^{१३}

नगर-मार्ग—नगर के मार्ग गाँव की गलियों से चौड़े होते थे—इतने चौड़े कि उनपर रथ आ-जा सकें। ऐसे मार्ग रथ्या कहलाते थे।^{१४} इधर-उधर से आनेवाले मार्ग यत्र-तत्र एक दूसरे

१. १-१-८, पृ० १५७।
२. २-३-२८, पृ० ४२५।
३. ५-१-१११, पृ० ३४५।
४. ६-३-१२२, पृ० ३६४।
५. २-४-२३।
६. ४-४-७०।
७. ४-४-६९।
८. २-१-१, पृ० २२८।
९. ४-२-१०४, पृ० २०८।
१०. ४-२-८०।
११. ४-४-७०।
१२. १-१-३६, पृ० २३८ तथा काशिका।
१३. वही।
१४. ५-१-६, पृ० २९८।

को काटते थे और इस प्रकार द्विपथ, त्रिपथ और चतुष्पथ बनते थे।^१ भाष्यकार ने दीर्घवेदी तथा बहुत दवानोवाली रथ्याओं का जिक्र किया है।^२

नगर-द्वार—प्रत्येक नगर में चार मुख्य द्वार होते थे, जिनपर द्वारपाल नियुक्त रहते थे।^३ ये द्वारपाल आवागमन पर नियन्त्रण रखते थे तथा निश्चित नियमों के अनुसार द्वार-रूपाट बन्द करते थे। द्वारों के नाम रखने का भी नियम था। नगर का द्वार जिस प्रमुख नगर की ओर खुलता था, उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता था। उदाहरणार्थ, यदि कान्यकुब्ज नगर का द्वार मथुरा की ओर होता, तो उसे मायुर द्वार कहते थे। इसी प्रकार सौच्य या पाटलिपुत्रक द्वार^४ थे। इन द्वारों से होकर प्रसिद्ध नगरों को जानेवाले मार्ग का नाम भी गन्तव्य नगर के नाम पर पड़ जाता है। उदाहरणार्थ, कान्यकुब्ज से लुच्य या मथुरा जानेवाला मार्ग सौच्य या मायुर कहा जाता था।^५ भाष्यकार ने इस प्रसंग में 'अभिनिष्क्रामति द्वारम्' (४-३-८६) सूत्र में 'अभिनिष्क्रामति' शब्द पर आपत्ति करते हुए कहा है कि सूत्र में 'अभिनिष्क्रामति' शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि अचेतन द्वार निष्क्रमण नहीं कर सकता। जाने-आने की क्रिया तो चेतन पर ही अवलम्बित रहती है। इसलिए, 'अभिनिष्क्रमण द्वारम्' कहना अधिक ठीक होता। काशिका ने कहा है कि द्वार अभिनिष्क्रमण-क्रिया का कारण होता है। उसकी स्वातन्त्र्य से विवक्षा को गई है। पतंजलि ने उक्त आपत्ति का उत्तर स्वयं ही दे दिया है कि अचेतनों में चेतनावाली के समान उपचार देखा जाता है। जैसे घर का कोना बाहर निकल आया है या घर का कोना भीतर घूम गया है। इसी प्रकार, यह द्वार मथुरा के सामने निकलता है यदि प्रयोग ठीक है।^६

भाष्यकार ने ऐसे अनेक मार्गों का उल्लेख किया है, जो एक नगर से दूसरे नगर को जाते थे। लुच्य, साकेत, मथुरा और पाटलिपुत्र जानेवाले मार्ग बड़े नगरों से सम्बद्ध थे।

परिखा, प्राकार और द्वार नगर की प्रतिरक्षा के प्रमुख साधन थे। आक्रमणकारी प्राकार तोड़कर ही नगर पर अधिकार कर सकता था।^७

गन्धर्वनगर—भाष्यकार ने इन नगरों से भिन्न जादू-से प्रतीत होनेवाले उन गन्धर्वनगरों की भी चर्चा की है, जो दूर से तो दिखाई देते हैं, किन्तु पास जाने पर हाथ नहीं लगते।^८

१. २-३-५०, पृ० ४७६।

२. ४-१-५४, पृ० ६६ तथा ४-१-१३, पृ० ३४।

३. ३-२-१, पृ० २०१।

४. ४-३-८६।

५. ४-३-८५।

६. ४-३-८६, पृ० २४३।

७. १-३-२५, पृ० ६४।

८. बाह्यादिगण, ४-१-९६।

९. ४-१-१३, पृ० १८।

अध्याय ८

गृह-सामग्री

सामान्य ग्रामीण घरों में रहनेवाली दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उल्लेख भाष्य में मिलता है। इनमें शयन-सामग्री, पात्र तथा घरेलू काम के हथियार आदि हैं।

शयन-सामग्री—शयन-सामग्री में बिष्टर^१ विछौने या आसन के लिए प्रयुक्त होता था। बिष्टर के अग कौन थे, इस बात का पता भाष्य से नहीं चलता। छोटी खाटे, जिन्हे मचा या मचक^२ कहते थे, बालकों के सोने-सुलाने के काम आती थी। इन पर पड़े बालक खिलखिलाया^३ करते थे। खट्वा (खाट) पुरुषों के सोने के काम आती थी। इसे शय्या भी कहते थे। शय्या सन्ना शब्द था, जो खाट के लिए ही प्रयुक्त होता था, हर शयन के लिए नहीं।^४ यह मच से बड़ी होती थी। सम्भव है, मच पालने को भी कहते हों। अपढ लोग भूल से मच को मज भी कह जाते थे।^५ खट्वा की चर्चा भाष्य में बार-बार आई है।^६ भाष्य में खट्वा से वस्तुओं के खरीदने का भी पता चलता है।^७ किसी-किसी परिवार में बहुत खाटे होती थी। उसे खट्वाढक कहते थे।^८ खट्वा शयन के साधनों में एक थी। सामान्यतया लेटने के आधार को शयन और बैठने के आधार को आसन^९ कहते थे। जिसके पास खट्वा नहीं होती थी, वह घास-फूस भूमि पर बिछाकर सो जाता था।^{१०}

बैठने के साधनों में द्विपदिका और त्रिपदिका घरों में रहती थी।^{११} ये दो और तीन पाँव की लकड़ी की तिपाई-जैसी वस्तुएँ थीं।

१. ८-३-९३।

२. आ० १, पृ० ३२।

३. मञ्च हसन्ति।—४-१-४८, पृ० ५९।

४. ३-३-९९।

५. आ० १, पृ० ३२।

६. आ० १, पृ० ३४।

७. ४-१-३, पृ० २६।

८. आ० १, पृ० ३६।

९. २-३-२८, पृ० ४२५।

१०. ३-२-११०, पृ० २४५।

११. १-१-५७, पृ० ३५२।

खट्वा को पर्यंक या पल्पक और शय्या भी कहते थे।^१ आसन्दी या आरामकुर्सी का भी व्यवहार होता था।^२ यह प्रतिष्ठित लोगो का आसन था। लंगडे या अपाहिज लोग पर्पं के सहारे चलते थे। इन्हे पर्पिक कहते थे।^३ पर्पं बैसाखी तथा पहियेदार 'कुर्सी' दोनों को कहते थे।

पात्र—दैनिक व्यवहार के पात्रो मे घट, घटी, कुम्भ, कलश, कलशी, कुम्भी, महाकुम्भ, करक और कमण्डलु जलपात्र थे। घटी छोटे लोटे के बराबर का मिट्टी या घातु का पात्र था।^४ यज्ञादि मे वेदी के पास अनेक घाटियो मे जल भरकर रखा जाता था। घट उससे बड़ा था और सामान्यत मिट्टी का बनता था।^५ कलशी घटी के आकार की होती थी।^६ कुम्भ घट से भी बड़ा होता था।^७ कुम्भी मलैया या मिट्टी की छोटी-सी मटकी थी। महाकुम्भ, करसी के आकार का होता था, जिससे एक मन तक वस्तु समा सकती थी। कुलाल ये सब पात्र बनाते थे। जिसे घट की आवश्यकता होती थी, वह कुम्भकार के पास जाकर आवश्यकतानुसार बनवा लेता था।^८ घटी और घटिका समान थी।^९ इन्हें भी कुम्भार बनाते थे। कमण्डलु बड़े लोटे के आकार का ब्रह्मचारियो का जलपात्र^{१०} था। सामान्य लोटे को करक कहते थे।^{११} छात्र प्राय 'कमण्डलुपाणि' होते थे।

स्थाली (वटलोई) ओदन या सूप बनाने के काम आती थी।^{१२} पिठर थाली या छोटी थाली के आकार का (वेला या कटोरा) था।^{१३} पिठर काँसे का बनता था, जो वाद्य के समान वजाने के काम भी आता था।^{१४} स्थाली के विभिन्न आकार थे। भिन्न-भिन्न परिमाण के तन्दुलो के पकाने के लिए अलग-अलग स्थालियाँ रहती थी, जिनके नाम उनकी पकाने की योग्यता के आधार पर पड जाते थे। जैसे, एक द्रोण चावल पकाने की योग्यता रखनेवाली स्थाली द्रीणी या द्रीणिकी कहलाती थी। इसी प्रकार पानीणा, आढकीना, आचितीना, ह्याढकिकी, द्विकुलिजीना आदि स्थालियाँ थी।^{१५}

१. ८-२-२२, पृ० ३४५।
२. ८-२-१२, पृ० ३३७।
३. ४-४-९, पृ० २७४ तथा ४-४-१०।
४. आ० १, पृ० ५ तथा ३-२-९, पृ० २११।
५. आ० १, पृ० १७।
६. ४-३-५६।
७. ३-१-९२, पृ० १६७।
८. आ० १, पृ० १७।
९. आ० १, पृ० १६।
१०. १-४-२, पृ० ११९ तथा २-३३-२१, पृ० ४२३।
११. ८-२-८४, पृ० ३९०।
१२. २-१-३६, पृ० २६४।
१३. १-४-१०१, पृ० २०८।
१४. ४-४-५५, पृ० २८०।
१५. ५-१-५२ से ५५, पृ० ३२५।

स्थाली के समान उखा या कटाह भी पकाने का पात्र था और उसके नाम भी स्थाली के समान प्रास्थिक आदि, पकाने की योग्यता के आधार पर होते थे।^१

इनके अतिरिक्त कुण्डिका या कुण्डी, अमत्र, कस या कसपात्री या कास्यपात्री, कपाल, शराव आदि नित्य व्यवहार के पात्र थे। कुण्डी (कुंडी) पत्थर या लकड़ी की होती थी।^२ थोड़े बड़े भेद से इनके अनेक आकार थे। नाद को भी कुण्डिका कहते थे। यह मिट्टी की बनती थी। भाष्य में कुण्डिका से पानी टपकाने का उल्लेख है।^३ अमत्र कठौती या उसी प्रकार का अन्य पात्र था, जिसमें भात आदि परोसा जाता था।^४ कस कटोरी या कटोरा था, जो काँसे या ताँबे का बनता था। कस दूध-भात खाने के काम आता था।^५ यह भी भिन्न-भिन्न आकारों का बनता था। लौह-कस (ताँबे का कटोरा) इतना चमकता था कि बेरो की टोकरी (बदर-पिटक) के बीच रख देने पर ऐसा प्रतीत होता कि उसमें वेर भरे हुए है।^६ कस-पात्रों का प्रचार सम्पन्न घरों में ही विशेष था और यह गौरव की बात मानी जाती थी।^७ कपाल कस से बड़े आकार के होते थे।^८ शराव प्याले के आकार के होते थे। शराव और कपाल मिट्टी के बने होते थे। शरावों का प्रचार अपेक्षाकृत अधिक था।^९ मिट्टी के पात्र पुराने होने पर बदल दिये जाते थे। नई कुण्डी और नई घटी का महत्त्व विशेष था।^{१०} काशिकाकार ने 'भक्ताख्यास्तदर्थेषु' (६-२-७१) सूत्र के भाष्य में भिक्षा-कस, श्राणा-कस और भाजी-कस शब्दों का उल्लेख किया है। कस जिस वस्तु के लिए व्यवहार में आते थे, उसी के आधार पर उनके नाम पड़ जाते थे। ऋग्वेद में भी अमत्र का उल्लेख है। वह सोमपात्र के रूप में प्रयुक्त होता था।^{११} उखा खाद्य वस्तुओं के तलने के काम आती थी। यह कढाई का प्राचीन रूप था। ऋग्वेद के यज्ञ-प्रसंगों में इसका वर्णन है और वहाँ वह मृमयी बतलाई गई है।^{१२}

पेषणादि-सावन—भोजन से सम्बद्ध वस्तुओं में शूर्प और तितत (चालनी) अन्न को साफ करने के काम आते थे।^{१३} उल्लूखल अन्न को कूटने के काम आता था। मूसल इस काम में उसका

१. ४-२-१७ तथा ५-१-५२।

२. ४-१-४२ काशिका।

३. ३-१-८७, पृ० १५५ तथा आ० १, पृ० १६।

४. ४-१-४२ काशिका।

५. १-३-१, पृ० १४।

६. १-२-३०, पृ० ५०३।

७. ८-२-३, पृ० ३१७।

८. आ० १, पृ० १९।

९. ४-२-१४ काशिका।

१०. १-१-४४, पृ० २५९।

११. ३-३-२०, पृ० २९९ तथा आ० १, पृ० ८।

१२. २-१-३६, पृ० २८८ तथा १-१-५०, पृ० ३०७।

१३. आ० १-१६२-१३, १४; तैत्ति० सं० ४-१-६-३ तथा वाजस० सं०, ११-५९।

साथी था।^१ तिलपीडनी प्रत्येक घर में नहीं होती थी। तेली के घर में होती थी, तथापि उसका महत्त्व प्रत्येक परिवार के लिए था।

उदञ्चन-साधन—उदकोदचन, उदक (तेल ऊपर निकालने का साधन) कुएँ से पानी खींचने की रस्सी, अश्मा (पीसने की सिल) और दृषद् (चक्की) ये गृहोपयोगी वस्तुएँ प्रायः सभी घरों में थीं। उदक पीपे में से तेल निकालने के लिए था।^२ उदकोदचन घातु-पात्र था, जिससे घड़े में से पानी निकालते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में तथा शतपथ-ब्राह्मण में उदचन शब्द पानी खींचने की बाल्टी के अर्थ में मिलता है।^३ रस्सी को भाष्यकार ने पाणिसर्ग्या कहा है।^४ यह दुलडी या तिलडी बनाई जाती थी। रज्जु के बनाने या बटने को 'वर्त्तन' कहते थे। बटने के बाद रज्जु काष्ठ-स्तम्भ में रगड़कर चिकनी की जाती थी और तब वह सघुष्ट या सघुपित हो जाती थी।^५ इसके बाद दुवारा ऐठकर वह तिलडी की जाती थी^६ और तब उससे पानी खींचा जाता था। अश्मा^७ (सिल) और दृषद् (चक्की) ये दोनों पीसने के काम आते थे। दही मचने की मटकी तथा रई (मन्य) भी प्रायः घरों में रहते थे।^८

छिदा-साधन—असि,^९ परशु,^{१०} दात्र,^{११} इष्म-प्रब्रश्चन,^{१२} पलाश-शातन^{१३} (हँसिया), आख, आखर, आखनिक^{१४} या आखनिकवक, वाशी,^{१५} वृक्षादन^{१६} और शकुला^{१७} सामान्य व्यवहार के औजार थे। असि और परशु काटने के काम आते थे। दात्र (गडासी) को कहते थे। इष्म-प्रब्रश्चन कुल्हाड़ी का नाम था, जो लकड़ी काटने के काम आती थी। पलाश-शातन पेड़ों से पत्तों छानने के

१. आ० २-१४-१।
२. ३-३-१२३, पृ० ३१८।
३. ऐत० ब्रा० ७-३२ तथा शत० ब्रा० ४-३-५-२१।
४. ३-१-१२४, पृ० १९२।
५. १-१-४४, पृ० २७५।
६. ५-१-११९, पृ० ३५५ तथा १-३-२८, पृ० ६५।
७. १-३-१, पृ० ८।
८. ४-३-२५, पृ० २३०।
९. ५-१-११०।
१०. १-४-१, पृ० १०९, ११०।
११. २-१-२, पृ० २६४।
१२. २-१-३२, पृ० २८५।
१३. २-२-८, पृ० ३४२।
१४. वही।
१५. ३-३-१२५, पृ० ३१९।
१६. ४-१-३, पृ० १८।
१७. वही।
१८. २-१-१, पृ० २२७।

काम आता था। आख या आखर फावडे को कहते थे। खोदने में इसका प्रयोग होता था। वृक्षादन कुल्हाडी का दूसरा नाम था। वाषी या कुल्हाडी और वृक्षादन एक ही औजार का नाम था। शकुला सरती को कहते थे, जो सुपारी आदि काटने के काम आता होगा।

भरनी और कोठे—पदार्थों को रखने के लिए जिन पात्रों का व्यवहार होता था, उनमें घृतघट और तैलघट भोजन से सम्बन्ध रखते थे। ये अन्य घटों से भिन्न थे और केवल घृत तथा तैल रखने के ही काम आते थे। घी या तेल निकाल लेने पर भी उनकी घृतघट या तैलघट संज्ञा अक्षुण्ण रहती थी। ये घट कभी-कभी घी और तेल खर्च हो जाने पर अग्नि में तपाये जाते थे और तृण की कूची से मलकर साफ भी किये जाते थे, जिससे उनमें रखे गये घृत या तेल खराब नहीं होते थे।^१ कुतुप चमड़े की कुम्पी होती थी, जो तैलादि रखने के काम आती थी। कुतू कुतुप से बड़ी होती थी। कुतू आवपन थी।^२ उसमें भरकर अन्न बोया जाता था। उष्ट्रिका भी आवपन-पात्र^३ था। सम्भवतः ऊपर का भाग (गरदन) ऊँट के समान लम्बा होने के कारण इसका नाम उष्ट्रिका पडा था। दूति (मशक) चमड़े की थैली के रूप में व्यवहृत होती थी। दूति में भरी हुई वस्तु, दातैय कहलाती थी।^४ भस्त्रा, भस्त्रिका या भस्त्रका चमड़े की बनी मशक-जैसी वस्तु थी, जो पदार्थ भरने के काम आती थी।^५ लुहार की चमड़े की चौकनी को भी भस्त्रा कहते थे। गोणी और गोणी-तरी बड़े और छोटे आकार की बोरियाँ थी, जो प्रायः घरों में रहती थी और अनाज भरने के काम आती थी।^६ गोणी का प्रचलन आज भी ग्रामों में है। टट्टू पर अन्नादि लादनेवाले वनिये गोणी का ही उपयोग करते हैं। टट्टू की पीठ पर दो गोणियाँ दायें-दायें लटकाकर परस्पर जोड़ दी जाती हैं। बीवघ (काँवर या वहेगी) पानी या अन्य सामान ढोने के काम आती थी।^७

अन्न भरने के लिए मिट्टी के अनेक पात्रों का प्रयोग किया जाता था। रवी या खरीफ की उपज इनमें भरकर रखी जाती थी, जिससे चूहे या कीड़े उसे नष्ट न कर सकें। ऐसे पात्रों में कुम्भ, कुम्हार का बनाया हुआ मटका होता था। कलश और कलशी भी, जिनका अपभ्रंश रूप करसा और करसी आज भी प्रचलित है, अनाज भरने के काम आते थे।^८ कुशूल^९ उससे बड़ा मिट्टी का बना मटका या डेहरा होता था और कुम्भी कुम्भ का छोटा संस्करण।^{१०} कुशूल में बहुत अधिक

१. २-१-१, पृ० २४०।

२. ५-३-८९ काशिका।

३. ४-१-३, पृ० २२।

४. ४-३-५६।

५. ४-१-६४, पृ० ७४ तथा ४-४-१६ तथा १-१-७२, पृ० ४५७।

६. १-२-५०, पृ० ५४९।

७. ४-४-१७, पृ० २७५।

८. ४-३-५६ तथा ६-४-१७४, पृ० ५०७।

९. ८-४-१३, पृ० ४८१ तथा १-३-७, पृ० २७।

१०. ६-१-१०२ तथा ४-१-१, पृ० ९।

११. १-३-७, पृ० २७।

अनाज समा जाता था। इसे कन्दु या कोण्ट (कोठा) भी कहते थे।^१ इनका मुँह अनाज भरने के वाद ऊपर से बन्द कर दिया जाता था, किन्तु नीचे की ओर अनाज निकालने के लिए ऐसा छेद रखा जाता था, जिसे आवश्यकतानुसार खोला जा सके। इस छेद को कुशूल-विल कहते थे। कूप और शाला खत्तियों के रूप थे। भूमि के भीतर खोदकर कच्ची या पक्की खत्तियाँ भी अनाज रखने के लिए बनाई जाती थी। इनके मुख को भी कूपविल और शालाविल कहते थे। छोटा कुशूल कुशूली कहलाता था।^२

आस्तरण—घरों में भूमि पर बैठने के समय जिस आस्तरणों का उपयोग होता था, उनमें कट मुख्य था। कट काश तथा अन्य अनेक तृणों से बनाये जाते थे।^३ चर्म का व्यवहार विछौने के रूप में भी होता था। द्वीपी का चर्म विछाने में श्रेष्ठ माना जाता था, किन्तु वह सब घरों में उपलब्ध नहीं था।^४

१. २-१-१, पृ० २५३।

२. ४-१-१, पृ० ९।

३. ३-१-९२, पृ० १६८।

४. २-३-३६, पृ० ४३१।

अध्याय ९

वेशभूषा

सामान्य वस्त्र—भाष्यकार ने परिधानीय वस्तुओं में वस्त्र और वसन का उल्लेख किया है। वस्त्रान्त और वसनान्त वस्त्र के अवयव ही होते हैं।^१ उनके इस कथन से पूरे बड़े वस्त्र की कल्पना होती है। उन्होंने चीर, चीवर और चेल का भी उल्लेख किया है। वस्त्र और वसन सामान्यतः सिले या बिना सिले हो सकते थे। चीर बिना सिला, कम चौड़ा, खण्डित और छोटा वस्त्र होता था। चीवर शब्द सन्यासियों के वस्त्रों के लिए प्रयुक्त होता था।^२ जैन, बौद्ध भिक्षुओं में यह शब्द विशेष प्रचलित था। चेल सिले-सिलाये या बिना सिले पहने हुए वस्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है। इतनी हल्की वर्पा, जिससे खुले स्थान में चलनेवाले के वस्त्र गीले हो जायें, 'चेलवन्दीप' कहलाती^३ थी। सामान्य वस्त्र के अर्थ में पट शब्द का भी व्यवहार होता था।^४

तन्तु-भेद—वस्त्र कार्पास, ऊमा, भगा, कौशेय और ऊर्णा के तन्तुओं से बनाये जाते थे। भाष्यकार ने कार्पास के लिए मृदु विशेषण का प्रयोग किया है।^५ वे कार्पास से वस्त्र तैयार करने की सारी प्रक्रिया से परिचित थे। उन्होंने कार्पास को 'पिचव्य' कहा है।^६ ऊमा और भगा से बने वस्त्रों को औम या औमिक और भाग्य या भागीन कहते थे।^७ ऊर्णा या ऊन से बने वस्त्र और्ण या और्णिक कहलाते थे।^८ कोश से बने वस्त्रों को कौशेय कहते थे। कोश वस्तुतः कृमि-कोश होते थे। ये कृमि हरी पत्ती खाकर जीते थे और कोश-प्रजनन करते थे। भाष्यकार ने इस बात पर विचार किया है कि कौशेय को कोश का विकास माना जाय या कोश से सभूत। अन्त में उन्होंने कोश के विकार को ही कौशेय माना है।^९

गुण-भेद—इन चारों प्रकार के वस्त्रों में गुण या अर्हता की दृष्टि से अन्तर रहता था। भाष्यकार ने कहा है कि जिस प्रकार वस्त्र बनानेवाला अधिक वस्त्र तैयार करने का प्रयत्न करता है,

१. १-२-१०, पृ० ४८१।

२. ३-१-२०।

३. ३-४-३३।

४. ६-२-१२७ काशिका।

५. ४-१-५५, पृ० ००।

६. ५-१-२, पृ० २९४।

७. ४-३-१५९।

८. वही।

९. ४-३-४२, पृ० २३४।

उन्मी प्रकार वह उनमे श्रेष्ठता लाने का भी उद्योग करता है।^१ वह चाहता है कि मेरे वस्त्र अधिकाधिक सूक्ष्म हों। सूक्ष्मतर वस्त्र बनाने की बात भाष्यकार ने वार-वार कही है।^२ उन्होंने कहा है कि वस्त्रों की वस्त्रों से स्पर्धा होती है, अर्थात् वस्त्र बनानेवाले वस्त्रों के विषय में दूसरे वस्त्र बनानेवालों से स्पर्धा करते हैं।^३ इन सब उद्धरणों से प्रमाणित होता है कि भाष्यकार के युग में सूक्ष्म वस्त्रों को बनाने की कला बहुत उन्नत थी और इस दिशा में जनरुचि भी बहुत जागरूक थी।

वस्त्रों की सिलाई—पहनने में दोनों प्रकार के वस्त्रों का व्यवहार होता था—विना मिले और मिले हुए। भाष्यकार ने तीक्ष्ण नुई से सीने का उल्लेख किया है।^४ तीक्ष्ण मूची सूक्ष्मतर वस्त्रों की सिलाई के लिए काम में आती थी। उन्होंने अच्छी तरह सीकर तैयार किये गये वस्त्रों को ओर सकते किया है।^५ फटे हुए कपड़े के पुन उत्स्यूत या रफू करने का प्रचार भी भाष्यकार के समय में था।^६

उत्तरीय और अन्तरीय—काशिकाकार ने शरीर को वास्त्रयुगिक^७ कहा है, अर्थात् वस्त्रयुग से शरीर की शोभा बढ़ती है। यह कथन इस बात का प्रमाण है कि सामान्यतः लोग शरीर पर दो वस्त्र धारण करते थे। ये वस्त्र अन्तरीय और उत्तरीय कहलाते थे। अन्तरीय शरीर में पहना जानेवाला वस्त्र था और उत्तरीय ओढ़ा जानेवाला। ये दोनों मिलकर उपसव्यान कहलाते थे। सामान्यतया उत्तरीय वस्त्र छोटा होता था और अन्तरीय बड़ा, किन्तु कभी-कभी दोनों का आकार बराबर भी रहता था। भाष्यकार ने 'अन्तर वहिर्योगोपसव्यानयो' (१-१-३६) सूत्र के वार्तिकों पर टीका करते हुए शका उठाई है कि इस सूत्र में उपसव्यान शब्द ग्रहण करना निरर्थक है। उपसव्यान शब्द को यदि सूत्र में निकाल दें, तो वहिर्योग शब्द ग्रेप रह जाता है। उपसव्यान शब्द उप+सम्+वेच् वाचु+ल्युट् प्रत्यय होकर बनता है। इसमें क्रिया का अर्थ 'आच्छादन करना' है। उसके आगे होनेवाले प्रत्यय के कर्म और करण दोनों अर्थ सम्भव हैं। इस प्रकार, उपसव्यान के दो अर्थ हुए—वह वस्त्र, जिससे आच्छादन किया जाय और वह वस्त्र, जिसका आच्छादन किया जाय। उत्तरीय वस्त्र से शरीर का आच्छादन किया जाता है और अन्तरीय वस्त्र का उत्तरीय वस्त्र द्वारा आच्छादन किया जाता है। उत्तरीय शरीर के ऊपर रहता है, इसलिए वहिर्योग कहने से उसका ग्रहण हो जायगा। अन्तरीय वस्त्र का योग या सयोग वहिर्योग से रहता है, इसलिए उसका भी ग्रहण वहिर्योग कहने से हो सकता है। ऐसी स्थिति में उपसव्यान की कोई आवश्यकता सूत्र में नहीं है। इसका उत्तर वार्तिककार ने दिया है कि कभी-कभी उत्तरीय और अन्तरीय दोनों

१. यथैवायं ब्रह्मयु यतते वस्त्राणि मे स्युरिति एवं गुणेष्वपि यतते सूक्ष्मतराणि मे स्युरिति ।—२-१-६८, पृ० ३२६।

२. वही।

३. यावता वस्त्राणि तद्वत्समपेक्षन्तेपद्वन्तं चापेक्ष्य वस्त्राणं वस्त्रैर्युगपत् स्वर्वा भवति ।—वही।

४. तीक्ष्णया सूच्या सीव्यन् ।—१-२-२, पृ० २६४।

५. १-१-५६, पृ० ३३५।

६. पुनरुत्स्यूतं वासो देयम् ।—१-४-६०, पृ० १९०।

७. ५-१-९९।

वस्त्र विना सिले हुए एक समान लम्बे रहते हैं। उनमें पता नहीं चल पाता कि कौन उत्तरीय है और कौन अन्तरीय। ऐसे अवसर पर वहियोग दिखना कठिन ही जायगा, इसीलिए उपसव्यान शब्द का पृथक् ग्रहण किया है। वार्त्तिककार के इस समर्थन का भाष्य ने खण्डन करते हुए कहा है कि ऐसे अवसरों पर भी समझदार व्यक्ति को पता चलाना कठिन नहीं होता कि उत्तरीय वस्त्र कौन है तथा अन्तरीय कौन।^१

उपर्युक्त विस्तृत चर्चा से दो बातें प्रकाश में आती हैं। एक तो यह कि वस्त्रों में कुछ ऐसे थे, जो पहने जाते थे और कुछ ऐसे थे, जो ओढ़े जाते हैं। पहने जानेवाले वस्त्र शरीर से चिपके रहते थे और उत्तरीय उनके ऊपर रहते थे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अन्तरीय वर्त्तमान होती या साड़ी के स्थान पर थे और उत्तरीय चादर या दुपट्टे के स्थान पर। दूसरी बात यह कि कभी-कभी उत्तरीय और अन्तरीय दोनों विना सिले होती-जैसे रहते थे, परन्तु प्रायः दोनों भिन्न प्रकार के होते थे और उनका अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता था।

शाटक—शाटक सामान्यतः घोंती और साड़ी को कहते थे। विना सिले निश्चित परिमाण के वस्त्र भी जैसे चादर आदि शाटक ही कहे जाते थे। शाटक का प्रचार बहुत अधिक था। भाष्यकार ने वस्त्रों में सर्वाधिक उल्लेख शाटक का ही किया है।^२ रगीन वस्त्र का स्मरण करते ही शुक्ला-शाटी का चित्र उनके सामने आ जाता है।^३ आच्छादन में वे शाटक की ही चर्चा करते हैं—‘मैं वे ही शाटक पहने हूँ, जिन्हें मथुरा में पहने था’^४ आदि कथन इस बात के संकेत हैं कि शाटक पुरुष का अनिवार्य आच्छादन था और शाटी स्त्री का।

शाटक पाँच तक नीचा पहना जाता था, इसलिए उसे आप्रपदीन कहते थे।^५ लडकियाँ अघरोरुक या छोटा लहंगा पहनती थीं।^६ शाटक, शाटी और अघरोरुक की गाँठ को नीवी कहते थे। जिस स्थान पर नीवी बाँधी जाती थी, उस स्थान को उपनीवि और उपनीवि के पास प्रायः होने-वाली वस्तु औपनीविक कही जाती थी।^७

शाटक और शाटी का सामान्य मूल्य लगभग एक राजत कार्पापण था। भाष्य में ‘सौ कार्पापणों से खरीदे गये सौ शाटक’ यह वाक्य मिलता है।^८ ऐसे शाटकों को शत्य कहते थे। यदि सौ रूपयों से खरीदी गई वस्तुएँ सौ न हुईं, तो उन्हें शतिक भी कहते थे।

प्रावारक—शाटक के अतिरिक्त प्रावार^९ या प्रावारक का प्रयोग उत्तरीय वस्त्र के रूप में

१. १-१-३७, पृ० २३८।

२. १-१-४५, पृ० २८०।

३. १-१-६४, पृ० ३९६।

४. भा० २, पृ० ४४।

५. ५-२-८।

६. अघरोरुकमेतत्कुमार्याः।—१-२-४५, पृ० ५२७।

७. ४-३-४०।

८. ५-१-२१, पृ० ३१३।

९. ३-३-५४।

होता था। प्रावार को प्रवर भी कहते थे। पाणिनि ने प्रावार को आच्छादन कहा है। प्रावार चादर या शाल को कहते थे। वृहतिका भी आच्छादन था, जो प्रावार के ही समान कन्धे से ओढ़ा जाता था।^१ वृहतिका प्रावार से बड़ी थी और कमर के नीचे घुटनों तक पहुँचती थी। वृहतिका शब्द इसके लम्बे होने की ओर संकेत करता है। सम्भव है, यह लम्बा सिला हुआ वस्त्र अचकन का पूर्वज हो। यह घुटनों तक लम्बा कुरते जैसा वस्त्र था। पतंजलि^२ ने वस्त्र और कम्बल के साथ वृहतिका का उल्लेख किया है, जिससे यह लम्बी चादर-स्तुत्य ओढ़ना मालूम होता है। प्रावारक का एक भेद वर्णका भी था।^३ तान्त्रव अर्थ में वर्णका शब्द प्रचलित था, अन्यथा वर्णिका शब्द का व्यवहार होता था।

कुतप—भाष्यकार ने कुतप वस्त्र की चर्चा की है। उन्होंने कुतप वस्त्र पहननेवाले सौश्रुत की 'कुतप-सौश्रुत' सज्ञा बतलाई है। कुतप हल्का, गरम ऊनी कम्बल या शाल होता था। यह पर्वतीय, विशेषतः नेपाली ऊन का बना होता था।

उष्णीय—उष्णीय या पगड़ी बाँधने की भी प्रथा थी। भाष्यकार ने लाल पगड़ी बाँधकर घूमनेवाले ऋत्विजों^४ की चर्चा एकाधिक बार की है। पगड़ी का प्रचार इस बात का संकेत देता है कि 'वास्त्रयुगिक' शरीर सामान्यतः शोभित माना जाता था। यह निम्नतम मर्यादा थी। वैसे लोग दो से अधिक भी वस्त्र धारण करते थे। इनमें शरीर के उत्तर भाग में पहना जानेवाला वस्त्र निश्चित ही स्यूत होता था।

उपर्युक्त मंत्र परिवान 'वासस्' कहलाते थे। पहनने के बाद इनकी ठीक तहे बनाकर रख देने की प्रथा थी, जिससे वे गन्धे न दिखे। भाष्य में दोनों वस्त्रों का तहे बनाकर रखने का उल्लेख है।^५ ये दोनों वस्त्र उत्तरीय और अन्तरीय थे।

वस्त्रों का रंग—वस्त्र अनेक रंग के होते थे। रंग-विरगे वस्त्रोंवाले देवदत्त को भाष्यकार ने विचित्राभरण कहा है।^६ 'तेन रक्त रागात्' (४-२-१) के प्रसंग में भाष्यकार ने नीली, मजिष्ठा, शकल, कर्दम, काषाय, हरिद्रा, पीत आदि अनेक रंगों से वस्त्रों के रंग जाने का उल्लेख किया है। फिर भी, शुक्ल वस्त्र का प्रचार उच्च सस्कृत लोगों में अधिक था। वस्त्र, शाटी और कम्बल के साथ उन्होंने सर्वदा शुक्ल विशेषण का उपयोग किया है।^७ कभी तो 'शुक्लतर' विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है। लाल वस्त्र भी प्रयोग में आते ही थे। भाष्यकार ने कहा है कि दो लाल वस्त्रों के बीच रखा हुआ शुक्ल वस्त्र भी लाल दिखाई देता है।^८

१. ५-४-६।

२. १-२-६९, पृ० ६०३।

३. ७-३-४५, पृ० १९०।

४. २-१-६९, पृ० ३३०।

५. लोहितोष्णीया ऋत्विजः प्रचरन्ति।—१-१-२७, पृ० २२० तथा २-१-६९, पृ० ३२९।

६. प्रभुजति वाससी।—१-३-६६, पृ० ८४।

७. १-४-२ पृ० १८।

८. १-२-४०, पृ० ५०३।

९. १-१-६४, पृ० ५९६ तथा २-२-२४, पृ० ३६१।

कम्बल—कम्बल का व्यवहार प्राचीन भारत में बहुत था। शाटक के समान कम्बल भी निश्चित आकार के तथा निश्चित वजन के बनते थे। सामान्यतया ये ही कम्बल बाजार में विकते थे और इन्हें 'पण्यकम्बल' कहते थे।^१ 'पण्यकम्बल' विशिष्ट कम्बलों की सजा थी। सामान्य तौर पर अन्य विन्नेतव्य कम्बलों को भी पण्यकम्बल कहते थे, पर उसके उच्चारण में समासान्तोदात्त होता था, पूर्वपद प्रकृति-स्वर नहीं। पण्यकम्बल 'ऊर्णापिलशतम्' से बनता था, जिसका वजन लगभग पाँच सेर होता था। एक कम्बल-भर ऊन को कम्बल्य कहते थे।^२ अतः, कम्बल्या ऊर्णा का अर्थ पाँच सेर ऊन होता था। कम्बल बनाने के योग्य सामान्य ऊन कम्बलीय कहलाती थी। 'कम्बल्य' संज्ञा शब्द था, जो विशिष्ट परिमाण का द्योतक था। पण्यकम्बलों का प्रचार बहुत अधिक था। कम्बल प्रायः शुक्ल वर्ण के बनते थे। गिष्टवर्ग में शुक्लवर्णीय कम्बलों का प्रचार अधिक था। भाष्यकार ने सर्वत्र शुक्ल कम्बल का ही उल्लेख किया है।^३ कुतप के समान राकव कम्बल भी प्रसिद्ध थे, जो रकु-प्रदेश में बनते थे। ये कम्बल बड़े मजबूत बनाये जाते थे, जो वर्षों नहीं फटते थे। भाष्यकार ने कम्बल को 'अजरिता' कहा है^४ जिसका अर्थ है, 'न फटनेवाला'।

कन्या—कन्या बड़े परिश्रम से बनाई जाती थी। जिसके लिए वैद्य के साथ कला भी अपेक्षित थी। कन्या से सम्बद्ध वस्तु कान्तिक कहलाती थी। कन्या का प्रचार बहुत अधिक था यह बात इसी से प्रमाणित होती है कि पाणिनि ने कान्तिक शब्द के लिए पृथक् 'कन्यायाप्टक्' (४-२-१०२) सूत्र का निर्माण किया है। वर्णु देग की कन्या विशेष प्रसिद्ध थी। वर्णु नदी का समीपवर्ती प्रदेश भी वर्णु कहलाता था। वर्णु के लोग कन्या बनाने में विशेष प्रवीण थे। वर्णु में बनी कन्या से शेष अर्थ में कान्तिक शब्द बनता था।^५ कान्तिक से भिन्न कान्तिक शब्द केवल वर्णु की विशेषता बतलाने के लिए था। कन्या आस्तरण का काम देती थी। वर्णु के समान उगीनर जनपद के सौशभि और आह्वर प्रदेशों में बनी कन्याएँ भी अति प्रसिद्ध थीं। सौशभि और आह्वर की कन्याओं की अर्हता तथा प्रचार अन्यत्र बनी कन्याओं से अधिक था। इसलिए सौशभि-कन्य, आह्वर-कन्य शब्द संज्ञा बन गये थे। पाणिनि ने उगीनर-जनपद में बनी विशिष्ट नामवाली कन्या का बोध करानेवाले कन्यान्त तत्पुरुष को नपुसर्कालिग माना है।^६ उगीनर से भिन्न प्रदेश की कन्या के साथ समास होने पर समस्त पद नपुसर्कालिग नहीं होता। वीरज-कन्या और आह्वर-कन्या में यह अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता है। तत्पुरुषसमास में इस प्रकार नपुसर्कालिग बना कन्या शब्द के उत्तर पद होने पर आद्युदात्त हो जाता था। चर्मकन्य तथा

१. पण्यकम्बलः संज्ञायामिति वक्तव्यम् यो हि पणितव्यः कम्बलः पण्यकम्बल एवा-
सौ भवति ।—६-२-४२, पृ० २५९।

२. कम्बलाच्च संज्ञायां—इदं तर्हि प्रयोजन संज्ञायामिति नं वक्ष्यामीति । इह भाभूत
कम्बलीया ऊर्णा ।—५-१-३, पृ० २९७।

३. १-१-६४, पृ० ५९६।

४. ३-१-१०५, पृ० १८३।

५. ४-२-१०३।

६. २-४-२० काशिका।

चिह्णादिगण मे पठित (चिह्ण, भडर, भड्डुर, वैतुल, पट्क, चिल्कण आदि) शब्दो के पूर्व होने पर कथ्या शब्द आद्युदात्त होता था। कथ्या-विषयक इतने सूक्ष्म नियम उसके व्यापक उपयोग तथा उसके बनाने की उन्नत कला के परिचायक हैं।

उपानह—'वासस्' के अतिरिक्त वेश की पूर्णता के लिए उपानह आवश्यक माने जाते थे। उपानह का उल्लेख सहिता-काल (तैत्ति० स० ५-४-४ तथा शतपथ ब्रा० ५-४-३-१९) से ही बराबर मिलता है। शतपथ मे शूकर चर्म के जूतो का उल्लेख है। कौशीतकी ब्राह्मण (३-३) मे दण्ड और उपानह नाम साथ-साथ आये है। ये चर्म और काष्ठ दोनों के बनते थे। भाष्य मे औपानह्य दारु और औपानह्य चर्म^१ दोनों का उल्लेख है। ब्रह्मचारी तथा वैखानस दारु के उपानह धारण करते होंगे। उपानत् अनुपदीन^२ होते थे, अर्थात् पाँच की माप के तैयार किये जाते थे। वेश के साथ उपानत् भूषा के लिए भी उपयोग मे लाये जाते थे। अच्छा आकार, वनावट की मजबूती, सुन्दरता और कोमलता उन्हें आकर्षक बना देती थी। इसलिए, कुछ लोगो को उपानत् के प्रति विशेष आसक्ति रहती थी। भाष्य मे ऐसे व्यक्ति को जिसे छत्र और उपानत् प्रिय हों, 'छत्रोपानहप्रिय'^३ बतलाया है। उपानह लकडी के इस प्रकार के भी बनते थे जिनमे छेद रहते थे और आवुनिक चप्पल के पट्टो के समान मूँज की रस्ती उन छेदो मे इस प्रकार पिरो दी जाती थी कि वह पाँच को संभाल सके। उपानह का यह प्रकार खडाऊँ से भिन्न था। इस प्रकार, उपानत् (पौली) आज भी ग्रामो मे पहने जाते है। काशिकाकार ने इन पौलियो को लक्ष्य करके ही 'औपानह्य मुज'^४ उदाहरण दिया है। चमडे के जूतो मे, जो कच्चे चमडे के बनाये जाते थे, कोमलता उत्पन्न करने के लिए तिल का कल्क^५ (तेल के नीचे जमा हुआ मैल या ठँठ) लगाया जाता था।

यष्टि आदि—यष्टि आत्मरक्षा का साधन तो थी ही, भूषा के लिए भी उपयोग मे आती थी। लोग सदा यष्टि हाथ मे लेकर चलते थे। ऐसे लोगो का नाम ही यष्टि के आधार पर पड जाता था। उदाहरणार्थ, सदा यष्टि साथ मे रखनेवाले मौद्गल्य को 'यष्टिमौद्गल्य'^६ कहा जाता था। साधारणतया यष्टि लेकर चलनेवाले को याष्टीक^७ कहते थे। दण्ड यष्टि से बडा होता था। ब्रह्मचारी तो सर्वदा दण्ड साथ मे रखते थे, किन्तु उनका दण्ड भूषा^८ के रूप मे नही था। ब्रह्म-

१. ६-२-१२४।

२. ५-१-२, पृ० २९४।

३. वही।

४. ५-२-९।

५. २-१-५१, पृ० ३०४।

६. ५-१-१४ काशिका।

७. उपानदधस्तिलकल्कः।—५-३, पृ० ३०४।

८. २-१-६९, पृ० ३३०।

९. ४-४-५९।

१०. ४-२-१०४, पृ० २१०।

चारी का दण्ड पलाश का होता था, जिसे आषाढ भी कहते थे। दण्ड के लिए साड शब्द का भी व्यवहार होता था।^१ अंसि भी शोभाय धारण की जाती थी। कमर में लटकने के कारण अंसि को कौशेयक भी कहते थे।^२

सौन्दर्यप्रियता—मणिनि और पतजलि दोनों में इस प्रकार के अनेक, उल्लेख मिलते हैं, जिनसे तत्कालीन सौन्दर्यप्रियता का पता चलता है। प्राचीन्य के आधार पर व्यक्तियों के दो वर्ग थे—नागरक और प्राकृत।^३ नागरक जन शिक्षित तथा सुसंस्कृत थे। कामशास्त्र में नागरकों के सम्पूर्ण जीवन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। 'उपमित व्याघ्रादिभि सामान्याप्रयोगे' (२-१-५६) सूत्र पुरुषों की शरीर-शक्ति के प्रति जागरूकता द्योतित करता है तथा 'ऊरुत्तरपदादौपम्ये' (४-१-६७) एवं 'सहितशफलक्षणवामोदरच' (४-१-७०) और उसपर भाष्यकार का संशोधन 'सहितसहाम्यां चेति वक्तव्यम्' इस बात के सूचक है कि शक्ति के साथ शारीरिक सौन्दर्य की ओर भी लोग काफी ध्यान दिया करते थे। सौन्दर्य के लिए पहली आवश्यक वस्तु है स्वास्थ्य। पुरुषव्याघ्र पुरुषसिंह, कदलीस्तम्भोरु, सहितोरु, वनना विना स्वास्थ्य के सम्भव नहीं। दूसरी सौन्दर्यवर्धक वस्तु है वस्त्र, जिनकी अच्छी डिजाइन और सूक्ष्मता के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है।

अलंकार—इनके अतिरिक्त अलंकारों के द्वारा शरीर को सजाने की ओर लोगों का ध्यान विशेष था। पुरुष और स्त्री दोनों अलंकार धारण करते थे। अलंकार प्रायः सुवर्ण के होते थे। यो मणियाँ और मुक्ता भी पहने जाते थे, पर वे बनी-वर्ग तक सीमित थे। मणिकार (आभूषण बनाने और बेचनेवाले), वैकटिक (हीरे, मणियाँ काटने-सराशनेवाले), रजक (रँगरेज) विशेषतः नीली कुसुम्भरजक, मालाकार और सौगन्धिक सौन्दर्य सज्जा में सहायक थे। कामसूत्र में इन व्यावसायिकों की विस्तृत चर्चा मिलती है। भाष्यकार के समय में इन सबका महत्त्व कम न था।

अलंकारों में, जो आढ्यकरण^४ (सौन्दर्यवर्धक) और सुसुगकरण माने जाते थे, भाष्यकार ने सुवर्णालंकारों का उल्लेख किया है और वह भी विशेषतः स्त्रियों के सम्बन्ध में। 'कन्या को अलं-कृत करता है'^५ वाक्य के साथ उन्होंने सुवर्ण का अलंकार पहननेवाले पुरुष का भी निर्देश किया है।^६ कन्याओं में सज्जा की प्रवृत्ति वचन से ही होती है। वे स्वयं अपने प्रसाधन के लिए चिन्तित रहती थीं। 'कन्या स्वयं ही अपने को मण्डित कर रही है; कन्या स्वयं ही अपने को भूषित कर रही है', यह वाक्य भाष्य में मिलता है।^७ अलंकारादि द्वारा मण्डित व्यक्ति 'अभिरूप' दिखाई देता है, 'दर्शनीय' मालूम होता है,^८ यह बात वे अच्छी तरह समझते थे।

१. ८-३-५६, पृ० ४३८।

२. ४-२-९६।

३. ४-२-१२९।

४. ३-२-५६, पृ० २२०।

५. २-२-१६, पृ० ४१८।

६. २-२-२४, पृ० ३६५।

७. ३-१-८७, पृ० १५६।

८. १-३-१, पृ० १५।

पुरुषों के आभूषणों में अगद, कुण्डल और किरीट महत्त्वपूर्ण थे।^१ अगद भुजाओं में पहने जाते थे। कुण्डल, वर्तुलाकार कर्णाभूषण थे। किरीट शिरोभूषण थे। ग्रैवैयक^२ ग्रीवा या कण्ठ में पहना जाता था, जिसे कण्ठा कहते हैं। यह मोटा तथा कम लम्बा होता था और कण्ठ से दाह होता था। ग्रैवैयक पुरुष और स्त्री दोनों पहनते थे।

स्त्रियाँ अगुलीय,^३ रुचक, कटक, वलय, स्वस्तिक, कुण्डल,^४ वध्र और पुटक^५ पहनती थीं। कटक कलाई में पहने जाते थे। स्वस्तिक के आकार के स्वस्तिकों को कानों में पहनने की प्रथा थी। वध्र सोने की मजबूत माला के समान बनते थे और कण्ठ तथा कटि में पहने जाते थे। कर्णिका कान में पहनी जानेवाली वालियाँ थीं और ललाटिका मस्तक पर, लटकनेवाला सोने का तिलक।^६ कर्णवेष्टक कान के आभूषण थे, जो मुख की सौन्दर्य-वृद्धि में सहायक माने जाते थे।^७

माल्य—सूक् या माला भी भूषणों के अन्तर्गत मानी जाती थी। माला पहनने की प्रथा सर्वाधिक थी। भाष्य में माला का उल्लेख बहुत बार हुआ है। कहा नहीं जा सकता कि सुवर्ण-माला पहनने की प्रथा थी या नहीं, पर पुरुष और स्त्री दोनों ही सूक् धारण करते थे। मालावारी पुरुष ऋग्वेी कहलाता था।^८ 'माल्यगुणकण्ठ'^९ पुरुष की शोभा ही और होती है। सम्भव है, यह माल्यगुण सुवर्ण का भी हो। स्नान और अनुलेप के बाद माल्य पहना जाता था। मालाएँ सभी सुगन्धित पुष्पों की बनाई जाती थीं। 'उत्पलमालभारिणी कन्या',^{१०} से उत्पल-मालाओं के प्रयोग का पता चलता है। उत्पल-मालाएँ आज भी ग्रामीण कन्याओं में बहुत प्रिय हैं। बाजार में भी मालाओं की विक्री बहुत थी। 'मालाढकम्' उदाहरण इसका प्रमाण है।^{११}

केशवेश—केशवेश के प्रति लोक-रुचि सर्वाधिक जाग्रत् थी, यद्यपि दन्त और अघरों का भी शृंगार किया जाता था। जो लोग इन शृंगारों में अत्यधिक आसक्त होते थे, वे समाज में अच्छी नजर से नहीं देखे जाते थे। लोग उनके नाम रख देते थे। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति केश-सज्जा में व्यस्त रहता था, उसे केशक कहते थे। इसी प्रकार दाँतों और आँवों को सजाने में उत्पन्न रहने-

१. १-३-२, पृ० १८।

२. ३-२-९६।

३. ४-३-३९, पृ० २३३।

४. आ० १, पृ० १६।

५. ३-१-२६ पृ० ७९।

६. ४-३-६५।

७. ५-१-९९ काशिका।

८. ५-२-१२१।

९. आ० २, पृ० ४८।

१०. १-१-७२, पृ० ३५५।

११. आ० २, पृ० ३६।

बाले को लोग दन्तीष्टक तथा केशो और नखो का शृंगार करने में आसक्त जन को केशनखक कहते थे।^१

पुरुषो और स्त्रियो की केश-सज्जा मे अन्तर था। कुछ पुरुष केश कटवाते ही नही थे। वे जटिल रहते थे। तापस^२ तो जटिल होते ही थे,^३ अनेक अध्यापक,^४ नट तथा सामान्य जन भी बाल नही कटवाते थे। नट को पतजलि ने सर्वकेशी कहा है।^५ हाँ, माणवक मुण्डित कर दिये जाते थे।^६ कुछ लोग बाल मुँडा देते थे, किन्तु शिखा शेष रहने देते थे। कुछ लोग सारे बाल मुँडा डालते थे। ये लोग क्रमशः जटी, शिखी और मुण्डी कहे जाते थे।^७ एक स्थान पर भाष्यकार ने कहा है कि लोक-व्यवहार मे देखा जाता है कि जब कोई कहता है कि यहाँ मुण्डी बनो, यहाँ जटी रहो, यहाँ शिखी बनो, तब जैसा जहाँ कहा जाता है, वैसा व्यक्ति वहाँ उपस्थित होता है।^८ वपि घातु का प्रयोग बाल कटवाने के अर्थ मे होता था। बाल कटवाने की क्रिया वपन कहलाती थी। लोग दाढ़ी भी बनवाते थे।^९ दाढ़ी बनानेवाले अपने शिल्प मे विशेष दक्ष होने का प्रयत्न करते थे। नागरक नापित एव राजनापित चतुर नापितो की सज्ञा थी। ऐसा नागरक नापित मिल गया, तो क्षौर कराया हुआ व्यक्ति फिर से क्षौर करा लेता था। शिल्प-विशेष या भोजन-विशेष के कारण क्षौर एव भोजन कर्म कर लेने पर भी पुनः उस काम मे प्रवृत्ति देखी जाती थी।^{१०} केश बनवाने के ढग इतने भिन्न-भिन्न थे कि केश देखकर ही आदमी की पहचान कर ली जाती थी। केशों के द्वारा पहचाना गया व्यक्ति केशचक्षु या केशचण कहा जाता था।^{११} जो लोग बाल नही कटाते थे, उनमे बहुत-से लोग जूडे के रूप मे उन्हे बाँध लेते थे। ऐसे लोक केशचूड कहे जाते थे।^{१२} जटाओं और श्मश्रू से लोगो को सरलता से धोखा दिया जा सकता था। नकली दाढ़ी-मूँछ लगाकर लोग दूसरो को प्रवर्चित करते थे। जटाओं और बड़े हुए श्मश्रू को देखकर लोगो के मन मे व्यक्ति के प्रति सम्मान-भाव पैदा होता है। अनेक प्रवचक इस आदर-भावना का अनुचित लाभ उठा लेते थे। इसीलिए, भाष्य-कार ने कहा है 'जटाओ से वचना करता है, श्मश्रूओं से धोखा देता है।'^{१३}

१. ५-२-६६ काशिका।

२. १-२-३२, पृ० ४११।

३. २-३-२१ तथा वही।

४. २-१-६९, पृ० ३२३।

५. ३-१-८, पृ० ४०।

६. १-१-१, पृ० १०५।

७. आ० २, पृ० ४०।

८. १-३-१, पृ० ८।

९. भुक्तवांश्च पुनर्भुज्वते कृतश्मश्रुश्च पुनः श्मश्रूणि कारयति।

सामर्थ्यात्तत्र प्रवृत्तिर्भवति भोजनविशेषान्छिल्पविशेषाद्वा ॥—१-२-९, पृ० ४७८।

१०. १-३-७, पृ० २६।

११. २-२-२४, पृ० ३०६

१२. ६-१-४८, पृ० ७९

केशों के समूह को कैंस्य या कैंसिक^१ कहते थे। कभी-कभी उनकी लटें आगे निकाल ली जाती थी। स्त्रियाँ बालों को आगे की ओर घुंघराला बना लेती थी या उनकी लटें आगे की ओर कर लेती थी। इन्हे प्रागुल्फा^२ कहते थे। स्त्रियों के केशवेश का नाम कवरी था। यह नाम पुष्प लगा लेने पर केशों के कवर दिखाई पडने के कारण पडा था। बालों से भिन्न कबर वस्तु कवरा कहलाती थी। कवरी शब्द पीछे की ओर बनाये हुये जूड़े के लिए प्रयुक्त होता था।^३ जूडा बांधने का ढग भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न था। प्रत्येक प्रदेश के जूड़े उस प्रदेश के नाम पर प्रसिद्ध थे जैसे 'काच्छक चूडाकलाप'।^४ काच्छ-प्रदेश में जूडा बनाने की शैली अन्य प्रदेश से भिन्न थी। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों के अपने-अपने प्रकार थे। केश-विन्यास में माँग को सीमन्त कहते थे।^५ स्त्रियों की केश-सज्जा का वह आवश्यक अंग था। इसीलिए, स्त्रियों को सीमान्तिनी कहा जाता था। सीमन्त से भिन्न अर्थ में सीमान्त शब्द प्रचलित था।

नारियाँ कवरी बनाती थी और चूडा भी। चूडा सिर के ऊपर उठा हुआ रहता था और कवरी पीछे की ओर। पुष्प दोनों के मण्डन थे। मल्लिका और चम्पक^६ के पुटों की चर्चा भाष्य में आई है।

नेत्रों में काजल या अजन लगाने की प्रथा थी। अजन लगे नेत्र अक्त कहलाते थे।^७

अन्य प्रसाधन—स्नान और अनुलेप की चर्चा ऊपर हुई है। स्नान से पूर्व तेल की मालिश, उबटन और उसके बाद चन्दनादि सुगन्ध द्रव्यों का लेपन एव नारियों द्वारा मस्तक में पत्र-रचना की प्रथा थी। घनिक परिवारों में एतदर्थ, उत्सादक, उद्वर्तक, परिपेचक, अनुलेपक, प्रलेपक, विलेपक आदि परिचारक नियुक्त थे।^८ अनुलेपन आदि में प्रयुक्त होनेवाले सुगन्ध-द्रव्यों का भी उल्लेख गणपाठ में मिलता है। उदाहरणार्थ, किशरादि गण में किशार, नरुद, तगर, गुग्गुलु, उशीर का परिगणन हुआ है।^९ शलालु एक अन्य सुगन्धित द्रव्य था, जिसका वेचनेवाला शलालुकी कहलाता था।^{१०} चन्दन का भी प्रयोग अधिक होता था। भाष्यकार ने कहा है कि घी की गन्ध तेज होती है, किन्तु चन्दन की मृदु होती है।^{११}

१. ४-२-४८।

२. ४-१-६०, पृ० ७१

३. ४-१-४२ काशिका

४. काच्छकचूडाकलापः ।—४-२-१३४।

५. ६-१-९४, पृ० १५१

६. २-१-१, पृ० २४०

७. अङ्गन्तेऽक्षिणीद्वत्युच्यते यत्तस्मिन् चासित चैतत्प्रकाशयति ।—८-२-४८, पृ० ३६७।

८. याजकादि गण, २-२-९ तथा महिष्यादि गण, ४-४-४८।

९. ४-४-५३।

१०. ४-४-५४।

११. २-२-८, पृ० ३४३ तथा घृतस्य तीव्रः, चन्दनस्य मृदुः ।—वही।

अध्याय १०

भोजन-पान

अन्न और क्रव्य—पतञ्जलिकालीन समाज को हम भोजन के आधार पर दो भागों में बाँट सकते हैं—अन्नाद और क्रव्याद। पकाये हुए घान्य या सस्य को अन्न कहते थे और उसे खाने-वाले को अन्नाद। इसी प्रकार मास को पकाकर खानेवाले क्रव्याद कहलाते थे। घान्य और मास को बिना पकाये, अर्थात् कच्चे रूप में खानेवालों को क्रमशः आम्राद और क्रव्याद कहते थे।^१ भोजन के लिए अभ्यवहार शब्द प्रचलित था।^२

अन्नाद या सस्याद लोग जिन अन्नो का व्यवहार करते थे, उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—मुख्य और सहायक। मुख्यान्नो में निम्नलिखित का उपयोग भाष्य में पाया जाता है—

ओदन—पकाये हुए चावल को ओदन^३ कहते थे, जिसका दूसरा नाम भक्त^४ भी था। भक्त से ही वर्तमान शब्द 'भात' बना है। ओदन अनेक प्रकार के चावलों का वनता था। शालि, महाशालि, व्रीहि, महाव्रीहि, हायन, यवक, पण्डिक एव नीवार ये घान्यों के प्रमुख भेद थे। शालि की पौध सावन में रोपी जाती थी और अगहन में कटती थी। इसके लिए जल की विशेष आवश्यकता होती है। मगध के शालि विशेष प्रसिद्ध थे। ये बड़े और सुगन्धित होते थे। देविका नदी के किनारे, उत्पन्न होनेवाले शालि भी प्रसिद्ध थे। ये 'दाविका-कूल' शालि कहलाते थे।^५ महाशालि और भी बड़ी जाती थी। भाष्यकार ने एक स्थान पर कहा है कि यदि वर्षा अच्छी हुई, तो शालि हो जायेंगे।^६ अन्यत्र कहा है 'हम वे ही शालि खा रहे हैं, जो मगध में होते हैं।'^७ शालि का ओदन स्वादिष्ट होता था। इसीलिए, एक स्थान पर 'शालि का ओदन तुम्हें दूँगा'^८ ऐसा प्रलोभन दिये जाने का उल्लेख है। प्रश्नकर्त्ता भी पूछता है—'क्या भात शालि का है?'^९

१. २-३-६८, ६९ काशिका।

२. व्रत च नामाध्यवहारार्थमुपादीयते।—आ० १, पृ० १९।

३. १-४-४९, पृ० १७३।

४. ४-४-१०० काशिका।

५. ७-३-१, पृ० १७१।

६. ३-३-१४३, पृ० ३२४।

७. आ० २, पृ० ४५।

८. २-१-१, पृ० २३० तथा २-१-१, पृ० २४८।

९. वही तथा ८-१-५१, पृ० २९३।

व्रीहि सर्वाधिक प्रचलित धान्य^१ था। व्रीहि भी शालि के समान रोपे जाते थे। आकार के अनुसार इनके छोटे और बड़े भेद होते थे। व्रीहि की सबसे बड़ी जाति 'महाव्रीहि'^२ कही जाती थी। व्रीहि और शालि के लिए विशिष्ट केदार (क्षेत्र) निश्चित रहते थे, जिन्हें व्रीहेय और शालेय^३ कहते थे। हायन रोपे नहीं जाते थे, अपितु बोये जाते थे। पष्ठिक^४ (साठ) भी बोये जाते थे, रोपे नहीं जाते थे। इनके लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती थी। ये साठ दिन में पक जाते थे। इस प्रकार यह शब्द सार्थक था।

नीवार छोटा और निम्न कोटि का घान था, जो विना जोते-बोये अपने-आप उत्पन्न होता था।^५

तण्डुल भारत का मुख्य भोजन था। भाष्यकार ने कहा है कि एक तण्डुल भूख मिटाने में असमर्थ होता है, किन्तु उनका समूह वर्धितक (ढेर) समर्थ होता है।^६ तण्डुल से बनाये जाने के कारण ओदन को 'तण्डुल-विकार' कहते थे।^७ किसी तण्डुल का ओदन अधिक स्वादिष्ट बनता था और किसी का कम। भाष्यकार ने शालि को भक्त कहा है, क्योंकि उनका ओदन विशेष रचिकर माना जाता था। अच्छी किस्म के अन्य चावल भी भक्त कहे जाते^८ थे, इसीलिए खानेवाला उत्कठावश खाने से पहले पूछता है, 'क्या शालि का भात बना है?'^९

भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक भक्त या ओदन का ही व्यवहार मुख्य भोजन के रूप में होता था। मगध में घान की उपज प्रमुख रूप से होती ही थी, कश्मीर में भी चावल का व्यवहार होता था। भाष्य में एक स्थान पर कहा गया है, 'देवदत्त, तुम्हें मालूम है कि हम कश्मीर गये थे। वहाँ ओदन खाये थे। हम कश्मीर जायेंगे, वहाँ ओदन खायेंगे।'^{१०} अधिक प्रचलन के कारण भक्त भोजन का पर्यायवाची बन गया था। जिस प्रकार भोजन करने के अर्थ में उत्तर भारत में 'रोटी खाना' प्रचलित है और पूर्वी भारतमें 'भात खाना,' उसी प्रकार भाष्यकार ने भक्त शब्द का व्यवहार अनेक द्वार भोजन के अर्थ में किया है। इसीलिए, जो मजदूर रोटी-कपड़े पाकर मजदूरी करते थे, वे 'भक्तिक' कहे जाते थे।^{११} भाष्यकार ने कहा है कि कर्मकर लोग काम करते हैं, जिससे

१. ८-१-४, पृ० २६५।

२. ६-२-३८।

३. ५-२-२।

४. षष्ठिकाः षष्ठिरात्रेण पच्यन्ते। षष्ठिके संज्ञाग्रहणं कर्तव्यम्। भूद्गा अपि हि षष्ठिरात्रेण पच्यन्ते।—५-१-९०, पृ० ३४०।

५. ३-३-४८।

६. १-२-४५, पृ० ५३५।

७. १-४-४९, पृ० १७३।

८. ३-१-१२६, पृ० ७३ तथा ४-४-१०० काशिका।

९. २-१-१, पृ० २३०।

१०. १-१-४४, पृ० २७४।

११. ४-४-६८ काशिका।

उन्हे भक्त (भोजन) और चेल (पहनने के कपड़े) मिले।^१ इसी कारण पाचक या रसोइए को सामान्यतया 'भक्तकर' कहते थे।^१

पाचक-क्रिया—ओदन पकाने की क्रिया का भी उल्लेख भाष्य में कई बार हुआ है। पकाने की क्रिया के चार मुख्य तथा अनेक गौण अंग बतलाये गये हैं। मुख्य अंग है—अग्निश्रयण (बटलोई को चूल्हे पर चढाना), उदकासेचन (बटलोई में पानी भरना), तण्डुलावपन (बटलोई में चावल डालना), और एवोपकर्षण (लकड़ी खीचना या बड़ाना)^३। गौण क्रियाओं में चावल धोना, बीच-बीच में आवश्यकतानुसार पानी डालना, पके-अनपके की परीक्षा करना आदि हैं। चूल्हे पर चढाये जाने के पूर्व चावल धोये जाते थे। धोवन का पानी घर की नालियों से होकर सड़को पर बहा करता होगा। इस पानी को देखकर रथ्या में चलनेवाला व्यक्ति अनुमान कर लेता था कि इस घर में ओदन पकाया जा रहा है।^५ पके तण्डुल की पहचान एक पुलाक को देखकर कर ली जाती थी। एक चावल पक गया, तो बटलोई के सारे चावल पक गये मान लिये जाते थे।^५

पकाने की क्रिया में सहायक वस्तु के प्राधान्य के अनुसार कभी 'देवदत्त पकाता है, कभी बटलोई पकाती है और कभी लकड़ी पकाती है' आदि वाक्यों का प्रयोग होता था। एक 'पचति' (पकाना) क्रिया की अगभूत सम्पूर्ण क्रियाएँ करनेवाले के साथ पापच्यते (पूरी तरह पकाता है) क्रिया का व्यवहार होता था।^६ जब देवदत्त पकाने की क्रिया में प्रमुख दिखता था, तब कहते थे, 'देवदत्त पचति'। यह तब होता था, जब देवदत्त अग्निश्रयण, उदकासेचन, तण्डुलावपन और एवोपकर्षण आदि क्रियाओं में व्यस्त दिखता था।^७ 'स्थाली द्रोण भर पकाती है, आढक भर पकाती है' आदि वाक्यों का व्यवहार तब होता था, जब स्थाली या बटलोई में द्रोण भर पकाने की क्षमता या पकाने की क्रिया पर बल देना होता था।^८ इसी प्रकार जब जलनेवाली और जलकर चावल गलाने की क्रिया करनेवाली लकड़ियों पर जोर देना होता था, तब 'लकड़ियाँ पकाती हैं', यह कथन उपयुक्त माना जाता था।^९

ओदन-पात्र—भात खाने के लिए शराव या कास्य-पात्र काम में आते थे। शराव सामान्य व्यवहार में चलते^{१०} थे या धार्मिक विधि में काम में आते थे। शराव में परोसा हुआ भात 'शाराव'

१. ३-१-२६, पृ० ७७।

२. १-३-७२, पृ० ९०।

३. अग्निश्रयणोदकासेचनतण्डुलावपनैवोपकर्षणादि क्रियाः कुर्वन्नेव देवदत्तः पचती-
त्युच्यते।—१-४-२३, पृ० १५६।

४. ३-२-११५, पृ० २४९।

५. पर्याप्ती ह्येकः पुलाकः स्थाल्या निदर्शनाय।—१-४-२३, पृ० १५७।

६. ३-१-२२, पृ० ६१।

७. १-४-२३, पृ० १५६।

८. १-३-२४, पृ० १५६।

९. वही।

१०. ५-४-१०१, पृ० ४५४।

कहलाता था।^१ ये मिट्टी के वनते थे। कास्यपात्री का प्रचार उच्च वर्ग में था। इस बात की कामना की जाती थी कि हमारे पुत्र कास्यपात्र में दूध भात खायें।^२

जिस पात्र में ओदन पकाते थे, उसे स्थाली कहते थे।^३ सामान्य पात्र के लिए 'अमत्र' शब्द का भी व्यवहार होता था। पकाने की क्रिया को 'रन्धन' भी कहते थे। इसका विकसित रूप 'रांधना' हिन्दी में प्रचलित है।^४ खाकर बचे हुए के लिए उद्धृत शब्द का प्रयोग हुआ है।^५ गलने की क्रिया को 'विक्लिति' कहते थे। विक्लिति ही 'पच्' क्रिया का मुख्य अर्थ है। इसके लिए की जानेवाली समस्त क्रियाएँ (चावल धोने तथा उन्हें चूल्हे पर चढाने से उतारने तक) तो पच् के अन्तर्गत मानी ही जाती थी। प्रेषण (अपने अधीन काम करनेवाले व्यक्ति को आवश्यक सामग्री लाने के लिए आज्ञा देना) तथा अध्येषण (बड़े व्यक्ति से प्रार्थना-पूर्वक आवश्यक वस्तुएँ माँगना) आदि भी पच् में ही अन्तर्भूत थे।^६ पके हुए ओदन या भोजन को 'सिद्ध' कहते^७ थे।

विशिष्ट ओदन—ओदन के गुण में तण्डुलो के गुण के अनुसार तो अन्तर होता ही था पकाने की क्रिया और शैली भी अन्तर उत्पन्न करती थी। भाष्यकार ने खाने में विशेषस्वाद-युक्त ओदन के लिए 'मृदु' और 'विशद' विशेषणों का प्रयोग किया है। मृदु ओदन गुड या शक्कर डालकर पकाये जाते थे। आज भी 'मीठा भात' पकाने की प्रथा है। विशद ओदन पकाते समय उनमें थोड़ा दूध या घी डालते थे, जिससे उनके पुलाक या दाने अलग-अलग छिटक जाते थे। मृदु और विशद भात एक बार भोजन कर लिये जाने के बाद भी आमन्त्रण स्वीकार कर लेने के लिए आमन्त्रित को उत्साहित करता था। भाष्य में उल्लेख है—'कोई किसी को भोजन के लिए बुलाता है। वह कहता है—'भोजन तैयार है, चलिए, भोजन कीजिए'। इस पर आमन्त्र्यमाण व्यक्ति उत्तर देता है—'मैं तो काफी भोजन कर चुका हूँ।' निमन्त्रण देनेवाला कहता है—'चलिए, दही मिलेगा, दूध मिलेगा'। तब आमन्त्र्यमाण उत्तर देता है—'दही से खा लूँगा, दूध से खा लूँगा। यदि भात मृदु विशद हुआ, तो खा लूँगा।'^८ इससे यह भी स्पष्ट है कि एक ही ओदन में मृदुता और विशदता दोनों पाई जाती थी। पाचक की क्रिया को लक्ष्य करके ही भाष्यकार ने 'अच्छा पकाता है, बुरा पकाता है' वाक्यों का प्रयोग किया है।^९

१. ४-४-१४ काशिका।

२. १-३-१, पृ० १४ तथा ८-२-३, पृ० ३१७।

३. २-१-३६, पृ० २८८।

४. ४-२-१४।

५. २-१-३६, पृ० २८८।

६. ४-२-१४ काशिका।

७. २-४-२३, पृ० १५६।

८. अथ पचेः कः प्रधानार्थः ? यासौ तण्डुलानां विक्लितिः ।—३-१-२६, पृ० ७१।

९. आ० १, पृ० १४।

१०. २-१-१, पृ० २४७ तथा १-४-४९, पृ० १७३, ७४।

११. २-१-१, पृ० २४७।

ओदन जब मनुष्य का मुख्य भोजन था, तब देवता तथा उसके अन्य सहचर उससे क्यो वचित रहते । यज्ञ मे चरु तथा वलि-कार्यों के लिए भी ओदन का ही उपयोग होता था ।^१

यवागू—ओदन के बाद यवागू का व्यवहार सर्वाधिक था । कदाचित् सक्नु ही इसके सम-कक्ष थे । यवागू स्वास्थ्यप्रद और सात्त्विक मानी जाती थी । इसीलिए, व्रतकाल मे भी उसका व्यवहार विहित था । ब्राह्मण दुग्ध पीकर, क्षत्रिय यवागू पीकर और वैश्य आमिक्षा ग्रहण कर व्रत या उपवास रखते थे ।^२ ओदन के समान यज्ञ मे यवागू की आहुति दी जाती थी ।^३ यह भी प्रसिद्ध था कि जौ का सेवन सुस्पष्ट उच्चारण की शक्ति प्रदान करता है और यवागू मूत्ररोगों को शान्त करती है ।^४

सामान्यतया यवागू यव से बनाई जाती थी । धान के समान यव के खेत भी निश्चित रहते थे । इन्हे यव्य कहते थे ।^५ उशीनर और मद्र जनपदो मे जौ की पैदावार अधिक होती थी ।^६ इस प्रकार पूर्वीय भाग का मुख्य भोजन चावल था और पश्चिम भारत का यव । कुछ लोगों के मत से प्राचीन साहित्य मे यव का अर्थ जौ और गेहूँ दोनों था । यव के चूर्ण का एक भाग सोलहगुने पानी मे घोलकर तबतक तपाते थे, जबतक जलते-जलते पानी आधा रह जाता था । तब उसमे दूध और शक्कर मिला दी जाती थी । यवागू चावल के साँड मे दूध और शक्कर मिलाकर भी बनाई जाती थी । यह लगभग उसी प्रकार का भोज्य था, जैसे पजाब मे फिरनी बनाई जाती है । यवागू फिरनी की अपेक्षा पतली भी बनती थी । इसमे दूध की मात्रा अधिक होती थी । इसे भाव्यकार ने 'पयस्कल्पा' और 'बहुपया.' कहा है ।^७ यवागू नमकीन भी बनती थी ।^८ सम्भवतः यह राजस्थानी रावडी-जैसी होती होगी । ठीक पकी हुई यवागू श्राणा या शृपित^९ कही जाती थी, जब कि पकाये हुए दुग्ध या हवि श्रत कहलाते थे । श्राणा यवागू का दूसरा नाम हो गया था । जिस व्यक्ति को प्रतिदिन नियमित रूप से श्राणा दी जाती थी, उसे श्राणिक^{१०} कहते थे । साल्व जनपद (सम्भवतः वर्तमान अलवर से बीकानेर रियासत तक) मे यवागू का प्रचार अधिक था और साल्व लोग उसके बनाने मे विशेष निपुण भी थे ।^{११} साल्वकी यवागू के लिए विशेष शब्द प्रचलित था 'सात्त्विका', जिसका व्यवहार वहाँ के वैलो और यवागू के लिए ही होता था । नमकीन और मीठी यवागू मे

१. ५-१-२, पृ० २९५ ।
२. आ० १, पृ० १९ ।
३. २-३-३, पृ० ३०६ ।
४. २-३-१४, पृ० ४१७ ।
५. ५-२-३ ।
६. ७-१-७३, पृ० ७० ।
७. ५-३-६७, पृ० ४६२ तथा वही ।
८. १-२-५१, पृ० ५४२ ।
९. ६-१-२७, पृ० ५६ ।
१०. ४-४-६७ काशिका ।
११. ४-३-१३३, पृ० २१८ तथा ४-२-१३६ ।

कुछ विशेष मसाले और मेवे मिलाकर उसे और भी अधिक स्वादु बना लिया जाता था। भाष्यकार ने यवागू को 'स्वाद्धी' करके खाने का उल्लेख किया है।^१ फिर भी, स्वाद की दृष्टि में उसमें चाहे जो अन्तर कर लिया जाता हो, रहती वह पेय ही थी। भाष्यकार ने उसे भोज्या कहा है, भक्ष्या नहीं। भक्ष्य शब्द चवाई जाने योग्य वस्तु के लिए प्रयुक्त होता था।^२ अधिक पतली यवागू, जिसे भाष्यकार ने पयस्कल्पा कहा है, उष्णिका भी कहलाती थी। उष्णिका में अन्न का अन्न बहुत कम होता था।^३ क्षीर में पकाई गई यवागू को 'क्षैरेयी' कहते थे।^४

यावक—यह यवक से तैयार किया हुआ भोज्य पदार्थ था। एतदर्थं यवक का पहले उलूखल में अवहनन किया जाता था। पुष निकालकर साफ किया हुआ चावल पानी में उवाला जाता था और उसमें दूध और शर्करा मिला दी जाती थी। भाष्यकार ने कहा है यावक को सस्कृत अन्न नहीं मान सकते। सस्कृत अन्न वह होता है, जो उठाकर तुरन्त खा लिया जाय। यवक का सस्कार उलूखल में होता है, किन्तु वह वहाँ से उठाकर खा नहीं लिया जाता। उसके बाद, उसे राँधना पडता है। भाष्य में इसे अीलूखल (उलूखल में साफ किया गया) कहा है।^५

सक्तु—सक्तु का प्रचार पतंजलि-युग में विशेष जान पडता है। बड़ी उत्कठा के साथ उन्होने कहा है, 'जानते हो देवदत्त, हम कश्मीर जायेंगे, वहाँ सक्तु पियेंगे।'^६ सक्तु का व्यवहार इतना अधिक था कि वे दुकानों पर बिका करते थे।^७ सक्तु किसी भी भुने हुए अन्न से बनते थे। सामान्यतया व्रीहि, यव, और गोधूम सक्तु बनाने के काम आते थे। इनके दानों (धाना) को सक्तव्य कहते थे।^८ भूनने के बाद उन्हें चक्की (द्रूपद्) में पीसना पडता था, इसीलिए भाष्यकार ने उन्हें दार्षद कहा है।^९ पीसे हुए सक्तु तित्तउ (चलनी) में छानकर साफ किये जाते थे। भाष्यकार ने व्याकरण द्वारा शुद्ध की गई वाणी की उपमा चालनी से छाने गये सक्तुओं से दी है।^{१०} सक्तु शब्द 'षच्' धातु (सेचने) से तुन् प्रत्यय होकर बना है, जिसका अर्थ है दुश्शोष्य। अथवा कप् (गती) धातु से वर्ण-व्यत्यय द्वारा 'विकसन' अर्थ में पृषोदरादित्वात् कर्म में तुन् प्रत्यय होकर सक्तु शब्द बनता है। इस प्रकार सक्तु शब्द का अर्थ कठिनता से साफ किया हुआ अथवा फूलने या फूलने-वाला होता है और यह पूर्णतः सार्थक है।^{११} सक्तु अधिकतर यव के बनते थे। यव के गुणों की चर्चा

१. ३-४-२६, पृ० ३५५।

२. ७-३-६९, पृ० २०३।

३. ४-२-७१ काशिका।

४. ४-२-३०, पृ० १७२।

५. ४-३-२५, पृ० २३०।

६. ३-२-११४, पृ० २४७।

७. २-१-१, पृथे २३०।

८. ४-१-२, पृ० २९५।

९. ४-३-२५, पृ० २३०।

१०. सक्तुमिव तित्तउना पुनन्त'।—आ० १, पृ० ८।

११. वही।

ऊपर हो चुकी है। उल्लूखल से कूटकर यव के तुप निकालना कठिन होता है और थोड़े भी तुप शेष रह जाने पर स्वाद में बाधा होती है। दूसरे यव के सक्तु पानी पड़ने पर फूलते भी खूब हैं। सक्तु छानने के लिए जिस तितउ का व्यवहार होता था, उसकी सजा भी सार्थक थी। भाष्यकार ने ततवत् (विस्तृत) तथा तुन्नवत् (छिद्रवत्) होने के कारण चालनी का उक्त नाम पड़ा हुआ बतलाया है। तन् (परिपक्वार्थक) धातु से भी तितउ शब्द निष्पन्न हो सकता है, जिसका अर्थ 'परिपक्व', अर्थात् परिशोधन करने का साधन होता है।^१ सक्तु पेय तो बेही, दही मिलाकर भी खाये जाते थे।^२ साधारणतया वे पानी में धोलकर खाये या पिये जाते थे। इस प्रकार, उन्हें दधिसक्तु और उदकसक्तु या उदसक्तु^३ भी कहा जाता था। सक्तुओं का समूह सक्तुक कहलाता था।^४

उदमन्य—पाणिनि-सूत्र (६-३-६०) में उदमन्य या उदकमन्य का उल्लेख मिलता है। जल के साथ खाये जानेवाले सक्तुओं को उदमन्य कहते थे। भाष्यकार ने मन्य या उदमन्य का प्रयोग खाद्य अर्थ में नहीं किया है। दूध से खाये जानेवाले सक्तु मन्य कहलाते थे। ऋग्वेद तथा शाखा० आर० में इसे पेय कहा है। सक्तु मधुमन्य, दधिमन्य और उदमन्य इन तीन रूपों में खाये जाते थे। मधुमन्य मधु में सानकर, दधिमन्य दही मिलाकर और उदमन्य जल के साथ खाये जानेवाले सक्तु थे।^५

पिष्टक—पाणिनि ने पिष्ट के विकार को 'पिष्टक' कहा है।^६ पिष्टक संज्ञा शब्द था, जो खाद्य-विशेष का वाचक था। पिष्ट किसी भी धान्य के चूर्ण, अर्थात् आटे को कहते थे। पिष्ट या पिष्टि का ही विकसित रूप 'पिट्ठी' हिन्दी में पिसे हुए चावल के आटे या किसी भी पिसे हुए धान्य के चूर्ण के लिए प्रचलित है। भाष्यकार ने भी 'पिष्टपिण्डी'^७ का उल्लेख इसी अर्थ में किया है। सन्ना (नामविशेष) से भिन्न अर्थ में पिष्ट से बनी हुई किसी भी सामान्य वस्तु को 'पिष्टमय'^८ कहते थे। हो सकता है कि पिष्टक 'रोटी' का सामान्य नाम हो।

पिष्टक गालि, व्रीहि, यव, गोधूम, अणु, वाजरा (Panicum mibaceum) और गवीचुका (Cox barbata) आदि अन्नो से बनते थे। इनमें गोधूम और गवेचुका का उल्लेख विल्वादिगण (४-३-१३६) में हुआ है।

पिण्डी—किसी सस्य के चूर्ण को भूनकर उसमें शर्करा या गुड़ और घी मिलाकर बनाई जाती थी। इसे भाष्य में पिण्डी और पिष्टपिण्डी कहा है।^९ यात्राकाल में जब भोजन बनाना कठिन

१. आ० १, पृ० ८।
२. १-१-५७, पृ० ३६८।
३. ६-३-६०।
४. ४-२-३९, पृ० १७९।
५. लाट्यायन सूत्रभाष्य, १-२-७, ८।
६. ४-३-१४७।
७. २-१-५७, पृ० ३१४।
८. ४-३-१४६।
९. २-१-५७, पृ० ३१४।

होता था, तब पिण्डी से काम चलाया जाता था। यो भी उपाहार के रूप में पिण्डी का प्रयोग होता था। भाष्य में पिण्डी के भक्षण का उल्लेख कई बार हुआ है।^१ श्रीवासुदेव शास्त्री अभ्यकर ने भ्रान्ति-वश पिण्डी को खजूर मान लिया है।^२ पिण्डी तिलो की भी बनती थी। एतदर्थं तिल पहले भून लिये जाते थे, किन्तु यह क्रिया घर पर किसी वन्द पात्र में की जाती थी। वे चूल्हे पर यो ही नहीं भूने जाते थे। भाष्यकार ने कहा है कि 'तैप्त-भ्राष्ट्र' में डालने पर तिल उसमें मुहूर्त्त-भर भी नहीं ठहरते।^३

अपूप—अपूप मधुर पक्वान्न था, जो गेहूँ या जौ के आटे से बनाया जाता था। आटे के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि केवल जौ का ही उल्लेख भाष्य में होने का यह तात्पर्य नहीं कि जौ के अतिरिक्त अन्य अन्नो का प्रयोग नहीं होता था। वे सारे सस्य, जो पिसकर आटे के रूप में व्यवहृत होते थे, यव कहलाते थे। अपूप इनमें से कई अन्नो के बनते थे। वे शर्करा या गुड डालकर घृत में पकाये जाते थे। ऋग्वेद (१०-४३-९) में अपूप को घृतवत् कहा है। वे व्रीहि या यव के आटे से बनाये जाते थे।^४ यज्ञ में भी अपूप की आहुति दी जाती थी। भाष्य ने चरु को अपूपवान् और दधिवान् कहा है।^५ अपूप बड़े आकार के बनते थे। इसलिए, आधा अपूप भी खाने को दिया जाता था।^६ भाष्य में दो और छह अपूपो का उल्लेख मिलता है।^७ जो कम-से-कम और अधिक-से-अधिक एक व्यक्ति का भोजन रहा होगा। अपूपो के ढेर को आपूपिक' कहते थे। चूर्ण अन्दर भरकर बनाये जाने के कारण अपूप 'चूर्णिन्' कहलाते थे।^८ यह अपूप का अन्य भेद था, जिसे आजकल गुक्षिया कहते हैं और जो भीतर भुना मीठा चूर्ण भरकर बनाई जाती है। भाष्यकार ने भ्राष्ट्र में सस्कृत होने के कारण अपूपों को भ्राष्ट्र'^९ कहा है। यह भ्राष्ट्र शब्द चूल्हे का बोधक है। अपूप गुड या तिल डालकर भी बनते थे। किसी पौर्णमासी को गुडापूप और किसी को तिलापूप ही विशेषतः खाये जाते थे।^{१०} सम्भवतः यह वैशाखी पूर्णिमा थी।

शाण्डुली—शाण्डुली एक अन्य मधुर पक्वान्न था, जो चूर्णी होता था और घी या तेल में पकाया जाता था। शाण्डुली के समूह को शाण्डुलिक'^{११} कहते थे। भाष्यकार ने घाना के साथ भी शाण्डुली का उल्लेख किया है।^{१२}

१. १-१-४५, पृ० ३७८ तथा १-४-५२, पृ० १८३।

२. १-४-४५, पृ० २७८।

३. तैप्ते भाष्ये तिला क्षिप्ता मुहूर्त्तमपि नात्रतिष्ठन्ते।—१-१-५०, पृ० ३००।

४. वैदिक इण्डेक्स, भाग १, पृ० २६।

५. ८-२-१५, पृ० ३३९।

६. २-४-२६, पृ० ४७५।

७. १-४-९३, पृ० २०४ तथा १-१-१, पृ० ९४।

८. ४-१-८५, पृ० ९६ तथा ४-२-३९, पृ० १७९।

९. ४-४-२३।

१०. ४-२-१६।

११. ६-२-८३ काशिका।

१२. ४-१-८५, पृ० ९६।

१३. १-१-४७, पृ० २९२।

मोदक—मोदक भी चूर्णान्न, शर्करा और घृत से बनते थे। मोदकों के ढेर को मोदकिक कहते थे।^१ मोदक वास्तव में मोददायक थे और बड़े चाव से खाये जाते थे। भाष्यकार ने कहा है, 'देवदत्त का अभिप्राय मोदक खाने से है।'^२ दो दो मोदकों को 'द्विमोदकिका'^३ कहते थे।

क्रूसर—क्रूसर तिल, चावल मिलाकर बनाया जाता था।^४ इसमें कुछ मटर और मसाले मिला दिये जाते थे। क्रूसर प्रातराशादि के काम आता था। सूत्र-ग्रन्थों तथा पचविंश ब्राह्मण (५-२) में भी इसका उल्लेख मिलता है।

धाना और गुडधाना—भूने हुए अनाज के दानों को धाना कहते थे। भूने का काम भ्राष्ट्र में होता^५ था। भूनेवाले या भ्राष्ट्र को प्रज्वलित करनेवाले को भ्राष्ट्रमिन्ध^६ कहते थे। भाष्यकार ने धाना और शण्कुली का साथ-साथ उल्लेख किया है।^७ धाना गुड की चाशनी में पकाये जाते थे। वे गुडधाना कहलाते थे। गुडधाना का पूरा अर्थ था गुड में संसृष्ट^८ धाना।

वटक—तलकर खाई जानेवाली वस्तुओं में वटक (वडा) का स्थान महत्त्वपूर्ण था। वटक किसी पीर्णमासी का मुख्य भोजन होता था। यह पीर्णमासी वटकिनी कहलाती^९ थी। वटकिनी सन्ना थी। सम्भवत कार्तिकी पूर्णिमा को 'वटकिनी' कहते थे।

कुल्माप—वटकिनी के समान एक पीर्णमासी का नाम कौल्मापी^{१०} भी था। कुल्माप घुघरी को कहते थे और सम्भवत. चैत्री पूर्णिमा को उसका मूल्यरूपेण आहार होता था।

कुल्माप का वास्तविक स्वरूप क्या था, इस विषय में विभिन्न ग्रन्थों और विद्वानों में मतैक्य नहीं है। निरुक्त में कुल्माप को 'अवकुत्सित' आहार कहा है। छान्दोग्य उप० (१-१०-२) में भी उसे दरिद्र भोजन कहा है। अमरकोश में उसे यवक का पर्याय माना है। अन्य कोश काजिक यवक को कुल्माप मानते हैं। काजिक यवक, जो चावल से तैयार होता है, मध्यप्रदेश के छत्तीसगड क्षेत्र के दरिद्र-वर्ग में बहुत प्रचलित है। आदिवासियों में भी इसका प्रचार है और इन स्थानों में वह स्वादु माना जाता है। कुल्मापपिण्ड जातक (स० ४१५) में कुल्माप को 'अतेल, अलवणिक' दरिद्र-भोजन बतलाया है। चरक के सूत्र-स्थान (२७-२६९) में उसे उष्णोदक-सिक्त, ईपत्स्विन्न, अपूपीकृत यव-पिण्ड कहा है, जो देर में पचता है और रुख होता है। काशिका (४-४-१०३) ने मुद्ग (मूँग) को कौल्मापिक कहा है, जिससे स्पष्ट है कि कुल्माप मूँग से भी बनाया जाता था।

१. ४-२-३९, पृ० १७९।
२. ५-१-११९, पृ० ३५३।
३. ५-४-१, पृ० ४८२।
४. ८-३-५९, वा० १, पृ० ४४१।
५. १-१-५०, पृ० ३०७।
६. ७-३-७०, पृ० ३४७।
७. १-१-४७, पृ० २९२।
८. २-१-३४, ३५, पृ० २९६।
९. ५-२-८२, पृ० ४००।
१०. ५-२-८३।

श्री पी० के० गोदे (म० ओ० रि० इस्टीट्यूट के अ० २२-२५६) ने उसे घुघरी बतलाया है, जिसे महाभाष्य के पूना-संस्करण ने स्वीकार किया है। डॉ० वा० शं० अग्रवाल ने भी कुल्माप का हिन्दी पर्याय, घुघरी ही स्वीकार किया है। हिन्दी में घुघरी देर तक भिगोये हुए चने को कहते हैं, जिसका मेल प्राचीन कोशों से नहीं बैठता। वास्तव में कुल्माष खटास लिया हुआ माँड होता था, जो किसी पिण्ड या चावल से तैयार किया जाता था। देर तक वासी रखने के कारण उसमें खटास आ जाती थी।

आमिक्षा—भाष्य में आमिक्षा वैश्य का व्रताहार बतलाया गया है। आमिक्षा पेय थी, जो कच्चे दूध में दही मिलाकर बनाई जाती थी।

चूर्ण—चूर्ण शब्द से वर्तमान चून शब्द बना है, जो आटे का पर्याय है। भाष्य में चूर्ण शब्द का प्रयोग भुने हुए तथा शर्करा या गुड़ मिले हुए आटे के लिए हुआ है। इस प्रकार का चूर्ण सत्यनारायण की कथा में प्रसाद के हेतु बनाने की प्रथा है। यह चूर्ण गेहूँ का या अभाव में शालि का बनाया जाता था। गुक्षिया के भीतर यह चूर्ण भरा जाता था। इसीलिए भाष्य में गुक्षिया (अपूप) को चूर्णी कहा है।^१ पाणिनि ने भी भोज्य वस्तु के रूप में चूर्ण का उल्लेख किया है।^२ काशिकाकार ने मुद्ग और मसूर के चूर्ण का भी उल्लेख किया है। मुद्ग चूर्ण के लड्डू तो सुपरिचित ही हैं।

पल्ल—भाष्य में पल्ल-पिण्ड का उल्लेख एकाधिक^३ वार हुआ है और इस प्रकार हुआ है, जिससे वह सुपरिचित खाद्य जान पड़ता है। पाणिनि में पल्ल का प्रयोग उसके साथ होनेवाले मिश्रवाची तत्पुरुष के प्रसंग में किया गया है।^४ काशिकाकार ने इसका उदाहरण गुडपल्ल और घृतपल्ल दिया है। 'पद च काण्डादीनि' (६-२-३५) सूत्र में उपर्युक्त सूत्र के अमिश्र के उदाहरणों में काशिकाकार ने 'तिलपल्लम्' का उल्लेख किया है।^५ इन उदाहरणों से पल्ल बनाने की प्रक्रिया का पता चल जाता है। तिलो को भून और कूटकर उनमें गुड़ और घी मिलाकर अथवा केवल तिलो से बनाई गई कतरी या तिलकूट को पल्ल कहते थे।

सूप—सूप का व्यवहार ससृष्टि के लिए होता था। यह ओदन के साथ मिलाकर खाया जाता था।^६ सूप में सर्वाधिक मुद्ग (मूंग) का उपयोग होता था। मूंग को मिलाकर बनाये हुए भात को मीद्ग ओदन (खिचड़ी) कहते थे।^७ सूप चबाकर खाने की वस्तु नहीं थी, वह पेयों के समान पतली बनती थी। 'शालिन्विकार (ओदन) को मुद्गविकार (मूंग की दाल) के साथ खाता है,' ऐसा उल्लेख भाष्य में मिलता है।^८ मुद्ग के अतिरिक्त माप का व्यवहार दाल के लिए

१. ४-४-२३।

२. वही।

३. १-१-१, पृ० ९३।

४. ६-२-१२८ काशिका।

५. ६-२-१३५ काशिका।

६. ४-४-२५।

७. वही।

८. ४-३-११५, पृ० २६५।

होता था। माष, सूप और ओदन तीनों का एक साथ उल्लेख भाष्य में हुआ है।^१ माष पचेलिम कहा गया है, क्योंकि वह जल्दी ही गल जाता है।^२ दाल के रूप में मटर का भी व्यवहार होता था। अतिथियों को भी मटर की दाल और चावल खिलाये जाते थे।^३ माष का व्यवहार ओदनादि के साथ ही होता था। इसीलिए, भाष्य^४ में कहा है 'माष न खाओ', यह कहने पर माष अन्य भी किसी वस्तु के साथ मिलाकर नहीं खाये जाते थे।

सूप लवण डालकर बनाया जाता था। लवणयुक्त सूप को लवणसूप कहते थे। असृष्ट अर्थ में लवण के आगे होनेवाले प्रत्यय का लुक् ही जाता था। इसी को भाष्य में 'लवणीकृत्य' या 'लवणकृत्य' कहा है।^५ भाष्यकार ने इस प्रसंग में लवण शब्द का प्रयोग दो अर्थों में प्रचलित बतलाया है—रसवाची और असृष्टनिमित्त। अससृष्ट अर्थ में भी लवण शब्द का प्रयोग देखा जाता है। यथा लवणक्षीर, लवणपानीय। क्षीर और पानीय में विना लवण मिलाये ही उनका स्वाद लवण होता है। इसलिए यहाँ लवण शब्द रसवाची है। असृष्टनिमित्त लवण वहाँ होता है, जहाँ वह अलग से मिलाया जाता है। असृष्ट पदार्थ में भी जब वह अलग नहीं पाया जाता और घुलमिल कर एकाकर हो जाता है, तब कहते हैं, 'अलवण सूप है या अलवण शाक है।'^६ 'तस्य भावस्त्वतलौ' (५-१-११९) सूत्र पर भाष्य करते हुए गुण शब्द के विवेचन के प्रसंग में भाष्यकार ने दाल में डाले जानेवाले लवण के परिमाण के विषय में भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई सेर भर मूँग में सेर भर नमक डाल दे, तो वह उपयुक्त नहीं माना जायगा। यदि अद् (भक्षण करना) घातु से अन्न की व्युत्पत्ति माने, तो इस प्रकार तैयार किया हुआ अन्न सूप खाया ही नहीं जायगा और यदि अन्न (जीवित रहना) से अन्न को निष्पन्न माने, तो भी इस प्रकार से सूप को खाकर कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उसे अन्न कहना सभब नहीं होगा।^७

लवण के अतिरिक्त सूप को घी, कुलत्थ, तित्तिडीक आदि से छौकने की भी प्रथा थी।^८ दाल में अलग से भी घी मिलाया जाता था। मूली या दूसरे शाक भी पकाने के समय दाल में डाल दिये जाते थे। इस प्रकार पकाया हुआ सूप 'घृतसूप' और 'मूलकसूप' कहलाता था।^९

वाषिक—अन्नो के कुछ उपसेचक द्रव्य भी हैं, जिनकी चर्चा अन्नो के साथ ही होनी चाहिए।

१. २-१-९, पृ० २७२।

२. ३-१-९६, पृ० १८०।

३. ५-१-१९, पृ० ३१०।

४. १-१-५१, पृ० ३१८।

५. १-४-७४, पृ० १९६।

६. ४-४-२४, पृ० २७६।

७. संस्कृतमन्न गणनदित्युच्यते—यो हि मुद्गप्रत्ये लवणप्रत्यं प्रक्षिपेन्नादौ युक्तं स्यात् । यदि तावददेरन् न नादोऽस्तव्यं स्यात् । अथानितेरन् न नादोजग्ध्वा प्राण्णात् ।—५-१-११९, पृ० ३५५, ५६।

८. ४-४-४ काशिका।

९. ६-२-१२८ काशिका।

उदाहरणार्थ, दधि ओदन के साथ मिलाकर खाया जाता था। इस प्रकार के ओदन को दध्योदन कहते थे।^१ भाष्य में दध्योदन की चर्चा अनेक रूपों में बार-बार आई है। इससे यह बहुप्रिय भोजन जान पड़ता है। दधि से ससृष्ट या सस्कृत वस्तु दाधिक कहलाती थी।^२ दही में पकाया हुआ अन्य खाद्य भी दाधिक कहलाता था।^३ दही में पकाई हुई और दही से सस्कृत की हुई वस्तु में अन्तर होता था। ओदन के अतिरिक्त पिष्टक आदि भी दधि के साथ खाये जाते थे। इन्हीं के लिए भाष्य में कहा गया है, 'दही रहने दो। न सही दही, तुम शाक से खा लो।'^४

दधि का इतना आधिक्य था कि वह घड़े भर-भर कर जमाया जाता था।^५ भाष्यकार ने दधि की तीन श्रेणियाँ बतलाई हैं—मन्द, उत्तरक और निलीनक। मन्द कुछ कम जमा हुआ, उत्तरक पूर्णतया जमा हुआ और निलीनक जमकर कुछ बिगड़ता हुआ दधि कहलाता था। ब्राह्मण-भोजन में भी दही परोसा जाता था।^६ भाष्यकार ने बार-बार इस वाक्य की आवृत्ति की है, 'सर्व ब्राह्मणो को दही परोसो, किन्तु कौण्डिन्य को मट्ठा दो।'^७ दही परोसनेवाले को 'दधिसेच' कहते थे।^८

ओदन दध्युदक (मट्ठे) में पकाये जाते थे।^९ सत्तू भी दही से खाये जाते थे।^{१०} भाष्य के उल्लेखों से दधि का प्रचार सूप से भी अधिक जान पड़ता है। भाष्यकार ने दधि-भोजन को अर्थसिद्धि का समीपी कहा है।^{११}

पायस—दुग्ध का प्रयोग पान के रूप में तो होता ही था, उसमें शालि, ब्रीहि तथा अन्य अन्न मिलाकर पकाये जाते थे। पयस् में पकाई वस्तु पायस कहलाती थी। जिस व्यक्ति को पायस अधिक प्रिय होता था, उसे पायसिक कहते थे।^{१२} पायस पकाने का भी उल्लेख भाष्य में स्वतन्त्र रूप से मिलता है।^{१३} पायस खीर और खड़ी दोनों को कहते थे।

औदश्वित्क—उदश्वित् शब्द भाष्य में अनेक बार आया है—उदश्वित्दुदक,^{१४} मयि-

१. २-१-३४, ३५, पृ० २८६।
२. ४-४-४२ तथा ४-४-३।
३. ४-२-१८।
४. २-१-१, पृ० २५०।
५. २-१-३४, पृ० २८७।
६. दधीत्युदके बहुवोऽर्था गम्यन्ते मन्दमुत्तरक निलीनकम् ।—२-१-३४, पृ० २८७।
७. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तत्र तु कौण्डिन्याय ।—१-१-४७, पृ० २८७।
८. १-१-६३, पृ० ४१२।
९. १-१-६७, पृ० ४२४।
१०. १-१-५७, पृ० ३६८।
११. दधिभोजनमर्थसिद्धिरादिः ।—६-४-१६१, पृ० ४९६।
१२. ४-२-१०४, पृ० २०९।
१३. १-१-७२, पृ० ४५८।
१४. ६-१-८५, पृ० १२४।

तोदक,^१ दध्युदक^२, तक्र,^३ मथित^४ आदि। चावल तथा पिष्टक उदशिवत् मे पकाये जाते थे। इन्हे औदशिवत्क या औदशिवत कहते थे।^५ इस प्रकार के द्रव्यों मे तक्रौदन तथा कढी का प्रचार आज भी है।

उदशिवत् दधि से बनाया जाता था। दधि को विलोनेवाली रई को विशाख कहते थे। विशाख के मन्थदण्ड को वैशाख कहते थे।^६ रई की आकृति से मिलती होने के कारण चलने के सहारे के लिए बनाई गई लकड़ी वैसाखी कहलाती थी।

सर्पि—दधि से विलोकर निकाले गये पदार्थ को हैयगवीन^७ कहते थे, जिसे तपाकर घृत या सर्पि बनाया जाता था।^८ सर्पि का व्यवहार खाद्य पदार्थों को तलने, सस्कृत करने एव व्यजन के रूप मे होता था। व्यजन रूप मे सर्पि सूप एव ओदन मे मिलाकर खाया जाता था।^९ हैयगवीन से घृत बनाने के लिए उसे पकाया जाता था। जमे हुए घृत को शीन^{१०} कहते थे। अभि या अव उपसर्ग पूर्व होने पर अभिशीन और अभिश्यान दोनों प्रयोग होते थे। घृत-भोजन को भाष्यकार ने आरोग्य का आदि कहा है।^{११} इसीलिए 'घृत की कामना'^{१२} करता है, 'घृत की एक वूँद'^{१३} ही होती।' ऐसे उदाहरण भाष्य मे प्राप्त होते हैं। किन्तु, घृत और क्षीर सवके भाग्य मे नहीं था। जो गाय पालता था, वह उनका घी-दूध खाता था। जो नहीं पाल सकता था, उसके लिए इनका दर्शन तक दुर्लभ था।^{१४}

तैल—घृत के समान तैल भी सस्कारक द्रव्य था, जो तिल अथवा सर्पप से निकाला जाता था। दही से निकलनेवाले घी के साथ भाष्य मे तिलों के तैल की भी चर्चा है।^{१५} एक अन्य स्थान

-
१. ५-३-८३, पृ० ४७४ ।
 २. ४-२-१९ ।
 ३. १-१-६७, पृ० ४२४ ।
 ४. १-१-४७, पृ० २८७ ।
 ५. ६-१-८५, पृ० १२४ तथा ५-३-८३, पृ० ४७४ ।
 ६. ५-१-११० ।
 ७. ५-२-२३, पृ० ३७३ ।
 ८. १-३-११, पृ० ४६ ।
 ९. पुत्रा मे बहुघृतक्षीरमोदनं कांस्यपात्र्यां भुञ्जीरन्—६-२-३, पृ० ३१७ तथा ६-२-१२८ काशिका ।
 १०. ६-१-२३ तथा २६ ।
 ११. ६-४-१६१, पृ० ४९६ ।
 १२. १-३-२५, पृ० ६३ ।
 १३. वही ।
 १४. यस्य च ता गावः सन्ति स तासां क्षीरं घृतं चोपयुञ्जतेऽन्यैरेतद् घृतमप्यशक्यम्।—
१-२-४५, पृ० ५२८ ।
 १५. १-३-११, पृ० ४६ ।

पर भी तैलभोजन एव घृतभोजन का उल्लेख है।^१ सर्पप और तिल के अतिरिक्त इगुदी के तैल का भी प्रचार था।^२

शाक—शाक का उपयोग दो प्रकार से होता था—पकाकर और कच्चे रूप में। मूलक आदि भोजन के साथ यो भी काटकर खाये जाते थे। मूलक खाने की इस क्रिया को 'उपदशन' कहते थे।^३ मूल या मूलक का उत्पत्ति-क्षेत्र मूल-शाकट या मूल-शाकिन कहलाता था।^४ मूलक को सूप में मिलाकर भी पकाते थे, अर्थात् मूलक का सूप (रसीला खाद्य)^५ बनाते थे। कपित्थ का रस निकालकर खाया जाता था।^६ आज भी कपित्थ की चटनी बनाई जाती है। इनके अतिरिक्त अलावू, तित्तिडीक,^७ पनस, दर्दभक, शृगवेर (अदरक) का भी प्रयोग किया जाता था।^८ पलाण्डु खाने का भी उल्लेख भाष्य में मिलता है।^९

पकाकर खाया जानेवाला शाक दो प्रकार का बनता था—लवण और अलवण। कुछ लोग लवण नहीं खाते थे।^{१०} वे अलवण शाक और सूप का व्यवहार करते थे।^{११} 'शाक को ओदन आदि में मिलाता या सानता है', ऐसा उल्लेख भाष्य में मिलता है,^{१२} जो उसके खाये जाने की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। एक स्थान पर शाक का उपयोग दधि के समान उपनेचक के रूप में वतलाया गया है।^{१३} शाक के लेज या स्वल्पता के लिए 'शाक-प्रति' शब्द रूढ था।^{१४} इसी प्रकार 'माप-प्रति' 'सूप-प्रति' या 'ओदन-प्रति' शब्द प्रचलित थे। शाक घृत या तैल में बनाया जाता था। कोई-कोई मूंग की दाल में मिलाकर पकाया करते थे।^{१५}

फल—फलो में दाडिम, ब्रासा, विम्बा (Momordica monodelpha) मृद्वीका (लाल अमूर), और वदर एव कुजली (Qujube) भोजन के अंग थे।^{१६}

१. भा० १, पृ० २६ ।

२. ५-२-२९, पृ० ३७६ ।

३. ४-१-४८, पृ० ६१ ।

४. ५-२-२९, पृ० ३७६ ।

५. ६-२-१२८, काशिका ।

६. ४-३-१५५, पृ० २६६ ।

७. २-१-१, पृ० २५३ ।

८. २-२-३६, पृ० ३९२ ।

९. पचति पनसम् ।—१-१-७, पृ० १५४ ।

१०. १-२-५१, पृ० ५५२ तथा ४-४-२४, पृ० २७० ।

११. वही ।

१२. ३-२-१४१, पृ० २७३ ।

१३. २-१-१, पृ० २५० ।

१४. २-१-९, पृ० २७२ ।

१५. ६-२-१२८, काशिका ।

१६. १-१-१, पृ० ९४, ४-४-९९; २-२-५, पृ० ३२६; १-१-५८, पृ० ३७९ तथा

६-३-४२, पृ० ३२९ ।

मांस—शाक और सूप के समान ही मांस भी ओदन का सहायक आहार था। मांस का व्यवहार समाज में बहुत अधिक था। मालूम होता है कि यज्ञ में पशुवल इसके प्रचार में विशेष सहायक था। श्रोत्रिय लोग प्रसाद रूप में 'आग्नि-वासणी स्थूल-पृथ्वी अनडवाही' का मांस ग्रहण करते थे।^१ विशिष्ट अतिथियों के लिए समास मधुपर्क की प्रथा चल चुकी थी, इसलिए उन्हें मांसी-दनिक अतिथि कहते थे।^२ शार्ङ्ग और कपोत के भक्षण का भी उल्लेख भाष्य में मिलता है।^३ कपोत के रस या शोरवे को कापोत कहते थे। भाष्य में प्रश्न करते हुए कहा है कि कपोत तो सलोम और सपक्ष प्राणी का नाम है। उसका रस बना लेने पर वह तो जीवित रहता नहीं। तब उस रस को कापोत कैसे कह सकते हैं? अच् प्रत्यय, जिससे कापोत शब्द बनता है, प्राणिवाचक शब्द से ही होता है। कपोत का मांस उसका प्रथम विकार है और उस मांस का विकार रस होता है। इन दो अर्थों में दो विकारार्थक प्रत्यय न करके सीधे कपोत से ही एक अच् प्रत्यय किया जाता है। प्रश्नकर्ता का आशय यह है कि यदि कपोत से सीधे रस बनाया जाता, तो प्राणिवाचक से अच् प्रत्यय होना उचित था, किन्तु प्रत्यय होता है कपोत के मांस से और मांस प्राणी है नहीं। इसका उत्तर भाष्यकार एक वाक्य में देते हैं कि 'यह बात सर्वमान्य है कि विकार में प्रकृति का सम्बन्ध रहता है। इसलिए विकार के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग हो सकता है। इस दृष्टि से कपोत के मांस के लिए कपोत शब्द का व्यवहार हो सकता है।'^४

पक्षियों के अतिरिक्त मछलियाँ भी खाद्य थीं। खाने के लिए उनका शिकार करने की प्रथा थी। मत्स्य, मीन, अजिह्वा इन पर्यायवाची तथा शफर, शकुल आदि मीन-विशेषों का उल्लेख शिकार के लिए भाष्य में मिलता है।^५ मासार्थी लोग कंटों-सहित पुरी-पुरी मछलियों को ले जाते थे और फिर घर पर ग्राह्य वश लेकर शेष फेंक देते थे।^६

पशुओं में मूग का मांस मुख्यतः उच्चवर्ग में खाया जाता था। अज और अवि का^७ मांस सामान्य समाज में खूब प्रचलित था। छाग की बलि यज्ञ में भी दी जाती थी और उसका मांस खाया जाता था। मांसीदन के लिए मूग के शिकार का भी उल्लेख भाष्य में मिलता है।^८ चण्डालादि कुत्ते तक का मांस खाते थे।^९ पाँच-पाँच नखवाले प्राणी तो शास्त्र द्वारा भक्ष्य ठहराये गये थे।^{१०} ये थे—शशक, शल्यक, खड्गी, कूर्म और गोवा। आरण्य शूकर और कुक्कुट भी भक्ष्य थे।

१. आ० १, पृ० ३ ।

२. ४-४-६७ ।

३. २-२-३६, पृ० ३९२ ।

४. ४-३-१५५, पृ० २६७ ।

५. १-१-६८, पृ० ४३५ ।

६. १-२-३९, पृ० ५१६ ।

७. ४-३-१३१, पृ० २५५ तथा २-३-६१, पृ० ४४८ ।

८. २-३-१३, पृ० ४१७ ।

९. आ० १, पृ० ११ तथा (अभक्ष्यो ग्रामकुक्कुटोऽभक्ष्यो ग्रामशूकर इत्युक्ते गम्यत एतदारण्यो भक्ष्य इति ।—वही ।

मान सामान्यतया ओदन के साथ खाया जाता था।^१ भाष्य के उल्लेखों से ऐसा ज्ञात होता है कि मान खाने का स्वभाव बहुत-से लोगों का बन गया था, जो सदा मान पाने की कामना किया करते थे।^२ मान का लालच देकर लोग दूसरों को अपने पास रहने के लिए प्रलोभित करते थे।^३ भोवता मासौदन की ओर शूष्कीदन की अपेसा अधिक तेजी से अप्रमर होता था।^४

जिन पात्र में मास पकाया जाता था, उन्ने मासपचनी कहते थे।^५ मास को कूटकर शूल या झलाका पर भूनने की प्रथा थी। यह मास 'शूलाकृत' कहलाता था।^६ यह प्रथा पाणिनि-काल में भी प्रचलित थी। शूल पर पकाये गये मास को शूल्य कहते थे।^७ इसी प्रकार उखा में मस्कृत की हुई बन्धु उन्थ्य कहलाती थी। कभी-कभी वाणदि के द्वारा विद्ध पशु का पूरे का पूरा ही पका लेते थे और कभी सण्ड-खण्ड करके।^८ पशु को भूनकर खा लेने की प्रवृत्ति उस समय भी कुछ लोगों में थी।

शालि-मान का व्यवहार जन-सामान्य में था, किन्तु सायक, व्रती आदि मान का व्यवहार नहीं करते थे। भाष्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्यादि के व्रत-भोजन का विधान करते हुए कहा गया है कि शालि मासादि खाकर भी व्रत किया जा सकता है।^९

गुड—गुड का प्रयोग अपूप या मोदक बनाने तथा घाना एव पलल को पागने तथा अन्य मधुर खाद्यान्नों में किया जाता था। स्वतन्त्र रूप में भी गुड खाया जाता था।^{१०} गुड का स्वाद मधुरिमा का प्रतिमान था और अन्य मधुर पदार्थों की मिठास जानने के लिए मापदण्ड था। भाष्य-कार ने द्राक्षा को गुडकल्पा, अर्थात् गुड के समान मीठी कहा है।^{११} गुड इसमें वनता था और जिम इक्षु में गुड का परिमाण अधिक प्राप्न होता था उन्ने गौडिक इक्षु कहते थे।^{१२} भाष्य में गुड और शृंगवेर (अदरक) का स्वाद परस्पर विरोधी बतलाया है।^{१३}

१. २-३-१३, पृ० ४१७ ।
२. ३-२-१ पृ० २०४ ।
३. ३-३-१३९, पृ० ३३० ।
४. १-३-१, पृ० १४ ।
५. ६-१-६३, पृ० ८६ ।
६. ५-४-६५ ।
७. ४-२-१७ ।
८. पशुं विद्धं पचन्ति-आ० २, पृ० ५५ ।
९. आ० १, पृ० १९ ।
१०. १-४-४९, पृ० १७४ ।
११. ५-३-६७, पृ० ४६१ ।
१२. ४-४-१०३, काशिका ।
१३. ४-२-८४ ।

शर्करा—शर्करा का प्रत्यक्ष उल्लेख भाष्यकार ने मधुर खाद्य के अर्थ में नहीं किया है, किन्तु पाणिनि ने 'शर्कराया वा' (४-२-८३) में न केवल शर्करा का नामोल्लेख किया है,^१ अपितु उससे बनाई जानेवाली वस्तुओं की ओर भी संकेत किया है। पाणिनि के अनुसार शर्करा से बने पदार्थ को शर्करा, शार्करं, शार्करिक, शर्करिक या शर्करीय कहते थे।^२

मधु—मक्षिकाओं द्वारा निर्मित होने के कारण माक्षिक या सारध^३ कहा जाता था। भाष्यकार ने इसे द्रव्यपदार्थक और रसवाची कहा है।^४ मधु की लालसा करने के लिए विशेष क्रिया का प्रयोग होता था। मध्वस्यति या मधुस्यति।^५ मधु इतना प्रिय था कि लोग उसकी लालसा किया करते थे।^६

द्राक्षा—द्राक्षा के माधुर्य को 'गुडकल्प' कहा गया है।^७ कपिशा द्राक्षा की उत्पत्ति का प्रसिद्ध क्षेत्र था।^८ पेय पदार्थ दो प्रकार के थे—पीष्टिक स्वादु एव मादक। पीष्टिक पदार्थों में मुख्य ये थे—

क्षीर—क्षीर का मुख्य साधन गो थी, यद्यपि अन्य प्राणियों के क्षीर का उल्लेख भी भाष्य में प्राप्त होता है।^९ गायों में कृष्णा बहुक्षीरा मानी जाती थी।^{१०} आपीनऊव^{११} क्षीर के आतिशय्य का परिचायक माना जाता था। क्षीर अन्य खाद्य पदार्थों के बनाने में भी काम आता था। यवागू क्षीरेयी^{१२} या पयस्कल्पा होती थी।^{१३} आमिक्षा भी क्षीर से बनती थी। पायस भी, क्षीर में पकाया जाता था। पायस के प्रेमी पायसिक^{१४} कहलाते थे और इनकी कमी न थी, फिर भी, पान के रूप में क्षीर का महत्त्व सर्वाधिक था। ब्राह्मण पयोव्रत होते थे।^{१५} माणवको का यह मुख्य भोजन था। वे उसकी लालसा करते ही रहते थे।^{१६} उशीनर के लोग क्षीर पान से सर्वाधिक प्रेमी थे।^{१७}

१. वही ।

२. नहि गुड इत्युक्ते मधुरत्व गम्यते शृङ्गवेरमिति वा कटुकत्वम् ।—२-१-१, पृ० २५३ ।

३. ४-२-११६, पृ० २४९ ।

४. ५-२-१०७, पृ० ४१६ ।

५. ७-१-५१, पृ० ४९ ।

६. १-३-२५, पृ० ६३ ।

७. ५-३-६७, पृ० ४६१ ।

८. ४-२-९९ ।

९. ६-३-४२, पृ० ३२८ ।

१०. कृष्णा गवां सम्पन्नक्षीरतमा ।—२-३-४२, पृ० ४३३ ।

११. ६-१-२८, पृ० ५६ ।

१२. ४-२-२०, पृ० १७२ ।

१३. ५-३-६७, पृ० ४६२ ।

१४. ४-२-१०४, पृ० २०९ ।

१५. आ० १, पृ० १९ ।

१६. ७-१, पृ० ४९ ।

१७. ८-४-९ काशिका ।

मथित—मथित के लिए तक्र, मथितोदक, उदन्वित् आदि शब्दों का प्रयोग प्रचलित था^१, जो वैसाखमन्थ से मथकर बनाया जाता था।^१ यह दधि से निम्न कोटि का भोजन था। इसीलिए, कौण्डिन्य का अपमान करने के उद्देश्य से कहा गया है सब ब्राह्मणों को दही दो, किन्तु कौण्डिन्य को तक्र दो।^२ मथित का प्रयोग इतना अधिक था कि कुछ लोग केवल मथित बेचने का ही व्यवसाय करते थे।^३

गुडोदक—गुड का शर्वत गुडोदक कहलाता था। इसका प्रचार आज भी उत्तर भारत में अधिकता से पाया जाता है। भाष्य में बार-बार गुडोदक का उल्लेख होने से इसके प्रिय पेष होने का अनुमान होता है।^४

सुरा—सुरा का प्रयोग सामान्य जनता में प्रचलित था। एतदर्थ पानागार थे, जिनमें जाकर लोग सुरापान करते थे।^५ ऐसे लोगों के प्रति समाज-सम्मान का भाव कम था। निर्धर्मित पीनेवाले दुर्मदी कहलाते थे। ये कभी सुरा से तृप्त नहीं होते थे।^६ सुरा का प्रचार प्राच्य लोगों में अधिक था। बाहलीक और सौवीर लोग भी पान अधिक करते थे। गान्धार लोग कपार्य-पान को पसन्द करते थे। सुरा बनानेवालों को शौण्डिक या आसुतीवल कहते थे। पीनेवाले के लिए 'शौण्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ है।^७ आसुतीवल सुरा खीचने, भभके से उसे टपकाने (अभिपव) का काम करता था।

सुरा या शृण्डा के अनेक प्रकार थे। मैरेय एक प्रकार का मद्य था, जो गुड या महुए से बनाया जाता था। इसे इसके अगभूत पदार्थों के अनुसार गुड-मैरेय या मधु-मैरेय कहते थे। उच्चकोटि के मैरेय को परममैरेय कहते थे। काशिकाकार ने वासव और मैरेय में अन्तर बतलाया है।^८ प्रसन्ना सुरा का दूसरा भेद था। यह गुड से बनाई जाती थी। इसका रस तेल के समान हल्का पीला होता था। भाष्यकार ने बार-बार-इसे 'तैलकल्पा' कहा है।^९ कापिशायनी सुरा अंगूरो के रस से बनाई जाती थी। इसीलिए उसे कापिशायन मधु कहते थे।^{१०} अंगूरो के रस के लिए मधु शब्द का व्यवहार होता था। यहाँ की द्राक्षा बहुत प्रसिद्ध थी। यही से द्राक्षा से बना हुआ

१. ६-१-८५, पृ० १२४ ।

२. ५-१-११० ।

३. १-१-४७, पृ० २८७ ।

४. ७-३-५०, पृ० १९५ ।

५. १-४-२, पृ० १२४ तथा ६-१-८५, पृ० १२४ ।

६. पिवति शौण्डः पानागारे।—२-१-१, पृ० २२८ ।

७. २-२-२९, पृ० ३७९ ।

८. ८-४-९ काशिका ।

९. २-१-१, पृ० २२८ ।

१०. ६-२-७० काशिका ।

११. ५-३-६७, पृ० ६८ तथा ५-४-१४, पृ० ४६१ ।

१२. ४-२-९९ ।

संबु अन्यत्र भेजा जाता था। कषाय हल्के नशेवाला पेय था। सामान्य कषाय घी-माँड़ (सर्पिमण्ड) तथा उमापुष्पो (अलसी के फूल) से बनाया जाता था। एक प्रकार का कषाय दौवारिकों का पेय था जिससे यह निम्न कोटि का पेय मालूम होता है। सर्पिमण्डकषाय, उमापुष्पकषाय और दौवारिककषाय ये कषाय के भेद थे और संज्ञा शब्द थे। इनमें उच्च कोटि के कषाय को परम-कषाय कहते थे।^१

सुरा बनाने के यन्त्र (भभका) को आसुति^२ कहते थे। सुरा के घटक पदार्थों का प्रथम किण्व बनाया जाता था। किण्व की प्रक्रिया पूर्ण होने पर वे आसव्य^३ स्थिति में होते थे। अभिषव (सुरा खींचने) के बाद वचा हुआ अश^४ कल्कविनीय कहलाता था, जिसे फेंक दिया जाता है।^५

ब्राह्मण लोग सामान्यतया सुरा नहीं पीते थे, किन्तु सौत्रामणि आदि यज्ञों में स्वल्प सुरा का सेवन भी वे धार्मिकदृष्टि से करते थे। भाष्य में एक स्थान पर पूर्वपक्षी कहता है, 'यदि ताम्रवर्णी सुरा से भरी हुई अनेक घटी पीकर कोई स्वर्ग नहीं पहुँच सकता, तो यज्ञ में थोड़ी-सी पी लेने पर कैसे पहुँच जायगा ?'^६

सोम—सोम का प्रचार ब्राह्मणों, श्रोत्रियों और ऋत्विजों में था। भाष्य में सोमपान का^७ पौन पुनिक उल्लेख प्राप्त होता है। सोम बनाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल थी। सोमवल्ली मूजवन्त पर्वत या कौकटो के वेश में होती थी। इस लता को त्वक् पर फैलाकर फिर वेदी या चिपणा पर रखकर कूटते थे अथवा मन्था (मूसली) से ऊखल में कूटते थे। फिर, इसका रस चम या चमस (कलश) में भरते थे। कूटने या पीसने से पूर्व इसे पानी में भिगोया जाता था। भाष्य के उल्लेख से सोम के पाक (पकाये जाने) का अनुमान होता है। भाष्यकार ने सोम के सम्बन्ध में श्रात और श्रित शब्दों के प्रयोग को उचित ठहराया है। ये दोनों शब्द पाक अर्थ में प्रयुक्त होनेवाली श्री घातु के आगे क्त प्रत्यय लगाकर बनते हैं। सावारणतया क्त प्रत्यय लगाने पर श्रित शब्द बनना चाहिए, किन्तु निपातन से श्री को श्रा और श्रि बना दिया जाता है। श्रात का प्रयोग कहाँ हो ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार ने कहा है कि सोम के प्रसंग में श्री को श्रा भाव होता है, अन्यत्र श्रिभाव। फिर 'श्रित सोम' इत्यादि प्रयोग देखकर कह दिया है कि सोम का बहुत्व बतलाना ही, तो श्रात और अन्यत्र श्रित प्रयोग होता है। इससे सोम का पकाया जाना भी होता है।^८

भोजन-पान के विषय में प्रचलित कुछ पारिभाषिक शब्दों पर विचार कर लेना यहाँ

१. ६-२-१० काशिका।

२. ५-२-११२ ।

३. ३-१-१२६ ।

४. ३-१-११७ ।

५. वही।

६. यदुदुम्बरवर्णानिं घटानां मण्डल महत्पीतं न गमयेत् स्वर्गं तर्त्तिकं ऋतुगतं नयेत् ।—

भा० १, पृ० ५, ६ ।

७. ३-१-९४, पृ० १७८ ।

८. ६-१-३६, पृ० ६२ ।

समीचीन होगा। भाष्यकार के मत से, भोज्य और पेय पदार्थों को चार भागों में बाँटा जा सकता है—१ भोज्य, २ भक्ष्य, ३ व्यजन और उपसिक्त ४ सस्कृत।

भोज्य और भक्ष्य—भोज्य शब्द भुञ् घातु से बना है। सामान्यतया 'अभ्यवहार करने के योग्य' इस अर्थ में प्यत् प्रत्यय होकर 'चजो कु घिण्यतो' (७-३-५२) सूत्र से कुत्व होकर भोग्य बनना चाहिए था, किन्तु पाणिनि ने 'भोज्य भक्ष्ये' (७-३-६९) सूत्र से कुत्वभाव कर निपातन से भोज्य शब्द बना लिया है। इस प्रकार, पाणिनि के मत से भोज्य और भक्ष्य पर्याय है। कात्यायन का मत है कि सूत्रकार को भक्ष्य शब्द के स्थान पर अव्यवहार्य शब्द का प्रयोग कर 'भोज्यमभ्यवहार्यं' सूत्र बनाना चाहिए था, क्योंकि भोज्य और भक्ष्य में अन्तर है। भक्षण केवल खर विशद, अर्थात् कहीं वस्तु का होता है, जो चवाकर खाई जाती है। सूप और यवागू खर विशद नहीं हैं। वे द्रव होते हैं। यदि भोज्य और भक्ष्य को पर्याय मान लेंगे, तो सूप और यवागू भोज्य नहीं कहे जा सकेंगे।

पतञ्जलि ने कात्यायन के मत पर आपत्ति की है। उनका कथन है कि भस् घातु का व्यवहार केवल खर विशद पदार्थ के ही लिए नहीं होता। लोक में अबभक्ष, वायुभक्ष शब्दों का व्यवहार देखा जाता है, यद्यपि वायु और जल खर विशद पदार्थ नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि भक्ष्य खर विशद से भिन्न पदार्थ भी हो सकता है। इस प्रकार, पाणिनि और पतञ्जलि दोनों भक्ष्य और भोज्य को पर्याय मानते हैं।^१ इसीलिए, पाणिनि ने पल्ल (मास), सूप और ञाक को भक्ष्य माना है और 'भक्ष्येण मिश्रीकरणम्' (२-१-३५) के उदाहरण गुडपल्ल (गुड डालकर पकाया हुआ मास), घृतपल्ल, घृतसूप, घृतशाक आदि शब्द मानकर उनमें 'पल्लसूपशाक मिश्रे' (६-२-१२८) से आद्युदात्त स्वर का निर्देश किया है। उपर्युक्त शब्दों में सूप खर (कठिन या कडा) और विशद (अलग-अलग धानोवाला) नहीं होता। दूसरी ओर पाणिनि ने अन्न और भक्ष्य में भी अन्तर किया है, इसीलिए उन्होंने 'अन्नेन व्यञ्जनम्' (२-१-३४) और 'भक्ष्येण मिश्रीकरणम्' (२-१-३५) में अन्न और भक्ष्य का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया है। अन्न सामान्य खाद्य को कहते थे और भक्ष्य खर विशद, अर्थात् चवाकर खाये जाने योग्य खाद्य को। यद्यपि भाष्य और काशिका ने इन दोनों के जो उदाहरण (दध्योदन और गुडधाना) दिये हैं, उनसे यह अन्तर स्पष्ट नहीं होता। ओदन और धाना दोनों ही भक्ष्य हैं और अन्न भी।

वास्तव में भक्ष्य और भोज्य में शास्त्रीय दृष्टि से अन्तर था। शास्त्रीय दृष्टि से जहाँ प्रयोग होता था, वहाँ भोज्य अभ्यवहार्य मात्र को कहते थे और भक्ष्य खर-विशद को, किन्तु सामान्य तया लोक में दोनों शब्दों का पर्याय रूप में ही प्रयोग होता था। पाणिनि ने भक्ष्य शब्द का प्रयोग दोनों दृष्टियों से किया है, इसीलिए उसमें ऊपर से देखने पर विसंगति मालूम होती है।

मिश्रीकरण—भक्ष्य पदार्थों को अधिक स्वादु बनाने के लिए उनमें कभी-कभी दूसरे पदार्थ भी मिलाये जाते थे। इन दोनों में एक मुख्य खाद्य होता था और उसका सहायक। मुख्य खाद्यों में धाना, पल्ल, सूप, ञाक आदि थे और इनके मिश्रीकरण थे गुड, घृत, मूलक आदि। इनके संयोग से बने मिश्रीकृत पदार्थों को गुडधाना, गुडपृथुक, गुडपल्ल, घृतसूप, मूलकसूप घृतशाक और मुद्गशाक आदि कहते थे। इन उदाहरणों से भक्ष्य पदार्थों की पाक-विधि पर

भी प्रकाश पड़ता है।^१ यथा— भांस गुड मिलाकर भी पकाया जाता था। दाल मूली मिलाकर भी पकाई जाती थी और शाक जिस प्रकार आज दाल मिलाकर पकाया जाता है, उसी प्रकार पतजलि-काल में भी पकाया जाता था। इसमें शाक मुख्य भक्ष्य होता था और मुद्ग मिश्रीकरण, अर्थात् सहायक। तिल भी मिश्रीकरण का काम देते थे।^२ मिश्रीकरण-युक्त भक्ष्यों में गुडधाना का प्रचार सबसे अधिक था।^३

व्यंजन—व्यंजन शब्द अज घातु से बना है, जिसका अर्थ है 'प्रकाशित करनेवाला'। जब किसी चिकने पदार्थ से अथवा मधुर पदार्थ से इन्द्रियों की स्थिति ऐसी जडीकृत हो जाती है कि उससे अन्य वस्तु के स्वाद का पता ही नहीं चलता या चलता है, तो ठीक नहीं चल पाता, उस समय जो वस्तु इन्द्रियों को अपनी स्वाभाविक स्थिति वापस ला देती है, उसका नाम है राग। उसी को व्यंजन कहते हैं। यह नाम सार्थक भी है। चिकण अथवा मधुर पदार्थों से जिह्वा पर एक प्रकार का लेप-सा बैठ जाता है। उसका प्रतिबन्ध आ जाने पर जिह्वा को अन्नरस की वास्तविक प्रतीति नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में चटनी, घनिया, खट्टी या अन्य चटपटी वस्तु खाने से जिह्वा का वह लेप दूर हो जाता है और जिह्वा अन्नरस का ठीक अनुभव करने लगती है। इसीलिए चटनी आदि को व्यंजन कहते हैं। 'अञ्चोऽनपादाने' (८-२-४८) सूत्र के भाष्य में पतजलि ने व्यंजन की यह परिभाषा दी है और 'अन्नेन व्यञ्जनम्' (२-१-३४) सूत्र के भाष्य में 'दध्योदन' उदाहरण देकर 'दधि' को व्यंजन स्वीकार किया है।^४ काशिकाकार ने 'व्यञ्जनैरुपसिक्ते' (४-४-२६) में दधि के साथ सूप और शाक का भी उल्लेख किया है।^५ इन सबसे भाष्यकार की उक्त परिभाषा की पूर्ण सगति नहीं बैठती। प्रस्तुत उदाहरणों से भोज्य के स्वाद में वृद्धि करनेवाले उसके सहायक खाद्य के लिए व्यंजन शब्द का प्रयोग रूढ जान पड़ता है।

इस प्रकार मिश्रीकरण और व्यंजन तीन बातों में भिन्न थे। प्रथम मिश्रीकरण व्यक्तिगत रूचि के अनुसार भिन्न-भिन्न होते थे, किन्तु व्यंजन सामान्य रूचि पर आश्रित थे। पल्लु को गुड के साथ मिलाकर खाना न खाना पूर्णतः व्यक्तिगत रूचि की बात थी, किन्तु दधि और ओदन या दधि और सूप रूचिसामान्य से सम्बद्ध था। दूसरे मिश्रीकरण की क्रिया खाद्य तैयार करने की दशा में पाचक करता था और भोजन-क्रिया से पूर्व ही खाद्यान्न तथा मिश्रीकरण दोनों मिलकर एक हो जाते थे। व्यंजन की स्थिति भिन्न थी। व्यंजन और खाद्य दोनों अलग-अलग पकाये जाते थे

१. खरविशदमभ्यनहार्य भक्ष्यम्। तस्य संस्कारक मिश्रीकरणम् ।—२-१-३५ काशिका तथा ६-२-१२८ काशिका।

२. ६-३-१५४ काशिका।

३. २-१-३५, पृ० २८६।

४. अञ्जेर्व्यञ्जनव्यञ्जनं च प्रकाशनम्। यत्तत्त्नेहेन च मधुरेण च जडीकृताना-मिन्द्रियाणां स्वस्मिन्नात्मनि व्यवस्थापनं स रागस्तद्व्यञ्जनम्। अनर्थं खल्पि निर्वचनम्। व्यञ्ज्यतेऽनेनेति व्यञ्जनमिति ।—८-२-४८, पृ० ३६७।

५. २-१-३४, पृ० २६८।

६. ४-२-२६ काशिका।

और भोजना उनका मिश्रण करता था। इस प्रकार, मिथीकरण और व्यजन-क्रिया के कर्ता भी भिन्न होते थे। तीसरे मिथीकरण आवश्यक न था। व्यजन आवश्यक था। इस प्रकार स्वाद-वृद्धि की दृष्टि से मिथीकरण व्यजन से एक कांठि भाग की क्रिया थी।

उपमेचन—मुख्य अन्न से व्यजन मिलाने की क्रिया को उपमेचन कहते थे और जिस मुख्य अन्न से व्यजन मिलाया जाता था, उसे उपनिक्त' कहते थे। जैसे, दधि से उपसिक्त पदार्थ द्राघिक कहलाता था। उसी प्रकार दाल से उपसिक्त आंदनमीषिक कहा जाता था।

संसृष्टि—मिथीकरण की क्रिया संसृष्टि कहलाती थी।^१ उपमेचन से दोनों वस्तुएं अलग-अलग रहती थी और पक्व अवस्था में परस्पर मिला दी जाती थी। संसृष्टि वह प्रक्रिया कहलाती थी, जिसमें विनी स्वाद्य के घटकभूत पदार्थ पकाने के पूर्व ही परस्पर मिला दिये जाते थे और वे सब मिलकर एक बन जाते थे। आधिकारिक ने भी संसृष्ट पदार्थों को एकभूत अभिन्न माना है। दधि में पक्व गेहूं बन्सु, यथा वटी आदि, द्राघिक कहलाती थी। इसी प्रकार, मरीचि से संसृष्ट दाल, धाक आदि मारीचिक, शृगवेर से संसृष्ट श्रागवेरिक^२, पिप्यली से संसृष्टपैप्यलिक कहलाते थे। चूर्ण से संसृष्ट अपूप या घानाचूर्णों^३ कहे जाते थे।^४ मुद्ग से संसृष्ट ओदन (खिचड़ी) यथा यवागू की मीद्ग मजा थी।^५ लवण से संसृष्ट सूप, धाक या यवागू को लवण ही कहते थे। लवणशाक नमकीन शाक वा बोधक था।^६ ये पदार्थ स्वाद्य पकाने के पूर्व ही डाल दिये जाते थे।

कान्यायन ने लवण के संसृष्ट-निमित्त माने जाने पर आपत्ति की है। उनका कथन है कि लवण शब्द रसवाची है। वह छह रसों में एक है। लवणयुक्त (नमकीन) इस अर्थ में लवण शब्द का प्रयोग नहीं होता। वह त्वटान की तरह रस का बोध कराता है। चारा इस अर्थ का लवण शब्द स्वन्त्र है और लवण पानी, लवण दूध आदि प्रयोग नमक न मिलाये जाने पर भी होते ही हैं। कभी-कभी नमक डालने पर भी जब दाल, धाक आदि नमकीन नहीं लगते, तो लोग उन्हें अलौना कह देते हैं। उन्मलित लवण शब्द से संसृष्ट अर्थ में प्रत्यय कर फिर उनका लुक् करके लवण शब्द की लवण से संसृष्ट अर्थ में निगमति करना व्यर्थ का प्रयत्न है; क्योंकि इस अर्थ में लवण स्वन्त्र शब्द ही है।^६

१. ४-२-२६ काशिका ।

२. ४-४-२२ ।

३. ४-४-२२ काशिका ।

४. ४-४-२२ काशिका ।

५. ४-४-२३ ।

६. ४-४-२५ ।

७. ४-४-२४ ।

८. रस वाच्येय लवणशब्दो नैव संसृष्टनिमित्तः। अतश्च रसवाची। असंसृष्टेऽपि हि लवणशब्दो वर्तते। तद्यथा लवणं क्षीरम्। लवणं पानीयम्। संसृष्टेऽपि च यदा नोपलभ्यते तदाऽऽह अलवणः सूपः, अलवणं शाकमिति ।—४-४-२४, पृ० २७६ ।

संस्कृत—विद्यमान वस्तु मे उत्कर्ष की वृद्धि करने का नाम सस्कार है। खाद्य पदार्थों को दही, मिर्च, अदरक आदि के साथ मिलाकर पकाने की प्रथा उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए थी। कुलत्थ (कुलथा), तित्तिडीक (इमली) और दर्दभक भी सस्कार के लिए प्रयोग मे लाये जाते थे। इनके द्वारा संस्कृत खाद्यों को क्रमशः दाहिक, मारिचिक श्रागवेरिक, कौलत्थ, तैत्तिडीक और दर्दभक कहते थे।^१

संस्कृत शब्द सामान्यतया पकाने के अर्थ मे प्रयुक्त होता था। भ्राष्ट्र (चूल्हे) पर पकाई हुई भोज्य वस्तु भ्राष्ट्र कहलाती थी। इसी प्रकार शूल (शलाका) एव उखा (कडाही) पर पकाये गये मासादि शूल्य और उख्य कहे जाते थे। दही, मट्ठे और दूध मे डालकर पकाई हुई वस्तुएं दाहिक, औदश्वित या औदश्वित्क और क्षैरेय कहलाती थी। दही, तक्र आदि मे संस्कृत और दही, तक्र आदि से संस्कृत वस्तुओं मे भेद होता था। जो वस्तुएं दधि आदि मे संस्कृत होती थी, उनके लिए दधि केवल आवारभूत होता था, किन्तु उसका सस्कार (स्वादोत्कर्ष) लवणादि से किया जाता था और जो दही आदि से संस्कृत होती थी, उनमे स्वाद-वृद्धि का साधन मात्र दाधि आदि होता था,^२ आघारभूत वस्तु अन्य कोई रहती थी।

भोजनार्थ निमन्त्रण—अपने घर पर दूसरों को भोजन के लिए बुलाने की प्रथा बहुत पुरानी है। लोग विशेष अवसरों पर मित्रों, सम्बन्धियों और ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाते थे। निमन्त्रण के बुलावे दो प्रकार के होते थे। आमन्त्रण और निमन्त्रण। आमन्त्रण भोजनार्थ सामान्य बुलावे को कहते थे। यह आमन्त्रित व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर था कि वह आमन्त्रण स्वीकार करे, या न करे किन्तु निमन्त्रण स्वीकार करना आवश्यक होता था। निमन्त्रण द्रव्य या कव्य के दिये, जाते थे। यज्ञ या श्राद्ध-सम्बन्धी भोजन के लिए की जानेवाली प्रार्थना निमन्त्रण कहलाती थी। निमन्त्रण को अस्वीकार करना अधर्म माना जाता था। किसी-किसी के मत से भोजन की सामग्री पाम होने पर समीपस्थ व्यक्ति को खाने के लिए कहना निमन्त्रण कहलाता था और भोजन तैयार होने से पहले दूर से किसी को बुलाना आमन्त्रण कहलाता था।^३ निमन्त्रण ब्राह्मणों को दिये जाते थे। और उन्हीं के लिए यह नियोग था। फिर भी, बहुत-से ब्राह्मण श्राद्ध मे भोजन नहीं करते थे वे अश्राद्धभोजी कहलाते थे।^४ जो लोग श्राद्ध-भोजन स्वीकार करते थे, वे लोग सामान्य थे। श्राद्ध मे न खानेवाले अश्राद्धभोजी कहे जाते थे। कुछ परिवार हव्य-कव्य भोजनों मे परस्पर एक दूसरे को ही न्योत लेते थे। निमन्त्रण स्त्रियों को भी दिये जाते थे और यह परस्पर निमन्त्रण^५ की प्रथा उनमे भी थी। कभी-कभी एक ही ब्राह्मण को कई निमन्त्रण

१. ४-४-३, ४ काशिका।

२. ४-२-२६, ४-४-१७, १८, १९, २० तथा ४-४-१८ काशिका।

३. सन्निहितेन निमन्त्रणं भवत्यसन्निहितेनामन्त्रणम्। यन्नियोगतः कर्त्तव्यं तन्निमन्त्रणम्। किं पुनस्तत्? हव्यं कव्यं वा। ब्राह्मणेन सिद्धं भुज्यतामित्युक्तेऽधर्मः प्रत्याख्यातुः। आमन्त्रणं कामचारः।—३-३-१६१, पृ० ३३५।

४. ३-२-८०, पृ० २२९।

५. ८-१-१२, पृ० २७७।

प्राप्त हो जाते थे। ऐसी दवा में वह एकाधिक स्थानों पर भी भोजन कर लेता था। मृदु विशद ओदन और दूध-दही का लालच देकर भोजन के लिए आग्रह करने का उल्लेख भाष्य में है और एक बार भोजन कर लेने पर भी निमन्त्रित व्यक्ति दधि, दूध और मृदु विशद ओदन के लालच से आमन्त्रण स्वीकार कर लेता था।^१

सहभोजन—सहभोजन को समाश कहते थे।^२ समाश में भी ओदन परोसा जाता था। समाश में शरावों (पात्र) का व्यवहार होता था। जिनको हीन दृष्टि से देखा जाता था, वे पक्ति से अलग या वाद में विठाये जाते थे। 'माठर और कौण्डिन्य बैठे रहे। वे अभी (सब के साथ) भोजन नहीं करेंगे।' 'सब ब्राह्मण भोजन करें। माठर और कौण्डिन्य बैठे रहे। वे अभी (सब के साथ) भोजन नहीं करेंगे।' 'सब ब्राह्मणों को दही दो, किन्तु कौण्डिन्य को मट्ठा दो' ये उल्लेख भाष्य में कई स्थानों पर मिलते हैं।^३

उपवास—विशिष्ट अवसरों पर लोग व्रत या उपवास भी करते थे। ब्राह्मण दूध, घनिष्ठ यवानू और वैष्य आमिक्षा पीकर उपवास करते थे।^४ कमी-कमी लोग केवल जल पीकर और कमी निराहार एवं निर्जल रहकर व्रत रखते थे। ये लोग अब्मक्ष और वायुभक्ष कहलाते थे।^५ उपवास के दिन का भोजन निश्चित रहता था। उस दिन शालि-मासादि खाना वर्जित था। वैदिक काल से यह प्रथा चली आती थी।

वर्जित भोजन—ब्राह्मण के लिए सुरापान वर्जित था। भूल से भी सुरापान करनेवाला पतित माना जाता था।^६ केवल यज्ञकर्म इसका अपवाद था। सुरापान सामान्य जनों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता था।^७ मास के विषय में कोई निषेध भाष्य में नहीं उपलब्ध होता। हाँ, पाँच पचनक्ष प्राणियों का मास खाया जा सकता है, यह कथन अवश्य प्राप्त होता है। ये पचनक्ष प्राणी ब्राह्मणों के भी भक्ष्य थे। ग्राम-कुक्कुट और ग्राम-शूकर अवश्य अभक्ष्य थे, किन्तु आरण्य भक्ष्य थे।^८ शार्ङ्ग पक्षी का मास का भी अभक्ष्य जान पड़ता है। भाष्यकार ने पलाण्डु-भक्षिती के साथ शार्ङ्गजघी का उल्लेख किया है।^९ शार्ङ्ग का पृथक् नाम-ग्रहण ही उसके भक्ष्यता के हीनत्व का द्योतक है। पलाण्डु स्वयं अभक्ष्य खाद्यी में था। केवल पलाण्डु भी अभक्ष्य माना जाता था। जो कोई उसके साथ सुरा भी पिये, उसका तो कहना ही क्या। भाष्यकार ने ऐसे व्यक्ति

१. १-४-४९, पृ० १७३।

२. १-१-७२, पृ० ४४७।

३. आ० २, पृ० ७१ तथा १-४-४७, पृ० २८७।

४. आ० १, पृ० १९।

५. आ० १, पृ० १४।

६. आ० १, पृ० ५।

७. १-२-६४, पृ० ५८७।

८. आ० १, पृ० ११।

९. २-२-३६ पृ० ३९२।

की वृक्षरूप कहा है।^१ ब्राह्मणी के लिए तो सुरापान नितान्त गहित था। सुरापी ब्राह्मणी परलोक में पति का सहवास नहीं प्राप्त करती, यह विश्वास था।^२

सामान्यतः भूमि पर बैठकर भोजन करने की प्रथा^३ थी। बुभुक्षा और पिपासा होने पर खाने की इच्छा के लिए तथा विना भूख-प्यास के भी लालचवश खाने की इच्छा के लिए पृथक् क्रियाओं का प्रयोग होता था।^४ इससे कुछ लोगों की भोजन-भटता पर प्रकाश पड़ता^५ है। बहुत खानेवालों को कुण्डोदर कहते थे।^६ ऐसे लोग प्रवस सखादक और सखादकी (स्त्री) कहे जाते थे। ऐसे लोग और किसी काम को तो जाते नहीं, वस भोजन के समय उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें पात्रेसमित कहते हैं।^७ खाने के बाद पात्र में छोड़ा हुआ भोजन उद्घृत^८ कहलाता था।

भिक्षुक—कुछ लोग भोजनार्थ केवल भिक्षा पर निर्भर करते थे। भिक्षा प्रचुर और व्यजनवती भी मिल जाती थी। इनके लालच से कुछ लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से टिक जाते थे।^९ माँगनेवालों की सख्या बहुत थी। गृहस्थ उनसे तग आ जाते थे। पर क्या करते। भिक्षुको के डर से भोजन बनाना तो बन्द नहीं किया जा सकता था।^{१०} भिक्षा के समूह को भैक्ष^{११} कहते थे। भिक्षा से ही सुभिक्ष (सम्पन्न) शब्द बना है। पैदावार अच्छी होने के कारण भिक्षा सरलता से मिल जाती थी।^{१२}

१. ५-३-६६, पृ० ४६०।

२. ३-२-८, पृ० २१०।

३. ३-१-९४, पृ० १७८।

४. ७-४-३४।

५. ६-२-१०८ काशिका।

६. २-१-४८।

७. ४-२-१४ काशिका।

८. २-४-३७ तथा ५-२-९४, पृ० ४१०।

९. भिक्षाश्चापि प्रचुरा व्यञ्जनवत्यो लभ्यमाना वासं प्रयोजयन्ति। भिक्षा वासयन्ति (—
३-१-२६, पृ० ७२।

१०. न च भिक्षुकाः सन्तोति स्यात्यो नाधिश्चोयन्ते।—६-१-१३, पृ० ४।

११. १-२-६४, पृ० ५७७।

१२. १-२-५२, पृ० ५५४।

अध्याय ११

परिवहन

वाह्य या वाहन—यातायात के मुख्य साधन शकट और रथ थे। ये स्थल-पथ में व्यक्तिओं एवं वस्तुओं को ले जाने के काम आते थे। सामान्यतया इन्हें 'वह्य' कहते थे। वह्य का अर्थ था ले जाने के साधन शकट आदि। जहाँ करण या साधन अर्थ अभीष्ट नहीं था, वहाँ 'वाह्य' शब्द का प्रयोग होता था। धीरे-धीरे 'वह्य' शब्द का प्रयोग कम हो गया और उत्तम स्थान पर 'वाहन' शब्द का प्रयोग होने लगा।^१ गाड़ी से ढोई जानेवाली वस्तु 'वाह्य' कहलाती थी।

वाहनो के प्रकार—वाहन दो प्रकार के थे . स्थलीय और जलीय। स्थल-वाहनो में शकट और रथ मुख्य थे और जल-वाहनो में नौ। जल के वाहनो को उदवाहन या उदकवाहन^२ कहते थे। कभी-कभी ये परस्पर भी एक दूसरे के वाहन बन जाते थे। भाष्यकार ने कहा है कि स्थल में गाड़ी नाव को ढोती है और जल में नाव गाड़ी को।^३

शकट—शकट सवारी के काम आते थे और ब्रजन होने के भी। वे मनुष्यों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के साधन थे।^४ ऋषि आदि की पैदावार भी उन्हीं से ढोई जाती थी। भाष्यकार ने वस्तुविशेष से भरी हुई गाड़ी तथा वस्तुविशेष भरने के लिए उसके पास खड़ी की गई गाड़ी के लिए विशिष्ट शब्दों का उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ, ईश से भरी हुई या शर से भरी हुई गाड़ी को इक्षुवाहन और शरवाहन कहते थे। यदि गाड़ी में भरने के लिए इक्षु या शर उसके पास रखे होते थे, तो भी उन गाड़ियों को इक्षुवाहन और शरवाहन ही कहते थे।^५ किसी-किसी आचार्य के मत से जो भी वस्तु गाड़ी में भरी हो या जो व्यक्ति गाड़ी में सवार हो, उसके नाम पर गाड़ी के लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग होता था—जैसे गर्गवाहन। किन्तु, यदि गर्ग की गाड़ी खुली हुई हो तो उसके लिए गर्गवाहन शब्द ही आता था।^६

१. वहाँ करणम्, वहन्त्यनेनेति वहाँ शकटम्, वाह्यमन्यत् ।—ऋ० १-१०२, काशिका।

२. ८-४-४।

३. वाहनं वाह्याविति वक्तव्यम् ।—ब्रही ।

४. ६-३-५८ काशिका ।

५. १-१-१, पृ० १२० ।

६. १-२-२४, पृ० १६० ।

७. वाहनमाहितात्, आहितोपस्थितयोरिति वक्तव्यम्, इहापि यथा स्यात्, इक्षु-वाहनम्, शरवाहनम् ।—८-५-४, पृ० ४७९।

८. अपर आह, वाहनं वाह्याविति वक्तव्यम् यदाहि गर्गाणां वाहनमपविद्धं तद मानुवं गर्गनाहनम् ।—ब्रही।

गाडियाँ आकार के अनुसार बड़ी और छोटी होती थी। बड़ी गाडी शकट और छोटी शकटी कहलाती थी।^१ शकट और शकटी चलते हुए शब्द करते थे।^२ यदि घुरी में तेल न पड़ा हुआ, तो गाडी कूजती हुई चलती थी। व्यापार-वस्तुएँ ढोने के लिए गाडियों के सार्थ (समूह)^३ एक साथ निकलते थे। शकट-सार्थ मेलों के अवसर पर भी चलते होगे। भाष्यकार ने गाडियों के शब्द करने का उल्लेख करते हुए कहा है कि शाकटायन नामक वैयाकरण को रथ्य मार्ग पर बैठे हुए होने पर भी पास से जाते हुए शकट-सार्थ का पता नहीं चल पाया।

गाँव के तक्षा शकटी और शकट बनाते थे।^४ शकटों में कुछ बहुत बड़े होते थे, जिन्हें खींचने के लिए आठ बैल एक साथ जोते जाते थे।^५ मार्ग ठीक न हुआ, तो कभी-कभी चलते हुए शकट टूट जाते थे, इसलिए शकटवाहक को मार्ग के ऊँच-नीच होने का ध्यान रखना पड़ता था।^६ कभी कमजोर होने से गाडी के अक्ष टूट जाते थे। तब बढई नये अक्ष बनाकर डालता था। एक स्थान पर भाष्य में कहा गया है कि इस अक्ष ने गाडी का वैसा साथ नहीं दिया, जैसा पहले-वाले ने दिया था।^७

शकट से माल ढोना एक व्यवसाय था और आय का साधन था। कुछ लोग केवल यही कार्य करते थे और इसीलिए बैल पालते थे।^८

रथ—शकट सामान्य किसान का वाहन था। कृषि-कार्य में तथा बोझ ढोने में ही उसका विशेष उपयोग होता था। लम्बी यात्रा के लिए रथ का व्यवहार होता था। सम्पन्न लोग रथ रखते थे और उसी पर सवारी करते थे। भाष्यकार ने कुण्ड या वन तक जाने के लिए रथ के उपयोग का उल्लेख किया है।^९ उन्होंने पैदल, घोड़े पर और रथ पर की गई यात्राओं को उत्तरोत्तर शीघ्रतर काल में सम्पन्न होनेवाली कहा है। रथिक बहुत शीघ्र चलता है, घुडसवार उससे धीरे और पदाति^{१०} उससे धीरे चल पाता है। एक अन्य स्थान पर भी उन्होंने इन तीनों साधनों का साथ-साथ भिन्न क्रम से उल्लेख किया है—'भडके हुए घोड़े से गिर पड़ा, दौड़ते हुए

१. यत्कूजति शकटम्, यती कूजति शकटी, यद्वरथः कूजति।—८-१-३० पृ० २८८।
२. १-३-२१, पृ० ६२।
३. वैयाकरणानां शाकटायनो रथमार्ग आसीनः शकटसार्थं यान्त नोपलभ्ने।—
३-१-१५५, पृ० २५०।
४. २-३-५, पृ० ४०८।
५. ६-३-४६, पृ० ३३४।
६. अनेन चेद्यात्यति न शकटं पर्याभविष्यति।—३-३-१५६, पृ० ३३४।
७. २-१-१०, पृ० २७२।
८. गौरथं शकटं वहति शीघ्रतराद्यं यः शकटं वहति शीघ्रं च।—५-३-५५, पृ० ४४५।
९. भा० २, पृ० ६९।
१०. १-१-७०, पृ० ४४५।

रथ से गिर पड़ा, जाते हुए सार्थ से भटक गया।^१ रथ की सवारी सुखद मानी जाती थी। रथ कहते ही उसे थे, जिसमें विहार किया जाय।^२

रथ के लिए विशिष्ट मार्ग बनाये जाते थे। ये मार्ग चौड़े और समतल होते थे। शकट सँकरे और ऊबड़-खाबड़ मार्ग में भी चले जाते थे, किन्तु रथ के लिए प्रशस्त मार्ग अपेक्षित होता था। गति तीव्र होने से विपन्न मार्ग में उसके उलटने या टूट जाने का भय अविकर रहता था। तीव्र गति से चलता हुआ रथ नीचे दबे पीधों की जड़ें तक उखाड़ देता या टेढ़ी कर देता था। इसीलिए, उसे 'मूल-विभूज' कहते थे।^३ रथ के मार्ग को रथ्या कहते थे।^४ रथ्या पर चलता हुआ रथ मृदु घोष करता चलता था।^५

प्रवेता या प्राजिता —रथ के हाँकनेवाले को सारथि कहते थे। वह रथ में बाईं ओर बैठता था, इसलिए वह सव्येष्टा भी कहलाता था।^६ सारथि के लिए सूत शब्द भी प्रयुक्त होता था जिसका अर्थ था अच्छी प्रकार हाँकनेवाला। इसी अर्थ में प्रवेता और प्राजिता शब्द मौनते थे। इनमें प्रवेता व्याकरण की दृष्टि में गृह्य था, किन्तु लोक में, विशेषतः सारथियों में प्राजिता का शब्द प्रचलित था। भाष्यकार ने गत्यर्थक 'बच्' को 'वी' वादेश करने के प्रसंग में 'प्राजिता' शब्द की निष्पत्ति पर एक मनोरञ्जक चर्चा की है। उन्होंने 'प्राजिता' शब्द का उल्लेख कर प्रश्न किया है कि क्या यह प्रयोग उचित है? और उसका उत्तर 'हाँ' में देते हुए निम्नलिखित वाद उपस्थित किया है—

कोई वैयाकरण किमी रथ को देखकर बोला, 'इस रथ का प्रवेता (सारथि) कौन है?' सूत ने उत्तर दिया, 'आयुष्मन्, इस रथ का प्राजिता मैं हूँ।' वैयाकरण ने कहा, 'प्राजिता तो अपगब्द (अगृह्य) है।' सूत बोला, 'देवानाप्रिय (आप) व्याकरण से निष्पन्न होनेवाले शब्दों की ही जानकारी रखते हैं, किन्तु व्यवहार में कौन-सा शब्द छप्ट है, यह नहीं जानते। 'प्राजिता' प्रयोग शास्त्रकारों को मान्य है।' इस पर वैयाकरण जिदकर बोला, 'यह दुस्त (दुष्ट सारथि) तो मुझे पीडा पहुँचा रहा है।' सूत ने ज्ञान्त भाव से कहा, 'महोदय, मैं सूत हूँ। सूत शब्द 'विच्' धातु के आगे क्त प्रत्यय और पहले प्रगसार्यक 'नु' उपसर्ग लगाकर नहीं बनता है, जो अपने प्रगसार्यक 'सूत' निकालकर कुत्सार्यक 'दुर्' उपसर्ग लगाकर 'दुस्त' शब्द बना लिया। सूत 'सूच् धातु' (प्रेरणार्थक) से बनता है और यदि आप मेरे लिए कुत्सार्यक प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको मुझे 'दु सूत' कहना चाहिए 'दुस्त' नहीं।'^७

उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि सारथि, सूत और प्राजिता तीनों शब्दों का प्रचलन

१. १-४-२४, पृ० १६१ ।

२. रमत्तेऽस्मिन् रथ इति ।—१-२-२५, पृ० १६१ ।

३. ३-२-५ पृ० २१० ।

४. रथाय हिता रथ्या ।—५-१-६०, पृ० २९८ ।

५. ८-१-३०, पृ० २८८ ।

६. ८-३-९७, पृ० ४६२ ।

७. २-४-५६, पृ० ४९२ ।

हाँकनेवाले के लिए था। व्याकरण की दृष्टि से प्रवेता शब्द शुद्ध माना जाता था। इसी प्रकार 'सूत' की व्युत्पत्ति के विषय में भी वैयाकरणों में मतभेद था।

परिवृत रथ—रथ वस्त्र से मढे जाते थे। उनकी टाप या छत वस्त्र से छाई हुई रहती थी। इसी प्रकार, चारो पार्श्व भाग वस्त्र से ढके रहते थे। ऐसे रथ वास्त्र कहलाते थे। जिस वस्त्र से वे परिवृत रहते थे, वह भी रथ का ही एक भाग होता था।^१ रथों के बैठने के स्थान तथा अन्य भाग कम्बल से भी मढे जाते थे। चर्म का व्यवहार भी रथ को समन्तत. (चारों ओर से) मढने के लिए होता था। ऐसे, रथ काम्बल और चार्मण कहलाते थे।^२ वास्त्र, काम्बल और चार्मण शब्दों का प्रयोग रथ के लिए ही होता था। वस्त्र से ढके हुए शरीर को वास्त्र नहीं कहा जा सकता था। अधिक धनवान् लोग अपने रथों को पाण्डुकम्बल से परिवृत करते थे। पाण्डुकम्बल अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान् होता था, इसलिए इसे राजास्तरण कहते थे। यह रगीन होता था या इसमें किनारे किनारे-रगीन पट्टी रहती थी। इस कम्बल का स्वात घाटी से सारे भारत में निर्यात होता था। पाण्डुकम्बल से परिवृत रथ पाण्डुकम्बली^३ कहलाता था। यह शब्द भी रथ के लिए ही प्रयुक्त होता था। द्वीपी और व्याघ्र के चर्म भी रथों पर मढे जाते थे। इन चर्मों से मढे रथ द्वैप और वैयाघ्र कहलाते थे।^४

रथवाहक—रथों का समूह रथ्या या रथकट्या कहलाता था।^५ वाहक पशु या पात्र के अनुसार रथ के आकार में अन्तर होता था। रथ में जुतनेवाले पशुओं में अश्व, जूट्र और गार्दभ के नाम भाष्य में आये हैं। इनके रथ क्रमश आश्व, औष्ट्र और गार्दभ होते थे।^६

रथाङ्ग—पत्र या वाहन के अनुसार रथों के आकार तथा लकड़ी में अन्तर होता था और वाहनों के अनुसार ही रथ के अङ्ग बनाये जाते थे। रथ के अंगों को अपस्कर कहते थे।^७ रथांग से भिन्न अर्थ में अपकर शब्द का प्रयोग होता था। रथांगों में चक्र मुख्य था। रथ के चक्र को रथ्य कहते थे।^८ रथ्य चक्रवाहक पशुओं के अनुसार भिन्न-भिन्न आकार के होते थे। इसी प्रकार युग का आकार भी भिन्न होता था। इसीलिए, भिन्न भिन्न वाहनों के रथों के चक्रादि अङ्गों के लिए अलग-अलग शब्द निश्चित थे, यथा आश्वरथ, औष्ट्ररथ या गार्दभरथ^९ चक्र। रथ्य शब्द रथ और शकट के चक्रों का अन्तर भी सूचित करता है। शकट के चक्र रथ्यों के समान पुष्ट और कलापूर्ण

१. ४-२-१०, पृ० १७१।

२. वही, काशिका।

३. ४-२-११ काशिका।

४. ४-२-१२ काशिका।

५. ४-२-५० तथा ५१।

६. ४-३-१२३, पृ० २५१।

७. ६-१-१४९ काशिका।

८. ४-३-१२१।

९. पतन्ति येनेति पत्रमश्वदिकं वाहनमुच्यते—आश्वरथं चक्रम् औष्ट्ररथं गार्दभ-रथम्।—४-३-१२२ काशिका।

नहीं होते थे। अक्षररथ आदि का प्रयोग भी रथागो के लिए ही होता था। अक्षरयादि से सम्बद्ध अन्य बातों के लिए नहीं।^१ चक्र के भी अनेक अंग होते हैं, जिनमें नाभि, नम्य, अर, अक्ष का उल्लेख भाष्य में हुआ है। जिस प्रकार नाभि सम्पूर्ण शरीर का केन्द्रबिन्दु होती है, उसी प्रकार चक्र की नाभि भी पहिये का केन्द्र-स्थल होती है। पहिये की बीच की गोलाकार लकड़ी को नाभि कहते थे और पहिये के बाह्य गोलाकार काष्ठों को नम्य। नाभि और नम्य को जोड़नेवाले थे अर। नाभि के मध्य छिद्र को, जिसके भीतर अर डाला जाता था, उसे अक्ष कहते थे। अक्ष में घुरा या घू रहती थी। अक्ष लोहे का होता था और घुरा लकड़ी की।

भाष्यकार ने नाभि और नम्य के पारस्परिक अन्तर पर पर्याप्त विचार किया है। नाभि से नम्य शब्द की व्युत्पत्ति प्रदर्शित करते हुए भाष्य में शका की गई है कि नाभि की प्रकृति नम्य को नहीं माना जा सकता और यत् प्रत्यय विकृतिवाचक शब्द से उसकी प्रकृति बतलाने के लिए ही होता है। गोलाकार पहिये के बाहरी मण्डलचक्र का नाम नम्य होता है। इसका उत्तर देते हुए भाष्य में कहा गया है कि नाभि शब्द को शाखादिगण (५-३-१०३) में पढ़ना चाहिए और उसे ह्रस्व कर देना चाहिए। इस प्रकार 'नाभि के समान' इस अर्थ में 'य' प्रत्यय होकर नम्य शब्द निष्पन्न हो जायगा। यदि पूछा जाय कि नाभि और नम्य में कौन-सा ऐसा साम्य है, जिसके कारण इस सूत्र से 'य' प्रत्यय होगा, तो कहा जा सकता है कि अक्ष को धारण करना और घूमना दोनों समान हैं। दूसरे वैयाकरण के मत से तेल सोखना और उसे पास के रथागो पर फँलाना दोनों में समान है। इसी प्रसंग में भाष्यकार ने अरोवाले चक्रको तथा अर निकले हुए चक्रों का भी उल्लेख किया है, जो यह सूचित करता है कि भाष्यकार रथ के समस्त अंगों और उपागों की पूर्ण जानकारी रखते थे। इतना ही नहीं, वे घुरा में तेल चुपड़ने तथा नम्यादि के छिद्रों में तेल डालने की आवश्यकता और प्रक्रिया से भी अवगत थे।^२

घुरा या घुर शकट और रथ के मध्य में रहती थी। रथ या शकट का सारा बोझ घुरा को झेलना पड़ता था। इसलिए, इसका पुष्ट होना आवश्यक था। एतदर्थ, रथकार पुष्ट काष्ठ-वाले वृक्षों को ही चुनते थे। इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है कि रथकार हाथ में आरी और कुल्हाड़ी लेकर मूल से ऊपर तक वृक्षों को काटते और लकड़ी छाँटते हैं।^३ भाष्यकार घुरा की दृढ़ता का महत्त्व भली भाँति जानते थे, इसीलिए उन्होंने 'दृढ़ घुरावाले अक्ष' की चर्चा की है।^४ अक्ष लोहे के होते हैं, फिर भी उनका पुष्ट होना या न होना लोहे की योग्यता पर निर्भर होता है। कमजोर अक्ष को 'कक्ष'^५ कहते थे, उपाधि नम्य बनानेवाले खण्डों को कहते थे, जिन्हें लोकभाषा में 'पुट्टी' कहते हैं। जिस काष्ठ से वनी उपधि होती थी, उसे औपधेय कहते थे। इस प्रकार उपधि और औपधेय व्यावहारिक रूप में एक ही वस्तु थी। काष्ठ पर बल देना होता, तो औपधेय

१. ४-३-१२०, पृ० २५२।

२. ५-१-२, पृ० २९६

३. ४-१-३, पृ० १८

४. दृढ़पूरक्षः १—५-४-७४, पृ० ५०२।

५. ५-३-१०४।

और रथाग पर बल देना होता था उपधि शब्द प्रयुक्त होता था। उपधि विकृति है और औप-
वेय प्रकृति, इस विषय को लेकर भाष्यकार ने पर्याप्त विचार किया है। उन्होंने कहा कि उपधि
से औपवेय शब्द नहीं बनना चाहिए, क्योंकि औपवेय उपधि विकृति की प्रकृति नहीं है, वह तो
स्वय रथाग है।^१ उपधियो को ही ऊवड-खावड मार्ग के घक्के झेलने होते हैं। इसलिए उनका
बहुत पुष्ट होना आवश्यक होता है। सम्भवतः 'औपवेय' शब्द पुष्ट काष्ठ की ओर रथकार का
ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही व्यवहृत हो गया था। इसी प्रकार नाभि के लिए भी मजवूत लकड़ी
हूँडी जाती थी अन्यथा गड्डे में गिरने पर नाभि के बीच से फट पडने का भय था। साधारणतया
गिशपा की लकड़ी नाभि के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। उपधि या नम्य के लिए भी उसी
लकड़ी का प्रयोग होता था।^१

परमरथ—लकड़ी अच्छी और पुष्ट न हुई, या रथकार ने बनाने में कोई त्रुटि कर दी,
तो रथ अच्छा नहीं बन पाता था। ऐसे रथ को कद्रथ^१ कहते थे। इसी प्रकार श्रेष्ठ, सुन्दर कला-
पूर्ण रथ परमरथ कहलाता था। परमरथ के चक्र, घुरा आदि अंग परमरथ्य कहलाते
थे।^२ सम्भवतः, परमरथ बड़े आकार के रथ को कहते थे। उसके अग भी अपेक्षाकृत बड़े
होते थे।

प्राध्वङ्करण—शकट और रथ के अगों का पृथक्-पृथक् निर्माण कर उन्हें यथास्थान
विठाना भी कौशल की अपेक्षा रखता है, क्योंकि रथाग या शकटांग कितना ही पुष्ट और सुन्दर
क्यों न हो, अकेले यात्रा का साधन नहीं बन सकता। इसीलिए भाष्यकार ने कहा है—'रथ के
अलग-अलग अग या अवयव गमन के साधन नहीं बन सकते, किन्तु उनका समुदाय-रूप रथ गमन
के काम आ सकता है। रथकार द्वारा प्रत्येक अवयव के ठीक-ठीक विठा देने पर भी कुछ काम शेष
रह जाता है और वह है घुरी तथा युग को रस्सियों से बाँधना। पहिले अक्ष में फँसे रहते थे।
घुरी के चलने से वे चलते थे। किन्तु, घुरी पर जमा कर रखी हुई गाड़ी का बाँचा धक्का लगते ही
उससे हट सकता था। इसी प्रकार 'युग' (जुए) को शकटमुख या रथमुख से बाँधना आवश्यक
था। रथ में चारों ओर वस्त्र, कम्बल या चर्म लगा दिया जाता था, किन्तु शकट में लगे हुए डण्डे
का मध्य भाग रज्जु से पूरा जाता था। इस तरह रज्जु से यथास्थान बाँधने के बाद ही शकट या
रथ चलने योग्य होते थे। वन्वन द्वारा शकट या रथ को यात्रा-योग्य बनाकर जाने के लिए 'प्राध्व-
ङ्कृत्य गत' ऐसा वाक्य प्रयुक्त होता था। 'प्राध्वङ्कृत्य' का अर्थ था 'बाँध-बाँधकर यात्रा के अनुकूल
बनाकर'। जहाँ वन्वन की आवश्यकता नहीं थी, वहाँ 'प्राध्वङ्कृत्वा गत' ऐसा प्रयोग हो
सकता था।^३

१. ५-३-१३, पृ० ३०३ ।

२. ५-१-२, पृ० २९७ ।

३. ६-३-१०२ ।

४. १-१-७२, पृ० ४५४ ।

५. १-४-७८ काशिका ।

रथ यात्रा के साधन तो ये ही, वे सेना के भी महत्त्वपूर्ण अंग थे।^१ सेना चार भागों में विभक्त होती थी—हस्ती, अश्व, रथ और पदाति।^२

पत्र-वाहन—पशुओं को पत्र कहते थे। पत्र उसे कहते थे, जिसके द्वारा जाया जाय। सवारी के पशुओं के लिए वाहन शब्द भी प्रयुक्त होता था। इस प्रकार, पत्र और वाहन पर्याय थे। जो पत्र गाड़ियों में जोते जाते थे, वे युग कहलाते थे। वैल, अश्व, हस्ती, उष्ट्र और गर्दभ युग पत्र थे।^३

वाहनो के नाम—पशु जिस गाड़ी में जोते जाते थे, उसके अनुसार उनका नाम पद जाता था। शकट में जुतनेवाले वैल को शाकट कहते थे।^४ हल जोतनेवाले वैल होलिक या सैनिक कहे जाते थे।^५ इसी प्रकार रथ खींचनेवाला वैल रथ्य कहलाता था और बड़े रथ को खींचनेवाला परमरथ्य। पुष्ट वैल या अश्वदि कभी-कभी दो रथों को भी एक साथ खींच लेते थे। एक साथ दो रथों को खींचने की शक्ति रखनेवाले पशु को द्विरथ कहते थे, भले ही वह दो रथों में जुता हुआ न हो। दो रथों में जुते हुए और उन्हें बहन करते हुए पशु को द्विरथ्य कहते थे। भाष्यकार ने इन दोनों शब्दों का अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'रथ को ढोता है' एक बात है और रथ को ढोनेवाला दूसरी, भले ही एक ही पशु दोनों अर्थों का वाचक हो।^६ गाड़ी के दोनों ओर आवश्यकतानुसार जुतनेवाले युग्य सर्वघुरीण कहलाते थे और केवल एक ओर ही चलनेवाले एकघुरीण।^७ बाई या बाई ओर चलने की दृष्टि से उत्तरघुरीण, दक्षिणघुरीण आदि शब्द भी प्रचलित थे। काशिकाकार द्वारा सूत्र का योग-विभाग कर इन शब्दों को निष्पन्न मानना उनके प्रचलन का द्योतक है।^८ सामान्यतया गाड़ी या रथ खींचनेवाले पशु घुर्य या घौरय कहे जाते थे।^९ वैल सामान्यतया शकट में जोते जाते थे। यो रथ में भी उनका प्रयोग होता था। श्रेष्ठ वैल ही रथ में चलते थे। भाष्यकार ने अनवान् को अटरथ कहा है।^{१०} अश्व और गर्दभ भी वाहन खींचते थे। इसी प्रकार उष्ट्र और हस्ती भी। जिस वाहन को अश्व खींचता था, उसे आश्व कहते थे। गार्दभ, औष्ट्र वाहनो का भी उल्लेख भाष्य में मिलता है।^{११}

वाहक—वैल, उष्ट्र, अश्व और हस्ती स्वतन्त्र रूप से भी पत्र या वाहन माने जाते थे। शकट आदि में भी जब ये जुतते थे, तब शकट इनका 'वाह्य' कहलाता था। सूत्रकार ने गोसारथि के

१. १-१-७२, पृ० ४४७।
२. वही, तथा २-४-२ काशिका।
३. ३-१-१२१ काशिका।
४. ४-४-८१, ८०।
५. वही।
६. ४-४-७६, पृ० २८४।
७. ४-४-७८, ४-४-७९ काशिका।
८. ४-४-७७।
९. २-२-२४, पृ० ३३६।
१०. ४-३-१२० पृ० २५१।
११. वही।

साथ गोसाद और गोसादि शब्दों का भी उल्लेख किया है।^१ उष्ट्रसादी तो सामान्य वात है।^२ अश्व-वार या अश्ववाल का उल्लेख भाष्य में मिलता है।^३ हाथी के साईस को हस्तिपक कहते थे। भाष्य में कहा है—‘महावत हाथी पर बैठते हैं। लोग स्थल में हाथी पर बैठते हैं और हाथी उन्हें अपने ऊपर बिठाता है।’^४ गोसाद, उष्ट्रसाद आदि लोग गोसारथि या अन्य सारथियों से भिन्न होते थे। सूत्रकार ने युक्तारोही शब्द का भी उल्लेख किया है, जो सम्भवतः ‘घुडसवार अधिकारी’ के लिए है।^५ इसी प्रकार परिस्कन्द शब्द का प्रयोग प्राच्य तथा भरत लोगों में होता था। अन्य प्रदेशों में परिष्कन्द शब्द का प्रचलन था। परिष्कन्द रथ के दाये-बाये चलनेवाले रथको के लिए प्रयुक्त होता था।^६ सर्वपत्री लोग सब वाहनो के हाँकने में निपुण होते थे^७। अश्व के सवार को आश्विक कहते थे। रथ की गति अश्व से तीव्र होती थी।^८ साधारण अश्व एक दिन में चार योजन चलता था, किन्तु अच्छा घोड़ा आठ योजन तक प्रतिदिन चल लेता था।^९ घोड़ा एक दिन में जितनी मजिल तय करता था, उतने को आश्वीन कहते थे^{१०}। आश्वीन अर्थात् साधारण और विशिष्ट घोड़ों के भेद से चार और आठ योजन दूरी को कहते थे।

जलवाहन—यह तो हुई स्थल के सवहन की बात। जल के वाहन की समस्या इससे भिन्न थी। भाष्यकार देश के चारों ओर के विस्तृत समुद्र से परिचित थे।^{११} समुद्र का उल्लेख उन्होंने वार-वार तथा इस ढंग से किया है, जैसे वे उसके महत्त्व से पूर्ण परिचित हों। एक स्थान पर उन्होंने पारियात्र पर्वत के समीपवर्ती समुद्र की भी चर्चा की है।^{१२} देशब्यापी गम्भीर नदियों से वे परिचित थे ही। दोनों ओर जल से घिरे हुए द्वीप, भीतरी प्रदेश तक जल से घिरे अन्तरीप, प्रकृष्ट जल से युक्त प्रायद्वीप, पुराण और जलप्राय अनुप से वे परिचित थे।^{१३} उदधि की अगाधता से वे अभिन्न थे।^{१४} ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि वे जल को पार करने के

१. ६-२-४१ ।

२. ६-२-४० ।

३. ८-२-१८, पृ० ३४२ ।

४. १-३-६७, पृ० ८५ ।

५. ८-२-८१ ।

६. ८-३-७५ ।

७. ५-२-७ ।

८. १-१-७१, पृ० ४४५ ।

९. अश्वोऽयं यश्चत्वारि योजनानि गच्छति अश्वतरोऽयं योऽष्टौ योजनानि गच्छति—

५-३-५५, पृ० ४४६ ।

१०. ५-२-१९ ।

११. १-४-२४, पृ० १६२ ।

१२. ८-१-४ पृ० २६४ ।

१३. १-१-५४, पृ० ३२९ तथा ६-३-९७ काशिका तथा ६-३-९८ ।

१४. ६-३-५८ ।

साधनो से भी परिचित होते। जल पार करने के साधनो को उदवाहन या उदकवाहन कहा गया है।^१

नौ—उदवाहनो मे नौ मुख्य थी। नौ से पार करने योग्य जल या नदी को नाव कहते थे। नौ के लिए नौका शब्द का प्रयोग भी मिलता है।^२ भाष्यकार ने कहा है कि एक दूसरे पर निर्भर रहनेवाले, अर्थात् इतरेतराश्रय कार्य पूरे नहीं पड़ते। जैसे एक नाव ने बँधी दूसरी नाव परत्तर एक दूसरी को पार नहीं लगा सकती।^३ नावें अरित्र या डाँड़ के सहारे चलती थीं।^४ नावो से पार करनेवाले या नाव चलानेवाले को नाविक कहते थे। नाव द्वारा पार होनेवाला भी नाविक कहा जाता था।^५ नदी को पार करने की क्रिया नदीतर कही जाती थी।^६ नौकाएँ भार टोनेका काम भी करती थी और यात्रियो के ले जाने का भी। जल में इनकी स्थिति शकट के समान थी। राज्य की ओर से घाट पार करने के लिए जो नावे रहती थी, उन्हें 'राजना' कहते थे। राजना राजा की सर्वथा निजी व्यक्तिगत व्यवहार की नाव भी कही जाती थी।^७ माल ले जानेवाली नावें शकटो के समान 'सायँ' बनाकर भी चलती थी। दो या अधिक नौकाओं द्वारा टोई हुई वस्तु द्विनावमय या द्विनावरूप्य कहलाती थी। इसी प्रकार तीन या अधिक नौकाओ से लाई हुई वस्तु के लिए त्रिनावरूप्य आदि शब्दों का प्रयोग होता था। एक-एक व्यापारी अनेक नावें चलाता था। उदाहरणार्थ, पाँच नावे चलानेवाला, अर्थात् पाँच नावो पर माल लादकर लानेवाला पंच-नाववन कहलाता था। कभी-कभी अन्यत्र माल ले जाते हुए व्यापारी मार्ग में उचित शकार पाकर माल बेच देते थे और वहाँ प्राप्त होनेवाला माल दूसरी नाव मे भर लेते थे। उदाहरणार्थ, पाँच नावो से भरा हुआ माल बेचकर दूसरा खरीद लिया हुआ माल 'पंचना' कहलाता था। संबोडा (नाव पर माल लादनेवाले) की सम्पत्ति, अर्थात् नाव पर लदे माल को सांवाहन कहते थे।^८

उडुप—उडुप छोटी नाव थी, जो वर्तमान डोनी के सदृश थी। उडुप से पार करनेवाले को औडुपिक कहते थे।^९ लकड़ी के तख्ते जोड़कर उनपर भी लोग साधारण गहरे जल को पार कर लेते थे। लकड़ी के तख्ते पानी में बहाकर नी एक स्थान से दूसरे स्थान तक

१. ६-३-५८ ।
२. ४-४-९१ ।
३. भा० २, पृ० ८६ ।
४. १-१-१, पृ० १०२ ।
५. ३-२-१८४ ।
६. ४-४-७ ।
७. १-१-२२, पृ० २०५ ।
८. ५-४-९९ काशिका ।
९. वही ।
१०. ४-३-१२०, पृ० २५२ ।
११. ४-४-५

पहुँचाये जाते थे। भाष्य में पाँच सौ उडुपो और पाँच सौ फलकों के एक साथ तीर्ण होने का उल्लेख है।^१

भस्त्रा—भस्त्रा फूले हुए चर्म को कहते थे। पशुओं के पूरे चमड़े को सीकर, जिसके भीतर हवा भरती रहती थी, पानी पर तैराया जाता था। भस्त्रा इनलप के चक्रों के समान पानी पर तैरती थी। भस्त्रा से पार करनेवाले को भास्त्रिक कहते थे।^२ भस्त्रादिगण में उल्लिखित भ्रष्ट सम्भवत फलक जैसा ही होता था। उत्सगादि गण में उत्सग के अतिरिक्त पिटक, उडुप और उत्पट का भी उल्लेख है।^३ उत्सग लकड़ी के बड़े गोले को भीतर से पोपला करके बनाते थे। पिटक वाँस की बनी छोटी नाव, पनसुइया जैसी होती थी। उत्पट मछुओं की लम्बी नाव के सदृश थी।

घटिक—इनके अतिरिक्त घट भी तरण के काम आते थे।^४ चार घटों को उलटकर उनमें लकड़ी बाँधकर उनकी धरनई, जिसे ब्रज भाषा के कवि ने 'धरनाव' कहा है, बना लेते थे। तालाब या झील के बँधे पानी में इसका उपयोग होता था। साम और वेम को भी भाष्यकार ने तरण का साधन माना है।^५ वैल की पूँछ पकड़कर धारा को पार करनेवाले 'गीपुच्छिक' कहे जाते थे।^६

१. ५-१-५९, पृ० ३३३

२. ४-४-१६ ।

३. ४-४-१५ ।

४. घटें तरति घटिकः।—आ० २, पृ० ३९ ।

५. ४१-१, पृ० ६ ।

६. ४-४-६ ।

अध्याय १२

मनोरंजन

मनोरंजन की दृष्टि से सगीत, वादित्र, नृत्य, नाट्य, चित्र और आख्यान का स्थान प्रमुख था। ये सार्वजनिक मनोरंजन के साधन थे। इनके विषय में अन्यत्र विशद रूप से चर्चा की गई है। आख्यान के अन्तर्गत प्रवचन, कथा, कहानी तथा वर्णन आते थे। आख्यान सारी रात चलते थे और लोग बड़े चाव से सुना करते थे।

मृगया—इनके अतिरिक्त मृगया, प्रहरण-क्रीडा, गुप्यावचारिका, उद्यान-यात्रा, बक्षिक्रीडा और आपानक-गोष्ठी का उल्लेख भाष्य में मिलता है। मृगया का प्रचार तो यहाँतक था कि उसका अपना पृथक् शास्त्र बन गया था। मृगया के अन्तर्गत न केवल मृगों का ही अन्वेषण, अपितु समस्त श्वापदों का बव आता है। इक्षीलिण, घोरें-वीरे शिकार के पशु मृग-शब्द के वाच्य बन गये। वास्तव में वे सब पशु, जिनका शिकार अन्वेषणपूर्वक किया जाता था, मृग कहलाते थे। सामान्यतः शिकार धनुष-त्राण द्वारा किया जाता था। मृगया मनोरंजन का भी साधन था और व्यवसाय भी। आखेटक लोग मृगया के लिए कुत्ते पालते थे और श्वापदों का पीछा करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करते थे। कुछ लोग बड़ी सत्या में कुत्ते पालते थे और उन्हें मृगया के लिए किराये पर देते थे। सम्भवतः ये लोग मृगया का एक अश्व श्व-शुल्क के रूप में ले लेते थे। ये लोग 'श्वगणी' या 'श्वगणिक' कहलाते थे।^१ इसी प्रकार कुछ लोग जाल या आनाय रखते थे।^२ जाल को वागुरा भी कहते थे। ये कई प्रकार के होते थे और मृगादि पशु, पक्षी तथा मत्स्य पकड़ने के काम आते थे। जाल भी कुछ शुल्क लेकर मृगयार्थ उधार दिये जाते थे। जाल या वागुरा को किराये पर देनेवाले या मृगया के समय उनका प्रयोग करनेवाले मृतक वागुरिक कहलाते थे। शिकार बहुत कुछ तुरंग पर चढकर की जाती थी और उसके लिए निपानवती, स्थिर (कर्म-विहीन) मृग, गवय तथा पक्षियों से भरी-पूरी अरण्य-भूमि चुनी जाती थी।^३

मृगया को मृगरमण भी कहते थे।^४ इस अर्थ में रजयति क्रिया प्रयुक्त होती थी। उदाहरणार्थ, 'बह मृगो का रजन करता है (रजन नहीं)' यह वाक्य प्रचलित था। मृगरमण के अनुभव इतने मनोरंजक होते थे कि वे वार्ता या गोष्ठी के स्वतन्त्र विषय माने जाते थे।

१. ४-१-११ काशिका ।

२. ३-३-२४ काशिका ।

३. श्वगणिवामुरिकोः प्रथमास्थितं व्यपगतानलदस्यु विवेश सः—स्थिर तुरङ्गमभूमि-निपानवन्मृगवयो गवयोपचित वनम्—रघुवश, ९-१३ ।

४. ६-४-२४, पृ० ४०७ ।

व्याकरण में मृगरमण का ऐसा वर्णन करने के लिए, जो श्रोता में उसे स्वयं देखने की आकांक्षा उत्पन्न करे, स्वतन्त्र वाक्य 'मृगान् रमयति' बनाने का नियम दिया गया है।^१ मृगरमण के विषय में व्याकरण के ये दोनों नियम मृगया की अत्यधिक लोकप्रियता के सूचक हैं। मृगया को लुब्ध-योग भी कहते थे।^२ मृग का शिकार करनेवाला 'मार्गिक' कहलाता था। इसी प्रकार, हारिणिक, सौकरिक, सारगिक, आदि शब्द प्रचलित थे।^३ वाण सपत्र होते थे। वाण से मृग को घायल करना 'सपत्राकरण' कहलाता था। इसी प्रकार वाण को शरीर के आर-पार निकाल देना 'निष्पत्राकरण' कहा जाता था। सपत्र वाण बहुत पीडा पहुँचाते थे, इसीलिए वे 'अतिव्ययन' कहे गये हैं।^४ लुब्धको की भाषा में दाहिनी ओर घायल किया हुआ मृग 'दक्षिणेर्मा' कहा जाता था।^५ दक्षिणाग का आघात उतना घातक नहीं होता, जितना वाम अग का। दक्षिणेर्मा मृग चोट खाकर भी भाग निकलता है। ऐसे मृग की यह विशेष सजा थी। आखेटक लोग बोली से मृग की जाति पहचान लेते थे। कुछ मृग रात्रि में बोलते हैं, कुछ प्रदोष के समय। इसी प्रकार विभिन्न मृगों के बोलने का समय निश्चित होता है। लुब्धक बोली के आधार पर मृगों की जाति पहचानकर उनका शिकार करते थे। निशा में बोलनेवाले मृग नैश या नैशिक और प्रदोष में बोलनेवाले प्रादोष या प्रादोषिक^६ कहलाते थे। इन कालों में बोलनेवाले अन्य पशुओं के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता था।

मृगों के समान पक्षियों का शिकार भी मनोरंजन का साधन था। पक्षियों के आखेटक को पाक्षिक या शाकुनिक^७ कहते थे। विशेष पक्षियों के नाम पर भी उनके आखेटकों के नाम पड़ जाते थे। जैसे—मायूरिक, तैत्तिरिक आदि। पक्षियों के शिकार के लिए आखेटक लोग श्येन पालते थे। श्येन छूटते ही पक्षियों को दबोच लेता है। कभी-कभी क्रीडा के रूप में अनेक पाक्षिक एकत्र होकर अपने-अपने वाज छोड़ते थे, जो पक्षियों को दबोचने के लिए एक साथ उन पर टूटते थे। यह क्रीडा श्येनम्पाता कहलाती थी।^८ जाल या आनाय के सहारे अथवा अन्य साधनों से मछलियाँ पकड़ना भी मनोरंजन का साधन था। मछली का शिकार करनेवाले मैनिक, आफरिक या शाकुलिक कहे जाते थे।^९

प्रहरण-क्रीडा—प्रहरण-क्रीडा भी मनोरंजन का एक महत्त्वपूर्ण अंग थी। लाठी, भाला,

१. मृगरमणमाचष्टे मृगान् रमयतीति। दृश्यार्थायामिति किमर्थम्? यदा हि घ्नाने मृगरमणमाचष्टे मृगरमणमाचष्ट इत्येव तदा भवति ।—३-१-२६, पृ० ७६ ।

२. ५-४-१२६ काशिका ।

३. १-१-६८, पृ० ४३५ ।

४. ५-४-६१ काशिका ।

५. ५-४-१२६ ।

६. ४-३-५१ काशिका ।

७. १-१-६८, पृ० ४३५ ।

८. ६-३-४७१ काशिका ।

९. १-१-६८, पृ० ४३५ ।

तालवार आदि में निम्न व्यक्तित्व पर्वोदि आनन्दोत्सवों पर एकत्र होकर अपने नैपुण्य का प्रदर्शन करने थे। उनमें पक्ष-प्रतिपक्ष अपनी-अपनी विजय का प्रयत्न करते थे। लाठी या दण्ड के प्रहरण जिसे 'श्रीडा' में दिव्याये जाते थे, उसे दण्डा कहते थे। इसी प्रकार मुष्टि-प्रहरण को क्रीडा मोष्टा कहती थी।

मल्लविद्या—मल्लविद्या का महत्त्व उनमें भी अधिक था। मल्ल लोग नियमित अभ्यास, व्यायाम और नयम द्वारा अमावास्या दानित प्राप्ति करने का प्रयत्न करते थे। दो मल्लों की प्रति-योगिता जनमाघाण के मनोरजन का विषय थी। भाष्यकार ने 'मल्ल मल्ल के लिए पर्याप्त है, मल्ल दूसरे मल्ल के लिए समर्थ है' आदि उदाहरण देकर मल्लविद्या के प्रदर्शनों की ओर संकेत किया है। मल्ल लोगों के शौच-पेनों और पकड़ के लिए 'सम्राट्' शब्द का प्रयोग होता था। मुष्टिक भी पकड़ के लिए भी सम्राट् शब्द ही जाता था। मल्लविद्या और मुष्टिक-विद्या बड़ी लोकप्रिय थी। काशिका में भी शर्वा अर्थ में आ-हो धातु का उदाहरण 'मल्लो मल्लमाह्वयते' दी शिया है। शर्वा, शर्वा या पराभिभवच्छा को कहते हैं। इस अर्थ में आह्वान करने पर 'ते' धातु आत्मनेपदी हो जाती है।

पुष्पावचय—पुष्पावचय प्राचीन भारत की अत्यन्त प्रिय क्रीडा थी। इसमें उद्दालक, पुष्पभञ्जिका, शरणपुष्पप्रचायिका, मालभञ्जिका, तालभञ्जिका, जीवत्पुत्रप्रचायिका आदि प्रमुख थी। विभिन्न ऋतुओं में सामूहिक रूप में विविध पर्वों के अवसर पर इन क्रीडाओं का आयोजन होता था। उनमें अन्तिम उत्तरी भारत में प्रचलित थी और शेष पूर्वी भारत में। इनमें ताल को छोड़कर शेष पुष्पचयन से सम्बन्ध रखती थी। ऊँची जाल पर लगे हुए पुष्पों का अधिक परिमाण में चयन करना शर्वा का विषय था। भञ्जिका शब्द जाल में लगे हुए फूलों को तोड़ने और प्रचायिका शब्द भूमि पर गिरे हुए पुष्पों के चयन का बोधक है। कालिदास ने मेघदूत में विदिशा का वर्णन करते हुए पुष्पप्रचायियों का उल्लेख किया है। ये क्रीडाएँ सम्पन्न वर्ग में प्रचलित थी और गुप्त-काल तक इनका प्रचार रहा।

उद्यान-यात्रा—उद्यान या उपवन नगर से बाहर होते थे। लोग सारा दिन वहाँ बिताते थे और मनोरजन के लिए वहाँ अन्य क्रीडाओं का भी आयोजन करते थे। कामसूत्र में इन क्रीडाओं को समस्त क्रीडा या सम्भूय क्रीडा कहा है, जिनमें अनेक लोग एक साथ भाग लेते थे। पुष्पावचय

१. ४-२-४७ काशिका ।

२. २-३-१६, पृ० ४१८ ।

३. ३-३-३६, पृ० ३०३ ।

४. १-३-३१ ।

५. २-२-१७ काशिका ।

६. प्राचा क्रीडायाम्—उद्दालक पुष्पभञ्जिका,। प्राचामिति किम्? जीवत्पुत्र-प्रचायिका। इयमुदीचा श्रीडा ६-२-७४ तथा जीविकार्य इति किम्? इक्षुभक्षिकां मे धारयसि—६-३-७३ काशिका ।

क्रीडाएँ स्त्रियो मे विशेष प्रचलित थी, किन्तु उद्यान-यात्राओं मे पुरुष और स्त्री समान रूप से भाग लेते थे।

आपान-गोष्ठी—आपान-गोष्ठियों की प्रथा पतजलि-काल मे उतनी नहीं थी, जितनी उनके उत्तर काल मे मिलती है। पतजलि के समय मे भी पानागार थे, जिनमे जाकर लोग मद्यादि का सेवन करते थे। उन्होने पानागार मे शौण्ड के पान करने का उल्लेख किया है।^१ पानो मे मधु, मद्य, मँरैय, कापिशायन आदि का प्रचार था, जिनका उल्लेख अन्यत्र हो चुका है।

द्यूत—पान से निकट सम्बद्ध था द्यूत। द्यूत का प्रचार प्राचीन भारत मे बहुत अधिक रहा है। भाष्य मे जितनी वार द्यूत का उल्लेख हुआ है, उतनी वार अन्य किसी क्रीडा का नहीं। द्यूत शब्द दिव् घातु से बना है। ऋग्वेद (२-२९-५) मे द्यूत खेलनेवाले को कितव कहा है। वाजसनेयी संहिता (३०-१८) मे अत्यधिक द्यूत खेलनेवाले को सभास्थूण सजा दी है। महीवर और सायण ने तैत्तिरीय ब्रा० (३-४-१६-१) मे सभा (द्यूतस्थान) में स्तम्भवत् स्थित, अर्थात् सदा खेलनेवाला बतलाया है। द्यूत अक्ष से खेला जाता था। अक्ष विभीतक वृक्ष की लकड़ी से बनते थे और वे दध्नु या भूरे रंग के होते थे।^२ अक्ष खेलनेवाला अक्षद्यू कहलाता था।^३ अक्ष फेकना श्राभ था ग्रह कहा जाता था। इसमे लगाई जानेवाली वाजी विज् कहलाती थी।^४ कुछ लोग अक्षद्यूत मे विशेष निपुणता प्राप्त कर लेते थे और प्रसिद्धि पा जाते थे।^५ कुछ लोग छल और धूर्तता से खेल मे विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। ये लोग अक्ष-धूर्त और अक्ष-कितव कहे जाते थे।^६ अक्षो से खेलनेवाले, जीतनेवाले व्यक्ति और जीती हुई सम्पत्ति सब आक्षिक कहलाते थे।^७ अक्षद्यूत प्रायः वैर का भी कारण होता था। खिलाडी के कैतव या धूर्तता का पता चल जाने पर अथवा जीत। हुआ धन न देने पर द्यूत वैर मे परिणत हो जाता था। यह वैर आद्यद्यूतिक कहलाता था।^८ विजिगीषा ही अक्षद्यूत का उद्देश्य थी। काशिकाकार ने कहा है कि पासे जीतने की इच्छा से ही फेंके जाते हैं। जीतने की इच्छा मे द्यूतशब्द का प्रयोग होता था, अन्यथा दिव् घातु के आगे न्त प्रत्यय लगाने पर द्यूत शब्द बनता था।^९

द्यूत-शलाका—द्यूत शलाकाओ से भी खेला जाता था। अक्षो पर कुछ अक या चिह्न बने रहते थे। यह चिह्न शलाकाओ पर भी होते थे, पर अक्ष घनाकार बनते थे और शलाकाएँ आयताकार। अक्षो की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई बराबर होती थी, किन्तु शलाकाओ का आयाम

१. ३-१-१, पृ० २२८ ।

२. ऋग्वे० ७-८६-६ तथा अथर्व-संस्कृतसंहिता, २०-४-६ ।

३. १-४-२, पृ० १२३ ।

४. ऋग्वे० ८-८१-१ तथा १०-३४-२ ।

५. २-१-१, पृ० २२८ ।

६. २-१-४०, पृ० २९४ ।

७. ४-२-२ ।

८. ४-४-१९ ।

९. ८-२-४९ काशिका ।

चौड़ाई और ऊँचाई में अधिक होता था। खेल में जिसका पर्याय या बार होता था, वह अक्ष या शलाकाएँ 'पट्ट' पर फेंकता था और अक्ष ऊपर होने पर विजयी माना जाता था। यदि पहले फेंका गया पासा सीधा पड़ा और बाद में फेंका गया उलटा, तो उलटे पक्षे और शलाका को अक्षपरि और शलाकापरि कहते थे। खेल में पात्र अक्ष या शलाकाएँ रहती थीं। पात्रों सीधी या पात्रों उल्टी पड़ती थीं, तो फेंकनेवाले की जय होती थी। एक बार जय के पश्चात् एक अक्ष या शलाका उल्टी पड़ी, तो 'एकपरि' शब्द का व्यवहार होता था। इसी प्रकार 'द्विपरि', 'त्रिपरि और अधिक-से-अधिक 'चतुपरि' खेल ही सञ्चता था, क्योंकि पाँचों के सीधे या उलटे पड़ने पर तो जय ही मानी जाती थी। पात्रों की सञ्च्य पाँच होने के कारण इस द्रुत को 'पञ्चिका' कहते थे। शलाका और अक्ष के एकत्रण होने पर ही अक्षपरि और शलाकापरि द्रुत कहलाता था। इस प्रकार अक्षपरि का अर्थ होता था 'अक्ष इन प्रकार ऐसे नहीं पड़े, जैसे पहले पड़े थे।' अक्षपरि आदि शब्द पारिभाषिक थे और कितव व्यवहार में ही प्रयुक्त होते थे। द्रुतक्रीडा का दूसरा नाम कितव-व्यवहार भी था। इसमें जीत के पक्षे को ह्यन और हार के पक्षे को कलि कहते थे। पक्षे नीचे पड़े, तो द्रुत कहलाते थे और उलटे पड़े तो कलि। सीधे पाने फेंकने की क्रिया को 'कृतयति' और उलटे पाने फेंकने की क्रिया को 'कलयति' कहते थे।'

पण या ग्लह—अक्षद्रुत में आक्रीडी लीग जीत के लिए वन या अन्य वस्तुओं की बाजी लगाते थे, जिसे पण या ग्लह कहते थे।^१ अक्ष से भिन्न प्रमंग में ग्रह शब्द प्रचलित था। सी का पणन या व्यवहार साधारण बात थी। पाणिनि ने द्यून के प्रमंग में प्रयुक्त 'व्यवह' और 'पण' वातु के साथ ग्लह वस्तु के लिए पट्टी का विधान किया है।^२ इसी अर्थ में प्रयुक्त दिव् वातु के योग में भी पट्टी होती है।^३ उपमंग पहले रहने पर दिव् वातु के योग में पट्टी विवल्प न होती है।^४ वन के साथ लीग गाय बँलें तक की बाजी लगा देने थे। ब्राह्मण-ग्रन्थों तक में इनका उल्लेख मिलना है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में दिव् वातु के योग में इसी अर्थ में ग्लह वस्तु के लिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग देखा जाता है।^५

१. ३-१-२१ पृ० ५९।

२. ३-३-७०।

३. २-३-५७।

४. २-३-५८।

५. २-३-५९।

६. अक्षेणदं न तथा वृत्तं यथा पूर्वमिति अक्षपरि, शलाकापरि—अक्षशलाकयोश्चैकं वचनान्तयोरिति वचतव्यम् इह भाभूत्, अक्षान्यां वृत्तम् अक्षंवृत्तम्।—२-१-१०, पृ० २७२ तथा पञ्चिकानाम द्रुतं पञ्चभिरक्षं शलाकानिर्वा भवति तत्र यदा सर्वे उस्ताना पतन्त्य-दाञ्चोवा तदा पातयिता जयति। तत्स्यैव विघातोऽन्यथा पाते सति जायते।—बही, काशि०।

७. २-१-१०, पृ० २७२।

८. द्वितीया ब्राह्मणे, २-३-६०; गां प्रदीव्यन्ति, गामस्य तवह सनायां दीव्येयु।—३-२-६०, पृ० ४४८।

'द्वितीया ब्राह्मणे' (२-३-६०) सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार द्वारा दिये गये ब्राह्मण-ग्रन्थ के उद्धरण^१ 'सभा मे उस दिन इसकी गाय का जुआ खेले' से प्रकट होता है कि द्यूतक्रीडा सभा में होती थी। अन्यत्र यह कहा जा चुका है कि प्रायः ग्रामों और नगरों में सभागृह होते थे। ये सभागृह सर्वसाधारण से सम्बन्ध रखनेवाली सभाओं, गोष्ठियों, क्रीडाओं और उत्सवों के काम आते थे। भाष्य में अन्यत्र भी 'सभासन्नयन'^२ शब्द मिलता है। सभा में चतुर या योग्य व्यक्ति सम्य कहा जाता था। वैदिक भाषा में सम्य के लिए 'सभेय' शब्द का व्यवहार मिलता है।^३ इन सभाओं में स्त्रियाँ भाग नहीं लेती थीं। इसलिए, भाष्यकार ने स्त्रियों को लक्ष्य कर कहा है कि 'भली स्त्री सभा में साधु कैसे लग सकती है?'^४

स्त्रियों के मनोरंजन के कुछ अन्य साधन थे। तीज-त्योहारों का जहाँ धार्मिक महत्त्व था, वहाँ सामाजिक भी। इन अवसरों पर घरों में विशेष चहल-पहल हो जाती थी। विशेष पकवान बनाये जाते थे। गाँव भर की स्त्रियाँ एक स्थान पर पूजा के लिए एकत्र होती थीं। ऐसे उत्सवों में गुडापूपिका, तिलापूपिका, बटकिनी और कौलमापी पौर्णमासियों का उल्लेख भाष्यकार ने किया है।^५ इन पौर्णमासियों को गुड के पुए, तिल के पुए या तिल-मिले पुए, वडे और कुल्माप या घुगरी खाने का महत्त्व था।

शारद्यूत—द्यूत के समान ही चौपड का भी प्रचार था। इसमें गलह नहीं होता था, अतः यह विशुद्ध मनोरंजन था। इसके लिए दो वस्तुएँ आवश्यक थीं। आकर्षण,^६ जिसपर चौपड विछाई जाती थी और शार^७, अर्थात् गोठिया। आकर्षण एक चौकोर खानेदार या कोष्ठमय फलक होता था। आकर्षण में कुशल व्यक्ति आकर्षण कहलाता था। गोठियाँ आकर्षण के कोष्ठों में इधर-उधर धूमती थीं। गोठियों का एक खाने से दूसरे खाने में ले जाना 'परिणाय' कहलाता था। परिणाय का अर्थ था चारों ओर ले जाना। पाणिनि शार के खेल को भी द्यूत मानते हैं। काशिकाकार ने कहा है 'परिणाय से शारों को मारता है।' नियमित गति से चलती हुई गोठी यदि विरोधी गोठी पर पड़ी, तो वह उसका हनन करती है। द्यूत से भिन्न अर्थ में परिणाय के बदले परिणय शब्द का प्रयोग होता था। भाष्यकार के मत से आकर्षण के उस भीतरी कोष्ठ को 'अयानय' कहते थे, जिसमें गोठी के पहुँच जाने पर उसे कोई गोठी काट नहीं सकती थी। इस खाने में पहुँची हुई गोठी को अयानयान कहते थे। अय का अर्थ था दायँ और अनय का अर्थ था बाँया। दायँ-बायें चलनेवाली गोठियाँ जिसमें अपने पाँव नहीं रख सकती थीं, उसे 'अयानय' कहते थे। अयानय को जाने योग्य इस अर्थ में 'अयानयान' शार का प्रयोग होता था।^८

१. सभासन्नयनेभव ।—१-१-७३, पृ० ४६० ।

२. ४-४-१०५, १०६ ।

३. कथ नाम स्त्री सभायां साधुः स्यात् ।—४-१-१५, पृ० ४० ।

४. तदस्मिन्नयनं प्रायेण संज्ञायाम्, गुडापूपिका पौर्णमासी, तिलापूपिका—प्राये संज्ञायाम् वटकेभ्य इतिर्वक्तव्यः—वटकिनी पौर्णमासी, ५-२-८२ तथा कुल्माषादञ्, ५-२-८३ पृ० ४०० ।

५. ५-२-६४

६. द्यूते तावत् परिणायेन शारान् हन्ति, समन्तान्नयनेन !—३-३-३७, काशिका ।

७. अयानय नैय इत्युच्यते तत्र न ज्ञायते, कोऽयः कोऽनय इति । अयः प्रदक्षिणम्, अनयः

अक्षर्युत और शारर्युत का प्रचार कितना रहा होगा, यह इस बात से समझा जा सकता है कि इन खेलों से सम्बन्ध रखनेवाले सज्ञा-शब्दों का उल्लेख भाष्य या अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है।

समाज—मनोरञ्जन-क्रीडाएँ सामूहिक रूप से चलती थी, जिनमें भाग लेने के लिए बड़ी सख्या में लोग एकत्र होते थे। क्रीडार्थ एकत्र जन-समुदाय को 'समाज' कहते थे।^१ पशुओं का समुदाय 'समाज' कहलाता था। इस प्रकार, मनुष्यों और पशुओं के समुदाय का अन्तर स्पष्ट किया गया था। आवश्यक नहीं था कि समाज मनोरञ्जन के लिए ही हो, किसी भी प्रकार के जन-समवाय समाज कहलाते थे। विचार-गोष्ठी के लिए भी समाज होते थे। समाज जहाँ एकत्र होता था उसे 'समज्या' कहते^२ थे। भाष्यकार ने भी उस स्थान को समज्या कहा है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। इस प्रकार समज्या, सभा और समाज प्रायः समानार्थी जान पड़ते हैं। इस अर्थ में समवाय^३ शब्द का भी प्रचलन था। भाष्यकार ने कहा है कि समाज, समाश और समवाय में 'वैठिए' कहने पर स्वयं प्रत्येक व्यक्ति बैठ जाता है, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति से बैठने को नहीं कहा जाता।^४ परिपद्य^५ इससे बड़ी सख्या थी, जिसमें किसी विषय पर विचार-विमर्श के लिए ही लोग एकत्र होते थे।^६ भाष्यकार ने समवाय में समवेत होने, अर्थात् समवाय में जाकर उसका एक अंग बन जाने की चर्चा की है।^७ समवाय में समवेत होनेवाले सामवायिक, समाज में जानेवाले सामाजिक और परिपद्य के सदस्य 'पारिपद्य' कहे जाते थे।^८ सभा के सदस्य के लिए 'सम्य' शब्द प्रचलित था। समवाय और समाजादि के सरक्षक दर्शकों से भिन्न होते थे। इनका काम इस प्रकार के सगठनों की व्यवस्था एवं दायित्व सँभालना था। ये लोग भी सामवायिक और सामाजिक ही कहे जाते थे।^९

इस प्रकार, हम देखते हैं कि कलाओं के अतिरिक्त सामूहिक या वैयक्तिक क्रीडाएँ मनोरञ्जन का मुख्य साधन थी। क्रीडाओं में प्राच्य, उदीच्यादि देश-भेद से अन्तर था। क्रीडा में भाग लेनेवाले को आक्रीडी कहते थे।^{१०} वालको की क्रीडा का भाष्य में अलग उल्लेख किया है। क्रीडा के साथ सक्रीडा, परिक्रीडा, आक्रीडा, अनुक्रीडा आदि शब्दों का भी प्रचलन था।^{११}

प्रसव्यम् । प्रदक्षिणप्रसव्यगामिनां शाराणा यस्मिन् परं: पदानामसमावेशः सोऽयानयः । अयानयं नेयोऽयानयोः शारः ।—वही ।

१. ३-३-६९, काशिका ।

२. समजन्ति तस्यां समज्या, ३-३-९९, पृ० ३१३ ।

३. ३-३-६९ काशिका ।

४. समाजेषु समाशेषु समवायेषु चास्यतामित्युक्ते न चोच्यते प्रत्ययात्ममिति प्रख्यातं चासते, १-१-५० पृ० ३०९ ।

५. ३-३-९९, पृ० ३१३ । ६. ४-४-४३ का ।

७. ४-४-४४

८. ६-४-३३ काशिका० ।

९. ३-२-१४२ । १०. १-३-२१ पृ० ६२ ।

खण्ड ४
आर्थिक स्थिति

अध्याय १

कृषि

कृषि का अर्थ—पतञ्जलि के समय में कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय था। भाष्य में स्थान-स्थान पर जो उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें से अधिकांश कृषि-व्यवसाय और ग्रामीण जीवन से सम्बद्ध हैं। कृषि शब्द 'कृष्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है कूँड बनाना या जोतना। मराठी में इसके लिए बहुत उपयुक्त शब्द प्रयुक्त होता है 'नागरना।' पतञ्जलि के समय तक कृषि शब्द में उन सब क्रियाओं का अन्तर्निवेश हो चुका था, जो आज इस व्यवसाय के अन्तर्गत गिनी जाती हैं। इनमें जोतना, खोदना, बोना, निराना, काटना, गाहना, सलाना आदि सभी कार्य आ जाते हैं। 'हितुमति च' (३-१-२६) सूत्र का भाष्य करते हुए पतञ्जलि ने कहा है कि कृष् धातु के अर्थ के भीतर बहुत-सी क्रियाएँ आती हैं। कृष् केवल जोतने के अर्थ में ही प्रयुक्त नहीं होता, उसका अर्थ प्रतिविधान भी है। जोतनेवाले को खिलाना-पिलाना, बीज तथा वैलो की व्यवस्था या प्रतिविधान करना भी कृषि के अर्थ के भीतर है। जिस दिन वह उक्त बातों का प्रवन्ध नहीं करता, उस दिन कृषि का कार्य ही नहीं हो पाता। इसका अर्थ यह हुआ कि कृषक केवल जोतनेवाला ही नहीं, जुताई करानेवाला भी माना जाता था। इसी सूत्र के भाष्य में आगे चलकर उन्होंने कहा है—'एकान्त' में चुपचाप बैठे हुए पुरुष के लिए भी लोग कहते हैं कि यह पाँच हलो की खेती करता है। ऐसे प्रसंग में कहना चाहिए कि पाँच हलो की खेती करवाता है।' इस शका का समाधान करते हुए वे कहते हैं कि कृष् धातु में अनेक क्रियाएँ सम्मिलित हैं। इसलिए, पाँच हल चलाता है, यह कहना भी उपयुक्त है; क्योंकि वह स्वयं हल न चलाकर हल चलाने के साधन प्रस्तुत करता है।

कृषक—त्रैल और हल कृषि के मुख्य साधन थे। जहाँतक कृषि-क्रियाओं का सम्बन्ध है, उन्हें किसान स्वयं करता था या वेतन देकर भूतकों से करवाता था। किसान के लिए कृषीवल शब्द का व्यवहार होता था। वर्तमान किसान शब्द या तो कृपाण (कृष्+शानच्) का अपभ्रंश रूप है या ऋग्वेद के कीनाश शब्द से कालांतर में वर्ण-विपर्यय होकर विकसित हुआ है। अधिक

१. नानाक्रियाः कृषेरर्थः। नावदयं कृषीर्वलेखन एव वर्तते। किं तद्दि ? प्रतिविधानेऽपि वर्तते। यदसौ भक्तबीजबलीवर्द्धः प्रतिविधानं करोति सोऽपि कृष्यर्थः। अतश्च प्रतिविधानेऽपि वर्तते।—३-१-२६, पृ० ७३।

२. वही, पृ० ७३।

३. ५-२-११२।

४. ऋग० ४-५७-८।

छड़ों का होना सौभाग्य का सूचक माना जाता था और तदर्थ गुरुजन आशीर्वाद भी देते थे।^१ जिसके पास हल न होता, उसे अहल, अपहल, अपसीर या अपलागल कहते थे। जिसका हल खराब होता, उसे दुर्हल और जिसका हल अच्छा होता, उसे सुहल कहते थे। मराठी का 'नागर' संस्कृत ागल का अपभ्रंश रूप जान पड़ता है। संस्कृत हलयति, अजहलत्,^२ आदि के समान मराठी में नागर (हल) शब्द का व्यवहार क्रियारूपों में भी होता है।

भूमि—हल से जोती जानेवाली भूमि हल्या^३ कहलाती थी। जुता हुआ खेत सीत्य^४ कहा जाता था। अहल्य भूमि, ऊपर^५ (रेह या नमकीन मिट्टीवाली) होती थी। गोचर (चरागाह) ज (पशुशालाएँ) और गोष्ठ (वाड़े) ऊपर भूमि में होते थे।^६ क्षेत्रोंको केदार^७ भी कहते थे। केदारों का समूह कैदार्य, कैदारिक या कैदारक कहा जाता था। हल्य भूमि शुनासीरीय^८ भी कही जाती थी, क्योंकि शुन (वायु) और सीर (आदित्य) उसके देवता माने जाते थे। एक हल से गौती जाने योग्य भूमि हल्या^९ और दो या तीन हलों से जोती जानेवाली द्विहल्या या त्रिहल्या कही जाती थी। मजबूत बैलोंवाले लोग सामान्य कृषकों की अपेक्षा एक हल से अधिक भूमि खेती कर लेते थे। यह भूमि परमहल्या या परमसीत्या कही जाती थी।^{१०} सामान्यतया जोतने योग्य भूमि को कर्ष कहते थे।^{११} एक हल होना सामान्यतः परिवार की निर्बन्तता का सूचक था। केवल असहाय लोग एक हल चलाते थे। सम्पन्न परिवार कई-कई हलों की खेती करते थे।

क्षेत्रों के नाम—हल्य भूमि क्षेत्रों में विभक्त थी। क्षेत्रों के नाम दो प्रकार से निश्चित किये जाते थे— उनमें बोई जानेवाली फसल के आधार पर और खेत में पड़नेवाले वीज के परिमाण के अनुसार। जिस खेत में किसी वान्य का एक प्रस्थ वीज बोया जाता था, उसे प्रास्थिक कहते थे।^{१२} उसी प्रकार खारिक और द्रीणिक क्षेत्र होते थे। पात्र, कुम्भ, उष्ट्रिका आदि माप थे, जिनमें से खेत में वीज डाला जाता था। इन सबके निश्चित परिमाण थे। पात्र, कुम्भादि परिमाण ही थे। खेतों का नाम भी इनके आधार पर पात्रिक आदि पड़ जाता था।^{१३} भाष्य में मापकुम्भवाप तथा

१. ६-३-८३, पृ० ३५३।

२. ३-१-२१, पृ० ५९, ६०।

३. ४-४-९७।

४. ४-४-९१।

५. ५-२-१०७।

६. ३-३-११९ तथा ५-२-१८।

७. ४-२-४०, पृ० १७९।

८. ४-२-३२।

९. ४-४-९७।

१०. १-१-७२, पृ० ४५४।

११. ४-४-९७ तथा ६-१-१५९, पृ० २०४।

१२. ५-१-४५ का०।

१३. ५-१-४६ काशिका।

उष्ट्रिका-आवपन के उल्लेख मिलते हैं। फसल के अनुसार खेतों के मीदगीन (जिसमें मूंग बोई गई हो), व्रैह्य (व्रीहिवाला), शालेय (धान का खेत), यव्य (जिसमें जौ बोये जायें), यवक्य (जई का खेत), षण्टिक्य (साठी धानवाला), तिल्य या तैलीन (तिलवाला) माष्य या भावीण (उरद की फसलवाला), भाग्य या भागीन (पटसन का खेत), उम्य या औमीन (अलसी का खेत) और अणव्य या आणवीन (ज्वार-वाजरा का खेत) आदि नाम होते थे।^१ जिस खेत में फसल बोई जाती थी, उसे 'वाप' कहते थे।^२

कर्ष या जोत—भूमि तो कृषि का आधार ही है। इसी की जुताई को पतंजलि ने 'हलस्यं कर्ष' कहा है। हल चलने से भूमि में जो कूंड बनता है, उसे सीता कहते थे। एक ही खेत में दो, तीन, चार या अनेक वार जुताई की जाती थी। जोत उलटी भी होती थी। एक पुरुष हल की मूठ पकड़े हुए बैलो के पीछे चलता था और दूसरा उसके पीछे-पीछे खेत में बीज छोड़ता जाता था। दोहरी तेहरी, उलटी जोत और वपन के साथ जोत की क्रिया को 'द्वितीया करोति', तृतीया करोति, 'शम्बा करोति' और 'दीजा करोति' कहते थे।^३ दोहरी गहरी या दुबारा जोत के द्वारा खेत की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसी दोहरी जोत के लिए 'द्विगुणा करोति क्षेत्रम्' प्रयोग भी प्रचलित था।^४ जोतने के लिए विलेखन शब्द का व्यवहार होता था। जोतने के बाद खेत की आर्द्रता की रक्षा के लिए काष्ठ द्वारा खेत की मिट्टी बराबर कर दी जाती थी। अन्यथा खेत की भीतरी मिट्टी सूख जाने पर बीज के न उगने का भय रहता था। मिट्टी के समीकरण की यह क्रिया कृषक एक लम्बे भारी काष्ठ को रस्सी में बाँधकर और उसमें बैल नाथकर स्वयं लकड़ी पर खड़ा होकर करता था।^५

जोतने के लिए बैल युग या जुये में नाथे जाते थे, इसीलिए बैलो को युग्य कहते थे। जुये में जुते हुए बैल गाँव से दो कोस तक की दूरी पर जाकर खेत जोतते थे; क्योंकि प्रायः गाँवों के क्षेत्रफल में इतनी दूर तक की हल्य भूमि सम्मिलित रहती थी। कभी-कभी पड़ोस के कृषक के साथ खेती में साझा होने के कारण भी इतनी दूर जाकर जोतना-बोना पड़ता था। जुये में जुते बैल जितनी दूर तक जाकर खेत जोतते थे, वह दूरी 'गव्युति' कहलाती थी, जो लगभग दो कोस होने के कारण पहले आनुमानिक और बाद में दो कोस की निश्चित सज्ञा बन गई।

खेतों के कोने जो हल से नहीं जोते जा सकते थे, खोद दिये जाते थे। जिस औजार से कोने खोदे जाते थे, उसे आखन, आखान, आख, आखर, आखनिक या आखनिककवक कहते थे।^६ नामों में यह अन्तर स्थान-भेद के कारण आ गया था।

१. ५-२-१ से ५-२-४, पृ० ३६७, ६८।

२. ५-१-४५।

३. ६-१-१५९, पृ० २०४।

४. ५-४-४८।

५. ५-४-५९।

६. १-४-४९, पृ० २९८।

७. ३-३-१२५, पृ० ३१९।

वपन—भाष्यकार ने वपन का उल्लेख अनेक वार किया है तथा इस व्यक्ति ने बौलो के सहारे खेत बोये, उरद बोनेवाली,^१ ब्रीहि बोनेवाली, घड़े भर उरद^२ या ब्रीहि बोये जाने योग्य खेत, उरद का वपन आदि।^३ दो धान्यो को एक साथ मिलाकर बोने की भी प्रथा थी। किसान लोग उरद और तिल मिलाकर बोते थे^४। खेत उरद बोने के लिए तैयार किया जाता था। उसमे धान्य के रूप में उरद बोये जाते थे, किन्तु गौण रूप से तिल भी बो दिये जाते थे।^५ यदि उरद के साथ तिल भी हो गये तो अच्छा, अन्यथा कोई विशेष हानि नहीं। तिल का बीज ही कितना पड़ता है।

फसलों के नाम—खेतों के समान फसल के नाम भी उनके बोये या काटे जाने की ऋतु या काल के अनुसार निश्चित किये गये थे। तैत्तिरीयसंहिता (७-२-१० तथा ५-१-७) में फसलों का समय दिया हुआ है। यव गरमी में तथा धान वसन्त में बोये जाते थे और वर्ष में दो फसलें काटी जाती थी। हेमन्त में बोये जाने के कारण जौ को हेमन्तिक कहते थे,^६ शरद में पकने के कारण शालि शारद कहलाते थे।^७ ग्रीष्म में पकने के कारण गेहूँ, अरहर आदि ग्रीष्म या ग्रीष्मक अन्न कहे जाते थे। गरमी में बोये जानेवाले ब्रीहि भी ग्रीष्म थे। वर्षा में मार्ग प्राय अवरुद्ध रहते थे। शरद आते ही नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। मार्गों का कर्दम सूख जाता है। व्यापारी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रथ और गाड़ियाँ जोती जाने लगती हैं। यह मूहत्तं शरत्पूर्णिमा को होता था। इस दिन घोड़े रथ में जोते जाते थे, इसीलिए शरत्पूर्णिमा को आश्वयुजी भी कहते थे। आश्वयुजी को बोये जानेवाले उरद आदि अन्नो का नाम आश्वयुज था।^८

सिंचाई—भाष्य में कई स्थानों पर खेतों की सिंचाई का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लेख है। बौने के बाद खेतों को सींचने की आवश्यकता होती थी। सींचने तथा खाद डालने की प्रथा वैदिक काल से ही चली आती थी। ऋग्वेद में खाद को कारिप और सिंचाई को खनित्रा कहा है।^९ खाद गोमय की होती थी। भाष्य में कारीप तथा आरण्य गोमय का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वर्षा (७-१०१-३, १०-१०५-१ आदि) के लिए तथा उर्वरता बढ़ाने के लिए अनेक स्थानों पर प्रार्थनाएँ मिलती हैं। बहुत-सी सिंचाई तो वर्षा से हो जाती थी। खेती के लिए वर्षा पर अधिक निर्भर रहना पड़ता था। मेघ कृपको के देव थे। सस्कृत-साहित्य में उन्हें बार-बार देव

१. ४-१-४८, पृ० ६० तथा ८-४-११, पृ० ४८०।
२. ८-४-१३, पृ० ४८१।
३. ८-२-१, पृ० ३३१ तथा १-४-४७, पृ० २८९।
४. तिलैःसह माषान् वपति। तिलैर्मिश्रीकृत्य माषा उप्यन्ते।—२-३-१९, पृ० ४२१।
५. यवा तु खलु कस्यचिन्माषवीजावाप उपस्थितस्तदर्थं च क्षेत्रमुपाजितं तत्रान्यदपि किञ्चिदुप्यते यदि भविष्यति।—२-३-१९, पृ० ४२१।
६. ४-३-४४।
७. ४-३-४३।
८. ४-३-४५।
९. वैदिक इण्डेक्स भाग १, पृ० १८२।

कहा है।^१ घानो के लिए वर्षा ही मुख्य आधार थी, इसलिए भाष्य में एक व्यक्ति कहता है कि यदि देव बरस गया, तो घान हो जायेंगे। इस पर दूसरा कहता है कि इस वाक्य में सुधार की आवश्यकता है। यो कहो कि पानी बरसा, तो समझो घान हो गये। बरसे हुए पानी की माप किसान अपने ढग से करते थे। कपडे भीगने भर को बरस गया^२, गौ के खुर का गड्ढा भरने भर को बरसा^३, चूहे के बिल भरने योग्य बरसा^४, या हल के कूंड-भर बरसा^५, इस तरह के उल्लेख भाष्य और काशिका में मिलते हैं।

नदियों से भी सिंचाई करने की प्रथा थी। हो सकता है, कुल्या नदियों से निकाली जाती हो। तालाबों से तो निकाली ही जाती थी। कुछ नदियों के तट खेती के योग्य होते थे। नदी-तट पर बोई गई फसल आज के समान तब भी नदी से ही सींची जाती होगी, इसीलिए, भाष्यकार ने शालि को देविका-मूल कहा है।^६ देविका (नदी) के तट पर बोये जाने से ही यह नाम पडा था।

सिंचाई का तीसरा साधन था छोटी-छोटी नहरे, जिन्हे कुल्या कहते थे। गहरे गड्ढे या कुएँ खोदकर, नालियाँ और नहरे बनाकर उनसे सिंचाई का काम लिया जाता था। भाष्यकार ने कहा है कि शालि (घान) के लिए नालियाँ बनाई जाती हैं। उनसे पानी पिया जाता है, स्नान किया जाता है और घान सींचे जाते हैं। तालाबों को बाँधकर उनके पानी से सिंचाई की व्यवस्था शासन भी करता था। गिरनार के सुदर्शन तडाग का निर्माण तो मौर्यकाल में ही हो गया था।

कुएँ सिंचाई के प्रमुख साधन थे। सबसे अधिक सिंचाई कुओं से होती थी। बापी और कुएँ प्रत्येक गाँव में होते ही थे। सिंचाई के लिए छोटे-छोटे कुएँ भी आवश्यकतानुसार बना लिये जाते थे। शकन्धु और कर्कन्धु का उल्लेख भाष्य में हुआ है। विपासा के दोनों ओर के किनारों के कुओं का उल्लेख पाणिनि ने किया है। प्रत्येक गाँव में कुछ लोग सिंचाई का काम करने में निपुण होते थे। ये लोग 'भृति' पर काम करते रहे होंगे। इनके कामों में कुल्याओं का प्रणयन और कूप-खनन भी था। भाष्य में एक ऐसे गाँव की ओर संकेत है, जिसे छोड़कर सेचक लोग चले गये हैं^७। कूप-खनन को लेकर कूप-खानकन्याय ही बन गया था। कुआँ खोदता हुआ आदमी यद्यपि मिट्टी और धूल से ढक जाता है, किन्तु कुएँ में पानी निकल जाने पर उसे वह सुविधा प्राप्त हो जाती है

१. देवश्चेद्वृष्टो सम्पत्स्यन्ते शालय इति। स उच्यते संवं वीचः। सम्पत्ताः शालय इत्येवं ब्रूहि।—३-३-३३३, पृ० ३२४।

२. चेलवनोपं वृष्टो देवः।—३-४-३३, पृ० ३६०।

३. गोष्पद वृष्टो देवः।—४-३-३२, पृ० ३६०।

४. ४-३-३२ काशिका।

५. वही।

६. ७-३-१, पृ० १७१।

७. ८-३-६५, पृ० ४५०।

कि घूल-मिट्टी का दोष तो दूर ही हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत-सा कल्याण होता है।^१ इसी को कूपखानकन्याय कहते थे। इस कथन में अन्य 'बहुत-सा कल्याण' यह कथन सिचाई की ओर ही संकेत करता है। आमों के सींचे जाने का उल्लेख भी भाष्य में मिलता है।^२ बावडियों से सिचाई का काम किया जाता होगा।^३ उदकोदवन,^४ वारिन्त्रम्^५ और खण्डिकादिगण में पठित युग-वरत्रा से पता चलता है कि भाष्य-काल में वैलो के सहारे रहट से पानी निकालकर सींचने की प्रथा थी। युग-वरत्रा जुए में बँधी हुई रस्सी या वरत को कहते हैं। उदकोदवन वालटी का दूसरा नाम है। गोचर्म, उष्ट्राजिन आदि का उपयोग पानी सींचने के लिए होना सम्भावित है। 'रस्सी कुएँ से ऊपर खींचता है'^६ आदि कथन केवल रस्सी से पानी खींचने का बोध कराते हैं। दक्षिणापथ में तालाबों की अधिकता थी। वहाँ बड़े तालाबों को सरसी कहते थे।^७ ये सरसियाँ आज के समान तब भी सिचाई का साधन थी।

कमी-कमी वर्षा के बादल साथ नहीं देते थे।^८ कुएँ, बावड़ी, तडाग सब सूखने लगते थे। पर्जन्य महोषा होते हुए भी करुणा-जल की वर्षा नहीं करते थे। भाष्य में एक स्थान पर केवल त्रिगर्त छोड़कर शेष चारों ओर वर्षा होने की चर्चा है।^९ ऐसी स्थिति में लोग वर्षा के लिए पूजा-पाठ करते थे। भाष्य में जप के बाद^{१०} या साकल्य की सहिता^{११} के पाठ के बाद वर्षा का होना बतलाया गया है।

इस प्रकार सींचने से उपज कई गुनी बढ़ जाती है। भाष्य में कहा है कि धान का एक बी वीज फल-फूलकर अच्छी तरह पक गया, तो कृषक को सम्पन्न बना देता है^{१२}।

१. शाल्यर्थकृत्याः प्रणीयन्ते, ताम्यश्च पानीयं पीयते, उपल्प्यते शालयश्च भाव्यन्ते।—
१-३-१२ पृ० ५४ तथा १-१-२३, पृ० २१२; कृष्णखनन् यद्यपि मृदा पांसुभिश्चावकीर्णो भवति सोऽप्सु सञ्जातासु तत एव तं गुणं समासादयति येन स दोषो निर्हण्यते भूयसा चाम्युदये योगो भवति।—आ० १, पृ० २४।

२. आ० १, पृ० ३१।

३. आ० १, पृ० १९।

४. ३-३-१२३, पृ० ३१८।

५. ५-१-२, पृ० २९४।

६. १-३-२८, पृ० ६५।

७. १-१-१९, पृ० १९०।

८. ४-३-२५, पृ० २३१।

९. ५-४-१३१, पृ० ५११।

१०. ८-१-५, पृ० २७०।

११. जपमनु प्रावर्षत्।—२-३-८ का० तथा शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्।—
१-४-८४, पृ० २००।

१२. वही।

१३. एको वीहिः सम्पन्नः सुमिक्षं करोति।—१-२-५८, पृ० ५५८।

खेतों की रक्षा—खेतों की रखवाली कृषि का महत्त्वपूर्ण अंग है। भाष्य में कई स्थानों पर पशुओं द्वारा खेतों के खाये जाने की चर्चा है। शालि-क्षेत्रों में पशु अधिक नहीं जाते थे, किन्तु जी, उरद और गेहूँ के लहलहे खेत उनके लिए विशेष आकर्षक होते हैं। वैलगाड़ी या हल में जुते हुए बैल भी पास के खेत में मुँह मार देते हैं।^१ फसल को चार स्थानों से हानि का डर रहता था—चौर, पालतू पशु, वन्य पशु और पक्षी। पक्षियों से खेत को बचाने के लिए खेतों में चचा (घास का आदमी) खड़े किये जाते थे, जिनके डर से पक्षी, सियार, मृग आदि नहीं आते थे।^२ जन-साधारण में यह विश्वास था कि वृक्षों में जीव होता है और हरी वनस्पति को हानि पहुँचाना जीव-हिंसा है। यह धारणा भी पालतू पशुओं से खेतों की रक्षा में सहायक थी। राज्य की ओर से भी कड़ाई बरती जाती थी और खेतों में पशु छोड़नेवालों को कड़ा दण्ड दिया जाता था। पशुपालक उरद के खेतों से गाय-बैलों को दूर रखता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि गायें खेत में गईं, तो घान्य का नाश होगा। इसमें अधर्म भी है और राजदण्ड का भय भी।^३ फिर भी, मृग, नील गाय आदि आरण्यक प्राणी तो खेत खा ही जाते थे। चचा का भय धीरे-धीरे कम हो जाता था, किन्तु कोई-कोई उनके डर से घान्य बोना बन्द नहीं करता था।^४ उनकी रक्षा के लिए रखवाले नियुक्त कर दिये जाते थे। भाष्य में यवपाल का नाम आया है।^५

देवी आपत्तियों से रक्षा के क्या साधन थे, यह तो मालूम नहीं है, किन्तु अनुभव के आधार पर कृपक भावी विपत्तियों का पूर्वानुमान अवश्य कर लेते थे और समय रहते उनके लिए तैयारी कर लेते थे। उदाहरणार्थ, वे जानते थे कि बादल उनमें और कपिलवर्णा विजली कौंधी, तो तेज वायु चलेगी। यदि लाल कौंध हुई, तो तेज बूष निकलेगी। पीली कौंध फसल के लिए हितकर होती है। किन्तु, यदि कौंधती विजली का रंग सफेद हुआ, तो दुर्भिक्ष पड़ता है।^६

काटना—पकी फसल की कटनी को लवन, लाव या अभिलाव कहते थे और काटनेवाले को लावक। जब फसल बहुत पक जाती थी, तब उसे 'अवश्यलाव्य' कहते थे।^७ काटने के लिए एक खेत में बहुत-से लोग जुटा दिये जाते थे, जिससे सारा खेत एक ही दिन में कट जाय। काटनेवाले कुछ तो भाग या अंश भूति के रूप में लेकर काटते थे और कुछ बदले में कटवाने के लिए

१. वहल्लिहो गीः—१-१-४७, पृ० २९१।

२. १-१-५२, पृ० ५५५।

३. सावेभ्यो गा चारयति। पश्यत्यथ यदीमा गावस्तत्र गच्छति ध्रुव सत्यविनाशः। सत्यविनाशोऽधर्मः। राजभय च।—१-४-२७, पृ० १६४ तथा १-४-५२, पृ० १८३।

४. न च मृगाः सन्तीति यवा नोप्यन्ते।—१-१-३९, पृ० २५३।

५. ६-२-७८।

६. वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी।

पीता भवति सत्याय दुर्भिक्षाय सिता भवेत् ॥—२-३-१३, पृ० ४१७।

७. १-१-३, पृ० ११७ तथा आ० २, वा० ७ तथा १-१-५०, पृ० ३०५।

८. १-३-३६, पृ० ६०।

काटते थे।^१ भाष्य मे इन दोनों प्रकारो का कथन है। कुछ धान्य काटे जाते थे और कुछ जड़ से उखाड़े जाते थे।^२ जौ काटे जाते थे।^३ कभी वाले काटकर काण्ड वाद मे भी काट लिये जाते थे।^४ उबड़-भूंग जड़ से उखाड़े जाते थे।^५ काटने का काम हूसिये से किया जाता था, जिसे प्राच्य प्रदेश मे दाति और उत्तरप्रदेश मे दात्र कहते थे।^६ अन्न के समान शरकाण्ड आदि भी काटे जाते थे, जो छप्पर बनाने के काम आते थे। खेत काटने से जो वालें या दाने भूमि पर गिर जाते थे, उन्हें सिल या कण कहते थे।^७ इन कणो को वीनने का नाम उच्छ था।^८ प्रदेशो के अपने लवन का ढग भी भिन्न था। कोई सींचे काटता और लून धान्य को एक पक्ति मे रखता था। कहीं एक-एक क्यारी को काटने की प्रथा थी। भद्र जनपद के लोग लून धान्य को अव्यवस्थित फेंकते जाते थे।^९ ईख, अरहर या अन्य कडी फसल को 'स्तम्बलून' से काटते थे।^{१०} यह गडास या उसके जैसा औजार होता था। कभी-कभी लोहे की छड़ें मारकर भी ये खेत गिरा दिये जाते थे। हो सकता है, यह कुल्हाड़ी-जैसा कोई औजार हो। इसे स्तम्बधना, स्तम्बहेति या स्तम्बहनी कहते थे। काटा हुआ धान्य पूलो मे बाँधकर एकत्र किया जाता था।^{११} कटी हुई फसल बड़े-बड़े ढेरों मे एकत्र कर दी जाती थी। एकत्र किये हुए धान्य की गो आदि की आकृतियाँ बना दी जाती थी, जिन्हे धान्यगव कहते थे। इसी प्रकार, तृणादि भी काटकर पहचानने के लिए सिंहादि की आकृति मे एकत्र कर दिये जाते थे, जो तृण-सिंह कहलाते थे।^{१२}

खल्य—कटने के बाद सारी फसल एक स्थान मे एकत्र की जाती थी। कटी फसल को खल और उसके स्थान को खल्य कहते थे।^{१३} खल्य स्थान का अपभ्रंश रूप खलिहान आज भी प्रचलित है। खल्य का अर्थ खल के लिए उपयोगी होता है। खलो के समूह को खल्या या खलिनी कहते थे।^{१४} गाँव के सब या अधिकाग किसान अपनी सारी फसल एक ही खल्य मे रखते थे। खल्य

१. १-३-३६, पृ० ६० ।
२. २-३-७०, पृ० ४५७ ।
३. वही ।
४. ३-२-१, पृ० २०४ ।
५. ४-४-८८ का० ।
६. आ० १, पृ० २१ ।
७. ३-२-१, पृ० २०४ ।
८. ४-४-३२, काशिका ।
९. १-४-३, पृ० १३१ ।
१०. उपस्कारं भद्रका लुनन्ति ।—६-१-१४०, प० १९० ।
११. ३-३-८३, पृ० ३१० ।
१२. २-४-३०, पृ० ४७६ ।
१३. ६-२-७२ काशिका ।
१४. ५-१-७ ।
१५. ४-२-१०, पृ० १८४ ।

स्थान प्रत्येक गाँव का निश्चित रहता था। सारी फसल एकत्र रखने में सुरक्षा की सुविधा रहती थी। कुछ धान्यो का अवहनन होता था। अवहनन के लिए उलूखल रहते थे।^१ शेष को बैलो द्वारा गाहन किया जाता था। उत्तर भारत में आज भी इस क्रिया को गाहना ही कहते हैं। गाहते समय धान्य को बार-बार पलटना होता है, जिससे नीचे दबा हुआ धान्य ऊपर आकर कट सके और छोटा-छोटा भुस बन सके। पलटने की यह क्रिया लकड़ी से बने एक विशेष साधन से की जाती है, जिसमें अगुली की आकृति की तीन या पाँच लकड़ियाँ लगी रहती हैं। इसे द्व्यगुल (यदि दो लकड़ियाँ हों), अगुल या पचागुल दारु कहते थे।^२

निष्पाव—गाही हुई फसल सैलायी जाती थी। सैलाने की क्रिया निष्पाव कहलाती थी। निष्पाव वायु अथवा बड़े शूपो के सहारे होता था।^३ राशि छोटी हुई, तो शूपो से काम चल जाता था, अन्यथा वायु में भूसा उड़ाना पड़ता था। धान फटकने का काम भी शूप-निष्पाव ही कहलाता था। फटकने के बाद धानो एव अन्य धान्यो की राशि लगा दी जाती थी।^४ कमी-कमी धान्य-राशियो का परिणाम सौ-सौ हजार खारी तक होता था।^५ तिल और तण्डुलो के डेर का भाष्य में उल्लेख है।^६ तण्डुल तो उलूखल में अवहनन द्वारा ही तैयार किये जाते होंगे। निष्पाव भी भूति पर आदमी नियुक्त करके अथवा बदले में करवा देने के आश्वासन पर कराया जाता था। देवदत्त का धान्य लोग सैला रहे हैं,^७ परस्पर एक दूसरे का निष्पाव कर रहे हैं—ये कथन भाष्य में आये हैं। इसी प्रकार खल में पड़े हुए जौ, भुस कटे हुए जौ, भुस नष्ट हुए तथा नष्ट होते हुए जौ और भुस के लिए निपातन द्वारा निष्पन्न शब्द भाष्य में आये हैं।^८ सहृतयव, सङ्घ्नियमाण यव, सहृतवुस और सङ्घ्नियमाण वुस का भी भाष्यमें उल्लेख है।^९ ये समस्त शब्द खल की क्रमिक प्रक्रियाओं के सूचक हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि अन्न की राशि एकत्र कर लेने के बाद भूसा एकत्र किया जाता था। 'खले वुसम्' उस स्थिति की ओर इंगित करता है, जिसमें भूसा खलिहान में ही पड़ा रह गया है।

कमी-कमी साधनहीन निर्धन के लिए यह कठिन हो जाता था कि वह सारी फसल के कटकर गाहे जाने और सैलाने तक प्रतीक्षा करे। घर में अन्न की कमी उसे बीच-बीच में खेत से थोडा-थोडा धान्य काट लेने को बाध्य करती थी। वह थोडा-बहुत अनाज काटकर घर ले आता और

१. २-१-३६, पृ० २८८ ।
२. ५-४-११४, काशिका ।
३. ३-३-२०, पृ० २९९ ।
४. ३-३-२०, पृ० २९८, ९९ ।
५. ५-१-५८ पृ० ३२७ ।
६. ३-३-२०, पृ० ३८९ ।
७. देवदत्तस्य धान्यं व्यतिपुवते ।—१-३-१४, पृ० ५७ ।
८. १-३-१६, पृ० ६० ।
९. २-१-१७, पृ० २७५ ।
१०. वही ।

वहाँ पीट-पाटकर अनाज निकाल लेता और काण्ड, पुआल आदि अलग डाल देता था।^१ रोहूँ, जी आदि के काण्डों के क्षुण्ण अश बुरस कहलाते थे। शालि और पलाश के भुस को तुप कहते थे और चसके पुआल को पलाल।

इस प्रकार समस्त प्रक्रियाएँ ठीक-ठीक हो गईं, तो खेत में मारी हुई एक कुदाली भी सैकड़ों खारी अन्न दे जाती थी।^२

उपज—भाष्यकार ने दो प्रकार की फसलों की चर्चा की है—कृष्टपच्य और अकृष्टपच्य। उन्होंने कहा है कि जुते खेत में स्वयं ही अन्न पकता है, अर्थात् विना बोये ही कुछ धान्य उग आते हैं, वे कृष्टपच्य कहलाते हैं। विना जुती भूमि पर अपने-आप उगने और पकनेवाले अन्न अकृष्टपच्य कहलाते हैं। जैसे नीवार, कुकनी, सावाँ आदि। जिस अन्न के पैदा होने की सम्भावना जुती भूमि में हो, अर्थात् जो बोकर उगाया जा सकता हो, उसे कृष्टपाच्य कहते हैं।^३ इनमें खाद्यान्न, दालें, तन्तुवृक्ष (इक्षुभी), तैलवृक्ष, मसाले और सुगन्धवृक्ष (चन्दन भी), फल, सित्य और लाक्षा—ये उपजें प्रमुख थीं।

ब्रीहि—यह यही की भूमि का अन्न था। डी कैंडोले का विचार है कि ब्रीहि चीन में २००० बी० सी० में पैदा किया जाता था। लियाल (Lyal) के मत से अत्यन्त प्राचीन काल से भारत में ब्रीहि की खेती होती रही है। अन्य देशों में इसके नाम भारतीय नाम के आधार पर रखे गये थे। उदाहरणार्थ, फारसी में विरिञ्जी, अरबी में अरुज, ग्रीक में ओयजि। खेतों की उपज में ब्रीहि का स्थान प्रमुख था। ब्रीहि छोटा धान है, जो बरसात का अन्न होते-होते तक पक जाता था। इसके लिए बाहरी पानी की विशेष आवश्यकता नहीं होती थी। वर्षा का ही पानी ब्रीहि के लिए पर्याप्त होता है। ब्रीहि की उपज भी प्रति बीघे पर्याप्त होती थी। इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है कि यदि ब्रीहि ठीक प्रकार पक गये, तो सुभिक्ष कर देता है। इसीलिए, ब्रीहि जनसाधारण का अन्न था। घर में ब्रीहि का होना सम्पन्नता का परिचायक था। ब्रीहिमान् और ब्रह्मब्रीहि सम्पन्नता का तथा अत्रीहि निर्धनता का चिह्न था। ब्रीहि के ही चावल धार्मिक कार्यों में व्यवहृत होते थे। ब्रीहि के दो भेद हैं। एक में तुप या भूसी को अलग कर देने के बाद लाल चावल निकलता है और दूसरे में सफ़ेद। आज भी ये भेद उत्तर भारत में पाये जाते हैं। ब्रीहि का ही एक भेद पठिक होता है। यह साठ दिन में पक जाता है।^४ इस प्रकार यह नाम सार्थक है। यो मूंग भी साठ दिन में पक जाती है, पर उसे पठिक नहीं कहते।^५ वास्तव में पठिक शालि पहले विशेषण

१. अवश्यं कश्चिदन्नार्थी शालिकलापं सत्तृणं सपञ्चालमाह्वरति नान्तरीयकत्वात्। स पावदावेयं तावदादाय तुषपलालान्युत्सृजति।—४-१-९२, पृ० ११५।

२. एकेन कुदालकेन खारीसहस्रम्।—२-१-६९, पृ० ३२५।

३. कृष्टे पच्यन्ते स्वयमेवकृष्टपच्याश्च मे अकृष्टपच्याश्च मे। यो हि कृष्टे वक्तव्यः कृष्टपाच्यः स भवति।—३-१-११४, पृ० १८९।

४. षष्ठिकाः षष्ठिरात्रेण पच्यन्ते।—५-१-९०।

५. बही, तथा षष्ठिके संज्ञाग्रहणं कर्त्तव्यम्। मृद्गा अपि हि षष्ठिरात्रेण पच्यन्ते तत्र भा- भूत्।—५-१-९०, पृ० ३४०।

के रूप में प्रयुक्त होता था। बाद में वह सजा बन गया। मुद्ग का परिचय पथिक के बाद होने के कारण धान के लिए यह शब्द पहले ही रूढ हो गया। भाष्य में व्रीहि को स्तम्बकरि कहा है, क्योंकि उनमें बड़ी-बड़ी वाली के गुच्छे (मजरी) लटकते हैं।^१ व्रीहि की ही एक जाति महाव्रीहि होती थी।^२ काशिकाकार ने नीवार और हायन को व्रीहि का ही भेद माना है।^३ जल को छोड़कर बढ़ने के कारण व्रीहि को हायन कहते थे।^४ ग्रीष्म में बोये जाने के कारण व्रीहि ग्रीष्म अन्न कहलाता था।^५ व्रीहि पहले भारत के आग्नेय भाग में ही होता था, इसीलिए ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है। तैत्तिरीय संहिता में अवश्य सफेद और काले चावल की तुलना की है।

शालि—शालि बड़ी जाति का धान होता है। इसे रोपा जाता है। श्रावण में इसकी पौध लगाई जाती है और अगहन में यह काटा जाता है। इसलिए इन्हे शारद कहते थे।^६ पर्याप्त वर्षा न होने पर शालि को सींचने की आवश्यकता होती थी। इसीलिए, शालि नीची भूमि पर, तालाब या नदी के निचले किनारे पर, जहाँ पानी भर रहा होता हो, बोये जाते थे। इन्दी के लिए भाष्यकार ने कुल्या बनाने की बात कही है। शालि की जड़े मिट्टी में गहरी जाती थी। पतञ्जलि ने इसीलिए इन्हे न्यग्रोध-मूल, अर्थात् नीचे की ओर जड़ें फैलानेवाले कहा है।^७ शालि में लाल छिलकेवाली की एक विशिष्ट जाति होती थी। किसी-किसी गाँव में लाल शालि की ही उपज विशेष होती थी।^८ शालि की और भी बहुत-सी किस्में थी। मगध में विशेष प्रकार के शालि उत्पन्न होते थे। एक स्थान पर भाष्य में कहा है, 'हम वे ही शालि खा रहे हैं, जो मगध में खाते थे।'^९ शालि का भात मास के साथ भी खाया जाता था।^{१०} केवल व्रत-काल में शालि-मास-भोजन अवश्य वर्जित था। मूँग के साथ खाने की प्रथा तो सामान्य थी।^{११} सम्भव है, लाल चावल को ही पाटलि कहते हों। डॉ० वा० श० अग्रवाल के अनुसार 'पाटलानि मूलानि का' पाटल इसी पाटलि से बना हुआ विशेषण है। पाटल-मूल गाजर के लिए प्रयुक्त हो सकता है। खूब भरी हुई वालों के शालि या धान्य को सस्यक कहते थे।^{१२}

१. स्तम्बकरि व्रीहिः ।—३-२-२४, पृ० २१४।

२. ६-२-३८।

३. हायना नाम व्रीहयः जहत्पुद्कमिति कृत्वा ।—३-१-१४८ काशिका।

४. ४-३-४३ काशिका।

५. ३-३-४८ काशिका।

६. ४-३-४३ का०।

७. ४-३-४३।

८. ७-३-१, पृ० १७२।

९. २-१-६९, पृ० ३२३।

१०. आ० २, पृ० ४४।

११. आ० १, पृ० १९।

१२. ४-३-१५५, पृ० २६५।

शालि को कूटकर तण्डुल तैयार किये जाते थे। कूटने की यह क्रिया अवहनन कहलाती थी। भाष्यकार ने कहा है कि शालि कोठों में भरे हों, तो भी उनके खाने के लिए पहले अवहनन की आवश्यकता होती है।^१ इससे यह भी पता चलता है कि सम्पन्न सस्य को भरने के लिए कृषक कोठियाँ और खत्तियाँ बनाते थे। कूटकर इकट्ठा किया हुआ चावल तण्डुल-निचाय कहलाता था।^२ निचाय बनाने के पहले शूर्प-निष्पाव द्वारा तुप अलग कर दिये जाते थे।^३ ये तुप आग जलाने के काम आते थे। तुप की अग्नि बहुत तेज होती है और टिकती भी है। जाड़े के दिनों में अलाव लगाने में इसका उत्तम उपयोग होता है। तुप की अग्नि को मुर्मुर कहते थे।^४

तण्डुल की राशि को वधितक कहते थे। भाष्य में कहा है कि 'एक चावल भूख मिटाने में असमर्थ होता है' किन्तु उनका समुदाय वधितक समर्थ होता है।^५ बड़ी धान्य-राशि का सालकार वर्णन करते हुए एक स्थान पर उसकी तुलना विन्ध्य से की है। इसमें विन्ध्य की कम ऊँचाई और वधितक के महत्त्व, दोनों की ओर लक्ष्य है।^६

यव—यव अन्नो में शालि के बाद ही आता है। महत्त्व एव व्याप की दृष्टि से भी उसका स्थान द्वितीय है। भाष्य ने सम्भवतः महत्त्व और उपज के क्षेत्र की व्यापकता के अनुसार ही ब्रीहि, यव, माप, मुद्ग, तिल ये पाँच धान्य गिनाये हैं। इनमें पूर्व-पूर्व अन्न उत्तर की अपेक्षा अधिक महत्त्व के हैं। शालि ब्रीहि से ही समाविष्ट है। इनमें यव रवी की और ब्रीहि खरीफ की फसल है। यव यज्ञादि में आहुति के काम आते थे। व्रत में यवागू खाने की प्रथा थी। यवागू जी से तैयार की जाती थी। जी के सत्तू बनते थे, जो भोजन के महत्त्वपूर्ण घटक थे। सम्भव है, चावल के भी सत्तू बनाये जाते हों।^७ इसीलिए बहुयवमत्क देण सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।^८ अयवक दरिद्रता का द्योतक था।^९ मद्र और उशीनर जनपदों में यव की उपज खूब होती थी।^{१०} भाष्यकार ने कहा है कि मद्र के समान जी हैं, अर्थात् है तो दोनों जगह हैं और नहीं है तो दोनों जगह नहीं है। इससे केवल तात्कालिक उपज के विषय में कोई निश्चित बात नहीं मालूम होती। हाँ, यव दोनों स्थानों में खूब बोये जाते थे, यह संकेत अवश्य मिलता है।

१. अवश्यं खल्वपि कोष्ठगतेष्वपि शालिष्ववहननादीनि प्रतीक्ष्याणि ।—३-३-१३३, पृ० ३२५ ।

२. ३-३-२०, पृ० २९९ ।

३. ३-३-२० पृ० २९९ ।

४. ८-२-७२, पृ० ३८० ।

५. १-२-४५, पृ० ५३५ ।

६. विन्ध्यो वधितकम् ।—१-४-२४, पृ० १६२ ।

७. सप्ततव्या घाना ।—५-१-२, पृ० २९५ ।

८. ४-१-१, पृ० १३ ।

९. ४-१-२५, पृ० ४७ ।

१०. उशीनरवन्मद्रेषु यथाः। सन्ति न सन्तीति ।—४-१-९०, पृ० ११० ।

खराव जौ को यवानी कहते थे।^१ वैल और मृग जी का खेत खूब खाते थे।^२ वैलो को ही यह फसल ढोनी भी होती थी। यवक जौ का एक भेद था। सम्भवत, यह आकार में छोटा होता था।^३ इसी को आज जई कहते हैं। जौ का भूस तैयार होता था, जिसके खलिहान में पड़े रहने की चर्चा पीछे हो चुकी है।^४ जौ रबी की अन्य सब फसल दो जाने के बाद अन्त में, हेमन्त में बोये जाते थे।^५ रबी का बोना शरत्पूर्णिमा से प्रारम्भ हो जाता था। यव का वाप अन्त में होता था। ग्रीष्म में जौ पकते थे।^६ डॉ० वा० श० अग्रवाल के मत से जौ श्रावणी पूर्णिमा को बोये जाते थे।^७ आजकल और गिशिर में बोये तथा वसन्त के आरम्भ में काटे जाते हैं। इस दृष्टि से उक्त समय में लगभग दो मास का अन्तर पड़ता है।

भाष्य में अयव और सुयव शब्द आये हैं, जो सम्भवत उस प्रदेशों के लिए हैं, जिनमें यव नहीं होता था या खूब होता था।^१ यव के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, इस बात से भाष्यकार परिचित थे। नष्ट हुए यव के लिए 'पूनयव' शब्द का व्यवहार होता था।^२

जौ को पुरानी फारसी में यवो (Yao) कहते थे। यव विश्व की प्राचीनतम उपजों में से है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वान् यव को सामान्य अन्न मानते हैं। जौ गेहूँ आदि का भी वाचक था।

गोधूम—गोधूम का उल्लेख भाष्य में प्रत्यक्षत नहीं हुआ है। केवल गणपाठ में यह शब्द मिलता है। श्रीनारायणचन्द्र वन्द्योपाध्याय (एकानामिक लाइफ ऐण्ड प्रोग्रेस इन ऐनशियेण्ट इण्डिया, पृ० ५१) गेहूँ का इतिहास वैदिक काल तक पुराना मानते हैं। डे कॅण्डोले (De Candolle) प्रागैतिहासिक काल के विश्व के सभी सम्यता-केन्द्रों में गेहूँ की उपज स्वीकार करते हैं। हियर (Heer) को स्विट्जरलैंड के झील-वासियों के खण्डहरों में गेहूँ मिले थे। ३४०० ई० पूर्व के मिस्री पिरामिडों में भी गेहूँ मिले थे। भाषावैज्ञानिक खोज के आधार पर भी विश्व के सभी प्राचीन राष्ट्रों में गेहूँ का अस्तित्व सिद्ध होता है। भारत में गेहूँ का प्रचार, सम्भवत, आर्यों के आगमन के साथ हुआ था। फिर, यह आश्चर्य की बात है कि प्राचीन सस्कृत-ग्रन्थों में गेहूँ का उल्लेख बहुत कम मिलता है। मैत्रायणी (१-२-८) तथा वाजसनेयी (१८-१२, १९-२२) संहिताओं में गोधूम शब्द प्रायः बहुवचन में आया है और वहाँ इसे शालि और यव से पृथक् माना है। शतपथ (५-२-१-६) ब्राह्मण में एक वचन में भी गोधूम का प्रयोग हुआ है।

१. ४-१-४९, पृ० ६३ ।

२. १-१-३९, पृ० २५३ ।

३. ५-२-३ ।

४. ४-३-४८, पृ० २३५ ।

५. ४-३-४४ काशिका ।

६. ४-३-४३ काशिका ।

७. इण्डिया ऐज नोन टु पाणिनि, पृ० २०७ ।

८. ५-४-५०, पृ० ४९५ तथा ६-२-१०८, पृ० २७८ ।

९. ८-४-४४, पृ० ३६२

अणु—अणु का उल्लेख पाणिनि ने (५-२-४) किया है, जिसमें ज्वार और बाजरा दोनों सम्मिलित हैं? इसके लिए व्रीहि की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती थी। भाष्यकार ने अलग से अणु की चर्चा नहीं की है, यद्यपि उसकी कृषि आदिम काल से होती आई है। अणु के अनेक भेद हैं, जिनमें कुछ के विषय में यह निश्चित नहीं है कि उनका मूल स्थान भारत ही है।^१

माष—प्राचीन काल से ही अनेक प्रकार की दालें भारत में उत्पन्न की जा रही हैं, यद्यपि यह बलपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इनका मूल स्थान भारत ही था। इतना तो निर्विवाद है कि ऋग्वेद को छोड़कर शेष संहिताओं के समय इनकी पैदावार होती थी। ऋगितर संहिताओं में मुद्ग, माष मसूर और कुलत्थ का उल्लेख मिलता है।

जौ के बाद माप का स्थान था।^२ माष शारदी पूर्णिमा या उसके आस-पास बोये जाते थे।^३ उन्हें तिलों के साथ मिलाकर भी बोते थे।^४ पशुओं से उनकी रक्षवाली करनी पड़ती थी, जिसका उल्लेख पीछे हो चुका है। राजमाष भी माष का एक भेद था। इसके लिए विशेष उर्वर खेत की आवश्यकता होती थी।^५ वे हर खेत में नहीं पनपते थे। मापो का लाव नहीं, उन्मूलन होता था। माप को विद्वान् 'शर्षजह' भी कहते थे, क्योंकि वे शरीर में वायु उत्पन्न करते हैं।^६

मूँग—मुद्ग मूँग का नाम था। मुद्ग भी माप के समान सूप के काम आते थे। इनके बोने और काटने का समय माप से कुछ पहले होता है, इसीलिए मुद्ग को शारदक कहा है।^७ ये दोनों धान्य आजकल खरीफ की फसल के साथ श्रावण के प्रारम्भ में बो दिये जाते हैं और कार्तिक में काट लिये जाते हैं। मुद्ग, जैसा पहले कहा जा चुका है, साठ दिन में पक जाते थे। शालि के मुद्ग के साथ खाये जाने का उल्लेख भी पीछे हो चुका है। मुद्ग भी मूल्य धान्य है; क्योंकि यह भी जब से उखाड़ा जाता था, काटा नहीं जाता था।^८

तिल—भारत की अपनी उपज है। अति प्राचीन काल से इसकी खेती की जाती रही है। अथर्ववेद (२-८-३, १८-३-६९) में बार-बार तिल का उल्लेख है। अन्य संहिताओं में भी तिल की चर्चा है। ऐतिहासिक काल के प्रारम्भ से इसका निर्यात होता रहा है।

तिल का स्थान उपर्युक्त खाद्यान्नों के बाद सर्वाधिक महत्त्व का था। तिल के दो भेद थे—कृष्ण और श्वेत।^९ कुछ खेत काले तिलों के लिए ही विशेष उपयुक्त होते हैं।^{१०} किसी-किसी

१. वाटः एकानामिक प्रोडक्ट्स ऑफ़ इण्डिया, पृ० १०३२ ।
 २. ४-१-४८, पृ० ६० ।
 ३. ४-३-४५ काशिका ।
 ४. २-३-१९३, पृ० ४२१ ।
 ५. ५-१-२०, पृ० ३१२ ।
 ६. ३-२-२८, पृ० २१५ ।
 ७. ४-३-२७ ।
 ८. ४-४-८८ काशिका ।
 ९. २-१-५७, पृ० ३१३ ।
 १०. ५-१-२०, पृ० ३१२ ।
- ३४

तिल के पेड़ में फली नहीं लगती और लगी भी, तो उसमें दाने नहीं पड़ते। दानों के स्थान पर काला मल रहता है। ऐसे तिलों को तिलर्षिज या तिलपेज कहते थे। वैदिक भाषा में ऐसे तिलों के लिए तिलिज्ज शब्द का प्रयोग हुआ है।^१ ये शब्द ऐसे तिलों के लिए भी प्रयुक्त होते थे, जिनमें तेल नहीं निकलता, क्योंकि वे भीतर से सूखे होते हैं। उच्छ्रित और सृति परिमाणविशेष के द्योतक थे। भाष्य में एक तिलोच्छ्रित तथा दो सृतियों का उल्लेख मिलता है।^२ उच्छ्रित शब्द सामान्यतया राशि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तिल से तेल निकाला जाता था।^३ तेल पेरनेवाले कोल्हू को तिलपीडनी कहते थे।^४ तेल निकालने के बाद बची हुई खली या ढेप को तिलकूट कहते थे।^५ तेल पेरनेवाले तेली की सज्ञा तिलन्तुद थी।^६ प्रारम्भ में तिल के ही विकार को तेल कहते थे। बाद में उपचारात् सर्षप, इगुदी आदि के विकार को भी तेल कहने लगे।^७ धीरे-धीरे तैल प्रत्यय मान लिया गया और तिल-तैल प्रयोग भी प्रचलित हो गया। भाष्यकार ने एक स्थान पर तिलों को काकगुह कहा है।^८ कौओं से संभालकर न रखा, तो खेत में वे ही उसे समाप्त कर दें। वास्तव में अन्य तेलों के लिए तैल शब्द का प्रयोग औपचारिक ही है।^९ भाष्यकार ने कहा है कि तैल शब्द प्रत्यय है, विकार अर्थ में प्रसिद्ध तैल शब्द उससे विलकुल भिन्न है। इसलिए, 'तिल-तैल' प्रयोग भी ठीक है।

सर्षप—सर्षप की खेती सहिता-काल के अन्त में होने लगी थी। इसका सर्वप्रथम उल्लेख छान्दोग्य० (३-१४-३), पद्मविंश ब्राह्मण (५-२) तथा शाखायन श्रौतसू० (४-१५-८) में मिलता है। सर्षप सरसो का नाम है। इसके बग, लहटा, राई आदि भेद आज भी प्रचलित हैं। भाष्यकार छोटी और बड़ी दो प्रकार की सरसो से प्रचलित थे।^{१०} पीत या गौर सर्षप का भी उन्हें ज्ञान था।

मधुक—इसके भैषज्य गुणों की चर्चा सुश्रुत, चरक तथा अन्य ग्रन्थों में मिलती है। इससे तैयार की हुई सुरा को मधु कहते थे।

गर्भुत—गर्भुत मटर का एक भेद था। जो बिना बोये ही उत्पन्न हो जाता था। तैत्तिरीय (२-४-४) तथा मैत्रायणीय (२-२-४) सहिताओं में गर्भुत और गर्भुत का उल्लेख मिलता है। काठक-सहिता में भी गर्भुत से बनाई हुई वस्तु को गर्भुत कहा है। भाष्यकार ने सारघ मधु

१. ४-२-३६, पृ० १७७ ।

२. ३-३-१, पृ० २९८ ।

३. १-३-११, पृ० ४६ ।

४. ३-३-१२६ ।

५. ५-२-२९ ।

६. ३-२-२८ ।

७. ५-२-२९, पृ० ३७६ ।

८. ३-२-५, पृ० २१० ।

९. तैलशब्दश्च प्रत्ययो वक्तव्यः। प्रकृत्यन्तरं तैलशब्दो विकारे वर्तते। एवं च कृत्वा तिलतैलमित्यपि सिद्ध भवति।—५-२-२९, पृ० ३७६ ।

१०. ५-३-५५, पृ० ४४५ ।

के साथ गर्भित और पौस्तिक का उल्लेख किया है^१, जिससे प्रतीत होता है कि ये तीनों मधु भी थे।

उमा—उमा या अलसी की गणना भी तैल-बीजों के अन्तर्गत है। उमा के तेल का व्यवहार पतजलि के समय में कितना और किस प्रकार होता था, कहा नहीं जा सकता। भाष्य में उमा का उल्लेख है, किन्तु उमा-तैल का नहीं। फिर भी, उमा का तेल निकाला जाता था, यह अनुमान सरलता से किया जा सकता है; क्योंकि उमा-कट (अलसी की खली) गन्ध भाष्य में व्यवहृत हुआ है।^२

अन्य उपजें—इनके अतिरिक्त अलावू^३ (लौकी), कर्कन्धू^४ (जगली वेर) उपयोग में आते थे। एक स्थान पर अलावूकट शब्द भी आया है। भाष्य में अलावू^५, तिल, उमा और भगा के सार निकले हुए भाग के लिए इन शब्दों के आगे कटच् प्रत्यय का विधान मिलता है, जिससे इन चारों के सार निकाले जाने और उससे बची हुई ढेप के उपयोग और व्यवहार का ज्ञान होता है। इन चारों की ढेप का स्वतन्त्र महत्त्व रहा है। साथ ही भगा का स्वतन्त्र वार्त्तिक में उल्लेख भी इस बात का द्योतक है कि भगाकट शब्द का प्रचलन वाद में ही प्रारम्भ हुआ था।

सूत्र ४-३-१३६ के भाष्य में विल्वादिगण के अन्तर्गत गवेधुका शब्द के पाठ पर भी विचार किया गया है।^६ गवेधुका चने या मटर (Cox barbata) को कहते थे। इसी विल्वादिगण में उपर्युक्त धान्यों के अतिरिक्त मसूर और गोघूम का उल्लेख है।

भङ्गा—अन्नों के अतिरिक्त कृषि की उपजों में सन का महत्त्व बहुत अधिक था। सन को भाष्य में भगा कहा है और उसे धान्यों में परिगणित किया है।^७ भाष्य में इस बात पर विचार किया गया है कि उमा और भगा को धान्य माना जाय या नहीं। तैत्तिरीयसंहिता (चमक ४-७-४) के 'त्रीहृश्च मे' आदि प्रकरण में जो १२ धान्य गिनाये गये हैं, उनमें उमा और भगा सम्मिलित नहीं हैं। पतजलि ने इस विषय पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि भले ही अन्यत्र इनकी गणना धान्यों में नहीं गई हो, फिर भी ये धान्य हैं। धान्य शब्द धिबि धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना। और धान्यों के समान उमा और भगा भी कृषकों को आनन्दित करते हैं, इसलिए इन्हें भी धान्य मानना चाहिए अथवा सन को सम्मिलित कर सत्रह धान्य होते हैं। इन सत्रह धान्यों में पाँच मुख्य, छह उपस्कारक या सहायक, तीन तृणधान्य और तीन अर्थकर हैं। वास्तव में खाद्य और अर्थकर इन दोनों प्रकार के धान्यों में इन सब का समावेश हो जाता है। उमा और

१. ४-३-११६, पृ० २५० ।

२. ५-२-२९. पृ० ३७५ ।

३. ४-१-६६, पृ० ७६ तथा ६-३-६१, पृ० ३३९ ।

४. वही ।

५. ५-२-२९, पृ० ३७५ ।

६. ४३-१३६, पृ० २६१ ।

७. धिनोत्तेर्धान्यम् । एते चापि विन्तुः । अथवा शणसप्त दशानि धान्यानि ।—

५-२-४, पृ० ३६९ ।

भगा अर्थकर घान्य हैं। भाष्यकार ने उमाकट के साथ ही भगाकट की भी चर्चा की है। उन्होंने सन की फली का भी नामोल्लेख किया है। सन रस्सी (रज्जु) और कपडा दोनों के काम आता था।

कार्पास—यह भारत की अपनी मिट्टी का उपज है और यही से शेष विश्व में फैली है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि विश्व के सभी पुरातन राष्ट्रों ने कपास का नाम भारत से ही उधार लिया है। संस्कृत कार्पास से ही हिब्रू का कपास (Kapas) बना। वुक ऑफ् ईस्थर (esther) में इस शब्द का प्रयोग हरित खूँटी के लिए हुआ है। ग्रीक और लैटिन में इस शब्द का रूप कार्पासोस (carpasos) या कार्बासोस (carbasos) हो गया। ग्रीक में सबसे पहले कपास का उल्लेख तेसियस (Ktesias) ने तथा बाद में थियोफ्रेस्टस (Theophrastus) और हेरोडोटस (Herodotus) ने किया है। उन्होंने इसे वृक्षोष्णा (Wool of tree) कहा है, जिससे उनकी एतद्विषयक अनभिज्ञता प्रकट होती है। विश्व में अन्यत्र कहीं इसकी खेती का प्रमाण नहीं मिलता। चीन में सर्वप्रथम १३वीं ईसवी शताब्दी में कपास बोई गई थी। मिस्र में भी कपास की खेती नहीं होती थी। लैसेन ने (Lassen) एक वार ममी (Mummy) बस्तु के कार्पासीय होने की कल्पना की थी। किन्तु, इस विषय के विशेषज्ञ श्रीयामसन (Thomposan) ने उनका खण्डन कर दिया।^१

भारत में कार्पास का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वलायन श्रौतसूत्र (६-४-१७) में मिलता है। वैदिक साहित्य में इस शब्द का अनुल्लेख इस बात का चोटक है कि उस समय तक आर्य लोग दक्षिण या पूर्व कार्पासोत्पादक क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाये थे।

भाष्यकार ने अनेक वार कार्पास का उल्लेख किया है। उन्होंने कार्पास की मृदुता की भी चर्चा की है।^२

कपास की उपज पर्याप्त मात्रा में होती थी। भाष्य में न केवल कार्पास का, अपितु बस्त्र बनाने तक की सारी प्रक्रियाओं का उल्लेख है। कपास पीजनी या ओटनी चाहिए, यह वे जानते थे।^३ कपास की मृदुता को उन्होंने उपमान भी बनाया है।^४ 'हल्की होने के कारण वह तुला पर बहुत चढ़ती है। लोहे के बाट की तुलना में तुला पर उसकी ऊँचाई और विस्तार कहीं अधिक होते हैं, यह बात भाष्यकार ने बतलाई है।'^५

इक्षु—इक्षु की उपज भी काफी होती थी। इक्षु की प्रचुरता के स्थान,^६ इक्षु ढोने की

१. जर्नल ऑफ् रॉयल ऐशियाटिक सोसाइटी।—१८९८, पृ० २५० से।
२. ४-१-५५, पृ० ७०।
३. वही तथा २-४-२ काशिका।
४. ७-२-४४, पृ० १३१।
५. इह समाने वर्णनि परिणाहे चान्यतुलाग्रं भवति लोहस्यान्यत्कार्पासानाम्।—
५-१-११९, पृ० ३५४।
६. ४-२-७५, पृ० १९४।

गाड़ी^१ और इक्षु-शाकी^२ (इक्षु का खेत) का उल्लेख भाष्य में मिलता है। इनके अतिरिक्त गुड़ की चर्चा बार-बार आई है।^३ गुडघाना जो इसका बहुत प्रिय और प्रचलित भोजन जान पड़ता है, विना गुड़ के बन ही नहीं सकता था। गुड़ खाने की स्वतन्त्र चर्चा भी है। शर्करा का भी प्रचार था, जो ईख की खेती व्यापक परिणाम में किये जाने का प्रमाण है।^४

मूलक—मूली,^५ गाजर^६ आदि पदार्थ भी खाद्य के घटक में थे। इनकी उपज का भी पता भाष्य से चलता है।

कुस्तुम्बुरु—कुस्तुम्बुरु घनिये को कहते थे।^७ इन सबकी गणना शाक के अन्तर्गत है। भाष्य में शाकिन् और पलालिन् का उल्लेख हुआ है।^८ ये बड़े शाक या बड़े पलाल के बोधक थे।

हरिद्रा—हरिद्रा की खेती भारत में बहुत प्राचीन काल से होती आई है।^९ और यहीं से वह अन्य देशों में फैली है। सस्कृत से फारसी में जाकर यह अलहर्द बन गई।

द्राक्षा—द्राक्षा ईसा-पूर्व सातवीं शती में भी उत्पन्न की जाती थी। कपिशा की द्राक्षा अत्यन्त प्रसिद्ध थी। वाट (Walt) के अनुसार भारत के पाँच मधुर पौधों में इक्षु और द्राक्षा मुख्य थे। इक्षु का उल्लेख अथर्ववेद (१-३४-५) तक में मिलता है। इक्षु से शर्करा बनाने की प्रथा बहुत पुरानी है। अरबी का शकर, लैटिन का सक्करम् (Succharum) फ्रैंच का सुक्रे (Sucre) और इंगलिश का सुगर (Sugar) शर्करा से ही बना है।

शण—शण का उपयोग रस्सी बनाने के लिए होता था। यह भी भारत की अपनी उपज थी। अथर्ववेद (२-४-५) में इसे आरण्य कहा है। शतपथ-ब्राह्मण (३-२-१-२) तथा अन्य सूत्र-ग्रन्थों में शण का उल्लेख है। शण और उमा (क्षीम) वैदिक काल से ही कृषि की उपज में सम्मिलित थे।^{१०} वाट (Walt) ने पृ० ७२०-२१ पर इसका उल्लेख किया है। सुश्रुतसहिता में भी उमा या अलसी के तेल की भौषज्य उपयोगिता का प्रतिपादन है।

पिप्पली—भाष्य में पिप्पली और अर्बपिप्पली शब्द आये हैं।^{११} लैसेन ने ग्रीक पेपेरी (peperi) और लैटिन पिपेर (piper) को सस्कृत पिप्पली का ही अपभ्रंश रूप माना है।

१. ८-४-८, पृ० ४७९।
२. ५-२-२९, पृ० ३७६।
३. १-४-५०, पृ० १७४।
४. ५-२-१०५, पृ० ४१६।
५. ४-१-४८, पृ० ६१।
६. ४-३-१६६, पृ० २७२।
७. ६-१-१४३।
८. ४-२-२, पृ० १६६।
९. ५-२-१०२, पृ० ४१४।
१०. ५-२-४, पृ० ३६९।
११. १-२-४४, पृ० ५२४ तथा सुपिप्पला ओषधीस्तुति।—६-१-८६, पृ० १३३।

बहुत प्राचीन काल से दक्षिण भारत के पश्चिमी किनारे पर इसकी खेती की जाती रही है।^१ मिस्रियो तथा हिब्रू लोगों को पिपली का ज्ञान नहीं था। पारुचात्य लोगों को द्रविड व्यापारियों द्वारा इसका पता चला। यह भारत से निर्यात होनेवाली महत्वपूर्ण वस्तु थी, जिससे भारत को बड़ा आर्थिक लाभ होता था। प्लिनी के अनुसार एक पौण्ड पीपल के लिए १५ दीनार मिलते थे।^२ अलेरिक (Alaric) ने रोम के घेरे को दृढ़ करने के लिए सोने और चाँदी के साथ ३००० पौण्ड पीपल माँगी थी।^३

शृंगवेर—शृंगवेर या अदरक भारत की मूल उपज थी। यही से इसका प्रचार अन्य देशों में हुआ। अरबी जजबुल (Janjabul) तथा ग्रीक जिञ्जिबेर (Zingiber) को कुछ लोग शृंगवेर शब्द का मूल द्रविड रूप मानते हैं और कुछ लोग इसे संस्कृत शृंग तथा द्रविड वेर की खिचड़ी से बना हुआ ठहराते हैं। भाष्यकार ने शृंगवेर का स्वाद गुड का ठीक विरोधी और कटु बतलाया है।

केसर—पाणिनि के किसरादि गण में केसर, नलद, नरद आदि शब्द आये हैं। केसर का मूल स्थान कुछ लोग दक्षिण-पश्चिम यूरोप मानते हैं। भारत में इसका उत्पादन कश्मीर तक सीमित रहा है। सुश्रुतसहिता तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों में कुकुम का उल्लेख मिलता है।

नलद—नलद या जटामासी वारहो महीने रहनेवाला पर्वतीय तृण था। वहाँ से वह देश के अन्य भागों में फैला। वैदिक साहित्य तक में इसका उल्लेख मिलता है। चिकित्सा-शास्त्र के ग्रन्थों में बार-बार इसका उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में आशृगि, अराटकी और तीक्ष्णशृगि (सुगन्धित द्रव्य) के साथ नलद या नलदि नाम आया है। नरद भी नलद के समान ही सुगन्धित एवं खस की जाति का तृण था, जो भारत से रोम के बाजारों को भेजा जाता था और वहाँ प्रति पौण्ड ४० से ७५ दीनार (Denaric) तक के भाव विक्रता था। नरद का प्रतिदिन के अवलेखों में प्रमुख स्थान था।

रामायण और चरकसहिता तक में उल्लिखित लवंग शब्द भाष्य में नहीं मिलता और न एला की ही चर्चा भाष्य में हुई है।

तृण—सामान्य तृणों में खर, मूँज और काण्ड खेत की मेड़ पर या परती भूमि में उत्पन्न कर लिये जाते थे।^४ शरकाण्ड के दो भाग होते हैं—खर और काण्ड। शर (खर) घर छाने के काम में आते थे और काण्ड (डण्डी) का प्रयोग छप्पर में लकड़ी के स्थान पर किया जाता रहा है। शरकाण्ड की अपरिपक्व अवस्था में उससे मूँज निकाली जाती थी। इसी मूँज की मेखला बनती थी, जिसे मौज-मेखला कहते थे। यज्ञोपवीत-संस्कार के समय ब्रह्मचारी को मूँज की मेखला पहनाई जाती थी। कार्पास-सूत्र के यज्ञोपवीत के प्रचलन से पूर्व मौँज धारण की ही प्रथा थी। महाराष्ट्र में आज भी उपनयन को मूँज ही कहते हैं। कढ़ी हुई, अर्थात् काण्ड निकाली हुई मूँज

१. स्काफे: पेरिप्लस, पृ० २१३ से।

२. प्लिनी, १२-१४।

३. गिबन डिक्लाइन एण्ड फॉल, अध्याय ३१।

४. ८-४-८, पृ० ४७९।

को विपुय कहते थे।^१ काण्डो के लाव मे परिश्रम और समय दोनो अविक लगते थे। पतंजलि ने काण्डलाव का पृथक् उल्लेख भी किया है।^२ काण्ड और शर के बड़े-बड़े पुल बाँचे जाते थे। इनकी दुलाई का उल्लेख ऊपर हुआ ही है।

शर और भुस आग सुलगाने के काम आते थे।^३ ये आग को शीघ्र पकड़ते हैं।

खाद—कृषि के लिए खाद अत्यावश्यक है। यह कृषि का खाद्य है। चिरकाल से गोबर का उपयोग खाद के लिए होता आया है। आप्य में गोमय^४ शब्द कई वार आया है। आरप्य गोमय आर्द्रगोमय और शुष्कगोमय का उल्लेख भाष्यकार ने किया है। उन्हें ज्ञात था कि गोलोम^५ और अविलोम मिट्टी में मिलाने से उससे दूर्वा उत्पन्न होती है^६ और गोबर (विशेषतः भैंस के गोबर) से विच्छ पदा होते हैं।

१. ३-१-१७।

२. ३-२-१।

३. २-१-३३, पृ० २८५।

४. ३-२-२४, पृ० २१४।

५. गोमयाद्बृश्चिको जायते ।—१-४-३०, पृ० १६६।

६. गोलोमाविलोमयोर्दूर्वा जायन्ते। अपक्रामन्ति तास्तेभ्यः।—बही ।

अध्याय २

वन-सम्पत्ति

वन का अर्थ—भाष्य में विविष्ट और सामान्य दोनों रूपों में वन का उल्लेख हुआ है। सामान्य वन के विषय में यत्र-तत्र जो चर्चा है, उसमें वनजीवन-सम्बन्धी बहुत-सी मामूली प्राण होती है। यथा—आरण्यक मागं, आरण्यक विहार (मठ या आमोद-प्रमोद), आरण्यक मनुष्य, आरण्यक^१ हस्ती, आरण्यक गोमय (गोवर) और आरण्यक पुष्प।^१ इनसे इतना तो स्पष्ट ही है कि अरण्य पूर्णतः निर्जन नहीं थे। उनमें मनुष्य रहते थे। वन नर्वया अगम्य भी नहीं थे। लोग उनमें होकर आते-जाते थे। विहार, मनोविनोद, आलोट आदि के लिए वनों का भ्रमण साधारण बात थी। वनों से पकड़कर ह्याथी नगरो में लाये जाते थे और वहाँ प्रशिक्षित किये जाते थे। बड़े अरण्य को अरण्यानी कहते थे।^१ अरण्यानी अगोप्यद कही जाती थी, क्योंकि उसमें गो के सचार की सम्भावना तक नहीं होती थी।^१ वैदिक इण्डेक्स (१-३३) के अनुसार ऋग्वेद में अरण्य शब्द ग्राम और कृष्य भूमि के विरोध में आया है, जिसमें चौर छिपते थे और मुनि निवास करते थे। उसमें अरण्यानी का प्रयोग वन-देवता के लिए हुआ है। पुष्प भी दो प्रकार के होते हैं—ग्राम्य और आरण्य। भाष्यकार यह जानते थे। वन्य पुष्प अपेक्षाकृत छोटे आकार के एव कम गन्धवाले होते होंगे। पत्नी वन में ही आनन्दित रहते हैं। सधन हरीतिमा का उन्मुक्त मादक वातावरण उनके प्राणों में उल्लास और कण्ठ में मधुरिमा उडेल देता है। पछी किसी कारण से वन छोड़कर वस्ती में आ गयी, तो भी उसका मन वन की ओर उडता रहता है। भाष्य में कहा है कि 'कोकिल वन-गुल्म का स्मरण करता है या वन-गुल्म स्वयं कोकिल का स्मरण करता है।'^१ एक स्थान पर वनराजि को लक्ष्य कर उसे कोस भर तक रमणीय कहा है।^१ कोई प्रिय अतिथि जब वापस लौटता था या कोई आत्मीय जन परदेश जाता था, तब लोग वन की सीमा प्रारम्भ होने तक उसे भेजने जाते थे या उदक-स्थान तक भेजकर लौट आते थे। अधिक-से-अधिक द्वितीय या तृतीय वन-श्रेणी तक साथ जाने की प्रथा थी।^१ वन वृक्ष-समूह को कहते थे। वनगुल्म

१. ४-२-१२९, पृ० ११६।

२. ४-२-१०४, पृ० २०४।

३. ४-१-४९, पृ० ६३।

४. अगोप्यदान्यरण्यानि।—६-१-१४५, पृ० १९१।

५. १-३-६७, पृ० ८७।

६. २-३-५, पृ० ४०९।

७. लोके आबनान्तादोवकान्तात् प्रियं पान्यमनुव्रजेत्। द्वितीयं तृतीयं च वनान्तमुद्कान्तं धाऽनुव्रजति।—१-४-५६, पृ० १८७।

अर्थ में भी केवल वन शब्द का प्रयोग होता था, यह आवश्यक नहीं था कि वन कोस-दो कोस तक फैला ही हो। वाग और वगीचे तक वन कहलाते थे। इसलिए वस्ती से बाहर की झाड़ियाँ और एकत्र वृक्ष-समूह सामान्यतया वन वाच्य था। वन का पर्यायवाची अरण्य शब्द, जो अरणि- (पारस्परिक रगड़ से आग उत्पन्न करनेवाली लकड़ी) से बना है, इस बात का द्योतक है कि प्राचीन काल में वन एक वृक्ष के लिए भी प्रयुक्त होता था। 'वन-गुल्म' गन्द भी, जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है, इसी कथन की पुष्टि करता है। ऋग्वेद में भी वन गन्द का प्रयोग वृक्ष-अर्थ में मिलता है। आगे चलकर जब वन वृक्ष-समूह का बोधक बन गया, तब धीरे-धीरे उसमें समूह अर्थ का प्राधान्य होता गया और वृक्ष अर्थ गौण पड़ गया। तब तृण, लता, वीरुष तरु सभी का समूह वन कहलाने लगा। इसीलिए 'कमलवन' प्रयोग भी ग्राह्य हो गया। वस्ती से दूर होने के कारण लाक्षणिक रूप में वन का अर्थ परदेश या दूर प्रदेश भी था।^१ गुल्म अर्थ में क्षुपाग्र गन्द का भी प्रयोग हुआ है।^२

अनेक वनों के समुदाय को कुण्ड कहते थे। भाष्य में कहा है—'कुण्डादि के उदात्त करने में उनके समुदाय का ग्रहण करना चाहिए। यदि कुण्ड शब्द वन-समुदाय का बोधक हो, तभी उदात्तत्व होगा।' यहाँ वनों से तात्पर्य है गुल्म।

वृक्ष—पतञ्जलि ने वन शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है—(१) प्राकृतिक रूप से विकसित तृण, लता-तृण आदि के समूह, यथा खलतिक वन, सिरीष-वन। इनकी वृद्धि और विस्तार में मानव-प्रयत्न अपेक्षित नहीं था। (२) मनुष्य द्वारा रोपे और सरक्षित किये गये उपवन; यथा आम्रवन, कदलीवन। इन्हें रोपकर, नियमित सींचकर सरक्षित करना पड़ता था। भाष्य में चारों ओर से काटो का घेरा बनाकर वृक्षों की रक्षा का उल्लेख किया गया है।^३ विस्तार की दृष्टि से गुल्म, वन, अरण्य और अरण्यानी उत्तरोत्तर बड़े थे।

वृक्षादि सम्पत्ति भी कई भागों में विभाजित थी। वृक्षों में पुष्प और फल दोनों होते हैं। वनस्पति शब्द उन बड़े-बड़े तरुओं के लिए प्रयुक्त होता था, जिनमें फल आते थे। ओषधि शब्द का प्रयोग छोटे पीषो और जड़ी-बूटियों के लिए होता था, जिनमें फल नहीं होते। फैलने या पीड़ने-वाली छोटी-छोटी वनस्पति लता, वल्लरी, व्रतति या वीरुष कहलाती थी। इसके फैलाव या क्षुरमुट को अवतान कहते थे।^४ दुर्वा, खर, शर, तिमिर आदि फल-फूल एवं विछी घास-जैसी तृणराशि इसमें थी।^५ 'विभाषीषधिवनस्पतिम्य' (८-४-६) में पाणिनि ने भी औषधि और वनस्पति में भेद किया है। काशिकाकार ने औषधि का उदाहरण दुर्वाविणम्, मूषाविणम् तथा वनस्पति का गिरीष-विणम्, वदरीविणम् दिया है। इस सूत्र में उन्होंने देवदारु-वन, भद्रदारु-वन, इरिका-वन तथा भिरिका-

१. ऋग् ७-१-१९।

२. १-१-५०, पृ० ३०१।

३. परिवारयन्ति कण्टकैर्वक्षम् ।—३-१-८७, पृ० १५५।

४. ३-१-१४० पृ० १९९

५. फली वनस्पतिर्ज्ञेयो वृक्षाः पुष्पफलोपगाः।

औषध्यः फलपाकान्ता लतागुल्माश्च वीरुषः॥—८-४-६ काशिका।

वन का भी नाम-ग्रहण प्रत्युदाहरण के रूप में किया है। पाणिनि ने भी 'पाककर्णपणंपुष्पमूलफल वालोत्तरपदाच्च' (४-१-६४) मूत्र वृक्ष के प्रायः सभी अंगों का परिगणन कर दिया है। वृक्षों की सूखी लकड़ी को सुपिर^१ कहते थे।

वृक्षों के नाम वैज्ञानिक आधार पर रखे गये थे। वृक्षों के नाम उनके मूल, तनों, पत्तों, शाखाओं, फूल एवं फल के आधार पर निश्चित किये गये थे। वे सब सार्थक होते थे। पुष्पों और फलों के नाम वृक्षों के आधार पर होते थे। जो नाम वृक्ष का होता था, वहीं उसके फल और फूल का। उदाहरणार्थ, वृक्ष भी कदली और फल भी कदली कहलाता था। फल नपुसकालिग होता था, वृक्ष भले ही पुल्लिग हो। लिग-भेद द्वारा ही सामान्यतया फल और वृक्ष में भेद किया जाता था। यथा आम्र (वृक्ष) पुल्लिग है, किन्तु आम्र (फल) नपुसकालिग। इसके अपवाद भी यदा-कदा मिलते थे, यथा कदली। भाष्यकार ने फलार्थ में होनेवाले प्रत्यय के लुक् की व्यर्थता प्रतिपादित करते हुए कहा है कि वृक्ष का परिणाम फल में होता है। वृक्ष की ही चरम परिणति फल में है। वृक्ष और उसके अवयवों का भाष्यकार ने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि चलनेवाला वृक्ष अपने अवयवों के साथ ही चलता है। वृक्ष कहने पर एक शब्द मुनाई देता है।^२ वृक्ष अकारान्त है और सकार प्रत्यय है। उससे एक अर्थ का भी बोध होता है और वह यह कि वह एक है और उसमें जड़, तने, फल और पत्ते हैं। भाष्यकार ने वृक्षों के दो मुख्य भेद किये हैं—क्षीरी और कण्टकी।^३

वृक्षों में निम्नलिखित के नाम महाभाष्य में आये हैं—

न्यग्रोध (*Ficus indica*)—यह वट का दूसरा नाम है। न्यग्रोध क्षीरीवृक्षों के अन्तर्गत है। इसकी जड़े नीचे की ओर फैलती हैं और जटाएँ भी निम्नग होती हैं। जटाएँ नीचे की ओर फैलकर वृक्ष का रूप लेती जाती हैं, इसीलिए इसका नाम न्यग्रोध है, अर्थात् नीचे की ओर फैलनेवाला।^४ इसके पत्ते बड़े और मोटे होते हैं। इसे अबरोहवान्, क्षीरी और पूयुपर्ण कहा है।^५

प्लक्ष (*Ficus infectoria*)—प्लक्ष भी न्यग्रोध के समान क्षीरीवृक्ष है। इसकी भी प्रवृत्ति न्यग्रोध के समान नीचे की ओर फैलने की है। भाष्यकार ने प्लक्ष की व्युत्पत्ति पर शक्य करते हुए कहा है कि यदि क्षरण (दुग्ध-त्नाव) के कारण इसका नाम प्लक्ष माना जाय, तो न्यग्रोध को भी प्लक्ष कहना चाहिए; क्योंकि दूध तो न्यग्रोध से भी निकलता है और यदि नीचे की ओर फैलने के कारण वट का नाम न्यग्रोध हो, तो प्लक्ष का भी नाम न्यग्रोध होना चाहिए, क्योंकि प्लक्ष

१. ५-२-१०७ ।

२. वृक्ष इत्युक्ते कश्चिच्छब्द. श्रूयते वृक्षशब्दो अकारान्तः सकारश्च प्रत्यय. अर्थोऽपि कश्चिद् गम्यते मूलस्कन्धफलपलाशवानेकत्वं च ।—१-२-४५, पृ० ५३३ ।

३. ५-२-९४, पृ० ४०९ ।

४. २-२-२९, पृ० ३८३ ।

५. ये क्षीरिणोऽबरोहवन्त. पूयुपर्णास्ते न्यग्रोधाः ।—१-१-५६, पृ० ३४२ ।

भी नीचे की ओर फैलता है।^१ इसलिए, ये शब्द वृक्ष-विशेष के लिए रूढ मानने चाहिए। भाष्य में प्रायः प्लक्ष और न्यग्रोध का उल्लेख साथ-साथ ही हुआ है।^२ एक स्थान पर कहा है कि प्लक्ष भी द्वयर्थक है और न्यग्रोध भी। अर्थात्, इनका एक अर्थ रूढ है और एक व्युत्पत्ति-जन्य। प्लक्ष का फल भी न्यग्रोध के समान छोटा-सा होता है। इसे पाकर कहते हैं।

खदिर (*Acocia catechu*)—यह कथे का वृक्ष है। इसकी चर्चा भी प्रायः प्लक्ष और न्यग्रोध के साथ ही मिलती है।^३ इसके तनों की लकड़ी सफेद रंग की होती है और पत्ते छोटे-छोटे होते हैं। खदिर में कटि होते हैं।^४ इसकी लकड़ी बहुत कड़ी होती है। जलाने पर इसके कोयले खूब दहकते हैं।^५ इसीलिए, भाष्यकार ने इनकी उपमा नुरत्त बने हुए सुवर्ण-कुडलो से दी है। खदिर से ही खैर या कथ्या तैयार होता है, जिसका उपयोग पान के साथ तथा औषध के रूप में होता है। इसे खदिरसार कहते हैं।^६ खदिर की लकड़ी यज्ञ-स्तम्भ या यज्ञयूप के ऊपर अंगूठी के आकार का चपाल बनाने के काम आती थी।^७

पलाश (*Butea frondosa*)—पलाश या टेसू प्राचीन काल से अति प्रसिद्ध तथा उपयोगी वृक्ष रहा है। उसके पत्ते तथा लकड़ी दोनों का उपयोग धार्मिक कृत्यों में होता है। यज्ञ में पलाश की समिधाएँ काम आती हैं।^८ प्लक्ष-न्यग्रोध के साथ पलाश का उल्लेख भाष्य में अनेक बार हुआ है।^९ दण्ड माणव (विद्यार्थी) पलाश का ही दण्ड साथ रखते थे। यो पलाश शब्द का व्यवहार पूर्ण अर्थ में भी होता था। भेड-बकरी पालनेवाले पलाश-चयन करते थे।^{१०} पत्त काटने के लिए एक औजार होता था, जिसे पलाशशातन कहते थे।^{११} यह हँसिया या इसके समान होता होगा। पलाश में पत्ते अधिक होते हैं और वे ही विशेष काम में आते हैं। इसलिए लाक्षणिक रूप से पलाश शब्द वाद में पलाश-पत्र के अतिरिक्त सामान्य पूर्ण अर्थ में व्यवहृत होने लगा।^{१२} पलाश में फूल बहुत लाल होते हैं। मानों उन्होंने, छप्टा ने, अपने हाथ से रंगा हो।^{१३}

-
१. २-२-२९, पृ० ३८३ ।
 २. ५-३-७२, पृ० ४७० ।
 ३. २-१-१, पृ० २५७ ।
 ४. खदिरवर्चुरी गौरकाण्डौ सूक्ष्मपर्णौ । ततः पश्चादाह कण्टकवान खदिर इति :—
१-१-४६, पृ० २८३
 ५. आ० १, पृ० १६
 ६. ३-३-१७, पृ० २९५
 ७. ५-१-२, पृ० २९६ ।
 ८. ४-३-१५५, पृ० २६६ ।
 ९. २-१-१, पृ० २५७ ।
 १०. ३-३-१२६, पृ० ३१९ ।
 ११. २-२-८, पृ० ३४२ ।
 १२. २-२-२४, पृ० ३५७ ।
 १३. देवरसताः किशुकाः।—३-१-७९, पृ० १३९ ।

नायक ने आकरा खुद का एक पदार्थ का शुद्ध उत्पत्तारण कर सकता भी बना है।

बहुत—गने की मन्दी एवं पनी की छोटाई से बहुत खदिर के समान ही होता है। अगर इन्ना है कि खदिर से बने होते हैं, किन्तु बहुत से नहीं।^१ बहुत अंगुलि-वर्ग के वृक्षों में है।

शनी *Prosopis Spicigera Mozosa Suma*,—शनी की लकड़ी बहुत कड़ी होती है। प्राचीन लोगो का विचार था कि शनी में अग्नि रहती है। शनी पदार्थ प्रज्वलित करने के काम आती थी। शनी का छोटा वृक्ष शमीर कहलाता था। शनी में उत्तम हृदयवन्त शमीर कही जाती थीं, जिसे शमीर या शामीरी (श्री) भी कहते थे।^१

बंग—बाग और बृग के नाम भाष्यकार ने बंग का उल्लेख किया है।^१ बंग के लम्बे लकड़े को बंगलकड़ कहते थे। इन्दी-नी कन्तु में छोटा-सा काम लेने के अर्थ में एक-एक बराबर ही लकड़ें थीं—बंगलकड़ में लकड़ा खींचना।^१ बंग वृक्ष है और वेणु उसका फल।

गिरीय (*Anacia Surissa*)—यह चींगम का एक भेद है, यद्यपि यह उनसे बहुत बड़ा होता है। गिरीय के वृक्ष बड़ी संख्या में गाँवों के पास पाये जाते थे। बाग भी गाँवों के किनारे वेनों की जगहों की नदों पर गिरीय रोपने की प्रथा है।^१ प्राचीन लोग वृक्षों में भी जीव मानते थे और उनसे मानान्य प्राणि-जिवालो का दर्शन करते थे। उन्होंने गिरीय को मोते हुए देखा था।^१

शाल (*Natica Robusta*)—शाल अपनी लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है। शाल के वृक्ष झुण्ड-के-झुण्ड एक साथ वन के रूप में उगते हैं।^१ भाष्यकार ने शालना (*Asa Foetida*) का भी उल्लेख किया है।^१ शाल के आयात पर व्यक्तियों के शालगुन आदि नाम रखे जाने का पता भाष्य में चलता है।^१

शिंशपा (*Delbergia Sissoo*)—चींगम का नाम है।^१ यह उँचा वृक्ष अपनी लकड़ी

१. आ० १ पृ० ३२ ।
२. खदिरबहुदरयो, खदिरबहुदरी गौरवण्डो सुस्मवर्णो। ततः पश्चात्वाह । कष्टव्रजान खदिर इति ।—१-१-४६, पृ० २८३ ।
३. ५-३-८८, पृ० ४७६ ।
४. ६-२-८२ पृ० २७४ ।
५. ४-३-१४० ।
६. १-१-१३ पृ० १८० ।
७. मोक्ष महतो बंगलकडाल्लद्वाकृष्यते ।—आ० २, पृ० ५२ ।
८. १-२-५१, पृ० ५५० ।
९. ३-१-७ पृ० ३० ।
१०. १-१-१, पृ० ९० ।
११. ३-३-१७ पृ० २९५ ।
१२. १-१-१, पृ० ९२ ।
१३. २-१-५३, पृ० ३१० ।

की मजदूती के लिए प्रसिद्ध है। कभी-कभी शिथला इतना ऊँचा बढ़ जाता है कि आकाश चूमने लगता है।^१ वृक्ष से भिन्न अन्य किसी वस्तु का नाम शिथला नहीं होता।^२

पीलु (Cereya Arborea or Salvadoria Persica)—एक विशेष वृक्ष का नाम है। कुछ लोग खजूर को ही पीलु मानते हैं। पीलु का फल भी पीलु कहा जाता था।^३ यद्यपि वृक्ष पुँल्लिग, किन्तु फल नपुंसकलिंग होता है। जिस मौसम में पीलु पकते थे। उसे पीलुगुण कहते थे।^४ पीलु के मूल के पास दी हुई वस्तु या किया हुआ काम पीलुमूल होता है।

सप्तपर्ण (Alstonia Scholaris)—इसमें सात-सात पत्तों के गुच्छे होते हैं।^५ यह भी क्षीरीवृक्ष है। इसका दुग्ध बहुत सुगन्धित होता है।

कारस्कर—यह एक जहरीला पौधा होता है, जो ओषधि के रूप में काम आता है।^६

देवदार (Pinus Devadru)—देवदार को सरल भी कहते हैं; क्योंकि यह सीधा ऊपर की ओर बढ़ता है।^७ देवदार की लकड़ी यज्ञ-समिधाओं के काम आती थी। देवदार चीड़ (Pinus Longifolia) का एक भेद है। यह बहुत लम्बा होता है। इसकी लकड़ी काटकर बहुत-से अन्य कामों में भी लाई जाती है। भाष्य में देवदार-वन का उल्लेख है।^८ देवदार देव-वृक्ष माना जाता था। मन्दार, पारिजात, सत्तान, कल्प-वृक्ष और हरिचन्दन ये पाँच देववृक्ष गिने जाते थे। इसी प्रकार अश्वत्थ आदि सात ब्रह्मवृक्ष कहे जाते थे।^९ देवदार की लकड़ी देवदाख कही जाती थी।^{१०}

विभीतक—इसके सकवच फलों का उपभोग होता था। इसकी लकड़ी का यज्ञयूप भी बनता है, जिसे वैभीतक कहते थे।^{११}

चन्दन—चन्दन अपनी गन्ध के लिए प्रसिद्ध है।^{१२} पर यह गन्ध तीव्र नहीं होती।^{१३}

ऋषभ—यह एक विविष्ट ओषधीय वनस्पति है। यह नदी के किनारे अधिक होती है

१. ५-१-२, पृ० २९७ ।

२. ५-१-२, पृ० २९७ ।

३. ७-१-७४, पृ० ७२ ।

४. ५-१-९७, पृ० ३४४ ।

५. पर्वणि पर्वणि सप्तपर्णान्यस्य सप्तपर्णः ।—८-१-१, पृ० २६० ।

६. ६-१-१५७, पृ० १९४ ।

७. ३-१-९७, पृ० १८० ।

८. ८-४-६, पृ० ४७८ ।

९. सप्तकाः देववृक्षाः ।—५-१-५८, पृ० ३२६ ।

१०. ४-३-१३६ ।

११. ५-१-२, पृ० २९६ ।

१२. २-२-८, पृ० ३४३ ।

१३. २-२-८, पृ० ३४३ ।

और कगार के ढाहने में सहायक का काम करती है।^१ सम्भवतः इसकी जड़ें कूल में दरार पैदा कर देती हैं। भाष्य में प्रचुर ऋषभवाले वन का उल्लेख मिलता है।^२

कंक—आम का एक भेद है।

कुरर (*Capparis Aphylla*)—वृक्षविशेष। भाष्य में कहा है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है।^३ पत्ता नहीं, कक या कुरर का पत्ता गिरता है। कक और कुरर पक्षी भी होते हैं। उनके पत्त को लेकर भी सन्देह होता है।

रुह—एक फलवान् वृक्ष है, जिसकी लकड़ी की शम्या (एक यज्ञपात्र) बनाई जाती थी। इससे खूँटी या वैल के जुये में किनारे पर डाली हुई लकड़ी, जो वैल को जुये से बाहर निकल जाने से रोकती है, बनती थी।^४

आम्र—यह फलवृक्ष है। आम्र के फल को भी आम्र कहते हैं। सेवा-सिंचन द्वारा आम्र के पेड़ बड़े हो पाते हैं। फलों के लिए आम्र सेवा चाहते थे। भाष्य में 'एक पत्थ दो काज' के अर्थ में एक कहावत दी है^५ : 'आम भी सिंच गये और पितर भी प्रसन्न हो गये।' इसे द्विगत हेतु कहते हैं। इससे अनुमान होता है कि लोग दैनिक तर्पण आम्र के आलवाल में कर लेते थे। आम्र के वगीचे गाँवों के चारों ओर लगाने की प्रथा थी और आज भी है।^६ एक स्थान पर कहा है कि आम्र के पेड़ गाँव के पूर्व की ओर है। 'पूछे खेत की कहे खलिहान की' इस अर्थ^७ में आम्र को लेकर एक कहावत^८ चल पड़ी थी—'पूछी आम की कहीं कोविदार की'। आम्रफल से बनी हुई खाद्य-पेय वस्तुओं को आम्रमय कहते थे। व्यक्तियों के नाम तक आम्र के आधार पर रखे जाते थे। यथा आम्रगुप्त, शालगुप्त। इनकी सन्तान 'आम्रगुप्तायनि' कहलाती थी।^९

कदली (*Musa Sapientum*)—कदली का फल तो उपयोगी है ही, उसका स्तम्भ पुण्य कार्यों में काम आता था। कदलीस्तम्भ काटना दूषित नहीं माना जाता था।^{१०}

बदरी—बदरी का फल बदर कहलाता था।^{११} बेर खाने का प्रचार प्राचीन भारत में अधिक मालूम होता है। द्रोण-भर बदर एकत्र कर रखे जाने की चर्चा एक स्थान पर उदाहरण रूप में आई है।^{१२} इतना ही नहीं, लोग बेरो को सुलाकर पेटियों और पिटारियों में रखते थे।

१. ऋषभं कूलमुद्रजम्, ऋषभं कूलमुद्वहम् ।—१-४-८०, पृ० १९९ ।

२. १-४-६०, पृ० १९१ ।

३. १-४-२३, पृ० १५५ ।

४. २-१-१, पृ० २५८ ।

५. आम्रावच सिचताः पितरश्च प्रीणिताः ।—८-३-३, पृ० ३१६ ।

६. १-१-५६, पृ० ३४२ ।

७. आम्रान् पृष्टः कोविदारनाचक्षते ।—१-२-४५, पृ० ५३२ ।

८. ४-३-१५६, पृ० २६९ ।

९. १-१-१, पृ० ९२ ।

१०. आ० २, पृ० ४८ ।

११. २-२-५, पृ० ३३६ ।

१२. वही ।

भाष्यकार ने तद्गुणता का उदाहरण देते हुए कहा है कि वेरो की पिटारी में कोई तंबी की कटोरी पान्न रख दिया जाय, तो वह भी वेरो से भरा हुआ दिखने लगेगा।^१

बदर का वृक्ष बदरी कहलाता था। इसमें नन्हे-नन्हे कांटे होते हैं। यह मधुर फलवाला वृक्ष है। भाष्यकार ने बदरी की परिभाषा उक्त प्रकार से दी है।^२ बदरी से बनी वस्तु वादर होती है।^३

विल्व—विल्व की गणना फल और औषध दोनों प्रकार के वृक्षों में है। विल्व का फल भी विल्व (नपुं०) कहलाता है। विल्व से बनी वस्तु या उसके अवयव को वैल्व या विल्वमय कहते हैं। जिस भूमि में विल्व के पेड़ लगाये जाते थे, उसे विल्वकीय कहते थे।^४ विल्वकीय से भावार्थ में विल्वक शब्द बनता है। वैल्वक विल्व-भूमि में उत्पन्न किसी भी वृक्षलता आदि को कह सकते हैं। विल्व-वृक्षों का समूह विल्व-वन होता है और उसमें रहनेवाले वैल्ववन।^५

कपित्थ—यह ओषधि-वर्ग का वृक्ष है। कपित्थ का रस ओषधि के काम आता था।^६

पिप्पल (Ficus religiosa)—यह प्लक्ष न्यग्रोध-वर्ग का क्षीरीवृक्ष है।^७

कटुबदरी—एक पौधे का नाम है। भाष्य में एक ग्राम का उल्लेख है, जिसका नाम कटुबदरी के समीप होने के कारण कटुबदरी हो गया था।^८

हरीतकी—यह ओषधि-वर्ग की वनस्पति है। इसके फल भी हरीतकी कहलाते हैं।^९

दाडिम—फलवृक्ष है। इसके फल भी दाडिम (नपुं०) कहलाते थे।^{१०}

आमलकी—आमलकी का फल आमलक होता है।^{११} आमलकी आदि के (Embbia Myrabalan) के फल पकने पर लाल और पीले पड़ जाते हैं।^{१२} फिर भी, वे आमलक और बदर ही रहते हैं। आमलकी से उत्पन्न फल या अन्य वस्तुओं के लिए आमलकीज शब्द आया है।^{१३} बदर और आमलक का उल्लेख कई वार साथ-साथ हुआ है।^{१४}

१. बदरपिटके रिक्तको लोहकंसस्तद्गुण उपलभ्यते।—१-२-३०, पृ० ५०३।

२. बदरी सूक्ष्मकण्टका मधुरा वृक्ष इति।—१-२-५२, पृ० ४४५।

३. ६-४-१५३, पृ० ४९१ तथा ४-३-१३६, पृ० २६१ तथा ४-३-१४३, पृ० २६३।

४. ६-४-१५३, पृ० ४९१।

५. ४-२-५२, पृ० १९४।

६. ४-३-१५५, पृ० २६६।

७. आ० २, पृ० ६६।

८. १-२-५१, पृ० ५५०।

९. १-२-५२, पृ० ५५५।

१०. १-१-१, पृ० ९४।

११. १-१-५८ तथा आमलकादीनां फलानां रक्तादयः पीतादयश्च गुणाः प्रादुर्भवन्त्यामलकं बदरमित्येव भवति।—५-१-११९, पृ० ३५५।

१२. वही।

१३. ६-२-८२, पृ० २७४।

१४. २-४-१२, पृ० ४६६।

जम्बू—जामुन को कहते थे। इसका फल भी जम्बू कहा जाता था।^१

पिप्पली (Peper Langum)—पीपल के वृक्ष और फली दोनों को पिप्पली कहते थे।^२ पिप्पली का आधा भाग वर्षापिप्पली कहलाता था।^३

उदुम्बर—उदुम्बर या गूलर का फल लाल होता है।^४ भाष्य में कहा है कि उदुम्बर में लाल फल पकता है। इसीलिए, ताँवे के लोटे को भी उदुम्बरवर्ण कहा है।^५ यह साम्य उदुम्बर फल के रंग से ही है।^६

शृंगवेर—अदरक का पुराना नाम शृंगवेर था। यही शब्द मोठ के लिए भी प्रयुक्त होता था। इसका स्वाद तीखा कड़ुआ होता है।^७

कोशातकी (Trichosanthes diocca or Luffa ocutangulla or Luffa Pentendra)—घतूरे का दूसरा नाम है। इसके फल को भी कोशातकी या कोशातकीका कहते हैं।^८

गुग्गुलू—ओषधि-वृक्ष है।^९ इसका गोद ओषधि-रूप में व्यवहृत होता है।

मबू—महुए का वृक्ष है। इसे मबूक भी कहते हैं।^{१०} इसके फल उपयोगी होते हैं।

नीली—यह भी ओषधि वनस्पति है।^{११} इसकी छेती की प्रथा रही है।

कोविदार (Bohinia variegata)—एक त्वरिगिक वृक्ष।^{१२}

ताल—संस्कृत-साहित्य में ताल वृक्ष (ताड़) जाकतालीय न्याय के कारण बमर हो गया है। जाक जाकर वैदा कि ताल अचानक गिर गया^{१३} और कारण न होते हुए भी उनमें कारण-कार्य-भाव दिखने लगा। वास्तव में दोनों क्रियाओं में कोई सम्बन्ध नहीं है।

पनस—कटहल को पनस कहते हैं, जो शाक के कान आता है। भाष्यकार ने पनस को पकाने की बात कही है।^{१४} पनस का फल भी पनस (नपुं०) होता है।

१. ४-१-११९, पृ० १३८ ।

२. १-२-४४ पृ० ५२४ ।

३. १-२-७२, पृ० ६०६ ।

४. तस्मादुदुम्बरः सलोहितं फलं पच्यते ।—३-१-८७, पृ० १५४ ।

५. आ० १, पृ० ५ ।

६. न हि गुड इत्युक्तं मधुरत्वं गम्यते शृङ्गवेरमिति वा कटुकत्वम् ।—२-१-१, पृ० २५३ ।

७. ५-३-७२, पृ० ४६९ ।

८. ४-१-७१, पृ० ७७ ।

९. ४-१-७१, पृ० ७७ ।

१०. ४-१-४२, पृ० ५५ ।

११. १-२-४५, पृ० ५३२ ।

१२. ५-३-१०६, पृ० ४८० ।

१३. १-१-७ पृ० १५४ ।

१४. ५-१-२, पृ० २९६ ।

तुम्बूह—(Carlander or Dioshyros Embryoptens) घनियाँ को कहते हैं।^१
इसका फल भी तुम्बूह कहलाता है।

त्रपुस—फलविशेष। वही और त्रपुस एक साथ खाने से ज्वर अवश्य बढ जाता है। भाष्य-
कार ने दधि और त्रपुस को प्रत्यक्ष ज्वर कहा है।^२

कुवली—एक विशेष प्रकार की स्वादिष्ट वेरी या मकोय होती है। कुवली से वनी वस्तु
को कौवल कहते हैं।^३

अलाबू—लौकी और कद्दू का पुराना नाम है। इसका फल अलाबू कहा जाता था।^४

कर्कन्धु—जगली वेरी (झरवेरी) के झाड को कहते थे। इसका फल भी कर्कन्धु (नपु०)
कहा जाता था।^५ काठक स० (१२-१०) मैत्रा० स० (३-११-२) के अनुसार कुवल और बदर
भी इसी श्रेणी के हैं।

दन्मु—यह भी एक फलवृक्ष की संज्ञा थी।^६

पीलु—फलवान् वृक्ष है। महाभारत के अनुसार शारकोट तथा पजाव मे पीलु-वृक्षो का
आधिक्य था।

उपर्युक्त सूची के अन्तर्गत विना फलवाले एव फलवान् वृक्ष, कुछ लताएँ, जो ओषधि के
काम आती हैं, एव कुछ वनस्पति भी आ गये हैं। इनमे दो प्रकार के वृक्ष आये है। एक वे,
जो दाह द्वारा देश की आवश्यकताओ की पूर्ति करते हैं और अर्थ-व्यवस्था के स्थायी अंग हैं।
इनकी लकडी भवन आदि के निर्माण का मुख्य सावन है। दूसरे प्रकार के वृक्ष वे हैं, जो फलो के
द्वारा बहुत कुछ खाद्य पदार्थों की पूर्ति करते हैं और इस प्रकार देश की उपज मे वृद्धि करते हैं।
वे भी प्रत्यक्षरूपेण राष्ट्र की अर्थ-सम्पत्ति के अंग हैं।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य लताएँ है, जो या तो वृक्षो के सहारे बढती है या कभी-कभी
स्वतन्त्र रूप से फैलती है। इनमे कुछ फलवती हैं और कुछ केवल पुष्पमयी। कुछ उभयविहीन
हो सकती है। नीचे भाष्य मे वर्णित लताओ, मूलो एव पुष्पो की सूची प्रस्तुत की जाती है।

द्राक्षा—यह लता-वर्ग के अन्तर्गत है। द्राक्षा मधुरफला होती है। भाष्यकार ने द्राक्षा
को गुडकल्पा कहा है।^७

विम्ब—इसका फल लाल होता है। ओष्ठ की लाली का सुप्रसिद्ध उपमान विम्ब है।^८

१. १-१-४७, पृ० २९०।

२. दधित्रपुससं प्रत्यक्षो ज्वरः।—१-१-५९, पृ० ३८५।

३. ४-३-१५६, पृ० २६९।

४. ६-३-३१, पृ० ३३९।

५. वही

६. वही।

७. ५-३-६७, पृ० ४६१।

८. ६-१-९४, पृ० १५१।

सुवर्चला—सूर्यमुखी को कहते हैं। इसका पुष्प पूर्वाभिमुख ही रहता है। भाष्यकार ने कहा है कि सुवर्चला सदा सूर्य के पीछे-पीछे घूमती है।^१

उत्पल—कमल का एक नाम है। इसके पुष्प माला के रूप में भी धारण किये जाते थे।^२ आज भी ग्राम-कन्याएँ पुष्करणियों से उत्पल तोड़कर उनकी मालाएँ बनाकर पहनती हैं। कमल के नाल को विस कहते हैं।^३ विस पानी में पड़ा-पड़ा अपने-आप बढ़ता रहता है।^४ विस बहुत कोमल होता है और जलने पर उसके विकार नहीं दिखाई देते।^५ मृणाल और विस के मूल की मृणाल और विस ही आख्या थी।^६

मल्लिका—मल्लिका जूही का प्राचीन नाम है। यह सुगन्धित पुष्पोवाली लता है। भाष्य ने अवखिली मल्लिका को कलियों की चर्चा की है।^७ मल्लिका के पुष्प को भी मल्लिका ही कहते थे।^८

चम्पक—चम्पक के पुष्प की गन्ध मल्लिका से भी तीव्र होती है। चम्पा लता है और चम्पक पुष्प। बिना खिली चम्पा को कली को चम्पक-पुट कहते हैं।^९

सत्पुष्पा, प्राक्पुष्पा, काण्डपुष्पा, प्रान्तपुष्पा, शतपुष्पा (सौंफ), एकपुष्पा ये पुष्पवती लताओं के विशिष्ट नाम हैं या उनके वर्ग।^{१०} इनमें प्रत्येक नाम सार्यक हैं। सत्पुष्पा सुन्दर पुष्पोंवाली लता है। प्राक्पुष्पा में पुष्पों की सामान्य ऋतु में अन्य लताओं से पहले फल आते हैं। काण्ड-पुष्पा की डालों पर ही फूल लगते हैं—पनस के फलों के समान। वृन्त पर फूल नहीं लगते। कुछ लताओं में ऊपरी किनारे पर भी पुष्प आते हैं। किसी की एक साथ शत-शत पुष्पों से गोद भर जाती है और किसी में केवल एक ही फूल खिलता है।

करवीर—करवीर पुष्पवान् होता है। इसके पुष्प को भी करवीर कहते थे।^{११}

संफला—सफला, भस्त्राफला, अजिनफला, पिण्डफला, शणफला और त्रिफला में अतिम को छोड़कर शेष विशिष्ट लताओं के नाम हैं। सफला श्रेष्ठ फलवाली, भस्त्राफला बड़े घोंकनी जैसे फलवाली, अजिनफला चिपटे छिलके के फलवाली, पिण्डफला सम्भवतः पिण्डलजूर, शणफला सन और त्रिफला आंवले, हरड और बहेड़े का नाम है।^{१२}

१. सुवर्चला आदित्यमनुपर्येति ।—३-१-७, पृ० ३० ।
२. १-१-७२, पृ० ४५५ ।
३. १-१-५०, पृ० ३०७ ।
४. आसीर्नं वर्षते विसम् ।—३-२-१२६, पृ० ३६५ ।
५. ३-२-१२३, पृ० २५७ ।
६. ४-३-१६६, पृ० २७२ ।
७. २-१-१, पृ० २४० ।
८. ४-३-१६६, पृ० २७२ ।
९. २-१-१, पृ० २४० ।
१०. ४-१-६४, पृ० ७४ ।
११. ४-३-१६६, पृ० २७२ ।
१२. ४-१-६४, पृ० ७४ ।

पलाण्डु—प्याज का संस्कृत नाम है। पलाण्डु का प्रचार उच्च वर्णों में नहीं था। तामस भोजन में इसकी गणना थी, यद्यपि यह खाद्य माना जाता था।^१

मूलक—मूली के लिए प्रयुक्त हुआ है। मूली काटकर खाई जाती थी। उसके साथ अन्य भोज्य पदार्थों का योग रहता था।^२ पाटल-मूल, सम्भव है, गाजर को कहते हों।^३

पाटलि—पाटलि के मूल का प्रयोग होता था। इसके मूल को पाटल कहते थे। पाटलि शब्द त्रिलोकादिगण (४-३-१३६) में परिगणित है। पाटल-मूल लाल वान को भी कहते थे। भाष्य में पाटल-मूलों का उल्लेख है।

फैलनेवाली लताओं का वृक्ष से स्वतन्त्र अस्तित्व है। वृक्ष को काट दिया जाय, तो भी लता का कुछ विगड़ता नहीं।^४ हेमन्त में जब लताओं और वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, तब उन्हें प्रपलाश कहते थे।^५

तृणों में निम्नलिखित का उल्लेख भाष्य में मिलता है—

पूतीक—तृणों में पूतीक का प्रयोग सोम के अभाव में यज्ञादि कर्मकाण्डों में होता था।^६ इसे बिछाकर लोग सोते भी थे।^७

नड्वल—नड्वल के रस से पाँवों में महावर का काम लिया जाता था।^८

इषीक—इषीक एक तृण जाति है, जिससे सीके निकालकर झाड़ बनती है।^९ शतपथ में इषीक से बने शूर्प का उल्लेख है।

मुंजेषीक—यह इषीक से बड़ी जाति की होती है।^{१०} इससे छप्पर छाये जाते हैं। बड़ी जाति की इषीक का प्रयोग पतली लकड़ी (शरकाण्ड) के रूप में होता है। कड़ी हुई मूँज को विपूय कहते थे।^{११} इसी से मूँज निकालकर रस्ती बनाई जाती है। शरादिगण (४-३-१४४) में शर, दर्भ, सोम, बल्वज का परिगणन किया है।^{१२} दर्भ और दर्भकाण्ड का उल्लेख कई वार मिलता है। दर्भ के वन पर्याप्त मात्रा में थे। इन वनों के समुदाय को कुण्ड कहते थे। भाष्य में दर्भकुण्ड का

१. २-२-३६, पृ० ३९२ ।

२. ४-१-४८, पृ० ६१ ।

३. ४-३-१६६, पृ० २७२ ।

४. १-२-६४, पृ० ५९७ ।

५. १-४-१, पृ० १०७ ।

६. १-१-५६, पृ० ३४१ ।

७. ३-२-११०, पृ० २४५ ।

८. १-१-५९, पृ० ३८५ ।

९. १-१-७२, पृ० ४५५ ।

१०. वही।

११. ३-१-११७ ।

१२. ४-३-१४४ ।

उल्लेख आया है।^१ फूल जाने पर इपीको से रुई-जैसा घुर्मा निकलता है। मूँज निकालने पर शिब्य (सीकें) शेष रह जाती हैं।^२

बल्वज—तृण जाति है, जिससे रस्सी बनती है। भाष्यकार ने कहा है कि एक बल्वज बाँधने में असमर्थ होता है, किन्तु उनके समूह से बनी हुई रस्सी बाँध सकती है।^३

वीरण—यह तृण है, जिससे चटाई बनाई जाती थी।^४

तृणोलपम्—पानी की घास होती है।^५ उलप जल को कहते हैं।^६

दूर्वा—मगल-पूजन आदि के काम आती है। दूर्वा पड़ी-पड़ी बढ़ती रहती है।^७

इनके अतिरिक्त कुश, काग, अर वध्रं, गीर्य आदि का भी उल्लेख मिलता है, जिनसे सब परिचित हैं। वाध्रं रज्जु वध्रं की बनी होती थी।^८

१. ६-२-१३५, पृ० २८१ तथा ६-२-१३६, पृ० २८१ ।

२. ४-३-१५१ का० ।

३. १-२-४५, पृ० ५३५ ।

४. १-४-८७, पृ० १९८ । *

५. १-२-७५, पृ० ६०८ ।

६. वही ।

७. ३-२-१२६, पृ० ३६५ ।

८. ४-३-१५१ काशिका ।

अध्याय ३

पशु-पक्षी

वर्गीकरण—महाभाष्य मे उल्लिखित प्राणियो को, वर्णन की सुविधा के लिए पाँच भागो में विभक्त किया जा सकता है—ग्राम्य, आरण्य, जलीय, शकुनि और क्षुद्र जन्तु। सूत्रकार और भाष्यकार दोनो ने भिन्न-भिन्न अवसरो पर सुविधानुसार भिन्न दृष्टिकोणो से उनका वर्गीकरण किया है। एक स्थान पर उन्होंने पचनख प्राणियो की एक श्रेणी मानी है।^१ अन्यत्र सहज विरोध-वाले जीवो के एक पृथक् वर्ग की ओर सकेत किया है।^२ एक स्थान पर गवाश्व, गवाविक, गवैडक प्रभृति पशु एक साथ परिगणित किये गये हैं।^३ मृग, शकुन्त और क्षुद्र जन्तु ये वर्ग भी देखने को मिलते हैं।^४ इनके अतिरिक्त पशु, शकुनि मृग जैसी श्रेणियाँ भी मिलती हैं।^५ किन्तु, भाष्यकार या सूत्रकार के ये वर्ग किसी विशेष वैज्ञानिक आधार पर नहीं, प्रत्युत प्रयोग-सिद्धि की सुविधा पर आश्रित हैं।

ग्राम्य पशु—ग्राम्य पशुओ मे गौ, अश्व, अज, अवि, उष्ट्र, कुक्कुट, खर, महिष, रवा और शूकर पालतू थे। ग्रामो के कृषि-प्रधान होने के कारण इन पशुओ की उपयोगिता सर्वाधिक थी। इनमे कुछ तो कृषि के अविभाज्य अंग थे और शेष उसके सहायक। ग्राम्य पशुओ मे भी गो का महत्त्व सर्वाधिक था।

गो—गो शब्द का व्यवहार गाय और बैल दोनो के लिए होता था। गो सम्पत्ति और समृद्धि की सूचक थी। भाष्य मे कहा है कि देवदत्त धनी है, क्योंकि उसके पास गो, अश्व और हिरण्य है।^१ परिवारो मे, विशेषत ब्राह्मण-परिवारों मे न केवल गाय, अपितु बैल भी पालने की प्रथा थी।^२ उपाध्यायो एव गुरुओ को श्रद्धा की प्रतीक गाय भेट मे दी जाती थी।^३ गाय पालनेवाले सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे।^४ गोमान् परिवार या व्यक्ति से प्रेम करने के लिए स्वतन्त्र क्रिया का प्रयोग

१. आ० १, पृ० ११।

२. २-४-९, पृ० ४६४।

३. २-४-११, पृ० ४६६।

४. २-४-१२, पृ० ४६६।

५. आ० १, पृ० १।

६. देवदत्तस्य गावोऽश्वो हिरण्यं च। आढ्यो वैश्वेयः।—१-३-९, पृ० २८।

७. ७-१-७२, पृ० ६२, ६४।

८. १-४-३२, पृ० १६७।

९. ७-२-९८, पृ० १५१।

मिलता है। 'त्रित्री-त्रित्री परिवार के पास सैकड़ों, सहस्रो गाएँ होती थीं।' भाष्यकार ने उदाहरण के रूप में बार-बार और अनेक उदाहरणों के बीच सम्प्रथम गाय का उल्लेख किया है।

गाँ के अर्गों एवं वर्णों के विषय में अर्थन करते हुए भाष्य में कहा गया है कि 'क्या ज्ञान्ता, लंगूल, ककुद और त्रिपाण गो मन्त्र का अर्थ है अथवा शुकुन्ना, नीला, पीला, काला, कपिला या कपोती रंग गो मन्त्र का अर्थ है?' 'त्रि या मन्त्र रंग की गायों और बैलों का उल्लेख भी अनेक बार हुआ है।' गायों के स्तन-भाग को ऊवन् कहते थे। ये ऊवन् सूब भरे-भरे, घट के समान होते थे। 'एक स्थान पर कहा है कि जो व्यक्ति गाय को नहीं पहचानता, उसे गाय की संख्य या कान परकड़कर जोड़ें बतलाना है कि यह गाय है।' भाष्य में बड़े-बड़े और सामान्य चित्ते (पृषत्) वाली गौ का उल्लेख है। 'स्थान-भेद में पतञ्जलि के समय में गाय को गावी, गोगी, गोपोतलिक्का आदि अनेक नामों से पुकारा जाता था।'

गाय के विभिन्न नाम—आयु-भेद से गाय के अनेक भेद थे। श्रद्धिया को वत्सतरु, गर्भवती होने योग्य गाय को उपसर्वा, 'प्रथम-नामाँ को उपसर', पहली बार ब्याई हुई को गृष्टि, 'द्वि-नामाँ को वेहत्', बाणकल ने व्यानेवाली को अद्यश्चीना, 'द्विष वेती हुई को वेनु', छह मास पहले ब्याई हुई को वक्ष्यगी, तथा ऊँची जाति की गृष्टि को महागृष्टि कहते थे। 'गिरवी रती गई गाय वेनुष्या कही जाती थी।'

१. ७-१-७०. पृ० ६०।

२. २-१-५१, पृ० ३०५ तथा ५-२-११८, पृ० ४१९।

३. आ० १, पृ० १।

४. किं तर्हि सात्नालाङ्गलकुहविषाण्यर्यहपं स शब्दः? नेत्याह। यत्तर्हि तच्छृक्लो नीलः कृष्णः कपिलः कपोत इति स शब्दः।—आ० १, पृ० १।

५. १-१-५६, पृ० ३५०।

६. ६-१-२८, पृ० ५६ तथा ४-१-२५, पृ० ४७।

७. १-१-१, पृ० १०१।

८. आ० १, पृ० ३।

९. आ० १. पृ ५।

१०. ३-१-१०४।

११. ३-३-७१।

१२. २-१-६५।

१३. ५-२-१३।

१४. २-१-६५।

१५. वही।

१६. वही।

१७. ६-२-३८, पृ० २५८।

१८. ४-२-८९. पृ० २५८।

कुछ गायें प्रतिवर्ष जननेवाली होती हैं और कुछ तीसरे वर्ष। प्रतिवर्ष जननेवाली गाय तीसरे वर्ष जननेवाली से अच्छी मानी जाती थी। प्रसूति में बछड़े की अपेक्षा बछिया का महत्त्व अधिक था। ऐसा मालूम होता है कि जितनी भूमि कृषि के उपयोग में आती थी, उसके लिए बैलों की सख्या पर्याप्त थी। वे मँहगे दामों पर नहीं विकते थे। उसकी तुलना में गायों की सख्या कम रही होगी। यज्ञादि कर्मकाण्डों एवं दैनन्दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घी और दूध की आवश्यकता अधिक थी। विशेषतः उन परिवारों में जो कृषिजीवी नहीं थे। बैल की अपेक्षा गाय का मूल्य अधिक था, इसीलिए भाष्यकार ने बछड़ा जननेवाली गाय की अपेक्षा बछिया जननेवाली गाय को श्रेष्ठ माना है।^१

गव्य—गायों से प्राप्त होनेवाली वस्तुएँ गव्य कहलाती थीं। दूध को पिलाने के बाद बछड़ों को बाँध दिया जाता था। शेष दूध पालक अपने उपयोग के लिए निकाल लेता था। कालिदास ने 'पीतप्रतिवद्धवत्सा' तथा 'वत्सस्य होमार्थविवेच्य शोषम्' द्वारा इसे सूचित किया है।^२ इन गायों के ऐन कूड़े और घड़े के समान होते थे। दूध दुहने के लिए उपयोग में आनेवाला पात्र 'गोदोहन' कहलाता था।^३ दूध को गोदोह कहते थे। दूध दुहने की क्रिया भी गोदोह कहलाती थी।

जिस समय दूध दुहा जाता था, वह काल 'तिष्ठद्गु' कहलाता था,^४ क्योंकि इस समय दूध दुहाने के लिए गायें स्थिर खड़ी रहती हैं। तैत्तिरीयसंहिता (७-५-३-१) के अनुसार प्रातः, सगव और साय ये तीन दोहन-काल हैं। तैत्तिरीयसंहिता (१-४-१-२) के अनुसार वे तीन बार चरने जाती थीं। कुछ लोगों के मत में मध्य में वे सगविनी में ठहरती थीं। यह भ्रान्ति सगव का अर्थ न समझने के कारण हुई है। दूध के लिए गाय ही पाली जाती थी। दुग्ध का अर्थ ही गोदुग्ध होता था। माहिष पयः का उल्लेख भाष्य में कहीं भी नहीं मिलता, यद्यपि गोकुल^५, गोक्षीर और गोपाल की चर्चा पुनः-पुनः आई है। गायों में कृष्णा अविक दुवार होती है, इस बात से भाष्यकार परिचित थे।^६

दुग्ध से दधि एवं दधि से तक्र और मक्खन तैयार होता है। दधि का प्रयोग दैनन्दिन भोजन में बहुत होता था। भाष्य में दधि के साथ भात खाने की चर्चा बार-बार आई है।^७ तक्र के लिए भाष्यकार ने मथित और उदविवत् शब्दों का प्रयोग अधिकतर किया है। मट्ठा वेचकर

१. गौरियं या समासमा विजायते। गोतरियं या समासमा विजायते स्त्री वत्सा च।—
५-३-५५, पृ० ४४५।

२. रघुवंश, सर्ग २।

३. ३-२-१२३, पृ० ३१८।

४. २-१-१७, पृ० २७४।

५. १-२-४८ पृ० ५४५।

६. गोषु कृष्णा बहुक्षीरा। कृष्णा गवां सम्पन्नक्षीरतमा।—४-३-४२, पृ० ४२३।

७. १-१-४७, पृ० २८७।

कुछ लोग जीविका चलाते थे। इन लोगो को माथितिक कहते थे^१। मक्खन के लिए हैयगवीन शब्द का व्यवहार होता था।^२ उसी से घृत तैयार किया जाता था। घृत आयुर्वेदक माना जाता है। इसीलिए घी आयु है,^३ इस प्रकार का वाक्य प्रयुक्त होता था। इससे स्पष्ट है कि गाय भारतीय परिवार का विगिष्ट अंग बन गई थी। इसी कारण गृहस्थ-भोजन में अग्रवलि गाय के लिए निकालते थे।^४

गोचारक—घेनुओ का समूह घैनुक कहलाता था।^५ ग्वाले घैनुक को चराने के लिए नियुक्त थे। ये गाँव-भर की गायो को एक साथ चराने ले जाते थे और सन्ध्या के समय गिनकर उन्हे वापस कर जाते थे।^६ इसके लिए उन्हे प्रत्येक घर से मासिक या षाष्मासिक वृत्ति मिलती थी। दछडे घर पर रह जाते थे और सध्या के समय बाहर चरकर जाने के बाद दछडे तथा गाय डकट्टे बाँध दिये जाते थे।^७ गाय चरानेवाला ग्वाला गोपालक या आगवीन कहा जाता था।^८ जो गायो या बैलो को चराने आदि के लिए उनके पीछे रहता या चलता था, उस गोपालक को अनुगवीन कहते थे। आगवीन गायो के लिए उत्तरदायी होता था। उसे सावधान रहना पडता था, क्योंकि लोग अर्जन, क्रय, भिक्षण या अपहरण द्वारा, जैसे भी हो, गायें प्राप्त करने का यत्न किया करते थे।^९ गाय सपत्ति का अंग थी, इसलिए जिस गाँव या प्रदेश में अधिक गायें होती थी, वह भाग्यवान् माना जाता था।^{१०} जिस प्रदेश में गायें चरती-धूमती रहती थी, उसे गोप्पद कहते थे। जहाँ गायें नहीं जाती या पहुँचती थी, उसे अगोप्पद कहते थे। अगोप्पद शब्द घने अरण्यो के लिए व्यवहृत होता था। प्रमाण अर्थ में भी गोप्पद शब्द का प्रयोग होता था, जैसे गोप्पद क्षेत्र या गोप्पद भर वर्षा। यहाँ गोप्पद शब्द छोटाई या अल्पता का बोधक था।

गोष्ठ—गायो के बाँधने के स्थान को व्रज कहते थे। ये बाडे थे। यो ४-३-३५ सूत्र में इसके लिए गोस्थान और गोशाल^{११} शब्द भी आये हैं। गोशाल के समान अश्वशाला भी पृथक् होती थी। दछडो को बाँधने का स्थान अलग रहता था, जिसे वत्सशाला कहते थे।^{१२} जिस स्थान

१. ५-३-८३, पृ० ४७४ ।

२. ह्योगोदोहस्य विकारः हैयंगवीनं घृतम् ।—५-२-२३, पृ० ३७३ ।

३. १-१-५९, पृ० ३८५ ।

४. ४-१-८५, पृ० ९५ ।

५. ४-२-५५, पृ० १८२ ।

६. १-३-६७, पृ० ८७ ।

७. गावो द्विवसं चरितवत्या यो यस्याः प्रसवो भवति तेन सह शेरते ।—१-१-५०, पृ० ३०९

८. आ तस्य गोः प्रतिदानात् कर्मकारी आगवीनः कर्मकरः ।—५-२-१४, पृ० ३७१ ।

९. २-१-५१, पृ० २९८ ।

१०. ५-१-११९, पृ० ३५५ ।

११. ४-३-३५ ।

१२. ४-३-३६ ।

पर पहले गाये बँधती रही हो, किन्तु वाद मे अन्य उपयोग मे आने लगा हो, उसे गोष्ठीन कहते थे।^१ चरकर लौटने के वाद गाय जहाँ बाँधी जाती है, उस स्थान को गोष्ठ कहते थे।^२ धीरे-धीरे यह स्थान साधारण पशु-शाला का बोधक बन गया और गोशाला को गोष्ठ एव भेड बाँवने के स्थान को अविगोष्ठ कहने लगे। धीरे-धीरे कुछ स्वतन्त्र शब्द जब प्रत्यय बन गये, तब स्थान-बोधन के लिए कटच्, पटच् और गीयुग प्रत्यय प्रयुक्त होने लगे। और इस प्रकार, अविक्कट, उष्ट्रकट, अविपट, उष्ट्रगीयुग, खरगीयुग तत्तत्सम्बन्धी स्थानों के बोधक शब्द बन गये।^३

भाष्यकार को ज्ञात था कि वक्षिया रूप, रग, आकृति, दुधारपन आदि अन्य गुणों मे अपनी माता के समान होती है।^४ प्राय. देखा जाता है कि जो गायें प्रतिवर्ष जननेवाली होती हैं, उनकी सन्तान भी प्रतिवर्ष जनती है। वे जानते थे कि पुरोवात (पूर्वा हवा) गायों के गर्भ-धारण की प्रेरक होती है। इस काल मे ये प्राय. गर्भिणी हो जाती हैं।^५ प्रतिवर्ष जननेवाली गाय को समासमीना कहते थे।^६ मैथुनेच्छा के कारण जब गाय बँल के लिए रँभाती थी, तब उसके लिए एक विशिष्ट क्रियापद का प्रयोग होता था 'वृषस्पति'। वही गाय यदि बिना मैथुनेच्छा के बँल की सपत्ति चाहती, तो उसके लिए 'वृषीयति' क्रियापद का प्रयोग होता था।^७

अन्य या लक्षण—गायें जब चरने के लिए छोड़ी जाती हैं, तब वछड़े भी उनके साथ जाने के लिए आकुल हो उठते हैं।^८ चरते समय खो जाने के डर से एव अन्यदा चोरी आदि से बचाने के लिए पालक गायों के शरीर पर विगिष्ट चिह्न बना देते थे। गाय-बँल स्व या सम्पत्ति के अंग थे। हर व्यक्ति अधिक-से-अधिक परिमाण मे उनके समाहार का इच्छुक रहता था और यह समाहार या स्व चार प्रकार से ही प्राप्त किया जा सकता था—ऋय, अपहरण, भिक्षण और विनिमय से। प्रथम और चतुर्थ के लिए नकद धन या अन्य वस्तु चाहिए थी, और तृतीय के लिए योग्यता या अर्हता। द्वितीय ही सरल हो सकता था।^९ एतदर्थ वे उनके सींगों को रँग देते या छील देते थे। कभी किसी विगिष्ट स्थान को जलाकर दाग देते थे। कभी पूँछ के बाल काट देते थे। कभी गले मे विशेष रंग की रस्ती या घटी बाँध देते थे। इस प्रकार दगी हुई गाय अन्धों के बीच मे सरलता से पहचानी जा सकती थी। इस प्रकार दागी गई गायें अकित कहलाती थी।^{१०} अकित शब्द

१. ५-२-१८।

२. ५-२-२९, पृ० ३७५।

३. वही।

४. मातृकं गाऽत्रोनुहरन्ते।—१-३-२१, पृ० ६२।

५. ६-१-५५, का०।

६. ५-२-१२, पृ० ३७१।

७. ७-१-५१, पृ० ४९।

८. ६-४-१६, पृ० ३८१।

९. समाहरण समाहारः। कः पुनर्गवां समाहारः? यत्तर्जनं ऋयणं भिक्षणमपहरणं वा०।—२-१-५१, पृ० २९८।

१०. अङ्कितता गाव इत्युच्यन्तेऽन्याभ्यो गोभ्यः प्रकाश्यन्ते। अचतरेकोऽकश्च प्रकाशनम्।—८-२-४८, पृ० ३६७।

अच् धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाशन। प्रकाशन के लिए कान या जघा में विशेष चिह्न बनाने की प्रथा अधिक थी। एक स्थान पर भाष्यकार ने कहा है कि गाय की जघा या कान पर बनाया हुआ चिह्न उस गाय का ही विशेषक होता है, सम्पूर्ण गोमण्डल का नहीं।^१ अक या लक्षण का उल्लेख ऋग्वेद (६-२८-३) तथा मैत्रायणीय संहिता (४-२-९) में भी मिलता है।

बैलो का क्रय-विक्रय भी चलता ही था। विक्रय के लिए उपस्थित बैल को 'पष्यगव' कहते थे।^२ बैलो के अच्छे-बुरे लक्षणों की पहचान करने में निपुण लोग, जिन्हें 'गौलक्षणिक' कहते थे, बैलों की परीक्षा कर उनका मूल्य निर्धारित करते थे।^३ साल्व और शकु जनपद के बैल प्रसिद्ध थे। बैलो को तथा अश्वों को नियमित रूप से नमक दिया जाता था, जिसका परिमाण निश्चित था। इस आधार पर गोलवण और अश्वलवण शब्द ही निश्चित परिमाण-बोध के लिए रूढ (सज्ञा) बन गये।^४

बैल—गाय के बछड़े वत्स कहलाते थे। थोड़े वत्स को वत्सतर कहते थे। युवा बैल को उक्ष और उससे बड़े अघेड उम्र के बैल को उक्षतर कहते थे। सशक्त बैल को ऋषभ कहते थे, किन्तु जब वह दुर्बल हो जाता था, तब उसे ऋषभतर कहते थे।^५ जो बछड़ा आगे चलकर श्रेष्ठ बैल बननेवाला होता था, उसे आर्षम्य कहते थे।^६ वत्स पहले दम्य और फिर वलीवर्द बनता है।^७ दम्य अवस्था को प्राप्त होने पर वत्स जुए में जोता जाता था। धीरे-धीरे उसे गाड़ी और हल खींचने में प्रशिक्षित किया जाता था। साधारण बैल केवल गाड़ी के काम आते थे। अच्छे बैल वे माने जाते थे, जो गाड़ी और हल दोनों में काम आयें।^८ बैल रथ भी खींचते थे।^९ प्रदेशों में होने-वाली विशेष नस्लों के आधार पर बैलो की योग्यता और मूल्य निर्धारित किये जाते थे। कच्छ, रकु और साल्व के बैल विशेष प्रसिद्ध जान पड़ते हैं। काशिकाकार ने उनका पृथक् उल्लेख किया है।^{१०} इन प्रदेशों के बैल प्रायः क्रमशः काच्छ, राकव या राकवायण और साल्वक कहे जाते थे। बड़ी जाति के बैल की सज्ञा महोक्ष थी और वृद्ध की वृद्धोक्ष।^{११} वृषभ और अनड्वान् युवा वत्स के अन्य नाम थे। जो दो बैल एक साथ गाड़ी में या हल में जोते जाते हैं, उन्हें सम्बद्ध कहते

१. गोः सक्थनि कर्णो वा कूर्तं लिङ्गं गोरेव विशेषक भवति न तु गोमण्डलस्य।—१-३-६२ पृ० ८१।

२. ६-२-४२, पृ० २५९।

३. ४-२-६०, पृ० १८७।

४. ६-२-४, का०।

५. ५-३-९१, पृ० ४७६ तथा ५-३-९१ का०।

६. ५-१-१३, पृ० ३०५ तथा ५-१-१४।

७. १-१-१ पृ०, १०५।

८. गौरयः शकटं वहति। गौतरोऽयं यः शकटं वहति सीरं च।—५-३-५५, पृ० ४४५

९. २-२-२४, पृ० ३३६।

१०. ४-२-१०० तथा ४-२-१३४ तथा ४-२-१३६।

११. ५-४-७८, पृ० ५०४।

थे।^१ सम्बद्ध बैलो को 'सघुष्टक' भी कहते थे। सघुष्टको मे परस्पर बड़ा प्रेम होता है। वे एक दूसरे को देखकर रँभाते हैं और स्नेह-प्रदर्शनार्थ शब्द करते हैं, इस बात की ओर भी भाष्यकार की दृष्टि गई थी।^२ गोकुक्त जुते बैलो की जोड़ी, अर्थात् युग्म को कहते थे।

बड़े होने पर बैल बाँधकर रखे जाते थे। मारक या चञ्चल बैलो को प्रायः बधिया कर दिया जाता था।^३ बधिया बैल बघ्निका कहे जाते थे,^४ शेष बलीवर्द।^५ यह बात ग्राम्य बैलो पर ही लागू होती थी। आरण्य बैलो को पकड़ना सम्भव नहीं था। साँड भी नहीं पकड़े जा सकते थे। उनका बधिया बनाना कैसे होता ? फिर सवारी या विक्री की तो बात ही नहीं उठती।^६ उदूण्ड बैल तीन-तीन रस्सियों से बाँचे जाते थे और जोर से दहाडते थे।^७ एक रस्सी उनके गले में और दो दाईं बाईं ओर नाथ में बाँधी जाती थी। नये-नये उक्षा यौवन मद में उच्छ्रूल हो जाते हैं और रस्सी तुड़ाकर इधर-उधर भागते फिरते हैं। जोतने पर गाड़ी इधर-उधर ले जाते हैं। ऐसे बैलो के गले में एक लम्बी भारी लकड़ी बाँधी जाती थी, जो दौडते समय उनकी टाँगों में लगती थी। यह लकड़ी प्रासग कहलाती थी और इसे सयुक्त बैल प्रासग्य।^८

बैलो के बड़े-बड़े सींगों को विश्रुकट भी कहते थे और ऐसे सींगोवाले बैल की भी विशाल या विश्रुकट सजा थी।^९ आनन्द में मग्न बैल की दहाड को अपस्किरण कहते थे।^{१०} जाड़े के दिनों में ठण्ड से बचाने के लिए उनपर झूले या मोटे प्रवारक डाले जाते थे। जिन बैलो पर झूले नहीं पडती थी, वे मारे ठण्ड के ठिठुरकर दुबले ही जाते थे।^{११} भाष्यकार का यह कथन विशेष ठण्डे प्रदेश यथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश या पंजाब के विषय में अधिक लागू होता है।

गोपालक—बैल भी गायों के समान एक साथ चलने जाते थे। गाँव का ग्वाला एक साथ सारे बैलो को चलाने ले जाता था। बैल एक साथ ही एक ङण्डे से हाँके जाते थे। भाष्यकार ने अधिकारसूत्र की उपमा एक-दण्ड-प्रघट्टित गोकुथ से दी है।^{१२} अरण्य में ग्वाले एक जगह बैठे

१. सम्बद्धाविमौ दम्यावित्युच्येते यान्यन्योन्यं न जिहीतः।—२-१-१, पृ० २४३।

२. यान्येतानि गोकुक्तकानि संघुष्टकानि भवन्ति तान्यन्योन्यं पश्यन्ति शब्दं कुर्वन्ति।—

१-१-५०, पृ० ३०९।

३. १-२-७२, पृ० ६०९।

४. १-२-५२, पृ० ५५५।

५. १-२-७२, पृ० ६०९।

६. १-२-७३, पृ० ६०९।

७. आ० १, पृ० ६।

८. ६-१-१६१, पृ० २०४।

९. ५-२-२८, पृ० ३७४।

१०. ६-१-१४२, पृ० १९०।

११. गौरिवाकृतनोशारः प्रायेण शिशिरे कृशः।—३-३-२१, पृ० ३०२।

१२. गोर्युथवदधिकाराः। तद्यथा गोकुथमेकदण्डप्रघट्टितं सर्वं समं घोषं गच्छन्ति।—
४-२-७०, पृ० १९४।

गपशप किया करते थे और पशु स्वतन्त्र चरा करते थे। गाय, बैल और बकरियाँ एक साथ चरा करती थी।^१ सहसा किसी बाले का ध्यान पशुओं की ओर जाता, तो साथियो से पूछ बैठता, कोई बैलो की भी रखवाली कर रहा है या नहीं।^२ खोई गायो को ढूँढनेवाली क्रिया अनुपदो कहलाती थी।^३ गाय-बैल स्वतन्त्र वातावरण में पूर्ण उठाकर खेलते या भागते थे।^४ कुछ लोग जलाने के लिए और कुछ खाद के लिए जंगल से गोबर बीन लाते थे। जंगल में गोबर (गोमय) पटा पटा रहता होगा।^५ गोबर जलाये जाने की चर्चा भाष्य में है।^६ आर्द्र और गुष्क गोमय की पृथक्-पृथक् चर्चा होने से गोबर के उपले बनाये जाने का भी संकेत मिलता है।^७

बैलो के विशेषण—बैल रथ खीचने, जुए में जुतने आदि के काम आते थे, इसका उल्लेख ऊपर हुआ है। कभी-कभी दो रथ एक दूसरे में जोड़ दिये जाते होंगे और बैलो की एक ही जोड़ी उसे खींच लेती होगी। भाष्यकार ने ऐसे बैल को, जो दो रथ ढो रहा हो, द्विरथ्य कहा है? जो बैल दो रथों को एक साथ खीचने की शक्ति रखता था या खींचा करता था, उसे द्विरथ्य कहते थे।^१ भाष्यकार रथ, युग (जुआ) और प्रासग का वहन करनेवाले बैल के लिए क्रमशः रथ्य, युग्य और प्रासग्य शब्दों की निष्पत्ति करने के बाद कहा है कि ढोने या खीचने के अर्थ में रथ, शकट, हल और सीर से प्रत्यय करने के लिए अलग सूत्रोल्लेख की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 'तस्येदम्' से ही काम चल जायगा। फिर इसका उत्तर देते हुए कहा है कि शब्दों में अन्तर है, इसलिए पृथक् प्रत्यय-निदान की आवश्यकता हुई, क्योंकि 'रथ खीचता है' और 'रथ को खीचनेवाला' दोनों एक ही बात नहीं है। जो दो रथ खीचता है, उसे द्विरथ्य कहते हैं और जो दो रथ खीचने के योग्य होता है, वह द्विरथ्य कहलाता है। शक्ति और कार्य के अनुसार बैलो के लिए पृथक्-पृथक् विशेषणों का व्यवहार होता था। जैसे धुर्य,^२ धीरेय, सर्वधुरीण, एकधुरीण या एकधुर, शाकट, हालिक, सैरिक, रथ्य, युग्य, द्विरथ्य, द्विरथ आदि। ये नाम जोड़ी के साथ या अकेले जुतनेवाले, गाड़ी, हल, रथ आदि में चलनेवाले, युग (जुए) में जोते जानेवाले दो रथों के खीचनेवाले आदि बैलो के लिए प्रयुक्त होते थे।

लाल बैल को लोहित, काले को कृष्ण और सफेद बैल को श्वेत कहते थे। विना बैल शब्द का प्रयोग किये केवल 'लोहितो धावति, कृष्णो धावति' का अर्थ भी क्रमशः 'लाल बैल दौड़ता है,

१ १-२-७२, पृ० ६७८ ।

२ १-२-५८, पृ० ५५९

३ ५-२-९० ।

४ १-३-६७ पृ० ८६ ।

५ ८-४-३८, पृ० ४९४ ।

६ ४-३-१५५, पृ० २६६ ।

७ ४-२-१२९, पृ० २१६

८ अन्यो हि शब्दो रथ वहत्यन्यो रथस्य बोधेति । द्वौ रथौ वहति स द्विरथ्यः । यो

द्वयो रथयोर्वोहा स द्विरथः ।—४-४-६, पृ० २८४ ।

९ ४-४-७७ से ८१ तक तथा वही काशिका ।

काला बैल दीडता है, यही होता था। भाष्यकार ने कहा है कि अर्ध सर्वत्र नियत-विषय देखे जाते हैं। बैल लाल हो और घोडा भी, तो बैल को लोहित कहते हैं और घोडे को शोण। इसी प्रकार काले और सफेद बैल को क्रमशः कृष्ण और श्वेत कहते हैं, किन्तु घोडे को हेम और कर्क।^१ कृष्ण वृषभ का उल्लेख भी भाष्य में मिलता है।^२

रथ और हल में चलते बैल मार्ग के पास खड़ी फसल में मुँह मार देते ही हैं।^३ यह बात भी भाष्यकार की दृष्टि से छुपी न थी। बैलो को हाँकनेवाले या उन्हें बैठाने, उठाने, अर्थात् उनकी परिचर्या करनेवालो को क्रमशः गोसारथि और गोसाद या गोसादि कहते थे।^४

अश्व—गो और वृष के बाद सर्वाधिक उपयोगी पशु अश्व था। वह सवारी के काम तो आता ही था, रथ भी खींचता था। अश्व और वृष दोनों रथ में जोते जाते थे। रथ में कई घोडे एक साथ जुते थे, इसलिए साधारण घोडे की अपेक्षा उसकी गति तीव्र होती थी। साधारण अश्व दिन में चार योजन चलता^५ था और अच्छी नस्ल का अश्व आठ योजन। पदाति की अपेक्षा आश्विक काम समय में मार्ग तय कर लेता था^६ और आश्विक की अपेक्षा रथिक। जितना मार्ग सामान्य अश्व एक दिन में चल लेता था, उसे आश्वीन अश्व कहते थे।^७ सामान्य अश्व चार योजन और अच्छा घोडा आठ योजन प्रतिदिन चलता था। घोडे के सवार को अश्ववार या अश्वपाल कहते थे।^८ अश्वों से युक्त (जुता हुआ) रथ अश्व-रथ कहलाता था।^९ अश्व युद्ध में भी काम आते थे।^{१०} शिक्षित अश्व हाथी को पराजित कर सकते थे। अश्वरथ तो सग्राम का अनिवार्य अंग था। बैलो द्वारा चलाया जानेवाला रथ गो-रथ कहलाता था। इसी प्रकार उष्ट्ररथ और गर्दभरथ भी होते थे।^{११} अश्व का सवार अश्वारोह^{१२} और साईस अश्ववार^{१३} या अश्वचाल कहलाता था और रथ के सवार को रथिक कहते थे^{१४}। अश्वगाला को 'मन्दुरा' कहते थे।^{१५}

१. २-२-२९, पृ० ३८४।

२. १-१-४, पृ० १३७।

३. ६-१-४७, पृ० २९१।

४. १-२-४१ काशिका।

५. अश्वोऽयं यश्चत्वारि योजनानि गच्छति। अश्वतरोऽयं योऽष्टौ योजनानि गच्छति।—

५-३-५-५५, पृ० ४४६।

६. १-१-७०, पृ० ४४५।

७. ५-२-१९।

८. ८-२-१८, पृ० ३४२।

९. २-१-३४, पृ० २८७।

१०. १-१-७२, पृ० ४४७।

११. ४-३-१२०, पृ० २५१।

१२. १-३-२५, पृ० ६४।

१३. ८-२-१८, पृ० ३४२।

१४. १-३-२५, पृ० ६४।

१५. १-१-३, पृ० १०९।

घोड़ी को 'बडवा' कहते थे।^१ उसके लिए हयी शब्द भी प्रचलित था।^२ घोड़े बैल या गाय के ठीक विपरीत पिता के रूपगुणानुसारी होते हैं।^३ वे चंचल होते ही हैं। सरलता से उन पर बैठी सवारी गिर सकती है; क्योंकि वे छोटी-छोटी बात से चौंक उठते हैं।^४ वैधी घोड़ियाँ रस्सी तुड़ाकर भाग खड़ी होती हैं।^५ बडवा नीले रंग की भी पाई जाती थी।^६ बडवा जिससे गाभिन होती थी, वह (बडवा का पुसहचर) वाडवेय कहा जाता था।^७ वृष शब्द प्राय सभी पशुओं के 'नर' के लिए रूढ हो गया था। लाल अश्व को शोण, काले अश्व को द्वेम और सफेद घोड़े को कर्क कहते थे। भापा में अश्व पर आश्रित एक प्रयोग ही चल पडता था—'नप्टाश्वदग्घरथवत्', अर्थात् मेरे घोड़े खो गये और तुम्हारा रथ टूट गया। मेरा रथ और तुम्हारे अश्व मिलाकर काम चल सकता है।^८ गर्भ धारण की इच्छा से जब घोड़ी घोड़े के लिए हीसती थी, तब 'अश्वस्यति बडवा' प्रयोग होता था। कामेच्छा के अतिरिक्त यों ही साहचर्य के लिए इच्छा करने पर 'अश्वीयति' प्रयोग होता था।^९

सिन्धु-प्रदेश के घोड़े प्रसिद्ध थे। इसलिए घोड़े का सामान्य नाम ही सैन्धव हो गया था।^{१०} शरारती घोड़ों के अण्डकोप कुटवाकर उन्हें भी बैलों के समान बधिया कर दिया जाता था। ऐसे घोड़े बध्नी अश्व कहलाते थे।^{११} अश्व को किशोर भी कहते थे।^{१२}

अश्वतर—घोड़ी (बडवा) और गर्दभ के संयोग से अश्वतर या अश्वतरी की उत्पत्ति होती है। अश्वतर भार ढोने के काम आते हैं।^{१३} अश्वतर का उल्लेख अथर्व में और उसके वाद खूब है। वे शकट खींचते थे।^{१४}

गज—राजा तथा अन्य धनी-मानी लोग गज पालते थे। गज तो द्विप भी कहलाते थे,^{१५} क्योंकि वह मुख तथा सूँड दो-दो स्थानों से पी सकता है। गज के अन्य नामों में 'स्तम्बेरम' भी^{१६}

१. २-४-१२, पृ० ४६८।
२. ४-१-६३, पृ० ७४।
३. पैतृकमशवा अनुहरन्ते ।—१-३-२१, पृ० ६२।
४. १-४-२४, पृ० १६१।
५. ४-१-२७, पृ० ४७।
६. ४-१-४२, पृ० ५५।
७. ४-१-१२०, पृ० १४२।
८. १-१-५०, पृ० ३१३।
९. ७-१-५१, पृ० ४९।
१०. १-१-४ २७४।
११. ६-२-९१, पृ० २७५।
१२. ५-३-९१, पृ० ४७६।
१३. १-२-६५, पृ० ५९८।
१४. वैदिक इण्डेक्स, १-४३।
१५. ३-२-४, पृ० २०९।
१६. ३-२-१३, पृ० २११।

एक था; क्योंकि हाथी स्तम्भ (वृक्ष-गुल्म) में रमण का प्रेमी होता है। स्तम्भ खूँटे या खम्भों को भी कहते थे, जिसमें हाथी का पाँव जजीर से बाँधा जाता था। हाथी का एक नाम मिलगम^१ था; क्योंकि उसकी चाल बड़ी नियमित और मन्थर होती है। गजों का समूह गजता^२ और हस्तियों का समूह हास्तिक कहलाता था।^३ हाथी पालतू होते थे और जगली भी। जगली हाथी को आरण्य गज कहते थे।^४ हिमालय की तलहटी हाथियों के लिए प्रसिद्ध थी। इसी उपत्यका से पालने के लिए हाथी पकड़कर लाये जाते थे।^५ हस्तिक उन्हें प्रशिक्षण देकर चलना सिखलाते थे।^६ सवारी के लिए हाथी बँठ जाता और आरोहक उसपर चढ़ लेते थे। युद्ध का तो वह अनिवार्य अंग था ही। एक स्थान पर भाष्यकार ने कहा है कि हाथी और मशक का सन्निकर्ष समान है, यद्यपि हाथी में प्राणित्व की मात्रा विशेष है।^७ हाथी-दाँत सदा से ही लोगों के आकर्षण के विषय रहे हैं। दाँतों के लिए लोग हाथी का वध करते थे।^८

हाथी को जो कुछ उड़द आदि अन्न खाने को दिया जाता था, उसे हस्तिविधा कहते थे।^९ ऊँचाई या गहराई नापने (उन्मान) के लिए हस्ती प्रतिमान था। हाथी-बराबर गहराई की वस्तु हस्तिद्वयस या हस्तिमात्र कही जाती थी।^{१०} हाथी जब कभी स्तम्भ से खुल जाता, तब नगर में हाहाकार मचा देता था। लोगों को खूँदता-कुचलता सड़को पर घूमता था, जैसा कि मालती-माघव में वर्णित हुआ है।^{११}

उष्ट्र—उष्ट्र माल ढोने और सवारी के काम आता था। वह गाड़ी में भी जोता जाता था।^{१२} रथ खींचता था। ऊँट बाँधने का स्थान उष्ट्रगोष्ठ कहा जाता था।^{१३} पतजलि ने कहा है कि उपमान या सादृश्य के कारण कभी-कभी वस्तुओं का कोई नाम प्रचलित हो जाता है। मूलतः गो बाँधने के स्थान को गोष्ठ कहते थे। बाद में किसी भी पशु के रहने का स्थान गोष्ठ कहलाने लगा। इसी प्रकार, दो बैलों की जोड़ी को गौयुग कहते थे। बाद में उपचारात् ऊँटों की जोड़ी भी उष्ट्र-गौयुग कही जाने लगी। ऊँटों का समूह उष्ट्रकट कहा जाता था।^{१४}

१. ३-२-३८, पृ० २१६।

२. ४-२-२३।

३. ४-१-१, पृ० १०।

४. ४-२-१२९, पृ० २१६।

५. ५-२-९४, पृ० ४०८।

६. १-३-६७, पृ० १५।

७. हस्तिमशकयोस्तुल्यः सन्निकर्षः प्राणिभूयस्त्वन्न तु ।—१-४-१०९, पृ० २१८।

८. २-३-३६, पृ० ४३१।

९. २-१-३६ पृ० २८९।

१०. ४-१-१, पृ० १०।

११. नगरघातो हस्ती ।—३-२-५३, पृ० २१९।

१२. ४-३-१२०, पृ० २५१।

१३. ५-२-२९, पृ० ३७५।

बैलो के समान ऊँटों को भी नमक दिया जाता था। नमक की इच्छा होने पर बैलो के समान ऊँट भी मिट्टी चाटने लगता है। ऊँट की इस कामना के लिए संस्कृत में एक विशिष्ट क्रियापद 'लवणस्यति' का प्रयोग होता है।^१ उष्ट्र-सर, उष्ट्र-गर्दभ, उष्ट्र-करभ और 'नक्वो न गर्दभ' आदि प्रयोगों में उष्ट्र और गर्दभ का बार-बार साथ-साथ उल्लेख होने से अनुमान होता है कि इन दोनों पशुओं का उपयोग-साम्य या साहचर्य था। ऊँट के चालक को उष्ट्रप्रणाय कहते थे।^२ ऊँट के अंग उपमानों का काम देते रहे हैं। ऊँट के समान लम्बी गरदनवाले उष्ट्रग्रीव और उष्ट्र जैसे मुखवाले उष्ट्रमुख कहे जाते थे।^३ इसी प्रकार, खरमुख भी होते थे।^४ ऊँटों का बैठना भी आसन का एक प्रकार था।^५ बैठने की यह मुद्रा उष्ट्रासिका कहलाती थी।^६ सम्भवतः सादृश्य के कारण ही ऊँची गरदनवाली घटी (माप) उष्ट्रिका कही जाती थी।^७ व्याघ्र के समान ऊँट की खाल भी उपयोग में आती थी।^८ कहा नहीं जा सकता कि किस प्रकार इसका उपयोग होता था। ऊँट को करभ भी कहते थे। उसे शृखला में बाँधकर रखा जाता था।^९ वास्तव में यह शृखलावती रस्सी ही होती थी, जो नकेल के रूप में उसे पहनाई जाती है। ऊँट के सवार या सर्दस को उष्ट्रसादि कहते थे।^{१०} उष्ट्र या तो मघ-प्रदेश में मिलते थे या बहुत पहले ही बाहर से भारत में लाये गये थे। वैदिक काल तक में हम उन्हें बौद्ध ढोते और शकट खींचते पाते हैं।^{११}

गर्दभ—उष्ट्र के समान खर भी भार-बहन एवं शकट-बहन के लिए पाला जाता था। उसका उल्लेख प्रायः उष्ट्र के साथ हुआ है। ४-३-१२० सूत्र के भाष्य में गर्दभ द्वारा खींचे जाने वाले शकट को गर्दभ नाम दिया है। रथ को भी गर्दभ कहा है। इससे अनुमान होता है कि खच्चर या गर्दभ रथ में भी जोते जाते थे। ऊँचे स्वर से चिल्लाने के कारण इसे (ख=छिद्र + र=बाला) खर कहने लगे थे। गर्दभ मुख्य रूप से भार ढोने के काम आते थे।^{१२} खर पालने की प्रथा के आधिक्य का पता गोस्थान, गोशाल और अश्वस्थान के समान (४-३-३५) सूत्र में खरखाल के उल्लेख से चलता है। गाँवों में प्रत्येक प्रकार के पशुओं के बाँधने के लिए शालाएँ रहती थी, जिसका अपभ्रंश रूप 'सार' आज भी प्रचलित है। घुडसार का 'सार' भी इसी शाला का अपभ्रंश है। गधे पर सवारी

१. ७-१५१, पृ० ४९ ।
२. ३-२-१, पृ० २०१ ।
३. १-१६३, पृ० ४०७ ।
४. १-१-७०, पृ० ४४२ ।
५. ३-१-६७, पृ० १२६ ।
६. वही ।
७. ४-१-३, पृ० २२ ।
८. ४-३-६०, पृ० २३८ ।
९. ५-२-७९, पृ० २९९ ।
१०. ६-२-४० ।
११. अथर्व० २०, १२७-१३२ ।
१२. ८-३-३३, पृ० ३५४ ।

भी की जाती थी।^१ गधो की जोड़ी को खरगोयुग कहते थे।^२ एक स्थान पर भाष्य मे गर्दभ के कापाय रग के कानो का उल्लेख मिलता है।^३ भूरे रग के गधों की स्वतन्त्र नस्ल की चर्चा एक स्थान पर है। खर आरभ्यक भी होते थे।^४ यह तो निर्बिवाद है कि खर आज के समान अस्पृश्य नहीं था। गर्दभ के दो पाँवों के कापाय (गेरुआ) रग का उल्लेख भी मिलता है।

महिष—महिष और महिषी पतजलि-युग मे विशेष लोकप्रिय नहीं थे। सारे देश मे उन्हे पालने की प्रथा नहीं जान पडती। वे प्राय अरभ्यो मे रहते थे। आज भी भारत के किसी भाग मे उनका उपयोग होता है और किसी मे नहीं। तरुण भैंसों को, जिनके सींग निकल रहे हों, कटाह कहते थे।^५

अजा और अवि—अजा को कृपक लोग घन मानते थे।^६ भाष्यकार ने कहा है कि देवदत्त के पास अजा और अवि-घन है। यह नहीं कह सकते कि किसके पास अजा-घन है और किसके पास अवि-घन। इन दोनों को घन मे गिनने का कारण भी था। प्रारम्भ मे अविकाश भारतीय किसान भेड-वकरियाँ पालते थे। वैदिक काल मे ये सम्पत्ति मानी जाती थी, इसलिए इनके पालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। गान्धार और परुष्णी की ऊनवाली भेडों का उल्लेख ऋग्वेद मे बार-बार मिलता है। वाद मे हिमालय-प्रदेश ऊर्णा का प्रमुख स्रोत बन गया। भेड़ी और वकरियों का प्रमुख उपयोग ऊन और मास प्राप्त करना ही था।

गो के वाद सर्वसाधारण के सर्वाधिक उपयोग का प्राणी अजा थी। हाथी, अश्व आदि को सब लोग नहीं पाल पाते थे। अजा दूध देती थी। वर्ष मे बहुत सारे बच्चे देती थी। बकरे का मास खाया जाता था। उसके चमड़े मजक आदि के काम आते थे। इसीलिए, अज और अवि को घन कहा है। अवि का ऊन और मास दोनों काम मे आते थे। जिस खेत मे वे रात-भर बैठ जाती, वह खाद पाने के कारण अधिक उपजाऊ हो जाता था। यज्ञों मे भी बकरे की बलि दी जाती थी।^७ गो और अज दोनों यज्ञ मे बलि किये जाते थे।^८ अज को बकर भी कहते थे।^९ अज अनेक शफाला प्राणी है।^{१०} इस प्रकार, भाष्यकार ने प्राणियों के द्विशफ और अनेकशफ ये वर्ग भी बतलाये है। अज छोटा पशु है। उसे आते-जाते लोग अपने साथ एक गाँव

१. ६-२-५० ।

२. ५-२-२९, पृ० ३७६ ।

३. कापायौ गर्दभस्य कर्णौ ।—४-२-२, पृ० १६६ ।

४. २-१-६९ पृ० ३२३ ।

५. १-१-२२, पृ० २०६ तथा ४-२-८७, पृ० १९६ ।

६. अजाविबनी देवदत्तयजदत्ती न ज्ञायते कस्याजाघनं कस्यावय इति —१-१-४६, पृ० २८० ।

७. गौरनुवध्योऽजोमिषोमीयः ।—४-१-९२, पृ० ११५ ।

८. वही ।

९. १-२-६५, पृ० ५९८ ।

१०. १-२-७३, पृ० ६०९ ।

से दूसरे गाँव ले जाया करते थे।^१ अज-बलि की चर्चा तो अनेक स्थानो पर है। एक स्थल पर इन्द्र और अग्नि को छाग की हवि देने का उल्लेख है।^२ अज और मेढे का साथ उल्लेख भी मिलता है।^३ महात्र वडे वकरे का वाचक था और उरभ्र मेढे का। भाष्यकार ने अलोमिका एडका का उल्लेख किया है।^४ ऊन काट लेने के बाद भेड अलोमिका हो जाती है। ऊन काटनेवाले व्यक्ति को अविलवन कहते थे।^५ ऋग्वेद में अवि का वार-वार उल्लेख है। वाद में उसका उल्लेख अज के साथ समस्त पद में प्राय मिलता है। वृक इनका सबसे बड़ा शत्रु था। सोमरस छानने की चालनी भेड की ऊन की बनी थी। गान्वार की भेड ऊन के लिए प्रसिद्ध थी। डॉ० पिगल के मत से परुष्णी (रावी या इरावती) नाम ही परुष् से बनी होने के कारण पडा था।^६

अवि का मास भी वकरे के समान खाया जाता था। अवि के मास को आविक कहते थे। आविक शब्द की व्युत्पत्ति आविक शब्द से मानी है।^७ अज ऊँची-नीची किसी भी जगह पर जा सकता है। इसलिए, मानव-दुर्गम सँकरे मार्ग को अजपथ कहते थे।^८ कुछ लोग भेड-वकरी खरीदने-बेचने का व्यवसाय करते थे और उसी से गुजारा करते थे।^९ तौल्वलि इसी प्रकार के व्यवसायी, थे इसलिए उनका नाम ही अत्रा-तौल्वलि पड गया था।

भाष्यकार ने 'अजाकृपाणीय' शब्द का उल्लेख किया है^{१०}, जो अजा और कृपाण-सम्बन्धी किसी कहानी की ओर संकेत करता है। बकरे के चर्म का उपयोग अनेक प्रकार से होता था।^{११} भेड का दूध भी व्यवहार में आता था। भेड के दूध को अविमोढ, अविदूस या अविमरीस कहते थे।^{१२} भेडे जब एक दूसरी से सटी हुई सहस्रो की सख्या में खेत में बैठ जाती थी तब ऐसा लगता था, जैसे खेत में रवेत वस्त्र विछा हुआ हो। इसीलिए भेडों के इस प्रकार बैठने को अविपट और भेडों के समूह को अविक्ट कहते थे।^{१३} भेडों के बैठने या

१. १-४-५१, पृ० १७९।

२. इन्द्राग्निभ्यां छागं हविर्वपां भेदः प्रस्थित प्रेष्य ।—२-३-६१, पृ० ४४८।

३. २-४-१२, पृ० ४६७।

४. २-३-५०, पृ० ४४२।

५. ३-३-१२६।

६. वै० इण्डे० १-४१।

७. अवेर्मासमिति विगृह्याविकशब्दाद्व्युत्पत्तिर्भविष्यत्याविकसिति ।—४-१-८८,

पृ० १०२।

८. ३-१-१४, पृ० ५४।

९. २-१-६९, पृ० ३३०।

१०. २-१-३, पृ० २६७।

११. १-१-१ पृ० ९४।

१२. ४-२-३६, पृ० १७७।

१३. यथा नानाद्रव्याणां संघातः कट एवमवयः संहता अविकटः। यथा पटः प्रस्तीर्ण एवमवयः प्रस्तीर्णा अविकटः ।—५-२-२९, पृ० ३७६।

रहने का स्थान अविगोष्ठ कहलाता था।^१ अजा के लिए हितकर वस्तु को अजय्या कहते थे।^२

रोमन्थ—ये सब पशु रोमन्थकारी है। एक साथ भोजन निगलकर बाद में धीरे-धीरे उसे चवाने की क्रिया रोमन्थ कहलाती है। भाष्यकार ने ३-१-१५ सूत्र के भाष्य में रोमन्थ की व्याख्या की है। उद्गीर्ण या अवगीर्ण का मन्थ करना रोमन्थ कहलाता है; किन्तु उसमें हनु भी चलना चाहिए। पशु के लिए 'रोमन्थायते' ऐसा प्रयोग होता है, किन्तु कीट के लिए नहीं। कीट के लिए 'रोमन्थ वर्त्तयति' ऐसा ही प्रयोग इष्ट है। यदि अवगीर्ण (अपानमार्ग से बाहर निकला हुआ पदार्थ) का मन्थ भी रोमन्थ माना जाता है, तो कीट की अवगीर्ण-मन्थक्रिया भी रोमन्थ मानी जायगी और उसके लिए भी 'रोमन्थायते' प्रयोग होने लगेगा। 'हनु चलने' कह देने पर कीट की मन्थ-क्रिया रोमन्थ में नहीं आती, क्योंकि उसमें हनु चलन नहीं होता।^३ काशिक। में पश्वग के लिए अष्टम शब्द का प्रयोग किया गया है। 'मानपश्वर्जयो कन्लुकौ च' (५-३-५१) की व्याख्या में 'अष्टमः पश्वङ्गसमो भाग' कहा है।

श्वा—कुत्ता मानव का बड़ा पुराना मित्र है। कुट्ट-कुट्ट करने के कारण इसे कुर्कुर भी कहते थे।^४ ऊँची नस्ल के कुत्ते को कौलियक कहते थे।^५ वह खेतों में फसल की रक्षा करता था। इक्षु के खेतों को शृगाल के खाने से बचाता था; क्योंकि कुत्ते और शृगाल का शाश्वतिक विरोध है।^६ भाष्यकार कुत्ते की प्रकृति से परिचित थे। उन्होंने कहा है कि जब कुत्ता आश्रय-स्थान की तलाश में होता है, तब वह कूँ-कूँ करता है।^७ वे इस बात से भी अवगत थे कि श्वा और वराह की शत्रुता जन्मजात होती है। इस शत्रुता को श्वावराहिका कहते थे।^८ कुत्तों के रहने के लिए भी कुछ घरों में पृथक् दरवाजे बना दिये जाते थे, यह सकेत गोष्ठस्व से प्राप्त होता है।^९ ये स्वगोष्ठ वे लोग वनवाते थे, जो व्यवसाय के रूप में कुत्ते पालने का काम करते थे। ये लोग श्वागणिक कहलाते थे।^{१०} श्वागणिक लोग निश्चित घन लेकर उपयोग के लिए कुत्ते देते थे। मृगया के लिए अखेटक लोग श्वागणिकों को साथ ले जाते थे। राजाओं के अपने निजी श्वागणिक होते थे। पागल या अवाञ्छित कुत्ते मरवा दिये जाते थे।^{११} कुत्ता तडप-तडपकर बड़ी वेचैनी से मरता है, इसलिए श्वघात या 'कुत्ते

१. ५-२-२९, पृ० ३७५।

२. ६-३-३५, पृ० ३२२।

३. उद्गीर्णस्थ वावगीर्णस्थ मन्थो, रोमन्थः। यद्येवं हनुचलन इति वक्तव्यमिहमाभूत्
कीटो रोमन्थं वर्त्तयति।—३-१-१५, पृ० ५५।

४. ८-२-१ पृ० ३१२ तथा ८-२-७८, पृ० ३८०।

५. ४-२-९६, पृ० २०२।

६. २-४-१२, पृ० ४६७।

७. १-३-२१, पृ० ६२ तथा ६-१-४२, पृ० १९०।

८. ४-२-१०४. पृ० २१०।

९. ४-२-७७, पृ० ५०४।

१०. ७-३-८, पृ० १७७।

११. ३-१-१०८, पृ० १८५।

की मौत' एक मुहावरा भी बन गया था। मरने के बाद कुत्ते सबक पर घसीटते हुए लाये जाते थे। यह उपेक्षा और अपमान की भावना भी 'कुत्ते की मौत' में सन्निविष्ट है। भाष्यकार ने वृषल को स्वघात्य कहा है।^१ कुत्ते अपराधियों के वध करने के काम में भी लाये जाते थे। कभी-कभी नगर या गाँव की किसी गली में बहुत-से कुत्ते एकत्र होकर भूंकते^२ थे, जिससे वहाँ से निकलना कठिन हो जाता था। कुछ लोग कुत्ते का मांस भी खाते थे।^३ ये लोग निम्नतम श्रेणी के थे। कुत्ते को लोग प्यार से रखते थे, पुचकारते थे। एक स्थान पर 'कुत्ते को चाटनेवाला थूक रहा है'^४ ऐसा उल्लेख है। कुत्ते जब मरने को होते हैं, तब एकान्त में जाकर पड जाते हैं। उनकी आँखें सूजी और ऊपर चढ़ी हो जाती हैं।^५ श्वा को लेकर व्याकरण में एक न्याय भी चल पडा था कि जैसे पूँछ काट लेने पर भी कुत्ता अश्व या गधा नहीं बन जाता, अपितु कुत्ता ही रहता है, वैसे ही एक भाग के नष्ट हो जाने पर भी पदार्थ वहीं रहता है, दूसरा नहीं बन जाता।^६ कुत्तो को मारने या घायल करनेवाली सेही को श्वावित् कहते थे और उसके मांस आदि को शीयाविव।^७ भाष्यकार ने स्व-भस्त्रिका का उल्लेख किया है। सम्भवतः, यह लुहार की धौकनी रही होगी, जो चमड़े की बनती थी।^८

मार्जारि—मार्जारि ग्राम्य प्राणी है। जो पाला भी जाता था और अपालित भी बस्ती में रहता था। भाष्यकार ने इसका मुख्यकार्य चूहे मारना बतलाया है।^९ मोटा विडाल स्थूलौतु कहलाता था।^{१०} विडाल काले और घन्वेदार भी होते हैं। इन्हें क्रमशः कालक और पुष्पक कहते थे।^{११}

कुक्कुट—कुक्कुट पालने की प्रथा भी बड़ी प्राचीन है। पाणिनि में स्वरों में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की पहचान के लिए कुक्कुट के स्वर का ही आश्रय लिया गया है।^{१२} मुर्गा का मांस भी खाया जाता था, यद्यपि ग्राम्य कुक्कुट अभक्ष्य था।^{१३} कुक्कुट के अण्डों का वार-वार उल्लेख होने से अनुमान होता है कि कुक्कुट के अण्डे खाये जाते होंगे।^{१४} मुर्गा भूख लगने पर कुट्-कुट् करता है,

१. ३-१-१०७, पृ० १८४।

२. ४-१-१३, पृ० ३४।

३. ३-१-१३४, पृ० १९७।

४. ६-१-६४, पृ० ८८।

५. श्वातः खल्वपि मुमूर्षव एकान्तशीलाः शूनाक्षाश्च भवन्ति ।—३-१-७ पृ० २९।

६. श्वा कर्णे वा पुच्छे वा छिन्ने श्वैव भवति नाश्वो न गर्दभः ।—१-१-५६, पृ० ३३९।

७. ४-३-१५६, पृ० २७०।

८. ७-३-८, वा० ३।

९. ३-२-८४, पृ० २३४।

१०. ६-१-९४, पृ० १५१।

११. ६-१-१५८, पृ० १९५।

१२. १-२-२७।

१३. आ० १, पृ० ११।

१४. ६-३-४२, पृ० ३२७।

इस ओर भी भाष्यकार की दृष्टि गई थी।^१ न जाने कितने सहस्र वर्षों से कुक्कुट प्रातर्जागरण से लोगों की सहायता करता रहा है। भाष्यकार ने एक चरण उद्धृत किया है—‘सुन्दरि, मुर्गों बोलने लगे। सवेरा हो चला।’^२ कुक्कुट के पाँव हारिद्र (पीले) रंग के होते हैं।^३

शूकर—शूकर पालित भी होते थे और आरण्यक भी। पालित शूकर मास तथा बालों के लिए उपयोग में आते थे। शूकर के मास में चर्बी विशेष होती है। ग्राम्य शूकर का मास अभक्ष्य माना जाता था।^४ बाल निकालने के लिए शूकर को बाँध लेते थे, फिर उसका एक-एक बाल खीचकर उखाड़ते थे।^५

आरण्य पशु

मृग—आरण्यक पशुओं को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—तृणाश्रमजी तथा मासभक्षी। अमासभक्षियों में मृग मुख्य है। भाष्यकार ने उसे बातमज^६, अर्थात् वायु के समान शीघ्रगामी कहा है। मृगों की अनेक जातियाँ थीं। ऋश्य भी एक भेद था, जिसकी मादा को रोहित कहते थे।^७ चमड़ी पर दागवाले पशु, जिन में हिरन भी सम्मिलित है, चर्मतिल कहलाते थे।^८ चर्मतिल मृग की पीठ पर चकत्ते रहते हैं। काले मृग को कृष्ण सारंग कहते थे।^९ और, मृग भी मृग की एक जाति थी।^{१०} इसकी पीठ पर सफेद चकत्ते रहते थे। चमरी उस मृग को कहते थे, जिसकी पूँछ का चमर बनाया जाता था। चमर के लिए चमरी का शिकार किया जाता था।^{११} इसी प्रकार पुष्कलक गन्धमृग था।^{१२} इसकी नाभि में कस्तूरी मानी जाती थी। कस्तूरी एव अण्डकोप के लिए पुष्कलक का वय किया जाता था। द्वीपी भी मृग का भेद था, जिसका चर्म अति सुन्दर होता था। द्वीपी का आवेष्ट चर्म के लिए किया जाता था।^{१३} मृग का मास खाया जाता था। मृगया का विषय होने के कारण ही इसका नाम मृग पडा। रुह और पृपत् जाति के मृगों का उल्लेख भी भाष्यकार ने किया है।^{१४}

१. अपस्करते कुक्कुटो भक्षार्थी ।—६-१-१४२, पृ० १९० ।
२. वरतनु, सम्प्रववन्ति कुक्कुटाः ।—१-३-४८, पृ० ६७ ।
३. हारिद्रौ कुक्कुटस्य पादौ ।—४-२-२, पृ० १६६ ।
४. आ० १, पृ० ११ ।
५. सिता पाशेन शूकरी ।—८-२-४४, पृ० ३६२ ।
६. ३-२-२८, पृ० २१५ ।
७. ६-३-३४, पृ० ३१८ ।
८. ८-२-८, पृ० ३३४ ।
९. २-१-६९, पृ० ३२० ।
१०. २-१-६९, पृ० ३२५ ।
११. केशेषु चमरौ हन्ति ।—२-३-३६, पृ० ४३१ ।
१२. सोमिन् पुष्कलको हतः ।—वही ।
१३. चर्मणि द्वीपिनं हन्ति ।—२-३-३६, पृ० ४३१ ।
१४. २-४-१२, पृ० ४६६ ।

पृथक् ध्वेदार मृग थे। हरित और हरिण जाति की स्त्री हरिणी, रोहित की रोहिणी कही जाती थी।^१ मृगी के दूध से भाष्यकार परिचित जान पड़ते हैं।^२ मृगी का क्षीर 'मृगक्षीर' कहलाता था। मृगी की जाति का पुमान् भाषार्थ कहा गया है।^३ मृगतृष्णा शब्द के निर्माण में मृग ही कारण रहा है। प्यासे मृग बालू में भागते हुए सूर्य की तेज किरणों को पानी की धारा मान लेते हैं, यद्यपि वह वहाँ नहीं होती।^४ भाष्य में हरिण की एक जाति न्यकु भी बतलाई गई है।^५

मृग जी के खेत चर जाते थे। इसलिए, खेतों की रक्षा के लिए कृपको को सदा सजग रहना पड़ता था। फिर भी, यह नहीं होता था कि मृगों के डर से जौ ही न बोये जायँ।^६

गवय—अन्य अमासभोजी वन्य पशुओं में गवय का उल्लेख भाष्य में हुआ है। गवय गाय के समान होता है और गाय को देखकर गवय को सरलता से पहचाना जा सकता है।^७

नीली गाय—नीली गौ गाय के समान ही होती है। यह आरण्य होती है और हिरन के समान भागती है।^८ नीले रंग की सामान्य गाय 'नीला गौ' कहलाती थी।

सिंह—मासाहारी वन्य जीवों में सिंह, शृगाल, वृक, गल्यक आदि प्रमुख हैं। सिंह हिंस्र घातु से वर्ण-विपर्यय होकर बना है।^९ व्याघ्र, सिंह आदि से परिपूर्ण वन का उल्लेख भाष्य में है।^{१०} सिंह का चर्म अनेक कामों में आता था। घर की शोभा तो वह था ही, वस्त्ररूप में भी धारण किया जाता था। व्याघ्र-जैसे पैर होने के कारण ऋग्वेद के एक ऋषि भी व्याघ्रपाद हुए हैं, जिनकी कृति 'व्याघ्रपद्य' कही जाती है।^{११} व्याघ्री का उल्लेख भी एक स्थान पर मिलता है।^{१२}

शृगाल—शृगाल को क्रोष्टु भी कहते थे। इसका स्त्रीलिंग रूप क्रोष्टी होता है। भाष्य^{१३} में शृगाल के 'हुआ-हुआ' करने का उल्लेख है।^{१४} शृगाल का कुत्ते से सहज वैर होता है।^{१५} शृगाल

१. १-२-६४, पृ० ५७३ ।

२. ६-३-४२, पृ० ३२७ ।

३. ४-१-१२०, पृ० १४२ ।

४. मृगतृष्णावत् । यथा हि मृगास्तृषिता अतः धाराः पश्यन्ति न च ताः सन्ति ।—४-१-३, पृ० १७ ।

५. १-२-७, पृ० ६८ ।

६. न च मृगाः सन्तीति यथा नोप्यन्ते ।—१-१-३९, पृ० २५३ ।

७. गौरिव गवयः । यस्य गवयो निज्ञातः स्याद्गौरनिज्ञातः तेन कर्तव्यं स्यात् गवय इह गौरिति ।—२-१-५५, पृ० ३०८ ।

८. ४-१-४२, पृ० ५५ ।

९. ३-१-१२३, पृ० १९१ ।

१०. ५-२-११५, पृ० ४१८ ।

११. १-१-५७, पृ० ३५२ ।

१२. ४-१-४८, पृ० ६० ।

१३. ७-१-९६, पृ० ९२ ।

१४. १-३-२१, पृ० ६२ ।

१५. २-४-१२, पृ० ४६७ ।

को भरुज भी कहते थे।^१ 'शृगालो का कल्याण वन मे ही है।^२ वस्ती मे लोग उन्हे मार डालते है, किन्तु यदि वन मे उचित आहार न मिला, तो वे कृश हो जाते है।

वृक—पतञ्जलि ने वृक का उल्लेख बार-बार किया है।^३ वृक से लोग बहुत डरा करते थे।^४ वृक गाँवो की झाडियो मे रहते थे और भेड-बकरियाँ उठा ले जाते थे। वे प्राय आदमी पर भी चोट करते थे। यह भाष्य मे बिखरे अनेक उदाहरणो से स्पष्ट है। 'तुम्हे पापशील वृक न पकड सकें'^५ यह आशीर्वचन भी इस ओर सकेत करता है। वृक का भय वन मे होकर यात्रा करनेवालो को विशेष रहता था। जो चलुर होते थे, वे पहले ही सोच लेते थे कि यदि वृक ने मुझे देख लिया, तो मृत्यु निश्चित है, अत वे उस ओर जाते ही नही थे।^६ वृक का स्त्रीलिंग वृकी होता है।^७ श्रेष्ठ जाति की वृकी को वृकति कहते थे।^८ वृक बहुत चालाक प्राणी होता है। वह छिपकर तिरछा देखता है और चुपके-चुपके पीछे से आकर आक्रमण करता है। इसी कारण 'वृक के समान देखनेवाला' 'वृक के समान बचक' ये विशेषण भी व्यवहार मे थे।^९

शल्यक—शल्यक आरण्यक पशु है, जिसके शरीर पर रोमो के स्थान पर काँटे रहते है। पच पचनखो मे भी इसकी गणना है। शल्यक के काँटे इतने तीक्ष्ण होते है कि कुत्ता उसका कुछ नही बिगाड सकता, उलटे वही कुत्ते को चेंब डालती है। कुत्ते को घायल करनेवाली होने के कारण ही उसे श्वावित् कहते हैं।^{१०} श्वावित् का मास शौवाविध कहलाता है।

शश—आरण्यक बराह, महिष और कुक्कुट का उल्लेख ऊपर ही चुका है। लोम और नख-वाले ये शल्यक, शृगाल, सिंह, कुत्ता आदि पशु अपवित्र माने जाते थे और इनका स्पर्श कर बुद्ध होने का विधान था।^{११} आखेट-पशुओ मे शश महत्त्वपूर्ण था।^{१२} उसका उल्लेख भी एक स्थान पर हुआ है।

ऋक्ष—ऋक्ष हिलक पशु है। इसे ऋक्षक भी कहते हैं।^{१३} भाष्यकार ने ऋच्छक शब्द का भी व्यवहार किया है, जिसका अर्थ स्पष्ट है।^{१४}

१. १-१-४७, पृ० २८८ ।
२. ७-१-९६, पृ० ९२ ।
३. १-४-२ पृ० १२७ ।
४. वही।
५. मा त्वा वृका अयायवो विदन् ।—३-१-८, पृ० ३४ ।
६. य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स पश्यति यस्मिन् वृकाः पश्यन्ति ध्रुवं मे भृत्य-रिति। संबुद्ध्या सम्प्राप्य निवर्तते ।—१-४-२७, पृ० १६२ ।
७. ६-३-३५, पृ० ३२२ ।
८. वही।
९. वृकवञ्ची, वृकप्रेक्षी ।—६-२-८०, पृ० २७३ ।
१०. आ० १, पृ० ४० तथा ४-३-१५६, पृ० २७० ।
११. लोमनखं स्पृष्ट्वा शौचं कर्तव्यम् ।—आ० २, पृ० ६२ ।
१२. आ० १, पृ० ३२ ।
१३. ७-३-४५, पृ० १८९ ।
१४. १-४-६०, पृ० १९१ ।

जल-जीव—नक्र^१ और ग्राह^२ जल के भयकर मासाहारी जीव हैं।

गोधा—जलीय जीवों में मकर आर नक्र के बाद गोधा का स्थान है। गोधा के पुमान् को गौवेर कहते थे।^३ एक स्थान पर कहा है कि गोधा सर्प जाति की नहीं होती। केवल सरक-सरककर चलने के कारण ही उसे अहि नहीं कह सकते।^४

कच्छप—कच्छ (दलदल) से पीने के कारण इसे कच्छप कहते हैं।^५ कच्छप के स्त्री-लिंग को कच्छपी या डुली कहते थे।^६

मण्डूक—मण्डूक उछल-उछलकर चलते हैं। व्याकरण में 'अधिकार' भी इसी प्रकार चलते हैं।^७ वीच में सूत्रों को छोड़कर वे मण्डूक की तरह अगले सूत्र में अनुवृत्त होते हैं।

मत्स्य—मत्स्य भोजन के काम आते थे और आते हैं। तालाव से जो कोई मछली पकड़ कर लाता था, वह काँटो-सहित पूरा-पूरा ले आता था और घर में लाकर उनके काँटे साफ करता था और उन्हें टुकड़े-टुकड़े करता था।^८ मत्स्य का एक भेद 'विसार' भी होता है। तिमिगिल भी मत्स्य को कहते हैं, जो तिमि (बड़े आकार की मछली) को निगल लेती है। तिमिगिलिगिल तिमिगिल को भी निगल लेती है।^९ मछली जलजीव है। जब वह चलती है, तब पानी और वह दोनों साथ-साथ चलते दिखते हैं।^{१०} मत्स्य का स्त्रीलिंग रूप मत्सी होता है। मत्स्य का शिकार करने-वाला मात्स्यिक कहलाता था। इसी प्रकार मत्स्य के विशेष प्रकार, शफर और शकुल का शिकार करनेवाले को शाफरिक और शाकुलिक कहते हैं। मीन का शिकारी मैनिक कहा जाता था।^{११}

पक्षी—पक्षी को शकुनि भी कहते हैं और शकुन्त भी। भाष्यकार ने कहा है कि पक्षी तेज चलने के कारण आगे से उड़ते ही दूर पीछे दिखाई देते हैं।^{१२}

काक—पक्षियों में काक सबसे घूर्त होता है। काक की सन्तान भी काक कही जाती है।^{१३}

१. ६-३-७५।

२. ७-४-४१, पृ० २३५।

३. ४-१-१२०, पृ० १४२।

४. नहि गोधा सर्पन्ती सर्पणावेवाहिर्भवति।—१-१-२३, पृ० २१२।

५. ३-२-४, पृ० २०९।

६. ६-३-३४, पृ० ३१७।

७. मण्डूकप्लुतयोऽधिकाराः। यथा मण्डूका उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गच्छन्ति तद्वदधिकारः।—
१-१-३, पृ० ११२।

८. १-१-३९, पृ० ५१६।

९. ६-३-७०, पृ० ३४७।

१०. ८-३-७२, पृ० ४५३।

११. ४-१-६३, पृ० ७४ तथा १-१-६८, पृ० ४३५।

१२. शकुनय आशुगामित्वात् पुरस्तादुत्पत्तिताः पश्चाद्दृश्यन्ते।—आ० २, पृ० ४२।

१३. १-१-४५, पृ० २७८।

काक का स्त्रीलिंग रूप काकी होता है।^१ काक का काण्व्यं प्रसिद्ध है।^२ काक और उलूक का सहज वैर है।^३ इसको आधार मानकर पचतन्त्र के 'काकोलूकीय' तन्त्र की रचना हुई है। भाष्य ने काकोलूकम् को शाश्वतिक विरोध के उदाहरण के रूप में ग्रहण किया है। कौए की बोली को वाश कहते थे। एक स्थान पर भाष्यकार ने विरोधी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि 'कौआ बोल गया, इसलिए अधिकार की निवृत्ति नहीं हो जाया करती।' काक कभी-कभी वाज के समान दुबककर चोट करता है। इसलिए, 'कौआ श्येन के समान आचरण करता है,' यह उदाहरण भाष्यकार ने किया है। काकतालीयन्याय (काकस्यागमन तालस्य च पतनम्) काक को आधार मानकर ही संस्कृत में चल पडा था।^४

श्येन—श्येन का उल्लेख भाष्यकार ने प्रायः काक के साथ ही किया है। श्येन की सन्तान भी श्येन ही कही जाती थी।^५ श्येन के समान पैरवाले को श्येनपाद कहते थे।^६ श्येन छोटी-छोटी चिड़ियों का शिकार करता है। वह वटेर को मार डालता है।^७

कपोत—कपोत शरद को प्यार करता है और उत्सुकतापूर्वक उसकी प्रतीक्षा^८ करता है। यह मासाहारियों के भोजन का अंग रहा होगा या औषध-रूप में उसका गोरवा दिया जाता होगा, जो 'कपोत रस' इस कथन से स्पष्ट है।^९ कपोतो के समूह को कापोत कहते थे।^{१०} कपोत की सन्तान कापोति कहलाती थी।^{११}

मयूर—मयूर को भाष्यकार ने व्यसक (धूर्त्त) कहा है।^{१२} मयूर का नृत्त तो सुविदित ही है।^{१३} मयूर और मयूरी साथ-साथ नृत्य करते हैं।^{१४} मयूर अपनी प्रिया को प्रसन्न करने के लिए नाचता है। मयूरी को कृकवाकु भी कहते थे।^{१५} जिस ऋतु में मयूर विशेष नाचते हैं, उसे कलापी काल कहते थे।^{१६} मयूरी की पूँछ कवर होती है।^{१७}

कोकिल—वनगुल्म के भीतर विहार करनेवाली कोयल यदि वन से विछुड़ जाय, तो उसका स्मरण करेगी ही।^{१८} वसन्त ऋतु को अवकोकिल कहते थे, क्योंकि उसमें कोयल विशेष रूप

१. ६-३-४२, पृ० ३२८ ।

२. २-२-८ पृ० ३४३ ।

३. २-४-१२, पृ० ४६७ ।

४. ३-१-८, पृ० ३९ ।

५. २-१-३, पृ० २६७ ।

६. १-१-४५, पृ० २७८ ।

७. १-१-५७, पृ० ३५३ ।

८. ६-१-४८, पृ० ७९ ।

९. कपोत. शरद पक्षशांते ।—७-३-८७, पृ० २१२ ।

१०. ४-३-१५५, पृ० २६७ ।

११. ४-२-३९, पृ० १७८ ।

१२. ४-१-९०, पृ० १०९ ।

१३. २-१-७२, पृ० ३३० ।

१४. २-३-६७,

१५. प्रियां मयूरः प्रतिनर्त्ततीति—पृ० ५३४, ७-३-८७, पृ० २१२ ।

१६. ४-१-६६, पृ० ७६ ।

१७. ४-३-४८, पृ० २३५ ।

१८. ४-१-५५, पृ० ६९ ।

१९. १-३-६७, पृ० ८७ ।

से बोलती थी।^१ कोकिल की बोली को अवक्रोश कहा है। उसे व्याहृत भी कहते थे।^२ स्त्री-कोकिल को पिकी कहते थे।^३

हंस—हंस संस्कृत के साहित्यकारों एवं तांत्रिकों का प्रिय और आदर्श रहा है। भाष्य में स्त्री-हंस को वरटा कहा है।^४ हंस शब्द हन् घातु से बना है, जिसका अर्थ है मार्ग का हनन (गमन) करनेवाला।^५ भाष्यकार ने जल के समीपवासी होने की दृष्टि से हंस-चक्रवाक को एक साथ द्वन्द्वकत्व के उदाहरण के रूप में रखा है।^६

शशाघ्नी—भाष्य में शशाघ्नी नामक शकुनि का भी उल्लेख मिलता है।^७

उल्लूक—उल्लूक का उल्लेख केवल काक के शाश्वतिक विरोधी के रूप में हुआ है।^८ उल्लू की बोली भयकर होती है।^९ शाला की आकृति उल्लूक के पक्ष के समान और सेना की व्यूह-रचना उल्लूक की पूँछ के समान की जाती थी।^{१०}

वक—वक-समूह को वलाका कहते थे। वलाका जब आकाश में उड़ती है, तब उसकी शुक्लता दर्शनीय होती है।^{११} वलाका सूर्य को उद्देश्य कर उड़ती है।^{१२}

चक्रवाक—यह जलीय पक्षी नदी के किनारे रहता है।^{१३} चक्रवाकी को कोकी भी कहते हैं।^{१४}

दावाघाट—लकड-फोड को दावाघाट कहते थे। यह लकड़ी में छेद करता है।^{१५}

शुक—शुकी का उल्लेख केवल एक स्थान पर हुआ है।^{१६} शुक की चर्चा खण्डिक और उल्लूक के साथ आई है।^{१७}

१. अवक्रुष्टः कोकिलयाऽवकोकिलो वसन्तः ।—२-२-१८, पृ० ३५० ।
२. २-३-६७, पृ० ४५३ ।
३. ४-१-६३, पृ० ७४ ।
४. हंसस्य वरटा योषित् ।—६-३-३४, पृ० ३१८ ।
५. हन्तेहंसः हन्त्यध्वानमिति ।—६-१-१३, पृ० ४३ ।
६. २-४-१२, पृ० ४६६ ।
७. ३-२-५३, पृ० २१९ ।
८. २-४-१२, पृ० ४६७ ।
९. ४-२-४५, पृ० १८१ ।
१०. ४-१-५५, पृ० ६९ ।
११. २-२-८, पृ० ३४३ ।
१२. १-१-५८, पृ० ३७६ ।
१३. २-४-१२, पृ० ४६६ ।
१४. ४-१-६३, पृ० ७४ ।
१५. ३-२-४९, पृ० २१८ ।
१६. ४-१-६३, पृ० ७४ ।
१७. ४-२-४५, पृ० १८१ ।

चटका—छोटी चिडिया गौरैया को कहते हैं।^१ चटक के अपत्य को चाटकेर कहते थे।^२

सुपर्ण—गरुड का दूसरा नाम सुपर्ण है, जो पखो की सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध है।^३

कौच—कौच का उल्लेख कोकिल के साथ हुआ है।^४ यह रामायण का प्रेरक पक्षी हंस-जातीय है।

अंगारक—अंगारक विशेष पक्षी का नाम है।^५ सम्भवतः यह नाम उनके लाल या काले वर्ण के कारण पडा है। इनकी स्त्रियो को कालिक कहते थे।

कृकवाकु—मुर्गी का दूसरा नाम है।^६

कर्पिजल—चकोर को कर्पिजल भी कहते थे।^७ चकोर का अपत्य कर्पिजलि कहलाता था।

कुररी—बाज की जाति का मत्स्यभोजी पक्षी है।^८

किकिदीवी—यह नीलकण्ठ है, जिसे चाप भी कहते थे।^९ किकि नारिकेल वृक्ष का नाम है। उसपर विशेष रहने या क्रीडा करने के कारण किकिदीवी नाम पडा जान पडता है।

गृध—गृध मासाहारी पक्षी है। गृध-सम्बन्धी वस्तु को गार्ध्र कहते हैं।^{१०}

कंक—सारस पक्षी का नाम था।^{११} इसके पख वाण के अग्रभाग मे लगाये जाते थे।

वर्त्तिका—छोटा-सा पक्षी बटेर, जिसे श्येन झपट लेता है।^{१२}

विष्किर और विष्किर पक्षी का सामान्य नाम है।^{१३} पखो के कारण ही पक्षी संज्ञा बनी है। पखो के मूल को पक्षति कहते थे।^{१४}

क्षुद्र जन्तु—इनके अतिरिक्त अनेक क्षुद्र जन्तुओं के नाम यत्र-तत्र भाष्य मे आये हैं। उनके मत से जो प्राणी, कुचल देने पर भी न मरें, वे क्षुद्र माने जाने चाहिए। किन्तु, क्षुद्र जन्तु की यह परिभाषा मान लेने पर मच्छर, जूँ आदि क्षुद्र जन्तुओं की परिधि मे न जा सकेंगे। इसलिए, उन्होंने अस्थिविहीन जन्तुओं को क्षुद्र माना। जिनमे अपना रक्त नहीं होता एव सहस्रो की सख्या

१. ४-१-१२८, पृ० १४२ ।

२. ४-१-६३, पृ० ७४ ।

३. ४-१-१४, पृ० ३८ ।

४. ४-१-१२०, पृ० १४२ ।

५. अङ्गारका नाम शकुनयः। तेषां कालिकाः स्त्रियः ।—६३-३४, पृ० ३१८ ।

६. ४-१-६६, पृ० ७६ ।

७. ४-१-९०, पृ० १०९ ।

८. ४-१-९३, पृ० १२५ ।

९. ४-२-४५, पृ० १८१ ।

१०. ४-३-१५६, पृ० २६९ ।

११. १-४-२३, पृ० १५५ ।

१२. ६-१-४८, पृ० ७९ ।

१३. विष्किरः शकुनो विष्किरी वेति वक्तव्यम् ।—६-१-१५०, पृ० १९२ ।

१४. ५-२-२५, पृ० ३७३

मे मारने पर भी मनुष्य पाप का भागी न बने, वे क्षुद्र जन्तु माने जाने चाहिए। सबसे सीबी परिभाषा यह है कि नकुल (नेवले) के आकार तक के प्राणी क्षुद्र जन्तु होते हैं।^१ भाष्य में निम्नलिखित क्षुद्र जन्तुओं के नाम आये हैं—

नकुल—नकुल का उल्लेख सर्प के शाश्वतिक विरोधी के रूप में हुआ है।^२ नकुल गरम स्थान पर एक क्षण भी नहीं टिकता। काक-उलूक, रवा-बराह और सर्प-नकुल जन्मजात शत्रु होते हैं। इसी बात को लेकर अस्थिर व्यक्ति के व्यवहार के लिए 'अवतप्ते नकुलस्थितम्' कहावत चल पड़ी थी।^३

सर्प—सर्प चिरकाल से मनुष्यों का घातक रहा है। प्रतिवर्ष हजारों मृत्युएँ सर्प के काटने से होती थी। 'सर्प द्वारा मारा हुआ' कहकर भाष्यकार ने इस ओर संकेत किया है।^४ सर्प बल्मीक में रहता है।^५ काले साँप को कृष्णसर्प कहते थे। काले रंग का हर साँप कृष्णसर्प नहीं कहलाता था। जहाँ जाति न बतलानी हो, केवल काले रंग का कोई भी साँप हो, वहाँ समास न होकर 'कृष्ण. सर्प' ऐसा प्रयोग होता था। इसीलिए, काले साँप (जाति) वाला बल्मीक इस अर्थ में 'कृष्णसर्प-वान् बल्मीक' प्रयोग होता था और साधारण सर्प अर्थ में 'कृष्णसर्पो बल्मीक' प्रयोग होगा।^६

साँप सरकता चलता है, इसीलिए उसका नाम 'सर्प' पडा है। उसकी चाल को सूत कहते थे।^७ गाँव के पास या बीच में सर्पण के चिह्न देखकर लोग साँप निकलने का अनुमान करते थे। साँप जब क्रोध में होता है, तब फन उठाकर फुफकारता है। इस अवस्था में सर्प को 'ओजायमान' कहते थे।^८ साँप को मारना बुरा नहीं माना जाता था। साँप के फन को दाँव कहते थे।^९

वृश्चिक—वृश्चिक को साड भी कहते थे। साड का अर्थ है अड (डक)-सहित।^{१०} वृश्चिक को मणिपुच्छी और विपपुच्छी भी कहते थे।^{११}

१. क्षोत्तव्या जन्तवः (क्षुद्रजन्तवः)। यद्येवं यूकालिक्षम् कीटपिपीलिकमिति न सिध्यति। एवं तर्ह्यनस्थिकाः क्षुद्रजन्तवः अथवा येषां स्वं शोणितं नास्ति ते क्षुद्रजन्तवः अथवा येषामासह्लादञ्जलिनं पूर्यते ते क्षुद्रजन्तवः। अथवा नकुलपर्यन्ताः क्षुद्रजन्तवः।—२-४-८, पृ० ४६४।

२. ४-२-१०४, पृ० २१०।

३. अवतप्ते नकुलस्थित त एतत्।—१-४-१३ पृ० १४३।

४. २-१-३२, पृ० २८५।

५. २-१-६९, पृ० ३२३।

६. जात्यात्राभिसम्बन्धः क्रियते। कृष्णसर्पो नाम सर्पजातिः साऽस्मिन् बल्मीकोऽस्ति। यदा ह्यन्तरेण जातितद्वत्तऽभिसम्बन्धः क्रियते कृष्णसर्पो बल्मीक इत्येव तदा भविष्यति।—२-१-६९, पृ० ३२६।

७. २-३-६७, पृ० ४५४।

८. ३-१-११, पृ० ४५।

९. ७-३-१०९, पृ० २१७।

१०. ८-३-५६, पृ० ४३९।

११. ४-१-५५, पृ० ६९।

मूषिक—नकुल सर्प का और सर्प मूषिक का शत्रु है। मूषिक को आखु और मार्जार को आखुहा कहते थे। मूषिका का पुमान् मौषिकार कहलाता था।^१

शलभ—शलभ को पतंग कहते थे।^२ चीटियाँ इन्हे खीचकर विल में ले जाती और भक्ष्य बनाती हैं।

मकड़ी—इसे तन्तुवाय भी कहते थे; क्योंकि यह तन्तुओं से जाले बनाती है।^३

पिपीलिका—चीटी पतंग का मुख खा जाती है, ऐसा एक स्थान पर उल्लेख है।^४

मक्षिका—मक्षिका से भाष्यकार का तात्पर्य मधुमक्खी से है।^५ माक्षिक मधु की सजा है। इसे गार्मुत भी कहते थे।

यूका—जूं बहुत छोटा कीड़ा है। केशो से निकली यूका का उल्लेख भाष्य में है।^६

लिक्षा—यह यूका के अण्डे के सदृश होती है। इसकी चर्चा क्षुद्रजन्तु के विवेचन में आ ही गई है। भाष्य में उल्लिखित जन्तुओं में यह क्षुद्रतम है।

ऊपर वर्णित जीवों में पालतू प्राणी तो निश्चित ही भारत के आर्थिक जीवन के अंग थे। आरण्यक पशुओं ने कुछ फसल को चरकर, कुछ आहार का अंग बनकर और कुछ पालतू पशुओं के भक्षक के रूप में आर्थिक जीवन को प्रभावित करते थे। पक्षियों में कुछ मांस द्वारा आहार के अंग थे या जन-जीवन में सहचर या मित्र का काम देते थे। जलीय जन्तुओं में मत्स्य भोजन का अंग था। इनमें अनेक जन्तुओं का चर्म उपयोग में आता था। क्षुद्र जन्तुओं में भी उन्हीं का उल्लेख हुआ है जो या तो मारक या पीडक थे या दैनन्दिन सम्पर्क में आते थे।

पञ्चनख—पाँच नखवाले पशुओं में पाँच को शास्त्र ने भक्ष्य माना था।^७ ये थे—शशक, शाल्यक, खड्गी, कूर्म और गोघ। ग्रामशूकर और ग्रामकुक्कुट अभक्ष्य थे। आरण्य शूकर और कुक्कुट भक्ष्य माने जाते थे।

१. ४-१-१२०, पृ० १४२ ।

२. ३-२-४, पृ० २०९ ।

३. ६-२-७७ का० ।

४. व्यावृत्ते पिपीलिकाः पतङ्गमुलम् ।—१-३-२०, पृ० ६१ ।

५. ४-३-११६, पृ० २४९ ।

६. निष्केशी यूका ।—४-१-५४, पृ० ६९ ।

७. पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः । अभक्ष्यो ग्रामकुक्कुटः, अभक्ष्यो ग्रामशूकरः ।—आ० १,

अध्याय ४

शिल्प

क्षेत्र और उद्देश्य—भाष्यकार ने पाणिनि के समान कला और कौशल दोनों के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया है। उनके शिल्पी की श्रेणी में एक ओर गायक, गायक आदि आते हैं^१, तो दूसरी ओर वाद्यों में निपुण ताल देनेवाले वादक।^२ मार्दंगिक, पैठरिक, माड्डुकि, शार्ङ्गिक और दार्दुरिक भी शिल्पी हैं^३ और पाणिघ, ताडघ भी। खनक, रजक,^४ कुम्भकार, तन्तुवाय,^५ और नापित^६ भी शिल्पी है। जिनका शिल्प मृदग है, उनके लिए प्रयुक्त होनेवाले मार्दंगिक शब्द की निष्पत्ति पर गका करते हुए उन्होंने कहा है कि शिल्प के कारण वादक को मार्दंगिक कहा जाय, तो कुम्हार को पहले मार्दंगिक कहना चाहिए, क्योंकि मृदग का मुख्य शिल्पी वही है। इस शका के समाधान के लिए उन्होंने शिल्प का अर्थ 'शिल्प के समान शिल्प' माना है, जिससे कुम्हार के समान ही मृदग का जो अन्य शिल्पी (वादक) है, उसके लिए भी मार्दंगिक शब्द का व्यवहार हो सकता है।^७ जो बात मार्दंगिक के विषय में है, वही बात पैठरिक, वैणिक, पाणविक, शार्ङ्गिक आदि के विषय में कही जा सकती है। इसी प्रकार, एक जुलाहे की अपेक्षा अधिक अच्छे मसाले से धोकर अधिक शुक्ल वस्त्र उत्पन्न करनेवाले जुलाहे के शिल्प की प्रशंसा की गई है।^८ एक बार दाढी-मूँछ बनवाकर और बाल कटवाकर कभी-कभी लोग फिर से क्षीर कराने बैठ जाते थे। इसका कारण उनके आर्थिक सामर्थ्य की विशेषता या शिल्पी (नाई) की अधिक योग्यता ही थी।^९ इस प्रकार, पतञ्जलि के शिल्प का क्षेत्र हाथ से काम करने में चतुर नाई से लेकर वादक, नर्तक और गायक तक है। शिल्पियों की अपने कार्य में प्रवृत्ति शिल्प की उपासना के लिए नहीं थी। वे अपनी उत्पत्ति के लिए

१. ३-१-१४५, १४६, १४७ तथा ४-४-४५, ४६।

२. ३-२-५५।

३. ४-४-४५।

४. ३-१-१४५।

५. ६-२-७६।

६. ६-२-६२।

७. कि यस्य मृदङ्गः शिल्प समार्दङ्गिकः? कि चातः? कुम्भकारे प्राप्नोति। एव-
तह्युत्तरपद लोपो द्रष्टव्यः। शिल्पमिव शिल्पम्। मृदङ्गवादन शिल्पमस्य मार्दङ्गिकः,
पैठरिकः,।—४-४-५५, पृ० २८०।

८. ५-३-५५, पृ० ४४६।

९. ६-१-१२७, पृ० १८०।

कार्य करते थे। अच्छी कृति से उनका उद्देश्य होता था पारिश्रमिक और नये प्रवासक ग्राहक पाना।^१

गायक, वादक, पाणिघ और ताडघ के अतिरिक्त भाष्य में निम्नलिखित शिल्पियो का उल्लेख है—

कुलाल—भारतीय ग्रामो में मिट्टी के पात्रो का चलन बहुत अधिक रहा है। घट तो अवि-काश मिट्टी के होते थे। घट बनाने के कारण कुलाल को कुम्भकार कहते थे। कुलाल के लिए कुम्भकार नाम का ही प्रचलन अधिक था।^२ जिसे घट की आवश्यकता होती, वह कुम्हार के घर जाकर घट बनाने का आदेश देता।^३ कुम्हार गीली मिट्टी का पिण्ड लेता। पिण्ड को तोड़-मोड़-कर छोटे-बड़े घट बनाना चाहता, तो गीली मिट्टी से छोटी बड़ी कुडियाँ या नादे तैयार करता था।^४ बड़े-बड़े मटके चतुर कुलाल ही बना सकता था, जिसे महाकुम्भकार कहते थे।^५ वह मिट्टी के खिलौने बनाता था,^६ वाद्यो के साँचे और वाद्यो का मिट्टी से बना भाग तैयार करता था।^७ खाने के लिए कटोरियाँ (शराव), 'जो यज्ञ के भी काम आती थी', कुम्हार बनाता था। यज्ञार्थ छोटी घटियाँ उसी से प्राप्त होती थी।^८ घट और घटी मिट्टी के दो पृथक् पिण्डो से बनाई जाती थी, जो कपाल कहलाती थी।^९ कुलाल के बनाये पात्रो को कौलालक कहते थे।^{१०}

तक्षा—तक्षा ग्राम-जीवन का अति महत्त्वपूर्ण अंग था। वह हल की मूठे, तथा अन्य काष्ठ-भाग बनाता था।^{११} लकड़ी छीलता और उससे कपाट तथा छत में डालने की कडी तैयार करता था।^{१२} कृषि की उपज डोनेवाली तथा सवारी के काम आनेवाली गाडियो का निर्माण तक्षा के शरोसे था।^{१३} यज्ञ के लिए आवश्यक यूप भी वही छीलता था।^{१४} छीलने, तराशने का काम करने के

१. ३-१-२६, पृ० ७७ ।

२. १-३-३, पृ० २३ ।

३. आ० १, पृ० १७ ।

४. मूत् कयाचिदाकृत्या युक्ता पिण्डो भवति। पिण्डाकृतिमुपमृद्य घटिकाः क्रियन्ते। घटिकाकृतिमुपमृद्य कुण्डिकाः क्रियन्ते।—आ० १, पृ० १६ ।

५. ३-१-९२, पृ० १६७ ।

६. ४-४-३४ ।

७. ४-४-५५, पृ० २८० ।

८. १-१-७२, पृ० ४४७ ।

९. ६-४-१००, पृ० ४५४ ।

१०. १-१-४४, पृ० २५९ ।

११. आ० १, पृ० १९ ।

१२. ४-३-११६, पृ० २५० ।

१३. ८-२-६, पृ० ३२७ ।

१४. ७-१-७२, पृ० ६४ ।

१५. २-३-५, पृ० ४०८ ।

१६. ७-१-३९, पृ० ४४ ।

कारण ही उसे तक्षा कहते थे।^१ तक्षा के साधनो मे भाष्यकार ने वागी (वसूला) का उल्लेख किया है।^२ काशिकाकार ने भिदादिगण मे शस्त्री के रूप मे आरा का उल्लेख किया है। शस्त्री से भिन्न अर्थ मे आरा के स्थान पर अर्त्ति शब्द प्रचलित था। यह आरा बढई का प्रचलित आरा था।^३ तक्षा यूप और शकटादि के लिए अलग-अलग काण्ड-खण्ड तैयार कर लेता था।^४ शकट के अनेक अंग होते है—चक्र,^५ नेमि,^६ आर,^७ नाभि,^८ धू, अक्ष। तक्षा सबको अलग-अलग बनाकर उनका संयोजन करता था।^९

रथकार—रथकार का काम और कठिन था। रथकार तक्षा से अलग होते थे, जो मुख्यत रथ बनाने का ही काम करते थे। रथ दोनों प्रकार के बनते थे—चलते समय शब्द करनेवाले और नि शब्द चलनेवाले।^{१०} शब्द करनेवालो (रथो) मे श्रोत्राभिराम ध्वनि की व्यवस्था की जाती थी। बैठनेवालो के आराम के लिए कपडे, चमडे या सफेद कम्बल रथो पर मढ दिये जाते थे।^{११} रथकारता स्वतन्त्र व्यवसाय था। रथकार साधारण तक्षा से ऊँची कोटि का होता था। उसे कुल्हाडी हाथ मे लेकर ऐसे बडे वृक्ष की लकडी काटनी होती थी^{१२}, जो रथ के योग्य हो, क्योंकि रथ के पहिये बहुत मजबूत होते थे।^{१३} शिक्षा का वृक्ष इसके लिए विशेष उपयुक्त माना जाता था।^{१४} चतुर रथकार को नागरक रथकार कहते थे।^{१५} नागरक शब्द प्रावीण्य का बोधक था।

तक्षा चाहे साधारण हो या रथकार, दो प्रकार के होते थे— ग्रामतक्ष और कौटतक्ष।^{१६} ग्रामतक्ष गाँव के सभी निवासियो का काम करता था। वह उनके घर पर जाकर भी टूट-फूट ठीक करता था। इसके लिए उसे वर्ष मे एक या दो बार फसल तैयार होने पर एक निश्चित अन्न-

१. ३-१-७६ तथा २-१-३६, पृ० २९२ ।

२. ४-१-३, पृ० १८ ।

३. ३-३-१०४, का० ।

४. २-१-३६ पृ० २९२ ।

५. ३-२-१७१, पृ० २७८ ।

६. वही।

७. यदेव हि तन्मण्डलचक्राणां मण्डलचक्र तन्नम्यभित्युच्यते—नाभिरिवनम्यसिति ।—

५-१-२, पृ० २९६ ।

८. ५-४-७४, पृ० ५०२ ।

९. १-२-४५, पृ० ५३५ ।

१०. ८-१-३०, पृ० २८७ ।

११. ४-२-१० ।

१२. ४-१-३, पृ० १८ ।

१३. ५-४-७४, पृ० ५०२ ।

१४. ५-१-२, पृ० २९७ ।

१५. ४-२-१२८, काशिका ।

१६. ५-४-९५ ।

राशि मिलती थी। कौटिल्य स्वतन्त्र व्यवसाय करता था। वह अपने घर बैठकर काम करता था और किये काम के लिए उचित मूल्य लेता था। राजतक्ष अपना स्वतन्त्र व्यवसाय नहीं कर पाता था। राजकर्म में प्रवृत्त होने पर उसे न अपने व्यवसाय के लिए अवकाश था और न अधिकार।^१ राजतक्ष होना गौरव की बात मानी जाती थी। प्रत्येक गाँव में तक्षा का एक घर होता ही था। किसी-किसी ग्राम में दस-पाँच घर भी होते थे।^२

लकड़ी छीलते समय बढई जिस काष्ठ पर रखकर अन्य काष्ठ छीलता है, उसे उद्धन कहते थे।^३ तक्षा की सन्तान को ताक्षण या ताक्षण्य कहते थे।^४ ताक्षण प्रयोग उत्तर में ही प्रचलित था।

घनुष्कार—घनुर्युद्ध का प्रचलन होने के कारण घनुर्युद्ध शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग थी। गाँवों में लोग वाण चलाने का अभ्यास करते थे।^५ एतदर्थ कुछ लोग घनुष बनाने का ही काम करते थे, जो घनुष्कार कहलाते थे।^६

अयस्कार—भाष्य में तक्षा के साथ ही अयस्कार का उल्लेख मिलता है।^७ वास्तव में एक दूसरे के पूरक होने के कारण आज भी लोहार-बढई साथ-साथ याद किये जाते हैं। राजस्थान से निकली हुई यायावर जाति 'लोहार-बढई' आज भी दोनों साथ काम करती है। अयस्कार को अयस्कृत् भी कहा है।^८ कुटिलिका (सँडसी) से पकडकर लोहे को पीटने के कारण उसे कौटिलिक भी कहते थे।^९

तक्षा के समान अयस्कार भी कृषि के लिए आवश्यक औजार बनाता, हल के फाल पीटकर नुकीले करता एव कील-कांटे बनाता था। 'रज्जु या अयस् (लोहे) के तार से बँधा हुआ काष्ठ लीचा जाता है'^{१०} ऐसा उल्लेख भाष्य में हुआ है। 'लोहे के तार या शृखला से कील में जुडा हुआ, अर्थात् शृखला से खूँटे में बँधा हुआ, पशु उससे सम्बद्ध माना जायगा'^{११}; यह कथन भी एक स्थान पर मिलता है। इससे स्पष्ट है कि लोहे के तारों, शृखलाओं (लम्बी जर्जरों) और कीलों तथा पशुओं के बाँधने के काम आनेवाले खूँटों का प्रचलन गाँवों में था, यद्यपि रज्जु और शकु का भी प्रयोग होता

१. पुहवोऽयं परकर्मणि प्रवर्त्तमानः स्वयं कर्म जहाति। तद्यथा तक्षा राजकर्मणि प्रवर्त्तमानः स्वयं कर्म जहाति।—२-१-१, पृ० २३९।

२. २-४-३०, पृ० ४७६।

३. ३-३-८०।

४. ४-१-१५३, पृ० १४९।

५. १-३-३१, पृ० ६२।

६. ३-२-२१।

७. २-४-१०।

८. ६-३-९१, पृ० ३५५।

९. ४-४-१८।

१०. ८-३-३७, पृ० ४२२।

११. २-१-१, पृ० २४३।

था।^१ परशु लकड़ी काटने के काम आता था।^२ यह प्रतिदिन के व्यवहार की वस्तु थी। शंकुला (सरिता)^३, कुल्हाड़ी (इध्म-प्रव्रचन),^४ हँसिया (पलाश-शातन), दरत^५ तथा अन्य इसी प्रकार की साधारण व्यवहार की वस्तुएँ अयस्कृत् बनाता था। कीलो की चर्चा तो अनेक स्थानों पर मिलती है।^६

लुहार का मुख्य साधन था भस्त्रा (घौकनी), जो चर्म की रहती थी।^७ इसी से हवा करके वह अग्नि प्रज्वलित रखता था। लोहे को तपाकर वह अयोधन^८ से पीटता था।^९ दुर्धन और कुटिलिका^{१०} उसके दूसरे सहायक औजार थे।

कर्मार—कर्मार शब्द का व्यवहार लुहार और ठठेरा दोनों के लिए होता था।^{११} इसका काम गृहोपयोगी धातु-पात्र बनाना था। छोटी-बड़ी सब नाप की स्थालियाँ (बटलोइयाँ), भगोने, कटोरियाँ, लोटे और घड़े कर्मार बनाता था।^{१२} घड़े लोहे के भी बनते थे।^{१३} घटी तँबे की भी बनती थी।^{१४} पूजा-पात्र प्रायः तँबे के बनते थे। लौह शब्द का प्रयोग तँबे के लिए होता था। लौह कसको का व्यवहार खूब था।^{१५} लौहपात्र काँसे के पात्रों से श्रेष्ठ माने जाते थे।

कर्मार की सन्तान कामधायिणि कहलाती थी।^{१६}

मूर्त्तिकार—मूर्त्तिकार की गणना भी कर्मारों में होनी चाहिए। मूर्त्तिकार धातु को पिघलाकर साँचो द्वारा मूर्त्तियाँ ढालते थे। ये मूर्त्तियाँ भीतर से पोली रहती थी और अग्नि द्वारा भीतर से गरमकर साफ की जा सकती थी।^{१७} मूर्त्तियाँ प्रायः पशुओं की होती थी। अश्व की प्रतिकृति

१. ५-१-२ पृ० २९४।

२. १-४-२३, पृ० १५६।

३. २-१-१, पृ० २२७।

४. २-२-८, पृ० ३२४।

५. २-१-३२, पृ० २८५।

६. २-२-६, पृ० ३३९।

७. ७-३-४७, पृ० १९१।

८. ३-३-८२।

९. ४-४-१८।

१०. ३-३-८२।

११. ४-१-१५५, पृ० १५०।

१२. १-४-२३, पृ० १५६।

१३. ४-१-१, पृ० ११।

१४. आ० १, पृ० ५।

१५. १-३-१, पृ० १४।

१६. ४-१-१५५, पृ० १५०।

१७. शोभनां मूर्त्ति सुषिरामग्निरन्तः प्रविश्य बहति।—आ० १, पृ० १०।

मूर्ति को अश्वक कहते थे।^१ देव-पूजा के लिए भी मूर्तियाँ ढाली जाती थी। इन्हें वेचने की प्रथा नहीं थी। ये पुजारियों की जीविका का साधन थी। बाद में मौर्य लोगों ने मूर्तियाँ बनाकर उनका पण्य (विक्रय) प्रारम्भ किया। पण्यार्थ बनाई जानेवाली मूर्तियाँ जिस देवता की होती थी, उसके आगे 'क' प्रत्यय का प्रयोग होता था। जैसे शिवक, स्कन्दक। बिना विक्रय की मूर्तियाँ सम्बद्ध देवताओं के नाम से ही पुकारी जाती थी।^२ हो सकता है, मौर्यों द्वारा निर्मित मूर्तियाँ पत्थर की हों। इस विषय में निबिवाद रूप से कुछ कहना कठिन है। फिर भी, इतना स्पष्ट है कि मूर्तियाँ और खिलौने धातु, प्रस्तर एव मिट्टी तीनों के बनते थे। धातु की मूर्तियाँ कर्मारों का ही एक वर्ग ढालता था। मिट्टी की मूर्तियाँ और खिलौने गौण रूप से कुम्भकार बनाते रहे होंगे। प्रस्तर की मूर्तियों के निर्माताओं का पृथक् शिल्पिवर्ग था।

सुवर्णकार—महाभाष्य में सुवर्ण और सुवर्णालंकारों का बार-बार उल्लेख हुआ है। इससे पता चलता है कि सिक्को तथा आभूषणों के रूप में सुवर्ण का खूब प्रयोग होता था। सुवर्ण के आभूषणादि सुवर्णकार बनाता था। सुनार की छोटी-सी भट्ठी होती थी। वह कुट्टिलिका (संडसी) से पकड़कर भट्ठी में सोने को तपाता और पीटता था। आवश्यकतानुसार वह सुवर्ण को एक या अधिक बार तपाता था। एक बार तपाने की क्रिया के लिए कहा जाता था 'निष्पति सुवर्ण सुवर्णकार,' किन्तु बार-बार तपाने के लिए 'निस्तपति' प्रयोग होता था।^३ अधिक तपाने के लिए 'उत्तपति' क्रिया का व्यवहार होता था।^४ भाष्य में अगद, किरिटी, कुण्डल, रुचक, स्वस्तिक आदि अनेक आभरणों के नाम आये हैं।^५ एक स्थान पर कहा है कि पिण्ड-रूप में सुवर्ण की एक आकृति होती है। पिण्ड-रूप को मिटाकर उसके रुचक बनाये जाते हैं। रुचकों को गलाकर उनसे कटक बना लिये जाते हैं। कटकों को बदलकर उनके स्वस्तिक बनाये जाते हैं। फिर, उसी सुवर्ण-पिण्ड को दूसरी आकृति में बदल दें, तो उसके खदिर के दहकते कोयली के समान कुण्डल बन जाते हैं।^६

खनक—पाणिनि के शिल्पिनि ष्वन् (३-१-१४५) सूत्र पर शाकटायन का वार्तिक है—'नृतिखनिरञ्जिम्यइति वक्तव्यम्'। इस वार्तिक के अनुसार निष्पन्न होनेवाला 'खनक' शब्द शिल्पी का बोधक था। यह बात इससे और भी स्पष्ट है कि काशिकाकार ने 'ठगायस्थानेभ्यः' (४-३-७५) सूत्र के उदाहरणों में 'आकरिकम्' को भी सगृहीत किया है और आकर को आय-स्थान, अर्थात् राज्य को कर देनेवाला स्थान माना है। अवक्रय (४-४-५०) की व्याख्या में यह बात और स्पष्ट हुई है। अवक्रय उस कर को कहते थे, जिसे चुकाने के बाद वस्तु बाजार में ले जाकर

१. ८-३-१०२ ।

२. वही।

३. ८-३-१०२ ।

४. १-३-२७, पृ० ६४ ।

५. अंगदी, कुण्डली, किरिटी—विचित्राभरण ईवृशो देवदत्त इति ।—१-३-२, पृ० १८ ।

६. सुवर्णं कयाचिदाकृत्या युक्तं पिण्डो भवति । पिण्डाकृतिसुपमृद्य रुचकाः क्रियन्ते । रुचकाकृतिसुपमृद्य कटकाः क्रियन्ते । कटकाकृतिसुपमृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते । पुनरावृत्तः सुवर्ण-पिण्डः पुनरपरयाकृत्या युक्तः खदिराङ्गारसवर्णं कुण्डले भवतः ।—आ० १, पृ० १६ ।

वेचने की छूट प्राप्त हो सके। यहाँ भी आकरिक का उल्लेख है। इससे यह निर्विवाद है कि खदानों से घातु और रत्न खोद निकालने का काम पर्याप्त मात्रा में होता था और आकर राज्य की आय के अच्छे स्रोत थे।

आकर से खोदकर निकाली हुई घातुओं में हिरण्य का उल्लेख अनेक बार मिलता है।^१ विना साफ किये हुए जातरूप हाटक का भी बार-बार उल्लेख हुआ है।^२ रजत, सीसा, लोहा और अयस् भी साधारण व्यवहार में आते थे।^३ त्रपु (टीन) को तो भाष्यकार ने जतु के साथ बार-बार स्मरण किया है।^४ कांसे का उल्लेख कर्मार के प्रसंग में हो चुका है।^५ इन कच्ची घातुओं का शोधन कर अयस्कार, कर्मार और सुवर्णकार उपयोग करते थे।

खनक घातुओं के अतिरिक्त रत्न भी निकालते थे। भाष्य में मणियों का उल्लेख कई प्रसंगों पर हुआ है।^६ लोहितक लाल को कहते थे।^७ मणि अर्थ में लोहित (रक्त) शब्द से कन् प्रत्यय होकर यह शब्द निष्पन्न हुआ है। पन्ना या मरकत मणि के लिए सस्यक शब्द का व्यवहार होता था।^८ भाष्यकार ने मणि को शतघार कहा है।^९ यह नाम सैकड़ों किरणों से प्रकाशित होने के कारण पड़ा होगा। गौवादट्ट भी एक विशिष्ट मणि का नाम था।^{१०} वैदूर्य नाम तो संस्कृत साहित्य में सुपरिचित है। यह विदूर पर्वत से प्राप्त होती थी। विदूर का दूसरा नाम वालवाय था। वैयाकरण लोग वालवाय को विदूर कहते थे। कुछ लोगों के मत से वान्वाय और विदूर दो अलग स्थानों के नाम थे। वैदूर्य मणि वालवाय में उत्पन्न होती थी और विदूर में साफ की जाती थी।^{११} मणियाँ प्रस्तर से निकलती हैं, इसलिए उन्हें आरम भी कहा जाता था।^{१२}

रजक—ऊपर कहा जा चुका है कि शिल्पिनिष्पुन् (३-१-१४५) सूत्र के वार्तिक 'नृति-खनिरञ्जिभ्य इति वक्तव्यम्' में रजक की गणना भी शिल्पियों में की गई है। अन्यत्र भी भाष्यकार ने कपड़े रँगने का स्पष्ट उल्लेख किया है।^{१३} एक अन्य स्थान पर रजक, रजन और रज शब्दों की निष्पत्ति उन्होंने बतलाई है।^{१४} इससे यह तो साफ ही मालूम होता है कि भाष्यकार के समय में

१. ५-२-६५, पृ० ३९६ ।

२. ४-४-१५३ ।

३. ४-३-१०४ ।

४. १-१-४७, पृ० २९० ।

५. ८-२-३, पृ० ३१७ ।

६. १-१-२७, पृ० २२८ ।

७. ५-४-३० ।

८. ५-२-६८ ।

९. ६-१-११५, पृ० १७४ ।

१०. ७-३-८, पृ० १७७ ।

११. वालवायात् प्रभवति विदूरे सत्क्रियते ।—४-३-८४, पृ० २४२ ।

१२. ६-४-११४, पृ० ४८३ ।

१३. ६-४-२४, पृ० ४०७ ।

१४. ६-४-२४, पृ० ४०८ ।

कपड़े रँगनेवालों का एक स्वतन्त्र शिल्प था और कुछ लोगों की जीविका इसी पर निर्भर थी।

वस्त्र जिस रंग से रँगा जाता था, उसी के नाम से पुकारा जाता था।^१ उदाहरणार्थ—कपाय से रँगे वस्त्र को कापाय कहते थे। लाल, रोचना, शकल, कर्दम, नीली,^२ पीत,^३ हरिद्रा और महारजन^४ से वस्त्रों के रँगे जाने का वर्णन भाष्यकार ने किया है। इन रंगों से रँगे गये वस्त्र क्रमशः लाक्षिक, रौचनिक, शाकलिक, कार्दमिक, नीलक, पीतक, हारिद्र और महारजन कहे जाते थे। लाक्षा को जलु भी कहते थे। जलु से रँगे वस्त्र की सज़ा थी जालुप।^५ रोचना हरताल का दूसरा नाम था। शकल टूटे हुए मिट्टी के पात्रों के टुकड़े होते थे। कर्दम (तालाव के नीचे की मिट्टी) से वस्त्र रँगने की प्रथा आज भी उत्तरप्रदेश में उत्तर-पश्चिमी ग्रामों में पाई जाती है। इसका रंग नीला-काला मिश्रित-सा आता है। डॉ० वा० श० अग्रवाल का यह अनुमान है कि कर्दम मोटे कपड़े की पहली धुलाई के उपयोग में आती रही होगी।^६ लाल रंग का भी प्रचार काफी था। ऋत्विक् लोग लाल रंग की पगड़ी बाँधते थे।^७ महाराष्ट्र और निमाड में आज भी लाल पगड़ी बाँधने की प्रथा है। लाल रंग से रँगे वस्त्र को लोहितक^८ और काले रँगे वस्त्र को कालक कहते थे।^९ जलु का व्यवहार वस्त्र रँगने के अतिरिक्त वार्निश में भी होता था। कोई-कोई रंग सरलता से ही वस्त्र पर चटकीला उतरता है। ऐसे ही वस्त्र को लक्ष्य कर एक स्थान पर कहा गया है कि वस्त्र अपने-आप ही रँग गया।^{१०} कभी-कभी एक वस्त्र के भिन्न-भिन्न-भागों को अलग-अलग रंगों से रँगते थे। ये वस्त्र चित्रवासस कहलाते थे।^{११}

तन्तुवाय—तन्तुवाय का उल्लेख भाष्य में रजक के साथ मिलता है।^{१२} तन्तुवाय वस्त्र बनाते थे। घर-घर में सूत कातने की प्रथा थी। कता हुआ सूत तन्तुवाय को दे दिया जाता था। तन्तुवाय स्वयं भी सूत तैयार करते होंगे, किन्तु भाष्य में तन्तुवाय के घर जाकर उसे सूत देकर

१. ४-२-१ ।

२. ४-२-२ ।

३. वही, पृ० १६६ ।

४. वही ।

५. वही ।

६. वही, पृ० १६६ ।

७. ३-१-१, पृ० ५ ।

८. इण्डिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २३१ ।

९. लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति ।—१-१-२७, पृ० २२० ।

१०. ५-४-३२ ।

११. ५-४-३३ ।

१२. ३-१-९०, पृ० १५७ ।

१३. १-१-२७, पृ० २२० ।

१४. २-४-१०, पृ० ४६५ ।

वस्त्र बुनवाने की चर्चा है। कोई तन्तुवाय को सूत देकर कहता है, कि इसकी धोती बुन दो। तन्तुवाय सोचना है कि यदि धोती है, तो बुनने की क्या आवश्यकता? और यदि बुनना है, तो धोती नहीं हो सकती। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मुझे सूत्र को इस प्रकार बुनना है कि बुनने पर इसका नाम शाटक हो जाय। इसकी शाटक सन्ना अभी होनेवाली है, है नहीं।^१

बुनाई के साधन—तन्तुवाय के तुरी-वेमा को, जिसपर यह वस्त्र बुनता था, आवाय कहते थे।^२ उसका वेमा तन्त्र कहलाता था।^३ जिससे वह बुने हुए सूत को संघन करता जाता था, उस (Shutila) की सन्ना थी प्रवाणि, अर्थात् जिससे बुना जाय।^४ यह तन्तुवाय की शलाका थी, ऐसा काशिका में कहा है। तन्तुवाय पहले सूत को उतना लम्बा-चौड़ा फैला लेता था, जितना लम्बा-चौड़ा वस्त्र उसे बुनना हो। इसे तन्त्र को आस्तीर्ण करना कहते थे।^५ बाद में वह चौड़ाई में सूत पिरोता जाता था।^६ प्रवाणि से बुनकर तुरन्त हटाया गया वस्त्र निष्प्रवाणि कहलाता था।^७ कम्बल की बुनाई का प्रकार भी यही था। इसलिए, कम्बल को निष्प्रवाणि कहा जा सकता था। तन्त्र पर से हटाया हुआ, अर्थात् तुरन्त बुनकर उतारा हुआ वस्त्र तन्त्रक कहा जाता था।^८ तन्त्रक और निष्प्रवाणि दोनों वस्त्रों का अर्थ होता था, तुरन्त बुने हुए वस्त्र।

घुलाई के मसाले—बुनने के बाद तन्तुवाय वस्त्रों को मसाले से धोते थे, जिससे मटमैले सूत के वस्त्र भी शुक्ल हो जाते थे।^९ शुक्लता में भी अन्तर होता था। भाष्यकार ने वस्त्र के शुक्ल और शुक्लतर ये भेद किये हैं। शुक्लता और सूत के अन्तर से वस्त्रों के अर्घ्य में भी अन्तर रहता था।^{१०} वरावर लम्बाई और चौड़ाई होने पर भी काशी में वने वस्त्र का मूल्य मथुरा में वने वस्त्र से भिन्न रहता था। इसका कारण वस्त्रों का गुण-भेद था। बनानेवाले जुलाहे धात को दूसरे मसाले से धोते थे, शैफालिक को दूसरे से और माध्यमिक को तीसरे से। इस प्रकार वे किसी वस्त्र शैफालिक को दूसरों से और माध्यमिक को तीसरे से। इस प्रकार वे, किसी वस्त्र को शुद्ध धात बना देते थे, किसी को शैफालिक और किसी को माध्यमिक। वस्त्रों के मूल्य-भेद का यही कारण न था। उनकी सूक्ष्मता की तरतमवत्ता भी मूल्य के

१. १-१४५, पृ० २८० ।

२. ३-३-१२२ ।

३. ५-२-७० ।

४. ५-४-१६० ।

५. आस्तीर्ण तन्त्रम्, प्रीतितन्त्रम् ।—१-४-५४, पृ० १८४ ।

६. वही ।

७. ५-४-१६०, काशिका ।

८. तन्त्रादचिरापहृतः तन्त्रकः पटः तन्त्रकः प्रावारः । प्रत्यग्रो नव उच्यते ।—५-२-७०,

काशिका ।

९. १-१-११, पृ० १७६ ।

१०. ५-३-५५, पृ० ४५२ ।

अपकपोत्कर्ष का कारण होती थी। सूक्ष्मता का दायित्व सूत्र या तन्तु कातनेवाले पर निर्भर रहता था ।^१

रेशम के वस्त्र—कार्पास-वस्त्र के अतिरिक्त तन्तुवाय रेशम के भी वस्त्र बनाते थे। भाष्यकार ने इन्हे क्षीम वस्त्र कहा है ।^२ ये क्षुमा से बनते थे। वस्त्र कौशेय भी होते थे। भाष्यकार ने बतलाया है कि कोश से उत्पन्न होने के कारण इन्हे कौशेय कहते हैं। यो ये कोश में नही उत्पन्न होते, अपितु कोश के विकार होते हैं। यो तो धूल भी कौशेय से होती है। कोश को जला दो, तो उसकी धूल भी कौश का ही विकार मानी जायगी। कोश में उत्पन्न माने, तो रेशम का कीड़ा भी तो कोश में ही रहता है, फिर भी कीड़े या धूल या भस्म के लिए लोक में कौशेय का प्रयोग न होकर वस्त्र के लिए ही होता है ।^३

भारत में क्षीम के प्रारम्भ का पता लगाना कठिन है। चीन में रेशम के कीड़े २७वीं वी० सी० शती में पाले जाते थे। कुछ इतिहासविदों के अनुसार खोटन के राजकुमार के साथ एक चीनी राजकुमारी का विवाह हुआ था और वह चीन से चोरी-चोरी रेशम के कीड़े तथा शह-सूत का पीया ले आई थी। कुछ विद्वानों के मत से भारत में रेशम का आगमन छठी वी० सी० में भारत-चीन सम्बन्धों के परिणामस्वरूप हुआ, यद्यपि यह इस बात का प्रमाण है कि भारत के पूर्वीय भाग में रेशम के कीड़ों के अनेक भेद पहले से ही विद्यमान थे।

भारत में ७वीं वी० सी० से रेशम का पर्याप्त प्रचार था। अयंशास्त्र में भारतीय रेशम के साथ चीनपट्ट और चीनभूमिज रेशम का भी उल्लेख है।

और्ण वस्त्र—कम्बल या ऊर्णा के वस्त्र बनानेवालों को भी तन्तुवाय ही कहना चाहिए, यद्यपि कम्बल या ऊनी वस्त्र बनानेवालों का एक स्वतन्त्र वर्ग था। सूती वस्त्र सूत्र से बनते थे। कती हुए ऊन के तागे के लिए तन्तु का व्यवहार होता था। इस प्रकार, बुद्ध अभिचार्य की दृष्टि से तन्तुवाय इन्हीं को कहना चाहिए। भाष्यकार ने कहा भी है—‘एक तन्तु त्वचा की रक्षा नहीं कर सकता, किन्तु उनका समुदाय रूप कम्बल कर सकता है ।’^४

कम्बल—कम्बल सफेद रंग के बनते थे ।^५ काले या पाटल भी बनते होंगे। गुबल कम्बल का उल्लेख भाष्यकार ने कई वार किया है। यो तो कम्बल भिन्न-भिन्न आयाम और विस्तार के बनते थे तथा उनकी मोटाई और वजन में अन्तर रहता था, किन्तु एक विशेष प्रकार के कम्बलों का प्रचलन अधिक था, जिनकी लम्बाई-चौड़ाई और वजन निश्चित था ।^६ ये निश्चित परिमाण के कम्बल बाजार में अधिक मिलते थे। सामान्य कम्बल कहने से इन्हीं का बोध होता था। यद्यपि

१. इहास्यापि सूक्ष्माणि वस्त्राण्यस्यापि लक्ष्माणि वस्त्राणीति परत्वादातिगायिकः प्राप्नोति—सूक्ष्म वस्त्रतराद्यर्थः—५-३-५५, पृ० ४५२।

२. ८-३-३७, पृ० ४२२।

३. कौशस्य विकारः कौशेयम् । न ह्यदः कोशे सम्भवति । किं तर्हि कोशस्यावो विकारः—भस्मापिकौशस्य विकारः।—४-३-४२, पृ० २३४।

४. १-२-४५, पृ० ५३५।

५. १-२-६९, पृ० ६०३।

सामान्य परिमाण के तथा दूसरे विक्रय-योग्य कम्बलो को पण्यकम्बल ही कहते थे, फिर भी दोनो अर्थों में प्रयुक्त इस शब्द के उच्चारण में अन्तर था। सामान्य कम्बल, जिसका औसत वजन १०० पल या ५ सेर रहता था, उच्चारण में पूर्वपद प्रकृति-स्वर रहता था, किन्तु अन्य पण्यकम्बलो के उच्चारण में समासान्तोदात्त बोला जाता था।^१ पूर्व-पद प्रकृति-स्वरवाला 'पण्यकम्बल' शब्द संज्ञा बन गया था। निश्चित परिमाण के इस कम्बल में लगनेवाली ऊन का वजन भी संज्ञा बन गया था। इसे कम्बल्य ऊर्णा कहते थे। कम्बल्य शब्द १०० पल ऊन का पर्यायवाची बन गया था। उससे भिन्न परिणाम के कम्बल में काम आनेवाली ऊर्णा को कम्बलोय कहा जाता था।^२ कम्बल्य शब्द परिमाण की संज्ञा बन गया था। कम्बल्य से क्रय-विक्रय का काम चलता था। यथा, दो कम्बलों से खरीदी वस्तु द्विकम्बल्य कही जाती थी।

पाण्डुकम्बल—कभी-कभी देशविशेष में बनने एव प्रसिद्धि पा जाने के कारण वहाँ के कम्बलो का नाम उस प्रदेश के नाम पर चल पड़ता था। उदाहरणार्थ रंजु-प्रदेश में बने कम्बल राकव कहलाते थे।^३ इसी प्रकार, पाण्डुकम्बल^४ भी विशिष्ट कम्बलो का नाम पड़ गया था, जो पाण्डु रंग के तो होते ही थे, किन्तु पाण्डु रंग के साधारण कम्बल न थे। डॉ० दा० दा० अन्नवाल के अनुसार ये उड्डीयान या स्वात घाटी में बनाये जाते थे और वहाँ से देश-भर में निर्यात होते थे। ये बहुमूल्य थे और कागिका के अनुसार राजास्तरण के काम आते थे। रथो के आसनस्तरणों के रूप में इनका प्रयोग होता था। रथो का अन्तर्भाग सामान्यतया तीन वस्तुओं से मड़ा जाता था—वस्त्र, चर्म और कम्बल।^५ सामान्य कम्बल से मड़ा हुआ रथ 'काम्बल रथ' कहलाता था, किन्तु पाण्डु कम्बल से मड़े हुए रथ का वैशिष्ट्य-सूचन के लिए उसे पाण्डुकम्बली कहते थे।^६ सामान्य कम्बल के ऊपर इसका महत्त्व प्रतिपादन करने के लिए ही इसे राजास्तरण कहा जाता था।^७ इसकी किनारी रंगीन होती थी।

डॉ० अन्नवाल ने कम्बल की प्रावार और वर्णका नामक दो जातियाँ और मानी हैं, पर वास्तव में ये कम्बल के भेद नहीं थे।^८ प्रावार या प्रवर ऊनी, सूती या रेगमी किली भी प्रकार की चादर को कहते थे, जो उसके निष्पादक सूत्र 'वृणोत्तेराच्छादने' (३-३-५४) से स्पष्ट है। यदि यह शब्द संज्ञा होता, तो इसी अर्थ में द्वितीय शब्द प्रवर न बनता, क्योंकि संज्ञा शब्द रूढ होते हैं। 'तन्त्रादचिरापहृते' (५-२-७०) सूत्र के काशिकोदाहरण 'तान्त्रक पट, तान्त्रक प्रावार'

१. पण्यकम्बलः संज्ञायामिति वक्तव्यं यो हि पणितव्यः कम्बलः पण्यकम्बल. एवासौ भवति। ६-२-४२, पृ० २५९।

२. ५-१-३, पृ० २९७।

३. ४-२-१०० काशिका।

४. ४-२-११, पृ० १७१।

५. ४-२-१०, पृ० १७०।

६. ४-२-११, पृ० १७१।

७. पाण्डुकम्बले शब्दो राजास्तरणस्य वर्णकम्बलस्य चाचकः—४-२-११ का०।

८. इण्डिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २३२।

में पट से पृथक् प्रावार का उल्लेख उसके तान्त्व होने में प्रमाण नहीं माना जा सकता। वर्णका किसी भी ऊनी कपड़े को कह सकते हैं। उसका कम्बल होना आवश्यक नहीं है, विशिष्ट जाति का कम्बल होना तो दूर की बात है। केवल तान्त्व (तन्तु से बना हुआ) अर्थ में वर्णका शब्द प्रयुक्त होता था।^१ ऊर्णा से बने वस्त्र को साधारणतया और्णं या और्णक कहते थे।^२

इस प्रकार, तन्तुवाय भारतीय आर्थिक जीवन का अनिवार्य और प्रमुख अंग था। वह अपने तन्त्रों का स्वामी होता था और आर्थिक दृष्टि से उन्नत था। तन्तुवाय के शिल्प में प्रति-योगिता के कारण पतजलि-काल में पर्याप्त प्रगति हुई जान पड़ती है। यहाँ तक कि काशी, मथुरा, मध्यमिका (चित्तौड़) के वस्त्र अपने शिल्प-वैशिष्ट्य के कारण अलग-अलग पहचाने जा सकते थे। इस प्रतियोगिता के कारण ही वस्त्रों के रूप, रंग और सूक्ष्मतादि गुणों में पर्याप्त उन्नति परिलक्षित होती है।

तन्तुवाय की सन्तान तान्तुवाय्य कहलाती थी। उत्तर में तान्तुवाय्य शब्द का प्रचलन था।^३ इसी प्रकार, अयस्कार के अपत्य को आयस्कारि, लोहकार के पुत्र को लौहकारि और नापित की सन्तान को नापितायनि कहकर पुकारा जाता था।^४

चर्मकार—चर्मकार मरे पशुओं का चर्म उधेड़ता, उसे कमाकर मुलायम बनाता और उससे आवश्यक वस्तुएँ तैयार करता था। आर्द्र चर्म तथा रक्तमिश्रित चर्म को वह व्यवहार में लाता था।^५ गिकार में मारे हुए पशुओं का ताजा चमड़ा प्रचुरता से प्राप्त हो जाता था; क्योंकि शिकार की प्रथा पतजलि काल तक खूब थी। चर्मकार, वार्ध्रा (बढ़ी), नग्नी (नद्धी), वरत्रा (वरत), कोश (तलवार आदि के म्यान) सनगू (चर्म-वस्तु), छदि (आवरण) और उपानत् (जूते) बनाता था। इनके लिए प्रयुक्त होनेवाले चर्म की सजा भाष्यकार ने वार्ध्र (वार्ध्रा)^६ वारत्रं (वरत्रा), सनगव्यं (सनगु) छदिषेय (छदि)^७ और औपानह्यं^८ (उपानहू) बतलाई है। चमड़े के तलवार के म्यान या रथ को चार्मकोश कहते थे।^९ रथकार के बैठने का भाग चमड़े से मढ़ा जाता था। ऐसे रथ को चार्मण कहते थे।^{१०} उपानहू, चमड़े और लकड़ी दोनों के

१. ७-३-४५, पृ० १९०।

२. ४-३-१५८।

३. ४-१-१५२, पृ० १५३।

४. ४-१-१५८, पृ० १५३।

५. ७-१-३९, पृ० ४४।

६. ५-१-१५।

७. वही।

८. ५-१-२, पृ० २९४, २९५।

९. वही।

१०. वही।

११. ६-४-१५४, पृ० ४८३।

१२. ४-२-१० का०।

बनते थे ।^१ चर्मकार पर की नाप लेकर जूता तैयार करता था, जिसे अनुपदीन कहते थे ।^२ कुछ चर्मकार जूते की तली मे गत्ता, लकड़ी या अन्य ऐसी वस्तु भर देते थे । कुछ जूते केवल चर्म के बनते थे, जो सर्वचर्मिण कहे जाते थे ।^३ सर्वचर्म का अर्थ यहाँ पूरा या समूचा चमड़ा नहीं है । इसलिए, सर्वचर्मिण का अर्थ विना काटे हुए समूचे चमड़े से बनी हुई वस्तु नहीं है । यह काशिकाकार ने स्पष्ट किया है । सर्वचर्मिण के स्थान पर सार्वचर्मिण पद का भी व्यवहार हो सकता था ।

नगरकार—भाष्य मे एकाधिक बार नगरकार शब्द का प्रयोग हुआ है, जो सम्भवतः यन्त्री के अर्थ मे आया है ।^४ जिस प्रकार भाष्य मे वास्तु-कला के अगो की चर्चा है, उससे यह तो सकेत मिलता ही है कि वास्तु-विद्या के विशारदो की सख्या देश मे पर्याप्त रही होगी । उन्होने वास्तुकर्म के अगो को वास्तव्य^५ कहा है और वास्तु का स्वतन्त्र उल्लेख भी किया है । एक स्थान पर सूत्रग्रह की भी चर्चा है, जो राज या मिस्री का बोधक है ।^६ यदा-कदा सूत्र पकडनेवाले के लिए सूत्रग्राह शब्द का प्रयोग होता था । सूत्रग्रह सज्ञा शब्द है । नगरकार का उल्लेख हर बार कुम्भकार के साथ होने से यह अनुमान होता है कि नगरकार शब्द का प्रयोग मिस्री या राज (masion) के लिए ही हुआ है ।

कटकार—कट और कटकार शब्दो का प्रयोग महाभाष्य मे जिस प्रचुरता से हुआ है, उससे स्पष्ट मालूम होता है कि कटकारो की एक स्वतन्त्र श्रेणी चटाइयाँ बनाने का ही व्यवसाय करती थी । लोग काश, तृण या पुलाल के पूल इन्हे देते थे और कट बुनवा लेते थे ।^७ वीरण की चटाइयाँ अच्छी बनती थी ।^८ इसके साधन थे रज्जू, कील और पूल ।^९ इनसे काटकर मोटी, पतली, छोटी, बड़ी, बजनी, हल्की, साधारण और चित्रमय दर्शनीय चटाइयाँ बनाते थे ।^{१०} इससे प्रतीत होता है कि कट का व्यवसाय शिल्प का स्वरूप ग्रहण कर चुका था । भाष्यकार ने एक स्थान पर कट को वेणी-सा सुन्दर कहा है^{११}, जिसका तात्पर्य मुलायम, चिकने और सरलता से मुडकर तह बन जानेवाले कट से है । यह नाम सनम् (पहले) गु (गो) = गोचर्म से बने होने के कारण पडा था ।

१. ५-१-१४ ।

२. ५-२-९ काशिका ।

३. ५-२-५ काशिका ।

४. १-१-३९, पृ० २४७ ।

५. ३-१-९६, पृ० १८० ।

६. सूत्रे च धार्ये ग्रहेरुपसंस्थानम् सूत्रग्रहः । धार्येऽर्थे इति किमर्थम् ? यो हि सूत्रं गूह्णाति सूत्रग्राहः स भवति ।—३-२-९, पृ० २११ ।

७. १-३-३, पृ० २३ तथा १-१-३९, पृ० २४७ ।

८. ३-१-९२, पृ० ६८ ।

९. सुकण्टकराणि वीरणानि ।—१-४-८०, पृ० १९८ ।

१०. सन्नद्धं रज्जूकीलकपूल-पाणिं दृष्ट्वा त इच्छा गम्यते ।—३-१-७, पृ० २९ ।

११. २-३-१, पृ० ३९८ ।

१२. ३-२-१०२, पृ० २३९ ।

एक स्थान पर कहा है कि जो कट बनाना चाहता है, वह कहता नहीं फिरता कि मैं कट बनाने जा रहा हूँ। उसे रस्सी, कीलें, और पुल लिये कुछ करने को उद्यत देखकर उसकी इच्छा का पता चल जाता है।^१ छोटी चटाई को कटी कहते थे। साधारण चटाई के लिए तृणों के दो पुलों की आवश्यकता होती थी।^२

रज्जुकार—रज्जु बनाना भी शिल्प था। भूँज को मोटा-पतला बटना, शण आदि को मोटा या सूक्ष्म काटना, ऐठना और दोहरा, तेहरा या चौलड मिलाना कौशल की अपेक्षा करता था।^३ भाष्य में इसके सकेत यत्र-तत्र मिलते हैं।

आकर्षिक—आकर्षिक लोग भी स्वतन्त्र व्यवसायी जान पड़ते हैं। आकर्षिक लोग सुवर्ण-परीक्षा में निपुण होते थे।^४ गाँव में वन्चक रखे जानेवाले, आभूषणार्थ काम में आनेवाले तथा ऋय-विक्रय में व्यवहृत होनेवाले सुवर्ण की परीक्षा के लिए आकर्षिक को बुलाया जाता था, जो कुछ पारिश्रमिक लेकर सुवर्ण की परीक्षा करता था।^५ आकर्षिक और आकषिक के भेद को स्पष्ट जानना आवश्यक है। डॉ० वा० शं० अग्रवाल ने दोनों को एक मान लिया है।^६ आकर्षिक साधारण सुवर्णकार है, जो अपने व्यवसाय के अग के रूप में सुवर्ण परीक्षा में भी निपुण होता था, किन्तु आकर्षिक की जीविका का सहारा यही था। वह लोगो के घर जाकर काम करता था।

राजशिल्पी—आजकल राजवैद्यो के समान पतजलि-काल में भी कुशलता व्यक्त करने के लिए शिल्पी लोग अपने नाम के पूर्व राज शब्द का व्यवहार करते थे। जैसे राजनापित, राज-कुलाल।^७ यह कर्मचार्य समास-युक्त पद था। इसका अर्थ राजा का नापित नहीं समझना चाहिए। राज शब्द श्रेष्ठ वाची है। इसका ठीक विरोधी शब्द ग्राम-नापित या ग्राम-कुलाल था।^८

जीविका के अन्य साधन—जीविका के कुछ अन्य भी महत्त्वपूर्ण साधन थे, यद्यपि वे शिल्प की कोटि में नहीं आते। आसुतीवल भभके से शराब खींचता और बेचता था।^९ यही उसकी जीविका का साधन था। कुछ लोग शिकार खेलकर और बेचकर जीविकार्जन करते थे। इनमें मैनिक^{१०} मुख्य थे। ये लोग जाल रखते थे और उससे मछलियाँ पकड़ते थे। पक्षी फाँसने के लिए भी जाल का प्रयोग होता था। जाल को आनाय भी कहते थे।^{११} पक्षी पकड़कर उन्हे बेचनेवाले व्याघ

१. ३-१-७, पृ० २९।

२. ३-१-९२, पृ० १६८ तथा ६-१-८४, पृ० ११५।

३. १-१-४४, पृ० २७५।

४. ५-२-६४।

५. ४-२-९।

६. इण्डिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २३५।

७. ६-२-६३।

८. ६-२-६२।

९. ५-२-११२।

१०. १-१-६८, पृ० ४३५।

११. ३-३-१२४, पृ० ३१९।

होते थे। मीनों की विशेष जातियों के नाम पर भी इनके नाम रख दिये जाते थे; जैसे शाफ़रिक, शाकुलिक। सामान्यतया ये मात्स्यिक मैनिक, पाक्षिक या मार्गिक आदि कहलाते थे।^१ अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने के कारण ही इनका यहाँ उल्लेख किया गया है, यद्यपि ये शिल्पी की कोटि में नहीं आते।

शिल्पियों की सत्या देश में अधिक थी। ऐसा शायद ही कोई गाँव होगा, जिसमें अयस्कार, वर्धक (बढई), कुलाल, नापित और रजक न रहते हों।^२ नागेश ने इनका परिगणन किया है।

सामान्य शिल्पी को कारु कहते थे।^३ उसके लिए 'कारि' शब्द का भी प्रयोग मिलता है।^४

१. ४-४-३५।

२. ब्राह्मण ग्राम आनीयतामित्युच्यते तत्र चावरतः पञ्चकारुको भवति।—१-१-४८,
पृ० २९५।

३. ४-१-१५२।

४. वही।

अध्याय ५

व्यापार और वाणिज्य

व्यवहार और वाणिज्य—महाभाष्य में व्यापार, वाणिज्य तथा लेन-देन के लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ है। सौ या हजार रुपये का लेन-देन करने के अर्थ में 'शतस्य व्यवहरति' या 'सहस्रस्य व्यवहरति' का प्रयोग होता था। यो पण् धातु भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होती थी, किन्तु उसका अर्थ अपेक्षाकृत सकृच्चित था और 'शतस्य पणते' से यही समझा जाता था कि व्यक्ति सौ रुपये की वस्तु खरीदता या बेचता है।^१ खरीदने के अर्थ में क्रय, बेचने के अर्थ में विक्रय और दोनों के सम्युक्त अर्थ में क्रय-विक्रय शब्द प्रचलित था और व्यापारी क्रय-विक्रयिक कहलाते थे।^२ व्यवहार का जो व्यापक अर्थ था, उसके लिए वाणिज्य शब्द था और वाणिज्य करनेवाले के लिए वाणिज्।^३ इससे कुछ सकृच्चित अर्थ में वणिक् शब्द प्रचलित था, जिसका साधारण अर्थ था व्यापारी। वणिक् और तुला का सवध अविच्छेद्य-सा माना जाता था। इसीलिए, एक स्थान पर वणिज् शब्द से तत्सम्बन्धी तुला-सूत्र का ग्रहण किया गया है। जिस रस्सी को 'पकड़कर तराजू उठाई जाती है, उसे तुला-प्रग्राह कहते थे। तुला-प्रग्राह को लेकर घूमनेवाले या उससे जीविका कमानेवाले सामान्यतया वणिक् और यदा-कदा कोई दूसरे भी होते थे। इससे यह भी पता चलता है कि व्यापार या वाणिज्य अनिवार्य रूप से वणिक् (जाति) के ही हाथ में नहीं था।^४ हाँ, ब्राह्मण लोग वणिग्व्यवसाय में कम प्रवृत्त होते थे। एक स्थान पर भाष्यकार ने कहा है कि उरद के समान काले आदमी को दूकान में बैठा देखकर कोई नहीं समझेगा कि यह ब्राह्मण है।^५

वाणिजो को श्रेणियाँ—वाणिजो के नाम या श्रेणियाँ दो आचारो पर थी—एक उनके वाणिज्य के स्थान के नाम पर और दूसरे वाणिज्य की वस्तु के नाम पर। अन्तरप्रान्तीय (और तत्कालीन भाषा का प्रयोग करे, तो अन्तरराष्ट्रीय) वाणिज्य के प्रमाण भाष्य में मिलते हैं, यद्यपि भारत से बाहर माल के आने-जाने का पता हमें नहीं चलता। पश्चिमी तट पर वाणिज्य की सीमा

१. २-३-५७ काशिका।

२. ४-४-१३ काशिका।

३. ६-२-१३।

४. वणिजाम् वणिक्सम्बन्धेन च तुलासूत्रं लक्ष्यते न तु वणिजस्तन्त्रम्। तुला प्रग्राह्यते येन सूत्रेण स शब्दार्थः। तुलाप्रग्राहेण चरति तुलाप्रग्राहेण चरति वणिगन्यो वा।—
३-३-५२ काशिका।

५. नह्यं कालं मायराशिवर्णमापणे भासीनं दृष्ट्वाऽध्यवस्थत्यं ब्राह्मण इति।—२-२-६,
पृ० ३४१।

भृगुकच्छ जान पडती है। भद्र, कश्मीर, गान्धार आदि मे जाकर व्यापार करने का उल्लेख काशिका मे स्पष्ट है। सम्बद्ध पाणिनि-सूत्र भी अन्य प्रदेश मे जाकर वाणिज्य करने की बात कहता है और इस आधार पर वाणिज्यो की श्रेणियाँ निश्चित करता है। यथा—मद्रवाणिज, काश्मीरवाणिज।^१ वस्तुओ के आधार पर अश्ववाणिज, गोवाणिज आदि नाम उनका वाणिज्य करनेवालो के पड जाते थे। वशकठिन (वन-सम्पत्ति या बाँस) का व्यवहार (व्यापार) करनेवाले को वशकठिनिक, बध्न या तृण-विशेष का व्यवहार करनेवाले को बध्नकठिनिक और खनिज द्रव्यो के व्यापारी को प्रास्तरिक कहते थे।^२ पाणिनि ने सस्थान शब्द का भी प्रयोग किया है सस्थान, व्यापार-सघो को कहते थे। उनके सदस्य के रूप मे व्यापार करनेवाले की सजा सास्थानिक थी।^३

सार्थ—भाष्य मे सार्थिक का भी उल्लेख है। काशिकाकार 'तदगच्छति पथि दूतयो' (४-३-८५) के प्रत्युदाहरण के रूप मे सूचन जानेवाले सार्थ का उल्लेख किया है। सार्थ बनाकर चलनेवाले सार्थिक होते थे। यात्रा मे विशेषत व्यापार-सम्बन्धी यात्रा मे सार्थवहन का बहुत महत्त्व था। यदि कोई अकेला भी चल पडा, तो कान्तार आने पर रुक जाता था और किसी सार्थ मे सम्मिलित हो जाता था। कान्तार निकल जाने पर वह फिर सार्थ छोडकर स्वतन्त्र चलने लगता था।^४ चोर और बटमार सार्थों के किनारे छिपकर बैठ जाते थे और अकेले-दुकेले निकलनेवाले वणिक्तो को लूट लेते थे। इसीलिए, चोर को पारिपन्थिक कहते थे।^५ इससे, कान्तारो मे लूट-पाट का भय बना रहता था, यह बात स्पष्ट है। सार्थ का उद्देश्य ही लूट-पाट से बचना था। कभी कोई सार्थ से विछुड जाता था।^६ क्योंकि, सार्थवाह रात्रि के विश्राम-काल को छोडकर अन्यदा चलते रहते थे। उन्हे लम्बी यात्रा तय करनी रहती थी। इस प्रकार सतत और साध चलनेवाले वणिक्तों को 'अपरस्पर' सार्थ कहते थे।^७ केवल सार्थ बनाकर चलनेवाले सातत्य-विरहित सार्थों के लिए 'अपरस्पर' विशेषण का प्रयोग होता था। कभी-कभी कई सार्थ एक स्थान पर ही आकर ठहर जाते और रात बिताते थे। कभी-कभी किसी विशेष सकट-स्थल मे अनायास ही अनेक अपरिचित व्यापारियो का सार्थ बन जाता था। सार्थों के पड़ाव के स्थान प्राय निश्चित रहते थे। भाष्यकार ने कहा है कि एक प्रतिश्रय मे टिकनेवाले अनेक सार्थ सवेरे उठकर अपने-अपने गन्तव्य स्थान को चल पडते हैं और उनमे कोई सम्बन्ध नहीं होता।^८

१. ६-२-१३ का०।

२. ४-४-७२ का०।

३. ४-४-२।

४. कश्चितकान्तारे समुपस्थिते सार्थमुपादत्ते। स यदा निष्कान्तारीभूतो भवति तदा सौर्यं जहाति।—१-१-७४, पृ० ४६३।

५. ४-४-३६।

६. १-१-२४, पृ० १६१।

७. ६-१-१४४।

८. सार्थिकानामेकप्रतिश्रय उषितानां प्रातस्त्वाय प्रतिष्ठमानानां न कश्चित् परस्परं सम्बन्धो भवति।—२-२-२४, पृ० ३७०।

व्यापार और वाणिज्य

पण्य—उपर कहा जा चुका है कि व्यापार के लिए व्यवहृत (वि+अव+हृ) तथा ण् दोनो धातुओ का प्रयोग होता था। यद्यपि ण् का क्षेत्र सकुचित था। ण् का प्रयोग साधारण दूकानदारी के लिए होता था। बेची जाने योग्य वस्तु पण्य कहलाती थी। जो व्यक्ति पण्य का काम करता था, उसके नाम अनेक बार पण्य वस्तुओ के आधार पर निश्चित किये जाते थे। यथा, अपूप बेचनेवाले को आपूपिक, शकुली बेचनेवाले को शाकुलिक और मोदक बेचनेवाले को मौदकिक कहकर पुकारते थे।^१ जिन लोगो का पण्य अश्व था, वे अश्ववाणिज और जिनका पण्य गो था, वे गोवाणिज कहे जाते थे।^२ जिस स्थान पर खरीद-विक्री की जाती थी, उसका नाम आपण होता था।^३ जो वस्तु दूकान पर प्रदर्शनार्थ रखी जाती थी, उसे ऋय कहते थे।^४ विक्रयार्थ रखी हुई वस्तु को ही ऋय कहते थे। अन्य (क्रेतव्य) अर्थ मे ऋय शब्द का व्यवहार होता था।^५ दूकान पर बैठा हुआ वणिक् एक वस्तु को तोलकर उसका हिसाब कर लेता था, तब प्रथम ग्राहक से निवृत्त हो जाने के बाद दूसरे के लिए कोई वस्तु तोलता था।^६ खरीदी हुई वस्तु क्रीत होती थी और मूल्य के आधार पर उसके विशेष प्रयुक्त होते थे। यथा—दो सौ से खरीदी हुई द्विघाता,^७ निष्क से खरीदी हुई नैष्किक, दो शूर्प अन्न से खरीदी हुई द्विशूर्प और उससे खरीदी हुई वस्तु द्विशोर्पिक,^८ अर्घ्य, कार्पापण, अर्घ्य सुवर्ण और द्विशतमान से क्रय की हुई वस्तुएँ क्रमशः आर्विक,^९ कार्पापणिक,^{१०} सत्याकरण—मूल्यवान् वस्तुएँ यथा पशु आदि खरीदने के लिए पहले बयाना या साई देने की प्रथा थी। ग्राहक आपणिक को ऋयेच्छा का प्रमाण देने के लिए दो-एक रुपये पहले देता था, तब मोल-भाव करता था। वह निश्चित मूल्य पर सौदा तय करके अपने वचन की विव्वास्यता के प्रतीक-रूप थोड़ी-सी राशि, जो प्राय दो एक कार्पापण होती थी, देता था। शेष धन बाद में दिया जाता था। साई ले लेने के बाद आपणिक या वणिक् उस वस्तु को अन्य किसी के हाथ नहीं बेच सकता था, भले ही बाद में उसे वस्तु का मूल्य अधिक मिलता हो। इस क्रिया को 'सत्यापर्यति' कहते

१. ३-१-१०१।
२. ४-४-५१ का०।
३. ६-२-१३ का०।
४. ३-३-११९, वही।
५. ६-१-८२, पृ० ११२।
६. वही।
७. ३-१-११ काशिका।
८. ५-१-१९, पृ० ३०७।
९. ५-१-२०, पृ० ३१२।
१०. ५-१-२५, पृ० ३१६।
११. वही।
१२. ५-१-२९, पृ० ३१९।
१३. वही।

थे, जिसका अर्थ था वात पक्की करना ।' साईं लेने की क्रिया को 'सत्याकरोति' कहते थे ।' काशिकाकार ने भाण्ड के सत्याकरण का उल्लेख किया है ।' सत्यकार' की यह प्रथा त्रय-विक्रम के अतिरिक्त श्रमिकादि को नियुक्त करने में भी प्रचलित थी और आज भी प्रचलित है । जो श्रमिक एक मालिक के लिए साईं ले लेता है, वह उसके लिए पक्का हो जाता है ।

पण्य वस्तुएँ—पण्य वस्तुओं की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी जिनका उल्लेख भाष्य में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, वे ये हैं—

खाद्यान्न—गुड़, ' मूंग, जौ, सब प्रकार के अन्न', दालें, 'हैयगवीन' (घी), दही, उदकिवत्, कुल्माप, अपूप, शक्नुली, मोदक, फण्ट, सर्पप, ' लवण', मांस' ।

शाक—शाक' तथा दाडिम', द्राक्षा', विल्व (४-३-१३६), बदर आदि फल ।

वेद्य—मथित ' , मद्य', मुरा, मैरेय', गुड या महुए से बनाई हुई एक प्रकार की शराब । सुरा' जी से भी तैयार की जाती थी । वासुत' (ममके से खीची या चुआई हुई शराब), कापिशायन' (अगूर से बनी शराब, जो उत्तरी अफगानिस्तान के कापिशी प्रदेश से आती थी) ।

१. ३-१-२५, पृ० ६५ ।
२. ५-४-६६ ।
३. ५-४-६६ का० ।
४. ६-३-७०, पृ० ३४६ ।
५. ४-४-१०३
६. ३-२-९३, पृ० २३६ ।
७. ५-२-२३, पृ० ३७३ ।
८. ४-४-५१ का० ।
९. आ० २, पृ० ६२ ।
१०. ४-४-५२ ।
११. ६-२-१२८ ।
१२. वही ।
१३. १-२-४५, पृ० ५२७ ।
१४. ४-२-९८, पृ० २०३ ।
१५. ५-३-८३, पृ० ४७४ ।
१६. ३-१-१० ।
१७. २-२-२९, पृ० ३७९ तथा ६-२-७० का० ।
१८. ४-२-२५ ।
१९. ५-२-११२ ।
२०. ४-२-९८, पृ० २०३ ।

वस्त्र—कौशेय^१, औम या औमक^२ (Linen), और्ण या और्णक^३, मगार (पटसन) से बने वस्त्र कार्पासिक^४ (सूती), इनके विशेष प्रकार यथा उपसव्यान^५, आच्छादन^६, वृहत्तिका^७, प्रावार, शाटी^८, शाटक^९, कम्बल^{१०}, पाण्डुकम्बल^{११}, पण्यकम्बल^{१२} तथा कौशेय, उमा, ऊर्णा, मगा, कार्पास^{१३}, तूल^{१४} आदि।

सुगन्ध—किशर^{१५}, नरद, नलद, सुमगल, तगर, गुग्गुलु, उशीर, हरिद्रा, शलालु^{१६}, चन्दन^{१७}, इन वस्तुओ को बेचनेवाला आपणिक भी सुगन्ध कहलाता था।^{१८}

अलंकार—सोने-चाँदी के आभूषण तथा कर्णिका, ललाटिका^{१९}, रुचक, कुण्डल, स्वस्तिक, कटक^{२०}, अगद^{२१}, किरीट आदि तथा लोहितक^{२२}, सस्यक^{२३}, वैदूर्य^{२४} आदि मणियाँ।

संगीत-सामग्री—बाद्य यथा मड्डुक^{२५}, झंझर (क्रमशः मृदंग तथा मञ्जीरा), वीणा^{२६}, मुरज, पणव^{२७}, पिठर (खँजड़ी), भेरी^{२८} आदि।

मूर्तियाँ—प्रतिकृतियाँ मिट्टी अथवा घातु की बनी, यथा अश्वकादि^{२९} तथा शिवक, स्कन्दक, विशाखक आदि मूर्तियाँ।^{३०}

माल्य—मालाएँ तथा पुष्प उत्पलादि।^{३१}

राग—सब प्रकार के रग, यथा नीली^{३२}, लासा, रोचना, पीता, हरिद्रा, महारज्ज^{३३}, कापाय आदि।

चर्म—सब प्रकार के अजिन^{३४} तथा द्वीपी (चीता) व्याघ्र^{३५} (बाघ) जप्त्र^{३६}, सिंह आदि

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| १. ४-३-४२, पृ० २३४। | १९. ४-३-६५। |
| २. ४-३-१५८। | २०. आ० १, पृ० १६। |
| ३. वही। | २१. १-३-२, पृ० १८। |
| ४. ७-४-४४, पृ० १३१। | २२. ५-४-३०, पृ० ४९०। |
| ५. १-१-३६ का०। | २३. ५-२-६८। |
| ६. ४-३-१४३। | २४. ४-३-८४, पृ० २४२। |
| ७. ५-४-६। | २५. ४-४-५६। |
| ८. १-१-३६, पृ० २३८। | २६. ३-३-६५। |
| ९. वही। | २७. ४-४-५५, पृ० २८०। |
| १०. ४-२-११ तथा ४-१-२२ का०। | २८. १-१-७०, पृ० ४४५। |
| ११. वही। | २९. ५-३-९६। |
| १२. ६-२-४२, पृ० २५९। | ३०. ५-३-९९, पृ० ४७९। |
| १३. ४-३-१३६। | ३१. ६-३-६५। |
| १४. ३-१-२५। | ३२. ४-१-४२, पृ० ५५। |
| १५. ४-४-५३। | ३३. ४-२-२, पृ० १६६, १६७। |
| १६. ४-४-५४। | ३४. ६-२-१९४। |
| १७. २-२-८, पृ० ३४३। | ३५. ४-२-१२। |
| १८. ५-४-१३५, पृ० ५११। | ३६. ४-३-६०, पृ० २३८। |

के चर्म, जो रथादि पर मढ़ने के काम भी आते थे, चमड़े की बनी कुपियाँ या कुतुप^१, चमड़े से बने जूते^२, नध्री^३, वाध्री^४, वरत्रा, सनगु, छदि आदि वस्तुएँ तथा तलवार के म्यान आदि^५।

पात्र—मिट्टी तथा धातु के पात्र—अमत्र^६, घट, घटी^७, शारवर्^८, कपाल^९ तथा कास्यपात्र-पात्रियाँ^{१०}, स्थाली^{११}, पिठर आदि तथा अन्न, तेल आदि वस्तुएँ भरने के पात्र—बोरे, आवपन तथा गोणी^{१२}, कुतुप, उट्टिका आदि।

पशु—बैल (गो^{१३}), अश्व, हाथी, साल्व^{१४}, के प्रसिद्ध बैल, काबुल के घोड़े^{१५}, भेड़ बकरियाँ^{१६}, ऊँट^{१७} आदि।

औजार—दात्र^{१८}, कुशी^{१९}, युग^{२०}, अक्ष^{२१}, खनित्र^{२२}, अरित्र^{२३}, तन्त्र^{२४}, प्रवाणि^{२५}, हल^{२६} अग्नी^{२७}।

धातु और धातु-निर्मित वस्तुएँ—लोहे की शृखला^{२८}, जो पशु बाँधने के काम आती थी, अय.मूल^{२९} (गील-नांटे), लोहे के तार^{३०}, यकुला^{३१}, छोटी काँटियाँ^{३२}, इधम-प्रत्रवचन^{३३} (कुल्हाड़ी), पलाशशातन आदि लोहे की चीजे तथा सोना-चाँदी, लोहा^{३४}, ताँबा^{३५}, राँगा, सीसा, टीन आदि धातुएँ, चुम्बक^{३६} तथा अन्य पदार्थ, यथा जतु (लास), जिसका व्यापार काफी विस्तृत था। लाक्षा का प्रचार भारत में बहुत था। लाक्षा का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। सूत्र-साहित्य में तो लाक्षा की बार-बार चर्चा है। धातुओं से बने अस्त्र—शक्ति^{३७}, यष्टि और उसकी मूँठ,

१. ५-३-८९।	२०. ४-४-७६।
२. ५-१-१४।	२१. ६-३-१०४।
३. ३-२-१८२।	२२. ३-२-१८४।
४. ५-१-२, पृ० २९४।	२३. वही।
५. ६-४-१४४, पृ० ४८३।	२४. ५-२-७०।
६. ४-२-१४।	२५. ६-४-१६०।
७. ३-२-९, पृ० २११।	२६. ३-१-२६, पृ० ३।
८. १-१-७२, पृ० ४४७।	२७. ४-४-२।
९. ४-१-८८, पृ० १०१।	२८. ५-२-७९, पृ० ३९९।
१०. ४-२-३, पृ० ३१७।	२९. ५-२-७६, पृ० ३९९।
११. १-४-१०१, पृ० २०८।	३०. १-१-४९, पृ० २९८।
१२. ४-१-८२।	३१. २-१-१, पृ० २२७।
१३. ६-२-१३ का०।	३२. २-२-६, पृ० ३३९
१४. ४-२-१३६।	३३. २-२-८, पृ० ३४२
१५. ६-२-४२, पृ० २५८।	३४. ३-१-७, पृ० ३०
१६. २-१-६९, पृ० ३३०।	३५. ४-३-१३८।
१७. ४-२-६०, पृ० २३८।	३६. ३-१-७, पृ० ३०।
१८. ३-२-१८२।	३७. ४-४-९५, पृ० २८१।
१९. ४-१-४२ का०।	

लागल (हल का फाल), अकुश, तोमर, धनुष-बाण (लोहे की फाल वाले) अंसि, परशु, आदि, लोहे के धड़े तथा अन्य पात्र ।

तुला—तराजू, तौलने के वाट, परिमाण आदि, जिनका उल्लेख सम्बद्ध प्रकरण में किया गया है।^१

बाहन—शकट^२, शकटी^३, रथ^४, नौका^५ । तेल बेचना दुरा माना जाता था।^६ मांस बेचना भी वर्जित^७ था, किन्तु तेल के बीज, सरसो, तिल तथा मांस के साधनमूल पशु बेचने पर प्रतिबन्ध न था। सोम का विक्रय भी शास्त्र-वर्जित मानता था।^८ धान्य-विक्रय पर प्रतिबन्ध न था। मथित बेचना कुछ लोगो का नियमित व्यवसाय था।^९ ये लोग माथितिक कहे जाते थे।

इनके अतिरिक्त दैनन्दिन आवश्यकता की और बहुत-सी वस्तुएँ थी, जैसे दूध^{१०} (चक्की) सूची^{११} (सूई)। इस प्रकार की वस्तुएँ उदाहरण-रूप में भाष्य में यत्र-तत्र विखरी है।

क्रय-विक्रय—पण्य-व्यवहार दो प्रकार से होता था—वस्तुओं का मूल्य सिक्को के रूप में देकर या बदले में दूसरी वस्तु देकर। प्रथम विधि को क्रय और द्वितीय को अपमित्य कहते थे।^{१२} अपमित्य द्वारा ली हुई वस्तु आपमित्यक कहलाती थी। भाष्यकार ने माष (ताम्रमुद्रा), कार्पाषण (राजसमुद्रा) और निष्क एव सुवर्ण से खरीदी हुई वस्तुओं के अनेक उदाहरण दिये हैं। छोटी-छोटी चीजें, जैसे सक्तु, मथित आदि माष से खरीदी जाती थी। भाष्यकार ने एक स्थान पर आपणीय सक्तुओं के आढक का उल्लेख किया है।^{१३} उन्होंने द्विदोषार्थं द्रव्य से धान्य; पंच पद्वर्थं हिरण्य से पशु और सहस्र हिरण्यो से अबवो के क्रय का उल्लेख किया है। धान्य पशुओं और अबवो का क्रय सुवर्ण-मुद्रा से भी होता था।^{१४} निष्क से क्रीत वस्तु को नैतिकक कहते थे।^{१५} सौ निष्क या कार्पाषण द्वारा खरीदे हुए अश्व को शतिक या शत्य कहते थे।^{१६} सौ कार्पाषण की सौ घोटियाँ विकती थी। इस भाव से खरीदी हुई घोटियो को शत्य कहते थे।^{१७} पाँच (कार्पाषण से खरीदी वस्तु की पंचक सजा होती थी।^{१८} बीस और तीस (कार्पाषण) से ली हुई वस्तु विशक

- | | |
|--|----------------------|
| १. ३-२-९, पृ० २१०। | १२. ३-२-९३, पृ० २३६। |
| २. १-४-१, पृ० १०९। | १३. ६-३-३५, पृ० ३२४। |
| ३. १-४-२३, पृ० १५६। | १४. २-३-३०, पृ० २५४। |
| ४. ४-१-१, पृ० ११। | १५. २-१-२, पृ० २६४। |
| ५. ४-४-११। | १६. ४-४-२१। |
| ६. १-१-१, पृ० १०२। | १७. २-१-१, पृ० २३०। |
| ७. ८-१-३०, पृ० २८८। | १८. २-३-१८, पृ० ४२०। |
| ८. वही। | १९. ५-१-२०, पृ० ३११। |
| ९. १-१-१, पृ० १०२। | २०. ५-१-२१, पृ० ३१३। |
| १०. तैलं न विक्रेतव्यम्, मांसं न विक्रेतव्यम्
इति व्यपवृत्तं च न विक्रीयतेऽव्यपवृत्तं च गावश्च
सर्पाश्च विक्रीयन्ते।—आ० २, पृ० ६२। | २१. वही। |
| ११. वही। | २२. ५-१-२२। |

और त्रिशक कही जाती थी, किन्तु यदि वह सजावाची हुई, तो उसे विशातिक, त्रिशत्क कहते थे।^१ इसी प्रकार अर्घ (कार्षापण), कार्षापण, शतमान, विशातिक, सहस्र, सुवर्ण, काकिणी, शाण, पण, पाद, माष आदि मुद्राओ से नकद क्रय-विक्रय के उदाहरण भाष्यकार ने प्रचुर सख्या में दिये हैं।^२

विनिमय—विनिमय में अन्न का प्रयोग ही मुख्यत होता था। दो सूप, तीन सूप या अधिक अन्न देकर वस्तुएँ खरीदने की प्रथा साधारण थी।^३ मुद्ग और माष देकर वस्तुएँ खरीदी जाती थीं। कस (कटोरा) भर अनाज से क्रीत वस्तु कसिक कही जाती थी।^४ इसी प्रकार, बदले में खट्वा,^५ वैल, अद्व,^६ क्रोष्ट्री,^७ वस्त्र^८ आदि देकर एक शिल्पी या कृषक दूसरे शिल्पी या कृषक से वस्तुएँ बदल लेता था। पाँच-दस खट्वा देकर खरीदी वस्तु, पाँच क्रोष्ट्रियों को देकर क्रीत रथ एक मूल्य देकर एक वैल, अन्य (अधिक या दूसरा) देकर दो वैल और अन्य देकर तीन वैल खरीदने की चर्चा भाष्य में मिलती हैं।^९ पाँच गाय या वैल देकर बदले में खरीदी हुई वस्तु (बड़ा वैल, भूमि, बाग) आदि को पचगु कहते थे।^{१०}

परमगोपुच्छ—भाष्यकार ने परमगोपुच्छ देकर खरीदी हुई वस्तु को पारमगोपुच्छिक कहा है।^{११} गोपुच्छ के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। डॉ० भण्डारकर ने इसे गोपुच्छ का ही और डॉ० वा० श० अग्रवाल ने गौ का बोधक माना है। मुझे डॉ० भण्डारकर का मत उचित जान पड़ता है। तैत्तिरीय संहिता (७-५-९) में भूमिदुन्धुभि का वर्णन है, जो आग्नीध्र-मण्डप में एक गड्ढे पर आर्द्रचर्म फैलाकर गोपुच्छ से बजाई जाती थी।^{१२} ये बनानेवाले गोपुच्छ जिस व्यक्ति से खरीदे जाते थे, उसे बदले में जो वस्तु दी जाती थी, वह गोपुच्छिक कहलाती थी और परम-गोपुच्छ देकर खरीदी हुई वस्तु को पारमगोपुच्छिक कहते थे। भाष्यकार के समय में जबकि यज्ञों का प्रचार बढ़ गया था, इस प्रकार के लेन-देन की सभावना की जा सकती है। गोष्ण अतिथि भी होते थे, जिनके मधुपर्क के लिए गाय या बछिया मारी जाती थी। इन गोपुच्छों का कथार्य

१. ५-१-२६ पृ०, ३१५।

२. ५-१-२९, पृ० ३१९ तथा ५-१-३२ तथा वही। पृ० ३२० तथा ५-१-३४, ३५।

३. ५-१-३७, पृ० ३२१।

४. वही।

५. ५-१-२५।

६. ४-१-३, पृ० २६।

७. ४-१-५०, पृ० ६४।

८. १-९६, पृ० ८६।

९. आतश्चाभिज्ञा अन्येन हि वस्तेनैकाङ्गां क्रीणन्त्यन्येन द्वावत्येन त्रीन्।—१-१-३६,

पृ० २४२।

१०. वही।

११. १-२-४४, पृ० ५२५।

१२. ५-१-२०, पृ० ३११।

१३. इस सूचना के लिए मैं संगीताचार्य प० ओकारनाथ ठाकुर का कृतज्ञ हूँ।—ले०

व्यवहार सम्भव है। ५-१-२७ सूत्र में पाणिनि ने वसन से भी वस्तु खरीदने का उल्लेख किया है। वसन से खरीदी वस्तु को वासन कहते थे। आजकल हिन्दीभाषी ग्रामों में, जहाँ पुराने कपड़ों से बरतन खरीदने की प्रथा है, वासन शब्द का व्यवहार बरतनों के लिए होता है। सम्भवतः, प्रारम्भ में पुराने वस्त्र देकर खरीदे गये पात्रों के लिए ही वासन शब्द का प्रयोग होता था। धीरे-धीरे इसका प्रयोग सामान्य रूप से हर बरतन के लिए होने लगा।

जिस वस्तु का मूल्य सौ (कार्षापण) होता था, उसे शत्य या शतिक कहते थे। इसी प्रकार सहस्र (कार्षापण) मूल्यवाली वस्तु साहस्र कही जाती थी। जो वस्तु सौ की होती थी, सौ कार्षापण उसका वस्न कहा जाता था।^१ काशिकाकार ने तो १-२-४९ और १-२-५० सूत्रों में सूची और शण्कुली देकर वस्तु खरीदने का उल्लेख किया है।

इनके अतिरिक्त अजलि, प्रस्थ, गणि, खारी और आचिंत (धान्य-परिमाण) से वस्तुएँ खरीदने का उल्लेख भी भाष्य में प्राप्त होता है। पचनी और दधानी पाँच तथा दस नावों से विनिमय की ओर सकेत करते हैं। पुरानी नावें (जो काम में नहीं आती) को बेचकर बदले में किसी वस्तु के खरीदने से आशय हो सकता है या इतनी ही नावों में भरी हुई विन्नेय वस्तुओं के बदले दूसरा माल खरीदा जाता होगा। विदेशी माल का इस प्रकार विनिमय द्वारा खरीदा जाना अधिक सम्भावित है। यह भी हो सकता है कि तक्षा नावें बनाकर बेच देते हों और बदले में कोई मूल्यवान् वस्तु ले लें।

निमान—वस्तु-विनिमय का बहुत सुन्दर उदाहरण 'सख्याया गुणस्य निमाने मयद्' (५-२-४७) सूत्र के भाष्य में मिलता है।^१ यदि कोई प्रथमान्त पद गुण (भाग, या वस्तु का अंश) के निमान (मूल्य) के रूप में वर्तमान हो और सख्यावाची भी हो, तो उससे 'इसका' इस षष्ठ्यर्थ में मयद् प्रत्यय होता है। उदाहरणार्थ, जो के दो भाग जिस उदश्वित् के निमान या मूल्य होते, उस उदश्वित् (मट्ठे) को द्विमय उदश्वित् कहते थे। इस प्रत्यय के लिए आवश्यक था कि जिस वस्तु का मूल्य बताया हो, उसका नाम एक हो और उसके मूल्य-स्वरूप जो वस्तु दी जाय, वह एक से अधिक भाग हो। इसलिए, जब के दो भाग यदि तीन भाग उदश्वित् का मूल्य हों, तो मयद् प्रत्यय नहीं होता और 'द्वौ भागी यवान्ना त्रय उदश्वित्' ऐसा वाक्य ही रहता है। इस सूत्र में दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं—प्रथम तो निमान शब्द मूल्य का वाचक था और जिससे गुण (वस्तु) के भाग या अंश का मूल्य आँका जाय, उसे निमान कहते थे। जिसको देने पर कोई वस्तु मिले, वह निमान और जो वस्तु मिले, वह निमेष। दूसरे विनिमय-योग्य वस्तुओं में कौन किससे कितने गुने मूल्य की है, यह निर्धारण कर द्योते, दूने, तिगुने के हिसाब से वस्तु-रूप मूल्य लेकर वस्तुएँ बेचने की प्रथा थी। घर के काम की छोटी-मोटी वस्तुएँ इसी प्रकार तोलकर बेची जाती थी। यह प्रथा आज भी गाँवों में चली आती है।

१. शतमर्हति शत्यः शतिकः साहस्रः। यः शतमर्हति शतं तस्य वस्तो भवति—५-१-१९, पृ० ३०९।

२. येनाधिगम्यते तन्निमानं यदधिगम्यते।—तन्निमेषम् आदि—५-२-४७, पृ० ३८५-८७।

मूल्य और लाभ—किसी वस्तु की वास्तविक लागत को मूल कहते हैं, अर्थात् मूल वह व्यय था, जो किसी वस्तु को विक्रय के योग्य तैयार करने या तदर्थ प्राप्त करने पर आता था। व्यापारी उस पर लाभ मिलाकर जो (घन) प्राप्त करना चाहता था उसे मूल्य कहते हैं। इस प्रकार मूल+लाभ का नाम मूल्य था और मूल्य—मूल का नाम लाभ था। अर्थात् मूल्य-लाभ=मूल (वस्तु की लागत) होता था। लागत के अतिरिक्त प्राप्त राशि को लाभ कहते हैं।^१ जिस वस्तु में जितना लाभ प्राप्त होता, उसी नाम पर वस्तु को पुकारने की भी प्रथा थी। उदाहरणार्थ जिस वस्तु पर पाँच रुपया लाभ मिलता, उसे पचक कहते थे। इसी प्रकार सप्तक अष्टक, नवक दशक आदि विशेषण बनते थे। नागिक, बधिक का उल्लेख भी भाष्य में मिलता है।^२ पचक आदि विशेषण समस्त प्रतिशत लाभ को दृष्टि में रखकर निश्चित किये जाते थे। मन्मथ है, प्रतिवस्तु लाभ की ओर भाष्यकार की दृष्टि हो। अर्ध और भाग काषोपण के लिए अर्धान् अर्ध प्रयुक्त हुआ है। मूल से आनाम्य या अनिभवनीय को मूल्य कहते हैं। पदादिको की उत्पत्ति का कारण मूल होता है। मूल्य के द्वारा उसे अभिभूत किया जाता है। मूल्य मूल को सगुण बनाता है। इस प्रकार पटमूल के बराबर या मूल्य कहलाता था, जिसका अर्थ था उपादान के बराबर परिणाम-वाला।

वस्तिक—लाभ के लिए क्रय-विक्रय करनेवाले और जीविका के लिए उनपर निर्भर रहनेवाले जिस प्रकार क्रायिक, विक्रायिक या क्रयविक्रायिक कहलाते थे, उसी प्रकार वस्त के सहारे जीविका उपाजित करनेवाले को वस्तिक^३ कहते थे। वस्त का अर्थ है विक्री का मूल्य और वस्तिक का अर्थ हुआ—विक्री से प्राप्त होनेवाले लाभ से जीनेवाला। इस प्रकार, क्रय-विक्रयिक और वस्तिक पर्यायवाची होने चाहिए थे, किन्तु उनमें अन्तर था। वस्तिक विनी के लिए किसी को नियुक्त कर देता था अथवा रुपया लगाकर किसी को दूकान या व्यापार करा देता था। दूकान पर विक्रय करनेवाला एक निश्चित रकम पाता था। उसका खर्च निकालकर शेष लाभ वस्तिक लेना था। इस प्रकार वन लगा देने के बाद क्रय-विक्रय स्वयं न करके केवल 'लाभ का उपयोग करनेवाले वस्तिक कहलाते थे। कर्मी-कर्मो वस्तिक व्यापार के लिए एक निश्चित घनराशि किसी को देकर लाभ में अपना भाग तय कर लेते थे। यह घन कर्मी नासेदारी के रूप में दस पाँच व्यापारियों के नासे के व्यापार में लगा दिया जाता था और कर्मी विनी एक ही व्यापारी की वस्तिक (Financier) के रूप में दे दिया जाता था और उन पर होनेवाले लाभ में अपना अंश तय कर लिया जाता था। यह प्रथा वर्तमान कम्पनियों के शेयरों के समान थी, जो गैरर एरीरने

१. ४-४-९१।

२. ५-१-४७, ४८, ४९।

३. वही।

४. मूलानाम्यमनिभवनीयमपदादीनामृत्यतिकारणं मूलं तेन तदनिभयने शेषीयते। मूल्यं हि सगुणं मूलं करोति। मूलेन समो मूल्यं पटः। उपादानेन समानरुन इत्यर्थः।—४-४-९१।
पाशिका।

५. ४-४-१३।

वालो को लाभ का अंश वितरित कर देती है। उदाहरणार्थ—‘लाभ मे से पाँच वस्न या भाग पाने-वाला वस्निकपचक कहलाता था।’ ग्रामीण वसनी शब्द जो कपड़े की सिली हुई और लम्बी, कमर मे बाँधी जानेवाली रूपयो की थैली के लिए व्यवहार मे आता है, वस्न से सम्बद्ध है। व्यापारी माल की विक्री का घन उसमे रखते है और सुरक्षा की दृष्टि से कमर मे बाँध लेते है।

द्रव्यक—पाणिनि ने द्रव्यक का भी उल्लेख किया है।^१ द्रव्य को एक स्थान से देशान्तर को ले जानेवाला, उठाकर रखने या ढोनेवाला और उत्पन्न करनेवाला द्रव्यक कहलाता था। पाणिनि ने इन क्रियाओ के लिए क्रमशः हरति, वहति आवहति का प्रयोग किया है और काशिकाकार ने इनका अर्थ स्पष्ट किया है।^१ काशिका के अनुसार परदेश को द्रव्य ले जानेवाले की द्रव्यक सज्ञा होती है। पाणिनि के ‘तद्धरति बहुत्यावहति भाराद् वशादिभ्य’ सूत्र से यह भी पता चलता है कि द्रव्यक वशा (बाँस), कुटज (Holarrhena antudy senterica), बल्बज (Eleusine indica) (वंवई), मूल, अन्न (चुरी), स्थूणा (लट्ठे) अस्मन् (पत्थर), अश्व, इक्षु और खट्वादि ले जाते थे। इनमे कुछ द्रव्य अवश्य ही विक्री के लिए ले जाये जाते होंगे। काशिकाकार ने हरति का अर्थ चुराना भी स्वीकार किया है। लाभाज लेकर दूसरे देश को जानेवाला, उसे चुरानेवाला, लेकर धारण करनेवाला और उत्पन्न करने या कमानेवाला वस्निक था। द्रव्य बेचकर लाभ कमानेवाला और उसे लेकर घर लौटनेवाला द्रव्यक भी वस्निक कहा जाता था। वस्निक और द्रव्यक का यह अन्तर स्पष्ट समझ लेना आवश्यक है। डॉ० अग्रवाल ने एक स्थान से रवाना होने की स्थिति को हरति, मध्य स्थिति को वहति और पहुँचने की स्थिति को आवहति मानते हुए व्यापारार्थ वशादि को परदेश ले जानेवाले को द्रव्यक और उन्ही स्थितियो से गुजरते हुए मूल्य (लाभ-सहित) लेकर लौटनेवाले उसी व्यक्ति को वस्निक माना है।^१ किन्तु, इस कल्पना का आधार उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। हरति प्रतिक्रियाओ से तो यह ध्वनि नहीं निकलती।

व्यापार-मार्ग—मद्र, कश्मीर और गान्धारादि देशो मे जाकर व्यापार करने की चर्चा पीछे हो चुकी है। द्रव्यक लोग दूर-दूर देशो मे माल ले जाते थे और वास्निक के रूप मे थैली भरकर लौटते थे। यह तभी सम्भव था, जब यात्रा के सरल साधन उपलब्ध हों। महाभाष्य दूर-दूर प्रदेशो को जानेवाले लम्बे मार्गो का उल्लेख करता है। पाणिनि ने पथिक और पथक मे अन्तर किया है। पथिक साधारण यात्री को कहते थे,^२ किन्तु पथक कुशल यात्री की सज्ञा थी।^३ कुछ लोग बराबर यात्रा किया करते थे। उनका व्यवसाय यही रहता था। ये लोग पान्य होते थे।^४ पान्य

१. ५-१-६।

२. ५-१-५१।

३. हरति देशान्तर प्रापयति चोरयति वा। बहुत्युत्सिष्य धारयति। आवहति उत्पादयति।—५-१-५० काशिका।

४. इण्डिया एज नोन दू पाणिनि, पृ० २४१।

५. ५-१-७५।

६. ५-२-६३।

७. ५-१-७६।

नगरो मे होकर निकलता था। देश के सभी प्रसिद्ध नगर मार्गों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे।

पथ-भेद—सब मार्ग एक-से नहीं थे। कोई अधिक चौड़े थे कोई कम। कोई सीधे थे और कोई चक्करदार। कोई मैदान से होकर जाते थे और कोई कान्तार से होकर। भाष्यकार ने इनके भिन्न-भिन्न नाम दिये हैं। उदाहरणार्थ^१, वारिपथ (जलमार्ग), जिनमे नौका द्वारा व्यापार होता था, जगलपथ, स्थलपथ, कान्तारपथ और अजपथ। अजपथ इतने सँकरे तथा चढाव-उतार के होते थे कि उनपर अज ही चल सकते थे। बकरे-चकरियाँ दुर्गम-से-दुर्गम स्थलो पर जा सकते हैं। अजपथ नाम सँकरेपन तथा दुर्गमता की दृष्टि मे रखकर दिया गया था। इसमे एक साथ दो व्यक्ति नहीं चल सकते थे। शकुपथ ढलवे होते थे। इन मार्गों से जानेवाले व्यक्ति का तथा लाई गई वस्तु का नाम इन्ही के आधार पर होता था। यथा . वारिपथिक, जागल-पथिक, स्थालपथिक, कान्तारपथिक, आजपथिक और शाकुपथिक। कान्तार-पथ सम्भवत साकेत से कौशाम्बी, उज्जैन, विदिशा, पण्डरपुर होते हुए भृगुकच्छ तक जानेवाले प्रसिद्ध व्यापार-मार्ग का नाम होगा। हो सकता है, वन मे होकर जानेवाले मार्ग की यह सामान्य सज्ञा हो। मिर्च और महुए स्थल-पथ से लाये जाते थे, इसलिए इन्हे स्थालपथ कहते थे।^२

‘देवपथादिभ्यश्च’ (५-३-१००) सूत्र मे सूत्रकार ने देवपथ का भी उल्लेख किया है और आदि मे पूर्वोक्त पथो के अतिरिक्त रथपथ, करिपथ, राजपथ, सिंहपथ और हसपथ को भी परिगणित किया है। रथपथ का ही दूसरा नाम रथ्या था।^३ करिपथ खुले मार्ग होते थे, जिनके ऊपर वृक्षो की डाले झुकी नहीं रहती थी। राजपथ शासन द्वारा निर्मित पक्के मार्ग थे। हसपथ शब्द आकाश के लिए व्यवहृत होता था। देवपथ का अर्थ ऊँचा आकाशीय मार्ग था। वाद मे लाक्षणिक रूप से उसका प्रयोग रक्षा-दुर्ग के सबसे ऊँचे भाग या प्राकार के ऊपर के मार्ग के लिए होने लगा।^४

मार्ग-व्यवस्था मौर्यो के समय मे ही उन्नत हो चुकी थी। कौटिल्य (अनु० पृ० ५०) के अनुसार सबके बनवाना राजा के प्रमुख कर्तव्यो मे एक था। मैगास्थनीज के अनुसार हर दस विरामी (stages) के वाद सबको के किनारे दूरी-दर्शक तथा मार्ग-निर्देशक पत्थर लगे थे। प्लिनी के अनुसार इस मार्ग की दूरी तथा पडाव इस प्रकार थे—

१ वेटो (Bocto) और डियोग्नेटस (Diognetus) नामक सिकन्दर के सर्वे अधि-कारियो द्वारा पुष्करावती (Peukeloatis) से व्यास (Hyphasis) तक नापी गई दूरी (क) पुष्करावती से तक्षशिला—६० मील, (ख) पुष्करावती से वितस्ता या झेलम तक—१२० मील, (ग) पुष्करावती से व्यास तक— ३२० मील थी।^५

१. ५-१-७७, पृ० ३३८।

२. वही।

३. ५-१-६, पृ० २९८।

४. अर्थशास्त्र, अधि० २, अ० ३।

५. प्लिनी, १-६-२१।

२ व्यास से गंगा के मुहाने तक सेल्यूकस निकेटर (Seleukos Nikator) द्वारा मापी गई दूरी—(क) व्यास से हेसीड्रस (Hesydrus) तक १६८ मील, (ख) हेसीड्रस से यमुना तक १६० मील, (ग) यमुना से गंगा तक ११२ मील, और (घ) गंगा से रामगंगा (Rhodaphe) तक ११९ मील थी।^१

इस समय नौ-वाणिज्य खूब उन्नत था। 'नावो द्विगो' (५-४-९९) सूत्र अनेक नावों के समाहार (समूह) का सूचक है। उक्त सूत्र पर काशिकाकार ने द्विनावघन, पञ्चनावप्रिय, पञ्चभिर्नौभि क्रीत पञ्चनी, दशनी आदि जो उदाहरण दिये हैं, वे इस बात के प्रमाण हैं कि स्थल-व्यापार के समान वारिपथ से होनेवाला व्यापार भी दूर-दूर प्रदेशों तक बड़ी मात्रा में चलता था। बड़े व्यापारी पाँच-पाँच सौ तक नावे रखते थे, जिन्हे वे या तो बाहन-शुल्क लेकर माल ढोने के लिए देते थे या स्वयं उनसे माल का यातायात करते थे। भाष्यकार ने जो पाँच सौ उड्डुपो और पाँच सौ फलको के तीर्ण होने का उल्लेख किया है, वह भी इस बात का पोषक है।^२

शुल्क—राज्य व्यापार पर कर लेता था, जिसे शुल्क कहते थे।^३ एतदर्थ, राज्य की ओर से शुल्क-शालाएँ बनी थी, जो वर्तमान तटकर गृहों और चुगी-नाको के समान रही होगी।^४ इनका अधिकारी शौल्कशालिक होता था, जो निश्चित वस्तुओं पर नियत परिमाण में शुल्क वसूल करता था। कर देने के बाद ही कोई वस्तु विक्रय के लिए अर्हता-प्राप्त मानी जाती थी। अर्हता प्राप्त करने की इस क्रिया को अवक्रय कहते थे।^५ अवक्रय राज्य की आय का साधन था। इसीलिए, शुल्क-शालाएँ आय-स्थानों में गिनी जाती थी।^६ वे नगर में विक्री के लिए जानेवाली वस्तुओं पर कर वसूल करती थी। इसके अतिरिक्त आपण-कर, आकर-कर तथा गुल्म-कर लेने की भी व्यवस्था थी।^७ ये कर धर्म्य माने जाते थे। शुल्क जबतक व्यापारी पर भार न बन जाय, तबतक धर्म्य माना जाता था। केवल दो शर्तें थी। एक यह कि वह लोकपीडक न हो और दूसरे शास्त्र द्वारा निश्चित सीमा का अतिक्रमण न करे।^८ वस्तुओं के विशेषण कई बार उन पर लगनेवाले कर के अनुसार भी प्रयुक्त होते थे।^९

लोक में शुल्क को कार भी कहते थे।^{१०} कार और देय में अन्तर था।^{११} देय ऐच्छिक कर्तव्य

१. एच० जी० रालिन्सन: इण्टरकोर्स बिटवीन इण्डिया एण्ड दि वेस्टर्न वर्ल्ड, पृ० ६४।

२. ५-१-५९, पृ० ३३३।

३. ५-१-४७, पृ० ३२३।

४. ४-३-७५ काशिका।

५. अवक्रीणीतेऽनेनेत्यवक्रयः पिण्डक उच्यते। शुल्कशालायाः अवक्रयः शौल्कशालिकः, नन्वक्रयोऽपि धर्म्यमेव ? नैतदस्ति लोकपीडया धर्मातिक्रमेणाप्यवक्रयो भवति—४-४-५० काशिका।

६. ४-३-७५ काशिका।

७. ४-४-५० काशिका।

८. वही।

९. ५-१-४७, पृ० ३२३।

१०. ६-३-१०, पृ० ३०३।

११. ६-३-१० काशिका।

था और कार अनिवार्य। भारत के पूर्वीय प्रदेश में लगनेवाले कुछ विशिष्ट करो का संकेत 'कार-नाम्नि च प्राचा ह्लादी' (६-३-१०) सूत्र से मिलता है। माष्यकार ने इस प्रकार के करो में एक व्यापारिक कर 'अविकटोरण' का उल्लेख किया है।^१ भेड़ों के समूह पर एक उरण या मेढा कर-स्वरूप देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अव्यापारिक प्राच्यकरो में 'सूपे शाण' (प्रत्येक चूल्हे पर एक शाण) 'दृषदि माषक' (प्रति चक्की एक माष), 'हले द्विपदिका' (प्रति हल दो पाद कार्पापण) 'नदी दोहनी' (प्रतिनाव एक कुण्डी दूध नाव्य कर), 'मुकुटे कार्पापण' (प्रति व्यक्ति या प्रति सिर एक कार्पापण) का उल्लेख काशिकाकार ने किया है। यूथ-पशु अप्राच्य कर था, जिसमें प्रति पशुयूथ एक पशु कर-स्वरूप लिया जाता था।^२ ये कर नियमित नहीं थे। मुकुटे कार्पापण, दृषदि माषक एवं हले द्विपदिका या हले त्रिपदिका आकस्मिक आवश्यकताओं के अवसर पर लगाये जाते थे। आज तक गाँव में आवश्यक अवसरों पर इसी प्रकार सामाजिक या स्थानीय शासकीय कर लगाये जाने की प्रथा रही है।

स्पष्ट है कि चुंगी या उत्पादन-शुल्क प्रायः वस्तु या पदार्थ के रूप में लिया जाता था, मुद्रा के रूप में नहीं। हाँ, बड़े उत्पादनों पर या तो प्रतिशत निश्चित था या मुद्राएँ नियत थी।

१. ६-३-१०, पृ० ३०३।

२. वही, काशिका।

अध्याय ६

तौल, माप और नाप

परिमाण और सख्या—तौल, माप और नाप की परिभाषा करते हुए भाष्यकार ने किहूँ प्रचलित श्लोको की पक्तिर्या उद्धृत की है —

ऊर्ध्वमान किलोन्मानं परिमाण तु सर्वत. ।

आयामस्तु प्रमाण स्यात् सख्या वाह्या तु सर्वत. ॥१॥

भेदभात्र ब्रवीत्येषा नैया मान कुतश्चन ।—५-१-१९, पृ० ३०८

और इसपर टीका करते हुए वतलाया है कि ऊर्ध्व या ऊपर उठाकर जिससे इयत्ता मालूम की जाती है, उसे उन्मान कहते हैं।^१ चारो ओर से जिससे भार मालूम किया जाय, उसे परिमाण कहते हैं, क्योंकि परिमाण में परि का अर्थ है 'सब ओर से'।^२ लम्बाई, विस्तार या फैलाव मालूम करने का नाम प्रमाण है।^३ सख्या इन तीनों से भिन्न है। वह केवल दो वस्तुओं का अन्तर बतलाती है, मान नहीं। यह बात अत्यन्त स्पष्ट है कि सीक जैसी छोटी-से-छोटी वस्तु से लेकर अपरिमाण पदार्थ तक के भेद-भाव का ज्ञान सख्या से होता है। उदाहरण के लिए दो जगह सेर-नेर भर अन्न रखिए। उसका अन्तर न तो उन्मान से मालूम होगा, न परिमाण से; क्योंकि प्रस्थ के पात्र में भरने से उनकी ऊँचाई, लम्बाई और चौड़ाई बराबर हो आयेगी। प्रमाण भी उनका अन्तर नहीं बता सकता। केवल सख्या से उनका अन्तर मालूम होगा, क्योंकि दोनों प्रस्थों के दानों की सख्या में अन्तर होगा।^४ भाष्य की इस परिभाषा के अनुसार तुला से तोलना उन्मान, सब ओर से अर्थात् किसी पात्रादि में भर कर भार मालूम करना परिमाण और गहराई लम्बाई आदि की नाप का नाम प्रमाण था।

शब्दों के अर्थ दो प्रकार के होते थे—रूढ और लोक-प्रचलित।^५ शास्त्रज्ञ लोग प्रकरणा-नुसार शब्दों का प्रयोग रूढ अर्थ में करते थे। सामान्य लोगों में उनका प्रयोग व्यापक अर्थ में होता था। परिमाण शब्द की भी यही स्थिति थी, इसीलिए पाणिनि-सूत्रों में उसका प्रयोग दोनों प्रकार से देखा जा सकता है। कहीं तो परिमाण के अर्थ में सख्या अन्तर्भूत है^६ और कालवाचक भी और कहीं

१. ऊर्ध्वं यन्मीयते तदुन्मानम् ।—५-१-१९, पृ० ३०८।

२. वही।

३. आयामविवक्षार्या प्रमाणमित्येतद् भवति ।—वही।

४. वही।

५. ३-३-२०।

६. ४-३-१५६, पृ० २३८।

दोनों उसकी सीमा से बाहर हैं। उदाहरणार्थ, सब वास्तुओं से घब्रु प्रत्यय करनेवाले 'परिमाणस्य सवैम्यः' (३-३-२०), तथा विकारादि अर्थों में ठक् प्रत्यय करनेवाले 'क्रीतवत् परिमाणत्' (४-३-१५६) आदि सूत्रों में परिमाण से सख्या का भी ग्रहण होता है; किन्तु 'तदहेति' अर्थ में ठक् प्रत्यय का विधान करनेवाले 'आर्हादगोपुच्छसंख्यापरिमाणदृक्' (५-१-१९) सूत्र में परिमाण से सख्या का बोध नहीं होता। इसीलिए, इस सूत्र में सख्या का पृथक् उल्लेख किया गया है। इस सूत्र का भाष्य करते हुए पतञ्जलि ने कहा है—'सख्या का उल्लेख पृथक् क्यों किया है? सख्या भी तो परिमाण है। परिमाण का निराकरण करने से सख्या का निराकरण स्वतः हो जायगा। यदि यह बात है, तो सख्या का पृथक् उल्लेख इस बात को ज्ञापित करता है कि सख्या अन्य वस्तु है तथा परिमाण अन्य वस्तु। इसका फल 'अपरिमाणविस्ताचितकम्बलेम्यो न तद्धितलृकि' (५-१-१९) सूत्र में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसमें अपरिमाण कहने से अन्य परिमाणबोधक शब्दों का तो बहिष्कार होता है, किन्तु सख्या का नहीं। फलतः, दो सौ से क्रीत (स्त्री०) वस्तु द्विशता या त्रिशता ही कहलाती है। नहीं तो इनमें भी ङीप् प्रत्यय का निषेध न होता और द्वयादकी आदि के समान द्विशती, त्रिशती रूप होने लगते। यह सिद्धान्त स्थिर करने के बाद भाष्यकार ने उन सब कठिनाइयों का समाधान किया है, जो सख्या को परिमाण से भिन्न मानने के कारण उत्पन्न होती हैं।^१ 'ज्ञापक न हो, तो भी यह बात न्यायसिद्ध है कि सख्या केवल दो वस्तुओं में अन्तर बतलाती है।'^२

परिमाण शब्द तथा सख्या शब्द पदार्थ की निश्चित इयत्ता का बोध कराते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम पाँच या सात कहते हैं, तब उनसे पाँच या सात सख्यावाले पदार्थ या पदार्थों का बोध होता है, न उससे कुछ कम और न कुछ अधिक का। इसी प्रकार द्रोण, खारी या आढक न अपने से कम और न अधिक के बोधक होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिनसे यथेच्छ वस्तु का बोध किया जा सकता है। जाति शब्द तथा गुण शब्द इसी प्रकार के हैं। तौल, घृत कहने से खारी भर तौल या घृत का ग्रहण हो सकता है और द्रोण-भर का भी। इसी प्रकार शुक्ल, नील, पीत, हिमालय जैसे महान् पदार्थ के लिए भी व्यवहृत हो सकता है और वटवीज के लिए भी।^३ परिमाण और सख्या निश्चित इयत्ता के ज्ञापन के लिए हैं।

इयत्ता मापन के दो प्रकार थे। एक तराजू पर तोलकर और दूसरे किसी खाली पात्र में भरकर। लम्बाई की माप दण्ड आदि लम्बी वस्तुओं से की जाती थी। जिनसे इयत्ता मापी जाती थी, उन्हें मान कहते थे। मान का काम अनिज्ञात वस्तु का निर्ज्ञान कराना था।^४

१. ५-१-१९, पृ० ३०७।

२. वही।

३. न्यायसिद्धमेवैतत्। भेदमात्रं संख्याऽऽह।—५-१-१९, पृ० ३०८।

४. इह केचिच्छब्दा उक्तपरिमाणानामव्यपयेनां वाचका भवन्ति च एते सख्याशब्दाः परिमाणशब्दाश्च। पञ्च सप्तैत्येकानामव्यपयेन न् भवन्ति। द्रोण. खार्यादिकमिति नैवाधिके भवन्ति न न्यूनैः। केचिद् यावदेव तद् भवति तावदेवाहुर्न एते जातिशब्दा गुणशब्दाश्च।—१-१-७२, पृ० ४५१

५. मानं हि नामानिर्ज्ञातार्थमुपादीयते निर्ज्ञातमर्थं ज्ञास्यामीति।—२-१-५५, पृ० ३०८।

उन्मान—तुला या तगजू पर तोलने को उन्मान कहते थे; क्योंकि इसमें वस्तु को उन्नं उठाकर उसका भार मालूम किया जाता था। तुला में ममिन वस्तु तुल्य कही जाती थी। जिस रस्मी को पकड़कर तुला ऊपर उठाई जाती थी, उसे प्रग्रह या प्रग्राह कहते थे।^१ कुछ लोग तोलने-मापने का व्यवसाय करते थे, जिन्हें माना कहते थे।^२ तुला मान का अनिवार्य मापन थी, क्योंकि अन्न नो निश्चित मान के पात्रों में भरकर मापा जा सकता था। कपाम और लोहे का मापना सम्भव नहीं था। ममान वजन के होने पर भी दोनों पदार्थों की आकृति या आकार में बड़ा अन्तर होता है। समान आकृति के इन पदार्थों के भार में अन्तर होता है।^३ काशिका के उल्लेख में पना चलता है कि नन्द राजाओं ने न किमी ने मारे देश में ममान मानों का प्रचलन किया था।^४ इसके पूर्व मित्र-मित्र न्यानों में मित्र-मित्र मान प्रचलित रहे होंगे।

पतंजलि ने मान को त्रौवय, अर्थात् काष्ठ का बना कहा है। यह कथन आयाम नापने-वाले दण्डानि तथा अन्न की माप करनेवाले प्रस्थ, द्रोण आदि के विषय में सत्य है। तोलने के वाट काष्ठ के नहीं होते थे, क्योंकि वे पानी में भीगकर अविक भारी हो सकते थे, फट सकते थे या मरलता में खण्डित हो सकते थे। अर्धशास्त्र ने इसीलिए अयोमय (लोहे के) तथा मागध-मेकलादि पर्वनों के पत्थरो (जन्चे पत्थर के नहीं) से बने प्रतिमानों (वाटों) का निर्देश किया है। लोहे और पत्थर के मान न तो पानी में फूलकर भारी हो सकते हैं और न सूखकर हल्के। इस प्रकार के न फूलने और न सूखनेवाले मान और भी किसी पदार्थ के बनाये जा सकते थे।^५ सूत्रकार ने त्रु (काष्ठ) में बननेवाले दो शब्दो द्रव्य और दुवय का अन्तर स्पष्ट किया है। प्रथम द्रु के सामान्य अवयव या विकार के लिए प्रयुक्त होता है और द्वितीय विकार-विशेष में मान के लिए।^६ उन्मानों में निम्नलिखित का उल्लेख भाष्य में मिलता है—

माप—यह तोल का छोटा वाट था। कृष्णल इससे भी छोटा होता था, जिसका वजन एक ग्रैन में कुछ अधिक था। माप का वजन कार्पापण का ३/४ भाग होता था। उरद की साधारण फली में १६ दाने होने थे और १६ माप का कार्पापण होता था। इसलिए, उरद को भी माप कहने लगे।^७ कार्पापण के भार में स्थान-भेद से अन्तर अवश्य होता था, किन्तु माप का वजन सर्वत्र

१. १-१-९, पृ० १५८।

२. ३-३-५२ का०।

३. १-२-६४, पृ० ३७२।

४. ५-१-११९, पृ० ३५४।

५. ५-२-१४ तथा २-४-२१ काशिका।

६. प्रतिमानान्ययोमयानि मागधमेकलशैलमयानि यानिबानोदकप्रोहान्यां वृद्धिम्
गच्छेयुरणोत्त वा ह्लासम्।—अर्धशास्त्र, अवि० २, अ० १८।

७. ३-४-१६१ तथा ६२।

८. पुराकल्प एतद्वासीत्, योडशमापाः कार्पापणं योडशफलाश्च मापशब्दयः।

१-२-६४, पृ० ५९८।

समान था। माप 'मीड् माने' घातु से बना है, जिसका अर्थ है वजन मालूम करना।^१ माप सोना तोलने के काम आता था और पाँच कृष्णल के बराबर होता था। चाँदी का माप २ रत्ती के बराबर था।

शाण—शाण का भार महाभारत में ३ घतमान या १२ $\frac{१}{२}$ रत्ती बतलाया है। पतञ्जलि-काल में शाण ४ माशे का मान था। माप के समान यह सिक्का भी था। इतने ही वजन का ढला हुआ सुवर्ण सिक्के के रूप में व्यवहृत होता था। भाष्यकार के समय में सिक्को में अन्य घातुओं का मिश्रण नहीं होता था और प्रत्येक सिक्का शुद्ध घातु रहता था। इसलिए, तोल, मान और सिक्के बराबर रहते थे। शाण का अर्धभाग भी सिक्के के रूप में व्यवहृत था, जिसे शाणार्ध कहते थे। भाष्य के अव्यर्धशाण से निष्पन्न रूप इस कथन की पुष्टि करते हैं।^२

विस्त—सुवर्ण तोलने का मान था, जो अस्सी रत्ती के बराबर था। ऐसा लगता है कि कार्यापण और निष्क के समान विस्त भी कहीं-कहीं सामान्य से बड़ा व्यवहृत होता था। भाष्य में विस्त के साथ परमविस्त का उल्लेख इस बात का प्रमाण है।^३ विस्त को विद्वानों ने सुवर्ण, कर्प और अक्ष का पर्याय माना है। इसलिए, इसका वजन भी उन्हीं के बराबर रहा होगा। निम्नलिखित मान उन्मान और परिमाण दोनों थे। ये तराजू से तोलने के वाट भी थे और मापने के पात्र भी। मापने के पात्र लकड़ी के भी बनाये जाते थे और समचतुर्भुज शिख होते थे, यथात् इनकी ऊँचाई सब ओर से समान होती थी^४ और इनकी गहराई इतनी होती थी कि निश्चित उन्मान भर अन्न समा सके। महाराष्ट्र तथा बम्बई में अभी तक पाव, सेर, पायली (५ सेर) पात्र-रूप में भी प्रचलित हैं। ये लोहे के होते हैं।

कुडव—कुडव^५ अन्नादि तोलने और मापने का वाट तथा पात्र था। यह प्रस्थ का चतुर्थांश होता था। पात्र कुडव चार अंगुल चौड़ा और इतना ही गहरा होता था। इसमें १२ तोला या मुट्ठी-भर अन्न समाता था। कहीं-कहीं इसे १३। धन अंगुल गहरा और कहीं ६४ धन अंगुल गहरा बतलाया है। कहीं-कहीं इसकी गहराई १।। अंगुल और लम्बाई-चौड़ाई तीन-तीन अंगुल मिलती है, जिसमें ३२ तौलक या २ प्रसूति भर अन्न समाता था। सामान्यतया कुडव अजलि के बराबर होता था और उसका पर्यायवाची थी।

मुष्टि—मुष्टि भी परिमाण-त्रोषक थी। शाङ्गधरसंहिता के अनुसार इसका वजन एक पल था। अर्थशास्त्र ने पल का परिमाण १० धरण माना है।^६ भाष्यकार ने मुष्टि का उल्लेख परिमाण के रूप में किया है। उन्होंने 'समि मुष्टी' (३-३-३६) सूत्र के भाष्य में कहा है, यह सूत्र व्यर्थ है; क्योंकि मुष्टि के परिमाणवाचक होने के कारण 'परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः' (३-३-२०)

१. १-२-६४, पृ० ५९७।

२. ५-१-३६, पृ० ३२०।

३. १-१-७२, पृ० ४५२।

४. शुक्सारदारमर्थं सम चतुर्भुजशिलं मानं कारयेत् ।—अर्थ०, अधि० २, अ० १९।

५. ५-२-३७, पृ० ३७९।

६. वशधारणिकं पलम्—अर्थ०, अधि०-२, अ० १९।

सूत्र मे ही षत्र् प्रत्यय हो सकता है।" मुष्टि नाम मुट्ठी मे समाने भर अन्न-परिमाण के आधार पर दिया गया जान पड़ता है। अंजलि, शूर्प आदि परिमाणों के विषय मे भी यही बात कही जा सकती है। मुष्टि नाम का कोई स्वतन्त्र मान या पात्र था, इसमे सन्देह है।

प्रत्य—यह निश्चय ही मान भी था और परिमाण-पात्र भी। यह चार कुडब या अजलि (लगभग ५ छटांक) के बराबर होता था। भाष्यकार ने प्रत्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि इसमे धान्य समाते हैं।^१ इसने इसके मापक मात्र होने की पुष्टि होती है। अन्यत्र भी उन्होंने कहा है कि प्रत्य समानाकृति होता है। प्रत्य-भर अन्न यदि दो जगह रख दिया जाय, तो समानाकार होने के कारण उन्मान, परिमाण या प्रमाण इनमे किसी भी प्रकार से अन्तर नहीं मालूम होगा।^२

द्रोण—चार प्रत्य का एक आढक होता था। भाष्यकार ने अन्न-परिमाण के रूप मे आढक का उल्लेख किया है।^३ इने पायली (५ सेर) कहते हैं।

द्रोण—चार आढक या पसेरी का एक द्रोण होता था। इस प्रकार, इसका वजन वर्तमान चीन मेर के बराबर था। कौटिल्य ने दण्डवण का एक पल और १८७। पल (अन्नमाप) का एक द्रोण माना है।^४ सामान्यतया १०२४ मुष्टि=२०० पल=१६ पुष्कल=४ आढक=१ द्रोण प्रचलित परिमाण थे। सम्भवतः, द्रोण पात्र या द्रोण मान के क्रम उच्चपन को लेकर ही नाटी स्त्री के लिए द्रोणी शब्द विशेषण के रूप मे चल पडा। भाष्यकार ने इसी अर्थ मे द्रोणीभार्य (नाटी पत्नीवाला) शब्द का प्रयोग किया है।^५ अन्न के अतिरिक्त अन्य भी कई वस्तुओं का मान इन पात्रों से मालूम किया जाता था। वेरों की तोल भी परिमाण-पात्रों से की जाती थी।^६ आज भी दक्षिण भारत मे वेरों की विक्री इन्ही मापक पात्रों में भरकर होती है।

खारी—खारी का परिमाण ३ द्रोण या १। शूर्प से १८ द्रोण तक मिलता है। यह भेद स्थान-कृत है। जैसे, १२० तोले के ४० सेर से ८० तोले के मेर के १४ सेर तक के मन आज भी देग मे प्रचलित हैं। कहीं-कहीं खारी ४६ गोंगी की वतलाई गई है। अर्थशास्त्र मे खारी का परिमाण १६ द्रोण और चरकसहिता मे ४ द्रोण वतलाया है। अन्न की बड़ी-बड़ी राशियाँ खारी से मापी जाती थी। भाष्यकार ने दण्ड और सहस्र खारी की अन्नराशियों की चर्चा

१. ३-३-३६, पृ० ३०३।

२. प्रतिष्ठन्ते अस्मिन्निति धान्यानि प्रत्य—३-३-५८, पृ० ३०८।

३. प्रत्यस्य च समानाकृतेन कुतश्चिद् विशेषो गम्यते न चोन्मानतो न परिमाणतो न प्रमाणतः—५-१-१९, पृ० ३०८।

४. १-१-७२, पृ० ४५१।

५. विशतितीलिको भारः, दशधारणिकं पलम्, सप्ताशीतिपल शतमर्षपल च व्यावहारिकम् (द्रोणः), षोडशं द्रोणा. खारी, विशति द्रोणिकः कुम्भः, कुम्भदंशभिर्वह—अर्थ०, अधि० २, अ० १९।

६. ६-१, पृ० ३१२।

७. २-२-५, पृ० ३३६।

८. अर्थ०, शा०, अधि० २, अ० १९।

की है।^१ खारी से क्रीत वस्तु खारीक कहलाती थी। इसी प्रकार, अव्यर्थ खारीक, द्विखारीक आदि उन वस्तुओं को कहते थे, जो डेढ या दो खारी परिमाण से क्रीत की गईं हों।^२ प्राच्य प्रदेशों के लोग दो खारियों को द्विखार और अर्धखारी को अर्धखार भी बोलते थे।^३ इससे पता चलता है कि प्राच्य लोगों में खारी को खार बोलने की प्रथा थी।

अन्नराशि प्रायः खारी से तौली जाती थी। भाष्यकार ने कहा है कि एक कुहालक से सैंकड़ों खारी अन्न उपजाया जाता है।^४ यह कथन भूमि की उर्वरता की ओर भी संकेत करता है। खारी को अण्टिका भी कहते थे।^५

भाष्य में द्रोण, आढक और खारी का उल्लेख अनेक वार साथ-साथ हुआ है। खारी, परिमाणविशेष था, मानपात्र, सम्भवतः, नहीं था। द्रोण, खारी आढक तीनों को भाष्यकार ने अन्त परिमाण कहा है। इससे इतना स्पष्ट है कि ये तीनों निश्चित परिमाण थे।^६ ऐसा नहीं कि थोड़ा-बहुत कम-अधिक होने पर भी उनके विशिष्ट परिमाण होने में बाधा न आये। एक स्थान पर द्रोण और आढक का साथ उल्लेख करते हुए भाष्य में कहा है कि अर्ध है तृतीय जिसमें (दो में), ऐसे २॥ द्रोणों को 'अर्धतृतीय द्रोण' कह सकते हैं; क्योंकि जिस शब्द का प्रयोग समुदाय के लिए हो सकता है, उसका उस समुदाय के अवयव के लिए भी हो सकता है। इसीलिए, द्रोण को भी द्रोण कहना उचित है। किन्तु, यह बात उसी अवयव के लिए है, जो उस समुदाय का अवश्य घटक हो। दो द्रोण और आधे आढक को 'अर्धतृतीय द्रोण' नहीं कहते, क्योंकि आढक द्रोण का आवश्यक घटक नहीं है, उल्टे आढक द्रोण का घटक है।^७ द्रोण खारी का एक अवयव था, इसीलिए खारी में एक द्रोण अधिक है या खारी में द्रोण अध्यारूढ है, इस प्रकार के कथन सगत माने जाते थे।^८

परिमाण के आधार पर पात्रों के नाम—इन परिमाणों के आधार पर भोजन पकाने के पात्रों तथा सेतों के दाम पड़ जाते थे। उदाहरणार्थ—जिस पात्र में एक द्रोण चावल पक सकते थे, उस स्थाली को द्रोणी या द्रोणिकी कहते थे। इसी प्रकार, आढक से आढकनीना, द्वयाढकनीना, आचितीना (आचित=परिमाणविशेष), पात्रीणा (पात्र=परिमाणविशेष) या द्वयाढकिकी, आढकिकी, आचितिकी, पात्रिकी, अथवा द्वयाढकिकी, द्वयाचिता, द्विपात्री, द्विपात्रीणा, द्वयाचितीना" आदि। दो कुलिज (परिमाणविशेष) भर चावल या कोई अन्न जिसमें पक सके, उसे द्विकुलिजिकी,

१. ५-१-५८, पृ० ३२७ ।
२. ५-१-३३, पृ० ३२० ।
३. ५-४-१०१ ।
४. एकेन कुहालकेन खारीसहस्रम्—२-१-६९, पृ० ३२५ ।
५. ७-३-४५, पृ० १९० ।
६. १-१-७२, पृ० ४५१ ।
७. २-२-२४, पृ० ३७१ ।
८. ५-१-५२, पृ० ३२५ ।
९. ५-१-५३ ।
१०. ५-१-५५, पृ० ३२५ ।

द्विकुलिजीना, द्विकुलिजा, द्वैकुलिजिकी कहते थे।^१ प्रस्थ, कुडव, खारी-भर अन्न जिनमे पक सके, उन्हें क्रमशः प्रास्थिक, क्रीडविक एव खारीक^२ कहते थे। ये ही शब्द उन पात्रों के लिए भी प्रयुक्त होते थे, जिनमे उक्त परिमाणों का अन्न या अन्य चीजे समा सके। जिन खेतों मे प्रस्थ, द्रोण, खारी या पात्र भर वीज बोया जाता था, उन्हें क्रमशः प्रास्थिक, द्रौणिक खारीक और पात्रिक कहते थे।^३

कंस—घरेलू व्यवहार का पात्र था। लोटे और कटोरी कंसि के वनते थे और कास्थ-पात्र कहलाते थे। कस व्यवहार का पात्र जान पड़ता है, जिसका आकार निश्चित होगा, किन्तु चरक मे कंस का जो परिमाण दिया है, उससे यह साधारण पात्र नहीं, परिमाणविशेष मालूम होता है। ८ प्रस्थ या २ आढक का एक कस होता था। कस से क्रीत वस्तु को कासिक^४ कहते थे।

मन्य—मन्य का उल्लेख पाणिनि ने 'कसमन्थशूर्पपाय्यकाण्डद्विगौ' (६-२-१२२) सूत्र मे किया है। यह परिमाणवाचक है, किन्तु इसका निश्चित परिमाण बतलाना कठिन है। कस और शूर्प के बीच उल्लेख होने से सम्भव है, इन दोनों के बीच का हो। मन्य मटके के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, जिसका आकार मट्ठा विलोने के मटके के बराबर हो।

शूर्प—शूर्प दो द्रोण के बराबर होता था। दो शूर्प अन्न से क्रीत वस्तु द्विशूर्प और तीन से क्रीत त्रिशूर्प कही जाती थी।^५ भाष्य के उदाहरणों से प्रतीत होता है कि शूर्प का प्रचलन लेन-देन मे बहुत अधिक था। अर्धशूर्प का भी निश्चित परिमाण था और वह भी क्रय-विक्रय मे प्रयुक्त होता था। डेढ शूर्प से क्रीत वस्तु अर्धशूर्प^६ शूर्प और साढे चार शूर्प से क्रीत वस्तु अर्धपचम शूर्प कही जाती थी। द्विशूर्प (दो शूर्पों से क्रीत) वस्तु से खरीदी हुई वस्तु को द्विशौर्पिक, इसी प्रकार त्रिशौर्पिक^७ कहते थे।

कुम्भ—कुम्भ और उष्ट्रिका^८ परिमाण थे और प्रतिकाण्ड या प्रतिदण्ड वापवीज निश्चित करने मे सहायक थे। भाष्यकार ने माष-कुम्भ-वाप^९ और त्रीहि-कुम्भ-वाप क्षेत्रों का उल्लेख किया है। इन खेतों मे कुम्भ पर माप या त्रीहि का वीज पड़ता था। उष्ट्रिका नाम ऊँट के समान ऊँची या लम्बी गरदन होने के कारण रखा गया था। दस कुम्भों को वह भी कहते थे।^{१०} कुम्भ २० द्रोण के बराबर होता था। कुम्भी इससे बहुत छोटी, सम्भवत घडे के बराबर होती थी^{११}

१. ५-१-५२ तथा ५४।

२. ५-१-४५ तथा ४६।

३. ३-१-३, पृ० १८।

४. अध्याह्निको द्रोणः क्षार्याम् अथिको द्रोणः क्षार्याम्—५-२-७३, पृ० ३९८।

५. ५-१-२०, पृ० ३१२।

६. १-२-२३, पृ० २१३।

७. ५-१-२०, पृ० ३१२।

८. ४-१-३, पृ० २२।

९. ८-४-१३, पृ० ४८१।

१०. अर्थशा०, अधि० २, अ० १९।

११. १-३-७, पृ० २७।

श्रोत्रिय की निर्धनता प्रकट करने के लिए भाप्यकार ने उसे कुम्भीवान्य कहा है। पाँच उष्ट्रकाओं का एक घट होता था।^१ घट, कुम्भ, कलश पर्यायवाची थे। कुम्भ और कुम्भी लोहे के बनते थे।^२

गोणी—चरण के अनुसार गोणी और सारी पर्यायवाची है। गोणी छोटी बोरी को कहते हैं। मामूली टट्टू पर दो गोणी भार लादकर बन्धिये अनाज बेचने निकलते हैं। गोणी अन्न-परिमाण होता है। इनकी माप आज भी बराबर होती है। सम्भवतः एक टट्टू पर लदी दो गोणियों के बोझ की गोणी भर अन्न को गोणी कहते ही। गोणी भर अन्न को गौणी कहते थे।^३ इसी प्रकार पाँच या दस गोणी भर अन्न पचगोणी या दशगोणि कहा जाता था।^४

भार—एक वार में स्वस्थ मनुष्य जितना बोझ ले जा सकता था, उसे भार कहते थे। भार ८००० कर्ष या २। मन का होता था। अर्थशास्त्र में २० तुला = १ भार बतलाया गया है।^५ तुला १०० पल की होती थी। यह परिमाण तराजू से एक वार में तोले गये वजन (५ सेर) के लिए था। इस प्रकार की भार २। मन का ही सिद्ध होता है। भार एक व्यक्ति द्वारा ले जाये जाने योग्य (काँवर द्वारा) वजन को कहते थे। यह वात भाष्य में उल्लिखित भारवाह^६ तथा भारहार शब्दों से भी पुष्ट होती है। भारवाह को व्यावसायिक लोग वशभार या वाल्वजभार ले जानेवाले वाग्भारिक या वाल्वजभारिक कहते थे।^७ ये कर्मकर श्रेणी के होते थे, जिनका काम भार को एक ग्राम से दूसरे ग्राम पहुँचाना होता था। महाभार भार से बहुत बड़ा था, यद्यपि इसका वजन निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता। पाणिनि-सूत्र ६-२-३८ में महाभार का उल्लेख है।

आचित—आचित एक गाड़ी भार को कहते थे, जो १० भार या २५ मन के बराबर होता था। सम्भवतः, इसी का नाम महाभार था। आचित भार भी सामान्य और विशेष भेद से दो प्रकार का होता था। विशेष भार को परमाचित कहते थे।^८ यह अन्तर छोटी-बड़ी गाड़ी के भेद के कारण था। जो आचितों से क्रीत वस्तु को द्याचित, द्याचिता (स्त्री०) कहते थे। इसी प्रकार द्विपरमाचिता भी प्रयोग होता था। जिसमें आचित भर वस्तु समा जाये, उसे आचितीन कहते थे।^९

पात्र, कुल्लिज, पाथ्य, पष्ठक, कम्बल्य, पंचलोहित और पचकपाल भी परिमाण थे। पात्र भर बीज बने योग्य खेत या पात्र भर अन्न समाने या पका सकने योग्य स्थाली या पात्र को क्रमशः

१. पञ्चानामुष्टिकाणां पूरणो घटः—५-२-४८. पृ० ३८७।

२. ४-१-१, पृ० १०।

३. १-२-५०, पृ० ५४९।

४. वही।

५. अर्थ०, शा०, अधि० २, म० १९।

६. ३-२-१, पृ० २०१।

७. ५-१-५०।

८. १-१-७२, पृ० ४५२।

९. ५-१-५३।

पात्रिक^१ एव पात्रीणा^२ कहते थे। इसी प्रकार, दो कुलिज अन्न रखने या पकाने योग्य पात्र द्विकुलिजिकी^३, त्रिकुलिजिकी, द्विकुलिजिकीना या द्विकुलिजा कहलाता था।^४ चरक ने पात्र को आटक का पर्याय माना है।^५ पाय्य वर्तमान पायली (वम्बई), पाई (पजाब), प्या (पश्चिमोत्तर-प्रदेश) का प्राचीन नाम जान पड़ता है। षष्ठक^६ अन्न के षष्ठांश राज-कर मापने का पात्र जान पड़ता है, जो द्रोणादि मे से कोई हो सकता है। कम्बल्य सर्वाधिक प्रचलित परिमाण के कम्बल्य मे लगनेवाली ऊन का परिमाण (पाँच सेर) था। पचलोहित से क्रीत वस्तु पाचलोहितिक और पचकपाल से क्रीत वस्तु पाचकापालिक कही जाती थी।^७ इनका वास्तविक परिमाण क्या था, निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

प्रमाण—भाष्यकार के अनुसार आयाम, अर्थात् लम्बाई की माप को प्रमाण कहते हैं। यद्यपि, अष्टाध्यायी मे एकाव स्थानो पर इसके अपवाद मिलते हैं, जिनमे प्रमाण मे वजन या सख्या को भी सम्मिलित कर लिया गया है, फिर भी सामान्यतः प्रमाण का प्रयोग उपर्युक्त अर्थ से ही हुआ है।

लम्बाई की माप लकड़ी से बने मापको से की जाती थी, जिन्हे द्रुव्य कहते थे^८, किन्तु इनके अतिरिक्त अन्य साधनो द्वारा भी लम्बाई मापी जाती थी। भाष्य मे आयाम के निम्न-लिखित प्रमाणो का उल्लेख मिलता है।

अंगुलि—यह निम्नतम प्रमाण-बोधक थी। अंगुलि से भी छोटा मापक यव था, तो भी उसका प्रयोग व्यवहार मे कम होता था। पाणिनि ने प्रमाण-रूप मे अंगुलि का उल्लेख किया है।^९ अंगुलि ३ इंच के बराबर थी। प्राचीन ग्रन्थकार ८ यव = एक अंगुलि मानते थे। इस प्रकार, यव सबसे छोटा प्रमाण था और अंगुलि उसके बाद।

दिष्टि—अंगूठे और तर्जनी को फैलाकर नापने से उनके मध्य की जो लम्बाई होती है, उसे दिष्टि कहते थे।^{१०} इसे मराठी मे टीच कहते है, जो परिमाण का ही बोधक है। दिष्टि को प्रादेश भी कहते थे। भाष्यकार ने कहा है कि सत्रह सामिघेनी ऋचाएँ पढ़कर समिघाएँ रखी जाती है किन्तु एक ही बार सत्रह प्रादेश भर लम्बी समिघाएँ नहीं रख दी जाती।^{११}

१. ५-१-५२ तथा ५४।

२. ५-१-४५ तथा ४६।

३. ५-१-५५, पृ० ३२५।

४. ३-१-१२९, पृ० १९४।

५. ५-३-५१।

६. ५-३-३, पृ० ९२७।

७. ५-१-२८, पृ० ३१८।

८. ६-२-४० तथा ६-२-१२।

९. ४-२-१६२।

१०. ५-४-८६।

११. ६-२-१, पृ० २५०।

१२. सप्तदश प्रादेशमात्रो राश्वत्थीः समिघोऽभ्यादधीतेति न सप्तदश प्रादेशमात्र काष्ठ-

सम्याधीयते—आ० २, पृ० ६२।

वितस्ति—वितस्ति का प्रमाण बारह अंगुल था। इसी से अंगुल अगुल और द्विगुनी को फैलाने से मध्य की लम्बाई वितस्ति या वाल्मिक् वात्तिक में तथा अन्य सूत्रों के भाष्य में उदाहरण रूप से दिष्टि और वितस्ति दो या तीन वितस्ति लम्बी वस्तु को द्विवितस्ति या त्रिवितस्ति कहते थे। प्रमाण के लिए ही भाष्य में त्रिदिष्टि, द्विदिष्टि और दिष्टि-मात्र स्वयं सूत्रकार ने 'दिष्टिवितस्त्योश्च' (६-२-३१) में इन प्रमाणों के दिष्टि और वितस्ति के लगभग प्रमाणवाली वस्तु को दिष्टि-मात्र

अरत्नि—कुछ लोगों के मत से मुठठी बन्द हस्त को अरत्नि होती थी। भाष्य में पचारत्नि, दशारत्नि का उल्लेख है। पदकर सूत्रह समिधाएँ यज्ञकुण्ड में रखी जाती है। पर वदले नहीं रख दी जाती। इससे यह स्पष्ट है समिधा का मूल अर्थ कोहनी था। ऋग्वेद (८-८०-८) तथा ऐतरेय है। कोहनी से अगुल्यप्रभाग तक का प्रमाण

शम या हस्त—दो वितस्ति को शम या द्विशम और त्रिशम कही जाती थी। लगभग एक

दण्ड—चार शम या हस्त का एक दण्ड

काण्ड—एक दण्ड लम्बा और एक दण्ड

कहलाती थी। यदि क्षेत्र न हो, तो १६ हाथ थी। यदि दो-तीन काण्ड की क्षेत्र-भयानि थे, किन्तु यदि इसी प्रमाण की लम्बाई-चौड़ाई—क्षेत्रफलवती की दृष्टि से देखें तो दण्ड और काण्ड पर्यायवाची मान लिया है

१. ६-२-१, पृ० २६०।

२. वही।

३. ५-२-३७, पृ० ३२८।

४. वही।

५. वही।

६. वही।

७. २-१-५, पृ० ३३

८. ३-१-३, पृ० ३३

९. ५-२-३३, पृ० ३२८

१०. वही।

११. ३-१-३, पृ० ३३

पात्रिक^१ एव पात्रीणा^२ कहते थे। इसी प्रकार, दो कुलिज अन्न रखने या पकाने योग्य पात्र द्विकुलि-
जिकी^३, त्रिकुलिजिकी, द्विकुलिजिकीना या द्विकुलिजा कहलाता था।^४ चरक ने पात्र को आढक
का पर्याय माना है।^५ पाय्य वर्त्तमान पायली (बम्बई), पाई (पजाब), प्या (पश्चिमोत्तर-प्रदेश)
का प्राचीन नाम जान पड़ता है। षष्ठक^६ अन्न के षष्ठाश राज-कर मापने का पात्र जान पड़ता है, जो
द्रोणादि में से कोई हो सकता है। कम्बल्य सर्वाधिक प्रचलित परिमाण के कम्बल में लगनेवाली
ऊन का परिमाण (पाँच सेर) था। पञ्चलोहित से क्रीत वस्तु पाचलोहितिक और पचकपाल से
क्रीत वस्तु पाचकापालिक कही जाती थी।^७ इनका वास्तविक परिमाण क्या था, निश्चयपूर्वक
नहीं कहा जा सकता।

प्रमाण—भाष्यकार के अनुसार आयाम, अर्थात् लम्बाई की माप को प्रमाण कहते हैं।
यद्यपि, अष्टाध्यायी में एकाव स्थानो पर इसके अपवाद मिलते हैं,^८ जिनमें प्रमाण में वजन या सत्वा
को भी सम्मिलित कर लिया गया है, फिर भी सामान्यतः प्रमाण का प्रयोग उपर्युक्त अर्थ में ही
हुआ है।

लम्बाई की माप लकड़ी से बने मापको से की जाती थी, जिन्हें द्रुवय कहते थे,^९ किन्तु
इनके अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा भी लम्बाई मापी जाती थी। भाष्य में आयाम के निम्न-
लिखित प्रमाणों का उल्लेख मिलता है।

अंगुलि—यह निम्नतम प्रमाण-बोधक थी। अंगुलि से भी छोटा मापक यव था, तो भी
उसका प्रयोग व्यवहार में कम होता था। पाणिनि ने प्रमाण-रूप में अंगुलि का उल्लेख किया है।^{१०}
अंगुलि ३ इंच के बराबर थी। प्राचीन ग्रन्थकार ८ यव = एक अंगुलि मानते थे। इस प्रकार, यव
सबसे छोटा प्रमाण था और अंगुलि उसके बाद।

दिष्टि—अंगूठे और तर्जनी को फँलाकर नापने से उनके मध्य की जो लम्बाई होती है,
उसे दिष्टि कहते थे।^{११} इसे भराठी में टीच कहते हैं, जो परिमाण का ही बोधक है। दिष्टि को
प्रादेशी भी कहते थे। भाष्यकार ने कहा है कि सत्रह सामिघेनी ऋचाएँ पढ़कर समिघाएँ रखी
जाती हैं किन्तु एक ही बार सत्रह प्रादेश भर लम्बी समिघाएँ नहीं रख दी जाती।^{१२}

१. ५-१-५२ तथा ५४।

२. ५-१-४५ तथा ४६।

३. ५-१-५५, पृ० ३२५।

४. ३-१-१२९, पृ० १९४।

५. ५-३-५१।

६. ५-३-३, पृ० ९२७।

७. ५-१-२८, पृ० ३१८।

८. ६-२-४० तथा ६-२-१२।

९. ४-२-१६२।

१०. ५-४-८६।

११. ६-२-१, पृ० २५०।

१२. सप्तदश प्रादेशमात्रो राश्वत्यीः समिघोऽन्यादधीतेति न सप्तदश प्रादेशमात्र काष्ठ-
मन्याधीते—आ० २, पृ० ६२।

वितस्ति—वितस्ति^१ का प्रमाण बारह अगुल था। इसी से वीत या वीता बना है। अगुल और द्विगुनी को फँलाने से मध्य की लम्बाई वितस्ति या वालिस्त होती है। एक श्लोक-वार्तिक में तथा अन्य सूत्रों के भाष्य में उदाहरण रूप से दिष्टि^२ और वितस्ति^३ का उल्लेख हुआ है। दो या तीन वितस्ति लम्बी वस्तु को द्विवितस्ति या त्रिवितस्ति कहते थे।^४ इसी प्रकार आयाम के प्रमाण के लिए ही भाष्य में त्रिदिष्टि, द्विदिष्टि^५ और दिष्टि-मात्र शब्दों का उल्लेख मिलता है। स्वयं सूत्रकार ने 'दिष्टिवितस्त्योश्च' (६-२-३१) में इन प्रमाणबोधक शब्दों का ग्रहण किया है। दिष्टि और वितस्ति के लगभग प्रमाणवाली वस्तु को दिष्टि-मात्र और वितस्ति-मात्र कहते थे।^६

अरत्ति—कुछ लोगों के मत से मूठ्ठी बन्द हस्त को अरत्ति कहते थे। यह २४ अगुल की होती थी। भाष्य में पचारत्ति, दशारत्ति^७ का उल्लेख है। एक स्थान पर कहा है कि सत्रह मत्र पदकर सूत्रह समिघाएँ यज्ञकुण्ड में रखी जाती हैं। पर, सत्रह अरत्ति लम्बी एक ही समिघा सबके बदले नहीं रख दी जाती। इससे यह स्पष्ट है समिघा की लम्बाई एक अरत्ति होती थी।^८ अरत्ति का मूल अर्थ कोहनी था। ऋग्वेद (८-८०-८) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (८-५) में भी इसका उल्लेख है। कोहनी से अगुल्यग्रभाग तक का प्रमाण अरत्ति था।

शम या हस्त—दो वितस्ति को शम या हस्त कहते थे।^९ दो और तीन शम लम्बी वस्तु द्विशम और त्रिशम कही जाती थी। लगभग एक शम लम्बी वस्तु को शम-मात्र कहते थे।^{१०}

दण्ड—चार शम या हस्त का एक दण्ड होता था।

काण्ड—एक दण्ड लम्बा और एक दण्ड चौड़ा, अर्थात् १६ हाथ क्षेत्रफल की भूमि काण्ड कहलाती थी। यदि क्षेत्र न हो, तो १६ हाथ लम्बी रज्जु या अन्य वस्तु काण्ड-प्रमाण मानी जाती थी। यदि दो-तीन काण्ड की क्षेत्र-पर्याया होती, तो उसे द्विकाण्डा या त्रिकाण्डा क्षेत्रभक्ति कहते थे, किन्तु यदि इसी प्रमाण की रस्सी होती, तो उसे द्विकाण्डी रज्जु कहते थे। क्षेत्रभक्ति शब्द क्षेत्र की लम्बाई-चौड़ाई=क्षेत्रफलवती भूमि के लिए प्रयुक्त होता था।^{११} इस प्रकार, यदि लम्बाई की दृष्टि से देखें तो दण्ड और काण्ड दोनों बराबर (४ हाथ) थे। इसीलिए, बालमनोरमा ने उन्हें पर्यायवाची मान लिया है, यद्यपि दोनों में अन्तर है। इस पर्यायवाचिता के ही कारण

१. ६-२-१, पृ० २५०।
२. वही।
३. ५-२-३७, पृ० ३७८, ७९।
४. वही।
५. वही।
६. वही।
७. २-१-५, पृ० ३०१।
८. आ० २, पृ० ६२।
९. ५-२-३७, पृ० ३७८।
१०. वही।
११. ४-१-२३ काशिका।

कुछ विद्वानों ने गम को सोलह हाथ माना है। वास्तव में, दण्ड केवल आयाम का बोधक है और काण्ड आयाम × विस्तार का।

रज्जु—खेतों को नापने के लिए रज्जु प्रमाण का व्यवहार होता था। रज्जु की लम्बाई दस दण्ड के बराबर मानी जाती थी।^१ दण्ड रज्जु का अवयव था।

किष्कु—‘पारस्करप्रमृतीनि च संजायाम्’ (६-१-१५७) सूत्र के भाष्य में किष्कु का भी उल्लेख है। क्राशिका ने इसे प्रमाण कहा है। किष्कु २४ अंगुष्ठों की चौड़ाई-भर का प्रमाण था। अर्थशास्त्र के अनुसार इसका साधारण प्रमाण ३२ अंगुल था। किष्कु कर या हस्त के लिए भी व्यवहृत होता था।

नल्व—४०० किष्कु का एक नल्व होता था, जिसका प्रमाण लगभग एक फर्लांग था। महाभाष्य में नल्व का उल्लेख नहीं है।

क्रोश—क्रोश की चर्चा भाष्य में कई बार आई है। लम्बी दूरी की माप क्रोशों से की जाती थी। क्रोश बहुत प्रचलित प्रमाण था। भाष्यकार ने ‘क्रोश भर सोता है, वनराजि क्रोश भर रमणीय है, नदी क्रोश भर टेढ़ी है,’^२ ऐसे दूर या दैर्घ्य-दर्शक प्रसंगों में क्रोश शब्द का ही उपयोग किया है। यात्री लोग क्रोशों के द्वारा ही यात्रा की लम्बाई का अनुमान करते थे। सौ क्रोश चलने-वाला क्रोशगति कहलाता था। जिस व्यक्ति का अभिनन्दन सौ क्रोश से पहले से करना चाहिए, ऐसे भिक्षु या महात्मा को क्रोशगति कहते थे।^३ सैनिक एक क्रोश की दूरी से बाण का निशाना मारने का अभ्यास करते थे।^४

गव्यूति—दो क्रोश की लम्बाई को गव्यूति कहते थे।^५ परिमाण अर्थ में ही गव्यूति शब्द का प्रयोग होता था, अन्यथा गौयूति शब्द का व्यवहार होता था। राँथ के अनुसार ऋग्वेद में गव्यूति (१-२५-१६, ३-६२-१६) पशु को चराने के लिए छोड़ी हुई घास की भूमि का नाम है। वहीं में इसका व्यवहार दूरी नापने के लिए प्रारम्भ हुआ। पर्वविग्रहाह्वण (१६-१३-१२) में यह शब्द दूरी की माप के लिए प्रयुक्त है।

योजन—दो गव्यूति या चार क्रोश को योजन कहते थे। योजन ४ गोस्त का होता था।^६ इस प्रकार क्रोश और गोस्त का परिमाण बराबर था। अर्थशास्त्र ने ४ अरत्ति = १ दण्ड या वनु. (वर्ड की माप), जो १०८ अंगुल का होता था, माना है और १००० वनु का एक गोस्त बतलाया है तथा चार गोस्त का एक योजन।^७ भाष्य में योजनगत की यात्रा करनेवाले को

१. वही।

२. १-४-५१, पृ० १८० तथा २-३-५, पृ० ४०८।

३. ५-१-७४, पृ० ३३७।

४. २-३-७, पृ० ४१०।

५. ६-१-७९, पृ० ११२।

६. चतव्रोऽरत्तयो दण्डो धनुः गार्हपत्यमष्टशताङ्गुलं वनुःसहस्रं गोस्तम् चतुर्गोस्तं।—

अर्थ० शा०।

७. वही।

योजनशक्ति कहा है। जिसका अभिनन्दन सहस्र योजन पहले से होना चाहिए, ऐसे गुरु आदि के भी योजनसहस्रिक विशेषण प्रयुक्त होता था।^१ साधारण घोडा एक बार जुतकर ४ योजन चला जाता है, किन्तु अच्छा घोडा आठ योजन।^२ यह कथन भी भाष्य में मिलता है। एक शहर से दूसरे शहर की दूरी भी योजनों में नापी जाती थी। जैसे, गवीधुमान् से साकाश्य चार योजन था।^३

ये वस्तु की लम्बाई और चौड़ाई मापने के प्रमाण थे। गहराई या खात-प्रमाण के लिए व्यवहृत होनेवाले कुछ शब्द भी भाष्य में मिलते हैं। भाष्यकार ने प्रमाण और ऊर्ध्वमान में भेद किया है और 'प्रमाणे द्वयसज्दघ्नमात्रच.' (५-२-३७) सूत्र से प्रमाण अर्थ में होनेवाले द्वयसज्, दघ्नच् और मात्रच् में प्रथम दो का ही प्रयोग ऊर्ध्वमान में माना है। इस सूत्र के श्लोक-वार्तिक में तथा 'यत्तदेतेभ्य परिमाणे वतुप्'^४ (५-२-३९) के भाष्य में जहाँ उन्होंने प्रमाण, परिमाण और सस्या के पृथक्त्व एव भेद को दुहराया है, वहाँ प्रमाण और ऊर्ध्वमान का भेद भी दिखलाने की चेष्टा की है। उन्होंने कहा है कि इन प्रमाणबोधक प्रत्ययों में से मैं दो को ही ऊर्ध्वमान में स्वीकार करता हूँ।^५ ऊर्ध्वमान के तीन माप-दण्ड भाष्य में मिलते हैं—

उरु—गहराई मापने के लिए उरु सबसे छोटा प्रमाण था। उरु बराबर गहरी परिखा या जल आदि को ऊरुद्वयस,^६ उरुदघ्न या उरुमात्र कहते थे।

पुरुष—पुरुष, प्रमाण साधारण मनुष्य की हाथ ऊपर उठाने पर जो ऊँचाई होती है, उसका बोधक था। पुरुष भर गहरी परिखा को द्विपुरुषी या द्विपुरुषा कहते थे।^७ एक पुरुष गहराई का जल पौरुष, पुरुषद्वयस, पुरुषदघ्न या पुरुषमात्र कहा जा सकता था।^८

हस्ती—ऊर्ध्वमान का सबसे बड़ा प्रमाण हस्ती था। हस्ती-भर गहराई (ऊँचाई के आधारे पर) के जल आदि को हास्तिन, हस्तिद्वयस, हस्तिदघ्न या हस्तिमात्र कहते थे। दो हस्तियों के लिये द्विहस्ति, इसी प्रकार त्रिहस्ति, द्विहस्तिनी, त्रिहस्तिनी आदि शब्दों का व्यवहार होता था।^९

-
१. ५-१-७४, पृ० ३३७।
 २. ५-३-५५, पृ० ४४६।
 ३. २-३-३८, पृ० ४२५।
 ४. ५-२-३७, पृ० ३७९।
 ५. ५-२-३९, पृ० ३७९।
 ६. प्रथमशुच द्वितीयश्च ऊर्ध्वमाने मती मम।—५-२-३७, पृ० ३७८।
 ७. वही,
 ८. ४-१-२४।
 ९. वही
 १०. ५-२-३८ काशिका।
 ११. वही।

अध्याय ७

पण और मुद्रा

सुवर्णादि-परिमाण—भाष्यकार ने यत्र-तत्र प्रसंगवश उन अनेक मुद्राओं या सिक्कों का उल्लेख किया है, जो देश में प्रचलित थीं। किसी विशेष प्रदेश या राजा से इनका सम्बन्ध न था और न उनमें अधिकांश आहत ही थीं। इसलिए वास्तविक अर्थ में इन्हे मुद्रा कह सकना कठिन है। ये सोने, चाँदी और ताँबे के परिमाणविशेष थे और क्रय-विक्रय के साधन थे, जिनका मूल्य उनके वजन के अनुसार रहता था। तीनों धातुओं के सिक्कों के लिए उनके वजन की मात्रा निश्चित रहती थी, यद्यपि प्रदेश-भेद के अनुसार वे भी कम और अधिक वजन के होते थे। सामान्यतः स्वीकृत भार के बड़े सिक्कों की महत्ता व्यक्त करने के लिए कभी-कभी उनके पूर्व 'परम' विशेषण का प्रयोग लिया जाता था। सुवर्ण के सिक्के प्रायः ढले हुए होते थे। सिक्कों के अभाव में उतने परिमाण में सुवर्ण भी दिया जा सकता था। कोई-कोई राजा अपने विशेष अंकों या लक्षणों से युक्त सिक्के ढलवाते थे, किन्तु भार-साम्य के कारण उनके मूल्य में अन्तर नहीं आता था।

निष्क—सुवर्ण की मुद्राओं में निष्क और सुवर्ण का नाम भाष्य में कई बार आया है। यों ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, श्रौतसूत्रों एवं महाभारत में भी निष्क का वर्णन मिलता है। निष्क का व्यवहार कण्ठाभूषण के रूप में बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा था। कागिकाकार ने भी 'हिरण्यपरिमाणने' (६-२-५५) में 'बने किम्?' के प्रत्युदाहरण-स्वरूप 'निष्कमाला' का उल्लेख किया है। निष्क यद्यपि हिरण्य-परिमाण था, किन्तु माला के रूप में उसके परिमाण का कोई मूल्य नहीं रह जाता था।

निष्क पारिवारिक समृद्धता का मापदण्ड था और क्रय-विक्रय का माध्यम भी। एक निष्कवाला सौ निष्कों के स्वामी से स्वर्ण का साहस नहीं करता था।^१ उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा निष्कों के अनुपात में ही शतनिष्कधन से कम थी। निष्क आढ्यकरण माना जाता था।^२ जिस व्यक्ति या परिवार के पास सौ निष्क होते थे उसे नैष्कशतिका और जिसके पास हजार निष्क होते थे उसे नैष्कसहस्रिक कहते थे। वर्तमान लक्षाधीश आदि के समान ये आढ्यतासूचक उपारियाँ थीं। 'शतसहस्राच्च निष्कान्' (५-२-११९) इस पृथक् सूत्र का मत्वर्थ प्रत्यय के लिए प्रणयन इत् वात का प्रमाण है। यदि नैष्कशतिका और नैष्कसहस्रिक सना शब्द न होते, तो बहुव्रीहि-

१. ५-३-५५, पृ० ४४७।

२. नहि निष्कधनः शतनिष्कधनेन स्वर्षते।—५-३-५५, पृ० ४४७।

३. ३-२-५६।

समासान्तपद शतनिष्क, सहस्रनिष्क या मत्वन्त शतनिष्कवान्, सहस्रनिष्कवान् आदि प्रयोग सामान्य बन ही जाते।

निष्क से क्रीत वस्तु की सज्ञा नैष्किक थी।^१ दो और तीन निष्को से क्रीत वस्तु के लिए द्विनिष्क या द्विनैष्किक और त्रिनिष्क या त्रिनैष्किक शब्दों का व्यवहार होता था।^२ बहुत निष्कों से क्रीत वस्तु बहुनिष्क या बहुनैष्किक कही जाती थी।^३

निष्क के परिमाण में समय-समय पर अन्तर होता रहा है। कभी उसका भार १६ बड़ी या ३२ छोटी राशियों के दीनार के बराबर था और वह १६ माष के एक कर्ष या सुवर्ण के बराबर होता था। कभी उसका परिमाण ४ या ५ पल सोने के बराबर मिलता है। बड़े पल या दीनार का मान कभी-कभी १०५ से १०८ सुवर्ण के बराबर मिलता है। कहीं उसका वजन ४ माष और कहीं १६ द्रम पाया जाता है। प्रदेश-भेद से भी मान-भेद सभ्य था। इनमें अधिकतम भार के निष्क को परमनिष्क कहते थे और उससे क्रीत पदार्थ को परमनैष्किक।^४ मनुस्मृति (८-१३७) के अनुसार निष्क ४ सुवर्ण या ३२० रत्ती के बराबर होता था।

पतञ्जलि के समय तक आते-आते निष्क का प्रचलन बहुत बढ़ गया था, यहाँ तक कि उसके चतुर्थ भाग का भी उपयोग होने लगा था। पञ्चिष्क एक स्वतन्त्र सिक्का था, जिसे पादनिष्क भी कहते थे।^५ पञ्चिष्क इस स्वतन्त्र शब्द का, पादनिष्क के रहते हुए प्रयोग इस बात का सूचक है। यदि यह कथन उचित माना जाय, तो अर्धनिष्क के भी स्वतन्त्र सिक्के के रूप में प्रचलित होने की संभावना की जा सकती है।

सुवर्ण—सुवर्ण जैसा कि नाम से स्पष्ट है सोने की मुद्रा थी, जिसका भार १ कर्ष या ८० गुंजा (लगभग १७५ ग्रेन) के बराबर होता था। सुवर्ण भी समृद्धता का मापक था। काशिकाकार ने द्विसुवर्ण धन (जिसकी सम्पत्ति दो सुवर्ण थे) का उल्लेख किया है,^६ और सुवर्ण को धन तथा हिरण्य-परिमाण दोनों माना है। उपर्युक्त परिमाण के सोने के लिए भी पारिभाषिक रूप से सुवर्ण शब्द का प्रयोग होता था। भाष्यकार ने डेढ़ सुवर्ण-मुद्रा से खरीदी हुई वस्तु के लिए अर्धसुवर्ण और अर्धसुवर्ण सौवर्णिक शब्दों का प्रयोग किया है।^७ यहाँ अर्धसुवर्ण शब्द डेढ़ परिमाण सोने के लिए ही प्रयुक्त जान पड़ता है; क्योंकि अर्ध-सुवर्ण की मुद्रा का भाष्य में और कोई उल्लेख नहीं मिलता। काशिका में दो सुवर्णों से क्रीत वस्तु को द्विसौवर्णिक कहा है।^८

इस समय सामान्य सोने के लिए हिरण्य शब्द व्यवहार में आता था। यह बात उपर्युक्त

१. ५-१-२०, पृ० ३११।
२. वही तथा ५-१-३०, पृ० ३२०।
३. वही।
४. ५-१-२०, पृ० ३११।
५. ६-३-५६, पृ० ३८८।
६. ६-२-५५ काशिका।
७. ५-१-२९, पृ० ३१९।
८. ७-३-१७।

सूत्र 'हिरण्यपरिमाणवने' (५-२-५५) तथा भाष्य के 'अधिनञ्च राजानो हिरण्येन भवन्ति, न च प्रत्येक दण्डवन्ति (१-१-१, वा० १२, पृ० १०३) से स्पष्ट होती है। यहाँ 'गर्गा शत दण्डयन्ताम्' (वही) के 'शत' में मुद्रा तथा हिरण्य से सामान्य सोने का भाव स्पष्ट ही है। इसी प्रकार एक स्थान पर कहा है कि जितने हिरण्य से दो द्रोण धान्य मिल सकता है, उतने धान्य और जितने हिरण्य में एक हजार घोड़े मिलते हैं, उतने हिरण्य से घोड़े खरीदता है।' यहाँ तो स्पष्ट ही हिरण्य शब्द का प्रयोग किसी निश्चित मुद्रा के लिए न होकर सामान्य मुचर्ण के लिए ही है। इसी अर्थ में भाष्य में अप्टापद शब्द भी मिलता है।

राजत मुद्राएँ

शतमान—राजत मुद्राओं में शतमान सबसे बड़ा था, जो १०० रत्ती के बराबर होता था। यह वान इसके नाम से ही सिद्ध है। वैदिक साहित्य में 'मान' कृष्णल या रत्ती के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। वैदिक साहित्य से शतमान के मुचर्ण-मुद्रा होने का भी पता चलता है,^१ किन्तु शतपथ ब्राह्मण से ही उसका राजत तथा १०० कृष्णल भर होना भी मालूम होता है। कुछ विद्वान् तक्षशिला के भिड़ टीलो पर जार्ज मार्गल द्वारा पाये गये टेढ़े शलाका-खण्डों को राजत शतमान मानते हैं। मनु ने शतमान का वजन १० धरण या ३२० रत्ती माना है। पतञ्जलि ने डेढ़ शतमान से क्रीत वस्तु को अम्यर्ष शतमान तथा अष्यर्ष शतमान कहा है। इसी प्रकार, दो शतमानों से क्रीत पदार्थ को द्विशतमान या द्विशातमान बतलाया है।^२

शाण—शाण चाँदी का सिक्का था, जिसका वजन महाभारत के आरण्यक पर्व के अनुसार शतमान होता था। इस प्रकार, शाण १२॥ रत्ती या २२॥ ग्रेन का प्रचलित जान पड़ता है। चरकसंहिता में शाण को सुवर्ण या कर्प के बराबर बतलाया है।^३ इस प्रकार, इसका वजन २० रत्ती के बराबर ठहरता है। चरक के इस कथन से शाण सोने का सिक्का मालूम होता है। पाणिनि ने 'परिमाणान्तत्यासंज्ञाशाणयो' (७-३-१७) सूत्र में शाणको परिमाण मानते हुए उसके वहिर्भाग के लिए 'असजा शाणयो' कहा है। काशिका ने इस सूत्र में प्रत्युदाहरण के रूप में 'द्वाम्या शाणान्यां क्रीत द्वैशाणम्, त्रैशाणम्' कहा है। ऋण सिक्को से ही सम्भव था। तब शाण सिक्का भी था और परिमाण भी? और क्या एक ही वस्तु सिक्के और परिमाण दोनों का काम देती थी? पाणिनि और काशिका चृत्ति दोनों को मिलाकर देखने से तो यही पता चलता है। वात यह है कि मुद्रा के रूप में प्रचलित ये सारे सिक्के तोल के आधार पर बने थे। प्रत्येक सिक्के का एक निश्चित

१. द्विद्रोणेन हिरण्येन धान्यं क्रीणाति, साहस्रेण हिरण्येनाश्वान् क्रीणाति।—२-३-१८, पृ० ४२०।

२. तस्य त्रीणि शतमानानि हिरण्यानि दक्षिणा।—शत० ब्रा० ५-५-५-१६।

३. ५-१-२९, पृ० ३१९।

४. शत० ब्रा० १३-४-२-१०।

५. मनु० ८-१३७।

६. महाभारत, प्रा० पर्व १३४-१४।

वजन था। सिक्को के साथ-साथ लाक्षणिक रूप में उनके निश्चित वजन की भी वही संज्ञा बन गई। शाण यदि १२॥ रत्ती का होता था, तो उसे तोलनेवाला १२॥ रत्ती का वाट (भार) भी मान का एक घटक बन गया और वह तथा उलने ही वजन का सोना या चाँदी भी शाण कहलाने लगा। कर्म-कर्मि ये सिक्के स्वयं मानो के रूप में व्यवहृत होते थे, जिस प्रकार आज रुपया और उसके अंश मान का काम देते हैं। पाणिनि ने उसी अर्थ में शाण को परिमाण कहा है, जिस अर्थ में रुपये को एक तोला परिमाण कहते हैं। मुख्य रूप से शाण सिक्का ही था। भाष्यकार ने इसी रूप में उसका उल्लेख किया है। सुवर्ण के विषय में यही बात कही जा सकती है।^१ यथा, डेढ़ शाण से क्रीत वस्तु अन्यर्वशाण या अर्ध्यर्वशाण्य, पाँच शाणो से क्रीत पंचशाण या पंचशाण्य, दो शाणो से क्रीत द्विशाण, द्वैशाण या द्वैशाण्य एव तीन शाणो से क्रीत त्रिशाण, त्रैशाण या त्रैशाण्य^२। प्राच्य प्रदेश में हूर चूल्हे पर शाण कर-स्वरूप लिया जाता था। जिसे सूपेशाण कहते थे। यदि किसी परिवार की भूमि या परिवार समूक्त भी होता, किन्तु भीतरी बंटवारा हो गया होता और भोजन अलग-अलग बनता होता, तो प्रत्येक विभक्त परिवार को कर देना होता था।^३

कार्षापण—पाणिनि-काल में पण् धातु का अर्थ क्रय-विक्रय तथा व्यवहार करना था। लेन-देन की क्रिया पणन कहलाती थी और क्रय-विक्रय की वस्तु पण्य। जिस वस्तु से दूसरी वस्तु खरीदी जाती थी, उसे पण कहते थे। पण या लेन-देन, क्रय-विक्रय या व्यवहार का माध्यम। पहले वस्तुएँ, फिर सोना, चाँदी-ताँबा आदि धातुएँ और बाद में इनसे ढले सिक्के, पण का काम देते थे। जो सिक्का सबसे अधिक प्रचलित था, वही धीरे-धीरे पण रह गया और गेप ने विशिष्ट नाम प्राप्त कर लिये। कार्षापण का पण मुद्रा के इसी विकास की ओर संकेत करता है।

कार्षापण विवेच्य काल की सर्वाधिक व्यवहृत मुद्रा थी। कार्षापण सुवर्ण का भी चलता रहा। बाद में इसी परिमाण का सिक्का सुवर्ण कहलाने लगा। तर्बि का भी कार्षापण बनता था। यद्यपि प्रचलन राजत कार्षापण का ही विशेष था। कौटिल्य ने इसके लिए 'पण' शब्द का प्रयोग किया है। कार्षापण यदि चाँदी का होता, तो उसका वजन सोलह माप के बराबर होता था। यही बात सुवर्ण कार्षापण के सवध में रही थी, किन्तु पतंजलि के समय में या तो सुवर्णमाप का चलन बन्द हो गया था या सुवर्ण कार्षापण का अथवा दोनों का। यह भी संभव है कि इनके आनुपातिक मूल्य में अन्तर हो गया हो। भाष्यकार ने माप (उरद) नाम पड़ने के विषय में एक आचार्य का कथन उद्धृत किया है कि 'पुराने समय में सोलह माप का एक कार्षापण होता था और सोलह ही दाने उरद की फली में होते थे। इस सादृश्य से उरद का नाम माप पड़ गया।'^४ उक्त कथन में 'प्राचीन काल' शब्द भाष्यकार के समय में बदले हुए माप और कार्षापण के आनुपातिक मूल्य की ओर इंगित करता है। फिर भी, माप कार्षापण का घटक था। भाष्य में माप और कार्षापण के

१. ६-२-५५।

२. ६-३-१० काशिका।

३. ५-१-३५, पृ० ३२०।

४. अपर आह—पुराकल्प एतदासीत् षोडशमाषाः कार्षापणम्। षोडश फलाश्च मापशब्दयः। तत्र संरपा सामान्यात् सिद्धम्।—१-२-६४, पृ० ५९८।

अवयवायविसम्बन्ध का कथन बार-बार हुआ है, यद्यपि वे समानजातीय नहीं थे। इसलिए सौ से ग्यारह अधिक होने पर 'एकादशशत माषाणाम्' प्रयोग तो होता था, किन्तु यदि सौ कार्पाणो मे ग्यारह माष अधिक हुए, तो उनके लिए उक्त प्रयोग तो होता था, किन्तु यदि सौ कार्पाणो मे ग्यारह माष अधिक हुए, तो उनके लिए उक्त प्रयोग नहीं हो सकता था। 'वजन' के आगे 'स' प्रत्यय होने के लिए दोनों का समानजातीय होना आवश्यक था।^१ एक स्थान पर भाष्यकार ने कहा है— 'इस कार्पाण से इन दोनों को एक-एक माष दो। देनेवाला एक-एक माप देकर पूछता है कि शेष का क्या करूँ? यदि उससे फिर कहा जाय कि यह कार्पाण इन्हे माष-माष करके दो, तो वह माष-माष करके उन्हें देकर चुप बैठ जाता है।'^२ इससे यह स्पष्ट है कि माष और कार्पाण का निकट सम्बन्ध वर्तमान आने और रुपये जैसा था। एक-एक माष करके या एक-एक कार्पाण करके देने का उल्लेख भाष्य मे अन्यत्र भी मिलता है।^३ जो कार्पाण के अन्य अवयवों की अपेक्षा माप से उसका अधिक निकट व्याहारिक सम्बन्ध सूचित करता है।

कार्पाण शब्द का प्रयोग पुल्लिग और नपुसर्कालिग दोनों मे होता था।^४ उसका व्यवहार व्यापक था। भाष्यकार ने प्रसंगवश कहा है कि 'यह वही कार्पाण है, जो मथुरा मे लिया था।'^५ समस्त, यह बात पाटलिपुत्र मे कही गई है, जो इस मुद्रा के व्यापक प्रचार का द्योतक है। वास्तव मे, यही इस काल की सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी। कार्पाण से क्रीत वस्तु कार्पाणिक या कार्पाणि (स्त्री०) कही जाती थी।^६ प्रति का प्रयोग भी कार्पाण के अर्थ मे होता था और प्रति से क्रीत वस्तु को प्रतिक या प्रतिकी (स्त्री०) सज्ञा थी,^७ किन्तु यदि एक से अधिक कार्पाण से वस्तु का क्रय किया जाता, तो उस वस्तु के दो विशेषण हो सकते थे। उदाहरणार्थ, डेढ कार्पाण से क्रीत वस्तु अर्धकार्पाणिक या अर्धकार्पाणिक कही जा सकती थी।

काशिकाकार ने कार्पाण को ही प्रति आदेश का विधान कर अर्धकार्पाणिक, द्विकार्पाणिक और त्रिकार्पाणिक के स्थान पर अर्धप्रतिक, द्विप्रतिक और त्रिप्रतिक रूप मान लिये है। यह इस बात का द्योतक है कि काशिका काल तक आते-आते कार्पाण के अर्थ मे प्रति शब्द का प्रचलन बन्द हो गया था और विद्वान् इसे स्वतन्त्र शब्द न समझकर आदिष्ट शब्द मानने लग गये थे।

१. तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः; इह कस्मात् भवति एकादश माषा अधिका अस्मिन् कार्पाणशते समानजाता अधिक इष्यते।—५-२-४५, पृ० ३८२।

२. अस्मात् कार्पाणाविह भवद्भ्यां माषं देहि। भवद्भ्यां माषं माषं देहि। माषं माषमसौ दत्त्वा शेषं पूच्छति किमतेने क्रियतामिति। यः पुनरुच्यते इदं कार्पाणमिहभवद्भ्यां माषं माषं देहीति माषं माषमसौ दत्त्वा तूष्णीमास्ते।—८-१-१२, पृ० २७५।

३. ८-१-१, पृ० २५८।

४. २-४-३१, पृ० ४७७।

५. ५-१-२५, पृ० ३१६।

६. २-१-७ पृ० ४४७।

७. वही।

पाणिनि और पतञ्जलि ने अनेकदा शतसहस्रवादिसख्यक मुद्राओं का उल्लेख किया है, किन्तु मुद्रा का नाम नहीं दिया है। यथा 'शतमानविंशतिकसहस्रवसनादण्' (५-१-२७) में सहस्र से क्रीत वस्तु साहस्र, 'विंशति त्रिंशद्भ्या इवुन् सञ्जायाम्' (५-१-२४) में विंशति से क्रीत विंशत्क, त्रिंशत् से क्रीत त्रिंशत्क (भाष्य पृ० ३१५) के उदाहरण, 'वताच्च ठन् यवावशते' (५-१-२१) में शत से क्रीत शत्य शट्कशत; (भा० पृ० ३१३) पञ्चभि क्रीत पञ्चकम् (भाष्य, ५-१-३७ पृ० ३२१) तथा 'विभाषाकार्षापणसहस्राभ्याम्' (५-१-२९) के अर्घ्यर्चं साहस्र, द्विसाहस्र, त्रिसाहस्र आदि प्रयोगों में मुद्रा के नामोल्लेख से विरहित सख्याएँ कार्षापण (राजत) की बोधक हैं। संस्कृत, साहित्य में कार्षापण का उल्लेख किये बिना 'देवदत्त के सौ उधार है' आदि प्रयोग चल पड़े थे, जो इस बात के प्रमाण हैं कि इनका प्रयोग सर्वाधिक होता था। स्वयं भाष्यकार ने बिना मुद्रा का नामोल्लेख किये साधारण चर्चा-प्रसंग में प्रायः सख्या-पात्र का उल्लेख कर दिया है। घन-प्रसंग में उल्लिखित सख्या में कार्षापण अन्तर्निहित-सा माना जाता था। चाँदी के कार्षापण में सोलह पण होते थे, जिनके बदले १२८० कौड़ियाँ मिलती थीं। ताँबे का कार्षापण ८० रत्ती या १७६ ग्रैन का होता था।

विंशतिक और त्रिंशत्क—षोडश माष के कार्षापण के अतिरिक्त दो प्रकार के अन्य कार्षापण भी प्रचलित थे, जिनका वजन क्रमशः बीस और तीस माष के बराबर था। प्राचीन कार्षापण सोलह माष के ही होते थे, किन्तु बाद में किसी-किसी प्रदेश में, सम्भवतः मगध और पांचाल में तत्कालीन राजाओं ने उनसे बड़े परिमाण के कार्षापण प्रचलित किये। भाष्य का उपर्युक्त कथन कि 'किसी विद्वान् का कहना है कि प्राचीन काल में सोलह माषक का कार्षापण होता था',^१ इस बात की पुष्टि करता है। 'विंशति विंशद्भ्यां इवुन् सञ्जायाम्' (५-१-२४) में भाष्यकार ने त्रिंशत्क और विंशतिक को सजा माना है और इनकी निष्पत्ति पर विचार किया है। पाणिनि ने भी 'शतमानविंशतिकसहस्रवसनादण्' (५-१-२७) में विंशतिक का उल्लेख किया है। विंशतिक से क्रीत वस्तु वैशतिक और अर्घ्यर्चं, द्वि तथा त्रिविंशतिक से क्रय की हुई वस्तु अर्घ्यर्चं विंशतिकीन, द्विविंशतिकीन तथा त्रिविंशतिकीन कही जाती थी। बाद में इन मुद्राओं का प्रचलन बन्द हो गया।

अर्घ और भाग—ये दोनों कार्षापण के अर्घ्य भाग के बराबर सिक्के परस्पर पर्यायवाची थे। आज भी हिन्दी में रुपये के अर्घ्य भाग को अघेली कहते हैं। अर्घ्य और भाग का उल्लेख क्रमशः 'पुरणाघट्टिन्' (५-१-५८) तथा 'भागाद्यच्च' (५-१-४९) सूत्रों में हुआ है। जिसके लिए अर्घ्य और भाग मुद्राएँ शुल्क, वृद्धि, लाभ या उपदा में दी जाती हो, उस घनराशि को अधिक तथा भाग्य या भागिक कहते थे। आधिक शब्द का प्रयोग स्वतन्त्र होता है। अर्घ्य के पूर्व और कोई शब्द नहीं जोड़ा जा सकता। जिस वस्तु का मूल्य अर्घ्य (कार्षापण) हो, उसे अधिक या अधिकी (स्त्री०) कहते थे।^१ काशिकाकार ने भी अर्घ्य को स्युक्कार्षापण

१. देवदत्ताय शतं धारयति।—१-४-३५।

२. १-२-६४, पृ० ५९८।

३. ५-१-२५, पृ० ३१६।

के अर्थ भाग के लिए षट् वनलाया' है, निम्नका अर्थ स्पष्ट. ही ३ कार्पापण सिक्का हुआ।

पाद—कार्पापण का १ ४ भाग पाद भी स्वतन्त्र सिक्के के रूप में प्रचलित था। कर्मकर लोगों को एक पाद प्रतिदिन वेतन मिलता था। वे इमी लालच से काम करते थे।^१ दो-ती पाद को 'द्विपदिकां ददाति तथा वो पाद दण्डित होने या जान करने के लिए 'द्विपदिका दण्डित' या 'द्विगदिका ददाति' प्रयोग होता था। दो पाद का चार बार प्रयोग यह सिद्ध करता है कि पाद का सिक्का स्वतन्त्र था। अव्यय पाद या द्वि-त्रिपाद से क्रीत वस्तु को अव्ययपाद, द्विपाद और त्रिपाद कहते थे।^२

कौटिल्य से भी उक्त कथन की भी पुष्टि होती है। अव्ययास्त्र के अनुसार पण, अर्धपण, पाद और अष्ट भाग के सिक्के डाले जाते थे। नीचे की ओर उतरते हुए मापक, अर्धमापक, काकगी और अर्धकाकगी के सिक्के ताँबे के बनाये जाते थे, जिनमें उचित परिमाण में अन्य धातुओं का भी मिश्रण रहता था। मिश्रण की विधि के सम्बन्ध में भी अव्ययास्त्र में स्पष्ट आदेश हैं—मुद्राध्यक्ष जिसे लघ्नाध्यक्ष कहा है, रजत सिक्कों का निर्माण चार मापक ताँबा तथा एक-एक मापक श्रु, नीसादि धातु मिलाकर नूद्रा वनवाता था।^३

अष्टभाग—अष्टभाग के स्वतन्त्र सिक्के का संकेत महामाप्य या अष्टाध्यायी में नहीं मिलता। 'पणपादमापणनाद्यत्' (५-१-३४) केवल अव्यय तथा सख्यावाची शब्द पूर्व रहने पर नाप शब्द से आर्हीय अर्थ में यत् प्रत्यय का विधान करता है। इस प्रकार, अव्ययमाप्यम्, द्विमाप्यम्, त्रिमाप्यम् आदि रूप बनते हैं। इनसे द्विमापक सिक्के की कल्पना करना दुःसह है। हाँ, माप का सिक्के के रूप में प्रचलन इस सूत्र से अव्यय सिद्ध होता है।

नाप—कार्पापण का सर्वाधिक प्रचलित भाग माप या मापक था। 'पणपादमापणनाद्यत्' (५-१-३४) सूत्र में क्रमशः तीनों, अधिकतम प्रचलित सिक्कों का उनके मूल्य के अनुसार उल्लेख किया गया है। नाप, मुवर्ण, चाँदी और ताँबा तीनों का वनता रहा। सुवर्ण मापक का उल्लेख तो नहानाच में पृथक् नहीं मिलता। हाँ वह मुवर्ण-कार्पापण का १।१६ भाग होता था, जो मुवर्ण का रहता था। मुवर्ण माप का वजन ५ कृष्णल या १८ ग्रैन मुवर्ण के बराबर था। चाँदी का मापक राजन कार्पापण का १६ भाग होता था। जो २ रस्ती या ३.६ ग्रैन के बराबर होता था। स्वमाप सिक्के प्रचुर परिमाण में प्राप्त हो चुके हैं। साम्रमापक साम्रकार्पापण का ३६

१. अर्थशब्दो ल्यकार्थस्य रुढिः ५-१-४८ काशिका तथा भागशब्दोऽपि ल्यकार्थस्य वाचकः।—५-१-४९. वही।

२. कर्मकरा. कुर्वन्ति पादिज्जमहर्लप्स्यामहे।—१-३-७२, पृ० ९०।

३. ५-४-२१, पृ० ४८२।

४. ५-१-३४ काशिका।

५. पणसर्वपणं पादसष्टभागमिति। पादश्रीवं ताम्ररुष्यं मापकमर्धमापकं काकपी-मर्धकाकपीमिति। लघ्नाध्यक्ष. चतुर्भागताम्रं ल्यरुषं तीक्ष्णश्रुत्तीसाञ्जनानामन्यतमं माप-वीजयुक्तं कारयेत्।—अर्थशास्त्र, अवि० २, अ० १२।

भाग होता था, जिसका वजन ५ रत्ती रहता था। रुप्यमाषक का ही प्रचलन विशेष था। भाष्यकार ने कहा है कि 'एक माप से बढ़ते-बढ़ते सौ सहस्र कार्षापण हो जाते हैं।' अर्थशास्त्र के तुलामान अधिकरण के अनुसार ये माप इस प्रकार थे—५ गुजा या १० माषबीज=१ सुवर्णमाषक। १६ सुवर्णमाषक=१ सुवर्ण या कर्प। ४ कर्ष=१ पल। ८८ गौर सर्षप १ रुप्यमाषक। १६ रुप्यमाषक या २० शैव्य बीज=१ धरण। २० चावल=१ मणिधरण।^१ अर्धमाषक, मापक, दो माषक, चार माषक और आठ माषक की मुद्राएँ प्रचलित थीं।

ताम्र सिक्के

अर्धमाष—ऊपर कहा जा चुका है कि ताम्र कार्षापण का $\frac{१}{३}$ माष ताम्रमाषक था, जिसका वजन ५ रत्ती होता था। पीछे यह भी कहा जा चुका है कि अर्थशास्त्र में निचले सिक्को के माप, अर्धमाप, काकिणी और अर्धकाकिणी नाम मिलते हैं। उपर्युक्त सूत्र 'पणपादमाषशताद्यत्' (५-१-३४) में अध्यक्षमाप से आर्हीय अर्थ में यत् प्रत्यय का विधान है, जिससे अध्यक्षमाष्य शब्द निष्पन्न होता है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि अर्धमाष का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व भी था।

काकिणी—भाष्यकार ने एक काकिणी से क्रीत वस्तु के लिए काकिणीक^१ तथा डेढ काकिणी से क्रीत वस्तु के लिए अध्यक्षकाकिणीक^२ शब्द का व्यवहार बतलाया है। इसी प्रकार दो काकिणियों से क्रीत वस्तु को द्विकाकिणीक कहते थे। काकिणी और अर्धकाकिणी का चलन पाणिनि-काल में नहीं था। काकिणी $\frac{१}{३}$ माप या बीस कडी के बराबर होती थी।

रुप और रुपतर्क—कार्षापण के जो सिक्के राज्य की ओर से ढाले जाते थे, उनपर 'आहृति' (Punch) द्वारा लक्षण (गो, अश्व आदि) अंकित करने की प्रथा थी। राजाओं के अपने-अपने लक्षण निश्चित थे। राजप्रचारित मुद्राओं पर ये लक्षण या चिह्न बना दिये जाते थे। केवल आहृत या लक्षणयुक्त मुद्राएँ ही प्रमाणित मानी जाती थी। 'रुपादाहृतप्रशसयोर्यम्' (५-२-१२०) सूत्र आहृत और प्रशसा अर्थ में रुप शब्द के आगे शप् प्रत्यय का विधान करता है। इस प्रकार रुप्य रुप का अर्थ रूपवान् या सुन्दर रुप्य होता था और रुप्यकार्षापण का अर्थ आहृत या ताडित, अर्थात् राजलक्षण युक्त कार्षापण। लाक्षणिक रूप से इसका दूसरा अर्थ प्रमाणित कार्षापण भी होने लगा। धीरे-धीरे कार्षापण गीण पड़ गया और रुप्य (छोटे सरल शब्द) का ही प्रयोग अवशिष्ट रह गया। कार्षापण ही आहृत होता था, शेष सिक्के केवल ढाले जाते थे। वे आहृत नहीं होते थे। यह कार्षापण चाँदी की मुद्रा थी। इसलिए जब रुप्यकार्षापण का उत्तर पद अप्रयुक्त रहने लगा और केवल

१. एकेन मापेण शतसहस्रम्।—२-१-६९, पृ० ३२५।

२. धान्यमाषाः दश सुवर्णमाषकाः पञ्च वा गृञ्जाः। ते षोडश सुवर्णः कषो वा। चतुः कर्षं पलम्। अष्टाशोतिर्गौर सर्वपा रुप्यमाषकः। ते षोडश धरणम्, शैव्यानि वा विशतिः। विशति तण्डुल वज्रधारणम्। अर्धमाषकः द्वौ, चत्वारः अष्टौ माषकाः। अर्थ० शा०, तुलामान-प्रकरणम्।

३. ५-१-३३, पृ० ३२०।

४. वही।

रुप्य बच गया, तो रुप्य का ही अर्थ कार्षापण हो गया और रजत भी। आगे चल कर सस्कृत-साहित्य में रुप्य शब्द चाँदी का भी पर्याय बन गया। हमारे वर्तमान रुपये (रुप्य) का भी यही इतिहास है। कार्षापण के अवयव (अर्घ, पाद, द्विमाष, माष, अर्धमाष आदि) भी रुपये के वर्तमान भागों के रूप में अभी तक वर्तमान हैं।

कार्षापण या पण (अर्थशास्त्र) में आहृति, भार, धातु आदि की सम्यक् परीक्षा के लिए राज्य की ओर से एक अधिकारी रहता था, जिसे 'अर्थशास्त्र ने रूपदर्शक कहा है। कौटिल्य ने कहा है कि रूपदर्शक कार्षापण के एकसाल से बाहर जाते समय तथा बाहर से कोश में आते समय उसकी शुद्धता की परीक्षा करे। वह व्यवहार में आनेवाले रूप (मुद्राओं) तथा कोश में वापिस लौटने-वाली मुद्राओं का निरीक्षण करे।' इसी बात को लक्ष्य में रखकर भाष्यकार ने कहा है—'पश्यति रुपतर्क कार्षापणम्— दर्शयति रुपतर्क कार्षापणम्' अर्थात् रुपतर्क कार्षापण को देखता है। रुपतर्क को कार्षापण दिखलाता है।^१ रुपतर्क यही अधिकारी है, जिसे अर्थशास्त्र ने रूपदर्शक कहा है।

१. रूपदर्शकः पणयानां व्यावहारिकी कोशप्रवेक्ष्यां च स्थापयेत् ।—अर्थ० शा०, अधि० २, अध्याय १२ ।

२. १-४-५२, पृ० १८२ ।

अध्याय ८

घन और व्यवहार

घन—भाष्यकार ने सम्पत्ति या घन के अर्थ में स्व, घन और अर्ध शब्द का व्यवहार किया है। स्व शब्द के अनेक अर्थ थे—ज्ञाति, आत्मा, आत्मीय और घन। घन अर्थ में 'स्वे गाव.' और 'स्वा गाव.' जैसे पदों का व्यवहार होता था।^१ रँ शब्द भी इसी अर्थ में आता था।^२ रँ चाहने के लिए 'रयति' क्रिया^३ प्रयुक्त होती थी। घनवान् व्यक्ति को साधारणतया आढ्य कहते थे।^४ किसी ग्राम या नगर में कुछ परिवार आढ्य हुए, तो वह ग्राम या नगर भी आढ्य माना जाता था।^५ आढ्यता कई बातों से आँकी जाती थी। गो, अश्व और हिरण्य सामान्यतया आढ्यता के परिचायक थे।^६ घान्य भी घनवत्ता का ज्ञापक था।^७ गो का अधिक होना ही अकेला घनवत्ता का प्रमाण था; क्योंकि घन की व्युत्पत्ति है—'घिनोतीति घनम्' प्रीणन (प्रसन्न) करनेवाली वस्तु घन कहलाती थी। इस अर्थ में बैल, घोड़े और घान्य भी न थे।^८ जिस देश में पशु, घन और घान्य विशेष होता था, वह प्रदेश गुणवान् और घनवान् समझा जाता था।^९ यो स्वशब्द सब प्रकार की सम्पत्ति के लिए व्यवहृत होता था। किसी के लिए एक कम्बल भी 'स्व' हो सकता था।^{१०}

घनवत्ता—घनिकता रूपयो-वैसो से भी मापी जाती थी। एक सौ कार्षापण या निष्क चचाकर रखनेवाला ऐकशतिक कहलाता था।^{११} कुछ लोग नैष्कशतिक या नैष्कसहस्रिक^{१२}

१. १-३-३५, पृ० २३७।

२. १-१-५०, पृ० ३०६।

३. वही।

४. १-२-२९, पृ० २३४।

५. १-२-४५, पृ० ५२७।

६. देवदत्तस्य गावोऽश्वो हिरण्यं च। आढ्यो वैधवैयः।—१-३-९, पृ० २८।

७. इह तावद् गावो घनमिति घिनोतेर्घनम्। एको गुणः स च प्राधान्येन विवक्षितः।—
५-१-५९, पृ० ३३३।

८. २-१-३०, पृ० २८३।

९. ५-१-११९, पृ० ३३५ तथा अर्यवानयं देश इत्युच्यते यस्मिन् गावः सत्यानि च
वर्तन्ते।—५-२-१३५, पृ० ४२३।

१०. ८-१-२६, पृ० २८६।

११. ५-२-११८, पृ० ४१९।

१२. ५-२-११९।

कहे जाते थे। इस प्रकार हर तरह की सम्पत्ति—विद्या, गाय, बैल, अश्व, चाँदी (कार्पाषण) और सुवर्ण आदि घन माने जाते थे।^१ राजा लोग अविकाधिक सोना बटोरने की चिन्ता में रहते थे।^२ घनवत्ता या आढ्यता कितने पशुघन से मानी जाय, इसकी कोई निश्चित भयाँदा न थी। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक पशु-घन मनुष्य को आढ्यता की ओर ले जाता था। आवश्यकता की पूर्ति किसी परिवार की चार गायों से भी हो जाती थी। उनसे उसकी जोत के लिए पर्याप्त बैल, पीने के दूध और आगे के लिए बछड़े मिलते रहते थे और किसी परिवार का यह काम सौ गायों से भी पूरा नहीं पडता था।^३ 'स्व', की प्राप्ति चार प्रकार से हो सकती थी—खरीदकर, चुराकर, माँगकर या बदलकर। इन्हीं उपायों से परघन अपना घन सकता था।^४

सामाजिक सम्बन्ध और अर्थ—व्यक्तियों के सामाजिक सम्बन्ध भी चार बातों पर निर्भर थे, जिनमें भाष्यकार ने अर्थ को प्रथम स्थान दिया है। आर्थिक सम्बन्ध के अतिरिक्त यौन (पिता-पुत्रादि), मौख (गुरुशिष्यादि) तथा सौत्र (पुरोहितयजमानादि) सम्बन्ध माने जाते थे।^५ आर्थिक, अर्थात् लेन-देन, स्वामिसेवक, उत्तमर्ण-अघमर्ण के सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण थे। इसीलिए, लोग घन कमाने के लिए चिन्तित रहते थे। घन और हिरण्य की प्रबल इच्छा को धनक और हिरण्यक कहते थे।^६ साधारणतया घन चाहना और वात है और उसके लिए पागल रहना भिन्न वात। साधारण इच्छा के लिए 'धनीयति' क्रिया का प्रयोग होता था और गर्व या लालच के लिए 'धनायति' का।^७ घन के लिए कुप्य' शब्द का भी व्यवहार होता था। रक्षणीय होने के कारण गोप्य से भिन्न सज्ञा अर्थ में इस शब्द की निष्पत्ति बताई गई है। स्वापतेय' शब्द भी इसी अर्थ में आता था। धनिकों में परस्पर स्पर्धा चलती थी, किन्तु यह स्पर्धा तभी होती थी, जब उनका अन्तर 'अद्वार' का हो। एक निष्कवाला सौ निष्कवाले से स्पर्धा नहीं करता था।^८

ऋण—पीछे कहा जा चुका है कि आर्थ सम्बन्ध का समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान था। आर्थ सम्बन्ध स्वामी और भूय का हो सकता था, क्रेता-विक्रेता का हो सकता था और उत्तमर्ण-अघमर्ण का भी होता था। आवश्यकता पडने पर सहायतार्थ लाभ की आशा से किसी को उधार देने

१. १-१-६८, पृ० ३३४।

२. ६-१-५, पृ० २१।

३. ५-२-९४, पृ० ४१०।

४. यदेतत् स्वं नाम चतुर्भिरेतत्प्रकारैर्भवति। ऋणपादपहरणाद्याञ्चाया विनिमयादिते।

२-३-५०, पृ० ४४२।

५. लोक बहुवोऽभिसम्बन्धाः आर्या यौना मौखाः सौत्राश्च।-१-१-४९, पृ० ३००।

६. ५-२-६५, पृ० ३९६।

७. ७-३-३४।

८. ३-१-११४, पृ० १८८।

९. ४-४-१०४।

१०. ५-३-५५, पृ० ४४६।

वाले को ये उत्तमर्ण^१ कहते थे और लेनेवाले को अधमर्ण^१।^३ ये शब्द सम्बद्ध व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति के बोधक थे। उवार दी गई रकम ऋण कहलाती थी। ऋणवान् होना 'धारयति'^४ क्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता था। किसी पर सौ रुपये ऋण होते, तो कहा जाता 'शत धारयति।' अधमर्ण होने की स्थिति 'आधमर्ण्य'^५ होती थी। 'उधार का वाचक ऋण' था,^६ जो देय भी कहा जाता था। ली हुई वस्तु को लौटाने की क्रिया का नाम प्रतिदान था।^७ कभी-कभी ऋण देनेवाले अपना रुपया डूब जाने का भय रखते थे। ऐसी स्थिति में अधमर्ण के अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्तियों को और बीच में डाल लेता, जो उसकी जमानत देते थे और रुपये के लिए उत्तरदायी भी माने जाते थे। ये लोग प्रतिभू कहलाने थे।^८ ऋण देते समय कभी-कभी साक्षी^९ की भी आवश्यकता होती थी।

व्याज—ऋण कभी-कभी जितना लिया जाता था, उतना ही लौटा दिया जाता था। कभी-कभी उससे अधिक भी देना पड़ता था। आधिक्य की राशि 'वृद्धि' गिनी जाती थी। भाष्य में पाँच, सात, आठ, नौ, दस रुपये (कार्षापण) वृद्धि-स्वरूप पाने की चर्चा है। जिस ऋण पर ये राशियाँ अधिक मिलती थी, उन्हें क्रमशः पचक, सप्तक, अष्टक नवक और दशक^{१०} कहते थे। ये सख्याएँ उपलक्षणमात्र हैं। इसी प्रकार अर्घ (कार्षा०) जिस राशि पर वृद्धि-रूप मिलता था, उसे अर्धिक^{११} तथा भाग (आधा कार्षा०) जिस राशि पर मिलता था, उसे भाष्य या भागिक^{१२} कहते थे। यह अर्घ या भाग सौ कार्षापण का मासिक व्याज है या अन्य अवधि का, निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि काशिकाकार ने 'भागिकशतम्' के साथ ही 'भागिकाविशति' भी उदाहरण में दिया है। एक ही काल में पाँचगुने अन्तर की कल्पना असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य है। वास्तव में ये उदाहरण-मात्र हैं और चाहे, जितने समय में हो शत और विशति पर प्राप्त कुल व्याज को सूचित करते हैं। हो सकता है, आज शत उधार लेनेवाला कल १००^३ लौटा जाय, ऐसी स्थिति में इन उदाहरणों के आधार पर व्याज की किसी दर का अनुमान लगाना तर्क-सगत नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार 'पचक' राशि पर प्राप्त पाँच (कार्षा०) व्याज के आधार पर ध्रावण से आग्रहायण तक

१. १-४-३५।

२. ३-३-१७०।

३. १-४-३५।

४. ३-३-१७०।

५. ४-३-४७।

६. १-४-९२।

७. ३-२-१७९।

८. २-३-३९।

९. पञ्चवृद्धिर्वाऽऽयोवालाभो वा शूल्को वोपदा वा दीयतेऽस्मै पञ्चकः सप्तकः अष्टकः नवकः दशकः १-५-१-४७, पृ० २३३।

१०. ५-१-४८।

११. ५-१-४९।

को अवधि तथा दस पर प्रतिमास एक व्याज की डॉ०वा०श०अग्रवाल द्वारा की गई कल्पना भी ठीक नहीं जान पड़ती, क्योंकि प्रथम तो श्रावण में ऋण लेने का औचित्य नहीं सिद्ध किया जा सकता। ग्रामीण जीवन से परिचित प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नये वर्ष के लिए वैल ज्येष्ठ दशहरे से पूर्व खरीद लिये जाते हैं। आपाठ के प्रारम्भ से तो जुताई होने लगती है। इसके लिये जिसे ऋण लेना होता है, वह आठ ज्येष्ठ तक ले लेता है। श्रावण में केवल धान रोपा जाता है, जिसके लिए ऋण की आवश्यकता नहीं होती। यह रोप मंहगी नहीं विकती और कृषक इसे स्वयं बो भी लेते हैं। खरीफ की शेष फसले आपाठ में ही बौड़ जाती हैं और उनमें बीज बहुत ही कम पड़ता है। अतः, पंचक 'दशैकादश' पद्धति से श्रावण से आग्रहायणी पीर्णमासी तक का व्याज है, यह धारणा भी युक्ति-संगत नहीं मानी जा सकती। और, यदि उसे ठीक मान भी लिया जाय, तो भी सप्तक से दशक तक के महाभाष्य के उदाहरणों का क्या होगा, जो कागिकों से बहुत पुराने हैं। फिर, ये उदाहरण केवल व्याज (वृद्धि) के नहीं हैं—आय, शुल्क, लाभ और उपदा के भी हैं।

दशैकादश—कुछ लोग आवश्यकता पड़ने पर परिचित व्यक्ति को ऋण दे देते थे और साधारण व्याज भी ले लेते थे। उनका यह काम आकस्मिक था, किन्तु कुछ लोगो का व्यवसाय ही रूपया उधार देना और उसपर व्याज लेना था। ये लोग कुसीदक, और स्त्रीहुई, तो कुसीदको कहलाती थी।^१ दस रुपये देकर ग्यारह लेने की भी प्रथा थी।^२ जो लोग इस प्रकार ऋण देते थे, वे दशैकादशिक (ग्यारह लेने के लिए १० देनेवाले) और दशैकादशिकी (स्त्री) कहे जाते थे। वृद्धि के लिए धन देनेवाले को वार्षिक कहते^३ थे। वार्षिक कभी-कभी दुगुना और तिगुना तक ले लेते थे। समाज इस प्रकार के व्याज-व्यवसाय को गह्रा मानता था।^४ यदि देर तक ऋण न चुका सकने के कारण वह बढ़ता-बढ़ता दूना हो जाता, तो उस दूनी राशि को लेनेवाला निन्ध नहीं होता था।^५ देर तक प्रतिदान न कर सकने के कारण कभी-कभी मूल ऋण बढ़कर दुगुना हो जाता था। ऐसे ऋण को प्रवृद्ध कहते थे। जब यह प्रवृद्धि (चक्रव्याज) अपनी सीमा पार कर मूल के दुगुने से भी अधिक हो जाती थी, तो उस ऋण को महा-प्रवृद्धि^६ कहते थे, किन्तु इसमें गह्रा का भाव न था। निन्ध वह होता था, जो इस उद्देश्य से थोड़ा उधार देकर बहुत ले। इसलिए, त्रैगुणिक (तीनगुना लेनेवाला), द्वैगुणिक (दुगुना लेनेवाला) आदि शब्द निन्दा के द्योतक थे। कुसीदक की निन्धता का प्रभाव परिवार पर नहीं पड़ता था। इसलिए, कुसीद लेनेवाली स्त्री कुसीदकी, किन्तु कुसीद लेनेवाले (कुसिद) की पत्नी कुसिदायी कही जाती थी। प्रथम में निन्दा या गह्रा गम्यमान

१. ४-४-३१ ।

२. एकादशार्थादश दशैकादश शब्देनोच्यन्ते ।—वही, काशिका ।

३. ४-४-३०, पृ० २७७, ७८ ।

४. द्विगुणं मे स्यादिति प्रयच्छति द्वैगुणिकः ।—वही ।

५. यदसावर्षं दत्त्वा बहु गृह्णाति तद् गार्ह्यम् ।—वही ।

६. ४-४-३० काशिका ।

७. ६-२-३८, पृ० २५८ ।

८. ४-१-३७ ।

रहती थी, द्वितीय में नहीं। यह भेद दोनों में अन्तर बतलाने के लिए किया गया था और फिर कुसिदायी कुसिदक की पत्नी होती थी, किन्तु स्वयं सूदखोर नहीं।

‘दशैकादश’ में व्याज की दर प्रतिशत पर निर्भर न रहकर निश्चित अवधि के लिए निश्चित व्याज के सिद्धान्त पर अवलम्बित थी। दशैकादशिक अपना घन एक साथ नहीं लेता था। उसका प्रतिदान देने के तुरन्त बाद ही मासिक रूप में प्रारम्भ हो जाता था और प्रतिमास मूल कम होता जाता था। इसलिए, ‘दशैकादशिक’ में एक और तो व्याज की दर कम रहती थी और दूसरी ओर देनेवाले पर भार भी नहीं पड़ता था।

‘दशैकादश’ में एक की वृद्धि मासिक नहीं थी। लगभग यही प्रथा आज उत्तर भारत में ‘दशद्विदाश’ के रूप में वर्तमान है। दस रुपये लेकर प्रतिमास एक रुपया देता हुआ पूरे वर्ष में बारह रुपये देकर अवमर्ण ऋण-मुक्त हो जाता है। पचक आदि शब्दों का अर्थ भी इस भूमिका में स्पष्ट हो जाता है। दस रुपये ऋण का एक घटक होता है। यदि किसी ने इस प्रकार पचास रुपये उधार लिये, तो वह पाँच ऋणघटकों का दायी होगा और वर्ष में दस रुपये व्याज में देगा। अब दशैकादश की प्रथा रही होगी, तब पचास रुपये पर वर्ष में पाँच रुपये वृद्धि होती होगी। सत्तर पर सात, अस्सी पर आठ आदि। इस प्रकार पचाशत को पचक, सप्तति को सप्तक, अशीति को अष्टक, नवति को नवक और शतक को दशक कहते थे। दशक तक उदाहरण देने का आशय ऋण को शत पर समाप्त करना था। यह प्रथा ठीक इसी रूप में आज भी चली आती है। हाँ, अब व्याज की दर अवश्य दूनी हो गई है। उत्तर भारत में जहाँ सौर मास का प्रचलन है, मासिक किस्त अमावस को चुकाई जाती है। अन्तर इतना ही है कि पतञ्जलि-काल में कार्तिक की अमावस को दिया गया इस प्रकार का ऋण नवार की अमावस को चुकता हो जाता था। अब वह कार्तिक की उसी अमावस को चुकता होता है और जितने ऋण-घटक अवमर्ण पर देय होते हैं, उतने ही रुपये प्रतिमास वह चुकता जाता है।

ऋणों के नाम—ऋण चुकाने की अवधि के अनुसार ऋणों के नाम रख दिये जाते थे। मासभर में चुकाया जानेवाला ऋण ‘मासिक’^१ कहा जाता था और सवत्सर में अदा किया जाने वाला ‘सावत्सरिक’^२। कुछ ऋण छँ मास में चुकाये जाते थे। ये फसल बोनो के समय लिये जाते रहे होंगे। आज भी कार्तिक में ऋण लेकर वैशाख में लौटाने की प्रथा है। यह ऋण रूपों के रूप में भी हो सकता है और अन्न के रूप में भी। पाणिनि ने इस ऋण को ग्रैष्मक^३ कहा है। ग्रैष्मक ग्रीष्म के अन्त में सवाये या ड्योढ़े परिमाण में लौटाया जाता था। यह प्रथा अब भी विद्यमान है। कृषक कार्तिक में बोनो के अवसर पर अन्न लेकर वैशाख में लौटाते हैं। तरबूज, खरबूज आदि की फसलें पैदा करने में भी ग्रैष्मक ऋण की प्रथा बहुत व्यापक है। ज्येष्ठान्त में लेकर आग्रहायणी पूर्णिमासी को प्रतिदिन खरीफ का ऋण आग्रहायणिक^४ कहलाता था।

१. ४-४-४७।

२. ४-३-५०।

३. ४-३-४९।

४. ४-३-५०।

ग्रैष्मक^१ और आग्रहायणिक दोनों ऋण षण्मासिक थे। इस वर्ष लेकर अगले वर्ष लौटाया जानेवाला ऋण आवरसमिक कहलाता था।^२

ऋण लेने के कारण—कुछ ऋणों को कलापी-काल, अववत्थ-काल और यववुस-काल में चुकाये जाने का उल्लेख मिलता है।^३ कलापी-काल उस काल को कहते थे, जब मोर कलाप धारण करते हैं या मग्न होकर नाचते हैं, अर्थात् वर्षाकाल। अववत्थ काल उस-काल को कहते हैं, जब उसमें फलियाँ आती हैं और यववुस-काल जी का वुस तैयार होने का समय माना जाता है। ये कृपको के अपने शब्द थे। इन कालों में जिन ऋणों का प्रतिदान होता था, उन्हें क्रमशः कलापक, अववत्थक और यववुसक कहते थे।

सूत्र ६-१-८९ के वा० ७ के उदाहरणों में भाष्यकार ने वत्सतराणं, कम्बलार्ण और वसनार्ण तथा वा० ८ में ऋणार्ण तथा दशार्ण का उल्लेख किया है। ये शब्द इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सामान्य ग्रामीण किन-किन बातों के लिए प्रायः ऋण लेता था। खेती के लिए बेल खरीदना सबसे आवश्यक बात थी। इसके बाद अपना शरीर ढकने की बात उठती थी। शीत में एक कम्बल चाहिए। घर में वसन चाहिए। स्वयं के लिए वसन आवश्यक है। यदि किसी साल उपज न हुई, तो वस्तुएँ भी ऋण लेकर खरीदनी पड़ती थी। पुराना ऋण चुकता न हो सका तो दूसरे साहूकार से उधार लेकर पहले का ऋण चुकाने का प्रबन्ध किया जाता था, अन्यथा अर्वा पुरी होने पर व्याज के मूलधन में जुड़ जाने से चक्रवृद्धि भी देनी पड़ती और साख भी मारी जाती। दशार्ण का सम्बन्ध दशैकादश ऋण से मालूम होता है। दशैकादश की किस्त अदा न कर सकने की स्थिति में उसे चुकाने के लिए किसी अन्य से उधार लिया हुआ दूसरा दशार्ण हो सकता है। प्रार्ण बड़े ऋण को कहते थे, जो विवाहादि बड़े अवसरो पर लिया जाता था। प्रार्ण को छोड़कर ये शेष ऋण ग्रैष्मक या आग्रहायणिक ही होते थे।

आपमित्यक—डॉ० वा० श० अग्रवाल ने अन्न-ऋण को आपमित्यक प्रथा कहा है, जिसका प्रचलन अर्थशास्त्र-काल में भी मालूम होता है। कौटिल्य ने आपमित्यक का भी उल्लेख किया है। 'आमित्यक' ऋण में प्राप्त अन्न को उसी परिमाण में लौटाये जाने को कहते थे। सम्भव है, पाणिनि-काल में यह प्रथा रही हो, किन्तु पाणिनीय सूत्रों से इस बात का समर्थन नहीं होता। 'अपमित्य-याचिताम्या कक्कन्नौ' (४-४-२१) और 'उदीचामाडो व्यतीहारे' (३-४-१९) ये दोनों सूत्र, जिनके सहारे उक्त मत का प्रतिपादन किया गया है, केवल इतना बतलाते हैं कि उत्तर के विद्वानों के मत से 'माँगकर बदलता है' के बदले 'बदलकर माँगता है' प्रयोग भी ठीक है। व्यतीहार वस्तु या क्रिया की दो व्यक्तियों में अदला-बदली को कहते हैं। भेड़ घातु का प्रयोग भी विनिमय अर्थ में होता है। विनिमय तात्कालिक अदला-बदली की ओर संकेत करता है। प्रतिदान की ध्वनि इसमें से नहीं निकलती।

१. ४-३-४९।

२. वही।

३. कालादिति वर्तते, न च कलापी नापकालोऽस्ति। नैव दोषः साहचर्यान्ताच्छब्दं भविष्यति। कलापि सहचरितः कालः कलापीकाल इति १-४-३-४८, पृ० २३५।

परिक्रयण—जब कोई अवमर्ण घन के बदले में घन का प्रतिदान नहीं कर सकता था, तब वह एक निश्चित समय के लिए अपना या अपने परिवार का श्रम उत्तमर्ण को सौंप देता था। यह पद्धति परिक्रयण' या वत्स कहलाती थी, जैसे सौ से बाँधा हुआ। अवमर्ण उत्तमर्ण के पास कर्मकर बनकर रहता था और ऋण के भर-पाई हो जाने पर मुक्त हो जाता था।

किसी-किसी ऋण के बदले में किसान अपनी दूध देती गाय का दूध उत्तमर्ण को दे देता था। गाय को खिलाता-पिलाता स्वयं था, किन्तु दूध दुहाने के लिए उसे उत्तमर्ण के पास भेज देता था। ऐसी गाय 'घेनुष्या'^१ कहलाती थी।

१. परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतमस्याम् ।-१-४-४४ तथा अकर्त्तयूणे पञ्चमी । २-३-२४; शताद्वयः ।

२. संज्ञायां घेनुष्या या घेनुस्तमर्णाय ऋणप्रदानाद्दोहनार्थं दीयते सा घेनुष्या ।-४-४-८९ ।

अध्याय ९

श्रम और श्रमिक

श्रमिक—भाष्य के अनुसार शारीरिक श्रम से जीविका चलानेवालों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—शिल्पी और श्रमिक। शिल्पी-वर्ग पर पीछे चर्चा हो चुकी है। श्रमिक वे कहे जाते थे, जिनमें किसी व्यवसाय या कौशल की योग्यता नहीं होती थी। इसलिए, वे निर्वाहार्थ किसी घनी, व्यवसायी, कृषक या शिल्पी आदि को अपना शारीरिक श्रम बेचकर उसके बदले में द्रव्य, अन्न, वस्त्र या इसी प्रकार के उदर-पूर्ति के साधन प्राप्त करते थे। श्रम को खरीदनेवाले स्वामी को अर्थ कहते थे।^१ निश्चित धन-राशि देकर निश्चित अवधि के लिए व्यक्ति का श्रम खरीद लेनेवाला व्यक्ति 'अवक्रेता' कहलाता था और क्रय की इस प्रकार की क्रिया 'परिक्रयण' कही जाती थी। सौ, पाँच सौ या हजार कार्षापण पर साल, दो, साल या अधिक के लिए श्रमिक नियुक्त कर लिये जाते थे।^२ यह एक प्रकार से ठीके की पद्धति थी, क्रय नहीं।

श्रमिकों के भेद—सेवा और पारिश्रमिक की दृष्टि से श्रमिकों के भेद किये जा सकते हैं। भाष्य में उनके अनेक नाम मिलते हैं। उदाहरणार्थ—कर्मकर, मूतक, परिक्रीत, भृत्य, प्रसाधक, दास और भाक्तिक। श्रमिक को नियुक्त करना भी 'उपनयनकर्म' कहलाता था, जिसका अर्थ था 'वेतन देकर पास लाना'।^३ वेतन का दूसरा नाम 'भृति' भी था।

वेतन की दर—कर्मकर निश्चित वेतन पाते थे। दूसरों के घर काम करने जानेवाले शिल्पी का दैनिक पारिश्रमिक भी वेतन कहलाता था। वेतन पर नियुक्त कर्मकर 'वैतनिक' कहे जाते थे। वेतन के रूप में ३ कार्षापण देने की प्रथा थी।^४ इस प्रकार सामान्यतया कर्मकर को ७३ कार्षापण मासिक वेतन मिलता था। मूतक और भृत्य प्रायः समानार्थी थे। मूतकों के भी पादिक (३ कार्षापण^५) का उल्लेख भाष्य में कई बार मिलता है। स्वामी का कर्तव्य माना जाता था कि वह कर्मकर के भरण-पोषण की व्यवस्था करे। इसलिए, भृत्य को भरणीय भी कहते थे।^६

१. ३-१-१०३, पृ० १८२।

२. परिक्रयणं नियतकालं वेतनादिना स्वीकरणं नात्यन्तिकः क्रय एव।—१-४-४४ काशिका।

३. १-३-३६ काशिका।

४. ४-४-१२।

५. कर्मकराः कुर्वन्ति पादिकमहर्लस्यामह इति।—१-३-७२, पृ० ९०।

६. याजका अन्तरेणापि यजिं गालभन्ते भूतकाश्च पादिकम्।—वही।

७. ३-२-१, पृ० २५४।

परिक्रयण के द्वारा नियुक्त कर्मकर को परिक्रीत कहते थे। पारिवारिक आवश्यकता होने पर निर्बन्ध परिवार धनी से जो ऋण लेते थे, उसके बदले वे स्वयं या परिवार के किसी सदस्य को धनी का कर्मकर बनाकर ऋण चुकाते थे। ऋण राशि की भरपाई हो जाने पर कर्मकर स्वतन्त्र हो जाता था। भारत के अनेक भागों में यह प्रथा अभी तक प्रचलित रही है और 'कर्मकर' शब्द ने 'कमकर' रूप ग्रहण कर लिया है।

वेतन की साधारण दैनिक दर 'पादिक' थी, किन्तु कार्य के अनुसार उसमें अन्तर भी रहता था। मासिक दर दैनिक की दृष्टि से कुछ भिन्न रहती थी। कभी-कभी मासिक वेतन पाँच कार्षापण दिया जाता था, कभी छह और कभी दस तक। कर्मकरो के नाम भी उनके मासिक वेतन के अनुसार चल पड़ते थे। जैसे, पाँच कार्षापण मासिक पानेवाले कर्मकर पचक कहे जाते थे, इसी प्रकार सप्तक या अष्टक नाम होते थे।^१ दास रात-दिन स्वामी की सेवा में उपस्थित माने जाते थे। उनके दैनिक वेतन निश्चित नहीं किये जाते थे। इनपर स्वामी का पूरा अधिकार रहता था और यह पद प्रायः कुत्सा का बोधक बन गया था। इसीलिए, 'दास्या पुत्र' शब्द व्यक्ति की निम्नता प्रकट करने के लिए ही प्रयुक्त होता था। स्त्रियाँ भी दासी होती थी और उनकी सन्तानें 'दासेर' कहलाती थी।^२ दासेर शब्द भी निन्दा का बोधक था, क्योंकि रात-दिन परिवार में रहने के कारण वे कभी-कभी स्वामी की कामुकता की पात्र बन बैठती थी। भाष्य में दो स्थानों पर दासी के प्रति कामुकता का उल्लेख है, यद्यपि इसे अशिष्ट व्यवहार माना है। दास-दासियों को भोजन-वस्त्र मिलते थे और यदा-कदा डाँट-फटकार। ये ही तीन बातें उनके कार्य की प्रेरक थीं। उनकी स्वभूति की परिभाषा में भक्त, चेल और डाँट से वचाव ही सम्मिलित थे।^३ दास और कर्मकर की स्थिति एक दूसरे से बहुत भिन्न थी।^४ यह बात इससे स्पष्ट है। भाक्तिक लोग केवल नियमित भोजन पाते थे।^५ सम्भवतः ये निम्न श्रेणी के कर्मचारी थे, जो हल जोतते थे और दिन में कुछ घण्टे काम करते थे। भाक्तिक हल जोतनेवालों का उल्लेख सूत्र ३-१-२६ के भाष्य में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि चुपचाप बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी कहा जाता है कि वह पाँच हल की खेती करता है; क्योंकि खेती करने का अर्थ हल चलाना ही नहीं है, जो भक्त, बीज और बैलों की व्यवस्था करता है, वह भी कृपक माना जाता है। इससे हल जोतने के लिए भाक्तिक श्रमिकों को नियुक्त करने की प्रथा का पता चलता है।^६ आज भी इस प्रकार के कर्मचारी गाँवों में पाये जाते हैं। ये लोग प्रायः पारिवारिक (घर के भीतरी) काम करते हैं।

भाष्य में श्रमिकों के कुछ कामों की ओर भी संकेत है। प्रसाधक स्वामी की सेवा-टहल

१. ५-१-५६ ।

२. १-३-५५, पृ० ६९ तथा २-३-६९, पृ० ४५६ तथा ४-१-१४४, पृ० १३८ ।

३. यदेतद्दासकर्मकर नामैतेऽपि स्वभूत्यर्थमेव प्रवर्तन्ते भक्तं चेलं च लप्स्यामहे परि-
भाषाश्च न नो भविष्यन्ति ।-३-१-२६, पृ० ७७ ।

४. ४-१-१६८, पृ० १६२ ।

५. ४-४-६८ तथा भक्तबीजबलीवर्द्धः प्रतिविधानं करोति ।-३-१-२६, पृ० ७३ ।

६. वही ।

करते थे? तेल मालिमा करना, गहलाना, हाथ-पाँव धराना जैसे कार्य इनके थे। स्वामी के चारों ओर मुक्त के लिए इनकी नियुक्त होती थी और ये सभी परिवारों की घोषणा थे। 'उत्तर' राजाओं या शक्तियों का छत्र लेकर चलते थे। 'उत्तर' या 'उत्तर' शक्ति भरी भरी के लिए नियुक्त होते थे। कार्य के वस्तु को होनेवाला 'वीरविक' भारतीय प्रान्तों के लिए बहुत पुराना है। कार्य के सहारे अधिक दूना बोझ के जा सकता है। कल्या के घर से उद्देश की मानशी भेजने में शक्ति की वीरविक में ही काम लिया जाता है। 'नक्षत्र' जीवन पकाने का काम करते थे। 'अगर्व' गाँव के प्रमुखों को प्रत्येक काल में जाते थे और सार्वकाल को लौटा जाते थे। 'अगर्व' बोझ होने का काम करते थे। वंशवार शक्ति मारी बोझ के लिए, विपत्तियों वरत लगभग निश्चित था, व्यवहृत होता था। 'प्रेम' एक गाँव से दूसरे गाँव मन्त्रों के जाते, निम्नत्व या शान्तत्व पहुँचाते और एक ही गाँव के भीतर उन्मुख, मन्त्रों के जाने-ले जाने और आवाचित काम करने के लिए होते थे। एक प्रेष कई स्वामियों का काम करता था। आज भी नाई माली, वीर आदि इन प्रकार के कामों के लिए नियुक्त किये जाते हैं। कई स्वामियों के बीच नियुक्त एक प्रेष पानी-पानी में उनका काम करता था। कभी-कभी दो स्वामी एक साथ दो निम्न विद्याओं में कार्य के लिए जाने की आज्ञा देते थे। ऐसी स्थिति में यदि वह एक में विरोध नाल नहीं लेना चाहता था तो वह दोनों के काम को टाल देता था। ऐसा न करने में उन दोनों स्वामियों के आग्रह में झगड़ जाने का भय होता था या किसी एक के क्रोध-गत्र बनने की आशंका रहती थी।

शक्तियों के नाम—उत्तर कहा जा चुका है कि शक्तियों का उनके वेतन के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था। पाँच, छह या दस काषियप परिवारों पंचक, नक्षत्र, दशक अथवा पंचक नामिक, नक्षत्र नामिक या दशक नामिक कहे जाते थे, किन्तु इनके अतिरिक्त वे जितने पंचक के लिए नियुक्त किये जाते थे, उनके आधार पर भी उनके नाम पड़ जाते थे। उदाहरणार्थ, विप अथवा एक को चार-दो छठे प्रतिदिन पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता था, उसे नामिक अथवा एक कहते थे। इसी प्रकार जिन कर्मकरों को प्रतिदिन कुछ घण्टे काम करने के लिए नियुक्त किया जाता था उसे नामिक कर्मकर कहते थे। कर्मकरों की नियुक्ति नामिक आधार पर होती थी। पुरुष

१. मुक्त देवयते प्रसाधको देववत्सल्य ।-२-१-१८, पृ० २५४ ।

२. ६-२-३५ ।

३. ६-२-६० ।

४. ४-४-१७, पृ० २७५ ।

५. १-३-३२, पृ० ९० ।

६. ५-२-१४, पृ० ३७१ ।

७. ५-१-५० ।

८. ६-१-८५, पृ० १२१ ।

९. ५-४-११६, पृ० ५०९ ।

१०. तनवीष्योभूतो भूतो भवी नह्यसौ माममधीते। किं तर्हि? मुहूर्तनमावधीष्यो-
वासं तन्मम करोति। मातायां मुहूर्तो नासः ।-५-१-८०, पृ० ३३९ ।

कर्मकर दैनिक पारिश्रमिक पर खुला काम भी करते थे। कर्मकर का मास पचास मास से भिन्न भी हो सकता था। जिस तिथि से उसे नियुक्त किया जाता था, उससे लेकर अगले मास की उसी तिथि तक का मास उसके वेतन के लिए गिना जाता था, जो सबत्सरो मास से भिन्न होता था। यह मास भूतकमास कहलाता था।^१ मास के अतिरिक्त दो, तीन या अधिक दिनों के लिए, वर्ष-भर या दो, तीन या अधिक वर्षों के लिए या सबत्सरो (भूतक वर्ष से भिन्न) या अधिक संवत्सरो के लिए करार द्वारा नौकर रखे जाते थे।^२ कृषि के कर्मकरों पर यह बात विशेष रूप से लागू होती थी। किसान का वर्ष वर्षों से प्रारम्भ होता है, इसलिए वार्षिक कर्मकर आपाठ से ज्येष्ठान्त तक काम करता था। सावत्सरिक चैत्र से फाल्गुन तक के लिए नियुक्त किया जाता था। समीन वर्ष के किसी महीने से नियुक्त किया जाता था और नियुक्ति के मास तथा तिथि के बाद वर्ष-भर काम करता था। जितने समय के लिए ये लोग नियुक्त किये जाते थे, उसी के आचार पर इनके भेद किये जाते थे। उदाहरणार्थ—समीन, द्विसमीन या द्वैसमिक। द्विरात्रीण या द्वैरात्रिक, द्वयहीन या द्वैयह्निक, द्विसवत्सरीण या द्विसवत्सरिक, द्विवर्षीण, द्विवर्ष या द्विवापिक आदि। इस प्रकार, वेतन और नियुक्ति की अवधि के आचार पर कर्मकरों का वर्गीकरण भाष्य में पाया जाता है।

भूति पर काम करनेवालों के अतिरिक्त कुछ और लोग थे, जो अपने पारिभाषिक अर्थ में न तो शिल्पियों में परिगृहीत होते हैं और न श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। इनमें दन्त-लेखक (दाँतों को रंगनेवाले), नख-लेखक (नाखून रंगनेवाले), अवस्कर-शोधक, आदि का सकेत अष्टाध्यायी में और नामोल्लेख काशिका में मिलता है।^३ इस प्रकार के अन्य जीविकार्थी भी रहे होंगे, यह सुनिश्चित है। खेतिहर मजदूरों का उल्लेख कृषि के प्रकरण में हो चुका है।

शीतक-उष्णक—कर्मकर यद्यपि काम के लिए ही भूति या वेतन पाते थे, तथापि वे सदा ईमानदारी से काम करते ही, ऐसी बात नहीं थी। कुछ कर्मकर कर्म में ध्यान नहीं देते थे और देखते रहते थे कि कहीं स्वामी तो नहीं आ रहा है। उनका ध्यान दूर से स्वामी के ललाट की ओर रहता था और उसे देखते ही वे दिवावे के लिए काम में व्यस्त होने का अभिनय करने लगते थे। इस प्रकार, के कर्मकरों को 'लालाटिक'^४ कहते थे। उसी प्रकार कुछ लोग बहुत धीरे-धीरे काम करते थे और एक दिन का काम दो दिन में समाप्त कर पाते थे। ऐसे श्रमिकों को 'शीतक'^५ संज्ञा दी गई थी। साधारण से अधिक फुरती से काम करनेवाले चतुर श्रमिकों को 'उष्णक'^६ कहते थे, जो शीघ्र करने योग्य कामों को शीघ्र ही कर डालते थे।

१. सबत्सरोपर्वणीति वक्तव्यं स्यात्, भूतकमासे माभूत् ।—४-४-२१, पृ० १७३।

२. ५-१-८५, ८६, ८७, ८८।

३. ६-३-७३।

४. ३-२-२२।

५. ४-४-६६ काशिका।

६. य आशु कर्तव्यानर्थादिचरेण करोति स उच्यते शीतक इति। यः पुनरावु कर्तव्या-
नर्थानाश्वेव करोति स उच्यते उष्णक इति।—५-२-७२, पृ० ३९७।

७. वही।

राजकर्मी मनुष्यों का भाष्यकार ने एकाविक वार स्वतन्त्र उल्लेख किया है। इन नीकरो में परस्पर ईध्या रहती थी और वे केवल दिवावे के लिए काम करते थे। एक काम कर लिया, तो दूसरा करने में आनाकानी करते थे। यदि उनसे किसी ने कहा कि लो यह कट तो बनाओ, तो चुरन्त उत्तर मिलेगा—'अब मैं कट नहीं बनाऊंगा। मैंने अभी घड़ा ला दिया है।' उन्हें तो काम का बहाना चाहिए।^१ एक स्थान पर राजकर्म करनेवाले तक्षा के विषय में कहा है कि राजा का काम करके फिर वह अपना काम नहीं कर सकता। उसे सारा समय वहीं लगाना पड़ता है।^२ राजपुरुष कहने का आशय ही यह है कि वह पुरुष राजा को छोड़कर और किसी का नहीं है। अन्य स्वामियों की निवृत्ति उसके नाम से ही हो जाती है।^३

श्रमिक नियमित परिश्रम द्वारा जीविकार्जन करते थे, किन्तु ऐसे लोगों की सख्या कम न थी, जिन्हें परिश्रम स्वीकार्य न था। ये लोग या तो माँगकर खा लेते थे या चुरा लेते थे। माँगनेवालों की सख्या अविज्ञान पड़ती है। भोजन तैयार हुआ कि वे आ गये। फिर भी, भोजन तो चढ़ाना ही पड़ता है। भिक्षुको के कारण बटलोई चढ़ाना तो बन्द नहीं किया जा सकता।^४ यह बात तत्कालीन याचकाविक्रय की ओर संकेत करती है। फिर, पेट भर जाने पर भी इन भिक्षुकों को संतोष नहीं होता। दूसरे घर पर्याप्त मिल गया, तो भी वे पहला घर नहीं छोड़ सकते। सचय^५ में लग जाते हैं।

जो लोग विना परिश्रम किये सेंब लगाकर मालमत्ता निकाल ले जाते थे, वे थे ब्रात। ये लोग झुण्ड-के-झुण्ड साथ रहते थे। इनके रहने का न तो निश्चित स्थान था और न जीविका के लिए निश्चित वृत्ति। अवसर पाकर ये लोग चोरी करते थे। ब्रातों की अनेक जातियाँ थीं—जैसे कपोतपाक^६ या कपोतपाक्य, कौञ्जायन आदि। इनके अपने संघ थे। ये लोग प्रारम्भ में आयुष-जीवी थे और धीरे-धीरे इस रूप को प्राप्त हो गये। सम्भवतः, इनकी स्थिति बही रही होगी, जो कुछ समय पूर्व तक कंजड़ो, बनचारों, पासियों आदि की रही है। ब्रात-कर्म से जीनेवाले को ब्रातीन कहते थे।^७

१. १-४-५०, पृ० १७४।

२. पुरुषोऽयं परकर्मणि प्रवर्तमानं स्वं कर्म जहाति। तद्यथा तक्षा राजकर्मणि प्रवर्तमानः स्वं कर्म जहाति।—२-१-१, पृ० २३९।

३. २-२-१, पृ० २४०।


४. १-१-३९, पृ० २५३।

५. २-१-१, पृ० २४१।

६. ५-३-११३।

७. ब्रातेन जीवति, ब्रातेन जीवतीत्युच्यते किमिदं ब्रातं नाम? नानाजातीया जतियत वृत्तयः उत्तेवजीविनः सङ्घाः ब्राताः। तेषां कर्म ब्रातम्। ब्रातकर्मणा जीवतीति ब्रातीन।—५-२-२१, पृ० ३७२।

खण्ड ५
राजनीतिक स्थिति



अध्याय १ राजतन्त्र शासन

राजाओं की श्रेणियाँ—ऐतरेय ब्राह्मण (८-१४) में राज्य, वैराज्य, स्वाराज्य, भौज्य और साम्राज्य ये राज्य के क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्वरूप वतलाये हैं। इनके शासकों की उपाधियाँ राजा, विराट्, स्वराट्, भोज और सम्राट् थीं। राजा सामान्य नाम था और विशिष्ट ऐश्वर्य की ओर संकेत न करना होता, तो राजा शब्द इन सबके लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त हो सकता था। चाहे इस कारण से हो या इसलिए कि पतञ्जलि के समय में शेष सब का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, भाष्य में केवल राज्य के अवीश्वर का ही उल्लेख किया गया है। सम्राट् और साम्राज्यादि शब्द भाष्य में नहीं आये हैं। भोज, भोजपुत्री, भोजदुहिता शब्द, जहाँतक अनुमान है, जनपद-विशेष के शासक के सम्बन्ध में ही व्यवहृत हुए हैं। ये शासक अन्वक-वृष्णि थे, भौज्य के अवीश्वर नहीं।^१

राजा के गुण—राजा नृपति कहा गया है। यह शब्द ही राजा के मुख्य कर्तव्य और महत्त्व का परिचायक है। भाष्यकार ने उससे सम्बद्ध ऋग्वेद का जो वाक्य उद्धृत किया है, वह भी यह स्पष्ट करता है कि राजा शुचि तथा नृपालक होने से ही उक्त पद का अधिकारी माना जाता था।^२ यही उसका नार्पत्य था, जिसका उल्लेख भाष्यकार ने अनेक वार किया है।^३ नृप शब्द भाष्य में केवल एक वार आया है।^४ पृथ्वी का ईश्वर होने के कारण वह पार्थिव कहलाता था। पाणिनि के सार्वभौम के दर्शन भाष्य में नहीं होते।^५ इन और ईश्वर शब्दों को भी भाष्यकार ने राजा का पर्यायवाची माना है।^६ इनमें ईश्वर शब्द सामान्यतया स्वामी के अर्थ में व्यवहृत होता था। ऐश्वर्य, ईश्वरत्व या ईश्वरभाव ईश्वर का गुण है। उसका यह ईश्वरत्व उसी 'स्व' या सम्पत्ति पर लागू होता था, जो उसके अचीन थी। पाणिनि द्वारा स्वामी, ईश्वर और अधिपति का एक साथ उल्लेख, जिन्हें भाष्यकार ने पर्याय माना है, इस कथन का पोषक है। इसी अर्थ में पतञ्जलि ने

१. ६-३-७०, पृ० ३४।

२. त्वं नृणां नृपते जायते शुचिः।—ऋग्वे० २-१-१—६-१-१७७, पृ० २२०।

३. ८-३-१५, पृ० ४०८।

४. ५-१-४५, पृ० ४५२।

५. ५-१-४१, ४२।

६. सभाराजामनृष्यपूर्वा पर्यायवचनस्यैव ग्रहणं भवति। किं प्रयोजनम्? राजाद्यर्थकम् इनसभम्, ईश्वरसभम्। तस्यैव न भवति—राजसभा। तद्विशेषणानां च न भवति—पुष्यमित्र-सभा। चन्द्रगुप्तसभा।—१-१-६८, पृ० ४३४।

ब्रह्मदत्त को पचाल का ईश्वर या अधि (पति) कहा है और पचाल को देवदत्त में आधृत (अधि)। अर्थशब्द भी इसी कोटि का है और इन सबका प्रयोग यदि राजा अर्थ में मिलता है, तो औपचारिक रीति से। पाणिनि-सूत्र १-४-४७ तथा २-३-९ तथा उनसे सम्बद्ध भाष्य में ईश्वर राजा का पर्याय नहीं है। ईश्वर शब्द भाष्य में वेद के लिए भी आया है।^१ वह भी औपचारिक अर्थ में ही है।

राजन्वान देश—राजाओं को उनके गुणों के अनुसार पूजित या क्षेप का विषय माना जाता था। सुराजा और किराज शब्द क्रमशः उक्त अर्थों में प्रयुक्त होते थे।^१ अतिराजा शब्द भी राजा की महत्ता का द्योतक था। जिस देश में शान्ति एवं सुव्यवस्था होती थी तथा राजा अच्छा होता था, उस देश को राजन्वान कहते थे।^५

राजन्य—राजा सामान्यतया क्षत्रिय होते थे, इसीलिए राजा के अपत्य के लिए प्रयुक्त होनेवाला राजन्य शब्द कात्यायन-काल के आते-आते क्षत्रियवाचक बन गया था। पतंजलि ने राजन्य को जातिवाचक माना है, यद्यपि पाणिनि-काल में वह केवल राजपुत्र का बोधक था।^१ क्षत्रियभिन्न राजपुत्र को राजन कहते थे। भाष्यकार ने राजन्य शब्द का प्रयोग सर्वत्र क्षत्रिय अर्थ में किया है।^१ वास्तव में क्षत्रिय अर्थ में प्रयुक्त होने पर भी पहले यह शब्द मूर्धाभिषिक्त क्षत्रियों के वश्यों के लिए ही प्रयुक्त होता था, सामान्य क्षत्रिय के लिए नहीं।^५ पचाल आदि जनपदों के प्रतिष्ठापक और शासक सब क्षत्रिय थे। इसीलिए, जनपदों और उनके निवासी क्षत्रियों तथा उनके राजा के लिए एक ही शब्द काम में आता था। पचाल जनपद के निवासी क्षत्रिय और उनका राजा दोनों पाचाल कहलाते थे।^६

राज-परिवार—महाभाष्य में राजा के पारिवारिक सदस्यों तथा उनकी पद-प्रतिष्ठा के विषय में भी संकेत है। राजाओं का समूह राजक, राजन्यों का राजन्यक तथा राजपुत्रों का राजपुत्र कहलाता था।^१ पाच, दस तथा अनेक राजाओं के समूह को व्यक्त करने के लिए 'पचराजम्,

१. यस्य चैश्वर्यमीश्वरतेश्वरभावस्तस्मात् कर्मप्रवचनीययुक्तात्, अधिब्रह्मदत्ते पञ्चालाः आधृतास्ते तस्मिन् भवन्ति अधिब्रह्मदत्तः पञ्चाशेषु। आधृतः सतेषु भवति—२-३-९, पृ० ४-१-२।

२. १-१-४७, पृ० २८७।

३. २-१-१, पृ० २५६।

४. ८-२-१४।

५. राज्ञां पत्ये जातिग्रहणं कर्तव्यम् राजन्यो नाम जातिः। क्व साभूत् राजन इति।—४-१-१३७, पृ० १४४।

६. ८-२-८३, पृ० ३८८।

७. ६-२-३४, काशि०।

८. ४-१-१६८, पृ० १६३।

९. ४-२-३९, पृ० १७८।

दशराजम्' आदि शब्द भाष्य मे आये हैं।^१ पाटलिपुत्र, मगध, मद्र, कश्मीर आदि के राजाओं का पतञ्जलि ने विशेषतः उल्लेख किया है।^२ राजमहिषी अपनी ज्ञान तथा सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध होती थी। इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है कि दूर पर अव्यक्त मनुष्याकार सौन्दर्य देखकर लोग अनुमान करते हैं कि यह महिषी का या ब्राह्मणी का रूप है।^३ राजा की महिषी से भिन्न पत्नियों राजदारा कहलाती थी। इन्हे राजप्रासाद से बाहर जाने का अवकाश प्राप्त नहीं होता था, इसलिए ये असूर्यम्पद्या होती थी।^४ राजदारा के लिए राजस्त्री शब्द भी प्रयुक्त हुआ है।^५ राजन या राजन्य के अतिरिक्त राजपुत्री का भी विशेष स्थान था।^६ उत्तरकालीन संस्कृत-साहित्य में राजपुत्रियों के पालन-पोषण एवं शिक्षण-संस्कार के विषय मे अनेक उल्लेख मिलते हैं। कथा-सरित्सागर एवं राजतरंगिणी में राजकन्यका के महत्त्वपूर्ण स्थान का वर्णन है। राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र राजकुमार होता था। इसकी वयस्कता-कवच-धारण काल से मानी जाती थी। वयस्क राजकुमार कवचहर कहलाता था।^७ राजकुमारी और राजकुमार राजा की विवाहिता पत्नी की ही सन्तान होते थे।^८ इनमे राजा का प्रथम उत्तराधिकारी 'राजप्रत्येना' कहलाता था।

राज-परिचर—पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त राजा के प्रासाद मे तथा बाहर कर्मचारियों की बड़ी सख्या रहती थी। ये राजपुरुष कहलाते थे और इन्हे राजा की ओर से विशेष-सम्मान प्राप्त रहता था। यहाँतक कि राजपुरुष-पुत्र तक इस सम्मान के भागी होते थे। भाष्य मे तो राजपुरुष-पुत्रों के भी कर्मचारियों का सादर उल्लेख मिलता है। राजा मानवो मे श्रेष्ठ या मौलस्थि था। इसलिए, किसी वर्ग या वस्तु की श्रेष्ठता व्यक्त करने के लिए उसके पूर्व राज शब्द का प्रयोग विशेषण रूप मे किया जाता था। राजाश्व ऊँची जाति के राजा के अश्वों के लिए प्रयुक्त होता था। यहाँतक कि राजमाष, राजदन्त (अगला बड़ा दाँत) आदि शब्दों मे राज शब्द केवल श्रेष्ठता के द्योतन के लिए जोड़ा जाता था।

राजपुरुषों मे द्वारपाल, छत्रधार और चामरग्राह प्रमुख थे।^९ वावन् या सदेशहर का स्थान भी अवश्य ही महत्त्वपूर्ण रहा होगा। अश्वगो मे वह शीघ्र जानेवाला होता था।^{१०} ये कर्मचारी 'नियुक्त' श्रेणी के थे। चमर चमरी जाति की मृगी के बालों से बनाया जाता था। भाष्य मे केशों के लिए चमरी के मारे जाने का उल्लेख है। राजा के व्यक्तिगत सेचकों मे परिचारक,

१. २-२-११, पृ० १४६ तथा २-१-२, पृ० २६३।

२. ४-१-१, पृ० ११।

३. १-२-६, पृ० ६०४।

४. असूर्यम्पद्यानि मुखानि।—३-२-८०, पृ० २२९।

५. १-१-७२, पृ० ४५७।

६. ६-३७०, पृ० ३४७।

७. ३-२-१०।

८. ४-१-१, पृ० १२।

९. ३-२-१, पृ० २०१।

१०. वावन्नश्वगानां शीघ्रतमः।—२-२-१० काशि०।

परिपेचक, स्नापक, उत्सादक और उद्वर्त्तक थे नाम याजकादिगण मे मिलते हैं।^१ इसी प्रकार महिष्यादिगण मे प्रलेपिका, विलेपिका, अनुलेपिका, मणिपाली, अनुचारक और भृत्यो का परिगणन है।^२ अन्त पुर मे स्त्रियर्था ही परिचारिकाएँ रहती थी। रैवत्यादिगण (४-१-१४६) मे अश्वपाली, मणिपाली, द्वारपाली और दण्डग्राह नाम आये हैं। राजा के अन्य सामान्य कर्मचारी राजकर्मों कहलाते थे, जिनमे तक्षा से लेकर कुलाल और कटकार तक सम्मिलित थे। इन लोगो को सम्मान-विशेष के प्रदर्शन के लिए राजतक्षा और राजनापित आदि कहा जाता था।^३ विलेपिका के कार्य और उसे प्राप्त होनेवाले वेतन को विलेपिक कहते थे। राजा की स्नान-सामग्री तथा स्नान-व्यवस्था की देखरेख के लिए भी एक निरीक्षक अधिकारी होता था जो, सौस्नातिक कहलाता था। इसी प्रकार शय्यागृह का निरीक्षक अधिकारी सौखशायिक होता था। रात्रि मे राजा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी अधिकारी को सौखरात्रिक कहते थे।^४ राजा के पशुओं की रक्षा करने के लिए गोवल्लव, अश्ववल्लव आदि अधिकारी रहते थे। उनकी सख्यादि की लिखा-पढी और गणना के लिए नियुक्त कर्मचारी गोसख्य, अश्वसख्य और पशुसख्य आदि कहलाते थे।^५

राज्याभिषेक—राजा अभिषेकपूर्वक सिंहासनारूढ किया जाता था। इस अवसर पर उसे राजसूय यज्ञ करना पड़ता था। इस यज्ञ के पश्चात् ही राजा के रूप मे उसका प्रादुर्भाव होता था, इसीलिए इस यज्ञ का नाम राजसूय था।^६ शतपथ ब्राह्मण (५-१-१-१२) मे भी इसका उल्लेख है। राजसूय सामान्य राजा का यज्ञ था। सम्राट् को राज्याभिषेक के समय वाजपेय यज्ञ करना पड़ता था। भाष्य मे राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध का नाम आया है, यद्यपि पुनरभिषेक और ऐन्द्र महाभिषेक की चर्चा उसमे नहीं है।

रत्निगण—राजा के रत्नियो मे सेनानी का स्थान प्रथम था।^७ न केवल सेनानी अपितु, सेनानिकुल प्रतिष्ठा का पात्र था।^८ सेनानिपुत्र,^९ सेनानीकुमारी, सेनानीकुमारी-पुत्र^{१०} सब विशेष सम्मान के अधिकारी माने जाते थे। इससे यह भी अनुमान होता है कि राजा के समान सेनानी का पद भी यथासम्भव पतृक होता था। पुरोहित के विषय मे विशेष जानकारी भाष्य मे नहीं मिलती।^{११}

१. केशेषु चमरीं हन्ति।—२-३-३६, पृ० ४३१।
२. ४-४-४८।
३. १-४-४९, पृ० १७४ तथा २-१-१, पृ० २३९।
४. ४-४-१, पृ० २७३।
५. ६-२-५२, पृ० २७०।
६. राजा सोतव्यः राजा वा इह सूयते इति राजसूयः ऋतुः।—३-१-४४ काशिका।
७. १-१-६०, पृ० ३९२।
८. १-१-३९६।
९. ६-१-७७।
१०. १-२-४८, पृ० ५४४, ४५।
११. ५-१-१२८।

सूत, सूतपुत्री, सूतदुहिता, सूतपुत्र, ग्रामणी, ग्रामणिपुत्र, ग्रामणिकुल^३ आदि का उल्लेख भाष्य में अनेक बार हुआ है। ग्रामणी सामान्यतया वैश्य होता था।^१ यद्यपि मुख्य ग्रामरक्षक के रूप में उसका सैनिक होना भी सम्भावित है। वह गाँव के मुखिया के रूप में ग्राम तथा राजा के बीच की कड़ी था। भाष्य में सेनानी और ग्रामणी तथा सूत और ग्रामणी का बार-बार साथ उल्लेख आने से सहज अनुमान होता है कि ये तीन पद राज्य में बहुत अधिक महत्त्व के तथा परस्पर निकट रूप से सम्बद्ध थे।^४ रत्नी लोग राजकृत्वा कहलाते थे; क्योंकि अभिषेक-काल में इन सबकी स्वीकृति से ही राजा सिंहासन पर बैठता था।^५

मन्त्रिपरिषद्—राजा की सलाहकार-परिषद् में अमात्य रहते थे। महामात्र परिषद् का प्रमुख होता था। वह प्रधान मंत्री के नाते सब मंत्रियों के ऊपर था। महाभारत में सुमन्त्र और सजय महामात्र कहे गये हैं, यद्यपि वे सूत थे।^६ राजा अमात्यो से परामर्श अवश्य करता था, किन्तु निर्णय करने में स्वतन्त्र था। विशेष परिस्थितियों में राजा परिषद् के स्थान पर केवल महामात्र से परामर्श करता था। ऐसे परामर्श अत्यन्त गुप्त होते थे और अपेक्षणीय^७ कहलाते थे। अमात्य राजा के अधीन काम करते थे। वे राजा की उपस्थिति में परतन्त्र होते थे, किन्तु किसी विषय में राजा द्वारा निर्णय ले लिये जाने पर उसे कार्यान्वित करने में स्वतन्त्र रहते थे। इसीलिए, भाष्यकार ने अमात्यो को राजा के समवाय में परतन्त्र और व्यवसाय में स्वतन्त्र कहा है।^८ प्रजा के बीच अमात्यो की स्थिति राजा के बाद सबसे ऊँची थी। यह केवल राजा की ही अपेक्षा अधिकार में न्यून थी।^९ अमात्य का अर्थ है समीपस्थ। यह शब्द यथार्थ था।^{१०} प्रधान मंत्री या महामात्र प्रायः ब्राह्मण होता था। भाष्यकार का राजब्राह्मण सभवतः प्रधान मंत्री ही है। राजब्राह्मण के साथ भाष्यकार ने राजब्राह्मणी का भी उल्लेख किया है। राजब्राह्मण के कारण इसे भी विशेष सम्मान होता था। आर्यब्राह्मण और राजब्राह्मण पर्याय जान पड़ते हैं।^{११} सभवतः, जिस समय पुरोहित और मंत्री के पद संयुक्त थे, उस युग में राजब्राह्मण और आर्यब्राह्मण दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते थे। बाद में जब दोनों पद अलग-अलग हो गये, तब राजब्राह्मण शब्द केवल पुरोहित

१. ७-१-५६, पृ० ४४ तथा ६-१-७१, पृ० १०३।

२. वही।

३. वं० इण्डेक्स १-२४७ तथा २-३३४, शत० ब्रा० ५-३-१-६।

४. ७-१-५६, पृ० ५४।

५. महाभारत, १५-१६-४।

६. ३-२-९५।

७. ५-४-७।

८. अमात्यादीनां राजा सह समवाये पारतन्त्र्यं व्यवसाये स्वातन्त्र्यम्।—१-४-२३, पृ० १५८।

९. परस्मिन् न्यूनतापेति यथामात्यः स्थिते नृपे।—५-३-५५, पृ० ४५३।

१०. ४-२-१०४, पृ० २०४।

११. ४-१-१, पृ० १२।

के लिए रूढ़ हो गया और राजब्राह्मणी का स्थान अन्त पुर में पुरोहित के समान सम्मान्य बना रहा। राजकुमार और राजकुमारी के साथ ही राजब्राह्मण और राजब्राह्मणी का उल्लेख इस बात का द्योतक है कि राजब्राह्मण का पद मन्त्री के समकक्ष था। राजसख भी मन्त्री के समकक्ष था। यह राजा का नर्मसचिव तथा व्यक्तिगत सलाहकार होता था। परवर्ती संस्कृत नाटको का विद्वपक राजसख ही है।^१

मन्त्रियों का समूह विचार-विमर्श-काल में परिषद्^२ कहलाता था। परिषद्-युक्त राजा को परिषद्वल^३ कहते थे। परिषद् में किये गये निर्णय परिपत्तीर्ण कहलाते थे।^४ भाष्य में विदित होता है कि राजकीय परिषद् के अतिरिक्त धार्मिक परिषदे भी होती थी, जिनमें स्वीकृत मत या सिद्धान्त मान्य समझे जाते थे। कुछ सिद्धान्त किसी विशेष परिषद् द्वारा स्वीकृत होते थे और उसके विशेष क्षेत्र में ही प्रमाण माने जाते थे। कुछ सिद्धान्त सर्वमान्य होते थे, जिन्हें सब परिषद् स्वीकार करती थी। उदाहरणार्थ—पाणिनीय व्याकरण सर्ववेद-पारिषद् शास्त्र था। सामाजिक परिषदें भी इस युग में थी। सम्भव है, इनका स्वरूप जातिविशेष की पचायतो-जैसा हो। परिषद्-सम्बन्धी विषयो या बातों को पारिषद् कहते थे। परिषदों में भाग लेनेवाले पारिषद्य कहलाते थे।^५

सभा—प्रत्येक राज्य में एक सामान्य सभा होती थी, जो राजसभा कहलाती थी।^६ चन्द्रगुप्त मौर्य और पुष्यमित्र की भी अपनी राजसभा थी। इसे इनसभ और ईश्वरसभ भी कहते थे।^७ सभा शब्द दो अर्थों में प्रचलित था—व्यक्तियों का सघात या समूह और गृह या शाला। ग्रामसभा जो ग्राम या नगर की सामान्य सम्पत्ति होती थी, छूत खेलने तथा अन्य मनोरंजनों के काम आती थी। इसी में ग्रामणी के नेतृत्व में सामान्य हित की बातों पर विचार-विमर्श होता था।^८ राजसभा में राज्य-भर के प्रतिष्ठित जन भाग लेते थे। ये लोग सभासद कहलाते थे। सभासद का पद सम्मान का माना जाता था। सभासद लोग सामान्य प्रजा से उपहार भी प्राप्त करते थे।^९ इन सभाओं में स्त्रियाँ नहीं भाग लेती थी।^{१०} सभा में भाग लेने का अधिकारी या उनमें श्रेष्ठ वक्ता सम्य कहलाते थे।^{११} सभा का सचालन या नेतृत्व सभासन्नयन कहलाता था। सभासन्नयन से

१. २-१-२४, पृ० २८०।

२. ३-३-१०८, पृ० ३१७।

३. ५-२-११२।

४. १-१-७२, पृ० ४५८।

५. ४-४-४४।

६. १-१-६८, पृ० ४३५।

७. ४-२-२३, २४।

८. १-१-६८, पृ० ४३५।

९. गामस्य तदहं सभायां दीव्येयुः।—२-३-६०, पृ० ४४८।

१०. गां घ्नन्ति, दीव्यन्ति, सभासदस्यः उपहरन्ति।—२-३-६०, पृ० ४४८।

११. कथं नाम स्त्री सभायां साधुः स्यात्।—४-१-१५, पृ० १४०।

१२. ४-१-११५।

सम्बद्ध व्यक्ति को साभासन्नयन कहते थे। वेद में सभ्य के लिए सभेय शब्द व्यवहृत हुआ है और सतान के वीर होने के साथ-साथ उसके सभेय होने की भी कामना की गई है।^३

दुर्ग—राजा का एक दुर्ग होता था, जिसके लिए राज्यके केन्द्रीय स्थान में भूमि का चयन किया जाता था और उसमें दृढ़ दुर्ग का निर्माण होता था।^४ दुर्ग शब्द ही उसकी अप्रवेग्यता का सूचक है। भाष्य में दुर्ग के विषय में अधिक विवरण तो उपलब्ध नहीं है, किन्तु उसके प्रकार और परिखा आदि का बार-बार उल्लेख हुआ है।^५ काशिकाकार के अनुसार परिखा दो या तीन पुरुष गहरी होती थी।^६ दुर्ग बनाने के लिए ऐसी भूमि ढूँढी जाती थी, जिसमें परिखा बन सके। इस भूमि को पारिखेयी कहते थे।^७

कोष—कोष की वृद्धि के अनेक साधन थे। कुछ धन उपदा और उपहार से प्राप्त होता था।^८ कुछ दण्ड से आता था और कुछ कर से। पतञ्जलि ने राजाओं को हिरण्यार्थी कहा है, जो येन केन प्रकारेण दण्ड की रशि वसूल करना चाहते थे।^९ कर को शुल्क कहते थे। राजा उन नगरो और ग्रामो से बहुत प्रसन्न रहता था, जिनमें सब प्रकार शान्ति रहती थी और अच्छी पैदावार होती थी। इनके लोग कुछ बचाकर भी रख लेते थे। इन्हीं पुरो से राज्यकोष को भी उचित आय की आशा रहती थी।^{१०} भाष्यकार ने आयस्थानो का उल्लेख किया है। जिन स्थानों से राजा को कर द्वारा धन की प्राप्ति होती थी, वे आय-स्थान कहलाते थे। नगर में बिकाने के लिए आनेवाले माल पर शुल्क लिया जाता था। आपण, गुल्म, (वनसम्पत्ति), खनि तथा नदीतर आय के साधन थे। नदी-शुल्क को तरपण्य कहते थे।^{११} भाष्यकार ने शुल्क के अनुसार उसे वसूल करनेवाले अधिकारियों के नाम दिये हैं। वे अधिकारी शुल्क के आधार पर पचक, सप्तक, अष्टक, नवक, दशक आदि कहे जाते थे।

राजा के कर्तव्य—राजा का मुख्य कार्य था—आक्रमण एवं अन्य सक्तो से प्रजा की रक्षा।^{१२} अपनी भूमि की रक्षा तो अपने अस्तित्व के लिए ही आवश्यक थी। इसी कार्य के कारण राजा को महीपाल,^{१३} नृपति और नृप कहते थे। इसके लिए उसे दुर्ग, कोष और सेना की आवश्यकता होती थी।

१. १-१-७३, पृ० ४६०।
२. वीरो सभेयो यजमानस्य पुत्रो जायताम्।—४-४-१०६।
३. ३-२-४८, पृ० २१७।
४. ३-२-१०१, पृ० २३६।
५. ४-१-२४, काशिका०।
६. ५-१-१७।
७. ५-१-४७, पृ० ३२३।
८. १-१-१, पृ० १०३।
९. क्षेत्रे शुभिसं कृतसञ्चयानि पुराणि राजांविनयन्ति कोषम्।—५-४-६८, पृ० ४९९।
१०. १-१-२२, पृ० २०५।
११. प्रजामेको रक्षत्यूर्जमेका।—१-१-२४, पृ० २१६।
१२. ७-२-२३, पृ० ११७।

मन्त्रिपरिषद्, सभा तथा दुर्ग और कोषादि से सम्बद्ध राजा के ऐश्वर्य को राजवचस् कहते थे।^१ प्रतिरक्षा के लिए राजा सेना रखता था। सेना में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के योद्धा होते थे। भाष्य में राजा को दृढसेन कहा है।^२ राजा की बड़ी सख्या में गज और अश्व पालते थे।^३ सेना की उत्तमता और विशालता उनपर निर्भर करती थी।^४ भाष्यकार ने कहा है कि केवल वाते करने या 'न न' कह देने से विपत्ति नहीं टल जाती, अन्यथा राजा लोग हाथी-घोड़े न पालते, केवल 'न न' ही कह देते।^५

अधिकारी—पाणिनि ने आयुक्त, युक्त, नियुक्त अधिकारियों, विभागाध्यक्षों एवं भाण्डागारिक आदि विशिष्ट उच्चाधिकारियों का उल्लेख किया है।^६ भाष्यकार ने सम्पूर्ण राज्याधिकारियों के दो विभाग किये हैं—ग्रामीण और नागरिक। ये कर्मचारी अधिकृत कहलाते थे और इनकी नियुक्ति राजा के निर्देश से होती थी और वे उसी से निर्दिश्यमान कार्य करते थे।^७

राज्य के उच्चाधिकारियों में राष्ट्रिय का पद बहुत महत्त्वपूर्ण था यदि राज्य बड़ा होता, तो राजा अपने युवराज या किसी अन्यपुत्र अथवा विश्वस्त जन को राज्य के एक भाग का राष्ट्रिय नियुक्त कर उसके हाथ में वहाँ का सारा आन्तरिक प्रबन्ध सौंप देता था। मौर्य राजाओं, छद्दामा एवं पुष्यमित्र सभी ने अपने राज्य में राष्ट्रिय नियुक्त किये थे। अशोक स्वयं विदिशा में राष्ट्रिय रहा था। इसी प्रदेश में पुष्यमित्र ने भी विदिशा में अपने पुत्र अग्निमित्र को राष्ट्रिय पद पर नियुक्त किया था। गिरनारस्थ छद्दामा के शिलालेख में भी चन्द्रगुप्त मौर्य के राष्ट्रिय वैश्य पुष्यगुप्त का उल्लेख है। पाणिनि और पतञ्जलि दोनों राष्ट्रिय पद से परिचित थे।^८

दूत राजा का अत्यन्त विश्वासपात्र अधिकारी था। वह अन्य राज्यों से साथ सम्बन्ध का माध्यम था। दूतों के नाम उस देश के आधार पर रखे जाते थे, जिनके लिए उनकी नियुक्ति की जाती थी। उदाहरणार्थ—सूचन को भेजे गये दूत को सूचन कहते थे।^९ दूत का कार्य दूत्य कहलाता था। दूत के द्वारा भेजा जानेवाला सन्देश 'वाचिक' कहलाता था। उस सन्देश के अनुसार किया

१. ५-४-७८, पृ० ५०४।

२. २-४-१९, पृ० ४७१।

३. २-२-६, पृ० ३३९।

४. वही।

५. यदेतन्नभोमाहात्म्यं स्यान्न जातु चिद्वाजानो हस्त्यश्वं विभृगुर्नैत्येव राजानो ब्रूयः।—
२-२-६, पृ० ३३९।

६. २-३-४०, ४-४-७०, ६-२-६६, ६-२-६७।

७. लोकैऽधिकृतोऽसौ ग्रामेऽधिकृतोऽसौ नगर इत्युच्यते यो यत्र व्यापार गच्छति। निर्दिश्य-
मानसधिकृतं गम्यते।—१-३-११, पृ० ४२।

८. ४-२-९३, पृ० २०२।

९. १-३-१०, पृ० ४०।

गया काम 'कर्मण' कहा जाता था।^१ राजा लोग नगर एवं राज्य के समाचार लाने के लिए गुप्तचर रखते थे। ये लोग कर्णजप या सूचक कहलाते थे।^२

राज्य के कार्य अनेक दृष्टियों से किये जाते थे। राजा के हित की दृष्टि से किये जानेवाले कार्य राजभोगीन श्रेणी के होते थे। सेनानिभोगीन और ग्रामीणभोगीन कार्य सेनानी और ग्रामणी हित की दृष्टि से होते थे। बड़े-बड़े आदमियों के अनुकूल कार्य माहाजनिक कहलाते थे। ग्राम-सभा या पचायत के हित के कार्यों को पञ्चजनीन कहते थे। सार्वजनिक हित की वाते, सार्वजनिक, सर्वजनीन, विश्वजनीन, सर्वांग या सार्व होती थी।^३

१. वाचो व्याहृतार्यायाम् तद्युवतात् कर्मणोष् तदित्यनेन किं प्रतिनिर्विश्यते ? वागेव वाचा व्याह्रियते तत्कर्मणा क्रियते।—५-४-३५, ३६, पृ० ४९२।

२. ३-२-१३, पृ० २११।

३. ५-१-१०, पृ० ३०२।

अध्याय २

संघ-शासन

गणतन्त्र

संघों के प्रकार—दूसरे प्रकार के जनपद गणतन्त्र थे। ये संघ कहलाते थे। भाष्यकार ने संघ शब्द का प्रयोग समुदाय या समूह के अर्थ में किया है। पाणिनि ने पशुओं के समूह को नम कहा है। मानव-संघ या समूह तीन प्रकार के होते थे—छात्रों के संघ, जो वीरों के धर्म-संघों या, भिक्षु-संघों के समान थे। पता नहीं, इनका अपना कोई विधान था या नहीं। भाष्य ने केवल औदमेध्य, वामरय आदि छात्रसंघों के लिए रुड शब्दों के नाम दिये हैं, जिनमें इतना ही पता चलता है कि उनके समय में एक गुरु की समस्त शिष्य-प्रशिष्य-मण्डली संघ के रूप में संगठित होती थी। दूसरे प्रकार के संघ सामाजिक थे, जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होते थे। ब्राह्मणों के संघ इसी प्रकार के थे। तीसरे प्रकार के संघ राजनीतिक थे, जो धामन-पद्धति की दृष्टि से एकराज-पद्धति के ठीक उल्टे थे। इस प्रकार के संघों में ज्ञान की डोर एक राजा के हाथ में न रहकर जनपद के मूल निवासी क्षत्रिय जाति के अनेक प्रभावशाली लोगों के हाथ में रहती थी। ये प्रभावशाली जन क्षत्रियवंशीय होते थे और राजन्य कहलाते थे। डॉ० जायसवाल (हि० पा०, पृ० २८) के मत से धार्मिक संघ राजनीतिक संघों का अनुकरण-मात्र थे। उनकी धारणा है कि पाणिनि ने संघ शब्द का प्रयोग सदा राजनीतिक संघ के अर्थ में ही किया है। इन बात की पुष्टि जैना जि ऊपर कहा जा चुका है, पाणिनि-सूत्रों से नहीं होती।

अभिषिक्त बंध्य क्षत्रिय—संघ-शासन में शक्ति एक राजा के हाथ में केन्द्रित न होकर समग्र क्षत्रिय जाति में विभक्त रहती थी। क्षत्रिय राजा के क्षत्रिय अपत्यों को राजन्य कहते थे। राजन्य शब्द भाष्यकार के अनुसार जातिवाचक था। ये राजन्य लोग ही संघ के वास्तविक शासक होते थे। प्रत्येक परिवार का कुलवृद्ध संघ-सभा का सदस्य होता था। लौकिक गोत्र के स्वविक्रम,

१. भानुपाणां सङ्घः ४-१-१२१, पृ० १२३; स्वर्णानां सङ्घः—४-१-८३, पृ० ९७।

२. ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरणेषु स्त्री १-१-२-७३।

३. औदमेध्यानां सङ्घ औदमेधः ४-१-७८, पृ० ८१; वामरयानां सङ्घः ४-१-१५१, पृ० १४८।

४. उत्सेवजीविनः सङ्घाक्राताः १-५-२-२१, पृ० ३७२।

५. क्षत्रियादेकराजादिति वक्तव्यं सङ्घप्रतिषेधार्थम् ४-१-१६८।—पृ० १६२; संघायाम् संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु १-५-१-५८

६. राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणं कर्त्तव्यम्। राजन्यो नामजातिं क्व माभूत्? राजन इति।—४-१-१३७, पृ० १४४।

ज्यायान्, युवा ये वर्ग इस बात की ओर संकेत करते हैं कि महत्त्वपूर्ण विषयों में परिवार का स्थ-
विरतर सदस्य ही परिवार का प्रतिनिधित्व करता था।' इस प्रकार सघ के अनेक शासक होते थे।
और वे सब राजा कहलाते थे। इसीलिए, भाष्यकार ने जनपद के राजा के लिए एकवचन का
और सघ के राजाओं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है।^१ सम्भवतः, इसीलिए पाणिनि ने अन्वक-
वृष्णि-कुलो के राजन्वो के बहुवचन द्वन्द्व का ही उल्लेख किया है।^२ इस सूत्र की काशिकाकृत व्याख्या
से यह भी पता चलता है कि एक क्षत्रिय जाति में सारे परिवार या उप-जातियाँ राजन्व नहीं
होते थे। राजन्व केवल अभिषिक्त वश्य कहलाते थे। उदाहरणार्थ, अन्वको और वृष्णियों में
स्वाफल्क, चैत्रक, रोषक, शिनि और वासुदेव राजन्व थे, किन्तु द्वैप्य और हैमायन राजन्व नहीं थे।
इस प्रकार अन्वक-वृष्णियों में राजन्व्यता कुछ विशिष्ट कुलो तक ही सीमित थी।^३ अन्वक और
वृष्णि पुराणों में सात्वत कहे गये हैं। ऐतरेय (८-१४) में सात्वतो में इन्हें भोज कहा है। महा-
भारत (सभा० पर्व ३७-५) के अनुसार दशार्ण (वृष्णि) राजहीन थे। कौटिल्य (१-६-३) ने इन्हे
सघ माना है। द्रैपायन को अप्रसन्न करने के कारण ये अवसाद को प्राप्त हुए। इनके ईसा-पूर्व
प्रथम शती के गण के नाम के सिक्के मिले हैं। इनपर राजा का नाम नहीं है। कनिंघम के मत से
विना राजा के नामवाले सिक्के गण के नाम पर हैं। यथा—'आर्जुनायनानाजय, (कनिंघम क्वाइन्स'
आफ ऐन० इण्डिया, पृ० ७०, ७७, ७९ प्लेट-संख्या ४, ६, ८)। यौधयो के सिक्के मन्त्रघरो और
गण दोनों के नाम पर हैं। वृष्णियों के सिक्के सबसे भिन्न हैं, जो गण और राजन्व दोनों के नाम पर
हैं। अमरकोश (अ० १०) के अनुसार राजाओं की सामान्य सभा (काउंसिल) को राजक और
गण (सिनेट) को राजन्व कहते थे। प्राच्य देश में लिच्छिवि-सघ में राजन्वो की सख्य, बहुत अधिक
थी। वहाँ लिच्छिवियों का प्रत्येक कुल-वृद्ध राजन्व माना जाता था और सघ का सदस्य था।

आयुधजीविसंघ—सघ-शासित जनपदों के शासन-विधान एक-से नहीं थे। इनमें कुछ
विकास को प्रारम्भिक अवस्था में थे और कुछ सुसंगठित। भाष्यकार के विभिन्न उद्धरणों से अनु-
मान होता है कि अन्वक, वृष्णि, क्षुद्रक, मालव, यौधेय, पंचाल और विदेह (?) समुत्पन्न सघ थे।^४
अविकसित सघ आयुधजीवी थे। पाणिनि ने स्वागणिको, वेतनजीवियों, वत्सको और ऋष्यविक्रिय-
को के साथ आयुधीयों या आयुधिको का उल्लेख किया है। इन आयुधीयों या आयुधिक लोको
की जीविका के साधन उनके आयुध थे।^५ पतञ्जलि ने आयुध शब्द की जो व्याख्या की है, उसके अनु-
सार ये आयुधिक लोग योद्धा क्षत्रिय जातियों के थे और सैनिक का कार्य करते थे। कौटिल्य ने
आयुधजीवियों को शस्त्रोपजीवी कहा है, जो राजशब्दोपजीवी के ठीक विपरीत हैं। डॉ० जायसवाल

१. ४-१-१६३, १६५ पृ० १५५ से १६१।

२. ४-१-१६८, पृ० १६२।

३. ६-२-३४।

४. द्वैप्य हैमायनः राजन्व ग्रहणमिहाभिषिक्तवश्यानां क्षत्रियाणां ग्रहणायन्म्। एते
च नाभिषिक्तवश्याः।—वही, काशि०।

५. ४-४-११ से १४ तक।

६. आयुध्यन्ते तेनायुधम्।—३-३-५८, पृ० ३०८।

के मत से जिनके शासन-विधान में युद्धकला का सर्वोपरि महत्त्व था, वे शास्त्रोपजीवी तथा जिनके विधान में 'राजा' उपाधि धारण करने का अधिकार साधारण जनों को था, वे जनपद राजशब्दोपजीवी कहे जाते थे। बौद्ध साहित्य में वर्णित प्रजातंत्र में निर्वाचित सभापति को राजा का पद मिलता था। यो नागरिक भी साधारण तौर पर राजा कहे गये हैं, क्योंकि वे ही सर्वोच्च सत्ता का निर्माण करते थे और उनमें प्रत्येक राजा चुना जाने का अधिकारी भी था (हिन्दू पालिटी, पृ० ६४)। रीज डेविड्स (बुद्ध इण्डिया, पृ० १४) के अनुसार गणराज्यों में एक सभापति चुना जाता था। वह सभा का सत्र न रहने पर राज्य का सभापति होता था। उसे राजा की उपाधि प्राप्त रहती थी। पाणिनि के अनुसार आयुधिकों के सघ आयुधजीविसघ कहलाते थे। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य लोग भी थे। क्षत्रियो में भी राजन्य तथा सामान्य क्षत्रिय थे दो भेद थे। इससे स्पष्ट होता है कि ये सघ राजनीतिक थे और इनका अपना शासन-विधान था। सत्ता राजन्यों के हाथ में थी। इन सघों में रहनेवाले ब्राह्मण भी आयुधजीवी थे या नहीं, यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, किन्तु अधिक संकेत इस बात के हैं कि ये भी आयुधजीवी थे। वैसे आयुधजीविसघ से इतना ही स्पष्ट होता है कि इन सघों की शासन-सत्ता आयुधजीवियों के हाथ में थी। ये सघ वाहीक प्रदेश में थे और उसके बाहर भी। वाहीक में इनका बाहुल्य था।^१ भाष्यकार कौण्डीवृस, क्षुद्रक और मालव इन आयुधजीवी सघों से परिचित थे। गोपालव ब्राह्मण और शालकायन राजन्य वाहीकस्य आयुधजीवी सघ थे। मल्ल और वतण्ड सघ वाहीक के अन्तर्गत थे, किन्तु आयुधजीवी नहीं। काशिकाकार ने शबर और पुलिन्द ये वाहीक-वाह्य आयुधजीवी सघ बतलाये हैं। काशिकाकार ने कौण्डीवृस, क्षुद्रक और मालवों को वाहीकस्य कहा है।^२ भाष्य में कौण्डीवृस और वतण्डों का उल्लेख सम्मान के साथ हुआ है। कौण्डीवृसी वृन्दारिका, कौण्डीवृस्य वृन्दारिका, वतण्डी वृन्दारिका और वातण्ड्य वृन्दारिका शब्द इन गोत्रों की स्त्रियों के प्रति आदर के परिचायक हैं।^३ केवल एक स्थान पर वतण्ड स्त्री की निन्दा की गई है और उसके कारण उसकी सन्तान को भी निन्दित कहा है, किन्तु उसमें वतण्ड का महत्त्व नहीं है।^४ वह 'ण' प्रत्यय के गित्व की सार्थकता के प्रमाण के लिए उदाहरण बनाया गया है। फिर भी, कौण्डीवृसों और वतण्डों का उल्लेख उनकी स्त्रियों के सन्दर्भ में ही सर्वत्र हुआ है, यह बात ध्यान देने योग्य है। क्या आजकल की वल्लोची स्त्रियों के समान ये स्त्रियाँ भी दूर-दूर तक आती-जाती थीं और इसीलिए दूर प्रान्तों के लोग भी उनसे परिचित थे? ऐसा हो, तो गोत्र स्त्री के कुत्सित होने के कारण उसकी सन्तान का 'वातण्ड जाल्म' कहा जाना और अधिक सार्थक हो जाता है। जो हो, वतण्डों से लोग सुपरिचित थे। वतण्ड आगिरस थे और उनसे भिन्न भी। आगिरसों के अपत्य वातण्ड्य कहलाते थे और अन्य लोग वातण्ड।^५ भाष्यकार ने उनके आगिरस गोत्र का जोर देकर उल्लेख किया है।

१. आयुधजीवी सङ्घान्भ्यः वाहीकेष्वब्राह्मणराजन्यात्।—५-३-११४।

२. वही, काशिका।

३. ६-३-३४, पृ० ३१५।

४. गोत्रस्त्रियाः कुत्सेन णच वातण्डो जाल्मः।—४-१-१४७, पृ० १४५।

५. ४-१-१०८, पृ० १३४।

वृक, दामन्यादि (दामनी, औलपि, आकिदन्ती, काकरन्ति, काकदन्ति, वात्रुन्तपि, सार्द-सेनि, चिन्दु, मीञ्जायन, उलभ और सावित्रीपुत्र), त्रिगर्तपष्ट (कौण्डोपरय, दाण्डिक, क्रीटिक, जालमानि, ब्रह्मगुप्तीय, जानकि या जालकि), पर्व्यादि (पशु, अमुर, रक्षस्, वाल्हीक, वयस्, मख्त्, दशार्ह, पिशाच, विमाल, अशनि, कार्पापण, सत्त्वत् और वसु), तथा यौवेयादि (यौवेय, कौशेय, क्रीशेय, ग्रीशेय, ग्रीश्रेय, घात्तैय, वात्तैय, जावालेय, त्रिगर्त, भरत और उशीनर) ये वाहीक-प्रदेश से बाहर के आयुधजीवी सघ थे।^१ यह भी मनोरजक बात है कि वाहीक-सघो के समान पर्व्यादि और यौवेयादि सघो की स्त्रियो के भी सघमूलक नामो के लिए पृथक् नियम थे। उदाहरणार्थ—क्षत्रिय जनो तथा उनके जनपदो मे स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध की चरमोत्कृष्टता बतलाने के लिए उनका रूप एक ही होता था। अङ्गा या पर्वोच यह बहुवचनान्त प्रयोग अंग या पर्णु क्षत्रियों और जनपदो के लिए समान होता था, किन्तु स्त्रियाँ आङ्गय या पार्ष्ण्य कहलाती थी।^२ पूग, व्रात तथा समस्त आयुधजीवि-सघो मे स्त्री-पुरुषो के बीच यह अन्तर किया जाता था। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि जनपदो का स्वतन्त्र अस्तित्व उनके योद्धा पुरुषो के कारण माना जाता था, स्त्रियो के कारण नहीं। पर्णु, रक्षस् और अमुर जनपदो की पर्णु, रक्षा और अमुरी स्त्रियो का उल्लेख भाष्यकार ने किया है एव यौवेयादि सघो की स्त्रियो का सामान्यत नाम-ग्रहण किया है।^३

वृक या वाकण्य^४ तथा यौवेयादि गणो मे त्रिगर्तपष्ट,^५ भरत^६ और उशीनर से भाष्यकार^७ भली भाँति परिचित थे। उत्कृष्ट और उन्नत यौवेय सघ के विषय मे कोई जानकारी भाष्य से नहीं प्राप्त होती। पाणिनि ने पर्वताभिजनीय आयुधजीवियो के लिए विशेष प्रत्यय का विधान किया है। काशिकाकार ने हृद्गोल, अन्वकवर्त्त और रोहितगिरि पर्वत को आयुधजीवियो का अभिजन बतलाया है। उन्होने साकाश्य को इनका निवास कहा है। इससे पता चलता है कि आयुधजीवी क्षत्रिय पहले इन पर्वतो के ही निवासी थे। वहाँ से वे धीरे-धीरे उत्तर और मध्य देग मे फैल गये।^८ डॉ० वा० श० अग्रवाल के मत से (पा० पृ० ४३५) आयुधजीवियो का प्रदेश कश्मीर से अफगानिस्तान (रोहितगिरि) तक फैला हुआ था। हिंगोल जलालाबाद जिले का वर्त्तमान हिद् और अन्वकवर्त्त अफगानिस्तान का उत्तर पूर्वी जिला अन्दखुई है। आयुधजीवी-सघ उत्तर भारत मे सिन्धु के पश्चिम हिन्दुकुण के दोनो ओर, सीमान्त-क्षेत्र एव अफगानिस्तान के एक भू-भाग मे थे। इनमे दक्षिस्तान की जातियाँ भी शामिल थी। भाष्यकार दारद सघो

१. ५-३-११५ से ११७।
२. ५-३-११९ तथा २-४-६२।
३. ४-१-१७७ पृ० १६५।
४. ४-१-१६१, पृ० १५४।
५. ८-१-५, पृ० २७०।
६. २-४-६६, पृ० ५०४।
७. २-४-१९, पृ० ४७०।
८. ४-३-९१ काशिका।

से सुपरिचित थे। उन्होंने इनका उल्लेख तो किया ही है। दारदिका, दरद वृन्दारिका या दारद वृन्दारिका की भी चर्चा की है।^१

ब्रातीन—इनके अतिरिक्त भाष्यकार ने ब्रातसघो का वर्णन किया है। ये सघ, सम्भवतः राजनीतिक न होकर जीविकामूलक थे, जिनमें अनेक जातियों के लोग सम्मिलित रहते थे। इनकी कोई निश्चित जीविका न थी। ये लोग उत्सेघ द्वारा निर्वाह करते थे। इनके कारण इनके जीविका-कर्म का नाम भी ब्रात पड़ गया था और जो लोग ब्रात-कर्म द्वारा जीविकार्जन करते थे, वे ब्रातीन कहे जाते थे। पाणिनि ने भी ब्रात-कर्म को जीविका का साधन बतलाया है।^२ काशिकाकार ने उत्सेघ शब्द का अर्थ शरीर माना है और उत्सेघजीवी का अर्थ शरीरप्रायस से जीनेवाला। उन्होंने ब्रात-सघ के सदस्यों की ही ब्रातीन सज्ञा मानी है। सघ से बाहर के उत्सेघजीवी ब्रातीन नहीं कहलाते थे।^३ काशिकाकार ने ऐसे सघों में कपोतपाक, त्रीहिमत्, क्रीजायन और ब्राज्यायन का नामो-रखे भी किया है।^४ ब्रात्य वैदिककालीन सघ है। शतपथ ब्रा० (४-१-५) में गाँव-गाँव घूमने-वाले शर्यात मानव का वर्णन है। सम्भवतः, वर्तमान कजड तथा अन्य घुमकड जातियाँ, जो आज भी शारीरिक श्रम और उत्सेघ दोनों से निर्वाह करती हैं, ब्रातीनों के ही अवशेष रूप हैं। इनके नाम प्रायः काशिका में उल्लिखित नामों से मिलते-जुलते हैं। इन जातियों में प्रायः जरायनपेशा हैं। डॉ० वा० श० अग्रवाल ब्राती को राजनीतिक सघ मानते हैं। उनके मत से वे एक नायक के नीचे, जिसकी स्थिति ग्रामणी के समान ही थी और जो नायक के चिह्न के रूप में राजतन्त्रिक (आभूषण) पहनता था, सगठित थी। ये लोग राजनीतिक विकास की पहली सीढ़ी पर थे।^५ पचासद् ब्राह्मण (५-१८) भी ब्रात्यों से परिचित है। तैत्तिरीय संहिता (२-३-१०३) तथा मंत्रायणीय स० (२-२-१) के अनुसार ग्राम आत्मावलम्बी कार्पोरेशन था और ग्रामणी, सम्भवतः, उसका निर्वाचित अधिकारी होता था। वह ग्रामवादी भी था।

पूग—पाणिनि ने पूगों का उल्लेख किया है। काशिका के अनुसार ये भिन्न-भिन्न जातियों के सघ थे। ये लोग भी ब्रातों के समान अनियतवृत्ति लोग थे और द्रव्य-प्राप्ति के लिए सगठित थे। अर्थकाम-प्रधान होने से अनुमान होता है कि ये लोग उत्सेघ का आश्रय न लेकर व्यापारादि को जीविका का साधन बनाते थे। ये ब्रातों की अपेक्षा अधिक सम्य एव सस्कृत थे। ग्रामणी इनका नेता होता था, जो सामान्यतया वैश्य होता था। काशिका ने पूगों को गण कहा है और उन गणों के नाम गिनाये हैं। उनके ये सगठन राजनीतिक मालूम होते हैं। सम्भवतः, पूग राजनीतिक एव व्यापारिक दोनों प्रकार के सगठन थे। राजनीतिकों का ग्रामणी योद्धा और व्यापारियों का

१. ४-१-१२०, पृ० १४१ तथा ६-३-३४, पृ० ३२०।

२. ब्रातेन जीवतीत्युच्यते किं ब्रातं नाम। नानाजातीयया अनियतवृत्तय उत्सेघजीविनः सङ्घा ब्राताः। तेषां कर्म ब्रातं। ब्रातकर्मणा जीवतीति ब्रातीनः।—५-२-२१, पृ० ३७२।

३. तेषामेव ब्रातानामन्यतम उच्यते। यस्त्वन्यस्तदीयेन जीवति तत्र नेष्यते।—वही,

काशिका

४. ५-३-११३।

५. इण्डिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० ४४०।

वैश्य होता था। पूगो मे कुमारो के अपने अलग सगठन थे। राजतन्त्र के कुमारप्रत्येनाः के समान पूगो की कुमार-सस्थाओ का अपने गणो के भीतर स्वतन्त्र अस्तित्व एव महत्त्व था। काशिका मे कुमारचातक, कुमारलोह्वज, कुमारबलाहक और कुमारजीमूत नामक कुमारपूगों का उल्लेख मिलता है।^१ कुछ सघो के नाम ग्रामणी के नाम पर होते थे और कुछ के स्वतन्त्र। ग्रामणों यदि देवदत्त या यज्ञदत्त हुआ, तो सघ का नाम देवदत्तक या यज्ञदत्तक (बहुवचनान्त) होता था। अन्य सघो के लोह्वज, बलाहक, जीमूत, शिवि, चातक आदि रूढ नाम थे।^२

श्रेणि—श्रेणि सबसे छोटा जनतन्त्रात्मक सगठन था। ये श्रेणियाँ भिन्न-भिन्न जीविका या व्यापारवालों के छोटे-छोटे सगठन थे। भाष्यकार ने असंगठित जनों को सगठित कर उनके श्रेणीकरण का वर्णन किया है। पाणिनि के श्रेण्यादि गण मे पूग का भी उल्लेख है। पूगकृत शब्द का अर्थ है—अपूग जनो का पूग बनाना। पूग कई श्रेणियों को मिलाकर बनाये जाते थे। भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है कि विद्यमान श्रेणियों के विषय मे कुछ करने को श्रेणीकरण नहीं कहते। अविद्यमान श्रेणियों का श्रेणिरूप मे संगठन ही श्रेणीकरण कहलाता है। श्रेणि व्यापारिक सगठन था, राजनीतिक संस्था नहीं। सम्भव है, इनका विधान राजनीतिक विधानों के समान रहा हो। पाणिनि ने गण और सघ के साथ पूगो का स्मरण किया है।^३

श्रेणि, पूग, गण और सघ क्रमश उत्तरोत्तर विशाल संगठन थे, जिनकी रचना जनतन्त्रात्मक आधार पर थी, भले ही जनतन्त्रात्मकता का वर्तमान रूप उनमे न मिले, किन्तु यदि उनके विकास मे बाधा उपस्थित न हुई होती, तो बहुत सम्भव था कि आज उनका स्वरूप इसी प्रकार होता। अपनी तत्कालीन सीमा मे ये गण और सघ अभिजात क्षत्रियों के कुल पर आवृत्त प्रतिनिधित्व से आये नहीं बढ पाये। श्रेणि और पूग की रचना के सिद्धान्तो की विस्तृत जानकारी उपलब्ध न होने से उनके विषय मे कोई निश्चित मत प्रकट करना न्याय्य न होगा।

सघों के घटक—भाष्यकार ने संघ की परिभाषा करते हुए उसे समूह और समुदाय का पर्यायवाची माना है^४ तथा ५, १० और २० के सघो का उल्लेख किया है।^५ ये सघ गणो के समूह थे। अनेक जनपद अवयवों मे विभक्त थे। इनमे प्रत्येक अवयव का पृथक् आसक होता था। भले ही वह अन्य अवयवो के साथ एक ही पूर्वज की सन्तान रहा हो। इस प्रकार के अवान्तर विभाग साल्व, त्रिगर्त, यीवेय, शालकायन आदि सघो मे विद्यमान थे। आयुधजीवी सघ तो अनेक गोत्रो के समवाय से ही बने थे। इन छोटे-छोटे गणो के सघो की ओर ही पतंजलि ने पंचक सघ आदि से संकेत किया है। डॉ० अग्रवाल के मत से पतंजलि के पंचक, दशक और विशक शब्द-सघो की कार्यकारिणी के सदस्यो के बोधक है।^६ यह इसी अर्थ मे सम्भावित हो सकता है कि महत्त्व-

१. ६-२-२८ काशिका

२. ५-३-११२ काशिका।

३. ५-२-५८

४. सङ्घः समूहः समुदाय इत्यनर्थान्तरम्।—५-१-५९, पृ० ३३१।

५. ५-१-५८, पृ० ३२६ तथा ५-१-५९, पृ० ३३०।

६. पाणिनि, पृ० ४३१।

पूर्ण विषयो के सम्बन्ध में निर्णय करते समय सब अपने घटकों से परामर्श करते हैं और परामर्श-काल में प्रत्येक घटक गण कार्यकारिणी के एक सदस्य के समान माना जाता है।^१ इस प्रकार में संघ पाँच, दस या बीस गणों के समूह थे। वर्णमान प्रजातन्त्र देवों ने से कुछ के मन्विधान में जिन्हें दो व्यवस्थापिका सभाएँ होती हैं, प्रत्येक राज्य को एक इकाई मानकर राज्यसभा में उन्हें समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। विद्यक संघ भी बीस इकाइयों का एक राजनीतिक संगठन रहा होगा, भले ही वे इकाइयाँ छोटी-छोटी रही हों। भिन्न-भिन्न क्षत्रिय जातियों के अपने-अपने एक संघ के अन्तर्गत संगठित थे। गण संघ राजनीतिक संस्था थी। गणों की सदस्यता को प्रायः जन गण्य कहलाते थे। गण्य, सम्बन्ध, संघों की सामान्य नभा के सदस्य होते थे।^२ गण्य होने गौरव की बात थी। आज भी यह शब्द सम्मान का द्योतक माना जाता है।

वर्ण और गृह्य—संघों के घटक या इकाइयाँ कभी-कभी वर्गों में विभक्त हो जाते थे। किसी इकाई का प्रधान यदि अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली हुआ, तो वह स्वयं नेता बन कुछ घटकों को अपना अनुयायी बना लेता था। संघ में यदि उसका कोई प्रतिस्पर्धी निकल आया, तो नारा संघ दो या अधिक, पर अधिकतर दो वर्गों या पक्षों में बँट जाता था। ये वर्ग किसी स्थायी सैद्धान्तिक आधार पर नहीं बनते थे, अपितु वैयक्तिक प्रभाव पर आश्रित थे। पाणिनि ने पंचत् और द्वाद्वत् वर्गों का उल्लेख किया है। संघों और वर्गों की संख्याएँ उपलक्षण-मात्र नहीं हैं। भाष्यकार शंकर पाणिनि की दृष्टि में ऐसे सब थे, जिनके पाँच, दस और बीस घटक थे। इसी प्रकार पाँच और दस के वर्ग भी उस समय प्रसिद्ध रहे होंगे। भाष्यकार ने एक ही संघ के अन्तर्गत अक्षर और वामुदेव के दो वर्गों की चर्चा की है। इन वर्गों के सदस्य क्रमशः अक्षरवर्ग या अक्षरवर्गीण और वामुदेववर्ग या वामुदेववर्गीण कहलाते थे।^३ काशिकाकार ने भी (३-१-११९) वामुदेव और अर्जुन के गृह्यों (पक्षों) का उल्लेख किया है। इन वर्गों को आधुनिक अर्थ में पार्टी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके पीछे न तो कोई सैद्धान्तिक आधार था और न ही संघ में सदा इनका अस्तित्व ही रहता था।

पूरणी संस्था—पतंजलि ने पूरा, गण और संघ की पूरणों संख्या पर विचार किया है, जिससे स्पष्ट है कि इन तीनों संस्थाओं की अपनी सभाएँ या परिषदें थीं। यह भी अनुमान होता है कि वे संगठन क्रमशः वृद्धतर थे। इनकी सभाओं में क्रम-से-क्रम जितने सदस्यों की उपस्थिति कार्य-संचालन के लिए आवश्यक थी, वही उनकी पूरणों संख्या मानी जाती थी। ऐसी पूरणों संस्था को क्रमशः पूरातिय, गणतिय और संघतिय कहते थे। दिवादिगण में भी वर्ग, पूरा और गण का एक साथ ग्रहण है। इससे भी इनकी उत्तरोत्तर दिवालता के अनुमान की पुष्टि होती है।^४

१. अश्रेणयः श्रेणयः कृता. श्रेणीकृताः। यदा हि श्रेणय एवं किञ्चित् नियन्ते तदा मा भूदिति।—२-१-५९, पृ० ३१६।

२. ४-४-८४।

३. ५-१-६०।

४. ४-२-१०४, पृ० २०८।

५. ४-३-५४।

अक और लक्षण—भाष्यकार ने अक और लक्षण का उल्लेख किया है। लक्षण लक्षित व्यक्ति का अपना निजी चिह्न होता है, जो उसे अन्यो से पृथक् करता है। यह लक्षित व्यक्ति या वस्तु मे ही रहता है। उदाहरणार्थ, किसी मे विद्या की उत्कृष्टता उसकी परम्परागत विशेषता होती है। यह उसका लक्षण माना जायगा। अक बाहर से आरोपित चिह्न होता है। गायो, बैलो आदि पर पहचान के लिए बनाये गये चिह्न अक कहलाते हैं।^१ शासन मे प्रत्येक राज्य अपने लक्षण रखता था, जिनका उपयोग अन्य राज्यों के साथ व्यवहार मे होता था। मुद्राओ पर भी ये लक्षण अंकित रहते थे। इसीलिए, काँटिल्य ने मुद्रा बनानेवाले अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा है। डॉ० जायसवाल के मत से अक विशिष्ट निर्वाचित अधिकारी की निजी मुहर था।

न्याय-व्यवस्था

धर्म और न्याय—भाष्यकार के समय तक धर्मसूत्रो की रचना हो चुकी थी और उनके आदेश आप्तवाक्यवत् मान्य थे। ईश्वर के वाद धर्मशास्त्रो के ही नियमो का स्थान था।^१ धर्म-सूत्रकारो ने दो प्रकार के धर्मनियमो का निवन्धन किया था। एक वे थे, जिनका सम्बन्ध व्यक्ति के सर्वथा निजी आचार-व्यवहार से था^२ और दूसरे वे थे, जो प्रत्यक्ष रूप से समाज से सम्बद्ध थे।^३ परम्परा से चली आती हुई प्रयादं भी धर्म के अन्तर्गत मानी जाती थी।^४ स्थूल रूप मे समाज द्वारा स्वीकृत उचित कर्म धर्म्यं थे। उनके अनुकूल वाचरण करनेवाला धार्मिक और उसके विरुद्ध व्यवहार करनेवाला अधार्मिक माना जाता था।^५ धर्म के अनुकूल कार्य धर्म्यं था। न्याय्य और धर्म्यं प्रायः समानार्थी थे।^६ न्याय्य कृत्य वह हो सकता था, जो हर काल और देश मे उचित ठहराया जा सकता है।^७ यदि कभी किसी बात की न्याय्यता के विषय मे सन्देह उठ खड़ा होता, तो उसका निर्णय किसी विशेष दक्ष पुरुष द्वारा करा लिया जाता था। इस निर्णय को स्थेय कहते थे।^८ स्थेय का निर्वाचन विवाद से सम्बद्ध पक्ष करते थे।

विवादो की श्रेणियाँ—कुछ विवाद राजकीय स्तर पर भी होते हैं। ये दो प्रकार के

१. ४-३-१२७, पृ० २५४।
२. लक्षण लक्ष्यभूतस्यैव चिह्नभूतं स्वं यथा विद्याविदानाम्। अङ्गुस्तु गवादिस्थोपि गवादीनां स्व न भवति।—बही, काशि०।
३. नैवेश्वर आज्ञापयति नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति।—५-१-११९, पृ० ३५२।
४. ४-२-४६।
५. ४-४-४७।
६. ६-२-६५।
७. धर्मचरति अधर्माच्चेति वक्तव्यम्।—४-४-४१, पृ० २७८।
८. ४-४-९२।
९. ३-३-३७।
१०. विवादपदनिर्णयता लोके स्थेय इत्युच्यते।—१-३-२३ काशि०।

होते हैं—साम्प्रतिक और आपराधिक। सम्पत्ति-सम्बन्धी मामले व्यवहार कहलाते थे।^१ इनके पक्षों को परिवादी^२ या परिवादक^३ कहते थे और निर्णोता को धर्मपति।^४ निर्णयों पर पहुँचने में कभी-कभी शपथ का भी आश्रय लिया जाता था^५, पर सामान्यतया साक्ष्य के आधारे पर निर्णय किये जाते थे। साक्षी पारिभाषिक शब्द था और वह साक्षाद् द्रष्टा ही ही मकता था। यो साक्षाद् द्रष्टा धनिक या उत्तमर्ण और अवमर्ण भी होते हैं, किन्तु भाष्यकार के अनुसार इन दोनों से भिन्न तीसरा उपद्रष्टा ही साक्षी माना जा सकता था।^६ जमानतदार को प्रतिभू कहते थे।^७ सम्पत्ति में भागीदार दायद अंगक या अशहारी और उनकी सम्पत्ति दायद कहलाती थी।^८ पाणिनि ने सम्पत्ति के उत्तरोत्तर प्रकृष्ट अधिकारियों को स्वामी, ईश्वर और अधिपति नाम दिये हैं^९ और साक्षी, दायद तथा प्रतिभू का भी उनके साथ ही उल्लेख किया है।^{१०}

व्यवहार-न्यायालय में ऐसे मामले जाते थे, जिनमें एक पक्ष अपहृत से काम लेता था। पाणिनि ने धन लेकर या बिना धन दिये न लेने या देने के अपलाप के विषय में प्रयोगों के नियमन के लिए सूत्र बनाया है। कायिकाकार ने शत और सहस्र रूपयों के अपलाप के उदाहरण दिये हैं।^{११} ऐसे विषयों में धर्म्य और न्याय्य की जाँच के लिए शपथ का भी आश्रय लिया जाता था।^{१२} परोक्षा के बाद जिस अभियोग में सचार्द्र प्राप्त नहीं होती थी, उसे असार कहते थे। झूठे मुकदमे के विषय में प्रयुक्त सार शब्द पारिभाषिक था और वह नपुंसकालिग में ही प्रयुक्त होता था। सामान्य सार शब्द, जो कि उत्कर्ष-बोधक है, पुलिग था।^{१३}

आरण्यक न्याय—न्याय के समक्ष धनी, निर्बल या सगक्त और अशक्तिहीन का भेद नहीं था।

१. २-३-५७।

२. ३-४-१४२।

३. ३-२-१४८।

४. अश्वपत्यादि गण।—४-१-८४।

५. सत्यादशपथे सत्येन ज्ञापयेद् विप्रम् (मनु०)। इति तस्यायं निषेधः।—५-४-६६

का०।

६. साक्षाद् द्रष्टरि संज्ञायाम् संज्ञायामिति किमर्थम्? त्रिभि साक्षाद्द्रष्टे भवति। यश्च ददाति यस्मै च दीयते यश्चोपद्रष्टा। तत्र सर्वत्र प्रत्ययः प्राप्नोति। संज्ञाग्रहणसामर्थ्याद् धनिकान्तेवासिनोर्न भवति।—५-२-९१, पृ० ४०२।

७. २-३-३९।

८. १-४-५०, पृ० १७५ तथा २-१-१, पृ० २२८।

९. २-३-३९।

१०. वही।

११. ऐकागारिकदचोरे इदं तर्हि प्रयोजनं चोर इति वक्ष्यामि।—५-१-११३, पृ० ३४।

१२. ३-१-२५, पृ० ६५।

१३. सारशब्द उत्कर्षे पुल्लिङ्गो न्यायादनयेते नपुंसकं तत्सारमिति।—२-४-३१ काशि०।

इसके विपरीत स्थिति अरप्यो की थी, जहाँ बलवान् कमजोर को निगल जाता है। इस स्थिति को भाष्यकार ने 'आरप्यक न्याय' कहा है, जिसके निराकरण के लिए न्याय-विभाग की स्थापना की गई थी।

स्तैन्यापराध—आपराधिक मामलो में, जिनके लिए राजदण्ड दिया जाता था, स्तैन्य, दस्युकार्य और हत्या प्रमुख माने जाते थे। स्तैन्य के अनेक प्रकार थे। अकेले घर में किसी को न देखकर घुस जाना^१ और द्वार बन्द हुए, तो किवाड तोड़कर मालमत्ता उड़ा ले जाना इस युग में सामान्य बात थी।^१ वृक, चोर और दस्यु इन तीन के भयों का भाष्य में पुन-पुन उल्लेख इस बात का प्रमाण है।^५ चोरो के नाम उनके चौर्य-प्रकार पर रखे गये थे। यथा, ऐकागारिकक, पाटघ्न आदि। सामान्य चोर के लिए तस्कर,^१ प्रणाय्य^१ आदि तथा डकैत के लिए दस्यु शब्द का प्रयोग भाष्य में मिलता है। दस्यु-कर्म साहसिक्य या साहस-कर्म भी कहलाता था। भाष्यकार ने कहा है कि अच्छा चोर आँखों से काजल तक चुरा सकता है और अच्छा डकैत भागते हुए का भी रक्त पी सकता है। उन्होंने इन्हे चोररूप और दस्यु-रूप की सजा दी है।^१ इन दोनों के बीच की श्रेणी लुण्ठाको की थी।^१ 'ये लोग रास्ते के किनारे छिपे रहते थे और राहगीरो पर अचानक छापा मारकर उन्हें लूट लेते थे। ये लोग पारिपन्थिक कहलाते थे।^१ कभी-कभी वे यात्रियों को मार डालते थे या बाँधकर डाल देते थे। एक गाँव से दूसरे गाँव को जाने में चोरो और लुटेरो का भय अधिक रहता था।^१ राज्य चोरो और दस्युओ से लोगो की रक्षा करने में समर्थ नहीं थे, यह स्पष्ट है। इसीलिए, भाष्यकार ने प्रेक्षापूर्वकारी पुरुष को चारो और से दस्युओ से वच-वचकर रहने का परामर्श दिया है।^{११}

हत्यापराध—इनके अतिरिक्त हत्याओ का प्रचार पतजलि के समय में बहुत अधिक था।

१. ४-२-१२९, पृ० २१६।
२. १-३-४४ काशि०।
३. ३-२-४४।
४. १-४-५०, पृ० १७५ तथा २-१-१, पृ० २२८।
५. तद्ब्रह्मतोः करपत्योश्चोरद्वेषतयोः सुट् तलोपदच-तस्करः।—६-१-१५७, पृ० १९४।
६. ३-१-१२८।
७. चोररूपोयम्। अप्ययमक्षणो रञ्जनं हरेत्। दस्युरूपोयम्। अप्ययं धावतो लोहितं पिवेत्।—५-३-६६, पृ० ४६०।
८. ३-२-१५५।
९. ४-४-३६।
१०. चोरेभ्यस्त्रायते, दस्युभ्यस्त्रायते इति।—२-३-३५, पृ० ४३०।
११. य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स पश्यति यदीमं चोराः पश्यन्ति ध्रुवमस्य वध-बन्धन परिवर्त्तेश इति स बुद्ध्या सम्प्राप्य निवर्त्तयति।—१-४-२५, पृ० १६२, तथा २-३-३५, पृ० ४३०।

मातृहा, पितृहा, भ्रातृहा,^१ भ्रूणहा,^२ कुमारघाती, राजघ^३ और सिर फोड़ डालनेवाले शीर्षघाती^४ लोगो का इस युग में बाहुल्य था। पुरुष की हत्या के लिए भाष्य में 'पौरुषेयवच' शब्द का भी प्रयोग हुआ है।^५ आत्महत्या अपराध मानी जाती थी या नहीं, यह भाष्य में स्पष्ट नहीं है, किन्तु कष्टों से ऊबकर लोग आत्मघात अवश्य करते थे।^६ आत्मघात का सरल उपाय था विष-भक्षण। ब्राह्मणों में पत्नियों को और वृषलो में पति को मार डालना सामान्य बात थी। ब्राह्मणों और वृषलो का यह एक लक्षण ही बन गया था।^७ ब्रह्महत्या यद्यपि बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, फिर भी ब्रह्महत्याएँ होती थीं।^८ यही बात भ्रूणहत्या के विषय में कही जा सकती है। भाष्य में भ्रूण हत्या का बार-बार उल्लेख मिलता है।^९

दण्ड—यह तो स्पष्ट नहीं है कि किस अपराध के लिए राज्य की ओर से कौन-सा दण्ड दिया जाता था, फिर भी दण्ड के प्रकारों के विषय में भाष्य से कई सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं। आर्थिक दण्ड वैयक्तिक भी होते थे और सामूहिक भी। सामूहिक दण्ड कुटुम्ब-विशेष के लिए दिये जाते थे। राज्य इस बात की चिन्ता नहीं करता था कि दण्डित कुल के किस सदस्य ने दण्ड का रुपया चुकाया और किसने नहीं। जुरमाने की पूरी रकम का वसूल हो जाना उसके लिए पर्याप्त था। राजा लोग धन के लोभी थे।^{१०} भाष्य में द्विपाद और द्विशत कार्ष्णिण के दण्ड का उल्लेख है।^{११}

शारीरिक दण्ड भी कई प्रकार के थे। यथा—सामान्य मारपीट, कोड़े लगाना, मूसल से मारना^{१२}, अगविशेष काट लेना, सिर काट लेना, कुत्तो से चिथवाकर मार डालना, विष देकर मार डालना^{१३} तथा शूली-फाँसी द्वारा, जिसे वध्य की सामान्य सजा दी गई थी, मार देना।

१. ३-२-८७, पृ० २३५।

२. वही।

३. ३-२-५५, पृ० २१९।

४. ३-२-८४, पृ० २३३।

५. ५-१-१०, पृ० ३२०।

६. १-४-५०, पृ० १७५।

७. ३-२-५२, पृ० २१८।

८. ३-२-८५, पृ० २३५।

९. ३-१-१०८, पृ० १८५।

१०. गगाः शतं दण्ड्यन्ताम्। अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं

दण्डयन्ति।—१-१-१, पृ० १०३।

११. ५-४-२, पृ० ४८२।

१२. ५-१-६४, ६५, ६६, तथा दण्डादि गण में दण्ड मूसल, कशा, वध।

१३. ४-४-९१।

जिसका अपराध सिर काट लेने योग्य माना जाता था, उसे शीर्षच्छेद्य या शीर्षच्छेदिक कहते थे।^१ इसी प्रकार, दण्ड्य, मूसल्य, कश्य, वष्य आदि विशेषण अपराधानुसार निश्चित किये गये थे। अगच्छेद के योग्य अपराधी छेद्य कहलाता था।^२ अपराधी वृषल को कुत्तो की मौत मार डाला जाता था।^३ यही हाल दस्युओं का किया जाता था।^४

१. शीर्षच्छेदाद्यच्च ५-१-६५।

२. ५-१-७६, पृ० ३३५।

३. श्वघात्यो वृषलः ३-१-१०७, पृ० १८५।

४. आप्नते दस्युहत्यापदस्युहत्या श्वहत्या वर्तते।—३-१-१०८, पृ० १८५।

अध्याय ३

सेना

युद्ध-कला—भाष्य मे व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनो प्रकार के युद्धो का उल्लेख मिलता है। व्यक्तिगत शक्ति एव युद्ध-कला-नैपुण्य गोभा की वस्तु थे। मल्लविद्या, मुष्टिक-विद्या तथा नानाप्रकार की प्रहरण-क्रीडाएँ^१, जिनमे लाठी तथा आत्मरक्षा के अन्य साधनो का अभ्यास किया जाता था, इस समय खूब प्रचलित थी। मल्ल और मुष्टिक की पकड़ के लिए एक विगिष्ट शब्द 'संग्राह'^२ प्रचलित था। पुरुष व्याघ्रवत् शूर बनने मे गौरव का अनुभव करते थे।^३ जिन गाँवो मे वीर पुरुष रहते थे, उनका विशेष सम्मान होता था।^४ वीरो की इन कलाओ मे प्रतियोगिताएँ भी होती थी। स्वर्ग मे प्रतिपक्षी को ललकारने मे 'आह्वयते' आदि^५ धातु के आत्मनेपदीय रूप व्यवहृत होते थे।^६

दूसरे प्रकार के युद्ध सामान्यतया राजाओ के बीच होते थे।^७ शत्रुओ से अपनी रक्षा करने के लिए तथा प्रतिपक्षी पर प्रहार करने के लिए राजा लोग दृढ सेनाओ का संगठन करते थे।^८ ये युद्ध सेना के बल पर लड़े जाते थे। परिमाण तथा गुण के आधार पर सामान्य, परम और उत्तम सेनाएँ थी।^९ जय-पराजय इन्ही के सुसंगठन पर निर्भर थी।^{१०}

सेना के अंग—सेना के चार अंग थे—हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। भाष्यकार ने इन्ही के द्वारा संग्राम का प्रतिविधान बतलाया है।^{११} संग्राम शब्द से अनुमान होता है कि प्रारम्भ मे संग्राम के लिए एकत्र जन-समूह और बाद मे युद्धार्थ एकत्र समूह संग्राम का अंग रहा। भाष्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि सेना मे किस वर्ण के लोग रहते थे और जो लोग रहते थे, वे क्याही होते थे

१. ४-२-५७।

२. मल्लस्य संग्राहः मुष्टिकस्य संग्राहः।—३-३-३६, पृ० ३०३।

३. पुरुषोऽयं व्याघ्र इव शूरः पुरुषोऽयं व्याघ्र इव बलवान्।—२-१-५६, पृ० ३१२।

४. २-१-६९, पृ० ३२३।

५. १-३-३१।

६. सप्रहरन्ते राजानः।—१-३-३५, पृ० ६०।

७. दृढ सेनो राजा—२-४-१९, पृ० ४७०।

८. वही।

९. पराजयति सेना।—१-३-१९, पृ० ६०।

१०. देवदत्तस्य समाशं शरावैरोदनेन ज यज्ञदत्तः प्रतिविषते तथा संग्रामं हस्त्यश्वरथ-पवातिभिः।—१-१-७२, पृ० ४४७।

या केवल युद्ध-प्रसंगों पर भरती कर लिये जाते थे। डॉ० जायसवाल के अनुसार ईसा-पूर्व छठी शताब्दी तक राजाओं के पास स्थायी सेना नहीं रहती थी।^१ इस समय तक सगठित सेना के पत्ति और रथी ये दो ही अंग थे। चतुरगवल महाभारत में ही सर्वप्रथम उपलब्ध होता है। भाष्यकार के समय में सेनागो के स्पष्ट विभाग हो चुके थे एव हस्ती और अश्व उसके महत्त्वपूर्ण अंग थे।^२ वैदिक काल में भी सेना के दो ही अंग मिलते हैं—पत्ति और रथी। महाभारत (शान्ति पर्व, १०३-३८) में सेना के चतुरगो का वर्णन है। मुख्य चतुरगो के अतिरिक्त भारवाहक, शिप्स, गुप्तचर और स्थानीय निदोष्ठा इन्हें मिलाकर सेना के कुल आठ अंग हो जाते हैं।^३

सेना-संगठन—सेना का संगठन सामान्यतया क्षत्रियों से होता था, किन्तु ब्राह्मण भी सेना में काम करते थे। काशिकाकार ने इस ओर स्पष्ट संकेत किया है।^४ सेनापति पुष्यमित्र शुंग स्वयं ब्राह्मण थे, किन्तु ये अपवाद-मात्र थे, इसीलिए युद्धविद्या और धनुर्विद्या क्षत्रविद्या मानी जाती थी। भाष्य में भी इसे क्षत्र-विद्या ही कहा है।^५ वैदिक काल में अवश्य विश्व युद्ध में बराबर भाग लेते थे।^६ ग्रामणी, जिसपर ग्राम-रक्षा का भार रहता था, वैश्य ही होता था।^७ फिर भी, श्री पी० सी० चक्रवर्ती के मत से यह धारणा, सैनिक का कार्य केवल क्षत्रियों का एकाधिकार था, भ्रान्त है।^८ ह्वीलर (हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, भाग १, पृ० ७७) का कथन है कि कुछ अतिप्राकृत कहानियों को छोड़कर अन्यत्र कहीं ब्राह्मण सैनिक के रूप में चित्रित नहीं हुए हैं, ठीक नहीं जान पड़ता।

सेनापति—सेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। भाष्यकार ने इसे सर्वत्र सेनानी कहा है।^९ सेनानी और सूत शतपथ (५-३-१)-काल में ही राजा के रत्नियों में गिने जाते थे। सेनानी के साथ बार-बार उल्लिखित ग्रामणी भी ग्राम में सैनिक-मुख्य का काम करता था। भाष्यकार के समय में ग्रामणी और सेनानी दोनों अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सैनिक-पद थे।^{१०} इनके कारण इनके परिवार या कुल भी सम्मानित माने जाते थे। सेनानिपुत्र और सेनानिकुमारीपुत्र का राज-कुमारी और राजकुमारीपुत्र के साथ उल्लेख उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा का परिचायक है।^{११}

१. हिन्दू पालिटी, पृ० १८८, ९०।
२. २-४-२, पृ० ४६२ तथा २-४-१२, पृ० ४६६।
३. शान्तिपर्व, १-३-३८ तथा वी० के० मजूमदार: मिलिटरी सिस्टम इन एन० इण्डिया।
४. ब्राह्मणसेनम्।—२-४-२५।
५. ४-२-६०, पृ० १८७।
६. ऋग्वे० १-६९-३ तथा १-१२६-५।
७. वै० इण्डेक्स १-२०४।
८. दि आर्ट ऑफ़ वार इन० इण्डिया।
९. १-१-६० पृ० ३६२
१०. ६-३-१, पृ० २९७।
११. १-२-४८, पृ० ५४५ तथा ६-१-७१।

ग्रामणिभोगीन और सेनानिभोगीन शब्द उन्हें दी जानेवाली शारीरिक सुख-सुविधाओं के सूचक हैं। इनके साथ राजभोगीन और आचार्यभोगीन शब्द भी आये हैं जो इन पदों को आचार्य और राजा के लगभग समान सूचित करते हैं।^१ अधिक अधिकार-सम्पन्न ग्रामणी और सेनानी ग्रामणीतर तथा सेनानीतर कहे जाते थे।^२ इनके अतिरिक्त अश्वपति, शतपति,^३ अनुशक्तिक,^४ रथगणक, पत्ति-गणक,^५ पूतनाषाह,^६ सेनाचर^७ आदि कुछ सेनाधिकारियों के नाम गणपाठों में मिलते हैं।

सैन्य—सेना के सामान्य सिपाही को सैन्य कहते थे। यह सेना में समवेत, अर्थात् बाहर से आकर उसमें मिलकर एक बन गया व्यक्ति माना जाता था।^८ सैन्यो में हस्तिपक^९ तथा हस्त्यारोही के अतिरिक्त रथिक, आश्विक और पदाति का भाष्य में उल्लेख है। रथिक अन्तिम तीनों में शीघ्रगामी और आश्विक शीघ्रतरगामी था।^{१०} अश्ववार या अश्वपाल का स्थान रथी के बाद था।^{११} सेनानीतर के समान रथीतर भी विशिष्ट रथी का वाचक था।^{१२} उष्ट्रसादि^{१३} भी सेना के अंग रहे होंगे, यद्यपि उष्ट्र सेना का अंग बतलाया नहीं गया है। पदाति, पदाजि और पदिक^{१४} एव पत्कापो^{१५} या पत्ति (याजकादि) ये पैदल-सेना के नाम थे। पाणिनि ने साल्व-प्रदेश के पदाति-वर्ग का विशेषतः उल्लेख किया है। सम्भवतः, यहाँ की पदाति-सेना विशेषतः प्रशिक्षित होती थी।^{१६} सेना के ये चारों प्रकार के सैनिक राजयुष्वा कहलाते थे।^{१७}

प्राचीन सैन्य-मूर्तियाँ—इस काल के सिक्कों तथा प्रस्तर-मूर्तियों से प्राप्त विवरणों से भी पतंजलि के एतद्विषयक उल्लेखों का समर्थन होता है। इस समय के ग्रीक, सीथियन और पाथियन मूर्ति-चित्रों में यवन आक्रमणकारी राजाओं को कवचचारी दिखाया गया है। उनके सिर पर

१. ५-१-९, पृ० १००।

२. ६-३-४३।

३. ४-१-८४।

४. ७-३-२०।

५. ५-१-१२९।

६. ८-३-१०९।

७. ३-२-१७।

८. ४-४-४५।

९. १-३-६७, पृ० ८५।

१०. रथिक आशुगच्छत्याश्विकश्चिरेण पदातिश्चिरतरेण।—१-१-७०, पृ० ४४५।

११. ८-२-१८, पृ० ३४८।

१२. ८-२-१७, पृ० ३४१।

१३. ६-२-४०।

१४. ६-३-५२, ५३, पृ० ३३८।

१५. वही।

१६. ४-२-१३५।

१७. ३-२-९५।

टोप तथा हाथो मे असि और शक्ति (भाले) है। कुछ शासक हाथी या घोड़े पर सवार है। इनमे कुन्त, यष्टि आदि आयुधो के भी दर्शन होते है।^१ भारत की ईसा-पूर्व दूसरी और पहली शती की मूर्तिकला से भी इस बात की पुष्टि होती है। भरहुत के स्तूप पर अश्वो से खीचे जाते हुए रथ, नावें, बैलगाडियाँ, नाव, पुरानी शैली की तलवारे तथा पदातियो का जुलूस अंकित है।^२ साँची के स्तूप, स० १ मे भी जहाँबुद्ध के अस्थि-अवशेषो के लिए कुशीनारा के मल्लों पर अन्य क्षत्रिय-वशो का आक्रमण और घेरा दिखलाया गया है, वहाँ भी रथ और गज खुदे हुए हैं। विजेतागण रथो पर सवार है और गजमस्तक पर अवशेष रखे हुए हैं। इसी स्तूप मे प्राकार खुदे है। दक्षिण और पश्चिम के पिछले तोरणो पर यह सघर्ष विशद रूप से अंकित है।^३ पत्ति सेना का विस्तृत रूप साँची और भरहुत दोनो स्थानो मे उपलब्ध है। इन प्राकारो के अकन के विषय मे रीज डेविड्स ने लिखा है कि सम्भवत पुराणतर काल से प्राकार एक ही प्रकार के बनाये जाते है।^४ इस प्रकार महाभारत और पतजलि के चतुरंग वल का कलात्मक अकन भरहुत और साँची की कला मे उपलब्ध है।

सेना की रचना—परिमाण की दृष्टि से पत्ति, सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, चमू, अनीकिनी और अक्षौहिणी क्रमश उत्तरोत्तर विशाल सगठन थे। इनमे पत्ति और सेना का उल्लेख ऊपर हो चुका है। पृतना और अनीक वैदिक शब्द है। भाष्यकार ने इनका उल्लेख किया है।^५ गुल्म के नायक को गौल्मिक कहते थे।^६ अक्षौहिणी का उल्लेख पाणिनि ने नहीं, वात्तिककार एवं भाष्यकार ने किया है।^७ महाभारत के आदिपर्व (२-१९) के अनुसार इन घटको की सैनिक सख्या इस प्रकार होती थी—

घटक	रथ	हस्ती	अश्व	पदाति
पत्ति	१	१	३	५
सेनामुख	३	३	९	१५
गुल्म	९	९	२७	४५
गण	२७	२७	८१	१३५
वाहिनी	८१	८१	२४३	४०५
पृतना	२४३	२४३	७२९	१२१५
चमू	७२९	७२९	२१८७	३६४५
अनीकिनी	२१८७	२१८७	६५६१	१०९३५
अक्षौहिणी	२१८७०	२१८७०	६५६१०	१०९३५०

१. कम्बिज हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया, जिल्द १, भाग ७, पृ० ३८९।
२. कर्निघमः दि स्तूप ऑफ् भरहुत, प्लेट-सं० ३२।
३. मार्शलः ए गाइड टु साँची, प्लेट-सं० ४, ५ तथा २६, २७।
४. बुद्धिस्ट इण्डिया, भारतीय सं०, पृ० ४७।
५. ६-१-६३, पृ० ८६ तथा ५-४-३०, पृ० ४९१।
६. ४-२-१०४, पृ० २०८।
७. ६-१-८९, पृ० १३८।

शान्ति-पर्व (१००-३१) में वर्णित घटको का निर्माण १०-२०-३०-४० के ढग पर है। व्यूह की दृष्टि से अनेक प्रकार की सेनाओं में उलूक-पुच्छी रचना से भी भाष्यकार परिचित थे। काशिकाकार ने 'दन्तावल' भी सेना का प्रकार बतलाया गया है।^१ सेना का अग्रभाग सेनामुख और पश्चिम भाग सेना-जघन कहलाता था। दिगादिगण (४-३-५४) में इसी अर्थ में मुख और जघन शब्द परिगणित हैं।^२

क्षौद्रक मालवी सेना—भाष्यकार के समय में सर्वाधिक प्रख्यात सेना, जिसका उन्होंने विशेषतः उल्लेख किया है, क्षौद्रकमालवी थी। यह शब्द सेना के लिए रूढ था। क्षुद्रक-मालवी से सम्बद्ध अन्य बातों के लिए 'क्षौद्रकमालवक' शब्द व्यवहृत होता था। यह बात इस सेना की प्रसिद्धि की द्योतक है। सिकन्दर के आक्रमण के लगभग डेढ़ सौ वर्षों के बाद भी इस सेना का यद्यपि स्थिर बना रहा। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार मेसिडोनियन आक्रमण के समय इस सेना में १३० हाथी, १००० रथ, ५००० घोड़े और १७०००० (८०००० क्षुद्रक, ९०००० मालव) पदाति सैनिक थे।^३ अकेले क्षुद्रको ने भी ग्रीक आक्रमणकारियों को परास्त किया था। भाष्यकार ने बार-बार असहाय (अकेले) क्षुद्रको की विजय का उल्लेख किया है।^४ स्वयं पुष्यमित्र की सेना भी इस समय अत्यन्त सवल थी, जिसके बल पर पुष्यमित्र ने युधिष्ठिर के पुत्र, वैकुण्ठिका के राजा डेमोट्रियस के आक्रमण को विफल कर दिया था।^५ यद्यपि भाष्य में पुष्यमित्र की सेनाशक्ति का विशेष विवरण नहीं प्राप्त होता, फिर भी यवनो द्वारा साकेत और मध्यमिका (चित्तौड़ की नागरी) पर घेरा डालने के विषय में महाभाष्यीय उल्लेख तथा कालिदास के मालविकाग्निमित्र में वर्णित वसुमित्र द्वारा सिन्धु (मालवा की कालीसिन्धु) के तट पर यवनराज की पराजय से उसके बल का अनुमान किया जा सकता है। ग्रीक आक्रमणों की शृंखला में डेमोट्रियस का आक्रमण अन्तिम था। पुष्यमित्र ने राज्य की प्रतिरक्षा के लिए अन्तपालों को नियुक्त कर उन पर सीमा की सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया था।^६ कालिदास के अनुसार नर्मदा-तट पर वीरसेन उसका अन्त पाल था।

संग्राम—संग्राम को आहूत भी कहते थे। पाणिनि ने संग्रामों के नामकरण के दो आचार बतलाये हैं—प्रयोजन और योद्धा। यदि संग्राम का प्रयोजन सुभद्रा की प्राप्ति हुई, तो उस संग्राम

१. ४-१-५५, पृ० ६९।

२. ५-१-११३, काशि०।

३. ४-३-५४ काशि०।

४. मैक्निडल: इण्डिया एण्ड इट्स इनवेजन बाई अलंगजेण्डर, पृ० २७८।

५. ५-३-५२, पृ० ४४३।

६. स्त्रिम्य: अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० २११ तथा रायचौधरी: पालि० हिस्ट्री ऑफ ऐन इण्डिया, पृ० २६७ तथा गंगानाथ झा: रिसर्च इन्स्टी० जर्नल, जिल्द ४, भाग १, नव० १९४०।

७. भण्डारकर: डेट ऑफ पतंजलि, इंडियन ऐण्टिक्वेरी, १८७२, पृ० ३००।

८. मालविकाग्निमित्र, प्रथम अंक।

९. ३-३-७३।

का सौभद्र कहते थे। इसी प्रकार, यदि किसी युद्ध में लड़नेवाले लोग भरत हुए, तो उस युद्ध का नाम भारत पड़ जाता था। इसी आधार पर कौरव-पाण्डव-युद्ध का नाम भारत-युद्ध पड़ गया था, जो आगे चलकर महाभारत बन गया।^१ महाभारत का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है।^२

सेना-संचालन—ज्ञानु के प्रति सेना-संचालन के लिए 'अभिषेणयति' और कवच-धारण की क्रिया को 'सर्वमयति' ये विभिन्न प्रयोग व्यक्त करते थे।^३ सभी सैनिक कवच धारण करते थे। इस क्रिया के लिए पतञ्जलि ने 'युद्धाय सन्नहते' इस विशेष वाक्य का प्रयोग किया है।^४ सनद्ध शब्द का मूल अर्थ युद्ध के लिए तैयार होना था, जो बाद में 'किसी भी काम की तैयारी' हो गया। सैनिक-जीवन में प्रवेश की आयु निश्चित थी। उस आयु को प्राप्त योद्धा कवचहर कहलाता था।^५ कवच-हर अवस्था तारुण्य का प्रवेश-काल था। कवच धारण करनेवाले कवची और उनका समूह कावचिक कहा जाता था।^६ युद्ध-जय के पश्चात् लूट या भेंट में घन की प्रचुर प्राप्ति होती थी। भाष्य में प्रत्येक युद्ध में घन जीतकर लाने का उल्लेख है।^७

सैनिकों के वर्ग—सैनिक का परिचय उसके द्वारा प्रयुक्त किये जानेवाले अस्त्र या शस्त्र से दिया जाता था। असि चलानेवाला आसिक और परश्वध चलानेवाला पारश्वधिक कहलाता था।^८ इसी प्रकार शाक्तीक और याष्टीक सैनिक इन अस्त्रों के प्रयोग में निपुण होते थे।^९ भाष्य में शाक्तीकी और याष्टीकी रत्नी-सैनिकों का उल्लेख मिलता है। सम्भवतः, ये राजप्रासादों की रक्षा करनेवाली अन्तःपुर में नियुक्त सैनिकाएँ थीं।^{१०} रथ से युद्ध करनेवाला रथी होता था और श्रेष्ठ रथी रथीतर कहलाता था।^{११}

युद्ध के नियम—युद्ध के कुछ नियम थे। योद्धा अपनी श्रेणी के ही सैनिक से युद्ध करते थे। रथी रथियों से और आश्विक आश्विकों से मिड़ते थे।^{१२} इसी प्रकार, दो सैनिक एक ही अस्त्र लेकर परस्पर प्रहार करते थे। असिधारी के साथ दूसरा सैनिक असि से ही लड़ता था।^{१३} एक दूसरे के

१. ४-२-५६।
२. ६-२-३८।
३. ३-१-२५।
४. १-४-३२, पृ० १६८।
५. ३-२-१०।
६. ४-२-४१।
७. घनञ्जयो रणे रणे।—३-३-५८, पृ० ३०८।
८. ४-४-४७, ४८, ५९, पृ० २८१।
९. ४-४-५९, पृ० २८१।
१०. ४-१-१५, पृ० ४१।
११. ८-२-१७, पृ० ३४१।
१२. रथी रथिनमपलापयते।—६-१-४८, पृ० ७९।
१३. अश्वैर्युद्धम्, असिभिर्युद्धम्।—५-१-५९, पृ० ३३३।

केग पकड़-पकड़कर या परस्पर लाठी मार-मारकर किये जानेवाले युद्ध केनाकेमि और दण्डा दण्डि आदि कहलाते थे।^१

प्रहरण—युद्ध में प्रयुक्त होनेवाले प्रहरणों को आयुध कहते थे।^२ ये दो प्रकार के थे—सरक्षात्मक और प्रहरणात्मक। संरक्षात्मक आयुधों में बर्म या कवच का उल्लेख ऊपर हो चुका है। आवरण चर्म या ढाल को कहते थे, जो गँड़े के चमड़े का होता था। इसी चर्म के लिए द्वीपी को मारने का उल्लेख भाष्यकार ने किया है।^३ गिरस्त्राण गिरोरक्षा के लिए पहने जाते थे, क्योंकि शीर्षघात युद्ध के नैतिक नियमों के अनुकूल था। भाष्यकार ने एकाधिक बार सिर पर प्रहार करने की चर्चा की है।^४

प्रहरणात्मक आयुधों में असि, धनुष, बाण, कुन्त, शक्ति, यष्टि, परगु, आरागस्त्री, मूल, लांगल, अंकुश, दण्ड आदि के नाम भाष्य में मिलते हैं। धनुष ताल के भी वनते थे।^५ इन्हे कार्मुक भी कहते थे। ऋमुक नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाये जाने के कारण यह नाम पड़ा था।^६ वाद में अन्य वृक्षों की लकड़ी का भी व्यवहार होने लगा और कार्मुक का मूल अर्थ विस्मृत कर दिया गया। ऋमुक का उल्लेख काठक (१९-१०), गतपथ (६-६-२-११) और कौशीतकी (२८) ब्राह्मण में मिलता है। वाद में कार्मुक की व्याख्या करते हुए क्रिया में समर्थ होने के कारण वैयाकरणों ने उसका यह नाम माना है।^७ बाण धारण करने के कारण कार्मुक को इप्वास नाम दिया गया था। वड़े आकार के धनुष महेप्वास कहे जाते थे।^८ भाष्य में गाण्डीव, अजगव और झाङ्ग ये त्रिगिण्ट प्रसिद्ध धनुषों के नाम आये हैं। धनुष में दृढता का व्यान सर्वाधिक रखा जाता था। इप्वास एक कोस की दूरी से भी लक्ष्य वेध कर सकता था।^९ युद्ध का अधिकान्त धनुष से लड़ा जाता था। धनुष को भाष्य में नखमुच, अर्थात् नखों को छील देनेवाला कहा है।^{१०} धनुष के वाद असि का प्रयोग सर्वाधिक होता था। असिबन्ध, अस्युद्यत, असि के सहारे युद्ध, अण्वों के सहारे युद्ध जैसे कथनों की पौनःपुनिक आवृत्ति इसका प्रमाण है। साधारणतया लोग असि या दण्ड हाथ में लेकर चलते थे।^{११}

१. २-२-२७, पृ० ३७७।
२. आयुध्यन्ते तेनायुधम्।—३-३-५८, पृ० ३०८।
३. चर्मणि द्वीपितं हन्ति।—२-३-३६, पृ० ३९२।
४. इदं ते शिरो मिनते।—६-१-६०, पृ० ८४ तथा शीर्षघातो।—३-२-८४, पृ० २३३।
५. ४-३-१५२।
६. वाज० सं० ११-७० महीघर भाष्य
७. ५-१-१०३।
८. ६-२-३८।
९. इहल्योपमिष्वासः क्रोशाल्लक्ष्यं विध्यति।—२-३-७, पृ० ४१०।
१०. ३-२-५, पृ० २१०।
११. ३-१-९७, पृ० १८२।
१२. २-२-३६, पृ० ३९२।
१३. ५-१-५९, पृ० ३३३।
१४. असिपाणिः दण्डपाणिः।—२-२-६६, पृ० ३९२।

असि कुक्षि मे लटकाई जाती थी, इसीलिए इसे कौक्षेयक भी कहते थे।¹ इसका म्यान चमड़े का बनाया जाता था।² रक्त वरसाने के कारण इसका एक विशेषण सेकिम भी प्रचलित था।³ कृपाण शब्द भी भाष्य मे आया है।⁴ धनुष के प्रहार को वेध और असि के प्रहार को छेद कहते थे।⁵ कुन्त या भाला फेककर मारा जाता था। यष्टि भी फेककर मारते थे। यष्टि और दण्ड मे अन्तर था। दण्ड बड़ा मोटा लट्टु होता था।⁶ कुन्त भी हाथ मे लेकर चलने की प्रथा थी। शक्ति या सागा भाले का ही एक प्रकार था। यह फेककर मारी जाती थी। लागल केवल ध्वज-चिह्न ही नहीं था, अस्त्र के रूप मे भी व्यवहृत होता था। अकुञ और तोमर (एक प्रकार की वरछी) भी युद्ध मे प्रयुक्त होते थे। भाष्यकार ने शक्ति-ग्रह, लागल-ग्रह, अकुञ-ग्रह, यष्टि-ग्रह, तोमर-ग्रह और धनुर्ग्रह का एक साथ उल्लेख किया है।⁷ मूसल शस्त्र था। उसे चलाने का नियमित अभ्यास किया जाता था।⁸ प्राणदण्ड पाये हुए अपराधी भी असि और मूसल से मारे जाते थे।⁹ शस्त्री या छुरी लोहे की बनती थी। उसका रंग श्याम बतलाया गया है।¹⁰ यह तीक्ष्ण, पतली और लम्बी होती थी।¹¹ आरा भी शस्त्री का एक भेद था।¹² परशु फरसा प्रसिद्ध ही है। दूसरो या शत्रुओं के काटने का काम करने के कारण यह परशु कहलाता था।¹³ शक्ति की ही श्रेणी का एक आयुध किटक भी था।¹⁴ भाष्य ने प्रहरणो के आयुध और आविध ये भेद किये है। शक्ति, किटक, कुन्त आदि प्रक्षेपास्त्र आविध कहलाते थे।¹⁵

अवहार—दो पक्षों मे सम्पन्न होनेवाले युद्धोत्तर समझीते या सधि को अवहार कहते थे।¹⁶ अवहार के पश्चात् दोनों पक्ष अपने-अपने अस्त्र समेटकर मैत्री-भाव प्राप्त कर लेते थे।

१. ४-२-९६, पृ० २०२।
२. चामः कोशः।—६-४-१४४, पृ० ४८३।
३. ४-४-२०, पृ० २७६।
४. ८-२-२८, पृ० ३४२।
५. १-४-१, पृ० १०९।
६. ४-१-४८, पृ० ५९।
७. ३-२-९। पृ० २१०, ११।
८. २-२-३६, पृ० ३९२।
९. ३-१-९७, पृ० १८२।
१०. शस्त्रीविद्यामा।—१-४-१, पृ० १०६।
११. वहवः शस्त्रयां गुणास्तीक्ष्णा सूक्ष्मा मृदुरिति।—२-१-५५, पृ० ३०९।
१२. ३-३-१०४, पृ० ११४।
१३. परान् धृणातीति परशुः।—१-१-६१, पृ० ३९४।
१४. १-४-१०१, पृ० २०८।
१५. आविध्यन्त्यनेनाविधम् आयुध्यन्ते तेनायुधम्।—३-३-५८, पृ० ३०८।
१६. अवह्वयन्तेस्मिन् (शस्त्राणि) इत्यवहारः।—३-३-१२१, पृ० ३१८।

अध्याय ४

जनपद और जनपदी

विश्व और जन—महाभाष्य में जनपदों की चर्चा बार-बार मिलती है। जन या विशिष्ट लोगों के निवास की भूमि होने के कारण विशेष भू-भाग जनपद कहलाते थे। ऋग्वेद में जन शब्द तत्कालीन सर्वप्रमुख राजनीतिक संगठन के रूप में मिलता है। यह कई विश्व का समूह था। विश्व में कई ग्राम सम्मिलित रहते थे। विश्व और जन तथा ग्राम और विश्व का पारस्परिक सम्बन्ध ऋग्वेद में स्पष्ट नहीं है। ब्राह्मण-काल तक आते-आते विश्व का अस्तित्व समाप्तप्राय हो गया और जन एव गीत्र सर्वाधिक विभाजक तत्त्व बन गये। सामान्य जन-संख्या वैश्य (विश्व) कहलाने लगी।

जनपद—पतञ्जलि के समय में जनपद विषय या देश को कहते थे। डॉ० जायसवाल के मत से जनपद में किसी राज्य की राजधानी को छोड़कर शेष सारा क्षेत्र सम्मिलित माना जाता था। राजधानी, जिसे पुर, नगर या दुर्ग कहते थे, उसमें नहीं गिनी जाती थी।^१ जनपद का मूल अर्थ जन या विशेष क्षत्रिय-वर्ग की निवासभूमि, अभी तक विस्मृत नहीं हो पाया था। जनपदों के नाम उनके मूलजनो के नाम पर ही प्रचलित थे। उनके राजा या शासक भी उसी मूलजन के वंशज थे।^१ उनके निवासियों में भी उसी जन के वंशजों का बाहुल्य था और यदि बाहुल्य न हुआ, तो भी प्रभुत्व अवश्य था, यद्यपि जनपदों में उनके मूलजनो से भिन्न लोग भी रहते थे। क्षत्रिय जनपदों में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र भी बड़ी संख्या में बसते थे।^१ इस समय मूलजन और जनपद दोनों की स्वतन्त्र और पृथक्-पृथक् सत्ता स्वीकृत हो चुकी थी। इसीलिए, किसी जनपद के निवासी को उस जनपद के नाम से ही पुकारे जाने पर भी यह आवश्यक नहीं रह गया था कि वह उस जनपद के मूलजन से भी सम्बद्ध हो। उदाहरणार्थ, पंचाल जन के कारण विशेष भू-भाग (वर्तमान बरेली और उसके पास-पड़ोस का उत्तरप्रदेश का क्षेत्र) का नाम पंचाल पड़ा। घोरि-वीरे पंचाल जन का महत्त्व कम होता गया और पंचाल शब्द प्रदेश के अर्थ में विशेष प्रसिद्ध हो गया। प्रारम्भ में पंचाल-प्रदेश में रहनेवाली क्षत्रिय जाति के लोग ही पंचाल कहे जाते थे। बाद में पंचाल-प्रदेश में रहनेवाला हर व्यक्ति पंचाल कहलाने लगा। इस प्रदेश पर शासन पंचाल जन का ही बना रहा। इनलिपि,

१. हिन्दू पॉलिटी, पृ० २३०, ३१।

२. क्षत्रियसमानशब्दाञ्जनपदास्तस्य राजन्यपत्यवत्प्रत्यया भवन्तीतिवाच्यम्।—

४-१-१६९, पृ० १६३।

३. जनपदशब्दात्क्षत्रियादञ्— अथ क्षत्रियग्रहणं किमर्थम् ? इहमाभूत् विदेहो नाम ब्राह्मणास्यापत्यं वैदेहिः।—वही, पृ० १६२।

पचाल का राजा पाचाल पुकारा जाता था और उसके अपत्य भी ।^१ कुछ जनपदों के मूल निवासी क्षत्रियों में अहकार की मात्रा विशेष थी और वे अपना जातीय अस्तित्व पृथक् बनाये रखना चाहते थे । क्षौद्रक और मालव इसी प्रकार के जनपद थे । ये सघ-शासित प्रदेश थे । क्षौद्रको और मालवों की सन्तान क्षौद्रक्य तथा मालव्य कहलाती थी, किन्तु इनके दास या कर्मकर क्षौद्रक्य और मालव्य नहीं कहला सकते थे, भले ही वे क्षौद्रक-मालव जनपदों के निवासी हों । ये शब्द इन जातियों के अपने लोगों के लिए ही रूढ़ थे ।^२

कुछ जनपद ऐसे भी थे, जिनके नाम उनकी शासक क्षत्रिय-जाति के आधार पर नहीं रखे गये थे । काशिकाकार ने पौरवों और द्रौह्यवों के अधीन जनपदों को इसी कोटि का वतलाया है ।^३ ये लोग पुरु और द्रुह्य के वंशज थे, किन्तु भाष्य में पुरु को जनपद भी कहा है और उसके शासक को पौरव सज्ञा दी है ।^४

मूलजन तथा उसके निवास का नाम-साम्य पाणिनि-काल में ही सुविदित हो चुका था । इसलिए, उन्होंने इन क्षत्रिय जनो के आगे होनेवाले चातुर्यिकों में प्रत्ययों का जनपद अर्थ गम्यमान होने पर लोप-विधान किया था । इस प्रकार, पचाल या विवेह क्षत्रियों के निवास-जनपद भी पचाल कहलाते थे ।^५ प्राचीन आचार्यों ने इस विषय में नियम भी बनाये थे कि निवासी क्षत्रियों के लिंग और वचन ही उनके निवास-जनपदों के लिंग और वचन होते हैं । ये नियम इन क्षत्रियों और जनपदों में ऐकात्म्य स्थापित करने के लिए थे ।^६ पाणिनि-काल तक आते-आते यह बात इतनी प्रसिद्ध हो गई कि इसके लिए व्याकरण में पृथक् नियम बनाने की आवश्यकता नहीं समझी जाने लगी । रात्रि, दिन, अहोरात्र तथा शब्द में प्रत्यय की प्रवृत्तता आदि के समान यह बात भी इतनी प्रसिद्ध और प्रचलित हो गई थी कि इसके लिए किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं मालूम होती थी ।^७ पचाल एक जनपद था, फिर भी उसके लिए बहुवचन का प्रयोग प्रचलित हो गया था, क्योंकि उसके मूलजन पञ्चाल अनेक थे । इस बात को भाष्यकार ने 'पञ्चाला जनपद इति सुभिक्ष-सम्पन्नपानीयो बहुमाल्यफल' तथा 'मधुरापञ्चाला' इन उदाहरणों से स्पष्ट किया है, जिनमें पचाल और जनपद के समानाधिकरण होने पर भी पचाल बहुवचनान्त है तथा जनपद एकवचनान्त तथा मधुरा और पचाल इन दो के द्वन्द्व में भी बहुवचन का प्रयोग है ।^८ भाष्यकार ने पाणिनि के

१. पञ्चालानामपत्यं, विदेहानामपत्यम् । नह्यन्तरेण बहुषु लुक पञ्चाला इत्येतद्भवति ।—४-१-१६९, पृ० १६३ तथा पञ्चालानां राजा पाञ्चालः ।—वही ।

२. इदं तर्हि क्षौद्रकाणामपत्यं मालवानामपत्यमिति । अत्रापि क्षौद्रक्यः मालव्य इति नैतत्तेषां दासे वा भवति कर्मकरे वा । किं तर्हि ? तेषामेव कस्मिंश्चित् वा ।—वही, पृ० १६२ ।

३. ४-१-१६८ ।

४. वही, पृ० १६५ ।

५. ४-२-८१ ।

६. १-२-५१, ५२ ।

७. १-२-५६, ५७, ५८ ।

८. १-२-५२, पृ० ५५४ तथा १-२-५१, पृ० ५५३ ।

‘संज्ञाप्रमाणत्व’ (१-२-५६) की व्याख्या करते हुए कहा है कि विना ही वैयाकरणों की सहायता के जन-सामान्य को इस बात का संज्ञान या बोध हो जाता है।^१ पाणिनि ने इस विषय में एक तर्क यह भी दिया था कि यदि इन जनपदों को यौगिक शब्द माने, तो एक कठिनाई यह भी उपस्थित होगी कि जिस जनपद में आज उसके मूलजन नहीं रहते, उसका वह नाम असंगत हो जायगा।^२

इससे दो बातें स्पष्ट हैं। प्रथम यह कि भाष्यकार के काल में मूल क्षत्रियों से पृथक् जनपदों का स्वतन्त्र अस्तित्व था और दूसरे कुछ जनपद ऐसे भी थे, जिनमें उनके मूलनिवासी क्षत्रिय शेष नहीं रह गये थे।

जन और शासक—इतना होने पर भी इन जनपदों में उनके शासक प्रायः मूल क्षत्रिय जन ही थे। शासन दो प्रकार का था—एकराज-शासन और सषण्शासन। पाणिनि और पतंजलि द्वारा उल्लिखित एकराज-शासन के जनपदों, उनके राजाओं तथा उनके मूल क्षत्रिय-जनों को संज्ञान की संज्ञाएँ निम्नलिखित थी—

मूल क्षत्रिय जन	जनपद	राजा	क्षत्रियापत्य
	१	पाणिनि द्वारा उल्लिखित ^३	
साल्वेय	साल्वेय	साल्वेय	साल्वेय
गान्धारि	गान्धारि	गान्धार	गान्धार
मागध	मागध	मागध	मागध, मागधी (स्त्री)
कालिंग	कालिंग	कालिंग	कालिंग
सौरमस	सौरमस	सौरमस	सौरमस
कौसल	कौसल	कौसल्य	कौसल्य
अजाद	अजाद	आजाध	आजाध
कुरु	कुरु	कौरव्य	कौरव्य, कुरु (स्त्री)
प्रत्यग्रथि	प्रत्यग्रथि	प्रात्यग्रथि	प्रात्यग्रथि
कलकूट	कलकूट	कालकूटि	कालकूटि
अश्मक	अश्मक	आश्मकि	आश्मकि
कम्बोज	कम्बोज	कम्बोज	कम्बोज
अवन्ति	अवन्ति	आवन्त्य	आवन्त्य, अवन्ती (स्त्री)
कुन्ति	कुन्ति	कौन्त्य	कौन्त्य, कुन्ती (स्त्री)

१. किं या एताः कृत्रिभाषिष्ठुभावि संज्ञास्तत्प्रामाण्यादक्षिण्यम्? नेत्याह। संज्ञान संज्ञा।—१-२-५३, पृ० ५५६।

२. योगप्रमाणं च तदभावेऽदर्शनं स्यात्।—१-२-५५।

३. ४-१-१६८ से ४-१-१७८ तक।

२. पाणिनि-सूत्रो मे उल्लिखित और काशिका द्वारा व्याख्यात^१

अग	अग	आग	आग
वग	वग	वाग	वाग
पुण्ड्र	पुण्ड्र	पौण्ड्र	पौण्ड्र
सुह्रा	सुह्रा	सौह्रा	सौह्रा
आम्बष्ठ	आम्बष्ठ	आम्बष्ठ्य	आम्बष्ठ्य, आम्बष्ठ्या (स्त्री)
सौवीर	सौवीर	सौवीर्य	सौवीर्य, सौवीर्या (स्त्री)
निषध	निषध	नैषध	नैषध
निपथ	निपथ	नैपथ्य	नैपथ्य
उदुम्बर	उदुम्बर	औदुम्बरि	औदुम्बरि
तिलखल	तिलखल	तैलखलि	तैलखलि
मद्रकार	मद्रकार	माद्रकारि	माद्रकारि
युगन्वर	युगन्वर	यौगन्वरि	यौगन्वरि
भुल्लिग	भुल्लिग	भौल्लिगि	भौल्लिगि
शरदण्ड	शरदण्ड	शारदण्डि	शारदण्डि

३. पतञ्जलि द्वारा उल्लिखित^२

पचाल	पचाल	पाचाल	पाचाल
विदेह	विदेह	वैदेह	वैदेह, वैदेही (स्त्री)
पुरु	पुरु	पौरव	पौरव
पाण्डु	पाण्डु	पाण्ड्य	पाण्ड्य
अग	अग	आग	आग, आगी (स्त्री)
वग	वग	वाग	वाग, वागी (स्त्री)
आम्बष्ठ	आम्बष्ठ	आम्बष्ठ्य	आम्बष्ठ्य, आम्बष्ठ्या (स्त्री)
सौवीर्य	सौवीर्य	सौवीर्य	सौवीर्य, सौवीर्या (स्त्री)
दाव	दाव	दाव्य	दाव्य
निचक	निचक	नैचक्य	नैचक्य
नीप	नीप	नैप्य	नैप्य
अवन्ति	अवन्ति	आवन्त्य	आवन्त्य, अवन्ती (स्त्री)

१. ४-१-१६८ से १७८ तक।

२. वही।

कुन्ति	कुन्ति	कौन्त्य	कौन्त्य, कुन्ती (स्त्री)
नैश	नैश	नैष्य	नैष्य
अजनीड	अजमीड	आजमीडि	आजमीडि
अजक्रन्द	अजक्रन्द	आजक्रन्दि	आजक्रन्दि
वुच	वुच	वौचि	वौचि
कम्बोज	कम्बोज	कम्बोज	कम्बोज
चौल	चौल	चौल	चौल
कडेर	कडेर	कडेर	कडेर
केरल	केरल	केरल	केरल

इनमें पंचाल, विदेह, अंग, वंग और मगध प्राच्य कहे गये हैं। भृगु, कश्यप, वैशम्पय, कश्यप, सात्व, मुस्थाल, उरुस् और कौरव्य ये भृगादि तथा यौत्रेय, शौत्रेय, शौत्रेय, प्राचाण्य, वात्सेय, वात्सेय, त्रिगर्त, भरत और उर्गानर ये यौत्रेयादि थे। पाणिनि ने इन सब प्रदेशों, अवन्ति, कुन्ति, कुल तथा शूरसेन, नद्र आदि अकारांत जनपदों के स्त्री-अत्रियान्त्यों के लिए पृथक् नियम दिये हैं। नाप्यकार ने पर्णु, रक्षस् और अमुर जनपदों की स्त्री-अत्रियान्त्यों को पर्णु, रखा और अमुरी कहा है।^१ ऊपर कहा जा चुका है कि ये जनपद शासन-व्यवस्था की दृष्टि से दो भागों में विभक्त थे—एकराज या राजतन्त्र और संघराज्य। नाप्यकार ने पंचाल, विदेह, धाँद्रिक और मालव जनपदों को संघ कहा है, यद्यपि अन्यत्र उन्होंने पंचाल के एक राजा का भी उल्लेख किया है।^२

जनपदावयव—कुछ जनपद अनेक अवयवों या प्रान्तों में विभक्त थे। मालव के अवयवों की चर्चा तो पाणिनि ने भी की है।^३ इसकी व्याख्या के लिए काशिकाकार ने कहीं ने एक प्रसिद्ध कारिका उद्धृत की है, जिससे पता चलता है कि मालव जनपद छह अवयवों में विभक्त था। नाप्यकार ने पंचाल और मगध के पूर्व और अपर दौ-दो भाग बतलाये हैं। उन्होंने अर्ध पंचाल, अर्ध मगध और सर्व पंचाल तथा सर्व मगध का उल्लेख किया है।^४ यही स्थिति त्रिगर्त की थी। वह स्वयं जनपद था और उसके छह भाग भी स्वतन्त्र जनपद माने जाते थे। सम्भवतः, मूलजनों के कई भाग हो जाने पर जनपद भी कई भागों में बँट गये थे। उनका केन्द्रीय स्थान एक रहता था, किन्तु आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र प्रान्त विभक्त-सम्पत्तिक भाइयों के समान एकत्रतीय शासकों के अधीन स्वतन्त्र होते थे। 'जनपदावयव जनपद' शब्द भी इस दान का प्रमाण है कि जनपदों का अस्तित्व इस काल में था। गर्तान्त जनपद अनेक थे और वे नव एक ही विभाग

१. ४-१-१७६ से १७८, पृ० १६५।

२. ४-१-१६८, पृ० १६३।

३. ४-१-१७३।

४. उदुम्बरास्तिलखला मद्रकारा युगन्धराः।

भुलिङ्गाः शरदण्डाश्च सात्वावयवसंज्ञिता ॥

—काशिका, १-१-३२, पृ० ४५४।

जनपद के अन्तर्गत थे।^१ जनपदों का 'स्व', अर्थात् वस्तु उनके नाम के अनुसार ही माना जाता था। उदाहरणार्थ, अग या वग के ग्राम या अन्य वस्तुएँ जो उसकी अपनी होती, आगक या वागक कही जाती थी।^२ अवयवों को छोड़कर अन्य जनपद स्वतन्त्र इकाई थे। जनपद कहने से एक ही जनपद का बोध होता था, जनपद-समुदाय का नहीं। काशी और कोसल दो स्वतन्त्र जनपद थे। यद्यपि वे पड़ोसी थे और परस्पर सम्बद्ध भी, फिर भी जनपदों के प्रसंग में उनका अलग-अलग उल्लेख किया जाता था, इकट्ठा नहीं।^३

विषय—भाष्यकार ने विषय और जनपद का अन्तर स्पष्ट किया है। जनपद क्षत्रिय-जातियों के निवास थे। बहुते-से जनपदों के शासक वे ही क्षत्रिय थे, जिनका उनमें निवास था और जिनके कारण उन जनपदों का नाम पड़ा था। किन्तु, कुछ जनपद ऐसे भी थे, जिनमें निवास अन्य क्षत्रियों का था और शासन दूसरों का। इसी प्रकार कुछ क्षत्रिय जन ऐसे थे, जिनका शासन अपने निवास से भिन्न प्रदेश पर भी था। वे वहाँ के शासक तो थे, किन्तु निवासी नहीं। ऐसी स्थिति में वह उनका देश या विषय-मात्र माना जाता था, जनपद नहीं। जब किसी क्षत्रिय जन द्वारा केवल अचिकृत प्रदेश वतलाना होता, तो उसे उनका विषय या देश कहते थे और उस देश का प्रयोग एकवचन में होता था। उदाहरणार्थ, शिवियों का देश या शासित विषय शैव और उष्ट्रों का औष्ट्र कहलाता था, किन्तु शिवियों के जनपद को शिवय (बहु०) और उष्ट्रों का उष्ट्रा (बहु०) ही कहा जाता था। इस आधार पर भाष्य में निम्नलिखित विषयों और जनपदों का अन्तर स्पष्ट मिलता है :^४

क्षत्रिय	देश या विषय	जनपद	
अग	आग	अग	(बहुवचन)
वग	वाग	वग	" "
सुह्य	सौह्य	सुह्य	" "
पुण्ड्र	पौण्ड्र	पुण्ड्र	" "
गान्धारि	गान्धार, गान्धारि	गान्धारि	" "
वसाति	वासात, वसाति	वसाति	" "
शिवि	शैव, शिवि	शिवि	" "
राजन्य	राजन्यक, राजन्य	राजन्य	" "
दैवयातव	दैवयातवक, दैवयातव	दैवयातव	" "
वैत्ववन	वैत्ववनक	वैत्ववन	" "
अम्बरीपपुत्र	आम्बरीपपुत्रक	अम्बरीपपुत्र	" "
आत्मकार्म्य	आत्मकार्म्यक	आत्मकार्म्य	" "

१. ४-२-१२४, पृ० २१५, १६।

२. ४-३-१२०, पृ० २५१।

३. ४-२-४५, पृ० १८१।

४. ४-२-५२, पृ० १८४, १८५।

राजन्यादिक विषयो मे शालङ्कायन, जालन्धरायण, शैलूष, उदुम्बर, वैवल, आर्जुनायन, साम्प्रय, दाक्षि, ऊर्णनाभ तथा अजित से भाष्यकार परिचित थे, यद्यपि उन्होने इनमे से केवल दो का ही उल्लेख किया है। राजन्यादि आकृति-गण है, जिससे पता चलता है कि विषयो (देशो) पर क्षत्रियो का अधिकार बदलता रहता था और जो विषय कल एक क्षत्रिय-जाति के अधीन था, वह आज दूसरी क्षत्रिय-जाति के हाथ मे चला जा सकता था।^१ इस दृष्टि से भाष्यकार का निवास और अभिजन का अन्तर भी महत्त्वपूर्ण है। कुछ क्षत्रिय-जातियाँ प्रारम्भ मे किसी एक प्रदेश मे रहती थी, किन्तु बाद मे वे अन्यत्र चली गईं। पूर्व प्रदेश उनका अभिजन और नवीन प्रदेश निवास कहा जाता था। उदाहरणार्थ, जब मालवो ने अवन्ति और उसके समीपवर्ती प्रदेश को अपना निवास बना लिया, तब उनका पुराना जनपद केवल अभिजन रह गया, जनपद नहीं। जनपद और अभिजन का यह अन्तर ध्यान देने योग्य है।^२

जनपदी और जानपद—जनपदो के राजा जनपदी तथा अन्य जन जानपद कहलाते थे। पुर या राजवानी के लोगो का समूह या सव पौर कहा जाता था।^३ यदि जनपद मे सध-शासन हुआ, तो जनपदियो को सख्या अधिक रहती थी। एक ही जनपद मे रहनेवाले परस्पर सजनपद कहलाते थे। यह बात इस तथ्य की द्योतक है कि तत्कालीन जनता मे नागरिकता के भाव विद्यमान थे और वह अपने जनपद के प्रति आत्मीयता का अनुभव करती थी। जनपद के प्रति भक्ति की अपेक्षा नागरिक से की जाती थी। जनपद और जनपदी दोनो के प्रति भक्ति के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होता था।^४ मद्र जनपद और मद्र राजा दोनो के प्रति भक्ति रखनेवाले को मद्रक और इमी प्रकार वृजि-जनपद और वाज्र्य जनपदी के प्रति भक्ति (संघ्य भाव) रखनेवाले को वृजिक^५ कहते थे। जनपद और जनपदी दोनो मे से किसी के प्रति भी विश्वासघात दूसरे के प्रति भी विश्वासघात माना जाता था। जनपदी जनपद का सरक्षक था, इसलिए नागरिक को जनपद के साथ ही जनपदी के प्रति भी भक्त (लायल) होना आवश्यक था। यह बात उन्ही जनपदियो के विषय मे थी, जो उस जनपद के मूल क्षत्रियजन तथा शासक दोनो थे।

१. ४-२-५२, पृ० १८४।

२. निवासाभिजनयोः को त्रिदोषः? निवासो नाम धत्र सम्प्रत्युप्यते। अभिजनो नाम यत्र पूर्वस्थितम् ।—४-३-९०, पृ० २४४।

३. जायसवालः हिन्दू पॉलिटी, पृ० २३६।

४. जनपदिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने।—४-३-१००, पृ० २४६।

५. ६-३-८५।

खण्ड ६
साहित्य और कला

अध्याय १

शिक्षा

शिक्षा की पृष्ठभूमि—महाभाष्य का काल ब्राह्मणों के चरम उत्कर्ष का काल था और पतञ्जलि तत्कालीन ब्राह्मण-समाज के वास्तविक प्रतिनिधि थे। इस समय देश का वैदिक और आव्यात्मिक ही नहीं, राजनीतिक नेतृत्व भी ब्राह्मणों के हाथ में था। इस सत्ता और शक्ति के भीतर वीद्वधर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी निहित थी। फलतः, चातुर्वर्ण्य, चातुराश्रम्य, चक्रवर्त्तित्व और यज्ञादि कर्मकाण्डों की पुनः प्रतिष्ठा के साथ कुछ शताब्दियों से अभिभूत वैदिक सस्कृति और साहित्य का पुनः प्रचार और प्रसार प्रारम्भ हो गया था। यह युग सस्कृत-साहित्य के भी उत्थान का था। व्याकरण की उपेक्षा का परिणाम प्रादेशिक प्राकृतों के विकास और सस्कृत के प्रति जन-सामान्य की विरक्ति के रूप में सामने आ चुका था। सस्कृत शिष्ट लोगों तक सीमित रह गई थी। वैदिक सस्कृति और सस्कृत के अविच्छेद्य सवध को विद्वान् लोग जानते थे। वीद्वधर्म ने सबसे कड़ा विरोध वेदों की आप्तता और यज्ञादि कर्मकाण्ड का किया था। इसलिए, शुगकाल में विकसित वैदिक पुनरुत्थान की धारा, प्रधानतः याज्ञिक सस्कृति के रूप में ही सामने आई। पतञ्जलि आर्त्स्वजीन थे और वैदिक सस्कृति के अनन्य उपासक। वे जानते थे कि प्राकृतों की बढ़ती आँधी को रोकने के दो ही उपाय हैं—प्राकृतों के प्रति घृणा-भावना की उत्पत्ति और सस्कृत का व्यापक प्रचार। प्राकृत बहुजन-समाज की भाषा बन चुकी थी। सहसा इतने बड़े समाज को बदलना उनके बल का न था। निम्न वर्ग से उनका सम्पर्क भी न था। वे स्वयं पुष्यमित्र के याजक थे। अश्वमेध-याजक पुष्यमित्र के प्रोत्साहन ने देश में सहस्रो ब्राह्मणों को याजक-वृत्ति की ओर प्रोत्साहित किया था। पतञ्जलि-जैसे विद्वान् के लिए यह सोचना कठिन न था कि यदि इन याज्ञिकों को व्याकरण की ओर उन्मुख कर दिया जाय, तो सस्कृत की उन्नति में बड़ी सहायता मिल सकती है। वे स्वयं अध्यापक थे। उन्होंने प्रत्यक्ष शिक्षण तथा उपदेश द्वारा उन्हें व्याकरण की ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न किया। इस कारण महाभाष्य में प्राप्त होनेवाले शिक्षा-सिद्धान्त तथा शिक्षा-विषयक उल्लेख ब्राह्मणों की शिक्षा तथा समाज से ही सम्बद्ध हैं। वेदों, वेदागों और वैदिक शिक्षा-पद्धति के विषय में ही उनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आगे जो कुछ कहा जा रहा है, उसे इसी सन्दर्भ में ग्रहण करना चाहिए।

शिक्षा के उद्देश्य—पतञ्जलि ने कहा है कि ब्राह्मण को निष्कारण या निष्काम भाव से पडग-महित वेद का अध्ययन करना चाहिए और उनका अर्थतत्त्व समझना चाहिए, क्योंकि वेद-वेदाग साक्षात् धर्म हैं। यह उनकी दृष्टि में ब्राह्मण का सहज कर्त्तव्य था। वे व्याकरण को पडगों में मुख्य मानते थे, इसलिए उनकी दृष्टि में व्याकरण का अध्ययन परमावश्यक था। वेदों की रक्षा बिना व्याकरण के अमम्भव है। जो व्याकरण नहीं जानता, वह वेद नहीं समझ सकता, इसलिए व्याकरण

का ज्ञान वेदाध्ययन के पहले आवश्यक है, यह उनका मत था ।^१ प्राचीन काल में ऐसा होता भी था । उपनयन-संस्कार के बाद ब्राह्मण व्याकरण पढ़ते थे । जब वे उच्चारण-सम्बन्धी आभ्यन्तर और बाह्य प्रयत्नों तथा उच्चारण के कारणों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, तब उन्हें वैदिक शब्दों का उपदेश किया जाता था । पतञ्जलि के समय में स्थिति उलट गई थी ।^२ विद्यार्थी सीधे वेद प्रारम्भ कर देते थे और कहने लगे कि वैदिक शब्दों का वेद से और लौकिक शब्दों का ज्ञान लोक से ही ही जायगा, तब व्याकरण की क्या आवश्यकता ? इस स्थिति के प्रतीकार के लिए पतञ्जलि ने व्याकरण के अध्ययन पर जोर दिया और कहा कि वेद की रक्षा के बिना व्याकरण के सम्भव नहीं है । जो लोप, आगम और वर्णविकार नहीं समझता है, वह भली भाँति वेदों का पालन नहीं कर सकता ।^३ यज्ञ करने-करानेवालों को तो व्याकरण जानने की और भी आवश्यकता है । वेदों के जिन मन्त्रों का यज्ञ में उपयोग होता है, उनमें लिंग, विभक्ति-सम्बन्धी कुछ परिवर्तन आवश्यकतानुसार यत्र तत्र करने पड़ते हैं । यह काम भी व्याकरण-ज्ञान के बिना सम्भव नहीं है ।^४ यह बात तो सब जानते हैं कि ब्राह्मण को शब्दों (शुद्ध शब्दों) का ज्ञान होना चाहिए । वह भी बिना व्याकरण के नहीं हो सकता ।^५ याज्ञिकों के शास्त्र में बहुत-से ऐसे प्रसंग आते हैं, जिनका अर्थ बिना व्याकरण-ज्ञान के स्पष्ट नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ, अग्नि-वर्षण के निमित्त स्थूलपृषती अनड्वाही के आलम्बन का विधान है । स्थूलपृषती के दो अर्थ हो सकते हैं—बड़े-बड़े पृषती (घन्टों) वाली तथा स्थूल और पृषतवाली । ऐसे स्थलों पर व्याकरण जाननेवाला व्यक्ति ठीक अर्थ को समझ सकता है । यदि पूर्वपद प्रकृति स्वर ही, तो बहुव्रीहि और यदि अन्तोदात्त ही, तो तत्पुरुष पद होगा ।^६

१. ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च प्रधानं च षडङ्गेषु व्याकरणम् ।

—आ० १, पृ० ३ ।

२. पुराकल्प एतदासी संस्कारोत्तरं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधोयते । तेभ्यस्तत्र स्थानकरणानुप्रदानज्ञेभ्यो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते । तदद्यत्वे न तथा । वेदमचीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति—वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः । अनर्थकं व्याकरणम् ।—
आ० १, पृ० १० ।

३. रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणम्, लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यन्वेदान् परिपालयिष्यति ।—आ० १, पृ० २ ।

४. न च सर्वैर्लङ्घ्यं न च सर्वाभिः । विभक्तिभिवेदं अर्था निगदिताः । ते चावश्य यज्ञमतेन यथायथं विपरिणमयितव्याः । तान्नाव्याकरणः शक्नोति यथायथं विपरिणमयितुम् ।—यही ।

५. ब्राह्मणेनावश्यं शब्दा ज्ञेया इति । न चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दाः शक्या ज्ञातुम् ।—आ० १, पृ० ३ ।

६. असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्, याज्ञिकाः पठन्ति स्थूलपृषतीमनड्वाही मालभेत । तस्यां सन्देहः—स्थूला चासौ पृषती च स्थूलपृषती, स्थूलानि पृषन्ति यस्याः या स्थूलपृषतीति । तान्नाव्याकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति ।—वही ।

इनके अतिरिक्त व्याकरण पढ़ने से और भी अनेक लाभ हैं। व्याकरण से असमर्थित प्राकृत-जन-व्यवहृत शब्दों को म्लेच्छ कहते हैं। ब्राह्मण को अपशब्द बोलकर म्लेच्छ नहीं बनना चाहिए।^१ स्वर या वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध बोला गया शब्द वाञ्छित अर्थ का बोधक नहीं होता। यज्ञ में बोला गया दुष्ट या अशुद्ध शब्द वज्र धनकर यजमान का नाश कर डालता है।^२ वृत्रासुर का नाश इसी प्रकार हुआ था। इसके ठीक विरुद्ध जो व्यक्ति व्यवहार-काल में शब्दों का यथार्थ उच्चारण करता है, वह इस लोक तथा परलोक में उत्कर्ष और प्रतिष्ठा का भागी बनता है और जो ऐसा नहीं कर सकता, वह अपशब्दों का उच्चारण कर भ्रष्ट बनता है।^३ एक-एक शुद्ध शब्द के अनेक अपभ्रग-रूप समाज में व्यवहृत होते हैं। उनके उच्चारण अन्य दोष से कोई यह कहकर छुटकारा नहीं पा सकता कि मैंने अज्ञानवश अशुद्ध उच्चारण किया है, क्योंकि ब्रह्महत्या और सुरापान के समान अनजाने भी अशुद्ध शब्द का व्यवहार-दोष उत्पन्न करता है। व्याकरण न जानने से ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत का भी ज्ञान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति प्लुतत्व-नियम न जानने के कारण अभिवादन का ठीक उत्तर नहीं दे सकते।^४ उनकी स्थिति स्त्रियो जैसी ही जाती है। याज्ञिकों को सविभक्ति प्रयाज करने पड़ते हैं। उसके लिए भी व्याकरण जानना आवश्यक है।^५ ब्राह्मणों को आर्त्विजीन होना चाहिए और आर्त्विजीन वह हो सकता है, जो प्रतिपद, प्रतिस्वर और प्रत्यक्षर साफ-साफ उच्चारण कर सके। यह विना व्याकरण जाने नहीं हो सकता।^६ शब्द महान् देव के रूप में प्राणियों में निवास करता है। हमें भी महान् देव से अपना साम्य करने के लिए व्याकरण जानना चाहिए।^७ मनीषी ब्राह्मण नामाख्यातोपसर्गनिपात इन चार अगोवाली वाणी को ठीक जानते हैं।^८ वाणी

१. ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवे नापभाषितवे। म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः।—आ० १, पृ० ४।

२. दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा भिष्याप्रयुक्तो न तमर्यमाह—सवागवज्रो यजमानं हिमस्ति यथेन्द्रः शत्रुः स्वरतोऽपराधात्।—वही।

३. यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले।

सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाप्योगविद् दुष्यति चापशब्दः॥—वही।

४. एकैकस्य हि शब्दस्य बहुवोऽपभ्रंशाः—नात्यन्ताप्याज्ञानं शरणं भवितुमर्हति। यो ह्यज्ञानन् वै ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् मन्ये सोऽपि पतितः स्यात्।—वही।

५. अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुतिं विद्वाः।

कामं तेऽपि तु विप्रोऽप्य स्त्रीष्वायमहं वदेत्॥—आ० १, पृ० ६।

६. प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः। न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम्।—वही।

७. यो वा इमां पदशः स्वरशोऽक्षरशो वाच विदधाति स आर्त्विजीनः। आर्त्विजीनः स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम्।—वही।

८. महादेवो मर्यादाविवेश महता देवेन नः साम्यं स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्।—आ० १, पृ० ७।

९. चत्वारि वाचपरिमितानि पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः।—वही।

व्याकरणज्ञ के सामने अपने सम्पूर्ण अप्रच्छन्न सौन्दर्य-रहस्य के साथ इस प्रकार उपस्थित रहती है, जिस प्रकार सुवासा अलकृत पत्नी अपने पति के सम्मुख ।^१ जो लोग छने हुए सत्त्व के समान विकार-रहित वाणी बोलते हैं, उनकी जिह्वा पर मगलमयी लक्ष्मी निवास करती है ।^२ अपशब्द बोलने के बाद प्रायश्चित्त-स्वरूप सारस्वती इष्टि करनी चाहिए, ऐसा याज्ञिक लोग कहते हैं ।^३ जन्म से दस दिन बाद पुत्र का नामकरण करना चाहिए । नामकरण के सम्बन्ध में धर्मशास्त्रकारों ने जो नियम स्थिर किये हैं, उनका पालन बिना व्याकरण जाने नहीं हो सकता ।^४ सप्त विभक्तियों के ठीक उच्चारण^५ से जिसका तालु सदा अनुक्षरित होता रहता है, वह वरुण के समान सत्यदेव बनता है । व्याकरण-ज्ञान से ही शुद्ध विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है ।

इस प्रकार, भाष्यकार की दृष्टि में अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वेदरक्षा था, क्योंकि वे वेद को साक्षात् धर्म मानते थे । व्याकरण वेद-रक्षा में सर्वाधिक सहायक था । इसलिए, वे उसके अध्ययन को आवश्यक समझते थे । वेद-रक्षा का सर्वाधिक उत्तरदायित्व ब्राह्मणों पर था, अतः उन्होंने ब्राह्मणों, शिक्षा-संस्थाओं और शिक्षा-पद्धति का ही विशेषतः उल्लेख किया है ।

शिक्षा का दूसरा लक्ष्य था बालक को शिष्ट बनाना । भाष्यकार की दृष्टि में शिष्टों का बड़ा ऊँचा स्थान था । वास्तव में शिष्ट ही समाज की धुरी थे । शिष्ट दो प्रकार के बनते थे— शिक्षा से और चरित्र से । शिक्षा का मूल व्याकरण-ज्ञान था, इसलिए वैयाकरण शिष्ट माने जाते थे । शिष्टि शास्त्र द्वारा ही होती है और वैयाकरण शास्त्रज्ञ होते हैं, इसलिए, उन्हें शिष्ट कहना चाहिए, यह पतंजलि का विचार था । शिक्षा के अतिरिक्त निवास और आचार भी शिष्टत्व के चिह्न थे । आर्यावर्त के निवासी ब्राह्मणों में जो असग्रही, अलोलुप, जितेन्द्रिय और किसी विदोष शास्त्र में पारगट होते थे, वे शिष्ट माने जाते थे । इनकी कही हुई बात प्रमाणित मानी जाती थी । भाष्यकार ने अष्टाध्यायी का प्रयोजन शिष्ट-ज्ञान माना है । अष्टाध्यायी के अध्ययन से व्यक्ति में यह योग्यता आती है कि वह शिष्टों और अशिष्टों की पहचान कर सके ।

१. उत्तोत्वस्मै तन्वं विसस्ने जायेव पत्ये उशती सुवासाः।—आ० १, पृ० ८ ।
२. सक्कुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत—अत्रा सत्वायः सरधानि जानते भद्रैवा लक्ष्मीनिहिताधिवाचि।—वही ।
३. आहिताग्निपरशब्दं, प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीमिष्टि निर्वपेत्।—आ० १, पृ० ९ ।
४. द्वास्म्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् घोषवदाद्यन्तरन्तःस्यमवृद्ध द्व्यक्षर चतुरक्षरं वाकृत नाम कुर्यान्न तद्धितम्।—वही ।
५. सुदेवोऽसिधरुण यस्य ते सप्तसिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदं सुम्यं सुविरामिव, सत्यदेवा स्यामेत्यध्येय व्याकरणम्।—आ० १, पृ० १० ।
६. के पुनः शिष्टाः? वैयाकरणाः। कुत एतत्? शास्त्रपूर्विका हि शिष्टिः शिष्टिपूर्वक च शास्त्रम्।—एवं ताँह निवासत आचारतश्च । एतस्मिन् आर्यनिवासे ये ब्राह्मणा. कुम्भीधान्याः अलोलुपा अगृह्यमाणकारणाः । किञ्चिदन्तरेण कस्याश्चिद् विद्यायाः पारणात्तत्र भवन्त. शिष्टा शिष्टज्ञानार्था ।—अष्टाध्यायी, ६-३-१०९, पृ० ३५९ ।

भाष्यकार के इन समस्त वक्तव्यों को यदि हम एक साथ मिलाकर देखें, तो स्पष्ट होगा कि वे शिक्षा के दो फल मानते थे—बौद्धिक विकास और नैतिक उन्नति और इन दोनों का उद्देश्य था प्राचीन सस्कृति एवं साहित्य की सुरक्षा। प्रथम आह्निक में उनके द्वारा गिनाये गये व्याकरण पढ़ने के सारे उपयोगों का भी समावेश इनमें ही जाता है। नैतिक विकास पर इतना जोर देने के कारण ही उन्होंने इस बात को बार-बार दुहराया है कि तप (सुकृत के लिए कष्ट-सहन तथा समय), अध्ययन और ब्राह्मण माता-पिता से उत्पत्ति, ये तीन बातें मिलकर किसी को ब्राह्मण बनाती हैं। जिनमें प्रथम दो बातें नहीं होती, वह केवल जाति-ब्राह्मण होता है। जाति के कारण वह गौर, पिंगलाक्ष होता है और तप के कारण शुच्याचार।^१ विद्या और आचार-शुचिता इन दोनों पर पतञ्जलि ने समान बल दिया है और विद्या, कर्म और योनि तीनों की दृष्टि से अवदात व्यक्ति को ही ब्राह्मण माना है।^२

उपनयन—योनि-शुद्धि के लिए धर्मशास्त्रों ने अनेक नियमों की सृष्टि की थी, जिनका उल्लेख अन्यत्र हुआ है। विद्या और कर्म की प्रगति और शुचिता का दायित्व शिक्षकों तथा शिक्षा-संस्थाओं पर था। सामान्य विश्वास था कि बालक जन्मतः शूद्र उत्पन्न होता है और सस्कार से द्विज बनता है। सस्कार का सामान्य अर्थ उपनयन था।^३ उपनयन का अर्थ है आचार्य के पास ले जाना। पाणिनि ने इस क्रिया को आचार्यकरण सज्ञा दी है,^४ जिसकी व्याख्या करते हुए काशिकाकार ने कहा है कि उपनयन करनेवाला माणवक को इस ढंग से अपने पास ले आता है, जिससे वह (उप-नेता) स्वयं आचार्य हो जाता है।^५ उपनयन के बाद बालक गुरु के साथ ही रहता था, इसलिए उसे अन्तेवासी कहते थे।^६ अन्तेवासी त्रैवर्णिक होते थे और वर्णा कहलाते थे।^७ वर्णा शूद्र नहीं हो सकते थे, यह बात इस शब्द से ही स्पष्ट है। गुरु का स्थान, जहाँ रहकर बालक विद्या ग्रहण करता था, गुरुकुल या तीर्थ^८ कहलाता था। एक ही तीर्थ में रहकर विद्याभ्यास करनेवालों को सतीर्थ्य कहते थे।^९ ये सब भाई-भाई की तरह हिल-मिलकर रहते थे। पाणिनि ने सोदर और सोदर्य के साथ ही सतीर्थ्य का भी स्मरण किया है।^{१०}

१. तपः श्रुतं च योनिश्चेत्येतद् ब्राह्मणकारकम्।

तपः श्रुताभ्यां हीनो यो जातिब्राह्मण एव सः॥

गौरः शुच्याचारः कपिलकेश इत्येतानप्यन्यन्तरान् ब्राह्मण्ये गुणान् कुर्वन्ति।—

१-२-६, पृ० ३४०।

२. त्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्चकर्मच।

एतच्छिष्ये विज्ञानीहि ब्राह्मणाभ्यस्य लक्षणम् ॥—४-१-४८, वा० १, पृ० ६२।

३. संस्कारोत्तरं ब्राह्मणाः व्याकरणं स्माचोयते।—आ० १, पृ० १०।

४. १-३-३६।

५. माणवकमीदृशेन विधिनाऽऽत्मसमीपं प्रापयति यथा स उपनेता स्वयमाचार्यः सम्पद्यते।—वही (फाशि०)।

६. ४-२-१०४, वा० १९, पृ० २०९। ७. ५-२-१३४।

८. २-१-१, पृ० २३१।

९. ६-३-८७, पृ० ३५४।

१०. ४-४-१०७।

११. ४-४-१०८।

माणव—भाष्य मे माणव, दण्डमाणव, वर्णी, ब्रह्मचारी और छात्र शब्द विद्यार्थी के अर्थ मे प्रयुक्त हुए है। माणव छोटे बालक को कहते थे। जब ये प्रारम्भिक अध्ययन के लिए शाला मे प्रविष्ट होते थे, तब इनका मुण्डन करा दिया जाता था।^१ उपनयन के समय मुण्डन की प्रथा थी। दण्ड, कमण्डलु और मृगचर्म साथ लेकर ये गुरु के आश्रम मे प्रवेश करते थे। वहाँ भिक्षुर्चा करते थे और नियमपूर्वक अध्ययन करते थे। नियमपूर्वक अध्ययन करनेवाले माणवको को 'उपयुक्त' कहते थे। ये ग्रन्थ और अर्थ दोनों का अभ्यास करते थे। भाष्य मे नियमित और 'यदा-कदा' पढ़ने वालो मे अन्तर किया है। 'उपाध्याय से पढता है', इस वाक्य मे 'पचमी' का प्रयोग नियमित अध्ययन के प्रसंग मे ही होता था। नट या ग्रन्थिक के पास जाकर यदा-कदा उनकी बातें सुनने के प्रसंग मे 'नट की सुनता है', ऐसा षष्ठी-विभक्ति-युक्त वाक्य प्रचलित था, 'नट से सुनता है' नहीं।^२

माणवक नीची कक्षाओ के छात्र होते थे और ब्रह्मचारी विशिष्ट अध्ययन के व्रती छात्र। आश्रमो य, गुरुकुलो मे रहनेवाले माणव दण्ड साथ लेकर चलते थे। इसीलिए, वे दण्ड-माणव कहलाते थे। दण्ड-माणवो का परिचय उनके गुरु के नाम से दिया जाता था, यथा दाक्ष दण्ड-माणव, या काण्व (कण्व के शिष्य) दण्ड-माणव।^३ काशिकाकार ने गौकक्ष और माहक दण्ड-माणवो का भी उल्लेख किया है।^४ ये दण्ड-माणव 'अनूच' होते थे। वेद का सार्थ अध्ययन इस अवस्था के बाद प्रारम्भ होता था।^५ पाणिनि ने दण्ड-माणव और अन्तेवासी मे अन्तर किया है, जिससे अनुमान होता है कि सब दण्ड-माणव अन्तेवासी नहीं होते थे।^६ कुछ छात्र दिन मे अध्ययन कर सन्ध्या समय घर चले जाते थे। ये गुरुकुल के पास-पड़ोस गाँवो के रहनेवाले छात्र होते थे। माणवो के दण्ड को आषाढ भी कहते थे।^७

अन्तेवासी छात्र—अन्तेवासी आश्रम मे गुरु के साथ उसके परिवार के अग वनकर रहते थे। इनमे श्रेष्ठ या उच्च कक्षा के अन्तेवासी को 'प्रान्तेवासी' कहते थे।^८ 'गुरुकुल' शब्द मे

१. ३-१-८, पृ० ३९।

२. आख्यातोपयोगे उपयोग इति किमर्थम्? नटस्य शृणोति, ग्रन्थिकस्य शृणोति, एव तर्ह्युपयोग इत्युच्यते सर्वज्ञोपयोगस्तत्र प्रकर्षगतिविज्ञात्यते। साचीयोऽयं उपयोग इति। कश्च साधीयः? यः प्रत्यार्थयोः। अयवोपयोगः को भवितुमर्हति? यो नियमपूर्वकः। तद्यथा, उपयुक्ता माणवका इत्युच्यन्ते य एते नियमपूर्वकमधीतवन्तो भवन्ति।—१-४-२९, पृ० १६५।

३. ४-२-१०४, वा २३, पृ० २१०।

४. गौकक्षा दण्डमाणवा अन्तेवासिनो वा दाक्षा माहकाः।—४-३-१३०।

५. अनूचो माणवे ब्रह्मचरचरणाख्यायामिति विशेषस्तद् वक्तव्यम्।—५-४-१५४, पृ० ५१४।

६. न दण्डमाणवान्तेवासिषु।—वही।

७. विशालाषाढमन्यदण्डयोः।—५-१-११०।

८. २-२-१८, पृ० १६५।

पारिवारिकता का भाव छिपा हुआ है। छात्र उसे अपना गुरुकुल मानते थे और कण्ठ उठाकर भी वहाँ रहना पसन्द करते थे।^१

शिष्य और छात्र शब्द सामान्यतया प्रत्येक विद्यार्थी के वाचक थे। गुरु अपने कुल में रहने-वाले छात्र को छात्र के समान वर्ण, आतप जैसे कण्ठों से बचाता था। इस प्रकार, वह शिष्य पर छात्र के समान छाया रखता था। शिष्य भी छात्र के समान गुरु का परिपालन करता था। इसी दृष्टि से शिष्य छात्र और गुरु छात्र कहलाता था।^२ गुरु-शिष्य का यह सम्बन्ध अत्यन्त मधुर था। यदि हम इसी प्रसंग की काशिकावृत्ति पर दृष्टिपात करें, तो स्पष्ट ही जायगा कि परवर्ती कुछ शताब्दियों में गुरुकुल-संस्था का नैतिक स्तर काफी नीचे उतर आया था। इस समय गुरु की सेवा-टहल में जागरूकता और उसके दोषों को छिपाकर रखना, छात्र की परिभाषा मानी जाने लगी थी; क्योंकि छादन या आवरण के कारण छात्र कहे जानेवाले छात्र के समान व्यवहार छात्र का होना चाहिए था।^३ निश्चित ही यह परिभाषा उन गुरुओं के द्वारा निश्चित की गई होगी, जो छात्रों को अपनी सेवा का साधनमात्र समझते होंगे और समाज तक अपनी दुर्बलताओं के पहुँचने से भयभीत रहते होंगे।

ब्रह्मचारी—ब्रह्मचारी वेदाध्यायी को कहते थे। काशिकाकार ने कहा है कि ब्रह्म वेद को कहते हैं और उससे सहचरित अध्ययन को भी। उसके लिए लिया हुआ व्रत ब्रह्मचर्य कहलाता है और ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करनेवाला ब्रह्मचारी^४। तीन वर्ण ही वेद पढ़ते थे। इसलिए, ब्रह्मचारी भी त्रैवर्णिक होते थे। काशिका में उसे विद्याग्रहणार्थ उपनीत तथा नियम का आसंबन्ध करनेवाला कहा गया है।^५ जिस प्रकार एक गुरु के पास अध्ययन करनेवाले सतीर्थ्य होते थे, उसी प्रकार समान ब्रह्मचर्य का आचरण करनेवाले या एक ही वेद का अध्ययन करनेवाले ब्रह्मचारी कहलाते थे।^६

ब्राह्मण के लिए उपनयन के पश्चात् अड़तालीस वर्ष तक अध्ययन की मर्यादा थी। ये ब्रह्मचारी अष्टाचत्वारिंशक या अष्टाचत्वारिंशी होते थे। प्रत्येक वेद के अध्ययन में बारह वर्ष लगते थे। किन्तु, लोग सुविधानुसार कम समय तक के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत लेते थे। ये लोग 'अवान्तरदोक्षी' होते थे। लोग आवश्यकतानुसार किसी विशिष्ट वेदांग के अध्ययन के लिए भी

१. देवदत्तस्य गुरुकुलम् — २-१-१, पृ० २३१ तथा पश्य देवदत्त कण्ठश्रितो विष्णुमित्रो गुरुकुलम्।—वही, पृ० २२७।

२. गुरुश्छत्रम्। गुरुणा शिष्यश्छत्रवच्छात्रः। शिष्येण च गुरुश्छत्रवत् परिपाल्यः।—४-४-६२, पृ० २८२।

३. छात्रादिभ्यो णः—छत्र शीलं यस्य छात्रः। छादनादावरणाच्छत्रम्। गुरुकार्येष्ववहितस्तच्छिद्रावरणप्रवृत्तश्छत्रशीलः शिष्यश्छात्रः।—४-४-६२ काशि०।

४. ब्रह्म वेदस्तदध्ययनार्थं व्रतमपि ब्रह्म तच्चरतीति ब्रह्मचारी।—६-३-८६ काशिका।

५. ब्रह्मचारी त्रैवर्णिकोऽभिप्रेतः। स हि विद्याग्रहणार्थमुपनीतो ब्रह्म चरति। नियममासेवत इत्यर्थः। ब्राह्मणादयस्त्रयो वर्णा वर्णिन इत्युच्यन्ते।—५-२-१३४।

६. समाने ब्रह्मणि व्रतं चरतीति स ब्रह्मचारी।—६-३-८६, पृ० ३८४।

गुरुकुल में प्रवेश पा सकते थे। उदाहरणार्थ, महानाम्नी ऋचाजो के लिए ब्रह्मचर्य का आचरण करनेवाले माहानाम्निक् और आदित्यव्रत (कृत्यविशेष) का अध्ययन करनेवाले आदित्यव्रतिक कहलाते थे। भाष्यकार ने तिलव्रती, चातुर्मासिक या चातुर्मासी ब्रह्मचारी का उल्लेख किया है। चातुर्मासी लोग चातुर्मास्य यज्ञ के व्रती होते थे।^१

स्नातक—धर्मसूत्रों में वसन्त में उपनयन-संस्कार का विधान है। इससे अनुमान होता है कि इस समय मकर-संक्रान्ति के बाद नवीन सत्र का प्रारम्भ होता था। अध्ययन की समाप्ति गोदान-संस्कार के बाद होती थी। भाष्य में संस्कार के रूप में तो गोदान का उल्लेख नहीं है, किन्तु उपाध्याय को गो देने का निर्देश अवश्य है।^२ अध्ययन की समाप्ति के बाद गुरु की अनुज्ञा लेकर विशिष्ट स्नान के बाद विद्यार्थी गुरुकुल छोड़ता था।^३ तब उसे स्नातक कहते थे। यात्रादिगण में स्नान शब्द का परिगणन वेद-समाप्ति के अर्थ में मिलता है और उससे स्वार्थ में क प्रत्यय होकर स्नातक शब्द निष्पन्न हुआ है (५-४-२९)। सग्वी शब्द भी स्नातक का वाचक था। उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की दृष्टि से भाष्यकार ने स्रग्वितर और स्रग्वितम तथा स्रजीयान् और स्रजिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है।^४ स्रग्वित् में विन् प्रत्यय के निर्देशक पाणिनि-सूत्र में स्वयं इस बात की ध्वनि है कि स्रग्वी शब्द सामान्य माल्यधारी के लिए व्यवहृत नहीं होता था।^५

छात्र के उपलक्षण—छात्रों की अपनी वेशभूषा थी, जिससे वे सरलता से पहचाने जा सकते थे। आदर्श की ही बात है कि सम्पूर्ण महाभाष्य में यज्ञोपवीत का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। दण्ड, विशेषतः पालाशदण्ड, मृगचर्म^६ और कमण्डलु विद्यार्थी के ये सामान्य उपलक्षण थे। भाष्यकार ने छात्र को अनेक बार कमण्डलुपाणि कहा है।^७ उनके मत से एक बार छात्र को देखकर कोई भी सरलता से समझ सकता था कि कमण्डलु छात्र का लक्षण (पहचान) है।^८ दण्ड सम्भवतः बड़ी आयु के छात्रों के लिए आवश्यक नहीं था।

१. तदस्य ब्रह्मचर्यम्, महानाम्नीश्चरति माहानाम्निक्, आदित्यव्रतिक, महानाम्नीसह-चरितं व्रतं महानाम्नीो व्रतमिति। अवान्तरदीक्षादिभ्यो दिनिवक्तव्यः अवान्तरदीक्षी तिलव्रती। अष्टाक्षत्वारिंशतो ड्बुश्चडिनिश्च वक्तव्यः—अष्टाक्षत्वारिंशक अष्टाक्षत्वारिंशो चातुर्मास्यानां यलोपश्च ड्बुश्च डिनिश्च वक्तव्यः, चातुर्मासिकः चातुर्मासी महानाम्नीनां ब्रह्मचर्यं माहानामिकम् आदित्यव्रतिकम् ।—५-१-९४, वा० १ से ६, पृ० ३४१-४२।

२. उपाध्यायाय गोदीयते ।—२-३-१४, वा० १, पृ० ४१६।

३. अबीत्य स्नात्वा गुरुभिरनुज्ञातेन खट्वाऽऽरोहव्या ।—२-१-२६, पृ० २८१।

४. ६-४-१६३, वा० २, पृ० ५००।

५. ५-२-२१।

६. ३-१-२५।

७. कमण्डलुपाणिश्छात्रः ।—१-४-८४, पृ० २०१ तथा २-३-२१, पृ० ४२३।

८. अपि भवान् कमण्डलुपाणिं छात्रमब्राक्षीत्। सकृदसौ कमण्डलुपाणिश्छात्रो दृष्टस्तस्य तदेव लक्षणं भवति ।—१-४-८४, वा० २, पृ० २०१।

आचरणविषयक नियम तथा नैतिक मर्यादा—छात्रों के लिए आचरण—सम्बन्धी नियम निम्नलिखित थे। प्रत्येक छात्र गुरु का सादर अभिवादन करता था।^१ यह शिक्षा पुत्र को माता-पिता ही दे देते थे। यह बात भी भाष्य में स्पष्ट है। छात्र भूमि पर सोते थे।^२ खट्वा पर शयन वर्जित था। स्नातक बनने के बाद ही खट्वा पर सोया जा सकता था। जो इस नियम का उल्लंघन करता था, वह व्रतहीन माना जाता था। स्पण्डिल-शयन का व्रत उपनयन के साथ ही लिया जाता था। गुरुकुल में खट्वा रोहण सम्भव न था। इसलिए, खट्वा रोहण का सामान्य अर्थ विद्या विना पूर्ण किये घर वापस चला जाना या विवाह कर लेना माना जाता था।^३ खट्वा रूढ शब्द क्षेप या निन्दा का द्योतक था। कागिका-काल तक आते-आते यह विमार्ग पर चलने का उपलक्षण बन गया और नभी अविनीत छात्रों को खट्वा रूढ कहा जाने लगा।^४ ब्रह्मचारी स्थाण्डिल या स्पण्डिलशायी कहा जाता था।^५ गुरु-शुश्रूषा छात्र का आवश्यक धर्म था। छात्र इसमें मानसिक सुख का अनुभव करते थे। गुरु की स्नान कराना, उसके पाँव धुवाना, उच्छिष्ट भोजन करना आदि वाते शुश्रूषा में सम्मिलित थी। उच्छिष्ट भोजन और पादोपसंग्रहण को छोड़कर शेष परिचर्या गुरु-पुत्र की भी करनी होती थी और यदि गुरुपुत्र भी गुरु हुआ, तो उसका उच्छिष्ट भोजन और पाद-सवाहन भी उचित माना जाता था।^६ भाष्यकार ने गुरु का स्नापन गुरु के सुख का कारण बतलाया है, शिष्य के सुख का जनक नहीं। इससे अनुमान होता है कि शिष्य गुरु-शुश्रूषा में आत्मसन्तोष का अनुभव नहीं करते थे।^७ बहुत-से कार्य वे विवशता तथा लोभ से करते थे। वे जानते थे कि गुरु-शुश्रूषा से पारलौकिक सुख प्राप्त होता है और यदि गुरु प्रसन्न रहे, तो अध्यापन भी अच्छा करेंगे।^८ इस प्रकार आत्म-कल्याण की भावना ही शुश्रूषा के पीछे काम करती थी। काम में भूल हुई कि डाट-फटकार। बहुत-से गुरु औचित्य की चिन्ता किये विना छात्रों को काम में लगाये रहते थे। इसलिए, चतुर छात्र कार्य और डाट से बचने के लिए उपाध्याय की दृष्टि से कतराकर रहते थे।^९

१. १-४-५३, पृ० १८४ तथा १-४-५१, पृ० १७७।

२. ४-२-१५।

३. अधीत्य स्नात्वा गुरुभिर्हनुज्जालेन खट्वाऽऽरोढव्या। य इवानीमतोज्यथा करोति स उच्यते खट्वा रूढो जाल्मः। नातिव्रतवान्—२-१-२६, पृ० २८१।

४. खट्वा रोहण चेह विमार्गप्रस्थानस्योपलक्षणम्। सर्वे एवाविनीतः खट्वा रूढ इत्युच्यते।—(वही) काशि०।

५. ४-२-२५।

६. गुरुवदस्मिन् गुरुपुत्रेऽपि वर्तितव्यमन्यत्रोच्छिष्टभोजनात् पादोपसंग्रहणाच्च। यदि च गुरुपुत्रेऽपि, गुरुर्भवति तदपि कर्तव्यं भवति।—१-१-५६ वा० ८, पृ०, ०३३८।

७. कर्मणि च येन सस्पर्शात् कर्तुः शरीरसुखम् सुखं मानसी प्रीतिः। कर्तुः किम्? गुरोः स्नापनं सुखम्—३-३-११६ काशिफ।

८. ये तावदेते गुरुशुश्रूषवी नामेतेऽपि स्वभूत्यर्थमेव प्रवर्तन्ते पारलौकिकं च नो भविष्यति। इह च नः प्रीते गुरुरध्यापयिष्यतीति।—३-१-२६, वा० १४, पृ० ७७।

९. उपाध्यायादन्तर्घते। पश्यत्ययं यदि मामुपाध्यायः पश्यति ध्रुवं प्रेषणमुपालम्भो वा। स दुष्टो तस्मात्प्य निवर्तते।—१-४-२८, पृ० १६४।

छात्रों को, विशेषतः छोटे छात्रों को भिक्षा माँगकर निर्वाह करना पड़ता था। यद्यपि भाष्य में विद्यार्थियों द्वारा भिक्षा माँगे जाने का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, फिर भी अनेक संकेतों से इसका अनुमान होता है।^१

गुरुकुल-वास निश्चय ही कष्टकर था।^२ एक तो यम-नियमों और व्रतों का पालन, उसपर अनिश्चित भोजन और तदुपरि यदा-कदा गुरुओं का दुर्व्यवहार। अध्ययन के लिए छात्रों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था और बहुत-से छात्र उससे डरकर ही अध्ययन छोड़ बैठते थे।^३ बहुत-से बालक गुरुओं की कठोरता के भय से गुरुकुलों में जाने से ही डरते थे। अध्ययन से इस प्रकार डरनेवाले छात्र के लिए भाष्य में 'पर्यध्ययन' शब्द का प्रयोग हुआ है।^४ फिर भी, शिष्य का कर्त्तव्य था कि वह 'आचार्यभोगीन' रहे। शिष्य और उसकी वे सारी क्रियाएँ, जिनसे आचार्य को शारीरिक सुख प्राप्त हो, आचार्यभोगीन कही गई है।^५ इसलिए, कष्ट सहकर भी आश्रम में रहना छात्र का कर्त्तव्य था। बार-बार गुरुकुल-परिवर्त्तन करनेवाले या प्रविष्ट होकर शीघ्र ही गुरुकुल छोड़कर चले जानेवाले छात्र 'तीर्थकाक' या 'तीर्थध्वाक्ष' कहे जाते थे।^६

शिक्षक—भाष्य में शिक्षा प्रदान करनेवालों के लिए शिक्षक, उपाध्याय, प्रवक्ता, श्रोत्रिय, अध्यापक, गुरु और आचार्य शब्द मिलते हैं। इनमें श्रोत्रिय शब्द वेदाध्यायी का पर्याय है। 'वेद का अध्ययन करता है', इस अर्थ में श्रोत्रिय शब्द प्रयुक्त होता था।^७ इसका शिक्षण से सीधा सम्बन्ध नहीं था। कोई शिक्षक श्रोत्रिय भी हो, यह दूसरी बात है। छात्र भी श्रोत्रिय कहे जा सकते थे। इसी प्रकार, प्रवक्ता प्रवचनकार या व्याख्याता होता था। वह शिक्षक भी हो सकता था, यद्यपि उसका शिक्षक होना आवश्यक नहीं था।^८ आचार्य किसी विषय के उच्च कोटि के अवि-कारी विद्वान् और मौलिक चिन्तक को कहते थे। ये लोग किसी सिद्धान्तविशेष के प्रवर्तक या मौलिक कृति के प्रणेता होते थे। विशिष्ट आचार्य को प्राचार्य कहते थे।^९ चरणों के प्रमुख प्राय प्राचार्य तथा उनसे सहयोगी आचार्य होते थे। पतञ्जलि ने पाणिनि को आचार्य कहा है, कात्यायन को नहीं। आचार्यों के प्रति बड़ी सम्मान-भावना थी। उनकी शैली, उनका आचार, उपचार सभी

१. भिक्षा वासयति ।—३-१-२६, वा० २, पृ० ७१।
२. २-१-१, पृ० २२७।
३. अध्ययनात् पराजयते। यएष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारा भवति स पश्यति दुःखमध्ययत दुर्वरं च गुह्यञ्च दुरूपचारा इति। स बुध्या सम्प्राप्य निवर्त्तते ।—१-४-२६, पृ० १६३।
४. २-२-१८, पृ० ३५०।
५. ५-१-९, वा० ३, पृ० ३००।
६. यथा तीर्थं काका न चिरं स्थातारो भवन्त्येवं यो गुरुकुलानि गत्वा न चिरं तिष्ठति स जच्यते तीर्थकाक इति ।—२-१-४२, वा० १, पृ० २९४।
७. ५-२-८४, पृ० ४०१।
८. २-१-६५।
९. २-२-१८, पृ० ३५०।

कुल प्रामाणिक माना जाता था।^१ ये लोग अध्यापन भी करते थे, किन्तु यह आवश्यक नहीं था। पाणिनि ने भी आचार्य का उपर्युक्त अर्थ ही मानकर उनके प्रणीत ग्रन्थों का अध्ययन करनेवाले अन्तेवासियों का उल्लेख किया है, आचार्यों के अन्तेवासियों का नहीं।^२ और, पतञ्जलि ने इस सूत्र का जो उदाहरण दिया है, वह भी उक्त कथन की पुष्टि करता है। 'आपिशलपाणिनीयव्याडीय गौतमीया' में उपसर्जन चारों आचार्य ग्रन्थकार हैं, शिक्षक नहीं।^३ पतञ्जलि ने आचार्य को प्रमाण-भूत कहा है। उसके भी अन्तेवासी ही सकते थे और प्रायः हीते भी थे, फिर भी सामान्यतया आचार्य से जिस अर्थ का बोध आज होता है, उस अर्थ में गुरु शब्द का प्रचार था। अन्तेवासी के सन्दर्भ में ही इस शब्द का व्यवहार होता था।^४ वह उपाध्याय से अधिक सम्मान का बोधक था। उपाध्याय सामान्यतया हर शिक्षक को कहते थे।^५ पतञ्जलि-काल में यही शब्द शिक्षक के अर्थ में प्रचलित था। गुरुकुल से भिन्न शालाओं के शिक्षक भी, जिनमें विद्यार्थी पढ़ने मात्र के लिए जाते थे और पढ़कर अपने घर चले जाते थे, उपाध्याय कहलाते थे। उपाध्याय और शिष्य सत्त्वर शब्द थे।^६ आचार्य नि शुल्क पढ़ाते थे और उपाध्याय शुल्क लेकर, यह पतञ्जलि के किसी उल्लेख से स्पष्ट नहीं होता। पतञ्जलि के अनुसार गुरु भी उपाध्याय होता था। विद्यार्थी जिसके पास जाकर पढ़ें, उसे उपाध्याय कहते थे।^७ भाष्य से उसके शुल्क लेने का पता नहीं चलता। केवल उपाध्याय को गाय दी जाती है, यही उल्लेख बार-बार मिलता है।^८ गोदान विद्या-समाप्ति पर भी होता था। गुरु और उपाध्याय में अधिक-से-अधिक इतना अन्तर कहा जा सकता है कि गुरु के पास सौ-सौ योजन की दूरी से छात्र विद्या प्राप्त करने आते थे^९ और उपाध्याय के निकट पास-पड़ोस के विद्यार्थी। इस प्रकार, गुरु उच्च विद्याओं का शिक्षक था और उपाध्याय उससे नीची कोटि का। यह कहना भी सर्वथा ठीक नहीं है कि उपाध्याय सामान्य लौकिक विषयों और प्रारम्भिक वर्गों के शिक्षक होते थे और गुरु तथा आचार्य वेद-वेदांगों के। महाभाष्य में अनेक बार उपाध्याय को वेद का शिक्षक कहा है।^{१०}

शिक्षक और उपाध्याय में एक अन्तर अवश्य मालूम होता है। उपाध्याय वेद तथा अन्य बौद्धिक विषय ही पढ़ाते थे^{११} और शिक्षक प्रायोगिक विषय भी पढ़ाते थे। धनुर्विद्या सिखानेवाले

-
१. प्रमाणभूत आचार्यः।—१-१-१, वा० ७, पृ० ९७ एषा ह्याचार्यस्य शैली लक्ष्यते।—
 आ० २, पृ० ८१ तथा किमिदमाचारादिति आचार्याणामुपचारात्।—आ० २, पृ० ८१।
२. ६-२-३६।
३. वही, पृ० २५७।
४. २-१-१, पृ० २३१।
५. १-४-२९, वा० २, पृ० १६६।
६. १-१-५६, वा० १, पृ० ३३४।
७. उपेत्याधीयतेऽस्मादुपाध्यायः।—३-३-२०, वा० १, पृ० ३००।
८. १-४-३२, पृ० १६७ तथा २-३-१४, वा० १, पृ० ४१६।
९. योजनशताब्धिगमनमर्हतीति योजनशक्तिको गुरुः।—५-१-७४, वा० २, पृ० ३३७।
१०. १-१-१, वा० १३, पृ० १०४।
११. धनुषि शिक्षते।—१-३-२१, वा० ३, पृ० ६२।

शिक्षक होते थे, उपाध्याय नहीं। अध्यापक सामान्य शिक्षक होते थे। ये भी तान्त्रिक या प्रायोगिक विषय नहीं पढ़ाते थे। गुरु सभी प्रकार की बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक या धार्मिक शिक्षा देते थे। शिक्षकवाची सभी शब्दों में गुरु प्रतिष्ठततम पद था। भाष्य में वेद-वेदागों के लिए अध्ययन और धनुर्विद्यादि के लिए शिक्षण शब्द का प्रयोग हुआ है। यह भी उपर्युक्त कथन का पोषक है। भाष्य की उद्योत टीका में आचार्य को उपनयन करनेवाला तथा तत्पश्चात् सम्पूर्ण वेद पढ़ानेवाला वतलाया है और उपाध्याय को वेद के अश्विषेप का शिक्षक।^१

पतंजलि ने खण्डिकोपाध्याय^२ का उल्लेख किया है। खण्डिक प्रारम्भिक कक्षाओं के शिक्षक होते थे, जो छात्रों को वेदाश्च कण्ठस्थ करा देते थे तथा अन्य विषय भी पढ़ाते थे। अध्यापकों में काष्ठाध्यापक^३ का अर्थ स्पष्ट नहीं है। काष्ठाध्यापक का सम्बन्ध काष्ठा (समय-विभाग) से नहीं था, इतना तो स्पष्ट है, क्योंकि काष्ठादिगण में काष्ठ शब्द परिगणित है, काष्ठा नहीं। काष्ठ भूमि की माप थी और मापक के लिए भी इसका प्रयोग होता था। सम्भव है दारुणाध्यापक (विना थके घुआँघार पढ़ाये जानेवाला) के समान काष्ठाध्यापक शुष्क पाठक का बौधक रहा हो। भाष्य में शोभन^४ और जटिलक^५ अध्यापक का भी उल्लेख है।

अध्यापक लोग वैतनिक भी होते थे और विशिष्ट जन अपने बालकों को घर पर पढ़ाने के लिए भी उन्हें नियुक्त कर लेते थे। भाष्यकार ने महीने-मर प्रतिदिन कुछ समय पढ़ाने के लिए वेतन पर नियुक्त अध्यापक को मासिक अध्यापक कहा है।^६ इसी प्रकार षण्मासिक, वार्षिक या सावत्सरिक अध्यापक होते थे।

अध्ययन की कण्ठसाध्यता—शिष्य और गुरु का मिलन शिष्य के लिए ब्रह्मतेज की वृद्धि के निमित्त माना जाता था। भाष्यकार ने इसे ब्रह्मवर्चस्य कहा है।^७ काशिकाकार ने गुरु-शिष्य-संयोग को ब्रह्मवर्चस्य माना है। शिष्य को विश्वास रहता था कि यदि उपाध्याय आ गये, तो उसका नियमित अध्ययन निश्चित है और वह अध्ययन जल्दी-जल्दी भी चलेगा।^८ अध्ययन की साधना योग कहलाती थी। ब्रह्मचारी योगसाधक माना जाता था।^९ अनेक कष्टों के बीच वह विद्याध्ययन करता था। ठंड में वह उपले (कारीष) जलाकर पढ़ता था। सम्भव है, राति में

१. उपनीय सर्ववेदाध्यापकसपाचार्य ..तया वेदेकदेशाद्यध्यापक उपाध्यायः।—
उद्योतटीका, १-१-५६।

२. १-१-१, वा० १३, पृ० १०४।

३. ८-१-६८, पृ० ३०१।

४. ८-१-६७, वा० १, २, पृ० ३००।

५. १-२-३२, वा० ४, पृ० ५११।

६. ५-१-८०, वा० १, २, पृ० ३३९।

७. ब्रह्मवर्चस्य निमित्तं संयोगी ब्रह्मवर्चस्यः।—५-१-३९, वा० १, पृ० ३२३ तथा फा०।

८. उपाध्यायश्चेदागतः क्षिप्रमध्यैव्यामहे। उपाध्यायश्चेदागतः आशसे युष्मन्-

ऽधीयीथ।—३-३-१३३ वा १, पृ० ३२४।

९. युज्यते ब्रह्मचारी योगम्।—३-१-८७, वा० १५, पृ० १५५।

जलती कारीप-अग्नि के प्रकाश में वह पुस्तको में भूले अक्ष भी देखता जाता हो।^१ गुह्यो का प्रेषण और उपालम्भ भी कम कष्टदायी न था।^२ बहुत-से गुरु दुस्पाचार भी होते थे।^३ फिर भी, सौ-सौ योजन चलकर विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे^४ और अध्ययन में श्रम करते थे। भाष्य में ऐसे दो छात्रों का उल्लेख है, जो पूरी रात और पूरे दिन पढते रहे थे।^५ शीत और रात्रि में वे अग्नि के पास बैठकर पढते थे।^६ कमी ऊँचे स्वर से बोल-बोलकर पढते थे और कभी धीरे-धीरे।^७ वाक्यों को कण्ठस्थ कर लेना होता था। कण्ठस्थ वाक्य को सधुष्ट या सधुषित कहते थे।^८ शिक्षक भी उच्च स्वर से बोलकर पढाते होंगे। भाष्य में एक ऐसे शिक्षक का उल्लेख है, जिसकी आवाज बैठ गई है।^९ किन्हीं छात्रों में बहुत शीघ्र पढ लेने की कामना होना स्वाभाविक है।^{१०} ऐसे छात्र को शीघ्रता न करने का भी निर्देश एक स्थान पर मिलता है। इच्छा के समान होने पर भी कुछ विद्यार्थियों का पढना सार्थक होता और कुछ निष्फल हो जाते थे।^{११} यद्यपि प्रत्येक शिक्षक यह स्वीकार करता था कि प्रयत्न सफल हो, किन्तु यह सम्भव नहीं हो पाता था। कुछ विद्यार्थी प्रयत्न करने पर भी अप्रवीण रह जाते थे और कुछ बिना विशेष श्रम किये भी प्रवीण हो जाते थे।^{१२} फिर भी, शिक्षा का उद्देश्य था कि प्रयत्न फलहीन न हो। जो छात्र अध्ययन में समर्थतर होता था, उसे आशुतरग्रन्थ कहते थे।^{१३} उसका सम्मान भी अधिक होता था। उदाहरणार्थ, देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों आढ्य, अभिरूप, दर्शनीय और पक्षान्त हों, किन्तु देवदत्त यदि स्वाध्याय में यज्ञदत्त से विशिष्ट हो, तो देवदत्त अविक सम्मान का भागी होता था।^{१४} बुद्धि की कमी या अध्यापक की वृष्टि से पढाया हुआ पाठ समझ में नहीं

१. कारीषोऽग्निरध्यापयति ।—३-१-२६, वा० २, पृ० ७१।
२. १-४-२८, पृ० १६४।
३. १-४-२६, पृ० १६३।
४. ५-१-७४, वा० २, पृ० ३३७।
५. इमकाम्यां रात्रिरधीता अर्था आभ्यामहरप्यधीतम् ।—२-४-३२, वा० ४, पृ० ४७८।
६. १-१-४३, पृ० २५४।
७. उच्चैरधीतान नीचैरधीतान ।—वही।
८. १-१-४४, वा० २२—४, पृ० २७५।
९. उपावास्तास्य स्वरः शिक्षकस्य ।—१-१-२०, वा० ६, पृ० १९६।
१०. १-३-२१, वा० २, पृ० ६२९९।
११. समानमीहमानानां केचिदर्थयुज्यन्तेऽपरे न ।—आ० २, पृ० ७९।
१२. फलव्रता च नाम प्रयत्नेन भवतिव्यम्, न च प्रयत्नः फलाद्भवतिरेच्यः। व्यतिरेकोऽपि वै लक्ष्यते। वृश्यन्ते हि कृतप्रयत्नाश्चाप्रवीणा अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः।—आ० १, वा० ८, पृ० २९।
१३. समर्थतरौऽयं साराणवकोऽध्ययनापेत्युच्यते आशुतरग्रन्थ इति गम्यते ।—२-१-१, वा० ७, पृ० २४५।
१४. देवदत्तयज्ञदत्तावाढ्यावभिरूपा दर्शनीयो पक्षवन्तो। देवदत्तस्तु यज्ञदत्तात्स्वाध्यायेन-विशिष्टः ।—२-१-६०, वा० २, पृ० ३१७।

आता। कभी-कभी पूरे मास पढ़ने पर भी अनुवाक छात्र की समझ में नहीं आता था।^१ रात्रि के समय छात्रों में पढ़ने की होड़ लगती थी। औरों के पढ़ने पर अकेले एक का सोना कंसा^२ सामान्यतया प्रदोष और रात्रि में अध्ययन नहीं होता था। वेदाध्ययन तो इन कालों में वर्जित ही था। अतः, निशा और प्रदोष में पढ़नेवाले छात्र नैश या नैशिक और प्रदोष या प्रादोषिक कहे जाते थे।^३

अनध्याय—चतुर्दशी और अमावास्या के दिन अनध्याय रहता था। इसके अतिरिक्त अनध्याय के दिनों के विषय में भाष्य से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। हाँ, काशिका से इतना अवश्य पता चलता है कि अनध्याय छात्रों को बहुत प्रिय था^४ और उसकी उत्सुकता से प्रतीक्षा किया करते थे। भाष्यकार के समय में भी स्थिति इससे भिन्न नहीं रही होगी, यह हम अन्य अन्य उद्धरणों से अनुमान कर सकते हैं।^५

अध्ययन के विषय—अध्ययन के विषयों में वेद का स्थान प्रमुख था। पतंजलि ने कहा है कि नियमपूर्वक पढ़े गये वेद-शब्द फलवान् होते हैं।^६ वेदाध्ययन की दो श्रेणियाँ थी—पारायण और अर्थग्रहण। ऋक् कहने से सपाठ-मात्र का ही बोध होता था, उसके अर्थ का नहीं। इसलिए, ऋगध्ययन का अर्थ ऋचा का पाठमात्र था, अर्थग्रहण नहीं।^७ पारायण या पाठ पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था। 'तदधीते तद्वेद' (४-२-५९) सूत्र की व्याख्या करते हुए पतंजलि ने 'अध्या' और 'विद्' का अन्तर स्पष्ट किया है। कोई केवल सपाठ पढ़ता है, किन्तु उसका तत्त्व नहीं समझता और कोई समझता है, किन्तु सपाठ नहीं करता।^८ सपाठ या पारायण करनेवाले को पारायणिक कहते थे।^९ 'दो वार या तीन वार पारायण करनेवाले द्वैपारायणिक और त्रैपारायणिक कहलते थे।'^{१०} वेद का अध्ययन करनेवाले छात्र श्रोत्रिय होते थे, और उनका कर्म श्रौत।^{११} भाष्य में वैदिक छात्र के लिए वेदाध्याय शब्द का भी प्रयोग मिलता है।^{१२}

१. मासमवीतोऽनुवाको न चानेन गृहीतः।—२-३-६, पृ० ४०९।
२. ३-३-१०८, वा० १ पृ० ३०२।
३. निशा सहचरितमध्ययनं निशा तत्सार्द्धमस्यनैश. नैशिकः, प्रादोषः प्रादोषिकः।—४-३-५२ काशिका।
४. छात्रप्रियोऽनध्यायः।—६-२-१६ काशि०।
५. १-४-२६, पृ० १६३।
६. वेदशब्दा नियमपूर्वकमधीताः फलवन्तो भवन्ति।—आ० १, वा० ९, पृ० २३।
७. ऋगित्युक्ते सम्पाठमात्रं गम्यते। नास्या अर्थो गम्यते।—१-१-६९, वा० ३, पृ० ४३८।
८. भवति हि कश्चित् सम्पाठं पठति न च वेत्ति कश्चिच्च वेत्ति न च सम्पाठं पठति।—४-२-२९, पृ० २८६।
९. यः पारायणमधीते पारायणिकः स उच्यते।—५-१-७२, पृ० ३३६।
१०. ५-१-२०, वा० २, पृ० ३१२।
११. ५-१-१३०, पृ० ३२६।
१२. ३-१-१३३, वा० ३, पृ० १९७।

वेद का सपाठ त्रैस्वर्यपूर्वक होता था। स्वयं भाष्यकार त्रैस्वर्य पाठ कराते थे।^१ त्रैस्वर्य का अर्थ है तीन प्रकार के स्वर। इनमें कुछ उदात्त गुणवाले, कुछ अनुदात्त गुणवाले और कुछ उभय-गुणविशिष्ट। इस तृतीय स्वर को भाष्यकार ने शुक्ल और ऋण को मिलाकर वननेवाले कल्पाय या सारग वर्ण को उपमा दी है।^२ वेद का मूल पाठ अनुदात्त रहे और स्वर-सम्बन्धी किसी प्रकार व्यतिक्रम न होने पाये, इस बात को और प्रारम्भ से ही ध्यान रखा जाता था। जो बालक उदात्त के स्थान पर अनुदात्त उच्चारण करता, उसके गाल पर तमाचा पड़ता था।^३ सामपाठ माणवकों को कण्ठस्थ करा दिया जाता था और वे यथावसर उसका गान करते थे।^४ महाभाष्य-काल में पारायण-अध्ययन का ही प्रचार अधिक था।^५

वेदपाठ के कुछ नियम थे। साम पूर्वाह्ण में गाया जाता था। अनुवाक का अध्ययन प्रातःकाल में ही होता था।^६ भाष्यकार ने इसे ऋण-कृत्य कहा है। ऋण-कृत्य नियोगत कर्त्तव्य होते थे। कुछ स्थान अध्ययन के लिए वजित थे। श्मशान और चतुष्पथ में पढ़ना शास्त्रतः निषिद्ध था। इसी प्रकार चतुर्दशी और अमावास्या को अध्ययन निषिद्ध था। यह बात यद्यपि प्रसंगवश 'अस्यवाम' सूक्त के सम्बन्ध में कही गई है, किन्तु सभी वैदिक अध्ययन के विषय में लागू होती थी।^७ स्वयं पाणिनि ने कुछ देशों और कालों को अध्ययन के अयोग्य बतलाया है। काशिका-कार ने पाणिनि के अदेश-काल को शास्त्र द्वारा अध्ययन के निषिद्ध देश-काल मानकर उनके उपर्युक्त उदाहरण ही दिये हैं। जो इन नियमों का उल्लंघन करता था, उसे अन्य छात्रों से अलग प्रदर्शित करने के लिए उनके क्रमशः श्मशानिक चातुष्पथिक, चातुर्दशिक और अमावास्यायिक विशेषण नियत किये गये थे।^८ इसलिए, भाष्यकार ने कहा है कि वेद, शब्दशास्त्र-विहित नियमों के पालन के साथ पढ़े जाने पर ही फल देते हैं।^९

पारायण या सपाठ ही पर्याप्त न था। वेद का अर्थ जानना-समझना भी आवश्यक था। जिसका केवल अध्ययन कर लिया, किन्तु अर्थ न समझा, उसे वाणी से बोला ही जा सकता है।

१. त्रैस्वर्येणाधीमहे।—१-२-३१, पृ० ५०७।
२. त्रिभिः प्रकारैरधिभरधीमहे, कैश्चिदनुदात्तगुणैः कैश्चिदनुदात्तगुणैः कैश्चिदुभयगुणैः।—१-२-३१, पृ० ५०७।
३. य उदात्ते कर्त्तव्येऽनुदात्तं करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मै चपेटां ददाति।—१-१-१, वा० १३, पृ० १०४।
४. गैयानि माणवकेन सामानि।—३-४-६७, वा० ४, पृ० ३६७।
५. २-३-६९, वा० ५, पृ० ४५६।
६. पूर्वाह्णे गेय साम। प्रातरध्येयोऽनुवाक-कृत्यनियोगे यद्ग्रहणम्। यद्यस्य नियोगतः कर्त्तव्यं भवति तत्तस्य ऋणं भवति।—२-१-४३, पृ० २९५।
७. देशः खल्वप्याम्नाये नियतः। श्मशाने नाध्येयं चतुष्पथे नाध्येयम्। कालः खल्वप्याम्नाये नियतः नामावास्यायां न चतुर्दश्याम्।—५-२-५९, वा० ४, पृ० ३९५।
८. ४-४-७१ का०।
९. वेदशब्दा नियमपूर्वकमधीताः फलवन्तो भवन्ति।—आ० १, वा० ९, पृ० २३।

उससे बुद्धि प्रकाशित नहीं होती। वह तो सूखे ईंधन के समान होता है, जो बिना अग्नि के नहीं जल सकता।^१ इसलिए, पारायण में तो पदपाठ, क्रमपाठ, संहितापाठ आदि के कारण संहिताका का अनेक बार अध्ययन करना ही पड़ता था, अर्थज्ञान के लिए भी कई बार ग्रन्थ पढ़ना होता था। कभी-कभी पाँच-छह बार पढ़ाये जाने पर बात समझ में आ पाती थी। शिक्षाशास्त्रियों में इन विविध प्रकार के अध्ययनों को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट शब्दावली प्रचलित थी। उदाहरणार्थ, एक ही संहिता का सामान्य रूप से अध्ययन करके फिर उसी का पदों की दृष्टि से अध्ययन द्विगुण अध्ययन और फिर उसी का क्रम की दृष्टि से अध्ययन त्रिगुण अध्ययन कहा जाता था।^२ पाणिनि ने अनेक बार या अनेक रूपों में अध्ययन का उल्लेख किया है। पाणिनि के अनुसार पाँच बार या पाँच रूपों में किया गया अध्ययन पचक कहलाता था। इसी प्रकार सप्तक, अष्टक, नवक, दशक अध्ययन होते थे।^३ पाणिनि के इस सूत्र पर भाष्यकार ने विस्तृत प्रकाश डाला है।^४ इसी प्रकार जो जितनी बार में ग्रन्थ पर अधिकार कर पाता था, छात्रों में उसी के अनुसार उसका स्थान होता था। छह बार में ग्रन्थ का रहस्य समझ पानेवाला षट्क कहलाता था।^५ द्वितीय रूप से ग्रन्थ का समझना या ग्रहण करना द्विक ग्रहण कहा जाता था। तीसरा या चौथा अध्ययन या इसी प्रकार त्रिक, चतुष्क कहा जाता था।^६ पतंजलि के समय वेदों की विभिन्न शाखाओं के अनुयायी अपनी शाखा में प्रचलित पाठों को कठस्थ कर गते थे।^७ कठ, कौयुम, कालाप, मौद, पौप्लाद आदि वेद-भागों के गान का प्रचार बहुत अधिक था। पदपाठ और क्रमपाठ के गायक पदक और क्रमक कहलाते थे। ये लोग अध्ययन की दृष्टि से अविप्रकृष्ट माने जाते थे, क्योंकि इनके विषय परस्पर सम्बद्ध थे।^८

१. यदधीतमविज्ञात निगदेनैव शब्दयते।

अनगनाविच श्रुक्तेष्वो न तज्ज्वलति कर्हिचित् ॥

—आ० १, पृ० ४।

२. द्विगुणमध्ययनं द्विगुणमध्ययनमित्युच्यते। चर्वागुणाः क्रमगुणाश्चापेक्ष्य भवति न संहितागुणान्पचचर्वागुणांश्च।—५-१-११९, पृ० ३५५-५६।

३. पञ्चकोऽधीतः सप्तकोऽधीतः—तस्य संख्यापरिमाणं चावृतयः पञ्चवाराः पञ्चवर्षाभ्य-स्याध्ययनस्य पञ्चकमध्ययनम्।—५-१-५८ का०।

४. पृ० ३३५ से ३३८।

५. तावतिथेन गृह्णातीत्युपसंख्यानं कर्तव्यम्—षष्ठेन गृह्णातीति षट्कः—५-२-७७ वा० १, २ पृ० ३९९; पञ्चमेन गृह्णाति पञ्चकः।—४-१-३६, वा० २, पृ० ५२ तथा षष्ठेन गृह्णाति षट्कः।—वही, ३—५३।

६. वही।

७. अनुवादे चरणानाम्, नन्दन्तु कठकालापाः चर्षन्तां कठकौयुमा उदागन्मोद पौप्लादम्।—२-४-३, पृ० २६२।

८. अध्ययनतोऽविप्रकृष्टास्थानाम्।—२-४-५ का०।

इसी प्रकार क्रमक और वार्त्तिक थे (वृत्ति = संहिता)। कभी-कभी विभिन्न विषयों के छात्रों और पंडितों में परस्पर विवाद भी छिड़ जाता था। ज्योतिषी लोग प्रायः विरोधी होते थे और एक दूसरे का खण्डन करते थे। कठ, कालाप आदि जो यजुषु, आदि वेदों की शाखा मात्र थे, परस्पर बहुत कम मतभेद रखते थे। पाणिनि ने इन दोनों स्थितियों को 'अनुवाद' और 'विप्रलाप' सजा दी है।^१ चारों वेदों और वेदांगों का अध्ययन ब्राह्मण विद्यार्थी निष्काम नाम से करते थे। वेदांगों में व्याकरण का महत्त्व भाष्यकार के समय में बहुत माना जाने लगा था। उन्होंने व्याकरण को उत्तरा विद्या कहा है। मुण्डकोपनिषद् ने ब्रह्मविद्या को छोड़कर शेष सब विषयों को अपर-विद्या कहा है।^२ पहले शिक्षा प्रातिशाख्य और छन्दःशास्त्र पढा दिया जाता था और तत्पश्चात् व्याकरण का प्रारम्भ होता था।^३ व्याकरणों में पाणिनीय सर्वाधिक समादृत था। इसीलिए, पतञ्जलि ने पाणिनि का यश आकुमार विस्तृत बतलाया है।^४ पाणिनि ने व्याकरण पढ़ाने की जो पद्धति दी थी, उसने शिक्षक और छात्र का काम अत्यन्त सरल कर दिया था। पहले भाषा-ज्ञान के लिए एक-एक शब्द कण्ठस्थ कराया जाता था। यह पद्धति कोष कण्ठस्थ करने जैसी और मफल न हो सकती। पतञ्जलि ने कहा है कि बृहस्पति ने इन्द्र को प्रतिशब्द पारायण कराया, किन्तु शब्दों का अन्त न मिला। ऐसी जनश्रुति चली आती है। बृहस्पति जैसा वक्ता, इन्द्र जैसा अध्येता और दिव्य सहस्र वर्षों की आयु। तो भी शब्दों का अन्त नहीं मिला।^५ फिर, आज की तो बात ही क्या? जो बहुत जीता है, वह सौ वर्ष जी लेता है। ऐसी स्थिति में व्याकरण-ज्ञान के सरल उपाय की तलाश थी और वह उपाय पाणिनि ने किया। उन्होंने लक्ष्य और लक्षण का प्रवर्तन कर काम को सुकर बना दिया। इनके अतिरिक्त वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण और वैदिक मुख्य पठनीय विषय थे।^६ धनुर्विद्या भी सिखाई जाती थी,^७ किन्तु सामान्य पाठ्यक्रम में उसको स्थान नहीं रहा होगा। वायसविद्या, गोलक्षण, अश्वलक्षण^८ आदि लौकिक विद्याएँ, जिनका उल्लेख पतञ्जलि ने किया है, पाठ्य-क्रम में थे या नहीं, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। याज्ञिक शास्त्र तो

१. अनोरकर्मकात् ।—१-३-४९; विभाषा विप्रलापे ।—१-३-५० तथा का० ।

२. तत्रापराविद्या ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽर्ष्यवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते ।—मुण्डकोप०, १-१-५ ।

३. व्याकरण नामेयमुत्तराविद्या । योऽसी छन्दःशास्त्रेष्वभिविनीतः उपलब्ध्यावगन्तु-मुत्साहेतः ।—१-१-३२, पृ० ५०८ ।

४. आकुमारं यशः पाणिनः ।— १-४-८६, पृ० २०२ ।

५. एवं हि श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसत्स्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम । बृहस्पतिश्च प्रवक्तेःश्चाध्येता दिव्यं वर्षसहस्रमध्ययनकालः न घान्तं जगाम । किं पुनरद्यत्वे ? यः सर्वथाश्चिर जीवति वर्षशत जीवति ।—आ० १, पृ० १२ ।

६. आ० १, वा० ५, पृ० २१ ।

७. १-३-२१, वा० ३, पृ० ६२ ।

८. ४-२-६०, पृ० १८७ ।

अवश्य ही पाठ्य-क्रम में सम्मिलित था। अंगविद्या, क्षत्रविद्या, घर्मविद्या तथा त्रिविद्या पाठ्य-विषयो की श्रेणी में जा चुकी थी। सूत्र-ग्रन्थ तो वेदागो के ही अन्तर्गत थे।

दण्ड—अध्ययन में दण्ड का स्थान था। शिक्षा-जगत् में यह विश्वास था कि लगन या प्यार से बालको में बहुत-से दोष आ जाते हैं और तान्ड से गुण की वृद्धि होती है। इसीलिए उपाध्याय लोग वेदपाठ के समय अशुद्ध स्वर बोलनेवालो के तमाचे लगा देते थे।^१ किन्तु-गुरु जिन हाथो से मारते थे, वे 'सामृत' होते थे, 'विषोक्षित' नहीं।^२ गुरु दोषो के लिए बालको को भर्त्सना करते थे। वे इस प्रकार की आकृति भी बना लेते थे, जैसी कुपितो की होती है, यद्यपि वास्तव में वे कुपित नहीं होते थे।^३ ऐसे समय छात्र गुरुओ से दूर रहते थे और जब उनका क्रोध शान्त हो जाता था, तब उनके सामने आते थे।^४

अध्ययन-साफल्य एवं परीक्षा—स्वाध्याय में पाणिनि ने वृत्ति (अप्रतिबन्ध) नमं (उत्साह) और तायन (स्फीतता) यह क्रमस्वीकार किया है। 'वृत्तिसर्गतायनेषु क्रम' (१-३-३८) सूत्र की काशिका वृत्ति भी इस कथन की समर्थक है कि तीक्ष्ण बुद्धि और उत्साह दोनों मिलकर अध्ययन को विशदीकृत बनाते हैं। भाष्यकार ने ज्ञान को ज्योति कहा है। ज्योति का मृत्यु गुण है सततत्व।^५ एक ज्योति से दूसरी ज्योति जल जाती है, किन्तु पहली कम नहीं होती। इसी प्रकार, अध्ययन शिक्षक से अपक्रान्त होता है, बाहर निकलता है, किन्तु सदा के लिए या पूर्णत नहीं। उसे ग्रहण करनेवाले छात्रो को उनकी योग्यता के अनुसार लाभ पहुँचाता है। इसीलिए, कुछ प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो पाते और कुछ बिना प्रयत्न ही सफल हो जाते हैं।^६ कुछ छात्र साध्वध्यायी होते हैं और कुछ विलम्बिताध्यायी।^७ समान इच्छा और प्रयत्न होने पर भी कुछ छात्र अर्थ (साफल्य) से युक्त होते हैं और कुछ नहीं। इस प्रकार के पातजल वक्तव्यो से इन बात का पता चलता है कि अध्ययन के अन्त में विद्यार्थी की सफलता-असफलता का अंकन किया जाता था। शिक्षक भी इस बात को लक्ष्य में रखकर पढाता था कि उसका प्रयत्न फलवान् हो। फिर भी, वह कभी-कभी फल से व्यतिरिक्त हो ही जाता था। साफल्यकन के लिए आचार्य या गुरु

१. बही।

२. य उदात्ते कर्त्तव्येऽनुदात्तं करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मै चपेटं ददाति।-१-१-१,

वा० १३, पृ० १०४।

३. सामृतैः पाणिभिर्नन्ति गुरवो न विषोक्षितैः।

लालनाश्रयिणोदोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः।-८-१-८, पृ० २७१।

४. अकुपिता अपि दृश्यन्ते वारकान् भर्त्सयमानाः। अन्तस्तस्ते तां शरीराकृतिं कुर्वन्ति वा कुपितस्य भवति।-बही।

५. दूराच्च कुपिताद् गुरोः।-२-३-३५, वा० २, पृ० ४३०।

६. यद्यपक्रामति किं नाल्यन्तायापक्रान्ति। सन्ततत्वाद्। अयया ज्योतिर्नज्जानानि भवन्ति।-२-३-२१, पृ० ४२३।

७. आ० १, वा० ८, पृ० २३।

८. ६-२-८०, पृ० २७३।

छात्र की परीक्षा लेता था। अध्ययन-सम्बन्धी परीक्षा का स्पष्ट उल्लेख पाणिनि और पतञ्जलि दोनों में मिलता है। परीक्षा-काल में उच्चारण-सम्बन्धी एक भूल करनेवाले को ऐकान्यिक कहते थे। इसी प्रकार द्वैयन्यिक, त्रैयन्यिक से लेकर द्वादशान्यिक, त्रयोदशान्यिक चतुर्दशान्यिक^१ आदि सजाएँ छात्रों को उनको भूलो के अनुसार दी जाती। कहा नहीं जा सकता कि यह परीक्षा प्रतिदिन होती थी या निश्चित अवधि के पश्चात् या अध्ययन की समाप्ति पर। अध्ययन (पढ़ना) से भिन्न वेत्तृत्व की परीक्षा किस प्रकार होती थी, यह भी भाष्य में स्पष्ट नहीं है। पढाई प्रायः मौखिक चलती थी, यह बात भाष्य में स्पष्ट है, इसलिए परीक्षा भी मौखिक ही होती होगी। मौखिक पढाई का यहाँ तक प्रचार था कि सूत्रकार को 'वृत्तं पारायणम्' जैसे प्रयोगों के लिए पृथक् सूत्र का निर्माण करना पडा, जिसपर भाष्यकार ने भी विस्तृत विवेचन किया है।^२

स्नातको की कोटियाँ—अध्ययन के पश्चात् गुप्तकुल से निकलनेवाले विद्वान् वार्मी होते थे। वे किसी विषय की अधिकारपूर्वक व्याख्या कर सकते थे। अनावश्यक बहुत वकवास करनेवाले वाचाल या वाचाट कहलाते थे।^३ विशिष्ट विषयों के छात्रों और विद्वानों को उनके विषयों के आधार पर सम्बोधित किया जाता था। यजुष् का अधीर्ता याजुष्क कहलाता था।^४ इसी प्रकार याज्ञिक, वैयाकरण, कठ, बह्वृच, औदियक, मीमांसक आदि नाम सम्बद्ध विषयों के छात्रों और अध्यापकों के लिए प्रचलित थे।^५ भाष्य ने व्याकरण के विद्वान् को अधीर्ता, याज्ञिक्य में दक्ष को परिणयितो और द्वन्द्वस् में निष्णात व्यक्ति को आम्नाती कहा है।^६ अपरिपक्व ज्ञानवाले वे वैयाकरण खसूचि कहलाते थे, जो कठिन प्रसंग उपस्थित होने पर आकाश की ओर देखने लगते थे। किन्तु, खसूचि विशेषण विषय की निन्दा का द्योतक नहीं था। वह व्यक्ति से सम्बद्ध था।^७ व्याकरण, याज्ञिक्य आदि के अनियमित अध्यायी को उपहास में 'प्रायेण वैयाकरण' या 'प्रायेण याज्ञिक' कहते थे। यह व्यग्य उनकी विषय-सम्बन्धी अस्थिरता का व्यञ्जक था।^८ व्याकरणादि में निष्णात वैयाकरणरूप, याज्ञिकरूप आदि विशेषणों से विभूषित होते थे।^९ इसके जलटे अपने विषय में दुर्बल वैयाकरण याज्ञिक, तार्किक आदि वैयाकरणपाश, याज्ञिकपाश, तार्किक-

१. कर्मध्ययने वृत्तम् ।—४-४-६३; बहुवृत्पूर्वपदाङ्क्-४-४-६४ तथा द्वादशान्यिकः प्रयोदशान्यिकः ।—६-१-८५, वा० ४, पृ० १२२।

२. गोरध्ययने वृत्तम् ।—७-२-२६, पृ० ११७-१८।

३. आलजाचटौ बहुभाषिणि कुत्सित इति वक्तव्यम्, योहि सम्यग् बहु भाषते वाग्मीयेव स भवति ।—५-२-१२५, पृ० ४२२।

४. १-४-१, वा० ३, पृ० ९८।

५. २-२-२९, पृ० ३७८।

६. २-४-३६ वा० १, पृ० ४३१।

७. वैयाकरणखसूचिः । किंव्याकरण कुत्सितमाहोस्त्विद् वैयाकरणः । वैयाकरणः कुत्सितः तस्मिन् कुत्सिते तत्त्यमपि कुत्सितं भवति ।—२-१-५३, पृ० ३०७।

८. २-३-१८, वा० १, पृ० ४२०।

९. ५-३-६६, पृ० ४५८ तथा का०।

पाश आदि कहे जाते थे। भाष्यकार ने कहा है कि व्याकरण में शोभन और शरीर में क्रुश वैयाकरण पाश नहीं होता, क्योंकि जिस अर्थ में शब्दविशेष को प्रवृत्ति होती है, उसमें दुर्बलता उसको निन्दा का कारण बनती है। इसलिए, व्याकरण में दुर्बल विद्वान् वैयाकरणपाश कहलाता है।^१

स्वाध्याय और व्यवहार-काल—गुरुकुल छोड़ने के बाद भी अध्ययन-क्रम जारी रहता था। विद्याभ्यास की चार कोटियाँ भाष्यकार ने मानी हैं—आगम-काल, स्वाध्याय-काल, प्रवचन-काल और व्यवहार-काल।^२ आगम-काल गुरुकुलो में गुरुमुख से विद्या-ग्रहण द्वारा च्युतीत किया जाता था। स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करने, भली भाँति अध्ययन करने और सुन्दर अध्ययन करने को कहते थे।^३ स्वाध्याय जीवन-भर जारी रहता था। प्रवचन का—अध्यापन का अवसर ब्राह्मणों को ही प्राप्त होता होगा। वास्तव में, सबसे बड़ी परीक्षा व्यवहार-काल में होती थी। यहाँ विद्या की सफलता का मापदण्ड था। जो शिक्षक व्यवहार-काल पर दृष्टि रखते थे, वे निन्दन्य कोरे कित्तावो न होकर लोकदृष्टिवादी रहे होंगे। भाष्यकार का उपर्युक्त कथन इस बात का प्रमाण है कि तत्कालीन शिक्षा भावी जीवन के लिए तैयारी मात्र तथा व्यावहारिक होती थी।

पार्षद संस्थाएँ और अनुसन्धान—स्वाध्याय के सुखद परिणाम तत्कालीन चतुर्मुर्गो चिन्तनाभिमुख कृतियों के रूप में सामने आये। विद्वानों की एक बड़ी सख्या नवीन अनुसन्धानों में रत थी। इन लोगों ने वेद, व्याकरण, ज्योतिष तथा अन्यान्य लौकिक विषयों पर इस काल में नवीन ग्रन्थ लिखे गये, जिनका उल्लेख अन्यत्र हुआ है। उच्चारण के विषय में एक बड़ा काम छन्दोग धाम्नाय की राणायनीय और सात्यमुनि शाखा ने किया था।^४ वे लोम अर्ध एकार और अर्ध ओकार भी पढते थे। 'सुजाते ए अश्व सुनूते। अध्वर्यो ओ अद्रिमि सुतम्। मुकते ए 'अन्यद्यजत ते ए अन्यत्।' इन साम-मन्त्रों के गान में वे अर्ध एकार और अर्ध ओकार का भी उच्चारण करते थे। यह इन लोगों की पार्षद कृति थी, अन्याय लोक और वेद में अर्ध एकार पा, ओकार प्रचलित नहीं था। प्रातिशाख्यकारों का यह काम उनकी मौलिक कल्पना थी। भाष्यकार ने इसे पार्षद कृति कहा है। उससे स्पष्ट है कि विद्वानों की परिपक्व आजोवन स्वाध्याय में रत रहती थी।

१. वैयाकरणपाश. याज्ञिकपाशः। अथ वैयाकरणः शरीरेण क्रुशो व्याकरणेन च शोभनः कर्त्तव्यो व्याकरणपाश इति। न कर्त्तव्यः। कथम्? यस्य भावाद् द्रव्ये शब्दनिवेशस्तदभिधाने तद्गुणवक्तव्ये प्रत्ययेन भवितव्यं न काश्चित्स्य भावाद् द्रव्ये वैयाकरणशब्दः।—५-३-४७, वा० १, पृ० ४४१।

२. चतुर्भिश्च प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति। आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति।—आ० १, पृ० १२।

३. स्वमध्ययनं स्वाध्यायः सुष्ठु वाध्ययनं स्वाध्यायः शोभन वाध्ययनं स्वाध्यायः।—७-३-४, पृ० १७६।

४. भोवच्छन्दोगानां सात्यमुनिराणायनीया अर्धमेकारमर्धमोकार चाधीयते। मुजाते ए अश्वसुनूते—पार्षदकृतिरेया तत्र भवतां नैवहि लोके नान्यस्मिन् वेदेऽयं एकार अर्ध ओकारो प्रास्ति।—आ० २, पृ० ५४।

मौख सम्बन्ध—अर्था, यौन, मौख और स्त्रीव ये चार प्रकार के सम्बन्ध^१ भाष्यकार ने बतलाये हैं। इनमें मौख सम्बन्ध गुरु-शिष्य-सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध इतना ही दृढ था, जितना यौन, अर्थात् पिता-पुत्रका सम्बन्ध होता है। एक चरण, अर्थात् एक शाखा से सम्बन्ध रखनेवाले सारे छात्रों और विद्वानों की इसी प्रकार एक जाति मानी जाती थी, जिस प्रकार एक गोत्र में उत्पन्न लोगों की।^२ कठ, बह्वृच आदि शब्द इसी प्रकार जातिवाचक थे, जिस प्रकार औपगव (उपगु के अपत्य) आदि। पाणिनि और पतञ्जलि दोनों में विद्या और यौनि इन दो सम्बन्धों को समान रूप से दृढ स्वीकार किया है। कभी-कभी इनका व्यतिकर भी हो जाता था। एक ही व्यक्ति पिता भी होता था और गुरु भी।^३ भाष्यकार ने पिता के अन्तेवासी भी बतलाये हैं। पुत्र पिता के अन्तेवासी दो स्थितियों में होते थे। एक तो गुरुकुल में जाने के पूर्व प्रत्येक पिता अपने पुत्र को प्रारम्भिक शिक्षा देता था। साथ ही, यदि वह स्वयं विद्वान् और शिक्षक हुआ, तो अन्य बालकों के समान उसके अपने पुत्र भी शिष्य के रूप में उसके पास रहकर अध्ययन करते थे। ऐसे ही शिष्यों को भाष्यकार ने 'पिता के अन्तेवासी' कहा है। और, इसी दृष्टि से पुत्र को धर्म पढाने, उसे धर्म का अनुशासन देने की बात कही गई है।^४ इस प्रकार, अन्य विद्यार्थी तो परस्पर सतीर्थ्य सम्बन्ध में आवद्ध होते ही थे, गुरु-पुत्र भी सतीर्थ्य बन जाता था। ब्रह्मचारी और सतीर्थ्य शब्द भी स्थायी होते थे। वे विद्या-सम्बन्ध की दृढता के ही सूचक हैं।^५ गुरु-पुत्र के सम्बन्ध में शास्त्रों ने व्यवहार-सम्बन्धी नियम भी निश्चित किये थे। उसका सम्मान पिता के कारण अन्य छात्रों से अधिक था। कभी-कभी गुरु-पुत्र भी, यदि वह विद्वान् हुआ, तो अध्यापन-कार्य करता था और गुरु के समान ही अपने शिष्य की सम्मान-श्रद्धा का अविकारी होता था, किन्तु यदि वह अध्यापन न भी करता, तो भी उच्छिष्ट-भोजन और चरण-स्पर्श को छोड़कर अन्य सेवाएँ वह अपने पिता के शिष्यों से ले सकता था।^६ इससे यह भी स्पष्ट है कि शिक्षण का कार्य अपने परिवारों में परम्परागत चलता था और पिता के सामने ही उसके पुत्र अध्यापन का अभ्यास करने लगते थे। अनेक छात्रों के पिता ही उनके गुरु होते थे और पिता के समान मातुल भी अध्यापक होते थे। जिसका मातुल उपाध्याय होता, वह अन्य गुरुओं की अपेक्षा उसके पास पढ़ना अधिक पसन्द करता होगा। भागिनेय शिष्य को गुरुकुल में गुरुपुत्र के समान कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त था।^७

गुरु-शिष्य-सम्बन्ध जीवन-भर चलता था। शिष्य गुरु के नाम से पुकारे जाते थे। महाभाष्य

१. १-१-४९, वा० ४, पृ० ३००।

२. गोत्रं च चरणैः सह तथा गोत्रं च चरणानि च १-४-१-६३, पृ० ७२, ७३।

३. होतुः पुत्रः पितुरन्तेवासी १-६-३-२३, पृ० ३०८।

४. पुत्र व्रते धर्मम्, पुत्रमनुशास्ति धर्मम् १-१-४-५१, पृ० १७७।

५. ६-३-८६, वा० ३००, ८७, पृ० ३५४।

६. गुरुवदस्मिन् गुरुपुत्रेऽपि वृत्तित्वमन्यत्रोच्छिष्टभोजनात् पादोपसंग्रहणाच्च। यदि च गुरुपुत्रोऽपि गुरुर्भवति तदपि कर्त्तव्यं भवति १-१-१-५६, वा० ८, पृ० ३३८।

७. उपाध्यायस्य शिष्यो मातुलस्य भागिनेयं भवाह-उपाध्यायं भवानभिवादयतामिति। स गत्वा मातुलमभिवादयते १-३-३-१८, पृ० २९७।

में धनेक गुरुओं और उनके शिष्यों का उल्लेख है। उदाहरणार्थ, कुछ नामों का उल्लेख अत्रागतिक न होगा —

गुरु	शिष्य	गुरु	शिष्य
शाकल्य	शाकल्य ^१	गर्ग (गर्गनोत्रापत्य)	गार्गीय ^२
औदमेध्या	औदमेध ^३	वत्स (")	वात्सीय ^४
फाण्डाहृत (फाण्डा-फाण्डाहृत हृति का पुत्र)		भागवित्तिक (भाग वित्त का पुत्र)	भागवित ^५
तैकायनीय (तैकायनि का पुत्र)	तैकायनीय ^६	आंगगवि (उपगु-आंगगवीय ^७ आंगगव-आंगगवि)	
श्वामुरि (श्वमुर श्वसुर्य श्वामुरि)	श्वामुर ^८	कौलीनि (कुलू-कौलीन- कौलीनि)	कौलीन ^९
स्वामीपि (स्वसा- स्वामीप-स्वामीपि)	स्वामीप ^{१०}	ग्लौचुकायन (ग्लुचु- कायनि-पुत्र)	ग्लौचुकायन ^{११}
कापिञ्जलाद्य (का पिञ्जलादि पुत्र)	कापिञ्जलाद्य ^{१२}	काण्ड्यायन	काण्ड्यायनीय ^{१३}
वामरथ्य	वामरथ ^{१४}	शालकि	शालक ^{१५}
पैल	पैलीय ^{१६}	कण्ठ्य	काण्ठ ^{१७}
दाक्षि	दाक्ष ^{१८}	चारायण	चारायणीय ^{१९}
पाणिनि	पाणिनीय ^{२०}	रौडि	रौडीय ^{२१}
काञ्चप	काञ्चपीय ^{२२}	जिह्वाकात्य	जैह्वाकान ^{२३}
हरितक्यात्य	हारितकात् ^{२४}	त्रिङ्गलकाण्व	पैङ्गलकाण्व ^{२५}

१. ४-१-१८, वा० १, पृ० ४३।
२. ४-१-८९, वा० २, पृ० १०२।
३. ४-१-७८, वा० १, पृ० ८१।
४. ४-१-९०, वा० ३, ४, पृ० १०८।
५. ४-१-९०, वा० ४, पृ० १०९।
६. ४-१-१६५, वा० १, पृ० १५९।
७. ४-१-१५१, पृ० १४८।
८. ४-१-१६५, वा० २, पृ० १६०।
९. ४-२-१०४, वा० २३, पृ० २१०।
१०. १-१-७३, वा० ६, पृ० ४६१।
११. वही, वा० ८, पृ० ४६१-६२।

निर्दिष्ट सूची में कुछ गुरु-शिष्यों के सम्बन्धी हैं, कुछ आचार्य हैं और कुछ आचार्यगोत्रीय । कुछ ऐसे भी हैं, जिनके पूर्वजों के शिक्षक होने के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । शिष्य भी गोत्रापत्तियों के समान ही गुरु नाम के भागी थे । उनकी प्रतिष्ठा उनके गुरुकुल की प्रतिष्ठा के कारण होती थी । वे गुरु, आचार्य या उपाध्याय की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते थे ।^१ इस प्रकार ये, गुरु संस्था के पर्याय बन गये थे ।

चरण—चरण वेदों की शाखा को कहते थे । उसके अध्ययन करनेवाले पुरुष भी चरण कहलाते थे ।^२ चरण या उच्च कोटि की वैदिक अनुसन्धानकर्मी संस्थाएँ देश के कोने-कोने में फैली थी । भाष्यकार के समय में तीन विख्यात चरण देश के पूर्वी भाग में, तीन उत्तर में और तीन मध्य भाग में अवस्थित थे ।^३ ये चरण सम्पूर्ण उत्कर्ष पर थे । उन्होंने चरण-सम्बन्धों या चरणाख्या का उल्लेख किया है ।^४ बह्वृच, कठ, कालाप, मौदक और पैप्पलाद चरण तो अत्यन्त लोकप्रिय थे । भाष्यकार ने कहा है कि गाँव-गाँव में काठक और कालापक ग्रन्थ पढाये जाते हैं ।^५ यह कथन एक ओर वैदिक अध्ययन की लोकप्रियता पर प्रकाश डालता है और दूसरी ओर शिक्षा की व्यापकता पर । प्रत्येक चरण की अपनी अध्ययन-पद्धति अपने नियम, सिद्धान्त और आम्नाय होते थे । उपर्युक्त चरणों के धर्म और आम्नाय क्रमशः बह्वृच, काठक, कालापक, मौदक और पैप्पलादक कहलाते थे ।^६ इसी प्रकार, छन्दोगों, औक्थिकों, याज्ञिकों, नटों आदि के अपने-अपने आम्नाय थे ।^७

पाणिनि से चरक का उल्लेख है । चरको की हितकर वस्तु चारकीण कहलाती थी ।^८ चरक वैदिक विद्यार्थी थे, जो लोक-शिक्षा तथा लोक-कल्याण के लिए, समाज में विचरण करते थे । वृहदारण्यक में इस शब्द का प्रयोग धूमनेवाले ब्रह्मचारी के लिए हुआ है । चरक पतञ्जलि के समय में आदर की दृष्टि से देखे जाते थे । ये प्रवचन, प्रश्नोत्तर तथा शास्त्रार्थ द्वारा लोगों की ज्ञान-वृद्धि करते थे ।

कुछ चरण इतने प्रसिद्ध थे कि उनमें दीक्षित होकर विद्यार्थी गर्व का अनुभव करते थे । कभी-कभी वे इस कारण औरों को तुच्छ समझने लगते थे । इस विषय में 'गोत्रचरणाच्छलाघात्याकारतद्वेत्तेषु' (५-३-१३४) विशेष ध्यान देने योग्य है । काणिकाकार ने गार्ग्य और कठ

१. ४-२-१०४, वा० १४, पृ० २०८ ।

२. चरणशब्दः शाखानिमित्तः पुरुषेषु श्रूयते ।-२-४-३ का० ।

३. चरणसम्बन्धेन निवासलक्षणोऽणु वक्तव्यः । त्रयः प्राच्यास्त्रय उदीच्यास्त्रयो मध्यमाः । सर्वे निवासलक्षणाः ।-४-२-१३८, वा० २, पृ० २१८ ।

४. बह्वृचद्वचरणास्यायाम् ।-५-४-१५४, पृ० ५१४ ।

५. ग्रामे ग्रामे काठकं कालापकं च प्रोच्यते—४-३-१०१, वा० १, पृ० २४६ ।

६. चरणाद् धर्मान्नाययोः कठानां धर्म आम्नायो वा काठकं कालापकम् मौदकम्, पैप्पलादकमिति—४-३-१२०, वा० ११, पृ० २५२ ।

७. छन्दोगौविद्यक याज्ञिकबह्वृच नटोऽञ्जः ।-४-३-१२९ ।

८. भाणवचरकाभ्यां खन् ।-५-१-११ ।

चरणों में अवेत (प्रविष्ट) होकर प्राप्त गार्गिका और काठिका (गार्ग्यत्व और ऋत्विज) के कारण गर्व अनुभव करने एवं दूसरों को छोटा समझनेवालों का उल्लेख किया है, जो इस बात का द्योतक है कि गार्ग्य और कठ चरणों की प्रतिष्ठा विद्वद्गर्ग में बहुत अधिक थी।

स्त्रियों की शिक्षा—पतंजलि-काल में स्त्रियों में भी शिक्षा का प्रसार था। नामान्य जनता के विषय में तो निर्विवाद रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु ब्राह्मण-स्त्रियों में अध्ययन की प्रथा अवश्य थी। पतंजलि ने आचार्यों और उपाध्यायों का उल्लेख किया है। उपाध्यायी या उपाध्याया वे स्त्री-अध्यापिकाएँ कहलाती थीं, जिनके पास पढ़ने के लिए बाहर से छात्र आते थे।^१ लोकायत-सम्प्रदाय की व्याख्यात्री वर्णिका या वर्त्तिका नामक आचार्यों का भी भाष्य में उल्लेख मिलता है।^२ आपिशल और काशकृत्स्न के बनाये हुए शास्त्रों का अध्ययन करनेवाली आपिशला और काशकृत्स्ना ब्राह्मणियों,^३ कठ और बह्वृच शाखा की अध्यात्री कठी और बह्वृची स्त्रियों^४ के दर्शन भाष्य में होते हैं। उदमेघ गोत्र की अध्यापिका उदमेघ्या का उल्लेख, जिसके शिष्य उदमेघ कहलाते थे, ऊपर हुआ ही है। फिर भी, 'छात्रादय गालायाम्' (६-२-८६) सूत्र के आधार पर कुछ विद्वानों ने पाणिनि-काल में जो स्त्रियों के छात्रा-भावों का अनुमान किया है, वह समीचीन नहीं है, क्योंकि छात्र्यादिगण में पठित शब्द छात्रि हैं; छात्री नहीं। यदि यह शब्द ईकारान्त होता, तो भी स्त्री छात्र का बोध नहीं हो सकता था, क्योंकि छात्र का स्त्रीलिंग रूप छात्रा होता है, छात्री नहीं। तथापि कुमारी श्रमणाएँ, प्राजिताएँ और तापसियाँ तथा कुमारी अध्यापिकाएँ और पण्डिताएँ समाज में विद्यमान थीं, इनमें सन्देह नहीं।^५

शिक्षा-संस्थाएँ और नैतिक स्वलन—वैदिक अध्ययन के पुनरुत्थान के इन युग की शिक्षा-संस्थाओं में प्रायः वे दोष आ गये थे, जो शिक्षा को अर्थ के साथ मयुक्त कर देने से आ जाते हैं। यज्ञ ब्राह्मणों की आय के बड़े साधन हो गये थे। राज्य कुलों में उपाध्याय के शिष्यों को अग्रासनादि प्राप्त होते थे।^६ शिक्षा-संस्थाओं से श्रद्धालु वजमानों से अर्द्ध दान प्राप्त होते थे। सम्भव है, स्थायी सम्पत्ति भी उनके पास आ गई हो। फलतः, गुर्द-कुलों में विद्यार्थियों को खाने-पीने की पर्याप्त सुविधा प्राप्त थी। पाणिनीय विद्यापीठों में ओदन की बहुतायत थी। चारायणीय गुरुकुलों में कम्बल खूब प्राप्त होते थे। रीद्रीयसयालों से घृत अधिक मिलता था। कुछ छात्र इसी लोभ से इन संस्थाओं में प्रवेश लेते थे।^७ शिक्षा-संस्थाओं

१. उपेत्याधीयते तस्या उपाध्यायी उपाध्याया ।-३-३-२१, वा० १, पृ० ३०२।
२. वर्णिका-भागुरी लोकायतस्य-वर्त्तिका० ।-७-३-४५, वा० ७, ८, पृ० १९०।
३. आपिशलमधीते ब्राह्मणी आपिशला ब्राह्मणी, काशकृत्स्नमधीते काशकृत्स्नी ब्राह्मणी ।-४-१-१४, वा० ३, ४, पृ० ३६, ३७।
४. ६-३-३६, वा० १०, पृ० ३२३।
५. कुमारः श्रमणादिभिः ।-२-१-७०।
६. उपाध्यायस्य शिष्यो यज्ञकुलानि गत्वाऽग्रासनादीनि लभते ।-१-१-५६, वा० १, पृ० ३३४।
७. १-१-७३, वा० ६, पृ० ४६१।

मे इस प्रकार के दोष पाणिनि-काल मे ही प्रविष्ट होने लगे थे। 'ओत्रान्तेवासिमाणवन्नाह्णेषुक्षेपे' (६-२-६९) सूत्र की व्याख्या मे काशिकाकार ने क्षेप के कुछ नवीन कारण भी दिये हैं। काशिका-काल तक आते-आते सामाजिक स्थिति ऐसी ही गई थी कि विना व्याकरण पढे हुए विद्यार्थी का गौत्र विवाह नहीं होता था। इसलिए, कुछ छात्रों को कुमारी-लोभ से दाक्षादि की कृतियों का अध्ययन करना पड़ता था। इन लोगों को निन्दा के लिए ओदनपाणिनीय, कम्बलचारायणीय घृतरौढीय, कुमारीदाक्ष आदि नाम दिये गये थे। जो लोग अधिक भिक्षा पाने के लिए माणव वन जाते थे, वे भिक्षामाणव कहलाते थे।^१ स्वाभाविक था कि ये विद्यार्थी अध्ययन को महत्त्व न देकर जिस गुरुकुल मे अधिक सुख-सुविधा प्राप्त होती, वहाँ चले जाते और इस प्रकार वार-वार गुरुकुल बदलते रहते थे। ऐसे छात्रों के लिए तीर्थकाक, तीर्थध्वाक्ष आदि निन्दासूचक शब्द गढे गये थे।^२ ये लोग आनन्द मे वाधा आती देखकर अध्ययन-व्रत तोड देते और विवाह कर लेते थे। इस वदती प्रवृत्ति को रोकने के लिए खट्वारूढ जैसे निन्दक शब्दों का उपयोग चल पडा था।^३ इस प्रकार के छात्र गुरुकुल मे रहकर भी चरित्रहीनता का परिचय देते थे। भाष्यकार का यह कथन कि गुरुतल्पगामी का विनाश हो जाता है^४ और धर्मशास्त्रों द्वारा गुर्वङ्गना-समागम को महापातको मे सम्मिलित किया जाना इस बात का साक्षी है कि शिक्षा-संस्थाओं मे इस प्रकार से घृणित कृत्य भी यदा-कदा पाये जाते थे। दण्ड और अजिन लेकर विद्यार्थी का ढोंग करनेवाले लोग इतने बढ गये कि दाण्डाजिनिक शब्द ही ढोंगी का पर्याय बन गया था।^५

विद्यार्थी-वर्ग की इन दुर्बलताओं का मूल शिक्षकों-सम्बन्धी पातजल ववतव्यो मे ढूँढा जा सकता है। छात्र गुरुओं के प्रेषण और उपालम्भ से तग आ जाते थे।^६ इसलिए, वे उनसे मुँह छिपाते घूमते थे। अध्ययन भी शुष्क और क्लिष्ट था तथा गुरु लोग दुर्व्यवहार करते थे।^७ दारुणा-ध्यापक का उल्लेख भी भाष्य मे मिलता है।^८ गुरु की सेवा के अतिरिक्त छात्रों को गुरु के अपत्यो की भी सेवा-टहल करनी पडती थी। गुरुपुत्र स्वयं को गुरु से कुछ कम नहीं मानते थे।^९ इसलिए, बहुत-से छात्र अध्ययन से परिभ्रान्त हो जाते थे।^{१०} इसी कारण गुरुकुल का जीवन कष्टकर हो चला था।^{११}

१. ६-२-६९ का०।

२. २-१-४२, वा० १, पृ० २९५।

३. २-१-२६, पृ० २८१।

४. ध्वंसते गुरुतल्पगः।—३-२-४८ वा० ४, पृ० २१७।

५. अयः शूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठनी, दम्भो दण्डाजिनं तेनान्विच्छति दाण्डाजिनिकः।—
५-२-७६ काशिका।

६. १-४-२८, पृ० १६४।

७. १-४-२६, पृ० १६३।

८. ८-१-६७, वा० २, पृ० ३००।

९. १-१-५६, वा० ८, पृ० ३३८।

१०. २-२-१८, पृ० ३५०।

११. २-१-१, पृ० २७७।

अध्याय २

वेद-संहिता और उनकी शाखाएँ

वाङ्मय—भाष्यकार ने वाङ्मय के निम्नलिखित विभाग कहे हैं।^१ (१) चार वेद, जिनमें ऋग्वेद की इक्कीस शाखाएँ, यजुर्वेद की एक सौ एक, सामवेद की एक सहस्र तथा अथर्ववेद की नौ शाखाएँ हैं; (२) वेदांग, जिनमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छन्दस् एव ज्योतिष सम्मिलित हैं; (३) वेद के रहस्य-प्रतिपादक ग्रन्थ; (४) वाकोवाक्य; (५) इतिहास; (६) पुराण; और (७) वैद्यक। उन्होंने चारों वेद के प्रथम मन्त्रों को भाष्य के प्रारम्भ में ही उद्धृत किया है और जिनमें 'अग्निमीडे पुरोहितम्' ऋग्वेद की शाकल-संहिता का 'इपेतोर्जोत्वा', यजुर्वेद का, 'अग्न वा याहि वीतये' सामवेद का और 'शन्नो देवीरभीष्टये' अथर्ववेद का मन्त्र है।

ऋग्वेद

बाह्वृच्य—वाजसनेयी संहिता-भाष्य में महीधर ने कहा है, वेद पहले अविभक्त था। बाद में व्यास ने मनुष्यों को मन्वन्तति देखकर ब्रह्मा-परम्परा से प्राप्त वेद को ऋक्, यजु, साम और अथर्व इन चार भागों में विभक्त कर उन्हें क्रमशः पैल, वैशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तु को पढाया।^१ भाष्यकार ने ऋग्वेद को बाह्वृच्य कहा है। यह बाह्वृच्यो का आम्नाय था।^२ ऋग्वेद को बह्वृच्य भी कहते थे। सर्वाधिक ऋचाओं का वेद होने के कारण ऋग्वेद का यह नाम पडा था। ऋग्वेदियों की एक शाखा भी बाह्वृच्य थी।^३ ऋक् सामान्यतया ऋग्वेद की और विशेषतः छन्दोविशेषणों

१. चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बह्वृधा विभिन्ना। एकशतमष्टवर्षुशाजा। सहस्रवर्त्मा सामवेद एकविंशतिधा बाह्वृच्यम् नवषाथर्वणो वेदो वाकोवाक्यमितिहासः पुराणं वैद्यकमित्येतावान् शब्दस्य प्रयोगविषयः। —आ० १, वा० ५, पृ० २१।

२. तत्रादौ ब्रह्मपरम्परया प्राप्तं वेदे वेदव्यासो मन्वन्तान् मनुष्यान् विचिन्त्य तत्प्रथमां चतुर्धाव्ययस्य ऋग्यजुःसामाथर्वान्द्वैतुरो वेदान् पैलवैशम्पायनजैमिनिसुमन्तुभ्यः प्रमादुपदिदेश। (वाज सं० शृ० यजु०) पर महीधर-भाष्य के प्रारम्भ में।

३. ४-३-१२९।

४. ५-१-१५४, पृ० ५१४।

कहते थे।^१ ऋक् कहने से सपाठ- मात्र का वीच होता था, अर्थ का नहीं।^२ ऋक् का प्रयोग सम्भवतः सभी वेदों के लिए होता था। काठक, कालापक, मौदक और पैप्पलादक सब ऋक् कहलाते थे। भाष्य में इन्हे छन्दस् भी कहा है।^३

भाष्य में बाह्वृच्य को इकतीस प्रकार का बतलाया है। प्रपचहृदय भी इसका समर्थन करता है। उसके अनुसार किसी कारण से शतक्रतु ने वज्राघात से अनेक शाखाओं को नष्ट कर दिया और तब ऋक् और साम की केवल बारह बारह-शाखाएँ शेष रह गईं।^४ आथर्वण-परिशिष्ट चरणव्यूह में ऋग्वेद की सब शाखाओं का सात चरणों में अन्तर्भाव कर दिया है।

ऋग्वेदीय शाखाओं में से निम्नलिखित का नाम भाष्य में मिलता है—१. पैल, २. औदुम्बरि, ३. शकल्य, ४. मुद्गल, ५. गालव, ६. शालीय, ७. वात्सीय ८. शौनक, ९. पैंगी, १०. वीष्य, ११. पराशर, १२. माठर, १३. माण्डूकेय, १४. आसुरीय, १५. वह्वृच, १६. आरुणी, १७. सौलभ, और १८. वासिष्ठ। इनमें प्रथम नौ शाकल्य चरण-व्यूह के अन्तर्गत हैं। यह चरण-व्यूह ही भाष्यकार के समय में सर्वाधिक लोकप्रिय था।

पैल—पुराणों के अनुसार व्यास ने पैल को स्वयं ऋग्वेद पढ़ाया था। पैल पीला के पुत्र थे।^५ इन्हे पैलेय भी कहते थे। सभापर्व में इन्हे वसुपुत्र तथा होता (ऋग्वेदीय) कहा है।^६ पैल के दो शिष्य हुए—वाष्कल और इन्द्रप्रमति। वाष्कलो का उल्लेख भाष्य में नहीं मिलता। इन्द्रप्रमति की संहिता माण्डूकेय की मिली। भाष्य में पैल के शिष्यों को पैलीय कहा है।^७ पैल के पुत्र भी पैल ही कहलाते थे।^८ पैलादिगण में भी इनका उल्लेख है।^९

औदुम्बरि—आथर्वण परशिष्ट के औदुम्बरि चरण से भाष्यकार परिचित थे।^{१०} उन्होंने पिता और पुत्र दोनों की आख्या औदुम्बरि ही बतलाई है।

१. अचछन्दसीत्युच्यते नैतच्छन्दः समीक्षितं काठकं कालापकं मौदकं पैप्पलादकं।—
आ० ४-१-८६, वा १, पृ० ९६ तथा ऋचीति नेदं छन्दो विवक्षितं काठकम्—किं तर्हि ऋक्
चेत् प्रत्ययार्थो भवतीति।—४-१-१, वा० ३, पृ० ८।

२. ऋगित्युक्ते सम्पाठमात्रं गम्यते। नास्या अर्थो गम्यते।—१-१-६९, वा० ३, पृ० ४३८।

३. अचछन्दसीत्युच्यते नैतच्छन्दः समीक्षितं काठकं कालापकं मौदकं पैप्पलादकं।—
आ १-१-८६ वा० १, पृ० ९६ तथा ऋचीति नेदं छन्दो विवक्षितं काठकम्—किं तर्हि ऋक् चेत्
प्रत्ययार्थो भवतीति।—४-१-१, वा० ३, पृ० ८।

४. बाह्वृचः एकविंशतिवा। तत्र केवचित् कारणेन शतक्रतुना वज्रपातिना वेदशाखाः
तयावशिष्टाः सामबाह्वृचयोर्द्वादश द्वादश—प्र० हृदय, वेद-प्रकरण।

५. पीलाया वा।—४-१-११८।

६. पैलो होता वसोः पुत्रो धीम्येन सहितोऽभवत्।—सभापर्व, अ० ३६, श्लो० ३५।

७. पैलस्य पैलीयाः।—४-१-१६५, वा० २, पृ० १६०।

८. यद्येतावत् प्रयोजनं पैलादिष्वेव पाठं कुर्वीत।—१-२-४१, वा० ४, पृ० ५१८।

९. २-४-५९।

१०. २-४-५८, पृ० ४९३।

शाकल्य—शाकल्य लोग शाकल्य के शिष्य थे।^१ शाकल्य के गोत्रापत्य शाकल्यायन और शाकल्यायनी (स्त्री०) कहलाते थे।^२ ये स्वयं शाकल्य के पुत्र थे। पाणिनि के कण्वादिग्रन्थ में भी इनका नाम आया है।^३ शाकल्य का प्रगृह्यसज्ञा-विप्रत्यय नियम वैयाकरणों में बहुत प्रसिद्ध था। उ-इति को अन्य आचार्य लोग 'विति' बोलते थे, किन्तु शाकल्य ऊ इति तथा उ इति। इसी प्रकार के अनार्ष सम्बोधन के ओकार को भी वे प्रगृह्यसज्ञक मानते थे। भाष्यकार ने इन नियमों का शाकल्य नाम से बार-बार उल्लेख किया है।^४

शाकल्य की संहिता उपलब्ध थी और उसका पाठ भी किया जाता था। भाष्य में शाकल्य की संहिता को 'सुकृता' कहा है, जिसे सुनकर पर्जन्य वरस पडा था। यद्यपि यह घटना बार-बार होती नहीं देखी गई, तो भी इससे शाकल्य-संहिता के प्रति सामान्य जनो की श्रद्धा व्यक्त होती है।^५ कात्यायन की ऋक्-सर्वानुक्रमणी भी शाकल्य-संहिता पर ही है। यह बात अनुक्रमणीकार ने प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दी है।

वायु (अ० ६०), ब्रह्मण्ड (अ० ३५) और विष्णुपुराण (अ० ३, ४) के अनुसार शाकल्य के पाँच प्रमुख शिष्य हुए—मुद्गल, गालव, शालीय, वात्स्य और शैशिरय। ये सब शाखाकार थे।

मुद्गल—मुद्गल से वार्तिककार और पतञ्जल्य दोनो परिचित थे। इनकी पत्नी मुद्गलानी थी। भाष्य में 'रथीरमून्मुद्गलानी गविष्ठो' मन्त्राश दो बार उद्धृत है।^६ मुद्गल भूम्यश्व के पुत्र थे। निवृत्त में इन्हें भार्म्यश्व कहा है। भार्म्यश्व ऋग्वेद के दशम मण्डल के १२० वें सूक्त के ऋषि हैं। इस सूक्त में चार बार मुद्गल शब्द आया है। मुद्गल के पुत्र वध्र्यश्व और उनके दिवोदास हुए। ऋग्वेद में वध्र्यश्व के लिए दिवोदास को देने की बात कही गई है। इन ऋग्वेद को भाष्यकार ने भी उद्धृत किया है।^७

गालव—गालव के ह्रस्व-नियम का उल्लेख पाणिनि ने सादर किया है,^८ जिमपर भाष्यकार ने कहा है कि जो नियम जिस आचार्य के नाम से बतलाया जाता है उसका प्रचलन उस

१. ४-१-१८, वा० १, पृ० ४३।

२. लौहितादिषु शाकल्यस्योपसंस्थानं कर्त्तव्यम्।-४-१-१८, पृ० ४३।

३. ये कण्वाद्यस्ते शाकलादयः ये कतपर्यन्तास्तेशाकलपर्यन्ता।-वही।

४. १-१-१८, वा० १, २, पृ० १८८, ८९।

५. शाकल्येन सुकृतां संहितामनुनिशाम्य देवः प्रावर्षत्। लक्षण हि नाम स भवति येन पुनः पुनर्लक्ष्यते तच्चय। सकृदपि निमित्तत्वाय कल्पते। सकृच्चासौ शाकल्येन।-१-४-८४ तथा वा० १, २, पृ० २००, १।

६. ४-१-४९, वा० ५, पृ० ६३ तथा ५-१-४९ वा० २, पृ० ४१६ (४ का शेष) इति तर्हि प्रयोजन दीर्घशाकल्यप्रतिषेधार्थम्।-८-२-१०८, पृ० ४०१ तथा १-१-६३, आ० ६, पृ० ४०९ आदि।

७. दिवोदासाय गायत वध्र्यश्वाय दाशुषे।-६-२-९१, वा० १, पृ० २७५।

८. ६-२-६१।

आचार्य की ही शिष्य-परम्परा में समझना चाहिए। इसलिए गालव-नियम के अनुसार होनेवाले ह्रस्व का प्रयोग उन्हीं की शाखा में समझना चाहिए।^१ गालव का दूसरा नाम वाञ्छव्य पाचाल भी वतलाया गया है।^२ पाणिनि ने वाञ्छव्य को वभ्रु का गोत्रापत्य तथा कौशिकगोत्रीय माना है।^३ वाञ्छव्य का झल्लेख भाष्यकार ने भी किया है, किन्तु गालव से उसका सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है।^४ गालव का एक मत ऐतरेय आरण्यक में ही मिलता है। उनके मत से महाव्रताध्ययन की समाप्ति एक ही दिन में की जा सकती है।^५ जातूकर्ण्य का मत इससे भिन्न है। गालवों के संहिता ब्राह्मण या सूत्रग्रन्थ उपलब्ध नहीं है।

शालीय^६ गार्ग्य और वात्सीय^७ नाम भाष्य में आये हैं, किन्तु इनके विषय में कोई जानकारी भाष्य से प्राप्त नहीं होती। इन शाखाओं के भी ब्राह्मण या सूत्रग्रन्थ प्राप्त नहीं हैं।

ऋक्-प्रातिशाख्य की कर्त्री शैशिर शाखा, जिसपर सायण का अधिकांश भाष्य आधृत है, भाष्य में उल्लिखित नहीं है।

शौनक—पाणिनि और पतञ्जलि दोनों शौनकीयों से परिचित थे।^८ शैगिरिशिक्षा में मुद्गल, गालव, गार्ग्य, शाकल्य और शैशिरि शौनक के शिष्य वतलाये गये हैं।^९ गार्गक शाखा का उल्लेख भाष्य में सर्वत्र वात्स्यों के साथ हुआ है।

वाष्कल-संहिता—उपर्युक्त समस्त शाखाओं का मूल शाकल्य संहिता है। इसके अतिरिक्त वाष्कलो की भी अपनी संहिता थी और ब्राह्मण भी। आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार वाष्कलो की अन्तिम ऋचा 'तच्छयोरावृणीमहे' इत्यादि है। यह सज्ञान सूक्त की पन्द्रहवीं ऋचा है। शाकलो की अन्तिम ऋचा 'समानीन आकूतिः' आदि है। वाष्कल के चार प्रमुख शिष्य हुए—बौध्व्य, अग्नि-माठर, पराशर और जातूकर्ण्य। भाष्य में वाष्कल और जातूकर्ण्य का उल्लेख नहीं है। बौध्व्य बोध के गोत्रापत्य और अगिरसगोत्रीय थे।^{१०} भाष्य में अग्निमाठरो का नहीं, केवल माठरो का उल्लेख है,

१. आचार्यवेशशौनकं न यदुच्यते तस्य तद्विषयता प्राप्नोति। इको ह्रस्वोऽडयो गालवस्य इति गालवा एव ह्रस्वान् प्रयुञ्जीरन्।—१-४-४४, वा० १७, पृ० २६४।

२. भगवद्दत्तः वैदिक वाङ्मय का इतिहास, पृ० १९०।

३. मधुबभ्रवोर्ब्राह्मणकौशिकयोः।—४-१-१०६।

४. १-४-१, वा० ३, पृ० ९८ तथा १-१-३, वा० ५, पृ० ११६।

५. नेदमेकस्मिन्नहनि समापयेत इति हस्माह जातूकर्ण्यः। समापयेदिति गालवः।—ऐत० वा० ५-३।

६. १-१-१, पृ० ९२ तथा ४-१-८६, वा० २, पृ० १०२।

७. ४-२-१०४, वा० २२, पृ० २१०।

८. ४-२-६६, वा० ३, पृ० १९० तथा ४-३-१०६।

९. राजकीय संग्रहालय, मद्रास ट्राइनिटल कैंटेलाँग ऑफ सँस्कृत मॅनस्क्रिप्ट्स, जिल्द ४, भाग आई० सी०, १९२८, पृ० ४५९, ९७।

१०. कपिवोधादाङ्गिरसे।—४-१-१०७।

पर वे प्रतिष्ठित व्यक्ति या आचार्य नहीं हैं।^१ पराशर लोगों का अपना कल्प था। भाष्यकार ने इसके अध्येता को पराशरकल्पिक कहा है।^२ इससे अनुमान होता है कि पतञ्जल-काल में इस शाखा का महत्त्व क्षीण हो चुका था।

माण्डूकेय—चरण-श्रूह द्वारा निर्दिष्ट आर्च शाखाओं का अन्तिम ममूह माण्डूकेयों का था। पाणिनि ने माण्डूकेयों का स्मरण किया है। भाष्यकार ने इस सूत्र पर वार्त्तिक की टीका की है और वार्त्तिककार द्वारा निर्दिष्ट अमुर शाखा के आसुरीय कल्प का उल्लेख किया है।^३

वहवृच—ब्रह्मवृच लोगों की एक स्वतन्त्र शाखा थी। भाष्यकार ने कठों के माय वहवृचों का स्मरण किया है।^४ उन्होंने उसे चरणाख्या^५ माना है। शाखा से भिन्नता व्यक्त करने के लिए ही बहुत ऋचाओंवाले सूत्र को वहवृचक कहते थे।^६

पैङ्गय—पैङ्गयों की भी एक शाखा थी। इनका अपना कल्प पैङ्गी कहलाता था।^७

आरुणी—महाभारत, समापर्व (३-१९) के आरुणि उद्दालक के शिष्यों को आरुणि कहते थे। भाष्य के अनुसार पिता की सजा उद्दालक और पुत्र की औद्दालिक थी। उद्दालक के शाखा से भिन्न गोत्रापत्य औद्दालकायन कहलाते थे।^८ ये लोग प्राच्य थे।^९ इनकी शाखा आरुणि कहलाती थी।^{१०}

सुलभ—इस शाखा के ब्राह्मण भाष्यकाल में उपलब्ध थे। सौलभ ब्राह्मण-ग्रन्थों का उल्लेख भाष्य में है।^{११} वासिष्ठी शाखा से भी भाष्यकार परिचित थे।^{१२} शीनकों का उल्लेख पाणिनि ने किया है और भाष्य ने भी उक्त कथन को उद्धृत किया है।^{१३}

ऐतरेय का उल्लेख भाष्य में नहीं है, न आञ्जलायन और शान्वायन की ही कहीं चर्चा है, यद्यपि मनुस्मृति (२-६) के टीकाकार मेघातिथि ने इनकीसो वाहवृच्य शाखाओं में ऐतरेय और आञ्जलायन को प्रमुख माना है।^{१४} आञ्जलायनों का अपना कल्प था, जो शाकल, वाप्यल-महिनाजों

१. १-१-५६, वा० ३, पृ० ३३६ तथा आ० २, पृ० ७१।

२. ४-२-६०, पृ० १८७।

३. कौरव्यमाण्डूकाम्यां च कौरव्यमाण्डूकयोरसुरेख्यसह्यायनं कर्त्तव्यम्, आसुरीयः कल्पः १-४-१-१९, वा० १, पृ० ४४।

४. २-२-२९, पृ० ३७८।

५. ५-४-१५४, पृ० ५१४।

६. वही।

७. ४-२-६६, वा० ५ पृ० १९१।

८. २-४-६७, पृ० ५०५।

९. ४-२-१०४, वा० १९, पृ० २०९।

१०. ४-२-६६, वा० ४, पृ० १९१।

११. ४-१-११४ वा० १, पृ० १३७।

१२. शीनकादिभ्यश्छन्दसि १-४-२-६६, पृ० १९०।

१३. एकविंशति ब्राह्मण्युच्या आञ्जलायनैतरेयादिभेदेन।

तथा प्रमुख इक्कीस ऐतरेय ब्राह्मणों के आधार पर बनाया गया था।^१ आश्वलायन का भी आधार होने के कारण ऐतरेय शाखा उससे बहुत पुरानी रही होगी। वाष्कल-संहिता पतञ्जलि के समय में प्रतिष्ठित नहीं रह गई थी, किन्तु आश्वलायनो ने उसका आश्रय लिया था। यह बात आश्वलायन कल्पसूत्र का काल पतञ्जलि से बहुत पूर्व सिद्ध करती है। शाखायनो तथा उसके अन्य तीनों भेदो—ऋषीतकि, महाऋषीतकि और शाम्बव्य के विषय में भी भाष्य मौन है।

ऋग्वेद की सम्प्रति उपलब्ध संहिता (१) अष्टक, अध्याय, वर्ण, मन्त्र, (२) मण्डल, सूक्त, मन्त्र और (३) मण्डल, अनुवाक सूक्त और मन्त्र, इस क्रम से विभाजित है। भाष्यकार इन सब विभागों से परिचित थे।^३ दस मण्डलों में विभक्त होने के कारण ऋक्-संहिता को दशतय कहते थे।^४ वर्ण-समुदाय पद, पद-समुदाय ऋक् और ऋक्-समुदाय सूक्त कहलाते थे। एक वर्ण का पद, एक पद की ऋचा और एक ऋचा का भी सूक्त है।^५ द्विपदा ऋचाओ, तुच सूक्त^६ तथा अथर्वों का उल्लेख भाष्य में मिलता है।^७ शयुवाक, सूक्तवाक,^८ अध्याय पद-पाठ, क्रम-पाठ^९ शब्द भी भाष्य में आये हैं, जिनसे ऋक्संहिता के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जिसमें अध्ययन किया जाय, उसे अध्याय कहते थे।^{१०}

यजुर्वेद

यजुर्वेद को भाष्यकार ने अध्वर्युवेद कहा है और इसकी एक सी एक शाखाएँ बतलाई हैं। भाष्यन्दिन शतपथ के अन्तिम वचन के अनुसार वाजसनेय या शबल्य्य शुक्ल यजुष् के संहिताकार हैं।^{११} भाष्यकार ने याज्ञवल्क्य-प्रणीत ब्राह्मणों का उल्लेख किया है।^{१२} वाररुच श्लोको के प्रणेता वररुचि स्कन्दपुराण के अनुसार, इनके पुत्र थे।^{१३} किन्तु इनकी कोई स्वतन्त्र

१. शाकल्यस्य संहितैका वाष्कलस्य तथा परा ।

हे संहिते समाश्रित्य ब्राह्मणान्येकविंशतिः ॥

ऐतरेयकमाश्रित्य तदेवान्यः प्रपूरयन् ॥

—ऋग्वेदशाष्यसर्वानुवृत्ति का उपोद्घात ।

२. ५-२-६०, वा० १, पृ० ३९६ ।

३. ६-४-१५९, वा० ९, पृ० ४९० ।

४. वर्णसमुदायः पद पदसमुदायः ऋग् ऋक्समुदायः सूक्तमित्युच्यते । भवति चैत-
देकस्मिन्नप्येकवर्णं पदमेकपदमेकं च सूक्तमिति ।—१-१-२१, वा० ५, पृ० १०० ।

५. ६-१-३७, वा० ५, पृ० ६८ ।

६. २-४-३१, पृ० ४७७ ।

७. ६-१-३०, वा० १, पृ० ४७६ ।

८. ५-१-११९, वा० ५, पृ० ३५६ ।

९. अधीयते तस्मिन्नध्यायः ।—३-२-२०, वा० १, पृ० ३००० ।

१०. आदित्यानोमानि शुक्लानि यजुषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनान्वास्यायन्ते ।

११. ४-२-६६, वा० ४, पृ० १९१ ।

१२. पुत्रो वररुचिर्यस्य बभूव गुणसागरः ।—स्क० पु०, १३१—४९ ।

शाखा थी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। स्कन्दपुराण में ही इनके पुत्र कात्यायन को वेदसूत्रकर्ता कहा है।^१ इससे वररवि और कात्यायन एक ही व्यक्ति का नाम जान पड़ता है।

वाजसेनेयो की पन्द्रह शाखाएँ हुईं, जिनमें से जावाल, वीवेय, काण्व, कात्यायन, वैजवाप और आवटिक नाम भाष्य में मिलते हैं।

जावालि—उपनिषद्-शाङ्गमय के सत्यकाम जावाल के पुत्र थे। पिता और पुत्र दोनों का उपनाम जावालि प्रचलित था।^२ जावालोपनिषद् के अतिरिक्त इनकी अन्य कोई द्विनि उपलब्ध नहीं है।

वीवेय—सम्भव है, वीविवंश की शाखा हो। भाष्य में पिता और पुत्र दोनों का नाम वीवि ही बतलाया है।^३ एक चरण-ब्यूह में वीवेय के स्थान पर शाखा का नाम वीवायन दिया है। सम्भव है, वीवेय और वीवायन दोनों एक ही या एक गोत्र के हों।

काण्व—भाष्यकार ने काण्व दण्ड-माणवो तथा काण्व-ग्रन्थो की चर्चा की है। इनकी संहिता और ब्राह्मण दोनों उपलब्ध हैं। काण्व गोत्र अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। काण्ववशीय काण्वायन लोग आचार्य हुए हैं। इनके विषय काण्वायनीय कहे जाते थे। काण्व-संहिता में ४० अध्याय, ३२८ अनुवाक और २०८६ मंत्र मिलते हैं।^४

माध्यन्दिन—भाष्यकार ने माध्यन्दिन शब्द की उत्पत्ति मध्य से मानी है और किसी माध्यन्दिन द्वारा वेदगान का वर्णन किया है। माध्यन्दिन कौन थे, कहा नहीं जा सकता। वाजसेनेयी संहिताओं में आजकल इसी शाखा की संहिता का प्रचार सर्वाधिक है। इसके ४० अध्यायों में ३०३ अनुवाक और १९७५ मन्त्र हैं। इनकी दो गिंसाएँ भी प्रकाशित हैं, विष्णु सूत्रग्रन्थों का पता नहीं चला है।^५

कात्यायन—कात्य और उनके गोत्रापत्य कात्यायन दोनों व्याकरण के आचार्य थे। सम्भव है, वे ही कात्यायन-शाखा के प्रवर्तक रहे हों। पतञ्जलि ने कात्य का मत उद्धृत किया है^६ और कात्यायन का भी।^७

वैजवापि—वैजवापियों का भी उल्लेख भाष्यकार ने किया है।^८ इनके सूत्र यद-नम

१. कात्यायनं सुतं प्राप वेदसूत्रस्य कारकम् ।—स्क० पु०, नागरसण्ड, अ० १३।

२. २-४-५८, पृ० ४९३।

३. ४-२-१०४, वा० २३, पृ० २१०।

४. ४-१-१६५, वा० १, पृ० १५९।

५. मध्य शब्दो मध्यं शब्दमापद्यते दिनं चात्मात् प्रत्ययो वक्तव्यः; माध्यन्दिन उद्गायति ।—४-३-५८, वा० ३, पृ० २३७।

६. प्रोवाच भगवान् कात्यस्ते नासिद्धिर्वर्णतस्तुते ।—३-२-३, पृ० २०८।

७. स्माद्विविधिः पुरातनो यद्यविशेषेण किं कृते भवति । नस्म पुराद्यन इति वृत्ता कात्यायनेनेह ।—३-२-११८, पृ० २५१।

८. तां वैजवापयो विदाक्रमन् ।—२-४-८१, वा० १, पृ० ५१०।

विवरे मिलते हैं। गृह्यसूत्र प्रकाशित हो चुका है। पाणिनि के रैवतिकादिगण (४-३-१३१) में इनका उल्लेख है।

आवटिक—आवट की गोत्र-परम्परा में आवट्य और आवट्यायन थे। आवटिकों का इनसे क्या सम्बन्ध था, यह स्पष्ट नहीं है। सम्भव है, आवट्य और आवटिक एक हों।^१

चरक—काशिका के अनुसार वैशम्पायन का दूसरा नाम चरक था।^२ ये वैशम्पायन के द्वितीय शिष्य और कृष्ण यजुर्वेद के शाखाकार थे। इन्होंने ८६ शाखाएँ प्रवर्तित की। इनके शिष्य भी चरक कहलाये।^३ पाणिनि ने भी चरक-प्रोक्त ग्रन्थों का उल्लेख किया है^४ और उनके हितकर को चरकीण नाम दिया है।^५ वाजसनेयिसंहिता में एक खिल है, जिसमें चरक शब्द का प्रयोग निन्दा-प्रदर्शन के लिए हुआ है। शतपथ ने अपने अनुयायियों के प्रतिस्पर्धियों को चरकाध्वर्यु नाम दिया है। शतपथ इनका निन्दक है। वाजसनेयिसंहिता (३०-१८) में तद्विषयक उल्लेख है,^६ भाष्यकार ने निवास की दृष्टि से जिन तीन प्राच्य, तीन उदीच्य और तीन मध्य चरणों का वर्णन किया है,^७ वे सब चरक थे। पुराणों के अनुसार भी ८६ कृष्णयजुर्वेदीय शाखाओं के ये तीन ही मुख्य भेद थे।^८ काशिका के अनुसार प्राच्यों में आलम्बि, पलग और कमल, उदीच्यों में व्यामायनि, कठ और कलाप तथा मध्य देशों में ऋचाभ, आरुणि और ताण्ड्य प्रमुख थे। यही भाष्यकार की आचार्यत्रयी का त्रिक था।^९ भाष्यकार ने इनमें से कठों और कालापो का ही मुख्य रूप से वर्णन किया है।

कठ-कालाप—कठों और कालापो से भाष्यकार का विशेष सम्बन्ध था। यजुर्वेद की यही शाखा उनके समय में सर्वाधिक समादृत थी। कठको की प्रतिष्ठा पाणिनि के समय में भी थी। इन्होंने कठक यजु. संहिता के कुछ प्रयोगों की निष्पत्ति के नियम दिये हैं।^{१०} इनके आदि आचार्य कठ और कलापी थे। ये दोनों वैशम्पायन के प्रत्यक्ष शिष्य थे। कठ के प्रत्यक्ष शिष्य खडाडायन हुए।^{११} कलापी के प्रत्यक्ष शिष्यों का नाम भाष्यकार ने नहीं दिया है। कठ और कलापी

१. ४-१-७५, वा० २, पृ० ७८।

२. चरक इति वैशम्पायनस्याप्या १-४-३-१०४ का०।

३. तत्सम्बन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनश्चरका इत्युच्यन्ते।—वही।

४. ४-३-१०७।

५. ५-१-१३।

६. मैक्समूलर : प्राचीन संस्कृत वाङ्मय, पृ० ३५०।

७. त्रय. प्राच्याः त्रयो उदीच्याः त्रयो मध्यमाः। सर्वे निवासलक्षणाः।—४-२-१३८, वा० २, पृ० २१८।

८. वायु पु०, ६१-५ से १० तथा ब्रह्माण्ड पु०, पूर्वभाग ३४-८ से १३।

९. ४-३-१०४।

१०. देवमुन्नयोः यजुषि कठके।—७-४-३८।

११. वैशम्पायनान्तेवासी कठः। कठान्तेवासी खडाडायनः। वैशम्पायनान्तेवासी कलापी।—४-३-१०४, पृ० २४८।

की संहिताएँ भाष्यकार के समय में गाँव-गाँव में पढाई जाती थी।^१ संहिताओं के प्रयोग में भाष्यकार ने काठक कालापक, मीदक और पैप्पलादक का ही सर्वत्र उल्लेख किया है।^२ सामान्यतः 'छन्दस्', अर्द्ध से इन संहिताओं का ही बोध होता था। चरण के उदाहरण में भी उन्होंने केवल इन्हीं संहिताओं का स्मरण किया है।^३ ये संहिताएँ सम्बद्ध चरणों का आम्नाय थीं। कठों के गुरुकुल भी पतञ्जलि-काल में बहुत थे। इस शाखा के नव विद्यार्थी सत्रहचारी होते थे। कठ का सत्रहचारी कठ ही होता था।^४ कठों, कलापो और कौथुमो की संहिता के गान तथा उनके प्रति मंगल-कामना के उल्लेख भी भाष्य में मिलते हैं।^५ जिस प्रकार पतञ्जलि ने पाणिनि की कृति को महत् और सुविहित कहा है, उसी प्रकार कठों की संहिता को भी।^६ इन भाषा में अध्ययन करनेवाली अनेक विदुषी स्त्रियाँ थीं। कठी वृन्दारिका इन विदुषियों के प्रति सम्मान का द्योतक है।^७ इन स्त्रियों में पाई जानेवाली शास्त्रीय विशेषताओं को भाष्यकार ने कठीत्व और कठीता शब्दों से व्यक्त किया है।^८

काशिका के अनुसार कलापी के चार शिष्य थे—हरिद्रु, छगली, तुम्बुरि और जलप। कालापो का आम्नाय कालापक और उनके शास्त्राध्यायी कालाप कहलाते थे। वठ और कालाप चरण थे। इनकी भी शाखाएँ रही होंगी।^९ कठों की संहिता कलापो की संहिता में मिलती-जुलती रही होगी। भाष्य में इनके साथ-साथ उल्लेख तथा कार्तिकांजपादिगण में साथ परिगणन में भी यह ध्वनि निकलती है। काठको की संहिता प्रकाशित है। इनका अपना ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् है। विष्णु-स्मृति भी कठशास्त्रीय है। चरण-श्रूहों में इनके ग्रन्थों की सख्या चालीस या चौबालीन बतलाई गई है। कठ वाङ्मय की व्यापकता के कारण ही कुछ चरण-श्रूहों ने कहा है कि जो काठक में नहीं है, वह कहीं नहीं है। (नान्ति यज्ञास्ति काठके)। लगभग ४००० श्लोकों की लौगाक्षि-स्मृति भी काठकों में सम्बद्ध है।

१. ग्रामे ग्रामे काठकं कालापकं च प्रोच्यते।—४-३-१०१, वा० १, पृ० २४६।

२. ४-१-८६, पृ० ९६ तथा ४-१-१, वा० ३, पृ० ८।

३. ४-२-१०४, वा० २२, पृ० २१०।

४. के सत्रहचारीणोऽस्येति कठा इत्युक्ते सम्बन्धादेतद्गम्यते नूनं तोऽपि कठ इत्येवम्। कठ इत्युक्ते सम्बन्धादेतदवगन्तव्यं स्यान्नूनं तोऽपि कठा इति।—२-२-२४, वा० २२, पृ० ३६८।

५. नन्दन्तु कठ कालापाः, वर्धन्तां कठकौथुमाः, उद्गात् कठकालापम्, प्रन्यलान् कठकौथुमम्।—२-४-३, वा० २, पृ० ४६२।

६. यवेह भवति पाणिनीयं महत् सुविहितमिति एवमिहापि स्यात्कठं महत् सुविहितम्—४-२-६६, वा० २, पृ० १९०।

७. ६-३-४८, वा० १, पृ० ३२७।

८. ६-३-३५, वा० १, पृ० ३२३।

९. ४-३-१०४ का०।

१०. ४-२-४६ काशिका।

कश्मीर के शैव काठक सिद्धान्ती हैं। भगवद्गीता के अनुसार आजकल कठ लोग कश्मीर में ही पाये जाते हैं।^१ सम्भव है, कठों की यह उदीच्य शाखा काश्मीरी रही हो।

कलापियों की संहिता और ब्राह्मण सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों के मत से मैत्रायणी संहिता ही कलापियों की संहिता थी। कलापियों को कठों से अविप्रकृष्ट होना चाहिए। याज्ञवल्क्य-स्मृति से टीकाकार विश्वरूप (१-७) ने कहा है कि मैत्रायणी संहिता काठक से बहुत भिन्न नहीं है।^२ निरुक्त के टीकाकार आचार्य दुर्गा (१०-५) ने हारिद्रवों को मैत्रायणीयों का शाखाभेद कहा है।^३ हारिद्रव कलापी की शिष्य-परम्परा में थे। इससे अनुमान होता है कि कठों से मिलती-जुलती मैत्रायणी शाखा कालाप रही होगी।

हरिद्र, तुम्बुह और छगली की शाखाओं का भाष्यकार को परिचय था। ये शाखाएँ हारिद्रव, ताम्बुरव और छगल कहलाती थीं और इनके ग्रन्थों को पढ़नेवाले हारिद्रविण, ताम्बुरविण^४ और छगलेय या छगलेयिन्^५।

कृष्णयजुर्वेद के अन्तर्गत कपिष्ठल, चारायण, वरतन्तु, वराह और तित्तिरि की शाखाओं का परिचय भी भाष्य में मिलता है। कपिष्ठलों के गोत्रापत्य कापिष्ठलि और उनके वंशज कापिष्ठल एव कापिष्ठलायन कहलाते थे।^६ इनका भ्राष्ट्रकियों से सम्बन्ध था।^७ इस शाखा की संहिता में आजकल चार अष्टक ही उपलब्ध हैं। चारायण शाखा भाष्यकार के समय में उन्नत अवस्था में थी। इनके गुरुकुलो में छात्रों को कम्बलों की बहुत सुविधा थी। इसलिए, बहुत-से छात्र कम्बलों के लोभ से चारायणीय शाखा में प्रविष्ट हो जाते थे।^८ चारायणीयों का अपना प्रतिज्ञास्य है। इनका एक मन्त्रार्थाध्याय और शिक्षा भी प्राप्त है।^९

वरतन्तु की शाखा वारतन्तवी थी। वारतन्तव-छात्र वारतन्तवीय कहलाते थे।^{१०} वरतन्तु के शिष्य कौत्स का आख्यान कालिदास के रघुवज्र में मिलता है। कौत्स पाणिनि के समकालीन थे। वे उनके पास मिलने भी गये थे।^{११} उनके विद्यार्थी थे या नहीं, कहा नहीं जा सकता। इससे वरतन्तु का पाणिनि से पूर्वकालीन होना स्पष्ट है। वाराही शाखा के विषय में भाष्य से विशेष

१. वैदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग १, पृ० २८८।
२. नहि मैत्रायणी शाखा काठकस्यात्यन्तविलक्षणा।
३. हारिद्रवो नाम मैत्रायणीयानां शाखाभेदः।
४. ४-२-१०४, वा० १९, पृ० २०९।
५. ४-३-१०९।
६. ८-३-९१, पृ० ४६२
७. २-४-६९, पृ० ५०६
८. कम्बलचारायणीयाः।-१-१-७३, वा० ६, पृ० ४६१।
९. इण्डियन ऐण्टिक्विरी, जुलाई, १८७६।
१०. ४-२-६६, वा० ६, पृ० १९१।
११. उपसेदिवान् कौत्सः पाणिनिम्।-३-२-१०८, वा० २, पृ० २४१।

प्रकाश नहीं पड़ता। वाराही पुत्र^१ और वाराह्या शब्द भाष्य में अवश्य आये हैं।^२ इनका श्रौतसूत्र उपलब्ध है।

तित्तिरि—तित्तिरि वैशम्पायन की शिष्य-परम्परा में थे। पाणिनि और पतंजलि दोनों ने उनका उल्लेख किया है।^३ इनकी शाखा तैत्तिरीय कहलाती थी। वायुपुराण के १२वें स्कन्ध में छठे अध्याय के ३७ वें श्लोक से आगे व्यास की शिष्य-परम्परा का विस्तृत वर्णन है। तित्तिरि पक्षों के रूप में एक शिष्य ने (जब वैशम्पायन और याज्ञवल्क्य का झगडा हो जाने पर याज्ञवल्क्य ने उनको सहिता लौटा दी) वैशम्पायन की सहिता को सुनकर ग्रहण कर लिया, तब से यह शाखा तैत्तिरीय कहलाई। प्राचीन अथर्व्यु लोगो का ग्रन्थ तैत्तिरीय सहिता ही है। तैत्तिरीय सहिता में उपलब्ध मन्त्र ब्राह्मणमिश्रा हैं। सहिता में चार पाद, सात काण्ड और चौआलीस प्रश्न हैं।^४ इनमें अतिरिक्त, भाष्यकार के अनुसार तित्तिरि-प्रोक्त श्लोक भी थे, जिनके लिए तैत्तिरीय शब्द व्यवहृत नहीं होता था। तित्तिरि-प्रोक्त वैदिक साहित्य की ही तैत्तिरीय सज्ञा थी।^५ पाणिनि ने उस और खण्डिक का स्मरण तित्तिरि और वरतन्तु के साथ किया है। उनकी शाखा औषीय और खाण्डिकीय कहलाती थी। ये ही चरण-ब्यूह में बतलाये हुए तैत्तिरीयको के औषेय और ग्राण्डिवेय नामक दो भेद हैं। भाष्य में उल्लिखित शाट्यायनिन् लोग खाण्डिकीय शाखा की ही अवान्त शाखा थे।^६

पतंजलि और पाणिनि के कौण्डिन्य कृष्ण यजुर्वेद की सौत्र शाखा के अन्तर्गत थे। पाणिनि ने कौण्डिन्य का उल्लेख अगस्त्य के साथ किया है।^७ भाष्य के कौण्डिन्य विशेष तिष्ठित नहीं जान पड़ते।^८ वे माठरो के समान सामान्य गोत्र के ही लोग थे। कौण्डिन्यो का मूल पुरुष कुण्डिन् था और उसके अपत्य कौण्डिन् कहलाते थे।^९ आग्निवैश्य शाखा के लोग आग्निवेश थे। यह भी वेदल सौत्री शाखा थी। भाष्यकार ने तीन बार इनका उल्लेख किया है। अग्निवेश के कल्प और कौण्डिन्य के श्रौतसूत्र का उल्लेख पुरुषोत्तम-कृत प्रवरमजरी तथा तन्त्रवार्त्तिक (१-३-११) में भी मिलता है।^{१०}

१. ६-१-१३, वा० ३, पृ० ४२।

२. ४-१-७८, पृ० ८०।

३. तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण् १-४-३-१०२, तथा भा० ४-२-६६, पृ० १९२।

४. यजुर्वेदे तैत्तिरीयशाखा मन्त्रब्राह्मणमिश्रा तत्र सहिता चतुष्पादा सप्ताकाण्डा चतुश्चत्वारिंशत्प्रश्ना ।—प्रपंचहृदय।

५. छन्दोग्रहणं च कर्त्तव्यम्। इतरथा ह्यतिप्रसङ्गः स्यात्। इहापि प्रसज्यते तित्तिरिणा, प्रोक्ताः श्लोका इति ।—४-३-१०४, पृ० २४८।

६. ४-२-१०४, वा० १९, पृ० २०९।

७. २-४-७०, वा० १-३, पृ० ५०६।

८. १-१-५६, वा० ३, पृ० ३३६।

९. १-१-४७, वा० १, पृ० २८७।

१०. १-१-२१, वा० ७, पृ० २०३; १-२-३९, वा० १ पृ० ५१५ तथा ६-१-२३३, वा० ३ पृ० २४४।

पथ के परिमाण के विषय में कौण्डिन्य का मत सत्यापाठसूत्र की उज्ज्वला टीका में मिलता है, जो कौटिल्य के समान ही है।^१ सम्भव है, लिपि-दोष से ही कौटिल्य का कौण्डिन्य हो गया हो।

सम्प्रति कृष्ण यजुर्वेद की काठक (व्होन थ्रोडर द्वारा प्रकाशित), कपिष्ठलकठ-संहिता, मंत्रायथो संहिता, तैत्तिरीय संहिता (वेबर द्वारा प्रकाशित सायण भाष्य-सहित) उपलब्ध है। इन चारों का परस्पर निकट सम्बन्ध है। शुक्लयजु की वाजसनेयिसंहिता की काण्व और भाष्यन्दिन दो शाखाएँ हैं। इनमें बहुत कम अन्तर है।

कठो की चौआलीस उपशाखाएँ बतलाई जाती हैं। ४२ अन्य शाखाएँ थी। कृष्ण यजुर्वेद की इन ८६ शाखाओं तथा शुक्ल यजुर्वेद की पन्द्रह शाखाओं के योग को दृष्टि में रखकर भाष्यकार ने 'एकशतमध्वर्युशाखाः' कहा है।

सामवेद

भाष्यकार ने सामवेद को 'सहस्रवर्त्म' कहा है। इसमें निष्णात लोग छन्दोग कहलाते थे। पुराणों के अनुसार सामसंहिताकार जैमिनि व्यास के तृतीय मुख्य शिष्य थे और उनके पौर्ण्यजी तथा हिरण्यनाभ नामक दो शिष्य हुए, जिनमें से प्रत्येक ने पाँच-पाँच सौ शाखाएँ प्रवर्तित कीं। यह एक सामान्य विश्वास-मात्र जान पड़ता है। वैसे किसी भी ग्रन्थ में बारह से अधिक विश्वसनीय नाम प्राप्त नहीं होते। भाष्य में निम्नलिखित सामशाखाकारों के नाम मिलते हैं।

कौथुम—कौथुम कुथुमि की शिष्य-परम्परा में थे। भाष्यकार के काल में यह शाखा उन्नत अवस्था में थी। कठो और कलापो के साथ उन्होंने इनकी शाखा और संहिता का उल्लेख अत्यन्त आदर के साथ किया है^२ और उनके उदय तथा प्रतिष्ठा की चर्चा की है। कालौण्ड के अनुसार कौथुम संहिता की भन्त्र-संख्या १८६९ है। जैमिनीय शाखा की संहिता तथा ब्राह्मण और श्रीतृगृह्यसूत्र मिलते हैं। इनकी संहिता में गानों की संख्या ३६८१ है, जो कौथुमों की (२७२२) संख्या से ६५९ अधिक है। जैमिनि के शिष्य तवल्कार थे। इसलिए, जैमिनीय ब्राह्मण को बहुधा तवल्कार ब्राह्मण भी कह देते हैं। जैमिनि लांगलिन् के शिष्य थे और मूल संहिताकार से भिन्न थे। लांगलिन् की शाखा के लोग लागल कहलाते थे।^३ लागली के दूसरे शाखाकार शिष्य भाल्लवी थे।^४ इनका उल्लेख भाष्य में अन्तेवासी ब्राह्मणों के रूप में मिलता है। भागवित्ति पौर्ण्यपि के शिष्य थे। इनके अपत्य भागवित्तिक और शिष्य भागवित्त^५ कहलाते थे। कृत हिरण्यनाभ के पुत्र थे।

१. अथ कौण्डिन्येन देशस्य पथः प्रमाणमुन्नतम्-पञ्चारत्नी रथपथश्चत्वारो हस्तिकपथः
द्वौ क्षुद्रपशुमनुष्याणाम्।—२७-४-२४, सत्या० सू० उज्ज्वला टीका।

२. २-४-३, पृ० ४६३।

३. ६-४-१४४, वा० १, पृ० ४८३।

४. ४-२-१०४, वा० १९, पृ० २०९।

५. ४-१-९०, वा० ३, पृ० १०८।

पाणिनि ने इनके शिष्य कार्तिका और पतञ्जलि ने कार्तिका का उल्लेख किया है।^१ पुराणों के अनुसार साम-संहिताकार कृत के २४ शिष्य थे। रामायण और सात्यमुनि शाखाओं ने उच्चारण-सम्बन्धी कुछ नवीन प्रयोग किये थे। वे 'नुजाते अश्वसूनुते', 'अश्वर्यो, अद्रिमि. सुतम्' आदि मन्त्रों में अर्घ एकार और अर्घ ओकार का भी उच्चारण करते थे। यह उनकी अपनी पापंद कृति थी। अन्यत्र लोक और वेद में कहीं अर्घ एकार या अर्घ-ओकार का उच्चारण प्रचलित नहीं था।^२ इनका कोई ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं है, किन्तु पतञ्जलि-काल में ये ज्ञात, एते सक्रिय थीं। गीतम के धर्मसूत्र उपलब्ध है। इनके छात्रों गीतमीयों का स्मरण भाष्यकार ने पाणिनि और आपञ्जलि के साथ किया है।^३ उनके समय तक गीतम शिष्य-परम्परा की पैंतीस पीढ़ियाँ बीत चुकी थी।^४

अथर्ववेद

पतञ्जलि अथर्ववेद की नौ शाखाओं से, परिचित थे, जिनमें मौद और पैप्पलाद सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। इनका उल्लेख उन्होंने सर्वत्र साथ-साथ किया है। मौद और पैप्पलाद-संहिताएँ साथ-साथ गाई और पढ़ाई जाती थीं;^५ अतः इनमें निकट सम्बन्ध और सादृश्य होना चाहिए। पैप्पलादों की संहिता तो अब प्राप्त है। इनका एक ब्राह्मण भी था। ऋग्वेद-भाष्य की अनुक्रमणी में वेकटमावव ने अपना ऐतरेय और आथर्वणों को पैप्पलाद ब्राह्मण बतलाया है।^६ इससे पता चलता है, अथर्वणों में पैप्पलाद ज्ञाता ही प्रमुख थी। इसीलिए भाष्य के भी प्रारम्भ में अथर्ववेद से उद्धृत प्रथम मन्त्र पैप्पलाद-संहिता के अनुसार ही है।^७ गोपथ-ब्राह्मण (१-२९) से इस कथन की पुष्टि होती है। मौदों का कोई ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं है, केवल अग्य ग्रन्थ-कारों द्वारा इनका नाम ही उद्धृत मिलता है। इन लोगों के आग्नाय मोदक और पैप्पलादक कहलाने से भाष्यकार को इन दोनों की संहिताओं का ज्ञान था। उन्होंने छन्द (वेद) की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए मौद, पैप्पलाद आदि संहिताओं की वर्णानुपूर्वी को अनित्य माना है।^८

१. ६-२-६७।

२. ६-४-१४४, वा० १, पृ० ४८३।

३. छन्दोगानां सात्यमुगिराणायनीया अर्घमेकारमर्घमेकार चाधीयते। सुजाते ए अश्वसूनुते अश्वर्यो जो अद्रिमि. सुतम्। पार्यदकृतिरेवा तत्र भवताम्।—वा० २, पृ० ५४।

४. ६-२-३६, वा० १, पृ० २५७।

५. त्रिपञ्चाशद् गीतमम्।—२-४-८४, पृ० ५१५।

६. २-४-३, पृ० ४६३।

७. ऐतरेयकमस्माकं पैप्पलादमथर्वणाम्।—ऋगु० भाष्य ८-१।

८. ज्ञानोदेवी रभीष्टये।—आ० १, पृ० १।

९. ४-३-१२०, वा० ११, पृ० २५२।

१०. ४-३-१०१, वा० ३, पृ० २४७; ४-१-१, वा० ३, पृ० ८ तथा ४-१-८६, वा०

१, पृ० ९६।

उन्होंने मौद, पैप्पलाद के अलग-अलग गाये जाने की भी चर्चा की है।^१ इससे दोनों संहिताओं का पृथक् अस्तित्व स्पष्ट है।

शौनक ऋग्वेदीय थे और आथर्वण शाखाकार भी। नैमिषारण्य के सुप्रसिद्ध स्थविर शौनक ऋग्वेदीय थे। पाणिनि के शौनकादि गण में, जिसे पतञ्जलि ने उद्धृत किया है,^२ किस वेद के शाखाकार शौनक का उल्लेख है, कहा नहीं जा सकता। शौनक और पैप्पलाद की संहिताओं में अन्तर है। पैप्पलाद में वीस काण्ड हैं और शौनकीय में अट्टारह। शौनकीय संहिता-काण्ड, प्रपाठक अनुवाक-सूक्त, मन्त्र, पर्याय, गण और अवसानों में विभक्त है। भाष्यकार ने पैप्पलाद-संहिता को ही प्रमाण कर आगिरस को वीस काण्डवाला बतलाया है।^३ द्वित्ने के अनुसार इसके १८ काण्डों में ४४३२ में मन्त्र है जाजलि और जाजालो का नामालेख-मात्र भाष्य में मिलता है।^४

अथर्ववेद (१०-७-७०) में अथर्ववेद को अथर्वान्तरस कहा है। आथर्वण याज्ञिक ग्रन्थों में उसे भृग्वगिरस सज्ञा दी है। भृगु गोत्र आथर्वणों का था। भाष्यकार ने भृग्वगिरसिका शब्द से भृगुओं और अगिरसों के बीच वैवाहिक सम्बन्ध का उल्लेख किया है।^५ इस प्रकार, आथर्वण और आगिरस परस्पर-सम्बन्धी सिद्ध होते हैं। अथर्वणों के आम्नाय का नाम आथर्वण था और उसके अध्येता आथर्वणिक कहलाते थे।^६

अन्त—कुछ ऐसी शाखाओं के नाम भी भाष्य में आये हैं, जिनका सम्बन्ध किसी वेद-विशेष से स्पष्ट नहीं है। इनमें काश्यपी काश्यप-प्रोक्त ग्रन्थों का अध्ययन करनेवाले थे और कौशिकी कौशिक-प्रोक्त ग्रन्थों के अध्येता। भाष्यकार इनके कल्पग्रन्थों से परिचित थे।^७ कश्यप कल्प-सूत्र तो प्रसिद्ध ही है। इनके अतिरिक्त क्रीड, काकत, भारद्वाज,^८ प्लाक्ष, प्लाक्षायण,^९ दाक्षायण, तैतिल, शैखण्ड, सीकरसद्म, गैलाल और सौपर्व शाखाओं के नाम भाष्य में मिलते हैं।^{१०} गैलाल गिलालि के वंशज थे। शतपथब्राह्मण (१५-५-३-३) में ये यज्ञ-विधि-

१. २-४-३, पृ० ४६३।

२. ४-२-६६, वा० ३, पृ० १९०।

३. विश्विनोऽन्तरसः।-५-२-३७, श्लो० वा० २, पृ० ३७९।

४. ६-४-१४४, वा० १, पृ० ४८३।

५. २-४-६२, वा० ८, पृ० ५००।

६. ४-३-१३१, वा० २, पृ० २५५।

७. काश्यपकौशिकग्रहणं च कल्पे नियमार्थं द्रष्टव्यम्। काश्यपकौशिकान्यासेवेनिः कल्पे चेतद्विद्वयो नान्येभ्य इति। कथं काश्यपिनः कौशिकिनः इति।-४-२-६६, वा० ६, पृ० १९१-९२।

८. वही

९. १-१-२, वा० १, पृ० १९२।

१०. १-१-९१, वा० ७, पृ० १४४।

११. ६-४-१११, वा० १, पृ० ४८३।

विषयक नियम के वक्ता बतलाये गये हैं। आपस्तम्ब सूत्र (५-३-७) में भी इनका उल्लेख है। काशिकाकार ने आर्चायिन् शब्दा का उल्लेख किया है, जिसे श्रीभगवद्गुप्त ने आर्चायिन् माना है। यह कृष्णयजुष की शब्दा थी। निरुक्त (२-३) में इसका उल्लेख है।

इनमें से प्रत्येक चरण की अपनी विशेषताएँ थीं, जिन्हें लक्षण कहते थे। पाणिनि ने शाकल्य आदि चरणों के विशेष लक्षणों के लिए प्रत्यय का विधान किया है। काशिकाकार ने इस प्रसंग में गो आदि के स्वभूत चिह्नों को एक और चरणों आदि के स्वभूत चिह्नों को लक्षण की सजा देते हुए विद लोगों का लक्षण विद्या बतलाया है।^१

१. सन्वाङ्मूलक्षणेष्वध्ययिनामण् (?)। अङ्गलक्षणयोः को विशेषः? लक्ष्य लक्ष्यभूतस्यैव चिह्नभूतं स्वयं या विद्या विदानाम्। अङ्गस्तु गवादिस्त्योऽपि गवादीनां एवं न भवति।—४-३-१२७, काशि० शाकलाद्, वा० ४-३-१२८।

अध्याय ३

साहित्य और साहित्यकार

वर्गीकरण—भाष्य में साहित्य का पाँच भागों में वर्गीकरण मिलता है—दृष्ट, प्रोक्त, व्याख्यात, उपजात और कृत। दृष्ट साहित्य मन्त्र-त्रेष्टा ऋषियों द्वारा प्रकाशित है। पतञ्जलि दृष्ट साहित्य को नित्य मानते थे। उन्होंने कहा है कि छन्दस् बनाये नहीं जाते। वे अकृत या अपीरूपेय है। ऋचाओं की वर्णानुपूर्वी में अन्तर हो सकता है। शाखा-भेद से छन्दस् में वर्ण-भेद होने पर भी मन्त्र, अर्थात् उनमें निहित अर्थ-तत्त्व नित्य है। काठक, कालापक, मौदक और पैप्पलादक आदि भेद वर्णानुपूर्वी-भेद से माने जाते हैं।^१

दृष्ट साहित्य

चातुर्वेद्य—दृष्ट साहित्य में चातुर्वेद या चातुर्वेद्य आते हैं।^१ कुछ लोग अथर्व को छोड़कर शेष वेदों को त्रिविद्या कहते थे। भाष्य ने त्रिविद्या को अथर्वयवक विद्या कहा है और द्वितीय, तृतीय विद्या का पृथक उल्लेख किया है।^२ चातुर्वेद्य और त्रिविद्या के अधीनी क्रमशः चातुर्वेद और त्रिविद्य कहलाते थे। अथर्वसहिता पाणिनि को अविदित थी, किन्तु भाष्यकार के समय तक वह समादृत हो चुकी थी। भाष्यकार को दृष्ट साहित्य का सूक्ष्म परिचय था। भाष्य में महानाम्नी,^३ सामिघेनी (ऋक्), सामिघेन्य^४ मन्त्र, चमक,^५ पञ्चदशस्तोम,^६ सप्तदशाक्षर छन्दस्य,^७ ऋक्साम, सामयजुष,

१. नहिच्छन्दांसि क्रियन्ते। नित्यानिच्छन्दांसि। यद्यप्यर्थो नित्यो या त्वसी वर्णानुपूर्वो सा नित्या। तद्भेदाच्चैतद् भवति काठकं कालापकं मौदकं पैप्पलादकमिति।—४-३-१०१, वा० ३, पृ० २४७।

२. ५-१-१२४, वा० १, पृ० २६४।

३. तिस्रोविद्यास्त्रैविद्य इति। अथर्वयवका विद्या त्रिविद्या।—४-१-८८, पृ० ९९, तथा ४-२-७, पृ० १७०।

४. ५-१-९४, वा० १, पृ० ३४१।

५. ४-३-१२०, वा० १०, पृ० २५२।

६. तैत्ति० सं० ४-७-४ के मंत्र। ५-२-४, वा० २, पृ० ३६७।

७. ५-२-३७, इलो० वा० २, पृ० ३७८।

८. ५-४-३०, वा० २, पृ० ४९१।

ब्रह्मसाम,^१ देवच्छन्द,^२ अस्यवामीय, वयागुभीय^३ (सूक्त), तृचसूक्त,^४ तृचसाम, गृहपतिमन्त्र,^५ अहोरायन्तर साम^६, स्तम्भीय, गर्दभाण्डीय, अनुकीय^७ (अनुवाकयुक्त) सूक्त, बसिष्ठ, विश्वामित्र (अनुवाक)^८ आदि शब्द आये हैं। इनमें ऋग्वेद के बृहत् तथा अहोरायन्तर छन्दों ने सामवेद में रहस्यमयता उत्पन्न कर दी है। तृचसूक्त साम के उत्तरार्धिक में तीन तीन ऋचाओं को मिलाकर बनाये गये २८७ पद्य हैं। उत्तरार्धिक में ही ८६ पद्य दो-दो ऋचाओं को मिलाकर बनाये हुए हैं और १३ में से प्रत्येक में एक ऋचा का है। भाष्यकार ने एकच छन्द की भी चर्चा की है। अनुवाको और अध्यायो के नाम उनमें आये हुए शब्द विशेष के आधार पर भी प्रचलित थे। यथा वयुक्त, गोपदक आदि।^९ किसी-किसी सूक्त या अनुवाक का नाम उसके द्रष्टा ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध हो गया था। कालेय, आग्नेय, औशनस् या^{१०} औशन और वामदेव^{११} सामों के नाम कलि, अग्नि, उगानस् और वामदेव द्वारा दृष्ट होने के कारण थे। यज्ञायज्ञीय साम के वाद गये जानेवाले उक्त्य सामों का भी उल्लेख भाष्य में हुआ है। इन्हें गानेवाले औक्थिक कहलाते थे। औक्थिकों का आम्नाय औक्थिक्य या उनके द्वारा गये जानेवाले साम थे। इस प्रकार, साम का पर्यायवाची होने पर भी उक्त्य शब्द सामविशेष (औक्थिक्य) में ही रूढ था। इसीलिए, औक्थिक विशेष सामग की सज्ञा थी।^{१२}

आम्नाय—चरणों और शाखाओं के मूल ग्रन्थ आम्नाय कहलाते थे। कठ, कलापिन्, मौद और पैप्पलाद शाखाओं के आम्नाय और धर्म काठक, कालापक मौदक और पैप्पलादक थे।^{१३} इसी प्रकार, छन्दोगो, औक्थिको, याज्ञिको, वह्वृचो, नटो और अथर्वणो के अपने-अपने आम्नाय थे,

१. ५-४-७, पृ० ५०४।
२. ५-४-१०३, पृ० ५०७।
३. ५-२-५९, वा० १, पृ० ३९४।
४. ६-१-३९, वा० ५, पृ० ६८।
५. ४-४-९०, पृ० २८६।
६. ८-२-६८, पृ० ३७६।
७. ५-२-६०, वा० १, पृ० ३९६।।
८. ४-३-१३१, वा० १-२, पृ० २५५।
९. ५-२-६१, ६२।

१०. ४-२-७, पृ० १६९, १७०।

११. ४-२-९, पृ० १७०।

१२. उक्त्यानीत्युच्यते। कान्युस्यानि? सामानि। यद्येवं सामगपात्रे औक्थिक इति प्राप्नोति। नैप दोयः। तादर्थ्यात्ताच्छब्दं भविष्यति। उक्त्यार्थमुक्त्यम्। इहोभयान्यधीत औक्थिक इति। य इदानीं औक्थिक्यं याज्ञिक्यं चाधीते कथं तत्र भवितव्यम्? औक्थिकः ऋत्विक् इत्येव भवितव्यम्।—४-२-६०, पृ० १८६ तथा उक्त्यशब्दः केषुचिदेव सामसु रूढः। यज्ञा यज्ञोपातरेण यानि गीर्यन्ते।—चही, का०।

१३. ४-३-१२०, वा० ११, पृ० ५२।

जो क्रमशः छान्दोग्य, अथर्ववेद, याज्ञिक्य, ब्राह्मण्य, नाट्य और आथर्वण कहे जाते थे।^१ भाष्यकार ने आम्नायो को अन्यभाष्य (भिन्न) कहा है, क्योंकि उनकी वर्णानुरूपी, स्वर, देश तथा काल नियत रहता है। उदाहरणार्थ, अस्यवामीय सूक्त मे अस्यवाम शब्द का स्वर और वर्णानुरूपी निश्चित है। आम्नाय पढ़ने का स्थान भी निश्चित है, क्योंकि वह चौरास्ते पर या इमशान मे नहीं पढा जाता। उसका समय भी नियत है। चतुर्दशी और अमावास्या को आम्नाय का पठन वर्जित है। आम्नाय शब्द का प्रयोग सामान्यतया वेद के लिए होता था।

ऋषि—वेदों को ऋषि भी कहते थे।^२ सम्भवतः वेदों को यह नाम कर्त्ता (ऋषि) से तादात्म्य सूचित करने के लिए दिया गया था। भाष्य मे एक अश उद्धृत है, जिससे ऋषियों के प्राचीन और नवीन दो वर्गों का पता चलता है।^३ भाष्यकार ने इन्हे प्रत्यक्षधर्मा, परापरज्ञ, विदितवेदितव्य और अविगतयाथास्त्य कहा है।^४ यह परिभाषा निष्कत की प्रतिष्ठनिमात्र है।^५ निष्कत के अनुसार अनृषि और अतपस्वी को वेद का प्रत्यक्ष नहीं होता।^६ भाष्यकार ने तपस् द्वारा ही विश्वामित्र को ऋषित्व की प्राप्ति बतलाई है। तप के बल से वे स्वयं ऋषि बने और तप की शक्ति से ही उन्होंने अपने पिता गाधि और पितामह कुशिक को ऋषि बनाया था।^७ अट्टासी सहस्र ऊर्ध्वरेतस् ऋषि हुए हैं, जिनमे अगस्त्यादि आठ ने सन्तानोत्पत्ति स्वीकार की थी।^८ भाष्य मे यवर्ण, तवर्ण,^९ प्रस्कण्य, हरिश्चन्द्र,^{१०} नारद, पर्वत,^{११} ऐडविड, अशिशिज,^{१२} भृगु-अत्रि, कर्षीवान्^{१३} कण्व, जातसेन,^{१४} मरीचि, दक्ष, वसिष्ठ, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, नामदेव आदि नाम मिलते हैं। नारद का उल्लेख अथर्ववेद मे वशाधेनु के मास के खाद्याखाद्यत्व-विवेचन के प्रसंग

१. ४-३-१२९ तथा ४-३-१३१, वा० १, पृ० २५४।
२. आचारे पुनर्ऋषिर्नियम वेदयते।—आ० १, वा० ७, पृ० २२।
३. अग्निः पूर्वभिः ऋषिभिः ऋग् १-१-१:२।
४. आ० १, वा० ९, पृ० २४।
५. साक्षात् कृतधर्माणि ऋषयः।—निष्कत, १-२०।
६. ब्रह्मेषु प्रत्यक्षमस्त्रमनृषेरतपसो वा।—नि क्त १३-१२।
७. विश्वामित्रस्तपस्तेपेनानृषिः स्यामिति। तत्र भवानृषिः सम्पन्नः। सपुनरतपस्तेपे नानृषेः पुत्रः स्यामिति। तत्र भवान् गाधिरप्यृषिः सम्पन्नः। सपुनस्तपस्तेपे नानृषेः पौत्रः स्यामिति। तत्र भवान् कुशिकोऽप्यृषिः सम्पन्नः।—४।१।१०४, पृ० १३३।
८. अष्टाशौलिः सहस्राण्यूर्ध्वरेतसमृवीर्णा बभूवस्तत्रागस्त्याष्टमैर्ऋषिभिः प्रजनोऽभ्युपगतः।—४-१-७९, वा० ३, पृ० ८८।
९. आ० १, वा० ९, पृ० २४।
१०. ६-१-१५३।
११. ८-१-१५, पृ० ३७८।
१२. ४-१-१२०, पृ० १४१।
१३. ६-१-३७ वा०, ७, पृ० ६८।
१४. ४-१-११४, पृ० १३७।

मे हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में नारद और पर्वत आचर्य्य और युवाचर्य्य के पट्टाभिषेककर्ता और हरिश्चन्द्र को अश्वमेध याग के परामर्गदाता कहे गये हैं।

ऋषि संहिता और कल्प दोनों प्रकार के साहित्य के प्रणेता थे। पाणिनि ने भी ब्राह्मण और कल्प के प्रणेता काव्यय और कौणिक को ऋषि कहा है। पतञ्जल ने 'यवमतीभिरद्भिर्भूय प्रोक्षति' इम कल्प-वचन को ऋषि-कृत माना है। पुराणों में ऋषि-पुत्रों की सजा ऋषिक है। भाष्य में भी ऋषिको का उल्लेख है। इनकी कृति धार्पक कहलाती थी। प्राचीन ग्रन्थों में ऋषिक और ऋषिक दोनो शब्दों का व्यवहार मिलता है। पुराणों के ऋषिको में भरद्वाज, गरुडत्, वाजश्रवस् और परागर नाम भाष्य में आये हैं। पुराणों के अनुसार भृगुकुल में उर्ध्वस ऋषि हुए हैं, जिनमें भृगु, दध्यङ्, अर्ब, जमदग्नि, विद, वैश्व, दिवोदास, वाद्ययस्व, और गौतम से भाष्यकार परिचित थे। इनमें भृगु, दध्यङ् और गौतम ही आथर्वण हैं। आगस्त्य-कुल से ३३ ऋषियों में भरद्वाज, गर्ग, अम्बरीष, अजमीढ, कपि, पृथदश्व, कण्व, मुद्गल, गरुडान्, आयास्य, वामदेव, कक्षीवान्, छह काव्यपो में कव्यप, नैयुव और रैभ्य, छह आत्रेयो में अत्रि, गविष्ठा, पूर्वतिथि एव सात वासिष्ठों में वसिष्ठ, परागर, कुण्डिन तथा तेरह कौणिकों में विश्वामित्र, कत और लोहित का उल्लेख भाष्य में मिलता है।

प्रोक्त साहित्य

ब्राह्मण और कल्प—ऋषि-दृष्ट ग्रन्थों की विभिन्न शास्त्रीय संहिताएँ तथा उनके जगन्मूत्र ब्राह्मण और सूत्र ग्रन्थ प्रोक्त साहित्य के अन्तर्गत हैं। यह प्रवचनकार आचार्यों की अपनी कृति नहीं, अपितु संहिताओं का प्रवचन-रूप साहित्य है। भाष्यकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी के द्वारा प्रोक्त साहित्य उसका कृत नहीं होता। उदाहरणार्थ, माथुरी वृत्ति माथुर द्वारा कृत नहीं, प्रोक्त है। यह माथुरी वृत्ति कौन-सी थी, स्पष्ट नहीं है। प्रोक्त साहित्य में तैत्तिरीय, वाग-तन्त्रवीय, खाण्डकीय और अथर्वीय संहिताएँ काव्यय और कौणिक के कल्प, कलापी, वैदम्पायन तथा उसके अन्तेवासियों (हरिद्रु, छगलि, तुम्बुरु, उलुप, खाडायन और ऋत) के ग्रन्थ भाष्यकार को ज्ञात थे। इनके अतिरिक्त, याज्ञवल्क्य, मुलभ, भाल्लव, शाट्यायन और ऐतरेय के ब्राह्मण,

१. ५-२-९४, वा० ३, पृ० ४१०।
२. ४-२-१०४, वा० २८, पृ० २४३।
३. ऋषिपुत्रानुषीकास्तु गर्भोतान्नाम्नि०।
४. ४-१-१०२ तथा ४-१-११७।
५. ४-२-६४, पृ० १८८।
६. ४-३-१०१, वा० ३, पृ० २४७।
७. ४-३-१०२।
८. ४-२-६६, वा० ६, पृ० १९१।
९. ४-३-१०४, वा० १-३, पृ० २४८ तथा का०।
१०. ४-३-१०५, वा० १, पृ० २४२।

पैङ्गी, अरुणपराजी, 'आनुरीप, पाराशर' और कल्प, शौनकादिको (शौनक, वाजसनेय, शाङ्गरव सागव, शाम्पेय, सास्पेय, स्कन्ध, स्कन्द, तवल्कार, रज्जुकण्ठ, रज्जुमार, कठशाख, कशाय, पुरुषांस, अश्वपेय) के ब्राह्मण, कल्प और संहिताएँ, कठों और चरको की संहिताएँ, कलापी और छगली के ग्रन्थ, पाराशर्य और कर्मन्द के भिक्षुसूत्र एव शिलालिन् और कृशाश्व के नटसूत्र पतञ्जलि के समय में विद्यमान थे। इनमें से पैङ्गय मत का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण के दश-पीर्णमास इष्टि के विवेचन-प्रसंग में मिलता है। ऐतरेय के सुप्रसिद्ध शुन.शेष, शुन पुच्छ और शुनोलागूल का उल्लेख भी इस बात का सूचक है कि भाष्यकार ऐतरेय ब्राह्मण से भली भाँति परिचित थे। कौशिककल्प सम्भवतः आथर्वण कौशिकसूत्र है। सूत्र १-२-६४ में जिन शयुवाको का उल्लेख है, वे आश्वलायन श्रौतसूत्र (७-११) में मिलते हैं।

क्रीड, काकत, मौद और पैप्पलाद ब्राह्मण तथा ताम्बुरव, माल्लव, कालापक, आरुण, शाट्टायन, गार्ग्यक, वात्सक काण्व और ब्राह्मण-ग्रन्थो या कल्पसूत्रो का भी प्रचार पतञ्जलि-काल में रहा जान पड़ता है। वेद, तन्त्र, वार्त्तिक, सग्रह और कल्प इन विभागों की चर्चा महाभाष्य में है। इनके अध्येताओं के नाम के साथ सर्ववेद, सर्वतन्त्र, सर्वात्तिक, ससग्रहपञ्चकल्प, द्वितन्त्र आदि विशेषण लगाये जाते थे। काशिकाकार ने उपर्युक्त ब्राह्मणों से भाल्लव, शाट्टायन और ऐतरेय को तथा कल्पों में पैङ्गी और अरुणपराजी को अति प्राचीन माना है।

इस समय शतपथब्राह्मण का प्रचार अत्यधिक जान पड़ता है। षष्टिपथ, जिसका उल्लेख भाष्य में शतपथ के साथ ही हुआ है, इसी का एक भाग है। शतपथ ब्राह्मण के पचदशपथ, षष्टिपथ, अशीतिपथ आदि खण्ड थे। शतपथ की गणना पथादिगण (५-३-१००) में भी है। षष्टिपथ इसका नवम काण्ड-पर्यन्त भाग है। अग्निचयन इसके अन्तर्गत है। इसमें यजुर्वेद के प्रथम अट्ठारह अध्यायों के सब मंत्रों की व्याख्या आ गई है। 'अव्यय विभक्ति' (२-१-६) सूत्र की व्याख्या में काशिकादि ग्रन्थों का 'अग्निग्रन्थपर्यन्तमधीते साग्नि' यह उदाहरण भी षष्टिपथ

१. वही, का०।
२. ४-१-१९, वा० २, पृ० ४४ तथा ४-२-६०, पृ० १८६।
३. ४-२-१०६।
४. ४-३-१०७।
५. ४-३-१०८, १०९।
६. ४-३-११०, १११।
७. ऐत० ब्रा०, ७-११।
८. ऐत० ७-१७, १८ तथा ६-३-२१, वा० ४, पृ० ३०७।
९. ४-२-६६, पृ० १९१, १९२।
१०. ४-२-१०४, वा० १९, पृ० २०९।
११. ४-२-६०, पृ० १८७।
१२. ४-३-१०५, वा० १, पृ० २४२।
१३. ४-२-६०, पृ० १८८।

के विशेष प्रचार का परिचायक है। सूत्र १-२-३७ के भाष्य में जिस सुब्रह्मण्या निगद की चर्चा है, वह भी शतपथ में उपलब्ध होता है। सुब्रह्मण्या का व्याख्यान पड्विंशब्राह्मण (१-१-८ से १-२ के अन्त तक) में मिलता है। शतपथ ही याज्ञवल्क्य ब्राह्मण हैं और यही शौनकादिगण (४-३-१०६) का वाजसनेय ब्राह्मण है। सूत्र ५-१-६२ में त्रैश और चत्वारिंश ब्राह्मणों का उल्लेख है। इनमें चालीस अध्याय का ऐतरेय ही चत्वारिंश ब्राह्मण है और त्रैश, सम्भवतः इसके प्रथम तीस अध्याय। षड्गुरुसिष्य (पृ० २) ने ऐतरेय वृत्ति के प्रारम्भ में ही उसे चत्वारिंश कहा है। युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार पंचविंश के पच्चीस प्रपाठक, षड्विंश के पाँच, मन्त्र-ब्राह्मण के दो और छान्दोग्य उपनिषद् के आठ प्रपाठको को मिलाकर चालीस अध्याय का एक ही ब्राह्मण वर्तमान था।^१ त्रैश ब्राह्मण में पचविंश और षड्विंश को मिलाकर तीस अध्याय सम्मिलित थे।

अनुब्राह्मण या ब्राह्मण-सदृश ग्रन्थ सम्भवतः आरण्यकों के बीचक है।^२ ये ब्राह्मण-ग्रन्थानुसारि तथा कर्मकाण्ड और ब्रह्मकाण्ड दोनों के मिश्रण हैं। सम्भव है, ये विविध ग्रन्थ हों। भाष्यकार ने आरण्यक अध्याय का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि उनके समय में आरण्यक भाग पृथक् उपलब्ध था।^३ उपनिषद् पाणिनि-काल में ही प्रचलित थे।^४ ऋग्यनादिगण (४-३-७३) में उसका उल्लेख है। ४-३-१२ सूत्र में जिस छान्दोग्य धाम्नाय की चर्चा है, उसी का छान्दोग्य उपनिषद् भी है। अनुब्राह्मणों के संमान उक्त्यादिगण (४-२-६०) में अनुकल्प शब्द भी आया है। सम्भव है, ये यज्ञपद्धति पर लिखे गये ग्रन्थ हों।

ब्राह्मणों में कुछ प्राचीन और कुछ अर्वाचीन माने जाते थे।^५ पुराणों में भाल्लव, शाट्यायन और ऐतरेय तथा अर्वाचीनों में याज्ञवल्क्य (शतपथ) और सौलभ नाम भाष्यकार ने बतलाये हैं। काशिका ने ताण्डव को प्राचीन माना है और सौलभ को नवीन। सुलभा का उल्लेख महाभारत के शान्तिपर्व में जनक के साथ ब्रह्मविद्या-विषयक सवाद के प्रसंग में हुआ है। आश्वलायनादि गृह्यसूत्रों के ऋषितर्पण में भी सुलभा नाम आया है। काशिकाकार ने अरुणपराज, पैंग और आश्वमरथ को भी अर्वाचीन बतलाया है। वार्त्तिककार ने याज्ञवल्क्य को भी प्राचीन माना है। सम्भवतः पुराण-प्रोक्त (४-३-१०५) का अर्थ उन्होंने पाणिनि से पूर्ववर्ती समझा है। ये ग्रन्थकार सबके मत से प्राचीन नहीं थे। इसीलिए, वार्त्तिक को अपने कथन की पुष्टि में (तुत्यकालत्वात्)^६ कहना पडा। पाणिनि की दृष्टि में तो निश्चय ही ये प्राचीन नहीं थे। काशिकाकार ने भी ट्य सूत्र की व्याख्या में कहा है कि आख्यानों में यह वात्ता आती है कि याज्ञवल्क्यादि अचिरकालीन है। काशिका ने आश्वमरथ की भी अर्वाचीनो में गणना की है।

उक्त्यादिगण (४-३-६०) में लोकायत, न्याय, न्यास, निमित्त, पुनश्चत, निगन्त,

१. संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास, पृ० १७५।

२. ४-२-६२, पृ० १८८।

३. ४-२-१२९, पृ० २१६।

४. १-४-७९।

५. व्याख्यायतेऽनेनेति व्याख्यानम्।—४-३-६६ काशि०।

यज्ञचर्चा, धर्म, क्रमेतर, श्लक्ष्ण, पद, क्रम, सघात, वृत्ति, सग्रह, गुणागुण, आयुर्वेद, द्विपदी, (ज्यौ-तिषविषयक) अनुपद, अनुकल्प, और अनुगुण इन विषयों का समावेश है। भाष्य के समय में इनमें से किस विषय के कौन-कौन-से ग्रन्थ विद्यमान थे, यह पता नहीं है, यद्यपि इन विषयों में अधिकांश का उल्लेख भाष्य में हुआ है।

व्याख्यात साहित्य

व्याख्यान प्रोक्त ग्रन्थों की व्यवस्था के रूप में थे। निखत, व्याकरण आदि के व्याख्या-परक ग्रन्थ इसी श्रेणी के हैं। वे श्रेष्ठ ग्रन्थ या विषय, जिनके लिए व्याख्यान-ग्रन्थों की आवश्यकता होती थी, व्याख्यातव्य कहलाते थे।^१ सामान्य विषयों पर भी व्याख्यान-ग्रन्थ उपलब्ध थे। उदाहरणार्थ, पाटलिपुत्र के प्राकार, प्रासाद आदि का विस्तरश वर्णन सुकोसला नामक व्याख्यानी (पुस्तिका) में दिया गया था। फिर भी, उसे व्याख्यान-ग्रन्थ नहीं माना जाता था। अवयवश व्याख्यान को व्याख्यान मानते हुए भी भाष्यकार ने प्रसूतसर गतिवाले व्याख्यान-ग्रन्थों को ही इस श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि लोक-व्यवहार में ऐसा तो सुना जाता है कि-निश्चित का व्याख्या की जा रही है या व्याकरण की व्याख्या की जा रही है। पाटलिपुत्र की व्याख्या की जा रही है, ऐसा कोई नहीं कहता। अतः, शब्द-ग्रन्थों को ही 'व्याख्यान' कहना उचित है।^२ व्याकरण के विषय में उन्होंने उदाहरण, प्रत्युदाहरण और आवश्यकतानुसार वाक्यों को ऊपर से जोड़ना इन सबको समुक्त रूप से व्याख्यान माना है।^३

व्याख्यान-ग्रन्थों में बहुत-सा याज्ञिक साहित्य भी विद्यमान था, जिसका अध्येता याज्ञिक कहलाता था। इस साहित्य को क्रतु-ग्रन्थ भी कहते थे।^४ इसमें, अग्निष्टोमिक, राजसूयिक, वाजपेयिक, नावयज्ञिक, पाकयज्ञिक, पाञ्चदीनिक, साप्तीदिक व्याख्यान-कल्पों का उल्लेख भाष्यकार ने किया है।^५ पुरोडाश के सस्कार का निरूपण करनेवाले पुरोडाशिक ग्रन्थों तथा पुरोडाश-सम्बन्धी मंत्रों की व्याख्या करनेवाले व्याख्यान-ग्रन्थ पुरोडाशिक कहलाते थे।^६ यह अन्तर पाणिनि के समय में ही स्पष्ट था। इसी प्रकार छन्दस्, इष्टि, पशु, ब्राह्मण, ऋक्, अथर्व, पुरश्चरण, नाम

१. व्याख्यायतेऽनेनेति व्याख्यानम् ।—४-३-६६ काशि० ।

२. व्याख्यातानामपि व्याख्यातव्य नाम्नो ग्रहणं क्रियते । इह भाभूत्पाटलिपुत्रस्य व्याख्यानी सुकोसलेति । नचिच्चि क्वचित् प्रसूततरागतिर्भवति । शब्दग्रन्थेषु च ह्येषा प्रसूततरा गतिर्भवति । नि वतं व्याख्यायते, व्याकरण व्याख्याय तेन कच्चिदाह पाटलिपुत्रं व्याख्यायते इति ।—४-३-६६, वा० ४, पृ० २३९ ।

३. उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्यस्याध्याहार इत्येतत् समुदितं व्याख्यानं भवति ।—आ० १, वा० १४, पृ० २८ ।

४. ४-२-६०, पृ० १८६ ।

५. ४-३-६६, वा० ६, पृ० २४० ।

६. ४-३-७० सूया का० ।

और आख्यात-सम्बन्धी व्याख्यान-ग्रन्थ पतंजलि से बहुत पहले बन चुके थे।^१ नाभिक, आख्यातिक और नामाख्यातिक ग्रन्थों को सौप, तैड भी कहते थे। कृत-सम्बन्धी कार्तप्रन्थ भी स्वतन्त्र रूप से लिखे गये थे।^२ वासिष्ठिक अध्याय और वैश्वामित्रिक अध्याय में इन ऋषियों के मंत्रों के व्याख्यान थे।^३ ऋग्यनादि गण में उल्लिखित विषयों का विस्तार बहुत अधिक है। इससे पता चलता है कि पतंजलि के समय में ऋग्यन, पदव्याख्यान, छन्दोनाम, छन्दोभाषा, छन्दोविकृति, न्याय, पुनरुक्त, व्याकरण, निगम, वस्तुविद्या, अगविद्या, क्षत्रविद्या, उत्पाद, उत्पात, सवत्सर, मुहूर्त, निमित्त, उपनिषद् और शिला-सम्बन्धी साहित्य प्रचुर मात्रा में विद्यमान था।^४ भाष्य में ऐष्टिक, पाशुक, चातुर्होतृक, ब्राह्मणिक, आचिक, आर्गयन, वास्तुविद्य साहित्य की चर्चा है।

उपज्ञात साहित्य

लोक में विद्यमान विषय को बिना किसी से पढ़े, सीखे या उपदेश प्राप्त किये स्वयं विश्लेषित कर वैज्ञानिक विधि से 'उपनिबद्ध' करना उपज्ञा का काम माना जाता था और इस प्रकार उपनिबद्ध किये गये ग्रन्थ उपज्ञात श्रेणी के माने जाते थे। इन ग्रन्थों में सामान्य विषय तो लोकानुसारी होते थे, किन्तु कुछ अंग कर्त्ता की स्वोपज्ञा से प्रसूत होते थे। इनमें आपिशलि क व्याकरण द्वुफरण, कागकृत्तन का गुस्लाषव और पाणिनि का अकालकत्व उनकी उपज्ञा की देन था।^५ उपज्ञात ग्रन्थों के कर्त्ताओं में काशिका ने व्याडि का भी नाम गिनाया है।^६

कृत साहित्य

कृत मौलिक रचनाएँ थीं।^७ अवैदिक साहित्य, यथा वररुचि के श्लोक हैकुपाद और भँकुराट की रचनाएँ इनके अन्तर्गत हैं।^८ तित्तिरि के श्लोक मौलिक होने पर भी प्रोक्त साहित्य के अन्तर्गत थे, कृत नहीं।^९

ग्रन्थों के नामकरण—ब्राह्मणों या संहिताओं के नाम उनके प्रवचनकारों के नाम पर प्रचलित नहीं थे। जिस प्रकार, पाणिनि से उपज्ञात व्याकरण पाणिनीय कहलाता था और वररुचि से कृत श्लोक वाररुच, उसी प्रकार काश्यप या कौशिक के बनाये ब्राह्मण काश्यपीय या कौशिकीय

१. ६-३-७१ तथा ४-३-७२, पृ० २४१।

२. ४-३-६७।

३. ४-३-६९।

४. ४-३-७३।

५. विनोपदेशं ज्ञातमुपज्ञातं—स्वयमभिनिबद्धम्।

६. ६-२-१४ काशिका।

७. उत्पादिनं कृतम्, विद्यमानमेव ज्ञातमुपज्ञातमित्यनयोर्विशेषः।—४-३-११६ काशि०।

८. ४-३-१६६ का०।

९. ४-२-६६, वा० ६, पृ० १९१ तथा ४-३-१०४, वा० ३, पृ० २४८।

नहीं कहे जाते थे। इन ग्रन्थों के नाम उनके प्रवचनकारों के शिष्यों के सन्दर्भ में ही प्रचलित थे। काश्यपिन् या कौशिकिन् छात्र वे कहलाते थे, जो काश्यप या कौशिक से प्रोक्त ग्रन्थों का अध्ययन करते थे। इन छात्रों के नामों से ही काश्यप ब्राह्मणों या कौशिक ब्राह्मणों का अनुमान होता था। इससे स्पष्ट है कि प्रोक्त ग्रन्थ लिपिवद्ध नहीं थे। वे गुरुओं द्वारा मौखिक रूप से पढाये जाते थे और शिष्य-परम्परा द्वारा जीवित रखे जाते थे। इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है कि 'पाणिनीय श्रेष्ठ और बड़ी रचना है, यह वाक्य ठीक है, किन्तु कठ श्रेष्ठ रचना है' यह प्रयोग ठीक नहीं है। अपेक्षाकृत नवीन ब्राह्मणों के लिए स्वतन्त्र शब्द थे। जैसे याज्ञवल्क्य ब्राह्मण या सौलभ ब्राह्मण। ये प्रारम्भ से ही लिपिवद्ध रहे होंगे। प्राचीन ब्राह्मण वाद में लिपिवद्ध किये गये जान पड़ते हैं।^१

कृत ग्रन्थों के नाम उनके वर्ण विषय के अनुसार रखे जाते थे। आख्यायिकाओं के नाम उसके नायक या नायिका के अनुसार होते थे। भाष्यकार के समय में वासवदत्ता, सुमनोत्तरा और भैरवरी की आख्यायिकाएँ विद्यमान थीं।^२ शिशुक्रन्द्वीय, यमसमीय, ध्येनकपोतीय, इन्द्र-जननीय, देवासुरी, रक्षोऽसुरी नामक कृतियाँ भी इस समय प्रचलित थीं।^३ आख्यानों में प्रयुक्त यवकीर्त प्रियगु और ययाति के नाम भाष्य में मिलते हैं।

विभिन्न विषय—यदि हम विषय की दृष्टि से देखें, तो भी पतजलि-काल के साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध जान पड़ता है। वेदांगों में कल्प-साहित्य का परिमाण बहुत अधिक था। याज्ञिक्य ग्रन्थ तथा उनके व्याख्यानों की संख्या भी बहुत अधिक थी, यह बात ऊपर कही जा चुकी है। इनके अतिरिक्त व्याकरण तथा उससे सम्बद्ध विषयों तथा शिक्षा और निरुक्त पर पर्याप्त कार्य हो चुका था।

शिक्षा—पाणिनि के क्रमादिगण में शिक्षा भी सम्मिलित है। शिक्षा वर्णों के स्थान-प्रयत्न-दर्शक ग्रन्थ है। पाणिनि ने आपञ्जलि का बार-बार उल्लेख किया है। उनकी शिक्षा आज भी उल्लेख है। पाणिनीय शिक्षा का प्रचार पतजलि के समय में भी रहा ही होगा। काशिका ने शौनकीय शिक्षा का उल्लेख किया है।^४ भाष्यकार ने स्वर-दोष-निरूपण करते हुए सवृक्त कल, ध्मात्, एणीकृत, अम्बूकृत, अर्धक, ग्रस्त, निरस्त, प्रगीत, उपगीत, क्षिण्ण, रोमश आदि दोषों का उल्लेख किया है। किसी आचार्य के मत से अवलम्बित, निर्हृत, निकम्पित, सन्दृष्ट, द्रुत और विकीर्ण भी स्वर-दोष हैं। इनके अतिरिक्त शेष स्वर-दोष दोनों आचार्यों के मत में सामान्य हैं। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा-शास्त्र की अपनी सर्वमान्य पारिभाषिक शब्दावली थी। भाष्य द्वारा उद्धृत दो कारिकाएँ शिक्षा-ग्रन्थों की स्थिति की सूचक हैं।^५ सात्यमुनि और राणायनीय शाखाओं की अर्ध एकार और अर्ध ओकारविषयक शोध भी इस दिशा में प्रवर्तमान प्रयत्न-परम्परा की ओर संकेत करती हैं। भाष्यकार ने इसे पार्षद कृति कहा है। अन्यत्र लोक या वेद में, कही भी अर्ध

१. ४-२-६६, वा० १-२, पृ० १८९, १९०।

२. ४-३-८७, पृ० २४३।

३. ४-३-८८, वा० १, पृ० २४४।

४. ४-३-१०६।

५. आ० १, वा० १८, पृ० १९-२०।

एकारौकार नहीं बोले जाते थे।^१ यवापि, तवापि ऋषियों के उच्चारण-दोष-जन्य उग्रहान्त्रि महाभाष्यीय उल्लेख भी शिखा-ग्रन्थों के व्यापक प्रभाव का परिचायक है। शिखा का सर्वप्रथम नाम-निर्देश तैत्तिरीय उपनिषद् में मिलता है। उसमें शिखा के छह बंग माने हैं—*अच्छ, दच्छ* पर आघात, पद-प्रमाण या शब्दावयव एवं उसपर आघात, उच्चारण, स्वर-भाव्युर्ध्व और शब्दान्त्रि।^२ शिखा का प्रारम्भ पद-याठ से, जिसमें सन्धि और पदजात पर विचार किया गया था, मानना चाहिए। भाष्यकार ने पद-याठ की तुलना में व्याकरण को लघिक प्रमाण माना और कहा है कि व्याकरण के सूत्र पदकारों के अनुसार नहीं हो सकते। पदकारों को व्याकरण के नियमों का अनुकरण करना चाहिए।^३ शिखा-क्षेत्र की खोजों के तीन द्युम परिपाम पतञ्जलि के समय तक स्पष्ट हो चुके थे। १. अक्षर-समाम्नाय की वैज्ञानिक पूर्णता, २. उदात्तादित्त्व, ३. स्थानकरणानुप्रदान के शास्त्रीय सिद्धान्त। भाष्यकार ने इन तीनों पर विचार भी किया है।^४

निरुक्त—निरुक्त के व्याख्यान की चर्चा भाष्य में प्रत्यक्ष मिलती है। यास्क के निरुक्त को तो पतञ्जलि ने कई बार ज्यो-ज्ञा-र्यों और कही-कहीं थोड़े-से शब्द-भेद से उद्धृत भी किया है।^५ यास्क गोत्र का, जिसके छात्र यास्क कहलाते थे, उल्लेख तो पाणिनि ने ही किया है।^६ भाष्य में नैगम और नैरुक्त सम्प्रदायों का भी वर्णन है।^७ निरुक्त अनेक थे। दुर्गाचार्य की निरुक्त-वृत्ति में निरुक्त को चौदह भेदवाला बतलाया है। स्वयं यास्क (१२-१२) ने प्राचीन नैरुक्तों का स्मरण किया है। इनमें गार्ग्य, गालव और शकटायन का उल्लेख भाष्य में भी है। यास्क के अतिरिक्त अन्य किसी निरुक्त का नाम भाष्य में प्राप्त नहीं है।

व्याकरण—व्याकरण का प्रारम्भ प्रातिशाह्यो से हुआ था। भाष्यकार के मन्मुख ऋक्, अथर्व, वाजसनेय और तैत्तिरीय प्रातिशाह्य थे। इस दिशा में सर्वप्रथम कार्य शानको ने किया। अथर्व प्रातिशाह्य भी इन्हीं का है। वाजसनेय के कर्त्ता कात्यायन का भी उल्लेख भाष्य में है। ये सब वैदिक चरणों के व्याकरण-ग्रन्थ हैं। ऋग्यनादि गण परिगणित छन्दो-

१. आ० २, पृ० ५४।

२. तैत्ति० उप० १-२।

३. लक्षणैः पदकाराः अनुवर्त्तन्ति। पदकारैर्नामलक्षणमनुवर्त्तन्तम्। यपालक्षणं पद-कर्त्तव्यम्।—३-१-१०९, पृ० १८६।

४. ८-४-६८, पृ० ५००।

५. तुलना कीजिए—चत्वारि ऋङ्गा (ऋगु० ४-५८-३); चत्वारि वासपरिमिता पदानि (ऋगु० १-१६४-४५); उत्तरवः पश्यन्नददर्श (ऋगु० १०-७१-४) तथा सक्नुमिव नितटना (१०-४-२); इन पश्यन्नाह्लिक में व्याख्यात मन्त्रों की।—निरुक्त १३-७-१; १३-१-९, १-१९ तथा ४-९ में व्याख्या तथा इनपर सायण भाष्य। तथा शबतिर्गतिकर्मा।—पश्यन्नाह्लिक की निरुक्त २-२ में तथा अवापि भाषिकेन्यो घातुन्यो नैगमा कृता भाष्यन्ते।—भाष्य ७-१-९६ की निरुक्त २-२ से।

६. २-४-६३।

७. ३-३-१, इलो० वा० २, पृ० २८४।

भाषा का अर्थ प्रातिशाख्य ही है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (२४-५) के माहिषेय भाष्य में यह वात स्पष्ट की गई है।

लौकिक वैयाकरणों में पाणिनि-पूर्व वैयाकरणों के अतिरिक्त पौष्करसादि का नाम एक वार्त्तिक में आया है। पुष्करसत् शब्द गणपाठों में कई बार मिलता है।^१ भाष्य में काशकृत्स्न एव आपिगलि के ग्रन्थों का बार-बार उल्लेख है, उनका अध्ययन करनेवाली स्त्रियों के लिए कागकृत्स्नी और आपिशली के विधेयणों का प्रयोग है।^२ उन्हें काशकृत्स्न से प्रोक्त मीमांसा की जानकारी थी। किन्तु, काशिकाकार ने तीन अध्यायों के काशकृत्स्न-व्याकरण का अनेक बार नाम लिया है। शाकटायन का व्याकरण अति प्रसिद्ध था। प्रातिशाख्यों और निष्क में वे वैयाकरणों के पिता कहे गये हैं। यास्क में जिन पाणिनि-पूर्ववर्ती नवीन वैयाकरणों के नाम गिनाये हैं, उनमें शाकटायन, गार्ग्य और शाकल्य प्रमुख हैं। शाकटायन बड़े एकाग्र चिन्तक थे। रथमार्ग पर बैठे हुए भी इतने ध्यानस्थ हो जाते थे कि उन्हें सामने से गुजरनेवाले रथ-समूह का पता नहीं चलता था।^३ निष्कतकार और पतञ्जलि दोनों ने शाकटायन का मत अत्यन्त आदरपूर्वक अपने ग्रन्थों में उद्धृत किया है।^४ उनका यह मत कि सज्ञा शब्द धातुज है, आगे चलकर सिद्धान्त मान लिया गया। काशिकाकार के मत से सारे वैयाकरण शाकटायन के अनुवर्त्ती हैं। व्याघ्रपद के दशक व्याकरण से भी भाष्यकार परिचित थे या नहीं, निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। उनके मत की उन्होंने चर्चा नहीं की है। आपिशल पाणिनीय व्याडीय गौतमीय का साथ उल्लेख मिलने से यह अनुमान होता है कि व्याडि और गौतम भी वैयाकरण थे।^५ गौतम की तिरपनवी पीढी भाष्यकार के समय में थी, किन्तु पीढी यह वैयाकरण गौतम की ही थी, और यदि थी, तो इन तिरपन में व्याकरणकार कान था, कहा नहीं जा सकता। फिर भी, गौतमीय व्याकरण उनके समय में विद्यमान अवश्य था। स्वयं महाभाष्य में भी अनेक आचार्यों का उल्लेख मिलता है। ये आचार्य व्याकरण में किसी-न-किसी विशिष्ट सिद्धान्त के प्रवर्त्तक थे। इनका उल्लेख प्रातिशाख्यों में भी मिलता है। उदा-हरणार्थ, आपिनवेश्य (तैत्ति० प्राति० ९-४, मैत्रा० प्राति० ९-४), इन्द्र (ऋक्सन्त्र १-४), औदन्नजि (ऋक्सन्त्र २-६-१०), कात्यायन (वाज० प्राति० ८-५३), काण्व (वाज० प्राति० १-१२३, १४९), काव्यप (वाज० प्रा० ४-५, ८-५०), कौण्डिन्य (तैत्ति० प्राति० ५-३८, १८-३), गार्ग्य (ऋक् प्राति० १-१५, ६-३६), गौतम (तैत्ति० प्रा० ५-३८, मैत्रा० प्रा० ५-४०), जातूकर्ण्य (वाज० प्रा० ४-१२५, १६०), पौष्करसादि (तैत्ति० प्रा० ५-३७, ३८, १३-१६), पाणिनि (लघु ऋक्सन्त्र), प्लाक्षि (तैत्ति० प्रा० ९-६, १४-११), प्लाक्षायण (तैत्ति० प्रा० ६-९, १४-११), वाभ्रव्य (ऋक्सन्त्र ११-६५), बृहस्पति (ऋक्सन्त्र १-४), भारद्वाज (ऋक्सन्त्र १-४), भारद्वाज (तैत्ति० प्रा० १७-३), मीमांसक (तै० प्रा० ५-४२), यास्क (ऋ० प्रा० १-४२),

१. २-४-६३, ४-१-९६ तथा ७-३-२०।

२. ४-१-१४, वा० ३, पृ० ३६।

३. वैयाकरणानां शाकटायनो रथमार्गं आसीनः शकटसार्थं धान्तं नोपलेभे।-३-२-११५, पृ० २५०।

४. ३-३-१, श्लो० वा० २, ० २८४।

व्याडि (ऋक्प्रा० ३-२३, २८ तथा ६-४३), शाकटायन (ऋक् प्रा० १-१६ तथा १३-३९), शाकल्य (ऋक् प्रा० ३-१३, २२), शौनक (ऋक् प्रा० १-१)।^१ इस विषय पर प्रस्तावना में विशेष विवेचन किया गया है।

सग्रह-सूत्र की चर्चा भाष्य में आई है। यह सग्रह-सूत्र इस समय उपलब्ध नहीं है। पतञ्जलि ने शब्द के नित्यानित्यत्व के विषय में इसका मत प्रमाण-रूप में उद्धृत किया है।^१ उद्योतकार के मत से सग्रह के प्रणेता व्याडि थे। भाष्य में शब्द आकृति का वाचक है अथवा द्रव्य का, इस विषय के विवेचन में वाजप्यायन और व्याडि दोनों के मत का उल्लेख किया है। वाजप्यायन शब्द को जाति या आकृति का अभिधायक मानते थे और व्याडि द्रव्य या व्यक्ति का।^२ प्रद्योतकार के मत से सग्रह में एक लाख सूत्र या श्लोक थे।^३ महाभाष्यदीपिका में भी सग्रह को व्याडि-रचित लक्ष-ग्रन्थपरिमाण निबन्ध तथा व्याकरण-शास्त्र का एक ग्रन्थ माना है।^४ भाष्यकार ने दाक्षायण को सग्रह का प्रणेता माना है और उनकी कृति (सग्रह) को शोभन बतलाया है। दाक्षायण दाक्षी-पुत्र पाणिनि के ममेरे भाई रहे होंगे। काशिका (२-४-६०) में दाक्षि को पिता और दाक्षायण को पुत्र कहा है। दाक्षी और दाक्षि बहन भाई ही हो सकते हैं। दाक्षायण, काशिकाकार के अनुसार प्रादेशीय थे। इनके गुरुकुल तथा ग्रन्थ की सार्वजनिक प्रतिष्ठा यहाँतक थी कि उससे स्नातक बने छात्रों का विवाह अच्छे कुल में होता था। इसलिए, कुछ विद्यार्थी श्रेष्ठ कन्याएँ प्राप्त करने के लोभ से उसका अध्ययन प्रारम्भ करते थे।^५ सग्रह व्याकरण का सर्वोत्कृष्ट दार्शनिक ग्रन्थ था। चान्द्र व्याकरण (४-१-६३) में इसे पचक कहा है। नागेश के प्रदीपोद्योत में इसे सर्वाधिक प्रमाण माना है।^६ भाष्य के बहुते-से श्लोक-वार्तिक तथा पूर्वोक्तार्थ सग्रह श्लोक-सग्रह से लिये गये जान पड़ते हैं।^७ वाल्मीकीय रामायण के प्रणयन-काल में भी सग्रह के पठन-पाठन का विशेष प्रचार था, किन्तु पतञ्जलि से कुछ समय पूर्व ही उसका प्रचार कम हो गया था।^८

सग्रह-सूत्र के साथ भाष्य में वार्तिक-सूत्र का भी उल्लेख है। सम्भव है, यह वार्तिक-सूत्र कात्यायन का ही हो। इन्द्र के व्याकरण की भी चर्चा महाभाष्य में आई है। ऐसा विद्वान् था कि स्वयं बृहस्पति ने इन्द्र को प्रतिपद शब्द-पारायण का उपदेश दिया था, किन्तु शब्दों का

१. ६-२-३६, वा० १, पृ० २५७।

२. आ० १, पृ० १३।

३. १-२-६४, वा० २५ तथा ४५, पृ० ५८६ एव ५९०।

४. संग्रहो व्याडिकृत्तो लक्षसंख्यो ग्रन्थः।—महा० दीपिका।

५. व्याड्युपरचितलक्षग्रन्थपरिमाण सग्रहाभिधान निबन्धमासीत्। संग्रहोऽयमस्यैव शास्त्रस्यैकदेशः, महा० दीपिका।—भर्तृहरि।

६. कुमारी दाक्षाः।—६-२-६९ काशि०।

७. एवं च संग्रहादियु तदुदाहरणमसङ्गतं स्यात्।—४-३-३९ प्रदीपोद्योत।

८. ५-२-४८ कैयट।

९. प्रायेण सक्षेपञ्चीनल्पविद्यापरिग्रहान्।

सम्प्राप्य वैयाकरणान् संग्रहस्तामुपागते ॥—वाचस्पत्यदीप, द्वितीय काण्ड, ४८४।

अन्त न मिला ।^१ बृहस्पति से शिक्षा पाकर इन्द्र ने व्याकरण की रचना की । ऐन्द्र व्याकरण लक्ष्य-लक्षण पर आश्रित न होकर प्रतिपदान्वाच्यानाश्रयी था ।

भाष्यकार के समय में व्याकरण-सम्बन्धी अनुसन्धान चरम प्रकर्ष पर था और शिक्षा, निरुक्त एवं प्रातिशास्त्र भी उसी में समाविष्ट हो गये थे । यह सर्ववेदपरिषद शास्त्र माना जाता था, जिसमें भिन्न-भिन्न आचार्यों के विभिन्न मत समादृत थे । किसी एक मत के स्वीकार का आग्रह न था ।^२ व्याकरण-शास्त्र उत्तरा विद्या मानी जाती थी और छन्द शास्त्र में अभिविनीत होने के बाद उसका अध्ययन किया जाता था ।^३

छन्द—सायनादि गण में छन्दोनाम, छन्दोभाषा और छन्दोविविधिता शब्द आये हैं । इनमें छन्दोविविधिता शब्द छन्द शास्त्र के लिए सामान्यतया व्यवहृत था । भाष्यकार के सम्मुख ऋक्-प्रातिशास्त्र, जिसके अन्तिम तीन पटलो में छन्दो का वर्णन है—साम के निदानसूत्र, कात्यायन की अनुक्रमणी और शाखायन श्रौतसूत्र ।^४ ये छन्द शास्त्र-विषयक ग्रन्थ वर्तमान थे । नागेश ने छन्द शास्त्र को प्रातिशास्त्रादि का पर्याय माना है । ऊपर व्याकरण के प्रसंग में व्याकरणाध्ययन से पूर्व छन्द शास्त्र के अध्ययन की जो चर्चा की गई है, उसमें भाष्यकार का भी अभिप्राय प्रातिशास्त्र और शिक्षा से जान पड़ता है । भाष्य में ऋक् (सात पदों का छन्द)^५ द्विपदा (दो पादों की ऋचा), त्रिपदा और चतुष्पदा ऋक् का उल्लेख है ।^६ त्रिष्टुप्, अनुष्टुप् और जगती को चैष्टुभ आनुष्टुभ और जागत भी कहते थे ।^७ भाष्य में ग्रैष्मी (ग्रीष्म शब्द-युक्त) त्रिष्टुप् का उल्लेख है ।^८ इनके अतिरिक्त उत्सादि गण में पवित, उष्णिक् और ककुप् का समावेश है । पाणिनि ने बृहती, विष्टारबृहती और विष्टारपवित छन्दों की ओर संकेत किया है ।^९ प्रत्येक पवित में आठ-आठ पद या पादवाला छन्द अष्टापद कहलाता था ।^{१०} भाष्य में आर्यादि छन्द उद्धृत हैं ।^{११} भाष्य में वैदिक छन्द विष्टार तथा प्रगाथ का उल्लेख है । प्रगाथ छन्दों के विविध प्रकार के समूहों का नाम था । पतञ्जलि ने छन्दोविविधिता के किसी ग्रन्थ का नाम नहीं दिया है ।

१. आ० १, पृ० १२ ।

२. सूर्यवेदपरिषद हींदं शास्त्रम्, तत्र नैकः पन्थाः शक्य आस्थानुमुत्सद्यते ।—६-३-१४, वा० २, पृ० ३०६ ।

३. व्याकरणं नामेयमुत्तरा विद्या । सोऽसौ छन्दःशास्त्रेण्वभिविनीत उपलब्ध्याऽवगन्तु-मुत्सहते ।—१-२-३२, पृ० ५०८ ।

४. शाखाश्रौतसूत्रं ।—७-२७, द्वन्द्वप्रकरण ।

५. ४-१-१, वा० ३, पृ० ८ ।

६. ४-१-९ ।

७. ४-२-५५, वा० १, पृ० १८५ ।

८. ४-१-८६, वा० १, पृ० ९६ ।

९. ५-४-६, तथा ८-३-९४ ।

१०. पङ्क्तौ पङ्क्तौ अष्टौ पदान्यस्येति ।—८-१-१, वा० ६, पृ० २६० ।

११. ८-२-५९, पृ० ३७३ ।

ज्योतिष—उक्त्यादिगण ने ज्योतिष की द्विपदा (पुस्तक) का परिगणन है।^१ अदनादि गण में उत्पात संवत्सर, मूहूर्त्त निमित्तादि के ग्रन्थों की ओर नकेत है। नक्षत्रों का उत्तरेण पाणिनि ने किया था। पतंजलि ने उन्हें और स्पष्ट किया है।^२ भाष्य में सङ्काय मन्त्र और समूहूर्त्त ज्योतिष के अध्ययन की चर्चा है।^३ जिसका अर्थ काठ्या (१८ निन्देय), मूहूर्त्त (दो घड़ी) और कला (१-३ पल) का निरूपण करनेवाले ग्रन्थ-पर्यन्त अध्ययन है। इसी प्रकार आदित्य की गति के विद्यमान होने पर भी उत्सवा दिखाने देना आकाश में सूर्य-चन्द्र के प्रत्यक्ष दिखाने देना पर भी प्रकाश देखकर उनका अनुमान करना आदि वाते भाष्य में उक्त-तत्र मिलती हैं।^४

मीमांसा—भाष्यकार ने मीमांसा^५ और मीमांसक का उल्लेख किया है। ऋषिादिगण में भी पद, ऋषि, शिक्षा और मीमांसा का एक साथ परिगणन है। काण्वहृत्तरी मीमांसाकार का नाम भाष्य में तीन बार आया है।^६ यह तीन अध्यायों में विभक्त थी।^७ इस समय तक मीमांसकों का स्वतंत्र सम्प्रदाय बन चुका था।^८ द्रव्यपदार्थवादी व्याडि भी मीमांसक थे। भाष्य में याज्ञिक वैचारिक, बह्वृच और औक्थिक के साथ मीमांसक का स्मरण किया गया है।^९ भाष्य ने एक नैवाविसमत युवा मीमांसक का मत भी काल के अनस्तित्व के विषय में उद्धृत है।^{१०}

धर्मशास्त्र—इस समय तक याज्ञिक्यादि के समान धर्मशास्त्र एक स्वतंत्र विषय बन चुका था। इसके अन्तर्गत धर्मसूत्र थे। भाष्य में धर्मशास्त्रों के नाम से अनेक वचन उद्धृत हैं।^{११}

अन्य विषय—अन्य विषयों में अगविद्या, क्षेत्रविद्या, वायस-विद्या, गोलक्षप अन्व-लक्षण, शकुन, निमित्त और उत्पात मुख्य थे।

अगविद्या या आकृति-निदान पर परवर्ती काल के ग्रन्थ उपलब्ध हैं। क्षेत्रविद्या में धनुर्विद्या और युद्धकला का समावेश था। ये ऋगयनादिगण ने भी सम्मिलित हैं। धर्मविद्या धर्मशास्त्रों में सम्बद्ध थी। वायस विद्या के अन्तर्गत पक्षियों की विशेषतः वायस की बोली-बोली जाती थी। गो-अश्व-विद्या आगे और विकसित हुई। इन विषय पर तथा गजविद्या पर आगे चलकर विशिष्ट ग्रन्थ लिखे गये। निमित्त के अन्तर्गत शकुन-विचार था और उत्पात में उत्क्रान्त प्रभंजन और विद्युत्पातन सम्मिलित थे। भाष्य में सयोग और निमित्त दोनों का विवेचन किया

१. ४-२-६०।

२. ४-२-३, ४, ५, २१, २२ तथा ४-३-३४ से ३७-१-२-६० से ६३।

३. ६-३-७९, पृ० ३५१।

४. ४-१-३, श्लो० वा० ४, पृ० १८, १९।

५. ४-२-६१।

६. ४-२-६१, वा० ५, पृ० ३४ आदि।

७. ४-२-६५ काशि०।

८. १-२-६४, वा० २४, पृ० ५७९।

९. २-२-२९, पृ० ३७८।

१०. ३-२-१२३, वा० ५, पृ० २५६।

११. १-२-६४, वा० ३९, पृ० ५८७।

गया है। उसमें एक कारिका भी उद्धृत है, जो बतलाती है कि कपिला विद्युत् चमकने पर तेज वायु चलती है और अधिक लाल चमकने पर तेज धूप होती है। इसी प्रकार पीत का परिणाम अन्न की अधिक उपज और शुक्ल का परिणाम दुर्भिक्ष होता है।^१ अगविद्या की दृष्टि से काला तिल जामातू घन होता है और पाणि लेखापतिघ्नी होती है, जैसे कथन भाष्य में मिलते हैं। इस सब से अनुमान होता है कि इन विषयों पर ग्रन्थ भी उपलब्ध रहे होंगे। इसीलिए, भाष्य में इन विषयों के व्यवस्थित अध्ययन की चर्चा है।

आख्यान-आख्यायिका—आख्यान का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में शुन शेष के आख्यान के रूप में मिलता है,^२ जिसे राजसूय यज्ञ में होता सुनाता है। ऐतरेय में आख्यानविदो का भी उल्लेख है। ये लोग आख्यान सुनाने में दक्ष होते थे।^३ ये लोग प्रायः सौपर्ण आख्यान सुनाते थे, जिसे शतपथब्राह्मण में व्याख्यान कहा है।^४ आख्यायिका का प्रथम उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में प्राप्त होता है। इतिहास का उल्लेख पुराण के साथ ही उत्तर वैदिक साहित्य में जाता है। सर्वप्रथम अथर्व, फिर शतपथ और गोपथब्राह्मण में इनकी चर्चा है।^५ शतपथब्राह्मण में एक अन्य स्थान पर इतिहास और पुराण वेद कहे गये हैं।^६ इनमें अन्वाख्यान और इतिहास में अन्तर बतलाया गया है। शतपथब्राह्मण (११-१-६-९) में यह अन्तर स्पष्ट है। गेल्डनर के मत से इतिहासपुराण एक ही ग्रन्थ था, जिसमें सब तरह की कथाएँ सम्मिलित थी, पर यास्क ने ऐसे किसी ग्रन्थ का नाम नहीं दिया है। पतञ्जलि आख्यान, आख्यायिका, इतिहास और पुराण इन चारों को पृथक् मानते हैं। यास्क के मत से इतिहास साहित्य का ही एक भाग है।^७ उनके मत से ऐतिहासिक वे लोग हैं, जो वेदों में पुराण-कथाओं का ज्ञान रखते हैं। ओल्डनवर्ग के मत में आख्यान गद्य-पद्य का मिश्रण है।^८ जातक-कथाएँ भी इस समय प्रचलित हो चुकी थी। भाष्य (१-३-६४) के दोनो श्लोक आदित्योपस्थान जातक के अनुकरण-मात्र हैं।

रामायण-महाभारत—भाष्यकार रामायण और महाभारत दोनों से परिचित हैं। यद्यपि रामायण के पात्रों का विशेष उल्लेख भाष्य में नहीं है, तो भी रामायण का श्लोकांश भाष्य में उद्धृत है।^९ महाभारत शब्द से तो पाणिनि भी परिचित थे। भाष्य में महाभारत के पात्रों के नाम बार-बार आये हैं। अन्धको में श्लाफल्क, श्वेत्रक, उग्रसेन; वृष्णिणों में वासुदेव, बलदेव, वासुदेव कृष्ण, विचक्षसेन; क्रुशों में भीमसेन, नकुल; सहदेव, पार्थ, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुःशासन,

१. २-३-१३, वा० ३, पृ० ४१७।

२. ऐत० ब्रा० १८-१०।

३. वही, ३-२५-१।

४. शत० ब्रा० ३-६-२-७।

५. अथर्व १५-१६-४ शत०; ब्रा० १३-४-३-१२; गोपथ ब्रा० १-१०।

६. शत० ब्रा० १३-४-१२-१३।

७. निरुक्त १-४-६।

८. वैदिक इण्डेक्स, भाग १, पृ० ७७।

९. एति जीवन्तमानन्द. १-३-१-६७, पृ० १३२

दुर्योधन, दुर्दशन, दुर्धर्षण, कर्ण तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों में व्यास, शुक्र (वैयासकि), सत्यभामा तथा पौराणिक नामों में सीतावतिक, वैश्वकि, बृक्र नाम भाष्य में मिलते हैं।^१ इनमें व्यास और कर्ण कान्वीन (कन्यापुत्र) थे।^३ सत्यभामा को केवल भामा भी कहते थे।^१ पांचजन्य भी प्रसिद्ध हो चुका था।^१ उग्रसेन का उल्लेख शतपथ (१३-५-४-३) में भी मिलता है। वहाँ उग्रसेन को राजा कहा गया है। यही पर भीमसेन और श्रुतसेन की चर्चा है। ये सब परीक्षित-मुत्र जनमेजय के भाई थे। सूतपुत्र, उग्रपुत्री, मेरुपुत्री और भोजदुहिता की चर्चा भी पतंजलि ने की है। सूत और उग्रसेन तो महाभारत से सम्बद्ध ही हैं, किन्तु भोज और मेरु से उनका क्या तात्पर्य है, यह स्पष्ट नहीं है।^१ भाष्यकार ने इस बात को बलपूर्वक कहा है कि क्रुश लोग घर्मपूर्वक युद्ध करते थे।^१ उन्होंने महाभारत से सम्बद्ध बहुत-से श्लोकांच महाभारत या अन्यत्र से भी उद्धृत किये हैं, जो काव्य के प्रौढ उदाहरण कहे जा सकते हैं।^१

पुराण—पुराण और इतिहास का साथ उल्लेख भाष्य में है, यद्यपि किसी पुराण का उसमें नहीं है। पौराणिक तथा वैदिक आख्यान अवश्य यत्र-तत्र आये हैं। इनमें उर्वशी का उल्लेख पुरूरवा और उर्वशी के प्रसिद्ध आख्यान की ओर संकेत करता है, जो ऋग्वेद (१७-९५), कृष्णयजुः के काठक, ब्राह्मण, महाभारत के खिलपर्व, हरिवंश और विष्णुपुराण में भी आया है। इसी प्रकार इन्द्रवृत्राख्यान,^१ देवासुर युद्ध^{१०} तथा इन्द्र द्वारा आत्मकुमारी को वर-प्रदान की कथा^{११} एवं अहिल्या-इन्द्र की कथा^{१२} भाष्य में आई है। देवासुरी और राक्षसुरी कृतियों की चर्चा भाष्य में है। यह कथा तैत्तिरीय संहिता (२-४-१) पर आघृत है। इसमें देवों, पितरों और मानवों का एक पक्ष तथा दैत्यों, राक्षसों और पिशाचों का दूसरा पक्ष है तथा देवों द्वारा पड्यन्वपूर्वक असुरों तथा राक्षसों में भेद उत्पन्न कर दोनों को पराभूत करने का वर्णन है।

अन्य काव्य—पतंजलि-काल तक रामायण और महाभारत के अतिरिक्त अन्य काव्य भी लिखे जा चुके थे। भाष्य के प्रारम्भ में ही कात्यायन के वनाये आज श्लोको की चर्चा आई है।

१. ४-१-१५४, वा० ७, पृ० १३९-४०; ४-१-१२० पृ० १४१; ८-१-१५, पृ० २७८; ३-३-१३०, पृ० ३२०; ४-१-१३६, आ० १, पृ० १४; २-२-११, पृ० ३४६ तथा ४-१-९७ वा० १, पृ० १२९।

२. ४-१-१३६।

३. आ० १, पृ० १४।

४. ४-३-६०, श्लो० वा० ३, पृ० २३८।

५. ६-३-७०, वा० ९, पृ० ३४७।

६. ३-२-१२२, वा० २, पृ० २५४।

७. २-२-२४, पृ० ३६९।

८. ५-२-९५, पृ० ४११।

९. वा० १, पृ० ४।

१०. ४-३-८८, वा० १, पृ० २४४।

११. ८-३, पृ० ३१७।

१२. २-३-६२, पृ० ४४९।

निश्चय ही ये श्लोक ग्रन्थ-रूप में रहे होंगे, जिसमें भाष्यकार ने उद्धृत किया होगा।^१ इस समय ऋतु-वर्णनविषयक काव्य-ग्रन्थ भी विद्यमान थे। सम्भवतः, उन्हीं की परम्परा पर आगे चलकर ऋतु-संहार-जैसे ग्रन्थों की रचना हुई। वसन्तादिगण में सब ऋतुओं का समावेश है और भाष्यकार ने उसके अध्ययन को वसन्त अध्ययन (वसन्त सहचरित अध्ययन) नाम दिया है।^२ शिशुकन्दीय, यमसमीय आदि काव्य थे या नाटक, यह तो भाष्य में स्पष्ट नहीं है, किन्तु उसमें उद्धृत पचासो श्लोक इस बात के साक्षी हैं कि काव्य में आलंकारिकता (शाब्दिक और आर्थिक दोनों) आ चुकी थी। वारश्चि काव्य, जालूकश्लोक, भ्राजश्लोक, तित्तिरि-प्रोवत्त श्लोक आदि उल्लेख इस बात के प्रमाण हैं कि कवियों के अतिरिक्त वैयाकरण, धर्मशास्त्री आदि लोग भी अपने विषय को सरस एवं आशुस्मार्य बनाने के लिए पद्य-रचना करते थे। भ्राजश्लोक काव्यधन-प्रणीत माने जाते हैं। वरश्चि, सम्भव है, महापद्म नन्द के मन्त्री रहे हों। आर्यमजुश्रीमूलकल्प में इन्हे अतिराग कहा गया है।^३ भाष्यकार किसी स्तोत्रश्लोकगती से भी परिचित थे।^४ पाणिनि ने श्लोकों से उपस्तवन करने के लिए उपश्लोकयति प्यन्त क्रिया का व्यवहार किया है।^५ कवि लोग कभी-कभी व्याकरण के नियमों की उपेक्षा कर वैदिक प्रयोगों का व्यवहार लौकिक काव्य में भी कर देते थे, किन्तु ऐसे प्रयोग दूषित माने जाते थे।^६ यद्यपि वे छन्दोवत् स्वीकार भी कर लिये जाते थे। पतञ्जलि-कालीन काव्य के दो एक उदाहरण दे देना यहाँ समीचीन होगा—

१. असिद्धितीयोऽनुचचार पाण्डवम् ॥^७
२. सङ्घर्षणद्वितीयस्य बल कृष्णस्य वर्धताम् ।^८
३. अहरहर्नयमानो गामदव पुरुष गजम् ।
वैवस्वतो न तृप्यति सुराया इव दुर्मदी ॥
४. बहूनामप्यचित्तानामेको भवति^९ चित्तवान् ।
पश्य वानरसंन्येऽस्मिन् यदकर्ममुपतिष्ठते ॥
मव मस्याः सचित्तोऽयमेपोऽपि स्याद्यथा वयम् ।
एतदप्यस्य कापेय यदकर्ममुपतिष्ठति ॥^{१०}

१. वा० १, पृ० ५।

२. ४-२-६३, पृ० १८८।

३. वरश्चिर्नामविख्यातः अतिरागो अभूत्तवा।

नित्यं च श्रावके बोधो तस्य राज्ञो भविष्यति ॥

तस्याप्यन्यतमः सत्यः पाणिनिर्नाम माणवः ॥—मंजुश्रीमूलकल्प, ४३३-३७।

४. १-४-६०, वा० ७, पृ० १९२।

५. ३-१-२५।

६. छन्दोवित् कवयः कुर्वन्ति। न ह्योवेष्टिः।—१-४-३, पृ० १३१।

७. २-२-२४, पृ० ३६९।

८. वही।

९. २-२-२९, वा० १, पृ० ३७९।

१०. १-३-२५, पृ० ६४।

अध्याय ४

स्वास्थ्य और शरीर-विज्ञान

भाष्य मे शरीर, शारीरिक सौन्दर्य, शरीर-विकृति, रोग, औषधि आदि के विषय मे जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाष्यकार शरीर-शास्त्र एव आयुर्विज्ञान से पूर्णत परिचित थे।

देह या भोग—भाष्य के अनुसार शरीर, देह,^१ काय एव भोग पर्यायवाची हैं। भोग शब्द के अनेक अर्थों मे शरीर भी एक है। तैत्तिरीयसंहिता (४-६-६) मे कहा है कि जिस प्रकार साँप अपने भोगो से प्राणियो को वेष्टित कर लेते हैं, उसी प्रकार घनुर्घारी मनुष्य चर्म से अपने हाथो का वेष्टन करते हैं। भाष्यकार ने संहिता के इस वाक्य को उद्धृत किया है और स्पष्ट कहा है कि भोग शब्द शरीरवाची भी देखा जाता है। आगे चलकर भोग शब्द 'सर्प के शरीर' का वाचक मान लिया गया।^२

शरीरावयव—देह या भोग के अगो के लिए भाष्य मे शरीरावयव शब्द का व्यवहार हुआ है।^३ यह प्रयोग सामान्य था। वैज्ञानिक दृष्टि से पाणिनि और पतजलि दोनो ने इसे स्वाग कहा है। भाष्यकार ने स्वाग की छह विशेषताएँ बतलाई है—१. द्रव न हो, २. मूर्त्तिमान् हो, ३ प्राणिप्रस्थ हो, ४. अविकारज हो, ५. यदि प्राणी से सयुक्त न हो, तो पहले सयुक्त रहा हो ६. उसी प्रकार किसी मे सयुक्त हो, जैसे प्राणी मे सयुक्त होता है। इनमे प्रथम चारगुण अनिवार्य हैं और शेष दो विशेष परिस्थितियो मे स्वाग की पहचान के लिए है। इस परिभाषा के अनुसार लोहित या रक्त और कफ द्रव होने से, मन, बुद्धि और ज्ञान अमूर्त्त होने से, शाला, सेना आदि के अग के रूप मे प्रचलित मुख, जघन आदि शब्द प्राणिप्रस्थ न होने से और गुड, पिटक, शोफ आदि विकारज होने के कारण स्वांग नही माने जाते, किन्तु रथ्या मे पडे हुए उप्त वेश-श्मश्रु तथा मूर्त्तियो के नासिकादि अवयव स्वाग की सीमा मे आ जाते है।^४

१. ४-३-६०, पृ० २३७।

२. भोगशब्दः शरीरवाच्यपि दृश्यते। अहिरिव भोगः पर्येति बाहुभिः।—५-१-९, पृ० ३०१।

३. ४-३-५५।

४. अद्रवं मूर्त्तमत्स्वाङ्गं प्राणित्थमविकारजम्। अतत्त्वं तत्र दृष्टं च तेन चेततया-युतम्। अप्राणिनोऽपि स्वाङ्गम्। अद्रवमिति किमर्थम् बहुलोहिता बहुकफा। मूर्त्तमिति किमर्थम्? बहुबुद्धिः बहुमनाः प्राणित्थमिति किमर्थम्? श्लक्ष्णमुखा शाला। अविकारजमिति किमर्थम्? बहुगुडुः बहुपिटका। अप्राणित्थं प्राणिनि दृष्टं च स्वाङ्गं भवति—दोषवेगी रथ्या। तेन चेततयायुतम्, प्राणिनोऽपि स्वाङ्गं भवतीति दीर्घनासिष्यर्वा।—४-१-५४, पृ० ६५-६६।

स्वांगों के भेद—स्वांग दो प्रकार के होते हैं—ध्रुव^१ और अध्रुव। जिनके लिन्न हो जाने से प्राणी मर जाय, वे ध्रुव और जिनके काट देने पर भी प्राणी जीवित बना रहे, वे अध्रुव माने गये थे।^२ काशिका ने ध्रुवांगों को एकरूप कहा है।^३ भाष्यकार के मत से मुख, उदर, स्फिक, पृष्ठ, ललाट, पशू, शिर आदि ध्रुव हैं और नख, केश, दन्त, अक्षि, बाहु, भ्रू आदि अध्रुव। भाष्य में निम्नलिखित स्वांगों का उल्लेख है—शिर,^४ ललाट,^५ भ्रू,^६ भ्रुकुटि,^७ अक्षि,^८ कर्ण,^९ कर्ण-मल,^{१०} मुख^{११} या आस्य,^{१२} ककुद,^{१३} नासिका,^{१४} ओष्ठ,^{१५} जिह्वा,^{१६} जिह्वामूल,^{१७} दन्त,^{१८} मूर्धा,^{१९} तालु,^{२०} काकलक,^{२१} कण्ठ,^{२२} हनु^{२३} अस, हृदय^{२४} या स्कन्ध, ग्रीवा,^{२५} मन्या,^{२६} उरस्,^{२७} स्तन,^{२८} हस्त,^{२९} बाहु,^{३०} पाणि,^{३१} अगुलि,^{३२} करान, नख,^{३३} उदर,^{३४} नाभि,^{३५} वलि,^{३६} कटि,^{३७} स्फिग्, गुदा,^{३८} भग,^{३९} सक्थि,^{४०} जानु,^{४१} उरु,^{४२} पशू,^{४३} अष्टीवत्,^{४४} जघा,^{४५} वस्ति,^{४६} पाद,^{४७} प्रपाद,^{४८} पृष्ठ,^{४९} कुक्षि,^{५०} पार्श्व,^{५१} नीवी,^{५२} नितम्ब,^{५३} यकृत्।^{५४}

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| १. ६-२-१७७, पृ० २९१। | २८. ३-२-२९, पृ० २१५। |
| २. ३-४-५४ का०। | २९. १-१-४९, पृ० २९७। |
| ३. ६-२-१७७, पृ० २९१। | ३०. १-३-२, पृ० १८। |
| ४. १-३-६६, पृ० ८४। | ३१. २-४-१६, पृ० ४६९। |
| ५. ४-३-६५। | ३२. १-४-१८, पृ० १४७। |
| ६. ३-३-५४ का०। | ३३. ६-३-७५। |
| ७. ६-३-६१, पृ० ३४०। | ३४. १-४-२४, पृ० १६२। |
| ८. ३-४-५४ काशिका। | ३५. ५-१-२, पृ० २९६। |
| ९. ४-३-६५। | ३६. ५-२-१३९। |
| १०. ५-२-२४। | ३७. १-४-६०, पृ० १९१। |
| ११. १-१-८, पृ० १५६। | ३८. ऋडादिगण, ४-१-५६। |
| १२. १-१-९, पृ० १५९। | ३९. वही। |
| १३. आ० १, पृ० ११। | ४०. ५-४-११३, पृ० ५०८। |
| १४. १-१-८, पृ० १५६। | ४१. ४-३-३०। |
| १५. १-१-९, पृ० १५९। | ४२. ५-२-३७, पृ० ३७८। |
| १६. ४-१-५९। | ४३. ६-२-१७७, पृ० २९१। |
| १७. ४-३-६२, पृ० २३८। | ४४. ८-२-१२। |
| १८. ५-२-१०६। | ४५. ६-२-११४। |
| १९. ५-४-११५। | ४६. ४-३-५६। |
| २०. १-१-५०, पृ० ३०१। | ४७. २-४-१६, पृ० ४६९। |
| २१. १-१-९, पृ० १५९। | ४८. ५-२-८। |
| २२. १-१-५०, पृ० ३०१। | ४९. १-३-१, पृ० ८। |
| २३. ४-३-५८, पृ० २३६। | ५०. ४-३-५६। |
| २४. ६-३-५०। | ५१. ४-३-६०, पृ० २३७। |
| २५. ४-२-९६। | ५२. ४-३-३०। |
| २६. ३-३-९९। | ५३. ८-४-१०, पृ० ४७९। |
| २७. आ० १, पृ० ७। | ५४. ६-१-६३। |

इनमें शिर को शीर्ष भी कहते थे। वेदों में शिर के लिए शीर्ष और शीर्षन्^१ शब्द मिलते हैं। लोक में शीर्षन् प्रचलित नहीं था। वार्त्तिककार ने शिरस् को शीर्षन् और शीर्ष आदेश बतलाये हैं। शीर्ष पर होने के कारण केशों को शीर्षण्य या शिरस्य कहते थे। शीर्ष शरीर का सर्वोच्च भाग है।^३ इसलिए, मुख्य के लिए भी शीर्षण्य शब्द व्यवहार में आता था।^४ भाष्य में शिर और जानु के मोड़ने का उल्लेख है^५ तथा बतलाया गया है कि उरस् कण्ठ तथा शिर क्रमशः उत्तर स्थानीय^६ है। पके हुए वालोंवाला शिर पलित कहलाता था।^७

ललाट या मस्तक शिर का अग्रभाग है। यही पर 'ललाटिका' नामक आभूषण पहना जाता था।^८ भ्रू, अक्षि-भ्रू या भ्रुकुटि मस्तक के नीचे भीहो का नाम था।^९ कर्ण को श्रोत्र भी कहते थे। शब्द को श्रोत्रोपलब्धि कहा है।^{१०} कर्ण के मूल को कर्णजाह कहते थे।^{११} कर्ण के समीप का स्थान उपकर्ण कहलाता था।^{१२} अक्षि के लिए चक्षुप् का भी प्रयोग भाष्य में हुआ है। जैसे एक चक्षुष्मान् देखने में समर्थ है, तो सौ चक्षुष्मान् इकट्ठे होकर भी देख सकते हैं।^{१३} भाष्य में पिंगल नेत्रों की चर्चा है।^{१४} स्वस्थ रखने के लिए नेत्रों में काजल लगाने की प्रथा थी।^{१५} हनु ठुड्डी का वाचक था। हनु के चारों ओर होनेवाली वस्तु पारिह्वय कही जाती थी। मूत्र और आस्य भी समानार्थी हैं। लोक-व्यवहार में आस्य ओष्ठ से काकलक तक के प्रदेश को कहते थे। वर्णं मुह से क्षिप्त या असित होते हैं, इसलिए उसे आस्य कहते थे। मुह अन्न का आस्यन्दन (परिचालन) करता है, इसलिए भी वह आस्य कहा जाता था।^{१६} काकुद^{१७} या तालु के पास सप्त विभक्तियाँ क्षरित या प्रस्रवित होती हैं। तालु वर्णों का उच्चारण-स्थान भी है। मूर्धा

१. ६-१-६०, पृ० ८४।

२. वही।

३. वही।

४. १-३-६६, पृ० ८४।

५. १-२-३०, पृ० ५०५।

६. ८-२-२५, पृ० ३४९।

७. ४-३-६५।

८. ६-३-६१, पृ० ३४०।

९. आ० २, पृ० ४२।

१०. कर्णस्य मूलं कर्णजाहः।—५-२-२४।

११. ४-३-३०।

१२. आ० २, पृ० ७७।

१३. ७-१-७७, पृ० ७३।

१४. ८-२-४८, पृ० ३६७।

१५. लौकिकमास्यनोष्ठात् प्रभृति प्राक् काकलकात्। कथं पुनरास्यम्? अस्यग्यनेन घर्णानित्यास्यम्। अन्नमेतदास्यन्दने इति वास्यम्।—१-१-९, पृ० १५९।

१६. आ० १, पृ० ११।

इससे भी ऊपर है^१ और काकलक^२ इससे भी आगे कण्ठ में। जिह्वा(मूलक कण्ठ के नीचे है। यह जिह्वा(मूलीय कख के उच्चारण का स्थान^३ है। मूर्धासे उच्चरित वर्ण मूर्धन्य कहलाते थे।^४ बोला जानेवाला शब्द तीन स्थानों उर, कण्ठ और गिर में बद्ध होता, अर्थात् रुकता है।^५ भाष्य के मत से यह उच्चारण का प्रक्रम है।^६ शरीर के भीतर नाभि के निम्नप्रदेश, नाभि और हृदय को गुहा नाम दिया गया है।^७ उच्चारण के लिए कण्ठ को विवृत किया जाता है। कण्ठ को फैलाकर बोलनेवाले को 'विवृत-कण्ठ' कहते हैं।^८ जिह्वा बोलने का साधन है। इसी के सहारे वक्ता अपनी बात कहता है। जिह्वा यदि स्निग्ध और श्लक्ष्ण हुई, तो प्रयोक्ता मृदु, स्निग्ध और श्लक्ष्ण शब्दों का प्रयोग करता है।^९ दाँतों को साफ रखना आवश्यक है। जो लोग उन्हें साफ रखते हैं, उनके दाँत शुक्ल होते हैं, अन्यथा वे काले-काले दिखते हैं।^{१०} रुर्णजाह कर्ण के मूल का नाम था।^{११}

इन शरीरान्तों के अतिरिक्त नाडी, घमनी,^{१२} लोहित,^{१३} अस्थि,^{१४} चर्म, केश,^{१५} लोम एव बलि^{१६} का उल्लेख भाष्य में हुआ है। उसमें शरीर को बहुनाडि और ग्रीवा को बहुतन्वि या बहुघमनि कहा है।^{१७} घमनी और तन्वी शब्द पर्याय हैं। भाष्य के मत से ग्रीवा शब्द भी घमनी-वाचक है। ग्रीवा घमनियों का केन्द्र है। ग्रीवा में बहुत-सी घमनियों के एकत्र रहने के कारण ही ग्रीवा शब्द को भी अनेक वार बहुवचन कर दिया जाता है।^{१८} आनन्द से खड़े केशों या

१. ५-४-११५।

२. १-१-९, पृ० १५९।

३. ४-३-६२, पृ० २३८।

४. ४-१-१६१, पृ० १५३।

५. त्रिधा बद्धस्त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसि कण्ठे शिरसीति।—आ० १, पृ० ७।

६. १-२-३०, पृ० ५०५।

७. आ० १, पृ० ७।

८. १-१-९, पृ० १६०।

९. प्रयोक्ता हि मृद्व्या स्निग्धया श्लक्ष्णया जिह्वया मृदून् स्निग्धान् श्लक्ष्णान् शब्दान्

प्रयुङ्क्ते।—५-१-१६, पृ० ३०६।

१०. २-२-८, पृ० ३४३।

११. ५-२-२४।

१२. ५-४-१५९।

१३. ४-१-५४, पृ० ६५।

१४. ७-१-७५।

१५. ७-२-२९, पृ० १२०।

१६. ५-२-१३९।

१७. ५-४-१५९ काशिका।

१८. ४-३-५७ काशिका।

रोओ को हृषित या हृष्ट कहते थे।^१ प्रतिघात ने भी कुण्ठित दाँत हृषित या हृष्ट ही बने जाते थे।^२

अंग-विन्यास और आढ्यंकरण—शरीर के सौन्दर्य के लिए अंगों का समुचित आकार, विन्यास तथा मार्दव आवश्यक है। आढ्यंकरण एक सीमा तक ही सहायक हो सकता है।^३ आढ्यंकरण या सज्जा की भाष्यकार ने तीन कोटियाँ बतलाई हैं—दुराढ्यभव, उपदाढ्यभव और स्वाढ्यभव।^४ प्रथम तो शरीर को और विकृत कर देता है। अधिक या अनावश्यक सज्जा से शरीर और दुराढ्य हो जाता है। थोड़ी सज्जा कभी-कभी सौन्दर्य-वृद्धि में सहायक होती है। स्वाढ्यंकरण में वास्तव में कलापूर्ण ढंग से वस्त्रानुषण पहनना, मुख एवं शरीर पर विविध अनुलेप, पत्र-रचना आदि सम्मिलित हैं। किन्तु, यह सब सुन्दर शरीर पर ही शोभता है। भाष्यकार की दृष्टि अंगों की सुन्दर रचना की ओर रही है। उन्होंने यह यत्र-तत्र एतद्विपरक सकेत दिये हैं। उदाहरणार्थ, 'सुगिरा' सिर की निर्दोष बनावट के लिए है।^५ उनका ठीक उलटा द्विमूर्ध या त्रिमूर्ध है, जिसके एक ही सिर दो-तीन सिर से जुड़े मालूम होते हैं।^६ ललाट का बढ़ा होना सौन्दर्य और सौभाग्य दोनों का सूचक है। बड़े चाँडे ललाटवाला प्रललाट और चाँडी पीठवाला व्यक्ति प्रपृष्ठ कहलाता था।^७ पृष्ठ का चौड़ा होना सीने या वक्ष की चाँडाई का सूचक है। चाँडी छातीवाले को व्यूढोरस्क या महोरस्क कहते थे।^८ पीछे की ओर झुके हुए ललाटवाले को 'प्रत्यगललाट'^९ कहते थे। आगे लटकते हुए गुल्फ, अर्थात् प्रागुल्फ^{१०} ललाट के सौन्दर्य को द्विगुणित करते हैं। अक्षि तो जीवन का आधार ही है। उनका सुन्दर तथा स्वस्थ होना आवश्यक है। भाष्य में दर्शनीय नेत्रों और सुकुमार पादों की चर्चा है, जिनका उल्लेख वक्ता मगर्त्र करता है।^{११} आँखों का हल्का लोहित होना सौन्दर्य और स्वास्थ्य दोनों का परिचायक है। इनील्लि ए लोहिताक्ष^{१२} व्यक्ति सुन्दर माना जाता था। नासिका का तुंग होना एवं नाडुओं का वृत्त होना भी सौन्दर्य-वर्धक था।^{१३} देवताओं की पूजा की वनाई हुई मूर्तियों की नासिका भी दीर्घ और तुंग

१. ७-२-२९, पृ० १२०।

२. ७-२-२९, पृ० १२०।

३. १-१-७२, पृ० ४५२।

४. ३-३-१२७, पृ० ३२०।

५. ६-२-११७, पृ० २७८।

६. ५-४-११५।

७. ६-२-१७७, पृ० २९२।

८. आ० २, पृ० ७५।

९. ४-१-६०, पृ० ७१।

१०. वही।

११. १-४-२१, पृ० १५१।

१२. १-३-२, पृ० १९।

१३. व्यूढोरस्को वृत्तबाहुर्लोहिताक्षस्तु नासो विचित्राभरण ईदृशो देवदत्त इति।—

१-३-२, पृ० १८।

होती थी।^१ कुक्षि या पादर्व मे असि लटकाई जाती थी। इसीलिए, असि को कौक्षेयक^२ कहते थे। भाष्य मे पादर्वतीय^३ शब्द का भी प्रयोग मिलता है। छोटे-पतले पेटवाले को अनुदर और बड़े या लम्बे पेटवाले को प्रोदर^४ कहते थे। अनुदर कन्या सौन्दर्यशालिनी गिनी जाती थी।^५ स्फिक, नितम्ब, सक्थि, जानु, जघा और उसके सौन्दर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। प्रस्फिक,^६ चक्रनितम्बा,^७ चक्रसक्थी नारी^८ सुन्दर मानी जाती थी। उरुबली, कदलीस्तम्भोर, वृत्तोर, करभोर, सहितोर, सहोर होना स्त्रियो के लिए गर्व की बात थी। सुस्तनी^९ और सुकेज्ञा स्त्रियो के काम्य विशेषण थे। गोकर्ण,^{१०} खरकर्ण,^{११} गोजघ, अश्वजघ, एणीवध^{१२} शब्द शारीरिक गठन के सूक्ष्म निरीक्षण के परिचायक हैं। मेरा कान अच्छी तरह सुनता है, मेरी आँख अच्छी तरह देखती है,^{१३} यह बात स्वस्थ व्यक्ति ही गर्व से कह सकता था। हृदय तो स्वागो का सम्राट् ही है। हृद्य, हृल्लास और हृल्लेख शब्द हादिक उल्लास को व्यक्त करते हैं।^{१४}

अंग-विकृति—जिस प्रकार सुगठित और स्वस्थ अंग प्रीति उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार विकृत अंग विरक्ति का भाव जाग्रत् करते हैं। भाष्य मे सुन्दर अंगो के समान विकृतांगो का भी उल्लेख है। सुशिरा का ठोक उलटा द्विमूर्ध या त्रिमूर्ध है।^{१५} किसी-किसी व्यक्ति के सिर की वनावट इस प्रकार की होती है कि एक मे तीन सटे हुए सिर प्रतीत होते हैं। ऐसे व्यक्ति को द्विमूर्ध या त्रिमूर्ध कहते हैं। इसी प्रकार, स्यूलशिरा, हृस्तिशीर्ष, पीलुशीर्ष लोग भी विकृत सिर-वाले ही कहलाते थे।^{१६} लोहित^{१७} और पिगल^{१८} नेत्रो मे लोहित सुन्दर माने जाते थे। जिन नेत्रो

१. ४-१-५४, पृ० ६६।
२. ४-२-९६।
३. ४-३-६०, पृ० २३७।
४. १-४-६०, पृ० १९१।
५. १-४-२, पृ० १६२।
६. १-४-६०, पृ० १९१।
७. ८-४-१०, पृ० ४७९।
८. ५-४-११३, पृ० ५०८।
९. ४-१-३, पृ० १६।
१०. ६-२-११३ काशिका।
११. वही।
१२. १-२-५९, पृ० ५।
१३. ६-३-५० काशिका।
१४. ५-४-११५।
१५. ६-१-६१, पृ० ८५।
१६. १-३-२, पृ० १८।
१७. अक्षी ते इन्द्रपिङ्गले।—७-१-७७, पृ० ७३।

से पानी बहता रहता है, उन्हे चिल्ल या पिल्ल कहते थे।^१ जिस व्यक्ति की आँखें चिपचिपाती होती थी, वह भी चिल्ल या पिल्ल कहलाता था।^२ जो व्यक्ति बात करते समय एक आँव को दबाता या भीहे चलाता था, उसके लिए कहा जाता था कि यह व्यक्ति 'अक्षिनिकाण' से बोलता है या सन्नैविक्षेप बात करता है।^३ अक्षिहीन व्यक्ति को अन्ध कहते थे। अन्ध दो प्रकार के होते हैं—जनुषान्ध^४ तथा अन्य। जनुषान्ध जन्म से ही अक्षिहीन होते हैं। समाज के लोग जनुषान्धों की देख-रेख करते थे। हर व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता था कि वे खाग-खड्ड या कुएँ में न गिर पड़ें।^५ काण उसे कहते थे, जिसे सारी वस्तु न दिखाई पड़े। 'यह अन्धों में काणतम है', भाष्य ने इस वाक्य का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा है कि 'कणि' धातु का प्रयोग सूक्ष्म, अर्थात् कम देखने के अर्थ में होता है। अतः, कम देखनेवालों में सबसे कम देखनेवाले के सम्बन्ध में इस वाक्य का प्रयोग होता है।^६ अन्ध और काण से भिन्न विकृताक्ष^७ का भी उल्लेख भाष्य में मिलता है। नेत्र में पुष्पक या फुली का होना भी विकृति है। जिसके नेत्र में पुष्पक हो, उसे भी पुष्पक कहते थे।^८ 'किरिकाण' शब्द का प्रयोग भी भाष्य में है।^९

नासिका-सम्बन्धी विकारों के लिए भाष्य में बहुत शब्द आये हैं। तुग^{१०} और दीर्घ नासिका यदि सौन्दर्य का चिह्न थी, तो चपटी, झुकी और छोटी नाक कुलूपता की जननी। बड़ी और ऊँची उठी हुई नासिकावाला मुख प्रणस और उन्नस कहलाता था।^{११} यह भी विकार था। प्रणस और उन्नस शब्द सामान्य से अधिक बड़ी और ऊँची नासिकावाले मुख के लिए प्रयुक्त होते थे। नासिका के झुकाव या नमन को अवटीट, अवनाट या अवभ्रट कहा जाता था।^{१२} निविद्र, निविरीस,^{१३} चिकिन और चिपिट^{१४} शब्द भी इस अर्थ में आते थे। ये शब्द सज्ञा थे। असज्ञा-शब्द चिकित, चिपिट और चिपक^{१५} शब्द भी इसी अर्थ में प्रचलित थे। नासिका के लिए

१. ५-२-३३, पृ० ३७७।

२. वही।

३. ३-४-५४ काशिका।

४. ६-३-३, पृ० २९९।

५. कूषादन्धं वारयति, पश्यत्यन्धः कूर्पं मा प्रापदिति।—१-४-२७, पृ० १६३।

६. ५-३-५५, पृ० ४४५।

७. ६-३-३, पृ० २९९।

८. १-२-३१, पृ० ५०६।

९. २-१-१, पृ० २२७।

१०. ४-१-५४, पृ० ६६।

११. १-४-६०, पृ० १९१।

१२. ५-२-३१।

१३. ५-२-३२।

१४. ५-२-३३, पृ० ३७७।

१५. वही।

अनेक उपमान प्रसिद्ध थे, जो भिन्न प्रकार की विकृतियों के सूचक थे। द्रुणस, खरनस, खुरणस, गितिनस, अचनस और अहिनस इसी प्रकार के शब्द थे।^१ उन्नस और प्रणस उन्नत और बड़ी नासिकावाले व्यक्ति कहलाते थे।^२ खरणस सरल या सीधी तथा खुरणस सपाट या फैली हुई नासिकावाले का विशेषण था। नकटा पुरुष विग्र या विख्य कहा जाता था।^३ मिनमिनाकर, अर्थात् नासिका के सहारे धोलनेवाले लोग जो मुखनासिकावचन कहलाते थे, व्यग्र के पात्र थे।

प्रस्फिक् या प्रोदर होना भी शरीर से विकृत होना बतलाता था।^४ स्त्री के लिए चक्र, सक्थी^५ होना विकार का नहीं, सौन्दर्य का सूचक था। तुन्द तोदीले व्यक्ति को कहते थे। तुन्द व्यक्ति अलस होते हैं।^६ इन्हे तुन्दपरिमृज कहते थे। बस तोद पर हाथ फेरना इनका काम रहता है। जो यो ही पेट का परिमार्जन करता हो, उसे तुन्दपरिमार्ज कहते थे।^७ अनावश्यक लम्बा व्यक्ति घाट कहलाता था।^८ जिसकी नाभि बड़ी, वाहर निकली रहती थी, उसका नाम तुन्दिम और जिसके पेट में मुटापे के कारण बल पडते थे, उसका नाम वलिम^९ था। नखों की बनावट बुरी होने पर कुनाख या कुनाखी सजा मिलती थी।^{१०} सूर्पनखों की भी कमी न थी।^{११}

खरमुख, उष्ट्रमुख मुख-विकृति के सूचक थे।^{१२} दन्तुर^{१३} लम्बे बड़े दाँतोंवाले का नाम था। यह सुदत् या सुदती का ठीक उल्टा था। गौर मुख सौन्दर्य का द्योतक था।^{१४} जिसके हाथ या पाँव में पाँच के स्थान पर छह अँगुलियाँ होती थी, उसे षडिक कहते थे।^{१५} प्रतिशीन (वाकला) होना भी विकृति का बोधक था। त्वक् या चमड़ी पर तिल किसी-किसी के बहुत अधिक होते हैं।

१. ५-४-११८, पृ० ५१०।

२. ५-४-११९, पृ० ५१०।

३. वही।

४. ६-२-१७७, पृ० २९१।

५. ५-१-११३।

६. १-२-३१, पृ० ५०६।

७. तुन्दपरिमृजोऽलसः। यो हि तुन्दं परिमार्ष्टि तुन्दपरिमार्जः स भवति।—३-२-५, पृ० २१०।

८. ६-१-१५८, पृ० १९५।

९. ५-२-१३९।

१०. २-३-६२, पृ० ४४९।

११. ४-१-५८।

१२. आ० २, पृ० ७७।

१३. ५-२-१०६।

१४. ४-१-५८।

१५. अनुकम्पितः षडङ्गलिः षोडिकः।—१-४-१८, पृ० १४७।

ये चर्मतिल कहलाते थे।^१ इसी प्रकार काले चित्तेवालो को कालक कहते थे।^२ पाणि सामृत भी होते हैं और विपोक्षित^३ भी। पीठ और पाणि-मादो की नियमित सफाई उन्हें सुकुमार बनाये रखती है। उन्हें उन्मृद् बनाये रखना आवश्यक माना जाता था।^४ पाद यदि विकृत हुए, तो चलना-फिरना बन्द हो जाता है। भाष्य में ऐसे व्यक्ति को पंगु कहा है।^५

भाष्य में मनुष्य की कुछ ऐसी आदतो का उल्लेख है, जिनका सीधा सम्बन्ध शरीर से है। उदाहरणार्थ, अक्षिनिकाण या आँख दवाकर बोलना,^६ भ्रूविक्षेप या भौंह मटकाकर बोलना,^७ उद्वाहु या हाथ उठाकर बोलना,^८ शिर उत्क्षिप्त करके बोलना,^९ मुखनासिक^{१०} या भिन-मिनाकर बोलना ये भाषण या उच्चारण से सम्बन्ध रखते हैं। खरकण्ठ का सम्बन्ध भी उच्चारण से ही है।^{११} जिन लोगो की नासिका सोते समय बजती है, उनके लिए नासिकन्धम विशेषण था।

पुरुषायुष—शरीरागो, शरीर-सौन्दर्य और शारीरिक-विकृतियों के अतिरिक्त महा-भाष्य में रोगों, उनके कारणो एव ओषधियों के विषय में अनेक उल्लेख मिलते हैं। पुरुष की अपेक्षित आयु को, जो सौ वर्ष से अधिक थी, पुरुषायुष कहा जाता था।^{१२} कुछ लोग सामान्य से हूनी या तिगुनी आयु प्राप्त कर लेते थे। ये द्वायुष और त्र्यायुष कहे जाते थे।^{१३} भाष्यकार के समय में आयु की सीमा नीचे गिरने लगी थी। सौ वर्ष की आयु मिल जाना बहुत बड़ी बात हो गई थी।^{१४} भाष्यकार के मत से जीने का आनन्द तब है, जब शरीर में कोई रोग न हो।^{१५} सामान्य स्वास्थ्य के नीचे व्यक्ति क्रश या पाण्डु हो जाता है।^{१६} दुर्बल मनुष्य अपना काम भी नहीं कर पाता।

१. ८-४-१०, पृ० ४७९।

२. १-२-३१, पृ० ५०६।

३. ८-१-८, पृ० २७१।

४. १-३-१, पृ० ८।

५. ४-१-६८।

६. ३-४-५४ काशिका।

७. वही।

८. ६-२-१७७, पृ० २९२।

९. ३-४-५४ का०।

१०. मुखनासिकं वचनं यस्य सोऽयं मुखनासिकावचनः।—१-१-८, पृ० १५६।

११. ६-२-११४।

१२. ५-४-७७, पृ० ५०३, ४।

१३. वही।

१४. यः सर्वथा चिरं जीवति वर्षशतं जीवति।—आ० १, पृ० १२।

१५. एति जीवन्तमानन्दो नास्य किञ्चिद्ब्रूजतीति।—१-३-१२, पृ० ५६।

१६. १-१-५०, पृ० ३०९।

यदि वह बलवान् के बराबर काम कर ले तो बड़ी बात है।^१ कभी-कभी रोग या अन्य कारणों से जब जीवन भार हो जाता है, तब मनुष्य विष खा लेना अधिक अच्छा समझता है।^२ उदाहरणार्थ, पपिक (बैसाखी से चलनेवाला) पगु दुःखार्त्त ही रहता है।^३ आयुवर्धक पदार्थों में भाष्यकार की दृष्टि में घृत का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने घृत को प्रत्यक्ष आयु^४ कहा है। साठ वर्ष या सत्तर वर्ष जीनेवाले षाष्टिक या साप्ततिक कहे जाते थे।^५ भाष्य के ये उदाहरण जो आयुपरिमाण बतलाने के लिए दिये गये हैं, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि मनुष्य की सामान्य आयु सत्तर या साठ वर्ष की होती थी। उन्होंने भगवान् वाष्यायणि के अनुसार आयु के छह भाग किये हैं—जन्म, सत्ता, विपरिणाम, वृद्धि, अपक्षय और विनाश।^६ व्याधि की भी तीन स्थितियाँ होती हैं—स्थिति वृद्धि और अपक्षय। स्थिति यथावत् वृद्धि-क्षय-विरहित अवस्था का नाम है।^७

गर्भावस्था—जन्म के पूर्व की अवस्था की भी चर्चा भाष्य में आई है। एक स्थान पर उन्होंने उपपान के रूप में गर्भ की चर्चा करते हुए कहा है कि क्रिया कोई वस्तु नहीं है, जिसे निलुण्ठित या पिण्डीभूत गर्भ के समान पकड़कर दिखाया जा सके।^८ गर्भिणी सब प्रकार स्वस्थ एवं प्रसन्न है।^९ बढ़ता हुआ गर्भ सर्वांगपूर्ण हो गया है।^{१०} समीची एक शिशु को दूध पिला रही है।^{११} वच्चा उंगली या मुट्ठी चूस रहा है।^{१२} अभी यह स्तनध्वय^{१३} ही है। माता प्रथम गर्भ में ही वच्चा जनकर मर गई,^{१४} जैसे कथन इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि भाष्यकार गर्भावस्था की कठिनाइयों, भ्रूण के विकास और प्रजनन-सम्बन्धी छोटी-सोटी बातों से पूर्ण परिचित थे। वे यह भी जानते थे किस प्रकार गर्भकाल में बालक के अपांग या अपाग होने का पता लगा लिया जा सकता है।

१. १-३-११, पृ० ४६।

२. १-४-५०, पृ० १७५।

३. ४-४-१०।

४. आयुर्धृतम् आयुषो निमित्तमिति गम्यते।—१-१-५९, पृ० ३८५।

५. ५-१-५८, पृ० ३२६।

६. षड्भावविकारा इति ह स्माह भगवान् वाष्यायणि। जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति।—१-३-१, पृ० १।

७. वही।

८. १-३-१, पृ० ४४।

९. २-१-७१, पृ० ३३०।

१०. ६-२-१०६, पृ० ३९८।

११. १-३-८९, पृ० ९५।

१२. ३-२-२९, पृ० २१५।

१३. वही।

१४. १-१-२५, पृ० २०२।

शरीर-रोग—रोग को उपताप, व्याधि और स्पर्श कहते थे।^१ स्पर्श, सम्भवतः सक्रामक रोग कहलाते थे। भाष्य में बहुते-ते रोगो तथा औपधियों के नाम मिलते हैं। जानु^२ या घुटनों को पीडा चातिक होती है। खाज या खुजली से पीडा कम नहीं होती।^३ कण्डूति या कण्डू में जब वेदना का अनुभव होता है, तब उसे रोग समझना चाहिए।^४ सामान्य हिविकत, हमित या कण्डूयित ध्यान देने की वस्तु नहीं। वे रोग नहीं हैं।^५ दधि और त्रपुस (फलविशेष, खीरा) मिलाकर खाने से ज्वर आ जाता है। यह प्रत्यक्ष ज्वर है।^६ ज्वर कई प्रकार के होते हैं। कोई प्रति दूसरे दिन चढ़ता है और कोई चौथे दिन। इन्हे क्रमशः द्वितीयक और चतुर्थक ज्वर कहते थे।^७ विष-पुष्पो के सम्पर्क से एवं काश-पुष्पो के स्पर्श से भी ज्वर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ज्वर क्रमशः विषपुष्पक और काशपुष्पक कहे जाते थे।^८ उष्णक ज्वर में रोगी को ताप अधिक मालूम होता है और शीतक ठंड या जूड़ी देकर बढता है।^९ कण्ठ और गिर के फोड़े तो सामान्य बात हैं।^{१०} बहुगड, बहुपिटक, बहुगोफ (सूजन) चिन्ता^{११} के विषय होते हैं। भाष्यकार इन नव बातों से अभिन्न थे। शरद् ऋतु के प्रारम्भ होते ही मलेरिया या मीसमी ज्वर, सरदी, खामो चल पडते हैं। ये शरद् में होनेवाले मीसमी रोग शारद या शारदिक कहे जाते थे।^{१२} अतीसार,^{१३} छदिका^{१४} (वमन-व्याधि), प्रवाहिका^{१५} (दस्त), सन्निपात,^{१६} वैपादिक^{१७} (पादरोग), ददु (दाद),^{१८} अण्डकोष की वृद्धि या मुष्कता,^{१९} अरोचकता या अरुचि,^{२०} अर्ग,^{२१} कुष्ठादि उपताप,^{२२} वातरोग,^{२३} हृद्रोग या हृदयरोग,^{२४} विगलित (गलित कुष्ठ उपताप) विकम्पित (वात-कम्प)^{२५} न्युञ्ज^{२६} (जिसमें व्यक्ति पालवा होकर ही सो सकता है), सज्वर (जीर्णज्वर),^{२७} निधम (एक प्रकार का कुष्ठ^{२८} (श्वेतकुष्ठ), उत्कन्दक,^{२९} प्रच्छदिका (अम्लपित्त),^{३०} विचचिका (गुजली),

१. ३-३-१६, पृ० २९५।
२. १-१-१८, पृ० १८८।
३. १-१-५८, पृ० ३७६।
४. ३-१-२७, पृ० ८२।
५. आ० १, पृ० २४।
६. १-१-५९, पृ० ३८५।
७. ५-२-८१ का०।
८. वही।
९. वही।
१०. २-२-३५, पृ० ३९१।
११. ४-१-५४, पृ० ६६।
१२. ४-३-१३।
१३. ३-३-१७, पृ० २९५।
१४. ५-४-४९।
१५. ३-३-१०८ का०।

१६. ५-१-३८, पृ० ३२२।
१७. ५-२-१०३, पृ० ४१५।
१८. ५-२-१००, पृ० ४१४।
१९. ५-२-१०७।
२०. २-३-१३, पृ० ४१७।
२१. ५-२-१२७ का०।
२२. ५-२-१२८ का०।
२३. ५-२-१२९।
२४. ५-३-५१ का।
२५. ६-४-२४, पृ० ४०६।
२६. ७-३-६१, पृ० २०१।
२७. ३-२-१४२।
२८. ५-२-९६, पृ० ४१२।
२९. ८-४-६१, पृ० ४९९।
३०. ३-३-१०८ का०।

आस्राव^१ (मूत्रातिसार), पामन्^२ (चर्मरोग), विक्षाय (खाँसी) आदि रोगों का भाष्यकार को निकट ज्ञान था। दद्रुवाले व्यक्तियों को दद्रुण, पामन् के रोगियों को पामन, अण्डवृद्धिवालों को मुष्कर, अशुचिवालों को अरोचकी, सज्वर से पीड़ित को सज्वरी, अशुवालों को अशंस, वात-रोगी को वातकी और अतीसार के रोगी को अतीसारकी तथा सिष्मवालों को सिष्मल या सिष्मवान् कहते थे। कौन वस्तु अरोचकी को पथ्य है और कौन-सी सामान्य आमयावी को, यह पतञ्जलि को सम्यक् मालूम था।

कुछ रोग मासिक होते हैं। वे लगभग मास-भर टिकते हैं और कुछ के अच्छे होने में छह महीने लग जाते हैं। ये रोग मासिक^३ और पाण्मासिक^४ कहलाते थे। कुछ रोग असाध्य माने जाते थे। उसकी चिकित्सा इस लोक में नहीं, परक्षेत्र या शरीर-त्याग के ही वाद सम्भव होती है। ऐसे राजयक्ष्मादि रोग क्षेत्रीय कहे जाते थे।^५ जिस रोग का अपनयन करना हो, उसके आगे तस् प्रत्यय^६ लगाकर उसकी अपनेयता व्यक्त की जाती थी।

अगदकार—रोगों की चिकित्सा अगदकार का काम था।^७ यह नाम पूर्णतः सार्थक था। अगदकार स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के नियमों का पालन कराकर, पथ्य-भोजन देकर एवं ओषधि-सेवन कराकर रोग की चिकित्सा करता था। स्वच्छता के नियमों में आवसथ (गृह) से दूर मल-मूत्र का उत्सर्ग करना, शरीर की सफाई आदि मुख्य थे। ये रोग के निरोधक उपाय थे। पथ्य भिन्न-भिन्न रोगों के भिन्न-भिन्न थे, किन्तु कुछ वाते सामान्य हैं, जिन्हें रोगी भी जानते थे, जैसे यवागू मूत्र अधिक लाती है। यवान्न उच्चार-दोष का इलाज है^८ आदि।

ओषधि—रोगों का कारण वात, पित्त या कफ का दूषित होना माना जाता था। तीनों दोषों के साम्य की अवस्था सन्निपात कहलाती थी, जो अत्यन्त घातक होती है। वात, पित्त, कफ और सन्निपात की शामक या कोपक वस्तुएँ या ओषधियाँ वातिक, पैत्तिक, प्लैटिमिक और सान्निपातिक^९ कही गई हैं। भाष्य में जिन ओषधियों के नाम आये हैं, वे वानस्पतिक हैं। ओष (प्रकाश)—मयी होने के कारण वे ओषधि कहलाती थी। इसी गुण के कारण चन्द्रमा को ओषधि^{१०}

१. ३-१-१४१ का०।

२. ५-२-१००, पृ० ४१४।

३. ५-१-८० काशिका।

४. ५-१-८४ काशिका।

५. ५-२-९२, पृ० ४०२।

६. ५-४-४९।

७. ६-३-७०, पृ० ३४६।

८. २-३-३५, पृ० ४३१।

९. १-३-१, पृ० ८।

१०. मूत्राय कल्पते यवागूः उच्चाराय कल्पते यवान्नम्।—२-३-१३, पृ० ४१७।

११. ५-१-३८, पृ० ३२२।

१२. ओषधिश्चन्द्रमाः—ओषो धीयतेऽस्याम्।—६-२-४२, पृ० २५९।

मानते थे। इसीलिए, ओषधियों को सुसस्या और सुपिप्पला^१ करने की प्रार्थना श्रुति में मिलती है। ओषधि^२ सामान्य जड़ी या वूटी को कहते थे। यह शब्द जातिवाचक माना जाता था। ओषध में कई ओषधियों का भी मिश्रण होता था, यद्यपि ये दोनो पर्याय थे। क्रमशः श्लेष्मघ्न और पित्तघ्न ओषधियों में मधु तथा घृत श्रेष्ठ माने जाते थे।^३ वनस्पतियों में पिप्पला,^४ नीली,^५ वह्नी,^६ सफला, भस्त्रफला, अजिनफला, पिण्डफला, शणफला, श्वेतफला, त्रिफला,^७ अमूला, ओदनपाकी, शंक्रुकर्णी, शालपर्णी, शङ्खपुष्पी, दासी फली, दर्भमूली, गोवाली,^८ गुग्गुलु,^९ कुस्तुम्बर^{१०} और निन्दुकी का उल्लेख ओषधि-रूप से मिलता है। यो भाष्य में उल्लिखित आमलकी आदि अनेक वनस्पतियाँ, फल, फूल, मूल आदि ओषधि के रूप में प्रचलित थे और भाष्यकार को उनका स्पष्ट ज्ञान था, फिर भी ओषधि के रूप में उनका उल्लेख नहीं किया है। वृक्षों के पाक, पर्ण, पुष्प, मूल, फल, बाल (वाले) आदि सभी अंग ओषधि के काम आते थे।^{११}

१. ६-१-८६, पृ० १३३।

२. ५-४-३७।

३. श्लेष्मघ्नं मधु पित्तघ्नं घृतम्—६-१-१२, पृ० ३४।

४. आ० २, पृ० ६६।

५. ४-१-४२, पृ० ५५।

६. ४-१-४६, काशिका।

७. ४-१-६४, पृ० ७४।

८. वह्नी, काशिका।

९. ४-१-७१, पृ० ७७।

१०. ६-१-१४३ काशिका।

११. ४-१-६४, पृ० ७४।

अध्याय ५

काल और ज्योतिर्विज्ञान

काल—काल की परिभाषा करते हुए भाष्यकार ने कहा है कि जिसके योग से मूर्त्त पदार्थों की वृद्धि या ह्रास होता दिखाई देता है, उसे काल कहते हैं। उसी काल को किसी एक क्रिया से युक्त होने पर अहन् या रात्रि कहते हैं। यह क्रिया सूर्य की गति है। यही क्रिया, अर्थात् सूर्य की गति जब बार-बार आवृत्त होती है, तब मास या संवत्सर आदि बनते हैं। ऐसा है, तभी जन् क्रिया के कारण प्रसूत बालक का परिमाण मास या वर्ष माना जाता है।^१

भाष्यकार के इस कथन से दो बातें मालूम होती हैं। प्रथम यह कि काल और काल-वाचक शब्दों का अस्तित्व आदित्य की गति पर निर्भर है। दूसरे, पारिभाषिक अर्थ से काल भले ही परिमाण न हो, व्यवहार में काल परिमाण माना जाता था।

काल की गणना 'राजा' के शासन-काल से की जाती थी। भाष्यकार ने तो इसका उल्लेख किया ही है। रुद्रदाम से मन्दसौर तक के सभी शिलालेखों में काल की गणना राजाओं के शासन के सहारे की गई है। विक्रम-संवत् का उल्लेख इन शिलालेखों में ५वीं शती के बाद ही मिलता है।

काल-विभाग—पाणिनि आदि आचार्यों ने आदित्य-गति को आधार मानकर काल^३ के पूर्व, अपर, वर्त्तमान, भूत, भविष्यत्,^४ अद्यतन, अनद्यतन^५ आदि भेद किये हैं। पाणिनि ने इसे काल-विभाग कहा है।^६ पतञ्जलि ने भी कहा है कि काल-विभाग अवश्य होते हैं। यदि काल-विभाग न होते, तो पर्वत स्थित है, स्थित रहेगे और स्थित थे, ये कथन कभी सम्भव न हो सकते।^६ इसलिए, यद्यपि पाणिनि ने काल की परिभाषा के विवाद-ग्रस्त प्रसंग को यह कहकर टाल दिया था कि काल के विषय में कोई परिभाषा या नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि लोक में

१. येन मूर्त्तानामुपचयापचया लक्ष्यन्ते तं कालमाहुः। तस्यैव हि कयाचित् क्रियया युक्तस्याहरिति च भवति रात्रिरिति च। कया क्रियया? आदित्यगत्या। तयैवासकृदावृत्त्या मास इति भवति संवत्सर इति च। यद्येवं भवति जातस्य मासः परिमाणम्।—२-२-५, पृ० ३३६।

२. ३-४-२१।

३. ३-३-१३५।

४. ३-२-१२३।

५. ३-३-१३७।

६. सन्ति सत्स्वपि कालविभागाः। तिष्ठन्ति पर्वताः, स्थास्यन्ति पर्वताः, तस्युः पर्वता-इति। किं शक्यन्त एते शब्दाः प्रयोक्तुमित्यतः सन्ति कालविभागाः।—३-२-१२३, पृ० २२५।

जिसके लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है, उसे सब जानते हैं और वही अन्ततः प्रमाण मानना चाहिए।

वर्त्तमान काल—वर्त्तमान काल पर विचार करते हुए पतंजलि ने कहा है कि क्रिया के प्रारम्भ से समाप्ति तक के काल को वर्त्तमान मानना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ रहता हूँ आदि क्रियाएँ बराबर नहीं होती रहतीं। पढनेवाला पढना बन्दकर भोजन भी करता है, सोता भी है। इसी प्रकार रहनेवाला व्यक्ति कभी बाहर भी चला जाता है। तो भी उसके सम्बन्ध में पढना और रहना क्रियाओं का वर्त्तमान काल में प्रयोग होता ही है। इसी प्रकार, नित्य-प्रवृत्त क्रियाओं को भी वर्त्तमान काल में मानना चाहिए। नदियाँ बहती हैं, पर्वत स्थित हैं आदि प्रसंगों में जहाँ क्रिया बहुत पहले से होती आ रही है और भविष्य में होती रहेगी, वर्त्तमान काल का ही व्यवहार होता है।^१

कुछ आचार्यों के मत से वर्त्तमान कोई काल नहीं होता। इनके मत से न तो यह ससार परिवर्त्तनशील है, न वाण किसी पर फँका जाता है और न नदियाँ समुद्र तक जाने के लिए बहती हैं। यह ससार कूटस्थ है, अर्थात् एक रूप से स्थित रहता है। विचारवान् पुरुष कौए से कहता है कि तुझमें पतन-क्रिया है कहाँ। भूत और भविष्यत् की पतन-क्रिया को तो इस समय 'है' नहीं कह सकते। और, यदि कहे कि इस समय पतन-क्रिया हो रही है, तो भी यह कहना असंगत होता; क्योंकि ऐसे तो पतन या गमन-क्रिया सारे विश्व में ही रही है, यहाँतक कि हिमालय भी इधर-उधर गमन करता है। इस प्रकार भूत, भविष्यत् और वर्त्तमान तीनों कालों में 'गमन-क्रिया' कहना संभव नहीं है। साम्प्रत काल केवल भूत और भविष्यत् की सत्त्व का नाम है। उद्योगों भीतर का क्षण-दो क्षण या निमिष-मात्र काल नहीं है। फिर, वर्त्तमान काल में 'जाता है' आदि वाक्य कैसे बोले जाते हैं? इसका उत्तर यह है कि लोग क्रिया-प्रवृत्ति के हेतुभूत गाड़ी में बँध जोतना आदि क्रियाओं को देखकर बिना विचारे ही इस प्रकार के वाक्य बोल देते हैं। सामान्य व्यवहार में यह ठीक भी है।^२

किसी-किसी आचार्य के मत से वर्त्तमान काल है, किन्तु आदित्य की गति के समान प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। जब साधनभूत सारी सामग्री एकत्र हो जाती है, तब भी विकृति प्रत्यक्ष होती हुई परिलक्षित नहीं होती। विस के तन्तु भी जलते हुए नहीं दिखाई देते हैं। फिर, भी जिन लोगों को तीनों कालों की क्रियाओं का प्रत्यक्ष होता है, ऐसे योगी लोग उस दाह-क्रिया को देखते ही हैं। हम जैसे साधारण जन तो उस क्रिया को अनुमान से ही जान सकते हैं।^३

१. ३-२-१२३, पृ० २५४, ५५।

२. अथर आह नास्ति वर्त्तमानकाल इति—न वर्त्तते चक्रमिदं पृथगे न स्पन्दते सरितः सागराथ—कूटस्थो यं लोको न विचेष्टितास्ति यो ह्येवं पश्यति सोऽप्यनन्यः। मीमांसको मन्यमानो युवा मेधाधिसंमतः—काक स्नेहानुपृच्छति किं ते पतितलक्षणम्। अनागतं न पतति अतिक्रान्ते च काक न यदि सम्प्रति पतसि सर्वो लोकः पतत्ययम्। हिमवानपि गच्छति।—यही, पृ० २५६।

३. विमस्य वाला इय दह्यमाना न दृश्यते विकृतिःसन्निपाते।

अस्तौति तां वेदयन्ते विनावाः सुक्ष्मो हि भावोऽनुमितेन गम्याः ॥—यही, पृ० २५७।

फिर भी, लोक-व्यवहार में वर्त्तमान काल का क्षेत्र व्यापकतर माना जाता था। उपर्युक्त दार्शनिक मतों की चिन्ता किये बिना लोग वर्त्तमान के सामीप्य में समीपी (अतीत तथा भविष्यत्) तक को भी वर्त्तमान के ही अन्तर्गत गिन लेते थे।^१ अप्राप्त प्रिय वस्तु की प्राप्तीच्छा, अर्थात् आकांक्षा का विषय भविष्यत्काल होता है; फिर भी उसके लिए भूत और वर्त्तमान का प्रयोग होता था।^२ इसी प्रकार, क्रिया-सातत्य में जिसे क्रिया-प्रवन्ध भी कहते थे तथा सामीप्य गम्यमान होने पर अनद्यतन भूत और भविष्यत् के नियम लागू होते थे। ऐसे स्थलों पर अनद्यतनीय क्रिया का प्रयोग न होकर सामान्य-भूत या भविष्यत्कालीन क्रिया का व्यवहार होता था।^३ पाणिनि ने देश और काल के प्रविभागों के अवर भाग के सम्बन्ध में भी सामान्य काल-नियमों का प्रयोग न होना बतलाया है।^४ इन्हीं सब विभिन्नताओं को दृष्टि में रखकर पाणिनि ने काल को लोकाश्रित बतलाया है।

अहन्—काल के भेदों में अद्य, ह्य, एव, अहन्, रात्रि, पक्ष, मास, वर्ष, हायन, संवत्सर आदि नाम भाष्य में मिलते हैं। इनमें अद्यतन काल न्याय्य (सर्वसम्मत) उत्थान से न्याय्य संवेशन-काल तक को कहते थे। इस परिभाषा के अनुसार प्रातः ब्राह्म मुहूर्त्त से रात्रि के लगभग दस वजे तक का समय अद्यतन माना जाता चाहिए। कुछ लोगों के मत से गत अर्ध-रात्रि से आगामी अर्धरात्रि तक का समय अद्यतन होता है।^५ दिन को दिवा और रात्रि को दोषा भी कहते थे। भाष्य में दिवामन्या रात्रि और दोषामन्य अहन् का^६ उल्लेख है। पुण्याह और सुदिनाह इसका ठीक उलटा था।^७ दिन को कई भागों में विभाजित किया जाता था। यथा—प्रातः^८ पूर्वाह्ण, मध्याह्ण, अपराह्ण,^९ सायाह्ण,^{१०} सगव (ऋग्वे० ५-७६-३), जिमर के मत से, विलकुल सवेरे का समय माना जाता था। रात्रि का प्रारम्भ प्रदोष से होना माना जाता था^{११} और उसे पूर्वरात्रि एव अपररात्रि इन दो भागों में बाँटा जाता था।^{१२} पूर्व दिवस को पूर्वद्यु वर्त्तमान दिन को अद्य, समान (उसी) दिन को सद्य कहते थे। इसी प्रकार परेद्यु, अन्येद्यु, अग्यतरेद्यु, इतरेद्यु

१. ३-३-१३१।
२. ३-३-१३२।
३. ३-३-१३५।
४. ३-३-१३६ तथा ३-३-१३७।
५. १-२-५७ काशिका।
६. १-१-४१, पृ० २५४।
७. २-४-३०, पृ० ४७६।
८. ४-३-२८।
९. ५-४-१२०।
१०. ४-३-२८।
११. ४-३-२३, पृ० २२५।
१२. ४-३-१४।
१३. ५-४-८७।

अघरेद्यु, उभयेद्युः या उभयद्युः, ह्यः और इव^१ शब्द प्रचलित थे, जिनसे प्रतीत होता है कि काल-गणना का मुख्य घटक दिन या अहन् था।

अहोरात्र—दिन और रात्रि को मिलाकर अहोरात्र,^२ नक्तन्दिव या रात्रिन्दिव^३ कहते थे। अहोरात्र ही वह परिमाण था, जिससे अन्य कालवाचको की गणना की जाती थी। अहोरात्र से पक्ष और मास गिने जाते थे। केवल रात्रि का उल्लेख भी अहोरात्र के परिमाण का बोधक होता था।

मास—त्रिंशद् रात्र को मास और पचदश रात्र को अर्धमास^४ कहते थे। अर्धमास पक्ष और उसका प्रथम दिन पक्षति कहलाता था।^५ पक्ष की गणना मास के प्रथम दिन से की जाती थी। दिन-गणना का आधार आदित्य-गति थी; क्योंकि आदित्य एक होकर भी, सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित^६ करता है। इसलिए, आदित्य के उदय के आधार पर काल की गणना में सबको सुभीता हो सकता था। मास और वर्ष का आधार सूर्य की ही असकृद् गति मानी गई^७ थी।

मास की गणना चन्द्र के आधार पर भी की जाती थी। भाष्यकार ने चन्द्रमा को मास-प्रमित कहा है, जिसका अर्थ है मास की माप का प्रारम्भ करनेवाला। प्रतिपच्चन्द्र मासप्रमित कहलाता था।^८

अयन—मास के बाद अयन था और उसके बाद वर्ष या सवत्सर। अहोरात्र में कुल तीस मुहूर्त्त होते हैं। भाष्यकार ने कहा है कि इनमें छह मुहूर्त्त ऐसे होते हैं, जो चर भी हैं और अचर या अगतिमान् भी। वे कभी दिन में चलते हैं और कभी रात्रि में। इसीलिए, उन्हें अहर्गत भी कहते हैं और रात्रिगत भी। वे अहरतिसूत या रात्र्यतिसूत भी कहे जाते हैं।^९ यहाँ 'कभी' से भाष्यकार का आशय उत्तरायण और दक्षिणायन में बढ़ने-घटनेवाले दिन के मुहूर्त्तों से हैं। ये मुहूर्त्त उत्तरायण में दिन में सम्मिलित रहते हैं और दक्षिणायन में रात्रि में। वर्ष बारह मास का होता था। वर्ष की गणना का प्रारम्भ कभी वर्षा के साथ होता था। वैदिक काल में वर्ष का प्रारम्भ शरद् से होता था। सवत्सर के अर्थ में प्रयुक्त ये दोनों शब्द स्वयं अपनी कथा कहते हैं।

१. ४-३-१५, पृ० २२३।

२. ३-३-१३७, पृ० ३२९।

३. ५-४-७८, पृ० ५०४।

४. योष्य त्रिंशद्दरात्र आगामी तस्य योऽवरो पञ्चदशरात्र इति—३-३-१३६, पृ० ३२८।

५. ५-२-२५, पृ० ३७३।

६. आ० २, पृ० ४२।

७. आदित्यगत्या। तर्थावासकृदावृत्त्या मास इति भवति संवत्सर इति च।—
२-२-५, पृ० ३३६।

८. २-१-२९, पृ० २८२।

९. पण्मुहूर्त्ताश्चराचराः—ते कदाचिदहर्गच्छन्ति कदाचिद्रात्रिम्। तद्युच्यते, आगमना रात्रिगता इति, इवं तहि अहरतिसूताः, रात्र्यतिसूताः।—२-१-२९, पृ० २८२।

वर्तमान सबत्सर को ऐपम, गत सबत्सर को पख्त् और उससे भी पूर्व वर्ष को परारि^१ कहते थे। सामान्य वर्ष के अतिरिक्त भाष्य में दिव्य वर्ष का भी उल्लेख मिलता है।^२ अयन का अन्तर्वर्त्ती या सूर्य द्वारा अयनान्त के सामीप्य में विताया गया समय अन्तरयण कहलाता था। अयनवृत्त के समीपवर्त्ती प्रदेश अन्तरयन कहे जाते थे।^३

ऋतु—भासों के अतिरिक्त ऋतु भी वर्ष के अवयव थे। ऋतुओं में शरद्, शिशिर, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा का उल्लेख भाष्य में है। शरद् का उल्लेख श्राद्ध तथा रोग और उप-ताप के प्रसंग में हुआ है। शारदिक श्राद्ध गृहस्थ का सामान्य कर्त्तव्य माना जाता था।^४ इस ऋतु में ज्वर आदि उपताप तथा कास आदि रोग भी फैलते थे।^५ सूत्रकार ने शारदिक या शारद आतप का विशेषतः उल्लेख किया है।^६ शरद की धूप बड़ी भयकर एवं हानिकारक होती है। शिशिर ठण्ड की ऋतु है। भाष्यकार ने कहा है कि इस ऋतु में जिस बँल पर झूल नहीं डाली जाती, वह कृश हो जाता है।^७ शिशिर और वसन्त उत्तरायण में होते थे। भाष्य में इन्हे उदगयनस्थ वत-लायार्^८ है। काशिकाकार ने हेमन्त, शिशिर और वसन्त यह क्रम ऋतुओं का माना है।^९ इस प्रकार, शिशिर ऋतु माघ और फाल्गुन में पड़ती थी और उस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस ऋतु में मकर-सक्रान्ति के बाद दिनमान बढ़ना प्रारम्भ हो जाता है। इसीलिए, शरद् को दीर्घाह्नी कहा है।^{१०} हेमन्त ऋतु के मास सह और सहस्य माने जाते थे। इन्हें हैमन्तिक भी कहते थे। हैमन्तिक या हैमन्त या हैमन वस्त्रों एवं उपलेपन की व्यवस्था इस ऋतु में शीतरक्षा के लिए की जाती^{११} थी। हेमन्त में वर्षा भी होती थी। भाष्य ने एक वर्षा-विहीन हेमन्त का उल्लेख किया है।^{१२} वसन्त प्रकृति के जीवन का काल माना जाता है। मघु और माघव वसन्त के मास माने जाते थे।^{१३} भाष्य ने इसे अवकोकिल कहा है। यह नाम इस ऋतु में कोकिल के अधिक बोलने के कारण दिया गया था।^{१४} पाणिनि ने वसन्त-अध्ययन का विशेषतः उल्लेख

१. ५-३-२२, पृ० ४३४।
२. आ० १, पृ० १२।
३. ८-४-२५।
४. ४-३-१२।
५. ४-३-१३।
६. वही।
७. गौरिवाकृतनीशारः प्रायेण शिशिरे कृशः।—३-३-२१, पृ० ३०२।
८. २-२-३४, पृ० ३९०।
९. वही—काशिका।
१०. ८-४-७, पृ० ४७८।
११. ४-३-२१ तथा ४-३-२२, पृ० २२४।
१२. २-२-६, पृ० ३३७।
१३. ४-३-२० काशिका।
१४. २-२-१८, पृ० ३५०।

किया है, जिसपर भाष्यकार ने कहा है, वसन्त नाम का कोई ग्रन्थ नहीं है। इसलिए, जिम् ग्रन्थ में वसन्त का वर्णन हो, उसे भी वसन्त कहते हैं और उसका अध्ययन वासन्तिक कहा जाता है।^१ ब्राह्मण के लिए वसन्त में अग्न्याधान^२ तथा अग्निष्टोमादि यज्ञ का विधान है।^३ अवश्य ही, इस ऋतु में विरोप ग्रन्थों या वेदभाग के अध्ययन की भी प्रथा रही होगी। इन्हीं को पतंजलि ने वसन्त-पहचरित अध्ययन कहा है और इसी के अध्येता को पाणिनि ने वासन्तिक कहा है। ग्रीष्म ज्येष्ठ-आषाढ माम कहलाते थे। ग्रीष्म ऋतु दीर्घाहा होती है।^४ इस ऋतु में सम्बद्ध काल, नास या अन्य वस्तु को ग्रीष्म^५ कहते थे। वर्षा को प्रावृष् भी कहते थे। प्रावृष् में होनेवाले मेषों को प्रावृषेण्य कहते थे। किन्तु, प्रावृष् में उत्पन्न होनेवाले कीट, वनस्पति, अन्न, रोगादि प्रावृषिक^६ कहलाते थे। वर्षाकाल शालि आदि अन्नों की निष्पत्ति का साधन था।^७ इस ऋतु में अनेक आवाञ्छित वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। भाष्य में इनके लिए वर्षासुज और वर्षाभू गवर्द^८ प्रयुक्त हुए हैं। वसन्त, वर्षा, शरद्, हेमन्त और शिशिर की गणना वसन्तादिगण में भी की गई है।^९

मासों में मघु चैत्र का नाम था। इस ऋतु में मघु अधिक होता था। मघु के समीप का वैशाख मास माघव या माघव्य भी कहा जाता था। नभस् या वादल होने के कारण श्रावण को नभ, भाद्रपद को नभस्य; इच्छा में प्रवृत्ता उत्पन्न करने के कारण ववार या आश्विन को इष; सन्ताप-दायक होने के कारण फाल्गुन को तप और तपस्य, शरीर शक्ति का दायक होने के कारण कार्तिक को ऊर्ज और मन में शोक को अकुरित करने के कारण ज्येष्ठ को गुचि और आषाढ को शुक कहते थे। इस प्रकार मघु, माघव, तप, नभ, इष, ऊर्ज, गुचि और शुक नाम सार्वक^{१०} थे। मास के दोनों पक्षों का प्रथम दिन प्रतिपद होता था और अन्तिम दिन अमावास्या और पूर्णिमासी। सूर्य अगहन और सहस्य पक्ष की सन्ना थी। अमावास्या में होनेवाला काम या वस्तु अमावास्याक या अमावास्याय कही जाती थी।^{११}

सन्धि-त्रेला—पाणिनि ने मन्धि-त्रेला, ऋतु और नक्षत्रों को कालवृत्ति या कालबोधक कहा है। मन्ध्या, अमावास्या, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पचदशी और प्रतिपत् को काशिकाकार ने

१. ४-२-६३, पृ० १८८।
२. ६-१-८४, पृ० ११६।
३. ६-१-१०८, पृ० १६५।
४. ८-२-६९, पृ० ३७६।
५. ४-१-८६, पृ० ९६।
६. ४-२-२६ तथा ४-३-२५, पृ० २३१।
७. ३-३-१३३, पृ० ३२४।
८. ६-३-१, पृ० २९८ तथा ६-४-८४, पृ० ४४७।
९. ४-२-६३, पृ० १८८।
१०. ७-१-७७, पृ० ७४ तथा ४-४-१२८, पृ० २९८, ९०।
११. ४-३-३०।

'सन्धि-रेखा' माना है।^१ नक्षत्रोंको ज्योतिष् भी कहते थे।^२ नक्षत्र सज्ञा कभी क्षरित या क्षीण न होने के कारण^३ थी। इस प्रकार नक्षत्र ज्योतिष् और काल दोनों के वाचक थे। काल की माप भी नक्षत्रों से की जाती थी। जैसे आपके बहुत-से तिष्य और पुनर्वसु बीत गये।^४ एक ही नक्षत्र मे उत्पन्न होनेवाले सज्योतिष् कहलाते थे।^५ सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र सब ज्योतिष् के अन्तर्गत माने जाते थे। भाष्य मे ज्योति का उद्गमन गम्यमान होने पर आ पूर्वक क्रम्वानु का आत्मनेपदत्व-विधान किया है।^६

नक्षत्र—नक्षत्रो या ज्योतिष् मे दिवाकर, विभाकर प्रभाकर, या भास्कर निगाकर^७ और विघ्नतुर्द के अतिरिक्त निम्नलिखित नक्षत्रो के नाम भाष्य मे आये है। इनमे विघ्नतुर्द शब्द राहु-सम्बन्धी प्राचीन विश्वास-परम्परा की याद दिलाता है।

कृत्तिका—भाष्य मे दो वार कृत्तिका और रोहिणी^८ का साथ-साथ उल्लेख हुआ है^९ और दोनो वार बहुवचन मे ही। कृत्तिका^{१०} को पाणिनि ने बहुल भी कहा है। कृत्तिका कई नक्षत्रो का समूह है, यह बात सामान्य लोगो को भी ज्ञात थी।

रोहिणी—रोहिणी भी कई नक्षत्रो का समूह माना जाता था।^{११}

आर्द्रा, मूल, पुनर्वसु—पुनर्वसु वास्तव मे दो नक्षत्र हैं। वेद मे इनके लिए एकवचन का ही प्रयोग हुआ है।^{१२} इसी प्रकार विशाखा भी दो नक्षत्र हैं। वेद मे इनके लिए भी एकवचन का ही प्रयोग मिलता^{१३} है। तिष्य को सिध्य^{१४} भी कहते थे। तिष्य और पुनर्वसु(दो) का समास होने पर बहुवचन होना चाहिए, किन्तु उनके लिए द्विवचन ही प्रयुक्त होता था, जिससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि विशाखा, पुनर्वसु आदि नक्षत्र ज्योतिष् की दृष्टि से दो थे, तो भी लोग व्यवहार में उन्हें

१. ४-३-१६।
२. १-२-६३, पृ० ५६१।
३. ६-३-७५ काशिका।
४. १-२-६३, पृ० ५६१।
५. ६-३-८५।
६. १-३-४०, पृ० ६७।
७. ३-२-२१।
८. ३-२-३५।
९. १-२-६३, पृ० ५६१।
१०. २-२-३४, पृ० ३९०।
११. ४-३-३४।
१२. १-२-६३, पृ० ५६१।
१३. १-२-६१।
१४. १-२-६२, पृ० ५६१।
१५. १-२-६३, पृ० ५६२।

एक ही मानते थे।^१ पुष्य सामान्य नक्षत्रवाची भी माना जाता था। भाष्यकार ने कहा है कि एत अयं रहने पर भी शब्द-भेद होने पर लिंग-भेद हो जाता है; जैसे तिष्य, तारका और नक्षत्र।^१ नक्षत्र विगेष मानकर 'आज पुष्य है, आज मघा^१ है।' 'पुष्य योग जानता है', 'पुष्य से योजित करता' है', 'मघाओं से योजित करता है'^२ जैसे वाक्यों का उपयोग भाष्य में मिलता है। मघा भी कई नक्षत्रों का समूह था। श्रविष्ठा, फाल्गुनी, अनुराधा, हस्त, आपाढा और स्वाति का नाम-ग्रहण पाणिनि ने तिष्य, पुनर्वसु और विशाखा^३ के साथ किया है। वार्तिककार ने उसमें चित्रा, रेवती और रोहिणी को और सम्मिलित कर दिया है।^४ इनमें तिष्य, पुष्य और सिध्य पर्याय^५ है। नैत्तिरीय ब्राह्मण (३-१-४१) में सात कृत्तिकाओं के नाम मिलते हैं—अम्बा, दुला, नितलनी, अग्रयन्ती, मेघयन्ती, वपर्यन्ती, चुपुणिका। यद्यपि वाद में उनकी सख्या छह मानी जाने लगी। फाल्गुनी को दो और बहुत मानकर भी उल्लेख किया गया है। विशाखा एक, द्वि और बहुवचन तीनों मानी जाती थी। अभिजित् और अश्वयुज् और अतभिषज् का उल्लेख एक साथ एक सूत्र में मिलता है। काठकसंहिता में श्रवण और अश्वत्य पर्याय माने हैं। पाणिनि ने दो बार अश्वत्य का उल्लेख किया है। एक बार श्रवण और अश्वत्य साथ आये हैं, जिससे प्रतीत होता है, कि वे उन्हीं पर्याय नहीं मानते।^६ दूसरे स्थान पर अश्वत्य ऋतु का सूचक है।^७ प्रोष्ठपदा भी दो या अधिक माने जाते थे।^८ इनका प्रयोग पुल्लिङ्ग में भी होता था।^९ वैदिक नक्षत्रों का आरम्भ कृत्तिका से होता है। वाद में ४९० ई० के लगभग दिन-रात के तुल्य मान को स्रोतित करने के लिए अश्विनी का स्थान प्रथम माना जाने लगा। पतञ्जल ने नक्षत्रों के द्वादश में कृत्तिका का ही पूर्व प्रयोग किया है। पाणिनि ने सात नक्षत्रों की गणना में श्रविष्ठा का उल्लेख प्रथम किया है।^{१०} वेदांग ज्योतिष की सूची भी श्रविष्ठा से प्रारम्भ होती है। गर्ग की दृष्टि में घामिक कार्यों में कृत्तिका और सामान्य कार्यों में श्रविष्ठा प्रथम है।^{११} महाभारत वनपर्व में श्रविष्ठा या घनिष्ठा से और अश्वमेघपर्व में श्रवण से प्रारम्भ

१. १-२-६३, पृ० ५६१।
२. ४-१-९२, पृ० १०७।
३. २-३-४५, पृ० ४३४।
४. ३-१-२६, पृ० ७६।
५. वही।
६. ४-३-३४।
७. ४-३-३४। पृ० २३२।
८. ३-१-११६।
९. ४-२-५ काशिका।
१०. ४-३-४८।
११. १-२-६०, पृ० ५९०।
१२. ५-४-१२०।
१३. ४-३-३४।
१४. ओरायन, पृ० ३०।

माना है।^१ आदि पर्व में भी श्रवण प्रथम है।^२ यह इस बात का सूचक है कि मकर-सक्रान्ति या दक्षिणायन सूर्य श्रविष्ठा के प्रथम स्थान से पश्चिम की ओर चला गया था। ज्योतिष वेदांग ने उसे श्रवण या श्रविष्ठा में स्थिर किया था। प्राचीन ज्योतिष भी श्रवण को ही मानती थी। पाणिनि ने पूर्वकाल की प्राचीन मान्यता को ध्यान में रखकर श्रविष्ठा को प्रथम स्थान दिया है।^३ राशियों के उदय को लग्न कहते थे, यद्यपि पाणिनि ने लग्न का प्रयोग इस अर्थ में नहीं, अपितु उक्त अर्थ में किया है। नक्षत्र सत्ताईस माने गये थे। सूर्य के इस ग्रहण-सम्बन्धी गमन-मार्ग या क्रान्ति वृत्त-सम्बन्धी विभाजन के अनुसार द्वारह मासों के नाम विशेष नक्षत्र के मण्डल में चन्द्र के प्रवेश के अनुसार रखे गये थे।^४ जब पूर्ण चन्द्र चित्रा के संयोग में होता था, तब दिन को चैत्री पीर्णमासी कहते थे।

संवत्सर—वर्ष^५ को समा,^६ संवत्सर^७ और हायन^८ कहते थे। प्रभव, विभव आदि ६० संवत्सरो के पाँच वर्षों के क्रम से संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर और वत्सर ये नाम थे। इस प्रकार ये नाम क्रमशः पूरे वृत्त में १२ बार आवृत्त होते थे। संवत्सर में होनेवाले काम को संवत्सरीण या संवत्सरीय कहते थे।^९ वर्ष के दो भाग किये गये थे। प्रत्येक भाग षण्मास कहा जाता था।^{१०} मास-भर के बालकादि को मास्य या मासीन, दो-तीन मासवाले को द्विमास्य, त्रिमास्य, पञ्चमासवाले को पाण्मास्य, षण्मास्य या षाण्मासिक (भूत, भूत, भावी) कहते थे। वय से भिन्न अर्थ में षण्मासिक या पाण्मास्य (रोगादि) शब्द प्रचलित था। वर्ष के पूर्वार्ध को अवरसमा^{११} कहते थे। इस भाग में चुकाया जानेवाला ऋण आवरसमक कहलाता था।

-
१. वनपर्व, २३०-१० तथा अश्वमेधपर्व, ४४-२।
 २. भाविपर्व, ७१-३४।
 ३. जर्नल आफ रायल ए० सो० १९१६-१७, पृ० ५७०।
 ४. ४-२-३, पृ० १६७।
 ५. ५-१-८८।
 ६. ५-१-८५।
 ७. ५-१-८७।
 ८. ५-१-१३० तथा ३-१-१४८ (जहात्युदकमिति हायनो ब्रीहिः। जहाति भावानिति हायनः संवत्सरः।।—काशिका)
 ९. ५-१-९२।
 १०. ५-१-८१ से ८४ तक, पृ० ३३९।
 ११. ४-३-४९ तथा ४-३-४३।

मृदग बहुते लोकप्रिय वाद्य रहा है। महावग्ग में भी मृदग की चर्चा है।^१ अश्वघोष ने तो दारु-दारु मृदग के साथ संगीत का वर्णन किया है।^२ मृदग से मिलते-जुलते वाद्यों में मड्डुक, पणव,^३ ददुर, मुरज और तूणव^४ का उल्लेख भाष्य में मिलता है। ये सब डोल या मृदग के ही विभिन्न रूप थे। मड्डुक और ददुर कुड़मुड़ करनेवाले छोटे ग्राम-वाद्य थे, जो आज भी ग्रामों में देखने को मिलते हैं। मड्डुक डोलकी के समान होता था। पणव उससे कुछ छोटा था। इन वाद्यों के खोल काफ़े अतिरिक्त मिट्टी के भी बनते थे। इस प्रकार इनके निर्माण में कुलाल का भी हाथ था। विभिन्न कुलाल इनके खोल बनाते थे और उनके आधार पर कुलालों के भी नाम पड़ जाते थे। ददुर का खोल बनानेवाला कुलाल दार्दुरिक कहलाता था।^५ इसी प्रकार मार्दगिक और माणविक कुलाल भी होते थे। मड्डुकादि बजानेवाले कलाकारों को मड्डुकि, पाणविक, मारजिद, दार्दुरिक आदि कहते थे।^६

प्रतिघात वाद्य—प्रतिघात वाद्यों में भेरी और दुन्दुभि भी प्रचलित थीं।^७ इनका प्रयोग संगीत के साथ नहीं, अपितु हर्षोन्माद या आवेश उत्पन्न या प्रकट करने के लिए होता था। ये वर्तमान नगाडे के पूर्व रूप थे। मन्दिरो और रास-मण्डलियों में बजानेवाले नगाडे इसी जाति के होते हैं। भेरी और दुन्दुभि गूँजनेवाले वाद्य थे। इनकी ध्वनि बहुत दूर तक जाती थी। भाष्यकार ने कहा है कि भेरी में आघात करने के बाद कोई बीस डग चल लेता है, कोई तीस और कोई चालीस। तब तक भेरी का शब्द सुनाई देता रहता है।^८ वैदिक काल में नृत्य के नाय आर्यादि वाद्य का प्रचलन था।^९

कांस्य-वाद्य—मृदग के साथी वाद्यों में भाष्यकार ने झरंर (झांझ) का नाम लिया है। इसे बजानेवाला झरंरिक कहलाता था।^{१०} पिठर भी संगीत-वाद्य था। भाष्य में पिठर-वादन का भी शिल्प कहा गया है। यह सम्भवतः कांसि की धाली या बड़ा गोलाकार धाली जैसा कान्य-नाय था, जो संगीत और नृत्य के साथ बजाया जाता था। आज भी ग्रामों में निम्न श्रेणी के नृत्यों और गीतों के साथ पिठर का प्रयोग होता है। इसे बजानेवाले पैठरिक कहलाते थे।^{११}

१. महावग्ग, १-७।

२. बुद्धचरित, १-४५।

३. ४-४-५६, ५५, पृ० २८० तथा २-२-३४, पृ० ३८९।

४. वही।

५. ४-४-३४।

६. २-२-३४, पृ० ३८९।

७. २-२-३४, पृ० ३८९।

८. मेरीमाहृत्य कश्चिद्विशतिपदानि गच्छति कश्चित्त्रिंशत् कश्चित्चत्वारिंशत्।—

१-१-७०, पृ० ४४५।

९. ऋग् १०-१४६-२ तथा अथर्व ४-३७-४।

१०. ४-४-५६।

११. ४-४-५५, पृ० २८०।

वेणु—इवास से वजनेवाले वाद्यो मे वेणु प्रमुख है।^१ वेणु वज (वाँस) से बनता था। वात्स्यायन ने इसे बड़ा मनोमोहक वाद्य कहा है।^२ भाष्य मे वेणु के लिए मस्कर शब्द का प्रयोग मिलता है।^३

तन्तु-वाद्य—तन्तु-वाद्यो मे वीणा प्रमुख थी।^४ वात्स्यायन ने वीणा और डमरुक का साथ वतलाया^५ है, किन्तु भाष्य मे डमरुक का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार, वात्स्यायन के उदक^६ वाद्य (जलतरंग) का नाम भाष्य मे नहीं मिलता। सभवतः, यह वाद का अविष्कार है। वीणा भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य रहा है। इसे कागिकाकार ने कल्याण-प्रववणा कहा है।^७ वीणा के स्वर को निक्वण या निक्वाण कहते थे। वजानेवाले के लिए वादक शब्द का प्रयोग^८ होता था। भाष्य मे वीणावादक के लिए प्राय परिववादक शब्द का प्रयोग किया गया है।^९

वादक—वादक स्वान्त सुखाय वजते ये और दूसरो के द्वारा वैतनिक रूप से भी बुलाये जाते थे। भाष्यकार ने कहा है कि 'पारिवादक से वीणा वजवाई गई।'^{१०} इससे परिववादक का पर-प्रेरित होना स्पष्ट है। व्याकरण की दृष्टि से वद् धातु का प्रयोग गिजर्थ (वजाना) मे आत्मने-पद मे ही होता था। इसी प्रकार नृत् धातु का गिजन्त प्रयोग भी आत्मनेपद मे प्रचलित था। वादयते और नर्त्तयते क्रियाएँ केवल वजाने और नचवाने के अर्थ मे व्यवहृत होती थी।^{११} क्योंकि, वजाने और नचवानेवाला इन क्रियाओ को स्वसुखाय ही करवाता था।

वीणा-रहित संगीत अपवीण और वीणा-सहित उपवीण कहा जाता था।^{१२}

वादन-शिल्प—भाष्यकार ने वादन-कला की गणना संगीत के ही अतर्गत की है। उन्होने मृदग आदि के निर्माता और वादक दोनो को शिल्पी कहा है। इस विषय पर चर्चा करते हुए उन्होने कहा है कि यदि मृदग को शिल्प माना जाय, तो कुलाल भी शिल्पी कहलायेगा और उसे ही मार्दांगिक कहा जायगा; क्योंकि वही मृदग का निर्माण करता है। इसलिए, उन्होने 'शिल्प के समान शिल्प' इस अर्थ मे शिल्प शब्द का प्रयोग मानकर वादक को भी शिल्पी स्वीकार किया है।

१. ६-१-२१५, पृ० २३९।

२. कामसूत्र, अधि० ७, अ० २, सू० ४३।

३. ६-१-१५४, पृ० १९३।

४. १-१-५७, पृ० ३६६।

५. कामसूत्र, अधि० १, अ० ३, सू० १६।

६. वही।

७. ३-३-६५ काशि० तथा १-१-५७, पृ० ३६६।

८. वही।

९. अवोवद् वीणां परिववादकेन (वादिदन्तं प्रयोजितवान्)।—१-१-५७, पृ० ३६६।

१०. वही।

११. १-३-८९ काशि०।

१२. ६-२-१८७।

विन प्रकार नृदंग आदि वनाता गिल्प है, उमी प्रकार उन्हे वचाना भी गिल्प है। यह कहकर भाष्यकार ने यह व्यक्त करना चाहा है कि जिस प्रकार वाद्य कुलाल की जीविका के माधन है, उमी प्रकार उनका वादन वादक की जीविका का माधन है।'

तूर्यादि वाद्य-वृन्द—वादन-गिल्प का प्रयोग नामूहिक रूप में भी होता था। उमें तूर्य कहने थे।^१ तूर्य अनेक वाद्यों का सनाहार था। पाणिनि ने तूर्यांगों के द्रव्य के लिए एववचन का विधान किया है, वाद्य भले ही अनेक हों। उन्होंने तूर्यांगों के माय प्राण्यगों और सेनागों के द्रव्य के लिए भी एकवचन का निर्देश किया है। जो वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वथा उचित है। प्रागी के विभिन्न अंग पृथक् गृहकर भी एक अवयवी के अर्थात् एक वनकर काम करते हैं। गेना के अंगों की भी यही स्थिति होती है। वे पृथक् होंकर भी एक होते हैं। इसी प्रकार, तूर्यांग पृथक्-पृथक् ध्वनि उत्पन्न करते हुए भी परस्पर नमन्ति एक स्वर, एक ताल के द्वारा समुक्त प्रभाव की सृष्टि करते हैं। पृथक् त्रिवाडि देने पर भी तूर्य में वे एक ही जाते हैं। अतः, उनके लिए एतद्वचन का प्रयोग उचित ही है। काशिका ने तूर्यांगों के उदाहरणों में 'मार्दङ्गिकपाणविकम्' और 'वीणावादकरिवादकम्' का उल्लेख किया है। भाष्यकार ने वीणावादक को परिवारक कहा है, जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है। यदि यह मान लिया जाय, तो काशिका का उक्त उदाहरण अदंगत ठहरता है। पर, ऐसा नहीं है। वीणा का ही एक भेद विपची भी था। उसमें पाँच स्वरो की प्रधानता थी। विपची का दूसरा नाम पग्वादिनी था और इसका वादक परिवारक कहलाता था। काशिका के उदाहरण में वीणा और विपची के भेद की ओर सकेत है। भाष्यकार ने उन नृदंग अन्तर पर ध्यान न देकर दोनों के वादकों के लिए केवल एक सामान्य मर्दङ्गिकपाणविक का ही प्रयोग कर दिया है। काशिकाकार ने अपने उदाहरणों में एक ही प्रकार के वाद्यों का समाहार दिखलाया है। उसमें मार्दङ्गिक और पाणविक माय-माय हैं तथा वीणावादक और परिवारक। उनमें इन मर्दङ्ग को स्थान मिलता है कि कहीं एक ही कोटि के वाद्यों का नामूहिक वादन तो तूर्य नहीं कहलाता था। तूर्य एक स्वनन्ध वाद्य भी था, जो एक अंग जैसी तान में देर तक बजाया जाता था। आधुनिक तुरही इमी का अपभ्रंश रूप जान पड़ता है।

ग्राम—पतञ्जलि ने ग्रामों की भी चर्चा की है। उनका 'अगाधि भयता ग्राम' उदाहरण मर्गान के विकास पर प्रकाश डालता है।^१ इसमें यही पता चलता है कि उम काल के गावनों की स्वर, अर्थात् अवगोह, श्रुति, मूच्छना, ग्राम आदि की ज्ञान्त्रीय जानकारी थी। ग्राम स्वरा के मर्दङ्ग को कहते हैं। रत्नाकर में कहा है कि जिस प्रकार नारे कुटुम्बी मिलकर पग्वादिनी यती हैं, उमी प्रकार स्वरा का मर्दङ्ग ग्राम कहा जाता है। ग्राम तीन है—पट्टज ग्राम, मध्यम ग्राम और

१. कि मध्य मर्दङ्गः गिल्प न मार्दङ्गिक ? किञ्चात ? कुम्भवारो प्राप्नोति। एतत्तु सुतरपदलोपो द्रष्टव्यः। गिल्पमिदं गिल्पम्। मर्दङ्गे वादन गिल्पमस्य मार्दङ्गिक पग्वादिनी, शीर्जिनः, पाणविकः।—४-४-५५, पृ० २८०।

२. २-४-२, पृ० ४६२ तथा वही, काशिका।

३. १-१-६३, पृ० ४१६।

गान्धार ग्राम।^१ निश्चित है कि यदि भाष्यकार को ग्रामो की जानकारी थी, तो संगीत के अन्य अंगों से भी परिचय रहा होगा। यह निष्कर्ष हमें इस परिणाम पर पहुँचने को बाध्य करता है कि भाष्यकार के समय में संगीत-शास्त्र के ग्रन्थों का प्रणयन हो चुका था और अनेक तान्त्रिक शब्द प्रचलित हो चुके थे, जो आज भी उन्हीं अर्थों में प्रचलित हैं।

संगीत-गोष्ठी—संगीत का इतना प्रचलन होने के बाद यह स्वाभाविक था कि समय-समय पर सार्वजनिक या निजी संगीत-गोष्ठियाँ होतीं। ये गोष्ठियाँ प्रमद या समद कही जाती थीं।^१ प्रमद या समद प्रायः सार्वजनिक स्थानों, जैसे देवालयों के प्रागण आदि में होते थे। इनमें सारी रात नृत्य और गीत होते थे। प्रमद या समद की यह प्रथा रतजगो के रूप में अभी तक वर्तमान है। ये रतजगो पारिवारिक आनन्द-प्रसंगों पर भी होते हैं और धार्मिक पवनों पर भी।

१. यथा कुटुम्बिनः सर्वेऽप्येकीभूता भवन्ति हि ।
 तथा स्वराणां सन्दीहो ग्राम इत्यभिधीयते ॥
 षड्जग्रामो भवेदादी मध्यमग्राम एव च ।
 गान्धारग्राम इत्येतद् ग्रामत्रयमुदाहृतम् ॥—रत्नाकर
 २. ३-३-६८।

अध्याय ७

नाट्य-नृत्य

नटो का आम्नाय—नटो के धर्म या आम्नाय को नाट्य कहते हैं। पाणिनि ने छन्दोग अंगिक, याज्ञिक और बह्वृच के साथ नट का उल्लेख किया है।^१ इन सबके अपने आम्नाय या कुल-ग्रन्थ थे। उदाहरणार्थ, छन्दोगो का आम्नाय छान्दोग्य कहलाता था और बह्वृचों का बाह्वृच्य। इसी प्रकार, नटो का आम्नाय नाट्य था। पाणिनि का उल्लेख इन बात का प्रमाण है कि ईसा-पूर्व ७०० से पहले भारत में न केवल नाट्य-कला का प्रचार था, अपितु उनका वैज्ञानिक अध्ययन भी प्रचलित हो चुका था और तदर्थ ग्रन्थ लिखे जा चुके थे। इन ग्रन्थों में दो के प्रणेताओं के नाम हमें विदित हैं। इनमें कृशाश्व सर्वाधिक प्राचीन जान पड़ते हैं। इनका नटसूत्र नट-समाज में विशेष आदृत था और उसके अनुयायी 'कृशाश्विन्' कहे जाते थे। यह शब्द केवल नटो और नाट्यसूत्र के सम्बन्ध में व्यवहृत होता था। कृशाश्व-सम्बन्धी अन्य बातों को काशाश्व कहते थे। कृशाश्व के अनुयायी होने के कारण नटो का सामान्य नाम ही कृशाश्वी पड़ गया था। इसी के साथ या इसके कुछ पश्चात् एक दूसरे नटसूत्र का प्रणयन हुआ। इनके प्रणेता गिलालि थे। गिलालि के अनुयायी गैलालिन् या गैलाल कहे जाते थे। वीरे-वीरे गिलालि का मन्त्रांग अधिक सम्मान पा गया और उनके अनुयायियों की सख्या काशाश्वों से अधिक हो गई। नन के नाट्यशास्त्र के समय तक आते-आते कृशाश्व-शास्त्रा विलुप्तप्राय हो गई। इसीलिए, नाट्यग्रन्थ में नटो के लिए गैलालिक शब्द का व्यवहार मिलता है, कृशाश्विन् का नहीं। पतञ्जलि ने भी प्रत्यक्ष रूप से गैलालो का ही उल्लेख किया है।

नाट्यसूत्र—नाट्यसूत्रों की प्रतिष्ठा वैदिक चरण के रूप में हुई थी। गिलालि के नट-सूत्रों का निर्माण ऋग्वेद-शास्त्रा के अन्तर्गत हुआ था। गिलालि गैलाल ब्राह्मण के भी शिष्य बतलाये गये हैं।^२ इसी कारण नटसूत्रों को छान्दमन्त्र प्राप्त हुआ।

नट—अभिनेता के लिए नट शब्द प्रचलित था। अभिनेत्रियाँ नटी कहलाती थीं। उनकी मन्तान को 'नाटेर' कहते थे।^३ हममें स्पष्ट है कि नटों की पृथक् श्रेणी बन गई थी। नटियाँ नटों की ही पत्नियाँ होती थीं। पतञ्जलि के समय तक नर्तकियों और नटियों का अन्तर्भेद

१. ४-३-१२९, चरणाद्धर्माययोस्तत्साहचर्यान्नटशब्दादपि धर्माययोरेव भर्ता, नटानां धर्म आम्नायो वा नाट्यम् (काशिका)।

२. ४-३-१११।

३. गुणकल्पनया च भिक्षुनटसूत्रयोश्छान्दमन्त्रम्।—४-३-११० काशिका।

४. ४-१-११४, पृ० १३८।

हो चुका था, किन्तु नटियों की प्रतिष्ठा समाज में कम हो गई थी। अभिनय का स्तर भी गिर रहा था। कोई भी दर्शक नटियों से प्रेमालाप कर सकता था। भाष्यकार ने कहा है कि व्यंजन नटों की भाव्यों के समान होते हैं। जिस प्रकार नटों की पत्नियों के रग-स्थल में जाने पर लोग उनसे पूछते हैं 'तुम किसकी हो, किसकी हो', तो वे हर पूछनेवाले से यही कह देती हैं 'तुम्हारी हूँ, तुम्हारी हूँ।' उसी प्रकार व्यंजन भी, जिस स्वर के कार्य के लिए कहा जाता है, उसी के बन जाते हैं।^१ कामसूत्र में नटों के लिए ईक्षणिका शब्द का भी प्रयोग मिलता है।

नट और शान्तरस—नट को रस का अनुभव होता है या नहीं, इस विषय को लेकर परवर्ती आचार्यों ने काफी ऊहापोह किया है। कुछ आचार्य नाट्य में आठ ही रस स्वीकार करते थे। वे शान्त रस को इसलिए नाट्य-वाह्य मानते थे कि उनकी दृष्टि में शान्त बहुत श्रमसाध्य था और नट के लिए यह श्रम उठा सकना असम्भव था। भरत ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के इस मत का उल्लेख नाट्यशास्त्र में किया है।^२ यदि भरत के इस कथन को पतञ्जलि के उपर्युक्त उद्धरण के सन्दर्भ में देखा जाता, तो नटों के प्रति आचार्यों की हीनत्व-धारणा का कारण स्पष्ट हो जाता है। फिर भी, भाष्यकार ने नट को 'रसिक' कहा है।^३ वाल्मीकि के आश्रम में प्रयुक्त होनेवाला नाट्य आगे चलकर इसीलिए श्रमणों और परिव्राजकों के लिए बर्जित मान लिया गया।

संगीत भी नाट्य का एक अंग था। प्रसंगानुसार नाट्य के बीच में संगीत का भी प्रयोग होता था। इसलिए, नट संगीत का भी अभ्यास करते थे।^४ वे बड़े-बड़े वाल रखते थे। संभव है, महात्मियों, साधुओं आदि की भूमिका के लिए कुछ नट दाढ़ी-भूँछ भी रखते हों।^५

भ्रुकुस—कभी-कभी स्त्री-पात्रों की कमी पड़ जाती थी, तो पुरुष ही स्त्री का भी अभिनय कर लेते थे। स्त्रियाँ पुरुषों की भूमिका ग्रहण करती थीं या नहीं, इसका कोई सकेत भाष्य में नहीं मिलता। स्त्री की भूमिका ग्रहण करनेवाले नट 'भ्रुकुस' कहलाते थे। ये लोग नारी का रूप ग्रहण करने के लिए कृत्रिम केश और स्तन बनाते थे। पतञ्जलि ने लिंगभेद पर विचार करते हुए अका उपस्थित की है कि यदि स्तनकेशवती नारी, दाढ़ी-भूँछवाले लोमश को पुरुष और इन दोनों के चिह्नों से रहित व्यक्ति को नपुंसक मान लिया जाय, तो भ्रुकुस को भी स्त्री मानना पड़ेगा, क्योंकि स्तन और केश तो उसके भी होते हैं। और, भ्रुकुस को स्त्रीलिंग मानने से उसके

१. व्यञ्जनानि पुनर्वदभार्यावद् भवन्ति। तद्यथा—नटानां स्त्रियो रङ्गज्ञता यो यः पृच्छति कस्य यूयं कस्य यूयमिति त तं तव तवित्याहुः।—६-१-२, पृ० १३।

२. शान्तस्य श्रमसाध्यत्वाद्भटे च तदसम्भवात्।

अष्टादिव रसा नाट्य इति केचिद्वचुदन् ॥—नाट्यशास्त्र

३. ५-२-१५, पृ० ४११।

४. अगासीःशतः।—२-४-७७, पृ० ५०८।

५. सर्वकेशी नटः।—२-१-६९, पृ० ३२३।

६. स्तनकेशवती नारी लोमशः पुरुषः पुमान्।

उभयोरन्तरं यत् तदभावे नपुंसकम् ॥—वही, पृ० १६।

आगे स्त्रीत्वबोधक टाप् प्रत्यय होने लगेगा। इसलिए, पुल्लिगादि की यह परिभाषा द्रुपित है। भाष्यकार का उक्त कथन पुरुषों द्वारा स्त्री-भाषों का अभिनय किये जाने की ओर ही मनेत्र करता है, स्त्रियो द्वारा पुरुषों की भूमिका ग्रहण किये जाने की ओर नहीं।

आरम्भक और ग्रन्थिक—नट जिस स्थान पर अभिनय करते थे, वह स्थान रगस्थल कहलाता था। सक्षेप में उसे रग कहते थे। रास-मण्डलियो ने आज भी इस शब्द को जीवित रखा है, यद्यपि अर्थ में थोड़ा-सा अन्तर हो गया है। ये रगजालाएँ सार्वजनिक मभा या प्रवचन के भी काम आती थीं। इनमें एक वेदी तथा श्रोताओं के बैठने का स्थान होता था। नट और ग्रन्थिक वेदी पर अभिनय और प्रवचन करते थे। भाष्यकार ने श्रोताओं या दर्शकों के लिए, जो नाट्य-प्रयोग के प्रेरक होते थे और जिनके पहुँचने पर प्रवचन या अभिनय प्रारम्भ किया जाता था, 'आरम्भक'^१ शब्द का प्रयोग किया है। अभिनय के साथ एक व्यक्ति कथा-प्रसंगों को जोड़ता जाता था। जहाँ कथावस्तु सवादों द्वारा मुञ्जिल्ट नहीं हो पाती थी, वहाँ एक व्यक्ति 'वाचक' के रूप में पुस्तक से आवश्यक अंश पढ़ देता था। इस व्यक्ति को ग्रन्थिक कहते थे। वस्तुतः ग्रन्थि (कालग्रन्थि) से सम्बद्ध होने के कारण ही ये लोग ग्रन्थिक कहे जाते थे। नट और ग्रन्थिक दोनों पृथक् व्यवसायों के व्यक्ति होते थे। नाटक में कथापाठ करनेवालों को ग्रन्थिक नहीं कहते थे। नट कभी-कभी अकेला ही अभिनय के साथ मगीत-रूपक उपस्थित करता था। 'नट को सुनता है, ग्रन्थिक को सुनता है', ये उल्लेख इस बात के प्रमाण हैं। ग्रन्थिक शब्द ग्रन्थि से बना है। कुछ विद्वानों ने ग्रन्थ से इसका सम्बन्ध जोड़कर भ्रान्ति की है। भाष्य ने नट और ग्रन्थिक के संगीत या प्रवचन सुनने तथा गुरुमुख से पाठ सुनने में भेद किया है। प्रथम यदा-कदा और द्वितीय नियमपूर्वक होता है, जिसके लिए भाष्यकार ने उपयोग शब्द का व्यवहार किया है। उपयोग (नियमपूर्वक) की स्थिति में 'आचार्य से पढता है, आचार्य से सुनता है' ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता था और नट या ग्रन्थिक से यदा-कदा सुनने के लिए 'नट को सुनता है, ग्रन्थिक को सुनता है।' ये वाक्य प्रयुक्त होते थे। डॉ० वा० शं० अग्रवाल ने 'आरम्भक' का अर्थ समझने में भ्रान्ति की है। फलतः, उम सम्पूर्ण प्रसंग से निकाले हुए उनके निष्कर्ष भ्रान्त हो गये हैं।^१

१. लिङ्गान् स्त्रीपुंसयोजनं सति भ्रुकुसे टाप्राप्नोति। यद्धि लोके दृष्ट्वंतदवसीष्णे इय स्त्रीत्यस्ति तद् भ्रुकुसे।—४-१-३, पृ० १७।

२. नटस्य शृणोति, ग्रन्थिकस्य शृणोति। उपयोग इत्युच्यमानेऽप्यत्र प्राप्नोति। एयोर्नियं ह्युपयोगः। आतश्चोपयोगो यदारम्भका रङ्ग गच्छन्ति नटस्य श्रोष्यामो ग्रन्थिकस्य श्रोष्याम इति। एव तद्दुपयोग इत्युच्यते सर्वश्चोपयोगस्तत्र प्रकर्षगतिर्विज्ञास्यते। सार्धयो य उपयोग इति। कश्च साधीय? यो ग्रन्थार्ययो। अथवापयोगः को भवितुमर्हति। यो नियमपूर्वकः तजपा। उपयुक्ता भाषणका इत्युच्यन्ते य एते नियमपूर्वकमधीतयन्तो भवन्ति।—१-४-२९, पृ० १६५।

३. इण्डिया एज नोन टु पापिनि, पृ० ३३९।

शोभनिक—नट और ग्रन्थिक के साथ भाष्यकार ने शोभनिक का भी उल्लेख किया है।^१ शोभनिक नट को ही कहते थे। हो सकता है, पात्रानुकूल वेशभूषा धारण किये मुखानु-लेपन-युक्त नट को शोभनिक कहते हों।^२ पात्र रावण या कस का अभिनय करते समय मुँह पर एक अनुलेप करते थे और रामादि के पक्ष का अभिनय करते समय दूसरा। पात्रानुकूल वेश-प्रसाधन नाट्य के व्यापक प्रचार और पुरातन परम्परा का परिचायक है।

रंगमंच—भाष्यकार ने कसवध और बलिबन्ध नाटको की चर्चा की है।^३ ये दोनों मंच पर खेले जाते थे। रंगमंच पतजलि के समय में खूब विकसित हो चुके थे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह विकास किस सीमा तक पहुँच गया था, पर इतना अवश्य है कि मंच युद्ध, वध आदि के बड़े दृश्यों को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त होता था। अतीत की घटनाओं का वर्णन करने में वर्त्तमान काल के प्रयोग पर टीका करते हुए भाष्यकार ने प्रश्न किया है कि 'कस को मरवाता है या बलि को बँधवाता है' जैसे प्रसंगों में, जहाँ घटना को घटित हुए पर्याप्त समय बीत चुका है, वर्त्तमान काल का प्रयोग कहाँ तक उपयुक्त है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है, 'नट लोग प्रत्यक्ष ही कस को मरवाते हैं या बलि को बँधवाते हैं।' चित्रों में भी प्रहारार्थ उठाये हुए हाथ और कस-कर्षण आदि क्रियाएँ रहती हैं। उनके लिए भी वर्त्तमान काल का प्रयोग उचित है। रहे ग्रन्थिक लोग, वे भी प्रारम्भ से मृत्यु तक उनकी ऋद्धि का वर्णन करते हुए बुद्धि में उन विषयों को प्रकाशित करते हैं। श्रोता लोग मन में उन विषयों की कल्पना करते जाते हैं। उनके मन घटनाओं के साथ तदाकार बनते जाते हैं। इसीलिए, दर्शक या श्रोता भिन्न-भिन्न मत के भी दिखाई पड़ते हैं। कोई कसपक्षीय होता है और कोई कृष्णपक्षीय। वे अपने प्रिय पात्र की विजय देखकर प्रसन्न होते हैं और पराजय देखकर दुःखी। कभी उनका मुँह लाल होता है और कभी स्याह पड़ जाता है। इसीलिए, मानसिक कल्पना के आधार पर अतीत की घटनाओं के लिए तीनों कालों का प्रयोग देखा जाता है। उदाहरणार्थ, 'चले कथा सुनने—आज कस मारा जा रहा है या कस मारा जायगा।' अथवा 'अब जाकर क्या करेगे, कस तो मर ही गया' वाक्य प्रतिदिन व्यवहार में आते हैं।^४

१. ये तावदेते शोभनिका नामैते प्रत्यक्षकंसं घातयन्ति ।—३-१-२६, पृ० ७८।

२. वही।

३. इह तु कथ वर्त्तमानकालता कंसं घातयति बलिं बन्धयतीति चिरहते कंसे चिरबद्धे च वली।—३-१-२६, पृ० ७८।

४. ये तावदेते शोभनिका नामैते प्रत्यक्षं कंसं घातयन्ति प्रत्यक्षं च बलिं बन्धयन्ति । चित्रेषु कथम्? चित्रेष्वप्युद्गूर्णानि निपतिताश्च प्रहारा दृश्यन्ते कंसकर्षण्यश्च । ग्रन्थिकेषु कथं यत्र शब्दगडुमात्र लक्ष्यते? तेषु हि तेषामुत्पत्तिप्रभृत्याविनाशाद् ऋद्धीर्व्याचक्षाणाः सतो बुद्धि-विषयान् प्रकाशयन्ति । आतश्च सतो व्यामिश्रा हि दृश्यन्ते । केचित्कंसभवता भवन्ति केचिद्वसु-देवभवता । वर्णान्यत्वं सत्वपि पुष्यन्ति । केचिद् रक्तमुखी भवन्ति केचित् कालमुखाः । त्रिकाल्यं सत्वपि लोके लक्ष्यते । गच्छ हन्येते कसः गच्छ घानिप्येते कंसः । किं गतेन हते कंस इति ।—३-१-२६, पृ० ७८, ७९।

कथा-प्रवचन—उपर्युक्त उद्धरण इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि नाट्य के साथ ही कथा-वाचन की कला भी खूब उन्नत हो चुकी थी। लोग रात-रात भर ये कथाएँ सुनते रहते थे। हमारे पास इस बात के प्रमाण हैं कि नाटको की कथावस्तु के मुख्य आधार रामायण महा-भारत तथा प्राचीन पौराणिक आख्यान थे। कथावाचक भी इन्हीं आख्यानों को स्वर के उतार-चढ़ाव तथा विभिन्न भाव-भंगियों-सहित सुनाया करते थे। भावाभिव्यक्ति के मुख्य साहायक होते थे—मुखमुद्रा और हस्तादिचालन। वर्तमान 'भरतनाट्यम्' के समान सगीत और नवादों के साथ पृथक् स्वतन्त्र अभिनय भी धीरे-धीरे प्रचलित हो गया। पर, पतञ्जलि के समय में आख्यान-वाचन और अभिनय-कला दोनों स्वतन्त्र रूप से अलग प्रचलित और उन्नत हो चुके थे।^१ ये मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। इनमें नटों की एक स्वतन्त्र जाति या श्रेणी बन चुकी थी। नटों के लिए 'शोभनक' शब्द का प्रयोग केवल पतञ्जलि ने ही किया है।

नाट्यालेखन—उपर्युक्त उद्धरण रंगमंच के अतिरिक्त नाटक में व्यवहृत होनेवाले पदों के विषय में भी जानकारी प्रस्तुत करता है। नाट्यशाला में भित्तिपत्र पर तथा रंगमंच में पदों पर आलेखन करने की प्रथा थी। जो नाटक दिखाये जाते थे, उन्हीं के महत्त्वपूर्ण अंग पदों पर चित्रित किये जाते थे। ये पदों कपड़े के ही रहते होंगे। इससे जहाँ एक ओर जवनिका के प्रयोग पर प्रकाश पड़ता है, वहाँ दूसरी ओर चित्रकला के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। भित्ति-आलेखन की प्रथा भारत में यों भी बहुत पुरानी है। प्राचीन साहित्य में भी गितियों पर महत्त्वपूर्ण जीवन-गाथाएँ चित्रित करने के अनेक उल्लेख मिलते हैं।

नान्दी—नाटक के अंगों में नान्दी का भी उल्लेख मिलता है। नान्दी गानेवाला नान्दिकार कहा जाता था।^२

नृत्य

नृत्य का अर्थ—भाष्य में सगीत और वाद्य के साथ नृत्य के विषय में भी कुछ मतलब मिलते हैं।^३ नृत्य वाद्य के समान गिल्प नहीं था। उसकी गणना सगीत के समान कलाओं में होती थी। कला शब्द का प्रयोग पतञ्जलि ने स्त्री के सम्बन्ध में ही किया है।^४ हाँ गवतातः, उम युग में कला स्त्रियों की वस्तु समझी जाती थी। नृत्य शब्द नृत् धातु से बना है, जिसका अर्थ है गात्रविक्षेप। उमरिणः, मानव के समान पशु-पक्षियों के नर्तन के लिए भी उम शब्द का प्रयोग होना रहा है। भाष्यकार ने वाग्-वाग् मयूर के नृत्य का उल्लेख किया है और कहा है

१. चित्रेषु कथम्? चित्रेष्वप्युद्गूर्णनिपतिताश्च प्रहारा दृश्यन्ते कमपर्यन्त्यरच श्रित्तिः । कथं यत्र शब्दगठमात्रलक्ष्यते? तेऽपि हि तेषामुत्पत्तिप्रभृत्यादिनाशब्दाद् शब्दार्थावभाषायाः सुद्धिविषयान् प्रकाशयन्ति।—३-१-२६, पृ० ७८-७९।

२. ३-२-२१।

३. १-३-८।

४. मातृवदस्याः कलाः सन्ति, न सन्तीति।—७-१-७४, पृ० ७०।

कि वह प्रिया को लक्ष्य कर नाचता है।^१ नृत्य हर्षातिरेक की प्रतिक्रिया है। पतञ्जलि ने नृत्य में पुरुषों के भी भाग लेने का उल्लेख किया है।^२

नर्तकी—नाचनेवाले को नर्तक और नर्तकी कहते थे। नैपुण्य के अनुसार इनकी श्रेणियाँ होती थी। इसीलिए नर्तकिका, नर्तकितरा और नर्तकितमा शब्दों का प्रयोग उनके लिए मिलता है।^३ नृत्यक्रिया के लिए 'नृत्यति' का प्रयोग होता था, किन्तु प्रेरणार्थक नृत् घातु सदा आत्मनेपद से प्रयुक्त होती थी।^४

अप्सरा और गणिका—गीत-नृत्य में निपुण नारियो का एक वर्ग था। वे नारियाँ अप्सरा कही जाती थी। नाट्यशास्त्र में भी नाट्य की सफलता के लिए ब्रह्मा द्वारा अप्सराओं के भेजे जाने का उल्लेख है। कौशिकी वृत्ति का प्रयोग उन्हीं पर निर्भर था। महाभाष्य के अनुसार उर्वशी इस कलाकार-वर्ग में सर्वाधिक सुन्दरी थी।^५ धीरे-धीरे अप्सराओं की स्वतन्त्र श्रेणी बन गई और वे सारे समाज की वस्तु मानी जाने लगी। जब नगरों का विकास हुआ और जब गणों का संगठन हुआ, तब नर्तकी सारे गण की सम्मिलित संपत्ति समझी जाने लगी। ये गण या तो नागरक जन-समवाय के रूप में थे या राजनीतिक सस्था के रूप में। गण की सम्पत्ति होने के कारण नर्तकी गणिका कही जाने लगी। लिच्छिवि-गण की आम्रपाली या अम्बपाली नामक गणिका सुप्रसिद्ध ही है। उसकी कला का रसास्वादन करने का अधिकार सम्पूर्ण गण को था। ईसा-सन् के प्रारम्भ में गणिकाओं का बड़ा सम्मान था। वह सुशिक्षित और सस्कृत नारी का प्रतीक थी। यद्यपि मनु ने गण और गणिका दोनों का भोजन ब्राह्मण के लिए त्याज्य बतलाया है, फिर भी समाज और राज्य उसे विशेष आदर की दृष्टि से देखता था। गणिका-पद सस्थावत् था और विचक्षण कलावती ही 'गणिका'-सम्बोधन की अधिकारिणी बन पाती थी। वात्स्यायन के अनुसार 'शास्त्र-प्रहृत-नुद्धि' तथा दोनों (काम और कर्म) प्रकार की चौसठ कलाओं में निपुण गणिका ही जनसभा में सम्मान पाने की अधिकारिणी हो सकती थी।^६ (ललितविस्तर में शुद्धोदन द्वारा अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए ऐसी पत्नी खोजे जाने की चर्चा है, जो गणिका-सी शास्त्रज्ञ और कलामयी हो।)^७ भरत ने गणिकाओं को अत्यन्त सम्मान्य माना है और उनके लिए उच्च योग्यताएँ निर्धारित की हैं।^८ उन्होंने नाटकों में अन्य नारी-पात्रों को प्राकृत बोलने की आज्ञा दी है, किन्तु गणिका को सस्कृत में सम्भाषण करने की अनुमति प्रदान की है।^९

१. २-३-६७, पृ० ४५३ तथा प्रियां मयूरः प्रतिनर्ततीति ।—७-३-८७, पृ० २१२।

२. महत्त्वं नरवर ननृतीषि हृष्टः ।—वही।

३. ६-३-४२, पृ० ३२९।

४. १-३-८९।

५. उर्वशी वं रूपिण्यप्सरसाम् ।—५-२-९५, पृ० ४११।

६. कामसूत्र, अधि० १, अ० ३, सू० २०-२१।

७. ललितविस्तर, १२-१३९।

८. नाट्यशास्त्र, २४-१०९ से ११३।

९. वही, १७-३७, ३८।

महावग्ग में वैशाली की गणिका अम्त्रपाली के वैभव और प्रतिष्ठा का प्रभावशाली वर्णन है। उसकी सामाजिक स्थिति का अनुमान साधारण सामाजिक अपराधियों एवं नपुंसकों को मय में वहिष्कृत मानने वाले भगवान् बुद्ध द्वारा उसके स्वीकार से लगाया जा सकता है। पतञ्जलि के समय में गणिका-सस्या प्रभावशालिनी थी और उनकी सत्या इतनी थी कि उनका सघ बन नहें। गणिकाओं के सघ के लिए एक स्वतन्त्र शब्द 'गणिक्य' प्रचलित हो गया था। गणिकाओं की यह उन्नति पाणिनि के बाद और पतञ्जलि-युग के कुछ पूर्व हुई जान पड़ती है; क्योंकि न तो पाणिनि और न कात्यायन ने ही इस शब्द से अभिज्ञता प्रकट की है। पतञ्जलि को एतदर्थं पृथक् वार्त्तिक का निर्माण करना पडा है।

१. महावग्ग, ६-३० तथा ८-१।

२. गणिकायाश्चेति वक्ष्यन्त्यम्।—४-२-४०, पृ० १७९।

खण्ड ७

धार्मिक विश्वास, कृत्य और विचार

अध्याय ८

देवता

इन्द्र—महाभाष्यकालीन सस्कृति के यज्ञ-प्रधान होने के कारण उसमें उत्तर वैदिककालीन देवताओं का अनेक बार उल्लेख हुआ है। वैदिक साहित्य के समान ही महाभाष्य में भी इन्द्र और अग्नि का प्राधान्य है। इन्द्र के सभी प्रसिद्ध नाम जैसे शक्र, पुष्हूत, वृत्रहन्, मघवन्, हरिवन्, पुरन्दर और महेन्द्र भाष्य में मिलते हैं। इनमें कहीं यज्ञार्थ इन्द्र का आवाहन है और उससे मयूररोमा अमन्द्र अश्वो पर वैठकर आने की प्रार्थना की गई है (यह वाक्य ऋग्वेद ३-४५-१ से उद्धृत है)। कहीं उसे दी जानेवाली बलि या हवि के प्रसंग में, जिसका नाम उसी के आधार पर रखा जाता था, उसकी चर्चा हुई है। उदाहरणार्थ, ऐन्द्र हवि या माहेन्द्र, महेन्द्रिय या महेन्द्रीय हवि उसका स्मरण कराती है। पुर का विदारण करने के कारण इन्द्र का नाम पुरन्दर बतलाया गया है। एक स्थान पर उसे वृत्रहा का आचरण करनेवाला कहा गया है। भाष्य में एक छोटा-सा उपाख्यान भी आया है कि इन्द्र ने प्रसन्न होकर एक वृद्ध कुमारी से वर माँगने के लिए कहा। सो उसने वर माँगा कि मेरे पुत्र कसि के कटोरे में खूब घी-झूँघ-मिला भात खायें। किन्तु उसके पति ही नहीं था, पुत्र कहाँ से होते? न गाये थी और न धान्य। फिर, उसने एक ही वाक्य से पति, पुत्र, गाये, धान्य सब कुछ माँग लिया।

अग्नि—इन्द्र के समान ही अग्नि का नाम भी अनेक बार आया है। वैसे भाष्य में अग्नि का स्थान इन्द्र से बड़ा है। भाष्य में कहा गया है कि प्रथम विजय अग्नि ने प्राप्त की, इन्द्र उसके बाद

१. १-१-३९, पृ० २४८।

२. १-२-३६, पृ० ५४१।

३. १-२-३२, पृ० ५१०।

४. ३-२-४१।

५. ४-२-२९।

६. अमन्द्रैरिन्द्रहरिभिर्याहि मयूररोमभिः।—२-२-१८, पृ० ३४९।

७. वही।

८-९. ६-३-६९।

१०. ६-४-१३, पृ० ३७८।

११. वृद्धकुमारीन्द्रोक्ता वरं वृणीष्व। सा वरमवृणीत। पुत्रा मे बहुधृतक्षीरमोदं कांस्यपात्र्यां भुञ्जीरन्निति। न च तावदस्याः पतिर्भवति कुतः पुत्रा. कुतो गावः कुतो धान्यम्! तत्रानयैकेन वाक्येन पतिः पुत्रा गावो धान्यमिति सर्वं संगृहीतं भवति।—८-२-३, पृ० ३१७।

विजयी हुआ।^१ इन्द्र को श्वेतवाद् भी कहा गया है; क्योंकि श्वेत (अश्व) उमका वहन करते थे।^२

रुद्र—रुद्र, भव, शर्व,^३ कण्ठकाल,^४ गिरिश^५ ये रुद्र के नाम प्रचलित थे। रुद्र को पद्म-बलि दी जाती थी।^६ भाष्य में शतरुद्र का भी उल्लेख है। उन्हें दी जानेवाली हवि को शतरुद्रिय या शतरुद्रीय कहा है। शतरुद्र की पूजा पाणिनि के बाद प्रचलित हुई जान पड़ती है।^७ कण्ठकाल में पीराणिक विपान की गाथा आकर जुड़ गई है और गिरिश भी शिव के कैलाशगायी होने की पीराणिक भावना की ओर सकेत करता है। भव और शर्व का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है,^८ किन्तु पाणिनि के मूड का उल्लेख भाष्य में नहीं है। त्रियम्बक या त्र्यम्बक गद्य भी, जो आगे चलकर शिव का पर्याय बन गया, भाष्य में मिलता है।^९

सूर्य—आदित्य, अर्क, सूर्य, सविता, पूषन् ये सूर्य के अन्य नाम मिलते हैं।^{१०} अर्क या आदित्य की उपामना डम काल में प्रचलित हो चुकी थी और सम्भवतः उमका स्वरूपवही था, जो आगे चलकर पीराणिक काल में देखने को मिलता है। भाष्यकार ने देवपूजा के प्रमग में अर्क और चन्द्रमा की चर्चा^{११} की है तथा कहीं से दो श्लोक उद्धृत किये हैं^{१२}, जिनका आशय है कि 'बहुत-से नासमझों में कोई एक ममझदार निकल आता है। देवों, इस वानर-सेना में एक वानर सूर्य की पूजा करता है।' यह सुनकर दूसरा वानर कहता है—'ऐसा मत समझो कि यह ममझदार है। वास्तव में, यह हम-जैसा ही है। यह जो सूर्य की पूजा करता है जैसा दिखता है, यह इगकी वानर', चेष्टा ही है। 'सूर्य अदिति का पुत्र है और दैत्य दिति के।'^{१३} वह देव सविता हमें श्रेष्ठ कर्म की ओर

१. ८-१-३५, पृ० २८९।

२. ३-२-७०, पृ० २२६।

३. ३-१-१३४, पृ० १९७।

४. २-१-६९, पृ० ३२३।

५. ३-२-१५, पृ० २१२।

६. २-२-२४, पृ० ३६६।

७. ५-२-२८, पृ० १७५।

८. ४-१-१९।

९. ६-४-७७, पृ० ४४५।

१०. ६-४-१२।

११. १-३-२५, पृ० ६४।

१२. बहूना मप्यचित्तानामेको भयति चित्तवान्।

पश्य वानर संन्येऽस्मिन् यदकमुपतिष्ठते ॥

संय मंभ्याः मचित्तोऽयमेपोऽपिह यया वयम्।

एतदप्यस्य कायेयं यदकमुपतिष्ठति ॥—यहाँ।

१३. ४-१-८५, पृ० ९५।

प्रवृत्त करें।' इत्यादि सूर्य के स्तुतिपरक वैदिक वाक्य भाष्य में उद्धृत मिलते हैं।^१ आदित्य को अर्पित की जानेवाली हवि भी आदित्य कही जाती थी।^२ आदित्य के समान ही सोम की भी पूजा प्रचलित थी।^३ सोम की हवि को सौम्य कहते थे।^४

अन्य देवता—इनके अतिरिक्त मरुत्,^५ उषस्,^६ महाराज,^७ वरुण,^८ प्रजापति,^९ अपोनपात्^{१०} या अपानपात्, विश्वेदेवा^{११} और अर्यमन्^{१२} के नाम महाभाष्य में आये हैं। पाणिनि-सूत्रों में सगृहीत शुनासीर, वास्तोष्पति और गृहमेघ पर भाष्यकार ने कोई मत व्यक्त नहीं किया है। मरुत् का उल्लेख उद्धृत ऋग्वेद के ही अन्तर्गत हुआ है।^{१३} उषस् को भाष्य में भी दिव की दुहिता कहा है।^{१४} महाराज का प्रभाव पतञ्जलि-काल में बढ़ गया जान पड़ता है। हविर्भाक् के अतिरिक्त वे इस काल में भक्ति के भी पात्र बन गये थे और उन्हें वलि दी जाती थी (२-१-३६ वा० २ पृ० २८८) और विष्णु एव शिव के समान उनकी भी भक्ति की जाने लगी थी।^{१५} वरुण को भाष्य में सुदेव और सत्यदेव कहा है।^{१६} प्रजापति का दूसरा नाम 'क' भी प्रचलित था। पाणिनि के 'कस्येत्' (४-२-२५) सूत्र पर शका करते हुए भाष्यकार ने कहा है कि 'काय हवि.' के लिए यज्ञ में संप्रैष किस प्रकार होगा। यदि काय शब्द में किम् को आदेश हुआ है, तो 'कस्मै अनुब्रूहि' यह संप्रैष होगा और यदि 'काय' शब्द किम् से नहीं बना है, तो 'काय अनुब्रूहि' यह संप्रैष होगा। इसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि चाहे इसे किम् का रूप मानें या न माने, हर स्थिति में 'कस्मै अनुब्रूहि' यही संप्रैष होगा; क्योंकि सर्व की सर्वनाम सज्ञा है और प्रजापति सर्व की प्रकृति होने के कारण सर्व है और प्रजापति का ही दूसरा नाम 'क' है। दूसरे व्याकरणों के मत से 'क' सर्व और प्रजापति के पर्याय होने पर भी 'क' शब्द सर्वनाम नहीं हो सकता; क्योंकि सज्ञा और उपसर्जन में सर्वनाम सज्ञा नहीं होती।

१. ५-३-५५, पृ० ४५२।
२. ४-२-२४ का०।
३. १-३-२५, पृ० ६४।
४. ४-२-३०।
५. २-१-२, पृ० २६५।
६. वही।
७. २-१-३६, पृ० २८८।
८. आ० १ पृ० १०।
९. ४-१-८५, पृ० ९६।
१०. ४-२-२७, पृ० १७४।
११. ५-१-५९, पृ० ३३२।
१२. ६-४-१२।
१३. २-१-२, पृ० २६५।
१४. वही।
१५. ४-२-३५ तथा ४-३-९७।
१६. आ० १, पृ० ११।

नाथ्य की इस विचारणा में यह भी पता चलता है कि प्रजापति सम्पूर्ण विश्व की प्रकृति माना जाता था।^१ अर्थात् अर्गनपात् अर्गनपात् का नयैव भी 'अर्पानपातेऽनुब्रूहि अपानपातेऽनुब्रूहि' ही होता था और उन्हें ही जानेवाली हृदि अपानप्रिय और अपानप्रिय कही जाती थी।^२

देवपत्नियों—उपर्युक्त देवताओं में कुछ की पत्नियों और उन्हें इविष् अर्पित करने की प्रथा का भी नाथ्य से पता चलता है। इनमें अग्नि की पत्नी अम्नायी, इन्द्र की पत्नी उन्द्राणी, सूर्य की पत्नी सूर्या प्रमूत्र हैं। सूर्य की मानवी पत्नी मूरी कहलानी थी।^३ नाथ्य में पञ्चेन्द्र, द्योन्द्र, पञ्चाग्नि और इमाग्नि का उल्लेख है, जिनके देवता पाँच आँग वम इन्द्राणी एवं अम्नायी^४ हैं। नाथिलि ने इन्द्राणी, वरुणाणी, भवानी, यवाणी, लडाणी, मृदानी^५ एवं वृषाष्टपि की पत्नी वृष-कन्या^६ का उल्लेख किया है। नाथ्य ने इनकी पूजा की स्पष्ट चर्चा नहीं की है, तो भी अम्नायी और इन्द्राणी के समान इनकी भी पूजा होती होगी, इसका मन्थना में अनुमान किया जा सकता है। इनके अनिश्चित अन्य मन्थन स्त्री-देवताओं में गौरी,^७ मरुवनी,^८ लक्ष्मी,^९ यमी^{१०} प्रमा^{११} हैं। मरुवनी के अन्य नामों में अक्ष्या, देवी, डहा, विह्व्या और काव्या भी मिलते हैं।^{१२} अम्नाया, उम्नाया, अम्बिका शब्द आगे चलकर गौरी के पर्याय बन गये। मरुवनी की प्रगटना से लिगु मरुवनी इष्टि की जाती थी। लक्ष्मी को भद्रा भी कहा है। लक्ष्मी का यह स्वयं पौराणिक लक्ष्मी के समान ही है। मरुवनी, लक्ष्मी और गौरी का यह त्रिक पौराणिक रूप में बहुत प्रतिष्ठित हुआ।^{१३}

देवयुग्म—कुछ देवताओं का निर्देश युग्म रूप में मिलता है। इनमें उन्द्राणी^{१४} अम्ना-योम,^{१५} निशवदण,^{१६} अग्निविष्णु,^{१७} ब्रह्मप्रजापति, शिव-श्रवण,^{१८} स्कन्दविद्याम्, अग्निपत्नी^{१९}

१. ४-२-३५, पृ० १७४।
२. ४-२-२७, पृ० १७४।
३. ४-१-४८, पृ० ६३।
४. १-१-५८, पृ० ३८०।
५. ४-१-४९।
६. ४-१-३७।
७. १-१-१९, पृ० १८९।
८. आ० १, पृ० ९।
९. आ० १, पृ० ८।
१०. ६-१-१०७, पृ० १६४।
११. ८-१-३, पृ० ३०८।
१२. ७-३-१०७, पृ० २१५।
१३. ५-१-५९, पृ० ३३२।
१४. ६३-४०, पृ० ३२८।
१५. ३-२-१७१, पृ० २७८।
१६. ६-३-२८, पृ० ३११।
१७. ६-३-२६, पृ० ३१०।
१८. ६-३-४०, पृ० ३०८।

अग्निवायू^१, वायुवरुण^२ प्रमुख हैं। इनमें ब्रह्मप्रजापती शिववैश्रवण और स्कन्दविशाख वैदिक युग्म नहीं है। वेदोत्तर काल में इन युग्मों की पूजा प्रचलित हो गई थी। इसलिए, ये देवता-द्वन्द्व नहीं माने जाते थे। भाष्यकार के मत से वेद में सहवाप-निदिष्ट देवता ही द्वन्द्व माने जा सकते थे। अग्निवायू आदि वेद में सहवाप-निदिष्ट है, किन्तु ये नहीं है।^३ अग्निविष्णू का द्वन्द्व भी पाणिनि के वाद ही बना जान पड़ता है। पाणिनि में उसका उल्लेख नहीं है, किन्तु वार्त्तिककार की दृष्टि उस ओर गई है। उनके समय में आग्नावैष्णव चरु का निर्वाप होता था।^४ अग्निवारुणी अनड्वाही के आलम्भन की चर्चा भाष्य में अनेक बार आई है।^५ इसी प्रकार, मित्रावरुण के लिए यज्ञ करने का वार-वार निर्देश हुआ है।^६ इन्द्राग्नि के लिए एकदशकपाल-चरु के निर्वाप का निर्देश^७ है और अग्निमस्तों के लिए अनड्वाही के आलम्भन का।^८

पाणिनि ने इनके अतिरिक्त इन्द्रावरुण^९ का और काशिकाकार ने इन्द्रासोम, इन्द्रा-वृहस्पती,^{१०} इन्द्रानी, इन्द्रवायू और शुक्रामन्विनी, का उल्लेख किया है।^{११}

नक्षत्र-देवता—इस समय नक्षत्रों को भी देवताओं में मान लिया गया था और सोम, शुक्र, वृहस्पति, प्रोष्ठपदा और अभिजित् के लिए स्थालीपाक और हविष् दी जाती थी। पाणिनि ने शुक्रिय हवि का संकेत किया है।^{१२} भाष्य में वार्हस्पत्य हविष् का वार-वार उल्लेख हुआ है।^{१३} तथा आभिजित् मुहूर्त्त के आभिजित् स्थालीपाक का भी निर्देश मिलता है।^{१४} सोम से आशा की गई है कि वह अमृतत्व प्रदान कर माता-पिता के लोक तक पहुँचायेगा।^{१५}

नासत्य,^{१६} वास्तोष्पति, गृहमेघ, द्यावापृथिवी, शुनासीर, मरुत्वत्^{१७} आदि कुछ देवताओं

१. ६-३-२६, पृ० ३१०।

२. ६-३-४२, पृ० ३२८।

३. ६-२-२६, पृ० ३१०।

४. ६-२-२६, पृ० ३१० तथा ६-३-२८, पृ० ३११।

५. ६-३-४२, पृ० ३२८।

६. ६-१-१०८, पृ० १६४ तथा ६-१-१२, पृ० ३५।

७. ७-३-२१ का०।

८. वही।

९. ७-३-२३।

१०. ६-२-१४१ का०।

११. ६-२-१४२।

१२. ४-२-२६।

१३. ४-१-८५, पृ० ९६।

१४. ५-३-११८, पृ० ४८१।

१५. ६-३-३३, पृ० ३११।

१६. ६-३-७५।

१७. ४-२-३२।

के नाम पाणिनि-सूत्रों में मगूहीत हैं, यद्यपि भाष्य में उनपर कोई मत प्रकट नहीं किया है। नामत्व की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। वास्तोष्पति की प्रार्थना ऋग्वेद (८-५४, ५५) में भी मिलती है।

इन समय वायु, ऋतु, पितर, उपसू तथा अन्य कालवाची शब्द भी देवताओं की कोटि में आ चुके थे।^१ 'कालेभ्यो यववत्' (४-२-३४) सूत्र पर पतंजलि की मविस्तर व्याख्या उक्त वात की परिचायक है कि कलिदेव की भी पूजा होती थी और तदर्थ चरु को कालेय कहते थे (४-२-७, वा० १, पृ० १६९) तथा उनके समय में भी पाणिनि-काल के समान इन सबकी पूजा प्रचलित थी। गो भी स्थालीपाक की देवता बतलाई गई है।^२ और उन स्थालीपाक को गव्य कहा है।

उपास्य देवता—महादेव शब्द महान् देवता और देवता विशेष दोनों अर्थों में आना है।^३ वैश्रवण की पूजा पतंजलि-काल में बहुत बढ़ गई थी। पिशाचकी नाम का अर्थ गण्ड नहीं कहा जा सकता। भाष्यकार में उन्हें पिशाचकी कहा है।^४ कुबेर, धनपति आदि उनके अन्य नाम थे। यज्ञ में तो अन्न प्राप्त होता ही था। उनके मन्दिर भी थे।^५ कृष्ण, वामुदेव और कुबेर के मन्दिरों में सामूहिक नृत्य, गान, वाद्य आदि होते थे। उनके अयन और उत्थान का विवरण भाष्य में मिलता है, जो रात्रि एवं प्रभात वेला में उनके मन्दिर के द्वार बन्द होने और खुलने का द्योतक है।^६ इस प्रकार, मन्दिरों में देवताओं के अयन और उत्थान के समय आग्नी-पूजा की प्रथा बहुत पुरानी है। कृष्ण और बलराम के मन्दिर भी उक्त युग में थे और वे देवता की कोटि को पहुँच चुके थे।^७ कृष्ण का दूसरा नाम गोविन्द व्यक्तिवाचक मन्ना वन नुक्ता था।^८ भाष्य में किसी श्लोक का अर्थात् उद्धृत किया गया है, जिसमें मकरपण के साथ कृष्ण का बल बढ़ने की कामना की गई है।^९ महाराज के समान कृष्ण की भक्ति का प्रचार उक्त युग में ही गया था।^{१०} शिव, स्कन्द, विद्याज्ञ की पूजा तो बहुप्रचलित थी।^{११}

अन्नपति—अन्नपति को अन्नद भी कहा गया है। सम्भव है, अनुामीर का मत दूसरा

१. ४-२-३१, ४-२-३४।
२. ४-१-८५, पृ० ९५।
३. आ० १, पृ० ६ तथा ६-१-६३, पृ० ८६।
४. ५-२-१२९, पृ० ४२२।
५. २-२-३४, पृ० ३८९।
६. ३-१-१३३, पृ० १९७।
७. ४-३-९८, पृ० २४५।
८. ३-१-१३८, पृ० १९८।
९. २-२-२४, पृ० ३६९।
१०. ४-३-९७, तथा ३-१-२६, पृ० १७५।
११. ५-२-९९, पृ० ४७९।

नाम हो। अन्नपति स्वतन्त्र देवता भी हो सकता है।^१ अन्नपति वैदिक देवता है। काल का वर्णन भी देवता के रूप में ही भाष्य में किया गया है। इससे सम्बद्ध कारिका भले ही भाष्यकार की न हो, पर इससे उनकी धारणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके मत से काल भूतो का पचन करता है और वही प्रजाओं का सहार करता है।^२ इस प्रकार, काल वैदिक यम का ही दूसरा नाम है। निलिम्पी को भी भाष्य में देव कहा है।^३ मोनियर विलियम्स के अनुसार ये मरुतो का एक दस्ता (Troop) थे। तैत्ति० स० और अथर्ववेद में भी इन्हे दिव्य वर्गविशेष के रूप में स्वीकार किया है। भाष्य में 'शाशपास्थला देवा' (७-३-१, वा० १, पृ० १७१) भी वर्णित है, जो चैत्य-पूजा के परिचायक हैं। पैगाक्षीपुत्र और तार्णविवन्द को वास्तिककार के समान भाष्यकार ने भी देवता माना है।^४ ये कौन थे और इनका स्वरूप क्या था, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

देवासुर—देवों और असुरों और राक्षसों एवं असुरों का निरन्तर वैर रहता था।^५ राक्षसासुर-वैर की बात सर्वथा नवीन जान पड़ती है। देवों के प्रिय या देवपूजक लोगों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।^६ देवताओं की पूजा को देवदेवत्व और पितरों के श्राद्ध को पितृदेवत्व कहते थे। अतिमानवीय योनियाँ देव और पितरों में विभक्त थी।^७ देव और पितर दोनों पृथक् योनि के प्राणी माने जाते थे। आदित्य, देवताओं की समान सर्जा थी, पर भाष्यकार ने देवों और आदित्यों में भेद निरूपित किया है।^८ देव इन्द्रपक्षीय और आदित्य सूर्यपक्षीय माना जाता था। भाष्य में इनके अतिरिक्त नागमाता कद्रू^९ तथा काशिका में डाकिनी, कुण्डलिनी^{१०} तथा अर्ध-देवता कपि, गरुड, सिंह के नाम आये हैं।^{११} अन्तिम तीनों ध्वजाक थे।

सामान्य विश्वास था कि प्रसन्न देवता 'प्रिय' करते हैं। उनकी स्तुति स्तोत्रा को वीर्य प्रदान करती है।^{१२}

१. ३-२-१, पृ० २०५।

२. ३-३-१६७, पृ० ३३९।

३. ३-१-१३८, पृ० १९८।

४. ४-२-२८, पृ० १७५।

५. ४-३-१२५, पृ० २५३।

६. ५-३-१४, पृ० ४३२।

७. ५-४-२४, पृ० ४७९।

८. ५-४-४८, काशिका।

९. ५-४-४८, का०।

१०. ४-१-७१, पृ० ७७।

११. ४-२-५१।

१२. ५-३-१००।

१३. ६-१-८, पृ० २४।

अध्याय ९

यज्ञ

याज्ञिक परम्परा का पुनरुत्कर्ष—पतञ्जलि कर्मकाण्डी श्रोत्रिय थे, अतः उनकी कृति में यज्ञ-यागविषयक उल्लेखों का प्राचुर्य स्वाभाविक है। वे स्वयं पुष्यमित्र के अद्वैतमेघ यज्ञ में पुरोहित थे और उसी अवसर पर उन्होंने शिष्यों को अष्टाध्यायी पढाते हुए महाभाष्य का प्रणयन किया था।^१ पतञ्जलि ने महाभाष्य में पुष्यमित्र द्वारा यज्ञ किये जाने का दो बार सीधा उल्लेख किया है और दो बार स्वयं द्वारा यज्ञ कराये जाने की चर्चा की है।^२ दूसरे, पतञ्जलि के समय तक यज्ञशास्त्र चरम उन्नति तक पहुँच चुका था। संहिताओं और ब्राह्मण-ग्रन्थों के अतिरिक्त बहुत-से कल्प-ग्रन्थ लिखे जा चुके थे^३ और इस प्रकार स्वतन्त्र याज्ञिक-शास्त्र की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। भाष्यकार ने याज्ञिकों को शास्त्रकृत् कहा है और उनकी कृतियों को शास्त्र।^४ यज्ञों के व्याख्यान-ग्रन्थों का भी उल्लेख भाष्य में मिलता है।^५ व्याख्यान-ग्रन्थों में उदाहरण, प्रत्युदाहरण तथा संक्षेप में कही हुई बात का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अध्याहृत वाक्य भी सम्मिलित रहते थे।^६

याज्ञिक शास्त्र—याज्ञिकों के आम्नाय को याज्ञिक्य कहते थे। यज्ञग्रन्थों का अध्ययन करनेवाले याज्ञिक कहलाते थे। यज्ञ-ग्रन्थों की भी याज्ञिक्य संज्ञा थी। सामान्यतया यज्ञ में अध्ययन का अर्थ यज्ञग्रन्थों का अध्ययन समझा जाता था।^७ याज्ञिक्य शास्त्र में निष्णात व्यक्ति याज्ञिक्य में परिगणित कहे जाते थे।^८ किन्तु, निन्दा या अवक्षेपण व्यक्त करने में उसे याज्ञिक्य कहते थे। जैसे, इसे अपने याज्ञिक्यक का बड़ा गर्व हो गया है।^९ यज्ञ का वेद गजु है। उगमें प्रवीण याज्ञिक कहलाता था। इसी प्रकार बहि-आस्तरण आदि कर्म में प्रवीण या निष्णात याज्ञिक को बहिष्क कहते थे। जो नियमित रूप से यज्ञ का अध्ययन नहीं करता था, उसे व्यग्य

१. ३-३-१४२, वा० १, पृ० ३३१ तथा ३-२-१२३, वा० १, पृ० २५४
२. पुष्यमित्रो यज्ञते याज्ञिका याज्ञयन्ति।—३-१-२६, वा० ३, पृ० ७४; ३-२-१२, वा० १, पृ० २५४; ३-३-१४२, वा० १, पृ० ३३१।
३. कल्प. अर्थः मन्त्रः—४-३-६६, पृ० २४०।
४. याज्ञिकः। शास्त्रेणानुचिदधते।—वा० १, पृ० २१,
५. ४-३-६६, वा० ६, पृ० २४०,
६. वा० १, पृ० २५।
७. ४-२-६०, पृ० १८६।
८. परिगणितो याज्ञिक्ये।—२-३-३६, वा० १, पृ० ४३१।
९. अवक्षेपणो कन्—याज्ञिक्यकेनायं गीयत।—५-३-९५, पृ० ४७८।

मे 'प्रायेण याज्ञिक' कहते थे।^१ यज्ञ के अपने और यजमान के लिए करने की दृष्टि से यज्ञ धातु का उभयपदीय प्रयोग तथा यज्ञपात्रों से भिन्न उपयोग मे प्र तथा उप पूर्वक युज् धातु का आत्मनेपद मे प्रयोग भी इस धात का प्रमाण है कि यज्ञ के विषय मे प्रयुक्त भाषा के भी सूक्ष्म नियम बन गये थे।^३

यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के मन्त्रों का प्रयोग पुरोडाश के संस्कार के लिए होता है। इनकी व्याख्या करनेवाला ग्रन्थ पौरोडाशिक कहलाता था। पुरोडाश बनाने तथा उसकी आहुति देने की विधि का वर्णन जिस ग्रन्थ मे हो, उसे पुरोडाशिक कहते थे। पौरोडाशिक और पुरोडाशिक ग्रन्थों का भेद यज्ञ-सम्बन्धी अवान्तर वातों के विषय मे भी ग्रन्थ-प्रणयन के प्रति विद्वानों की रुचि का द्योतक है।^४ याज्ञवल्क्य और सौलभ ब्राह्मण-ग्रन्थों, ताण्ड्यी, माल्लवी, शाट्यायनी, ऐतरेयी आदि ब्राह्मण-ग्रन्थों के वेत्ता, अध्येता आदि लोगो, पैंगी आदि कल्पग्रन्थों तथा अनुब्राह्मणों के ज्ञाताओं का उल्लेख भाष्यकार ने किया है। उक्थ का अध्ययन करनेवाले औक्थिक और अग्निष्टोम, वाजपेय आदि यज्ञों का अध्ययन करनेवाले अग्निष्टोमिक, वाजपेयिक आदि कहे जाते थे।

याज्ञिकों की मान्यताएँ—भाष्य मे याज्ञिकों के अनेक विद्वानों और व्यवहारों की चर्चा है। यथा (१) वेदो मे मन्त्र इस प्रकार नहीं मिलते कि उनका उपयोग यज्ञ मे एक या अनेक पुरुष अथवा स्त्रियाँ, जब जिस प्रसंग मे चाहे, कर सकें। याज्ञिक को प्रसंगानुसार उनमे लिंग या विभक्ति का परिवर्तन कर लेना चाहिए।^५ प्रकृति-यज्ञों के कल्पग्रन्थों मे प्रयाज-मन्त्र सविभक्तिक ही पठित^६ है, फिर भी यदि अग्न्याधान के पश्चात् यजमान उदर-व्यथा से पीडित हुआ या सवत्सर के बीच मे उसपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ी, तो उसे फिर से नैमित्तिकी आवेय इष्टि करनी पडती है। इस प्रसंग मे 'प्रयाजा. सविभक्तिकका कार्या' यह याज्ञिक आम्नाय^७ है। (२) आहिताग्नि को अपशब्द का प्रयोग करने पर प्रायश्चित्त के लिए सारस्वती इष्टि

१. २-३-१८, पृ० ४२०।

२. स्वरितत्रितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले।—१-३-७२; १-३-६४, पृ० ८४।

३. पौरोडाश पुरोडाशात् षण्—पुरोडाशः पिष्टपिण्डास्तेषां संस्कारको मन्त्रः पौरोडाशः तस्य व्याख्यानः तत्र भवो वा पौरोडाशिकः—पौरोडाशिको। पुरोडाशसहचरितो ग्रन्थः पुरोडाशस्तस्य व्याख्यानस्तत्र भवो वा पुरोडाशिकः।—४-३-७० काशिका।

४. न सर्वोलङ्गनं सर्वाभिविभक्तिभिर्वेदे मन्त्रा निगदिताः। ते चावश्य यज्ञगतेन ययाययं विपरिणमयितव्याः।—आ० १, पृ० २।

५. याज्ञिकाः पठन्ति, प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्या इति।—आ० १, पृ० ६।

६. यद्यपि प्रकृतौ प्रयाजमन्त्राः सविभक्तिका एव पठ्यन्ते तथापि यज्ञाधानादन्तर यजमान उदरव्यथावान् स्यात्, यदि सवत्सरमध्ये तस्य महती विपत् स्यात् तथा नैमित्तिकी पुनराधेयोष्टिर्विधायते। तत्रेदमाम्नातम्—प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्या इति।—शब्दकोस्तुभ।

करनी चाहिए।^१ (३) स्वर या वर्ण से दूषित शब्द का यदि यज्ञ में उच्चारण किन्ना जाता है, तो वह मिथ्याप्रयुक्त शब्द वाञ्छित अर्थ का बोधक न होकर वाग्व्यञ्ज बन जाता है और यज्ञमान का नाश कर देता है। अशुद्ध उच्चारण के कारण ही 'इन्द्रगन्धर्वेभ्य' इम मन्त्र से इन्द्र का अभिचार करनेवाला वृत्र स्वयं नष्ट हो गया।^२ इसीलिए 'यद्दानं, तद्दानं' के मन्त्र पर 'यर्वाणः तर्वाणः' बोलनेवाले ऋषि भी, जिनका नाम ही अशुद्ध उच्चारण के कारण यर्वाण-तर्वाण पड़ गया था, यज्ञकाल में इन शब्दों का विशुद्ध उच्चारण करते थे। अमुर लीग यज्ञकाल में भी अशुद्ध उच्चारण करते थे, इसीलिए वे पराभूत हो गये।^३ अतः, यज्ञ कराने का अधिकारी अर्थात् आर्त्विर्जीन वही ब्राह्मण बन सकता है, जो मन्त्र का पदश, स्वरग और अक्षरग गूढ उच्चारण कर सके।^४ (४) याज्ञिक शास्त्रों में अनेक ऐसे यज्ञों का वर्णन तथा विधि सन्निधिष्ट है जिनका अनुष्ठान पतञ्जलि के समय बन्द हो गया था, किन्तु लेखक याज्ञिक शास्त्र पर ग्रन्थ लिखते समय उन दीर्घ सत्रों का उल्लेख अपने ग्रन्थों में करते थे। यहाँ तक कि शास्त्रकार याज्ञिक सौ वर्षों या हजार वर्षों तक चलनेवाले सत्रों तक का विधान शास्त्रों में करते थे।^५ यत् ऋषि-सम्प्रदाय था। (५) याज्ञिकों के मतानुसार यज्ञ करना और उसकी विधि के विवरणों को ठीक समझना तथा पूर्व श्रद्धा के साथ उसके रहस्यों को हृदयगम्य करना आवश्यक माना जाता था। अग्निष्टोम या नाचिकेत अग्नि का चयन ही पर्याप्त नहीं, उसके महत्त्व का जानना भी आवश्यक था। इसके लिए याज्ञिक शास्त्र का सूक्ष्म अध्ययन अपेक्षित होता है।^६ (६) किमी को दान करते या यज्ञ करते देखकर बिना पूर्ण ज्ञान प्राप्त किये उसके अनुकरण पर दान या यज्ञ करनेवाला भी अम्युदय का भागी माना जाता है। उदाहरणार्थ, विध्वंसूज् मन्त्र में अध्वार्याग व्यक्ति को देखकर जो कोई विध्वंसूज् मन्त्र में अध्वार्याग हो, वह भी अनुकार्यं व्यवृत्त के गमान

१. याज्ञिकाः पठन्ति, आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तोयां सारस्वतोमिष्टि निर्वपेत्।—आ० १, पृ० ९।

२. दुष्टं शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमयमाह स वाग्व्यञ्जो यज्ञमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्।—आ० १, पृ० ४।

३. यर्वाणस्तर्वाणो नामर्षयो बभूवुः—ते तत्र भवन्तो यद्दानस्तद्दान इति प्रयोगस्ये यर्वाणस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते याज्ञे पुनः कर्मणि नापभायन्ते। तं पुनरसुरैर्यज्ञे कर्मण्यपभायां ततस्ते पराभूता।—आ० १, पृ० २५।

४. यो वा इमा पदशः स्वरशोऽक्षरश्च वाचं विदधोति न आर्त्विर्जीनो भवति।—आ० १ पृ० ६।

५. दीर्घसत्राणि चार्थशतिकाणि चार्थमहस्रिकाणि च। नचाद्यत्वे षडिचर्दपि द्युज्यन्ति। केवलमृषिसम्प्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिका शास्त्रेणानुविदधने।—आ० १, पृ० २१।

६. वेदशब्दा अप्येवमभिप्रदन्ति—शोऽग्निष्टोमेन यजने य उ चंनमेव वेद—शोऽग्नि नाचिकेन चिनुने य उ चंनमेव वेद।—आ० १, पृ० २३।

श्रेयोभागी होता है।^१ लोक और वेद दोनों से इस वारणा को मान्यता प्राप्त थी। (७) याज्ञिक ग्रन्थकर्त्ता वैयाकरणों के समान सज्ञाएँ नहीं करते थे। जिस प्रकार वैयाकरण वा, विभाषा, विकल्प, अन्यतरस्याम् या बहुलम् आदि सज्ञाओं द्वारा आदेश आदि के विषय में विवक्षु को स्वतन्त्रता देते हैं, उस प्रकार याज्ञिक शास्त्र साकेतिक या सज्ञा शब्दों का आश्रय नहीं लेते। वे सीधी भाषा द्वारा वैकल्पिकता का विधान करते हैं। उदाहरणार्थ, यज्ञ में पशु या अनड्वान् की वलि यजमान की इच्छा पर निर्भर है। वह चाहे, पशु वलि दे या न दे। याज्ञिक शास्त्र पशुवलि की अनिवार्यता का प्रतिपादन नहीं करते, किन्तु इस यथेच्छ चिकीर्षा के लिए वे किसी पारिभाषिक शब्द का आश्रय न लेकर 'मेध्योऽनड्वान् विभाषितः' कह देते हैं।^२ (८) सामान्यतया द्विज यज्ञ में सक्रिय भाग लेते थे। तक्षा, अयस्कार, रजक, तन्तुवाय आदि कुछ जातियाँ भोजन पात्र से वहिष्कृत न थी, किन्तु यज्ञ कर्म से निरवसित मानी जाती थी।^३

यज्ञों के भेद—यज्ञों को दो वर्गों—श्रौत और स्मार्त्त में बाँटा जा सकता है। श्रौत यज्ञों में वे बड़े-बड़े यज्ञ आते हैं, जिनके सिद्धान्तों और प्रक्रिया का वर्णन संहिताओं और ब्राह्मण-ग्रन्थों में प्राप्त होता है। सोमयाग इस श्रेणी में है। गृह्ययज्ञों का वर्णन गृह्यसूत्रों में, जो स्वयं स्मृति-साहित्य के अन्तर्गत हैं, मिलता है। अतः उन्हें स्मार्त्त यज्ञ कहते हैं। इन यज्ञों का प्रारम्भ गृह्ययज्ञों से ही हुआ था, जिन्हें बनी, निर्बन, पण्डित और सामान्य जन सभी सरलता से कर सकते थे। इनके लिए न विशेष वेदी की आवश्यकता होती थी और न पुरोहिती की। भाष्यकार ने इन यज्ञों में निम्नलिखित का उल्लेख किया है—

पाकयज्ञ—प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन पचमहायज्ञ करता था, जिनमें प्रातः-साय के अग्नि-होत्र भी सम्मिलित थे। ये पाकयज्ञ कहलाते थे। इन होमों में चरु और पुरोडाश की आहुति दी जाती थी। यवागू भी आहुति के काम आती थी।^४ इन यज्ञों को पति और पत्नी साथ-साथ करते थे, इसलिए ये पत्नी-सयाज कहलाते थे।^५ पत्नी-सयाज त्रिवर्ण ही करते थे और यज्ञ-सयोग

१. लोके य एवमसौ ददाति य एवमसौ यजते य एवमसावधीते इति तस्यानुकुर्वन् दद्याच्च यजेत वाधीयीत च सोऽप्यभ्युदयेन युज्यते। वेदेऽपि य एवमसौ विश्वसृजः सत्राण्यध्यासत इति तेषामनुकुर्वन् तद्वत्सत्राण्यध्यासीत सोऽप्यभ्युदयेन युज्यते। —आ० २, पृ० ४८।

२. याज्ञिकाः खल्वेपि सज्ञामनारभमाणा विभाषेत्युक्ते नित्यत्वमवगच्छन्ति, तद्यथा मेध्यः पशुविभाषितो मेध्योऽनड्वान् विभाषित इति। आलव्यव्ये नालव्यव्य गम्यते। — १-१-४४, ब्रा० ११, पृ० २६।

३. याज्ञात्कर्मणो निरवसितानाम्—एवमपि तक्षायस्कारम् रजकतन्तुवायमिति न सिध्यति। —२-४-१०, पृ० ४६५।

४. यवाग्वाग्निहोत्रं जुहोति। —२-३-३, पृ० ४०।

५. पत्नीसयाज इति यत्र यज्ञसयोगः। सर्वेण च गृहस्थेन पञ्चमहायज्ञा निर्वर्त्याः। यच्चाव. प्रातः सायं होमचरुं पुरोडाशान्निर्वपति तस्यासावोष्टे। —४-१-३३, पृ० ५०-५१।

के कारण ही भार्या पत्नी-पद की अधिकारिणी होती थी। यज्ञाधिकारी न होने के कारण शूद्र की भार्या पत्नी नहीं कही जा सकती थी।^१

पाकयज्ञ^२ गृहस्थ के दैनिक कर्तव्यों के अंग थे और गार्हपत्य अग्नि में किये जाते थे। पाकयज्ञ अत्यन्त संक्षिप्त होते थे, जिनके लिए ऋत्विजों की आवश्यकता नहीं होती थी।

प्रातः-साय अग्निहोत्र भी पाकयज्ञों के ही अंग थे। दर्श और पीर्णमास यज्ञ भी पाकयज्ञ-प्रकृतिक माने जाते थे। इनमें प्रयाज, अनुयाज और सामवेनिक विधि की आवश्यकता नहीं होती थी। केवल उक्त विधियों के मंत्रों के अन्त में स्वाहा जोडकर दक्षिणाग्नि में पकाये हुए ओदन, खीर, दधि, घृत या दुग्ध की आहुतियाँ दी जाती थी।^३

गृह्य अग्नि में वैश्वदेव यज्ञ भी किये जाते थे, जो पाकयज्ञों के ही अन्तर्गत थे। इससे सिद्ध या पकाये हुए हविष्य से आहुतियाँ दी जाती थी और अवशिष्ट हविष्य बलि के काम आता था।^४ बलि में प्रयुक्त होनेवाले तण्डुल वालेय कहे जाते थे। भाष्य में उन्हें गुणान्तर-युक्त, अर्थान् सस्कारयुक्त कहा है।^५ बलि का हविष्य व्यजनों से उपसिक्त रहता था। वैश्वदेव में प्रयुक्त अन्न को विधस कहते थे।^६ द्राह्म्यायण गृह्यसूत्र में गृह के भीतर या बाहर चार, मणिक देग (पानी रखने का स्थान) में एक, घर के मध्य में एक, गर्भगृह के द्वार पर एक, दाय्या के पीछे एक, धूरे या अवस्कर के पास एक, खूँटे या पशु बाँधने के स्थान में एक, इस प्रकार दस बलियाँ रगने का विधान है। पितर, रुद्र ये बलि-देवता हैं।^७ भाष्यकार ने महाराज की बलि का भी उल्लेख किया है। काशिका में कुबेर-बलि की भी चर्चा है।^८

१. पत्युर्नो यज्ञसंयोगे। —४-१-३३।

२. नवयज्ञोऽवर्ततेऽस्मिन् काले नावयान्निकः पाकयज्ञिकः। —४-२-३५, चा० १, पृ० १७६।

३. गृह्यगो पाकयज्ञान् विहरेत्, ह्रस्वात्-पाकयज्ञो हि स्वयंपाक इत्याक्षरंते ३ दर्श पीर्णमासप्रकृतिः पाकयज्ञविधिः अप्रयाजानुयाजोऽसामवेनिकः स्वाहाकारन्ते निगद होमाः परतन्त्रोत्पत्तिर्दक्षिणाग्नावाहिताग्निर्गोमयेन गोचर्मं पात्रं चतुरस्रं वास्यण्डिलमुपलिप्येपु-पात्रं, तस्मिन् लक्षणं कुर्वीत 'सत्य सदसीति' पश्चार्धाद्बुदीर्घां लेखां लिखेत्।—वाराह गृह्यसूत्र, २१-१शे४।

४. हविष्यं वा सिद्धस्य वैश्वदेवः। अग्नये सोमाय, प्रजापतये धन्वतरये यास्तोऽपतये विद्वेभ्यो देवेभ्योऽग्नये स्वियष्टकृते च जुहुयात्-अवशिष्टस्य बालि हरेत्।—वारा०, गृ० सू०, २०-३, ४।


५. बालेयास्तण्डुलाः, गुणान्तरयुक्ता हि तण्डुला बालेयाः।—५-१-१३, पृ० ३०४, ३०४।

६. विधसः उपसर्गोऽद्।—३-३-५९ का०।


७. बलोन्नयेत्-अर्हन्तर्वाचतुर्निधाय मणिकदेशे मध्ये द्वारि-शय्यामनु यवंश-अर्गं सत्सुपम्-शेयमदिभः सावंदक्षिणा, पृथ्वी वायुः प्रजापतिः विश्वेदेवा आप ओषधिमर्षनगल्प आकाशः कामो मन्युर्वा रसोगणानि नयेत-पितरो रुद्र इति बलिदेवतानि।—ग्राह्या० गृ० सू०, १-५-२२ से २३।

८. चतुर्यां तदर्यायंबलिर्हितमुपरक्षिन्—कुबेरबलिः महाराजबलि।—२-१-३६ श्रा० तथा यो हि महाराजाय बलिर्दोषते महाराजायः स भयति।—महो०, पृ० २८८।

दर्श - पौर्णमास-विहार



क	ख	ग	घ	ङ	यजमान	सञ्चर	के सूचक है
क	ख	ग	घ	च	उत्कर	"	"
क	ख	घ	ज	ब्रह्मा	"	"	"
क	ख	ग	झ	होतृ	"	"	"
क	ख	ट	जाम्बीन	"	"	"	"



गार्हपत्य



पाकयज्ञो मे गृह्यसूत्रकारो ने स्वयहोत्र का विधान किया है। कुछ आचार्यों के मत से पत्नी ही आहुति देती थी; क्योंकि पत्नी का दूसरा नाम गृह भी है और उसी के नाम पर इस अग्नि का नाम गृह्य पड़ा था।^१ गृह्याग्नि को ही एकाग्नि भी कहते थे। उसमें हवन करनेवाले भी एकाग्नि कहलाते थे।^२

नवयज्ञ—विना यज्ञ किये नया अन्न खाना निषिद्ध था, इसलिए नई फसल तैयार होने पर प्रत्येक गृहस्थ उससे हवन कर तब नवान्न ग्रहण करता था। नवान्न का यह होम नवयज्ञ कहलाता था। शरद की पूर्णिमा या अमावास्या को व्रीहि से और वसन्त में यव से नवयज्ञ किया जाता था। इसमें इन्द्र और अग्नि देवता के लिए पायस तैयार कर आहुति दी जाती थी। नव-यज्ञ पाकयज्ञ के अन्तर्गत था।

दर्श-पौर्णमास—ये इष्टिर्याँ भी पाकयज्ञ के ही अन्तर्गत मानी जाती थी। भाष्य के अनुसार जिसके द्वारा यज्ञ किया जाय अथवा जिसके द्वारा कोई कामना की जाय, उसे इष्टि कहते हैं।^३ जिस काल में सूर्य और चन्द्रमा साथ रहते हैं, उसे दर्श कहते हैं और जिस समय चन्द्रमा सब कलाओं से पूर्ण हो जाता है, उसे पौर्णमास कहते हैं। दर्श और पौर्णमास को की जानेवाली इष्टिर्याँ भी इसी नाम से प्रसिद्ध थी।

चातुर्मास्य यज्ञ—भाष्यकार ने चातुर्मास्यो का उल्लेख चार-चार मास में किये जाने-वाले यज्ञों के रूप में किया है। इनको यज्ञों का अनुष्ठान करनेवाला चातुर्मासिक या चातुर्मासी कहलाता था।^४ आश्वयुजी पौर्णमासी का भी नाम चातुर्मासी था। इस दिन छद् देवता को पायस या पृषातक की आहुति दी जाती थी।^५ पृषातक दूध में घी मिलाकर तैयार किया जाता था।^६

चातुर्मास्य तीन माने जाते थे—वैश्वदेव, वरुण प्रधास और साकमेघ। वैश्वदेव फाल्गुनी या चैत्री पूर्णमासी को निष्पन्न होता था। वरुण प्रधास आपाढी और साकमेघ कार्तिकी पूर्णिमा के दिन होता था।

अष्टका—भाष्यकार ने अष्टका को पितृदैवत्य कहा है।^७ प्रायः सभी गृह्यसूत्रों में इसका सविस्तर वर्णन मिलता है। पारस्कर गृह्यसूत्र के अनुसार मार्गशीर्ष की पौर्णमासी को आग्रहायणी कर्म होता था और इसके बाद तीन पित्र्या अष्टकाएँ होती थी, जो क्रमशः ऐन्द्री, वैश्व-

१. पत्नी जुहुयादित्येके। गृहाः पत्नी गृह्याग्निरेष इति ।—वही १-५-१७, १८।

२. १-२-२४, वा० ३, पृ० २१६।

३. इष्यतेऽनयेतीष्टिः—इष्यतेनयेतीष्टिः।—३-३-९५, वा० ३, पृ० ३१३।

४. अमावास्यायेन हविषा पूर्वपक्षमभियजते पौर्णमासे नापरपक्षम्।—गोभिल गृ० सू०, प्रपा० १, क० ५, सू० ६।

५. आश्वयुजी रुद्राय पायसः।—द्राह्या० गृ० सू०, चातु० प्रकरण, ३-३-१।

६. पयस्यवनेत् आज्यं तत्पृषातकम्।—वही, ३-३-३।

७. अष्टकापितृदैवत्ये उपसंख्यानं कर्त्तव्यम्—पितृदैवत्य इति किमर्थम्—अष्टिका-खारी।—७-३-४५, वा० ९, पृ० १९०।

देवी और प्राजापत्य कहलाती थी।^१ ब्राह्मण गृह्यसंहिता के अनुगार आयहायणी के वाद की तीन तामिस्र अष्टमिर्वा ही ये अष्टकाएँ थी। इनमें हवि के लिए स्थायीपाकतैयार किया जाता था। प्रथम अष्टका में आठ अन्न भी 'अष्टकाएँ स्वाहा' इस मन्त्र द्वारा अग्नि में चढ़ाये जाते थे। अन्तिम अष्टका में आठ और मध्यम में गौ की आहुति दी जाती थी। पित्र्य होम 'वह वषाम्' इत्यादि मन्त्र द्वारा होना था और 'दैवत्य जातवेद' इत्यादि मन्त्र द्वारा। इसके लिए पुरोहित की आवश्यकता होती थी और पशुहोम में उसकी दक्षिणा पशु ही होता था।^२ अष्टका एकविंशतिमस्य होम था।^३

अग्निहोत्र का अर्थ—अग्निहोत्र के सम्बन्ध में भाष्य में और भी विवरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ, भाष्यकार के मत में अग्निहोत्र शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। उनका एक अर्थ ज्योति है, क्योंकि अग्निहोत्र प्रज्वलित करता है, यह प्रयोग लोग करते हैं। दूसरा अर्थ हवि है। इसीलिए, 'अग्निहोत्र जुहोति' यह वाक्य सार्थक होता है। जुहोति का प्रयोग प्रीणन और प्रक्षेपण दोनों अर्थों में देखा जाता है। 'यवाग्वाग्निहोत्र जुहोति' के दोनों अर्थ होते हैं—यवाग् अग्नि को प्रसन्न करती है और यवाग् हवि अग्नि में है।^४ इससे यवाग् का हवि के रूप में व्यवहार स्पष्ट है, भले ही कौशिक गृह्यसूत्र में उसका उल्लेख न हो।

पंचावत्ती—भाष्यकार ने जामदग्न्यो को पंचावत्ती कहा है। पंचम अवदान सर्वप्रथम जमदग्नि ने किया था, इसलिए जामदग्न्य गोत्रवालों को छोड़कर अन्य कोई पंचावत्त हवन नहीं करता।^५ अन्य लोग चतुरवत्त याग करते हैं। रखी गई हवि में से होमपरिमित भाग को षट्कण अलग करना अवदान कहलाता है। चतुरवत्त में अध्वर्युं आज्य में स्त्रुव द्वारा जुहू में एक बार आज्य लेकर होता को अनुवाक्या पढने के लिए 'अनुवृह्यन्त' मन्त्र से मन्त्रेय देता है। इस क्रिया की आवृत्ति तीन बार होती है। जिस यजमान के यज्ञ में इस प्रकार चार बार आज्यावदान होता है, यह चतुरवत्ती कहा जाता है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में जामदग्न्य, वत्स, विद, अवापिपेण, भार्गव, च्यावन, आर्व ये पंचावत्ती कहे गये हैं।^६

१. मार्गशीर्ष्या पीर्णमास्यामाग्रहायणीकर्म ऊर्ध्वमाग्रहायण्यास्तिस्रोऽष्टका ऐन्द्रो यद्वय-
द्वैवी प्राजापत्या पित्र्येति । —३-३-१, २ ।

२. ऊर्ध्वमाग्रहायण्यास्तिस्रस्तामिस्राष्टम्योऽष्टकाइत्याचक्षते—तामुत्थालीपाका—आट्टी
चापूपाः प्रथमायाम्-तानपरिवर्त्तयन् कपाले श्रपयेत्—अष्टकार्यं स्वाहेति जुहुयात्—उत्तमायां
शाकम्-न्वाहार्यं-मध्यमाया पी । —३-३-२७ से ३२ तथा ३-४-१ वद्वषायामिति पित्र्येवषा होम—
जातवेद इति दैवत्ये-पशुरेव पशोर्दक्षिणा।—३-४-२६, २७, ३० ।

३. अष्टकायामष्टका होमाञ्जुहुयात्तत्स्यां हवींषि घाना. करम्भः शक्तुल्यं पुरोडाश
उदोदनः क्षीरोदनस्तिलोदनो ययोपपावि पशु. ।—१४-१३८-२, ४ ।

४. अयमग्निवदोऽस्त्येव ज्योतिषि घत्तंते—तद्यथाऽग्निहोत्रं जगत्तमग्नि । अग्नि
हविषि घत्तंते—तद्यथाऽग्निहोत्रं जुहोति । जुहोतिश्चाप्येव प्रक्षेपणे घत्तंतेऽस्ति प्रीणान्घर्षं घत्तंते ।
यवाग्वाग्निहोत्रं जुहोति, अग्नि प्रीणाति, यवाग् हविरग्नी प्रक्षिपति । —२-३-३, पृ० ४०६ ।

५. जमदग्निर्वा एतत्पञ्चममवदानमावच्छनत्समाप्राजमदग्न्य पञ्चावत्तं जुहोति ।—
१-१-४४, वा० १७, पृ० २६४ ।

६. श्री० प० नि०, पृ० ३९ ।

पञ्चोदन सब—भाष्य मे पञ्चोदन सब का उल्लेख है।^१ यह सवनेष्टि का पर्याय है। सवनेष्टि भी पाकयज्ञो का अंग है, जिसमे अग्नि को अष्टाकपाल पुरोडाश, इन्द्राग्नि को एकादश-कपाल पुरोडाश और विष्णुदेवो को द्वादशकपाल पुरोडाश की हवि दी जाती है। पञ्चोदन सब मे ओदन की पाँच विशेष आहुतियाँ दी जाती थी।^१

पाकयज्ञो के नाम उनमे दी जानेवाली मुख्य आहुति के आधार पर भी रखे गये थे। उदाहरणार्थ, जिन यज्ञों मे मोदक या शष्कुली प्रमुख होती थी, वे मौदकिक या शाष्कुलिक कहे जाते थे।^१

इन्द्रमह गगामह और कशेरुयज्ञ—ये सम्भवत सामान्य पाकयज्ञ थे,^२ जो वैदिक न होकर लोक-परम्परा पर आश्रित थे। श्रौत या गृह्यसूत्रो मे इनका विवरण नहीं है। इन यज्ञो मे सम्बद्ध देवताओ के लिए विशिष्ट आहुतियाँ दी जाती थी और उत्सव, गीत तथा रात्रि-जागरण किये जाते थे।

श्रौतयज्ञ—श्रौतयज्ञ वे है, जिनका विधान सहिताओ और व्याख्या-ग्रन्थो मे मिलता है। इनमे कुछ तो सवात्स्रक यज्ञ है और कुछ सामान्य। भाष्य मे शत, सहस्र वर्षों तक चलने-वाले यज्ञो की चर्चा है।^३ ये दीर्घ सत्र कहलाते थे। विश्वसृज् या प्रजापति का यज्ञ भी दीर्घकाल तक चलने के कारण सत्र की कोटि मे आता था।^४ विश्वसृज् सत्र सहस्र सवत्सर का था।^५ दीर्घ सत्रो मे कुछ तो श्रोत्रिय लोगो द्वारा आत्मकल्याणार्थ किये जाते थे और कुछ राजाओ या घनिक यजमानो के लिए। इन दीर्घ सत्रो मे होनेवाली क्रिया या वस्तु दार्घसत्र कहलाती थी।^६ दीर्घ-सत्र सामान्यतया अप्रयुक्त थे। केवल ग्रन्थो मे उनका विधान रह गया था।^७

हवि की दृष्टि से यज्ञो के दो भाग थे—यज्ञ और ऋतु। ऋतु विशिष्ट यज्ञ थे, जिनमे सोम की आहुति की जाती थी।^८ जिन ऋतुओ का विधान अर्घ्वर्यु वेद मे मिलता है, वे अर्घ्वर्युऋतु कहलाते थे। ऋतु शब्द सामान्यतया सोमयज्ञो मे रूढ था। पाणिनि ने कुण्डपाय्य और सचाय्य ऋतुओ का उल्लेख किया है। कुण्डपाय्य ऋतु मे कुण्ड (पात्र) द्वारा सोमपान किया जाता था।

१. अयं मे पञ्चोदनः सवः । —३-३-३६, वा० ४, पृ० ३०६ ।

२. श्रौ० प० निर्व०, पृ० १४४ ।

३. मोदकाः प्रकृता अस्मिन् यज्ञे मौदकिको यज्ञः, मोदकमयः, शाष्कुलिको, शाष्कुलीमयः।—
५-४-२३ का० ।

४. इन्द्रमहार्यमन्द्रमहिकम् गाङ्गामहिकम्, काशेरुयज्ञिकम् ।—५-१-१२, वा० १,२,
पृ० ३०२, ३०३ ।

५. दीर्घसत्राणि, दार्घसत्तिकानि दार्घसहस्रिकानि च । —वा० १, पृ० २१ ।

६. वेदेऽपि य एव विश्वसृजः सत्राण्यध्यासत इति । —आ० २, पृ० ४८ ।

७. सहस्र संवत्सरं विश्वसृजाम् । —कात्या०, २४-५-२४ ।

८. दीर्घसत्रे भवं दार्घसत्रम् । —७-३-१ ।

९. अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत् । —आ० १, वा० ४, पृ० २१ ।

१०. ऋतुः शब्दः सोमयज्ञेषु रूढः । —२-४-४ का० ।

यह द्वादशाह क्रु को विवृति है और वर्ष-भर चलता है। नानाव्य मंजा शीम का नचयन किये जाने के कारण थी।^१ अर्क, अश्वमेध, सायाह्न, अतिगत्र आदि अश्वर्युं ननु थे। राजसूय, वाजपेय भी अश्वर्युंक्रु थे। दर्श पीणमान का विधान अश्वर्युं वेद में है, पर वे क्रु नहीं थे।^१ क्रुओं में अग्निष्टोम, वाजपेय और राजसूय सर्वाधिक निद्र जान पड़ते हैं। इन्ही तीन यज्ञों के व्याख्यान-ग्रन्थों की चर्चा भाष्य में दो बार हुई है।^१

अग्निष्टोम—अग्निष्टोम यज्ञ करना और उसे आभ्यापूर्वक ठीक समझना अभ्युदय-कारी माना जाता था।^१ अग्निष्टोमयाज्ञी विशेषण सम्मानार्थ प्रयुक्त होता था।^१ अग्निष्टोम का प्रारम्भ वसन्त में होता था। वार्षिक अग्न्याधान ब्राह्मण का वत्सव्य माना जाता था।^१ अग्न्याधान यज्ञारम्भ की प्रतिपत्ति के लिए था। कात्यायन श्रौतसूत्र में अग्निष्टोम का प्रारम्भ-जाल वसन्त ही बतलाया गया है।^१ इसके तीन भेद हैं—एकाह, अहीन और मत्र। जिसमें सुत्या-कर्म एकाह माध्य होता है, वह एकाह और जिसमें दो, तीन में बारह दिन तक सुत्याकर्म चलता है, वह अहीन तथा जिसका पक्ष, मान, सवत्सर और उस प्रकार महत्त वर्ष तक अनुष्ठान चलता है वह मत्र कहलाता है। कुछ लोगों के मत से यहाँ सवत्सर शब्द दिन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।^१

अग्निष्टोम सम्पूर्ण श्रौतयागों की प्रकृति है। यह मघने मरुत् एव सर्वाधिक प्रचलित था। इनमें सोलह ऋत्विज होते थे। अग्नि को एक छाग की बलि दी जाती थी और बारह स्तोत्रों का उपयोग होता था। प्रातः मघन में बहिष्पवमान और चार आज्य-स्तोत्रों; मध्याह्न मघन में माध्यन्दिन पवमान और चार पृष्ठ-स्तोत्रों तथा साय सवन में तृतीय या आभंय पवमान और अग्निष्टोम साम का प्रयोग होता था। अग्निष्टोम साम के प्रयोग के ही कारण इसे अग्निष्टोम-मस्य क्रु कहते हैं।

तुरायण—तुरायण की प्रकृति पीर्णमान यज्ञ है। यह एक वर्ष तक चल सकता था। शाखायन ब्राह्मण में इसे 'स्वर्गकामस्य यज्ञ' कहा है।^१ कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार यह मत्र है और वैशान्व या चैत्र शुक्ल-पंचमी को प्रारम्भ होकर वर्ष-भर चलता है। भाष्यकार ने

१. क्रुओं कुण्डमाय्यं संचायी। —३-१-१३०। —तथा का०।

२. फागिका, २-४-४।

३. ४-३-६६, वा० ६, पृ० २४०।

४. योऽग्निष्टोमेन यजते य उ चंनमेव वेद। —आ० १, पृ० २३।

५. अग्निष्टोमयाज्ञी। —३-४-१, वा० २, पृ० ३४१।


६. लोके वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत। —येदे एत्सपि वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निष्टोमादिभि
द्रुमिर्भजेनेत्यग्न्याधाननिमित्त वसन्ते वसन्त इष्यते—यसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीनेत्यग्न्याधान
यज्ञसुप्रतिपत्त्यर्थम्। —६-१-८४, वा० ४, पृ० ११६, ११७।

७. फात्या० श्रौ० सू०, ७-१-४।

८. मीमांसादर्शनं, ४० ६, पा० ७, अधि० १३, सू० ३१-४०।

९. शाखा० द्वा०, ४-१९।

अग्निष्टोम यज्ञ-विहार



कहा है कि यद्यपि यज्ञ करनेवाला यजमान और चरु पुरोडाश तैयार करनेवाले ऋत्विज् दोनों तुरायण का वर्त्तन (तैयारी) करते हैं, फिर भी ऋत्विज् को तौरायणिक कहने की प्रथा नहीं है।^१ यजमान तौरायणिक कहलाता है।

राजसूय—अग्निष्टोम के समान राजसूय का उल्लेख भी भाष्य में कई बार हुआ है।^२ काशिकाकार ने कहा है, जिसमें राजा (सोम) का सवन होना चाहिए, अथवा राजा का सवन होता है, उसे राजसूय ऋतु कहते हैं।^३ राजसूय विशुद्ध सोम-यज्ञ नहीं था, अपितु अनेक यज्ञों की ससृष्टि से युक्त लगभग दो साल से भी अधिक काल में समाप्त होनेवाला जटिल याग था। यह अनेक इष्टियो, सोमयज्ञों और पशुमेधों का समवाय था। लाट्यायन के अनुसार केवल क्षत्रिय इसका अधिकारी था।^४ मीमांसा के गाबरभाष्य में काशिका और लाट्यायन दोनों मतों का समन्वय मिलता है।^५ कुछ लोगों के मत से राजसूय वहीं कर सकता था, जिसने वाजपेय न किया हो।^६ कुछ लोगों के मत से वाजपेय कर लेने के बाद व्यक्ति इसका अधिकारी माना जाता था।^७ शतपथब्राह्मण में कहा है कि राजसूय करनेवाला राजा और वाजपेय करनेवाला सभ्राट् होता था।^८ इससे वाजपेय का स्थान उच्चतर मालूम होता है। भाष्य में भी यज्ञों के प्रसंग में सर्वत्र अग्निष्टोम, राजसूय और वाजपेय का क्रमिक ही उल्लेख हुआ है, जो शतपथ के अनुकूल है। राजसूय में यजमान को फाल्गुन शुक्ल प्रतिपद् के दिन पवित्र-सन्नक सोमयज्ञ की दीक्षा लेनी पड़ती थी, जिसकी प्रक्रिया अग्निष्टोम के ही समान है।^९ इसके एक वर्ष बाद अभिषेचनीय विधि होती थी। अभिषेचनीय इस यज्ञ का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता था।^{१०} यज्ञारम्भ होने के लगभग १५ दिन बाद फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को अनुमति को इष्टि की जाती थी, जिसमें अनुमति को पुरोडाश हवि दी जाती थी।^{११} इसके बाद वैश्वदेव, वरुण प्रधास और साकमेघ नामक चातुर्मासियों का प्रारम्भ हो जाता था और अगली फाल्गुन शुक्ल अमावस्या को शुनासीरीय प^१ के साथ उनकी समाप्ति होती थी।

१. यस्तुरायणेन यजते स तौरायणिक इत्युच्यते—यश्च यजते यश्च चरुपुरोडाशाग्निर्वपति उभौ तौ वर्त्तयतः। उभयत्र कस्मान्न भवति? अनभिधानात्।—५-१-७२, वा० २, पृ० ३३७।

२. ४-३-६६, वा० ६, पृ० २४०; ५-१-१५, पृ० ३४२।

३. राजा सोतव्यः राजा वा इह सूयते राजसूयः ऋतुः।—काशि० ३-१-११४।

४. राजा राजसूयेन सूयेत्।—लाट्या० श्रौ० सू०, १-१-१।

५. राजा तत्र सूयते तस्माद् राजसूयः। राज्ञो वायज्ञो राजसूयः।—मीमां०शाबर भा०, ४-४-१।

६. कात्या०, २५-१-२।

७. आश्व०, ९-१-१९।

८. शत०, ब्रा० ९-३-४-८।

९. लाट्या० ९-१-२; आश्व०, ९-३-२; कात्या०, १५-१-६।

१०. लाट्या० ९-१-४।

११. कात्या० १५-१-९ तथा आप० १८-८-१०।

इनके बाद छोटे-मोटे अनेक कृत्य, जिनमें पचावत्तीय और अपामार्ग होम भी सम्मिलित हैं, होते थे।^१ बारह दिनों तक 'रत्निना हवीषि' होती थी, जो रत्नियो (सेनापति, पुरोहित आदि विशिष्ट राज्याधिकारी) के घर दी जाती थी।^२ चैत्र के प्रथम दिन अभिषेचनीय विधि होती थी। अभिषेचन के लिए पुरोहित मन्त्र जुम्बर-पात्रों में सत्रह प्रकार का जल लाता था, जो अनेक याज्ञिक विधियों के बाद राजा पर डाला जाता था। ब्राह्मण, धन्विय, वैश्य सब इस जल से राजा का अभिषेचन करते थे।^३ अभिषेचनीय के बाद दस दिन तक 'सत्प्रा हवीषि' दी जाती थी।^४ अंग दिन दशपेय (सोमपान) कृत्य होता था।^५ यही अवभृथरनान का दिन था। इसके एक वर्ष बाद तक राजा को देवव्रतो का पालन करना पड़ता था।^६ इन व्रतों की समाप्ति वेद्यवपनीय विधि में होती थी। इस समय यजमान के साल-भर से बढ़े हुए वेदों का वाप होता था।^७ इसमें बाद व्युष्टि द्विराज और क्षत्रघृति यज्ञ होते थे।^८ इनके साथ ही राजसूय की समाप्ति हो जाती थी, यद्यपि इसके एक मास बाद सौत्रामणि इष्टि करनी पड़ती थी।

वाजपेय—अग्निष्टोम और राजसूय के साथ वाजपेय का भी उत्तरेख भाग्य में कई स्थानों पर मिलता है। वाजपेय के कई अर्थ हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार सोम का नाम वाजपेय है और अन्न का भी। यह शक्ति का पेय है। इससे देवों को शक्ति प्राप्त हुई।^९ शारदायन श्रौतसूत्र के अनुसार अन्न को वाज और पान को पेय कहते हैं। इन दोनों की प्राप्ति के लिए वाजपेय करना चाहिए।^{१०} सत्रह की सख्या इनकी एक विशेषता है। आपस्तम्ब और ताण्ड्य-ब्राह्मण दोनों के अनुसार इसमें सत्रह स्तोत्र और सत्रह ही शस्त्र हैं। इसमें प्रजापति के लिए सत्रह पशुओं की बलि का विधान है। सत्रह वस्तुएँ ही दक्षिणा में दी जाती हैं।^{११} वाजपेय का गुण भी मन्त्रह अरत्ति लम्बा होता था, जिसे परिवृत करने के लिए वस्त्र के सत्रह टुकड़े काम में लाये जाते थे।^{१२} सत्रह दिन तक यह यज्ञ चलता था, जिनमें ३ दिन दीक्षा के, तीन दिन उपसद के तथा

१. आप० १८-९-१०, ११, १५-२०।

२. वही, १८-१०।

३. वही, १८-१६-३, ५।

४. वही, १८-२०-७ तथा कात्या० १५-८-१ से ४।

५. लाट्या० ९-२१, कात्या० १५-८-१४।

६. लाट्या० ९-२-१७।

७. आश्व० ९-३-२४

८. वही, ९-२-२५।

९. याजाप्यो वा एय. वाज ह्येतेन देवा। ऐप्सन् सोमो यं वाजपेय। —नैतिसं० प्रा०, १-३४२।

१०. पानं यं पेय। अन्नं वाजः। पानं यं पूर्वययात्रम्। तपो रभयोग्यो। शार्गाश्रौ० सू०, १५-१-४ ने ६।

११. आप० १८-१-१०; ताण्ड्य १८-७-५।

१२. आप० १८-१-१०।

एक दिन सुत्या के लिए था। एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी थी कि इसमें प्रजापति को सत्रह सुरा के तथा सत्रह सोम के (चमस) पात्र चढाये जाते थे और सत्रह अश्वरथों की दौड़ होती थी, जिसका प्रारम्भ वेदी की उत्तर श्रेणी में रखी गई सत्रह दुन्दुभियाँ बजाकर किया जाता था^१ वाजपेय आविपत्य, समृद्धि या स्वाराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता था^२ और ब्राह्मण या क्षत्रिय ही इसके अधिकारी थे, वैश्य नहीं।^३ इसका अनुष्ठान-काल शरद था।^४

सौत्रामणि—भाष्यकार ने आक्षेप-भाष्य में प्रमत्तगीत कहकर एक श्लोक उद्धृत किया है, जो सौत्रामणि यज्ञ में ताभ्रवर्णी घटियों में रखकर सुरा पीने की ओर संकेत करता है।^५ सौत्रामणि शब्द सूत्रामन् से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक् रक्षा करनेवाला। ऋग्वेद सूत्रामन् इन्द्र का विशेषण है। यह सोमयज्ञ नहीं, अपितु इष्टि और पशुमेघ का मिश्रण है।^६ सुरा की आहुति इस यज्ञ की मुख्य विशेषता है। इस यज्ञ की अवधि चार दिन की होती है, जिनमें प्रथम तीन दिन तक विभिन्न वस्तुओं से सुरा बनाई जाती है और चतुर्थ दिन तीन पात्र दुग्ध और तीन पात्र सुरा तथा पशुमास से अश्विनो, सरस्वती तथा इन्द्र को आहुति दी जाती है। कात्यायन-भाष्य में बतलाया गया है कि सर्ज की छाल, त्रिफला, सोठ, पुनर्नवा, चतुर्जातिक-युक्त पिप्पला, गजपिप्पली, वंश, अवका, बृहच्छत्रा, चित्रक, इन्द्रवारुणी, अश्वगन्धा, धान्यक, यवान्नी, जीरक, कालाजीरा, दो हलदी की गाँठें, गुर्ज, ब्रीहि और यव के अक्षुर ये सब वस्तुएँ सुरा में डाली जाती हैं।^७

अश्वमेध—अश्वमेध सर्वाधिक प्राचीन यज्ञों में है। भाष्यकार ने अश्वयुग का उल्लेख किया है।^८ आद्वलायन का मत है कि जो राजा सब कामों की पूर्ति तथा सर्वविजय चाहे, वह

१. वही, १८-४-४ से ७।

२. कात्या० १४-१-१; आप० १८-१-१।

३. स या एव ब्राह्मणस्य चैव राजन्यस्य च यज्ञः।—तै० ब्रा०, १-३-२ तथायं ब्राह्मण राजानश्च पुरस्कुर्वीरन् स वाजपेयेन यजेत।—लाट्या० ८-११-१।

४. शरदि वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत।—शाबरभाष्य, १०-२-६४ तथा एवं विद्वान् वाजपेयेन यजेत गच्छति स्वाराज्यम्।—तैत्ति० ब्रा०, १-३-२ तथा वाजपेययाज्ञी वात्र प्रजापति-माप्नोति।—सा० ब्रा० १८-६-४।

५. यदुदुम्बरवर्णानां घटाना मण्डलं। महत् पीतं न गमयेत् स्वर्गं तर्किक ऋणुगतं नयेत्।—आ० १।

६. शत० ब्रा० १२-७-२१।

७. सर्जत्वक् त्रिफला चैव शृण्ठी चैव पुनर्नवा।

चतुर्जातिकसयुक्ता पिप्पला गजपिप्पली ॥

वशोऽवका बृहच्छत्रा चित्रकं चेन्द्रवारुणी।

अश्वगन्धां समुत्पाद्य भूलान्येतानि निर्दिशेत् ॥

धान्यकं च यवानां च जीरकं कृष्णजीरकम्।

द्वे हरिद्रे वचा चैव विरूढा ब्रीहयो यवाः ॥—कात्या० भाष्य०, १९-१-२०।

८. चयालं ये अश्वयुपाय तद्वादति।—१-४-९, पृ० १३६।

अश्वमेध करे।^१ ऐतरेय ब्राह्मण में तो अश्वमेध से साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, पारमेष्ठ्य आदि नमस्त ऐश्वर्यो की प्राप्ति बतलाई है।^२ इसका प्रारम्भ फाल्गुन मूल-अष्टमी या नवमी को अथवा ज्येष्ठ या आषाढ की इसी तिथि को याजक ब्राह्मणों को ब्रह्मोदन, महमगौ तथा मुषणं दिया जाता था।^३ इस समय विभिन्न सखियों-समेत राजा की चार गनिर्या उनके पाम उपन्यत गृह्णी थी।^४ अश्व या तो काले गोल चित्तो-सहित सम्पूर्ण ध्वेत होता था अथवा अश्वकृष्ण तथा श्वेत अथवा श्यामपुच्छ या श्यामकर्ण होता था।^५

अश्वमेध की प्रक्रिया भी राजसूय के समान दीर्घ और जटिल है। इसमें साल-भर तक गायकाल धृनि इष्टि की जाती^६ थी और वर्ष-भर तक ही सावित्री इष्टि जारी रहती थी, जिनमें पारिल्लव साम का गायन-श्रवण चलता था।^७ इस बीच यदि अश्व बीमार पड़ जाता या मर जाता, तो कुछ अन्य इष्टियाँ करनी पड़ती थी या अश्व को शत्रु छीन लेता, तो यज्ञ नष्ट माना जाता था।

यज्ञशाला में पशुओं के बाँधने के लिए २१ यूप गाड़े जाते थे, जो अरुति के बराबर ऊँचे रहते थे। इन यूपों में बहुते-से पशु बाँधे जाते थे और बलि दिये जाते थे। अन्त में अनेक विधियों के साथ, जिनमें ब्रह्मोद (धार्मिक सवाद, जिनमें प्रश्न, पहलियाँ तथा उत्तर होते हैं) होता था तथा अश्व की बलि करके उसके रक्त और मांस को पकाने आहुति दी जाती थी।

अहीन—अग्निष्टोम तथा अन्य सोमयज्ञ प्रायः एकाह हैं। उनमें एक ही दिन प्रातः, मध्याह्न और सायं सोम की आहुति दी जाती है। बृहस्पति सव, गोसव, श्वेन, उद्भिद,

१. सर्वान् कामानाप्स्यन् सर्वा विजितोविजिगीषमाणः सर्वा व्युष्टीव्युश्रित्यप्रदयमेधेन यजेत ।—आश्व० १०-६-१ ।

२. स य इच्छेदश्ववित् क्षत्रियमयं सर्वाजितो जयेताय सर्वानुलोकानुविन्देता य सर्वेषां राजा त्रैलोक्यमतिष्ठा परमतागच्छेत साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यमाहा-
राज्यमयमाधिपत्यमयं मगन्तपर्यायो स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष आन्तादापराधात् पृथिव्यं मसू-
पर्यन्ताया एकराजिति तमेतेनन्द्रेण महाभिवेकेण क्षत्रियं शापयित्वाऽभियञ्चेत् ।—गृ० ब्रा०,
३९-१ ।

३. कात्या० श्रौ० सू०, २०-१-२ में ६ तथा लाट्या श्रौ० सू०, ९-९-६-७ ।

४. या पत्नीनां प्रियतमा यजमानस्य सा यावाना राजपुत्री । अनपचित्ता परिवृषती ।—
लाट्या० ९-१०-१, २ ।

५. शान० ब्रा० ८-४-२-४ तथा कात्या० श्रौ० सू० २०-१-२९ से ३५ तथा लाट्या० श्रौ०
सू०, ९-९-४ ।

६. याज्ञ० मं०, २२-७-८ ।

७. शान० ब्रा० १३-१-३-५ तथा विमृष्टपात्रि यजमाने सम्प्रैव्यति धीमा मन्विकीं
देवग्निं यजमाने मन्वापनेति ।—आप० ३०-७-१६, १५ ।

विश्वजित् और व्रात्यस्तोम भी एकाह है। विश्वजित् कर्त्ता एक सहस्र गाये अथवा अपने भाग की सारी सम्पत्ति दान कर स्वयं वृक्षो के नीचे शिक्षा पर जीवन व्यतीत करता था और वर्ष-भर, जो मिल जाता था, उसी शिक्षा पर निर्वाह करता था। गोसव का अनुष्ठान स्वराज्य का प्रदाता होता है।^१ गोसव करने के बाद एक वर्ष तक पशुव्रत का अनुष्ठान किया जाता था, जिसमें पशुवत् खाने-पीने और रहने का विधान है।^२

दो से बारह दिन तक जिन यज्ञो में सुर्याकर्म होता है, वे अहीन कहे जाते थे। इनकी समाप्ति सदा ही अतिरात्र से होती थी और इनकी सम्पूर्ण अवधि दीक्षा और उपसद को मिलाकर एक मास से अधिक नहीं होती थी। ये पूर्णिमा को प्रारम्भ होते थे। इनके त्रिरात्र (गर्ग त्रिरात्र) पचरात्र, षडह आदि वर्ग हैं। द्वादशाह की गणना अहीन और सत्र दोनों के अन्तर्गत है।^३

अतिरात्र—भाष्य में उल्लिखित अतिरात्र एक दिन में समाप्त न होकर एक दिन और एक रात्रि बीतने पर समाप्त होता था, इसीलिए इसे यह नाम दिया गया था। इसमें बहुत-सा अनुष्ठान, स्तोत्र और शस्त्र अपेक्षित होते हैं। अतिरात्र स्तोत्र और शस्त्र तेरह हैं। अतिरात्र संस्था में सुत्या (सोमरस के हवन) के दिन सरस्वती देवता के लिए पशुयाग किया जाता है।

अग्निष्टुत्—यह एक सोमयाग विकार है। इस यज्ञ में त्रिवृत नाम स्तोम-पद्धति से अग्निदेवता का स्तवन किया जाता है। अनुष्ठान का प्रकार अग्निष्टोमवत् है। मन्त्र-सत्र में थोड़ा अन्तर है। पापमोचन और अभक्ष्य-भक्षण-दोष-निवृत्ति आदि के लिए यह सोमयाग भिन्न-भिन्न स्तोम-पद्धतियों से किया जाता है।^४

सत्र—सत्र और अहीन में मुख्य अन्तर यह था कि सत्र केवल ब्राह्मण कर सकते थे, किन्तु अहीन तीनों वर्णों द्वारा किया जा सकता था। सत्र वर्षों चल सकता था, किन्तु अहीन बारह दिन से अधिक नहीं होता था। सत्र में यजमान पुरोहित दोनों एक ही होते थे। इसलिए, उनमें दक्षिणा नहीं होती थी। अहीन का अन्तिम दिन अतिरात्र होता था। किन्तु, सत्र के प्रारम्भ और अन्त दोनों में अतिरात्र होता था। सत्रों के दो भेद किये जा सकते हैं—रात्रिसत्र और सवत्सरसत्र। दीर्घसत्रों का प्रचलन पतजलि से बहुत पहले ही बन्द हो चुका था।^५

१. तैत्ति० ब्रा० २-७-६।

२. तेनेष्ट्वा संवत्सरं पशुव्रतो भवति। उपावहायोदकं पिबेत्तृणानि चाच्छिन्यात्।

३. आश्व० १०-५-२।

४. अग्निष्टुतो नामंकाहाः—सोमविकृतयस्तेषु आग्नेयोऽग्निदेवत्यो निगदः स्यात्।—
लाट्या० १-४-१; तत्र गीतमीयम् अग्न आगच्छ रोहिताभ्यां बृहद्भये धूमकेतो, जातवेदो
विचरंयाङ्गिरस ब्राह्मणाङ्गिरसे ब्रुवाण इति प्राक् सुत्यादेशात् (एतावद्वहे सुत्यामित्यतः
प्राक्)।—लाट्या० १-४-१।

५. ताण्ड्य० ४-१०-२।

मंत्र-मगाम्नि से पहला दिन जिसे महाव्रत कहते हैं, बहुत मनोरंजन होता था।^१ महान् प्रजापति का वाचन है। इस दिन प्रजापति को मोम की अतिरिक्त हवि दी जाती थी और उनके लिए पशुबलि दी जाती थी। ये हवि महाव्रतीय कहलाती थी। उन अघमर पर महाव्रत नाम का गान होता था और उसके बाद महदुक्कवा। उसके बाद आर्य-शूद्र-व्यद, ब्रह्मचारी और वैश्य का वाच्युद्ध, स्त्री-पुरुष-संघुन आदि विचित्र श्रियाएँ भी होती थी जो अन्य यज्ञों से अलग थीं।

महाव्रत—जिमी-जिमी मोमयाग से महाव्रत नाम की एक विशेष विधि होती थी। यह प्रायः अतिरिक्तोमादि मंत्रों का अंग थी। ऐतरेय आरण्यक में इसे एकदिवसगाध्य स्वतन्त्र श्रुति भी बनाया है। इसमें कई मनोरंजक बातें होती थी। आग्नीध्रीय मटल के सामने और हविर्घानि मण्डल के बीच में फैलाये हुए एक खारीदार चर्म को ब्राह्मण और शूद्र ताकत से जपनी-अपनी ओर खींचते थे। होना जूले पर बैठकर अपने मंत्र बोलता था। सुवर्षामन पर बैठकर आर्यपुं और स्वर्षा-वचिन आमन पर बैठकर उद्गाता अपने मंत्र बोलते थे। जब उद्गाता नाम गाते थे, तब यजमान की स्त्रियाँ भी तारों के एक तन्तुबाद्य, कर्करी आदि अन्य वाद्यों से नाच उतरा नाच देती थीं। कुछ दानियाँ सामगान के समय मिर पर पानी में भरे घड़े रखकर भाद्राक्षीय मण्डप के उत्तर में विशिष्ट प्रकार में नृत्य करती थीं। भूमि-दुम्बि में गान पर ताल दिया जाता था। पञ्चान् एक धनुर्धर राजपुत्र के पान टांगे हुए चर्म पर बाण मारता था। भाष्य में महाव्रत ब्रह्मचर्य को भी उल्लेख है, जिसका अनुष्ठान महाव्रतिक कहलाता था।

अवभृथ—चातुर्मास्यो में वरुणप्रदान, सोमामणि और सर्व प्रारार के सोमयागों से अन्न से नदी आदि जल-प्रवाह के पान जाकर वह सोम देवता के लिए छोटी-नी उरिष्ट की जाती है। उनके बाद स्नान-विधि होती है। वाग-मगाम्नि-दर्शक उस याग और स्नान की अवसृव कहते हैं।

भाष्य में नवन जोर सब की चर्चा कई शब्दों में है। नवन तीन होते हैं—प्रातः नवन में आभंघ, माध्यन्दिन को अनियवादि और सात को आदित्यास्मरण कहते हैं। ये आभंघादि परमाणु हैं।

मंत्र—जिन यज्ञों में अन्न से यजमान को विशिष्ट रीति में अभिषेक करना होता था, उन यज्ञों को मंत्र कहते थे। ये मंत्र सोमयज्ञ, पशुयज्ञ और पुत्राद्योम के देवन-प्रदान तारों में मगाम्नि विधि होते हैं। अंघनमंत्र में पचास पात्र का होम मुख्य था। उसमें अतिरिक्त ब्राह्मणादि यज्ञ में दूध, घी, दही और मत्त में अन्न पत-एव पात्र यजमान को देने थे। उन तारों-प्रायों में चार दर्शनाय यज्ञों में दूध कर्माल मंत्र बोलना था। पञ्चान् नरमात होम में चत्वारिंशत् पात्रों में यज्ञ मंत्र यजमान को अभिषेक करना जाता था। भाष्य में पशुयज्ञ मंत्र प्रायः का शार-शार उल्लेख हुआ है।

१. शंभुमंत्रानि चार्यमग्निशानि चार्यमग्निशानि च नचाद्यन्वे बदिचददि व्यवर्गः।-

यज्ञशाला—यज्ञशाला के लिए याज्यकुल शब्द का प्रयोग भी मिलता है।^१ भाष्य में यज्ञ-शाला तथा उससे सम्बद्ध अनेक शब्द आये हैं। यज्ञशाला में अग्नीध्र और यज्ञमान के रहने के लिए पृथक् स्थान बनाये जाते थे, जिन्हें क्रमशः आग्नीध्र और आवसथ कहते थे।^२ आवसथ में रहने के कारण यज्ञमान आवसथिक कहलाता था।^३ आवसथ के पास मूत्रादि क्रियाएँ वर्जित थीं।^४ यह सन्ना आवसथ अग्नि के स्थान की थी।

यज्ञशाला के लिए उपयुक्त देश यज्ञिय कहा जाता था।^५ यज्ञभूमि का यह भाग, जिसमें छन्दोग लोग सम्मिलित रूप से स्तुतिगान करते थे, सस्ताव कहलाता था।^६ भाष्य में यज्ञभूमि के लिए देवयजन शब्द का प्रयोग हुआ है और समाप नाम देवयजन का उल्लेख मिलता है।^७

अग्निचयन—अग्न्याधान के पूर्व श्रुतयज्ञों में अग्निचयन होता था। भाष्यकार ने इसे बित्या भी कहा है। अग्निचित्या यज्ञकुण्ड और यज्ञवेदी के निर्माण की क्रिया है। अग्निचयन स्वतन्त्र और जटिल विधि है। शतपथब्राह्मण के तृतीयांश में अग्निचयन की प्रक्रिया है। प्रो० स्पलिंग ने सेक्रेड बुक ऑफ् ईस्ट की भूमिका (वाल्पूम ४३, पृ० १४) में लिखा है कि अग्निचयन पहले स्वतन्त्र सस्कार था और बाद में सोमयज्ञों की प्रक्रिया में सम्मिलित कर दिया गया। यज्ञवेदी ईंटों से बनाई जाती थी और उसमें प्रजापति पुत्र होने के कारण पुरुष द्वारा निर्माण करने की भावना निहित थी।^८ इस प्रकार, यज्ञमान प्राजापत्य कर्म का अनुष्ठान करके सन्तोष-लाभ करता था। पाँच चित्तियों (रहों) की वेदी सोमयाग का एक अंग है, यद्यपि यह अनिवार्य अंग नहीं है। हाँ, महाव्रत में, जो गवामयन की समाप्ति के एक दिन पहले होता है, उसका होना आवश्यक है। यज्ञ की नीव में एतदर्थ बलि दिये गये पशुओं के सिर भी चुने जाते थे। यज्ञमान चाहता, तो सोने या मिट्टी के बने सिर काम में ला सकता था।^९ वेदी कई प्रकार से बनाई जाती थी—यथा द्रोणचित्, चक्रचित्, श्येनचित्, ककचित्, सुपर्णचित् आदि।^{१०} इनके लिए चौकोर, तिकोनी, पचकोण

१. उपाध्यायस्य शिष्यो याज्यकुलानि गत्वा प्रासनादीनि लभते।—१-१-५६, आ० १, पृ० ३३४।

२. अग्नीधः शरणमाग्नीध्रम्।—४-३-१२०, वा० ९, पृ० २५२।

३. आक्सयात् ष्टल्।—४-४-७४

४. दूरमावसथान्मूत्रम्।— २-३-३५, वा० २, पृ० ४३०

५. ५-१-७१ काशिका।

६. संस्तावश्छन्दोगानाम्। समेत्य स्तुवन्ति छन्दोगा यस्मिन् सन्देशः सस्ताव इत्युच्यते।—३-३-३१ काशिका।

७. ६-३-९७, वा० १, पृ० ३५६।

८. अग्निचयनमेवाग्निचित्या, अग्निचित्येति भावेऽन्तोदातो भवति।—३-१-१३२, वा० १; प्राजापत्य वा एतत्कर्म प्रजापतिं ह्येतेन कर्मणारभते निरुक्तो वै प्रजापतिः।—शत० ब्रा० ६-२-२-२१।

९. कात्या० १६-१-३२ तथा अष्टा० ३-२-९१ तथा ३-२-९२।

१०. तंति० सं० ५-४-११; कात्या० १६-५-९ तथा श्येनचितं चिन्वीत्य सुवर्णकामः-

आदि विविधाकार की पक्की ईंटों की आवश्यकता होती थी। भाष्य में इष्टकचित और पक्वेष्टक-
नित का उल्लेख है।^१ आजकल स्तंभचित वेदी का ही विनोय प्रचार है। ईंटों के परिमाण
जोर चुने जाने के निश्चित नियम थे। इसके लिए वास्तुविद्या और रत्नागणित दोनों का ज्ञान
आवश्यक था। हर ईंट एक विशिष्ट मन्त्रोच्चार के नाव रखी जाती थी? ईंटों के निश्चित
नाम थे। 'यजुष्मती' ईंट वेदी के मध्य भाग में लगाई जाती थी, पार्श्व या पुच्छ भाग में नहीं
लगाई जा सकती थी। जिम मन्त्र को बोलकर इष्टका-चयन किया जाता था, उसे उपवाहन-मन्त्र कहते
थे। इसी प्रकार, जिम मन्त्र द्वारा ईंटों का उपस्थान किया जाता था, वे उपरवाहन-मन्त्र कहलाते
थे। चयन के समय बोलनेवाले मन्त्रों के आधार पर ईंटों के वक्त्रन्त्या, तेजन्त्या, पयन्त्या, रेतन्त्या,
आश्विनी, वधन्त्या, मूर्धन्वती आदि नाम होते थे।^२ अतपथब्राह्मण के अनुमान पर रटे ने
निए दो नौ ईंटें आवश्यक होती थी।^३ इस प्रकार, कुल १००० ईंटों की आवश्यकता होती है।
किन्हीं विकृति-यज्ञों में प्रकृति-यज्ञ में द्रुमुनी या त्रिगुनी बड़ी वेदी की आवश्यकता होती थी, जिसे
द्विस्तावा या त्रिस्तावा वेदी कहते थे।^४ विभिन्न शान्धकारों द्वारा बतलाये गये चयन-तार में
भी अन्तर है। उसके लिए गारा (पुरीष), चात्वाल (पास में बनाये गये गड्डे) से गाँदकर तैयार
किया जाता था। यज्ञशाला का कूड़ा आदि फेंकने के लिए उत्कर या अवरकर भी शाला के
भीतर बनाया जाता था।^५

अग्नि—अग्नि-चयन करनेवाले को अग्निचिन् कहते हैं। भाष्यकार ने अनेक बार
अग्निचिन् शब्द का प्रयोग किया है।^६ अग्नियों में गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और दक्षिणाग्नि ही
आवश्यकता शून्य यागों में होती है। पाण्ड्य केवल गार्हपत्य अग्नि में किये जाते हैं। गृहपति में
मयुक्ता होने के कारण ही इसे गार्हपत्य कहते हैं। पतंजलि ने कहा है कि यदि गृहपति से मयुक्ता
होनेवाली अग्नि में श्रु प्रत्यय मान लिया, तो दक्षिणाग्नि में भी श्रु प्रत्यय होना चाहिए।

कञ्जचित चिन्वीत यः कामयेत शीर्षप्रधानममूर्त्स्मिल्लोके स्वामिति। जलजचित चिन्वीत सतु सीतं
प्रतिष्ठाकामः।— तैत्ति० स० ५-४-११।

१. इष्टकचित चिन्वीत-पक्वेष्टकचित चिन्वीत।— १-१-७२, या० २ पृ ४४।

२. ४-४-१२५ से १२७ यादिका।

३. शत० या० ११-५-२२।

४. द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदि, यायनी प्रकृती वेतिस्ततो द्विगुणा वा त्रिगुणा वा
षम्याञ्चिद्विद्वीतो तत्रेदं निपातनम्।—५-४-८४ या०।

५. पूर्वार्ह-पापगर्-णार्द्रामूलप्रदोषायम्-गद् युन्।—४-३-२८।

६. १-१-३, या० ५, पृ० ११५।

७. गृहपतिना मयुक्ता इत्युच्यते तत्र दक्षिणाग्नायपि प्राप्नोति। दक्षिणाग्निर्गर्हि
गृहपतिना मयुक्ता। अथ नहि गृहपतिना मयुक्ता इत्युच्यते। मयुक्ता गृहपतिना मयुक्ता
प्रत्ययनिर्दिष्टायने। गाषोयो यो गृहपतिना मयुक्ता इति। अत्र मायाय. यमि म् पत्रः
ममात्ता त्रियन्ते। अथवा गृहपति नमं मन्त्रः स यन्मिन्नुच्यते। अथवा महापतिनि वर्तते।—
४-४-१०, पृ० २८६।

दक्षिणाग्नि का भी सयोग गृहपति से होता है। उसमें भी गृहपति यज्ञ करता है। इसलिए, जिसका गृहपति से विशेष सयोग हो, उससे प्रत्यय होता है और विशेष सयोग गृहपति का उस अग्नि से होता है जिसमें पत्नी-सयाज किये जाते हैं अथवा जिसमें गृहपति नाम का मन्त्र बोला जाता है। गार्हपत्य शब्द अग्निविशेष में रूढ संज्ञा भी मान सकते हैं। द्राह्यायण के अनुसार, जिसमें गृहपति पाणिग्रहण करता है, वह गृह्य अग्नि होती है।^१ विवाह के समय होनेवाले हवन को अग्नि को गृहस्थ सर्वदा प्रज्वलित रखता था और उसी में दैनन्दिन होम करता था। गार्हपत्याग्नि अम्बरीष या भडभूजे के यहाँ से या ब्रूद्र को छोड़कर अन्य किसी बहुयाजी परिवार से लाकर प्रतिष्ठित की जा सकती थी।^२ पारस्कर के अनुसार दार-काल के अतिरिक्त दायार्थकाल में भी सयुक्त परिवार के वैटवारे के साथ विभक्त भ्राता स्वतन्त्र आवसथ्याग्नि की स्थापना कर सकते हैं।^३ आनाय्य उस विशेष दक्षिणाग्नि को कहते हैं, जो गार्हपत्य अग्नि से लेकर प्रतिष्ठित की जाती है और सदा प्रज्वलित नहीं रखी जाती। दक्षिणाग्नि वैश्य-कुल से या भ्राष्ट्र से या गार्हपत्य से लाई जाती है। दक्षिणाग्नि और आहवनीय का मूल यदि एक ही गृह्याग्नि हो, तो उसे आनाय्य कहते हैं। जिस दक्षिणाग्नि का मूल कारण आहवनीय से भिन्न हो, उसे आनाय्य कहकर आनेय कहते हैं।^४ यज्ञा-हुतियो के अनुसार अनेक यज्ञाग्निओं के पृथक्-पृथक् नाम हैं और उनके लिए विशेष प्रकार की वेदियाँ बनाने का विधान किया गया है। उदाहरणार्थ, नाचिकेत,^५ निष्टक्य,^६ नाचिकेत काठक-चयन का एक भेद है। कठ मूर्हापि ने जिस चयन-पद्धति का प्रचार किया, उसे काठक कहते हैं। ये पाँच प्रकार की होती हैं—सावित्र, नाचिकेत, चातुर्होत्र, वैश्यसृज और अरुणकेतु। चित्य अग्नि के तीन रूप होते हैं—प्रारम्भ, अर्थात् कुण्ड में प्रज्वलन के पूर्व तैयार अग्नि परिचाय्य, सर्वधमान अवस्था की अग्नि उपचाय्य और जलकर वृक्षी हुई अग्नि में समूह्य कही जाती है। परिचाय्य का फल ग्रामप्राप्ति कहा गया है।^७ परिचाय्य उपचाय्य, समूह्य और चित्य ये सब विशेष स्थितियों में यज्ञाग्निओं के नाम हैं।^८ इनमें से प्रत्येक के चयन के भिन्न-भिन्न प्रकार और फल माने

१. द्राह्या० गृ० सू० १-५-१ से ५।

२. यस्मिन्नग्नी पाणि गृह्य णीयात्सगृह्यः—यस्मिन् वाज्यां समिधमादध्यात्, अम्बरीषाद्वा नयेत् बहुयाजिनो बीजाराच्छ्रुवर्जम् ।—द्राह्या० गृ० सू०, १-५-१ से ५।

३. आवसथ्याधानं दारकाले-आवापकाले एव केवाम्-पञ्चमहायज्ञा इति श्रुतेः ।—पार० गृ० सू०, आवसथ्याधानं सू० १, २, ६।

४. आनाय्योऽनित्ये-दक्षिणाग्नाविति वक्तव्यम्-आनेयोऽन्यः । आनाय्योऽनित्य इति चेद्दक्षिणाग्नी वृत्त भवेत् । एकयोर्नो तु तं विद्यादानेयोऽन्योऽन्यथा भवेत् ।—३-१-१२७, पृ० १९३, १९४ तथा का० ।

५. योगिन् नाचिकेतं चिनुते य ३ चंनमेवं वेद ।—आ० १, पृ० २३ तथा हव्यवाडग्नि-रजरः ।—पिता नः ३-२-६६; का०-कल्पवाहनः पितृणाम् ।—३-२-६५, का० ।

६. परिचाय्यं चिन्वीत ग्रामकामः ।—शत० ब्रा० ५-४-११-३।

७. अग्नी परिचाय्योपचाय्यसमूह्याः ।—समूह्यं चिन्वीत पशुकामः । पशवो वै पुरीषम् । पशून्वेवास्मै तत्समूह्याय ।—३-१-१३१, पृ० १९५।

जाते हैं। उदाहरणार्थ, पशु-समृद्धि की कामनावाले को निष्टक्याग्नि का चयन करना चाहिए।^१ नमूस्त्राग्नि का भी फल पशु-समृद्धि है। अग्नि-चयन में प्रयुक्त होनेवाला पुरीप या गारा पशुओं का प्रतीक है। जो व्यक्ति अग्नि-चयन के लिए पुरीप एकत्र करता है, वह अपने लिए पशु एकत्र करना है, ऐसा समझना चाहिए।^२ कार्य के अनुसार अग्नि के हव्यवाहन, कव्यवाहन, पुरीप-वाहन, पुरीप्यवाहन आदि नाम मिलते हैं।^३ हव्य को देवताओं तक तथा कव्य को पितरों तक पहुँचाने के कारण ही अग्नि का नाम हव्यवाहन और कव्यवाहन भी है। वेद में उसे हव्यवाद् अग्न और पिता कहा है। हव्यवाहन को चित्राग्नि भी कहा है।

अग्नि देवताओं तक हव्य द्रव्य पहुँचाने का माध्यम है। इसलिए, ऋग्वेद में उसे साक्षात् पुरीहित, होता, ऋत्विक् और रत्नभासुर कहा है।^४ भाष्य में हिरण्यवर्णा और शुचि शब्द अग्नि के विशेषण के रूप में आये हैं।^५

समिध्—अग्नि के आधान के लिए समिधा की आवश्यकता होती है। समिधाएँ पांपल, उडुम्बरा, खदिर या पलाश की होती थीं।^६ इनके प्राप्त न होने पर विभीतक, विल्वक, तिन्वा, वाधक, नीप, मिन्व, राजवृक्ष, शात्मली, अरलु, दधित्य, कोविदार आंग म्लेष्मातरु को छोड़कर अन्य किसी भी वनस्पति का उपयोग यज्ञेयन के लिए ही सकता है।^७ समिधाएँ अग्नित् (उग्रभग एक हाथ) और प्रादेश (विक्ता) बराबर लम्बी काटी जाती थीं। समिधाओं का आधान विशेष ऋचाओं के उच्चारण के साथ किया जाता था। ये ऋचाएँ सामिधेनी कहलानी हैं। समिधाओं को इध्म भी कहते थे।^८ सामिधानी ऋचाएँ तेरह हैं, किन्तु प्रथम और अन्तिम को तीन बार आग्नि की जाती है, इसलिए वे सप्तदश सामिधेनी कहलानी हैं।^९ मन्त्रही समिधाएँ काटी जाती हैं और प्रति ऋचा के साथ एक समिध् का अग्नि में आधान किया जाता है। एक साथ ती मन्त्र प्रवेश या मन्त्र अग्नित्-भर लम्बी लकड़ी अग्नि में नहीं रग दी जाती, क्योंकि एक मन्त्र अग्नित् या प्रदग्-

१. निष्टक्यं चिन्वीत पशुकामः।—३-१-१२३, पृ० १९१।

२. कव्यपुरीपपुरीप्येषुषुष्टु-हव्येऽन्तःपादम्।—३-२-६५-६६।

३. अग्निमीडे पुरीहितम् यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतां रत्नघातमम्।—१-१-१।

४. हिरण्यवर्णा शुचयः पावकाः।—७-३-४५, धा० २, पृ० १८९।

५. समिध आध्यारा- (ओडुम्बरा खादिरा पालाशास्तदभावे यज्ञियाः पञ्चदश समिधोऽग्नावाधाय।—शांखा० गृ० सू०, १-२-२१, रुद्रमन्त्रवृत्ति।

६. अघेध्यानुषण्यने खादिरान् वा पालाशान् धा०। खादिरपालाशाभावे विभीतक विल्वकनिम्बवाधकनीपनीपिनिरगावृक्षशाळ शात्मतरुःशुचिदधित्यकोविदारम्लेष्मातरुः मन्त्रेणन्यनानामिदंनो मयार्यं ध्यात्।—गोमिल्ल गृ० सू०, प्रगा० १, क० ५, म० १८, १५।

७. अग्ने समिधेनायां ऋक्ष सामिधेन्य (आद्य० भाष्य० १-२-३) तथा इन्धेनायां इध्मं ऋक्षेनाग्निं तस्मादिन्धेना नाम। समिधेना सामिधेनीभिर्होता तस्मान्नामिधेनो नाम।—शां० शां० १-३-५-१।

८. मन्त्रेणानामिधेनो मन्त्रेणानि त्रि प्रथमात्मना त्रि मन्त्राभिध्याग्निं मन्त्रा-दशय भवति।—शां० २. पृ० ८१।

भर लम्बा काष्ठवेदी में समा नहीं सकता, दूसरे प्रति प्रणव एक समित् रखने का विधान है।^१ आश्व० (१-२-७) के अनुसार ऋग्वेद की ३-२७-१, १६-१० से १२, ३-२७-१३ से १५, १-१२-१, (३-२७-४, ५-२८-५ और ६) ये ११ सामिघेनी ऋचाएँ हैं। दर्शपौर्णमास में पन्द्रह सामिघेनी अपेक्षित होती है। तदर्थ (प्रबो वाजा ऋगू० ३-२७-१) प्रथम तथा (आजुहोत ५-२८-६) अन्तिम की तीन-तीन वार आवृत्ति कर यह सख्या पूरी की जाती है। सामिघेनी एक श्रुति में पढ़ी जाती है। भाष्य में पलाश और अश्वत्थ की समिघाओ का नामपूर्वक उल्लेख किया है।^२ विशिष्ट सामिघेनी को घाष्या कहते हैं।^३

हविष्य—यज्ञाहुति द्रव्यो मे आष्य का स्थान प्रमुख है। यज्ञ के हविष्य घृत को आष्य कहते हैं। भाष्य में उसे रूठ सज्ञा कहा है।^४ यव, तिल और व्रीहि के चावलो की आहुति सामान्य है।^५ तण्डुल चर और वलि दोनों के काम आते हैं। चर गार्हपत्याग्नि से अगार लेकर चूल्हे पर मन्त्रोच्चारणादि पूर्वक यज्ञार्थ पकाये गये चावलो को कहते हैं। अग्नि में पकाये जाने के कारण चर अग्निमान्-सा कहा गया है।^६ जिन चावलो से चर बनाया जाता है वे चरव्य तण्डुल कहलाते हैं।^७ दुग्ध में पकाये गये तण्डुलो को पयसि चर कहते हैं। तण्डुल (पकाये हुए) वलि के काम भी आते हैं, इसलिए उन्हे वालेय भी कहते हैं।^८ पुरोडाश भी व्रीहि के पिष्ट का बनता है। व्रीहि का पुरोडाश व्रीहियम कहलाता है।^९ पुरोडाश छोटी-मोटी रोटी के समान होता है। पुर या पहली आहुति के रूप में चढाये जाने के कारण इसे पुरोडाश कहते हैं।^{१०} आमिक्षा की भी हवि होती है, जो आमिक्ष्य या आमिक्षीय कही जाती है।^{११} आमिक्षा सायकाल के जमाये हुए दूध में प्रातःकाल के गर्म दूध को डालकर बनाई जाती है। गर्म दूध में दही डालने पर उसके दो भाग हो जाते हैं। घनीभूत भाग आमिक्षा और जल-रूप भाग वजिन कहलाता है। चर, दधि और अपूप

१. सप्तदश सामिघेन्यो भवन्तीति न सप्तदशारत्नमात्रं काष्ठमन्नावभ्याधीयते। विषम उपन्यासः। प्रत्युच चैव हि तत्कर्म चोद्यतेऽसम्भवश्चाग्नी वेद्यां च। यथा तर्हि सप्तदश-प्रादेशमात्राश्वत्थीः समिघोऽभ्यादधति न प्रादेशमात्रं काष्ठमभ्याधीयते। अत्रापि प्रति-प्रणवं चैव तत्कर्म चोद्यते तुल्यश्चासम्भवोऽग्नी वेद्यां च।—आ० २, पृ०, ६२।

२. वही तथा पालाशी समित्।—४-३-११५, पृ० २६६।

३. ३-१-१२९

४. अञ्जेदचोपसंख्यानं कर्त्तव्यम्-आष्यम्।—३-१-१०९, वा० २, पृ० १८५।

५. ४-३-१४८, १४९।

६. ८-२-१५, पृ० ३३९, १।

७. चरव्यास्तण्डुलाः।—५-१-२ वा०, ३ पृ०, २९५।

८. वालेयास्तण्डुलाः।—५-१-१३, पृ० ३०४।

९. व्रीहिः पुरोडाशे।—४-३-१४८

१०. पुरोडाः पुरः दाश्यते वीयते इति।—३-२-७१, पृ० २२७।

११. हविरूपवादिभ्यो विभाषाया अवकाशः आमिक्ष्यम्, आमिक्षीयम्, पुरोडाश्यम्। पुरोडाशीयम् ५-१-२, वा० ३, पृ० २९५।

एत्र गाय भी हवि के काम आते हैं। भाष्य में चरु को अपूपवान्, दधिवान्, सरस्वतीवान् और भारतीवान् कहा है।^१ स्याली में परिपक्व ओदन, या स्याली पाक हवि कहलाती है। जिग देवता को स्यालीपाक की हवि दी जाती है, उनी के नाम पर स्यालीपाक का नाम रच दिया जाता है। जैसे, ज्ञा देवता को स्यालीपाक की 'ज' सज्ञा होती है।^२ उसी प्रकार देवताओं के नाम पर चरु भी आग्नेय, कालेय आदि कहलाते हैं।^३ चरु या पुरोडाश जितने कपालों में पकाये जाते हैं, उनमें अनुमान उनके नाम होते हैं—यथा अष्टाकपाल चरु, पचकपाल पुरोडाश आदि।^४ हवि या वाहुति या नाम होम के आधार पर भी होता है—जैसे स्विष्टकृत् होम में दी जानेवाली आहुति मौषिष्टनी होती है। यवान् हवि का उल्लेख ऊपर ही ही चुका है। जिन यजो में पशुवलि दी जाती थी, उनमें वसा-मामादि की आहुति होती थी।^५ आहुति की वलि भी भिन्न-भिन्न देवताओं के नाम पर चढ़ाई जाती थी।^६ वलि देनेवाले को वलिकर कहते हैं।^७

साम्राध्य—सोमपायी अग्निहोत्री अग्निहोत्र में अमावस्येष्टि को इन्द्राग्नि के बरसे इन्द्र या मेहेन्द्र को आहुति देते हैं। इनका हविद्रव्य पुरोडाश से भिन्न होता है। वे अमावस्या की रात्रि को दूध जमा देते हैं और अगले दिन उन जमे दही और तपाये हुये दूध के मिश्रण या हविद्रव्य बनाते हैं। दही और दूध के इस मिश्रित हवि को साम्राध्य कहते हैं।

पशुवलि—यजो में पशुवलि की प्रथा थी, किन्तु सब यजो में पशुवलि आवश्यक नहीं थी। जिन यजो में वलि दी जाती थी, उनमें भी पशु की वलि करना वैकल्पिक था।^८ भाष्यकार ने पशु और अनड्वान को वैकल्पिक रूप से मेध्य कहा है। गो और अज मुख्य वलिपशु थे।^९ गो में गाय और बल दोनों सम्मिलित थे। स्थूलपृषती अनड्ववाहा मेध्य मानी जाती थी। भाष्यकार ने स्थूलपृषती शब्द के अर्थ पर सन्देह करते हुए कहा है कि स्थूल और पृषत्वात्सी अथवा वयो-वयो पृषत्वात्सी ये दोनों अर्थ इस शब्द के हो सकते हैं। केवल स्वर-ज्ञान से ही जाना जा

१. सरस्वतीवान् भारतीवान् अपूपवान् दधिवान् चरुस्त्विति न प्राप्नोति। —८-२-१५, पृ० ३३९

२. ज्ञादेवतास्य स्यालीपाकस्य ज्ञा स्यालीपाक। —७-३-३३, पृ० १८४

३. अग्निदेवतास्य आग्नेय कालेयचरु। —४-२-७, पृ० १६९ तथा अत्रादायाऽन्नपथे य आहुतिमन्नादांक्त्वा। —३-२-१, पा०, पृ० २०५।

४. अष्टाकपाल चरु निर्वपेत् हविषोति किम् अष्टकपाल आत्तगन्ध। —६-३-४६, पा० २, पृ० ३३४।

५. इन्द्राग्निभ्यां टागं प्रथिव्यां भेद प्रस्थिन पदम। —२-३-६१, पृ० ४८८।

६. कुबेरवलिः महागजवलिः। —२-१-३६ काशिक०।

७. वलिकार। —३-०-२१।

८. मेध्य. पशुभिर्मोक्षित मेध्योऽनड्वान् यिन्नायिन इति। नरादिनार्येनाड्वानां नड्वानिति। किं नरि भालस्यपरां नीयेलस्यप्य इति। —१-१-४८, पा० १५, पृ० २६३।

९. गोग्नुषध्याऽन्तोऽग्निषोमस्य इति न यारीतोऽनुषध्याः। —१-१-१५, पृ० १८७।

सकता है कि कौसी गाय आलम्भन के लिए उपयुक्त होती है।^१ गो शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार के मेध्य थे। जहाँ शुक्ल का विधान है, वहाँ शुक्ल की ही बलि उपयुक्त मानी जाती थी। इसी प्रकार, कृष्ण गो के विषय में समझना चाहिए।^२ गो के मारने, उससे जुआ खेलने और उसे भेंट में देने का भी भाष्य में उल्लेख है। अज की बलि अग्नीषोम और इन्द्राग्नि को दी जाती थी।^३ रुद्र के लिए सामान्य पशु की बलि का भाष्य में वर्णन है। पशु की बलि चढ़ाने का अर्थ पशु को अग्नि में प्रक्षिप्त करना माना जाता था।^४ एक स्थान पर इन्द्राग्नि को छाग की हवि, बसा और मेदस् चढ़ाने का भी उल्लेख है।^५ केवल अग्नि के लिए भी छाग, बसा और मेदस् की आहुति का विधान ब्राह्मण-ग्रन्थों में पाया जाता है।^६

पशुमेघ स्वतन्त्र यज्ञ भी है और सोमयाग का अंग भी। प्रथम को निरूढ-पशुबन्ध कहते हैं और द्वितीय को सीमिक।^७ निरूढ पशु अग्नीषोमीय पशु का ही दूसरा रूप है। पशुमेघ वार्षिक (वर्षा ऋतु में) या उत्तरायण और दक्षिणायन का प्रारम्भ होने पर किये जाते थे। चानुमस्य यज्ञों के लिए आवश्यक पाँच पुरोहितों के अतिरिक्त पशुबन्ध में प्रशास्तु नामक छठे पुरोहित की भी आवश्यकता होती थी, जिसे मंत्रावरुण भी कहते थे।

सोम—अग्निचित् के समान सोमसुत् का भी भाष्य में बार-बार उल्लेख मिलता है।^८ क्रतुओं में सोमसुत्या का दिन मुख्य माना जाता था। सोम के अभिवषण की बड़ी लम्बी प्रक्रिया श्रौतयाग के ग्रन्थों में दी है। कुछ लोग सोमवल्ली के विक्रय का व्यवसाय करते थे। वे भूजवन्त पर्वत से सोम लेकर उसे गाड़ियों पर लादकर बेचने निकलते थे। अध्वर्यु उसे जल से अम्युक्षित कर पूछता था, 'सोमविक्रयिन्, क्या तुम सोम बेचते हो?' विक्रयी उत्तर देता था 'हाँ बेचता हूँ।' अध्वर्यु पूछता था, 'क्या वे भूजवत् से लाये गये हैं?' विक्रयी 'हाँ' में उत्तर देता था। फिर, अध्वर्यु इसी प्रकार वात्सालाप करता हुआ छाग, गो, बस्त्र या हिरण्य से सोम खरीदता था। सोमशोचन, क्रयणानुमन्त्रण, क्रयणानुगमन, क्रयणाग सोमोपस्थान, क्रयणाभिमर्शन, सोमविमान, सोम-वेष्टन, सोमावेक्षण, अकट-परिवहन, उपस्तम्भन, आसन्दी-प्रतिष्ठापन आदि क्रियाएँ क्रयण से

१. स्थूलपृषतीमनड्वाहीमालभेतेति-तस्यां सन्वेहः-स्थूला चासौ पृषती च स्थूलपृषती स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सा स्थूलपृषती। ता ना वैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति।—आ० १, पृ ३।

२. शुक्लमालभेत कृष्णमालभेत। तत्र यः शुक्ल आलब्धव्ये कृष्णमालभते नहि तेन ययोक्तं कृतं भवति।—१-१-१, वा० १३, पृ० १०६।

३. गां धनन्ति गां प्रदीव्यन्ति गां सभासद्म्य उपहरन्ति।—२-३-६०, पृ० ४४८।

४. गौरनुबन्धोऽग्निषोमीयः।—१-१-१५, पृ० १८७; इन्द्राग्निन्यां छागं हविर्वषां भेदः प्रस्थितं पश्य।—२-३-६१, पृ० ४४८।

५. पशुं ना रुद्रं यजते। पशुं रुद्राय ददातीत्यर्थः। अग्नीं किल पशुः प्रक्षिप्यते तद् रुद्रायोपह्वित इति।—१-४-३२, पृ० १६९।

६. अग्नये छागस्य हविषो वषायाः मेदसः प्रेष्य(या) अनुब्रूहि।—२-३-६१, काशि०।

७. आड्व०, ३-८-३, ४।

८. १-१-३, वा० ५, पृ० ११५ तथा १-४-२, वा० १४, पृ० १२१।

नम्बद्ध थीं।^१ फिर मद्यन्ती जल में उसका आप्पाचन होता था।^१ वह गोचम पर क्लृप्त जाता था^१ और पत्यर में पीना जाता। इमीलिए, इमे अद्रिमृत, अद्रिदुग्ध और अद्रिमहत् करने थे।^१ भाष्य में भी इमे 'अद्रिभिः सुतम्' कहा है।^१ सोम पीने-छानने की दिया आशुति कृत्या थी।^१ सोम के रम निकालने की क्रिया को सुत्या (३-३-९९) कहते थे। सोमदुग्ध को सुत्या भी कहते थे (३-२-१०३)। मुन्वन् यजमान की मजा थी। कुछ मंत्रों में, जहाँ याजक स्वयं यजमान रहते थे और मंत्री कहलाते थे, मुन्वन् माने जाते थे। पाणिनि ने प्रमुग्ध कर्तृक रूप में सुत्या करनेवाले को मुन्वन् कहा है।^१ इसमें दूध, घी आदि भी मिलाये जाते थे। वे सब कृताएँ पवन कहलाती थीं। सम्भवतः, सोम पकाया भी जाता था, इमीलिए द्रुहवचन में 'श्राना सोमा' और एकवचन में 'श्रित-सोम' ये विशिष्ट वैदिक प्रयोग मिलते हैं, जिनकी निपातन-भाष्या पर भाष्यकार ने भी विचार किया है।^१

सोम मद्यु मिलाकर पिया जाता था। इसे सोम्यमद्यु कहते थे।^१ इसे पीने के अधिकारी ब्राह्मण भी सोम्य कहे जाते हैं।^१ याजिक परम्परा के अनुसार जिनकी दस ऊपरी पीडियों में कोई पुरुष ब्राह्मण-कर्त्तव्य-विहीन न हुआ हो, वहाँ ब्राह्मण सोमपान का अधिकारी हो सकता है।^१ यदि किसी कारण सोम उपलब्ध न हो सकता, तो उसके स्थान पर पृथीक तृणी की सुत्या की जा सकती थी, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सोम के उपयोग की उपेक्षा कर दी जाय।^१

सोम-विक्रय कुर्मित कर्म माना जाता था और इमीलिए सोम देनेवाले को सोमविक्रमः

१. श्रौतपदार्थनिबन्धन, पृ० २६८ से २७८ ।
२. यदद्भिः परिपिच्यसे मृज्यमानो गमत्स्यो ।—ऋग्वे० ९-६५-६ ।
३. एष सोमो धधित्वचि गवां क्रोपाति अद्रिभिः ।—ऋग्वे० ९-६-२९ तथा गण्डे अधित्वचि । ९-१०१-१६ ।
४. अद्रिमृत ।—ऋग्वे० ९-७२-४; अद्रिदुग्धः ।—९-५४-९; अद्रिमहत् ९-९८-६, वहाँ ।
५. ६-१-११५, या० ३, पृ० १७४ ।
६. आशुति करिष्ठः ।—६-४-१५४, पृ० ४९३ ।
७. ३-२-१३२, सयोगग्रहण प्रथानरुत्सुंरनिपत्ययंस्-याजयेयु मानून् ।—श्रानिः ।
८. सोमं पचमानः ।—२-३-६९, या० ५, पृ० ४५६ ।
९. श्राना धिनमिति शिः निपात्यने? श्रोपाने षने श्रानावधिभावो निपातयो ।—सोमवहृत्त्रे श्रानावोऽन्यत्र श्रिभाव ।—६-१-३६, पृ० ६२ तथा ऋग्वे० ९-८-७ तथा ९-८-१० ।
१०. मयेष सोम्यं मद्यु पियति ।—या० ४-४-१३८ ।
११. सोममहृति य सोममहृति सोम्या. ब्राह्मणाः ।—ऋग्वे०, ४-४-१३७ ।
१२. एष इति याजिक पठन्ति-दशपुराणान्कं मय्य गृहे गृहान् न पियेन्त् स सोमं निवेदिष्य ।—४-२-१३, या० ५ । पृ० १२० ।
१३. अदेऽभि सोमस्य म्याने प्रांरुत्सुंरनिपत्ययंस्-याजयेयु न य ताप सोमोऽमुग्धो भवति ।—१-१-५६, या० १३, पृ० ३८१ ।

कहते थे, किन्तु धान्य बेचनेवाले को धान्य-विक्राय। प्रत्यय का यह अन्तर कुत्सा-द्योतन के लिए था।^१

यज्ञास्त्र—अन्य जिन पात्रों की विकृति-यज्ञों में आवश्यकता होती है, उन्हें यज्ञपात्र या यज्ञायुध कहते हैं। इनमें से भाष्य में निम्नलिखित का उल्लेख हुआ है।

स्फ्य—खदिर के^२ काष्ठ से बना हुआ अरतिवरावरलम्बा और चार अगुल चौड़ा खड्गा-कृति यज्ञ-साधन 'स्फ्य' कहलाता है^३, जिससे यज्ञभूमि में माप के अनुसार रेखाएँ खींची जाती हैं।

कपाल—मिट्टी से बनाकर अग्नि में पकाया हुआ दो अगुल ऊँचा पात्र, जो पुरोडाश भूने के काम आता है, कपाल कहलाता है। जिस पुरोडाश में जितने कपालों का विधान होता है, उतने कपाल इकट्ठे कर गार्हपत्याग्नि के पीछे या पश्चिम भाग में रख दिये जाते हैं। किसी पुरोडाश में एक ही कपाल की आवश्यकता होती है और किसी में अधिक थी। ये कपाल पुरोडाश सिद्ध करने के हेतु अग्नि पर रखे जाते हैं और 'भृगूणामङ्गिरसा च तपसा तप्यध्वम्' इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते हैं। भाष्यकार ने कहा है कि मन्त्र न पढ़े, तो भी अग्नि कपालों को तपायेगी ही, क्योंकि तपाना अग्नि का काम ही है। तो भी मन्त्र पढ़ते हैं; क्योंकि मन्त्रपूर्वक की गई क्रिया अभ्युदय-कारिणी होती है।^४

शौघन-पात्र—शूर्प,^५ उलूल,^६ मुसल,^७ हविष्यान्नो के शौघन के काम आते हैं। कृष्णा-जिन त्रीहि आदि के अवहनन के समय उलूल के नीचे रखा जानेवाला कृष्णमृग का चर्म है। उलूल पलाश के काष्ठ से बना, चारह अगुल ऊँचा होता है, जो चर पुरोडाश-सम्बन्धी ब्रीह्यादि के साफ करने में काम आता है। मुसल खदिर के काष्ठ से बनाया जाता है और शूर्प वाँस से बना होता है। गम्या खनन का साधन-काष्ठ है, जिसका अग्रभाग लोहे का रहता है।^८ पीसने की सिल को दूपत् कहते हैं।^९ पीसनेवाला ऊपर का पत्थर उपला कहलाता है। पलाश-काष्ठ से बनी हुई अग्निहोत्र हवणी के समान मुख्य होम का साधन जुह होता है। जुह के द्वारा आहुति दी जाती है।^{१०} 'स्रवति आज्यादि द्रव्यमस्मात्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्रव के द्वारा आज्य की

१. कर्मणा निर्विक्रियः—कर्मणि कुत्सित इति वक्तव्यम्-इह माभूत् धान्यविक्रायः।—

३-२-९२, वा० १, पृ० २३६।

२. वेदे याज्ञिकाः संज्ञा कुर्वन्ति स्फयो यूपत्रचपाल इति।—१-१-१, वा० ४, पृ० ९५।

३. ४-१-८८, वा० २, पृ० १०० तथा काशिका।

४. अग्नीकपालान्यविभ्रत्याग्निमन्त्रयते भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वमिति।
अन्तरेणापि मन्त्रमग्निर्दशनकर्मा कपालानि सन्तापयति।—आ० १, पृ० १९।

५. ५-१-२०, पृ० ३१२।

६. अवहननायोलूलम्।—२-१-३६, वा० १, पृ० २८८।

७. १-१-५०, वा० २, पृ० ३०७।

८. खादितेरशम्यम्, रौरवेतरशम्यम्।—२-१-१, वा० २९, पृ० २५८।

९. वही, वा० २७।

१०. जुहोति-हूयते दीर्घस्रव-जुहः।—३-२-१७८, वा० ३, पृ० २८१।

जाहति दी जाती है।' सुत्र गदिरगाठ से बनता है और अग्नि-मन्त्र लम्बा और आगे जंठे की गाठ के बगल रहता होता है। उनमून नाम जूट के पात्र घास्य गिरे जाने के कारण रिया पात्र है। यह अश्वत्थ-काष्ठ से बनता है और जूट जैसा ही होता है। याग की समाप्ति-पर्यन्त यही पात्र गदने के कारण विचरन वृक्ष के गाठ से बना जूट-मद्ग पात्र श्रुता गहलाता है। प्राग्नि-यज्ञ हुनयोग द्विवर्ग होता है, जो ब्राह्मणों को दिया जाता है। प्राग्नि को लेने के काम का पात्र प्राग्निग्रहण गहलाता है। उटा वा अर्थ है हविर्। उसके आधान-पात्र तो उटापात्र गदने है। उटापात्र अश्वत्थ-काष्ठ से बना हुआ चाण अगुल का गाठ होता है।'

यूप—यम्वन्त्र के लिए यूप की आवश्यकता होती थी। यूप के लिए अग्नि गता से लेकर उन न्याय से जाता था, जहाँ वृक्ष होते थे। यूप पलाश, यद्विग, विल्व, गेहूँला या विभी-नर वृक्ष का बनता था। भाग्यकार ने कहा है कि यद्यपि विभी भी ऊँचे गाठ को गाठकर पद दाय गदने हैं, तो भी याज्ञिकों ने नियम किया है कि यूप विल्व या यद्विग का हो, क्योंकि ऐसा करना अशुभकारी होता है। वेद में स्वयं, यूप और चपाल के प्राग्निभाषित गदने हैं। वृत्तानि ने उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। याज्ञिकों को उन गदनों का उपयोग करने से रोकने अन्य लोग भी जान लेने हैं कि यह उनकी मजा है।

भाग्यकार ने यूप के लिए विभीनर और चपाल के लिए यद्विग वृक्ष का गाठ प्राय कहा है।'

यप बनाने के बाद वृक्ष का जो भाग बच जाता है, उसमें तथा बसाव बनाता है। चपाल चाण अगुल ऊँचा होता है। यूप ऊपर की ओर अष्टकोण होता है और चपाल भी। चपाल गदने में यूप में पगडी की तरह फंसा रहता है।

यूप को वेदि-भाग में लाने और यपावट के आगे रखने से। बाद में उत्तर वेदी के उगार भाग में उसे होकर जूट में उसका प्रोक्षण करने से। भाग्यकार ने उन विधि की और नोंत किया है।' ऋग्वेद-नाल में यूपके लिए स्वर गदने अधिक प्रचलित था।"

१. १-१-४९, पृ० ३०० ।

२. प्रथमा ।—७-३-४५, या० ५, पृ० १८९ ।

३. ५-४-४०, पृ० ४९४ तथा ५-१-९७, पृ० ३४४ ।

४. लाट्या० श्री० सू०, २-५-१ टिप्पणी ।

५. पाण्या० ६-१-५, जाप० ७-१-१३ ।

६. वेद गदिने का यूप न्यादिरुक्ते। यूपश्च नाम पश्यन्नुद्ययंमुपादीयो। गदप घानेन विश्वदेव पाठमुदिरुव्यानुदिरुव वा पश्यन्नुद्ययम्। तत्र नियम विदने। यूप विश्वमात्मन्नुद्ययानि भवति ।—जा० १, पृ० १९ ।

७. छंदे याज्ञिक मज्ञा दुर्वन्नि म्यो यूपश्चशाल इति। तत्र भवमापुपागार-मेति गान्नि ह्यमन्व गज्ञेति ।—१-१-१, या० ४, पृ० ९९ ।

८. संभौनहो यूप गदिरे चपालम् ।—५-१-२, या० ६, पृ० २९६ ।

९. ५-२-९१, या० २, पृ० ४१० ।

१०. उट विगदी पश्यन् नियम दिट्टु य टु मे रंटे दिट्टु 'यप' वात मात पत्तु गेरी मी रंटे यूप ।—मैत्रिकाय इत ऋग्वेद, पृ० ७७ ।

याजक—जो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए यज्ञ करता है, उसे यजमान और जो यजमान के कल्याण के लिए उसके व्यय से उसे यज्ञ कराता है, उसे याजक कहते हैं। याजक दक्षिणा और लाभ की आशा से यजमान को यज्ञ कराते थे। इसीलिए, यज्ञ वातु का प्रयोग यजमान के साथ आत्मनेपद में तथा याजक के साथ परस्मैपद में उपयुक्त माना गया है। 'स्वरितयितः कर्त्र-भिप्राये क्रियाफले' (१-३-७२) के भाष्य में पतञ्जलि ने 'कर्त्रभिप्राये' की उपयोगिता पर प्रश्न करते हुए उत्तर में 'यजन्ति याजका' उदाहरण दिया है और फिर गका की है कि क्रिया का फल तो याजक को भी मिलता है। वे दक्षिणा में गायो की आशा करते हैं और ये उन्हें मिलती है। इस-लिए उनके साथ भी आत्मने पद का प्रयोग होना चाहिए। इस बात के उत्तर में भाष्यकार ने कहा है कि यो तो प्रत्येक कर्ता को क्रिया का फल मिलता है। इसलिए, यहाँ फल की प्रकल्पगति माननी चाहिए। यजमान को यज्ञ क्रिया का फल विना यज्ञ किये नहीं मिलता, किन्तु याजक को यज्ञ के सिवा अन्य प्रकार से भी गाय मिल जाती है।^१ याजक यज्ञ क्रिया के प्रेरक होते हैं। उदाहरणार्थ, यज्ञ पुष्यमित्र करता है और याजक उसके प्रयोजक हैं। इसी भेद को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार ने एक और उदाहरण दिया है—'आप यज्ञ कीजिए (यजताम् आत्मनेपद), याजक मिल जायेंगे। वे यज्ञ करायेंगे।'^२ इससे स्पष्ट है कि व्याकरण की दृष्टि से भेद न होने पर भी व्यवहार में यजमान और याजक शब्दों के प्रयोग का क्षेत्र अलग-अलग निश्चित था। किन्तु, याजक लोग उन्हीं को यज्ञ कराते थे, जिन्हें शास्त्र से यज्ञ करने की अनुमति थी।^३ ये यजमान प्रायः सत्रिय थे।^४ बृषल आदि जातियों को यज्ञ कराना गृहित माना जाता था।^५ कुत्सित याजिक को याज्ञिकपात्र कहते थे।^६

याजकों की सख्या सब यज्ञों में समान नहीं होती। कालक्रम से भी उनकी सख्या में अन्तर हुआ है। पुरोहित, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यज्ञ में पुर (आगे) हित (स्थापित) होते हैं। यज्ञ में सबसे पहले पुरोहितों का वरण किया जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को पुरोहित कहा है और भाष्यकार ने उस मन्त्राग को उद्धृत किया है।^७ भाष्य में निम्नलिखित पुरोहितों का उल्लेख है।

१. कर्त्रभिप्राये क्रियाफल इति किमर्थम् ?—यजन्ति याजका.—अत्रापि क्रियाफलं कर्तारमभिप्रैति-याजका यजन्ति गा लप्स्यामह इति—सर्वत्र कर्तारं क्रियाफलमभिप्रैति तत्र प्रकर्ष-गतिविज्ञास्यते। सावीर्यो यत्र कर्तारं क्रियाफलमभिप्रैति। न चान्तरेण यज्ञि यज्ञिफलं वापि वा वपिफलं लभन्ते। याजका पुनरन्तरेणापि यज्ञि गा लभन्ते ।—१-३-७२, पृ० ९०।

२. अहो यजत इत्युच्यते यः सुष्ठु ह्यार्गं करोति। त च पुष्यमित्रः करोति—याजका. प्रयोजयन्ति। ३-१-२६, वा० ४, पृ० ७४।

३. अङ्गं यजतां लप्स्यन्तेऽप्य याजकाः। य एन याजयिष्यन्ति ।—३-३-१०, पृ० ८८।

४. यदा भवद्विवः सत्रियं याजयेत् ।—३-३-१४७, पृ० ३३२।

५. ३-३-१४२ से १५० तक, पृ० ३३१ से ३३३।

६. याप्ये पाशप्-पाशये कुत्सितप्रहर्षं कर्त्तव्यम्-याज्ञिकपाश. ।—३-४७, वा० १, पृ० ४४१।

७. वही, पृ० १।

• ६८

अध्वर्यु—भाष्य में अध्वर्यु को अद्रि (पत्थर) में मोम का नवन करनेवाला बताया है। एक स्थान पर उसे 'नग्न भावुक' कहा है, जिनके यज्ञ में वस्त्र उतारकर बैठने का करने मन्त्र है। अध्वर्यु और अध्वर परस्पर सम्बद्ध है। सम्भवतः, कार्य को निविष्ट मन्पादित करने की दृष्टि से (अ+ध्वर=प्रदूषित) यह नाम पडा है। हाँगे के मत से अवेस्ता की पानित विधियों (rituals) में भी होता (zaotra) और अध्वर्यु (Rathwa) विद्यमान है। यज्ञ में इनका स्थान इतना महत्त्वपूर्ण था कि यज्ञवेद या यजुर्वेद का नाम ही अध्वर्यु वेद पड गया।^१

ऋत्विज्—भाष्यकार के काल में ऋत्विज् शब्द सामान्य पुरोहित के लिए प्रयुक्त होता था। उन्होंने यज्ञ के प्रारम्भ में ऋत्विजो का वर्ण करने की प्रथा का उल्लेख किया है। जो परिवार ऋत्विज्-कर्म के योग्य होता था, उसे आत्विजो कहते थे। आत्विजो होने का दावा के लिए सम्मान की बात थी।^२ पतंजलि के समय में ऋत्विज् लोग लाल रंग की पगड़ी पहने थे।^३

होता—भाष्य में होता, पीता, नेष्टा और उद्गाता का अनेक बार नाम-नाम उल्लेख हुआ है।^४ इनमें होता में पुगना ऋत्विग् है। वहीं देव का आवाहक और आहुतिवत्ता है। प्रारम्भ में यही एक पुरोहित होता था और सबसे महत्त्वपूर्ण तो बाद में भी बना रहा। ऋग्वेद (१०-२-१) में उसे आयजिष्ठ, अर्थात् श्रेष्ठतम याजक कहा है। एकाधिक-पुरोहित होने पर सामान्य-तया सभी पुरोहित होता कहे जाते थे।^५ देवों का आवाहन होने के कारण ही अग्नि भी जाना गया है। होता के कारण आहुति भी होनी कहलाती है। ऋग्वेद (२-१-२, १०-१-१०) में होता, पीता, नेष्टा, अग्नीध्र, प्रधास्ता, अध्वर्यु और ब्रह्मा इन सात पुरोहितों का उल्लेख है। उद्गाता इनमें नहीं है। वह बाद में सम्मिलित किया गया। पहले इन पुरोहितों की शिक्षा भी निश्चित न थी। उद्गाता का महत्त्व सामवेद के माघ वडा। पहले उनका (होता का) वर्ण किया जाता था और स्थान निश्चित था। बाद में यह स्थान ब्रह्मा को मिल गया। परन्तु एता सम्पूर्ण यज्ञ के लिए उत्तरदायी होता था, पर बाद में यह काम अध्वर्यु को मिल गया और एता उसका सहाकारी बन गया। ऋग्वेद (३-३५-५०) में अध्वर्यु और होता का पर वर्णन है।

१. अध्वर्या अद्रिभि सुतम् ।—६-१-११५, या० ३, पृ० १७४ ।

२. नग्न भावुकोऽध्वर्यु ।—६-१-९१, या० ९, पृ० १४६ ।

३. हाँगे : ए० बी० आ० पृ० १३ ।

४. यजुस्तमः अध्वर्युः शाखाः महत्त्वयत्नां सामवेदः ।—आ० १, या० ५, पृ० २१ ।

५. धायो ऋत्विजः ।—३-१-१०९, या० १, पृ० १८५ ।

६. ऋत्विजसुर्माहृत्याह्वित्वजोर्वाहाणमुलम् ।—५-१-७१, या० १, पृ० ३३९ ।

७. यो वा इमां पवत्रा मरुतोऽभ्यग्ना यानं विदयानि स आत्विजोऽपि । आत्विजोऽपि स्थानेऽप्येव व्याकरणम् ।—आ० १, पृ० ६ ।

८. मोहितोऽग्नीषा ऋत्विज प्रचरन्ति ।—६-१-१, या० १५, पृ० १५ ।

९. २-१-१, या० २६, पृ० २५७; ६-१-९१, या० ९, पृ० १४६ ।

१०. ऋग्० १०-३५-१०; १०-६१-१ ।

वताया गया है, जहाँ वैकल्पिक रूप से पूजादि कृत्य दोनों करते हैं उस समय तक इन दोनों के पदों में ऊँच-नीच का भेद न था।

पीता—पीता का कार्य सोम को शुद्ध करने^१ (परिपवन) करने का है। भाष्य में 'सोमं पवमान.' कहकर पीता के कृत्य का निर्देश किया है। यो ऋग्वेद में (१-९४-६, सव पीत्रम् १-७४-४) अग्नि को भी पीता कहा है। सोम के पवन का काम पहले अध्वर्यु करता था। उसे अवकाश देने के लिए ही इस पद का प्रारम्भ किया गया था। महत्तो और द्रविणोदस को जिस पात्र में सोम अर्पित किया जाता था, उसे पीत्र कहते थे।^२ ओल्डनवर्ग के मत से उत्तरकालीन साहित्य के समय वह नाममात्र का याजक रह गया था। उसका महत्त्व नष्ट हो चुका था।^३

नेष्टा—नेष्टा सहायक पुरोहित है। जिस पात्र से द्रविणोदस को सोम दिया जाता है, वह नेष्टा के ही नाम पर नेष्ट्र कहलाता है। भाष्यकार ने नेष्टा की व्युत्पत्ति नी तथा नेष् धातु से मानी है।^४ यह सुर तैयार करता तथा यजमान की पत्नी को यज्ञस्थान तक ले जाता था।^५

उद्गाता—उद्गाता का काम सामगान है। ऋग्वेद में केवल एक बार इसका उल्लेख हुआ है।^६ इससे अनुमान होता है कि उद्गातृ पद का प्रारम्भ बहुत बाद में हुआ। साम का उल्लेख ऋग्वेद में बार-बार मिलने से यह भी प्रतीत होता है कि पहले भी सामगान की प्रथा तो थी, किन्तु इस काम को कोई भी पुरोहित कर लेता था या उद्गाता का नाम कुछ और था। सामभृत् और सामवित्र शब्दों से सम्भवतः, उद्गाता ही इष्ट हो।^७

ब्रह्मा—भाष्य में ब्रह्मन् शब्द का उल्लेख वेद, देवता, ब्राह्मण आदि अर्थों में हुआ है, पुरोहित अर्थ में नहीं, किन्तु ब्रह्मवादिन्, ब्रह्मवाद्य, ब्रह्मसाम आदि शब्दों में ब्रह्मा का भी अन्तर्भाव हुआ है।^८ ब्रह्मा अवीक्षक (सुपरिटेडिग) पुरोहित होता है, यद्यपि ऋग्वेद-काल तक उसका यह स्थान नहीं बन पाया था। ओल्डनवर्ग के मत से ऋग् में इसका उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ सामान्य पुरोहित था। मैकडॉनल, कीय और डॉ० पी० एम्० देशमुख इसे और ब्राह्मणाच्छसी को एक मानते हैं।^९

प्रशास्ता—भाष्यकार ने तृन् प्रत्यय के प्रसंग में हीता, पीता, नेष्टा, प्रशास्ता और प्रतिहृत्ता का ऋत्विजों में परिगणन किया है। ऋग्वेद (१-९६-६) में प्रशास्ता का काम अग्नि

१. अध्वर्योर्वा प्रयत शक्रहस्तात् होतुर्वा यज्ञं हविषो जुषस्व ।
२. २-३-६९, वा० ५, पृ० ४५६ ।
३. ऋग्० १-४२-२, २-३६-२ ।
४. रिलीजन देर वेद, पृ० ३८३, ३९१, ३९५ ।
५. ३-२-१३५, वा० १, २, ३, ४, पृ० २७० ।
६. रिलीजन देर वेद, पृ० ३८३, ३९१, ३९५ ।
७. उद्गातेव शकुने साम गायसि ।—२-४३-२ ।
८. ऋग्० ७-३३-१४ तथा ५-५४-१४ ।
९. ३-२-७८; ३-१-१२३; ५-४-१०३ ।
१०. रिलीजन इन वैदिक लिटरेचर, पृ० ३४२ ।

में सम्बद्ध बतलाया गया है। ऋग् (२-३६-४) में अग्नि को अग्निष्वा, इन्द्र को इन्द्रा वा और प्रतिहर्ता को उद्गाता का महायक कहा है। प्रदास्ता को गन्ना या गैत्राङ्गा भी कहते थे। यह होता का सहायक था।

ब्राह्मणाच्छंसी—ब्राह्मणों में उद्धृत कर, अर्थात् उनमें लेख्यर पर बोलने के भाग्य उस ऋत्विज् का नाम ब्राह्मणाच्छंसी पड़ा।^१ ऋग्वेद में इसे ब्राह्मण भी कहा है।

अग्नीष्वा—अग्नीष्वा अग्नीष्वा अग्निमिन्य अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करना है। इसके रथान को अग्नीष्वा कहते हैं।^१ भाष्यकार ने 'अग्नीष्वाग्नीष्वा विहर' उम प्रोग में उक्तोक्तं का भी उल्लेख किया है। यज्ञशाला में अग्नीष्वा के लिए पृथक् स्थान की व्यवस्था की जाती थी। मोलह ऋत्विजों में मित्र अन्य पुरोहित, जो यज्ञकर्मों के उपद्रव्य के रूप में निर्यात गिने जाते थे, सदस्य कहलाते थे। सूत्रों में इनका ऋत्विजों के साथ विनिर्पूर्वक वर्ण नहीं किया जाता था।

भाष्यकार ने चार प्रकार के नामाजिक सम्बन्ध बतलाये हैं, जिनमें शीव सम्बन्ध भी एक है। याजक लोगों तथा याजकों और यजमानों को एक सूत्र में बाँधनेवाला उनका शीव तम था। यह बात उनके मुमगठित होने की ओर संकेत करती है।^१

यजमान—यजमान यज्ञ क्रिया का मुख्य कर्त्ता होता है। इसलिए, सोमयाग में उसे 'मुन्वन्' कहते हैं। 'मुन्वन्' का शतृ प्रत्यय यज्ञ के मुख्य कर्त्ता का द्योतक है। यह आवश्यक नहीं है कि यजमान स्वयं यज्ञ करे। भाष्यकार के मत में 'निष्प्रक्षेपण' ही यज्ञ क्रिया का अर्थ नहीं है। त्याग भी उगाता अर्थ है। इसलिए, जो स्वयं प्रक्षेपण न कर त्याग-मात्र करता है, अपने द्रव्य में यज्ञ करता है और तदर्थ वक्षिणा देना है, वह भी यज्ञकर्त्ता माना जाता है। इसी अर्थ के कारण 'याजक' मान गये और पुष्यमित्र यज्ञ करना है। यह बात ठीक मानी जाती है। यदि क्रिया का कर्त्ता ही यजमान माना जाय, तब तो कहना पड़ेगा कि पुष्यमित्र यज्ञ करता है और ऋत्विक् लोग यज्ञ करते हैं। पर लोकाव्यवहार में वैसा नहीं होता।^१ यजमान उक्थ (नामविशेष) को बोलता है, इसलिए उसे

१. ब्राह्मणानि शंसतीति ब्राह्मणाच्छंसी-ब्राह्मणेभ्यो गृहीत्या गृहीत्याऽऽख्यातव्यं धमनीति ब्राह्मणाच्छंसी। —६-३-२, वा० २, पृ० २९९।

२. अग्निमिन्य। —६-३-७० वा० ६ पृ० ३४७।

३. अग्नीष्वा. धरुणमाग्नीष्वाम्। —४-३-१२०, वा० ९, पृ० २५२।

४. गोत्रे बह्योऽभिस्तम्बन्वा आर्षा मोना मोनाः खीवाश्च। —१-१-४९, वा० ४ पृ०, ३००।

५. मुजो धममयोगे। —३-२-१३२।

६. यज्याविष्वा चापिर्वागो द्रष्टव्यः-पुष्यमित्रो यज्ञने याजकत याजयन्ति। न च भिष्वा मत्तपुष्यमित्रो याजयन्ते याजकत यजन्तीति। नामाक्रियाणां यज्ञपंच्यात्। नामाक्रियां मत्तपुष्यां। नामात्तपुष्यां निष्प्रक्षेपण एव यज्ञने। रिर्त्तहि। त्यागोऽपि यज्ञने। अतो यज्ञत द्रव्यस्योऽपि मुन्वन् त्याग करोति। न च पुष्यमित्रः करोति याजकत प्रयोगयन्ति। —३-२-२६, वा० ३, पृ० ७४।

उक्थया भी कहते हैं।^१ इनमें गार्हपत्याग्नि में हवन करनेवाला एकाग्नि कहलाता है।^३ पुरुष के यजमान होने का प्रभाव उसकी पत्नी पर भी पड़ता है। जो पुरुष या स्त्री बहुत अधिक यज्ञ करता है और उच्च चरित्र का अनुचान होता है, वह यज्ञ द्वारा पूत मन का होने के कारण पूतक्रतु कहलाता है। यदि केवल पुरुष पूतक्रतु हुआ, तो उसकी पत्नी पूतक्रतायी कही जाती है।^१

भाष्य में यजमान शब्द बार-बार आया है।^५ यज्ञ-क्रिया के कर्त्ता होने की स्थिति में व्यक्ति यजमान कहलाता था और उसके पुरोहित याजक। जो व्यक्ति यज्ञ कर चुकता है, उसे यज्वा कहते हैं।^६ वेद में यज्वनी और यज्वरी शब्द आये हैं।^६ अग्निष्टोम आदि विशेष यज्ञ करनेवाले अग्निष्टोमयाजी आदि कहलाते थे। भविष्य में अग्निष्टोमादि करनेवाले के लिए भी इस शब्द का प्रयोग साधु माना जाता है। जैसे, 'इसके जो पुत्र होगा, वह अग्निष्टोमयाजी बनेगा।'^७ यज्ञ-कर्म का व्रत करनेवाला यजमान दीक्षित कहा जाता था।^८ और, बहुत अधिक यज्ञ करने वाला यायजूक कहलाता था (यजजपदशां यड ३-२-१६६)। दीक्षित यजमान को भूमिश्चयन, ब्रह्मचर्य, वाक्सयम तथा नियमित भोजनादि व्रतों का पालन करना पड़ता था। ब्राह्मण पंथ, क्षत्रिय यवागू और वैश्य आमिक्षा ही ग्रहण कर सकता था।^९ आमिक्षा दूध और दही मिलाकर बनाई जाती थी। इसका ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है, किन्तु वाद की सब सहिताओं में और ब्राह्मणों में है।

बहुत अधिक यज्ञ करनेवाला यायजूक और यज्ञ कर चुकनेवाला इष्टी (इष्टमनेन) कहलाता था। इसी प्रकार श्राद्ध कर चुकनेवाला पूर्त्ता कहलाता था।^{११} जो यजमान यज्ञ करता था, उसके नाम के साथ लोग क्रतु का उल्लेख करते थे। गर्ग लोगो द्वारा किया जानेवाला त्रिरात्र उनके नाम से गर्गत्रिरात्र कहा जाता था। इसी प्रकार चरकत्रिरात्र, कुसुरविन्दसप्तरात्र आदि

१. उक्थानि उक्थैर्वा शंसन्ति उक्थशाः (यजमानः)। —३-२-७१, पृ० २२६।
२. एकाग्नयः। —५-३-५२, वा० ३, पृ० ४४३।
३. पूतक्रतोः स्त्री पूतक्रतायी। यया हि पूताः क्रतवः पूतक्रतुः सा भवति। —४-१-३६, वा० १, पृ० ५२।
४. २-४-४९, पृ० ४८७; ७-२-८२, पृ० १४५ आदि।
५. १-२-१, वा० ८, पृ० ४६८।
६. बहुलं छन्दसि डीवरी वक्तव्यौ यज्वरीरिषः, यज्वनोरिषः। —४-१-७ वा० १, पृ० ३०।
७. अग्निष्टोमेयाजीत्येतस्मिन् भविता (कस्मिन् १) योऽस्य पुत्रो भविता कदा? यदा नेनाग्निष्टोमेनेष्टं भवति। —३-४-१, पृ० ३४२।
८. होतव्य दीक्षितस्य गृहा। —८-२-१०७, वा० २, पृ० ४००।
९. वाचियमोन्नते। —३-२-४०।
१०. पयोन्नतो ब्राह्मणो यवागून्नतः क्षत्रिय आमिक्षान्नतो वैश्य इति। —आ० १, पृ० १९
११. इष्टीयज्ञे पूर्त्तां श्राद्धे। —५-२-८८ का०।

यद्व मन्त्रद्वयजमानो द्वाग किये जानेवाले यज्ञों के लिए व्यवहृत होते थे।^१ शास्त्रानुसंग श्रौत अग्निषो की प्रतिष्ठा करनेवाला यजमान आहिताग्नि या अग्न्याहित कहलाता था।^२ आवसथ या आवसथ्य में रहने के कारण उसे आवसथिक भी कहते थे, जिमका अपभ्रंश रूप अवसथी आज भी प्रचलित है। आवसथ यज्ञशाला में यजमान के लिए निश्चित स्थान होता था। यज्ञ-नमाप्ति तक यजमान वहीं रहता था। आवसथ को ही आवसथ्य कहते थे।^३

मन्त्र—यज्ञ की क्रियाएँ मन्त्रोच्चारण के माध्यम से जाती हैं।^४ यज्ञ के प्रारम्भ के पूर्व स्वस्तिवाचन और पुण्याहवाचन किये जाते थे। स्वस्तिवाचन-मन्त्र का अर्थ भाष्यकार ने उद्धृत किया है।^५ मन्त्रोच्चारणपूर्वक क्रिया को पाणिनि ने मन्त्रकरण कहा है।^६ मन्त्र जिम देवता की स्तुति, आवाहन या आहुति के लिए प्रयुक्त होता था, उसी के आवाग पर ऋचा का मन्त्र का नाम पड़ जाता था—ऋते ऐन्द्री या आग्नेयो ऋचः।^७ इसी प्रकार यज्ञविशेष में प्रयुक्त मन्त्रों का नाम भी उन यज्ञों के आधार पर होता है। अग्निष्टोम में काम आनेवाले मन्त्र भी अग्निष्टोम कहलाते हैं। इसी प्रकार राजसूय, वाजपेय आदि यज्ञों के मन्त्र राजसूय और वाजपेय बहने जाते हैं। गमि-घात्रों के आवाग में जिन मन्त्रों का विनियोग होता है, वे सामिषेय्य मन्त्र सा सामिषेयी ऋचाएँ कहनी जाती हैं।^८ ऋचा के प्रयुक्त शब्द के विशेष के आधार पर भी उनका नाम पड़ जाता था।^९

त्रैस्वर्यमन्त्र—वैदिक मन्त्रों के उच्चारण दो प्रकार से होते हैं। त्रैस्वर्ययुक्त और एकाश्रुति। सामान्य प्रपाठ में त्रैस्वर्य का ध्यान रखा जाता है, किन्तु यज्ञ-कर्म में जप, न्युग और सामी को छोड़कर अन्यत्र एकश्रुति उच्चारण होता है। यजुर्वेद (२-१०) के 'मागीदमिन्द्र इन्द्रियम्' आदि रूपमय अनुकरण-मन्त्र हैं। न्युग षोडश ओंकार आपो ३ ओं ओं ओं ओं ओं ३ ओं ओं ओं ओं ओं ३ ओं ओं ओं रबनी क्षयवा हिवन्व ऋचु न भद्र विभृधानृत च। रायो ३ ओं ओं ओं ओं ओं ३ ओं ओं ओं ओं ओं ३ आदि हैं। जपमन्त्र का उच्चारण यजमान करता है और न्युग का उच्चारण सामियागों में प्रातः कालीन आहुति के समय होता है। न्युगों में कुछ उभार हैं और कुछ अनुदात्त। वाक्यविशेषण्य गीतियाँ सामन् कहलाती हैं। उन तीनों में मन्त्र उच्चारण

१. द्विगो कृन्ती गर्गत्रिरात्रः, चरकपञ्चरात्रः, कुसुमयन्दिनसप्तमगः । —६-२-१७, पा०
२. आहिताग्न्यादिषु-आहिताग्नि अग्न्याहितः । —२-२-३७ पा० ।
३. आवसथयान् ष्टल्-४-४-७४ तथा आवसथ एव आवसथ्यम् । —५-४-२३ पा० ।
४. मन्त्र घोषिमान्ये । —३-१-८६, पृ० १४६ ।
५. अनुयन्ती माग्नेभान्यस्तपे । —३-१-८६, पृ० १४६ ।
६. उपान्मन्त्रकरणे-मेन्द्रेय्यागाह्येपन्थमुपतिष्ठते, आग्नेय्या आग्नीध्रमुपतिष्ठते । —१-३-२५ पा० ।
७. मन्त्रे भयेषु म्वायवन्थ्य. अग्निष्टोमे भयो मन्त्रोऽग्निष्टोमः मन्त्रयुगः वाजपेयः । —४-३-६, पा० ५, पृ० २८० ।
८. गमिषामापानो मन्त्र सामिषेयो मन्त्र. सामिषेय्युक् । —८-३-१२०, पा० १०, पृ० २५२ ।
९. अपिपितृणां जुहोति । —८-०-६५, पृ० ३२९ ।

किया जाता है। अन्यत्र यज्ञ-कार्यों में एक श्रुति होती है।^१ वीषट् का उच्चारण अधिक ऊँचे स्वर से किया जाता है और एकश्रुति भी। पर यह नियम वैकल्पिक है।^२ त्रैस्वर्य वैदिक अध्ययन में आवश्यक था। ब्राह्मणों में उद्धृत वेद-मन्त्र एकश्रुति या एकतार ही बोले जाते थे। पाणिनि-काल से ही त्रैस्वर्योच्चारण का नियम ढीला पड़ चला था।^३ सुब्रह्मण्या निगद में वैकल्पिक एक श्रुति नहीं होती। इसमें प्राप्त स्वरित के स्थान में उदात्त कर त्रैस्वर्योच्चारण होता है।^४ सुब्रह्मण्या ऋक् ऐन्द्री या आग्नेयी होती है।^५ ऐन्द्री में तीन वार 'सुब्रह्मण्यो ३म्' बोलने के बाद 'इन्द्रागच्छ' आदि बोला जाता है। इसके अन्त में 'गौतम ब्रुवाण' के अनन्तर जितने दिन की सुत्या हो, तदनुसार 'द्वयहे, या त्र्यहे सुत्याते' आदि जोड़ा जाता है^६ और उसके पश्चात् 'देवा ब्रह्माण आगच्छतागच्छता गच्छत' बोलना चाहिए। इसमें ब्रह्मन् शब्द ऋत्विग्वाची है।^७ सुब्रह्मण्या का उच्चारण सदा अर्धव्यु का प्रैष पाने के बाद ही किया जाता है।^८ 'सुब्रह्मणो ३ मन्द्भागच्छ हरिव आगच्छ मेधातिये मेध वृषणवस्य मेने गौरावस्किन्द्रहल्यायै जार कौशिक ब्राह्मण गौतम ब्रुवाणश्च सुत्यामागच्छ मधवन्' आदि सुब्रह्मण्या निगद हैं। सुब्रह्मण्या में ही 'देवा ब्रह्माण' पठित है। उनमें भी स्वरित के स्थान में अनुदात्त उच्चारण किया जाता है।^९

मन्त्र के पूर्व ओम् का प्रयोग किया जाता है। यह प्रारम्भ-द्योतक ओम् शब्द प्लुत होता है।^{१०} यज्ञ-कर्म में प्रयुक्त होनेवाला 'थे' शब्द भी प्लुत होता है जैसे 'ओ ३म् अग्निमीडे पुरोहितम्' आदि। कात्यायन और पतञ्जलि के मत से ब्राह्मण-मन्त्रों में सर्वत्र 'थे' को प्लुत नहीं होता। यज्ञ-कर्म में मन्त्र को ठि को प्रणव आदेश हो जाता है। जैसे 'अपारेतासि' जिन्वतो ३म्। देवान् जिगति सुम्न-

१. यज्ञकर्मणि जपन्युह्व सामसु ।-१-२-३४; जपोऽनुकरणमन्त्रः—ममानेर्वर्चो
स्वस्त्युह्वला ओङ्काराः षोडशो-तेषु केचिदुदात्ताः केचिदनुदात्ताः—सामानि वाक्यविशेषा गौतय
उच्यन्ते ।-वही, का० ।

२. उच्चैस्तरा वा वषट्कारः—वषट् शब्देनात्र वीषट् शब्दो लक्ष्यते । वीषडित्यस्यैवेदं-
स्वरविधानम् ।-१-२-३५ काशिका ।

३. विभाषा छन्दसि-व्यवस्थितविकल्पोऽयमिति केचित्-व्यवस्था व वेदे मन्त्रदले नित्य
त्रैस्वर्यं ब्राह्मणदले नित्यमैकश्रुत्यमिति ।-१-२-३६ का० ।

४. १-२-३७ ३८, ३९, पृ० ५१४, ५१५ ।

५. ऐन्द्री आग्नेयी वा ऋक् सुब्रह्मण्या भवति ।-लाट्या० श्रौ०सू० भा०, १-२-१८ ।

६. सुब्रह्मण्योमिति त्रिरुक्तं वा निगदं ब्रूयादिन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ मेधातिये मेध
वृषणवस्य मेने गौरावस्किन्द्रहल्यायै जार कौशिक ब्राह्मण गौतम ब्रुवाणतावदेहे सुत्यामिति
यावदेहस्यात् ।-वही, १-३-२ ।

७. देवा ब्रह्माण आगच्छतागच्छतेति गौतमः ।-वही, १-३-३ ब्रह्मन् शब्दो
ऋत्विग्वचनः ।-वही, भाष्य ।

८. अर्धव्युसम्प्रेषं सर्वत्राकाङ्क्षेत सुब्रह्मण्यायाम् । —वही, १-२-१८ ।

९. १-२-३७, ३८, ३९, पृ० ५१४, ५१५ ।

१०. ओमन्यादाने । —८-२-८७ ।

योऽम् ।' यदि उन्ही मन्त्रों का प्रयोग यज्ञ में किया जाय, तो 'अग्नेयमि जिह्वामि' आदि बोला जायगा। प्रणवादिग का अर्थ है—'तृचा के पाद या अर्ध भाग का अन्तिम उच्चारण उमने पूर्व के वने हुए अक्षर के आगे तीन मात्रा का अंकार या अंजन आदेश करना। उसे प्रणव कहते हैं।' याज्याकाण्ड में पठित तीन मन्त्रों को याज्य कहते हैं। यज्ञ-कर्म में पठे जानेवाले याज्य-मन्त्रों को अन्तिम टि पठित होती है। जैसे उवाचाय वयात्राय सोमपूठ, य धेनवे। (शुक्ल ८-४३-११), 'स्वामिविद्येनाग्नेयेऽ। जिह्वामन्नेनृष इव्यवाहान् ३।' कुछ याज्या नाम की ऋचाएँ वाक्यममृदाय-रूप हैं। उनमें जितने वाक्य होते हैं, उन सबको टि पठित नहीं होती, अन्तिम अन्तिम टि ही पठित होती है। यज्ञ-कर्म में प्रयुक्त होनेवाले ब्रुति, प्रेष्य, ओषध्-योषध् और अन्तर्गद्यों का आदि पठित होता है। इन गद्यों का प्रयोग उन प्रकार होता है—

प्रेष्य—यज्ञ कर्म प्रारम्भ होने ही अध्वर्यु होता को 'प्रेष' या आदेश देना है कि वह उन देवता को प्रथमा में, जिसे प्रथम करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है मग पड़े। उग्रा की स्मृति के लिए पढी जानेवाली ऋचा पुरांनुवाक्या कहलाती है। पुरांनुवाक्या प्राय एक ही ऋचा होती है। यह एकश्रुति में पढी जाती है। पुरांनुवाक्या के बाद याज्या, जो वाग्मविक्र आदि देने के लिए पढी जानेवाली ऋचा होती है, पढी जाती है। पुरांनुवाक्या और याज्या का एक युग्म होता है।

इसके पश्चात् जूह और उपभूत तथ में लेकर अपने स्थान पर बैठा हुआ अर्धायु जागीरु को 'आ३ आ३ वय' पद द्वारा देवताओं को यह सूचित करने के लिए कि सब कुछ निश्चिन हो गया है, वे पवारो, यह आदेश देता है। अध्वर्यु का यह आदेश जग्गीश्रवण या आश्रावण कहलाता है। उस आश्रावण का उत्तर 'अन्तु ओ३पद्' कहकर देता है, जिसका तात्पर्य है 'देवा को निश्चिन है। अर्गानु के उस उत्तर को प्रत्याश्रवण या प्रत्याश्रुत कहते हैं।

छन्दस्य—जग्गीरु ने प्रत्याश्रवण पाकर अध्वर्यु होता को 'गजू, अर्गानु गजन प्रारम्भ करो, यह प्रेष देता है। तदनुमान, होता याज्या (आहृति-मत्र) पटना है, किन्तु उसके पूर्व 'वे ३ यज्ञा-मन्त्रे' यह कहा जाता है। याज्या के अन्त में योषध् बोला जाता है। जैसे 'ओ३म् में यज्ञा-मन्त्रे गमिर गमिर्गोष्ण आज्यस्य व्यन्तुः यो३पद्।' उस प्रकार, याज्या में, जो प्रायः ऋग्मन्त्रों की एक ऋचा या जानी ऋचा होती है और आहृति देने के लिए विनियोग में लाती है, तीन भागों में है— 'वे ३ यज्ञा-मन्त्रे याज्या यो३पद्।' योषध् या यषध्तर का उच्चारण होता उच्यते और उवा ११।

१. प्रणवाटे—प्रणव इत्युच्यते क प्रणवो नाम ? सादस्य वाधेर्गंघ याज्यमक्षरमुप मह्य्य महाक्षरस्योश्च स्वाने त्रिमात्रमोडुत्त त्रिमात्रमोडुत्त वा विदधीत न प्रणव इत्युच्यते।—८-२-८९, पृ० ३९५।

२. ८-२-१०३, पृ० ४००।

३. याज्यान्—याज्या नामर्षो वाक्यममृदायमत्र वावर्णि वावर्णानि मधेया रे. एतौ प्राप्नोति इत्यने चान्दस्य स्यादिति मन्त्रान्गणे मन्त्र न गिष्यन्तीश्वेयस्यमन्त्रप्रथम।—८-२-८९, पृ० ३९५।

४. त्रिर्गोष्णयाज्या वाक्या भवति।—८-२-१५, पृ० ३३८।

मे करता है।^१ याज्या का उच्चारण अपेक्षाकृत मन्द स्वर मे होता है। वीषट् के उच्चारण के साथ ही अर्धव्यू अग्नि मे आहुति छोड़ता है। सोमयाग मे इसके बाद पुन. 'गवेन्द्रयज्ञे वीहि या सोमस्थाने वीहीरे वीरेषट् बोला जाता है।^२ इस मन्त्र के पूर्व भाग को वीत और उत्तर भाग को अनुवषट्कार कहते हैं। वीत भाग का अन्तिम स्वर लुप्त होता है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया सत्रह अक्षरो के प्रजापति छन्दस्य (अक्षर-समूह) मे पूर्ण होती है। ये सप्तदशक्षर इस प्रकार हैं—ओश्रावय (चार) अस्तु श्रीषट् (चार) ये यजामहे (पाँच), यज (दो) वषट् या वीषट् (दो)। सत्रह अक्षरो के इस छन्दस् को छन्दस्य भी कहते हैं। भाष्यकार ने यह छन्दस्य तैत्तिरीय ब्राह्मण-काण्ड से उद्धृत किया है।^३

यज्ञ मे प्रवरण (यजमान का प्रवरोच्चारण) के बाद निगद (ऋग्वेद मे विहित यजुर्मन्त्र) पढा जाता है। निगद-पाठ के बाद होता देवता के आवाहन के लिए मन्त्र पढता है—अग्निना रे वह। इसे देवतावाहन कहते हैं, जिसमे आवह का आदि स्वर प्लुत होता है।^४

यज्ञ मे सामगान की प्रथा रही है। सामो मे अवभृथ यज्ञ के लिए जानेवालो के रक्षा-विनाश के लिए गाया जाता था। रयन्तरादि साम तुच या तीन ऋचाओ के समाहार है, जिन्हे परिसाम कहते हैं। परिसाम का गान प्रस्तोता करता है।^५ भाष्य मे रयन्तर, वामदेव्य और बृहद् इन तीनों सामो का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त रौक्क यजुषु, वहिष्यवमान, अपोनप्त्रीय सूतत प्रमाय आदि की चर्चा भाष्य मे आयी है।

एकश्रुति—भाष्यकार ने उच्चारण मे सात स्वर बतलाये है। उदात्त, उदात्ततर, अर्थात् अतिशय उदात्त, अनुदात्त, अनुदात्ततर, अर्थात् अतिशय अनुदात्त, स्वरित, स्वरित का अनुदात्त-युक्त उदात्तभाग तथा एकश्रुति।^६ उच्च स्थान मे निष्पन्न स्वर उदात्त कहलाता है। वर्णों की निष्पत्ति तात्वादि स्थानो से होती है। तात्वादि के अवयव होते है। उनमे ऊपरी अवयव से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है, वह उदात्त होता है।^७ उदात्त का अर्थ ऊँचे स्वर से उच्चारण नही

१. उच्चैस्तरां वा वषट्कारः ।-१-२-३५ ।

२. गवेन्द्रयज्ञेवीहि ।-६-१-१२४, पृ० १७७ ।

३. अक्षरसमूहे छन्दसे उपसंहयानं कर्तव्यम् । ओश्रावयेति चतुरक्षरम् । अस्तु श्रीषडिति चतुरक्षरम् । ये यजामहे इति पञ्चाक्षरम् । यजेति द्वयक्षरम् द्वयक्षरो वषट्कारः । एष वं सप्तदशक्षरश्छन्दस्यः प्रजापतिर्यज्ञमनुविहित ।-४-४-१४०, वा० १, पृ० २११ तथा ५-४-३० वा० २, पृ० ४९०-९१ ।

४. ८-२-९१ ।

५. लाट्या० श्री० सू०, १-५-२ भाष्य ।

६. त एते तन्त्रे तरनिदेशे सप्तस्वरा भवन्ति-उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, अनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिते य उदात्तः सोऽग्येन विशिष्टः, एकश्रुति. सप्तमः ।-१-२-३३, पृ० ५१४ ।

७. उच्चैरितिश्रुतिप्रकर्षो न गृह्यते । तात्वादिषु हि भागवत्सु स्थानेषु वर्णा निष्पद्यन्ते । तत्र य समाने स्थाने ऊर्ध्वभागनिष्पन्नोऽच् स उदात्तसंज्ञो भवति यस्मिन्नुच्चायमाणे गात्राणा-मायामनिग्रहो भवति । रुक्षतोऽस्तिगयता स्वरस्य, संवृततो कण्ठविवरस्य येतेके ।-१-२-२९, काशिका ।

है। उदात्त के उच्चारण में गात्र के आघाम पर नियन्त्रण रहता है, जिनसे स्वर गुण रम्य और अग्निग्रह होता है। उसमें कण्ठ-विवर अपेक्षाकृत मधुर रहता है। ये, न के उदात्त है। अग्निग्रह उच्च भाग से उच्चरित वर्ण उदात्ततर कहलाता है। अनुदात्त और अनुदात्ततर वर्ण उम्मे की उम्मे होते हैं। वे उच्चारण गात्र के नीचे भाग में उच्चरित होते हैं। इनके उच्चारण में गात्रों में अन्वमर्ग और मार्दव रहता है जिसमें स्वर में मृदुता निरवयवता और मरमता उत्पन्न होती है। इनके उच्चारण में कण्ठ-विवर में उरता और फैलाव रहता है। तन्मू मम, निम निम आदि अनुदात्त हैं।^१ स्वरित में उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार रहता है।^२ जैसे दिवदम्, तन्म, वर आदि। एकश्रुति में उदात्त, अनुदात्त और स्वर्गित का विभाग नहीं प्रतीत होता, क्योंकि भेद का निरोधान ही जाता है।^३ उदात्त अनुदात्त और स्वरित के समान एकश्रुति भी स्वर का नाम है, जिन प्रकार ननुमक लिंग-विशेष का नाम है। आन्वलायन के अनुसार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का।

दक्षिणा—दक्षिणा यज्ञ का महत्त्वपूर्ण भाग है। यज्ञों को छोड़कर, जिनमें प्रातःकर्म का व्यात्मकत्वापार्यं यज्ञ करने हैं, अन्य यज्ञों में दक्षिणा देने का विधान है। प्रत्येक यज्ञ की दक्षिणा के अलग-अलग नाम हैं। यथा—आग्निष्टोमिनी, राजसूयिणी, चाजपेयिणी, नारस्यिणी, पात्रयज्ञिणी, पाञ्चोदनिनी, दामोदनिनी आदि।^४ दक्षिणा में गायत्री अवश्य ही दी जाती थी। जिन यज्ञों में हजार गायत्री दक्षिणा का विधान है, उनमें विविध लक्षण की एक गायत्री (१ यज्ञ की, ४ वर्ष की या बृद्धा) नुनकर उन महत्त्वपूर्ण यज्ञों की जानी थी, और उमरा विविध गायत्री में दान किया जाता था। पशुमेवों में ज्ञपिता की पशु ही दक्षिणा में मिलना था। गात्रिक में अन्य और वैश्वदेवों की हाथी दक्षिणा में देने की प्रथा भी सामान्य मान्य होती है।^५ जिन गायत्री प्रातः न होने पर एक ही गायत्री का बार-बार दान करने में अनेक गायत्री के दान का पुण्य प्रातः होने का भी उल्लेख भाष्य में मिलता है।^६

१ समाने स्थाने नोचभागे निटात्रोच्च अनुदात्त। यस्मिन्नुच्चार्यमाणे गात्राणामग्रमर्गा मार्दवं भवति स्वरस्य मृदुता, स्तिग्यता कण्ठविवरस्योपगत मृदुता-स्त्रनसगिमनेम इत्यनुच्चारण।— १-२-३० वा०।

२. ती ममादिहृषेते यस्मिन्प्रचि तस्य स्वरित उम्मेवा नञा विधीयते।—१-२-३१ वा०।

३ स्त्रगात्रामुदात्तादीनामपिनातो नेदनिरोपलभेदश्रुति।—१-२-३३ वा०।

४ एकश्रुति स्वरनाम यथा ननुमरान्दिनाम।—६-४-१७४, वा० ८, सू० १०६।

५ तस्यच दक्षिणा यनाग्रमेव-आग्नायनप्रहृण विमर्षम्? तस्य दक्षिणा यज्ञस्य इतीत्युच्यमानेसपुत्रसत्तानुनकायसास्त उच्यते स्यात् अग्निष्टोमिनीय राजसूयिण्य, चाजपेयिण्य। यत्र वा अतःतदोत्तिनपात्रयज्ञिण्य नाशयतिइव। इतम स्यात् पात्रोदनिण्य वात्रोदनिण्य।— ७-१-१५, सू० ३८०।

६ पात्रयज्ञस्य वैश्वदेवगात्राणी।—६-२-१२, वा० ७, सू० २८९।

७ नोवे अदिविगतमेव। दक्षिणाभेदेन, मन्त्रश्रुत्या दक्षिणा गायत्री के महत्त्वविषय मन्त्रप्रदा।—आ० २, सू० ८१।

वधिया ब्रह्म भी दक्षिणा मे दिये जाते थे।^१ अश्वयुक्तं रथ, जिसमे अनेक अश्व जुते रहते थे या केवल अश्व, घोड़ी खच्चर, खच्चरी (अश्वतरी) गर्दभादि अवि, मेघ, वस्त्र, व्रीहि, यव, तिल, माप आदि को दक्षिणा मे देने का उल्लेख श्रौतसूत्रो मे है।

यज्ञफल—ब्राह्मण-ग्रन्थो मे यज्ञो के विभिन्न फलो का सविस्तर वर्णन है। भाष्यकार ने इनमे अग्निष्टोम के प्रसंग मे कहा है कि वसन्त मे ब्राह्मण को अग्निष्टोमादि ऋतुओ से यज्ञेन करना चाहिए। इस शास्त्रीय विधान का कुछ प्रयोजन भी है। जो इस प्रकार यज्ञ करता है, उसे स्वर्ग मे अप्सरा-पत्नियो की प्राप्ति होती है।^१ काम्येष्टियो का फल उनके नाम के द्वारा ही जाना जा सकता है। निष्वर्ण्यग्नि और समूह्य का चयन पशु-समृद्धि के लिए किया जाता था।^१ यज्ञो के द्वारा अन्न, ओषधि, धन आदि की समृद्धि की प्रार्थना की जाती थी और वही उसका फल था। सुसत्या ओषधियो और सुपिप्ला ओषधियो के लिए प्रार्थना भाष्यकार ने वैदिक साहित्य से उद्धृत की है।^१ और पुष्टि अनेक यज्ञो का लक्ष्य था।^१ कभी-कभी वर्षा के लिए सहिता-पाठ का आयोजन किया जाता था। शाकल्य द्वारा सुप्रणीत सहिता को सुनकर पर्जन्य वरस पडा, ऐसा विश्वास समाज मे था। यज्ञ मे रात्रि-जागरण से वैदिक विद्याओ की प्राप्ति मानी जाती थी।^१ ये यज्ञ पतजलि के समय मे साधारण समाज मे बहुत प्रचलित हो चुके थे और लोग प्राय उनका अनुष्ठान करते थे। यह बात उनके अनेक कथनो मे स्पष्ट है।^१ क्योंकि, जैसा कि भाष्यकार ने उद्धृत किया है—यज्ञ प्रतिष्ठा (स्थिरता और सम्मान) का प्रदाता माना जाता था।^१ अग्निष्टोम का फल तो पुर्नजन्म से मुक्ति माना जाता है। इसीलिए, भाष्यकार ने अग्निष्टोमयाजी के साथ 'जनिता' के प्रयोग पर आपत्ति की है।^१

भाष्य मे वेदो और ब्राह्मणो से ऐसे अनेक वाक्य उद्धृत मिलते हैं, जिनमे यज्ञ के फल के रूप मे ऋत्विज् सन्तान की कामना की गई है या पत्नी के साथ स्वर्गमन की। महान् सीभाग्य,

१. महानिरष्टो दक्षिणा दीयते।—६-२-३२, पृ० २५८।
२. वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निष्टोमभिः ऋतुभिर्यजेतैर्वाज्यथाः किञ्चित्प्रयोजनमुक्तम्।
किम्? सर्वो लोकेऽप्सरस एव जाया भूत्वोपशेरते इति।—६-१-८४, वा० ५, पृ० ११८।
३. निष्वर्ण्य चिन्वीत पशुकाम।—३-१-१२३, वा० १, पृ० १९१ तथा समूह्यं चिन्वीत पशुकामः पशवो च पुरीयं पशुवेवास्मै तत्समहति।—३-१-१३१, वा० ३, पृ० १९५।
४. सुसत्या ओषधोऽस्कुधि, सुपिप्ला ओषधोऽस्कुधि।—६-१-८६, पृ० १३३, वा० ६।
५. रयिमान् पुष्टिवर्धनः अरि वा नेतुं नो विद्वः।—६-१-३७, वा० ६, पृ० ६८।
६. शाकल्येन सुकुता संहितामनुनिशम्यदेवः प्रावर्षत्।—१-४-८४, पृ० २००।
७. यो जजागार तमृचः कामयन्ते।—६-१-८, वा० १, पृ० २४।
८. श्वोऽग्नीनाघास्य मानेन, श्वः सोमेन यस्यमाणेन।—१-४-९, पृ० १३६।
९. यज्ञेन प्रतिष्ठा गमेयम्।—३-१-८६, पृ० १४६।
१०. कुतो नु खल्वेतदग्निष्टोमयाजोत्येतादुपपदेम् भविष्यति न पुर्नर्जनितेति।—३-४-१, वा० २, पृ० ३४१।

याजुषों की अवस्थिरता, मन्त्रों की वृद्धि, देवों से अपने नीमगत्व में सामान्य वृद्धि आदि की महभागिता यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त करने की कामनाएँ की गई हैं।^१

पारिभाषिक यान्त्रिक शब्द—यज्ञशास्त्र और उसकी प्रक्रिया में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रचलित था, जो पारिभाषिक कहे जा सकते हैं। ये शब्द विशेष अर्थ में रूढ़ हो गये थे और यान्त्रिकों में भी उस रूढ़ अर्थ में प्रचलित थे। ऐसे बहुत-से शब्दों की व्याख्या ऊपर दी जा चुकी है। कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण शब्दों की, जो भाष्य में मिलते हैं, चारों तरफ नीचे दी जा रही है :

अघरपरिग्राह—यज्ञ के लिए वेदी तैयार करने के निमित्त वेदि-स्थान से मिट्टी साफ की जाती है। अध्वर्यु के आदेश पर आग्नीध्र तीन बार मिट्टी लेकर उत्तर में उलता है। तब कुण्ड की मिट्टी साफ हो जाने पर अध्वर्यु आग्नीध्र को प्रैप देता है और आग्नीध्र वेदी के दाहिने अंग से प्रारम्भ कर दक्षिण श्रोणि तक वेदी के दक्षिण प्रान्त का स्पर्श करता है और उगी प्रकार दक्षिण श्रोणि में प्रारम्भ कर उत्तर श्रोणि तक वेदि के पश्चिम प्रान्त (छोर) का, उत्तर श्रोणि में प्रारम्भ कर उत्तरांस तक वेदि के उत्तर भाग का स्पर्श करता है। स्पर्श से वेदि के प्रान्त भाग का यह स्पर्शन अघरपरिग्राह या पूर्वपरिग्राह कहलाता है।

उत्तरपरिग्राह—अघरपरिग्राह के बाद मन्त्र-जप के साथ तीन बार वेदि-स्थान घोटा जाता है और खुदी हुई मिट्टी उठाकर आग्नीध्र उत्तर में उलता है और फिर ऊपर बतलाये हुए ढग में स्पर्श द्वारा अन्य तीन मंत्रों के साथ वेदी के प्रान्त भागों का स्पर्श करता है। स्पर्श में यह द्वितीय क्रिया उत्तरपरिग्राह कहलाती है।^२

उद्ग्राम—सूक् को उठाने की क्रिया उद्ग्राम कही जाती है।

निग्राम—सूक् को नीचे रखने की क्रिया को निग्राम कहते हैं।^३

शयुवाक्—शयुवाक् विशेष कथा की सज्ञा है। शयु पद-युक्त होने से उसे शयुवाक् कहते हैं। यज्ञ-प्रक्रिया में तृण-ग्रहण के बाद अध्वर्यु का प्रैप पाकर होता इस शयुवाक् का मध्य में अवनान देकर बिना प्रणय के एक धृति में पठता है।^४

सूक्तवाक्—प्रश्नराजन-विधि के बाद अध्वर्यु होना को मंत्र पठने के लिए कहता है। अध्वर्यु से प्रेरित होता जो मंत्र पढ़ता है, उसे सूक्तवाक् कहते हैं।

१. प्रजां विन्वाम ऋत्विषाम् ।—६-१-१२७, वा० १, पृ० १८१; एहिंस्वं जामे र्वा रोहाप ।—६-३-१०९, वा० ६, पृ० ३६१; धर्मन्तुत्वा मुष्टतयो गिरो मे, यूपमनिष्ट्वा, मुर्मो रग्नातु, अग्ने द्रव्यं मरुते सोमगन्वाप ।—६-४-५३, पृ० ४२९-३०; अर्वात्परो तन्वृष्टिपुत्रान्, पिगृष्टि घतं पिगृष्टि यत्तपितम् तेन माभागिनं वृष्टिह ।—६-४-६०६, वा० १, पृ० ४५९।

२. परो यते—उत्तरपरिग्राह. अघरपरिग्राहः ।—३-३-४७ वाङ्मयः।

३. उद्ग्रामः निग्राम इतीमी शरो छम्दिम वसन्त्यो र्मुगृह्मन् विताताप्यंश्वोः । उद्ग्रामं च निग्रामं च ब्रह्मदेया अपोयदन् ।—३-३-३६, वा० ३, पृ० ३०३।

४. २-४-२९, वा० १, पृ० ४७६।

घाय्या—दर्श-पीर्णमासादि में १५ सामिघेनी ऋचाएँ होती हैं, जो ऋग्वेद (३-२७-१ से ११) से ली गई हैं। इनमें प्रथम और अन्तिम ऋचा के तीन-तीन बार पढ़ने से पन्द्रह सख्या पूर्ण होती है, किन्तु सामिघेनियों की सख्या यज्ञानुसार बढ़ती रहती है। सत्रह या इक्कीस सख्याएँ भी स्थिरता आदि सम्पादन के लिए बतलाई गई हैं। ऐसी स्थिति में यह सख्या बाहर की ऋचाएँ मिलाकर पूरी की जाती हैं। अतिरिक्त ऋचाएँ चतुर्थ (सामिध्यमानवती—३-२७-४) और ग्यारहवीं (समिध्वती ३-२७-११) के बीच में मिलाई जाती है। ये बाहर से मिलाई हुई ऋचाएँ घाय्या कहलाती है।^१ यह रुद्धि शब्द है। घाय्या सामिघेनी से बाहर भी प्रयुक्त हो सकती है।

प्रस्तर—प्रकृति-इष्टियों में चार मुट्ठी दर्भ काटे जाते हैं। प्रथम दर्भ-मुष्टि मन्त्रों से सस्कृत की जाती है। जिस वेदी पर जुहू रखी जाती है, उसी पर यह भी रखी जाती है। उसे प्रस्तर कहते हैं।^२

प्रयाज—प्रधान याग से पूर्व जिन मन्त्रों से यज्ञ किया जाता है, उन्हें प्रयाज कहते हैं। प्रकृति-यज्ञों में पाँच प्रयाज होते हैं। इनमें चार के देवता वसन्त, शीष्म, वर्षा और शरद् तथा पचम के हेमन्त और शिशिर होते हैं।

अनुयाज—प्रधान याग के पश्चात् जिन मन्त्रों से होम किया जाता है, वे याज्या-मत्र अनुयाज कहे जाते हैं।

अवदान—यज्ञ के लिए स्थापित हविष् में से होम के काम आनेवाले भाग को अलग करने का नाम अवदान है।^३

देवयजन—'देवा इज्यन्ते यस्मिन्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार देवताओं को उद्देश्य मानकर जिस स्थान में यज्ञ किया जाता है, वह यागभूमि देवयजन कही जाती है।^४ देवयजन का उत्तर और पूर्व भाग नीचा होना चाहिए। यह स्थान तृणोपखिबहुल तथा वृक्षहीन और सम होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके सामने जल हो और जल न होने पर कोई महावृक्ष कूप या महापय (दूरगामी मार्ग) सामने हो, किन्तु पास में ऊँची भूमि या पर्वत न हो।^५

पवित्र—नखों से न काटे हुए, अग्रभाग-सहित, आदेश (वालिस्त) भर लम्बे, मन्त्रों से सस्कृत, बराबर लम्बे, प्रोक्षणादि में काम आनेवाले दो दर्भ पवित्र कहे जाते हैं।^६

१. पाठ्यसाध्यायनिकाय्यघाय्यामानहविनिवास सामिघेनीषु ।—३-१-१२९; सामिघेनी शब्द ऋग्विशेषस्य वाचकैः तत्र च घाय्येति न सर्वा सामिघेन्युच्यते । किं तर्हि ? काञ्चिदेव । रुद्धिशब्दोऽयम् । तथा चासामिघेन्यामपि दृश्यते ।—३-१-१२९ काशिका ।

२. प्रे स्त्रो यज्ञे ।—३-३-३२ ।

३. जमवर्गिन्वा एतत्पञ्च मम वदानमवाद्यत् ।—१-१-४४ ब्रा० १७, पृ० २६४ ।

४. समाप नाम देवयजनम् ।—६-३-६७ पृ०, ३५६ ।

५. प्रागुदकप्रवर्णं देवयजनं लोमशमवृक्षं समम्—पुरस्ताच्चास्यापःस्युः-तद्भावे महावृक्षे उदपानो महापयो वा—न चास्ये स्थलतरमदूरे स्यात् ।—लाट्या० श्री० सू०, १-१-१४, १७ ।

६. ३-२-१८४ ।

पंचहोता—अग्निहोता इत्यादि पाँच को पंचहोतृ कहते हैं। इनका अन्तिम वाक्य 'वाताये ईवनश्चत' आदि है।^१

प्रागिन्द्र—उपनून में ऐसे हुए आज्य को जूह में वरके जून और उपभृत् को यदा म्नात् एवकर नक्ष ने प्रथम प्रधान द्रव्य-सम्बन्धी प्रागिन्द्र को अलग कर प्रणीता-साम के पश्चिम में रखा है।^२ यह प्रधान द्रव्य का भाग प्रगिता (ब्रह्मा) का भाग होने के कारण प्रागिन्द्र कहा गया है।^३

स्यालोपाक—स्याली में पकाया हुआ ओदन, जो गृह्यजनों में आहुति के काम आता है।

व्रत—पत्नी और यजमान व्रतश्रयणागार (यज्ञ वा रसोर्द्वार) में पर्युगित्त्वारि शोका में रहित थी या दूध मिला जो पदार्थ खाते हैं, वह भक्षणीय द्रव्य व्रत कहलाता है।^४

भिन्न-भिन्न परिवारों में विशेष प्रकार के यज्ञों का प्रचलन था। उदाहरणार्थ, अग्निर्गो में द्विरात्र, गणों में त्रिरात्र, अत्रियों में चतुरात्र, जमदग्नियों में एक भिन्न प्रकार का चतुरात्र और उद्दालक कुमुद-विन्दवों में मप्तरात्र का विशेष प्रचार था।

१. ८-१-५८ तथा १-१-५८।

२. आतिता प्राथोऽस्य प्रागिन्द्रम्।—५-१-१८, पृ० २४४।

३. ८-१-८५, वा० ९, पृ० ९५।

४. पयोत्रयो वासात्।—आ० १, पृ० १९।

मूर्ति, पूजा और भक्ति

अर्चा और प्रतिकृति—पतंजलि ने सामान्य मूर्तियों को 'प्रतिकृति' और पूजायं बनाई गई मूर्तियों को अर्चा कहा है। प्रतिकृति मूलवस्तु का प्रतिरूप या प्रतिच्छन्द होती है। हथियाँ, घोड़े, गर्बे आदि के खिलौने उनसे विलकुल मिलते-जुलते आकार के बनाये जाते थे। ये प्रतिकृति कहलाते थे। अश्व की प्रतिकृति अश्वक, उष्ट्र की उष्ट्रक और गर्दभ की गर्दभक कहलाती थी। प्रतिकृति बतलाने के लिए मूल वस्तु के वाचक शब्द के आगे 'क' लगाया जाता था। प्रतिकृति न होने पर भी यदि कुछ आकृति-साम्य दिखाई पडा, तो समाकृति वस्तु का नाम मूल वस्तु के आगे 'क' लगाकर रख दिया जाता था। इस प्रकार अश्व से मिलते आकार की वस्तु यदि सजा हुई, तो अश्वक कही जाती थी, भले ही वह उसकी प्रतिकृति न हो। प्रतिकृतियाँ खिलौने या कलाकृतियों के रूप में प्रचलित थीं। वे खुले बाजार में विकती थीं।

इनके अतिरिक्त चित्र कर्म में और ध्वज पर भी प्रतिकृतियाँ अंकित की जाती थी। कांशि-काकार ने अर्जुन, दुर्योधन आदि के चित्रों का तथा कपि, गरुड, सिंह आदि की ध्वज-प्रतिकृतियों का उल्लेख किया है। गरुड-प्रतिकृति-भय-ध्वज प्राचीन वैष्णवमन्दिरों में लगाये जाते थे। मेह-रोली, सिसुनियाँ आदि स्थानों में गरुडध्वज स्थापित करने से सम्बद्ध शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पतंजलि ने ध्वजों में अंकित प्रतिकृतियों का उल्लेख नहीं किया है, यद्यपि चित्रकर्म की चर्चा उन्होंने की है और कृष्णपक्षीय और कंसपक्षीय चित्रों की विशेषता का वर्णन लिया है।

देवताओं की भी मूर्तियाँ बनती थीं। इन्हें शुद्ध अर्थ में प्रतिकृति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे किसी विद्यमान कृति का प्रतिरूप नहीं होती थी, अपितु धार्मिक ग्रन्थों में देवविशेष के कल्पित स्वरूप के आकार पर बनाई जाती थीं। भाष्यकार ने इन देवमूर्तियों को अर्चा कहा है। उन्होंने तुगनासिकी और दीर्घनासिकी अर्चाओं का भी उल्लेख किया है।

अपण्य और पण्य अर्चाएँ—अर्चाएँ पूजा की वस्तु थीं। वे मन्दिरों या सार्वजनिक स्थानों पर भी प्रतिष्ठित की जाती थीं। कुछ लोग अर्चाओं से जीविका भी कमाते थे। जीविका कमाने

१. ५-३-९६।

२. ५-३-९७।

३. अर्चासु जीविकार्यासु चित्रकर्मध्वजेषु च इवे प्रतिकृती लोपः कनो देवपयादियु ।— ५-३-१००, काशिका।

४. चित्रेष्वप्युद्गूर्णा निपतितार्च प्रहाराद्दुश्यते कंस-कर्षण्यश्च ।—३-१-२६, पृ० ७९।

५. १-१-५४; पृ० ६६।

ने दो प्रकार रहे होंगे। कुछ लोग देवमूर्तियों को घर-घर ले जाकर उन पर चढ़ावा प्रदान करेंगे, जैसा कि अभी तक कुछ लोग करते हैं और यह चढ़ावा उनकी जीविता का साधन होना होगा। कुछ लोग घरों में मूर्ति रखकर भक्तजनो द्वारा चढ़ाये गये द्रव्य में निर्यात करने होंगे। मार्गजनिफ मन्दिरों में प्रतिष्ठित देवमूर्तियों के पुजारियों को जीविका का साधन भी अर्चाएँ ही थी। ये अर्चाएँ जिस देवता की होती थी, उसी के नाम से पूजारी जाती थी। जैसे शिव की मूर्ति (पूजायं) शिव ही कही जाती थी।^१ इस प्रकार, अर्चाओं की एक श्रेणी पुजारियों के उदर-निर्वाह का साधन थी।

दूसरे प्रकार की अर्चाएँ वे थी, जो लोगों की व्यक्तिगत पूजा के काम आती थी। वे विद्याद्वय पूजा की वस्तु थी। ये मूर्तियाँ भी जिन देवता की होती थी, उन्हीं के नाम से पुजारी जाती थी। उदाहरणार्थ—शिव, स्कन्द या विद्यासु की ये मूर्तियाँ भी शिव, स्कन्द या विद्यासु ही कही जाती थी।^२ पतञ्जलि ने उक्त दोनों प्रकार की मूर्तियों को पूजायं कहा है।^३

तीसरे प्रकार की मूर्तियाँ वे थी, जो पूजायं नहीं, अपितु विक्रयार्थ बनाई जाती थीं। मौर्य राजाओं ने राज्य की आय के लोभ से देवताओं की मूर्तियाँ ढलवाकर उन्हें बाजार में बेचना प्रारम्भ किया था।^४ पण्यार्थ बनाई गई मूर्तियों का नामकरण मन्वद देवों के आगे 'र' प्रत्यय लगाकर किया गया था। उदाहरणार्थ—विक्री के लिए बनायी गई शिव, स्कन्द या विद्यासु आदि की मूर्तियाँ शिवक, स्कन्दक या विद्यासुक आदि कहलाती थी। उन प्रकार, इन मूर्तियों की अश्वत्थि की प्रतिकृति के समान नामान्य गिलोनों में की गई है।^५ ये सब प्रामाण्य भीतर पोली रहती थी।^६

शिव, स्कन्द, विद्यासु—भाष्यकार ने अर्चाओं के प्रथम में शिव, स्कन्द और विद्यासु का ही उल्लेख किया है। हमने यहाँ तो निर्विवाद है कि उन देवताओं की मूर्तियों की पूजा का प्रारम्भ था। उनके अतिरिक्त अन्य किन देवताओं की मूर्तियाँ पूजी जाती थी, उन बात का स्पष्ट उल्लेख भाष्य में नहीं है। 'देवता द्वन्द्वे च' (६-३-२६) तथा 'द्वन्द्व रत्नमयार्थादौ' आदि (८-१-१५) मंत्र ने भाष्य में पतञ्जलि ने स्कन्द और विद्यासु को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा लोभ-निर्वाहक उद्धृत किया है।^७ हमने यह अनुमान होता है कि इन दोनों की मूर्तियाँ युग-युग में भी पूजी जाती थी।

१. ५-३-१९।

२. वही।

३. चात्स्वेना मन्वदि पूजायानामु भविष्यति।—५-३-१९, पृ० ४७९।

४. धापच्य द्वन्द्ववत्ते तत्रेदं न सिध्यति शिव. स्कन्द विद्यासु इति किं चात्स्वम् ? मौर्यो हिरण्यमिभिर्गर्भा प्रक्षिपता । भयेत्तापु न म्यान्—वही।

५. वही।

६. आ० १, पृ० १०।

७. मन्त्रप्रजापतौ, शिवस्यैवकौ, स्कन्दविद्यासु—द्वन्द्व इत्यनुत्तरंमाने पुनर्द्वन्द्व प्रजापतौ तत्रप्रजापतौ—लोकवेदयो द्वन्द्वस्य यथा म्यान् । यदन लोकवेदयोर्द्वन्द्व ? तदे ये मन्वदि निर्दिष्टा न चने वेदे भाष्यार्थनिर्दिष्टा ।—६-३-२६, पृ० ३१० तथा ८-१-१५, पृ० २३१।

यह भी सम्भव है कि इनकी मूर्तियाँ युगम रूप में ढलती भी हो। यही बात शिव और वैश्रवण के विषय में कही जा सकती है। भाष्यकार ने इन दोनों युगमों को द्वन्द्व माना है, किन्तु वेद में ये सह-वाप-निर्दिष्ट नहीं हैं। इससे इनकी एक साथ पूजा होना आवश्यक नहीं है। 'देवता द्वन्द्वे च' सूत्र के ही भाष्य में द्वन्द्व रूप से निर्दिष्ट ब्रह्म और प्रजापति की मूर्तियाँ पूजी जाती थी या नहीं; और पूजी जाती थी, तो द्वन्द्व रूप में या पृथक्-पृथक् यह बात भी भाष्य से स्पष्ट नहीं मालूम होती।^१

पतञ्जलि के अनुसार इस युग में शिव-भक्ति का प्रचार सर्वाधिक जान पड़ता है। यहाँ तक कि शिवोपासकों का अपना स्वतन्त्र सम्प्रदाय तक बन चुका था और वे शिवभागवत कहलाते थे। ये लोग शिव-चिह्न के रूप में अपने पास त्रिशूल रखते थे। भाष्य में इसे अय शूल कहा है। इसके रखनेवाले आय शूलिक कहे जाते थे। यो, आय शूलिक उन साहसिक लोगों को भी कहते, वे जो मृदु उपायो से करने योग्य कार्यों को तीक्ष्ण उपाय से करने के अन्वयस्त होते हैं। इस अर्थ में अय शूल का प्रयोग लाक्षणिक था।^२

काश्यप—काश्यप की भी मूर्ति पूजी जाती थी, इस बात का संकेत 'सरूपाणामेकशेष-एकविभक्तौ' (१-२-६४) सूत्र के भाष्य में मिलता है। इसमें काश्यप की प्रतिष्ठित को काश्यप ही कहा है और यही प्रयोग लोक में प्रचलित माना है। यह काश्यप शब्द अच् प्रत्ययान्त है, जिसके आगे प्रतिष्ठित अर्थ में कन् प्रत्यय होता है, किन्तु अपभ्रंश जीविकाय मूर्ति होने के कारण शिव, स्कन्द आदि के समान 'कन्' का लुप् (लोप) हो जाता है। स्पष्ट है, काश्यप की मूर्ति भी शिव की मूर्ति के समान पूजारी की जीविका का साधन थी। काश्यप वट्टण या विष्णु का भी नाम है। कहा जाता है कि परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर अश्वमेघ करने के बाद पृथ्वी काश्यप को दान कर दी थी। इसीलिए, पृथ्वी को काश्यपी देवी कहते हैं।^३

घनपति, राम और केशव—पतञ्जलि के समय में घनपति या वैश्रवण की पूजा होती थी, यह बात स्पष्ट है।^४ राम और केशव की पूजा का भी चलन था, किन्तु ये राम और केशव कौन हैं? वलराम और कृष्ण अथवा परशुराम और विष्णु? परशुराम का उल्लेख भाष्य में अन्यत्र कही नहीं है। जमदग्नि और जामदग्न्य का उल्लेख एक स्थान पर अवश्य हुआ है, किन्तु क्रमशः पचासवत् हवन करनेवाले ऋषि विशेष तथा उनके गोत्रापत्यों के अर्थ में।^५ परशुराम से उनका कोई सम्बन्ध नहीं बतलाया गया है। केशव शब्द का भी अन्यत्र कही उल्लेख नहीं है। भाष्यकार परशुराम के विषय में उदासीन जान पड़ते हैं। वलराम का उल्लेख उन्होंने अन्यत्र भी कृष्ण के

१. वही।

२. ५-२-७६, पृ० ३९८; किं योऽयःशूलेनान्विच्छति स आयःशूलिकः? किं चातः? शिवभागवते प्राप्नोति।

३. मोनियर विलियम्स डिक्शनरी।—पृ० २८१।

४. मृदङ्गशङ्खपणवाः पृथङ् नदन्ति संसदि प्रासादे घनपतिरामकेशवानाम्।—२-२-३४, पृ० ३८९।

५. १-१-४४, पृ० २६४।

गाय किया है।^१ उन्होंने एक श्लोकाद्धं भी उद्धृत किया है, जिसमें सकर्षण के गाय उनकी बलवृद्धि की कामना की गई है। उन श्लोक ने राम और कृष्ण के प्रति भक्ति एव उनकी जय-नामना तो परिलक्षित होती ही है, उनके युग रूप में पूजित होने का भी आभास मिलता है। भगवत् के 'स्वप्नवामवदत्त' का प्रारम्भ बलराम की स्तुति से होता है। कृष्ण के अतिरिक्त जामुदेव शब्द का उल्लेख भाष्य में अनेक बार हुआ है, किन्तु सर्वत्र महाभारत के वीर योद्धा, अर्जुन के मरण और क्रम के घातक के रूप में।^२ इन समस्त प्रसंगों में उनका वृष्णि-प्रभ के नेना अवगाह या पक्षविशेष के नायक के रूप में स्मरण किया गया है। उनके पक्षपाती लोग थे, किन्तु क्रम के पक्षपाती लोग भी थे। भाष्यकार ने कहा है कि नाटक में क्रम का वध होने के समय क्रम-भक्तों के चेहरे उदानी में काले पड़ जाते हैं और कृष्ण-भक्तों के मुख क्रोध ने लाल हो जाते हैं। इसमें यह पता चलता है कि पतञ्जल-काल में क्रम के समयको की सम्या भले ही कम-महो, विद्यमान थी। इस प्रकार, भाष्य के वामुदेव-मन्वन्धी उल्लेखों में उनकी विष्णुत्व-प्रतिष्ठा नहीं मिलती। हाँ, भाष्यकार ने एक स्थान पर अवश्य न केवल उन्हें अर्जुन से बड़ा ही बतलाया गया है, अपितु गार्ग्य में ऊपर उठाकर तत्रभवान्, अर्थात् देवता रूप में प्रतिष्ठित स्वीकार कर लिया गया है।^३ और, यदि हम 'सकर्षणद्वितीयस्य बल कृष्णस्य वर्धताम्' (२-२-२४ पृ० ३६९) को अवगाह 'मर्षणा तत्रभवत्' (४-३-९८ पृ० २४५) के साथ मिलाकर पढ़ें, तो इस निष्कर्ष पर अवश्य पहुँचेंगे कि पतञ्जल-काल में कृष्ण में देवत्व का आरोप ही चुका था और बलराम के गाय उनकी पूजा में लगी थी, यद्यपि ऊपर उद्धृत वाक्य का 'अथवा' जो कि भाष्यकार के ध्यान में देव में आया, उस ओर नोटन करता है कि कृष्ण वामुदेव में विष्णुत्व का आरोप अति प्रसिद्ध बात नहीं थी और यदि वे पूजे जाने लगे भी थे, तो भी शिव, स्कन्द, विद्याय के समान सर्वमान्य देवता के रूप में पूजे प्रसिद्ध नहीं हो पाये थे।

देव-मन्दिर—देवनाओं के स्थान को उपर्युक्त उद्धरण में प्रामाद कहा है। मन्दिर या प्रतिष्ठान शब्द का प्रयोग देवगृह के रूप में भाष्य में नहीं हुआ है। प्रामाद का भी मन्दिर रूप में केवल एक बार ही उल्लेख मिलता है। हमें भी अनुमान होगा है कि पतञ्जल-काल में देव कर्मचारियों का युग था। मति का प्रारम्भ इस समय ही रहा था और यज्ञशास्त्रों की तुलना में मन्त्रियों की सम्या नगण थी। पाणिनि ने 'मन्त्रिकार' शब्द की निष्पत्ति विशेष रूप में उल्लेख किया है। मति शब्द का प्रयोग पतञ्जल ने इस अर्थ में नहीं नहीं किया है, जिस रूप में अथवा 'मन्त्रिकार' भाष्यकार-मन्त्रिकार में यह उल्लेख हुआ। पाणिनि और पतञ्जल दोनों ने उसे 'मन्त्रिकार' में

१. सकर्षणद्वितीयस्य बल कृष्णस्य वर्धताम्।—२-२-२४, पृ० ३६९।

२. जपातं क्रमं किञ्च वामुदेव।—२-२-१११, पृ० २८७ तथा ४-२-१०४, पृ० २०८ तथा ४-३-९८, पृ० २४५, तथा ४-१-११६, पृ० १३९।

३. मर्षा।

४. इह मन्त्रिप्रशंसनं वामुदेवप्रसंगस्य पूर्वनिर्वाणं यद्यपि। अथवा मर्षा शक्तिप्रसंगः। मर्षणा तत्र भवत्।—४-३-९८, पृ० २४५।

५. ३-२-२१।

'लॉयल्टी' शब्द के अर्थ में प्रयुक्त किया है। इसलिए, 'वासुदेवार्जुनाभ्या वुन्' (४-३-९८) के आचार पर 'वासुदेवक' शब्द का अर्थ वासुदेव का भक्त (उपासक) मान लेना भ्रम होगा; क्योंकि जनपदों के साथ भी इस शब्द का प्रयोग भाष्य में बार-बार हुआ है, जहाँ जनपद भक्त का अर्थ उनके प्रति 'लॉयल' मात्र होना है।^१

देवमह—देवताओं के उत्सव मनाने की प्रथा थी। उत्सवों को 'मह' कहते थे और एतदर्थ एकत्र समाज को ससद्। धनपति, राम और केशव के प्रासाद की ससद् में मृदग, शंख और पणव बजने की चर्चा ऊपर हुई है। भाष्यकार ने इन्द्र और गंगा के निमित्त होने-वाले 'मह' का भी उल्लेख अन्यत्र किया है एतदर्थ काम में आनेवाली वस्तु ऐन्द्रमहिक और गंगामहिक कही जाती थी।^२ इन 'महों' को 'कृत्य' भी कहते थे।

१. ४-३-१००, पृ० २४६ तथा ४-३-९६ से ९९।

२. ५-१-१२, पृ० ३०२।

अध्याय ११

दर्शन

दर्शन का लक्ष्य—ममस्त घर्षों एव दर्शनों का उद्देश्य दुःख-निवृत्ति और सुख-प्राप्ति है। अभाव, रोगादि पीडा तथा मृत्यु का भय, ये मनुष्य को जीवन के दोनों ओरों में घरे मोषरों को विषय करते हैं। काल प्राणियों को वृद्ध बनाकर उनका नष्टार करना जाता है। भाग्यमग ने मृत्यु को और हमारा ध्यान धाट्टु किया है। उन्होंने मनुष्यों को मरणवर्मा पता है। उन्होंने वही ने एक कारिका उद्धृत की है, जिनमें मृत्यु को 'दुर्मर्ती' कहा गया है। जिन प्रकार रोगों की मृत-रिज मय पीयर भी उनमें तृप्त नहीं होता, उनी प्रकार वैवस्वत (काल) रात-दिन यों, अरु, पुनर और अन्य पशुओं को बलि केरु भी तृप्त नहीं होता। शीतोष्ण सुग-रु न और जनन-मरण के दृष्ट उनको दृष्टि में थे। फिर भी, उनका दृष्टिकोण निगमावादी नहीं था और न वे जीव को वादमय ही मानते थे। रामायण (निष्ठा० का०) के दृष्टो का एक चरण उद्धृत कर ह्यु, उन्होंने कहा है कि यदि मनुष्य को कोई रोग न हो, तो वह भी यों की जानु के धार भी जीवन ता र्म या जानर प्राप्ति करना है।

वार्थानिक—जीवन और जगत् के तत्त्वों पर विचार करनेवाले विद्वानों को पारमार्थिक में जीव और ध्यानवत्त कहा है। वे प्रज्ञान या विज्ञानयुक्त वाणी बोलते हैं। 'तैमै विचारक मरुत-वर्गी परापर, त्रिभिन्वेदिनव्य और अत्रिगतवाधानव्य कहते थे।' ये वाग्मोर्गीत् शार्थः विज्ञान (पञ्चज्ञान) के प्राकार पर ध्याता मन स्थिर करते थे। उनके चिन्तन का मरुत वा शीतल, आरम्यता और मित्रार्थता प्राप्ति करना, जिनमें दुःखार्थता में निवृत्ति प्राप्ति ही मरुत है। मरुतमग ने कहा है कि जो मनुष्य दुःखार्थ होता है, वह अन्य भवान् दुःख में सुखार्थ प्राप्ति मरुत मोर्गी अत्रि जनन ममजता है।

१. ३-३-१६७, पृ० ३३९।

२. आ० १, पृ० ७।

३. अरुधर्मपत्नानो गामडवं पुरथं पशु, वैवस्वतो न तृप्यति मुखाया इयं दुर्मर्ती।—

३-३-३९, पृ० ३६९।

४. यरी, पृ० ३८०।

५. एति त्रिभिन्वेदिनव्यो गाम्य विचिचुदुर्जनीनि।—१-३-१३, पृ० ५६।

६ आ० १, पृ०।

७. आ० १, पृ० २८।

८ आ० १, पृ० ५।

९. आ० १, पृ० १५।

१० इह च एव मनुष्यो दुःखार्थो भवति मोक्षार्थं दुःखान्मुक्तिं प्राप्य विवर्धमानो न भवति।—१-६-५० पृ० १७५।

परत्र प्रतिष्ठा—भाष्यकार ने इहलोक और परलोक दोनों में सुख की चर्चा की है। ऐहलौकिक सुख को वे पर्याप्त नहीं मानते। वास्तव में 'परत्र' प्रतिष्ठा^१ तथा काम-पूर्ति की चिन्ता^२ उन्हें 'अपुत्र' से अधिक थी, फिर भी वे जानते थे कि कामो का कहीं अन्त नहीं है।^३

उपनिषद् और पतञ्जलि—महाभाष्य के पूर्व उपनिषदों की रचना हो चुकी थी, जिनमें काम, प्रदत्ति, निवृत्ति, ब्रह्म, जीव, जगत् और मुक्ति-सम्बन्धी सूक्ष्म विवेचन है। फिर भी, पतञ्जलि को उपनिषदों की जानकारी थी, ऐसा महाभाष्य से प्रतीत नहीं होता। उन्होंने ब्रह्मवादी और ब्रह्मज्य शब्दों का व्यवहार किया है, किन्तु वेदवादी तथा ब्राह्मणपीडक के अर्थ में।^४ ब्रह्म शब्द का उपयोग उन्होंने उपनिषद्-मान्य अर्थ में कही नहीं किया है। साख्ययोगादि दर्शनों से भी वे अपरिचित मालूम होते हैं। ऐसे महान् वेदज्ञ कर्मकाण्डी का उपनिषदों से इस प्रकार अपरिचित होना इस बात का पोषक है कि उपनिषद् का दर्शन वैदिक कर्मकाण्ड के विरोध में पल्लवित हुआ था। अतः, यह स्वाभाविक था कि वैदिक लोग उनकी उपेक्षा करते हैं। उनका काम्य आत्म-ज्ञान नहीं, स्थूल सुख था और यज्ञ था उसका साधन। इसलिए वे ब्रह्मचिन्तन के पचड़े में नहीं पड़े। पतञ्जलि ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग वेद या ब्राह्मण के ही अर्थ में सर्वत्र क्यों किया है, यह बात उक्त पाद्वर्भूमि में स्पष्ट समझी जा सकती है।

आत्मा—आत्मा के विषय में भी भाष्यकार ने जो कहा है, वह बड़े स्थूल ढंग से कहा है। उन्होंने आत्मा के दो प्रकार माने हैं—शरीरात्मा और अन्तरात्मा। जिन कर्मों के परिणाम-स्वरूप शरीरात्मा सुख-दुःख का अनुभव करता है, उनका कर्त्ता अन्तरात्मा होता है और जिन कर्मों के परिणाम-स्वरूप अन्तरात्मा सुख-दुःख का अनुभव करता है, उनका कर्त्ता शरीरात्मा होता है। इस परिभाषा के अनुसार शरीरात्मा और अन्तरात्मा दोनों कर्त्ता हैं और फलभोक्ता भी। इस प्रकार आत्मा आत्मा को मारता है, यह कथन भी युक्तिसंगत हो सकता है।^५ अन्तरात्मा के कार्यों से शरीर को कष्ट पहुँच सकता है और शरीर के कार्यों से अन्तरात्मा को कष्ट हो सकता है। भाष्यकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि बिना अन्तरात्मा के आदेश से शरीरात्मा किस प्रकार कर्म कर सकता है। कार्य का मूल इच्छा है और इच्छा केवल चेतन में ही रह सकती है। यह बात भाष्यकार को सम्यक् अवगत थी।^६ 'घातो कर्मण समानकर्तृकादिच्छा याञ्च' (३-१-७) सूत्र का भाष्य करते हुए उन्होंने इस विषय पर भी विचार किया है और कहा है कि इच्छा की उप-

१. सोऽजन्तमाप्नोति जयं परत्र ।—आ० १, पृ० ५।
२. स्वर्गं लोके च कामधुग्भवति—६-१-८४, पृ० ११९।
३. न वै कामानां तृप्तिरस्ति—वही।
४. ३-२-७८, पृ० २२८ तथा ३-२-३, पृ० २०५।
५. हृत्यात्मानमात्मा—आत्मना हृत्यत आत्मेति। कः पुनरात्मानं हन्ति को वात्मना-हृत्यते। हावात्मानावन्तरात्मा शरीरात्मा च। अन्तरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा सुखदुःखे अनुभवति। शरीरात्मा तत्कर्म करोति येनान्तरात्मा सुखदुःखे अनुभवति।—३-१-८७, पृ० १५३।

६. ३-१-७, पृ० २९।

स्वप्न प्रवृत्ति में होती है। जो व्यक्ति चटाई बनाने जाता है, वह वह पोषणा करना नहीं करता। उसे रज्जु, कील, पूल हाथ में लिये तैयार देवार लोग उनकी उच्छा ममत्त लेते हैं। यह पुष्प की बात हुई। पत्तों में भी यही बात देखी जाती है। सुमुख्य कृते एतन्त में पते करने के लिये उनको आगे बाहर कट जाती हैं। अचेतनों में भी प्रवृत्ति रहती है। नदी ता जो तिनारा गिन्नेरना होता है, उनके लोष्ट रीणों हो जाने हैं, कट पडने हैं और एव स्थान में दूने स्थान पर चले गये हैं। उस प्रकार, अचेतनों में भी चेतनों के समान उच्छा दिखाई पड़ती है। अथवा सभी वृत्त चेतनावान् हैं। कौटिल्य पानी में चलती है। गिरीप नीचे नुकार गीता है, सुगुम्गी मरे ता उन्मग्न करती है, लोहा चुम्बक को ओर मरकता है। वेद में भी कहा गया है—'शाखाशा मुनिं'। उनमें पता चलता है कि अचेतन कुछ नहीं है। इसी बात को दृष्टि में रखकर उन्होंने 'स्थानेनगम' (१-१-५०) सूत्र के भी भाष्य में कहा है कि चेतन-अचेतन सभी में सदा के पान रहने ही प्रवृत्ति देगी जाती है। डेल को पूरी मन्त्रित में उठाकर फेला जाय, तो वह न ऊपर जाता है और न तिरछा, अपितु पृथ्वी का विकार होने के कारण पृथ्वी पर ही आ जाता है। उसका पृथ्वी के माय माद्वय है। अन्तर्गत में सूक्ष्म जल का विकार धूम-सद्म कुहरा निवात आकाश-देश में न तिरछा जाता है, न नीचे आता है, अपितु जल का विकार जल में ही मिल जाता है। इसी प्रकार, ज्योति का विकार तिरछा निवात आकाश-देश में जलने पर न तिरछा जाता है, न पीछे आता है, अपितु ज्योति का विकार होने के कारण ज्योति में ही मिल जाता है, क्योंकि इन दोनों में माद्वय है। भाष्य के उस स्थान में भी प्रतीत होता है कि पतञ्जलि अचेतनों में भी प्रवृत्ति और दृग्ग श्याहार करने थे।

भावविकार—भावकार ने भगवान् वाप्यायणि का मत उद्धृत किया है, स्थाने मया वान् या वचंमान वस्तुओं को भाव रहा है। उनमें छह प्रकार के विकार उद्घटित हैं—उपनि, विक्रमानता, विपणिगम, वृद्धि, अक्षय और विनाय। समस्त भाव उन छह परिवर्तनों में गृह्यते हैं। यहाँ मूत्रिक की परिवर्तनशीलता है। कर्ता की प्रवृत्ति उत्पादन-क्रिया के समान अन्य प्रकार की होती है और मरण-क्रिया के प्रति अन्य प्रकार की। निव्य वस्तु का होती है, जो धन, कृष्ण, अविनाश, अपाय-उपजन-विकार-रहित, उत्पत्ति-वृद्धि-श्रय-शील है। तिसो-सर्वा विकारों के अनुमान का मात्र समान कूटस्थ है। उनमें कहीं कोई चैष्टा या वशापार नहीं है। यह वस्तु ही समान परिवर्तनशील है, यत्तिमग्न नहीं है। यहाँ चञ्चला हुआ वाण चलाकर कर्ता विकार नहीं, मर्शिनो वस्तु ममूत्र की नहीं जाती। यह समान एव रूप में ही स्थित है। यह दृग्ग श्याहार के समान वस्तु है कि समान कूटस्थ नहीं है। उनमें परिवर्तन होने है, किन्तु आदिशर में स्थित है समान स्थिति नहीं पाने। कारण-माश्या के चूट जाने पर क्रिय प्रसार कर्म काय के लिये

१. अनेकोदयि। नवया-गोष्टः स्थितो यादृशेनं मया नैव त्रियंगवत्तु तिसो-म-
मोर्तन पूर्वोदिकार पूर्वोदिकारवत्तु पातयं १—१-१-५०, पृ० ३१०।

२. त्रियंगवत्तु वृद्धयभायया पातयो नगमिगिजावेत्तु-वृद्धयत्तु-वृद्धयत्तु-वृद्धयत्तु-
त्रियंगवत् १—३०० १, पृ० १७।

३. ३-३-१२३, पृ० ५६।

जल जाते हैं, किन्तु जलते दीख नहीं पड़ते। उसी प्रकार ससार में जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें सामान्य लोग नहीं देख पाते। केवल त्रिकालज्ञ योगी ही उनके अस्तित्व का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सामान्य जन तो अनुमान से ही उनको जान पाते हैं।^१

अनुमान-प्रमाण—पतञ्जलि अनुमान-प्रमाण से अभिज्ञ थे। उपर्युक्त कथन के अतिरिक्त भी उन्होंने अनुमान का प्रमाण के रूप में उल्लेख किया है और साथ ही नैयायिकों के प्रसिद्ध उदाहरण धूम को देखकर अग्नि के अनुमान का उल्लेख भी। उन्होंने इसमें एक उदाहरण और जोड़ दिया है और वह है त्रिविष्टवक (त्रिदण्ड) को देखकर परिव्राजक का अनुमान, किन्तु बात यों नहीं है। पहले अग्नि और धूम का तथा त्रिविष्टवक और परिव्राजक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखा जाता है। फिर, उन्हें अन्य स्थान में भी देखकर जान लिया जाता है कि यहाँ अग्नि है या यहाँ परिव्राजक है।^२ आकाश में सूर्य और चन्द्र के न दिखाई देने पर भी आकाश को प्रकाशित देखकर उनका अनुमान हो जाता है। अनुमान प्रत्यक्ष से अधिक बलवान् होता है। जैसे, अलातचक्र (धुमाये जाने या गोलाकार दिखनेवाले जलते काष्ठ) प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, किन्तु अनुमान से मालूम होता है कि वे वास्तव में चक्र नहीं होते।^३

प्रत्यक्ष—प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रिय-जन्य होता है। इसीलिए, इन्द्र या आत्मा के इन ज्ञान-करणों को इन्द्रालिग कहते हैं। ये कारण ही आत्मा के भी अनुमापक हैं। बिना कर्ता के करण नहीं हो सकता। इसलिए, इन्द्रियों से आत्मा का अनुमान किया जा सकता है। आत्मा ने इन्हें स्वयं देखा है, इसलिए इन्द्रियाँ इन्द्रदृष्ट कहलाती हैं। इनमें आत्मा ने स्वयं के लिए उत्पन्न किया है, इनका स्वयं वरण किया है और वह स्वयं उन्हें भिन्न विषयों को प्रत्यक्षार्थ प्रदान करता है। इसलिए, इन्द्रियाँ इन्द्रदृष्ट, इन्द्रसृष्ट, इन्द्रजुष्ट और इन्द्रदन कही गई हैं।^४

प्रत्यक्ष के बाधक—प्रत्यक्ष में छह बाधक होते हैं—वस्तु का अत्यन्त सन्निकर्ष, वस्तु की बहुत दूरी, द्रष्टा और वस्तु के बीच किसी अन्य वस्तु का आ जाना, वस्तु का अन्वकार से आवृत होना और प्रत्यक्षेन्द्रिय की दुर्बलता। इन्द्रिय-दीर्घल्य में इन्द्रियों का सावहित न होना भी सम्मिलित है।^५ यह आवश्यक है कि मन इन्द्रियों से सयुक्त रहे। मन और इन्द्रियों का सान्निध्य न होने

१. पड्भावविकारा इति ह स्माह भगवान् बाष्पायिणिः। जायतेऽस्ति विपरिणमते-
वर्षतेऽपक्षीयते विनश्यतीति। अन्यथा हि कारकाप्यस्ती प्रवर्तन्तेऽन्यथाहिन्नियते।—१-३-९,
पृ० १४।

२. धूमं दृष्ट्वाऽग्निरत्रेति गम्यते त्रिविष्टवकं दृष्ट्वा परिव्राजक इति। विषम
उपन्यासः। प्रत्यक्षस्तेनाग्निधूमयोरभिसम्बन्धः कृतो भवति त्रिविष्टवकपरिव्राजकयोश्च।
स तद्विदेशस्थमपि दृष्ट्वा जानात्यग्निरत्र परिव्राजकोऽत्रेति। भवति वै प्रत्यक्षादनुमानबलीय-
स्त्वम्। अलातचक्र प्रत्यक्षं दृश्यतेऽनुमानाच्च मन्यते नैतवस्तीति।—३-२-१२४, पृ२५ तथा
४-१-३, पृ० १९।

३. वहीं।

४. ५-२-९३।

५. षड्भिः प्रकारं सतां भावानामनुपलब्धिर्भवति-अतिसन्निकर्षादतिविप्र-
कृष्टान्मूर्त्यन्तरव्यवधानात्तमसावृत्तत्वादिन्द्रियबौर्बल्यादिति।—४-१-३-पृ० १८।

वह अर्थ होता है, जो छूट जाता है। जो अर्थ कट जाता है, वह वढे हुए शब्द का अर्थ होता है और जो अर्थ स्थिर रहता है, वह स्थिर रहनेवाले शब्द का होता है। अन्वयव्यतिरेक की यह परिभाषा नैयायिकों के अनुसार ही है।^१

गुहा—उपनिषदों में प्रयुक्त 'गुहा' शब्द महाभाष्य में भी आया है और उसी अर्थ में; किन्तु जिस श्लोक में यह शब्द मिलता है, वह अन्यत्र से उद्धृत है।^२ निर्वाण का उल्लेख पाणिनि और पतञ्जलि दोनों ने किया है, किन्तु इससे अधिक बौद्धदर्शन-सम्बन्धी कोई जानकारी हमें महाभाष्य से नहीं प्राप्त होती।

कार्य का लक्ष्य—मनुष्य के प्रत्येक कार्य का उद्देश्य किसी-न-किसी फल की प्राप्ति होता है। समझदार व्यक्ति पहले बुद्धिपूर्वक किसी बात को देखता है। देखकर उसे पाने की कामना करता है। कामना के पश्चात् तदर्थ प्रयत्न प्रारम्भ होता है। प्रयत्न का फल कार्यारम्भ, उसका परिणाम काम का सम्पादन और कार्य-सम्पादन से फलावाप्ति होती है। फलावाप्ति से हीन कोई कर्म नहीं होता। कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इसे पाणिनि और पतञ्जलि ने परलोक कहा है।^३ काशिका ने भी परलोक का अर्थ जननान्तर-शरीर वतलाया है।^४

अन्य दार्शनिक मत—पतञ्जलि ने अनेक दार्शनिक मतों का भी उल्लेख किया है। आस्तिक, नास्तिक, दैष्टिक, लोकायत, अय शूली और मत्स्यी सम्प्रदायों से वे परिचित थे।

आस्तिक, नास्तिक और दैष्टिक—परलोक में विश्वास रखनेवाले लोग आस्तिक कहलाते थे और परलोक में विश्वास न रखनेवाले नास्तिक। 'अस्ति नास्ति दिष्ट मतिः' (४-४-६०) सूत्र का भाष्य करते हुए पतञ्जलि ने शका की है कि क्या जिसमें मति हो (यस्यास्ति मतिः), उसे आस्तिक कहना चाहिए? तब तो चोर भी आस्तिक कहा जायगा। इसलिए, 'है', यह जिसका विश्वास हो, उसे आस्तिक और 'नहीं है', यह जिसका विश्वास हो, उसे नास्तिक कहना चाहिए। इसी प्रकार, 'दिष्ट या भाग्य ही सब कुछ है', यह जिसका विश्वास हो, उसे दैष्टिक कहते हैं।^५ इससे यह स्पष्ट है कि पतञ्जलि के समय तक आस्तिकता का ईश्वर या वेद से कोई सम्बन्ध न था। 'नास्तिकों वेदान्तिक' आदि बातें बहुत पीछे की हैं। भाष्यकार के समय में ये तीनों मत विद्यमान थे। बुद्ध के समय में जो छह शास्ता—(सधी, गणी, गणाचार्य और तीर्थकर)

१. १-२-४५, पृ ५३३, ३४।

२. गुहा त्रीणि निहिता।—आ० १, पृ०७; य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स बुद्ध्या तावत्कञ्चिदर्थं पश्यति। सन्दृष्टे प्रार्थना, प्रार्थनापामध्यवसायोऽध्यवसाय आरम्भ आरम्भेनिवृत्तिनिवृत्तौ फलावाप्तिः।—१-४-३२ पृ०, १६८।

३. ५-२-९२, पृ० ४०२ तथा परलोकं जननान्तरशरीरम्।—वही, का०।

४. वही।

५. किं यस्यास्ति मतिः स आस्तिकः? किं चातः? चोरेऽपि प्राप्नोति। एवं तर्ही-तिलोपोऽत्र द्रष्टव्यः। अस्तीत्यस्य मतिरास्तिकः। नास्तीत्यस्य मतिर्नास्तिकः। दिष्टमित्यस्य मतिर्दैष्टिकः।—४-४-६०, पृ० २८२।

कर्मों के परित्याग की शिक्षा देनेवाला कहा है।^१ अगुत्तरनिकाय (जि० १, पृ० २८६) में भी उसका सिद्धान्त 'कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है, वीर्य नहीं है' बतलाया है।^२

मन्वलि मस्करी का प्राकृत रूप है। भाकरण के उपदेश के कारण गोशाल मस्करी के नाम से पुकारे जाने लगे। ये आजीवक-सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे। "ये अचेलक थे और अनेक प्रकार के कष्ट तय करते थे। जेतवन के पीछे उनका एक स्थान था। ये पचाग्नि तापते थे, उत्कूलिक थे और चमगादड़ की भाँति हवा में झूलते थे। 'पालिनिकाय' में इन्हे भुक्ताचार कहा है। एक सूत्रान्त में इनको 'पुत्तमताय पुत्ता' कहा है, अर्थात् यह उस माता के पुत्र हैं, जिनके पुत्र मर जाते हैं।"^३ सम्भवतः कर्म और कर्मफल दोनों का प्रतिषेध करने के कारण ही इन्हे ऐसा कहा गया था।

बौद्धों और जैनो ने आजीवकों की निन्दा की है। बुद्ध समसामयिक गास्ताओ में सबसे बुरा आजीवकों को मानते थे। फिर भी, समाज में इनका आदर था। महावीर के समकालिक, कठोर आलोचक और प्रतिस्पर्धी होने के कारण प्राचीन जैनसाहित्य में इन्हे अतिनिन्दित चित्रित किया गया है।^४ सोमदेव ने भी यशस्तिलक में जैनो को आजीवकों, बौद्धों, नास्तिकों आदि से दूर रहने का उपदेश दिया है।^५ इसी प्रकार सद्धर्मपुण्डरीक में कहा है कि वोधिस्त्व चरको, परिव्रजको, आजीवको और निर्ग्रन्थो (जैनो) का सग नहीं करते।^६

बुद्ध और महावीर के बाद भी शताब्दियों तक आजीवकों की प्रतिष्ठा देश में कायम रही। दक्षिण भारत तक इनका विस्तार था। "प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य 'मणिमेखलड' (Manimekhalai) में, जो ईसा के प्रारम्भिक शतक की रचना है, अन्य सामयिक, दार्शनिक सिद्धान्तों और मतों के आजीवकों का भी वर्णन है। इसी समय के रचित (Silappadi karam) नामक एक अन्य तमिल महाकाव्य में उसकी नायिका कण्णाकि के पिता द्वारा अपनी सम्पत्ति के आजीवकों को बाँट देने का वर्णन है।"^७ अशोक के तीन शिलालेखों में आजीवकों द्वारा राज्य के दान प्राप्त करने का तीन बार उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान होता है कि बुद्ध के बाद शताब्दियों तक इस सम्प्रदाय का स्थान देश में महत्त्वपूर्ण बना रहा।^८ यशस्तिलक में आजीवकों की चर्चा दसवीं सदी तक उनके अस्तित्व की सूचना देती है। छठी शती में कुमारदास ने जानकी-

१. अयं माकृते अयंमाकृतेत्युपक्रम्य शान्तिः काम्यकर्म प्रहाणिर्मुष्माकं श्रेयसी-त्युपदेष्टा मस्करीत्युच्यते, वही 1—प्रदीप।

२. नत्थि कम्म नत्थि किरियं नत्थि किरियं।

३. नरेन्द्रवेवः बौद्धधर्म-वर्णन, पृ० ४।

४. गोपनि (gopani) आजीवक सेवट ए न्यू इष्टरप्रिदेशन इन भारतीय विद्या, जिल्द २, भाग २।

५. ट्रान्स० कर्न (kern), पृ० २६३, सेक्रेट बुक्स ऑफ़ इंडिया।

६. के० के० हेन्डविचः यशस्तिलक एण्ड इण्डियन कल्चर, पृ० ३७५।

७. वही।

८. रोज़ डेविड्स : डायलॉग्स ऑफ़ दि बुद्ध, भाग १, पृ० ७१।

को शिष्य को हृदयगम करा सकने में सक्षम थे।^१ इसीलिए, इनके सिद्धान्त सम्मानित और पवित्र-पूजित थे। काशिकाकार ने लोकायत शिक्षक को ज्ञान का शिक्षण देनेवाला बतलाया है; क्योंकि प्रमेय का निश्चय करना ही ज्ञान है और लोकायत प्रमेय को तर्क से सिद्ध करता है।^२

१. नयते चार्वी लोकायते। चार्वी बुद्धिः तत्सम्बन्धादाचार्योऽपि चार्वी। स लोकायते
 आस्त्रे पदार्यन्नयते। उपपत्तिभिः स्थिरीकृत्य शिक्षयेभ्यः प्रापयति। ते युक्तिभिः। स्थाप्यमाना
 सम्मानिता पूजिता भवन्ति।—१-३-३६ काशिका।

२. ज्ञान प्रमेयनिश्चयः। नयते चार्वी लोकायते। तत्र प्रमेयं निश्चिनोतीत्यर्थः।—
 ही।

अर्थात् ये लोग भूनकर खा सकते हैं। प्रवृत्ताशी हाथ में लेकर खाते हैं और मुखेनादायी हाथ का भी उपयोग नहीं करते। वे केवल पशुवत् मुख से ही लेकर खाते हैं। तोयाहार जल के सहारे निर्वाह करते हैं और वायुभक्ष निराहार रहकर जीवन बिताते हैं। स्वाध्याय और पचमहायज्ञो का अनुष्ठान गृहस्थो के समान वानप्रस्थ भी करते हैं।^१

वानप्रस्थ के वैदिक कृत्य—उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि वानप्रस्थ वैदिक धर्मानु-यायियों का आश्रम था। और सूत्रग्रन्थों की रचना से पूर्व त्रिवेद और त्रिवर्ण के समान आश्रम-प्रयी ही समाज में आदृत थी। सन्यास का प्रचलन बौद्ध आन्दोलन के पश्चात् हुआ। इसीलिए सूत्रग्रन्थों में संन्यास और वानप्रस्थ का वर्णन बहुत कुछ अस्पष्ट और अन्योन्याश्रित-सा है। वैदिकधर्मो यज्ञ और बलि का परित्याग करने के लिए किसी भी स्थिति में तैयार न थे। वे 'यज्ञर्जोव जुहुयात्' में विश्वास रखते थे। छान्दोग्य की धर्म-स्कन्व श्रुति इस बात की समर्थक है। उसमें यज्ञ, अव्ययन, दान, अर्थात् गृहस्थाश्रम, तप, अर्थात् वानप्रस्थ और आचार्यकुलावास या ब्रह्मचर्य ये तीन धर्म के स्कन्व बतलाये हैं।^२ इसीलिए, बौधायन ने 'ऐकाश्रम्य', अर्थात् गृहस्थाश्रम का प्रावाच्य स्वीकार करते हुए सन्यासादि विभेदों को अग्राह्य माना है। उनके मत से वेद-प्रति-पादित आश्रम देवाहुति-प्रधान है। पञ्चयज्ञ का परित्याग करनेवाले आश्रम (सन्यास) को लेकर आश्रम-विभेद देवों के स्पर्धालु प्रह्लाद के पुत्र असुरकपिल ने बनाये हैं। उनका लक्ष्य देवताओं को दी जानेवाली आहुति का विरोध करना है। अतः, मनीषी को उनका आदर नहीं करना चाहिए।^३ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बौधायन ने आश्रम-भेद का विरोध जिस यज्ञ-त्याग के भय से किया है, वह यज्ञ-त्याग केवल सन्यास में ही विहित है। अतः, सन्यास का अनादर ही बौधायन का लक्ष्य है। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ दोनों में स्वाध्याय और यज्ञ आवश्यक है।

तापस्वी—भाष्यकार के वानप्रस्थ विषय के उल्लेख न केवल विषय की दृष्टि से, अपितु शब्दावली की दृष्टि से भी सूत्रग्रन्थों से मेल खाते हैं। कई स्थानों पर तो उन्होंने धर्मसूत्रों का अनुवादमात्र-सा उपस्थित किया है। वानप्रस्थ तप का आश्रम है। भाष्यकार ने वानप्रस्थ के लिए तपस्वी या तापस शब्द का व्यवहार किया है, जिनका लक्ष्य ही तपश्चरण था।^४ काशिका-कार ने भी 'तापस तप करता है', इस वाक्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि उपवासादिक तप तापस को तपाते है। अस्थिचर्मावशिष्ट तापस स्वर्ग-प्राप्ति के लिए तप करता है।^५ स्वर्ग-प्राप्ति

१. वानप्रस्थी वैखानसशास्त्रसमुदाचार-वैखानसो वने मूलफलाशी, तपश्शीलः सवनेयूदकमुपसृशन् श्रामणकेनाग्निभाषायाप्राप्त्यभोजी देवपितृभूतमनुष्यैर्षिपूजकः सर्वातिथिः प्रतिपिद्धदर्भैर्भक्षमप्युपभुञ्जीत न फालकृष्टमधितिष्ठेद् धामं च न प्रविशेज्जटिलश्चौराजिनवासा नातिसवत्सर भुञ्जीत।—बौध्वा० ध० सु०, २-६-१६, १७।

२. बौध्वा० धर्मसूत्र०, प्रकन २, ख० ११।

३. वही।

४. ३-१-१५, पृ० ५५।

५. ३-१-८८ का०।

वैदिक धर्मानुष्ठानियों की ही बान्ध रही है, अतः वे ही उन आश्रम को मान्य करने में। तब, यज्ञ-संस्था में जीवन के अभिन्न अंग थे। भोजन पर नियन्त्रण नप का महत्त्वपूर्ण अंग था। जन्म-जन्म (जन्म पर ही निर्वाह करना) और वायु-भवा (नेपल वायु पीकर, अर्थात् नियन्त्रण करने) होना योग्य को दात माना जाती थी। भाष्यकार ने तापनी हो जटिलक कहा है। वे ही अध्यायन-कार्य करते थे। उपनिषद् और सूत्रकाल के अध्यापन प्रायः वानप्रस्थ में। यज्ञ, जटा, शिमी वे तीन अवस्थाएँ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यासी की होती थीं। उद्योग-व्यवसाय-कर्म-हीन भी होने लगे और जटाओं के नाम पर लीलाओं भूगवा देकर उनमें प्रतिष्ठा प्राप्त करने थे, यह बात भाष्यकार को अविदित नहीं थी। पाणिनि-सूत्र (५-२-१००) में भी उक्त होना निन्दा की बात माना है। ज्यामाक, कण और नेर (बदरी) आदि अष्टपत्र अन्न, त आदि उच्छ्र में शामिल थे। मच्चे तपस्वी गृहस्थाश्रम में अर्जित मत्तान् मम्मनि ता भी परिष्कार कर उच्छ्रवृत्ति में प्राणवापन करते थे। भाष्यकार ने किमी ऐसे व्यक्ति के उच्छ्रवृत्ति में निरास करने की चर्चा की है, जिनके जन्म का शुभ समानार गुणानेवारे ब्राह्मणों को उन्मत्त मम्मनि दम गरम गावे दान में दी थी। इस प्रकार, पतंजलि के समय में वानप्रस्थ आश्रम एक संश्लिष्ट मन्वा जान पड़ता है। जटिल होने के साथ तापन लोग चीर वा अजिन धारण करने में। भाष्य में गुण्य (दर्भ) वाम का भी उल्लेख मिलता है। वे लोग स्वच्छिन्द्यामी तथा वाचकम गाये। भाष्य में स्वच्छिन्द्यामी का उल्लेख है, जो तापनी वा वानप्रस्थ स्त्रियों का वानक।

वनस्वों के अतः—वानप्रस्थ लोग अनेक प्रकार के कुछ ब्रतों का भी अनुष्ठान करने में। उनमें में कुछ आत्मवृद्धि के लिए और कुछ प्रायश्चित्त के रूप में होने थे। वानप्रस्थ लोग जटिल व्रत थे। सूत्रकार ने अनुत्ताप को भी नप कहा है। यह शान्ति, अर्थात् मांस के पूर्ण त्याग, तापन व्रत है। उमता प्रारम्भ शूद्र वनुदमी को वसन्तश्रुलोमना आदि व्रतों पर उक्त व्रत धारण पर उपवास के साथ होता है। पूणिमा के दिन भोजन के, जो कि अष्टाश्रम ही तापनी

१. २-३-३६, पृ० ३९०।
२. आ० १, पृ० १४।
३. १-२-३२, पृ० ५११।
४. ६-१-४८, पृ० ७९।
५. यही तथा १-१-१, पृ० १०५।
६. १-४-३, पृ० १३१।
७. मम्मिन् दममन्वाणि पुरे जाने गता यदा।
कान्वाच्य प्रियाय्येच्य. मोच्यमुच्छ्रेय त्रायनि।—१-८-३, पृ० १३१।
८. ३-१-१९, पृ० ५७ तथा ४-३-६०, पृ० २३८।
९. कृत्वायामा मोच्युः श्रुतामीश्रुता।—३-१-६९, पृ० ३३०।
१०. ४-१-१, पृ० १० तथा ६-३-६९।
११. ५-१-३२, पृ० ३३७।
१२. ३-१-६५।

के समान होता है, पन्द्रह भाग कर लिये जाते हैं। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को उनमें से १४ ग्रास लेकर प्रतिदिन एक कम कर दिया जाता है और इस प्रकार अमावस्या को फिर उपवास हो जाता है; क्योंकि उस दिन कोई ग्रास नहीं रहता। फिर शुक्लपक्ष की अमावस्या को एक ग्रास लेकर प्रतिदिन एक ग्रास बढ़ाया जाता है और पूर्णिमासी को स्थालीपाक से आहुति देकर पूर्णाहार के साथ व्रत समाप्त होता है। पाणिनि ने चान्द्रायण के साथ पारायण और तुरायण का भी उल्लेख किया है, जिनमें पारायण और तुरायण तो दूसरा व्यक्ति भी किसी के लिए कर सकता है, पर चान्द्रायण व्यक्ति को स्वयं ही करना होता है। इसीलिए, काशिकाकार^१ ने चान्द्रायणिक को तपस्वी कहा है। वीद्यायनधर्मसूत्र (३-८) में चान्द्रायण की विस्तृत विधि दी हुई है। वानप्रस्थो की यज्ञशाला को भाष्यकार ने 'आरण्यक विहार' कहा है।^२ आपस्तम्ब ने भी 'अग्न्यर्थं शरणम्' का विधान है।^३

स्त्री-वानप्रस्थ—वानप्रस्थो में कुमार और कुमारियाँ भी रहती थी; क्योंकि कुछ लोग विना गृहस्थायाम में प्रविष्ट हुए सीधे वैखानस व्रत ले लेते थे। आपस्तम्ब ने इसका विधान है^४ और इसीलिए अभिज्ञानशाकुंतल में दुष्यन्त शकुन्तला के विषय में जिज्ञासा करता है कि क्या वह विवाह होने तक ही वैखानस व्रत का पालन करेगी या यावज्जीवन।^५ पाणिनि के 'कुमार-श्रमणादिभिः' (२-१-७०) के श्रमणादिगण में पठित श्रमणा, तापसी, प्रव्रजिता शब्द, जिनका कुमार (कुमारी) शब्द के साथ तत्पुरुषसमास का विधान किया गया है, इसके प्रमाण है।^६

इस तप और समय और कष्ट-सहन का परिणाम वानप्रस्थ के जीवन पर पडना स्वाभाविक था। व्यक्ति अपने तपोबल से न केवल अपना, अपितु अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर सकता था। अपने साथ अपनी दो ऊपरी पीढियों (गाथि और कुणिक) को ऋषित्व प्रदान करनेवाले विज्वामित्र के तप का वर्णन भाष्यकार ने किया है। 'मैं अनृषि न रहूँ, अनृषि का पुत्र न रहूँ और अनृषि का पौत्र न रहूँ' इस उद्देश्य से किये गये उनके तप ने गाथि और कुणिक को भी ऋषि बना दिया, यह विश्वास पतञ्जलिकालीन धार्मिक-वर्ग में विद्यमान था।^७

ऊर्ध्वरेता—वासिष्ठधर्मसूत्र (९-५, ६) में वानप्रस्थ को क्षमाशय (भूमि पर सोने वाला) अनिकेत और ऊर्ध्वरेता कहा है।^८ ऊर्ध्वरेता होते हुए सन्तान उत्पन्न करना या न

१. ५-१-७२।

२. ४-२-१२९, पृ० २१६।

३. २-९-२२, पृ० २१।

४. श्रमणादिगण, २-१-७०।

५. अतएव ब्रह्मचर्यवान् प्रव्रजति अथ वानप्रस्थः।—२-९-२१-१९, १८।

६. अग्निं शाकुं १-२७।

७. २-१-७०,

८. विश्वामित्रस्तपस्तेपे नानृषिः स्यामिति। तत्रभवानृषिः सम्पन्नः। सपुनस्तपस्तेपे नानृषेः पुत्रः स्यामिति। तत्रभवान् गाथिरप्यृषिः सम्पन्नः। स पुनस्तपस्तेपे नानृषेः पौत्रः स्यामिति। तत्रभवान् कुशिकोऽपि ऋषिः सम्पन्नः।—४-१-१०४, पृ० १३३।

९. ४-१-७९, पृ० ८८।

तन्ना उक्तो ज्ञान पर निर्भर था। भाष्यकार ने उद्धृष्टानां महत्त ऊर्ध्वरेतम् ऋषियों की (श्रुति अज्ञानम वेदान्तं होने से), जिनमें से अगस्त्य-महर्षि आठ ऋषियों में प्रथम (सन्तानोपादन) म्योपात्त किया, चर्चा की है। इन आठ में उत्पन्न अत्यन्त मोक्ष कहलाते हैं और उनके भिन्न मोक्ष-फल हैं। ब्रह्मज्ञान के मत में ये आठ ऋषि श्रेष्ठ होने चाहिए; तर्किक वे 'प्रजनननिमित्ता मन्ना' त मानते हैं और उनके मत में तीन ऋषी में श्रुतवान् ब्राह्मण प्रजोत्पादन द्वारा ही सिद्ध रूप में मुक्त होकर स्वर्ग में मुक्त प्राप्त करता है।^१ किन्तु, आपस्तम्ब का मत इनके विपरीत है। उनमें पुत्रों में दो-द्वोक्त उद्धृत करने हुए प्रजावान् ऋषियों की निन्दा की गई है और कहा गया है कि उद्धृष्टानां महत्त ऋषियों में जिन्होंने सन्तानोत्पादन किया, वे जन्म-मरण के चक्र में परस्पर फिर सम्मान को प्राप्त हुए किन्तु जो ऊर्ध्वरेतम् रहे, वे अमृतत्व के भागी बने। इसलिए, उर्ध्वरेतम् ही प्रधान है।^१

अर्धदिक वेदान्तम—बृह्मसूत्र (आ० ८, सू० ५६४) द्वारा प्रदर्शित वेदान्तम और पातञ्जलिक इन दो वेदान्त-मन्त्रदायों का उल्लेख या संकेत भाष्य में नहीं है। वेदान्तम अथवा वेदान्त के रचयिता अण्णयदीक्षित (सू० ४५३) के अनुसार पातञ्जलिक मन्त्रदाय वैश्विक नहीं है।^१ यद्यपि वे बृह्मसूत्र द्वारा उल्लिखित वेदान्तम-मन्त्रदाय का वेदान्तम-आश्रय में कोई सम्बन्ध नहीं मान पाता।

वेदान्तम वैदिक धर्मानुवाची यनवानां तपस्वियों का वर्ण था। ब्राह्मण की विभागात्मक टीका (३-४५) में यानप्रस्थ की वन में प्रकृष्ट नियम में रहनेवाला कहा है। धर्मशास्त्रों में भी उक्त यानप्रस्थ में रहनेवाला बतलाया है। इन दोनों विद्वानों की यानप्रस्थ की परिभाषा में अन्तर होने पर भी सारथों में भेद नहीं है।^१

संन्यास

परिब्राजक—गन्धर्व चतुर्वे जाधम है। भाष्यकार ने गन्धर्वों की परिब्राजक श्रेष्ठ बताया है। परब्राजिक के मत में गन्धर्वों का क्या सम्मान था। उन्हींमें भिन्न नामों के नामों में परिब्राजक का परिचय बताया है और उस कारण उसे श्रीमन्मति नाम दिया है।^१ परिब्राजक का मत है कि वेद गन्धर्व यज्ञ करने की प्रथा नहीं है, पर उनका कोई समर्थन नहीं है। परिब्राजक मत में वेदान्त उल्लेख ही, उनी दिन प्रती, अत्रयी, म्नायत, अन्धकार मा उ-उत्पत्ति

१. श्री १।
२. कांथा० धर्मसू०, २-९-१ तथा स्याध्यायिन ऋषीन् पुत्रयसाधेन च पुत्रस्य प्रथमं परिब्राजकानामोर्ध्वरेतम्।—श्री १, २-९-५।
३. २-९-२२-३ में ६ शर्ती।
४. कांथा० परिब्राजक धर्मशास्त्र भाग २, सू० ११३।
५. कांथा० धर्मसूत्रमिच्छति सिद्धिं परिब्राजक यनप्रस्थः। यानप्रस्थ एवं यानप्रस्थ।—श्री १, २-९-१५ तथा परिब्राजकानामोर्ध्वरेतम्। यानप्रस्थे भवति यानप्रस्थ, वेदान्तशास्त्रे—श्री १, २-९-१५, सू० ३३३।

कोई भी द्विज संन्यास ले सकता था^१ और बन्धुओं को छोड़कर अपरिग्रही बनकर प्रव्रज्या ले सकता था। परिव्राजक घर का परित्याग कर अरण्य में रहते थे। वे कौपीन-मात्र पहनते थे। उनके वस्त्र काषाय रंग के होते थे। जिस समय घर में कूटना-पीसना नहीं चलता था और चूल्हे की आग बुझ चुकती थी तथा जूठे वरतन मले जा चुकते थे, उस समय परिव्राजक गृहस्थों के घर से भिक्षा माँगकर खाता था, जिससे किसी गृहस्थ को असुविधा न हो।^२ वासिष्ठधर्मशास्त्र में कहा है कि मुनि सब भूतों को अभय प्रदान करता चलता है, इसलिए उसे भी किसी भूत से भय नहीं होता।^३ वीषायन में उसे वाक्, मन, कर्म और दण्ड से भूतों का अद्रोही बतलाया है^४ और थोड़े से अन्तर से उक्त कारिका का उल्लेख किया है। संन्यासियों में पुंसु भी होते थे और स्त्रियाँ भी। पाणिनि ने श्रमणादि गण में प्रव्रजिता का परिगणन कर कुमारी प्रव्रजिताओं के अस्तित्व की सूचना दी है।^५ और, पतञ्जलि ने शकरा नाम की परिव्राजिका का उल्लेख करते हुए कहा है कि कुणरवाडव उसे शगरा कहते हैं।^६ संन्यासी एकदण्डी भी होते थे और त्रिदण्डी भी। भाष्य में दोनों का उल्लेख मिलता है। दण्डिमती शाला और दण्डिन्याय एक दण्डवाले संन्यासियों के सूत्रक हैं।^७ तीन दण्डों का समूह त्रिविष्टवक कहलाता था। भाष्यकार ने कहा है कि संन्यासी न होने पर भी यदि किसी के हाथ में दण्ड हुआ, तो उसे दण्डी कह देते हैं, किन्तु त्रिविष्टवक केवल परिव्राजकों के पास ही होता है। त्रिविष्टवक देखकर संन्यासी पहचाना जाता है।^८ जिस प्रकार धूम्राँ देखकर अग्नि का अनुमान कर लिया जाता है। परिव्राजक लोग तीन दण्डों को सूत की रस्सी से बाँधकर त्रिविष्टवक बनाते थे।^९ इस बात की पुष्टि वीषायन ने परिव्राजक को इच्छानुसार एक या तीन दण्ड धारण करने की अनुमति देते हुए की है।^{१०} परिव्राजकों को भिक्षु और मुनि भी कहते थे।^{११} वीषायन ने उसके लिए भिक्षुक शब्द का प्रयोग किया है^{१२} और आपस्तम्ब में मुनिक।^{१३}

१. यदहरेव विरमेतदहरेव प्रव्रजेत् । जावालपनिषद् ।—४ ।

२. वासि० ध० सू०, १०-२ ।

३. वीषा० धर्मसू०, २-११-१७ से २५ ।

४. वासि० ध० सू०, २-११-२५ ।

५. ३-१-७० ।

६. ३-२-१४, पृ० २१२ ।

७. ५-२-९४, पृ० ४०८ तथा ८-२-८३, पृ० २८८ ।

८. धूर्म दृष्ट्वाग्निरवैति गम्यते त्रिविष्टवकं च दृष्ट्वा परिव्राजक इति ।—२-१-१, पृ० २४३ ।

९. १-१-१, पृ० १२० । —

१०. वीषा० ध० सू०, २-१०-१ ।

११. भाष० ध० सू०, २-९-१ ।

१२. भिक्षाबलिपरिभ्रान्तः पश्चाद् भवति भिक्षुकः ।—वीषा० २-१०-१७ ।

१३. भाष० २-९-१ ।

काचन और धर्मावर्म, सत्यासत्य, शुद्धचविशुद्ध आदि द्वैतो से ऊपर होते थे तथा सब वर्णों के यह से भिक्षान्न ग्रहण करते थे। पाणिनि ने इन्हें सर्वाग्नीन कहा है।^१

अपच भिक्षु—सभी भिक्षु अपच होते थे। वे पकाकर भोजन नहीं करते थे। बूढ़ होने पर भी वे अशक्त होने के कारण नहीं, अपितु शास्त्र-विधान के कारण ही अपच होते थे। काशिकाकार ने 'अचूकावशक्ती' (६-२-१५७) सूत्र के भाष्य में इस बात को स्पष्ट किया है।

अर्हत्—कर्तव्यानुष्ठान करनेवाले सिद्ध परिव्राजक 'अर्हन्' माने जाते थे। कात्यायन और पतञ्जलि ने 'अर्हत्' की स्थिति को आर्हन्त्य या आर्हन्ती कहा है।

श्रमण-ब्राह्मण—पतञ्जलि ने विभाषावृक्ष मृग० आदि (२-४-१२ पृ० ४६७) का भाष्य करते हुए 'श्रमण वाहनम्' को 'येषां च विरोध शाश्वतिक.' (२-४-९) का उदाहरण माना है, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि पतञ्जलि से पूर्व शताब्दियों से श्रमणों और ब्राह्मणों में घोर विरोध चला आता था और इस विरोध से सारा समाज इसी प्रकार परिचित था, जिस प्रकार काक-उलूक या अहि-नकुल-वैर से था। और इसका कारण था। श्रमण अवैदिक थे। वे यज्ञ-यागादि क्रिया-कलाप को महत्त्व नहीं देते थे। इनकी दृष्टि में या तो इनका क्षुद्र फल ही था या निरर्थक और निष्प्रयोजनीय है। श्रमण आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के थे। इनके कई सम्प्रदाय तपस्या को विशेष महत्त्व देते थे। जो आस्तिक थे, वे भी जगत् का कोई स्रष्टा, कर्ता नहीं मानते थे। 'पालिनिकाय' में जिन श्रमणों का उल्लेख है, उनमें प्रायः नास्तिक ही हैं। ब्राह्मण और श्रमण ये दो सञ्कृति-परम्पराएँ प्राचीन काल से चली आती हैं। ये एक दूसरे से प्रभावित हुई हैं।^२ इनमें नैसर्गिक वैर था। ब्राह्मण मुण्ड-दर्शन को अशुभ मानते थे। ब्राह्मण सासारिक थे। श्रमण अनागरिक होते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। यह बात स्पष्ट समझ लेने पर बौधायन के इस कथन का कारण कि "वास्तव में गृहस्थाश्रम ही प्रमुख है, परिव्राजकादि अन्य आश्रम प्रह्लाद-पुत्र कपिलासुर ने देवों से स्पर्धा करने के लिये चलाये हैं, जिससे उन्हें यज्ञाशन न मिल सके। विद्वान् को इन आश्रमों का आदर नहीं करना चाहिये"^३ सरलता से समझा जा सकता है।

बौद्ध और वैदिक आश्रमों का परस्पर प्रभाव—इतना विरोध होते हुए भी ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैनधर्मों ने इस विषय में परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया है। "ब्राह्मण धर्म के अन्तर्गत तपस भी होते थे, जिनको वैखानस कहते थे। बौद्ध भिक्षुओं में भी ऐसे भिक्षु होते थे, जो वैखानसों के नियमों का पालन करते थे। इन नियमों को 'धृतग' कहते हैं। वृक्षमूलनिकेतन, अरण्य-निवास, श्मशानवास, अस्यक्वासवास, पाशुकूलधारण आदि धृतग हैं। वैखानसों से प्रभावित होकर बौद्धधर्म में भी यति होने लगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि जब बौद्धधर्म पूर्व से पश्चिम की ओर गया, तब इस प्रकार के परिवर्तन हुए। पश्चिम देश में पूर्व की अपेक्षा ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक था।"^४ वास्तव में वैदिकों में तीन आश्रमों की ही प्रथा थी। चतुर्थ आश्रम वाद

१. ५-२-९ काशिका।

२. नरेन्द्रदेवः बौद्धधर्म-दर्शन, पृ० १।

३. बौषा० धर्मसूत्र, २-११।

४. बौद्धधर्म-दर्शन, पृ० २।

अध्याय १३

धर्मकृत्य और विश्वास

पाप-पुण्य

धार्मिक भाष्य में चतुर्वर्ग के स्थान पर धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग का ही उल्लेख है।^१ मोक्ष की चर्चा भाष्य में नहीं है। वैदिक पण्डितों का लक्ष्य स्वर्ग था, मोक्ष नहीं। निर्वाण का उल्लेख एक स्थान पर अवश्य हुआ है, किन्तु दार्शनिक अर्थ में नहीं।^२ धर्म स्वर्ग्य माना जाता^३ था और अधर्म अन्वतमसावृत लोको को ले जानेवाला। धर्म का आचरण करनेवाला धार्मिक और अधर्म का अनुष्ठाता अधार्मिक कहलाता था।^४ पाणिनि ने सुकर्मकृत्, पुण्यकृत् और पाप-कृत् शब्दों की निष्पत्ति के लिए पृथक् सूत्र का निर्माण किया है। अधार्मिक और अधार्मिक में भाष्यकार ने अन्तर किया है।

धर्म—धर्म के प्रति भाष्य में गम्भीर श्रद्धा का भाव व्यक्त हुआ है। धर्माधर्म का निर्णय शास्त्र के अधीन था।^५ कामचार की स्थिति में शास्त्र नियमन करता था और तदनुसार किया गया आचरण अम्युदयकारी माना जाता था।^६ अशास्त्रोक्त कर्म विगुण होता है और विगुण कर्म करने से फल की अवाप्ति नहीं होती, यह धारणा थी।^७ शास्त्र का काम ही धर्मोपदेश है। वह जो कुछ बतलाता है, धर्म माना जाता था।^८ धर्म का निर्णय एक दूसरे प्रकार से भी किया जाता था। जहाँ शास्त्र मौन या अस्पष्ट हो, वहाँ ऋषि-सम्प्रदाय में प्रचलित आचार प्रमाणित और धर्म माना जाता था।^९ पूर्व-पुरुषों द्वारा आचरित पत्न्य, जिन्हें 'पूर्विण या पूर्व्य' कहते थे, शास्त्रवत् प्रमाणित माने जाते थे। काशिकाकार ने कहा है कि पूर्व पुरुषों द्वारा दिखाये गये मार्ग प्रशस्त होते हैं। सूत्रकार ने उनकी प्रशंसा की है और तदर्थ पृथक् सूत्र बनाया है।^{१०}

१. २-२-३४, पृ० ३९०।
२. ५-१-१११, पृ० ३४५।
३. ८-२-५०, पृ० ३६८।
४. ४-४-४१, पृ० २७९।
५. शास्त्रेण धर्मनियमः।—आ० १, पृ० १८।
६. आ० १, पृ० १९।
७. अशास्त्रोक्ते क्रियमाणे विगुणं कर्म भवति। विगुणे च कर्मणि फलानवाप्तिः।—
१-२-६४, पृ० ५८९।
८. धर्मोपदेशानमिदं शास्त्रम्।—६-१-८४, पृ० २१७।
९. ऋषिसम्प्रदायो धर्मः।—आ० १, पृ० २०।
१०. ४-४-१३३ काशिका।

वध और सुरापान मे महान् दोष वतलाया गया है।^१ यह कहते समय निश्चय ही उनकी दृष्टि धर्मसूत्रो की ओर थी। अन्यत्र भी उन्होने कहा है कि धर्मशास्त्र की प्रवृत्ति इसी ओर है कि ब्राह्मण-वध और सुरापान नहीं करना चाहिए।^२ जो व्यक्ति अनजान मे भी ब्राह्मण को मारता है या सुरा पीता है, वह भी पतित हो जाता है।^३ ब्राह्मण के लिए तो सुरापान का सर्वथा निषेध था। सुरापी ब्राह्मणी पतिलोक को नहीं प्राप्त होती, धर्मशास्त्र के इस कथन को भी पतजलि ने भाष्य मे उद्धृत किया है।^४

गुस्तल्प-गमन—धर्मशास्त्रो द्वारा वर्णित अन्य पातको मे गुस्तल्प-गमन भी महत्त्वपूर्ण है। भाष्य मे गीस्तल्पिक का उल्लेख किया है^५ और कहा है गुस्तल्पग का सर्वथा ध्वस हो जाता है।^६ परदार-गमन भी पाप माना जाता था। समाज पारदारिक को घृणित दृष्टि से देखता था। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणेश्वर स्त्री का सयोग शिष्ट व्यवहार से सर्वथा बाहर था।^७

अन्य पातक—ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, माता-पिता और भाई का वध भयकर पापो की श्रेणी मे था।^८ भ्रूणहत्या का उल्लेख भाष्य मे अनेक वार हुआ है^९ और इस सन्दर्भ मे भाष्यकार ने वैदिक प्रमाण भी उद्धृत किये हैं, जिनसे स्पष्ट है, कि वैदिक काल मे ही इस पातक के विरोध का प्रारम्भ हो चुका था।^{१०} भ्रूणहा के कर्म के लिए भ्रूणहत्या तथा उससे सम्बद्ध अन्य वस्तुओ के लिए भाष्य मे भ्रूणघ्न शब्द का प्रयोग हुआ है।^{११} पाणिनि ने भी पृथक् सूत्र द्वारा इन शब्दो की निष्पत्ति प्रतिपादित की है। ब्रह्महा, मातृहा, पितृहा और भ्रूणहा इन चारो के प्रति समान घृणा का भाव था। पतजलि ने इनका एक साथ उल्लेख किया है।^{१२}

अनृत—इन महापातको के अतिरिक्त अनृत-कथन भी पाप या अधर्म माना जाता था। अनृत दो प्रकार से बोला जा सकता है—प्रच्छन्न और व्यक्त। भाष्यकार ने दोनो की ओर संकेत किया है^{१३} और उसे अग्राह्य कहा है। भाष्य से यह भी ध्वनित होता है कि सामान्य जनो की प्रवृत्ति

१. ब्राह्मणवधे सुरापाने च महान् दोष उक्तः ।—बही, पृ० २१८ ।

२. १-२-६४, पृ० ५८७ ।

३. आ० १, पृ० ५ ।

४. या ब्राह्मणी सुरापी भवति तैनां देवाः पतिलोकं नयन्ति ।—३-२-८, पृ० २१० ।

५. ४-४-१, पृ० २७३ ।

६. ध्वंसते गुस्तल्पगः ।—३-२-४८, पृ० २१७ ।

७. १-३-५५, पृ० ६९ ।

८. १-१-३९, पृ० २४८ तथा ३-२-८७ तथा ८-२-२, पृ० ३१५ ।

९. बही ।

१०. तां प्राणहत्यां निगृह्यानुचरणम् अस्यै त्वां भ्रूणहत्यायां चतुर्यं प्रतिगृहाण ।—
३-१-१०८, पृ० १८४, ८५ ।

११. ६-४-१७४, पृ० ५०६ ।

१२. ३-२-८७, पृ० ३२५ ।

१३. ८-२-४८, पृ० ३६६ ।

एक भी शास्त्र-शुद्ध शब्द स्वर्ग और लोक में कामयुक् होता है।^१ इस प्रकार 'काम-तृप्ति' इन वैदिक पण्डितों की काम्य जान पड़ती है। यही उनके दृष्टिकोण से तपश्चरण का लक्ष्य है। काशिकाकार ने 'सिष्यतेरपारलौकिके' सूत्र का भाष्य करते हुए इस बात को और भी स्पष्ट किया है। पाणिनि के मत से 'सिष्' घातु का रूप अपारलौकिक अर्थ से सावयति और पारलौकिक अर्थ से 'सिष्यति' होता है। काशिकाकार ने इस प्रसंग में 'तपस्तापस सेषयति' (पारलौकिक) उदाहरण देकर कहा है कि तपस्वी को उसके अपने ही कर्म ऊपर उठाते हैं। यहाँ 'सिष्' का अर्थ से पारलौकिक ज्ञानविशेष है। तपस्वी ज्ञानविशेष प्राप्त करता है। तप उसे उस ओर प्रयुक्त करता है। वह ज्ञानविशेष उत्पन्न होकर जन्मान्तर में परलोक में अम्युदय-रूप फल में परिणत होता है और इस प्रकार परलोक-प्राप्ति का कारण बनता है।^१

स्वर्ग्यं कार्यं—भाष्यकार ने ऐसे कार्यों को, जो परलोकजय के साधन हैं, स्वर्ग्यं कहा है।^१ इनमें अग्निष्टोमादि यज्ञ तो हैं ही, अनेक प्रकार के तप और जपादि भी हैं। इसीलिए, ब्राह्मण अधिक जप करते थे^२ और अग्नि के सामने तप करते थे।^३ धर्म-कार्यों में उपाजित सम्पत्ति का व्यय करते थे।^४ इस प्रकार का सद्व्यय 'उपयोग' कहलाता था।^५ अनेक ऐसे कार्य, जो सार्व-जनिक रूप से निन्दित माने जाते थे, यज्ञ से सम्बद्ध हो जाने पर स्वर्ग के साधक बन जाते थे। फिर भी, अनेक लोक इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। सौत्रामणि यज्ञ में सुरापान इसी प्रकार का कृत्य था। भाष्यकार ने पूर्वपक्ष के रूप में एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसका अर्थ है 'यदि उदुम्बर वर्ष की सुरा से भरी अनेक कलगियाँ पीकर कोई स्वर्ग नहीं पहुँच पाता, तो यज्ञ में थोड़ी-सी सुरा पीकर कैसे पहुँच सकेगा।'^६ भाष्यकार ने तर्क द्वारा इसका खण्डन न कर प्रमत्तगीत कहकर बात को टाल दिया है। भाष्य में नरक का भी उल्लेख मिलता है।^७

गापोष्टक् (३-२-८ पृ० २१०) सूत्र का भाष्य करते हुए पतजलि ने उदाहरण-स्वरूप कहा है 'जो स्त्री सुरापा या सुरापी होती है, उसे देवता पतिलोक नहीं ले जाते।' पतिलोक से ऋषि का आगय परलोक में पति के साथ से है। (६-३-५३ पृ० ३११) के भाष्य में भी पतजलि ने एक वैदिक मन्त्रांश उद्धृत किया है 'आमागन्ता पितरा मातरा च मा सोमो अमृतत्वाय गम्यात्'। इसमें अमृतलोक या अमृतत्व की चर्चा है। यह अमृतलोक स्वर्ग से ऊपर मुक्ति की स्थिति है या नहीं, कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। भाष्यकार ने अन्यत्र कहीं मोक्ष का उल्लेख नहीं

१. ६-१-८४, पृ० ११९।

२. ६-१-४९, काशिका।

३. ५-१-१११, पृ० ३४५।

४. ३-१-३२, पृ० ६४।

५. तपस्यते लोकजिगोषुरगनेः। —२-१-१५, पृ० ५५।

६. १-३-३६ तथा १-३-३२ का०।

७. वही।

८. आ० १, पृ० ५।

९. ६-१-७, पृ० २३।

भोजन करने जाते थे, किन्तु श्राद्धभोजन नहीं करते थे। ये अश्राद्धभोजी कहलाते थे।^१ इनका अलग वर्ग था। इनके विपरीत श्राद्धभोजन करनेवाले श्राद्धी या श्राद्धिक कहे जाते थे। किन्तु, श्राद्धी या श्राद्धिक किसी की स्थायी सजा नहीं होती थी। जिस दिन जो श्राद्ध भोजन करता था, उसी दिन उसके लिए इन विशेषणों का प्रयोग होता था। आज श्राद्ध खानेवाले के लिए कल श्राद्धिक शब्द नहीं प्रयुक्त हो सकता था।^२ इस प्रकार, युक्त विशेषण विशेष काल में विशिष्ट क्रिया के परिणाम थे। अश्राद्धभोजी लोग ब्रती होते थे, अर्थात् वे किसी विशेष कारणवश जैसे सासारिक भोगों का परित्याग कर देते थे, वैसे श्राद्धभोजन का भी।^३ कुछ लोग श्राद्ध खाने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। २-३-१७ सूत्र के भाष्य में दिये गये उदाहरण से जिसमें कोई ब्राह्मण अन्न को ललकारता है। इस बात का संकेत मिलता है।^४

श्राद्ध-विरोध—समाज में सब लोग श्राद्ध के विषय में एकमत न थे। कुछ लोग उसके विरोधी भी थे। भाष्य के 'श्राद्धाय विगृहते' उदाहरण से यह ध्वनित होता है। सम्भव है, श्राद्ध न करने या ठीक ढंग से न करने के कारण व्यक्ति निन्दा का पात्र माना जाता हो।^५ एक अन्य स्थान पर भी एक व्यक्ति पर आक्षेप किया गया है, जो इतना कृपण है कि उससे इस बात की भी आशा नहीं कि वह जब मरेगा, तब अपने पितरों के श्राद्धादि के लिए कुछ छोड़ जायगा।^६

मंगल्यामंगल्य—धार्मिक विधियों में जिस प्रकार यज्ञादि कृत्य आम्युदयिक या मंगल्य माने जाते थे, उसी प्रकार श्राद्धादि अमंगल्य। श्राद्धादि का अनुष्ठान भयवश अनिष्ट-निवारणार्थ किया जाता था और यज्ञादि का अम्युदय-कामना से। पितर लोग कव्य न पाकर रुष्ट होते हैं और अनिष्ट कर सकते हैं, यह भय श्राद्ध में समाविष्ट हो गया था। इसीलिए, जहाँ यज्ञादि में उत्साह परिलक्षित होता था, वहाँ श्राद्धादि में विवगता का भाव। इसीलिए, यज्ञादि में अधिकाधिक देना अच्छा माना जाता था, किन्तु श्राद्धादि में हर वस्तु थोड़ी-थोड़ी दी जाती थी।^७

श्राद्ध के प्रति यहाँ तक भय-मिश्रित आदर का भाव था कि श्राद्ध-भोजन के लिए निमंत्रित ब्राह्मण भोजन से इनकार नहीं कर सकता था। हृद्य तथा कव्य के लिए बुलाना निमन्त्रण कहलाता था और उसके प्रत्याख्यान या अस्वीकृति में अवर्ण माना जाता था। अन्य अवसरों पर बुलाया जाना आमन्त्रण कहा जाता है। आमन्त्रण की स्वीकृति या अस्वीकृति आमन्त्रित की इच्छा पर निर्भर थी।^८

१. १-१-४३, पृ० २५७।

२. ५-२-८५, पृ० ४०१।

३. ३-२-८०, पृ० २२९।

४. २-३-१७, पृ० ४१९।

५. १-४-३२, पृ० १६८।

६. अयं चेन्मरिष्यति न च पितृभ्यः पूर्वैभ्यो दास्यति।—८-१-३०, पृ० २८८।

७. ५-४-४२ पृ० ४९४

८. ब्राह्मणेन सिद्धं भुज्यतामित्युक्तेऽवर्णः प्रत्याख्यातुः आमन्त्रणे कामचारः।—
३-३-१६१, पृ० ३३५।

गरण माना जाता था।^१ स्नानानुलेप दैनिक कार्य था।^२ स्नान को लोग अभ्युदयकारी मानते थे, रोपनात्रक तो वह है ही।^३ सम्यक् स्नानादि क्रिया करनेवाला पुरुष भोगवान् कहा जाता था।^४ गह्व वस्तुओं के स्पर्श से उत्पन्न होनेवाले अशौच की निवृत्ति के लिए हस्तादि-प्रक्षालन के अतिरिक्त तीन बार आचमन का भी विधान था।^५ दन्तघावन भी शौच का अंग है। प्रातः स्नान से पूर्व दन्तघावन भी सामान्य प्रथा थी।^६

प्रत्येक पुरुष सवेरे उठकर शौच, दन्तघावन, स्नानादि शारीरिक क्रियाएँ पहले करता था और तब उसके बाद अपने मित्रों और सम्बन्धियों के कार्य करता था। इस प्रकार, शरीर-शुद्धि को अन्य सब कार्यों में प्राथमिकता प्रदान की गई थी।^७

अशौच—जन्म और मृत्यु के समय दस दिन तक परिवार में अशौच माना जाता था। सीलिए पुत्र का नामकरण दस दिन बाद ही करने की प्रथा थी।^८

रजस्वला-धर्म—रजस्वला स्त्रियों के शौच के विशेष नियम थे, जिनका पालन उन्हे प्रतिमास तीन दिन तक करना पड़ता था। भाष्यकार ने तैत्तिरीयसंहिता (काण्ड २, प्रपाठक ५, अनुवाक १) से ऐसे कुछ नियमों को उद्धृत किया है। तैत्ति० स० में रजस्वला स्त्रियों के लिए तेरह निर्देश दिये गये हैं। उसके साथ सम्भोग, अरण्य में सगति तथा स्नान के बाद भी उसकी अनिच्छा होने पर उससे यौन सम्बन्ध वर्जित है। रजस्वला को तीन दिन तक स्नान, शरीर में अभ्यजन (तेल लगाना) कर्च से बाल बनाना, अजन लगाना, दन्तघावन करना, नख काटना या चारा काटना, सूत काटना, रस्सी बटना, पलाश-द्रोण से अथवा पकाये हुए पात्र से जल पीना आदि क्रियाओं से विरत रहना चाहिए। जो ये क्रियाएँ करती है, उसकी सन्तान को उसके दोषों का फल भोगना पड़ता है। उदाहरणार्थ, रज काल में उपभुक्ता की सन्तान अभिगस्त (सन्दिग्धचरित्रा या पापदोषमयी) अरण्यसगता की स्तेन, पराची (इच्छा के विरुद्ध सगता) की शर्मिली (ह्रीत-मुखी) बड़ी अवीर, असाहसी (अप्रगल्भ), स्नान करनेवाली की जल में डूबकर मरनेवाली, तेल लगानेवाली की दुग्धचर्या या कुण्ठी, कर्च करनेवाली की गजी और अपमारी (दुर्मरणयुक्त, दुर्बल), काजल लगानेवाली की कानी, दातून करनेवाली की काले दाँतवाली, नाखून काटनेवाली की कुन्वी, चारा काटनेवाली या चर्खा चलानेवाली की नपुसक, रस्सी बटनेवाली की उद्-

१. आ० २, पृ० ६६२।

२. आ० २, पृ० ४८।

३. आ० १, पृ० २४।

४. भोगवानयं ब्राह्मण इत्युच्यते यः सम्यक् स्नानादीः क्रिया अनुभवति।—

५-१-९, पृ० ३००।

५. त्रिहृदयङ्गमाभिरदिभरसाब्दाभिरुपस्पृशेदित्युपस्पृशं शौचार्यम्।—५-१-८४, पृ० ११८।

६. २-३-६२, पृ० ४४९।

७. १-१-५७, पृ० ३६१।

८. आ० १, पृ० ९।

इसी सूत्र में वसिष्ठ ने आगे कहा है कि ऐसी स्त्री इसी लोक में घूमती रह जाती है और क्षीणपुण्या होकर पानी में जोक या सीपी (कीट) बनती है।^१

सुरापान के सम्बन्ध में पतञ्जलि का दृष्टिकोण अन्यत्र कठोर था। यहाँ तक कि बिना जाने भूल से भी सुरा पी लेनेवाला उनकी दृष्टि में पतित था।^२

सुरा केवल सौत्रामणि यज्ञ में विहित थी। भाष्यकार ने भ्राजश्लोक के नाम से पूर्व-पक्षी का कथन उपस्थित किया है—उदुम्बर वर्ण की अनेक सुरा-भरी घटी पी जाने पर भी यदि कोई स्वर्ग नहीं जाता, तो ऋतु में थोड़ी-सी पीने से स्वर्ग कैसे जा सकता है।^३ यह कथन डम वात का प्रमाण है कि श्रोत्रिय लोग यज्ञ में सुरा पीना श्रेयस्कर मानते थे। मनु ने भी इस बात की पुष्टि की है।^४

पलाण्डु—पलाण्डु को सभी धर्मसूत्रकारों ने अभक्ष्य माना है। वसिष्ठ ने (१४-३३) उसके भक्षण का प्रायश्चित्त अतिकृच्छ्रव्रत द्वारा बतलाया है। भाष्यकार ने पलाण्डुभक्षिती का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जो उसके प्रति घृणा का परिचायक है।^५ वृषल लोग पलाण्डु का भक्षण करते थे। कोई-कोई सुरा भी पीते थे। किन्तु, पलाण्डु के साथ सुरापान सामान्य वृषल तक नहीं करते थे। घोर वृषल ही ऐसा करते थे और समाज में नीची दृष्टि से देखे जाते थे।^६ सुरापयी दुर्गन्धी व्यक्ति सुरा से कभी तृप्त नहीं होता, इस कारण भी सुरा हेय मानी जाती थी।^७

मास—मास-भक्षण का प्रचार था, किन्तु ग्राम्यकुक्कुट और ग्राम्यशूकर अभक्ष्य थे। वसिष्ठ धर्मशास्त्र में भी इवावित्, शल्यक, शशक, कच्छप और गोघा ये पाँच पचनख प्राणी भक्ष्य बतलाये गये हैं। खग और ग्राम्यशूकर के विषय में मतभेद था और ग्राम्यकुक्कुट वसिष्ठ के भी मत से सामान्यतया अभक्ष्य माना जाता था।^८ वाल्मीकीय रामायण ने भी इस कथन को पुष्टि की है।^९ भाष्यकार का 'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या' और 'अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटो भक्ष्यो ग्राम्यशूकर.' कथन धूम्रन्वो के अनुकूल ही है और रामायण का उद्धरण-मात्र है।^{१०}

१. या ब्राह्मणी च सुरापी भवति न तां देवाः पतिलोके नयन्ती इहैव साचरति क्षीणपुण्यासु लुम्भवति शुभित्का वा ।—वासि० घ० शा० २१-११ ।

२. आ० १, पृ० ५ ।

३. वही।

४. सौत्रामण्यां तथा मर्द्यं श्रुतीं भक्ष्यमुदाहृतम् ।— मनु० ५-५० ।

५. २-२-३६, पृ० ३९२ ।

६. वृषलरूपोऽयम्—अप्ययं पलाण्डुना सुरां पिबेत् ।—५-३-६६, पृ० ४६० ।

७. २-२-२९, पृ० ३७९ ।

८. वासि० घ० शा० १४-३९, ४७, ४८ ।

९. पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षेत्रेण राघव ।

शल्यकाः इवाविषा गोपाः शशः कर्मश्च पञ्चमः।—किष्कि० का० १७-३९ ।

१०. आ० १, पृ० ११ ।

७४

मानवेतर योनियाँ

मानवेतर योनियो मे भाष्यकार ने असुर, म्लेच्छ, रक्षस्, पिशाच, भूत का भी उल्लेख भिन्न-भिन्न प्रसंगो मे किया है। इनमे असुर देव-विरोधी के रूप मे चित्रित हुए हैं। वे यज्ञ करते थे। किन्तु, गृद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे।^१ इन्द्रगन्धर्व वृत्र नामक असुर तो यज्ञ मे अशुद्ध स्वर बोलने के कारण नष्ट हो गया।^२ भाष्यकार ने यज्ञ मे अपभाषण के कारण अन्य असुरो का भी पराभूत होना बतलाया है।^३ उन्होंने कहा है कि व्याकरण के न जानने से आर्य म्लेच्छ हो जाते हैं।^४ तब क्या ये असुर और म्लेच्छ एक ही थे। पाणिनि मे पर्वर्वादिगण मे असुर शब्द का परिगणन किया है। रक्षस् शब्द भी इसी गण मे पठित है। असुर और रक्षस् आयुधजीवी सघ थे,^५ जो आर्यविरोधी अथवा अपेक्षाकृत कम सस्कृत थे। भाष्यकार मे इन आयुधजीवी सघो की स्त्री को रक्षस् और असुरी कहा है।^६ सम्भवत घीरे-घीरे आर्यो और असुरो का विरोध अधिक बढ़ गया। वे आर्य देवो का विरोध करने लगे और देवविरोधी माने जाने लगे और काशिका-काल तक आते-आते वे अमनुष्य योनियो मे गिन लिये गये^७ और प्रेतयोनि के समकक्ष आ गये।

ऋग्वेद मे (२-३०-४ तथा ७-९९-५) असुर शब्द का प्रयोग देव, श्रेष्ठ, वरुण आदि दिव्य अर्थो मे भी मिलता है, यद्यपि ऋग्० (८-९६-९) मे देवविरोधी के रूप मे असुर शब्द वार-वार आया है।

राक्षस असुर से भिन्न है। भाष्यकार ने आयुधजीवी सघ के अतिरिक्त अर्थ मे भी रक्षस् शब्द का उल्लेख किया है। ये रक्षस् या राक्षस नृचक्षा (मनुष्यो की ताक मे बैठनेवाले) होते थे।^१ उनका असुरो से साहचर्य सम्बन्ध था। देव इनके विरोधी थे। भाष्य मे देवासुर का विरोधी और रक्षोत्तुर का मय्युनिक के रूप मे उल्लेख है^२ और रक्षोघ्न का भी।^३ रक्षोघ्न से भाष्यकार का संकेत किस ओर है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। काशिकाकार ने 'द्वितीये चानुपाख्ये' (६-३-८०) सूत्र की व्याख्या मे अनुपाख्य की अनुमेय या अप्रत्यक्षलभ्य का पर्याय मानकर उसका उदाहरण सपिशाचा वात्या और सराक्षसी का शाला दिया है। इससे स्पष्ट है कि वे पिशाच और राक्षसएसी योनियो को मानते थे, जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, किन्तु जिनका अस्तित्व है। काशिका

१. तेऽसुरा हेल्योहेल्य इति कुर्वन्तः परावभवुः ।—आ० १, पृ० ४।

२. आ० १, पृ० ४।

३. आ० १, पृ० २५।

४. आ० १, पृ० ४।

५. ५-३-११७।

६. ४-१-१७७, पृ० १६५।

७. अमनुष्यशब्दो हृदिरूपेण रक्षः पिशाचादिष्वेव वर्त्तते।

८. २-४-५४, पृ० ४९०।

९. ४-३-१२५, पृ० २५३।

१०. ५-४-३६, पृ० ४९३।

यह सब अनुभव पर आश्रित था। प्राकृतिक उत्पात की सूचना पूर्व लक्षणों से प्राप्त कर ली जाती थी। उदाहरणार्थ, पीली विद्युत् का चमकना तेज वायु चलने का, अत्यन्त लोहित वर्ण की विद्युत् का चमकना तेज आतप का, पीली का चमकना अच्छी उपज का और सफेद विद्युत् का चमकना दुर्भिक्ष का निमित्त माना जाता था।^१

शकुन-लक्षण—जिस प्रकार दधि आदि शुभाशुभ के निमित्त माने जाते थे, उसी प्रकार कुछ आगिक लक्षण या चिह्न भी। अगो से मनुष्य की प्रकृति, भाग्य और भविष्य का अध्ययन पतजलि-काल में इतना समुन्नत हो चुका था कि अगविद्या के नाम से अध्ययन की एक स्वतन्त्र शाखा प्रतिष्ठित हो गई थी, जिसमें निष्णात व्यक्ति आगविद्य कहलाता था।^२ पाणिनि ने 'लक्षणे जायापत्योष्टक्' और 'अमनुष्यकर्तृके च' (३-२-५२, ५३) सूत्रों में अग के इन चिह्नों को जो किसी विशेष वात के निमित्त माने जाते थे 'लक्षण' कहा है। किन्तु, वे लक्षण 'अमनुष्यकर्तृक' होने चाहिए। इन लक्षणों में निष्णात व्यक्ति लाक्षणिक कहलाता था।^३ लाक्षणिक का क्षेत्र व्यापक था और मनुष्य के अतिरिक्त गो, अश्व आदि भी उसकी ज्ञान-परिधि के अन्तर्गत थे। पतजलि ने अग-लक्षण का उदाहरण देते हुए विशेष तिलकालक (तिल या मस्से) को जायाध्न^४ और विशेष पाणिलेखा को पतिष्नी वतलाया है। यद्यपि उन्होंने यह निर्देश नहीं किया है कि किस स्थान का और कौन-सा तिलकालक जायाध्न होता है और कौन-सी हस्तरेखा पतिष्नी, तथापि इतना तो स्पष्ट ही है कि तिलो, मस्सो और हस्तरेखाओं का अध्ययन अगविद्या का अग था और लाक्षणिक उनके आवार पर बहुत-सी बातें वतलाया करते थे। पाणिनि का 'रावीक्ष्यो-र्यस्य विप्रश्न', (१-४-३९) सूत्र भी इस बात का सूचक है कि लोग शुभाशुभ पूछने के लिए नैमित्तको या शकुनज्ञों के पास जाते थे और वे विचारपूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे।^५

मगल

अशुभ के निवारण के लिए बहुत-से उपाय काम में लाये जाते थे। ग्रन्थकर्ता विघ्न-निवारण के लिए ग्रन्थ के आदि में मगलसूचक शब्दों का प्रयोग करते थे या मंगलार्थ किसी देवता की स्तुति करते थे। उनका विश्वास था जिन ग्रन्थों के प्रारम्भ में मगल किया जाता है,^६ वे अधिक प्रसिद्ध होते हैं। उनके पढ़नेवाले वीर आयुष्मान् और सफलमनोरथ होते हैं। सिद्ध, वृद्धि, अथ आदि शब्द मगलसूचक माने जाते थे। इसीलिए, पाणिनि ने वृद्धि, वाक्तिककार ने सिद्ध और पतजलि ने अथ शब्द का प्रयोग अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में किया है।

१. वाताय ऋषिला विद्युदातपायातिलोहिनी।

पीता भवति तस्याय दुर्भिक्षाय सिताभवेत् ॥—३-३-१३, पृ० ४१७।

२. ४-२-६०, पृ० १८७।

३. वही।

४. जायाध्नस्तिलकालकः, पतिष्नी पाणिलेखा।—३-२-५२, पृ० २१८।

५. १-४-३९ काशिका।

६. आ० १, पृ० १५।

प्रत्यभिवाद—अभिवादन 'अमुकनामाऽहमभिवादये भो' कहकर किया जाता था और प्रत्याभिवाद 'भो आयुष्मानेधि देवदत्त' आदि कहकर किया जाता था। अभिवादन के नियम निश्चित थे। प्रत्यभिवाद में जो वाक्य बोला जाता था, उसके अन्तिम शब्द की टि का प्लुत उदात्त उच्चारण किया जाता था। उदाहरणार्थ, ऊपर के वाक्य में 'देवदत्तः' का अन्तिम स्वर प्लुत उदात्त रहता था।

स्त्री और शूद्र—इस नियम के कुछ अपवाद थे। स्त्री, शूद्र तथा असूयक को दिये गये आशीर्वाद या प्रत्याभिवाद की टि प्लुत नहीं रहती थी। उदाहरणार्थ, आयुष्मती 'भव गार्गी' में अन्तिम स्वर प्लुत नहीं होता था। शूद्र के अभिवादन का उत्तर उसकी कुशल पूछकर ही दिया जाता था। यथा 'कुशल्यसि तुपजक' इसमें भी टि भाग प्लुत नहीं रहता था। असूया या अविनय-प्रदर्शन के साथ किये गये प्रत्याभिवाद का उत्तर भी प्लुत-विहीन दिया जाता था। क्षत्रिय और वैश्य के अभिवादन के उत्तर में अन्तिम भाग का प्लुत करना या न करना प्रत्याभिवादक की इच्छा पर निर्भर था। कुछ लोगो का मत था कि अभिवादन को अपना नाम लेकर अभिवादन करना चाहिए, किन्तु उत्तर देनेवाले को आशीर्वाद देते समय अभिवादक का नाम न लेकर उसके स्थान पर 'भो' ही कहना चाहिए। इनके अनुसार 'अभिवादये भवन्त देवदत्तोऽह भो' का उत्तर 'आयुष्मानेधि भो' कहकर देना चाहिए।^१

स्त्रियो को अभिवादन करते समय इस औपचारिक पद्धति की आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि वे उनका औपचारिक उत्तर नहीं दे पाती थी। आपस्तम्बवादि ने परदेश से लौटने पर अभिवादन का जो विधान किया है, वह दैनिक अभिवादन से अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है।^२ उस समय भी स्त्रियो से 'असावह भो' (यह मैं आ गया) कह देना नमस्कार के बराबर माना जाता था। यही प्रथा अन्य अशिक्षित जनो के लिए भी थी।^३

कुशल-प्रश्न—पाणिनि ने अभिवादन के उत्तर में आशीर्वाद पानेवाले व्यक्ति के लिए चतुर्थी विभक्ति का विधान किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि बड़े लोगो में प्रणाम के उत्तर में छोटे को आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, कल्याण, हित आदि का आशीर्वाद करने की प्रथा थी।^४ आगत या अतिथि-जनो से कुशल सेमाचार के समान ही उनकी सुख-सुविधा पूछने की प्रथा भी अभिवादन जैसे उपचार के ही अन्तर्गत है। आपने अच्छी तरह स्नान तो कर लिया? आपकी रात्रि तो सुख से बीती? आपको नीद तो अच्छी तरह आई? आत्मजनो की इस प्रकार की चिन्ता रखना सामान्य उपचार था। प्रश्न करनेवालो के लिए सौस्नातिक, सौखरात्रिक, सौख-शायिक आदि शब्द निश्चित थे, जो इस बात के सूचक हैं कि इस तरह के कुशल-प्रश्नो की औपचारिक शब्दावली का सर्व-सामान्य रूप भी निश्चित था।^५

१. ८-२-८३, पृ० ३८७, ८८।

२. प्रोष्य च समागमे।—आप० १-२-५-१४।

३. आ० १, पृ० ६।

४. २-३-७३।

५. ४-४-१, पृ० २७३।

ब्राह्मण लोग पायस (खीर) में अक्कि रुचि रखते थे। उनके आतिथ्य में पायस का उपयोग होता होगा।^१

अतिथि की विदाई—अतिथि की विदाई भी सत्कारपूर्वक की जाती थी। विदा होने-वाले व्यक्ति को ग्रामवन के अन्त में या ग्रामसरित्, ग्रामसरस अथवा, मार्ग में जहाँ भी जल हो, वहाँतक भेजने जाने की प्रथा थी। यदि अतिथि या विदा होनेवाला व्यक्ति विशेष पूज्य अथवा प्रिय हुआ, तो उसे द्वितीय या तृतीय वनान्त या उदकान्त तक भेजने जाते थे।^१

व्रत-उपवास

व्रत और वीक्षा—भाष्य में व्रत शब्द का प्रयोग नियम के अर्थ में हुआ है। काशिकाकार उसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शास्त्रपूर्वक नियम का नाम व्रत है।^१ पाणिनि ने वाक्-निग्रह को व्रत माना है।^२ शास्त्रों में विशेष आश्रमों में अथवा विशेष अवसरों पर भिन्न-भिन्न व्रतों का प्रावधान किया है। उदाहरणार्थ, मौन व्रत तृतीय और चतुर्थ आश्रमों में तथा यज्ञादि वीक्षा के दिनों में विहित है। व्रत रूप में मौन ग्रहण करनेवाले वाच्यम तथा अन्य किसी कारण से न बोलनेवाले वाग्याम कहे जाते थे।^३ भूमि पर सोना, श्राद्ध-भोजन न करना, लवण-भोजन^४ का परित्याग और ब्रह्मचर्य^५ ये सामान्य व्रत थे, जिनका पालन दीक्षित व्यक्ति को शुभानुष्ठान के अवसर पर करना पड़ता था। ये नियम कामचार पर नियन्त्रण करने की दृष्टि से निश्चित किये गये थे। उदाहरणार्थ, खट्वा विद्यमान होने पर भी भूमि पर सोना व्रत का अंग माना जा सकता था, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार, भोजन होने पर भी अश्राद्ध ही खाना व्रत के अन्तर्गत था।^६ भाष्यकार ने अश्राद्धभोजी का अर्थ श्राद्ध का न खानेवाला वतलाया है, श्राद्ध खानेवाला नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर अश्राद्ध न खाने की स्थिति में व्रतभंग होने लगेगा।^७ ये नियम पुरुष और स्त्री दोनों के लिए थे। यज्ञ में यजमान के साथ उसकी पत्नी को भी इन नियमों का पालन करना पड़ता था। भाष्य में स्थण्डिलशायी के साथ स्थण्डिलशायिनी का भी उल्लेख मिलता है।^८ जो

१. ६-२-१६, का०।

२. १-४-५६, पृ० १८७, ८८।

३. व्रत इति शास्त्रतो नियम उच्यते वाच्यम आस्ते। व्रत इति किम्? वाग्यामः।—३-२-४०, का०।

४. ३-२-४०।

५. वही।

६. कामचारप्राप्तौ नियमः सति शयने स्थण्डिल एव शैते नान्यत्र। सति भोजने अश्राद्ध-मेव भुङ्क्ते न श्राद्धमिति स्थण्डिलशायी अश्राद्धभोजी।—३-२-४० का०।

७. वही, पृ० २२९।

८. यवा सावश्राद्धं न भुङ्क्ते तदास्य व्रतलोपः स्यात्।—३-२-४०, पृ० २२९।

९. ४-१-१, पृ० १०।

मानना चाहिए।^१ सम्भवत, इन्हीं शिष्टो को पतञ्जलि ने कल्याणाचार या कल्याणाचारा (स्त्री०) और कल्याणक्षम कहा है।^२

शिष्ट व्यवहार—शिष्ट जनो के व्यवहारो के कुछ उदाहरण भी भाष्य मे उपलब्ध होते हैं। उपाध्याय और शिष्य को साथ-साथ जाना हो और यान या वाहन में एक ही व्यक्ति के बैठने भर का अवकाश हो, तो गुरु को वाहन से भेजना चाहिए और शिष्य को पैदल जाना चाहिए। जो व्यक्ति इसका उलटा करता, अर्थात् स्वयं तो सवारी पर जाता, किन्तु उपाध्याय को पैदल भेजता है, वह आचारभेद या शिष्टाचार का भग करनेवाला माना जाता था।^३ इस आचार-भग को क्षिया या धर्मव्यतिक्रम भी कहते थे। बैठकर भोजन करना और बैठकर मल-मूत्र त्याग करना शिष्टो मे प्रचलित था। लेटे-लेटे या चलते हुए खाना शिष्टो मे अनुचित माना जाता था। खड़े होकर मूत्रत्याग करना भी अशिष्टता का परिचायक था।^४ यवनी मे ये प्रथाएँ प्रचलित थी।^५ एक काल मे यदि एक क्रिया हो सकती हो या एक वस्तु प्राप्त हो, तो उस क्रिया या वस्तु पर पहले अर्ह का अधि-कार हो सकता था। वाद मे अपेक्षाकृत अर्ह को अवसर दिया जाता था। उदाहरणार्थ, ऋद्ध, दरिद्र और मूर्ख मे पहले ऋद्ध को भोजन कराया जाता था, वाद मे दरिद्र और मूर्ख को। ब्राह्मण और वृषल मे ब्राह्मण को नाव से पार जाने का अवसर पहले प्राप्त होता था। वृषल तबतक प्रतीक्षा करता था।^६ इस प्रकार, अर्ह और अनर्ह दोनों के आचार निश्चित थे। ब्राह्मण का वृषली या दासी से सम्बन्ध शिष्ट व्यवहार के विरुद्ध माना जाता था। शिष्टाचार के अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मणी से ही प्रेम-सम्बन्ध रख सकता था। ध्यान देने योग्य बात है कि तत्कालीन समाज मे इस प्रकार के अनुचित सम्बन्धो को दण्ड्य नहीं माना जाता था, केवल अशिष्ट कहकर टाल दिया गया था।^७

शास्त्रशिष्ट—कुछ बातें शास्त्र द्वारा शिष्ट या विहित थी। उनके विरुद्ध आचरण अशिष्ट माना जाता था। घी और तेल बेचना निषिद्ध था। मांस बेचना भी बजित था। गो, सर्प आदि की विक्री पर प्रतिबन्ध नहीं था, यद्यपि घी, मांस और तेल इन्हीं से बनता था।^८ सोम-

१. सचावश्यं शिष्टप्रयोग उपास्यः।—१-३-१, पृ० १७।

२. ३-२-१, पृ० २०४।

३. क्षिया धर्मव्यतिक्रमः आचारभेदः—स्वयं हि रथेन याति उपाध्यायं पदार्ति गमयति।—८-१-६०, का०।

४. ३-२-१२६, पृ० २६४।

५. ३-२-१२६ काशिका।

६. २-३-३६, पृ० ४३०।

७. १-३-५५, पृ० ६९।

८. तैलं न विक्रेतव्यम्, मांसं न विक्रेतव्यम् इति व्यपवृक्तं च न विक्रीयते व्यपवृक्तं च गावश्च सर्पाश्च विक्रीयन्ते।—आ० २, पृ० ६२।

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

वैदिक संहिता

- ऋग्वेद (सायण-भाष्य)
- यजुर्वेद
- काठक-संहिता
- मैत्रायणी संहिता
- तैत्तिरीय संहिता (सायण-भाष्य)
- वाजसनेयी संहिता (महीधर-भाष्य)
- सामवेद
- अथर्ववेद
- ऐतरेय ब्राह्मण
- शतपथब्राह्मण
- गोपथब्राह्मण
- ताण्ड्य महाब्राह्मण
- पचविंश ब्राह्मण
- षड्विंश ब्राह्मण
- कीर्षीतकिब्राह्मण
- छान्दोग्य ब्राह्मण
- तैत्तिरीय ब्राह्मण (सायण-भाष्य)
- काठक ब्राह्मण
- शाखायन ब्राह्मण
- जैमिनीय ब्राह्मण
- आश्वलायन श्रौतसूत्र
- शाखायन श्रौतसूत्र
- लाट्यायन श्रौतसूत्र
- कात्यायन श्रौतसूत्र
- वौशायन धर्मसूत्र

- आपस्तम्ब धर्मसूत्र (हरदत्त टीका)
- विष्णुधर्मसूत्र
- वाशिष्ठ धर्मसूत्र
- कौशिक गृह्यसूत्र
- पारस्कर गृह्यसूत्र (हरिहर-भाष्य)
- वाराह गृह्यसूत्र
- द्राह्यायण गृह्यसूत्र (रुद्रस्कन्द-वृत्ति)
- गोमिल गृह्यसूत्र
- वोशायन गृह्यसूत्र
- आश्वलायन गृह्यसूत्र
- सत्यापाठ सूत्र (उज्ज्वला-टीका)
- वैखानससूत्र
- तैत्तिरीय आरण्यक
- शूहृद् आरण्यक
- ऐतरेय आरण्यक
- छान्दोग्योपनिषद्
- मुण्डकोपनिषद्
- जाबालोपनिषद्

- प्रातिशाख्य-निरुक्त
- ऋक्-प्रातिशाख्य (उज्ज्वल-भाष्य)
- कात्यायन-प्रातिशाख्य
- तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य
- साम-प्रातिशाख्य
- अथर्व-प्रातिशाख्य
- ऋक्-तन्त्र
- सामतन्त्र

विष्णुपुराण	मज्झिमनिकाय
भागवतपुराण	द्विगधनिकाय
हरिवंशपुराण	सयुक्तनिकाय
ब्रह्माण्डपुराण	धम्मपद
कालिकापुराण	सामन्तपासादिका
पाराशरजपपुराण	महावज
देवीपुराण	दिव्यावदान
दर्शन	विसुद्धिमग्ग
योगदर्शन	अवदानशतक
वेदान्तदर्शन	महावग्ग
मीमांसादर्शन (शाबर-भाष्य)	बोधिसत्त्वावदानकल्पलता
योगसूत्रवृत्ति (भोजराज)	सर्द्धमपुण्डरीक
शास्त्र-संहिता	मज्झिमीमलकल्प
अर्थशास्त्र (कौटिल्य)	विविध तीर्थकल्प
अर्थशास्त्र (अनु० शामशास्त्री)	सुमगलविलासिनी
कामसूत्र (यजोवर-भाष्य)	प्रपचसूदनी
नाट्यशास्त्र (भरत)	योगिनीतन्त्र
चरकसंहिता (चक्रपाणिटीका)	गार्गी संहिता (युगपुराण)
शार्ङ्गवरसंहिता	बृहत्कथामजरी
स्मृति	श्रीतत्त्वनिधि
मनुस्मृति (कुल्लूकभट्ट-टीका)	ललितविस्तर
याज्ञवल्क्य-स्मृति (मिताक्षरा-टीका)	बृहत्संहिता
याज्ञवल्क्य-स्मृति (विश्वजप-टीका)	सगीतरत्नाकर
लीलाक्षि-स्मृति	चर्यापिटक
अन्य मूल ग्रन्थ	रघुवश
कथानगित्सागर	मालविकाग्निमित्र
बुद्धचरित	जातक—भाग १-६ (कावेल)
भगवतीसूत्र	पवनदूत (बोधी)
मिलिन्दपञ्चो	परिगिष्ट पर्व (हेमचन्द्र)
अंगुत्तरनिकाय	नानार्थार्णवसंक्षेप (केजवस्वामी)
विनयपिटक	यज्ञफल (नाटक)
	पतंजलिचरित
	यशस्तिरक (चम्पू)
	सरस्वतीकण्ठाभरण (हृदयहारिणी-टीका)
	कविकल्पद्रुम

- ई० जे० रेप्सन—कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया—भाग १
 ई० जे० रेप्सन—इण्डियन नवाइन्स
 रीज डेविड्स—साम्स ऑफ़ दि ब्रदरेन
 रीज डेविड्स—डायलाग्स ऑफ़ दि बुद्ध
 कॉर्निघम—नवाइन्स ऑफ़ एनशियेट इण्डिया
 कॉर्निघम—दि स्तूप ऑफ़ भरहुत
 कॉर्निघम—एनशियेट ज्याग्राफी ऑफ़ इण्डिया तथा आर्कियालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट—भाग १, २
 तथा ६, २०
 मैक्रिण्डल—एनशियेट इण्डिया ऐज डैस्क्राइण्ड वाइ मैगास्थनीज ऐण्ड ऐरियन
 मैक्रिण्डल—इण्डिया एज डैस्क्राइण्ड वाइ टालेमी
 मैक्रिण्डल—दि इनवेजन ऑफ़ अलेग्जैण्डर दि ग्रेट
 पाजिटर—एनशियेट इण्डियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन
 पाजिटर—डायनेस्टीज ऑफ़ दि कलि एज
 पाजिटर—मार्कण्डेयपुराण (सम्पा०)
 विल्सन—विष्णुपुराण (सम्पा०)
 कीथ—रिलीजन ऐण्ड फिलासफी ऑफ़ दि वेद
 कीथ—संस्कृत ड्रामा
 वैंटर्स—जान युवाग चाग
 लैसेन—पैण्टापोटेमिया इण्डिया
 ब्लूम फोल्ड—हिम्स ऑफ़ दि अथर्ववेद
 वेबर—ऑन दि डेट ऑफ़ पतजलि (इण्डरवस्टर्डिन से बोयड द्वारा अनूदित)
 ओल्डेनबर्ग—रिलीजन देर वेद
 लुड्स—लिस्ट ऑफ़ ब्राह्मो इन्स्क्रिप्शन्स, फ्रॉम अलियेस्ट टाइम्स टु दि सेकेण्ड सेचुयेरी ए० डी०
 टॉर्न—ग्रीक्स इन वैक्ट्रिया ऐण्ड इण्डिया
 रॉल्लिन्सन—इण्टरकोर्स विटवीन इण्डिया ऐण्ड दि वेस्टर्न वर्ल्ड
 रॉल्लिन्सन—दि डिस्टेस विटवीन दि स्टेजेज ऑन दि रॉयल रोड (परिगिण्ट)
 वाट—एकनामिक प्राइवट्स ऑफ़ इण्डिया
 व्हीलर—हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया—भाग १
 वनेट—एण्टिक्विटीज ऑफ़ इण्डिया
 पोर्टसन—दि रिपोर्ट ऑन संस्कृत मैनस्क्रिप्ट्स
 वील—बुद्धिस्ट रेकार्ड्स ऑफ़ दि वेस्टर्न वर्ल्ड
 गिबन—डिक्लाइन ऐण्ड फॉल
 मांग्ल—ए गाइड टु साची
 के० के० हूण्डवकी—यनास्तिलक ऐण्ड इण्डियन कल्चर
 के० के० ठाकुर—मालविकाग्निमित्र (गुज० अनु०)

अनुक्रमणी

	अ	४५१, ४५३, ४६६, ४९४ (टि०), ५११
अकित्त—	२८९	
अग (चम्पा)—	१०९	अद्यस्वीना—२८६
अगुत्तरनिकाय—	१०६, १०७ (टि०) ११२, १२०, ५६३	अधरपरिग्राह—५४८
अजनागिरि—	७७	अधिजन—७४
अकेसाइन्स—	९६	अध्वग—३७७
अक्षरतन्त्र—	४	अध्वर्यु—५३८, ५३९, ५४४, ५४५, ५४८
अगार—	१८२, १८३	अध्वर्युकुतु—५२०
अग्निचित्—	५३३	अध्वर्युवेद—५१९, ५२०, ५३८
अग्निचित्या—	५२७	अनाथसभा—१८१
अग्निपुराण—	८८	अनुगवीन—२८८
अग्निमाठर—	४४१	अनुपवीन—३२२
अग्निमित्र—	५९, ६०, ६२, ६५, १२७	अनुयाज—५१६, ५४९
अग्निवेश—	५३, ५४, ४४८	अनुशातिका—३९८
अग्निवेश-सहिता—	५४	अनुशाकटायन—७
अग्निवेशम्पायन—	५६४	अनृच—१६४, ४१८
अग्निष्टुत्—	५२५	अन्तपाल—६०
अग्निष्टोम—	५२०, ५२२, ५४२, ५४७	अन्तरीय—१९९
अग्निष्टोमिक—	५१३	अन्तगिरि—७८
अग्न्याहित—	५४२	अन्तर्धन—१०४
अग्रायण—	६	अन्तर्वत्नी—१७४
अग्नेवन—	८०	अन्तियोक्स—६१
अच्छिद्र—	५६४	अन्तियोको—६१
अजक्रद—	१०३	अन्तेवासी—१६१, १६२
अजपथ—	२९८, ३३७	अन्दखुई—३८७
अजमीड—	१०३, ११८	अन्वकवर्त्ता—७७, ३८७
अजरिता—	२०१	अन्ध्रक—६५
अजातशत्रु—	१२६	अन्नाद—२०७
अजितकेशकम्बल—	५६२	अपच—५७३
अटरथ—	२३८	अपण्य—५५१
अतिरात्र—	५२५	अपमित्य—३३१
अतिव्ययन—	२४३	अपरान्तक—११३
अयवंचतुरध्यायी—	४	अपरार्क—५७४ (टि०)
अयवंचेद (सहिता)—	४, ३४, १२४, १८३, २४५ (टि०), २५२, २६५, २६९, २७०, २९६ (टि०), ३३०, ४३८, ४५०,	अपस्करण—२९१
		अपामार्ग—५२२
		अपोलोडोट्स—६२

बाल—१९४, १९५
 बालनिक—१९४
 बालनिकवक—१९४
 बालर—१९४, १९५
 बागरा गाइड (गलेटियर)—८८ (टि०)
 बागवीन—१८७, २८८, ३७०
 बागस्त्य—१३
 बाग्निवेद्य—१३, ४६३
 बाग्निवेद्यायन—१३
 बाग्नीध्र—४९२, ५२७, ५४०, ५४८
 बाघायण—६
 बाघार्यकरण—१६१
 बाघार्यमोगीन—४२२
 बाघित—३३३, ३४७
 बाघिततीना—१९२, ३४५
 बाघीवक—५६३, ५६४
 बाढकीना—१९२, ३४५
 बाढ्यकरण—३५२
 बातिकी—१६९
 बाघेय—५, १३
 बाघेय पुनर्वसु—५३
 बाघेयसंहिता—५३, ५४
 बाघवर्ण—४५६
 बाघवर्णिक—४५१
 बाघिकुपस्थान जातक—५६
 बाघित्वारम्भण—५२६
 बाघित्योपस्थान जातक—४६७
 बाघमिक—५७५, ५७६
 बाँन दि डेट ऑफ् पतजलि—६५ (टि०)
 बाँन युवान चाग—८९ (टि०), ९३ (टि०),
 ११९ (टि०), १२६ (टि०)
 बानाद्य—५२९
 बाग्म्यत्तरेय—१३
 बापण—१८९
 बापमित्यक—३६६
 बापरारविक—३९२
 बापस्तम्ब—५६९, ५७०, ५७४, ५८६
 बापस्तम्ब (गृह्य) सूत्र—५६, १५८, ४५२,
 ५२१ (टि०), ५२२, ५२३ (टि०),
 ५२४ (टि०), ५३६ (टि०), ५६९,
 ५७२ (टि०)
 बापस्तम्बीय धर्मसूत्र—५६६, ५७१ (टि०),
 ५८४, ५९० (टि०), ५९१ (टि०)

बापिगल—३१
 बापिशलि—५, ९, १०, ११, १२, १३, १६,
 २०, ४५०, ४६१
 बापीनरुव—२२३
 बाप्रपदीन—१९९
 बाभलकी—१८४
 बाभिक्षा—२११, २१६, २३०, ५३१, ५४१,
 ५९४
 बाभ्नाय—४५४
 बाभ्रवन—८०
 बाय भूलिक—५५३
 बायुर्वेदसंहिता—५४
 बारट्ट—७२
 बारण्यक विहार—५६९
 बारम्भक—५००
 बार० सी० मजूमदार—६५
 बारुण—४५७
 बारुणिन्—४४२
 बारिहृणक—१०८
 बारि० सर्वे रिपोर्ट—५५ (टि०), ९७
 (टि०), ९९ (टि०), १०१ (टि०),
 १०२ (टि०), ११७ (टि०), ११८
 (टि०), १२२ (टि०), १२८ (टि०)
 बारि (र्या) मिन्—४५२
 बारिचिजीन—५६, ६६, ४१५, ५१४, ५३८
 बारिथ—४३३
 बारिर्व—५२६
 बारिर्व—१४३, १५५
 बारिर्वक्रीत—१५५
 बारिर्वनिवास—१५६, १८५
 बारिर्वस्वामी—१५५ (टि०)
 बारिर्ववर्त्त—५५, ७१, ७२, ७३, ७८, ८०,
 ८२, ९२, ९३, १००, १०९, १११, १५३
 १५६, ४१६, ५९४
 बारिर्वम्य—२९०
 बारिर्वटिक—४४५
 बारिर्वरमक—४९१
 बारिर्वरमिक—३६६
 बारिर्वसथ—५२७, ५४२
 बारिर्वसथिक—१३४, १६५, १८३, ५२७
 बारिर्वसथ्य—१६५, १८३, ५४२
 बारिर्वनव्याधानसूत्र—५२९ (टि०)
 बारिर्विक—२९८

उदक—१९४
 उदकवीवध—१८७
 उदकहार—१८५
 उदकोदचन—१९४, २५७
 उदगाह—१८७
 उदयन—१२६
 उदवीवध—१८७
 उदविवत्—२१८, २२४, २८७, ३२८, ३३३
 उदविवदुदक—२१८
 उदहार—१४०, १८५
 उदीच्य—७२, ७४, ९७, ११५, ११६, ११७,
 १४३, २४८, ४४५
 उदुम्बरावती—८५, ८६, १०२
 उद्गाता—५३९, ५४०
 उद्ग्राम—५४८
 उद्घन—३१३
 उद्योत-टीका—४२४
 उन्मत्तगग—१११
 उन्मान—३४०, ३४३
 उपचाय्य—५२९
 उपदशन—२२०
 उपधान-मन्त्र—५२८
 उपनयन कर्म—३६८
 उपभूत—५३६, ५४४, ५५०
 उपमन्यु—९
 उपयोग—५७९
 उपला—५३५
 उपवर्ष—२२
 उपसस्थान—१९८, १९९, ३२९
 उपसर—२८६
 उपसर्षा—२८६
 उपसिक्त—२२८
 उमा—२६७, २६९, ३२९
 उमाकट—२६७, २६८
 उमापुष्प—२२५
 उमास्वाति—६६
 उम्मादन्ती जातक—९७
 उरभ्र—२९८
 उर्दि—११, ११६
 उर्नई—८५
 उलुप—४५६
 उवामगदशाखी—५६४
 उव्वट—५३

उशीनर—१००, २०१, २११, २२३, ३८७
 उष्ट्रिका—१९५
 उष्णक—३७१
 उष्णिका—२१२

ऋ

ऋक्—४२६, ४३९
 ऋक्तन्त्र—४, ७, ८ (टि०), १३, ४६३
 ऋक्प्रातिशाख्य—५, १२, १३, २०, ५३,
 ४४१, ४६३, ४६५
 ऋक्संहिता—९
 ऋक्सर्वानुक्रमणी—४४०
 ऋक्षोद—७७
 ऋग्-भाष्य—४५०
 ऋग्वेद—४, ५, १५, २५, ८१, ८२, ८३, ८४,
 ८५, ९७, ९९, १६९, १८१, १९३, २१३,
 २१४, २४५ (टि०), २५१, २५२, २५५,
 २६२, २६४, २६५, २७२, २७३, २९०,
 ३०२, ३४९, ३५०, ३५२, ३७५, ३९७
 (टि०), ४०४, ४३८, ४३९, ४४०, ४४३,
 ४५४, ४६२ (टि०), ४६८, ४९२, ४९४,
 (टि०), ५०५, ५१०, ५२३, ५३०, ५३१,
 ५३४ (टि०), ५३७, ५३८, ५३९, ५४०,
 ५४१, ५४५, ५४९, ५८७

ऋतुसहार—४६९
 ऋत्विज् (क्)—५३८, ५४०
 ऋदय—३०१
 ऋपाक—४५६
 ऋपि—४५५
 ऋपिक—१०७, ४५६

ए

एकपरि—२४६
 एकश्रुति—५४५, ५४६
 एकामिन—५४१
 एकानामिक प्रोडक्ट्स ऑफ् इण्डिया—२६५
 (टि०)
 एकानामिक लाइफ ऐण्ड प्रोप्रि इन एन्ग्लियेण्ट
 इण्डिया—२६४
 एकाह—५२४, ५२५
 ए गाइड टू सर्वाची—३९९ (टि०)
 एच्० ए० गाह—५९
 एच्० जी० रॉल्लिन्सन—३३८ (टि०)

- कपाटघ्न—१८४, ३९३
 कपिजल—१०२
 कपिशोषी—४९२
 कपिष्ठल—११८, ४४७, ४४९
 कम्पनीयभोजी—९०
 कमेत—८७
 करक—१९२
 कर्टयस—९६
 कर्णिकार—५६४
 कर्ण—५६३
 कर्मन्द—४५७
 कर्मन्दक—१६६
 कलन्द—५६४
 कलापी—४४६, ४४७
 कलनिषेक्स—३३६
 कलेक्ट्रेट वक्स ऑफ़ डॉ० भण्डारकर—६१
 (टि०), ६२ (टि०), ६८ (टि०)
 कल्कवनीय—२२५
 कविकल्पद्रुम—७
 काकत—४५७
 काकगृह—२६६
 काकतालीयन्याय—२८०, ३०५
 काकिर्णिक—३५९
 काकोलूकीय—१६२
 काकोलूकीयतन्त्र—३०५
 काठक—१६३, ४३५, ४४५, ४४६, ४४७,
 ४४९, ४५३, ४५४, ५२९
 काठकसहिता—१०८, २५२, २६६, ४०२
 काणे—५७० (टि०)
 काणेर—१७५
 काण्डमायन—१३
 काण्व—१३, ४५७, ४६३
 काण्वायन—६१
 कातन्त्र—६६, ६७
 कात्यक्य—६
 कात्यायन—३, ५, १३, १६, २२, २३, २४,
 २५, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ५०,
 ५४, ५५, ६६, ७२, ८५, ८९, ९३, १५२,
 १६९, १७७, १८९, २२६, ४२२, ४४०,
 ४६३, ५०४, ५४३
 कात्यायन-प्रातिग्राह्य—२६
 कात्यायन-भारद्वाजीय—२६
 कात्यायन-भाष्य—५२३
 कात्यायन-श्रौतसूत्र—२६, ५१९ (टि०),
 ५२०, ५२१ (टि०), ५२२ (टि०),
 ५२३ (टि०), ५२४ (टि०), ५२७
 (टि०), ५३६ (टि०)
 कानीन—१७३
 कापिशायन—२४५
 कापिसी—९१, ११६
 कामसूत्र—५२, ४९३, ४९५ (टि०), ५०३
 (टि०)
 कारि—३२४
 कार्त्ति—४५०
 कार्तिकेय—६७
 कात्स्न्य—६
 कार्णखरकि—१५२
 कामण—३८३
 कार्पापणिकी—३५६
 कार्ष्यवन—८०
 कालाप—६६, ६७, १७७, ४२८, ४४५,
 ४४६
 कालापक—१६३, ४३३, ४४६, ४५३, ४५४,
 ४५७
 कालायसूचिक—१३९, १४०
 कालिकापुराण—८४
 कालिदास—५८, ५९, ६०, ७१, ७८, ११२,
 ४००, ४४७
 कालीसिन्धु नदी—६३
 काव्यमीमासा—१०, २२, ९८
 काव्यकृत्स्न—९, १०, ११, १३, ३१, ४३६,
 ४६०, ४६३
 काव्यकृत्स्नी मीमासा—११
 काशिका—३, ७ (टि०), ९, १०, १२
 (टि०), १३, १५ (टि०), १८, (टि०),
 १९, २२, २४, ५३ (टि०), ७४ (टि०),
 ७७ (टि०), ८५, १०३, १०४, १०६,
 ११९ (टि०), १३७ (टि०), १४० (टि०),
 १४१ (टि०), १४२ (टि०), १४५ (टि०),
 १५० (टि०)—१५३ (टि०), १६२
 (टि०), १६३ (टि०), १६४ (टि०), १६६
 (टि०), १६९ (टि०), १७८ (टि०), १८०
 (टि०), १८१ (टि०), १८४ (टि०),
 १८६ (टि०)—१८९ (टि०), १९३
 (टि०), १९५ (टि०), १९७ (टि०),
 २०१ (टि०), २०२ (टि०), २०४

कुल्वाहा—१०२
 कुल्वाहीक—५५
 कुर्रम—८३
 कुल—१३३, १७६
 कुलदेवता—१५८
 कुलमृत्य—१४०
 कुलमित्र—१३९
 कुलसिधि—१३९
 कुलिज—३४५
 कुलीन—१३३, १७६
 कुल्मापपिण्ड जातक—२१५
 कुशीनारा—३९९
 कुगुल—१९५
 कुमीढक—३६४, ३६५
 कुसीदायी—३६४, ३६५
 कुहु—८३
 कूपसनकन्याय—२५७
 कूपविल—१९६
 कूर्मपुराण—१२४
 कृत—४६१
 कृशास्व—४५७
 कृशादिवन्—४९८
 कृष्णगग—१११
 कृष्णयजुर्वेद—४४७, ४४८, ४४९
 कृष्णयजुष—२५, ५३, ५४, ४५२
 कृष्णल—३४३, ३५४
 के० के० हैण्डबिब—५६३ (टि०)
 केगी—११५
 केदार—२५३
 केशक—२०४
 केगचनु—२०५
 केगचरण—२०५
 केशचूड—२०५
 केगनखक—२०५
 केगव—७
 कैम्पिज हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया—९१ (टि०),
 ९२ (टि०), १०६, ११७, ११८, ३९९
 (टि०)
 कैपट—१२, १९, २७ (टि०), ४९, ५२,
 ५६ (टि०), ५७, ६८, ४६४ (टि०),
 ५६२
 कोटरावन—८०
 कोमेरिया एक्रान—१२९

कोहेनूर—९१
 कौक्कुटिक—१६६
 कौत्स—५, १३, २२, ४४७
 कौथुम—४२८, ४४६, ४४९
 कौण्डिन्य—१३, ४४८, ४४९, ४६३,
 कौटिल्य—११६, ३३७, ३५५, ३५८, ३६०,
 ३६६, ३८५, ३९१, ४४९
 कौण्डोवृत्त—३८६
 कौपीन—५७६
 कौमाख्याकरण—६७
 कौलालक—३११
 कौलेयक—३००
 कौगिक—४५६
 कौगिककल्प—४५७
 कौगिक-सूत्र—४५७
 कौहलीपुत्र—१३
 कौगी (पी) तकी उपनिषद् (ब्राह्मण)—
 १२५, २०२, ४०२
 क्रयण—५३३
 क्रव्याद—२०७
 क्रिमिप—६५
 क्रिवि—९७
 क्रौड—४५७
 क्रौ (क्रौ) गगतिक—१६७, ३३६, ३५०,
 ५७०
 क्रौ (क्रौ) ष्ट्रीय—१३, २५, २६
 क्रौष्टुकि—६
 क्वाइन्स ऑफ् एन० इण्डिया—३८५
 क्षत्रवृत्तियज्ञ—५२२
 क्षय—१८१
 क्षात्रविद्य—१५०
 क्षीरस्वामी—५७०
 क्षुद्रक-मालव—७४, ९५, ३८६
 क्षुद्रहिमवान्—७८
 क्षमेन्द्र—२३, २४
 क्षैरय—२२९
 क्षैरयो—२१२
 क्षौद्रक-मालवक—४००, ४०५
 क्षौम—३१९
 ख
 खट्वाखट—१६४
 खण्ड—४७

चतुर्दशान्यिक—४३१
 चतुष्परि—२४६
 चत्वारिंशद्ब्राह्मण—४५८
 चन्द्र—६७, ८३, ९१
 चन्द्रगुप्त—५७, ६१, ६५
 चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य—१२६
 चन्द्रगोमी—१८, ६७, ६८
 चमस—२२५
 चमसोद्भेद—८५
 चरक—५४, २६६, ३४६, ३४८, ४३५, ४४५
 चरक-शाखा—५४
 चरकसंहिता—१२, ५२, ५३, ५४, २१५,
 २७०, ३४४, ३५४
 च (चा) रकीण—४३५, ४४५
 चरण—१६२
 चरव्य—५३१
 चरसङ्घ—८५, ९०
 चरु—५३१, ५३२
 चर्मशिरा—६
 चर्यापिटक—१२४ (टि०)
 चलोर—८५
 चपाल—५३६
 चाक्रवर्मण—९
 चाणक्य—१६०
 चातुराश्रम्य—१६१, १६७
 चातुर्वर्ण्य—१६७
 चातुर्वेद्य—१४४
 चात्वाल—५२८
 चान्द्र (व्याकरण)—६६, ६७
 चान्द्रवृत्ति—२२
 चान्द्रायण—५६९
 चान्द्रायणिक—५६९
 चारायण—१३, ४४७
 चारायणीय—४, १३, ४३६, ४४७
 चार्त्तम इलियट—९०
 चार्त्तिक—५६४
 चार्त्वी—५६४
 चित्त्य—५२९
 चिदम्बर-श्रेय (तीर्थ)—४९, ५०
 चिदम्बरम्—५१
 चिरण्टी—१६८, १७१
 चिन्मल्लि—१०४
 चूर्णिवार—५३

चूर्णिग्रन्थ—६८
 चूर्णी—२१६
 चलकनीप—१९७

छ

छगली (लि)—४४७, ४५६, ४५७
 छदि—१८२
 छन्दस्य—५४४, ५४५
 छन्दोग—४५४, ४९८
 छन्दोविचिति—४६५
 छागल—४४७
 छान्दोग्य—१६३
 छान्दोग्य आम्नाय—४५८, ४९८
 छान्दोग्य उपनिषद्—९९ (टि०), १०५,
 १६९, २६६, ४५८, ५८६

ज

जनपद—७३
 जनपद-समुदाय—७४
 जनी—१७०
 जन्या—१७०
 जम्बूद्वीपवर्णना—७८
 जम्बूद्वीप—१०४
 जयादित्य—१८, ६८
 जंयापीड—६८
 जरकुमारी—१७३
 जर्नल ऑफ् दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी
 ऑफ् बंगाल—५२ (टि०), ६५ (टि०),
 ८९ (टि०), ९६ (टि०), २६८ (टि०)
 जर्नल ऑफ् बंगाल ओरियण्टल रिसर्च सोसा-
 इटी—६२ (टि०), ६३ (टि०), ६४
 (टि०), ६५ (टि०), ७९ (टि०)
 जर्नल ऑफ् यू० पी० हिस्टो० सो०—८६
 (टि०)
 जर्नल एशियाटिक—१०२
 जातक—५६, ७७, ८९, १०४, (टि०), १०७
 (टि०), १०९ (टि०), १२४
 जातूकर्ण्य—१३, ४६३
 जानकीहरण—५६३, ५६४
 जाम्बवतीविजय—२३, २४
 जायसवाल (डॉ०)—६२, ११४, ३८४,
 ३८५, ३८९, ३९७, ४०४, ४१०
 (टि०)

- २६६, २६७, २८७, ३३२, ३८८,
४४९, ४५३, (टि०), ४६३, ४६८,
४७०, ४९२, ५११, ५२७ (टि०),
५२८ (टि०), ५८३
- तीम्बुरव—४४७, ४५७
तौरायणिक—५२१
तीत्वलि—२९८
त्रयोदशान्तिक—४३१
त्रिकाण्डशेषकोप—२२
त्रिगर्त—१०१
त्रिगर्तपण्ड—३८७
त्रिदण्ड—१६६
त्रिपदिका—१९१
त्रिपरि—२४६
त्रिभुनिव्याकरण—३
त्रिविष्टवक—१६६, ५७१, ५७२
त्रिरावतीक—८४, १०४
त्रैगब्राह्मण—४५८
त्रैयन्तिक—४३१
त्रैविय—१६७
त्रैत्वय—४२६, ५४२, ५४३
शामसन—२६८
शियोफ्रेस्टस—२६८
- द
- दष्टा—६५
दक्षिणा—५४६
दक्षिणापथ—७२, ८८
दण्डमाथ—३३६
दन्तावल—४००
दन्तोष्ठरु—२०५
दम्प—२९०
दरद—७८, ९२
दरदी—९२
दरात—३१४
ददंड—९२
ददंनोड—९२
ददिन्तान—३८७
ददं—९२
दर्ग-पीर्णमाम—५१७, ५३१
दगपेय—५२२
दाक्षात्य—१४३
दाधायण—११, २३, ४६४
- दाक्षिणात्य—७३, ७४
दाक्षी—२२, ४६४
दाक्षीपुत्र—१२, २२, ४६४
दात्र—१९४, २५९
दाधिक—२१७, २१८, २२८, २२९
दाण्डा—२४४
दाण्डाजिनिक—४३७, ५७४
दारद—९२, ३८७
दारदवृन्दारिका—९२, ३८८
दारदिका—९२, ३८८
दारदी—८६
दारुणाध्यापक—४२४
दार्धसत्र—५१९
दार्द—९८
दार्दुरिक—३१०, ४९४
दावाघाट—३०६
दाल्भ्य—१३
दासभार—१५६
दासभार्य—१५६
दासीभार—१५५, १५६
दासेर—१७४, ३६९
दि आर्ट ऑफ वार इन इण्डिया—३९७
(टि०)
दि इण्डियन हिस्टा० क्वा०—३२ (टि०)
दि एकाउस्टिक नॉलेज ऑफ एन्जियेट
हिन्दज—४९३ (टि०)
दि कात्यायन ऐण्ड पतजलि—२८ (टि०),
३२ (टि०)
दिग्घनिकाय—१०९, ११० (टि०), १२३
(टि०), १२४ (टि०)
दिग्घनिकाय (हिन्दी)—५६२ (टि०)
दि डिस्टेन्स विटवीन दि स्ट्रेजेज ऑन दि रॉयल
रोड—३३६ (टि०)
दिविपू—१७२
दिविपूपति—१७२
दि पेरिप्लस ऑफ दि एरिथ्रियन सी—११३
दि फिऑसफी ऑफ सस्कृत ग्रैमर—१४ (टि०)
दिमित—६३, ६४
दि रिपोर्ट ऑफ संस्कृत मैतन्त्रिक्ट्स—२४
(टि०)
दिवोदान—४४०
दिव्यावदान—६० (टि०), ६५, १०९
दिट्टि—३४८

नियुक्त—३७७
 निरवसित—७१, ७२, ९२, ९३, १११, १५३,
 ५१५, ५८६
 निरुक्त—५, ६, ७ (टि०), ८, १३, १४, ५३,
 ८९ (टि०), ४४७, ४५५, ४५९, ४६२,
 ४६७ (टि०)
 निरुद्ध—५३३
 निर्गदेश—१०४
 निलीनक—२१८
 निवर्तक—४५
 निवास—७४, १८०
 निपद्या—१८२
 निष्टक्याग्नि—५३०, ५४७
 निष्पत्राकरण—२४३
 निष्पाव—२६०
 निष्प्रवाणि—३१८
 नीप—१०३
 नीमसार (नैमिप)—८०
 नेष्टा—५३९
 नैगम—४६२
 नैगी—१३
 नैचक्य—१०३
 नैदान—६
 नैप्य—१०३
 नैमिपारण्य—८०
 नैककत—६, ७, ४६२
 नैलीनक—१०७
 नैसा—९१
 नैश्य—९१
 न्यास—१०
 न्यासवृत्ति—७ (टि०)
 न्युज—५४२

प

पंचकपाल—३४७, ५३२
 पंचनद—८४, ८५
 पंचपादी उणादिसूत्र—७, २३
 पंचमहायज्ञ—१६४, १७१, ५६७
 पंचलोहित—३४७
 पंचविश ब्राह्मण—१०८, २१५, ३५०, ४५८
 पंचहोता—५५०
 पंचावत—५५३
 पंचावती—५१८

पंचावतीय—५२२
 पंचाशद्ब्राह्मण—३८८
 पंचौदन सव—५१९
 पञ्जाव गजेटियर (अम्बाला जिला)—८५
 (टि०)
 पकुषकच्चायन—५६२
 पक्वेष्टकचित—५२८
 पणि—२१, २२
 पण्य—३२७, ५५१
 पण्यकम्बल—२००
 पतजलि—३, ५, १३, १४, १९, २४, २७,
 २९, ३१, ३२, ३३, ३४, ४५, ४८, ४९,
 ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७,
 ५८, ६१, ६५, ६६, ६७, ७१, ७२, ७३,
 ७५, ७६, ७८, ७९, ८९, ९०, ९२, ९३,
 ९४, ९५, ९७, ९८, १०५, १०९, ११३,
 ११५, ११६, ११८, ११९, १२४, १२८,
 १५५, १६१, १६८, १६९, १७१, १७७,
 १८८, १८९, २००, २०३, २०५, २२६,
 २५१, २६२, २६७, २७३, २८६, २९५,
 ३०३, ३४१, ३५५, ३५७, ३७५, ३७६,
 ३७७, ३८१, ३८२, ३८३, ३९९, ४०४,
 ४०७, ४१४, ४१६, ४२२, ४२३, ४२४,
 ४२६, ४२८, ४३१, ४३५, ४४०, ४४१,
 ४४३, ४४६, ४४८, ४५०, ४५१, ४५३,
 ४५६, ४६०, ४६१, ४६२, ४६४, ४६५,
 ४६६, ४६७, ४८३, ४८४, ४९६, ४९८,
 ५०२, ५०४, ५१०, ५१२, ५१४, ५३७,
 ५३८, ५४३, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४,
 ५५७, ५५८, ५५९, ५६१, ५६६, ५६८,
 ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७६, ५७७,
 ५७९, ५८८, ५८९, ५९४, ५९५
 पतञ्जलिचरित—२१, २२ (टि०), २३, २९,
 ३०, ४९, ५१, ५४
 पतिवरा—१६८
 पतितदेश—७२
 पतिट्टान (प्रतिष्ठान)—५५
 पतिवर्त्नी—१७३
 पत्नी-नयाज—१६५, १७१, ५१५
 पदमंजरी—९, १०, ११ (टि०), १३, २०
 पद्मपुराण—८५, ९४, १२७
 पमोसा—१२१
 परमगोपुच्छ—४९३

पार्थिव—७८
 पार्थिवनि—९२
 पार्वतीपरिणय—२३
 पार्थद (पारिपद)—ग्रन्थ—४, ५
 पार्श्वनाथ—१२१
 पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन० इण्डिया—
 ८९ (टि०), ९३ (टि०), ९६ (टि०)
 ९८ (टि०), ११२ (टि०), १२०
 (टि०), ४०० (टि०)
 पालिनिकाय—५६३, ५७३
 पालीग्रामर—१२० (टि०)
 पिंगल—२२
 पिचव्य—१९७
 पितृदेवत्व—५८०
 पितृभोगीण—१३७
 पिशल (डॉ०)—२९८
 पिष्टक—२१३
 पिष्टपिण्डी—२१३
 पी० एस्० देगमुख (डॉ०)—५३९
 पी० के० गोदे—२१६
 पीटर्सन (डॉ०)—२४, २५
 पीयूक्षावन—८०
 पी० सी० चक्रवर्ती—१४ (टि०), ३९७
 पी० सी० बागची—६५
 पुंसानुज—१७६
 पुत्रपुत्रादिनी—१७४
 पुत्रपौत्रीण—१६५
 पुष्यराज—११
 पुरगावन—८०
 पुष्य—३५१
 पुरुषोत्तम—४४८
 पुरुषोत्तमदेव—१८, २२
 पुरोडास—५१३, ५२१, ५२६, ५३२, ५३५
 पुरोडाशिक—५१३
 पुरोनुवाक्या—५४४
 पुलिन्द—६५
 पुष्कला (रा) वती—८५, ८६, ९०, ३३७
 पुष्यमित्र—५५, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१,
 ६२, ६३, ६४, ६५, १२४, १२७,
 ३८२, ४००, ५१२, ५३७, ५४०
 पूगतिय—३९०
 पूनयव—२६४
 पूर्णकस्तप—५६२

पूर्वपरिग्रह—५४८
 पृथूदक—११०
 पृषातक—५१७
 पेण्टापोटेमिया इण्डिका—११७ (टि०)
 पेरिप्लस—९३, ११३, ११४, २७०
 पैंगी—४४२, ५१३
 पैग्य—४४२, ४५७
 पैप्पलाद—४५०, ४५१, ४५७
 पैप्पलादक—१६३, ४३५, ४४६, ४५३,
 ४५४
 पैप्पलाद-सहिता—२४५ (टि०), ४२८,
 ४५१
 पैल—४३८, ४३९
 पैलेय—४३९
 पोता—५३८
 पौत्तिक—२६७
 पीरोडाशिक—५१३
 पीप्करसादि—५, १३, २६, ४६३
 पौष्पिजि—४४९
 प्रग्र (ग्रा) ह—३४२
 प्रणवादेज—५४४
 प्रणीता-पात्र—५५०
 प्रतिज्ञासूत्र—४
 प्रतिशीन—४७७
 प्रतीच्य—७२, ७३
 प्रदीप—१०, ११ (टि०), १३ (टि०),
 ५६३ (टि०)
 प्रदीपोद्योत—११, १९ (टि०), ४६४
 प्रपञ्चसूदनी—१०४ (टि०)
 प्रपञ्चहृदय—४३९ (टि०), ४४८ (टि०)
 प्रया—१८७, १८९
 प्रयाज—५१६, ५४९
 प्रर्षभवन—८१
 प्रवरदर्पण—५९
 प्रवरमंजरी—४४८
 प्रवरोच्चारण—५४५
 प्रवारक—२९१
 प्रवेता—२३४
 प्रगस्तपाद—६६
 प्रगस्ता—५३९
 प्रगिता—५५०
 प्रस्तार—५४९
 प्रस्तोता—५४५

वैविद्या—४००
 वैविकि—४६८
 वैविकि साखा—५९
 वोर्यलिक—६, २५ (टि०), ६५
 वोविसत्त्वावदानकल्पलता—१०४ (टि०)
 वोवायन—४९२, ५६७, ५७०, ५७१, ५७४
 वोवायन श्रौत-गृह्य (धर्म) सूत्र—५६, ७१
 (टि०), ७२, ७९, १२५, १५८, १६०
 (टि०), १६७, ५६६, ५६७ (टि०),
 ५६९, ५७१ (टि०), ५७३ (टि०)
 वोद्वधेनमीमासा—५६४ (टि०)
 वोद्वधमंदर्शन—५६२ (टि०), ५६३
 (टि०), ५७३ (टि०)
 ब्रह्म—५५७
 ब्रह्मचारी—१६१, १६२
 ब्रह्मपुत्र—१४९
 ब्रह्मपुराण—१२० (टि०)
 ब्रह्मवृक्ष—२७७
 ब्रह्मा—८, १३, ५३९
 ब्रह्माण्डपुराण—६१, ११४ (टि०), १२८
 ४४०, ४४५ (टि०)
 ब्रह्मावर्त—८५
 ब्राह्मणाच्छसी—५३९, ५४०
 ब्राह्मणावाद—९५
 ब्राह्मी-शिलालेख—१२१
 ब्रह्मोव—५२४

भ

भजनागिरि—७७
 भक्तकर—२०९
 भगवतशरण उपाध्याय—६३ (टि०)
 भगवतीसूत्र—११८, ५६४
 भगवद्दत्त—४४१ (टि०), ४४७, ४५२
 भट्टि—३०
 भट्टाजि (वीक्षित)—९, १०, ४९
 भण्डारकर (डॉ०)—२४, ५४, ६१, ६२,
 ६८, ९२, ३३२, ४०० (टि०)
 भद्रा—५६४
 भद्राकरण—१६१
 भरणीय—३६८
 भरत—३८७
 भरद्वाज—८
 भरहुत—६०, ११९, १२२, १२८, ३९९

भरहुत इन्सि०—१२३ (टि०), १२८ (टि०)
 भर्तृहरि—३०, ३५, ५२, ५३, ६७, ६८,
 ४६४ (टि०)
 भर्तृहरि-टीका—१२
 भस्त्रका—१९५
 भस्त्रा—१९५, २४१, ३१४
 भस्त्रिका—१९५
 भागीन—१९७, २५४
 भांग्य—१९७, २५४
 भाक्तिक—२०८
 भागवत—६५
 भागवतपुराण—८७, ९४, ११८, १२१
 भागवित्ति—९४, ४४९
 भागुरि—१३
 भारद्वाज—९, १३, २२, २५, ५९, १०६,
 ११३, ४६३
 भार्म्यश्व—४४०
 भाल्लव—४५७
 भाल्लवी—४४९
 भापा—१६
 भापिकसूत्र—४
 भास्त्रिक—२४१
 भा० हिस्ट्री ऑफ् एन० इण्डिया—९१
 (टि०)
 भिक्षुसूत्र—४५७
 भूमिमित्र—६३
 भूम्यश्व—४४०
 भैकुराट—४६०
 भैरवमिश्र—५४
 भोजराज—५२
 भ्राजश्लोक—२९, ४६८, ४६९, ५६०, ५८५
 भ्राष्टकि—४४७
 भ्रौणघ्न—५७७
 भ्रौणहृत्य—५७७

भ

भगा—३२९
 भजूश्रीमूलकल्प—६५, ४६९
 भक्खलि—५६३
 भक्खलिगीसाल—५६१
 भज्जमनिकाय—८३ (टि०), ९१, १२३
 (टि०)
 भणिभेल्लई—५६३

मालावत—७८, १०४
 मालावत-प्रदेश—७४
 माल्यवत—७८
 माल्लवी—५१३
 मायपचेलिम—३१७
 मानदेवता—१५८
 माहाजनिक—३८३
 माहिष्मती—१२७
 माहेन्वरसूत्र—४६
 मितयम—२९५
 मिताक्षरा—५७०
 मिनाण्डर—६०, ६१, ६३, ६४, १२३
 मिलिटरी सिस्टम इन एन० इण्डिया—३९७
 (टि०)
 मिलिन्द—१००
 मिलिन्दपञ्चो (मिलिन्दप्रश्न)—६२, ८५,
 ११८
 मिश्रकावचन—८०
 मीमांसक—१३, ४६३, ४६६
 मीमांसा-दर्शन—५२० (टि०)
 मुण्ड—४७
 मुण्डकोपनिषद्—४२९
 मुद्गल—४४०
 मुद्राध्यक्ष—३५८
 मुनित्रय—३, ४९
 मुनिवृत्ति—१६७
 मुर्मुर्—२६३
 मूजवन्त—५३३
 मूलजन—४०४
 मूलविभूज—२३४
 मूलस्थान—९४
 मृगरमण—२४२, २४३
 मृतप—१५३, १८६, ५८६
 मंगास्वमीज—१२०, ३३७
 मेजर वास्ट—१२२
 मेवातिथि—१८, ४४२
 मेसिडोनियन—६१, ४००
 मेहरोली (स्तम्भ-लेख)—८३, ९१
 मेकडानल—५३९
 मेक्समुलर—६, २४, ३०, ५४, ६५, ६८
 (टि०), ८५ (टि०), ९७ (टि०)
 मेक्रिण्डल—७९, ८३ (टि०), ९०, ९६, १२१
 (टि०), १२६ (टि०), ४०० (टि०)

मैत्रायणीय संहिता (प्रातिशाख्य)—४, १३,
 २६४, २६६, २९०, ३८८, ४४७,
 ४४९, ४६३
 मैत्रावरुण—५३३, ५४०,
 मैत्रिक—२४३, ३२४
 मोक्षमहापरिषद्—११६
 मोतीचन्द्र (डॉ०)—५५
 मोनियर विलियम्स—८०
 मोनियर विलियम्स डिक्शनरी—५५३
 मीख—३६२, ४३३
 मीद—४२८, ४५०, ४५१, ४५७
 मीदक—१६३, ४३३, ४४६, ४५३, ४५४
 मीलिस्य—३७७
 मीष्टा—२४४

य

यञी—२६४
 यजमान—५४०, ५४४, ५४५, ५५०
 यजुर्वेद (यजु संहिता)—१५, ४३८, ४४३,
 ४४५, ५१३, ५३८, ५४२
 यजुष्मती—५२८
 यज्ञफल—५४७
 यज्ञफलनाटक—११, १२
 यज्ञसेन—६०
 यज्वनी—५४१
 यज्वरी—५४१
 यमसभिय—४६९
 यमसू—५८६
 यशस्तिलक—५६३
 यशस्तिलक ऐण्ड इण्डियन कल्चर—५६३
 (टि०)
 याजक—५८
 याज्ञवल्क्य—२४, ४४३, ४४८, ५१३, ५७०
 याज्ञवल्क्यब्राह्मण—४५८
 याज्ञवल्क्यस्मृति—४४७
 याज्ञिक—६, ४९८
 याज्या—५४४, ५४५
 याज्याकाण्ड—५४४
 यायजूक—५४१
 यायावर—५४
 याप्तीक—२०२
 यास्क—६, १३, १७, २५, ३४, ८९, ४६२,
 ४६३, ४६७

- (टि०), ५२५ (टि०), ५३६ (टि०),
५४५ (टि०), ५४९ (टि०)
- लाट्यायनसूत्रभाष्य—२१३ (टि०)
- लालाटिक—३७१
- लाहुर—२२
- लिआल—२६१
- लिस्ट ऑफ़ सदर्न इन्डिकम्पान्स—१८
- लीपजिय—२५
- लुण्ठाक—३९३
- लूडर—९०
- लूडर्स—५, १२१
- लूडर्स इन्डिकम्पान्स—९० (टि०)
- लूडर्सलिस्ट—९४ (टि०), १२८ (टि०)
- लैक्चर्स ऑन पतजलि—२२ (टि०)
- लेमी—१२६ (टि०)
- लैसेन (प्री०)—५४, ६०, ६८, ९४, ११७
(टि०), २६८, २६९
- लोक—१४३
- लोकयित—५६१, ५६४, ५६५
- लौहितग—१११
- लौहितगिरि—७७
- लौहितपादिका—१६८
- लौगाक्षी—१५९
- लौगाक्षि-स्मृति—४४६
- व
- वशकठिन—३२६
- वश्य—१४०
- वजिन—५३१
- वज्र मित्र—६५
- वतण्ड—३८६
- व्यूटी—१६८, १७१
- वनसह्य—५५
- वरतनु—१७२
- वरतनु—४४७
- वरत्रा—३२१, ३३०
- वरदा (वर्षा)—६०
- वरसचि—२२, २९, ३०, ४४३, ४६०
- वराहगुह्यसूत्र—१५९ (टि०)
- वराहमिहिर—१२१
- वरुणप्रधास—५१७, ५२१, ५२६,
- वर्षा—१६३
- वर्ष्यरव—४४०
- वर्णल—८, १४, १७
- वर्ष—२२
- वलीक—१८४
- वल्लभदेव—२४
- वसिष्ठ—५८५
- वसुज्येष्ठ—६५
- वसुवन्धु—६६
- वसुमित्र—६२, ६३, ६५
- वस्नक—३८५
- वस्निक—३३४
- वह्य—२३२
- वाकोवाक्य—४३८
- वाक्यप्रदीप—३, ११, १२, (टि०), ५१
(टि०), ६७, ६८
- वाक्यप्रदीप—४६४ (टि०)
- वाग्याम—५९३
- वाचिक—३८२
- वाजपेय—५२२, ५४२
- वाजपेयिक—५१३
- वाजप्यायन—२४, ४७, ४६४
- वाजसनेय (ब्राह्मण)—४, ४५८
- वाजसनेयि (यी) सहिता (प्रतिशाख्य)—१३,
२५, १०५, ११५, १९३ (टि०), २४५,
२६४, ४०२ (टि०), ४३८, ४४५,
४४९, ४६३, ४९३, ५२४ (टि०)
- वाट—२६५ (टि०), २६९
- वाडमीकर—१३
- वाडव—२६
- वातण्ड—१७६
- वातमज—३०१
- वात्सक—४५७
- वात्सप्र—१३
- वात्सीय—४४१
- वात्स्य—४४०
- वात्स्यायन—५२, ६६, ४९५
- वानप्रस्थ—५६६, ५६८, ५६९, ५७०
- वाप—२६४
- वामनपुराण—८८
- वामनीय लिगानुशासन—१९
- वामरथ—३८४
- वायुपुराण—६१, ६५, ९९ (टि०), १०६,
११३ (टि०), १२० (टि०), ४४०
४४८, ५७४

वैखानससूत्र—५७२
 वैजयन्ती—२२
 वैजवाप—१५७
 वैट्स—८९ (टि०), ९३ (टि०), ११९
 (टि०), १२२, १२६ (टि०)
 वैदिक इण्डेक्स—९३ (टि०), ९७ (टि०)
 १०४, १८२, १८३, २५५ (टि०),
 २७२, २९४ (टि०), २९८ (टि०),
 ३७९ (टि०), ३९७ (टि०), ४६७
 (टि०), ४९३
 वैदिक वाङ्मय का इतिहास—४४१ (टि०),
 ४४७ (टि०)
 वैधवेय—१७६
 वैद्युमान्नी नगरी—१०२
 वैयाकरण—६
 वैयाकरणभूषण—३
 वैयाकरणमजूषा—३
 वैयाघ्रपद्य—९, १०, ११
 वीरेण्ड फीडरगन—२१
 विलेपिक—३७८
 वैविक—१४०
 वैशम्पायन—५३, ४३८, ४४५, ४४८, ४५६
 वैशाली—१२५, ५०३
 वैश्वदेव—५१७, ५२१
 वैसखिमल्य—२२४
 वोपदेव—७ (टि०)
 व्यसक—३०५
 व्यतीहार—३६६
 व्याख्यान—५७
 व्याघ्रपद—४६३
 व्रत—५५०
 व्रतश्रयणागार—५५०
 व्याडि—५, १०, ११, १२, १३, १७, २२
 २३, २६, ४३, ४५, ४७, ४६०, ४६३
 ४६४, ४६६
 व्यास—१५८, ३३७, ३३८, ४६८
 व्युत्पिद्धिराज—५२२
 प्राचीन—३७२, ३८८
 म्हौन ओडर—४४९

श

शकरा—५७१
 शकु—१८३

शकुला—१९४, १९५, ३१४
 शख—१५८
 शागरा—५७१
 शयुवाक—५४८
 शकटसार्थ—५६०
 शतवार—३१६
 शतधन्वन्—६४
 शतपथब्राह्मण—३२, ९१, ९९ (टि०),
 १०८, ११५, १२४, १२५, १९४
 (टि०), २०२, २६४, २६९, ३५४,
 ३७८, ३७९, (टि०), ३८८, ३९७
 ४०२, ४४५, ४५१, ४५७, ४५८,
 ४६७, ४६८, ५२१, ५२३ (टि०),
 ५२४ (टि०) ५२७, ५२८, ५२९
 (टि०), ५३० (टि०)
 शक्तिक—१९९, ३३१
 शक्त्य—१९९, ३३१
 शनैर्गंग—१११
 शबरस्वामी—६६, ६७
 शब्दकोस्तुभ—३, ७, (टि०), १०, ५१३
 (टि०)
 शब्दानुशासन—१८
 शम—३४९, ३५०
 शम्भ्या—५३५
 शरणदेव—२३, २४
 शरवन—८०
 शर्षजह—२६५
 शर्ववर्मा—६७
 शालानुर—२२
 शालालु—३२९
 शाखायन (श्रीतसूत्र)—१३, १५ (टि०),
 २६६, ४४२, ४४३, ४६५, ५२२
 शाखायन ब्राह्मण—५२०
 शाकटायन—६, ७, ९, १३, १६, २६,
 ३१, २३३, ३१५, ४६३, ४६४, ५६०
 शाकपूणि—६
 शाकल—५, ९, ६४, १००, ११७, ११८,
 ४४०
 शाकल्य—५, ६, ९, १२, २६, ४४०, ४५२,
 ४६४, ५४७
 शाकल्यपिता—१३
 शाकल्यसहिता—४४०
 शाकल्यायन (नी)—४४०

स

सकपकाण्ड—११
 सखादक—२३१
 सग्राह—२४४, ३९६
 सघतिय—३९०
 सघुष्टक—२९१
 सचाय्य—५१९, ५२०
 सजय वेलट्टिपुत्त—५६२
 सम्युत्तनिकाय—१०७
 सवाह—१८५
 सवोढा—२४०
 सस्कृत-इंगलिश-डिक्शनरी—८० (टि०)
 सस्कृत-ड्रामा—६६
 सस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास—४८५
 (टि०)
 सगोत्र—१४१
 सजनपद—१४२
 सतीर्थ—१४२, १६३, ४१७
 सतेव्य—१०७
 सत्यकार—३२८
 सत्याकरण—३२७
 सत्यापाठसूत्र—४४९
 सत्र—५२५
 सद्धर्मपुण्डरीक—५६३
 सपत्राकरण—२४३
 सपिण्ड—१४०
 सप्तसिन्धु—८३
 सभासन्नयन—३४७, ३८१
 सभास्युण—२४५
 समन्तपासादिका—१२६ (टि०)
 समाश—२३०
 समीन—३७१
 समुद्र—७५
 समुद्रगुप्त-शिलालेख—१२१
 समूह—५२९, ५४७
 समूह्याग्नि—५३०
 सरस्वती—८२, ८३, ८५, १०५
 सरस्वतीकण्ठाभरण—११, १९
 सर्वत्रयी—३२२
 सर्वज्ञान—१६६
 सब—५२४, ५२६
 नवन—५२०, ५२६
 नस्याद—२०७

सहवाल—१७०
 सहस्रतमी—५४६
 साकाश्य—३८७
 साकृत्य—१३
 साख्यायन (श्रौतसूत्र)—८५, १०५
 ११३, १२४
 सांची—३९९
 सावहित्—२४०
 साकमेव—५१७, ५२१
 साकेत—५८, ६०, ६३, ६४
 साड—२०३, ३०८
 सातकर्णी—६०
 सातवाहन—६७, १२८
 सात्यमुग्नि—५, ४३२, ४५०, ४६१
 साम्राज्य—५३२
 साम (वेद)—१५, २५, ४३८, ४४९, ४९२
 साम—२४१, ५४५
 सामतन्त्र—४
 सामवेनिक—५१६
 सामन्—५४२
 साम-प्रातिशाख्य—४
 सामसहिता—५
 सामिघेनी—५३०, ५३१, ५४२, ५४९
 साम्पत्तिक—३९२
 साम्स ऑफ् दि ब्रदरेन—१११ (टि०)
 सायण (भाष्य)—४४९
 सायण (सायणाचार्य)—४, २९, ४४१
 सारस्वती इष्टि—५१३
 सारिकावन—८०
 सार्थ—२४०, ३२६
 सार्थवाह—३२६
 सार्व—३८३
 साल्वकागिरि—७७
 सिकन्दर—२५, ६१, ९१, ९६, ९८, ९९,
 ११७, ११८, ३३७, ४००
 सिघ्रकावन—८०
 सिद्धान्तकौमुदी—३, १८ (टि०)
 सिद्धान्तशिरोमणि—८५
 सिनहा—१२३ (टि०), १२८ (टि०)
 सिन्धु—८२
 सिन्धुक्षित—८२
 सिन्धुवाहीक—११६
 सिवइ (सिवीइ)—९७

ह

- हस—५७२
 हयिगुम्फ-शिलालेख—६३
 हरण—१७२
 हरदत्त—९, १३, ५८६
 हरप्रसाद शास्त्री—१२, ५९
 हरिद्रु—४५६
 हरिवंशपुराण—५९, ९२, ११४ (टि०),
 ११८, १२० (टि०), १२१, ४६८
 हर्षचरित—१२, ५९
 हस्ती—३५१
 हाँग—५३८
 हायन—२०८, २६२
 हारिद्रव—४४७
 हारिद्रवक—६
 हारीत—१३
 हालाहला—५६४
 हिद्—३८७
 हिन्दकुश—७५, ७७, ७८, ९०, ३८७
 हिन्दू पॉलिटी—३८६, ३९७ (टि०), ४०४
 (टि०), ४१० (टि०)
 हिन्दू सस्कार—१५८ (टि०)
 हिमश्रय—७६
 हिमानी—७६
 हिमेलु—७६
 हिम्य—७६
 हियर—२६४
 हिरण्यगुप्त—२३
 हिरण्यनाभ—४४९
 हिरण्यवाह—८७
 हिरण्यार्थी—५७, ३८१
 हिस्टा० ज्याग्रा०—७८ (टि०), ९४ (टि०),
 १२६ (टि०)
 हिस्ट्री ऑफ् इण्डिया—३९७
 हिस्ट्री ऑफ् एन्ड्रियेण्ट सस्कृत लिटरेचर—
 ६६ (टि०)
 हिस्ट्री ऑफ् धर्मशास्त्र—५७० (टि०)
 हुप्करण—४६०
 हृदयहारिणी-टीका—११
 हुद्गालि—७७, ३८७
 हेमचन्द्र—१०१, १११
 हेरोडोटस—२६८
 हेलाराज—११
 हेलेनिक—९१
 हेसीडस—३३८
 हैकुपाद—४६०
 हैमवती—८५, ८६
 हैयगवीन—३२८
 होता—५३८, ५४४
 ह्याडकिकी—१९२
 ह्वीलर—३९७
 खिनसाग—८९, ९०, ९३, ९४, १०३, ११६,
 ११७, ११९, १२१, १२२, १२४,
 १२६

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	८	पातजलि	पतजलि
६	२३	गाह्य	गह्यं
१३	२५	घृतरीढीय	घृतरीढीय
१३	२६	रीढिशाखा	रीढिशाखा
१५	८	प्रचलित	अप्रचलित
१७	११	सनन्त	सन्नन्त
१८	८	३९८५	३९९५
२०	२	प्राची	प्राचीन
२०	१५	चिरव्यासायाम्	चिरव्यासायाम्
२१	२	वाङ्मय सस्कृति	वाङ्मय एव सस्कृति
२१	२३	डू आन	टु अस
२१	२५	शुचावकाशे	शुचावकाशे
२१	अन्तिम पक्ति—		व्यर्थ है
२७	७	यम	ऋम
२७	३०	दृष्ट्वा सूत्रेण	दृष्ट्वा सूत्रे
३२	२५	कृपाचार्यस्य	ह्याचार्यस्य
३४	२६	कम्बोजेस्वेप	कम्बोजेष्वेव
३४	२६	विकारमस्यार्येषु	विकारमस्यार्येषु
३५	१०	एक पतजलि	एक मे पतजलि
३७	२४	उपादीयमाने सदेह	उपादीयमानेऽसन्देह
३८	१८	तृपिता अयोधारा	तृपिता. पयोधारा.
३८	२५	रङ्गता	रङ्गता
३९	१९	सपन्ती	सर्पन्ती
४०	७	प्रासादवासप्रहणेन	प्रासादवासिप्रहणेन
४०	१६	द्विवद्वं	द्विवद्वं
४०	१९	नैकामाना	न वै कामानां
४०	२६	शब्दगडुमात्रम्	शब्दगडुमात्रम्
४१	७	क्षरीदने	क्षौदने
	८०		

१९२	६	घाटियो	घटियों
१९७	१६	विकास	विकार
२०१	१९	सीशमि	सीशमि
२०६	३	प्रागुल्फा	प्रागुल्फा
२०६	९	सीमान्तिनी	सीमन्तिनी
२२५	२४	जाना भी होता है	जाना भी सिद्ध होता है
२३३	२२	यद्ररथ	यन् रथ
२३६	३३	दृढपूरक्ष.	दृढबूरक्ष
२५७	४,६	उदकोदवन	उदकोदञ्चन
२५७	१२	महोघा	महोघा
२५८	२६	गच्छति	गच्छन्ति
२५९	८	मद्र	मद्र
२६०	७	अगुल	अङ्गुल
२६१	३०	पक्तव्य	पक्तव्य
२६७	२०	व्रीह्यश्च मे	व्रीह्यश्च मे
२७०	२०	अवलेखो	अवलेपो
२७०	३०	मूज	मुञ्ज
२८७	२६	समा समा	समा समा
२८९	११	वृषस्पति	वृषस्पति
२९१	२१	यान्यन्योन्य	यान्योन्य
२९१	३२	गौरिवाकृतनीशार	गौरिवाकृतनीशार
२९५	२	मिलगम	मितङ्गम
२९६	३	उष्ट्रसर	उष्ट्रसर
२९८	३	महात्र	महात्र
२९९	११	पदवर्जयो	पश्वङ्गयो
३००	११	शीयाविष	शीयाविष
३२९	१	मगार	भगार
३३५	२०	प्रतिक्रियाओ	आदि क्रियाओ
३३६	२३	रोडोफा नगर	रोडोफा
३४१	३	तदहेति	तदहेति
३४१	३०	उक्तपरिमाणानाम्	अक्तपरिमाणानाम्
३४२	१७	दुवय	द्रुवय
३४५	१९	दाम पड जाते थे	नाम पड जाते थे
३४६	२१	कुम्भ पर	कुम्भ भर
३४६	२२	वट	'वह'

४१४	७	रक्षा के बिना	रक्षा बिना
४१४	२१	एतदासी	एतदासीत्
४१५	८	जन्य दोष	जन्य दोष
४१५	१८	म्लेच्छितवे नापभाषितवे	म्लेच्छितवै नापभाषितवै
४१५	२७	स्त्रीष्वायमह	स्त्रीष्विवायमह
४१९	१९	ब्रह्मचारी	सन्नह्मचारी
४२५	१५	पक्षान्त	पक्षवन्त
४२५	२१	अर्था	अर्थो
४२५	३३	अभिरूपा दर्शनीयो पक्षवन्तो	अभिरूपौ दर्शनीयौ पक्षवन्तौ
४२८	१२	टक्	पटक्
४२८	१९	शुष्केन्वो	शुष्कैवो
४३१	१६	छन्दस्	छन्दस्
४३२	२४	कृणो	कृणो
४३३	२०	अपने	अनेक
४३४	८	कुल-कलीन	कुल-कुलीन
४३४	९	स्वासापि, स्वास्नीप स्वस्नीप	स्वास्नीयि, स्वास्नीय स्वस्नीय
४३४	१०	पिञ्जलादि	कापिञ्जलादि
४३४	१२	कण्व	कण्व
४३८	२०	चतुर्धा व्यस्य	चतुर्धा व्यस्य
४४१	१८	समानीन	समानीव
४४३	१६	या शवत्क्य	यान्नवल्क्य
४४८	१७	तिष्ठित	प्रतिष्ठित
४५०	२	रामायण और सात्यमुनि	राणायण और सात्यमुनि
४५०	१४	अपना ऐतरेय	ऐतरेय
४५०	१८	मोदक	मीदक
४५५	२२	कृतवर्माणि	कृतवर्माण
४५५	२७	वभूव	वभूवु
४५७	१	जानुरीप	अम्बरीप
४५७	११	काण्व और ब्राह्मण	और काण्व ब्राह्मण
४५७	१७, २१	पठिपव	पठिपव
४५८	२०	ताण्डव को	ताण्ड्य को
४६०	२	सौप, तैड	सौप, तैड
४६१	१४	पतजलि-काल के	पतजलि-काल
४६१	२४	निकम्पित	विकम्पित
४६२	१	उपहान की	उपहास का

५३३	१७, २०	भूजवन्त	भूजवन्त
५३८	३	प्रदूषित	अदूषित
५४०	१	अग्निध्र	आग्नीध्र
५४०	८	व्याख्या की जाती	व्यवस्था की जाती
५४२	९	ऋचा का मन्त्र	ऋचा या मन्त्र
५४५	१२, १३	रक्षा विनाश	रक्षोविनाश
५४६	१२	सूत्रों को छोड़कर	सत्रों को छोड़कर
५४६	३२	वैयाकरणहस्ती	वैयाकरणहस्ती
५४६	३३	कसिलामेकैकश	कपिलामेकैकश
५५१	१५	कैसपक्षीय	कसपक्षीय
५५२	१७	मूर्त्तियों की	मूर्त्तियों की गिनती
५५३	१७	कश्यप की	काश्यप का
५६३	५	कण्ट तय	कण्टतप
५६३	१९	मनों के आजीवको	मतों के सब आजीवको
५६६	१५	भैक्षसेवी	भैक्षसेवी
५६६	२२	अर्थ विना पकाये	अर्थात् विना पकाये
५६९	१९	गाधि	गाधि
५७३	१	वर्णों के यह	वर्णों के घर
५७३	९	श्रमणवाहनणम्	श्रमण-त्राहणम्
५७५	१	वार्तिक भाष्य से	भाष्य से
५८३	२२	दुश्चर्या	दुश्चर्मा
५८७	१९	रक्षीतुर का	रक्षीऽसुर का
५९१	१२	अभिवादन को	अभिवादन को
५९२	६	को र के	को घर के
५९२	१६	श्रोत्रिय था	श्रोत्रिय या
५९५	१२	अपेक्षाकृत अर्ह	अपेक्षाकृत कम अर्ह

विशेष : इस शुद्धि-पत्र में केवल उन प्रमुख अशुद्धियों का शुद्ध रूप दिया गया है, जिनसे अर्थ-ग्रहण में विशेष बाधा हो सकती थी। सामान्य प्रूफ की भूलों, विशेषतः सस्कृत-उद्धरणों में मुद्रण की भूलों को पाठक कृपया नुबारकर पढ़ेंगे।—ले०